Dy. [handwritten]

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

की

कार्यवाहियों

की

अनुक्रमणिका

खंड ५३

आषाढ़ २८, श्रावण २, ३, ४, ७, ८, ६, १०, ११, तथा
भाद्र ७ व, ८ शक संवत् १८७६।
(जुलाई, १६, २४, २५, २६, २६, ३०, ३१, व
अगस्त, १, २, २६, व ३०, सन् १६५७ ई०)

मुद्रक :
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री (लखनऊ), उत्तर प्रदेश, भारत।
१६६१

मूल्य: बिना महसूल १२ नये पैसे, महसूल सहित १६ नये पैसे।
वार्षिक चन्दा: बिना महसूल ५ रुपये, महसूल सहित ६ रुपये।

विषय सूची

खंड ५३

शुक्रवार, २८ आषाढ, शक संवत् १८७९
(१९ जुलाई, सन् १९५७ ई०)

शुक्रवार, ४ श्रावण, शक संवत् १८७६
(२६ जुलाई, सन् १९५७ ई०)

सोमवार, ७ श्रावण, शक संवत् १८७९
(२९ जुलाई, सन् १९५७ ई०)

मंगलवार, ८ श्रावण, शक संवत् १८७९
(३० जुलाई, सन् १९५७ ई०)

बुधवार, ९ श्रावण, शक संवत् १८७९
(३१ जुलाई, सन् १९५७ ई०)

बृहस्पतिवार, १० श्रावण, शक संवत् १८७९
(१ अगस्त, सन् १९५७ ई०)

शुक्रवार, ११ श्रावण, शक संवत् १८७९
(२ अगस्त, सन् १९५७ ई०)

बृहस्पतिवार, ७ भाद्र, शक संवत् १८७९
(२९ अगस्त, सन् १९५७ ई०)

शुक्रवार, ८ भाद्र, शक संवत् १८७९
(३० अगस्त, सन् १९५७ ई०)

शासन

राज्यपाल

श्री वराह गिरि वेंकट गिरि

मंत्री परिषद्

मन्त्री (जो मंत्रि-मण्डल के सदस्य हैं)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस० सी०, विधान सभा सदस्य, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन एवं नियोजन मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, वित्त उद्योग तथा विद्युत मंत्री :

श्री हुकुम सिंह विसेन, बी० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, स्वास्थ्य, कृषि, तथा पुनर्वासन मंत्री।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य माल मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार एट-ला, विधान सभा सदस्य, न्याय, वन, खाद्य तथा रसद मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान सभा सदस्य, गृह, शिक्षा तथा सूचना मंत्री।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, विधान सभा सदस्य, स्वशासन मंत्री।

आचार्य जुगल किशोर, विधान सभा सदस्य, श्रम तथा समाज-कल्याण मंत्री।

श्री मोहन लाल गौतम, बी० ए० (आनर्स) सदस्य, विधान सभा, सहकारिता मंत्री।

मंत्री (जो मंत्रि-मण्डल के सदस्य नहीं हैं)

श्री मंगला प्रसाद, बी० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान सभा सदस्य, समाज सुरक्षा मंत्री।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सिंचाई मंत्री।

डाक्टर सीताराम, एम० एस० सी० (विस), पी० एच० डी०, विधान सभा सदस्य, मादक-कर तथा परिवहन मंत्री।

उपमंत्री

श्री जग मोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन उपमंत्री।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य, विधान सभा सदस्य, न्याय, खाद्य तथा रसद उपमंत्री।

श्री कैलाश प्रकाश, विधान परिषद् सदस्य, शिक्षा उपमंत्री।

श्री रऊफ जाफरी, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, उद्योग उप-मंत्री।

श्री परमात्मा नन्द सिंह, विधान परिषद् सदस्य, माल उप-मंत्री।

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी, विधान सभा सदस्य, स्वास्थ्य उप-मंत्री।

श्रीमती प्रकाशवती सूद, विधान सभा सदस्या, समाज कल्याण उपमंत्री।

(सभा सचिव विधान परिषद् से)

श्री कुंवर महावीर सिंह, विधान परिषद् सदस्य, सार्वजनिक निर्माण-मंत्री के सभा सचिव।

एडवोकेट जनरल

श्री कन्हैया लाल मिश्र, बी० ए०, एल० एल० बी०।

सदस्यों के वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

क्रम-संख्या	नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१	अजय कुमार बसु, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
२	अब्दुल शकूर नजमी, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
३	अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री	..	नाम निर्देशित ।
४	इन्द्र सिंह नयाल, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
५	इन्द्र सिंह, श्री सरदार	..	नाम निर्देशित ।
६	ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ।
७	उमानाथ बली, श्री	..	नाम निर्देशित ।
८	उमा शंकर सिंह, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
९	एम० के मुकर्जी, श्री	..	नाम निर्देशित ।
१०	कन्हैया लाल गुप्त, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ।
११	केदार नाथ खेतान, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
१२	कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
१३	खुशाल सिंह, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
१४	गुरु नारायण सिंह, श्री कुंवर	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
१५	चन्द्र भाल, श्री (चेयरमैन)	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
१६	जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री	..	नाम निर्देशित ।
१७	जगदीश चन्द्र वर्मा, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
१८	जगन्नाथ आचार्य, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
१९	जमीलुर्रहमान किदवई, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
२०	तारा अग्रवाल, श्रीमती	..	नाम निर्देशित ।
२१	तेलू राम, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
२२	नरोत्तम दास टंडन, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
२३	निजामुद्दीन, श्री (डिप्टी चेयरमैन)	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
२४	निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ।
२५	पन्ना लाल गुप्त, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
२६	परमात्मा नन्द सिंह, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
२७	पीताम्बर दास, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
२८	पुष्कर नाथ भट्ट, श्री	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ।
२९	पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
३०	पृथ्वी नाथ, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
३१	प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ।
३२	प्रताप चन्द्र आजाद, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
३३	प्रभु नारायण सिंह, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
३४	प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
३५	प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
३६	बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
३७	बालक राम वैश्य, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
३८	बाबू अब्दुल मजीद, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
३९	बीरभान भाटिया, डाक्टर	..	नाम निर्देशित ।
४०	वीरेन्द्र स्वरूप, श्री	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ।
४१	वंशीधर शुक्ल, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।

क्रम-संख्या	नाम		निर्वाचन क्षेत्र
४२	व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
४३	व्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ।
४४	मदन मोहन लाल, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
४५	महफूज अहमद किदवई, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
४६	महमूद अस्लम खां, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
४७	महादेवी वर्मा, श्रीमती	..	नाम निर्देशित ।
४८	महावीर सिंह, श्री कुंवर	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
४९	मुहम्मद नसीर, श्री सैयद	..	नाम निर्देशित ।
५०	राना शिव अम्बर सिंह, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
५१	राम किशोर रस्तोगी, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
५२	राम गुलाम, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
५३	राम नन्दन सिंह, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
५४	राम नारायण पान्डे, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
५५	राम लखन, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
५६	लल्लू राम द्विवेदी, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
५७	लालता प्रसाद सोनकर, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
५८	लाल सुरेश सिंह, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र ।
५९	विजय आफ विजयानगरम्, डाक्टर महाराज कुमार	..	नाम निर्देशित ।
६०	विश्वनाथ, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
६१	शान्ति देवी, श्रीमती	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
६२	शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
६३	शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ।
६४	शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ।
६५	शिव प्रसाद सिन्हा, श्री	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ।
६६	श्याम बिहारी विरागी, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ।
६७	श्याम सुन्दर लाल, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
६८	सभापति उपाध्याय, श्री	..	नाम निर्देशित ।
६९	सावित्री श्याम, श्रीमती	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
७०	सैयद जहां बेगम मकफी, श्रीमती	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।
७१	हृदय नारायण सिंह, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र ।
७२	हयातुल्ला अन्सारी, श्री	..	नाम निर्देशित ।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

२८ आषाढ़, शक संवत् १८७९ (१९ जुलाई, सन् १९५७ ई०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (५८)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमा नाथ बली, श्री
उमा शंकर सिंह, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टण्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पीताम्बर दास, श्री
पुष्कर नाथ भट्ट, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
पृथ्वी नाथ, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
मदन मोहन लाल, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
महा देवी वर्मा, श्रीमती
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम गुलाम, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पांडे, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
वीर भान भाटिया, डाक्टर
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
व्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
श्याम बिहारी विरागी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार इन्द्र सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मन्त्री तथा उप मंत्री भी उपस्थित थे--

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत्, वन व सहकारी मन्त्री)।
श्री चरण सिंह (माल मन्त्री)।
श्री कमलापति त्रिपाठी, (गृह, शिक्षा व सूचना मंत्री)।
डा० जवाहर लाल रोहतगी (स्वास्थ्य उप मंत्री)।
श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (सहकारिता उप मंत्री)।

शपथ या प्रतिज्ञान

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, एम० एल० सी० ने सदस्यता की शपथ ग्रहण की।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

सन् १९५७ ई० की हाई स्कूल की परीक्षा में नकल किये जाने की शिकायतें

*१—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या यह ठीक है कि जिला बरेली के किसी इन्टर कालेज में मार्च, १९५७ में हाई स्कूल की परीक्षा में नकल किये जाने की शिकायतें सरकार के पास आई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी (शिक्षा, गृह तथा सूचना मंत्री)—जी हां।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि एक ही शिक्षा संस्था है या और भी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, एक ही शिक्षा संस्था है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह जांच जो हो रही है वह एक व्यक्ति द्वारा हो रही है या किसी कमेटी के द्वारा हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन्टरमीडिएट बोर्ड कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि संस्था का नाम क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सुभाष इन्टर कालेज, आंवला, बरेली केन्द्र।

श्री चेयरमैन—श्री कन्हैया लाल गुप्त का अभी एक तार आया है कि वे किसी आवश्यक कार्य के कारण आज नहीं आ सके। उन्होंने प्रार्थना की है कि उनके प्रश्न २६ तारीख के लिये मुल्तवी किये जायं, इसलिये अब उनके प्रश्न २६ जुलाई, १९५७ को लिये जायेंगे।

*२—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—क्या यह भी ठीक है कि उपर्युक्त इन्टर कालेज में नियुक्त किये गये कुछ Invigilators देख-रेख करने वाले अध्यापकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक के पास भी इसी प्रकार की कोई रिपोर्ट भेजी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*३—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त शिकायत की जांच की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मामले की जांच माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा की जा रही है।

*४—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—उपर्युक्त कालेज के प्रिंसिपल तथा अन्य जिम्मेदार अध्यापकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मामला अभी विचाराधीन है।

*५--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस कालेज के कितने छात्रों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, और

(ख) क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--(क) तथा (ख) मामले की जांच पूरी होने तक इससे सम्बन्धित १४ विद्यार्थियों के परीक्षाफल रोक लिये गये हैं।

*६-८--**श्री कन्हैया लाल गुप्त** (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)--(सदस्य की इच्छानुसार २६ जुलाई, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।)

*९-१३--**श्री कन्हैया लाल गुप्त** (अनुपस्थित)--(वर्तमान सत्र के प्रथम बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ६-१० के रूप में रखे गये)।

*१४-१६--**श्री कन्हैया लाल गुप्त** (अनुपस्थित)--(सदस्य की इच्छानुसार २६ जुलाई १९५७ के लिए स्थगित किये गये।)

*१७-२२--**श्री कन्हैया लाल गुप्त** (अनुपस्थित)--स्थगित।

सरकारी तथा गैर-सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूलों में शारीरिक शिक्षण अध्यापकों का वेतन-क्रम

*२३--**श्री हृदय नारायण सिंह** (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट तथा गैर-सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूलों में शारीरिक शिक्षण (पी० टी०) अध्यापकों के लिये क्या वेतनक्रम निर्धारित किये गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूलों में प्रचलित वेतन-क्रम

फिजिकल एजूकेशन में ट्रेंड ग्रेजुएट १२०-८-२००-ई० बी०-१०-३०० रु०।

फिजिकल एजूकेशन में ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट--७५-५-१२०-ई० बी०-८-२०० रु०। गैर सरकारी स्कूलों में:

फिजिकल एजुकेशन ट्रेन्ड ग्रेजुएट--१२०-६-१६८-ई० बी०-८-२०० रु०।

फिजिकल एजूकेशन में ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट--७५-५-११०-ई० बी०-६-१४० ई० बी०-७--१७५ रु०।

*२४--**श्री हृदय नारायण सिंह**--(क) क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सरकारी स्कूलों में (गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी में) कितने-कितने व्यक्ति भिन्न-भिन्न ग्रेडों में नियुक्त हैं?

(ख) इनमें कितने स्थायी और कितने अस्थायी पदों पर हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

ग्रेड	अध्यापक	अध्यापिकायें
१२०--३०० रु०	३३	२
७५--२०० ,,	३२	३९
४०--६५ ,,	९	..

श्री हृदय नारायण सिंह--श्रीमान्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि २४ (ख) का उत्तर दिया गया है या नहीं ? २४ (ख) इस प्रकार है। इसमें कितने स्थायी और कितने अस्थायी पदों पर हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसमें सिर्फ २४ का ही उत्तर है।

श्री चेयरमैन--प्रश्न २४ (ख) है कि इसमें कितने स्थायी और कितने अस्थायी पदों पर हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह इसमें नहीं है।

श्री चेयरमैन--यह स्थगित कर दिया जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, इसको स्थगित कर दिया जाय, पता लगा कर बतला दिया जायगा।

*२५--**श्री हृदय नारायण सिंह**--स्थगित।

अस्थायी रूप से रिक्त हुये स्थानों पर एल० टी० या सी० टी० ग्रेड में पहले से काम करने वाले सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को मौका न दिया जाना

*२६--**श्री हृदय नारायण सिंह**--(क) क्या यह ठीक है कि अस्थायी रूप से रिक्त हुये स्थानों पर S. S. E. S. (Special Subordinate Educational Service) एल० टी० या सी० टी० ग्रेड में पहले से काम करते रहने वाले सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को (अस्थायी रूप से) काम करने का मौक़ा नहीं दिया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

(ग) यदि मौक़ा दिया गया है, तो किस प्रतिशत में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--(क) जी नहीं। यह ठीक नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्पेशल एस० ई० एस०--५८.६ प्रतिशत।
एल० टी० ... १८.३ प्रतिशत।
सी० टी० ... समस्त पद बाहरी व्यक्तियों से भरे जाते हैं।

*२७--**श्री हृदय नारायण सिंह**--(क) क्या सरकार बतायेगी कि सन् १९५५-५६ में कितनी जगह अस्थायी रूप से रिक्त हुईं, और

(ख) उनमें कितने बाहरी व्यक्ति नियुक्त हुये और कितने पहले से काम करते रहने वाले स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को अवसर दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

(क) स्पेशल एस० ई० एस०	...	२९
एल० टी०	...	४९
सी० टी०	...	६५
(ख) स्पेशल एस० ई० एस० बाहरी	...	१२
विभागीय	...	१७
एल० टी० ग्रेड बाहरी	...	४०
विभागीय	...	९
सी० टी० ग्रेड बाहरी	...	६५

श्री हृदय नारायण सिंह--मैं २६ (ग) का स्पष्टीकरण चाहता हूं। इसका जो उत्तर दिया गया है, इसका क्या अर्थ है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--इसका उत्तर है कि एल० ई० एस० में जो भरती होती है, उसमें ५० प्रतिशत एल० टी० के आदमी लिये जाते हैं और जो आप के विभाग में काम करते हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह--उत्तर में एस० ई० एस० के लिये ५८·६ प्रतिशत लिखा है, इसके क्या अर्थ हैं ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--यह वे लोग हैं, जिनको ५५-५६ में मौका दिया गया है।

श्री हृदय नारायण सिंह--मैं यह पूछना चाहता हूं कि सी० टी० के बाद जिन लोगों ने एम० ए० कर लिया है, उनको तरक्की दी जाती है या नहीं ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--सी० टी० के बाद जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनको तरक्की दी जाती है।

श्री हृदय नारायण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में सी० टी० के सामने यह लिखा हुआ है कि समस्त पद बाहरी व्यक्तियों से भरे जाते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--सी० टी० का जो रिक्रूटमेन्ट होता है वह बाहर से होता है, उसमें विभाग के आदमी नहीं लिये जाते हैं। एल० टी० में जो लोग लिये जाते हैं, उसमें ५० प्रतिशत विभाग से लिये जाते हैं, जिसमें सी० टी० वाले आजाते हैं और ५० प्रतिशत बाहर से लिये जाते हैं।

शिक्षा विभाग की सीनियारिटी लिस्ट

*२८--श्री हृदय नाराणय सिंह--शिक्षा विभाग की सीनियारिटी लिस्ट सब से हाल में कब प्रकाशित हुई थी ? क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--गजेटेड पदाधिकारियों के नाम ज्येष्ठता के अनुसार सिविल लिस्ट में दिखाये जाते हैं, जो १ जनवरी, १९५६ तक संशोधित, प्रकाशित हो चुकी हैं। शिक्षा विभाग द्वारा तीन सीनियारिटी लिस्ट भाग १, २ तथा ३ प्रकाशित होती हैं, जो क्रमशः १५ अगस्त, १९५५, १५ अगस्त, १९५४ तथा १५ अगस्त, १९५३ तक संशोधित, प्रकाशित हो चुकी हैं। लिस्ट की एक-एक प्रति प्रस्तुत हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या यह लिस्ट सर्कुलेट भी की जाती है और जो गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापक काम करते हैं, उनको उपलब्ध भी होती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जब वह लिस्ट प्रकाशित हो जाती है, तो वह पब्लिक प्रापर्टी हो गई और सभी को उपलब्ध हो सकती है।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या वह लिस्ट गजट में प्रकाशित होती है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--मेरा ख्याल है कि अलग से वह लिस्ट सिविल लिस्ट में प्रकाशित होती है।

बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में फीस माफी के कारण अध्यापकों की तनख्वाहों में रुकावट

*२९--श्री हृदय नारायण सिंह--(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यार्थियों की फीस माफी के कारण सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की तनख्वाहें छः छः महीने तक रुक जाती हैं ?

(ख) इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या आदेश जारी किये हैं ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय, २९ प्रश्न के सम्बन्ध में बाद में इन्क्वायरी करने के पश्चात् मुझे यह सूचना मिली है कि कुछ जिलों में अध्यापकों की तनख्वाह तीन-तीन, चार-चार महीने रुकी रही और इसके कई कारण हैं। किन्तु एक स्थान पर तो ऐसा हुआ कि सेविंग बैंक में जो जमा किया हुआ रुपया था, जब उन्होंने उसको निकालना चाहा तो बैंक विभाग वालों ने इस बात पर एतराज किया कि वह सारा का सारा रुपया एक साथ नहीं देंगे। इस बात की शिकायत उन्होंने वहां के बड़े अधिकारियों के पास भेज दी, जिससे कि उसमें तीन-चार महीने की देरी हो गई। एक स्थान में ऐसा हुआ कि कलेक्टर के यहां जो रुपया जाता है वहां से स्कूलों को मिलने में देरी हुई क्योंकि रिपोर्ट आने में विलम्ब हुआ और इससे भी अध्यापकों की तनख्वाहें तीन-तीन, चार-चार महीने तक रुकी रहीं। ६ महीने की देरी तो कहीं भी नहीं हुई, तीन-चार महीने जरूर उनकी तनख्वाह रुकी रही। इस संबंध में जांच भी की गई तथा भविष्य में इस बात की पूरी चेष्टा होगी कि इस तरह से तनख्वाह न रुकने पाये।

*३०-३१--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)-----[सदस्य की इच्छानुसार २६ जुलाई, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

स्मिथ हायर सेकेन्डरी स्कूल, अजमतगढ़, के अध्यापकों का आवेदन-पत्र

*३२--श्री हृदय नारायण सिंह--(क) क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्मिथ हायर सेकेन्डरी स्कूल, अजमतगढ़ के अध्यापकों की ओर से कोई आवेदन-पत्र उन्हें हाल ही में प्राप्त हुआ है ?

(ख) उसका क्या सारांश है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--(क) हाल में तो नहीं, परन्तु लगभग एक वर्ष पूर्व कुछ पत्र विभाग में प्राप्त हुये थे।

(ख) आवेदन-पत्र में उल्लेख था कि वेतन के अनियमित रूप से भुगतान के कारण संस्था के अध्यापकों का लगभग ६ महीने का वेतन नहीं भुगतान हो सका है और वे बड़ी कठिनाई भोग रहे हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह--प्रश्न-संख्या ३२ (ख) के उत्तर में कहा गया है कि आवेदन-पत्र में उल्लेख था कि वेतन के अनियमित रूप से भुगतान के कारण संस्था के अध्यापकों का लगभग ६ महीने का वेतन नहीं भुगतान हो सका है, तो क्या यह ग्रान्ट इन एड तो नहीं है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--जी हां, आवेदन-पत्र में उल्लेख था कि वेतन का अनियमित रूप से भुगतान डेफिनिट तारीख तक वेतन मिल जाने के लिये है और इस तरह

से भुगतान नहीं हुआ है, कुछ को मिल गया और कुछ को नहीं मिला और अनियमित रूप से वेतन मिलता है तथा ६ महीने तक वेतन रुका रहा।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जो बकाया वेतन है, वह उन लोगों को अब दे दिया गया है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है, यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं उनको मंगाकर दे सकता हूं।

*३३--**श्री हृदय नारायण सिंह**--(क) क्या यह सच है कि स्मिथ हायर सेकेन्डरी स्कूल, आजमगढ़ के अध्यापकों का वेतन ६-७ महीनों से रुका हुआ है ?

(ख) इसका क्या कारण है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--(क) जी हां।

(ख) जमींदारी उन्मूलन के कारण स्कूल के इंडाउमेंट की आय की कमी तथा संस्था के भूतपूर्व मन्त्री से कुछ स्कूल का धन न प्राप्त होने के कारण इस समय स्कूल को लगभग १०,००० रु० का घाटा है।

*३४--**श्री हृदय नारायण सिंह**--उक्त स्कूल के अध्यापकों को मासिक वेतन प्रतिमास मिलता जाय, इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--संस्था की वर्तमान प्रबन्ध समिति को कहा गया है कि संस्था के भूतपूर्व मन्त्री से धन वसूल करने के लिये उचित कार्यवाही करें। इसके अतिरिक्त प्रबन्ध समिति स्वयं स्कूल के अध्यापकों की संख्या में कमी करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे आशा है कि संस्था का आय-व्यय बराबर हो जायगा।

*३५-३६--**श्री हृदय नारायण सिंह**--स्थगित।

*३७-३८-**श्री कन्हैया लाल गुप्त** (अनुपस्थित)--[सदस्य की इच्छानुसार २६-७-५७ के लिये स्थगित किये गये]।

*३९-४४--**श्री हृदय नारायण सिंह**--स्थगित।

*४५-४७--**श्री कन्हैया लाल गुप्त** (अनुपस्थित)--[सदस्य की इच्छानुसार २६-७-५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*४८--**श्री कन्हैया लाल गुप्त** (अनुपस्थित)--स्थगित।

परीक्षकों इत्यादि के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश इन्टरमीडियेट बोर्ड के नियम

*४९--**श्री हृदय नारायण सिंह**--क्या उत्तर प्रदेश इन्टरमीडियेट बोर्ड का कोई नियम है कि कोई व्यक्ति १,००० रुपये से अधिक बोर्ड से तथा २०० से अधिक अन्य स्थानों से एक वर्ष में परीक्षकी इत्यादि के पारिश्रमिक के रूप में नहीं प्राप्त कर सकता ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--जी हां, परन्तु इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिये कुछ भिन्न नियम हैं। अन्य स्थानों से प्राप्त पारिश्रमिक की उच्चतम राशि पर प्रतिबन्ध केवल सरकारी कर्मचारियों के लिये है। गैर सरकारी व्यक्तियों के लिये नहीं और यह राशि २,००० रु० है न कि २०० रु०।

*५०--**श्री हृदय नारायण सिंह**--यह नियम कब से लागू है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--सरकारी कर्मचारियों के लिये ९ सितम्बर, १९४७ तथा गैर सरकारी कर्मचारियों के लिये २० दिसम्बर, १९५६ से।

*५१--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत पांच वर्षों में इस नियम का उल्लंघन किस-किस व्यक्ति के सम्बन्ध में किस-किस वर्ष किया गया ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--बोर्ड द्वारा इस नियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या माननीय मन्त्री जी उस विभागीय आज्ञापत्र का कोई हवाला दे सकेंगे या सरकारी पत्र का हवाला दे सकेंगे, जिसके अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी लोगों में यह विभाजन किया गया ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--राजाज्ञा सन् १९४७ में ईशू-क-ज/१८० है जिसमें यह प्रतिबन्ध लगाया गया है। पिछले साल गवर्नमेंट का ध्यान इसकी ओर गया कि जो गैर-सरकारी हमारे अध्यापक हैं उन पर भी प्रतिबन्ध लागू जरूर होना चाहिये क्योंकि उनमें भी कुछ प्रतिस्पर्धा चलती है। इस सुझाव के अनुसार आज्ञापत्र २६१८/५६, दिनांक २०-१२-५६ द्वारा उन पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया और तब से यह उन पर लागू हुआ है।

*५२-५३--श्री हृदय नारायण सिंह--स्थगित।

उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट एजूकेशन की समितियों के संयोजक

*५४--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट एजूकेशन की विभिन्न समितियों तथा उप-समितियों के कौन-कौन व्यक्ति (१९५६-५७) में संयोजक थे ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--सूचना संलग्न सूची (क)† में प्रस्तुत है।

*५५--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त व्यक्तियों में से कौन-कौन व्यक्ति हाई स्कूल या इन्टरमीडियेट की परीक्षा में प्रधान परीक्षक या टेबुलेटर या कोलेटर किसी न किसी पद पर गत पांच वर्षों से लगातार आसीन रहे हैं ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--बोर्ड के परीक्षकों के नाम गोपनीय होते हैं। जन हित में उनको देना उचित न होगा।

*५६--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार बतायेगी कि इनमें से कितने व्यक्तियों की कौन कौन सी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकों के रूप में निर्धारित (prescribed or recommended) हैं ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--सूची (ख)‡ संलग्न है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय का कार्यारम्भ

*५७--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय आगामी जुलाई से कार्य प्रारम्भ कर देगा ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--जी हां।

---

† देखिए नत्थी 'क' पृष्ठ ४१ पर।
‡ देखिए नत्थी 'ख' पृष्ठ ४५ पर।

श्री हृदय नारायण सिंह---क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी कालेज को पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने की अनुमति दी गई है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, नये पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने की अनुमति नहीं दी गई है ।

श्री हृदय नारायण सिंह---यदि पुराने सालों से किसी जगह पोस्ट ग्रेजुएट क्लास चल रहा है तो उसको अनुमति दी गई है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---अभी उनको कम से कम खत्म नहीं किया गया है, जैसे कि गोरखपुर में सेन्ट एन्ड्रूज कालेज में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज हैं, उनको समाप्त नहीं किया गया है लेकिन नये क्लासेज खोलने की अनुमति नहीं दी गई है ।

*५८---श्री हृदय नारायण सिंह---(क) उसमें किस स्तर तक शिक्षा प्रारम्भ हो जायेगी, और

(ख) कौन कौन फैकल्टी और विभाग कार्य प्रारम्भ कर देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---(क) इस वर्ष तो केवल स्नातकोत्तर श्रेणी की पढ़ायी होगी ।

(ख) आर्ट्स तथा कामर्स फैकल्टी खुलेगी, आर्ट्स में psychology education, English तथा Sanskrit की पढ़ायी होगी ।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)---गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बावत यह कहा गया था कि इसको रूरल यूनिवर्सिटी का रूप दिया गया है, लेकिन इससे प्रगट नहीं होता है कि इसका क्या रूप होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---रूरल यूनिवर्सिटी की बात से क्या अर्थ है, यह मैं समझा नहीं, लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी का क्या स्वरूप हो, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । जैसे आर्ट, साइन्स या अन्य विषय इन्टरमीडियेट क्लासेज में रखने का प्रश्न है, वह विषय कौन हो और उसका क्या रूप हो, यह सरकार के विचाराधीन है ।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---आब्जेक्ट ऐन्ड रीजन्स में लिखा गया था कि वह यूनिवर्सिटी रूरल यूनिवर्सिटी बनाई जायेगी, इससे रूरल कैरेक्टर नहीं प्रगट होता है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, इसीलिये मैंने कहा कि कौन विषय खोले जायं जिससे रूरल स्वरूप प्रगट हो, यह सरकार के विचाराधीन है ।

*५९---श्री हृदय नारायण सिंह---(क) १९५७-५८ में उक्त विश्वविद्यालय का कितना अनुमानित आय-व्यय होगा ?

(ख) इसके निमित्त राज्य सरकार कितना अनुदान देगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---(क) अभी ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता ।

(ख) सरकार आवश्यकता के अनुसार अनुदान देगी ।

श्री हृदय नारायण सिंह---क्या विद्यालय ने अपनी आय-व्यय का कोई अनुदान सरकार के पास प्रेषित किया गया है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---संभवतः कुछ प्रेषित किया गया है, इस समय मैं आपको कदाचित् बता नहीं सकूंगा । ऐसा है कि जो क्लासेज खोलने का विचार होगा, इस पर भी विचार कर लिया जायेगा । संभवतः जल्दी विचार हो जायेगा यदि आप नोटिस देंगे तो सूचना मिल जायेगी ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में नियुक्तियां

*६०--श्री हृदय नारायण सिंह--गोरखपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट के अन्तर्गत इस समय (१-८-५७) कौन कौन स्थायी या अस्थायी नियुक्तियां हो चुकी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उप-कुलपति तथा कोषाध्यक्ष की नियुक्तियां स्थायी रूप से हो चुकी हैं। एक अस्थायी O. S. D. (Registrar) भी नियुक्त किया गया है।

*६१--श्री हृदय नारायण सिंह--यह नियुक्तियां किसके द्वारा और किन पदों पर पर और किन वेतनक्रमों में हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कुलपति द्वारा उप-कुलपति, कोषाध्यक्ष तथा O. S. D. (Registrar) की नियुक्तियां हुई। उप-कुलपति को २,००० रुपया मासिक वेतन मिलेगा कोषाध्यक्ष अवैतनिक है। O. S. D. (Registrar) का वेतन अभी नियत नहीं किया गया है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट के अन्तर्गत स्टैट्युट्स का बनाया जाना

*६२--श्री हृदय नारायण सिंह--(क) क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट के अन्तर्गत स्टैट्यूट्स (Statutes) बन गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो वे कब तक सदन की मेज पर रखे जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*६३--६४--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)--स्थगित।

*६५--६८--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--स्थगित।

*६९--७५--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)--(सदस्य की इच्छानुसार २६-७-५७ के लिये स्थगित किये गये)।

फतेहपुर गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल को इन्टरमीडिएट कालेज में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र

*७६--श्री पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि फतेहपुर गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल को इन्टरमीडियेट कालेज में परिवर्तन करने के लिये वहां के निवासियों का हाल ही में कोई प्रार्थना-पत्र आया है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या आदेश दिये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--(क) अप्रैल, १९५७ में सदस्य महोदय ने स्वयं एक पत्र इस विषय पर भेजा था इसके अतिरिक्त और कोई आवेदन-पत्र फतेहपुर की जनता की ओर से इस विषय पर सरकार के पास हाल में प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) उपरोक्त आवेदन-पत्र के उत्तर में उन्हें सूचित कर दिया गया था कि धनाभाव के कारण फतेहपुर गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल में इन्टरमीडियेट कक्षायें खोलना संभव नहीं है।

श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या फतेहपुर में और भी गर्ल्स के लिये इन्टरमीडियेट कक्षा के स्कूल हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरा ख्याल है कि नहीं है ।

श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी--भविष्य में सरकार का कोई विचार है कि वहां लड़कि‍यों के लिये इन्टरमीडियेट की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--गवर्नमेंट बहुत उत्सुक है कि सभी जिलों में लड़कों और लड़कियों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय ।

श्री हृदय नारायण सिंह--गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, सरकारी संस्था है कि निजी ? अगर नान-गवर्नमेंट है तो सरकार कैसे कर सकती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह गवर्नमेंट स्कूल है ।

स्कूलों के गेम फंड के पैसे का प्रयोग

*७७--**श्री पन्ना लाल गुप्त**--क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि नियमानुसार सरकारी व जिला बोर्डों के स्कूलों के गेम फंड का पैसा किस-किस मद में इस्तेमाल किया जा सकता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--शारीरिक व्यायाम, खेल-कूद ।

जूनियर व प्राइमरी स्कूलों द्वारा विनोबा जी को दिये गये दान स्वरूप सूत के सम्बन्ध में आदेश

*७८--**श्री पन्ना लाल गुप्त**--क्या सरकार बतलायेगी कि जो सूत जूनियर व प्राइमरी स्कूलों द्वारा विनोबा जी को दान में दिया जाता है उसके लिये जो रूई जिला बोर्ड, फतेहपुर देता है वह किस फन्ड से देता है और किस आदेश व आर्डर द्वारा सरकार को दिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिला बोर्ड फतेहपुर श्री विनोवा जी को दान में सूत देने के लिये अपने अन्तर्गत जूनियर व प्राइमरी स्कूलों को रूई नहीं देता । अतएव उस निमित्त फंड अथवा शासन के आदेश व आर्डर का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मन्त्री जी यह जानने की कोशिश करेंगे कि उसने रूई दी है और जवाब गलत भेजा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने यह नहीं कहा कि रूई नहीं दी । यह कहा कि जो रूई दी, वह श्री विनोवा जी के फंड के लिये नहीं दी ।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार यह बतलाने की कोशिश करेगी कि उस रूई से जो सूत काता गया वह विनोवा जी को दान में दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरे पास जो सूचना है, उसके मुताबिक यह है । २,१०० रुपये के मूल्य का सूत सन् ५५-५६ में दिया । सन् ५६ और ५७ में १,६०० रुपये से ज्यादा का सूत नहीं भेजा ।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार इसकी जांच करेगी कि उस सूत यज्ञ का उद्घाटन माननीय मिनिस्टर साहब ने किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उद्घाटन संभव है कि उन्होंने किया हो । लेकिन जो कुछ हुआ है उसकी घोषणा हुई है । इस सम्बन्ध में कोई शिकायत की बात हो, तो उसकी जांच कर ली जाय ।

फतेहपुर जिले में सन् १९५६–५६ में हुई चोरी, डकैती, कत्ल इत्यादि का थानावाइज ब्योरा

*७९—श्री पन्ना लाल गुप्त—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले में थानावाइज सन् १९५५–५६ में कितनी चोरियां, डकैती, राहजनी, कत्ल और बल्वे हुये और उनमें से कितने केसों में सजा हुई, कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगी और कितने अदालतों में छूट गये ?

श्री कमला पति त्रिपाठी—मांगी हुई सूचना संलग्न सूची† 'ग' में प्रस्तुत है।

*८०—श्री पन्ना लाल गुप्त—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले के शिकायती डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस जब से तैनात हुये तब से अब तक (१५–४–५७) कितने केस भ्रष्टाचार के पकड़े और उनकी जांच की और उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुल २४ मामले पकड़े गये, जिनमें की गई कार्यवाही का विवरण सूची‡ 'घ' में प्रस्तुत है।

प्रदेशीय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के सदस्य तथा उसका कार्य

*८१—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय University Grants Committee के इस समय कौन–कौन सदस्य हैं ?

(ख) इनमें किसकी–किसकी नियुक्ति कब–कब हुई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—(क) इस समय कोई समिति कार्य नहीं कर रही है। पुरानी विश्वविद्यालय अनुदान समिति का कार्यकाल ३१ मई, १९५७ को समाप्त हो चुका है। नवीन समिति का निर्माण शासन के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*८२—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त समिति के सदस्यों को तथा कर्मचारियों को क्या वेतन या भत्ता दिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—विश्वविद्यालय अनुदान समिति के सदस्यों को कोई वेतन नहीं दिया जाता है। लेकिन समिति की बैठक में भाग लेने के लिये उन्हें प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारियों को दी जाने वाली दरों से मार्ग व्यय तथा दैनिक भत्ता दिया जाता था और समिति के कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ता निम्नलिखित है :—

१—सचिव—कुछ नहीं दिया जाता है।

२—सहायक सचिव—१५० रु० की दर से मानदेय (आनरेरियम) दिया जाता है।

३—प्रधान लिपिक—८० रु० से २४० तक के ग्रेड में है तथा इनको ३० रु० मासिक विशेष वेतन भी दिया जाता है।

४—तीन लिपिक—८० रु० से १३० के ग्रेड में हैं।

५—तीन लिपिक—६० रु० से ११० रु० के ग्रेड में हैं।

६—एक शीघ्र लिपिक—१०० रु० से २०० रु० के ग्रेड में।

७—सात निम्नश्रेणी के कर्मचारी—२७ रु० ½–३२ के ग्रेड में।

---

† देखिये नत्थी 'ग' पृष्ठ ४६ पर
‡ देखिये नत्थी 'घ' पृष्ठ ५० पर

*८३—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) U. P. University Grants Committee क्या कार्य करती है?

(ख) उसके कार्य करने की क्या प्रणाली है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—(क) पुराना विश्वविद्यालय अनुदान समिति का कार्य †विवरण नत्थी "ङ" में दिया है। जो सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(ख) नत्थी "ङ" में दिये गये कार्यों के अनुसार ही समिति प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विश्व-विद्यालय तथा महाविद्यालयों से उनकी आवश्यकता के आधार पर प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित करती है तथा उन पर विचार विमर्श करने के उपरान्त बजट अलाटमेंट के अनुसार अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित करती है।

*८४—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) सन् १९५६-५७ में विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कालेजों के लिये University Grants Committee ने भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये कितना-कितना अनुदान देने की सिफारिश की थी, और

(ख) सरकार ने कितना अनुदान स्वीकार किया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—"च" अपेक्षित सूचना नत्थी‡ "च" में दी हुई है। जो सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(ख) उपर्युक्त नत्थी (च) के कालम २ में शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि दी हुई है।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कालेजों के लिये सरकार जो अनुदान निश्चित करती है, वह यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी की सम्मति पर करती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। उनकी सिफारिशें भी सरकार के सामने रहती हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—अगर कोई कमेटी कान्स्टीट्यूट न होगी, तो वह कैसे सिफारिश कर सकेगी और कब तक माननीय मन्त्री जी चाहते हैं कि कमेटी का पुनर्निर्माण हो जाय?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं चाहता हूं कि शीघ्र हो जाय।

*८५-८७—श्री हृदय नारायण सिंह—स्थगित।

लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में निर्धारित दो वेतन क्रमों का लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत के ओरियन्टल विभाग के शिक्षकों पर भी लागू होना

*८८—श्री बंशीधर शुक्ल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार द्वारा लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिये निर्धारित दो वेतनक्रमों का तरीका लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत के ओरियन्टल विभाग के शिक्षकों पर भी लागू होगा?

88. Sri Banshi Dhar Shukla (*Local Authorities Constituency*)—Is the two the grade system prescribed by the Government in respect of the teachers of Lucknow and Allahabad Universities also applicable to the teachers of the Oriental Department of Sanskrit of Lucknow University?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

Sri Kamlapati Tripathi.—No.

---

† देखिए नत्थी "ङ" पृष्ठ ५१ पर।
‡ देखिए नत्थी "च" पृष्ठ ५२ पर।

श्री बंशीधर शुक्ल--ये दो ग्रेड्स से क्यों वंचित रखे गये, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने निवेदन किया कि यह सारा मामला सरकार के विचाराधीन है। अब तक वे अवश्य वंचित रहे हैं।

*८९--श्री बंशी धर शुक्ल--यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत के ओरियन्टल विभाग के शिक्षकों पर भी उसको लागू करने का है ?

*89. Sri Banshi Dhar Shukla—If not, does the Government contemplate its application to the teachers of Oriental Department of Sanskrit of the Lucknow University ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस पर विचार किया जा रहा है।

*Sri Kamlapati Tripathi—The matter is under consideration.

*९०--श्री पन्ना लाल गुप्त--स्थगित।

*९१--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)--(सदस्य की इच्छानुसार २६-७-५७ के लिये स्थगित किया गया।)

*९२-९६--श्री हृदय नारायण सिंह--स्थगित।

जिला फतेहपुर में १९५४ से १९५७ तक दफा १०७ के अन्तर्गत मुकद्दमों की संख्या

*९७--श्री पन्ना लाल गुप्त--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में दफा १०७ के सन्, १९५४-५५ व १९५५-५६ तथा अप्रैल १९५६ से मार्च, १९५७ तक किस-किस थाने द्वारा कितने केस चलाये गये ?

(ख) उनमें से कितनों में--

(१) सुलह हुई, और

(२) सजा हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--(क) तथा (ख) मांगी हुई सूचना संलग्न †तालिका में दी हुई है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खागा और गाजीपुर में क्यों मुकद्दमें ज्यादः चलाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अगर माननीय सदस्य चाहते हों तो अवश्य जांच कर लेंगे। दफा १०७ के मुकद्दमें खास तरह के आदमियों के खिलाफ ही चलाये जाते हैं।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार को ज्ञात है कि ये मामले खास तौर से चलाये गये हैं जिनकी जांच की जरूरत है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह ज्ञात तो नहीं है। यदि माननीय सदस्य इस मामले में कोई सूचना दे दें तो जांच में सहायता मिलेगी।

प्रदेश में फ्लू से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव

श्री चेयरमैन--मुझे एक एडजर्नमेंट मोशन की सूचना कुंवर गुरु नारायण जी से प्राप्त हुई है, वह इस प्रकार है :--

† देखिये नत्थी "छ" पृष्ठ ५५ पर।

To

The Chairman,

Legislative Council, U. P.,

Lucknow.

Sir,

I beg to move that the House be adjourned to discuss a matter of urgent public importance, viz. the flu situation in the State which has completely dislocated the normal life and the inadequate steps taken by the Government to meet it.

Yours faithfully,

(Sd.) GURU NARAIN.

इसके सम्बन्ध में अगर गवर्नमेंट कुछ कहना चाहे तो कहे, उसके बाद में अपना निर्णय दूंगा।

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी (स्वास्थ्य उप-मन्त्री)--अब फ्लू के इंसीडेन्टस कम होते जा रहे हैं। हमारे प्राविन्स में ही नहीं बल्कि सारे देश में ही डाउनवर्ड टेन्डेन्सी है। फ्लू हमारे प्राविन्स में जून में शुरू हुआ और वह, दिल्ली से कुछ लोग आये जिनकी वजह से शुरू हुआ। फिर बरेली, धामपुर में जून में पहले हफ्ते में जारी हुआ और उसके बाद और शहरों में बढ़ने लगा। जहां आबादी ज्यादा है, जहां लेबर ज्यादा हैं, जहां अधिक बाजार हैं उन जगहों में यह काफी बढ़ा। गांवों में यह नहीं बढ़ने पाया।

इस बीमारी की खास बात यह रही है कि यह हल्के किस्म की हुई और इसने जान के ऊपर ज्यादा हमला नहीं किया। तकलीफ लोगों को जरूर हुई है मगर वह भी तीन चार दिन तक रही है।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--Sir, I want to know whether he is agreeable to allowing this adjournment motion or not. If this is a statement, we should be given time to discuss it.

श्री चेयरमैन--बात यह है कि मैंने मन्त्री जी को इजाजत इसलिये दी है कि शायद कुछ स्टेटमेंट वह दें और उससे सदस्यों को सन्तोष हो जाय। मैं तो ऐडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं, मैं समझता हूं कि सदन मन्त्री की बात सुन ले और फिर जैसा उचित होगा, किया जायगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण--जैसा कि मन्त्री जी ने बतलाया कुछ कमियां रह गई हैं उसके सम्बन्ध में, अगर डिस्कशन्स होते, तो मालूम हो जाता कि वह कमियां क्या-क्या हैं। इसलिये मैं चाहता था कि उसके लिये एक दिन गवर्नमेंट की तरफ से अलाट कर दिया जाय। ऐडजर्नमेंट मोशन को न एलाउ किया जाय तो मुझे कोई एतराज न होगा। मगर उसके लिये एक दिन कोई भी नियत कर दिया जाय, ताकि लोग अपने सुझाव गवर्नमेंट के सामने रख सकें और हाउस को भी उसे सुनने का मौका मिल जायेगा।

श्री चेयरमैन--अगर मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई स्टेटमेंट देना स्वीकार करें तो दूसरा समय निश्चित किया जाय।

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--तो बजट डिसकशन्स के बाद एक दिन का समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि बजट डिस्कशन्स २६ को इस हाउस में शुरू होगा, तो उसके पहले मौका मिल सकता है। इस--लिये उसके पहले गवर्नमेंट अपना स्टेटमेंट दे दे तो मेम्बरान को उसके ऊपर गौर करने का मौका मिल जायेगा। अगर गवर्नमेंट को इसमें असुविधा कोई हैः तो भी हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं समझता हूं कि जनरल डिस्कशन्स उस समय असेम्बली में होते रहेंगे। इसलिये कोई ऐसी डेट रखी जाय, जिसमें हमारे मन्त्री लोगों को भी सुविधा मिल सके। यह सुझाव अच्छा है कि बजट डिस्कशन्स के बाद समय रखा जाय।

श्री चेयरमैन--इस सम्बन्ध में बहस के लिये बजट पर बहस के बाद एक दिन निर्धारित कर दिया जायगा जिसकी सूचना सदस्यों को बाद में दे दी जायगी।

श्रीमती वजीर हसन के निधन पर शोकोद्गार

श्री चेयरमैन--मुझे दुख के साथ एक सूचना देना है कि विधान परिषद् की पुरानी सदस्या लेडी वजीर हसन की १५ मई को मृत्यु हो गई। श्रीमती वजीर हसन सन् १९३७ में परिषद् की सदस्या नामांकित हुईं और वह २१ फरवरी, १९४९ तक सदस्या रहीं। उनकी मृत्यु १५ मई, १९५७ को हो गई। मृत्यु के समय उनकी आयु ८० वर्ष की थी। वह सन् १९२२ में कांग्रेस में सम्मिलित हुईं तथा चरखा चलाने व सूत कातने में उनकी विशेष रुचि रही। उर्दू, फारसी व अरबी का उन्हें काफी ज्ञान था। उन्होंने लखनऊ वीमेन्स एसोसियेशन की स्थापना की थी और इस संस्था की उन्नति के लिये उन्होंने काफी प्रचार भी किया। वे माननीय सैयद अली जहीर (न्याय मन्त्री) की मां थी। उनके और कुल परिवार के साथ हम अपनी समवेदना प्रगट करते हैं।

(सभी सदस्य एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे।)

श्री हर गोविन्द पन्त के निधन पर शोकोद्गार

श्री चेयरमैन--माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमारी पुरानी कौंसिल के सदस्य श्री हर गोविन्द पन्त का देहान्त जून मास में हो गया। वे सन् १९२४ से लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बर थे और इस प्रान्त के राजनैतिक कामों में उनका बहुत बड़ा हाथ था। हम लोग उनकी आत्मा की शान्ति के लिये एक मिनट तक मौन खड़े रहें।

(सभी सदस्य १ मिनट तक मौन खड़े रहे।)

सन् १९५६ ई० का यू० पी० इंडियन मेडिसिन (द्वितीय संशोधन) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्--श्रीमान् जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन् १९५६ ई० के यू० पी० इंडियन मेडिसिन (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर श्री राष्ट्रपति की अनुमति २१ फरवरी, १९५७ को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का १९५७ का ८ वां अधिनियम बना।

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्--श्रीमान् जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन् १९५७ ई० के उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक पर श्री राष्ट्रपति की अनुमति २५ मई, १९५७ को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १९५७ का १६ वां अधिनियम बना।

सन् १९५७ ई० का प्राविन्शियल स्मालकाज कोर्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्—श्रीमान् जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन् १९५७ ई० के प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, पर श्री राष्ट्रपति की अनुमति ३० मई, १९५७ को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का १९५७ का १७वां अधिनियम बना।

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्—श्रीमान् जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन् १९५७ ई० के उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, पर श्री राष्ट्रपति की अनुमति ८ जून, १९५७ को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १९५७ का १८ वां अधिनियम बना।

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्—श्रीमान् जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन् १९५७ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पर श्री राज्यपाल की अनुमति ३० मार्च, १९५७ को को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १९५७ का १४वां अधिनियम बना।

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२–५३ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्—श्रीमान् जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन् १९५७ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२–५३ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक पर श्री राज्यपाल की अनुमति २९ मार्च, १९५७ को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १९५७ का १३वां अधिनियम बना।

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्—श्रीमान् जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन् १९५७ ई० के उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक पर श्री राज्यपाल की अनुमति २२ मई, १९५७ को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १९५७ का १५ वां अधिनियम बना।

सन् १९५७ ई० का हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) संशोधन अध्यादेश

श्री परमात्मा नन्द सिंह (माल उप मन्त्री)—मैं सन् १९५७ ई० का हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संघटन) संशोधन अध्यादेश मेज पर रखता हूं।

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) अध्यादेश

श्री परमात्मा नन्द सिंह—मैं सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्ति भूमि) अध्यादेश मेज पर रखता हूं।

सन् १५९७ ई० के उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्कान्ति भूमि) अध्यादेश की वैधानिकता पर विचार

*__श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार__ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—श्रीमान् जी, मुझे इसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है। जो अध्यादेश मेज पर रखा गया है उसके बारे में मुझे यह कहना है कि यह विधेयक हमारी कौंसिल से पास हो चुका था, लेकिन स्थिति शायद

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार]

ऐसी हुई है कि यह विधेयक पास होकर जब विधान सभा में गया तो उस वक्त तक विधान सभा स्थगित हो चुकी थी। अध्यक्ष महोदय, अब मुझे यह प्रार्थना करनी है कि यह उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्ति भूमि) विधेयक, १९५७ इस विधान परिषद् से हाल ही में पास हुआ था और अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जो विधेयक इस सदन से पास हो चुका है उसको अध्यादेश के रूप में लाने की जरूरत क्यों हुई। रूल २१३ के अनुसार राज्यपाल महोदय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, मैं कानून का तो पंडित नहीं हूं और हो सकता है कि कानून के अनुसार यह अध्यादेश बिल्कुल सही भी हो, किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि जो परम्परा हमने कायम की है कि उस परम्परा को हम शायद अच्छी तरह से कायम नहीं कर पायेंगे, अगर इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि जो विधेयक एक जगह से पास हो जाय, उसको फिर अध्यादेश के रूप में लाया जाय। मुझे यह ख्याल है कि जब यह विधेयक पास होने के बाद विधान सभा को भेजा गया तो उस समय तक विधान सभा स्थगित हो गयी थी, इसलिये इस अध्यादेश की आवश्यकता हुई होगी।

श्री चेयरमैन—सरकार की तरफ से अगर इसके सम्बन्ध में कुछ कहना हो, तो वह कह दिया जाय।

श्री परमात्मा नन्द सिंह—माननीय चेयरमैन महोदय, आज तो यह अध्यादेश सिर्फ मेज पर रखा गया है और फिर बाद में किसी समय इस पर बहस होगी। लेकिन यह निवेदन करना है कि जब तक कोई विधेयक दोनों सदनों से पास न हो जाय, तब तक यह अधिनियम नहीं बन सकता है। जब यह विधेयक यहां से पारित हुआ तो उस समय दूसरे सदन का सेशन नहीं हो रहा था, इसलिये फिर अध्यादेश जारी किया गया है।

श्री चेयरमैन—इस वक्त इस पर बहस तो नहीं हो रही है, अभी तो मेज पर रखा गया है। क्या आप को मेज पर रखने में भी एतराज है?

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार—मैं यह पूछना चाहता हूं कि अध्यादेश बनाने की क्यों जरूरत हुई है? मालूम यह होता है कि यह इम्प्रापर है और हम जिस परम्परा को कायम करना चाहते हैं उसके प्रतिकूल है, इसलिये मैं चाहता हूं कि कम से कम यह बात दोबारा न हो।

श्री परमात्मा नन्द सिंह—श्रीमान्, मैंने पहले भी यह निवेदन किया था कि जब तक कोई कानून दोनों हाउसेज से पास नहीं हो जाता है, तब तक वह ऐक्ट नहीं बनता है। जिस समय यह कानून यहां से पास हुआ था तो लोअर हाउस का सेशन नहीं हो रहा था, इसलिये वह वहां से पास नहीं हो सका। दोनों हाउसेज से पास न होने की वजह से सरकार को यह अध्यादेश लाना पड़ा।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार—यह अध्यादेश विधेयक के रूप में फिर आयेगा?

श्री परमात्मा नन्द सिंह—यहां से यह विधेयक पास हो चुका है। जब दूसरे हाउस से पास हो जायेगा, तो फिर यह कानून बन जायेगा।

श्री चेयरमैन—यह आर्डिनेन्स किस परिस्थिति में आया है यह बात तो स्पष्ट है। इस सदन से इस के विषय में एक बिल पास हो चुका है। असेम्बली से यह बिल अभी पास नहीं हो सका, इसलिये गवर्नमेंट ने यह उचित समझा कि अध्यादेश जारी कर दिया जाय। सरकार को यह अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी करे। इस बात से अगर किसी को असन्तोष है तो इसके लिये वह हाईकोर्ट में जा सकता है। इसका फैसला हाईकोर्ट ही कर सकता है कि सरकार को अधिकार है या नहीं। इस हाउस को यह अधिकार नहीं है। इस बात पर बहस भी यहां पर नहीं हो सकती है। अध्यादेश मेज पर रख दिया गया है उसके

बाद सदस्यों को अधिकार है कि वे एक प्रस्ताव लायें कि इसको नामन्जूर कर दिया जाय। इसके लिये कौंसिल रूल्स में एक नियम है जिसको मैं पढ़े देता हूं :

"After an Ordinance has been laid on the table of the Council or a message disapproving an Ordinance has been received from the Assembly, any member may after giving two days, notice more that the Council disapproves of the Ordinance and if the resolution is carried, it shall be forwarded to the Governor and the Assembly."

हमारे यहां के जो नियम हैं, वह बिल्कुल स्पष्ट हैं। अगर सदन इस कार्यवाही को नापसन्द करता है तो वह एक प्रस्ताव पास करे कि वह इसको ठीक नहीं समझता है। इस समय यह बहस नहीं हो सकती है कि इस अध्यादेश को जारी करना उचित था या नहीं। यह बहस तभी हो सकती है जब कि कोई सदस्य नोटिस दे और यह प्रस्ताव करे कि सदन इसे नामन्जूर करता है।

श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार--विधान के अनुसार इस अध्यादेश का विधेयक के रूप में हमारे यहां आना आवश्यक है। मैं इसके लिये यह जानना चाहता हूं कि जो विधेयक हमने स्वीकार किया, वह विधेयक इस अध्यादेश के बाद हमारे सामने आयेगा या नहीं।

श्री चेयरमैन--यह तो गवर्नमेंट के कानूनी सलाहकारों से ही पूछा जा सकता है और वे ही इस को बतला सकेंगे। मैं इसका जवाब देने में असमर्थ हूं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--एक बात यह सदन यहां जान सकता है कि जब यह विधेयक यहां पर पास हुआ तो उसके कितने समय बाद असेम्बली एडजार्न हुई, जिससे कि उसे इसको पास करने का समय नहीं मिला।

श्री चेयरमैन--इसके लिये तो सवाल पूछा जा सकता है और इसका जवाब दे दिया जायेगा।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--जब आर्डिनेन्स हाउस के सामने है, तो क्या मेम्बर्स उसको डिसकस नहीं कर सकते हैं।

श्री चेयरमैन--तीन दिन का नोटिस देकर सदन में इस पर विचार हो सकता है।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--मैं यह जानना चाहता हूं कि असेम्बली में पेश होकर इसे वापस लिया गया या यह वहां पर पेश ही नहीं हुआ?

श्री चेयरमैन--असेम्बली क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, असेम्बली में वापस लिया गया या रिप्लेस किया गया, इसकी बहस इस सदन में नहीं हो सकती है। हम लोगों को दूसरे चैम्बर के बारे में यहां पर कुछ नहीं कहना है।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स १९४० में किये गये संशोधन

श्री परमात्मानन्द सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्तियां सं० २९२ (टी) एम/३०--४८५५-टी-५६, दिनांक १९ फरवरी, १९५७ तथा सं० एम-वी-आर-ए-एम-१ (११५७) टी (एम/३०--१५७(१) (टी-५६), दिनांक १८ अप्रैल, १९५७, जिसके द्वारा यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन किये गये हैं, मेज पर रखता हूं।

स्थायी समितियों के निर्वाचन संगठन तथा कार्य-विधि के नियम १ (क) में संशोधन का प्रस्ताव

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (सहकारिता उपमन्त्री)--चेयरमैन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मन्त्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियम १ (क) में उल्लिखित स्थायी समितियों के अन्त में निम्नलिखित को क्रमशः उक्त सूची के स्तम्भ १,२, ३ तथा ४ में बढ़ा दिया जाय :--

"२५ राष्ट्रीय इम्प्लायमेंट १४ ३"
सेवा

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियम १ (क) में उल्लिखित स्थायी समितियों के अन्त में निम्नलिखित को क्रमशः उक्त सूची के स्तम्भ १, २, ३ तथा ४ में बढ़ा दिया जाय :

"२५ राष्ट्रीय इम्पलायमेंट १४ ३"
सेवा

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

प्रस्ताव कि १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष के लिये २५ स्थायी समितियों के लिये प्रत्येक के लिये विधान परिषद् से तीन सदस्य चुने जायं

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह परिषद् जिस प्रकार व जिस तिथि को श्री सभापति आदेश दें सन् १९५७-५८ ई० के वित्तीय वर्ष के लिये मंत्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों के लिये उनके निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियमों के अनुसार प्रत्येक के लिये तीन सदस्य चुन ले।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि यह परिषद् जिस प्रकार व जिस तिथि को श्री सभापति आदेश दें, सन् १९५७-५८ ई० के वित्तीय वर्ष के लिये मंत्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों के लिये उनके निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियमों के अनुसार प्रत्येक के लिये तीन सदस्य चुन ले।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

स्थायी समितियों के निर्वाचन के लिये तिथि

श्री चेयरमैन--इसके निर्वाचन के लिये तारीख का सुझाव दे दिया जाय।

श्री जगन्नाथ आचार्य (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--३१ जुलाई रख दीजिये।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--श्रीमान्, यदि उचित समझें तो इस तारीख को बाद में निश्चित कर लें। उस सदन में भी अभी यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया है।

श्री चेयरमैन--क्या आप चाहते हैं कि अभी तारीख न निश्चित की जाय।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--जी हां, तारीख बाद में निश्चित कर दी जाय।

श्री चेयरमैन--तारीख कल-परसों निश्चित होगी, जब माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे। अब कौंसिल २ बजकर १५ मिनट तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ११ बजकर ५५ मिनट पर अवकाश के लिये स्थगित हो गई और २ बज कर १५ मिनट पर श्री चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चेयरमैन--अब वित्त मन्त्री बजट प्रस्तुत करेंगे।

सन् १९५७-५८ ई० का आय-व्ययक (बजट)

श्री कमलापति त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का सन् १९५७-५८ का बजट पेश करता हूं।

२--पिछले मार्च में संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकिल नम्बर २०६ के अनुसार चालू वर्ष के पांच महीनों के लिये वोट आन एकाउन्ट द्वारा व्यय करने के लिये रुपया लिया गया था और पूरे खर्च का पूर्णरूप से बजट में रुपया लेना इस समय के लिये स्थगित किया गया, जो रुपया लिया गया वह सिर्फ उन खर्चों की बाबत था, जो इस राज्य में पहले से हो रहे थे। उस समय कोई नई मांगें पेश नहीं की गई। जो बजट अब मैंने पेश किया है उसमें सन् १९५७-५८ के लिये जितना भी खर्चा चाहिये, वह सब मांगा गया है।

३--जो सरकार उत्तर प्रदेश में पिछली अप्रैल में बनी है उसकी नीति वही है जो भारत के स्वतन्त्र होने के बाद आने वाली सरकारों की रही है। इस नीति का रंग इस बजट में नजर आता है। वह नीति यह है कि उत्तर प्रदेश एक समाजवादी कल्याणकारी राज्य हो और इस राज्य में जो दौलत पैदा की जाय उसका वितरण न्याय संगत हो। यह न हो कि दौलत चन्द आदमियों की मुट्ठी में जमा होती रहे, मगर शर्त यह भी है कि यहां जो कुछ भी हो वह जनतन्त्र या जम्हूरियत के ढंग और तरीकों से हो। इस समय यह नीति सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि भारत के तमाम कांग्रेसी राज्यों की भी है, जो कांग्रेस के मन्जूर किये हुये प्रस्ताव द्वारा बनाई गई है, मैं समझता हूं कि नीति की बाबत जो मैंने निवेदन किया उसमें सब कुछ मौजूद है और उसकी कुछ ज्यादा तफसील करने की आवश्यकता नहीं है। इस नीति (पालिसी) के मातहत हिन्दुस्तान भर में विकास का कार्य पंचवर्षीय आयोजनाओं के द्वारा हो रहा है और सबको जानकारी है कि पहली पंचवर्षीय आयोजना का समय और कार्य समाप्त हो चुका है और इस वक्त दूसरी पंचवर्षीय योजना का काम हो रहा है।

४--अब मैं कुछ और अर्ज करने से पहले सन् १९५५-५६ के वाकई और १९५६-५७ के दोहराये हुये और सन् १९५७-५८ के बजट के तखमीने पेश करता हूं।

५--सन् १९५५-५६ के बजट में ८४ करोड़ ५६ लाख रुपये का तखमीना राजस्व का और ९० करोड़ ६ लाख रुपये का तखमीना खर्चे का रक्खा गया था। इन आंकड़ों से जाहिर है कि इस बजट में ५ करोड़ ५० लाख का घाटा रहा। परन्तु इस वर्ष में जिस प्रकार वाकई खर्चे हुये उनके कारण भी बजाय घाटे के १ करोड़ ३० लाख रुपये का सरप्लस (Surplus) हो गया। इसलिये ८५ करोड़ ५३ लाख की आमदनी हुई और ८४ करोड़ २३ लाख राजस्व से खर्चा हुआ। १ करोड़ ४८ लाख रुपया ग्रान्ट और सब्सिडी की सूरत में सिर्फ केन्द्रीय सरकार से आशा से अधिक मिला। यह रुपये नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्कीम, हमारे यहां के विकास के कामों और चन्द दूसरी गर्जों के लिये केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिये। स्टेट एक्साइज से ७७ लाख और दूसरी मुतफर्रिक मदों से ७१ लाख रुपये अधिक मिले और जो हिस्सा इन्कम टैक्स की आमदनी से इस राज्य को मिलता है, उसमें भी ६२ लाख रुपये ज्यादा आये। कृषि और वन विभाग और फेमीन रिलीफ फन्ड के राजस्व के हिसाब में मुन्तकिल होने से भी एक करोड़ ४५ लाख रुपये राजस्व में अधिक आये। बरखिलाफ इन बढ़ोत्तरियों के लैन्ड रेवेन्यू या मालगुजारी से २ करोड़ ३३ लाख रुपये कम वसूल हुये और इस वर्ष में गवर्नमेंट ने आबपाशी में जो रिबेट या छूट दी उससे राजस्व को २ करोड़ १६ लाख रुपये की हानि हुई। कर्जे की अदायगी के लिये जो रुपया इस साल के बजट में रक्खा गया था उसमें से २५८ लाख रुपये कम व्यय हुये, इसलिये कि मुआवजे के बान्ड जितने के जारी होने समझे गये थे साल में उससे कम जारी हुये और जो जारी हो गये थे उनमें से भी बहुतों ने रुपया वसूल नहीं किया। आबपाशी की शरह में कमी होने की बिना पर स्पेशल डेवलपमेंट फन्ड को १ करोड़ ६७ लाख रुपये मुन्तकिल हो सके और १ करोड़

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

३९ लाख रुपया इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम पर कम खर्च हुआ। मालगुजारी की मद में ७५ लाख रुपये कम व्यय हुये और गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी और बाज दीगर इन्डस्ट्री की स्कीमों के खर्चे में ७० लाख रु० की कमी हुई। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि उस वर्ष यानी १९५५-५६ के बजट में ५ करोड़ ५० लाख रु० का घाटा रहने के बजाय १ करोड़ ३० लाख रुपया बच गया। ऋण या कर्ज से खर्च होने के लिये सन् १९५५-५६ के बजट में ३२ करोड़ ७० लाख रुपये का तखमीना किया गया था। उसमें ६ करोड़ ५४ लाख कम खर्च हुये यानी सिर्फ २६ करोड़ १६ लाख रु० खर्च हुये। यह कमी इस वजह से हुई कि इन खर्चों के सम्बन्ध में जिस मशीनरी और सामानों की जरूरत थी उनके आने और उनके मुतालिक मामला तय होने में देर हुई।

६--सन् १९५६-५७ के बजट में राजस्व का तखमीना ८५ करोड़ ३६ लाख रु० और राजस्व से होने वाले खर्चे का तखमीना ९४ करोड़ ९१ लाख रु० रक्खा गया था। इस प्रकार इस बजट में ९ करोड़ ५५ लाख रुपये का घाटा था। उस वर्ष के दोहराये हुये तखमीनों से मालूम होता है कि राजस्व से ८७ करोड़ ८७ लाख रुपये मिले और ९४ करोड़ ८० लाख रु० खर्चा हुआ और इस प्रकार ९ करोड़ ५५ लाख रुपये के खिसारे के बजाय ६ करोड़ ९३ लाख रु० का खिसारा रह गया, जिसको इतना ही रुपया रिजर्व फन्ड से मुन्तकिल करके पूरा किया जायगा। यह आशा की जाती है कि राजस्व में इस वर्ष चार करोड़ उन्तीस लाख रुपये ज्यादा मिलेंगे और इसलिये मिलेंगे कि कुछ तो सेल्स टैक्स में पहले से ज्यादा रुपया मिलेगा और गन्ने के सेस में भी ज्यादा वसूलयाबी होगी। इन्टरटेनमेंट और बेटिंग टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से भी ज्यादा रुपया मिलेगा। जंगलात से ६४ लाख रुपया ज्यादा मिलने की तवक्को है और इन्कम टैक्स में से इस साल उत्तर प्रदेश को जो हिस्सा मिलेगा उसमें ३४ लाख रुपया ज्यादा मिलेगा। इन बढ़ोत्तरियों के मुकाबिले में तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि १ करोड़ ३२ लाख रुपये मालगुजारी में से कम मिलेंगे। यह इसलिये होगा कि सैलाबजदा इलाकों में माफी और इल्तवा दिये गये हैं। इन्डस्ट्री, एग्रीकल्चर, शिक्षा और सहकारिता चारों में मिला कर १ करोड़ ३० लाख रु० की कमी आमदनी में होने वाली है। खास तौर पर यू० पी० जमींदारी एबालिशन ऐन्ड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत जो सालाना रकमें दी जाती हैं उनके लिये मांगों में कमी होने की वजह से मालगुजारी (Land Revenue) के मातहत ४८ लाख रुपये की बचत होगी और इसी तरह ४३ लाख रु० की कमी कर्जों की अदायगी और कम करने की मदों में होगी। यू० पी० के कुछ जिलों में भारी सैलाब के आने और कहत के पैदा हो जाने की वजह से बगैर मुआवजा मदद देने और दूसरे रिलीफ के कामों पर रुपया खर्च करने के कारण फेमीन रिलीफ फंड में से १ करोड़ ३६ लाख रुपये खर्च हुये। कायदों के मुताबिक यह रुपया रेवेन्यू से इस फन्ड में मुन्तकिल होगा। इन बातों और इसी प्रकार की और बातों के कारण इस साल का डेफिसिट ९ करोड़ ५५ लाख रु० से घटकर ६ करोड़ ९३ लाख रु० रह गया।

७--सन् १९५७-५८ के लिये राजस्व से मिलने वाले रुपये का तखमीना ९६ करोड़ ६६ लाख है और इसके मुकाबिले में खर्चा १०८ करोड़ ३३ लाख रुपये हैं। यानी चालू साल में ११ करोड़ ६७ लाख रुपये आमदनी से ज्यादा खर्च करने के लिये रखा गया है। शिक्षा और चिकित्सा, वेटेरिनरी, कृषि और सहकारिता के महकमों में ३ करोड़ ६४ लाख रुपये सब्सिडी के तौर पर केन्द्रीय सरकार से दूसरे प्लान की स्कीमों के लिये आने वाले हैं। दूसरे टैक्सों और ड्यूटियों के मातहत यह तवक्को की जाती है कि इस वर्ष में १ करोड़ ८१ लाख रुपये ज्यादा वसूल होंगे। चूंकि इस साल में सेल्स टैक्स संशोधन द्वारा बढ़ाई हुई सेल्स टैक्स की मदों से पूरे साल की आमदनी मिलने की तवक्को है और इस वजह से भी कि इस वर्ष में शुगर सेल्स की बकाया भी वसूल की जायगी, मुख्तलिफ महकमों और लैन्ड रेवेन्यू से १ करोड़ ४१ लाख रुपये

ज्यादा वसूल होने की उम्मीद है। छोटे उद्योग-धंधों, हेन्डलूम और नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस योजना के सिलसिले में गवर्नमेंट आफ इंडिया से १ करोड़ १४ लाख रुपया ज्यादा मिलने वाला है। पुलिस डिपार्टमेंट में ६१ लाख रुपये ज्यादा मिलने की आशा इसलिये बांधी गई है कि पी० ए० सी० कम्पनियां दूसरे राज्यों को भेजी गईं। उनके खर्च की रकम उनसे मिलने वाली है। इस बजट में २ करोड़ ३४ लाख रुपये ज्यादा शिक्षा में, १ करोड़ ४३ लाख रुपये नेशनल एक्सटेंशन सर्विस में स्कीम में और ६७ लाख रुपया लेबर में और ४९ लाख रुपया सहकारिता विभाग में व्यय करने के लिये अधिक रक्खा गया है। ऋण से खर्च करने के लिये भी इस वर्ष में ३ करोड़ २७ लाख रुपये ज्यादा रक्खे गये हैं। इन सब बातों और दूसरी तब्दीलियों का नतीजा यह है कि इस साल में ११ करोड़ ६७ लाख का घाटा रहेगा। यह डेफिसिट इन नई स्कीमों और दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के उस खर्चे की वजह से है, जो इस बजट के तखमीनों में रक्खे गये हैं और इतना ही नहीं बल्कि यह भी है कि सरकार और लोकल बाडीज के कम तनख्वाह वाले मुलाजिमों को रिलीफ देने की स्कीम की वजह से भी ऐसा हुआ है, जिसकी चर्चा मैं आगे चल कर करूंगा।

८––कर्जे से खर्च करने के लिये इस बजट में जो रुपया रक्खा गया है वह ३८ करोड़ ६८ लाख है, जबकि सन् १९५६–५७ के तखमीनों में ४२ करोड़ ९८ लाख रुपये रक्खे गये थे। राज्य सरकार की ओर से जो कर्ज वगैरह दिये जाने वाले हैं उनके लिये इस बजट में ७ करोड़ ९ लाख रुपया रक्खा गया है। इसके मुकाबिले में पहले दिये हुये कर्जों में से ३ करोड़ ४५ लाख रुपये की वसूलयाबी की तवक्को की गई है।

९––दूसरी पंचवर्षीय आयोजना और विकास योजनाओं के बढ़े हुये खर्च के सिलसिले में, जिसका देश के इतिहास में कभी मौका न हुआ था, यह आवश्यक है कि राज्य के विकास कार्यों के लिये और ज्यादा कर्ज लेना है जबकि राज्य की आमदनी के जरिये बहुत कम हैं और कर्ज लेकर ज्यादा से ज्यादा निधि (Funds) के बढ़ाने की आवश्यकता है। इन तमाम बातों पर विचार किया जाय तो यह कहना नामुनासिब न होगा कि उत्तर प्रदेश का १९४६-४७ में बाजार से लिया हुआ कर्जा १२ करोड़ २८ लाख रु० और १९५१–५२ में १३ करोड़ ४१ लाख रुपये था तो इस समय ४० करोड़ ४२ लाख रु० है। परन्तु सरकार कर्जे की अदायगी के लिये काफी व्यवस्था कर रही है चाहे विकास के कार्यों के व्यय में कितनी ही बढ़ती क्यों न हो फिर भी राज्य की वित्तीय हालत पूरी तौर से सुरक्षित रखी गयी है। पिछले सालों में सरकार ने जो बाजार से कर्जे लिये उनकी कामयाबी से यह पता चलता है कि राज्य की अच्छी वित्तीय दशा में जनता का विश्वास है और वे विकास की योजनाओं पर विशेष महत्व (importance) देते हैं। ४० करोड़ ४२ लाख रु० के बाजार में लिये गये कर्जों की तुलना में इन ऋणों के निस्तार (liquidation) के लिये ९ करोड़ ६८ लाख रुपये की निक्षेप निधि (Sinking Fund) की व्यवस्था कर ली गई है और यह रकम ब्याज सहित प्रतिभूतियों (Securities) में लगी हुई है। बाजार में लिये गये ऋणों के अलावा राज्य सरकार खास तौर से भारत सरकार से नियमित रूप से ऋण लेती है, जिनका भुगतान वार्षिक किस्तों में या मुकर्ररा समय के खत्म होने पर करना होता है। हालांकि लिये गये बहुत से ऋणों के सम्बन्ध में निक्षेप निधियां (Sinking Funds) कायम करना जरूरी नहीं है, फिर भी इन ऋणों के भुगतान के लिये ऐसे फंड कायम किये गये हैं और उनमें काफी रुपया जमा किया जाता है।

१०––यहां यह बताया जा सकता है कि विशेष विकास फंड (Special Development Fund) में राजस्व से लेकर जमा करने के लिये बजट में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब १ अप्रैल, १९५३ से सिंचाई की शरहें दोहराई गई थीं तो यह फैसला किया गया था कि शरहों के दोहराये जाने से जो जायद आमदनी हो वह एक विशेष विकास निधि में जमा कर दी जाय और सिंचाई व जल विद्युत (Hydro-Electric) प्रोजेक्टों पर जो पूंजी व्यय होती है उस पर इस फंड से भी खर्च किया जाय। इस निर्णय का मकसद यह था कि सिंचाई और हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

पर पूंजी व्यय (Capital Expenditure) का एक हिस्सा वर्तमान राजस्व (Revenue) से पूरा कर लिया जाता और सिचाई की अतिरिक्त आमदनी से बजट की पूंजी में कुछ बढ़ोत्तरी हो जाती, लेकिन आमदनी से बहुत से काम करने हैं, इसलिये इस आमदनी के एक हिस्से को विशेष विकास निधि (Special Development Fund) में पूंजी व्यय को पूरा करने के लिये मुन्तकिल कर देने से आमदनी पर और भी बोझ पड़ेगा। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के शुरू किये जाने और सिचाई तथा पावर प्रोजेक्टों को ऊंचा दर्जा दिये जाने के लिये यह अनावश्यक है कि इस खास काम के लिये इन निर्माण कार्यों के लिये कोई खास फंड किसी खास व्यवस्था के लिये बनाया जाय। एकाउन्टेंट जनरल ने ऐसी आमदनी (Receipts) के फंड बनाने के सिलसिले में कुछ एतराज किये हैं। दरअसल १९५३-५४ में मुन्तकिल की हुई अधिक रकम पर ध्यान देते हुये यह कहना ठीक है कि इस फंड में कोई भी रकम ट्रान्सफर नहीं की गई और इस मामले पर फिर विचार करने के बाद अब यह तय पाया है कि सिंचाई की अतिरिक्त आमदनी को स्पेशल डेवलपमेंट फंड में मुन्तकिल न किया जाय।

पहली पंचवर्षीय आयोजना

११--अब मैं अपनी पंचवर्षीय आयोजनाओं की चर्चा करूंगा और इस पर रोशनी डालूंगा कि लगभग पिछले ६ वर्षों में नियोजन के क्या क्या काम इस राज्य में लोगों की हर तरह की तरक्की के लिये किये गये हैं। मैं यकीन रखता हूं कि उत्तर प्रदेश के सिर्फ लेजिस्लेचर (Legislature) के मेम्बरान ही नहीं बल्कि सभी रहने वाले अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं कि पंचवर्षीय योजनायें क्या हैं। मैं उसकी निस्बत इसकी आवश्यकता नहीं समझता कि इस तरह कोई रोशनी डाली ही जाय। मगर हां, इतना जरूर याद दिलाऊंगा कि इन योजनाओं या पंचसाला मन्सूबों का मकसद विकास द्वारा मुल्क की आमदनी को बढ़ाना है ताकि लोगों के रहन-सहन का मयार ऊंचा हो जाय। सन् १९५१-५२ से सन् १९५५-५६ तक विकास और तरक्की के जो काम उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता आने के बाद हुये उनसे इस राज्य की आमदनी जो सन् १९४७-४८ में १,३३७ करोड़ रुपये थी वह १९५४-५५ तक बढ़कर १,८२३ करोड़ हो गई यानी इसमें ४८६ करोड़ का इजाफा हो गया और आबादी में काफी बढ़ोत्तरी होने के बावजूद प्रति व्यक्ति यानी फी कस आमदनी बढ़कर २७६·७ सन् १९५४-५५ में हो गई जो कि १९४७-४८ में २२३·६ थी।

१२--माननीय सदस्यों को इसकी पहले से जानकारी है कि पहली पंचवर्षीय आयोजना में सबसे ज्यादा जोर कृषि से होने वाली पैदावार पर दिया गया और उसकी कामयाबी का पूरा पूरा अन्दाजा पैदावार की बढ़ोत्तरी से ही हो सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि पहली आयोजना के खत्म होने पर राज्य में कृषि की पैदावार बढ़ गई। सन् १९५२-५३ में जो जनरल इन्डेक्स ११० था सन् १९५४-५५ में बढ़र १२२ हो गया। काश्तकारी का रकबा बढ़कर तकरीबन ४०१ लाख एकड़ हो गया और आबपाशी का रकबा ७८ लाख से बढ़कर १०८ लाख हो गया। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इस पहली आयोजना में जोर तो कृषि पर था मगर उद्योग धंधों में भी बहुत लाभदायक काम हुआ। मिर्जापुर के जिले में २ करोड़ ९२ लाख के खर्च से १९५४ में एक सरकारी सीमेंट फैक्टरी स्थापित हुई और उसके अतिरिक्त छोटे उद्योग धन्धों के सम्बन्ध में भी कितने ऐसे काम हुये जिनसे उनकी बेहतरी हुई। प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन्ट स्टाक (Joint Stock) कम्पनियों की तादाद सन् १९५४-५५ में २,१०९ हो गई, जो सन् १९५२-५३ में २,०४४ थी। इसी तरह बिजली के बनने में भी बढ़ोत्तरी हुई। सड़कें भी बढ़ीं और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और एन० ई० एस० ब्लाक्स (N. E. S. Blocks) भी खुले; जिनसे २३,००० गांवों को, जिनकी आबादी १ करोड़ १० लाख होती है, फायदा हुआ। सामाजिक

क्षेत्र में ३५६ जूनियर और हायर सेकेन्डरी स्कूल, खुले और १४ मजीद डिग्री कालेज खुले। शफाखानों में ११,२५० बेड्स (beds) से बढ़कर १३,४७६ बेड्स हो गये। समाज कल्याण विभाग (Social Welfare) स्थापित हुआ ताकि माजूर आदमियों की मदद हो सके। शहरी और देहाती रकबों में सफाई और पानी पहुंचाने का प्रबन्ध भी हुआ। इसके अतिरिक्त मजबूत जनतन्त्र (Democracy) स्थापित करने के लिये यह जरूरी समझा गया कि गांवों में ऐसी मजबूत संस्थायें होनी चाहिये, जो वहां कल्याण-कारी और आर्थिक स्थिति को ठीक करने वाली योजनाओं को चलायें। इस गरज से पंचायतें स्थापित की गईं और सहकारी समितियां बढ़ाने का काम किया गया। पूरे राज्य में पंचायत स्थापित हुईं और उनको काफी अख्तियार दिये गये। यह पंचायतें और कोआपरेटिव सोसाइटियां वह जमातें होंगी, जिनके जरिये से प्लानों की स्कीमें गांवों में चलेंगी। यह चन्द बातें मैंने पहली पंचवर्षीय आयोजना के सम्बन्ध में कहीं और यह याद दिलाया कि सन् १९५१ से अप्रैल सन् १९५६ तक इस उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो गया। अगर सन् १९४७-४८ के उत्तर प्रदेश का सन् १९५५-५६ के उत्तर प्रदेश से कोई मुकाबिला करे और उसके सामने ऐसा नक्शा हो जिसमें इन दोनों जमानों की पूरी तस्वीर खिंची हुई हो तो वह कहने पर मजबूर होगा कि पहली पंचवर्षीय आयोजना ने उत्तर प्रदेश को बहुत आगे बढ़ा दिया है। इस पहली पंचवर्षीय आयोजना पर उत्तर प्रदेश का १ अरब ५३ करोड़ रुपया व्यय हुआ।

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना

१३--दूसरी पंचवर्षीय आयोजना पर उत्तर प्रदेश में २५३ करोड़ रु० खर्च होगा, जिसमें से ४१ करोड़ ४ लाख रु० एग्रीकल्चर और उससे सम्बन्धित कामों पर और ८० करोड़ ४३ लाख रु० आबपाशी और बिजली की योजनाओं पर, ६८ करोड़ ६४लाख रु० सोशल सर्विसेज या समाजी सेवाओं पर और १६ करोड़ ९९ लाख रु० सड़कों और रोड ट्रांसपोर्ट पर व्यय होगा। प्लानिंग कमीशन ने कृषि-पैदावार की बढ़ोत्तरी को सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। उत्तर प्रदेश के लिये कृषि-पैदावार में प्लान के टारगेट में २२ लाख ५० हजार टन तक की वृद्धि करना है। इस प्रकार १९६१ तक खाद्य पदार्थों की कुल पैदावार १४७ लाख टन हो जायेगी। उद्योग-धंधों के लिये इस आयोजना में १६ करोड़ ४३ लाख रुपये व्यय करना करार पाये हैं और इन्हीं धंधों की बढ़ोतरी पर इस आयोजना में जोर देना है। नेशनल एक्सटेन्शन सर्विसेज प्रोग्राम के लिये इस वक्त तक जो रकम रक्खी गयी है वह २६ करोड़ ६० लाख रुपया है और यह तय पाया है कि इस पंचवर्षीय आयोजना की अवधि के अन्दर इस पूरे राज्य में नेशनल एक्सटेन्शन ब्लाक्स खुल जायें और उनमें से ४०% इन्टेन्सिव डेवलपमेंट ब्लाक्स हो जायें। बाकी मुतफर्रिक योजनाओं के लिये जैसे सूचना, पब्लिसिटी, स्टेटिस्टिकल आर्गनाइजेशन, स्पोर्ट्स, टूरिस्ट ट्रैफिक वगैरह के लिये २ करोड़ ९७ लाख रुपया रक्खा गया है। चूंकि दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में उद्योग-धंधों को विशेष स्थान दिया गया है, इसलिये उद्योग-धंधों के सम्बन्ध में जो कुछ उत्तर प्रदेश में अब तक हुआ है और हो रहा है मैं चाहता हूं कि उसको यहीं बयान कर दूं। मैं बड़े उद्योग-धंधों व छोटे और कुटीर उद्योग-धंधों के बारे में अलग अलग बतलाऊंगा।

१४---**बड़े उद्योग धंधों**---बड़े उद्योग-धंधों के सम्बन्ध में आज सबको यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मिर्जापुर के जिले में चुर्क सीमेंट फैक्टरी कायम की है, जिसमें रोजाना ७०० टन सीमेंट बनता है। इसके अतिरिक्त लखनऊ में एक प्रिसिजन इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी भी कायम है, जो वाटर मीटर बनाती है। यह दोनों फैक्टरियां अपनी जगहों पर आगे बढ़ रही हैं और अपनी शक्ति के अनुसार उत्पादन कर रही हैं। इस समय यह भी तजवीज है कि सीमेंट फैक्टरी का उत्पादन इस पंचवर्षीय आयोजना के अन्दर दुगुना कर दिया जाय, यानी वह ७००-टन सीमेंट रोजना और ज्यादा बनाने लगे। और प्रिसिजन इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी के जरिये यह इन्तजाम हो रहा है कि इसमें प्रेशर गाजेज और मेडिकल और सर्जिकल आले और बनवाये जायं। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के सिलसिले में यह भी तजवीज है कि

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

पब्लिक सेक्टर के उद्योग धंधों में से एक "अल्यूमीनियम प्लान्ट" चुर्क के करीब, एक "सिन्थेटिक रबर प्लान्ट" बरेली के करीब और एक फैक्टरी लोकोमोटिव कम्पोनेंट बनाने के लिये वाराणसी के करीब मडुवाडीह पर स्थापित की जाय। इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर की ओर से नये टक्सटायल यूनिट्स, शकर, कागज, चमड़ा, ग्लास, बनस्पती, इसेन्शियल आयल, सायकिल और सायकिलों के पुर्जे, छोटी मशीनों के औजार, बिजली के सामान, हरीकेन, लालटेन, केमिकल्स और फार्मास्टिकल, बिस्कुट और मिठाई इन सब चीजों के बनाने के कारखाने कायम हुये और हो रहे हैं। इनके अलावा यह भी तवक्को की जा रही है कि वाराणसी के करीब उत्तर प्रदेश में एक सोडा-एश-कम एमोनियम क्लोराइड प्लान्ट लगेगा और एक रेयां फिलामेन्ट बनाने का प्लान्ट कानपुर में लगेगा। इन्हीं के साथ बिजली के एक ट्रान्सफार्म और स्वीच गेयर बनाने का कारखाना नैनी में और एक टार्चेज और बिजली के ड्राइसेल बनाने की फैक्टरी लखनऊ में स्थापित होगी। यह आशा की जाती है कि ये सब कारखाने जल्दी ही अपना काम चालू कर देंगे। किछा में एक शुगर फैक्टरी कायम हो रही है और उसके बनाने का काम शुरू हो गया है और इसके अतिरिक्त एक कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी बाजपुर में लग रही है।

१५--उत्तर प्रदेश सरकार यह महसूस करती है कि इस राज्य में उद्योग-धंधों की तरक्की के लिये इसकी आवश्यकता है कि इसका खोज लगाया जाय कि यहां किस-किस प्रकार की खानें हैं और क्या चीजें यहां मिल सकती हैं। इस गरज से उत्तर प्रदेश में १९५४ ई० में एक डायरेक्टोरेट आफ ज्योलाजी एेन्ड माइनिंग खोला गया। इस डायरेक्टेट ने यह पता चलाया है कि उत्तर प्रदेश में लाइम स्टोन और जिपसम और क्ले के ऐसे खजाने हैं, जिनसे बहुत कुछ काम लिया जा सकता है। चुनांचे इस बिना पर यह भी तजवीज हुआ है कि एक दूसरी सीमेंट फैक्टरी देहरादून में लगवाई जाय। इस डायरेक्टोरेट को इस साल और भी बढ़ाया जा रहा है ताकि यह अपने कामों को और ज्यादा कामयाबी के साथ कर सके।

१६--छोटे और कुटीर उद्योग-धंधे--बड़े उद्योग-धंधों के स्थापित करने के साथ-साथ इस ओर भी ध्यान देना बड़ा आवश्यक है कि यहां छोटे और गांवों के उद्योग-धंधे भी स्थापित हों और फलें और फूलें। सरकार ने इनकी तरफ ध्यान देकर इसका प्रबन्ध किया और चीजों के बनने और पैदा करने के तरीकों में तरक्कियां कराई, दस्तकारों और कारीगरों को ट्रेनिंग भी दिलवाई। नये-नये डिजाइन प्रचलित किये और चीजों की बिक्री का प्रबन्ध भी किया और माली इम्दाद भी दी। इस सम्बन्ध में सरकार ने जो योजनायें जारी कीं उनमें से केवल चन्द की चर्चा करता हूं। क्वालिटी मार्क करने की स्कीम, हाथ से बनाये जाने वाले कपड़े में तरक्कियां कराने की स्कीम, रेशम और खादी की स्कीम और चमड़े और जूतों की स्कीम, बिदरी बनाना सिखाने के क्लास खोले। बेत और बांस, हाथी दांत, लैकर (Lacquer), सींग, लकड़ी के खिलौने, दरी और कम्बल, चूड़ियां, चिकन और कलाबत्तू वगैरह के काम सिखाने के क्लास खोले गये। छोटे और गांवों के उद्योग-धंधों में से बाज ऐसे हैं जिनमें प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छी तरक्की की है और उनकी पैदावार में भी बढ़ोत्तरी हुई है, जैसे हाथी दांत की चीजें, चमड़े की बनी हुई चीजें, पीतल की चीजें, साय-किलों के पुर्जे, ताले, कटलरी, दरी बनाना, इन्जीनियरी के आले बनाना, दियासलाई, ड्राइंग के औजार बनाना, हैन्डलूम इन्डस्ट्री, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी है और जिससे यहां के रहने वाले आठ लाख आदमियों को रोजी मिलती है और सरकार ने भी अपनी स्कीमों से इसकी बहुत कुछ मदद की है। पिछले साल ३५१ बुनकरों की सहकारी उत्पादन समितियों ने ४ करोड़ ४२ लाख रुपये का कपड़ा बनाया। चालू साल में भी यह आशा की जा रही है कि ६ करोड़ का कपड़ा बन जायगा। सरकार की ओर से उनको सिर्फ माली इम्दाद ही नहीं दी गई बल्कि उनके माल की बिक्री का भी इन्तजाम किया। इसके अलावा नये नये डिजाइन प्रचलित कराने, कलेन्ड्री और फिनिशिंग के कराने में बहुत काफी सहायता दी। जैसा कि सब जानते हैं कि गांव की बनी हुई चीजों को बेचना मुश्किल है। इसके सिलसिले में घरों

में बैठकर बनाने वालों के माल को बाजार में लाने के लिये गवर्नमेंट हैन्डीक्रैफ्ट एम्पोरियम के काम को बहुत बढ़ा दिया गया है और एक नया एक्सपोर्ट ट्रेड डिवीजन भी इसके साथ खोला गया है। यू० पी० गवर्नमेंट के हैन्डीक्रैफ्ट के शो रूम, नई देहली, आगरा, इलाहाबाद, कलकत्ता, नागपुर और हैदराबाद में खोले दिये गये हैं। इनकी बिक्री १९५२-५३ में सिर्फ ६ लाख थी, जो अब बढ़कर १४ लाख हो गई है। पिछले साल एक्सपोर्ट डिवीजन ने दूसरे मुल्कों से ९ लाख के आर्डर हासिल किये और इनके अलावा प्राइवेट आर्गनाईजेशन द्वारा ५ करोड़ रुपये की यू० पी० की बनी हुई चीजें बाहर के मुल्कों को गईं। छोटी इन्डस्ट्रीज की ओर तरक्की करने के लिये कानपुर और आगरे में १ करोड़ के खर्च से दो इन्डस्ट्रियल स्टेट्स स्थापित की जा रही हैं। छोटे उद्योग धंधे वालों को इनमें किराये या ठेके पर वर्कशाप कायम करने के लिये जगहें दी जायेंगी और इन स्टेट्स में इसका भी प्रबन्ध किया जा रहा है कि पानी, बिजली, ट्रान्सपोर्ट, टेलीफोन और मामूली जरूरतों की चीजें, जैसे हीट, ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रो प्लेटिंग जिनका करना छोटे उद्योग-धंधे वालों के लिये मुश्किल है उनका प्रबन्ध उनके लिये भी हो जाय। यहां यह बता देना भी मुनासिब होगा कि उद्योग धंधों की तरक्की के लिये यह भी आवश्यक है कि टेक्निकल शिक्षा का भी प्रबन्ध हो। इस सिलसिले में सरकार के २६ टेक्निकल स्कूल जारी हैं और ५८ ऐसे स्कूल हैं, जिनको सरकार मदद देती है। इस बजट में २६ लाख ९१ हजार रुपया इस गरज के लिये रक्खा गया है कि इससे टेक्निकल स्कूल, इन्डस्ट्रियल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये स्थापित हों। उद्योग धंधों के सिलसिले में मैंने जितनी बातें यहां की हैं, उनसे इस पर काफी प्रकाश पड़ता है कि सरकार इस राज्य में उद्योग धंधों के विकास की ओर काफी ध्यान दे रही है।

सामाजिक सेवायें

१७—अब मैं सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में राजकीय कार्यों का जिक्र संक्षेप में करूंगा। इस राज्य में जनवरी, १९५५ में समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी, परन्तु इस कम वक्त में ही इस विभाग ने कुछ ठोस कार्य कर दिखाये हैं। १९५६-५७ के बजट में विभाग के लिये ४४ लाख ३५ हजार रुपये की धनराशि रखी गयी थी। चालू वर्ष में ७० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। समाज कल्याण विभाग के प्लान में ऐसी योजनायें शामिल हैं जैसे लखनऊ और गोरखपुर में अंधों की शिक्षा के लिये संस्था, हरद्वार में भिखारियों के लिये कर्मशाला, मथुरा में स्त्रियों तथा बच्चों के लिये रक्षालय (After-care-home), कानपुर में बच्चों के लिये रक्षालय, कानपुर में तारण गृह (Rescue Home), देहरादून में सुरक्षा गृह (Protection Home), आगरा में गूंगे और बहरों की शिक्षा के लिये संस्था और इसके अलावा पांच और जिलों में महिला मंगल योजना (Women Welfare Scheme) का विस्तार और कई समाज कल्याण समितियों की स्थापना की गई है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य यह है कि दीन दुखी लोगों की दशा सुधर जाय। इनमें से अधिकांश योजनायें पहले ही शुरू कर दी गई हैं और उन्हें बजट वर्ष में जारी रखा जायगा। १९५७-५८ में यह प्रोग्राम है कि उत्तर प्रदेश महिला और शिशु संस्थायें (नियन्त्रण) अधिनियम, १९५६ को लागू कर दिया जाय ताकि विधवाश्रम और अनाथालयों का काम अच्छा होने लगे। समाज कल्याण डायरेक्टोरेट में रिसर्च आंकड़ा संकलन (statistics) और पुस्तकालय स्थापित किये जाने का विचार है। निराश्रित (destitutes), अपाहिज और अन्य समाज कल्याण संस्थाओं को अनुदान देने के लिये ३ लाख ४० हजार रुपये की अलग व्यवस्था कर ली गई है। जिला समाज कल्याण एकीकरण समितियों को भी तीस हजार रुपये की धनराशि दिये जाने का इरादा है और २५,००० रुपया स्वीकृत संस्थाओं में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की ट्रेनिंग में खर्च किये जायेंगे।

१८—जेलों में कैदियों के रहने की हालत में भी काफी सुधार किया गया है। पिछले साल के बजट में गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी चुर्क की खदान (quarry) में कैदियों को रोजगार दिलाने के लिये कैदियों के कैम्प की स्थापना के लिये १ लाख ४३ हजार रुपये की धनराशि

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

की व्यवस्था की गई थी। इस साल कैम्प चालू रहेगा। आदर्श जेल, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के प्लानिंग रिसर्च ऐन्ड ऐक्शन इन्स्टीट्यूट की मदद से जेलों में सामाजिक शिक्षा की अग्रगामी परियोजना (Pilot Project) प्रयोग के तौर पर (on an experimental basis) शुरू कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट के अधीन कैदियों को आधुनिक तरीकों से कृषि, पशुपालन, सहकारिता और जनस्वास्थ्य, आदि में ट्रेनिंग दी जाती है। इस वर्ष सरकार के विचाराधीन कुछ ऐसे खास प्रस्ताव हैं, जैसे आदर्श जेल, बरेली और जिला जेल सुल्तानपुर में फ्लश के शौचालय आदि और खादी तथा अम्बर चर्खे तैयार करने की योजना।

१९--चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य विभागों का कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ा दिया गया है। आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक इलाज के तरीकों को भी तरक्की दी गई है। सरकारी अस्पतालों में १९४७ में मरीजों के लिये ९,५५० पलंग थे, जो १९५७ में बढ़कर १६,४९७ हो गये हैं। १९४६ में देहाती क्षेत्र में सरकारी औषधालयों की संख्या ५९ थी जो कि अब ८१३ हैं। १९४६ में अस्पतालों में टी० बी० के मरीजों के लिये ३१७ पलंग थे, जो १९५७ में बढ़कर १,०५६ हो गये हैं। लखनऊ और आगरा के दो मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या भी १२५ से बढ़कर २०० हो गई है। मेडिकल कालेज, कानपुर की स्थापना के फलस्वरूप १०० अतिरिक्त विद्यार्थियों को शिक्षा का प्रबन्ध हो गया है। रोगों से बचाव के सिलसिले में काफी ध्यान दिया गया है। इसकी सफलता इस बात से जाहिर है कि १९४६ में १५.६ प्रति हजार मौतें होती थीं, जो कि १९५७ में कम होकर ९.८ प्रति हजार हो गई हैं। छूत की बीमारियों से बचाव के साधनों से भी काफी अच्छे नतीजे हासिल हुये हैं। अब प्लेग का नाम भी नहीं सुना जाता और हैजा की बीमारी जो समय-समय पर फैल जाती थी, अब बहुत कम हो गई है। मलेरिया निरोधक कार्यों से जो कामयाबी मिली उसे हम इस बात से जान सकते हैं कि १९४७ में मलेरिया से एक हजार में १०.७ व्यक्ति मर जाते थे। अब मरने वालों की संख्या १९५७ में सिर्फ ०.९४ फी हजार रह गयी है। यह इरादा है कि दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में शामिल की गई योजनाओं को १९५७-५८ में जारी रखा जाय। कुछ खास योजनायें हैं जैसे पांच नये जिलों में विशेष सर्जिकल और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था, देहाती क्षेत्रों में बहुप्रयोजनीय (multi purpose) प्राईमरी हेल्थ यूनिटों का शुरू किया जाना और पहाड़ी इलाकों में औषधालयों के लिये नई इमारतों का निर्माण। लखनऊ में मेडिकल के विद्यार्थियों के लिये सामाजिक और निरोधक औषधि सम्बन्धी एक नया विभाग (Department of Social and preventive Medicine) खोला जायगा और सहायक कर्मचारियों (ancillary personnel) की ट्रेनिंग की योजनाओं को तरक्की दी जायगी। एक ऐसी योजना चलाई जाने का विचार है जिसके द्वारा टी० बी० के मरीजों को हस्तकला (crafts) में ट्रेनिंग दी जाय ताकि वे अपनी गुजर खुद कमा कर कर सकें। इस प्रयोगात्मक (experimental) योजना के लिये एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल के विस्तार और दस और आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालयों के खोले जाने के लिये भी व्यवस्था की गई है। अन्य दो नगरों में इम्पलाइज स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम के विस्तार के लिये ८७,४०० रुपये की व्यवस्था की गई है। यह भी विचार है कि इस वर्ष में १० स्कूल हेल्थ सर्विस यूनिट स्थापित की जायं।

२०--सामान्य (general) टेक्निकल और व्यावसायिक (Vocational) शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी तरक्की हुई है। यह तरक्की न सिर्फ तालीम सहूलियतों को बढ़ाने में की गई है कि बल्कि शिक्षा की क्वालिटी और टेक्नीक में भी कई खास सुधार किये गये हैं।

गत वर्ष १३ करोड़ ६३ लाख रुपये की तुलना में बजट के तखमीनों में सामान्य शिक्षा (general education) के लिये १६ करोड़ ३० लाख रुपये की व्यवस्था

की गई है। इसके अतिरिक्त ३ करोड़ २६ लाख रुपये की कुल व्यवस्था वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिये की गई है, जिसमें इंजीनियरिंग चिकित्सा, कृषि और पशुचिकित्सा ट्रेनिंग के लिये १ करोड़ ७४ लाख रुपये और औद्योगिक (Industrial) तथा वोकेशनल ट्रेनिंग के लिये १ करोड़ ५२ लाख रुपये की व्यवस्था सम्मिलित है। इस प्रकार शिक्षा के लिये कुल व्यय का तखमीना १९ करोड़ ५६ लाख रुपये हैं जो गत वर्ष के तखमीने से ३ करोड़ १२ लाख रुपये ज्यादा हैं।

२१—अनुसूचित जातियों (Schedule Castes,) पिछड़ी हुई जातियों (Backward Classes) और भूतपूर्व जरायम पेशा जातियों (Ex-criminal tribes) की हालत सुधारने के लिये सरकार हमेशा ध्यान देती रही है। इस काम के लिये बजट में ९५ लाख ५५ हजार रुपया रखा गया है। मैं इस सिलसिले में दो नई योजनाओं का खास तौर से जिक्र करूंगा जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष में शुरू करने का इरादा है। अनुसूचित जाति के, पिछड़ी हुई जाति के और भूतपूर्व जरायम पेशा जाति के गरीब तपेदिक के मरीजों को अनुदान देने के लिये बजट में २३ हजार रुपया रखा गया है और अनुसूचित जाति वगैरह की हालत सुधारने के सिलसिले में जो नतीजे हासिल हुये हैं उनकी सर्वे करने के लिये एक यूनिट कायम करने की गरज से १६,२०० रुपया रखा गया है।

२२—मजदूरों के कल्याण (welfare) की कार्यवाहियों की तरफ भी खास तौर से ध्यान दिया गया है। औद्योगिक प्लान को चलाने के लिये खुश और सन्तोषी मजदूरों की जरूरत होती है, इसलिये श्रम कल्याण की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा की जायें कि मजदूर खुश और सन्तोषी होकर स्वस्थ शरीर और अच्छे मन से अपना काम कर सकें। ये योजनायें श्रम कल्याण की सभी दशाओं अर्थात् फैक्टरी में और फैक्टरी के बाहर सुविधाओं का ध्यान रखती हैं और इन योजनाओं में मजदूरों के मनोरंजन और फालतू वक्त को भलीभांति उपयोग करने, बीमारों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता, काम करने वाले समय में मजदूरों की सुरक्षा के साधन, सुविधा और आराम, छुट्टियों का नियमित किया जाना, फैक्टरी में सफाई और रोशनी, महिला मजदूरों के बच्चों के लिये पालने तथा महिला मजदूरों को जच्चा सम्बन्धी फायदे दिलाने आदि काम शामिल हैं। श्रम कल्याण के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण योजना जिसे सरकार दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में चलाना चाहती है, संराधन (conciliation) मशीनरी का विस्तार है जिसकी वजह से मौजूदा मशीनरी का विकेन्द्रीकरण (decentralization) हो जायगा और प्रत्येक रीजन दिन प्रतिदिन के कार्य से सम्बन्धित सभी मामलों में स्वावलम्बी हो जायेगा।

भौतिक उन्नति (Material Progress)

२३—अब मैं राज्य सरकार के उन कार्यों को मुख्तसर तौर से बयान करूंगा जिनकी मदद से राज्य के भौतिक साधनों (material resources) में सुधार हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय राज्य में सिंचाई के लिये १९,०६९ मील लम्बी गूलें और २,२२९ सरकारी ट्यूबवेल्स थे। कुल ७८ लाख एकड़ रकबा की सिंचाई की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई की कई बड़ी योजनायें शुरू की गयीं, जिसका नतीजा यह रहा कि पहली आयोजना के बाद ३,९६४ मील लम्बी नई गूलें और २,८०० नये सरकारी ट्यूबवेल तैयार हो गये। सींचा जाने वाला रकबा बढ़ कर १ करोड़ ६ लाख एकड़ हो गया, जिसके कारण ६ लाख २० हजार टन अधिक अनाज पैदा हुआ। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में ११ नई बड़ी स्कीमें सम्मिलित हैं, जिनमें दो बहुप्रयोजनीय (multi purpose) बांध, कई जलाशय और पम्प कैनाल वगैरह हैं। कई छोटी सिंचाई की योजनाओं का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जायगा, जिसमें ट्यूबवेल भी शामिल कर लिये गये हैं। यह अनुमान किया जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की समाप्ति तक राज्य के सिंचाई निर्माण कार्यों की मदद से राज्य में खेती योग्य कुल क्षेत्र के ३० फीसदी हिस्से में सिंचाई होने लगेगी।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

२४—गत तीन या चार सालों में बाढ़ की वजह से इस राज्य को खास तौर पर पूर्वी जिलों को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से हर साल लगभग चार हजार वर्गमील भूमि पानी में डूब जाती है और उससे अधिक हानि हो जाया करती है। प्रथम आयोजना के दौरान में लगभग ५० बाढ़ से बचाव सम्बन्धी योजनायें चलाई गई जिनकी लागत २६८ लाख रुपया थी। इन योजनाओं के अन्तर्गत ३२५ मील लम्बे बांध और ३,५०० गांवों की भूमि के स्तर (level) को ऊंचा उठाया गया जिससे कि ९,५०० एकड़ से अधिक भूमि को लाभ हुआ है। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में उत्तर प्रदेश में बाढ़ सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिये १० करोड़ रुपये की रकम रखी गयी है, जिसमें से १९५६-५७ में २५० मील लम्बे बांध, २,६६९ गांव को भूमि के स्तर को ऊंचा करने और पांच नगरों को बचाने के लिये ३०० लाख रुपये की रकम खर्च कर दी गई। १९५७-५८ में बाढ़ से बचाने के लिये निर्माण कार्यों पर होने वाले खर्च का तखमीना ३२५ लाख रुपया है। जब यह निर्माण कार्य पूरे हो जायेंगे तो बाढ़ से लगभग ५ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि बच जायगी।

२५—स्वतन्त्रता हासिल करने से पहले राज्य में सिर्फ ९,३८७ मील पक्की सड़कें थीं और अब लगभग ११,७०० मील पक्की सड़कें हैं। लगभग ३४ बड़े प्रोजेक्ट (project) पूरे हो गये हैं और १४० प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। सन् १९४६ में १,८४२ मील आधुनिक सड़कें थीं। अब हमारे पास ३,९०० मील आधुनिक और सीमेन्ट कंकरीट की पक्की सड़कें हैं। चालू वित्तीय वर्ष में आमदरफ्त के लिये ३२० मील और पक्की सड़कें तैयार हो जाने की आशा है और १५५ मील मौजूदा सड़कों को बनाकर आधुनिक रूप देने का विचार है तथा २० बड़े प्रोजेक्टों के पूरे होने की आशा की जाती है। इन निर्माण कार्यों पर १७८ लाख ५६ हजार रुपये के व्यय का इरादा है।

२६—गवर्नमेंट रोडवेज ने भी काफी तरक्की की है। १९५६-५७ में रोडवेज की मोटर गाड़ियां चार करोड़ मील से अधिक चलीं, उनमें ६ करोड़ ३३ लाख मुसाफिरों ने यात्रा की, इनसे कुल ४ करोड़ १३ लाख रुपया का राजस्व प्राप्त हुआ और इस रोडवेज के काम में ९,३६० लोगों को रोजगार मिला। १९५७-५८ में रोडवेज की सर्विस १२२ मील और बढ़ा देने का विचार है।

माली खुशहाली

२७—मैंने अपनी १९५६-५७ की बजट स्पीच में जनता की सभी दशाओं में खुशहाली और सुरक्षा से सम्बन्धित विकास के कार्यों का जिक्र किया था। मैं फिर उस ओर ध्यान दिलाऊंगा और प्राप्त नवीनतम आंकड़ों की मदद से यह बतलाने की कोशिश करूंगा कि इस अर्से में जनता की खुशहाली में बराबर तरक्की होती रही है।

२८—पिछले कुछ वर्षों की आमदनी को देखते हुये राज्य की आमदनी अब काफी बढ़ गई है। अगर राज्य की आमदनी का १९४८-४९ के आधार पर हिसाब लगाया जाय तो १९५५-५६ में कुल आमदनी का इन्डेक्स ११९.५ था और एक आदमी की आमदनी का इन्डेक्स १०८.५ था। गत वर्ष की तुलना में १९५५-५६ में निर्यात (exports) में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई। १९५४-५५ में निर्यात का इन्डेक्स ६७ था जो १९५५-५६ में बढ़कर १२९ हो गया। १९५५-५६ के दौरान में बाहर भेजी जाने वाली खास चीजों के व्यापार में काफी तरक्की हुई। शक्कर के निर्यात में, जो कि हमारे निर्यात व्यापार की मुख्य चीज है, १९५४-५५ और १९५५-५६ के दरमियान लगभग सौ फीसदी तरक्की हुई, गुड़, तेल, कांच, लकड़ी और इमारती लकड़ी और खाल के निर्यात में भी हमने तरक्की की है। खेती की तरक्की के लिये हमारी की हुई कोशिशें भी काफी हद तक कामयाब हुईं। १९५४-५५ के ४९७ लाख एकड़ के मुकाबिले में फसल का कुल रकबा बढ़ कर १९५६-५७ में ५०२ लाख एकड़ हो गया। साल

में एक से अधिक बार काश्त किया हुआ रकबा १९५४–५५ के ९६ लाख एकड़ के मुकाबिले में १९५६–५७ में बढ़कर १०१ लाख एकड़ हो गया जिससे यह जाहिर है कि खेती में तरक्की हो रही है। सिंचाई की ज्यादा सहूलियतें देने की हमारी कोशिशों के नतीजे भी हासिल होने लगे हैं जबकि सिंचाई विभाग द्वारा १९५४–५५ में २१·३ हजार मील के मजीद सिंचाई के निर्माण कार्य किये वह १९५५–५६ में बढ़ कर २२·१ हजार मील हो गये। नल कूपों (tube-wells) की संख्या भी १९५४–५५ में २,५८६ से बढ़कर १९५५–५६ में ४,५५४ हो गई। यह एक बदकिस्मती है कि बहुत ही बुरे मौसमी हालात के कारण जिन पर हमारा बस नहीं था हमारी खेती की पैदावार १९५५–५६ में गिर गई हालांकि ज्यादा रकबे में बोआई की गई थी और सिंचाई की अधिक सहूलियतें मौजूद थीं। इस बात के कहने की जरूरत नहीं है कि इन मौसमी हालात का असर कहीं ज्यादा नुकसानदेह होता अगर हमारी कोशिशों के फलस्वरूप ज्यादा रकबे में खेती न की जाती और सिंचाई की सहूलियतें न दी जातीं।

२९—औद्योगिक विकास के क्षेत्र में, जहां तक कि बहुत से मुख्य उद्योगों का सम्बन्ध है, १९४६ के बाद १९५६ में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ। १९५६ में ३,८१६ लाख गज सूती कपड़ा तैयार हुआ जबकि १९५५ में यह ३,१६४ लाख गज था। इसी जमाने में सूत का उत्पादन १,०४९ लाख पौन्ड से बढ़ कर १,२८० लाख पौन्ड हो गया। १९५५ के २०,१९,००० पौंड ऊनी माल के उत्पादन के मुकाबले में १९५६ में ३०,४०,००० पौंड माल तैयार हुआ। इसी तरह जूट का सामान भी १९५५ में १५,१७४ टन से बढ़कर सन् १९५६ में २२,८५४ टन हो गया। शकर, जो कि हमारे राज्य का एक खास उद्योग है, १९५६ में ९,८९,००० टन पैदा की गई, जबकि पिछले साल इसकी मिकदार ९,०४,००० टन थी। कागज के उत्पादन में भी हमने काफी तरक्की की है, १९५५ के ७,८३७ टन से बढ़ कर यह १९५६ में ८,५८२ टन हो गया। स्ट्रा बोर्ड (straw board) और पेपर बोर्ड के उत्पादन में भी इसी तरह तरक्की हुई। दूसरे उद्योगों में भी हम आगे बढ़े। तैयार स्टील (finished steel) का उत्पादन १९५५ के ३४,४२८ टन से बढ़कर १९५६ में ४८,८५० टन हो गया। ढालने के लिये सोना, चांदी तथा अन्य धातुओं की सिलों का उत्पादन भी इसी तरह १९५५ के ८,७६३ टन से बढ़कर १९५६ में १०,४४९ टन हो गया। वनस्पति घी उद्योग में भी तरक्की हुई, जिसका उत्पादन १९५५ के ३४,६९० टन से बढ़कर ३८,३७१ टन हो गया। दियासलाइयों का उत्पादन ७० हजार पेटियों से बढ़कर ८४ हजार पेटियां हो गया। बिजली का उत्पादन, जो कि बुनियादी चीज है, सन् १९५५ के ६५ करोड़ ३० लाख १९ हजार यूनिट से बढ़कर सन् १९५६ में ७० करोड़ ५२ लाख ३६ हजार यूनिट हो गया।

३०—रजिस्टर्ड फैक्टरियों की संख्या, जो १९४६ में ९०० थी अब १,६०० हो गई है। उत्तर प्रदेश में उद्योगों में लगी हुई उत्पादक पूंजी १९५४ के ७,३७९ लाख से बढ़कर १९५५ में ८,७६५ लाख हो गई। औद्योगिक उत्पादन में होने वाली तरक्की मजदूर वर्ग की आमदनी और फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या से जाहिर होती है। फैक्टरियों में काम करने वालों की संख्या १९५४ में २०५·३ हजार से बढ़कर १९५६ में २०९·७ हजार हो गई। मिल मजदूरों की असल मजदूरी का इन्डेक्स (Index) १९५४ के १४० से बढ़कर १९५५ में १४२ हो गया, जो कि १९३९ के बाद सबसे ज्यादा है।

बेरोजगारी

३१—बेकारी दूर करने के सिलसिले में दो चार अल्फाज कहना मैं अपना फर्ज समझता हूं। भारत सरकार के नेशनल सेम्पल सर्वे के साथ–साथ आरजी तौर पर अर्थ तथा संख्या विभाग (Economics and Statistics Department) द्वारा उत्तर प्रदेश के शहरों में बेकारी की निस्बत जो आंकड़े इकठ्टा किये गये हैं, उनसे यह पता चलता है कि १९५६ में उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ७ फीसदी मर्द मजदूर बेकार रहे, जबकि यह बेकारी १९५५ में ११ फीसदी थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश के देहाती क्षेत्रों में १९५६ के दौरान में २ से ३ फीसदी तक मर्द मजदूर बेकार रहे जबकि बेकारी १९५५ में ५ से ७ फीसदी थी।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

३२--आशा की जाती है कि ज्यों-ज्यों दूसरी पंचवर्षीय योजना तरक्की करती जायगी त्यों-त्यों बेकारी दूर होती जायगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य के औद्योगिक विकास के प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रत्यक्ष (direct) या अप्रत्यक्ष (indirect) रूप से ५ लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें करघा बुनकर शामिल नहीं हैं। तखमीना लगाया गया है कि चालू वर्ष में ही लगभग ७६,००० लोगों को काम मिल जायगा। चालू वर्ष में आयोजना के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट विभाग में ५५१ लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसी तरह सिंचाई के जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें सुपरवाईजरी और दूसरे अमले के अलावा काम करने के लगभग १० करोड़ दिन (men days) काम जानने वाले और न जानने वाले मजदूरों की जरूरत होगी। साल में काम के २०० दिन के हिसाब से दूसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई निर्माण कार्यों के अन्तर्गत कभी कभी काम करने वाले (casual labour) लगभग १ लाख मजदूरों को २० फीसदी काम जानने वाले मजदूरों को और ८० फीसदी काम न जानने वाले मजदूरों को बराबर काम मिलता रहेगा। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में बनने वाली सड़कों और पुलों के सिलसिले में यह तखमीना लगाया गया है कि सभी किस्म के १९,२०० लोगों को रोजगार मिलेगा और चालू वित्तीय वर्ष में १६,१७६ लोगों को काम मिलने की उम्मीद है।

३३--उत्तर प्रदेश की फैक्टरियों में लगे हुये मजदूरों का रोजाना औसत भी १९५४ के २०५.३ हजार से बढ़कर १९५५ में २०९.७ हजार हो गया। उत्तर प्रदेश के देहाती क्षेत्रों में थोड़ा बहुत काम में लगे हुये (under employed) और बिल्कुल बेकार मर्द मजदूरों का प्रतिशत १९५५ में अगस्त से दिसम्बर तक के महीनों में १९५६ के उन्हीं महीनों के मुकाबिले में ज्यादा था। ऊपर दिये हुये आंकड़ों से यह बात साफ जाहिर होती है कि हालत आहिस्ता-आहिस्ता सुधर रही है।

बजट में खास अहमियत रखने वाली बातें

३४--अब मैं कुछ उन नई बातों के बारे में, जो आयोजना (Plan) के बाहर हैं और जिनके लिये बजट में रुपया रखा गया है और जो मेरे नजर में खास अहमियत रखती हैं, जिक्र करना चाहता हूं। राज्य सरकार के कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के भत्ते वगैरह बढ़ाने के सवाल पर सरकार बहुत अर्से से गौर कर रही है। ऐसे कर्मचारियों को पहले कुछ सहायता दी गई है जबकि नीचे दर्जे के सरकारी कर्मचारियों जैसे चपरासियों, मालियों, चौकीदारों और मेहतरों वगैरह की तनख्वाह की शरह दो रुपये माहवार बढ़ा दी गई थी, पुलिस कान्स्टेबुलों और हेड कान्स्टबुलों को १९५५-५६ से चार रुपये माहवार खुराक भत्ता दिया गया। अब यह तय किया गया है कि राज्य सरकार और स्थानीय निकायों (Local Bodies) के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को जिन्हें तनख्वाह और भत्ते मिला कर ९५ रुपये माहवार तक मिलता है उन्हें पांच रुपये माहवार की मजीद इमदाद दी जाय। भारत सरकार इस बात पर राजी हो गई है कि जो ज्यादा खर्चा इस सहूलियतों के पहुंचाने में उन लोगों को दिया जायेगा, जिनकी तनख्वाह बढ़ोत्तरी मिला कर ६० रु० माहवार हो जाती है, उसका दो तिहाई हिस्सा देगी और ऐसे कर्मचारी जिनकी तनख्वाह बढ़ोत्तरी मिलाकर १०० रु० हो जाती है, उस पर किये गये ज्यादा खर्च का एक तिहाई हिस्सा देगी। इस पर कुल मिला कर ३ करोड़ ५० लाख रुपया सालाना खर्च होगा, जिसमें से लगभग दो करोड़ रुपया भारत सरकार देगी बाकी १ करोड़ ५० लाख रुपया हमें अपने साधनों (resources) से पूरा करना होगा। यह बढ़ोत्तरी चालू वित्तीय वर्ष (current financial year) में पहली अगस्त से दी जायगी। इस कारण इस बजट में कुल २ करोड़ १० लाख रुपया रखा गया है, लेकिन अगले साल और बाद के वर्षों में पूरी धनराशि रखनी होगी और दरअसल अगले वर्ष के लिये ज्यादा धनराशि की जरूरत होगी, क्योंकि सरकार और स्थानीय निकायों

(Local Bodies) में वर्ष प्रति वर्ष नौकरी करने वालों की तादाद बढ़ती जायेगी। जैसी कि हमारी माली हालत है उसके मुताबिक इस वित्तीय बोझ को उठाना, जो ज्यादा खर्च से हम पर आ पड़ा है, कठिन होगा लेकिन राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि सरकारी और स्थानीय निकायों के कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों की कुल आमदनी में बढ़ोत्तरी की जाय ताकि उनकी हालत कुछ सुधर जाय और साथ ही साथ समाज को आहिस्ता-आहिस्ता समाजवाद के उसूलों पर कायम करने का सरकार का वायदा भी पूरा हो जाय। कम तनख्वाह पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को और रियायत देने के लिये यह तय किया गया है कि एक सौ रुपया और उससे कम तनख्वाह पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की नवें दर्जे में आधी फीस माफ कर दी जाय। इन रियायतों को देने के लिये चालू वर्ष (current year) के बजट में ८६,६०० रु० की व्यवस्था (provision) की गई है और इरादा यह है कि अगले साल यह रियायत दसवें दर्जे में भी दे दी जाय।

३५—सदन (House) को याद होगा कि इस राज्य में प्राइमरी शिक्षा पहले ही से हर एक के लिये मुफ्त कर दी गई है। अब यह तय किया गया है कि आहिस्ता-आहिस्ता इस रियायत को और आगे बढ़ाया जाय और रफ्ता रफ्ता आठवें दर्जे तक शिक्षा मुफ्त कर दी जाय। इस मकसद को पूरा करने के लिये पहली कार्यवाही यह की गई कि है कि इस साल सबके लिय छठें दर्जे में शिक्षा मुफ्त कर दी जायगी। इसके लिये अनुदान (Grant) देने की गरज से चालू वित्तीय वर्ष में ३५ लाख रुपया रखा गया है। सरकार का मंशा यह है कि अगर साधन जुट सकें तो अगले साल से यह रियायत सातवें दर्जे में भी दे दी जायगी और उससे अगले साल आठवें में।

३६—अब मैं बजट में की गई एक दूसरी खास व्यवस्था का जिक्र करूंगा। मान्यता प्राप्त (recognised) सहायता पाने वाले सेकेन्डरी संस्थाओं के अध्यक्षों (Heads), टीचरों और दूसरे कर्मचारियों की तनख्वाहों की शरहों में सुधार करने की गरज से सरकार ने जुलाई, १९४७ से तनख्वाह की लाजिमी शरहें चालू की थीं। शुरू में तनख्वाह की सालाना तरक्की पर जितना जायद खर्च हुआ सरकार ने उसका एक चौथाई भाग पूरा किया। बाद में अप्रैल, १९५५ में बढ़ कर यह एक तिहाई और अप्रैल, १९५६ से आधा कर दिया गया। यह आखिरी बार जो बढ़ोत्तरी की गई वह शिक्षा की दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के एक हिस्से के तौर पर की गई थी क्योंकि इन संस्थाओं के प्रबन्धकों के साधन सीमित हैं और उनमें घट बढ़ नहीं हो सकती। इसलिये उनमें से बहुत से सालाना तरक्की के अपने हिस्से का आधा खर्च बरदास्त नहीं कर सकते हैं। चुनांचे इन संस्थाओं को अपने टीचरों की तनख्वाह की सालाना तरक्की के और एक चौथाई हिस्से के निस्बत सहायक अनुदान (Grants-in-aid) देने का प्रबन्ध किया गया है: यानी अब तक सरकार सालाना तरक्की का आधा रुपया देती थी। आगे को ३/४ देगी। बजट के साल में इस पर २१ लाख खर्च होगा और आगे को ८ लाख रुपया साल के हिसाब से यह खर्चा बढ़ता रहेगा। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस स्कीम को अभी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कराने की कोशिश कर रही है इसलिये उसको बजट में १०० रुपये के टोकन से दिखलाया गया है।

३७—उन स्त्रियों को जिनके बच्चा होने वाला हो, मुफ्त दूध देने की एक योजना राज्य में १९५५-५६ में चालू की गई थी और इसके लिये २ लाख रुपया रखा गया था। पिछले साल इस योजना को और बढ़ाया गया और एक लाख रुपये की और व्यवस्था की गई। इस तरह कुल मिला कर ३ लाख रुपया रखा गया। अब यह तय किया गया है कि इस योजना को नये इलाकों में बढ़ाया जाय और इसके लिये दुगुनी व्यवस्था की जाय। इसलिये चालू वर्ष के बजट में ६ लाख रुपया रखा गया है।

३८—एक दूसरी खास व्यवस्था की गई है जिससे राज्य के ५१ जिला बोर्डों में से हर एक को ६० हजार रुपयों के हिसाब से अनुदान दिया जायगा ताकि वे उन सड़कों और इमारतों की मरम्मत कर सकें, जिन्हें पिछले साल की बाढ़ों से नुकसान पहुंचा था। इसके लिये बजट में

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

कुल ३० लाख ६० हजार रुपया रखा गया है। यह खर्चा भारत सरकार और राज्य सरकार आधा आधा उठाती है और इस तरह अपना हिस्सा पूरा करने के लिये हमें १५ लाख ३० हजार रुपया खर्च करना होगा।

३९—राज्य सरकार के बजट में पहली बार २५ लाख रुपये की एक और आखिरी व्यवस्था की गई है, जो बुढ़ापे की पेंशनें देने के लिये है। मंशा यह है कि ७० या इससे ज्यादा उम्र के बूढ़े लोगों को जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, पेंशनें दी जायं। इस योजना के ब्योरे अभी तय करने हैं मगर फिलहाल इसके लिये २५ लाख रुपया राज्य के बजट में रखा गया है। सामाजिक सहायता देने के लिये यह एक अहम कार्यवाही की गई है जिससे बूढ़े लोगों को, जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, बेफिक्री और किसी खास कठिनाई के बिना अपनी जिन्दगी बिताने में मदद मिलेगी।

४०—एक और अहम बात के बारे में मैं यहां खासतौर से जिक्र करूंगा। माननीय सदस्यों को मालूम है कि राष्ट्रीय (national) अहमियत रखने वाले नये उद्योगों को सरकार ने बिजली के खर्च में २५ फीसदी छूट (rebate) पहिले ही से दे रखी है। राज्य के औद्योगिक विकास (industrial development) के हित (interest) में यह फैसला किया गया है कि उद्योगों (industries) को और रियायत दी जाय। और यह इरादा है कि औद्योगिक कारोबार वाले (industrial undertakings) जितनी बिजली खर्च करें उस पर लगने वाली ड्यूटी २५ से घटाकर २० फीसदी कर दी जाय। घरों में काम आने वाली बिजली के मुतअल्लिक भी कुछ छूट देने का प्रस्ताव है और इसलिये अब यह तय किया गया है कि ६ आना फी यूनिट से जहां बिजली की कीमत ज्यादा होगी कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी जबकि इस समय ९ आना फी यूनिट से कीमत बढ़ जाने पर ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। इन रियायतों के देने से बिजली ड्यूटी से राज्य को मिलने वाले राजस्व (Revenue) में लगभग २५ लाख की कमी हो जायगी।

मितव्ययता और कर न देने वालों से कर वसूल करने के साधन आदि
(Economy and Anti-evasion Measures etc.)

४१—पंचवर्षीय आयोजना की स्कीमों और दूसरे खास कामों के लिये जिनका जिक्र ऊपर किया जा चुका है, एक भारी रकम बजट में रखी गयी है। यह हमारे लिये साधनों की एक बड़ी समस्या पैदा कर देती है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारी खर्चे को पूरा करने के साधनों में से एक साधन यह भी है कि सरकारी खर्च (public expenditure) में ज्यादा से ज्यादा किफायत की जाय। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात की बराबर चिन्ता करती रही है कि कोई फजूल और अनावश्यक खर्च न किया जाय ताकि जनता को व्यय की गई धनराशि का पूरा लाभ हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार ने विभागों के व्यय में कमी करने की बराबर कोशिश की है। राज्य सरकार ने १९४८ में एक इकोनामी कमेटी सारे विभागों के खर्चों की देखभाल तथा किफायत के सुझाव देने के लिये बनाई और १९४९ में सरकार ने एक रिआर्गनाईजेशन कमिश्नर की भी नियुक्ति की ताकि वह इस सम्बन्ध में भली भांति यानी पूरे तौर से जांच पड़ताल करे। वित्त विभाग में एक विशेष उपविभाग भी खोला गया ताकि वह सारे सरकारी खर्चों की बराबर जांच करता रहे इस ख्याल से कि खर्चों में किफायत हो जाय और कायदे के खिलाफ किये गये खर्चों से जो हानि होती है उसको रोका जा सके। १९५३-५४ में मुख्य मन्त्री ने किफायत के लिये खास हिदायतें जारी कीं और स्वयं विभागों के अध्यक्ष और दूसरे अफसरों से बातचीत की जिसके फलस्वरूप २ करोड़ ५० लाख रुपये की बचत हुई जो विकास योजनाओं पर खर्च की गई। इसके अतिरिक्त पिछली सरकार ने एक दूसरी इकोनामी कमेटी बनाई, जिसमें विधान मन्डल के कुछ सदस्य, गैर सरकारी लोग जिनका अधिक समय से शासन के साथ सम्बन्ध रहा है और तजुर्बेकार सरकारी अफसर रखे गये

ताकि वे एक बार फिर सारे खर्चों की पूरी-पूरी जांच करें और उनमें कमी के सुझाव दें। एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश का भी इस कमेटी से सम्बन्ध स्थापित किया गया और जनता से भी सुझाव मांगे गये। इस समिति ने कई उप-समितियां बनाई ताकि वे विभागों के व्यय की ब्योरेवार जांच करें। इन उप-समितियों को यह अधिकार दिये गये कि वे विभागों की जांच करें, उन विभागों के अध्यक्षों से बातचीत करें और जहां-जहां निर्माण कार्य हो रहा है, उन स्थानों को जा कर देखें। समिति और उसकी उप-समितियों ने अपना काम करीब-करीब पूरा कर लिया और अब बहुत थोड़ा काम बाकी है। मैं इस समिति के सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं और सरकार की ओर से उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत करके खर्चों में कमी के सुझाव दिये हैं। सरकार ने समिति का कार्य चालू रहने के बीच में ही कुछ सिफारिशों पर विचार करके उनको स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त सरकार ने अपने आप ही किफायत के कुछ अन्य प्रस्ताव किये हैं। इसके अलावा रिआर्गेनाइजेशन कमिश्नर ने पुनर्संगठन (reorganisation) के कुछ प्रस्ताव सामने रखे हैं, जिनसे खर्चों में काफी कमी होने की आशा है। इन तमाम प्रस्तावों पर सरकार ने विचार किया है तथा यह अनुमान है कि इनके फलस्वरूप १ करोड़ ५५ लाख रुपये की हर साल बचत होगी, जिसमें १ करोड़ १६ लाख रुपये की बचत अभी हो जायगी और ३९ लाख रुपये की बचत आगे चल कर होगी। मैं यह भी बता दूं कि खर्चे में कमी के दूसरे कई प्रस्तावों पर सरकार पूर्ण-रूप से विचार कर रही है और इन पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय ले लिया जायगा।

४२--खर्चों की कमी का जिक्र करते हुये यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अनावश्यक और व्यर्थ खर्चों को काट देना उन साधनों में से केवल एक साधन है जिससे अतिरिक्त धनराशि दूसरे आवश्यक कार्यों के खर्चे को पूरा करने के लिये मिल जाती है। पूरी-पूरी किफायत तभी समझी जायगी जब कोई विशेष निर्माण कार्य या सेवा, जिसके लिये बजट में व्यवस्था की गई है, कम से कम समय में पूरा कर दिया जाय और उससे अच्छे से अच्छे नतीजे हासिल हो सकें तथा साथ ही साथ कम से कम खर्च किया जाय जिससे कार्यदक्षता (efficiency) पर कोई असर न हो तो तभी जनता हर खर्चे से पूरा-पूरा लाभ उठा सकेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार का यह पक्का इरादा है कि इस तरह से खर्चे में किफायत की जाय। इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग में स्थायी तौर पर एक मशीनरी मौजूद रहे और विभागों के बाहर भी ऐसा प्रबन्ध रहे जिसके द्वारा यह कार्य हो सके। इस प्रयोजन के लिये सरकार शीघ्र ही यह आदेश जारी करने वाली है कि हर विभाग का अध्यक्ष अपने साथ विभाग के दो सीनियर अफसरों को मिला कर समिति बनाये। यह विभागीय समितियां हर होने वाले खर्चे की पूरी-पूरी जांच करें और फिर खर्चे में अधिक से अधिक किफायत कराने की कोशिश इस बात को ध्यान में रखकर करेंगी कि कार्यदक्षता पर कोई असर भी न हो। इन विभागीय समितियों के अलावा एक स्थायी (standing) समिति भी होगी जिसमें विभाग का सेक्रेटरी, फाइनेन्स सेक्रेटरी, रिआर्गेनाईजेशन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी होंगे। यह समिति विभाग की समितियों के काम की देखभाल करेंगी और उनके काम में एक (co-ordination) स्थापित करेगी और उन्हें माकूल सुझाव देगी। इन प्रबन्धों के अलावा विभाग के मन्त्री महोदय भी इस बात के लिये निगरानी रखेंगे कि सरकारी विभाग अपने फर्ज का पालन सावधानी और मुस्तैदी के साथ करें। इसके अलावा इस सदन की प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) से भी हर मुमकिन सहायता देने के लिये प्रार्थना की जायगी।

४३--मैं इस सिलसिले में यह कहना जरूरी समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों ने भी यह मुनासिब समझा है कि वे अपनी तनख्वाहों में कुछ कमी कर दें ताकि अपने देश के विकास के लिये, हर महीने खुद उनकी ओर से भी कुछ न कुछ मदद पहुंचती रहे। अगर इस राज्य के मंत्रियों को सम्पचुअरी एलाउन्स (sumptuary allowance) या दूसरे भत्ते मिलते होते तो वे यकीनन अपनी तनख्वाहें और भी कम कर देते मगर यह कुछ न होने की सूरत में यह तय किया गया कि जैसे एक दरवेश अपनी तरफ से तोफे में एक हरा पत्ता ही पेश कर सकता है उसी तरह राज्य के मंत्री महोदय भी अपनी तनख्वाहों से हर महीने

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

१०० रु० दें। इस सब का मतलब यह हुआ कि हर मन्त्री को हर महीने, १,२०० रुपये के बजाय १,१०० रुपये वेतन मिलेगा। इस कटौती से राज्य सरकार को जो रुपया मिलेगा वह राज्य के दूसरे खर्च को पूरा करने में लगा दिया जायगा। इसी तरह उप-मन्त्री और मन्त्रियों के सभा सचिव अपनी तनख्वाहों में भी उसी अनुपात (proportion) में कटौती करेंगे। यह कटौतियां अपनी मरजी से की गई हैं जिहें मौजूदा मिनिस्ट्री ने मन्जूर कर लिया है। इसके अलावा हथियारबन्द गारद जो मंत्रियों के साथ रेल के सफर में जाया करती थी अब बन्द कर दी गई है। यह भी फैसला किया गया है कि आइन्दा मन्त्रियों के इस्तेमाल के लिये छोटी कारें खरीदी जायेंगी। क्योंकि मौजूदा गाड़ियां इस फैसले से बहुत पहले खरीदी जा चुकी थीं, इसलिये यह ठीक समझा गया कि अभी नई छोटी कारों के खरीदने में बेकार खर्च न किया जाय।

४४--इस सिलसिले में यह कहना भी ठीक होगा कि खर्च में कमी करने के अलावा सरकार ने दो और बातों की ओर भी ध्यान दिया है। उनमें से एक इवेजन (evasion) या टैक्स से बच निकलने की आदत की रोकथाम और दूसरे बकाया की वसूली है। इसका नतीजा यह होगा कि हमारी रेवेन्यू में बढ़ोत्तरी होगी। जहां तक करों की अदायगी से बच निकलने का सवाल है सरकार पहले ही बिक्री कर से बच निकलने के खिलाफ कार्यवाही कर चुकी है। राज्य के बाहर से जो माल लाया जाता है उसकी जांच करने के लिये कोसी कलां, सरसावा और हिंडन पुल पर जांच करने की चौकियां कायम की गई हैं। व्यापारियों की रजिस्ट्री जो पहले उनकी मरजी के मुताबिक की जाती थी उन तमाम व्यापारियों के लिये अब लाजिमी कर दी गई है जिनके विक्रय धन (turn over) पर कर लगता है। चूंकि बाहर से आने वाली चीजों को कर लगने से काफी हद तक बचा लिया जाता था, इसलिये इम्पोर्टरों पर कर लगाने के लिये विक्रय धन की जो कम से कम हद रखी गयी थी वह खत्म कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, मेरठ वगैरह जैसे व्यापार के खास केन्द्रों में कर से बच निकलने को रोकने के लिये अमला तैनात कर दिया गया है। उस तरीके को भी बन्द कर दिया गया है, जिससे व्यापारी पर कर लगाने के लिये उसके पिछले साल के विक्रय धन को या कर लगने वाले साल के विक्रय धन को आधार माना जाता था और यह व्यवस्था कर दी गई है कि कर लगाने के लिये सिर्फ कर लगने वाले साल को ही आधार माना जाय। यह भी निश्चय किया गया है कि जो बिक्री कर एड-वाइजरी कमेटी स्थापित की जाने वाली है उसकी एक सब-कमेटी कर से बच निकलने की रोक करने को बनाई जाय और ऐक्ट में जो खामियां रह गई हैं, जिनकी वजह से कर लगने से बचा जा सकता है, उन्हें दूर करने के लिये ऐक्ट में अब और संशोधन (amendments) किये जांय। इस मकसद के लिये सदन के सामने पहले ही से एक संशोधन बिल मौजूद है। अब मैं एक दूसरी खास बात का जिक्र करूंगा। भारत सरकार ने राज्य सरकार की सलाह से यह तै कर दिया है कि राज्यों में मिल द्वारा बनाये गये कपड़ों, तम्बाकू (जिसमें बनी हुई तम्बाकू भी शामिल है) और शक्कर पर लगाये गये बिक्री कर को बजाय उस इक्साइज ड्यूटी पर बतौर सरचार्ज के बढ़ा दिया है जो केन्द्रीय सरकार ने लगा रखी है। इस प्रकार इन चीजों पर कर से बचने के मौके बहुत कम रह जायेंगे क्योंकि सरचार्ज सोर्स पर ही वसूल कर लिया जायेगा। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि अन्य करों से बच निकलने के खिलाफ हर किस्म की रोक पैदा करने की कोशिश की जायेगी। यह भी इरादा है कि सरकारी बकाया रकमों की वसूली की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाय और विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्तियों (receipts) के तखमीनों में वसूल की जाने वाली बकाया को रेवेन्यू के तखमीनों में शामिल कर लिया गया है।

साधन (Resources) और उनकी कमी

४५—अब मैं फिर उन साधनों की बढ़ोत्तरी की आवश्यकता का चर्चा करता हूं जिनकी हमें दूसरी पंचवर्षीय आयोजना को पूरा करने के लिये जरूरत है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हमारी दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के लिये फिलहाल लगभग २५३ करोड़ रुपया का खर्चा रखा गया है जिसमें से लगभग ९० करोड़ रु० राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) से और बाकी पूंजी व्यय (Capital Expenditure) से किया जायेगा। इस योजना के पूरे खर्चे में से सन् १९५७-५८ में खर्च करने के लिये बजट में लगभग ५२ करोड़ ८० लाख रुपया रखा गया है, इसमें से लगभग १९ करोड़ रुपया राजस्व व्यय का है और ३३ करोड़ रुपया पूंजी व्यय का। इस राजस्व खर्चे में से ९ करोड़ ७६ लाख रु० केन्द्रीय सरकार से मिलेगा बाकी राज्य सरकार को अपने साधनों से पूरा करना होगा। इसके अलावा उन बहुत सी योजनाओं (schemes) पर भी बहुत ज्यादा रुपया लगाना होगा जो प्लान में शामिल नहीं हैं और इस बजट में रखी गयी हैं उनका जिक्र मैं पहिले इस भाषण में कर चुका हूं। जो खर्च पहिले से मुस्तकिल तौर पर हो रहा है उस पर और प्लान और प्लान से बाहर नये खर्चे पर जो रुपया इस बजट द्वारा व्यय होगा उसकी संख्या १०८ करोड़ ३३ लाख आती है। इसके मुकाबिले में मय उस रुपये के जो राजस्व व्यय के लिये केन्द्रीय सरकार से आने वाला है, राजस्व खर्चे की रकम इस बजट में ९६.६६ लाख रखी है। इस तरह इस बजट में ११ करोड़ ६७ लाख का घाटा है जिसकी पूर्ति करना हमारे लिये आवश्यक होगा।

४६—मैंने पहले ही इस बात का काफी जिक्र किया है कि सरकारी खर्चों में भरसक किफायतशारी करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है। किफायतशारी से तुरन्त तकरीबन एक करोड़ रुपया मिलेगा जबकि हमें ११ करोड़ ६७ लाख रुपये की कमी को पूरा करना है। इस कमी से हमारी नाजुक वित्तीय हालत का पता चलता है जिसकी खास वजह यह है कि राज्य सरकार के राजस्व के साधनों को ज्यादा घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता जैसा कि सदन को मालूम है कि मुख्तलिफ राज्य सरकारों की जरूरतों का पता लगाने और इस बारे में सुझाव देने के लिये कि किस तरह कुछ सेन्ट्रल टैक्सों को केन्द्र (Centre) और राज्यों के दर्मियान बांटा जाय, राष्ट्रपति ने एक फाइनेन्स कमीशन मुकर्रर किया है। गत दिसम्बर में फाइनेन्स कमीशन यहां आया और उसके सामने हमने अपनी मूल आवश्यकतायें पेश कीं। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट कुछ महीनों में प्रकाशित हो जायगी और हम यह आशा करते हैं कि कमीशन हमारी आवश्यकताओं पर उदारता से विचार करेगा और हमारे राज्य के बड़े क्षेत्रफल तथा अधिक जनसंख्या पर ध्यान देकर यह सिफारिश करेगा कि हमें पहले केन्द्रीय राजस्व का जो हिस्सा मिलता था उससे अधिक हिस्सा मिले। फिर भी यह कहना कठिन है कि कमीशन की सिफारिशों के फलस्वरूप हमारे बजट के राजस्व में ११ करोड़ ६७ लाख रुपये के घाटे को केन्द्रीय सरकार पूरा कर देगी। हमको स्वयं इस कमी के अधिक भाग को पूरा करने के लिये हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया है सिवाय इसके कि हम जनता से यह अपील करें कि वे राज्य के हित में अतिरिक्त कर के बोझ को सहन करें। हमने सदैव इस बात की कोशिश की है कि जहां तक मुमकिन हो कम से कम टैक्स लगाये जायं और साथ ही साथ राज्य में समय के अन्दर पंचवर्षीय आयोजना कार्यान्वित हो जाय और विकास तथा प्रगति भी बनी रहे। बजट में दिये हुये आंकड़ों के आधार पर यह जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति इस सूरत में जबकि मालगुजारी को शामिल न किया जाय, केवल ४.२ टैक्स देना पड़ता है क्योंकि मालगुजारी को कुछ अर्थशास्त्री सही मानों में टैक्स नहीं मानते। अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति को जो टैक्स देना पड़ता है वह

इस प्रकार हैं :—

पश्चिमी बंगाल ...	...	...	१०·०४
बम्बई ...	...	...	९·५७
पंजाब ...	...	...	७·९१
मैसूर ...	...	...	५·६६
मध्य प्रदेश ...	...	...	४·२१

इस प्रकार माननीय सदस्यों को यह विदित होगा कि इस राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को बहुत कम टैक्स देना पड़ता है और अन्य कई राज्यों की तुलना में इस राज्य में कम टैक्स ही नहीं लगाया गया बल्कि जहां कहीं हमें यह मालूम हुआ कि किसी टैक्स से जनता के किसी विशेष तबके को अधिक दिक्कत हो रही है तो हमने उन दिक्कतों को दूर करने के लिये टैक्स के साधनों में संशोधन कर दिये जैसे कुछ छोटे और कुटीर उद्योगों को समय-समय पर बिक्री-कर से मुक्त कर दिया गया। सेल्स टैक्स की बात करते हुये मैं यहां एक बात का और जिक्र करूंगा। मैंने गत वर्ष के शुरू में इस सदन के सामने यह कहा था कि सरकार सामान की बिक्री पर केवल सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। खास-खास सामान पर पहले ही से सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स वसूल किया जा रहा है। इनमें से जो केवल सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स लगाये जाने की सूची में नहीं है, अनाज सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और सरकार ने इस मामले में अधिक सोच विचार के बाद अब यह निश्चय किया है कि अनाज पर भी सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स लगाया जाय। अनाज पर सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स तभी लगाना संभव है जब सर्वप्रथम कोई रजिस्टर्ड व्यापारी किसी गैर रजिस्टर्ड व्यापारी से अनाज खरीदे या उत्पादक से टैक्स ले लिया जाय या किसी रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा किसी गैर रजिस्टर्ड व्यापारी या उपभोक्ता (consumer) को अनाज बेचा जाय। अगर आखिरी बिक्री पर टैक्स लगाया गया तो बहुत से छोटे फुटकर दूकानदारों पर टैक्स लगाना पड़ेगा। इस दिक्कत को दूर करने के लिये यह निश्चय किया गया है कि टैक्स उसी समय लगाया जाय जब कोई रजिस्टर्ड व्यापारी गैर-रजिस्टर्ड व्यापारी या उत्पादक (producer) से अनाज खरीदता हो। इस प्रकार यह टैक्स क्रय-कर (purchase tax) के रूप में होगा। व्यापारी जो किसी खास रकम जैसे तीस हजार रुपये या इससे अधिक रुपये का सौदा करते हैं रजिस्टर किये जायेंगे और इन व्यापारियों को गैर रजिस्टर्ड व्यापारियों से खरीदे गये माल पर निर्धारित दर से क्रय-कर (purchas tax) देना पड़ेगा। चूंकि सबसे पहले आमतौर पर बड़े-बड़े अढ़तियों को माल खरीदना पड़ता है, इसलिये उन्हें टैक्स देना होगा और बाद में किसी व्यापारी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्रशासकीय (administrative) तथा कानूनी कठिनाइयों के कारण यह संभव न होगा कि चालू वित्तीय वर्ष में यह नया तरीका शुरू कर दिया जाय, इसलिये यह इरादा है कि इसको १ अप्रैल, १९५८ से लागू किया जाय।

४७—अनाज पर बिक्री-कर लगाये जाने की स्कीम पर कुछ कहने के बाद मैं फिर साधनों के प्रश्न पर आता हूं। मैं पहले बता चुका हूं कि राज्य सरकार के राजस्व के साधनों (Revenue Sources) में ज्यादा घट बढ़ नहीं हो सकती इसलिये आप देखेंगे कि सिर्फ १ करोड़ ५० लाख रुपया सालाना आमदनी बढ़ाने के लिये कितनी चीजों पर हाथ डालना पड़ा है। सरकार ने यह निश्चय किया है कि आवश्यक कानून बना कर इन्टरटेन्मेन्ट

टैक्स में ५० फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी जाय। इससे यह आशा की जाती है कि ४० लाख रुपये सालाना मिलेंगे, मगर चालू वर्ष में सिर्फ २० लाख आयेंगे। यह भी निश्चय किया गया है कि मोटर स्प्रिट पर ३ आने प्रति गैलन बिक्री कर बढ़ा दिया जाय। हमें यह आशा है कि इसके फलस्वरूप आय में वर्ष भर में कुल ३५ लाख रुपये की वृद्धि होगी और चालू वित्तीय वर्ष में लगभग २० लाख रुपये की आय बढ़ेगी। इसके साथ रजिस्ट्री की फीस में शत प्रतिशत (hundred per cent) वृद्धि कर देने का भी निश्चय किया है। इसके फलस्वरूप वर्ष भर में २८ लाख रुपया तथा चालू वित्तीय वर्ष में लगभग १४ लाख रुपये की आय की वृद्धि होगी। अन्त में यह तय किया गया कि कृषि-आय-कर अधिनियम (Agricultural Incom Tax Act) में कुछ संशोधन कर दिये जांय ताकि इस साधन से मालगुजारी में ३० लाख से ४० लाख रुपये प्रति वर्ष की आय हो जाय। जो कुछ मैंने अर्ज किया उससे सदन को यह विदित होगा कि नये कर लगाने के जो साधन चुने गये हैं उनसे किसी वर्ग विशेष (sections of the community) को तकलीफ नहीं होगी बल्कि इन टैक्सों का भार केवल उन्हीं लोगों पर पड़ेगा, जो इस भार को उठा सकेंगे। लगाये जाने वाले करों का भार प्रत्येक व्यक्ति पर अधिक नहीं होगा और राज्य सरकार को इस प्रकार जो आय होगी वह भी अधिक नहीं है। यह बात सही है कि राज्य के खजाने में जो भी नया पैसा आयेगा वह सामाजिक सुरक्षा तथा न्याय व्यवस्था को बनाये रखने के अलावा उन विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद देगा जिन्हें सरकार ने शुरू कर दिया है।

४८--परन्तु अतिरिक्त करके इन साधनों से केवल राजस्व के घाटे का थोड़ा भाग ही पूरा हो सकेगा। पूंजी की ओर (on the capital side) भी हमारी यह कोशिशें हमेशा रहेंगी कि हम ऐसे उपाय निकालें जिनसे कमी पूरी हो सके और इन उपायों में से एक खास उपाय यह होगा कि अल्प बचतों (small savings) की दशा में ध्यान दिया जाय। अल्प बचत योजनाओं को विशेष आन्दोलन के रूप में इस राज्य में १९५२ में शुरू किया गया था और तब से राज्य की जनता ने उदारता से इसमें भाग लिया है। १९५२-५३ और १९५५-५६ के दौरान में इस राज्य में लगभग ३५ करोड़ रुपये की धनराशि अल्प बचतों की सूरत में जमा की गई और उस समय केन्द्र तथा राज्यों में इस एकत्रित धनराशि के बांटने के फार्मूले के अनुसार राज्य सरकार को भारत सरकार से १२ करोड़ रुपये की धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त हुई। गत वर्ष एकत्रित धनराशि के बांटने के फार्मूले में परिवर्तन कर दिया गया था जिससे कि हमको अधिक हानि थी किन्तु सौभाग्यवश भारत सरकार ने अब नया फार्मूला बनाया है जिसके हिसाब से राज्य में जमा की गई धनराशि का २/३ भाग राज्य सरकार को मिल जायगा ताकि वह अपने प्लान की विकास योजनाओं को वित्तपोषित (finance) कर सके, किन्तु शर्त यह है कि राज्य सरकार बाजार से कर्ज न ले जिसका नतीजा यह होगा कि अल्प बचत योजना (small savings scheme) के अन्तर्गत काफी आमदनी बढ़ानी होगी, क्योंकि प्लान के खर्चे को पूरा करने के लिये जो उपाय सोच गये थे उसके जरिये छोटी बचतों (small savinsgs) से साल में सात करोड़ रुपया और बाजार से लिये गये ऋण से साल में सात करोड़ रुपया इकट्ठा करने का विचार था। अगर राज्य सरकार बाजार से कर्ज नहीं लेगी तो उसे २१ करोड़ रुपये अल्प बचत योजना के जरिये इकट्ठे करने होंगे। इस प्रकार हमें भारत सरकार से १४ करोड़ रुपये मिलने का हक होगा। इस बात को पक्का करने के लिये कि हमें भारत सरकार स १४ करोड़ रुपये मिलें, अल्प बचत योजना के जरिये २१ करोड़ रुपये की धनराशि जमा करने की खास कोशिश करनी है। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि अल्प बचत योजना आन्दोलन की कामयाबी जनता की इच्छा पर पूरी तरह मुनहसिर है, जो मैं उम्मीद करता हूं आन्दोलन को अधिक से अधिक सफल बनाने में सहयोग देगी। मुझे यह कहने में गर्व है कि गत वर्षों में जनता ने काफी सहयोग दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के लोग इसके नतीजों को ख्याल में रखते हुये अधिक से अधिक अंशदान देंगे। सारे देश और विशेषकर राज्य के हित में मैं राज्य के नागरिकों से पुरजोर अपील करूंगा कि अल्प बचतों में अधिक से अधिक योग दें।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

४९--मैं आखिर में उन साहेबान का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बजट की तैयारी में दिन रात काम किया है। उनमें से एक हमारे कमिश्नर व फाइनेन्स सेक्रेटरी, श्री बी० बी० लाल हैं जो अपने ओहदे के काम को बड़ी काबिलियत, मेहनत और दिलचस्पी के साथ अन्जाम दे रहे हैं। मैं श्री बी० बी० टंडन, डिप्टी सेक्रेटरी, फाइनेन्स डिपार्टमेंट का भी बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बजट की तैयारी और उससे मुतअल्लिक दूसरे मामलात में बड़ी दिलचस्पी से काम किया है। मैं फाइनेन्स डिपार्टमेंट के, श्री एन० सी० रे और दूसरे अफसरान और कर्मचारियों का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बजट की तैयारी में दिन रात काम किया है। मैं गवर्नमेंट प्रेस, लखनऊ के अफसरान और स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस काम को पूरा करने के लिये बहुत सख्त मेहनत की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५७-५८ का बजट पेश करता हूं।

१९ जुलाई, १९५७ तदनुसार
२८ आषाढ़, १८७९ शक संवत्

सदन का कार्यक्रम

श्री चेयरमैन--अब सदन की बैठक २४ जुलाई को होगी। २४ और २५ जुलाई को नान-आफिशियल काम होगा और २६, २९, ३० और ३१ जुलाई को बजट पर बहस होगी।

कौंसिल २४ जुलाई को ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ३ बजकर २२ मिनट पर २४ जुलाई सन् १९५७ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ,
२८ आषाढ़ १८७९ शक संवत्
(१९ जुलाई, सन् १९५७)

परमात्मा शरण पचौरी
सचिव,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये प्रश्न संख्या ५४ का उत्तर पृष्ठ ८ पर)

तालिका (क)

Names of the Conveners of various committees of the Board of High School and Intermediate Education.

	Committee of Courses	*Convener*
1.	English ..	Sri S. K. L. Srivastva, Principal, D. A. V. Higher Scondary School, Kanpur.
2.	Sanskrit ..	Sri M. P. Shastri, Principal, D. A. V. College, Lucknow.
3.	Arabic and Persian ..	Dr. M. G. Zubed Ahmad, Allahabad University, Allahabad up to May 18, 1956 and Prof. Habibul Rahman, Aligarh, University, Aligarh, with effect from May 19, 1956.
4.	Urdu ..	Prof. Habibul Rahman, Aligarh University, Aligarh.
5.	Hindi ..	Sri S. B. Viragi, Principal, Town Inter. College, Ballia.
6.	History ..	Sri B. N. Pandey, Vishwabani Press, South Malaka, Allahabad up to May 18, 1956 and Sri S. P. Sinha, Advocate, Allahabad, with effect from May 19, 1956.
7.	Civics ..	Sri Devendra Swarup, Advocate, Kanpur.
8.	Geography ..	Sri Baldeo Behari, Principal, D. A. V. Higher Secondary School, Allahabad.
9.	Bengali ..	Sri N. C. Pal, Registrar, Roorkee University, Roorkee.
10.	Marathi and Gujrati	Prof. V. V. Narlekar, Banaras Hindu University, Banaras.
11.	Latin and French ..	Sri K. A. Subramania Iyer, Lucknow University, Lucknow.
12.	Mathematics ..	Prof. V. V. Narlekar, Banaras Hindu Unversity, Banaras.
13.	Physics ..	Sri R. B. Sharma, Retd. D. I. O. S., Allahabad, up to May 18, 1956 and Dr. Gorakh Prasad, Allahabad "Varsity" Allahabad, with effect from May 19, 1956.

Committee of Courses	Convener
14. Chemistry ..	Dr. D. R. Dhingra, Joint, Director of Industries, Kanpur.
15. Biology ..	Sri R. B. Sharma, Retd. D. I. O. S., Allahabad, up to December 12, 1956 and Dr. S. K. Pandey, Lucknow University, Lucknow, with effect from December 13, 1956.
16. Agriculture ..	Dr. B. L. Sethi, Additional Director of Agriculture, U. P., Lucknow, up to November 10, 1955 and Dr. S. K. Pandey, Lucknow University, Lucknow, with effect from November 11, 1955.
17. Drawing ..	Sri H. K. Srivastava, "The Kailash" Nawabganj, Kanpur, up to May 16, 1955 and Sri Jaipal Singh, M. L. A., Saharanpur, with effect from May 17, 1956.
18. Crafts	Sri S. B. Viragi, Principal, Town Inter. College, Ballia.
19. Commerce ..	Sri H. K. Srivasteva, "The Kailash," Nawabganj, Kanpur.
20. Logic	Dr. B. S. Haikerwall, Joint Secretary to Government, Education Department, Lucknow.
21. Economics ..	Sri K. P. Bhatnagar, Vice-Chancellor, Agra University, Agra.
22. Music	Sri Satya Deo Narain Singh, Vice-Principal, S. D. H. S. School, Banaras.
23. Home Science ..	Sri Narendra Ji Singh, Barrister, Kanpur.
24. Psychology ..	Sri Kuber Nath Shukul, Deputy Director of Education, Banaras Region, Banaras.
25. Military Science ..	Sri Shiv Prasad Sinha, Advocate, Allahabad.
26. Nepali	Sri Vishambhar Nath Pandey, Vishwabani Press, South Malaka, Allahabad, up to May 18, 1956 and Sri M. P. Shastri, Principal, D. A. V. College, Lucknow, with effect from May 19, 1956.
27. Pali	Sri M. P. Shastri, Principal, D. A. V. College, Lucknow.
28. Education ..	Prof. Habibul Rahman, Aligarh University, Aligarh.

29.	Industrial Chemistry	Dr. D. R. Dhingra; Joint Director of Industries, Kanpur.
30.	Ceramics ...	Sri N. C. Pal, Registrar, Roorkee University, Roorkee.
31.	Painting and Sculpture	Sri Jaipal Singh, M. L. A., Saharanpur.
32.	Geology ..	Dr. D. R. Dhingra, Joint Director of Industries, U. P., Kanpur.
33.	Technical Education	Dr. D. R. Dhingra, Joint Director of Industries, U. P., Kanpur.
34.	Sindhi ..	Sri M. P. Shastri, Principal, D. A. V. College, Lucknow.
35.	Punjabi ..	Sri Satya Deo Narain Singh, Vice-Principal, S. D. H. S. School, Banaras.
36.	Laundry Darning and Stitching and Dyeing.	Sri A. Grice, M. L. A., Kanpur.
37.	Dancing ..	Sri S. D. N. Singh, Vice-Principal, S. D. H. S. School, Banaras.
38.	Dyeing and Printing	Dr. D. R. Dhingra, Joint Director of Industries, Kanpur.
39.	Sociology ..	Prof. Habibul Rahman, Aligarh University, Aligarh.

	Other Committees	*Convener*
1.	Examinations Committee	Sri K. P. Bhatnagar, Vice-Chancellor, Agra University, Agra.
2.	Finance Committee	Deputy Director of Education (Finance),
3.	Recognition Committee	Sri Paripurna Nand Varma, M. L. A., Kanpur.
4.	Curriculum Committee	Sri B. N. Kar, Principal, Anglo-Bengali Inter. College, Allahabad.
5.	Results' Committee	Chairman, Intermediate Board, Allahabad.
6.	Womens' Education Committee.	Sri Paripurna Nand Varma, Kanpur.
7.	Private Candidates' Committee.	Dr. Gorakh Prasad, Allahabad University, Allahabad.

Sub-Committees appointed by the Board

1.	*Ad hoc* Committee appointed by the Chairman of the Board to consider the proposed three years secondary course forwarded by Government of India.	Sri B. N. Kar (*Convener*), Principal, Anglo-Bengali Inter. College, Allahabad.
2.	*Ad hoc* Committee appointed by the Board in its meeting held on December 12, 1956 to make recommendations for a model school calendar.	Ditto.
3.	*Ad hoc* Committee appointed by the Board at its meeting held on December 12, 1956 to scrutinize and co-ordinate the criteria prepared by the different committee of courses.	Ditto.
4.	Sub-Committee appointed by the Board at its meeting held on December 12, 1956 to give concrete proposals on metric system of weights and measures and decimal coinage.	Dr. Gorakh prasad, Allahabad University Allahabad.
5.	*Ad hoc* Committee appointed by the Board at its meeting held on December 12, 1956 to consider the entire question of recognition of institutions, etc.	Sri Paripurna Nand Verma, Kanpur.

नत्थी 'ख'

(देखिए प्रश्न संख्या ५६ का उत्तर पृष्ठ ८ पर)

सूची (ख)

बोर्ड की समितियों के संयोजक जिनकी पाठ्य-पुस्तकें बोर्ड की परीक्षाओं के लिए स्वीकृत हैं

संयोजक का नाम	समिति अथवा उप-समिति के नाम	स्वीकृत पुस्तक का नाम	विषय
१—सर्वश्री राम बल्लभ शर्मा	भौतिकशास्त्र तथा जीव-विज्ञान	१—आवर हेरिटेज ...	अंग्रेजी
		२—हाई स्कूल रेखागणित	गणित
		३—हाई स्कूल अंकगणित	,,
		४—हाई स्कूल अंकगणित	,,
२—बी० एन० कार	करिकुलम तथा एडहाक समितियां।	१—ब्लोसमत आफ इंगलिश पोएट्री।	अंग्रेजी
३—डा० गोरख प्रसाद	भौतिकशास्त्र, व्यक्तिगत परीक्षार्थी तथा दार्शनिक प्रणाली के सिक्के व तौल माप के ठोस सुझाव समिति	१—हाई स्कूल अंकगणित	गणि०
		२—नियामक ज्यामिति	,,
		३—कैलक्युलस	,,
		४—गति विज्ञान	,,
		५—हाई स्कूल बीजगणित	,,
४—डा० जुबैद अहमद	अरबी तथा फारसी	१—जुब्दतुल कवायद	उर्दू
५—शिव कुमार लाल श्रीवास्तव	अंग्रेजी समिति ...	१—सरल नागरिक शास्त्र	नागरिक शास्त्र

नत्थी 'ग'

(देखिये प्रश्न संख्या ७९ का उत्तर पृष्ठ १३ पर)

सूची (क)

जिला फतेहपुर में १९५५ और १९५६ में होने वाले अपराधों का विवरण

क्रम-संख्या	नाम थाना	जुर्म	रिपोर्ट	सजा	रिहा	फाइनल रिपोर्ट	रिपोर्ट	सजा	रिहा	फाइनल रिपोर्ट
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
			सन् १९५५				सन् १९५६			
१	कोतवाली ...	चोरी ...	८६	८	६	६९	१४२	१६	११	९५
		डकैती ...	...	...	...	...	२	...	...	१
		राहजनी ...	२	१	...	...	१	१	...	...
		कत्ल ...	७	२	...	३	७	३	३	...
		बलवे ...	६	२	४	...	५	२	...	१
२	बिन्दकी ...	चोरी ...	७२	१४	३	५०	८१	९	४	५८
		डकैती ...	...	...	...	...	...	...	...	...
		राहजनी ...	...	...	...	...	...	...	...	...
		कत्ल ...	३	१	...	१	२	१	१	...
		बलवे ...	४	२	१	...	६	...	...	१

३	जहानाबाद	...	चोरी	...	३६	५	२	२८	४७	६	३	३२
			डकैती	...	१	१	...	...	१	...	१	...
			राहजनी	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			कत्ल	...	४	३	...	१	२	...	१	१
			बलवे	...	२	२	...	...	६	१	१	१
४	ललौली	...	चोरी	...	१७	१	४	११	४४	४	३	२९
			डकैती	...	...	...	...	...	२	...	...	...
			राहजनी	...	...	...	...	...	१	...	१	...
			कत्ल	...	३	२	१	...	२	२	...	...
			बलवे	...	...	...	...	...	४	१	...	...
५	चान्दपुर	...	चोरी	...	२४	२	१	१९	१९	१	३	१२
			डकैती	...	...	...	...	...	१	...	...	१
			राहजनी	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			कत्ल	...	१	...	१	...	२	...	१	१
			बलवे	...	३	३	...	...	५	१	१	...
६	गाजीपुर	...	चोरी	...	२०	४	३	१३	३२	७	४	१९
			डकैती	...	...	...	...	...	१	१	...	...
			राहजनी	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			कत्ल	...	३	२	१	...	१	...	...	१
			बलवे	...	४	२	...	...	५	२	१	...
७	खखरेरू	...	चोरी	...	१८	...	...	१५	३६	७	१	२४
			डकैती	...	...	...	...	...	४	१	३	...
			राहजनी	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			कत्ल	...	५	२	२	१	४	१	३	...
			बलवे	...	१	...	१	...	२	...	...	...

क्रम-संख्या	नाम थाना	जुर्म		रिपोर्ट	सजा	रिहा	फाइनल रिपोर्ट	रिपोर्ट	सजा	रिहा	फाइनल रिपोर्ट
१	२	३		४	५	६	७	८	९	१०	११
				सन् १९५५				सन् १९५६			
८	खागा	... चोरी	...	४६	८	१	३४	६४	१३	२	४२
		डकैती	...	१	...	१	...	२	१	...	...
		राहजनी	...	...	...	...	...	२	१	...	...
		कत्ल	...	...	...	...	...	२	...	...	१
		बलवे	...	१	...	१	...	३	१	...	...
९	किशुनपुर	... चोरी	...	१७	२	...	१२	३७	४	३	२५
		डकैती	...	...	...	...	...	१	...	...	...
		राहजनी	...	१	१	...	...	...	...	...	...
		कत्ल	...	२	१	१	...	३	१	...	...
		बलवे	...	१	...	...	...	१	...	१	...
१०	कल्यानपुर	... चोरी	...	४५	६	१	३५	८०	११	१	५८
		डकैती	...	१	...	...	१	१	...	...	...
		राहजनी	...	...	...	...	...	१	...	१	...
		कत्ल	...	५	८	...	१	२	...	१	१
		बलवे	...	३	...	१	...	३	...	१	...

११	थिर्याओं ...	चोरी	...	३०	४	१	२२	४५	५	२	३४
		डकैती	...	१	१	...	...	...	...	...	...
		राहजनी	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		कत्ल	...	४	३	१	...	३	१	२	...
		बलवे	...	२	...	२	...	१	...	१	...
१२	हुसैनगंज ...	चोरी	...	३५	४	३	२४	४०	४	३	२९
		डकैती	...	...	...	...	...	१	१	...	...
		राहजनी	...	१	१	...	...	१	...	१	...
		कत्ल	...	४	२	..	...	५	१	२	१
		बलवे	...	...	...	...	...	१	...	...	...
१३	हथगाम ...	चोरी	...	३०	७	...	२०	५३	४	१	३८
		डकैती	...	...	...	...	...	२	..	..	...
		राहजन	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		कत्ल	...	२	...	१	१	४	...	१	२
		बलवे	...	३	१	२	...	४	...	...	१

नत्थी—"घ"

(देखिये प्रश्न-संख्या ८० का उत्तर पृष्ठ १२ पर)

सूची (ख)

जिला फतेहपुर में १५ अप्रैल, १९५७ तक पकड़े गये भ्रष्टाचार के मामलों का विवरण

१—केस भ्रष्टाचार के पकड़े—२४।

२—केस भ्रष्टाचार की जांच की गई—२४।

३—कार्यवाही की गई—

(क) धारा ७ पुलिस ऐक्ट की कार्यवाही हो रही है—५

(ख) नौकरी से डिस्चार्ज हुआ—१

(ग) विभागीय कार्यवाही हो रही है—८

(घ) हिस्ट्री सीट खुल गई—१

(ङ) विभागीय सजा दी गई—५

(च) जुर्म साबित नहीं हुआ—१

(छ) मुकदमा कायम करके कार्यवाही की जा रही है—१

(ज) मुकदमा धारा १६१ व धारा ५/२ प्रिवेन्शन आफ करप्शन ऐक्ट अदालत सेशन में चल रहा है—२

नत्थी "ङ"

(देखिय प्रश्न संख्या ८३ का उत्तर पृष्ठ १३ पर)

सूची (क)

विश्वविद्यालय अनुदान समिति के कार्य करने की प्रणाली

१—उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान देने में शासन को परामर्श देना।

२—विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से प्राप्त हुये व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव विशेषतः जो अनुसन्धान एवं विशेष ज्ञान की विकास योजनाओं से संबंधित है उन्हें शासन के पास संस्तुतियों सहित प्रेषित करना।

३—सम्बन्धित विश्वविद्यालय से पूर्ण परामर्श करने के पश्चात् अनुसन्धान की विकास एवं विस्तार सम्बन्धी नयी योजनाओं को सरकार के समक्ष रखना, जिसमें विश्वविद्यालय भी राष्ट्र कल्याण की उन्नति में प्रभावशाली अंग सिद्ध हो सके।

४—विश्वविद्यालय की सम्पत्ति का मूल्यांकन करना तथा उनकी देखरेख के संबंध में आख्या करना।

५—समिति समय-समय पर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का निरीक्षण करेगी, जिससे वह इस बात का निश्चय कर सके कि उनके द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त व्यय के प्रस्ताव एवं योजनाएं कहां तक आवश्यक हैं। स्थानीय निरीक्षण द्वारा समिति यह भी निश्चय करेगी कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के द्वारा, जो धन समिति की संस्तुति पर सरकार से अनुसंधान तथा विकास योजनाओं के लिये प्राप्त हुआ है उसके उपयोग से अनुसन्धान एवं विकास के कार्य की कितनी उन्नति हो रही है।

नत्थी "च"

(देखिये प्रश्न संख्या ८४ का उत्तर पृष्ठ १३ पर)

सूची (ख)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय	समिति की संस्तुति		शासन की स्वीकृति	
	रु०		रु०	
वर्क्स शाप के भवन के निर्माण के लिये	२३,०००		२३,०००	
जुलाजिकल प्रयोगशाला के पुनर्वासन के लिये	१०,०००		१०,०००	
रसायन विभाग के भवन के विस्तार क लिये	१०,०००		१०,०००	
विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लिये सज्जा	२०,०००		२०,०००	
तेलियरगंज हाउसिंग स्कीम	१,०१२	४ आ०	१,०१२	४ आ०
दो नल कूपों के निर्माण के हेतु	३५,९८७		३५,९८७	
रसायन प्रयोगशाला के लिये	२२,०००		२२,०००	
परीक्षा के लिये फर्नीचर क्रय करने के लिये	२०,०००		२०,०००	
वैभागिक टेलीफून के हेतु	६,०००		६,०००	
स्थायी लेक्चरर इन्डो-ईरानियन लिंगुयुस्टिक्स के लिये	१,२००		१,२००	
इन्डो-ईरानियन लिंगुयुस्टिक्स के पुस्तकों के लिये	२,४००		२,४००	
भौतिक विभाग की उन्नति के लिये सज्जा	४८,४००		४८,४००	
५ लेक्चरर १ ड्राफ्टसमैन १ लेबोटेरी सहायक १ ग्लास ग्लोवर १ लिपिक, १ ड्राइंग इन्स्ट्रक्टर, १ संगीत तथा चिकित्सालय के लिये औषधि के लिये	११,६००		११,६००	
उच्च विज्ञान की प्रगति के लिये तथा अनुसन्धान के हेतु	८७,५००		८७,५००	
योग..	२,९९,०९९	४	२,९९,०९९	४

लखनऊ विश्वविद्यालय	समिति की संस्तुति	शासन की स्वीकृति
	रु०	रु०
साइकिल स्टैन्ड ..	६,०००	६,०००
बिजली के पंखों के लिये मनोविज्ञान प्रयोग-शाला के लिये	७,०००	७,०००
कानूनी पुस्तकों के लिये	५,०००	५,०००
ह्यूमिनिटी फलाक	१,१५,०००	१२,०००
बाटनी विभाग के लिये सज्जा के क्रय हेतु	...	१,००,०००
बाटनी विभाग	७,५००	७,५००
फिजिक्स विभाग	१०,०००	१०,०००
रसायन विभाग	१०,०००	१०,०००
जूलोजी विभाग	५,०००	५,०००
गणित विभाग	२,५००	२,५००
जियोलोजी विभाग	३,७५०	३,७५०
अंथ्रापालोजी विभाग	२,५००	२,५००
फिजिक्स वर्क शाप	८,३३३	८,३३३
विज्ञान वर्क शाप	२०,०००	२०,०००
असम्मिलित पदों (अनकवर्ड) के लिये व नय अध्यापकों के लिये	९४,८६६	...
योग...	२,९४,४४९	१,९९,५८३

महाविद्यालयों	समिति की संस्तुति	शासन की स्वीकृति
	रु०	रु०
अच्छे और अधिक छात्रावासों के हेतु	३,००,०००	३,००,०००
पुस्तकालय के लिये अच्छी सुविधाओं के लिये	१,००,०००	१,००,०००
फर्नीचर, भवन निर्माण, विज्ञान सज्जा, कल-कुलेटिंग मशीन के हेतु	४,००,०००	४,००,०००
योग ...	८,००,०००	८,००,०००

नत्थी "क"

(देखिये प्रश्न संख्या १७ का उत्तर पृष्ठ १४ पर)

जिला फतेहपुर में अप्रैल, १९५४ से मार्च, १९५७ तक दफा १०७ के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमों का विवरण

नाम थाना	सन्	चालान हुये	सुलह हुई	सजा हुई
१—कोतवाली	१९५४–५५	२६	२६	...
	१९५५–५६	१२	१२	...
	१९५६–५७	१५	१३	२
२—बिन्दकी	१९५४–५५	१४	...	२
	१९५५–५६	७	२	३
	१९५६–५७	११	३	३
३—जहानाबाद	१९५४–५५	१०	...	३
	१९५५–५६	१०	२	३
	१९५६–५७	३	...	२
४—चांदपुर	१९५४–५५	८	३	४
	१९५५–५६	४	२	१
	१९५६–५७	४	४	...
५—गाजीपुर	१९५४–५५	१४	११	१
	१९५५–५६	११	११	...
	१९५६–५७	१५	९	४
६—ललौली	१९५४–५५	३	१	१
	१९५५–५६	४	१	
	१९५६–५७	७	५	..

नाम थाना	सन्	चालान हुये	सुलह हुई	सजा हुई
७—खागा	१९५४–५५	१०	३	५
	१९५५–५६	१६	९	५
	१९५६–५७	१३	७	१
८—बकरेह	१९५४–५५	३६	१२	१५
	१९५५–५६	३७	३१	..
	१९५६–५७	१५	७	...
९—किशुनपुर	१९५४–५५	८	७	१
	१९५५–५६	१५	१३	२
	१९५६–५७	११	७	...
१०—हथगाम	१९५४–५५	२६	...	६
	१९५५–५६	१४	९	२
	१९५६–५७	२२	७	१
११—थरियांव	१९५४–५५	९	९	...
	१९५५–५६	३	१	...
	१९५६–५७	११	७	...
१२—कल्यानपुर	१९५४–५५	१३	६	२
	१९५५–५६	६	२	१
	१९५६–५७	१२	३	...
१३—हुसेनगंज	१९५४–५५	५	५	...
	१९५५–५६	३	२	...
	१९५६–५७	४	१	..

पी० एस० यू० पी०—११७ एल० सी०—१९५७—८०० (प्रो०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

बुधवार, २ श्रावण, शक संवत् १८७९ (२४ जुलाई, सन् १९५७ ई०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (४५)

अजय कुमार बसु, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
उमा नाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
नरोत्तम दास टंडन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पुष्कर नाथ भट्ट, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
पृथ्वी नाथ, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
मदन मोहन लाल, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम गुलाम, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पांडे, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
विश्वनाथ, श्री
वीर भान भाटिया, डाक्टर
ब्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
हयातुल्ला अंसारी, श्री

निम्नलिखित मंत्री, राज्य मंत्री व उपमंत्री, जो कि विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे:—

श्री हुकुम सिंह (कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, सहायता एवं पुनर्वास मंत्री)।
श्री सैयद अली जहीर (न्याय, वन, खाद्य व रसद मंत्री)।
श्री मोहन लाल गौतम (सहकारी मंत्री)।
श्री कैलाश प्रकाश (शिक्षा उपमंत्री)।
श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी (उद्योग उपमंत्री)।
श्री गिरधारी लाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)।
श्री आचार्य जुगल किशोर (समाज कल्याण व श्रम मंत्री)।
श्री विचित्र नारायण शर्मा (स्वशासन मंत्री)।
डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी (स्वास्थ्य उपमंत्री)।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

मथुरा जिले में दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी डिस्पेन्सरियों की स्थापना

*१---श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)---(क) मथुरा जिले में दूसरी पंचवर्षीय योजना की कालावधि के अन्तर्गत सरकार द्वारा कितनी और ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी डिस्पिंसरियों की स्थापना की योजना है ?

(ख) वे कहां और कब स्थापित की जायेंगी ?

(ग) उन पर सरकार का कितना आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय होगा ?

1. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*Teachers' Constituency*) (*absent*)—(*a*) How many more Allopathic, Ayurvedic and Unani Dispensaries are planned to be established by the Government during the Second Five-Year Plan in Mathura District ?

(*b*) When will they be established and where ?

(*c*) What will be the recurring and non-recurring expenditure of Government on them ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी (स्वास्थ्य उपमंत्री)---(क) मथुरा जिले में दूसरी पंचवर्षीय योजना की कालावधि के अन्तर्गत सरकार द्वारा एक एलोपैथिक और एक आयुर्वेदिक या यूनानी डिस्पेंसरी स्थापित करने की योजना है।

(ख) इन डिस्पेन्सरियों के स्थापित किये जाने के स्थान का निर्णय समय आने पर किया जायगा। एलोपैथिक डिस्पेंसरी सन् १९५८-५९ में और आयुर्वेदिक या यूनानी डिस्पेंसरी सन् १९५९-६० में स्थापित की जायगी।

(ग) एक एलोपैथिक डिस्पेंसरी पर आवर्त्तक और अनावर्त्तक व्यय क्रमशः ७,३६८ रु० और ५,००० रु० होगा और एक आयुर्वेदिक या यूनानी डिस्पेंसरी पर क्रमशः ४,८३० रु० और और २,२३० रु० होगा।

Doctor Jawahar Lal Rohatagi (*Deputy Minister for Health*)—(*a*) One Allopathic and one Ayurvedic or Unani Dispensary is planned to be established in Mathura District during the Second Five-Year Plan.

(*b*) The Allopathic Dispensary will be established during 1958-59 while the Ayurvedic or Unani Dispensary will be established during the year 1959-60. The exact location of these dispensaries will be decided at the appropriate time.

(*c*) Recurring and non-recurring expenditure on the Allopathic Dispensary will be Rs.7,368 and Rs.5,000 respectively and that on the Ayurvedic or Unani Dispensary it will be Rs.4,830 and Rs.2,230 respectively.

श्री चेयरमैन--एक तार मुझे अभी श्री हृदय नारायण सिंह का मिला है, जिसमें लिखा है कि:

"Unable to attend Council Wednesday. Please postpone questions another turn."

इस संबंध में मुझे यह कहना है कि पहिले इस तरह का एक तार श्री कन्हैया लाल गुप्त का भी आया था और आज श्री हृदय नारायण सिंह का आया है। इस प्रकार प्रश्नों को स्थगित करने में काफी दिक्कत होती है, प्रश्नोत्तर प्रेस में छप जाते हैं और लोग इंतजार में रहते हैं। जो सदस्य चाहते हैं कि उनके प्रश्न स्थगित कर दिये जायं उन्हें तीन दिन पहले खबर दे देनी चाहिये ताकि सरकार को समय पर खबर भेजी जा सके और वे प्रश्न दिन के कार्यक्रम में छापे न जायं। यदि इतना सहयोग सदस्य हमारे आफिस के साथ करेंगे, तो हमें और सरकार को बहुत मदद मिलेगी।

*२---४---**श्री हृदय नारायण सिंह** (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)---[स्थगित]

मलाका जेल, इलाहाबाद में नये अस्पताल के निर्माण का रोका जाना

*५---**श्री अजय कुमार बसु** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---(क) क्या सरकार बतायेगी कि क्या यह ठीक है कि मलाका जेल, इलाहाबाद के नये अस्पताल बनाने का काम हाल ही में रोक दिया गया है?

(ख) यदि हां, तो क्यों?

*5. **Sri Ajay Kumar Basu** (*Legislative Assembly Constituency*)—(*a*) Will the Government state if it is a fact that the construction of the new Hospital at Malaka Jail site at Allahabad has been recently stopped?

(*b*) If so, why?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी---(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Doctor Jawahar Lal Rohatagi—(*a*) No.

(*b*) Does not arise.

प्रदेश में रूरल यूनिवर्सिटी की स्थापना

*६---**श्री कन्हैया लाल गुप्त** (अनुपस्थित)---क्या यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का विचार राज्य में एक रूरल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का है?

*6. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*)—Is it a fact that the Government of Uttar Pradesh intend to establish a Rural University in the State?

श्री हुकुम सिंह (कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, सहायता व पुनर्वास मंत्री)---उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि राज्य में एक रूरल यूनिवर्सिटी स्थापित होनी चाहिये।

Sri Hukum Singh (*Minister for Agriculture, Animal Husbandry, Health, Relief and Rehabilitation*)—The Government of Uttar Pradesh have suggested to the Government of India that a Rural University should be established in the State.

*७—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)—यदि हां, तो उस विश्वविद्यालय की कब तक और कहां स्थापित होने की संभावना है ?

*7. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*)—If so, when is the University likely to be established and where ?

श्री हुकुम सिंह—यह सुझाव दिया गया है कि विश्वविद्यालय रुद्रपुर में स्थापित हो। भारत सरकार द्वारा निर्णय लेने के पश्चात् ही समय निश्चित किया जावेगा।

Sri Hukum Singh—It was suggested that the University be established at Rudrapur. The time factor will be determined after a decision is taken by the Government of India.

*८—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस प्रस्तावित योजना पर वार्षिक आवर्तक तथा अनावर्तक आर्थिक व्यय को देगी ?

*8. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*)—Will the Government give the annual recurring and non-recurring financial expenditure on the proposed project ?

श्री हुकुम सिंह—प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ब्योरा कार्यान्वित नहीं किया गया है।

Sri Hukum Singh—The question does not arise as the details have still to be worked out.

*९—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)—इस व्यय का कौन सा भाग, यदि कोई हो, केन्द्रीय सरकार से मिलने वाला है ?

*9. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*)—What portion of this expenditure, if any, is likely to be met by the Central Government ?

श्री हुकुम सिंह—अभी प्रश्न नहीं उठता।

Sri Hukum Singh—The question does not arise at present.

*१०—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उपर्युक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये कोई विधान पुर: स्थापित करने का है ?

*10. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*)—Does the Government intend to introduce a Legislation for the establishment of the said University in the near future ?

श्री हुकुम सिंह—यदि भारत सरकार राज्य सरकार के सुझाव को मान लेती है तो राज्य सरकार रूरल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का विधान प्रस्तुत करेगी।

Sri Hukum Singh—If our suggestions are accepted by the Government of India, the State Government will introduce legislation for the establishment of a Rural University.

*११—१३—श्री पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—(कौंसिल के वर्तमान सत्र के प्रथम सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १९–२१ के रूप में रक्खे गये।)

*१४—१७—श्री पन्ना लाल गुप्त—(कौंसिल के वर्तमान सत्र के प्रथम गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १५–१८ के रूप में रक्खे गये।)

बिन्दकी चिकित्सालय में वार्ड की कमी से मरीजों को कष्ट

*१८--श्री पन्ना लाल गुप्त--(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बिन्दकी चिकित्सालय में वार्ड की कमी के कारण मरीज बाहर मैदान में पड़े रहते हैं?

(ख) यदि हां, तो सरकार इसका क्या उपाय करने जा रही है?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--यह कथन कि मरीज बाहर मैदान में पड़े रहते हैं, ठीक नहीं है। अस्पताल में केवल ५ शय्यायें हैं। भीड़ होने पर रोगियों को बराम्दे में रखना पड़ता है। ४ शय्याओं का एक वार्ड बनवाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बराम्दे में कितने मरीजों के रहने की जगह है?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--करीब ४ मरीज रहते हैं।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या मंत्री महोदय इसकी कोई जांच करायेंगे कि मरीज आमतौर से बाहर रहते हैं और जो इत्तिला दी गयी है, वह गलत है?

श्री हुकुम सिंह--इसकी कोई जरूरत नहीं मालूम होती है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--यह सरकार ने जो जवाब दिया है कि मरीज बाहर नहीं रहते हैं किस बिना पर दिया है?

श्री चेयरमैन--प्रश्नों के समय बहस नहीं हो सकती। केवल सूचना मांगी जा सकती है।

जजमवैइया जिला फतेहपुर के एक धनी सज्जन द्वारा दान में दी गई चिकित्सालय के लिए इमारत

१९--श्री पन्ना लाल गुप्त--(क) क्या यह ठीक है कि जजमवैइया, जिला फतेहपुर के एक धनी सज्जन ने जो चिकित्सालय की इमारत सरकार को बनवाकर दान में दी थी, उस पर सरकार ने नवम्बर, १९५६ से चिकित्सालय खोलने का आदेश दिया था?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने वहां के लिये डाक्टर व कम्पाउन्डर का इन्तजाम कब किया?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--(क) जी हां।

(ख) डाक्टर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। डाक्टर को भेजने की कोशिश हो रही है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि डाक्टर कब तक भेज देंगे?

श्री हुकुम सिंह--इन्तजाम कर रहे हैं। जिस वक्त मिल जायेंगे, जरूर भेजने की कोशिश करेंगे। इसके लिये हम काम जल्दी कर रहे हैं। मैं एक बात कह देना चाहता हूं। हमारे सूबे में लगभग ९० डिस्पेन्सरीज ऐसी हैं, जहां पर डाक्टर का अभाव है। डाक्टर एक ऐसी चीज है जो कि एक टैक्निकल आदमी होता है। साधारण बी० ए०, एम० ए० या बी० एस-सी०, एम० एस-सी० से काम नहीं चल सकता है। अगर इनसे काम चल जाता तो हम अस्पतालों को डाक्टरों से भर देते। अब कानपुर में एक मेडिकल कालेज पहली अगस्त से खुल रहा है, इस तरह से आगरा, लखनऊ और कानपुर से मेडिकल कालेजों से आशा की जाती है कि हमारा काम कुछ वर्षों में पूरा हो जायेगा। लिहाजा अगर हम कहीं फिलहाल

डाक्टर न भेज सके तो हमें सब्र से काम करना है। जब हमारे पास ज्यादा डाक्टर हो जायेंगे तो ऐसी शिकायत नहीं रहेगी।

*२०--श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार को ज्ञात है कि डाक्टर व कम्पाउन्डर न होने से उपर्युक्त चिकित्सालय का सारा सामान अभी तक (१५-४-१९५७) सदर चिकित्सालय में पड़ा हुआ है ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--चूंकि अस्पताल अभी चल नहीं रहा है, इसलिये हिफाजत के ख्याल से सामान सदर अस्पताल में रक्खा है।

चांद व हथगांव जिला फतेहपुर के सरकारी चिकित्सालयों के भवनों की खराब हालत

*२१--श्री पन्ना लाल गुप्त--(क) क्या यह ठीक है कि चांदपुर व हथगांव, जिला फतेहपुर के सरकारी चिकित्सालयों की कोई इमारत नहीं है और जो किराये की है उनकी भी हालत खराब है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वहां इमारत बनवाने के लिये विचार कर रही है ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--(क) जी हां।

(ख) जी हां।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इसको बनवाने का प्रबन्ध कब तक कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह--हमारे राज्य में एक काफी तादाद देहाती रकबे में उन अस्पतालों की है, जहां पर सरकारी इमारत नहीं है। हमारी एक योजना है कि हम हर साल कुछ इमारतें बनवाना शुरू कर देंगे ताकि चन्द सालों में उनकी जरूरियातें पूरी हो सकें। इस साल भी हमने बजट में रुपया रखा है और बजट के पास होने के बाद हम जगह छाटेंगे कि कहां से शुरुआत करें ताकि वह स्कीम लागू हो। एकबारगी सभी जगह अस्पताल बनवाना धनाभाव के कारण असंभव प्रतीत होता है, लिहाजा हमें सावधानी से काम करना है और योजना के अनुसार करना है। अतः इस मौके पर यह कह देना कि कब तक बनवा देंगे, मुश्किल है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हमारे प्रदेश में कितने अस्पताल ऐसे हैं, जिनमें बिल्डिंग्स नहीं हैं ?

श्री हुकुम सिंह--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

जिला चिकित्सालय फतेहपुर व श्री मदन मोहन मालवीय आंख चिकित्सालय का एकीकरण

*२२--श्री पन्ना लाल गुप्त--(क) क्या यह सत्य है कि जिला फतेहपुर चिकित्सालय व श्री मदन मोहन मालवीय आंख चिकित्सालय को एक में कर दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस चिकित्सालय के नाम का पुनः नामकरण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार को ज्ञात है कि भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी जब वहां गये थे तो उन्होंने वायदा किया था कि इन दोनों अस्पतालों को एक में कर देंगे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने भी कह दिया था कि हम दे देंगे ?

श्री हुकुम सिंह--प्राविन्शियलाइजेशन करने का प्रश्न अभी जेरे गौर है।

कानपुर के सरकारी अस्पतालों में आनरेरी डाक्टरों से कार्य न लिये जाने का आदेश

*२३--**श्रीमती तारा अग्रवाल** (नाम निर्देशित)--(क) क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के सभी सरकारी अस्पतालों के आनरेरी डाक्टरों को हाल ही में कार्य न करने के नोटिस सर्व हुए हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--(क) जी हां। किन्तु बाद में ये नोटिस वापस ले लिये गये हैं।

(ख) इन आनरेरी डाक्टरों की नियुक्ति कानपुर के अस्पतालों में मेडिकल कालेज की स्थापना के पूर्व हुई थी। मेडिकल कालेज की स्थापना के बाद यह प्रस्ताव सरकार के सामने आया कि कालेज के अस्पताल में वैतनिक डाक्टरों की नियुक्ति और अस्पतालों में प्रशिक्षण की व्यवस्था चालू होने के बाद आनरेरी डाक्टर के कार्य के साथ कालेज के कार्यक्रम का समन्वय होने में कठिनाई होगी। इस प्रस्ताव के आधार पर नोटिस दिये गये थे। चूंकि यह प्रश्न पुनः विचाराधीन है, इसलिये नोटिस वापस कर लिये गये।

*२४--**श्रीमती तारा अग्रवाल**--क्या उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में आनरेरी डाक्टरों द्वारा कार्य कराया जाना बन्द हो रहा है ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--जी नहीं। अभी बन्द नहीं किया गया है, परन्तु यह महत्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय है।

श्रीमती तारा अग्रवाल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह वैतनिक और अवैतनिक की कठिनाई किस प्रकार से हल होगी ?

श्री हुकुम सिंह--अगर यही हल हो जाता तो मैं ठीक-ठीक जवाब दे देता। अभी वह मसला विचाराधीन है और गौर करने के बाद ही इसके बारे में कुछ किया जा सकता है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कितने अवैतनिक डाक्टर इस समय कानपुर में हैं ?

श्री हुकुम सिंह--लगभग १६ हैं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--इनमें लेडीज कितनी हैं और जेन्ट्स कितने हैं ?

श्री हुकुम सिंह--इसके आंकड़े इस वक्त मेरे पास नहीं हैं।

श्रीमती तारा अग्रवाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यदि कोई आनरेरी कार्य करना चाहे तो उसकी अनुमति मिल सकती है ?

श्री हुकुम सिंह--अभी यह सवाल जेरे गौर है, इस लिये इसका अब कोई सवाल ही नहीं उठता है।

*२५—२६—श्री पन्ना लाल गुप्त—(यह प्रश्न वर्तमान सत्र के प्रथम गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ८५-८६ के रूप में निर्धारित किये गये।)

प्रदेश में अनाथालयों तथा विधवा आश्रमों के लाइसेंस

*२७—श्रीमती तारा अग्रवाल—क्या अब उत्तर प्रदेश में अनाथालयों तथा विधवा आश्रमों को चलाने के लिये लाइसेंस लेना आवश्यक हो गया है?

श्री आचार्य जुगल किशोर (श्रम तथा समाज कल्याण मंत्री)—जी नहीं।

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था अधिनियम, १९५६ का लागू होना

*२८—श्रीमती तारा अग्रवाल—क्या उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६, प्रदेश में लागू हो गया है?

श्री आचार्य जुगल किशोर—जी नहीं।

*२९—श्रीमती तारा अग्रवाल—यदि नहीं, तो उसके कब से लागू किये जाने की संभावना है?

श्री आचार्य जुगल किशोर—अधिनियम को निकट-भविष्य में लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्रीमती तारा अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने अरसे से इस पर विचार हो रहा है?

श्री आचार्य जुगल किशोर—इस संबंध में हमारे यहां नियम बन रहे हैं। जब नियम बन जायेंगे, तो बहुत जल्द लागू हो जायेंगे।

बाकरगंज, फतेहपुर के बाजार में दुर्बल गायों का विक्रय

*३०—श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या यह ठीक है कि प्रदेश के कुछ बाजारों में, जैसे कि बाकरगंज, फतेहपुर में, बाजार के दिन दुर्बल गायें अधिक संख्या में बेची जाती हैं?

*30. **Sri Badri Prasad Kacker** (*Legislative Assembly Constituency*)—Is it a fact that emaciated cows are being sold in large number in some of the markets of the State on market days, such as Bakarganj at Fatehpur?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—बाकरगंज बाजार (जिला फतेहपुर) में बाजार के दिन, जो कि प्रत्येक शनिवार को लगता है, सभी प्रकार के स्वस्थ तथा रुग्णपशु, जिनमें गायें भी होती हैं, बिकते हैं।

Dr. Jawahar Lal Rohatagi—All kinds of cattle, including cows, healthy and emaciated, are sold on the market days (held on Saturdays) at Bakarganj Cattle Market, Fatehpur.

*३१—श्री बद्री प्रसाद कक्कड़—यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि खरीददार इन गायों का निस्तारण किस प्रकार करते हैं?

*31. **Sri Badri Prasad Kacker**—If so, will the Government state these cows are disposed of by the purchasers?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--सरकार के पास कोई ऐसा विश्वस्त सूत्र नहीं है, जिससे यह पता लगाया जाय कि खरीदार ऐसे जानवरों का कैसे निस्तारण करते हैं।

Dr. Jawahar Lal Rohatagi—The Government have no reliable source to ascertain how the purchasers dispose them off.

Sri Badri Prasad Kacker—Sir, is it a fact that these emaciated cows are sold for the purpose of slaughter ?

Dr. Jawahar Lal Rohatagi—It is possible, but we have got no information.

Sri Badri Prasad Kacker—Is it a fact that the sale of hide in these markets in the year is to the extent of Rs.85 lakh.

Dr. Jawahar Lal Rohatagi—I require notice for this.

Sri Badri Prasad Kacker—Is there no Gosadan for the protection of cows there in the district ?

श्री हुकुम सिंह--कानपुर में तो है, फतेहपुर के बारे में नोटिस की जरूरत है।

Sri Badri Prasad Kacker—If there is none, will the Government provide one in the district ?

श्री चेयरमैन--किसी संबंध में कार्यवाही विशेष का सुझाव प्रश्नों के समय नहीं दिया जा सकता है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि गोसदन कितने हैं और कहां कहां हैं ?

श्री चेयरमैन--आप का यह प्रश्न मूल प्रश्न के उत्तर से नहीं निकलता है।

प्रदेश में संक्रामक बीमारियों के अस्पताल

*३२--**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--(अनुपस्थित)--राज्य के किन-किन नगरों में संक्रामक बीमारियों के अस्पताल हैं ?

*32. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*)—Which of the towns have Infectious Diseases Hospitals in the State ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--निम्नलिखित नगरों में संक्रामक बीमारी के अस्पताल हैं :

(क) राज्य द्वारा चलाये जाने वाले संक्रामक बीमारी के अस्पताल :--

१--कानपुर,
२--मिर्जापुर,
३--हरद्वार,
४--अयोध्या,
५--वृन्दावन।

(ख) नगरपालिकाओं द्वारा चलाये जाने वाले संक्रामक बीमारी के अस्पताल :--

६--लखनऊ,
७--वाराणसी,
८--इलाहाबाद,
९--सहारनपुर,

१०--झांसी,
११--गोरखपुर,
१२--देहरादून,
१३--मथुरा,
१४--गोंडा,
१५--मंसूरी
१६--आगरा
१७--अलीगढ़,
१८--सीतापुर,
१९--मेरठ, और
२०--ऋषीकेश।

Dr. Jawahar Lal Rohatagi—The following towns have Infectious Diseases Hospitals :

A—State Infectious Diseases Hospitals.

1. Kanpur.
2. Mirzapur
3. Hardwar.
4. Ayodhya.
5. Vrindaban.

B—I. D. Hospitals run by Municipal Boards.

6. Lucknow;
7. Varanasi;
8. Allahabad;
9. Saharanpur;
10. Jhansi;
11. Gorakhpur
12. Dehra Dun;
13. Mathura;
14. Gonda;
15. Mussoorie;
16. Agra;
17. Aligarh ;
18. Sitapur ;
19. Meerut and
20. Rishikesh.

*३३--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार कृपया अनावर्तक तथा आवर्तक खर्चे का योग बतायेगी, जो राज्य द्वारा इन अस्पतालों पर पिछले तीन वर्षों में व्यय किया गया, और

(ख) उनमें से प्रत्येक में कितने मरीज भरती हुए तथा कितने स्वस्थ हुए?

*33. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*)—(*a*) Will the Government please give the total of non-recurring and recurring expenditure incurred by the State on these hospitals during the last three years, and

(*b*) the number of patients admitted and cured in each of them ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--(क) १,९६,८९९ रु० १५ आ० जिसके अन्तर्गत निम्नांकित व्यय शामिल हैं:

(क) ५ राजकीय संक्रामक बीमारी के अस्पतालों पर किया गया व्यय ... ... १,८०,३९८ रु० २ आ०

(ख) ऋषीकेश के संक्रामक बीमारी के अस्पताल को १९५५-५६ में दिया गया अनुदान ... ... १०,६५४ रु०

(ग) अप्रैल से सितम्बर तक ऋषीश के संक्रामक बीमारी में भेजे जाने वाले मेडिकल आफिसर के वाहन भत्ता तथा महंगाई संबंधी व्यय ... ... ५,८४७ रु० १३ आ०

(ख)--

अस्पताल		रोगी	
		भरती हुए	स्वस्थ हुए
१--लखनऊ	...	६०३८	५,५०७
२--कानपुर	...	२,३७८	१,७९१
३--वाराणसी	...	६३४	५७१
४--इलाहाबाद	...	१,९६९	१,९१४
५--सहारनपुर	...	९२	७६
६--झांसी	...	...	...
७--गोरखपुर	...	३८९	३१२
८--देहरादून	...	२४४	२०७
९--मथुरा	...	१३४	१३०
१०--गोंडा	...	९३	७८
११--अलीगढ़	...	१२१	९७
१२--आगरा	...	१,१७१	९९५
१३--मंसूरी	...	४६	४३
१४--सीतापुर	...	८०	७३

अस्पताल		रोगी	
		भरती हुये	स्वस्थ हुये
१५—मेरठ	...	५९	४७
१६—अयोध्या	...	१३२	१२७
१७—हरद्वार	...	११६	१२८
१८—मिर्जापुर	..	११७	१८७
१९—वृन्दाबन	..	५०	४७
२०—ऋषिकेश	..	४४	४१

Dr. Jawahar Lal Rohatagi—(*a*) Rs. 1,96,899-15 including—

(*a*) Rs. 1,80,398-2 on the 5 State Infectious Diseases Hospitals.

(*b*) Rs. 10,654 given in 1955-56 to I. D. Hospital, Rishikesh.

(*c*) Rs. 5,847-13 on T. A. and D. A. of Medical Officer posted to I. D. Hospital, Rishikesh, every year from April to September.

(*b*) These are as follows:

Hospital	Patients	
	Admitted	Cured
1. Lucknow	6038	5507
2. Kanpur	2378	1791
3. Varanasi	634	571
4. Allahabad	1969	1914
5. Saharanpur	92	76
6. Jhansi	..	..
7. Gorakhpur	389	312
8. Dehra Dun	244	207
9. Mathura	134	130
10. Gonda	93	78
11. Aligarh	121	97
12. Agra	1171	995
13. Mussoorie	46	43
14. Sitapur	80	73
15. Meerut	59	47
16. Ayodhya	132	127

	Hospitals	Patients	
		Admitted	Cured
17	Hardwar	196	128
18	Mirzapur	197	187
19	Vrindaban	50	47
20	Rishikesh	44	41

*३४—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रत्येक में कितने मेडिकल अफसर तथा दूसरा स्टाफ नियुक्त है ?

*34 **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*)—Will the Government please state the number of Medical Officers and other Staff employed in each ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—आवश्यक सूचना देने वाली तालिका* संलग्न है।

Dr. Jawahar Lal Rohatagi—A statement† containing the necessary information is attached.

प्रदेश के सरकारी टी० बी० अस्पतालों में १९५५-५६ में इलाज किये गये मरीजों की संख्या

*३५—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार प्रदेश के सरकारी टी० बी० अस्पतालों में सन् १९५५ और १९५६ में इलाज किये गये इन्डोर और आउटडोर के मरीजों की संख्या बतायेगी ?

*35 **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Will the Government give the number of indoor and outdoor patients treated in the Government T. B. Hospitals of the State during the years 1955 and 1956.

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—१९५५	...	३,५८८	इनडोर
	...	७०,६८७	आउटडोर
१९५६	...	३,३९१	इनडोर
		६९,१८७	आउट डोर
Dr. Jawahar Lal Rohatagi—1955	..	3,588	Indoor,
		70,687	Outdoor.
1956	..	3,391	Indoor,
		69,187	Outdoor.

*३६—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार प्रदेश के उपर्युक्त सरकारी टी० बी० के अस्पतालों पर सन् १९५५ और १९५६ में खर्च की गई आवर्तक तथा अनावर्तक रकम की धनराशि बतायेगी ?

*36 **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*)—Will the Government give the recurring and non-recurring expenditure incurred during the years 1955 and 1956 on the said Government T. B. Hospitals of the State ?

*देखिये नत्थी (क) पृष्ठ ११२ पर।

†See Appendix 'A' on page 114.

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--१९५५ ... ११,१७,६६२ रु० आवर्त्तक
५६,३६२ रु० अनावर्त्तक
१९५६ ... ११,८२,३६२ रु० आवर्तक
१२,१७९ रु० अनावर्त्तक

नोट--इसमें उन टी० बी० वार्डों तथा क्लीनिकों का व्यय शामिल नहीं है जो जिला अस्पतालों के साथ स्थापित हैं क्योंकि उनका व्यय जिला अस्पताल के बजट से किया जाता है और इसका हिसाब अलग नहीं रहता।

Dr. Jawahar Lal Rohatagi--1955 .. Rs. 11,17,662 Recurring,
Rs. 56,362 Non-recurring.
1956 .. Rs. 11,82,362 Recurring,
Rs. 12,179 Non-recurring.

Note--This does not include expenditure on the T. B. Clinics and Wards which are attached to District Hospitals as expenditure on them is incurred out of the general budget of the Hospitals and no separate account of expenditure is maintained.

जिला फतेहपुर के सरकारी गोदामों में गल्ले की मिकदार

*३७--श्री पन्ना लाल गुप्त--(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकारी बीज गोदामों शाह, बहुवा, गाजीपुर, विजयपुर, खखरई (जिला फतेहपुर) में कितनी मिकदार में इस समय (१५-४-५७) गल्ला पड़ा हुआ है, और उसकी क्या हालत है ?

(ख) इस गल्ले को बेचे जाने का सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम (सहकारी मन्त्री)--(क) शाह, बहुआ, गाजीपुर व खखरई में १५ अप्रैल, १९५७ को कोई भी गल्ला का स्टाक विक्रयार्थ शेष नहीं था, केवल विजयपुर गोदाम में २२५ मन गेहूं व तीन मन जौ नीलाम करने को शेष था।

(ख) गल्ले का स्टाक १५ मई, १९५७ को नीलाम किया जा चुका है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गल्ला जो नीलाम किया गया, तो कुल कितना गल्ला नीलाम किया गया ?

श्री मोहन लाल गौतम--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

३८--श्री पन्ना लाल गुप्त--[स्थगित (३-६-१९५७ को भेजा गया)]।

डी० सी० डी० एफ०, फतेहपुर के चुनाव के नियम

*३९--श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि डी० सी० डी० एफ०, फतेहपुर का चुनाव कितने समय के लिये होता है और उसमें डाइरेक्टरों की तब्दीली कितने समय पर होना जरूरी है ?

श्री मोहन लाल गौतम --जिला सहकारी संघ, फतेहपुर के चुने हुये सदस्य चुनाव की तिथि से तीन साल की अवधि के लिये होते हैं। अधिक से अधिक ६ साल तक लगातार एक व्यक्ति संघ का संचालक रह सकता है, इसके बाद वह रजिस्ट्रार की विशेष आज्ञा से तीसरी बार चुनाव के लिये खड़ा हो सकता है।

*४०--श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार डी० सी० डी० एफ०, फतेहपुर के चुनाव सम्बन्धी नियमों की एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम--एक प्रति* मेज पर रक्खी गई है ?

श्रमिक बस्ती कानपुर में श्रमिमों के लिये गृहों की आबंटन व्यवस्था

*४१--श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार को ज्ञात है कि द्वितीय सोपान में बनी श्रमिक बस्ती कानपुर के गृहों को श्रमिकों को रहने के लिये नवम्बर, १९५६ तक एलाट (आवंटन) नहीं किये गये थे जबकि सरकार ने उन नये बने हुये गृहों की वार्षिक मरम्मत के लिये ५०,००० रुपये से अधिक का धन व्यय किया है ?

श्री आचार्य जुगल किशोर--जी नहीं ।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह विशेष परिस्थिति कौन सी थी ?

श्री आचार्य जुगल किशोर--विशेष परिस्थिति यह थी कि वे किराये पर नहीं चढ़ रहे थे, इसलिये दूसरों को दे दिये गये । दूसरी बात यह थी कि इसके इन्तजाम करने के सम्बन्ध में जो कर्मचारी थे, उनके पास मकान नहीं थे, उनको भी ये मकान दे दिये गये हैं, लेकिन जब कभी भी श्रमिक मकान मांगेंगे, इन मकानों से इन लोगों को हटाकर उन श्रमिकों को दे दिया जायेगा ।

श्रीमती तारा अग्रवाल--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि अलाट न होने का कारण अभी तक क्या है ?

श्री आचार्य जुगल किशोर--अलाट होना तो नवम्बर सन् ५६ से शुरू हो गया था, लेकिन जो कुछ मकान अभी खाली हैं, तो वे इसलिये खाली हैं क्योंकि वे किराये पर नहीं चढ़े ।

*४२--श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या यह ठीक है कि कानपुर के श्रमिकों के लिये निर्मित आवासों में सरकारी कर्मचारियों को रहने की आज्ञा नहीं दी गई है ?

श्री आचार्य जुगल किशोर--कुछ विशेष परिस्थिति के कारण थोड़े से सरकारी कर्मचारी इन आवासों में रहने दिये गये हैं ।

*४३--श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार को ज्ञात है कि श्रमिक बस्ती श्री हरिहर नाथ शास्त्री नगर, कानपुर में श्रमायुक्त कार्यालय के कुछ अधिकारी रहते हैं ?

श्री आचार्य जुगल किशोर--जी हां ।

*४४--श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार को ज्ञात है कि श्रमिकों के लिये कानपुर में आवास की बहुत कमी है ?

श्री आचार्य जुगल किशोर--कानपुर में श्रमिक बस्तियों के बन जाने के बाद १० रु० महीना तक किराया दे सकने वाले श्रमिक वर्ग के लिये मकानों की कमी की शिकायत अब नहीं होनी चाहिये ।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री तेलू राम (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--स्थगित

श्री कुंवर जगदीश प्रसाद के निधन पर शोकोद्गार

श्री चेयरमैन--मुझे दुख के साथ सदन को सूचना देनी है कि हमारी पुरानी कौंसिल के सदस्य कुंवर सर जगदीश प्रसाद का कल देहान्त हो गया। यद्यपि वे काफी अवस्था प्राप्त कर चुके थे और इस समय उनकी उम्र लगभग ७७ वर्ष की थी, फिर भी देश के एक बड़े आदमी के चले जाने से हम सभी को दुःख होता है। कुंवर जगदीश प्रसाद उन थोड़े से भारतीयों में से थे, जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला करके बहुत बड़ा नाम पैदा किया।

सन् १९०३ में वह सिविल सर्विस में आये और १९२७ में प्रदेश के पहले भारतीय चीफ सेक्रेटरी हुये। १९२७ से १९३५ तक वे पुरानी लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य रहे और उस समय कौंसिल की कार्यवाही में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया।

१९३५ से १९४० तक वे वायसराय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर रहे। १९४० में उन्होंने अवकाश लिया। इसके बाद भी वे अपने प्रदेश के सार्वजनिक कार्यों में बहुत कुछ भाग लेते रहे। यद्यपि उनका दृष्टिकोण हम लोगों से भिन्न था, तब भी अपने काम में वे बहुत दृढ़ थे और अपने प्रदेश का नाम ऊंचा करते रहे। हम सब सदस्य एक मिनट तक खड़े होकर उनकी आत्मा को शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(सदन के सभी सदस्य एक मिनट तक मौन खड़े रहे)

सन् १९५७ ई० का हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंगठन) (संशोधन) विधेयक

श्री कुंवर महावीर सिंह (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के सभा सचिव)--मैं सन् १९५७ ई० के हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंगठन) (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री चेयरमैन--श्री शिव प्रसाद सिन्हा ने सूचना भेजी है कि आज वह नहीं आयेंगे और (हकीम) ब्रज लाल वर्मन भी इस समय सदन में नहीं हैं, इसलिये श्री कुंवर गुरु नारायण अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संकल्प कि जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाने एवं उसके उपाय तथा साधन बताने के लिये विधान मंडल के सदस्यों की एक समिति बनाई जाय

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं :

"This House recommends to Government to set up a Committee of Legislators, two from the Lower House, and two from the Upper House and two economists of repute to devise ways and means on increasing the purchasing power of the people."

श्रीमन्, जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि आज यह एक बड़ी भारी समस्या केवल हमारे प्रदेश की ही नहीं, बल्कि सारे देश की है। यह सही है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपनी योजनाओं के जरिये से और प्रादेशिक गवर्नमेंट अपनी प्रादेशिक योजनाओं के जरिये से इस बात का हर प्रकार से प्रयास कर रही है कि जो जनता की गिरती हुई क्रयशक्ति है, उसको हम किसी तरह से ऊंचा करें, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि आज परिस्थिति ऐसी है कि जिसमें हमें अपने प्रदेश में एक इस प्रकार की कमेटी, जो एक एक्सपर्ट कमेटी की तरह हो, बिठालना चाहिये, जो कि एक एडवाइजरी तरीके से सरकार को राय दे और अपने सुझाव रखे कि आज की मौजूदा परिस्थिति में हम किस प्रकार से अपने प्रदेश की जनता की क्रय शक्ति को ऊंचा उठा सकते हैं।

यह कहा जा सकता है कि आज किसानों की हालत देहातों में पहले के मुकाबले में ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। पूर्वी जिलों में जो हालत वहां के रहने वालों की है उसका अनुमान करना ही बड़ा मुश्किल है कि वह किस प्रकार से अपना जीवन बिता रहे हैं और आज उनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की सरकार एक कमेटी बिठाले और उस कमेटी में इस सदन तथा उस सदन के दो-दो सदस्य हों तथा २ एक्सपर्ट्स और हों जो मौजूदा योजनाओं को देखते हुये उन पर विचार करते हुये अपने सुझाव जो कुछ भी हों, सरकार के सामने रखें। ऐसा हुआ भी है कि हमारे प्रदेश की सरकार ने केबीनेट लेविल पर स्वयं डिरेक्शन्स दिये हैं।

यद्यपि इस लेविल पर कमेटी बनाई गई और लेजिस्लेचर के सदस्यों की, और एक्सपर्ट्स की हाल ही में एक कमेटी बनाई गई थी और सरकार कोशिश कर रही है कि कौन से तरीके अपनाये जांय जिससे हमारी एकानामी सुधरे। मैं समझता हूं कि यह कमेटी अपनी राय और सुझाव दे सकती है।

श्रीमन्, आज अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो चीजों की कीमतें गिरनी चाहिये, लेकिन हालत यह है कि ज्यों-ज्यों प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे-वैसे हमारी कीमतें भी बढ़ती जाती हैं। इस तरह से हमारी पुरानी थ्योरी, जिसमें यह था कि जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, कीमतें गिरेंगी, एक प्रकार से एक्सप्लाइड हो चुकी हैं। आज हमारे प्रदेश में एक आर्थिक संकट पैदा हो गया है, उसको दूर करना है। यहां के लोगों की आर्थिक हालत को ऊंचा उठाना है। इसके लिये यह आवश्यक है कि हम एक कमेटी बनायें। लड़ाई के बाद बहुत से मुल्क जो तबाह हो चुके थे, जिनका आर्थिक ढांचा बिल्कुल बरबाद हो चुका था, उन्होंने थोड़े समय में अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लिया है। खासतौर से जापान ऐसे देश ने, जिसकी बहुत क्षति हुई थी, उसने भी अपनी एकोनामी को इस्टैबिल किया है। आज वह अपने मुल्क की बनी हुई चीजें वर्ल्ड मार्केट में भेज रहा है और इसी तरीके से दूसरे देशों ने भी अपनी एकानामी को सही कर लिया है, इसलिये कोई कारण नहीं है कि हम अपने देश में इस प्रकार का प्रयास न करें। आज हमारे बाजार की स्थिति ऐसी है कि जिसको हम न तो बायर्स मार्केट कह सकते हैं और न सेलर्स मार्केट कह सकते हैं, तो इस पर विचार करना होगा कि हम कौन से सुझाव रखें, कौन सी नीति चलायें जिसके कारण हम अपने देश की आर्थिक हालत को सुधार सकें। इन सबके लिये आवश्यकता है कि हम सही तरीके से सोचने के लिये एक कमेटी बनायें। सब से बड़ी परिस्थिति हमारे सामने जो है वह कास्ट आफ प्रोडक्शन की है। जब तक इस कास्ट में हम कमी नहीं करते हैं तब तक हम चीजों को सस्ता नहीं कर सकते हैं और न हम अपनी चीजों को बाहर भेज सकते हैं। अपने यहां जो चीजें बनती हैं उनके ज्यादा दाम होने के कारण यहां के लोग इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं।

मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके बारे में बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे वे समझते हैं कि हम कास्ट आफ प्रोडक्शन को ऊंचा नहीं कर पाते हैं। उनका कहना है कि यहां पर रा मेटीरियल की कीमत बहुत ज्यादा है और लेबर की वेजेज भी बहुत काफी है। जो लेबर का आउटपुट है वह बहुत ही कम है। जो रोजाना स्ट्राइक्स हुआ करती है, उससे हमारा प्रोडक्शन रुकता है। उनके कारण हम अपनी चीजों को उस कम कीमत पर नहीं पैदा कर सकते हैं जितनी हमें पैदा करनी चाहिये। जब हम इतना पैदा नहीं कर सकते हैं तो कैसे हम दूसरे मुल्कों में अपनी चीजों को भेज सकेंगे और कैसे हमारे देश को अधिक धन मिल सकेगा। उनको देखते हुये इस पर विचार करने की आवश्यकता होगी कि हम कौन-कौन से सुझाव रखें और कौन-कौन सा उपाय इस्तेमाल करें जिससे हम अपने यहां पर कास्ट आफ प्रोडक्शन को कम करें और लोगों को सहूलियत दे सकें और यह तभी हो सकता है जब उनकी तनख्वाह ज्यादा हो। रोजाना की चीज जो उनको मिलती है उसकी कीमत कम हो, इसके लिये एक प्रकार की कमेटी बैठाई जाय।

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

इस सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत से सुझाव हो सकते हैं और वे कमेटी के सामने आ सकते हैं। तीन चार बातें हैं जिनको अपनाने से हम लोगों की क्रय-शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इस वक्त जो हम इम्पोर्ट्स को बेन कर रहे हैं उसको रिलैक्स करना होगा। जब तक हम उसको रिलैक्स नहीं करेंगे, तब तक हम उस चीज का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मिडिल मैन के प्राफिट को हमें हटाना पड़ेगा और कोआपरेटिव सोसाइटियों को हमें इन्क्रेज करना होगा। ताकि जो कोआपरेटिव हैं वे मीन्स आफ प्रोडक्शन को बढ़ायें। इस पर भी हमें विचार करना होगा कि कि हमारी जो रेशनलाइजेशन पालिसी है उसको किस तरह से करें। उससे थोड़े से लोगों को हानि होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ प्रोडक्शन जरूर ऊंचा उठेगा और बढ़ेगा। तो जिनको क्षति पहुंचती है और सारे बाकी नेशन को लाभ होता है तो इस पर हमें विचार करना होगा। उन मिलों से जो मजदूर अलग हों उनका भी हमें प्रबन्ध करना होगा और धीरे-धीरे हमें उपाय सोचना होगा कि हम कैसे नेशनलाइजेशन इन्ट्रोड्यूस करके प्रोडक्शन ऊंचा उठायें और कैसे प्रोडक्शन को ठीक रास्ते पर ला सकें।

ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर कमेटी विचार कर सकती है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि जो गांधियन एकानामी है कि जो गांव में रहते हैं वे पैदा करें और खांय और उस पर अमल करें। तो इन सब चीजों पर विचार करने के लिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कमेटी यदि गवर्नमेंट की तरफ से बैठाली जाय तो बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव गवर्नमेंट के सामने आ सकते हैं जिनके ऊपर सरकार विचार कर सकती है। यह कमेटी एक प्रकार से फार्मूला तैयार कर सकती है कि जो प्राइसेज हैं और जो लोगों की पे करने की कैपेसिटी है उनका क्या अनुपात है और उसको मिलाने के लिये उसूली तौर पर क्या करना चाहिये, इन चीजों पर यह कमेटी विचार कर सकती है। मैं समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव मैंने सदन के सम्मुख रखा है, गवर्नमेंट उसके ऊपर विचार करके स्वीकार करेगी और स्वीकार करने के बाद कमेटी की जो राय होगी उससे फायदा उठायेगी। मान लीजिये हमने सीमेंट फैक्टरी की योजना बनाई। सीमेंट मिलता है, लेकिन इतने दामों में मिलता है कि सब लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। चीजों की कास्ट आफ प्रोडक्शन को किस तरीके से घटाया जाय। किस प्रकार से चीजों की कीमतें घटाई जायं ताकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ सके, इन सब चीजों पर विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि गवर्नमेंट एक कमेटी नियुक्त करे और नियुक्त करने के बाद उसकी जो सलाह हो उस पर अमल करके फायदा उठाये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

*श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)——जो प्रस्ताव कुंवर गुरु नारायण जी ने प्रस्तुत किया है वह अपने स्थान पर एक अहमियत अवश्य रखता है। जब से इस देश में शासन की बागडोर यहां के रहने वालों के साथ में आई, तबसे यह प्रत्यन हो रहा है कि किस प्रकार से जनता की गरीबी को दूर किया जाय तथा यह जो अभाव है उसको मिटाया जाय। इसके लिये समय-समय पर बराबर प्रयत्न होते रहते हैं। केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजनायें बनाई गई। एक पंच वर्षीय योजना पूरी हुई, दूसरी आजकल चल रही है, लेकिन बावजूद इन सब चीजों के यह सत्य है कि लोगों की गरीबी दूर नहीं हुई, लोगों का अभाव दूर नहीं हुआ उनकी क्रय-शक्ति नहीं बढ़ी और यह भी एक जबरदस्त कन्ट्रेडिक्शन है लोगों की क्रय शक्ति कम है, फिर भी चीजों की कीमतें अधिक हैं। ये सब चीजें गंभीरता-पूर्वक सोचनी हैं। इनका सम्बन्ध देश के आर्थिक ढांचे से है और इस सम्बन्ध में हमें अवश्य विचार करना होगा और उसके लिये जो भी उपाय हो सकते हैं, उन उपायों को खोजना होगा।

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

इसमें सन्देह नहीं कि प्रदेश के बड़े-बड़े विचारक लोग सोचा करते हैं, अपनी योजनायें जनता के सामने रखते हैं, लेकिन फिर भी इस बात की आवश्यकता है कि इस दिशा में अधिक से अधिक प्रयत्न किया जाय। लोगों की क्रय-शक्ति कम है, चीजों की कीमतें महंगी हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह प्रतीत होता है कि ज्यों-ज्यों साधन बढ़ रहे हैं त्यों-त्यों इस देश का उत्पादन बढ़ रहा है। कृषि का उत्पादन और दूसरी चीजों का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही साथ देश की आबादी भी बड़ी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। और यही कारण है कि आबादी जो बढ़ती चली जा रही है उसका अधिकतर भाग कृषि पर आधारित है। मगर कृषि में अधिक से अधिक तरक्की करके भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता है। जब इस प्रदेश की ७०,८० प्रतिशत आबादी भूमि पर आधारित है तो ऐसी सूरत में अवश्य सोचना पड़ेगा कि ऐसा कोई जरिया निकालें, जिससे देश की बढ़ती हुई आबादी के लिये कोई दूसरा साधन निकल सके कि लोगों की बेरोजगारी दूर हो सके। मुझे खेद है कि इस दिशा में अभी अधिक प्रयत्न नहीं हो सका है। पिछली पंच वर्षीय योजना में अधिक से अधिक जो सरकार ने प्राथमिकता दी है, वह इस प्रदेश में अन्न के उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में है। इस दिशा में जो प्रयत्न हो सका था, वह किया गया। लेकिन उससे समस्या का हल नहीं हो सका। बड़े-बड़े लोगों का निश्चित मत है कि हम इस भूमि पर अधिक प्रेशर नहीं डाल सकते। सन् १८९१ के मुकाबले में हमारी आबादी दूनी हो गई है। उस प्रेशर को अब यह भूमि बरदाश्त नहीं कर सकती है। इसलिये हमको कुछ नये साधन निकालने होंगे, जिससे इस प्रदेश की बढ़ती हुई बेरोजगारी दूर हो सके।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि रोजगार, धंधे, इन्डस्ट्रीज चाहे वह बड़ी हों या छोटी हों, उनको बढ़ाया जाय। हैवी इन्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में प्रयत्न हो रहा है, केन्द्रीय सरकार भी प्रयत्न कर रही है और अपने प्रदेश में एक आध इन्डस्ट्री ऐसी लगी भी हैं। लेकिन बावजूद इसके कि इन्डस्ट्रीज ज्यादा जरूर हो गई हैं और जैसे प्राथमिकता पहली योजना में कृषि पर दी गई थी, इस पंचवर्षीय योजना में उद्योग-धंधों पर, प्रायोरिटी दी गई है। अभी हमारा बजट पेश हुआ है और उस पर दो दिन में बहस होने वाली है और हम लोगों में से कुछ ने बजट पढ़ा भी होगा कि जिस चीज पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई है और अधिक से अधिक रुपया जिस पर दिया गया है वह उद्योग-धंधे पर है। मैं कहूंगा कि अगर दूसरे साधन मुहैया नहीं किये गये और कृषि पर ही यह प्रेशर रहेगा तो किसी तरीके से हम बढ़ती हुई बेरोजगारी को ठीक नहीं कर सकते। इसके ऊपर हमें अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी पर किसी न किसी तरीके से प्रतिबन्ध लगाना होगा। आबादी के बढ़ने से इतनी भयावह हालत होती जा रही है कि उसको अगर रोका नहीं गया तो आगे चल कर इस देश की समस्या का हल करना मुश्किल हो जायेगा। अब तक हमने देश के उत्पादन में १७ प्रतिशत की वृद्धि की है।

कुछ लोगों की उम्मीद उसके विपरीत भी जाती है, लेकिन हमें सरकारी आंकड़े, जो हमारे सामने पड़ते हैं उन पर यकीन करना पड़ता है और यह ठीक भी है क्योंकि हमारे पास कोई दूसरे साधन नहीं हैं, जिनके जरिये हम उनको गलत साबित कर सकें। यदि मान लिया जाय कि १७ प्रतिशत उत्पादन इस देश का बढ़ा और इस देश की आमदनी में काफी वृद्धि हुई है तो हमें दूसरी तरफ भी देखना होगा। यदि हम उस तरफ देखें, तो यह पायेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना के समय में शायद हमारे देश की आबादी और अधिक बढ़ी है। अरबों रुपया सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना में लगा दिया था, लेकिन उससे कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ है। अब हमें बड़ी गम्भीरता के साथ देश की बढ़ती हुई आबादी के सम्बन्ध में विचार करना होगा और उस पर प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश करनी होगी। यदि हमने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया तो चाहे जो भी समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की हो या उत्पादन बढ़ाने की हो, वह समस्या हल नहीं हो सकती है। यह जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, इसमें केवल यह मांग की गयी है कि इस तरह की एक कमेटी बनायी

[श्री प्रेम चन्द्र शर्मा]

जाय, जिसमें कुछ अर्थ शास्त्री हों, वे इस सदन और उस सदन के सदस्य हों और वे ऐसे साधनों पर विचार कर सकें जो हमारे जैसे गरीब देश की क्रय शक्ति को बढ़ा सकें। उस समिति में सभी बातों पर विचार होगा और इसके सम्बन्ध में जो भी प्रश्न होंगे उन पर विचार करना होगा। मेरे विचार में जब कोई कमेटी बन जाती है तो उससे देश को लाभ ही पहुंचेगा। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है, उसके सम्बन्ध में सन्देह नहीं कि जहां तक जनता की क्रय-शक्ति का सम्बन्ध है वह हमारे प्रदेश और देश में इतनी नहीं है, जितनी होनी चाहिये। इस लिहाज से यह प्रस्ताव कुछ अर्थ रखता है। किन्तु प्रश्न यहां पर एक यह है कि जिस रूप में यह प्रस्ताव रखा गया है, उससे प्रस्ताव से कोई विशेष लाभ होगा या नहीं, यह मसला हमारे सामने है। प्रस्ताव के अन्दर केवल यह सुझाव दिया गया है कि विधान मंडल की एक कमेटी बनायी जाय और वह सुझाव रखे कि जनता की क्रय-शक्ति किस प्रकार से बढ़ सकती है। वास्तव में यदि देखा जाय तो कोई समिति या कोई बोर्ड तभी बनता है जबकि या तो साधन हों और वे मालूम न हों या जब साधन हों और उन साधनों को कहीं से कहीं जुटाया जाय, जिससे वे काम हो सकें, तब किसी कमेटी की आवश्यकता होती है। यहां पर समस्या यह है कि जनता की क्रय-शक्ति किस प्रकार से बढ़ायी जा सकती है और उसके साधन क्या हो सकते हैं। जहां तक साधनों का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि प्लानिंग कमीशन के सामने जितने भी साधन हो सकते हैं वे सब के सब उसके सामने हैं। केवल प्रदेशों के प्लानिंग बोर्ड्स के सामने ही नहीं बल्कि केन्द्र का जो प्लानिंग कमीशन है उन सब के सामने सारी बातें विस्तृत रूप में विवरण के साथ रखी गई हैं और काफी गौर खोज करने के बाद उन सारी बातों को ध्यान में रखा गया।

[इस समय ११ बजकर ५० मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया।]

और उन सारी बातों को सोचने के बाद पंचवर्षीय योजना में उन बहुत सी बातों को रखा गया है। यह हो सकता है कि पंच वर्षीय योजना के अन्दर जो साधन जुटाये गये हैं, या जो साधन रखे गये हैं, वे साधन अभी इतने लाभदायक नहीं हुये हैं और जनता की क्रय-शक्ति अधिक संख्या में नहीं बढ़ी है, किन्तु सवाल यह है कि जनता की क्रय-शक्ति अलग चीज नहीं है। जनता की क्रय-शक्ति एक दूसरे साधनों से सम्बन्ध रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टैन्डर्ड आफ लिविंग हमारे प्रदेश और देश के लोगों का जब तक ऊंचा नहीं होगा तब तक उनकी क्रय-शक्ति नहीं बढ़ेगी। स्टैन्डर्ड आफ लिविंग का सम्बन्ध जनता की खुशहाली और माली हालत से है। जनता की माली और खुशहाली हालत कैसे अच्छी हो, उन सारी की सारी बातों पर प्लानिंग कमीशन विचार कर रहा है और पंचवर्षीय योजना में उसके लिये साधन जुटाये गये हैं। यह बात अवश्य है कि जो साधन जुटाये गये हैं, वे ऐसे हो सकते हैं कि जिनका परिणाम बहुत देर से निकल सकता है लेकिन इसमें सन्देह नहीं है कि जितने साधन हो सकते हैं, उनको ध्यान में रखा गया है और उन सब पर गौर किया गया है।

हमारे प्रदेश और हमारे देश की बेकारी किस प्रकार से हल हो सकती है, हमारे देश और प्रदेश का उत्पादन किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, जो हमारे देश में महंगाई है, उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, हमारे प्रदेश और देश के अन्दर मजदूरों की और किसानों की हालत को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है, इन सारी बातों का, जिनका सम्बन्ध जनता की क्रय-शक्ति से है, ध्यान हमारी पंच वर्षीय योजना में रखा गया है और उन्हीं सारी चीजों को पूरा करने के लिये मजमुई तौर से हमारी पंचवर्षीय योजना एक नमूना है। इसमें कोई सन्देह नहीं है

कि जनता की क्रय-शक्ति का जहां तक सम्बन्ध है, उसकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, वह यह है कि डिस्ट्रिब्यूशन और प्रोडक्शन के जो मीन्स हैं, उन पर नियन्त्रण हो। हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, उसमें जो डिस्ट्रिब्यूशन और प्रोडक्शन की क्वान्टिटीज हैं, उस पर बहुत कम ध्यान रखा गया है और उसका नतीजा यह है कि जनता की क्रय-शक्ति जो है वह ज्यादा नहीं होने पाती। प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन पर नियन्त्रण न होने की वजह से जो सट्टेबाज लोग होते हैं, जो आढ़ती होते हैं, उनको इस बात का मौका मिलता है कि चीजों को वह जमा करते चले जायं और वक्त पर उन चीजों को न निकालें और जब बाजार में उन चीजों की कमी होने लगे, तब उनको थोड़ी-थोड़ी मात्रा में निकालें। इसका परिणाम यह होता है कि थोड़ी-थोड़ी मात्रा में निकालने से उनका इतना अभाव हो जाता है कि उन चीजों के भाव बढ़ जाते हैं और जनता उनको खरीद नहीं सकती है, आम आदमी उन चीजों को नहीं खरीद सकता है। आज जब उन लोगों के ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं है, कोई प्रतिबन्ध नहीं है, उसका नतीजा यह होता है कि उन लोगों को इस बात का मौका रहता है कि मार्केट में जब कोई चीज आती है तो उसको भर लेते हैं और उसको उस समय निकालते हैं जबकि बाजार में उसका अभाव हो जाता है। गल्ले के ही सम्बन्ध में ले लीजिये, और भी जरूरी चीजों के सम्बन्ध में में ले लीजिये, कन्ट्रोल की कमोडिटीज को ही ले लीजिये, सभी में यह बात होती है। कन्ट्रोल की चीजों को लोग भर लेते हैं और उसको दूसरे भावों में बाजार में बेच देते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि जो कन्ट्रोल की भी चीजें होती हैं, उनका भी अभाव होने लगता है। इस वजह से आज आवश्यकता तो इस बात की है कि पंचवर्षीय योजना में जो प्रोडक्शन है, और उसका जो डिस्ट्रिब्यूशन है, उस पर थोड़ा बहुत अवश्य नियन्त्रण होना चाहिये। नियन्त्रण हो जाने से मैं यह समझता हूं कि इसके अन्दर बहुत कुछ आसानी हो जायेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जहां तक कीमतों के बढ़ने का सम्बन्ध है, उसके बढ़ने से एक सेक्शन ऐसा है, जिसको कि लाभ होता है। मिसाल के तौर पर गल्ला ही ले लीजिये। गल्ले की कीमतों के बढ़ जाने से किसान को फायदा होता है और उसकी वजह से काश्तकार की क्रय-शक्ति बढ़ी है, हालांकि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो कि काश्तकार नहीं हैं और शहरों में रहते हैं, उनको फायदा नहीं हुआ बल्कि उनको नुकसान ही हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को फायदा अवश्य हुआ है। यह बात सही है कि उसकी कीमत इतनी नहीं होनी चाहिये कि आम आदमी को खरीदना ही मुहाल हो जाय। लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जिनके तेज हो जाने से जो आम जनता है उसकी क्रय-शक्ति बढ़ती है, उसको फायदा होता है। इस वजह से यह भी नहीं कहा जा सकता कि हर एक चीज इतनी सस्ती कर दी जाय कि जिससे कि जो प्रोड्यूसर हैं, उनकी क्रय-शक्ति ही खत्म हो जाय और वे किसी काम के न रह जायं। इसलिये यह समस्या ऐसी है जो कि किसी प्रकार की कमेटी बनाने से ही हल नहीं हो सकती है। यह समस्या तो ऐसी है कि जिस पर देश की सबसे बड़ी कमेटी विचार कर रही है और वह है हमारा प्लानिंग कमीशन, जो कि मजदूरों की प्राब्लम को ले करके, इन्डस्ट्रीज की प्राब्लम को ले करके और तमाम सारी चीजों को ले करके इस मसले पर गौर कर रहा है और मैं समझता हूं कि यह मसला भी उसके सामने है और एक बहुत बड़े जमाने से है। इस मसले पर बहुत दिनों से गौर हो रहा है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के विधान मंडल के सदस्यों की एक कमेटी बनाकर इस मसले का हल नहीं हो सकता है। यह समस्या सारे देश की है और सारे देश की जो बाडी है, वही इस मसले को हल कर सकती है। भारत का जो प्लानिंग कमीशन है वही इस मसले को हल कर सकता है, किसी दूसरी बाडी को इस मसले को हल करने में बहुत दिक्कतें पड़ेंगी। जहां तक इस प्रस्ताव की भावना का सम्बन्ध है, मैं उसकी कदर करता हूं, लेकिन जो इस प्रस्ताव के शब्द हैं उसकी मैं मुखालिफत करता हूं।

श्री पृथ्वी नाथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस उद्देश्य और भावना से प्रेरित होकर माननीय सदस्य ने यह संकल्प सदन के सामने रखा है, उसके सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकती हैं। इस बात से सभी लोग सहमत हैं कि जनता की

[श्री पृथ्वी नाथ]

क्रय-शक्ति बढ़नी चाहिये। यह एक ऐसी बात है कि इसमें कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जैसा कि प्रताप चन्द्र जी ने फरमाया, वह एक सोचने का सवाल है कि जो तरीका माननीय कुंवर गुरु नारायण जी ने बतलाया है, वह ठीक नहीं है और उससे अधिक फायदा नहीं पहुंच सकता है। जो तरीका संकल्प में बतलाया गया है उससे यह सवाल उठ सकता है कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी हो जायेगी। सारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के लिये दो बातों का होना बहुत ही जरूरी है। एक तो उत्पादन को बढ़ाया जाय, दूसरे उसके साथ ही साथ जो डिस्ट्रिब्यूशन के तरीके हैं, वे ठीक से होने चाहिये। यदि प्रोडक्शन बढ़ता है और साथ में कीमतें भी बढ़ जाती हैं, तो इसके मतलब यह हुये कि डिमान्ड अधिक हो गयी है। जनता की क्रय-शक्ति को हमें बढ़ाना चाहिये, इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। लेकिन हमको इस बात पर गौर करना होगा कि हम कौन से ऐसे तरीके अपनायें जिससे जनता की क्रय-शक्ति बढ़े।

जो प्रस्ताव कुंवर साहब ने पेश किया है कि विधान मंडल के सदस्यों की एक कमेटी बनायी जाय, जिसमें विधान मंडल के दो चार सदस्य हों और साथ में कुछ एक्सपर्ट भी हों, तो मैं समझता हूं कि इससे प्रस्ताव का हल नहीं निकल सकता है। यदि डिमान्ड २५ परसेंट है और प्रोडक्शन ३० परसेंट है, तो कुंवर साहब कह सकते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ने पर भी कीमतें बढ़ी हैं या पापुलेशन तो बढ़ गई है, मगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। अगर ज्यादा प्रोडक्शन की मांग है और प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा है, तो इस तरह का प्रश्न पैदा हो सकता है। लेकिन इसके लिये जो उपाय माननीय कुंवर गुरु नारायण जी ने बतलाये हैं कि अगर प्राइसेज कम हो जायें तो इससे परचेजिंग पावर बढ़ जायेगी, तो मैं इस प्रश्न पर इस तरह से एग्री नहीं करता हूं। हमारे प्रदेश में जहां कि बहुत ज्यादा आबादी है और जहां की अधिकतर जनता या तो खेती पर निर्भर रहती है या उसी से सम्बन्धित खेती की पैदावार पर निर्भर रहती है, तो यह बात संभव नहीं हो सकती है। हमारे यहां जो लैन्डलेस लेबर्स हैं, उनका भी सीधा सम्बन्ध कृषि से है और जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, उनकी कीमत अगर बढ़ जाती हैं, तो जितने भी खेती करने वाले लोग हैं या इससे सम्बन्ध रखने वाले लोग हैं, उनकी क्रय-शक्ति बढ़ जाती है। अगर हर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की कीमत कम हो जायेगी, तो और चीजों के दाम बढ़ जायेंगे। तो इस क्रय-शक्ति को बढ़ाने के सम्बन्ध में एक कमेटी नियुक्त की जाय, जो कि इन बातों पर विचार करे कि जनता की क्रय-शक्ति कैसे बढ़ायी जा सकती है। मैं समझता हूं कि इससे अधिक लाभ नहीं होगा और मैं समझता हूं कि इस तरह से कमेटी बनाने का जो सुझाव है, वह उचित नहीं है। जनता की क्रय-शक्ति बढ़नी चाहिये, यह तो ठीक है, लेकिन विधान मंडल के दो चार सदस्य एक कमेटी के द्वारा इस काम को करें या इसके लिये कोई सुझाव दे सकें, मैं समझता हूं कि यह कार्य इस हाउस या दूसरे हाउस के द्वारा नहीं हो सकता है। मैं नहीं समझता कि ऐसा किसी तरह से भी संभव हो सकेगा। इस देश में केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत एक प्लानिंग कमीशन बना और उसने बड़ी-बड़ी योजनाओं पर विचार किया। प्लानिंग कमीशन ने जो योजनायें बनाईं, वे ५ वर्ष तक पूरी हुईं। अब उसकी दूसरी कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है और उसकी जो स्कीम है, उसको सभी सदस्यों ने मन्जूर भी कर लिया है। इतनी बड़ी स्कीम के होने के बाद फिर यह सोचा जाय कि ५,७ आदमियों की एक कमेटी बने और वह सुझाव दे कि जनता की परचेजिंग पावर कैसे बढ़ायी जा सकती है, कैसे डिस्ट्रिब्यूशन अच्छी तरह से हो सकता है, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। प्राइसेज ठीक हों, यह तो सभी मानते हैं, लेकिन इसके लिये जो तरीका माननीय कुंवर साहब ने बतलाया है, उसकी संभावना मुझे उचित नहीं लगती है।

इसके अतिरिक्त एक बात और है और वह यह है कि इस हाउस की या उस हाउस की जो कमेटी बनती है, वह किसी स्पेसिफिक परपज के लिये बनती है, लेकिन यह तो सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि सौ समस्यायें हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसे बढ़े, इन्डस्ट्री

का प्रोडेक्शन कैसे बढ़े या दूसरे प्रोडक्शस कैसे बढ़ें, इसके लिये तो फिर गवर्नमेंट आफ इंडिया की इम्पोर्ट पालिसी का भी सवाल आ जाता है। इम्पोर्ट पालिसी को तो सिर्फ गवर्नमेंट आफ इंडिया तय करती है, इसलिये इस तरह का प्रश्न इस तरीके से कमेटी बनाकर करना उचित नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट के वेलफेयर विभाग हैं, जो कि जनता की परचेजिंग पावर से डायरेक्टली या इन्डायरेक्टली सम्बन्ध रखते हैं, उन सभी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ५,७ आदमियों की एक कमेटी बना देना ही इसके लिये काफी नहीं है। जनता की परचेजिंग पावर किस तरह से बढ़े, इसके लिये आज सभी को चिन्ता है, लेकिन जो उपाय इसके लिये माननीय सदस्य ने बतलाया है, वह उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ में ऐसा मानता हूं कि ऐसी भावना जिससे जनता की क्रय-शक्ति बढ़े और उसके उपाय सोचे जायं, जिसको कुंवर साहब ने व्यक्त किया है, वह सराहनीय है। लेकिन आज सदन के सदस्यों के समक्ष जो प्रस्तुत किया है वह इफेक्टिव होगा, यह मैं नहीं मानता हूं। मैं कुंवर साहब से यह अनुरोध करूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

*श्री बद्री प्रसाद कक्कड़—Sir, I have read the resolution moved by the mover of the resolution. Apparently, it appears most happy and pleasing but if we go to the bottom of the thing, we find that we stand where we are. By this, I never mean to take away any grace and glamour and the importance of the resolution. The resolution really indicates the feelings of the people ; what they really feel now, and where they stand. I perfectly agree that as regards our monetary power is concerned, our purchasing power is concerned, we are twenty years behind. It may sound odd to some people but a fact is a fact. This is the fact which cannot be obliterated by any remarks or by any argument but will the appointment and setting up of a Committee do anything substantial and go to solve the question. No doubt poverty is writ la ge and writ large on the face of the people. I know, I feel and the country feels that this is the problem which is not only perplexing me and you, Sir. This is the problem which is taking most of the vital time and energy of the Government. The experts are laying their heads together, all the economists have gathered together and they have planned out according to their ability, this Five-Year-Plan. It is enough to say at this stage and to ventilate our feeling that this Five-Year-Plan has not been able to give any relief to any one. This is but enough. But the solution do s not lie there in the setting up of the Committee. I hope the object of the mover is that we should come forward and say plainly in the House what we are feeling and what we are feeling we must speak out without any regard.

Sir, the position and the plight of the people is very precarious. There are so many obligations and so much taxation upon them that they are sinking, This is for this purpose that this resolution has been moved. Of course the improvement of mass pecuniary condition or his purchasing power does not mean else beside that it means *per capita* income. Whatever we may say that we have increased 25% or more or near-about but this all is a puzzle. It will remain a puzzle to the people and it is better than the puzzle is solved atonce and the people are not left in the lurch. It is enough to

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री बद्री प्रसाद कक्कड़]

tell you, Sir, in very plain words that we are not satisfied with the improvements made in all spheres of activity. Of course, the improvements are praiseworthy and they can give Government credit but they have not been able to solve our question, solve our living and give any increase on our *per capita* income. With these words, Sir, I resume my seat.

*श्री राम गुलाम (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने है, यहां पर माननीय सदस्यों ने उस पर जो कुछ कहा है, उससे यह बात बिल्कुल साफ है कि आज इस प्रदेश में जो परिस्थिति है उस पर हम सभी सोचें। एक बड़ी प्राब्लम यह आज है कि हमारी परचेजिंग पावर किस तरह से बढ़े। यह ठीक है कि प्लानिंग कमीशन के बड़े बड़े लोगों ने कुछ तजवीज हमारे सामने इस मसले पर रखी है और कोशिश की है, लेकिन उसके यह माने नहीं होते कि अगर हम इस प्रस्ताव के अन्तर्गत एक कमेटी बना दें तो हम उस प्लानिंग कमीशन पर विश्वास नहीं करते या उसको नाकारा समझते हैं, बल्कि यह बात इस बात को जाहिर करती है कि हम लोगों के दिमाग इस तरफ केन्द्रित हैं कि कैसे इस समस्या को हल किया जाय। अगर हम एक कमेटी बना देते हैं और उस पर विचार करते हैं, तो कोई बेजा बात नहीं होगी। मैं मानता हूं कि हम प्रदेश की हालत को सोचने के लिये घंटा, दो घंटा, चार घंटे खर्च करते हैं। यह बात भी बिल्कुल सही है कि यह ऐसा मसला नहीं है कि जिसको हम छोटी सी कमेटी बना कर दूर कर दें। यह बहुत बड़ा मसला है और यह कमेटी उस पर गौर करने के लिये जरूर छोटी होगी, लेकिन कम से कम हमारा उस दिशा में यह एक यत्न होगा। हम कम से कम उसको सोचेंगे, जो कुछ करना होगा, करेंगे। यह कहना कि इस कमेटी का बैठाना नाकाफी है और जो प्लानिंग कमीशन ने किया है वही ठीक है, यह बात नहीं होनी चाहिये। इसको हम एक प्रगतिशील बात नहीं कह सकते हैं। जब रोजाना परेशानी है, तो मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि कीमतें बढ़ रही हैं, आबादी बढ़ रही है, क्योंकि वह सब इसमें शामिल हैं और यह एक गरीब मुल्क है, एक छोटा सा बजट है, तो फिर यह सब कैसे दूर हों, इस पर हमको सोचना है। यह तो हमारी अपनी हालत है और हम मुकाबिला करते हैं इंगलैन्ड और अमेरिका का, हम उनको कैसे कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम वहां पहुंचें।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इस कमेटी से हाउस का कोई नुकसान न होगा बल्कि ऐसा हो सकता है कि अगर कोई कमी कमेटी के सुझाव में रह जाय, तो हम कह सकते हैं कि यह कमी रह गई है।

श्री कुंवर महावीर सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहिले कि मैं कुछ इस प्रस्ताव पर अर्ज करूं, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय कुंवर गुरु नारायण जी को बधाई इसलिये देना चाहता हूं कि इस सदन के सामने समय-समय पर सुन्दर-सुन्दर प्रस्ताव जो आज की समस्याओं से संबंध रखते हैं, उनको लाकर इस सदन को मौका दिलाते हैं कि सदन उन पर अपने विचार जाहिर कर सकें। जिस भावना से प्रस्ताव उपस्थित किया गया है, श्रीमन्, उस पर दो रायें नहीं हो सकती हैं। देश का कौन व्यक्ति होगा, कौन सरकार होगी, जो यह न चाहे कि हमारे देश की क्रय-शक्ति बढ़े, जीवन-स्तर ऊंचा हो, भुखमरी, गरीबी, अन्धकार से हम ऊपर उठें। जहां यह प्रश्न है वहां यह भी प्रश्न है कि हम पूरी समस्या को अलग-अलग जुज-जुज कर के रास्ता निकालें या हल करें, पूरी समस्या को एक इकाई मान कर पूरे भारत के नुक्ते निगाह से पूरे भारतवर्ष की सारी समस्या को एक मान कर

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

हल निकालें। क्या आज की हालात में यह उपयोगी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश इस मसले पर, मध्य प्रदेश इस मसले पर अपनी-अपनी तरह से सोचें, अपने-अपने दृष्टि-कोण से देखें या सारा देश एक इकाई के रूप में सोचे। इस छुट-पुट सोचाई के साथ-साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि ऐसा न हो कि भविष्य में हम अन्धकार में पहुंच जायं। क्रय-शक्ति बढ़े, यह गंभीर प्रश्न है, लेकिन इससे जो और सभी संबंधित समस्यायें खड़ी होती हैं वह और भी अधिक गंभीर हैं। लड़का पहले पैदा हुआ या बाप, आदमी पहले पैदा हुआ या स्त्री, यह ऐसे प्रश्न हैं, जिनको हम अलग-अलग नहीं सोच सकते हैं। अगर हम सोचते हैं कि बीज पहले पैदा हुआ और वृक्ष बाद में, तो प्रश्न उठता है कि बीज कैसे पैदा हो गया, कहने का मतलब यह है कि दोनों का रूप एक इकाई है, दोनों को अलग-अलग भिन्न-भिन्न नहीं माना जा सकता और इस समस्या का हल भी एक साथ इसी प्रकार चाहिये। क्रय-शक्ति का संबंध (प्रोडक्शन) पैदावार से है। अगर देश में धन नहीं है तो क्रय-शक्ति कदापि नहीं ऊंची हो सकती है। अधिक धन देश में हो और फिर इस अधिक धन का समुचित बटवारा हो, तभी देश के रहने वालों की क्रय-शक्ति बढ़ सकती है। तभी देश समृद्धिशाली हो सकता है।

अब पैदावार कैसे बढ़े, प्रोडक्शन अधिक हो, फिर पैदावार कितना (एग्रीकल्चर) खेती से हो, कितना इंडस्ट्री से हो। क्या इसका संबंध डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली किसी न किसी रूप से दूसरे विभागों से नहीं है। खेती, उद्योग-धंधे, व्यापार, सिंचाई के साधन, यातायात के साधन, क्या यह अलग-अलग या मिल कर हमारी क्रय-शक्ति किसी न किसी रूप में नहीं बढ़ाते। हमारा विदेशी व्यापार, हमारी मुद्रा का फैलाव, क्या इनका लगाव हमारी क्रय-शक्ति से नहीं है। क्रय-शक्ति का संबंध हर विभाग से है और हर चीज से है। क्रय-शक्ति का संबंध केवल इसी देश से, इसी समय से संबंधित नहीं है, बल्कि भविष्य से भी संबंध रखता है। हमारे लिमिटेशन हैं, हमारी मर्यादाओं को देख लें। प्रान्तीय सरकारों की मर्यादायें हैं, हमारे एक साथी कह कर चले गये कि हमको यह सब कार्य करना चाहिये, लेकिन क्या वह सब कार्य हमारे दायरे के अन्दर आ सकते हैं। क्या उसकी रुपरेखा जो हम बनायेंगे, वह अपूर्ण नहीं रहेगी। जब कार्य न करना हो तो कमेटियां बना दीजिए, वह सोचेगी और बैठेगी और सब खतम हो जायेगा। कमेटियां बनाना ही काफी नहीं है। उसके लिये सभी सामग्री जुटाना पड़ेगा; सब डेरा इकट्ठा करना पड़ेगा, यह सहज कार्य नहीं है, इसमें वर्षों लगेंगे और करोड़ों खर्च होगा। परन्तु यह सब करने की आज आवश्यकता तो नहीं है। अभी कुछ दिन हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ, उसमें जो कुछ है, उसकी सभी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। अप्रजातांत्रिक मार्ग पर चलने वाली केरल सरकार बना लेने के बाद यह स्वीकार करती है कि जो सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान है, वह पूर्ण है। क्या उसमें जो इतना समय लगाया गया है और इतनी मेहनत की गई है, क्या वह काफी नहीं है। उसमें ऐसी चीजें हैं कि जिनसे हम आगे सोच सकते हैं। जो लोग दूसरे देश के रहने वाले हैं वे भी इस चीज को मानते हैं कि आप के पास एक चीज है। दूसरे देश वाले ही नहीं, बल्कि जो दूसरे रास्ते पर चलने वाले हैं वे भी कहते हैं कि आप के पास चीज है तो अकलमन्दी उसको कहते हैं कि जो हमारे पास साधन है उसका इस्तेमाल करके अपने मकसद तक पहुंचें। थोड़ी देर तक कुंवर साहब का कहना मान लिया जाय और एक कमेटी बैठा दी जाय तो क्या वह क्रय-शक्ति को बढ़ाने के लिये, उन सभी कार्यों को करने की राय न देगी जो प्रान्त के क्षेत्र के बाहर हैं। क्या बड़ी-बड़ी मिलें बड़े-बड़े उद्योग इसके दायरे में न आयेंगे क्या सामान पैदा करके रेल के द्वारा दूसरे स्थान पर न भेजा जायगा, तब क्या हमारे स्टेट के कान्स्टीट्यूशन की दिक्कत नहीं पैदा होगी। यह सब खर्च करने के बाद, इतनी सब जिल्लत उठाने के बाद भी यदि हम अपने मकसद को पूरा नहीं कर सके, तो उसको कौन सी अक्लमंदी कह सकते हैं। उससे रुकावट ही होगी।

[श्री कुंवर महावीर सिंह]

इस तरह से हम नहीं बढ़ सकेंगे। हम मानते हैं कि कुंवर साहब की जो भावना है वह बड़ी सुन्दर है, लेकिन उन्होंने जो साधन बताये हैं, जो तरीका बताया है, उससे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें उस वातावरण का ध्यान रखना चाहिये जिसमें हम हैं, उन परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिये जो हमारे सामने हैं। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव जैसा कि यह सदन के सम्मुख प्रस्तुत है, हमारे विचार चाहे जितने भी उसके साथ हों जैसा कि प्रस्ताव का रूप है, वह श्रेयकर नहीं है। उससे कोई बड़ा कन्ट्रीब्यूशन क्रय-शक्ति में होगा या जो ध्येय कुंवर साहब लेकर चले हैं, उससे वह पूरा होगा, यह मुझे आशा नहीं है। मैं कुंवर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लें। वे बराबर सदन को किसी न किसी चीज पर विचार करने के लिये मौका दिया करते हैं, उनका प्लानिंग कमेटी से संबंध रहा है और अब भी उनके विचार प्रगतिशील हैं, जो कुछ सदन में रखते हैं बड़ी नेकनियती से रखते हैं तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे इस तरफ भी सोचेंगे कि मसला क्या है इसका क्या नतीजा होगा और कहां तक हम उसको पूरा कर सकेंगे।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पढ़ कर शुरू में मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। वैसे तो यह ठीक बात है कि हम अपनी क्रय-शक्ति को बढ़ायें, अपने मुल्क की दौलत बढ़ायें या दूसरे शब्दों में अपने जीवन के मापदंड को ऊंचा करें, यह सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। किन्तु मुझे कुछ ऐसा लगा कि यह मुनासिब नहीं है, उसकी वजह यह है कि हम लोग अरसे से राष्ट्रीय आन्दोलन में शरीक रहे हैं। यद्यपि हमारी आमदनी बहुत कुछ बढ़ गई है, फिर भी पिछले ५ सालों के अन्दर आपकी जब आमदनी कम थी और विदेशी शासक यहां से पैसा खींच ले जाते थे, तब भी गांधी जी ने हमें यह बताया कि हम अपने जीवन के मापदंड को नीचा रखें। अपनी इच्छा से गरीबी को कबूल कर लें।

एक बार एक सज्जन ने गांधी जी से पूछा था, संभवतः बिरला जी ने कि आपकी दृष्टि में एक आदमी को कितना खर्च करना चाहिये। गांधी जी ने कहा कि लगभग २५ रु० उन्होंने फिर पूछा कि अगर हिन्दुस्तान की आमदनी १०० रुपये हो जाय, तब कितना खर्च करना चाहिये तब उन्होंने उत्तर दिया कि तब भी २५ रुपया खर्च करना चाहिये। इंगलैन्ड के बढ़े हुए खर्च ने हिन्दुस्तान को गुलाम बनाया। अगर हिन्दुस्तान ने अपना खर्च बढ़ाया तो दुनिया को गुलाम बनाना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है हमें घाटे की अर्थ-व्यवस्था का मुकाबिला करना पड़ रहा है। संभवतः भारत सरकार उस सोने के मुक़ाबिले में, जो उसके पास है उससे अधिक नोट जारी करेगी। ऐसी हालत में हमारे पास दो ढंग हैं, जिन पर हमें विचार करना चाहिये। पहले तो हम उत्पादन को बढ़ायें दूसरे हम क्रय-शक्ति को कम करने के लिये स्माल सेविंग्स में रुपया दें, जो न दे सकें वे न दें, किन्तु जो दे सकते हैं वे अपनी इच्छा से गरीबी को लाद कर खर्च कम करके स्माल सेविंग्स में दें, तब हम अपने देश की हालत का कुछ मुकाबिला कर सकते हैं। आपको मालूम है कि अभी-अभी चीनी पर टैक्स बढ़ाते समय भारत सरकार के वित्त मंत्री ने कहा था कि आप लोग चीनी कम खायें। उन्नत देश जो कि अपनी अर्थ-व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, उनके लिये एक समय आता है जब कि वे कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसके फल को अपने आप छोड़ देते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम उत्पादन बढ़ायें और खर्च को कम करने के लिये अपने रोजाना के खर्च में कुछ बचाकर राष्ट्र के लिये दे दें। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि यह प्रस्ताव मुनासिब नहीं है। वैसे तो यह ठीक बात है कि अपने जीवन के मापदंड को ऊंचा करें, लेकिन आज वह जमाना नहीं है। अभी उस मंजिल पर पहुंचे नहीं हैं। अभी हमें कड़े तप को करना है, कड़ी मेहनत करना है।

यदि हम ऐसा करते हैं तभी हमारे देश में अच्छी व्यवस्था शुरू होगी। इस समय मेरा ख्याल है कि मेरे इस दृष्टिकोण को अपना कर, स्वयं ही प्रस्तावक महोदय इसको विदड्रा कर लेंगे।

*श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी (उद्योग उप-मंत्री)--- जनाबवाला, बावजूद इसके कि जो प्रस्ताव का मकसद है, उससे पूरी हमदर्दी ही नहीं, उस ओर सब लपकना चाहते हैं। जो कुंवर साहब का मकसद है, उसमें सब शामिल हैं। बावजूद इसके मुझे इस प्रस्ताव की मुखालिफत करना है, मुखालिफत इसलिये करना है कि किसी एक स्टेट लेबिल की कमेटी इसको नहीं कर सकती है। दूसरी वजह यह है कि यह काम जो वह चाहते हैं, वह न सिर्फ पिछले फाइव ईयर्स प्लान के बनने के वक्त से शुरू हुआ है, बल्कि उसके पहले से उस पर गौर हो रहा है। वह तो ऐसा कन्टीन्यूइंग प्लान है कि उसके ऊपर बहुत पहले से सोचा जा रहा है। प्लानिंग कमेटियां भी सब उसमें लगी हुई हैं। मगर कोई स्टेट लेबिल की कमेटी इसमें कामयाब नहीं हो सकती है, कि लोगों की क्रय-शक्ति में इजाफा कर सके और न तो वह कास्ट आफ प्रोडक्शन ही नीचा कर सकती है। मान लीजिए रामैटिरियल के दाम हमारे स्टेट में कम हो जायं तो क्या वह माल यहां बिकेंगे? वह दूसरे स्टेट में चले जायेंगे। पहले तो यह कि हमारे जो प्रोडक्शन के एपरेटस हैं, उनका क्या होगा। स्ट्राइक्स होने फौरन शुरू हो जायेंगे, जब यहां कीमतें गिरने लगेंगी और जो स्किल्ड मैन हैं क्या वह फिर यहां रहेंगे? कुंवर साहब ने फरमाया कि एक्स-पोर्ट और इम्पोर्ट के मामले में गौर किया जाय। मैं कहूंगा कि एक्सपर्ट्स हर वक्त उस पर गौर कर रहे हैं और वक्तन फवक्तन तब्दीलियां भी वह करते रहे हैं। हमारे यहां से तो कोई इम्पोर्ट का लाइसेंस भी नहीं दिया जाता है। हम अगर चाहें कि अपने यहां एक शुगर मिल खोल लें तो नहीं खोल सकते, इसलिये कि फौरन एक्सचेंज हमारे पास नहीं है। इसलिये हमारी इस कमेटी से कोई फायदा नहीं हो सकता। मगर यह काम जो वह चाहते हैं, वह बराबर हो रहा है।

माननीय कुंवर साहब जानते हैं कि पिछले दिनों हमारे यहां के बड़े-बड़े अर्थ शास्त्र के पंडितों ने एकत्रित होकर अपना प्लान बनाया है। अब के जो प्लान बना है वह साल ब साल चेन्ज होता रहेगा और इसमें सोचते रहेंगे कि किस तरह से देश की खुशहाली बढ़ायी जा सकती है। खुशहाली बढ़ाने का मतलब यह है कि लोगों की क्रय-शक्ति बढ़े और उनको अधिक पैसा मिले। हम चाहते हैं कि हमारे देश में इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़े और उनको बढ़ाने के लिये क्या-क्या करना चाहिये उसके लिये भी डेफिनिट स्टेजेज हैं। लेकिन अगर कोई यह कहे कि फलां जगह यह काम नहीं हो रहा है, तो उसके लिये तजवीज दे सकते हैं। हमारे देश के लिये दिल्ली में प्लानिंग कमीशन है, उसके बाद हर एक सूबे का अपना-अपना प्लानिंग बोर्ड है और फिर आखिर में हर एक जिले में प्लानिंग कमेटियां हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सूबे के हर एक गांव के लिये अलग-अलग प्लान बने और वे बन रहे हैं। इसी तरीके पर माननीय कुंवर साहब को मालूम होगा कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से इंड-स्ट्रियल सर्वे हो रहा है। हर एक जगह इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर जा रहे हैं और वहां देखा जा रहा है कि वहां पर कौन-कौन से उद्योग हो सकते हैं। अभी अगर आपने यह कमेटी बनायी भी, तो उसके सामने क्या मैटीरियल होगा और किस पर वह अपनी राय दे सकेगी। जब तक उसके सामने कोई ऐसा मैटीरियल नहीं होगा वह अपनी क्या राय दे सकते हैं। सब से बेहतर यह है कि पहले इंडस्ट्रियल सर्वे होने दिया जाय और यह देखा जाय कि किस जगह पर क्या इंडस्ट्री हो सकती है। इसमें हमें बड़े और छोटे उद्योगों को बढ़ाना है। इनके लिये अलग-अलग कमेटी भी हैं। एक बात यह भी गौर करने की है कि

*उप-मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी]

हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है, जो खेती पर निर्भर रहती है और खेती के के सिलसिले में कोई कमेटी की बहुत जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, वह सभी को मालूम है और जानते हैं कि इसके लिये सिंचाई, अच्छे बीज और इंप्रूव्ड इम्प्लीमेन्ट्स की जरूरत है। यह ख्याल भी गलत है, जैसा कि एक साहब ने कहा कि हमारे यहां एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन्स नहीं बढ़ाया जा सकता। जमीन तो नहीं बढ़ायी जा सकती है, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत बढ़ सकता है। हमारे यहां जो कम्पिटीशन होते हैं तो यह पाया गया है कि एक-एक एकड़ में ५४, ५५ मन गेहूं पैदा होता है।

अगर वह पैदा हो सकता है, तो कोई वजह नहीं कि अगर वही प्रैक्टिसेज अख्तियार की जायं, तो हमारा प्रोडक्शन न बढ़ सके। वह बढ़ सकता है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है, लेकिन इन सारी बातों के ऊपर गौर हो रहा है और अगर कोई बात नहीं हो पायी है तो उसकी वजह यह है कि इस बात को जानते हुए भी कि हमें क्या करना चाहिये, क्या हमारे साधन होने चाहिये, लेकिन इन सब के लिये धन की जरूरत है और हमारे पास जो पैसा है, वह कम है और यही वजह है कि इन तमाम तजवीजों को, जो कि हमारे सामने हैं, हम लागू नहीं कर सके। उसके लिये जैसा कि कहा गया है कि सेन्टर से पैसा मिल सकता है, यह भी मुमकिन है, लेकिन उसके लिये सब से बड़ी जरूरत तो इस बात की है कि हम जनता में इस बात को फैलाने की कोशिश करें कि उनकी आज जो कुछ भी आमदनी होती है, उसमें से वह कुछ अपने देश की खुशहाली को बढ़ाने में मदद करें। अब जो यह कहा जाता है कि जनता की क्रय-शक्ति घटती जाती है, तो वह घटती नहीं है बल्कि वह तो बढ़ती जाती है। यह दूसरी बात है कि जिस तेजी से उसके बढ़ने का अनुमान हो, उस तेजी से वह न बढ़ रही हो यह आप जैसा चाहते हैं, वैसा न बढ़ रही हो, लेकिन फिर भी वह बढ़ रही है और उसका सब से बड़ा सबूत तो यह है कि अपने यहां पहले ८ लाख टन चीनी की खपत होती थी, लेकिन आज बीस लाख टन चीनी पैदा होती है और बीसों लाख टन खर्च हो जाती है, तो फिर वह जाती कहां है। यह तो चीनी का हाल है तो इसी तरह से और चीजों का भी अन्दाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ी है या घटी है। आज हम देखें तो मालूम होगा कि साइकिलों की भी पहिले की निस्बत बहुत ज्यादा बिक्री है। जब हम देहातों में जाते हैं तो देखते हैं कि लोगों की कैसी हालत है। मैं अपने तजुर्बे से कहता हूं कि पहले कहीं २०, २५ गांवों में निकल जाइये, तब शायद कहीं दो एक पक्के मकान नजर आते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि शायद ही कोई ऐसा गांव हो, जहां एक दो मकान पक्के न दिखाई दें। तो इसका मतलब साफ है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है। पहिले सिर्फ ३२ लाख टन सीमेंट पैदा होता था, लेकिन आज ६४, ६५ लाख टन पैदा होती है, वह जाती कहां है, उसको लोग खरीदते हैं और हालत यह है कि वह भी पूरी नहीं हो पाता है। जब किसी चीज की जरा भी कमी होती है तो उसको बाज बाज मौके पर बाहर से भी मंगाना पड़ता है। तो इन सभी बातों से सोचा जा सकता है कि जब पहले से दूना प्रोडक्शन हो रहा है और वह भी पूरा नहीं होता तो फिर लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ी है, या घटी है। तो पावर लोगों की बढ़ रही है और बाजार में पैसा भी आ रहा है। अभी जो हालत है वह यह है कि हैवी इंडस्ट्रीज पर काफी रुपया खर्च हुआ है, लेकिन बहुत सी योजनायें अभी ऐसी हैं जिनका अभी कुछ भी नतीजा नहीं निकल रहा है और अगर किसी का कुछ नतीजा हमको मिल भी रहा है तो वह उस मात्रा में नहीं मिल रहा है जिस मात्रा में कि उसमें पैसा लगा है। अगर कीमतें बाजार में बढ़ी हैं, तो पैसा बाजार में काफी जा चुका है और अब कोशिश तो हमारी यह होनी चाहिये कि वह किसी भी सूरत से हमें मिले। उसको लोग स्माल सेविंग में इनवेस्ट करें और तभी देश की खुशहाली भी बढ़ सकती है। इसके लिये साधन तो हम बराबर सोचते हैं और हमारे कुंवर साहब भी अपने जिले की प्लानिंग कमेटीज में जाते होंगे

वह अपने जिलों की प्लानिंग कमेटी में जो जो तजवीजें हैं, उनको पेश करें और उन्हीं को इनकार-पोरेट करके, सूबे भर में योजनायें बनायी जा सकती हैं, लेकिन उसी लिमिट के अन्दर, जितना कि हमारे पास पैसा है या चीजें मौजूद हैं। इसलिये जब कि इसके लिये पहले से ही काम हो रहे हैं, तब फिर एक कमेटी और बना देने से कोई फायदा नहीं होगा और ना ही इस प्रकार की दूसरी कमेटी की जरूरत ही है। मान लिया जाय कि जैसा श्री राम गुलाम जी ने कहा है कि इसके ऊपर सोचने में कोई बुराई नहीं है, चाहे हमें उसमें एक पैसे का ही फायदा हो तो जितनी उसमें मेहनत लगेगी, जितना पैसा खर्च होगा उन सबको छोड़ कर भी अगर एक पैसे का फायदा होता है तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन वह काम तो हो रहा है, चाहे उसमें एक पैसे का भी फायदा न हो। सोचने की बात तो यह है कि जो प्रोडक्शन है वह कैसे बढ़ सकता है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी कि बहुत बड़ी जरूरत हो, इसके लिये एक चीज पहले से मौजूद है, इसलिये डुप्लीकेट वर्क करने की मैं कोई जरूरत भी नहीं समझता हूं, इस वजह से मैं इस प्रस्ताव की मुखालिफत करता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैंने इस सदन के सामने रखा था, उसके संबंध में जो विवाद हुआ है, उसको मैंने बहुत ही ध्यान से सुना है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि सरकार ने मेरे इस प्रस्ताव का विरोध किया है कि इस पर विचार करने के लिये एक कमेटी बनाई जाय। यह बात सही है और मैंने भी पहले यह बात कही थी कि प्लानिंग के संबंध में सेन्टर में भी और यहां पर भी विचार हो रहा है और बहुत से जिलों में भी इस पर विचार किया जा रहा है; इतना होते हुए भी, आज प्रजातंत्र को अपनाने के लिये यह जरूरी है कि हम इस मसले पर अधिक से अधिक विचार करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अधिक विचार करने से कोई ऐसा तरीका निकल सकता है, जिस से सरकार को फायदा पहुंच सकता है। माननीय मंत्रीगण एक्जीक्यूटिव पावर को लेकर कार्य करते हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त जो और नान-आफिशियल लोग हैं, उनकी ओपीनियन को भी हमको अधिक से अधिक अपनाना चाहिये। उनके सुझावों को मानने के लिये यह जरूरी है कि हम इस प्रकार की कोई कमेटी बनायें जो इस पर विचार करें और उनके विचारों से सरकार फायदा उठा सके। इस कमेटी को तो केवल एडवाइजरी अधिकार ही होगा। सरकार ने इस प्रकार की बहुत सी कमेटियां स्टेट लेबिल पर बनायी हैं, जिनसे सरकार को समय-समय पर एडवाइज मिलती है। जैसा कि मैंने प्रस्ताव में कहा है, यदि सरकार उस प्रकार की कोई कमेटी बना लेती है तो उससे सरकार को फायदा ही पहुंचेगा। मैं समझता हूं कि यह कहना कि इस कमेटी की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही लचर दलील है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि बावजूद इसके कि सरकार की निगाह में यह कार्य हो रहा है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की कोई कमेटी बनायी जाती है, तो उसके सुझावों से सरकार को फायदा ही होगा।

मैं अपने माननीय मित्र श्री कुंवर महावीर सिंह जी का बहुत ही कृतज्ञ हूं कि उन्होंने बहुत ही प्रैट्रियोटिज्म के शब्द मेरे प्रति इस्तेमाल किये और यह सही है कि वह अभी हाल ही में सभा सचिव के पद पर पहुंचे हैं और पद पर पहुंचने पर कम से कम मैं भी उनको बतला देना चाहता हूं कि किसी ऐक्शन को किस जिम्मेदारी के साथ उन्हें निभाना है, न कि किसी बात को बहुत अकड़ के साथ कहना है। उन्होंने शायद यह कहा कि मैंने सदन का समय नष्ट किया, तो मुझे दुख होता है और मैं नहीं समझता था कि कम से कम वह इस तरह की बात कहेंगे। मैं भी इस सदन में ६ साल से हूं, लेकिन माननीय नेता सदन ने कभी भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपने भाषण में नहीं किया। बहरहाल, ठीक है, जब थोड़ी सी सत्ता आदमी को मिल जाती है, तो उसमें मनुष्य गलती भी कर जाता है। लेकिन मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि यदि आप इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि समय नष्ट किया, तो यह भी हो सकता है कि सारे का सारा सदन समय नष्ट कर रहा है और इस सदन की भी कोई

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

आवश्यकता नहीं है। नीचे का सदन तो बैठा ही है। इसके लिये तो कुछ पब्लिक ओपीनियन भी हो सकती है। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना मैं समझता हूं कि किसी भी जिम्मेदार आदमी के लिये उचित नहीं है और वह भी ऐसा जिम्मेदार आदमी, जो कि गवर्नमेंट फैमिली का मेम्बर हो चुका हो। बहरहाल, यह ठीक है कि हर मनुष्य में कमजोरियां और गुण होते हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ जब उन्होंने समय नष्ट करने की बात कही। मैं अब भी यह महसूस करता हूं कि आज जो जनता में सब से बड़ा असंतोष गवर्नमेंट के प्रति फैला हुआ है, उसका कारण यह है कि गवर्नमेंट पब्लिक ओपीनियन, नान-आफिशियल ओपीनियन, जोकि लेजिस्लेचर के मेम्बर तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कैबिनेट में नहीं हैं, उन सब की ओपीनियन को असोशियेट नहीं करना चाहती है।

श्री कुंवर महावीर सिंह--On a point of explanation, Sir, ...

श्री कुंवर गुरु नारायण--इस समय आप बैठ जाइए, मैं बोल रहा हूं। मैं एक्स-प्लेनेशन नहीं चाहता हूं।

गवर्नमेंट की अपनी ही कई कमेटियां हैं। वैसे अपने को बुरा कोई नहीं कहता, चाहे वह कितना ही बुद्धू क्यों न हो। सभी अपने को अक्लमंद समझते हैं। लेकिन हमें दूसरों की राय भी जाननी चाहिये। हमारे लिये दूसरों की ओपीनियन जानना बहुत जरूरी है और इसमें अच्छाई ही है। हमें इस प्रकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिये, जिससे कि दूसरे अपनी राय न दे सकें। यह सब डिटेल्स की बातें हैं। हमारे दो तीन माननीय सदस्यों ने फैमिली प्लैनिंग के संबंध में भी कहा, लेकिन मैं इन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं। वह कमेटी किस प्रकार की हो और किन किन बातों पर वह विचार करे, मैं इन सब में नहीं जाना चाहता हूं। कैसे जनता की परचेजिंग पावर बढ़े, ये सब बातें तो कमेटी के टर्म्स आफ रिफरेंस में आ सकती हैं और वही उन पर विचार करेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। कई ऐसी कमेटियां गवर्नमेंट ने भी स्टेट लेविल पर बनाई हैं, वे सब कमेटियां आज भी कार्य कर रही हैं, बावजूद इसके कि गवर्नमेंट भी उस के लिये कार्य कर रही है। जैसे कि मैंने एकोनामी कमेटी का उदाहरण दिया। चीफ मिनिस्टर पं० गोविन्द वल्लभ पन्त की अध्यक्षता में इस कमेटी ने कार्य किया। इसके पहिले रिआर्गेनाइजेशन कमेटी भी बैठी। लेकिन इसके साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एकोनामी कमेटी बनाई और उसकी जांच कराई।

उसके ऊपर आप जांच करायें और उसके जो कनक्लूजन्स निकलें, उसको आप कार्यान्वित करें। माननीय मंत्री जी ने अभी जो कहा है उसके माने यह हैं कि अगर गवर्नमेंट का किसी लेविल पर कोई काम हो रहा है तो वह दूसरे लेविल पर न किया जाय, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। यह गलत बात है। इस कमेटी के निर्माण कर देने से एक फायदा यह निकलेगा कि उससे जो चीजें निकलेंगी, आप उससे जनता में एक कान्फीडेंस पैदा करेंगे। जो आपकी स्कीम है, प्लान है उनके संबंध में आप हर स्टेज पर ऐसी कार्यवाही करते हैं, जिससे कि जनता की राय हासिल हो सके। इसलिये मैं समझता हूं कि यह कमेटी बहुत आवश्यक है। इसके लिये लिये गवर्नमेंट की राय नहीं है, परन्तु मेरी राय तो है कि उसूल के तौर पर गवर्नमेंट यह माने कि इस कमेटी का निर्माण किया जाय। प्रश्न सदस्यों की संख्या का है वह तो बढ़ायी जा सकती है या घटायी जा सकती है और जहां तक उसूल का संबंध है वह तो हमको मानना चाहिये। मैं यह चाहता हूं कि सरकार इसको मंजूर करे।

श्री कुंवर महावीर सिंह--अभी जो कुंवर गुरु नारायण साहब ने कहा मैं उनके जोश की दाद देता हूं। मैंने जो कहा उसको वाकई वह गलत समझ गये, वह कुछ और सोच गये। हो सकता है वह कुछ और सोच रहे हों और उन्होंने यह सोच लिया

कि मैंने यह कहा कि हमें सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहिये। बल्कि मैंने यह कहा कि इससे बाहर का समय नष्ट होगा, यहां का नहीं। इससे आगे चल कर समय नष्ट होगा, कमेटी समय नष्ट करेगी। यह मैंने कहा था।

श्री कुंवर गुरु नारायण--वह तो रिकार्ड होगा।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--मैंने कुंवर साहब का वक्तव्य ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि हमको नान-आफिशियल राय को शामिल करना चाहिये। मैं यह कहना चाहूंगा कि प्लानिंग कमेटी है, उसमें ज्यादातर नान-आफिशियल मेम्बर हैं। उसका मकसद ही यह है कि नान-आफिशियल राय हासिल हो और वह पूरा भी हो रहा है। जो प्लानिंग कमेटी है वह भी यही काम कर रही है और इस कमेटी के बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिये मैंने इस कमेटी के बनाने की मुखालिफत की है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--और तो मुझे कहना नहीं।

श्री डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि यह परिषद् सरकार से सिफारिश करती है वह विधान मंडल के सदस्यों की एक समिति बनावे, जिसमें कि दो प्रथम सदन के, दो द्वितीय सदन के और दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हों, जोकि जनता की क्रय-शक्ति को बढ़ाने के लिये उपाय और साधन बतावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और निम्नलिखित विभाजन के पश्चात् अस्वीकृत हुआ।)

पक्ष में--१

श्री कुंवर गुरु नारायण।

विपक्ष में--२०

श्री अजय कुमार बसु।
श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित।
श्री कुंवर महावीर सिंह।
श्री कृष्ण चन्द्र जोशी।
श्रीमती तारा अग्रवाल।
श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी।
श्री प्रताप चन्द्र आजाद।
श्री पृथ्वी नाथ।
श्री प्रेम चन्द्र शर्मा।
श्री पन्ना लाल गुप्त।
श्री परमात्मा नन्द सिंह।
श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार।
श्री बालक राम वैश्य।
श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन।
श्री महमूद अस्लम खां।
श्री राम नारायण पांडे।
श्रीमती शान्ति देवी।
श्रीमती शान्ति देवी अग्रवाल।
श्रीमती सावित्री श्याम।
श्री श्याम सुन्दर लाल।

श्री डिप्टी चेयरमैन--अब सदन की कार्यवाही २ बज कर १० मिनट तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १ बज कर ५ मिनट पर अवकाश के लिये स्थगित हो गई और २ बज कर १० मिनट पर श्री चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

संकल्प कि सरकार संतति-निरोध के आन्दोलन के प्रचार के लिये उचित उपाय काम में लाकर सुविधायें प्रदान करे।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं --

"इस परिषद् का निश्चित मत है कि जन संख्या की अत्यधिक वृद्धि राज्य के कल्याण में घोर बाधा डालती है और सरकार से अनुरोध करती है कि संतति-निरोध के आन्दोलन के प्रचार के लिये सब उपाय काम में लावें और उसके लिये सुविधायें उपलब्ध करे।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले सत्र में मैंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और वह भी प्लानिंग से संबंधित था और वह प्रस्ताव इस माननीय सदन में सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ था और उस संबंध में केन्द्रीय सरकार का भी ध्यान आकर्षित हुआ था और पालियामेंट में भी उस पर प्रश्न किये गये थे, जिस पर सरकार ने आश्वासन दिया था कि उत्तर प्रदेश के लिये हम बड़ी इन्डस्ट्री की व्यवस्था करेंगे। आज जो प्रस्ताव लेकर मैं सदन के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं वह भी ऐसा प्रस्ताव है।

वह ऐसा प्रस्ताव है, जिसके संबंध में संभवतः इस सदन में दो रायें न होंगी। इसलिये कि आज कल यह आबादी की समस्या एक ऐसी जटिल समस्या हो गई है कि जो राष्ट्र के नायक हैं वह भी चिंतित हैं। हमारे राष्ट्र नायक पं० जवाहर लाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि यदि इस देश की आबादी इसी तेजी से बढ़ती चली गई तो फिर इसका क्या होगा।

यह योजना जो चल रही है वह किस तरह से देश की समस्या की पूर्ति कर सकेगी। जहां तक आबादी बढ़ने का प्रश्न है इस देश में ही नहीं बल्कि संसार में भी जन-संख्या बढ़ रही है। अभी थोड़े दिन हुए यू० एन० ओ० के द्वारा सेन्सस किया गया। उसमें देखा गया कि विश्व की आबादी इस वक्त दो अरब ७० करोड़ है। यह आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक वर्ष पहले जो विश्व की आबादी दो अरब से कम थी वह बढ़ कर दो अरब ७० करोड़ हो गई है। उन्होंने लिखा है कि दुनिया में ५०० बच्चे प्रति घंटे पैदा हो जाते हैं। १ लाख २० हजार बच्चे एक दिन में पैदा हो जाते हैं। इस तरह से ४ करोड़ ३८ लाख बच्चे प्रति वर्ष पैदा होते हैं। इस तरह से यह समस्या न केवल हमारे देश में है बल्कि दुनिया के सामने यह समस्या है। दुर्भाग्य से यह देश इतना विकसित नहीं है कि इस बढ़ती हुई आबादी को संभाल सके और उसके लिये शिक्षा की सुविधा, दवा-दारू की सुविधा उपलब्ध कर सके। इस देश में इतने साधन उपलब्ध नहीं हैं कि इतनी जन-संख्या को रोजगार से लगाया जा सके। जन-संख्या से जो अभाव पैदा हो गया है उसकी पूर्ति हो सके। इस दिशा में काफी प्रयत्न हो रहा है। जितना प्रयत्न हो रहा है वह सब इसी दिशा की तरफ है कि वह इस देश के प्रत्येक आदमी को खुशहाल बना सके। इस देश की बढ़ती हुई आबादी से लोग चिंतित हैं। इस संबंध में जितना ध्यान आवश्यक है उतना ध्यान न दिया गया तो संभव है कि ऐसी स्थिति हो जायेगी, जिससे हमारे आर्थिक क्षेत्र में

अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी। मैं आपके सामने दो एक फिगर देना चाहता हूं, जिससे पता लगेगा कि किस तेजी के साथ आबादी बढ़ रही है--

सन् १८९१ में २७९.४ मिलियन जनसंख्या थी।
सन् १९०१ में २८३.९ मिलियन जनसंख्या थी।
सन् १९११ में ३०३.० मिलियन जनसंख्या थी।
सन् १९२१ में ३०५.७ मिलियन जनसंख्या थी।
सन् १९३१ में ३३.८ मिलियन जनसंख्या थी।
सन् १९४१ में ३८९.० मिलियन जनसंख्या थी।

फिर सन् ३१ में ३३ करोड़ ८० लाख और ४१ में ३८ करोड़ ९० लाख आबादी पहुंची। ४१ के बाद बटे हुए देश की आबादी साढ़े ३६ करोड़ रह गई लगभग ८/९ करोड़ इस देश से बाहर गये। सन् ५१ में साढ़े ३६ करोड़ आबादी रही। इन ६ वर्षों में काफी आबादी बढ़ी है। सन् ६१ में जब सेंसस होगा तब न जाने कितनी आबादी होगी। इन ६ वर्षों के अन्दर साढ़े तीन करोड़ या चार करोड़ आबादी बढ़ गई होगी। यानी लगभग ४० करोड़ की आबादी होगी। इस देश के बंटवारे में लगभग १० करोड़ की आबादी पाकिस्तान में चली गई। नहीं तो इस देश की आबादी ५० करोड़ पहुंच गई होती। जो ५१ के फीगर्स हैं उनसे आबादी दुगनी हो जायगी। सुबह मैंने एक प्रस्ताव पर बोलते हुए बताया था कि इस देश में भूमि सीमित है। साधन बढ़ाये गये हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बढ़े हैं जितनी आबादी बढ़ रही है। आबादी का यही क्रम रहा तो न जाने क्या होगा। भूमि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बढ़ती चली जायगी। हमारे प्रदेश के रहने वालों ने स्वास्थ्य में काफी उन्नति की है दूसरे अच्छे साधन मुहया किये हैं, जिनसे डेथ का रेट कम हुआ है। पहले लगभग २५ प्रति हजार थी अब वह घट कर १३/१४ प्रति हजार हो गई है। पापुलेशन के इस प्रेशर को हम किस तरीके से बर्दाश्त कर सकेंगे उसके लिये तरीके सोचने पड़ेंगे। इस आबादी को किस तरीके से खपा सकें, जिससे जो आबादी बढ़ी है वह ठीक तरीके से अपना जीवनयापन कर सके, बच्चों की शिक्षा की ठीक व्यवस्था कर सकें इसके लिये काफी प्रयत्न हुआ। देश में जितनी जमीनें थीं, ऊसर--बंजर थे चरागाह थे, वे तोड़ दिये गये। चरागाहों के टूट जाने से भयावह स्थिति पैदा हो गई है। गांवों में पशुओं के चरने के लिये चरागाह उपलब्ध नहीं हैं। कब्रिस्तान तोड़ दिये गये। कुछ वर्ष पहिले यह घोषित कर दिया गया था कि हम खाद्य की समस्या को हल कर पाये हैं, लेकिन दो--तीन वर्ष से खाद्य का उत्पादन गिरा। अब हम महसूस करने लगे हैं कि हमने जब यह घोषित किया था कि हम आत्म--निर्भर हो गये हैं, वे फीगर्स ठीक थीं।

जहां तक इन्डस्ट्रीज का ताल्लुक है, यह आपको अखबारों से मालूम हुआ होगा कि आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे देश को फारेन करेन्सी के मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है। हम इस काबिल नहीं रह गये कि बड़ी--बड़ी इन्डस्ट्रीज अपने देश में लगा सकें। आज हम इस बात में लगे हुये हैं कि एक--एक पाई बचा सकें। यह एक ऐसी समस्या है, जिससे उद्योगीकरण के लिये एक बहुत बाधा उत्पन्न हो गई है। जन संख्या बढ़ने के साथ--साथ देश में, मैं अपने प्रदेश की बात ज्यादा कहूंगा, शिक्षा का काफी प्रसार हुआ है। आज तो यहां पर प्रतिवर्ष हाई स्कूल्स और इन्टरमीडियेट पास करके केवल उत्तर प्रदेश में करीब तीन लाख के नौजवान पैदा होते हैं। इनके अलावा ग्रेजुएट्स और साइन्स साइड के और दूसरे भी निकलते हैं। हमारे यहां नौजवानों की एक ऐसी जेहनियत हो गई है कि एक लड़का हाई स्कूल पास जब हो जाता है तो वह खेती नहीं करना चाहता, अगर वह दूकानदार का लड़का है तो दूकानदारी नहीं करना चाहता, वह अपने व्यवसाय से नफरत करने लगता है और इस बात की कोशिश करता है कि हमको किसी प्रकार से नौकरी मिल जाय। इस प्रदेश में सरकारी नौकरियों की संख्या लगभग तीन लाख के है। तीन लाख तो नौजवान हर साल निकलते ही हैं। यह किस प्रकार से सम्भव हो सकता है कि सब को

[श्री प्रेम चन्द्र शर्मा]

नौकरी मिल जाय। जब नौकरी उनको नहीं मिलती है तो एक निराशा की भावना उनमें उत्पन्न होने लगती है। जब रोजगार नहीं मिलता है तब उनकी मनोवृत्ति राष्ट्रीय सरकार के प्रति, अपनी संस्था के प्रति एक विद्रोही मनोवृत्ति बन जाती है। कोई कम्युनिस्ट, कोई सोशलिस्ट बनने की कोशिश करता है। इस प्रकार से एक अशान्ति का वातावरण बनने लगता है और उससे गम्भीर परिणाम होने लगता है। इसके मुताल्लिक अपने प्रदेश की सरकार को अवश्य सोचना चाहिये। इस सम्बन्ध में प्रचार भी बहुत कम है। हम अपने प्रदेश के रहने वालों को संतति निग्रह की तरफ आकर्षित करें, इस ओर प्रचार की कमी है। सरकार की दूसरी स्कीमें जो हैं उनके लिये सरकार का इन्फारमेशन डिपार्टमेंट काफी प्रोपेगेन्डा करता है। मुझे बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी है फैमिली प्लैनिंग के सम्बन्ध में कुछ मैटेरियल इकट्ठा करने में, इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल फैमिली प्लैनिंग बोर्ड को भी लिखा। लेकिन कहीं से कोई ऐसी स्टेटिस्टिक्स नहीं मिल सकी जिससे मैं जानकारी हासिल कर सकता। इससे प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में उदासीनता है प्रादेशिक सरकार की और यह भी हो सकता है कि इस सम्बन्ध में काफी ध्यान भी आकर्षित नहीं किया गया है। इसी भावना से प्रेरित होकर इस प्रस्ताव को इस सदन के सामने पेश किया गया है। थोड़े दिन पहले फैमिली प्लैनिंग की मीटिंग हो रही थी। पं० जवाहर लाल जी भी उसमें उपस्थित थे। श्री डी० पी० करमाकर स्वास्थ्य मन्त्री गवर्नमेंट आफ इंडिया के भी उपस्थित थे। उन्होंने जो बतलाया है उससे मालूम होता है कि स्टेट गवर्नमेन्ट्स इस सम्बन्ध में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। पिछली पंचवर्षीय योजना में कुछ रुपया फैमिली प्लैनिंग के लिये रखा गया था। कुछ प्रादेशिक सरकारें ऐसी हैं जिनमें हमारी प्रादेशिक सरकार भी है उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई इन्टेरेस्ट नहीं लिया है और जो ग्रान्ट मिल सकती थी वह लैप्स हो गयी तथा हम उससे कोई लाभ नहीं उठा सके। मैं उसमें से दो एक शब्द पढ़ देना चाहता हूं, जो कि डाक्टर करमाकर ने कहे हैं :—

"The success of the family planning programme, he said, will not only depend on central plans but on field organization. I will, therefore, urge those State Governments, who have not already done so, to appoint family planning officers, from family planning boards and send proposals for intensifying the family planning programme in their States, so that effective field organization can be speedily developed"

तो इसके सम्बन्ध में अपने प्रदेश में न कोई फैमिली प्लानिंग बोर्ड ही कायम हुआ और न कोई डाक्टर ही इस काम के लिये नियुक्त किये गये। इस तरह से जो पहली पंचवर्षीय योजना में अनुदान केन्द्रीय सरकार ने रखा था वह लैप्स हो गया और उससे कोई भी लाभ नहीं उठाया जा सका। पहली पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिये ६५ लाख रुपया रखा गया था और अब दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत ४ करोड़ रुपया रखा गया है और आशा की जाती है कि अगर प्रदेशीय सरकारें इसमें दिलचस्पी लें तो अवश्य लाभ उठा सकते हैं।

In the First Five-Year Plan a provision of Rs.65 lakhs was made for the family planning programme, while in the Second Plan a provision of Rs. 400 lakhs at the Centre and Rs.97 lakhs in the States has been made.

यानी करीब ५ करोड़ रुपया दूसरी पंचवर्षीय योजना में फैमिली प्लानिंग में खर्च करने जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आप स्वयं जानते हैं कि हमारा प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, जिसकी आबादी लगभग समूचे देश की आबादी का एक बटा पांच या एक बटा छः है। इस तरह से यदि हम प्रयत्न करें और एक बटा दस भी भाग उस अनुदान में से लेने में कामयाब हो सकें तो वह रकम काफी है। जो रकम केन्द्रीय सरकार ने रखी है उसमें से प्रतिवर्ष हमको १० लाख रुपया मिल सकता है। उस १० लाख रुपये से अगर कोई फैमिली प्लानिंग बोर्ड कायम किया जाय या जो दूसरी संस्थायें काम कर रही हैं, उनको अनुदान दिया जाय तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में काफी काम हो सकता है। १० लाख रुपये को काफी बड़ी रकम होती है। यह तो मैंने घटाकर रखा है। हमें तो ज्यादा मिल सकता है लेकिन १० लाख से भी काफी काम चल सकता है। इस से बड़ा भारी प्रोपेगेन्डा हो सकता है और इतना ज्ञान फैमिली प्लानिंग के बारे में हो सकता है जिससे प्रदेश के लोगों को फैमिली प्लानिंग कान्सेस बनाया जा सकता है। यह परिस्थिति हमारे सामने है और डिप्टी मिनिस्टर डाक्टर साहब हमारे यहां पर बैठे हुये हैं, वे स्वयं इस सम्बन्ध में जानते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इसके सम्बन्ध में कार्य किया जाय और अपने प्रदेश में फैमिली प्लानिंग बोर्ड कायम किया जाय तथा जो अनुदान केन्द्रीय सरकार से मिल सकता है उसको लिया जाय।

इसके अलावा और दूसरे जरिये हैं जिनके जरिये से फैमिली प्लानिंग को उन्नति दी जा सकती है। जहां तक अपने प्रदेश का ताल्लुक है यहां पर इस चीज को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। जैसा कि सुनने में आता है कि यदि इस प्रकार का कोई प्रयत्न होता है तो सरकार उसको इन्करेज नहीं करती है बल्कि डिसकरेज ही करती है। यह कहां तक सही है, मैं नहीं जानता लेकिन सुना गया है कि सरकारी कर्मचारियों को आजकल जो मेडिकल सुविधा मिलती है वह यह है कि जो रुपया वह दवाइयों इत्यादि पर खर्च करते हैं वह रुपया रियम्बर्स किया जाता है लेकिन अगर कोई अपना आपरेशन बर्थ कन्ट्रोल के लिये कराना चाहता है तो वह रुपया जो इसमें खर्च होता है रियम्बर्स नहीं होता है। इससे मालूम होता है कि सरकार कोई दिलचस्पी नहीं लेती है।

अब मैं एक दो मिसालें देकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। मैं अपने ही नगर में एक मिडिल क्लास के आदमी से मुलाकात करने गया। वे एक मुसलमान भाई थे और इत्तिफाक से उनके घर पहुंच गया। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि क्या परिस्थिति हमारे यहां की है। सन्तानें सभी की हैं लेकिन किस तरह से वे जीवन यापन कर रहे हैं वह मैंने वहां पर देखा। मैंने देखा कि वे अपनी बैठक में एक लम्बा-चौड़ा लिहाफ ओढ़े हुये थे। मैंने सोचा कि इतना लम्बा-चौड़ा लिहाफ ये क्यों ओढ़े हुये हैं, क्या यह कोई खास ऐतिहासिक लिहाफ तो नहीं है। मैंने उनसे कहा कि भाई इतना लम्बा चौड़ा लिहाफ क्यों ओढ़े हुये हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे खुदा की फजल से ११ बच्चे हैं वे सभी इस लिहाफ के नीचे रहते हैं क्योंकि हर एक के लिये अलग-अलग लिहाफ बनाना मुश्किल है। जब उनके लिये कपड़ा नहीं है, बिस्तर नहीं है और चारपाई नहीं है तो फिर यह देश कहां जायेगा। मैं एक और छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। मेरे एक मित्र वकील हैं और उनको काफी लड़कियां हैं। वह गांव के रहने वाले हैं। वे एक रोज छुट्टियों में अपने गांव जा रहे थे तो साथ में लड़कियों को भी लेते गये। जब वे रास्ते में चलने लगे तो मालूम हुआ कि एक लड़की कम हो गयी है। वह सोचने लगे कि क्या एक लड़की एक्के में से तो नहीं गिरी लेकिन ऐसा भी कोई ख्याल नहीं आया। वे रास्ते से ही वापस लौटकर अपने घर आये तो क्या देखते हैं कि वह लड़की घर के अन्दर बन्द है। जब इस तरह की बातें होती हैं तो सोचते हैं कि आखिर हमारे देश की क्या हालत होगी। अब केवल संक्षेप में कहना चाहता हूं यह सरकार के ऊपर है कि किस तरह से वह इस प्रकार की व्यवस्था करे जिससे इस दुर्दशा का सुधार हो सके। जहां तक इस संकल्प की शब्दावली का सम्बन्ध है उसको मैंने इस तरह से रखा है जिसमें सरकार के ऊपर किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं है, उसमें

[श्री प्रेम चन्द्र शर्मा]

सरकार के हाथों को इस प्रकार से खुला रखा है कि वह जैसा चाहे उस समस्या के ऊपर काबू पाने की कोशिश करे। इसलिये खास तौर से इस प्रकार की शब्दावली का ध्यान रखा गया है। इसमें फिर भी यदि कोई कमी होगी तो मैं उचित संशोधन के लिये भी तैयार हूं लेकिन यह संकल्प ऐसा है जिसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना आवश्यक है।

जहां तक इस बढ़ती हुई आबादी का ताल्लुक है वह सबसे ज्यादा हिट लोअर मिडिल क्लास के तबके के ऊपर करता है। कारण यह है कि जो बड़ा आदमी होता है, वह तो अपने बच्चों के लिये अच्छे खाने-पीने की व्यवस्था कर सकता है, उनको अच्छी प्रकार की शिक्षा दिला सकता है, अच्छी तरह से उनका लालन-पालन कर सकता है और फिर जो गरीब तबका होता है, उसके सामने भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है क्योंकि जिस तरह से उनके रहन-सहन का तरीका है उसमें उनका गुजर हो जाता है। उनकी बीवी काम स्वयं भी कर सकती है, बच्चे जब तक नादान होते हैं, तभी तक पालने की समस्या होती है, उसके बाद वह भी किसी न किसी काम में लग जाते हैं लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास का तबका है वह ऐसा है कि उसके जहां ४, ६ बच्चे हुये, २०-२० वर्ष तक उनके तालीम की व्यवस्था करना, उनका इलाज करना, इसी में वह तबाह व बरबाद हो जाता है और उसकी जिन्दगी नर्कमय हो जाती है और वह जीवन में हर समय व्यथित ही रहता है। तो खास तौर से यह तबका ऐसा है जिसके ऊपर इस चीज का पूरा प्रभाव पड़ता है।

अब मैं इसके विषय में चन्द बातें कहना चाहता हूं माननीय डाक्टर साहब भी यहां पर उपस्थित हैं और मैं समझता हूं कि इस सब्जेक्ट में वह मुझसे कहीं अधिक ज्ञान रखते हैं, मालूम नहीं उनके दिमाग में क्या तरीका है जिससे कि वह फैमिली प्लानिंग कर सकें, लेकिन फिर भी मैं यह कह देना चाहता हूं कि एक तरीका ऐसा है जिससे कामयाबी हासिल हो सकती है। वह तरीके ऐसे हैं जिनको डाक्टर साहब भी स्वयं जानते हैं कि पुरुष भी अपना आपरेशन कराते हैं और स्त्रियां भी आपरेशन कराती हैं मगर इस सम्बन्ध में बहुतों को तो जानकारी ही नहीं है। बड़े-बड़े और अच्छे पढ़े-लिखे आदमी से पूछिये, वह नहीं जानता है कि फैमिली प्लानिंग का क्या तरीका है और उसका कारण यह है कि इस बात का प्रचार नहीं हुआ है और ना ही इस विषय में कोई साहित्य या लेख आदि ही निकलते हैं, लोग इस विषय में कुछ संकोच भी महसूस करते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि एक ऐसी चीज, जिस पर राष्ट्र का भविष्य निर्भर हो, उसके सम्बन्ध में क्यों संकोच किया जाय। जितने हमारे इस देश में मैटर-निटी वोर्ड्स या सेन्टर्स हैं, चाहे वह म्युनिसिपल बोर्ड के द्वारा चलाये जाते हों या हास्पिटल्स हों, वहां पर इस बात की व्यवस्था की जाय और खास तौर से मेटरनिटी सेन्टर्स में इस बात का प्रबन्ध हो कि जो भी बर्थ कन्ट्रोल के आपरेशन कराना चाहें, इसकी वहां पर पूरी व्यवस्था हो। इसी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल हैं, या तहसील हास्पिटल्स हैं, उनके डाक्टरों को ट्रेनिंग दिला करके इस काबिल बनाया जाय कि वह इस तरह से बर्थ कन्ट्रोल के लिये सहायक सिद्ध हो सकें। हर हास्पिटल में डाक्टरों की व्यवस्था की जाय जहां पर कि इस तरह के आपरेशन हो सकें। अभी तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपरेशन कराना चाहता है तो उसको ऊंची फीस देनी पड़ती है और वह भी खास खास जगहों पर ही हो सकता है। छोटे अस्पतालों में तो डाक्टरों को पता भी नहीं है कि आपरेशन का क्या तरीका है केवल बड़े अस्पतालों में इस प्रकार का आपरेशन किया जाता है और उसके लिये भी लोगों को बड़ी भारी फीस देनी पड़ती है। मैं तो इस बात को महसूस करता हूं कि इस चीज को प्रोत्साहन देने के लिये इस तरह के आपरेशन फ्री आफ चार्ज होने चाहिये और उनसे किसी प्रकार की फीस नहीं ली जानी चाहिये और जो लोग भी इस तरह का आपरेशन कराना चाहें वह बगैर फीस के ही अपना आपरेशन करा सकें, इस बात की व्यवस्था हर अस्पताल में होनी चाहिये।

दूसरे पब्लिसिटी के द्वारा चाहे फिल्म चालू करके, गांवों में प्रचार के जरिये, इन्फारमेशन डिपार्टमेंट के जरिये से गांव-गांव में इस बात का प्रचार होना चाहिये कि जिससे लोगों में इस

बात की चेतना पैदा हो जाय कि ज्यादा सन्तान पैदा करने से जीवन नर्कमय हो जाता है और राष्ट्र को क्षति पहुंचती है। हमको ऐसा वातावरण पैदा करना पड़ेगा जिससे यह चीज खत्म हो जाय। हमारे देश में अब इस बात की जरूरत है कि अधिक सन्तान पैदा न हों। माननीय मन्त्री जी स्वयं इस बात का निर्णय करेंगे कि इस बात का प्रचार किस प्रकार से हो और कौन सा ऐसा तरीका निकाला जाय जिससे अधिक सन्तान न पैदा हो। सरकार इस चीज को चाहे लेजिस्लेचर के द्वारा रोके या और कोई काम करे। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे किसी एक व्यक्ति के तीन या चार से अधिक सन्तान न हो। मैं तो समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी स्वयं इस बात से सहमत होंगे कि अधिक सन्तान नहीं होनी चाहिये। सरकार इस बात को जानती है कि प्रदेश में इसके लिये कुछ प्रयत्न किया गया है लेकिन जो प्रयत्न किया गया है वह नहीं के बराबर है और उसकी कहीं गिनती नहीं की जाती है। हमारे यहां जो रेड क्रास सोसाईटी है उसने कुछ काम जरूर किया है। लेकिन उनके पास अधिक पैसा न होने के कारण अपना काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। उनको १५ हजार रुपया सरकार देती है, इतने बड़े प्रदेश में १५ हजार रुपया कोई माने नहीं रखता है। मैं तो समझता हूं कि सरकार रेड क्रास सोसाईटी को अधिक धन देकर उनके जरिये से यह काम कराये तो बहुत अच्छा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो शब्द कह कर समाप्त कर दूंगा। हमारे देश में ऐसी कई स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने यहां फैमिली प्लानिंग के लिये सबसिडी दी है और उस पैसे से उनके यहां काम होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को अपने प्रदेश के लिये भी धन देना चाहिये ताकि यह काम अच्छी तरह से हो सके। सरकार को चाहिये कि वह लोगों को फैमिली प्लानिंग के लिये उत्साहित करे। प्रदेश में इसके लिये काफी प्रचार होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रस्ताव को सदन के विचारार्थ उपस्थित करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस पर गौर करेगी, क्योंकि यह एक बहुत ही इन्नोसेन्ट सा प्रस्ताव है और इसके सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि इस सदन का प्रत्येक वर्ग इससे सहमत होगा और सरकार भी इससे सहमत होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि संकल्प की जो शब्दावली है उसको स्वीकार करने में सरकार को कोई हिचक नहीं होगी।

श्रीमती सावित्री श्याम (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री प्रेम चन्द्र शर्मा जी ने इस सदन के सम्मुख रखा है, मैं समझती हूं कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमें केवल एक वाद विवाद का ही विषय नहीं समझना चाहिये बल्कि इस सदन के माननीय सदस्यों को इस पर पूरी तरह से विचार करना चाहिये। हमारी सरकार को भी इसके लिये कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिये। मैं उनके लिये इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करती हूं। उन्होंने अपने भाषण में इस बात पर प्रकाश डाला है कि आज फैमिली प्लानिंग की क्यों आवश्यकता है। यह हम देख रहे हैं कि हमारी आबादी दिन प्रति दिन बढ़ रही है, बढ़ ही नहीं रही है बल्कि मल्टिपुल हो रही है। हिन्दुस्तान की आबादी की कैलकुलेशन से मालूम होता है कि यहां प्रति मिनट एक बच्चा पैदा होता है। तो इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि एक साल में पूरे देश में या हमारे सूबे में कितनी जनसंख्या बढ़ सकती है। हमारी सरकार के अच्छे कार्यों से भी इसका अच्छा प्रबन्ध हो गया है क्योंकि जो पहले नेचुरल कैलेमटीज आती थीं जैसे हैजा, प्लेग, कालरा, फ्लड आदि, उन सबके लिये भी भी हमारी सरकार की ओर से प्रयत्न किया जाता है कि कम से कम व्यक्ति मरें। यह तो एक वेलफेयर स्टेट की पहचान है। अध्यक्ष महोदय, कितनी भी हमारी सरकार प्रयत्न करे, कितने ही कारखाने खोले और अपने रिसोर्सेज बढ़ायें, यह उसके लिये मुमकिन नहीं है कि वह हर एक को रोजगार में लगा सके। सरकार तो सभी को रोजगार देने का वादा करती है, परन्तु इस बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से, वह किसी भी दिन चाहे ५० वर्ष ही क्यों न बीत जाये, अपनी पूरी कोशिश करके भी सबको रोजगार नहीं दे सकती है। विनोबा जी ने अपने कई आर्टिकिल्स में लिखा है कि हमारी सरकार ने बराबर प्रयत्न किया कि हम अपने यहां के

[श्रीमती सावित्री श्याम]

सभी लोगों को रोजगार दें, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वह २ प्रतिशत लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाई है। अगर इसी तरह से सरकार बराबर कोशिश करती रहे, तो भी वह अपने इस एम में सफल नहीं हो सकती है क्योंकि आज हमारी आबादी बहुत बढ़ रही है। माननीय नूरुर महोदय ने बढ़ती हुई आबादी पर काफी रोशनी डाली है और अब इसकी आवश्यकता नहीं है कि मैं इस पर कुछ कहूं। यह बढ़ती हुई आबादी बड़े लोगों में तो कम बढ़ती है, लेकिन इसका असर गरीब लोगों पर बहुत पड़ता है। यह गरीब और मिडिल क्लास जिनकी आमदनी १०० रुपये से लेकर ५०० रुपये तक है, वह अपनी इस बढ़ती हुई आबादी के बोझ से बहुत दबे हुये हैं। यह मिडिल क्लास आदमी जो होते हैं, यह पढ़े-लिखे भी होते हैं और वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन्दगी में रहने के लिये किन-किन चीजों की आवश्यकता है और कैसे रहा जा सकता है। वे यह भी जानते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिये और किस तरह से रखना चाहिये, कैसी उनको शिक्षा देनी चाहिये। इस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाने में प्रति एक बच्चे पर उनको १०० रुपये महीना खर्च करना पड़ता है। साधारणतया मिडिल क्लास के लिये यह संभव नहीं है कि वह प्रति बच्चे पर एक महीने में १०० रुपये खर्च कर सके। साधारण मिडिल क्लास फैमिली में जहां कि ६ ७ बच्चे हैं, उनके भरण-पोषण के लिये, शिक्षा के लिये और इलाज के लिये उनको जो खर्च करना पड़ता है, उससे वे बहुत परेशान रहते हैं। सबसे बड़ा जो इसका असर पड़ता है, वह हमारा मिडिल क्लास ही है और मिडिल क्लास की जो सोसाइटी हैं, यह समाज का बैक बोन है, हमारा समाज इन्हीं पर निर्भर है। उस को अपना स्टैन्डर्ड भी देखना है और अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की ओर भी ध्यान देना है। इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना उसके लिये बड़ा मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी बात जो मिडिल क्लास के लिये है, वह यह है कि उसे अपने बच्चों को कम से कम २५ वर्ष तक देखना पड़ता है और उसका हर तरह का खर्च उठाना पड़ता है। शुरू से शिक्षा दिलाकर, जब तक कि वह रोजगार में न लग जाये, उसका खर्चा उन्हीं को देना पड़ता है। जो हमारा गरीब क्लास है, जो गांव में रहते हैं, उनके जीवन की आवश्यकताओं पर इस तरह से कोई असर नहीं पड़ता है।

परन्तु जो छोटा गरीब तबका है उसमें १२-१३ वर्ष के लड़के खुद कुछ काम करने लगते हैं नौकरी करने लगते हैं या कोई छोटा-मोटा रोजगार करने लगते हैं यह मदद देने लगते हैं। इस तरह से १२-१३ वर्ष के लड़के हुये कि वह अपने ऊपर आत्म-निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके बच्चे २०-२५ वर्ष तक पढ़ते-लिखते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब हमें लड़कों को पढ़ाना है तो इस बात की आवश्यकता होगी कि वह कितने बच्चों का पालन कर सकते हैं, कितने बच्चों को पढ़ा-लिखा सकते हैं, इसलिये जितने बच्चों की पढ़ाने-लिखाने की क्षमता है उतने ही बच्चे होना चाहिये। पर प्रश्न यह है कि हम यह चीज सब जानते हैं लेकिन उस पर हम कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिये मैं यह समझती हूं कि सभी माननीय मन्त्रियों को इस पर विश्वास भी नहीं है। वह यह समझते हैं कि यह स्वाभाविक चीज है और इसका शरीर से एक जरूरी सम्बन्ध है। मां-बाप ही नहीं बल्कि वह जो गवर्नमेंट चलाते हैं वह भी यह समझते हैं कि यह एक ईश्वरीय देन है। इसलिये इसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहते हैं। मैं एक फैटलिस्ट हूं और मैं भी यह मानती हूं कि पर इसके साथ ही साथ साइन्स के जो नये-नये तरीके हैं उनसे भी हमें फायदा उठाना चाहिये। हमारे सोशल प्लानिंग और इन्फारमेशन के डिपार्टमेंट खुले हुये हैं, उसी तरह का एक डिपार्टमेंट खोलकर हम यह कार्य कर सकते हैं जो कि फैमिली प्लानिंग का गांव-गांव जाकर इसके क्या फायदे हैं यह बतलायें। किसी चीज को चलाने के लिये हमें सब से पहिले उसको समझाने की जरूरत पड़ती है। जो जन-साधारण हैं वह जब तक यह न समझ लें कि यह क्या चीज है इसके क्या क्या फायदे हैं तब तक वह चीज अच्छी तरह से नहीं चलती है और उसके जो तरीके हैं, जो मीन्स हैं, वह तो डाक्टरों और जो उसके

एक्सपर्ट हैं उनका काम है वह उसको बतलायें। यह सदन का काम नहीं है कि वह यह बतलाये कि इससे क्या तरीके हैं। हमको तो यह समझना चाहिये कि इसके क्या-क्या फायदे हैं और उसको जन-साधारण तक पहुंचाना चाहिये। हमारे यहां रेड क्रास की तरफ से कुछ तीन चार सेन्टर खोले गये हैं। एक सेन्टर बरेली में है। उनको सौ डेढ़ सौ रुपया तनख्वाह भी दी जा रही है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। वह घरों में जाती हैं और बहुओं से कुछ बातें करतीं हैं तो जो उनकी बुढ़िया सास हैं वह उनको घर से बाहर निकाल देती हैं। जहां कोई फैमिली प्लानिंग की बात न समझे वहां क्या फायदा हो सकता है। हमको पहिले वातावरण बनाना है यह सबसे पहिला काम है। ऐसा वातावरण का निर्माण हो कि लोग उसके फायदे को समझें और यह सरकार की जिम्मेदारी है। उसके लिये जिस वातावरण की आवश्यकता है वह सरकार पूरा करे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि कानपुर में एक बुढ़िया ने एक फैमिली प्लानिंग की वर्कर को झाड़ मार कर घर से निकाल दिया। इस तरह की चीजें तभी रुक सकती हैं जबकि उसके लिये एक अनुकूल वातावरण पैदा हो। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे माननीय मन्त्री लोग हैं वह जगह जगह भाषण करने के लिये जाया करते हैं। जब वह भाषण देने जायं तो अगर इसके लिये भी कुछ कह दिया करें तो अच्छा रहेगा। मैं समझती हूं कि उनके भाषणों का बहुत कुछ असर हमारी पब्लिक पर पड़ सकता है यदि वे अपने भाषणों में यह बतावें कि किस तरह से फैमिली प्लानिंग एडाप्ट की जा सकती है। यदि इस तरह से हमारे प्रदेश के मन्त्री करें तो यह बहुत लाभकारी हो सकता है क्योंकि पब्लिक उनकी बात का विश्वास करती है, उनकी बात में वजन है, एक कीमत है। इसके साथ ही साथ में यह कहना चाहती हूं कि फैमिली प्लानिंग की जाग्रति की आवश्यकता स्त्रियों में इतनी नहीं है जितनी पुरुषों में है। पुरुष इस बात के लिये ज्यादा जिम्मेदार हैं। हम देखते हैं कि आये दिन स्त्रियों पर ही इस बात की जिम्मेदारी डाली जाती है लेकिन मेरा कहना है कि इस जिम्मेदारी में पुरुष भी शामिल हैं। स्त्रियां तो स्वाभाविकतः धर्म में विश्वास करती हैं और उनके लिये यह कोई कठिनाई नहीं है। पुरुषों का तो आसानी से आपरेशन हो सकता है। आजकल विज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है और साइन्टिफिक तरीके से आपरेशन हो रहे हैं इससे अधिक सन्तान उत्पत्ति रोकी जा सकती है। एक जमाना वह भी था कि पुरुष वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे और स्वयं अपने ऊपर नियन्त्रण रखते थे। पहले स्त्रियों को भी अवकाश मिलता था कि वे एक दो साल के लिये अपने घर चली जाती थीं आज समाज का तरीका बदल गया है और वे नहीं जा पाती हैं। ऐसी परिस्थिति में आत्म संयम बहुत आवश्यक है। यदि बच्चों के पैदा होने में एक गैप हो जाय और आत्म संयम से यह किया जा सकता है तो फैमिली प्लानिंग में बहुत कुछ सहायता मिल सकती है। इसलिये मेरा कहना है कि हर बात में स्त्रियों को ही जिम्मेदार बनाना इस तरह की कोई दलील नहीं है। मूवर महोदय ने कहा कि लेजिस्लेचर कर दिया जाय इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जितना ही हम लेजिस्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं उतना ही हम ब्यूरोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का लेजिस्लेशन बनाकर हम कायम करते जा रहे हैं। जो काम ऐक्ट बनाकर पुलिस का भय दिखा कर आज किया जाता है वह वातावरण उत्पन्न करके भी किया जा सकता है इसीलिये सरकार कोई इस सम्बन्ध में लेजिस्लेशन बनावे इसकी मैं मुखालिफत करती हूं कि और इस बात का समर्थन करती हूं कि सरकार इसके लिये वातावरण बनावे। फैमिली प्लानिंग की शिक्षा लेक्चर्स के द्वारा, मैटरनिटी सेन्टर्स के द्वारा दी जा सकती है। मैं इस प्रस्ताव की भावना को अच्छी तरह से समझती हूं। आज स्कूलों में जो दाखिला होता है तो जिस आदमी को चार बच्चों का दाखिला करवाना होता है उसकी सब आमदनी फीस में ही चली जाती है। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि लोग इस बात को समझें कि बच्चा पैदा करने का अधिकार उन्हीं को है जो उनको लायक बना सकें, उनको सुयोग्य बना सकें। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि पुरुष समाज ही इसके लिये जिम्मेदार है और वह चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं समझता हूं कि बहुत उचित है। हमारे देश और प्रदेश में जिस शीघ्रता के साथ जनसंख्या बढ़ रही है उससे हमारे प्रदेश में एक भयंकर खतरा उत्पन्न हो गया है और अगर इसी अनुपात से जनसंख्या बढ़ती रही तो फिर क्या होगा इसको कोई नहीं जान सकता। हमारे प्रदेश के जो साधन और सम्पत्ति है उसको देखते हुये जो जनसंख्या है उससे ऐसा ज्ञात होता है

(इस समय ३ बजकर १ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

कि हमारे प्रदेश में भयंकर गरीबी और बेरोजगारी होगी। इन सारे खतरों को देखते हुये इस बात की आवश्यकता है कि हमारे प्रदेश के अन्दर फैमिली प्लानिंग की योजना बनाई जाय। यह योजना दो प्रकार से बन सकती है। एक साइन्टिफिक ढंग से हो सकती है, जो फैमिली प्लानिंग सेन्टर्स खोले जायं उनमें आपरेशन और इन्जेक्शन आदि का प्रयोग किया जाय और दूसरा ढंग यह भी हो सकता है कि सारे प्रदेश में प्रचार किया जाय, लोगों को संयम के साथ रहना चाहिये और जहां तक हो सके सन्तान की कम उत्पत्ति हो। जब इस प्रकार की योजनायें देश में बनें तभी मैं समझता हूं कि देश में जन-संख्या बढ़ने से रोकी जा सकती है। जहां तक फैमिली प्लानिंग सेन्टर्स का सम्बन्ध है मुझे ठीक मालूम है कि लोगों में गलत भ्रम है। शहर की जनता में जो है वह तो है ही लेकिन देहात की जनता में खासतौर से भ्रम है। बल्कि आम चुनाव में इस तरह के इश्तहार छपवाये गये थे कि यदि कान्ग्रेस की सरकार होगी तो उसके बाद वह आदमियों पर प्रतिबन्ध लगायेगी और औरतों को बच्चे नहीं पैदा करने देगी। तो इस तरह की गलतफहमी देहात की जनता के अन्दर फैलाई गई है और पैदा होती हैं। इसलिये हमारे प्रदेश में प्रचार करने के लिये एक सुचारु मशीनरी होना चाहिये। क्योंकि सिर्फ फैमिली प्लानिंग सेन्टर्स खोल देने से ही इस मर्ज की दवा नहीं हो सकती है। इसका इलाज प्रचार के द्वारा करना चाहिये।

सबसे पहले लोगों को समझाना चाहिये कि इससे क्या फायदा है। कुछ लोग समझते हैं कि इससे आदमी की जिन्दगी कम हो जाती है और बहुत से आदमी यह समझते हैं कि इससे आदमी जल्दी मर जाता है। इस वजह से इससे बहुत गलत फहमी लोगों में है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के अस्पताल जो हैं वे कामयाब नहीं होंगे। संयम के सिलसिले में लोगों को समझाया जाय और पढ़े-लिखे लोगों को समझाया जाय मैनपावर किसी देश के लिये आवश्यक है। एक बार फैमिली प्लानिंग के बारे में एक डिबेट हुआ था उसमें एक प्रोफेसर साहब ने भाषण दिया। वह हेड आफ दि डिपार्टमेंट थे। उन्होंने अपने भाषण में बतलाया कि यह बिलकुल गलत है कि फैमिली प्लानिंग करना बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि देश के अन्दर जितनी तेजी से आबादी बढ़ेगी उतना उस देश के लिये फायदे की वस्तु होगी। मैन पावर दुनिया के अन्दर बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान की सरकार इस मसले को हल करने में असमर्थ है इसलिये वह फैमिली प्लानिंग के लिये चिल्लाती है। उन्होंने कहा कि चीन में ज्यादा आबादी है लेकिन वहां पर मैन पावर को अच्छी तरह से यूटिलाइज किये है तो जब तक उस लेख का जवाब नहीं दिया जाता और जब तक लोगों को समझाया नहीं जाता तब तक यह काम नहीं होगा। मैनपावर एक ताकत है लेकिन आजकल जब एटम बम्ब का युग है तो उसके सामने मैन पावर की कोई ताकत नहीं है। ये सब बातें हैं जो प्रचार से हल हो सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जितने इस प्रकार के प्रचार के सेन्टर्स हैं उसमें केन्द्रीय सरकार को सहायता देनी चाहिये। केवल स्टेट गवर्नमेन्ट्स इस बड़े बोझ को नहीं उठा सकती हैं। क्योंकि इसके पास इतना साधन नहीं है। इसमें केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह यू० पी० जैसे प्रदेश की सहायता धन से करे और प्रचार करवाये। लोगों को इधर-उधर भेजे तभी यह योजना कामयाब हो सकती है। इस योजना की कामयाबी के लिये एक बात और भी है और वह यह है कि इसका ज्यादातर थ्योरिटिकल प्रचार किया जाता है। वह ज्यादा माने नहीं रखता। जैसे सावित्री जी ने कहा कि मिनिस्टर साहबान

जायें तो इसका प्रचार करें। हमारे मिनिस्टर साहबान जो हैं और गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं वे भी इक्जाम्पुल प्लेस करें कि हम संयम से रहते हैं आप लोग भी रहें। जितने भी मिनिस्टर हैं उनको एक संतान से ज्यादा पैदा नहीं करना चाहिये। ऐसा न हो कि हमारे १५ बच्चे हों और दूसरों को शिक्षा दें कि कम बच्चे पैदा करो। यह अच्छा प्रस्ताव है, इसको स्वीकार होना चाहिये। इस सम्बन्ध में केन्द्र से सहायता मिलनी चाहिये।

*श्री कृष्ण चन्द्र जोशी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा गया है वह बहुत अरसे से एक विवाद का विषय बना हुआ है। यह आज का प्रश्न नहीं है। राष्ट्रपिता के जीवन के समय से इस प्रश्न ने एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। इस विषय में उनके जो विचार थे जिनको उन्होंने हमारे सामने रखा था। यह मानी हुई बात है कि हिन्दुस्तान की जो बढ़ती हुई आबादी है उसको देखते हुये यह शुबहा होता रहता है कि उसके लिये ठीक ढंग से उपाय कर सकेंगे या नहीं। उसको देखते हुये इस विषय में सबकी राय यह रही है कि फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन अवश्य होना चाहिये और परिवार नियोजन के उपाय करने आवश्यक होंगे। इसमें तो दो राय नहीं हो सकती कि फैमिली प्लानिंग आवश्यक नहीं है। बढ़ती हुई आबादी के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि फैमिली प्लानिंग की जाय। जब हम उपायों के ऊपर आते हैं तब अवश्य मतभेद हो जाता है। इन उपायों को काम में लाने के लिये कई चीजों को देखना पड़ता है। प्रथम तो यह देखना आवश्यक होता है कि यह जो बढ़ती हुई आबादी है जिस अनुपात से यह बढ़ रही है इस रोग की जड़ में क्या बात है। किस कारण से आबादी बढ़ रही है जब हम उसको मालूम कर लें तब हमको उसका निदान भी ठीक मिल सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान एक ऐसा देश रहा है जिसमें सोशल वैल्यू पर अधिक जोर दिया गया है। इस देश ने हमेशा अपने आदर्शों को जनता के सामने रखा है। हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने ऊंचे आदर्श रखे थे। आज उन आदर्शों को लोग मजाक में उड़ा देते हैं। स्त्री-पुरुष का जो आदर्श रखा गया था वह यह था कि वे दोनों एक ही शरीर के दो अंग हैं और उनको एक दूसरे की भलाई में शरीक होना चाहिये। हम आजकल पश्चिमी सभ्यता में बह रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता के नारे लगाते हैं। उन्हीं उपायों को काम में लाना चाहते हैं जो पश्चिमी देश में काम में लाये जाते हैं। हमें यह सोचना है कि वे उचित हैं या नहीं। यह अवश्य है कि समय बदलाव मांगता है। उसके मुताबिक कुछ बदलाव अपने देश में होना चाहिये लेकिन हमको यह ध्यान में रखना चाहिये कि हमारे जो मूल आदर्श हैं वे न हटने पायें। यह नहीं होना चाहिये कि हम अपने मूल आदर्शों को छोड़ कर अपनी पद्धति से दूर चले जायं। राष्ट्रपिता ने इस सम्बन्ध में अपना निश्चित मत दिया था कि वे फैमिली प्लानिंग के लिये कृत्रिम उपायों के लिये अपनी राय नहीं दे सकते। हमारे लिये यह एक फतवा भी हो सकता है।

आखिर यह ऐसी चीज है जिस पर भिन्न-भिन्न विचार हो सकते हैं। प्रस्तावक महोदय ने जहां पर यह कहा है कि सभी उपायों का प्रयोग किया जाय संतति-निरोध के लिये, वहां पर मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इसलिये इतना अमेंडमेंट कर दिया जाय। जहां पर सभी उपाय हैं वहां पर उचित उपाय से ही हम इस कामको करें और अनुचित उपायों को प्रयोग में न लायें। अगर ऐसे ही चीजों को हम जायज कर देंगे सभी उपायों को लाकर तो इसका मतलब होगा कि समाज में कोई मारेलिटी की चीज नहीं रह जायेगी। इसमें हत्या भी संभव हो सकती है। इसलिये सभी उपायों का लफ्ज हटाकर उचित उपाय रखे जायं। आज जिस समाज के अन्दर हम चल रहे हैं, उसका मारेल गिरता जा रहा है। आज भाई-बहन, मां-बेटा, बाप-बेटे में मेल नहीं है। इसका कारण है कि हमारा मारेल गिरता जा रहा है। हमारे ज्वाइन्ट फैमिली के जो सिस्टम थे उनमें बुराइयां नहीं थीं। उससे एक कोआपरेशन की स्पिरिट हमारे अन्दर पैदा होती थी, वह अब गायब होती जा रही है। अब तो हम फतवा देने लगे

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कृष्ण चन्द्र जोशी]

हैं कि जितनी पुरानी चीजें हैं वह बुरी हैं और आगे वाली आने वाली नई चीजें ही ठीक हैं। मैटेरियालिज्म में चलना मैं स्वीकार नहीं करता। वादविवाद में ऐसा हो गया है कि स्त्री, पुरुष का प्रश्न उठ गया कि शायद इसकी दोषी स्त्री है या पुरुष है। मैं तो समझता हूं कि बढ़ती हुई सन्तति का दोष है हमारा गिरता हुआ मारेल। जिन मारेलिटीज में पुराने समय में विवाह हुआ करते थे उस समय यही मनोभावना विवाह की थी कि संतति उत्पन्न करने के लिये विवाह है और वह सन्तति परिवार को चलायेंगी। वह विवाह उतने ही हद तक थे और फिर लोग गृहस्थ आश्रम छोड़ कर बनों में चले जाते थे। उस समय किसी को १०,१२ सन्तति होने का उद्देश्य नहीं था। वह समय था जब लोग सोचते थे कि एक निश्चित समय तक शिक्षा लेने के बाद जब तक कि वह ब्रह्मचर्य रहते थे, वह पारिवारिक संसार में आते थे और फिर कुछ अवधि के बाद उससे भी विरक्त हो जाते थे। वह पारिवारिक समय आज इतना लम्बा हो गया है कि जो पहले नहीं था। किसी समाज को संभालना ऐसे कानूनों से नहीं होता है। जब तक उस समाज की मनोवृत्ति, मनोभावना न बदली जाय तब तक समाज को लाभ नहीं होता। जहां समाज गिरा हुआ होता है वहां काफी हानि होती है। मेरा निश्चित मत है कि जब सरकार इन उपायों को सोचती है तो इसमें बहुत गहराई से विचार की आवश्यकता है। मैं तो यह राय देता हूं कि जहां आज इन चीजों को दूर करने का सवाल है उसके लिये आप चाहे कितना ही प्रचार क्यों न कर दें और सूचना विभाग भले ही उस काम में बड़ेजोर से लग जाय लेकिन कुछ नहीं होगा। होगा तभी जबकि पाठशालाओं में आप अपने बच्चों के अन्दर इस प्रकार की भावनायें लायेंगे कि यह काम बुरा है यह नहीं करना चाहिये और यह काम अच्छा है इसको करना चाहिये। आज जो पाठशालाओं में पाठ्यक्रम है उसमें ये चीजें हैं ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। मसलन मेरे आठ बच्चे हैं। और आज मैं उनसे कहूं कि तुम बच्चे पैदा करो तो वे कहेंगे कि तुम तो आठ बच्चे पैदा कर चुके हो और अब हम से क्यों ऐसा कहते हो। अगर मैं शराबी हूं और शराब पीता हूं तो फिर मुझे अधिकार नहीं रहता है कि मैं अपने बच्चों से कहूं कि तुम शराब मत पियो क्योंकि मेरा दिल भी ऐसा कहने के लिये स्वयं तैयार नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उपाय वही होने चाहिये जो कि जड़ को पकड़ें। उपाय वे नहीं होने चाहिये जो कि ऊपरी मुलम्मा लगायें और फिर कहें कि वह चीज हो जायेगी तो वह नहीं होगी। इसलिये मैं प्रस्ताव रखता हूं कि और आशा करता हूं कि प्रस्तावक महोदय राजी हो जायेंगे कि "सब उपाय" के स्थान पर "उचित उपाय" होना चाहिये। मैं इस संशोधन के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--उपाध्यक्ष जी, जो शाब्दिक संशोधन रखा गया है, उसको मान लेने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री डिप्टी चेयरमैन--साधारणतया इस वक्त कोई संशोधन नहीं लिया जा सकता।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा होता है और कई बार शाब्दिक संशोधन लिये गये हैं। इसमें गवर्नमेंट की भी राय ले ली जाय। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री डिप्टी चेयरमैन--अगर हाउस को कोई एतराज न हो तो मुझे भी कोई एतराज नहीं।

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री डिप्टी चेयरमैन--जोशी जी अपना संशोधन प्रस्तुत कर दें।

श्री कृष्ण चन्द्र जोशी—मेरा संशोधन यह है कि जहां पर शब्द 'सब' है उसके स्थान पर पर 'उचित' रखा जाय।

श्री राम किशोर रस्तोगी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख जो प्रस्ताव प्रस्तुत है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो श्री प्रेम चन्द्र जी ने संशोधन स्वीकार किया है मैं उसके पक्ष में हूं। यह प्रस्ताव आज के समय में एक आवश्यक चीज है। यह सही है कि जिस तरह से पहले विचार श्री प्रेम चन्द्र जी ने रखे हैं, वे हमारे देश के लिये घातक हो सकते हैं।

आज आवश्यकता है, हमारे देश के तमद्दुन को देखते हुये, हमारे देश के धर्म को देखते हुये और मानव धर्म को देखते हुये हमारे देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी के बताये हुये मार्गों को भी देखते हुये, हम उन सिद्धान्तों और आदर्शों को प्रस्तुत करते हुये फैमिली प्लानिंग करें, जिससे कि हमारे देश के आदर्शों का अधोपतन न हो। आज दुनिया में मैन पावर का ही आधिपत्य है। जहां जन समुदाय की कमी है, जहां जन संख्या की कमी है उनको किसी प्रकार भी इस तरह की इजाजत नहीं मिली जिस तरह और बड़े-बड़े मुल्कों में है। हमने देखा कि कैसे मनुष्य की ताकत पर हमारे देश का बटवारा हो गया। हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपनी उस जन-संख्या के आधार पर ही अपने देश का बटवारा करा करके, हमारे देश का अंग भंग कर दिया। आज काश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने एक नया ईशू (issue) खड़ा कर रखा है। आज उस जनसंख्या को कम करने की बात करना कहां तक उचित है, इस पर विचार करना होगा। उसका क्या नतीजा होगा, इस पर भी पहले सोचना है। आज आवश्यकता तो इस बात की है कि हम इस तरह से मानवता में परिवर्तित करें कि जिससे मानवता में बगैर गिरावट हुये ही लोगों को प्रोत्साहन मिले। जिस तरह से शिक्षा की बात आती है और जिस तरह से फैशन परस्ती की बात चली है, उसी के साथ अगर हम प्लानिंग की बात करें तो यह इसके साथ बिल्कुल असंभव सी बात प्रतीत होती है। जब गांधी जी के सम्मुख यह सुझाव आया तो उन्होंने कृत्रिम उपायों के द्वारा फैमिली प्लानिंग को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसको धर्म विरुद्ध बात कही है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरह से सरकार फैमिली प्लानिंग पर जोर देती है उसमें अगर संयम को लेकर कार्य करें और उस तरह के रहन-सहन में रहने के लिये लोगों को उपाय बतलाये तो हमारे देश की फैमिली प्लानिंग का जो सिद्धांत है उसका मार्ग सफल हो सकता है और साथ ही हमारा चरित्र भी ऊपर उठ सकता है और देश भी शक्तिशाली हो सकता है। अगर फैमिली प्लानिंग करते हुये देश के लोगों के चरित्र का ख्याल नहीं रखा जाता है तो देश का अधोपतन हो जायगा और हमारी शक्ति क्षीण होगी। आप देखेंगे कि जिस देश में चरित्र नहीं है, वह देश कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता है, जिस देश में संयम नहीं होगा और शक्ति नहीं होगी, वह देश फिर कभी ऊपर नहीं उठ सकता है और वह दूसरे देशों के मुकाबले में आगे नहीं बढ़ सकता है। श्रीमन् इन्हीं सुझावों के साथ में मैं श्री प्रेम चन्द्र जी के विचारों का समर्थन करता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आज शर्मा जी ने फैमिली प्लानिंग के सम्बन्ध में रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, २१ सितम्बर सन् ५३ को इस सदन में मैंने एक फैमिली प्लानिंग के सम्बन्ध का विधेयक नान-आफिशियल तरीके से उपस्थित किया था और उस समय किन्हीं कारणों से वह विधेयक स्वीकार नहीं हुआ। मैंने उस समय यह जरूर कहा था कि यह विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और उस समय जो हमारे बहुत से मित्र, जो कि इस समय नहीं हैं, उन सब ने इसका समर्थन किया था लेकिन गवर्नमेंट ने उस समय इसको स्वीकार नहीं किया। फिर भी अब यह आशा अवश्य की जाती है कि सरकार इस प्रकार के प्रस्ताव को कम से कम स्वीकार करेगी यद्यपि दो-तीन ही वर्ष हुये हैं लेकिन फिर भी अगर कोई कमी ऐसी हो जिसको दूर करने के लिये काम होना चाहिये तो वह जरूर होना चाहिये उस समय भले ही इसके औचित्य

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

को नहीं समझा गया लेकिन अब तो उसके मन्जूर करने में सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिये। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज जब हम सारे देश में फैमिली प्लानिंग की चर्चा करते हैं और पंचवर्षीय योजनायें बनाते हैं तो उन सब का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जन साधारण की जो तकलीफें हैं उनको दूर कर सकें, उनको ज्यादा से ज्यादा खाना दे सकें, अच्छे तरीके से रहने को मकान दे सकें और कपड़ा उनको पहनने को आसानी के साथ दे सकें और जो जरूरियात की चीजें हैं, वह उनको मिलें। यह बात भी सही है, जैसा कि हमारे एक मित्र ने अभी कहा कि महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि हमको ऐसा तरीका निकालना चाहिये जिससे बढ़ती हुई आबादी को आराम मिले और इसीलिये उन्होंने कहा था कि अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ाना चाहिये। सेन्सस कमिश्नर की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है और जो नवम्बर सन् १९५३ में आयी हो चुकी है, उस रिपोर्ट से साफ स्पष्ट होता है कि जिस रेट से हमारे प्रदेश या देश की आबादी बढ़ रही है उस रेट से हम अपने यहां प्रोडक्शन को न कभी बढ़ा पाये हैं और न कभी बढ़ा सकते हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि यह एक ऐसा विषय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केवल इस प्रस्ताव को पास कर देने से ही इस बात का महत्व नहीं बढ़ जाता है, बल्कि इसकेलिये सरकार को ऐसे ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी रोकी जा सके। सरकार को इसके लिये अधिक से अधिक रुपया खर्च करना चाहिये। हमारे यहां आबादी क्यों बढ़ रही है इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, किसी की कुछ राय है और किसी की कुछ राय है। लेकिन इसके बारे में जो मेरा ख्याल है उसको मैं यहां पर कह देना चाहता हूं। हमारे देश में एक वह भी समय था जब यहां पर ज्वाइन्ट फैमिली सिस्टम था। ज्वाइन्ट फैमिली सिस्टम होने के कारण आबादी में अधिक वृद्धि नहीं हो पाती थी। रहन-सहन का कुछ ऐसा तरीका हुआ करता था जिससे अधिक सन्तान नहीं होती थी। लेकिन आज कल आर्थिक संकट होने के कारण ज्वाइट फैमिली सिस्टम टूट गया और जो रह गया है वह भी दिन पर दिन टूटता जा रहा है। किसी एक व्यक्ति के बहुत से बच्चे हुये और वे सब बड़े हो कर अलग-अलग नौकर हो गये, तो इस कारण भी वे सब लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। यही कारण है कि आज कल ज्वाइन्ट फैमिली सिस्टम भी टूट गया है तो हमको चाहिये कि हम कोई ऐसे उपाय निकालें जिससे हमारे देश की अधिक आबादी न बढ़े। इन सब बातों को करने के लिये यह जरूरी है कि सरकार इस प्रस्ताव को जो एक बहुत ही छोटा सा प्रस्ताव है और जो केवल एक बात के लिये इच्छा ही जाहिर करता है, स्वीकार कर ले। शर्मा जी की बात से मैं सहमत हूं कि सरकार को इसके लिये ठोस कदम उठाने चाहिये। सरकार को चाहिये कि वह लोगों को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी कराये। इस सम्बन्ध में बहुत से सुझाव हो सकते हैं सरकार के जो एलोपैथिक अस्पताल हैं वहां पर फैमिली क्लीनिक होने चाहियें। इसके अलावा उसको इस बात का प्रचार भी अधिक से अधिक कराना चाहिये। आज हम देखते हैं कि देहातों के रहने वाले व्यक्तियों के अधिक बच्चे होते हैं। इसलिये हमको चाहिये कि देहातों में भी इस बात का प्रचार करें, उनको ऐसे तरीके बतलाये जायें जिससे वे अधिक बच्चे पैदा न करें। जगह जगह पर ऐसे सेन्टर होने चाहिये जिसमें लोगों को इसके लिये शिक्षा दी जाय। देहातों में ऐसे सेन्टर अधिक होने चाहियें जहां पर उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में बतलाया जा सके तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छा है। जो लोग इस प्रकार के बहुत ही ऊंचे विचार करने वाले हैं, जब वे आपस में बैठ कर बातें करते हैं, तो मैंने भी उनको ऐसी बातें करते हुये सुना है कि प्लान तो काफी बनते हैं और रुपया भी काफी खर्च किया जाता है, लेकिन जो खास बात है, जिसके ऊपर फैमिली का स्ट्रक्चर निर्भर है, उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं जाता है। जब तक इसके सम्बन्ध में काम नहीं होगा, लोग परेशान होते रहेंगे। मैं यह चाहता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार हो और स्वीकार होने के बाद, इसको अहमियत के साथ

गम्भीरता के साथ टाप प्रायरिटी दी जाय और टाप प्रायरिटी देकर सरकार इसके लिये उचित कदम उठाये। मैं इन शब्दों के साथ श्री प्रेम चन्द्र जी का जो प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस अवसर पर इसे स्वीकार करेंगे और इसके लिये जो भी उचित कदम उठाये जा सकते हैं, वे उठाये जायेंगे।

श्रीमती तारा अग्रवाल--माननीय उपाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव माननीय प्रेम चन्द्र शर्मा जी ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ी हुई हूं। वास्तव में इस प्रस्ताव की तो उसी वक्त आवश्यकता थी जबकि हमारा देश स्वतन्त्र हुआ था और हमें इस बात का अधिकार मिला था कि हम अपने देश का स्तर ऊंचा उठायें तथा उसका विकास करें। किन्तु फिर भी इतने वर्षों के बाद जो माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव यहां लाया गया है, मैं समझती हूं कि हमारी सरकार को इसकी अहमियत समझनी चाहिये। और इसके लिये बहुत ही गम्भीरता के साथ, एक्सपर्ट्स द्वारा विचार करा कर और इसका निराकरण करके, इसके लिये साधन जुटाने चाहिये। जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिये हैं, मैं समझती हूं कि एक मोटी सी बात है कि इन सुझावों के अलावा वास्तव में और कोई ऐसे सुझाव नहीं हैं कि जो कि अलग से दिये जा सकें, किन्तु फिर भी दो, चार बातें मैं कहना चाहती हूं। जब कभी सरकार को कोई योजना बनाने का सुझाव दिया जाता है, तो लाखों रुपया उसको पहले पहल स्थापित करने में ही उसे मुहैया करना पड़ता है और जब उसके लिये डिपार्टमेंट बन जाता है, तब उसके लिये मन्त्री, उप-मन्त्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी रखे जाते हैं और तभी उसका कार्य संचालन होता है। इसलिये मैं इस फैमिली प्लानिंग के सुझाव पर विशेषरूप से यह निवेदन करूंगी कि इसके लिये एक अलग डिपार्टमेंट स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि इसके लिये तो एक व्यक्ति इस प्रदेश के लिये काफी है जो कि इसमें दक्ष हो और दूसरों से सुझाव लेकर इसके ऊपर कार्य कर सके। जैसा कि अभी मालूम हुआ कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समाज कल्याण बोर्ड से बहुत सा रुपया फैमिली प्लानिंग के लिये प्रदेशों में प्रचार करने के लिये दिया जाता है। अगर यह गलत नहीं है, तो मैं कह सकती हूं केवल उत्तर प्रदेश को ही ६०,७० हजार रुपया फैमिली प्लानिंग के लिये समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दिया गया, लेकिन पता नहीं उस रुपये से कितना कार्य हुआ और क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन एक बात जरूर है कि चौराहों पर आज पोस्टर नजर आते हैं जिनमें कि एक लड़का तथा एक लड़की और उनके माता-पिता की तस्वीर रहती है और इस तरह से चार आदमियों के एक कुटुम्ब की तस्वीर जगह जगह पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालों में, डाक्टरों की दूकानों पर एक साइन बोर्ड भी लगा रहता है कि फैमिली प्लानिंग हो। लेकिन यदि वास्तव में देखा जाय तो इस तरह जो कार्य आज अस्पतालों द्वारा होता है वह नाकाफी है। हमारे प्रदेश में अभी लोग इतने शिक्षित नहीं हैं और इस तरह की योजना को प्रसन्नता के साथ नहीं अपना पाते हैं और वे प्रसन्नता के साथ इसे करने के लिये अग्रसर भी नहीं हैं। तो ऐसे साधन जुटाये जायें कि आम जनता पर इसका प्रभाव पड़े जहां चौराहे पर फैमिली प्लानिंग के साइन बोर्ड नजर आते हैं जिनमें करीब ३०० या ४०० रुपया व्यय होता है। वहां पर बाटा का साइन बोर्ड और सिनेमा का साइन बोर्ड भी नजर आता है। तो इससे वहां उसका प्रभाव हट जाता है। यहां की जनता का वह वर्ग जिसको इसकी विशेष आवश्यकता है वह इतनी शिक्षित नहीं है जितनी कि उनसे आशा की जाती है। जो महिलायें हैं वह तो अधिकतर अशिक्षित ही हैं। दूसरी बात यह है कि अस्पतालों में हमारी महिलायें इस बात के लिये जाने में हिचक करती हैं। दवाइयां इतनी मंहगी हैं कि वह वर्ग उनको खरीद ही नहीं सकता है। इसके अतिरिक्त एक धार्मिक भावना भी चलती है। जैसा कि अभी सावित्री जी ने कहा कि कानपुर में एक बुढ़िया सास ने एक फैमिली प्लानिंग वर्कर को झाड़ू मार कर निकाल दिया। यह ठीक बात है। इस प्रकार की बाधायें हुआ करती हैं। उनके निराकरण के लिये कुछ और उपाय होना चाहिये। कुछ सुझाव दिये जा सकते हैं। जहां वह इसके सम्बन्ध में इसको रोकने में धार्मिक भावना का ख्याल करते हैं वहां उनको यह भी

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

बतलाया जाय कि अगर उनके बच्चे नंगे रहें, भूखे रहें अशिक्षित रहें तो इसमें मां-बाप को भी दोष होता है अपने बच्चों को मारने पीटने में उनको कष्ट देने में वह भी पाप के भागी होते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित कराना चाहती हूं कि क्या वजह है कि केन्द्र और प्रदेश के प्रचार के बाद भी वह वर्ग जो गांवों में रहता है अज्ञान में है गांवों में जो महिलायें घरों में बन्द हैं उस वर्ग के लिये हम क्या प्रबन्ध कर रहे हैं। हमने अंग्रेजी साहित्य के जरिये से इन पोस्टरों के जरिये से जो कि दिये जाते हैं प्रचार किया है उनको अशिक्षित वर्ग प्रयोग ही नहीं कर सकता है। आजतक प्रदेशीय सरकार ने लाखों रुपया का साहित्य हर डिपार्टमेंट को बांटने के लिये दिया है इसी तरह से फैमिली प्लानिंग का भी साहित्य बांटा जाय। मैं भी कुछ साहित्य बांटने के लिये ले जाती हूं। लेकिन फैमिली प्लानिंग के साहित्य को सरकार ने बांटने की आवश्यकता ही नहीं समझी। मेरी समझ में अगर फैमिली प्लानिंग का साहित्य मुफ्त बटवाया जाता और उसका फ्री इलाज किया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। फैमिली प्लानिंग के इलाज में जो पैसा लगता है वह उस वर्ग को दे सकना मुश्किल है जिससे कि हम इसकी आशा करते हैं। हमारे जो प्लानिंग डिपार्टमेंट हैं या इन्फारमेशन डिपार्टमेंट हैं किसी न किसी दफ्तर के जरिये से साहित्य को बटवाने का काम कार्यान्वित करना चाहिये जिससे कि हम आम जनता में साहित्य पहुंचा सकें। जैसी चेचक की मलेरिया की या सफाई की फिल्म दिखलायी जाती हैं।

(इस समय ३ बजकर ४५ मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

उसी तरह से इसकी भी फिल्म दिखलायी जावें। मैं यह कहती हूं कि चाहे हमें हजारों रुपये इस काम को करने के लिये खर्च करने पड़ें वह किये जांय। लेकिन ऐसी फिल्म जरूर तैयार की जाय और उसको उसी तरह से दिखलायी जाय जैसी कि सिनेमा घरों में डाल्डा को विज्ञापन रोल, न्यूज रोल में दिखलायी जाती है। जहां आम जनता आ कर बैठती है और उसके दिमाग पर असर डाला जा सके। यह चीज सूचना विभाग द्वारा गांव में दिखलाने के लिये मन्थली होना चाहिये ताकि गांव के स्त्री-पुरुष नित्य प्रति अपने जीवन में देख कर उससे प्रभावित हों और इस दिशा में कदम उठाने का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ जो प्रचार कार्य हैं उसमें मैं देखती हूं कि डालडा ऐसा घी चन्द दिन के प्रचार में ही घर-घर में प्रयोग किया जाने लगा है। चाय, बीड़ी के थोड़े से ही प्रचार से लोग लाखों की इन्कम निकाल लेते हैं लेकिन हमारी सरकार ने कोई प्रचार इस दिशा में नहीं किया है जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या में रुकावट हो सकती। उस धनी वर्ग में तो रुकावट हो रही है जहां खाने का साधन है, कपड़ा पहनने के लिये साधन हैं, शिक्षा के साधन हैं लेकिन उस वर्ग को देखिए जहां इन चीजों के साधन नहीं हैं वहां जन संख्या बढ़ती जा रही है। अगर यही रहा तो मैं समझती हूं कि भविष्य में जनता ऐसी हो जायगी जो अशिक्षित होगी, रोगी होगी। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जहां जनसंख्या बढ़ रही है वहां इस बात का प्रचार किया जाय, ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाय कि लोग इस बात को समझें कि अधिक सन्तान पैदा करना उचित नहीं है। आज मैं बजट में देखती हूं, बजट हमको मिल गया है कि उसमें उसके लिये कोई योजना नहीं रखी गई है। हमारे प्रदेश में समाज कल्याण का बहुत बड़ा विभाग है और उसमें चिल्ड्रन होम्स, बेगर्स होम इत्यादि खोले हैं, लेकिन मुझे बजट के अन्दर इस प्रकार का रुपया देखने को नहीं मिला कि इस प्रकार के कार्य को चलाने के लिये कुछ धनराशि रखी होती। इसलिये मैं प्रार्थना करती हूं कि यदि इसके लिये कहीं से रुपया निकल सके तो निकाला जाय। इसके लिये कोई नये विभाग खोलने की आवश्यकता नहीं है बल्कि प्लानिंग कमेटीज के द्वारा और एन० ई० एस० ब्लाक्स के द्वारा यह कार्य किया जाय जिससे कि विभागीय खर्च न हो और प्रचार पर अधिक रुपया खर्च किया जा सके। लोगों को यह शिक्षा दी जाय तो इससे बहुत लाभ हो सकता है। इसके लिये ट्रीटमेन्ट फ्री होना चाहिये ताकि जनता आगे बढ़ सके और उसको कार्यान्वित कर सके।

इस संबंध में पुस्तकें भी निकलवानी चाहिये और वे सस्ती होनी चाहिये ताकि उनको हर कोई ले सके और पढ़ कर यह समझ सके कि यह केवल धार्मिक भावना ही नहीं है बल्कि इस बात की आवश्यकता है कि फैमिली प्लानिंग हो। ऐसी पुस्तकों को लिखने वालों को प्रोत्साहित करने के लिये कुछ पुरस्कार की भी व्यवस्था होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री पन्ना लाल गुप्त—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय प्रेम चन्द जी ने हाउस के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज जो फैमिली प्लानिंग की बात है वह इतनी बड़ी बात है यदि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम कितनी ही प्लानिंग और पंचवर्षीय योजना बनायें फैमिली प्लानिंग के सामने नाकामयाब हो जाती हैं। आज हम कितनी ही गल्ले की पैदावार बढ़ा लें मगर जब तक संतान की उत्पत्ति बढ़ती जायगी तो हम गल्ले को कैसे पूरा कर सकते हैं। आज फैमिली प्लानिंग की चर्चा सब जगह है और हाउस के सामने प्रस्ताव भी आता है मगर क्या हम वाकई में फैमिली प्लानिंग की चर्चा करते हैं। पैसा दिया गया है, प्रचार किया जा रहा है मगर क्या हम खुद सोचते हैं कि फैमिली प्लानिंग करें या न करें। आज हम देखते हैं, खुद अपने गराबान में गरदन डाल कर देखें कि हम फैमिली प्लानिंग को मानने वाले हैं या नहीं। आज सब से बड़ी बात यह है कि हम खुद बैठ कर सोचें। जब किसी प्लेटफार्म से हम उपदेश करते हैं तो पहले सोच लेना चाहिये कि हम कर सकते हैं या नहीं। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो दूसरों से कहना ठीक नहीं जंचता। आज इस आम तौर से चर्चा रही कि पुरुषों और स्त्रियों में कौन दोषी हैं। मैं इस पर यह कहने को तैयार हूं कि स्त्रियां लज्जावान और संयमी हैं और जहां तक होता है वह अपने को कंट्रोल करती हैं मगर पुरुष समाज जो है वह अपने को गिरा चुका है। अपने पर कंट्रोल करना जानता ही नहीं क्यों कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां ज्वाइंट फैमिली में कन्ट्रोल होता था। वाकई में बड़ी बात कही। उस समय हमारी मां, बहन और स्त्री सब एक साथ रहते थे और उस समाज में मां, बाप के सामने स्त्री से बात करना उतना ही गुनाह होता था जितना कि सड़क पर किसी वेश्या से बात करना था। लेकिन पश्चिमी सभ्यता और फैशन का जोर इतना बढ़ा कि हाथ में हाथ डाल कर चलना और बच्चों और लड़कों के सामने उदाहरण रखना किस प्रकार से संयमी बना सकता है। हमारे समाज ने अंग्रेजों की अच्छी बातों को ग्रहण किया नहीं और बुरी बातों को अपना लिया। आज हमें अपनी पूर्व संस्कृति की ओर जाना है। अगर पुरानी चीजों की तरफ नहीं जाते हैं तो यह फैमिली प्लानिंग जो है वह कृत्रिम रूप से या और किसी तरीके से रुक नहीं सकती है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसका प्रचार सिनेमा घर में हो, लेकिन सिनेमा घर में उल्टा प्रचार होता है। आप दो-एक रील दिखा कर वहां प्रचार करें, लेकिन वहां पर १४ रीलें इसके उल्टे प्रचार करती हैं। हमें प्रचार करना है उन लड़कों की जेहन में जो लड़के शुरू से बेसिक में पढ़ना शुरू करते हैं। फैमिली प्लानिंग में यह रखिये कि किस तरह से ब्रह्मचर्य्य रहना चाहिये जिससे कि वे मुल्क के खर्च को कम कर सकें और अपनी आबादी को कम कर सकें। मगर उन किताबों में इसकी चर्चा नहीं है। मैंने पारसाल बजट के अवसर पर कहा था कि आज कल क्या होता है। फैमिली कैसी बढ़ती है इसको पढ़ाया जाता है। सब से मेन चीज है कि जड़ पकड़ो, पत्तियों से कुछ नहीं होता है इसलिये आज हमको जड़ पर कंट्रोल करना चाहिये। पुराने जमाने में जो लड़के सात-आठ साल के हो जाते थे तो बुजुर्ग लोग भिक्षावृत्ति कराकर उनको घर से भेज देते थे कि वे अपने मां-बहन के पास नहीं रहेंगे बल्कि दूसरे बानप्रस्थ के पास रह कर पढ़ेंगे। औरतों से मां के रूप में भिक्षा लेंगे। उसके बाद जब युवा अवस्था हो जाती थी तो वहां से शिक्षा पाकर वे आते थे और गृहस्थ आश्रम में रहते थे। तब वे जानते थे कि स्त्री-पुरुष का क्या संबंध है। जब उसकी संतान हो जाती थी और उसकी संतान को संतान हो जाती थी। जब लोग नाती का मुंह देख लेते थे तो स्त्री-पुरुष दोनों बानप्रस्थ को चल देते थे। जब नाती हो

[श्री पन्ना लाल गुप्त]

गया तो संतान की बढ़ोतरी होगी लिहाजा दोनों आदमी चल देते थे। बानप्रस्थ के बाद वे संन्यासी हो जाते थे। हर स्त्री-पुरुष को मां-बाप की तरह मानते थे। और तब वे सन्यास लेते थे और हम उनको स्वामी कहते थे। आज वह प्रवृत्ति कहां है। आज हममें वह भावना कहां है। आज तो कलयुग है । आज तो काम की भावना सर्वोपरि है। आज हर चीज काम को उत्तेजित करने के लिये की जाती है। पहले स्त्री सफेद कपड़ा पहन कर चलती थीं लेकिन आज हजरतगंज में मालूम होता है कि बरसाती तितिलियां घूमती हैं। आज पुरुष की भी हालत उतनी ही गिरी हुई है। वह भी तरह तरह के फैशन में घूमता है। आज संयम से दोनों को कंट्रोल करना चाहिये। स्त्रियां संयमी होती हैं। आज सबसे बड़ी चीज यह कही गयी इस हाउस में कि कृत्रिम उपायों से इसको रोका जाय। हर जगह उनके सेंटर होने चाहिये। सरकार उनका फ्री इंतजाम करे। मैं कहता हूं कि जानवरों में कृत्रिम उपाय कितने हैं। आप बैलों की हालत देखते हैं फिर भी क्या संतान उत्पत्ति रुकती है। जब तक भावना नहीं होगी तब तक फैमली प्लानिंग नहीं हो सकती। आप किताबों के जरिये छोटे बच्चों में इसका प्रचार करिये। हम लोग तो ढल चुके। हमारे दिमाग में जो कीड़े हैं वे आसानी से मरने वाले नहीं हैं। आगे आने वाली जो संतान है उसके दिमाग में वे कीड़े न हों इसका उपाय आप करिये। आप कितने ही प्लान बनाइये देश को सरसब्ज नहीं कर सकते। आये दिन भुखमरी देखनी पड़ती है। लिहाजा आज इस बात की जरूरत है कि आप नैतिकता का स्थान किताबों में दे दें जैसा पहले होता था। जब हम लोग पढ़ते थे तब पहले प्रार्थना होती थी। आज तो प्रार्थना नहीं होती है बल्कि शुरू से सरसब्ज बाग दिखाये जाते हैं। आपके यहां के जो उच्च आदर्श हैं उनका आप किताबों के जरिये प्रचार करिये। शिक्षा के द्वारा लड़कों के दिमाग में भर दीजिए कि फैमिली प्लानिंग क्या है। उनके दिमाग में भरिये कि अगर वे स्वस्थ रहेंगे तो ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे। आज ज्यादा बच्चे पैदा करके मैन पावर की जो बात कही जाती है उससे सहमत नहीं हूं। एक आदमी तीन बच्चे पैदा करके ज्यादा आराम से जिंदगी बसर कर सकता है बशर्ते उसके जो १२ बच्चे पैदा करता है। १२ बच्चे पैदा करके एक लड़के को आध पाव खाना दीजिए और तीन बच्चे पैदा करके एक लड़के को आधा सेर खाना दीजिए जो आध सेर खाना खाता है वह अधिक तन्दुरुस्त होगा उसकी अपेक्षा जो आध पाव खाना खाता है।

हमारे मुल्क में सबसे बड़ा सूबा यू० पी० है, इसलिये है कि यहां मैन पावर ज्यादा है। चले जाइये पूर्वी जिलों में जहां भुखमरी का नंगा नाच हो रहा है। औरतें अपनी अस्मतें बेच रही हैं। जानवरों को छोड़ दिया जाता है। अगर यह नाच देखना हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको एजूकेशन की तरफ खास तौर से ध्यान देना होगा। पश्चिमी सभ्यता को छोड़ कर जब आप पूर्वी सभ्यता को अपनायेंगे तभी कामयाबी होगी।

*श्री सभापति उपाध्याय (नाम निर्देशित)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रेम चन्द्र शर्मा जी ने जो विधेयक उपस्थित किया है वह प्रशंसनीय है। हमारे लिये विवाह एक व्यावहारिक काम नहीं है वह एक धार्मिक संस्कार है। धर्म में वह सहायक होता है। तात्पर्य कहने का यह है कि एक ही लड़का पैदा किया जाय और वह पहलवान हो, विद्वान हो। अनेक लड़के पैदा करना धर्म के विरुद्ध है इसलिये सब को चाहिये कि धार्मिक पुत्र उत्पन्न करें। अधार्मिक पुत्र उत्पन्न न करें और जो पुत्र उत्पन्न हों उसको धार्मिक ढंग से शिक्षा और उसका पालन हो। अनेक लड़के जब हो जाते हैं तो पिता की संपत्ति में बांटने में भी झगड़ा होता है। हर एक यही चाहता है कि वह हमें मिले। एक पुत्र होने से वह झगड़ा नहीं होता है। धर्म के विषय में मनु ने कहा है कि मानव धर्म बढ़ाया जाय। विद्याध्ययन के समय क्या-क्या करना चाहिये, इसका ज्ञान आजकल के लड़कों को होता

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

ही नहीं। काम, क्रोध, मद, लोभ का परित्याग कैसे हो सकता है इसका ज्ञान ही लड़कों को नहीं होता है। जैसे कहा है कि धर्म निरपेक्ष के माने किसी धर्म को लेकर किसी काम को न करें, यह तो कोई नहीं कहता कि धर्म को छोड़ दो। शिक्षा से ही हम यह दोष हटा सकते हैं। यह जो कृत्रिम उपाय हैं वह अप्राकृतिक है। मां, बेटा सब का एक संयुक्त परिवार में रहना एक उत्तम चीज है। इससे आपस में प्रेम पैदा होता है और अनेक बच्चों की उत्पत्ति इससे नहीं होती है। यह एक संयुक्त परिवार में बहुत बड़ा गुण है। जब अलग-अलग रहते हैं तो अकेले पड़ जाने से अधिक बच्चे पैदा होते हैं। निम्न श्रेणी के लोगों में भी अधिक बच्चे पैदा होते हैं। भंगी के यहां जितने बच्चे पैदा होंगे उतने बच्चे धनाढ्य के यहां नहीं पैदा होंगे, इसलिये कि पुण्यात्मा के यहां अधिक बच्चे होते हैं। स्त्री और पुरुषों के संबंध में भी कहा गया। वह ठीक ही कहा गया है। स्त्रियों को भी धार्मिक भावना रखनी चाहिये। परन्तु आज कल यह देखा जा रहा है कि स्त्रियां विदेशी बनती जा रही हैं और काफी उन पर विदेशी प्रभाव पड़ रहा है। पहले तो स्त्रियां जूता पहिन कर और छाता लेकर इस तरह नहीं चलती थीं जिस तरह आजकल चलती हैं। यह सब विदेशी प्रभाव उन पर है। मनु ने कहा है कि ब्रह्मचर्य का यहां तक पालन करना चाहिये कि उस समय मनुष्य को माला तक नहीं पहननी चाहिये, लेकिन इसके माने यह नहीं है कि स्वच्छ नहीं रहना चाहिये। मनुष्य को स्वच्छ तो हमेशा ही रहना चाहिये। सभी कन्याओं और लड़कों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये। सरकार यदि धार्मिक भावना का प्रचार करें तो इससे काफी काम हो सकता है। यदि स्त्रियां धार्मिक बातों का पालन करें तो लड़कों का भी भला होगा। जो पहला लड़का पैदा होता है वह पुष्ट होता है, लेकिन उसके बाद जो दूसरे और तीसरे पैदा होते हैं वे उतने शक्तिशाली नहीं होते हैं जितना पहला होता है। इसलिये आवश्यक है कि देश को सुखी रहने के लिये कम सन्तान पैदा करें।

श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री प्रेम चन्द्र शर्मा का हम सब को कृतज्ञ होना चाहिये कि उन्होंने परिवार नियोजन विषय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। यद्यपि मुझे खेद है कि मैं उनके इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। मेरे विचार में आज कल यह एक फैशन सा हो गया है कि जब कभी कोई सार्वजनिक समस्या की चर्चा होती है, जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना की या अन्य किसी योजना की तो उसी के साथ-साथ फैमिली प्लानिंग की भी चर्चा की जाती है। मैं ऐसा समझता हूं कि जो लोग हर बात में जन संख्या की वृद्धि की बात करते हैं। वे समस्याओं का मुकाबिला न कर अपने कर्त्तव्य से पीछे हटने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा है कि सरकार के अधिकांश अधिकारी गणों की यह धारणा है कि खाद्य की समस्या, नियोजन की समस्या, उद्योग की समस्या और स्वास्थ्य की समस्या इसलिये हल नहीं हो पाती है चूंकि हमारी आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है, परन्तु ऐसी बात नहीं है। मेरे विचार में जिस प्रकार हमें अपनी समस्यायें हल करनी चाहिये वैसा हम नहीं करते। यह तो केवल एक समस्या के स्थान पर दूसरी समस्या का इनडाइरेक्ट सहारा लेना है। चूंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है इसलिये हम अपनी खाद्यान्न की समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं या हम स्वास्थ्य अथवा शिक्षा की समस्या हल नहीं कर सकते हैं। जनसंख्या कोई नयी समस्या नहीं है। भारत में या हमारे प्रदेश में कोई आज से आबादी बढ़नी एक दम से शुरू नहीं हुई है बल्कि जनसंख्या को बढ़ते बढ़ते लगभग ५०-१०० वर्ष हो चुके हैं। क्या जन-संख्या की समस्या पहले नहीं थी। सिर्फ अन्तर यह था कि पहले समस्याओं का मुकाबिला दूसरे तरीके से होता था। प्रत्येक व्यक्ति उसे हल करने में सहयोग प्रदान करता था। मेरे विचार में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि यदि मेरी चार संतति हैं तो ऐसा प्रयत्न करे कि हम उन चारों को अच्छी प्रकार से रख सकें। यद्यपि मैं फैमिली प्लानिंग के विरुद्ध हूं लेकिन साथ ही मेरा यह विश्वास है कि फैमिली प्लानिंग से हमारी सभी समस्यायें हल नहीं हो सकतीं। अतः फैमिली प्लानिंग संबंधी प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं।

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—श्रीमान् अध्यक्ष जी, मैं श्री शर्मा जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने जिस दृढ़ता के साथ और जिस खूबी के साथ यह समस्या यहां रखी है और हम सबको यहां आगाह किया, यह बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने हमारा ध्यान इस ओर दिलाया और बहुत कुछ प्रकाश भी इसके ऊपर डाला, और भी साहबान ने जो कुछ कहा है, उससे मैं यह समझता हूं कि यह मसला बहुत आवश्यक है और सब लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं। सभी ने जिन-जिन बातों के ऊपर रोशनी डाली है उनके विषय में मैं सरकार की ओर स यह इत्मीनान दिलाता हूं कि हम इस की मुखालिफत नहीं कर सकते हैं और सरकार भी इसको बहुत आवश्यक समझती है। जिस ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, उस ओर से सरकार भी बेखबर नहीं है, वह भी बराबर रोग को समझ रही है और सन् ५१ में जो सेन्सस हुई थी, उसके बाद सारी दुनियां ने और खास तौर से हिन्दुस्तान ने इस ओर ध्यान दिया कि आबादी किस तेजी से बढ़ रही है और कहां तक समस्या ब रही है, जिसके लिये सरकार ने यह भी महसूस किया कि अगर इसी प्रोपोर्शन स बराबर आबादी बढ़ती गयी तो समस्या बहुत जटिल हो जायेगी।

इसलिये सन् ५१ ही में रेड क्रास सोसाइटी ने इस समस्या पर गौर किया और उसने गवर्नमेंट से मदद मांगी। गवर्नमेंट ने उसी वक्त १० हजार रुपया मंजूर किया था और हमारे अध्यक्ष महाशय, श्री चन्द्र भाल जी रेड क्रास सोसाइटी की तरफ से फैमिली प्लानिंग कमेटी के प्रेसीडेंट मुकर्रर हुय थे, उन्होंने इस थोड़े से रुपये में जिस खूबी से काम किया वह सराहनीय है। उस थोड़ से पैमाने में काम शुरू किया गया, पैम्फलेट्स बांटे गये, हर तरह से प्रोपेगेन्डा हुआ और इन्सपेक्टर्स भी मुकर्रर किये गये और काम में बहुत तरक्की होने लगी। उसके बाद यह मालूम करने के लिये कि इसका गांवों में क्या असर हुआ है, गांव वाले उसको किस लाइट में लेते हैं, तो इस काम को भी ५१, ५२ में शुरू किया गया और उसके लिये पहले गवर्नमेंट ने ५ हजार फिर ७ हजार दिये और बराबर खर्चा होता रहा। इस के बारे में (J. K. Institute of Sociology) जो तहकीकात की और जो उसके बारे में रिपोर्ट आई तो उससे मालूम हुआ कि गांव वाले भी इसको बुरा नहीं समझते हैं और वह भी इसका वेलकम करते हैं और समझते हैं कि कोई तरीका ऐसा हो, जिसमें औलाद ज्यादा न बढ़े और उसके बाद से बराबर इस विषय में काम होता रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस तेजी से होना चाहिये था, उस तेजी से यह काम नहीं हो पाया लेकिन पैम्फलेट्स, सिनेमा शो, क्लिनिक्स के जरिये से धीरे धीरे इसका प्रचार होने लगा। इसके बाद गवर्नमेंट ने इस समस्या को सुलझाने के लिये १० लाख रुपया पिछली बार रखा था और उसमें १२ अरबन सेन्टर्स और दो रिसर्च सेंटर्स बनाये लेकिन जब गवर्न-मेंट आफ इंडिया से बातचीत होने लगी तो यह मालूम हुआ कि गवर्नमेंट आफ इंडिया इसमें ज्यादा दिलचस्पी ले रही है और अब गवनमेंट आफ इंडिया से मिल करके, जैसा कि आप लोगों ने इस बजट में देखा होगा कि उसमें फैमिली प्लानिंग का जिक्र है, इसके लिये काफी रुपया रखा गया है, जिसमें यह तय हुआ है कि हम गांवों में १५० सेंटर्स और शहरों में २५ सेंटर्स बनायें और इस बारे में काम फौरन शुरू कर दिया जाय। इस साल इसके अलावा दो सेंटर्स मेरठ और बलिया में चालू हो गये हैं और उनमें काम शुरू हो गया है। इसके अलावा ५ सेंटर्स इस नवम्बर से शुरू करने वाले हैं और मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि नवम्बर में ५ सेंटर्स और गांवों में खुल जावेंगे। इसमें इस साल डेढ़ लाख रुपया लगाया जायेगा। एक लेडी डाक्टर की भी तलाश है, जिसके सुपुर्द इस डिपार्टमेंट को कर दिया जाय। उसका काम होगा कि वह लोगों में इस बात का प्रचार करे और उनको समझायें कि किस प्रकार से कम संतान होती है। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने फैमली प्लानिंग के लिये कहा है कि अबार्शन कर देना चाहिये, लेकिन इसके बरे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात एक हद तक बहुत ही मुश्किल है। हमको चाहिये कि हम संयम से रहें। फैमली प्लानिंग के यही मतलब नहीं हैं कि कम

बच्चे हों, बल्कि यह भी होना चाहिये कि जो बच्चे हों उनमें काफी सालों का फर्क होना चाहिये ताकि उनकी परवरिश अच्छी तरह से हो सके। इन सब बातों के लिये जनरल व्यवस्था की जरूरत है।

अक्सर लोग कहा करते हैं कि अमीरों के बच्चे कम होते हैं और गरीबों के ज्यादा होते हैं, क्योंकि गरीबों के पास दिल बहलाने के ओर कोई साधन नहीं होते हैं। उनको अपना समय काटने के लिये और कोई साधन नहीं होता है, इस कारण भी उनको अधिक बच्चे होते हैं। अमीरों के पास बहुत से साधन होते हैं इसलिये उनको कम बच्चे होते हैं। हमको शुरू से ही इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो बच्चा पैदा हो उसके बाद जो दूसरा बच्चा हो उसमें चार या पांच वर्ष का फर्क होना चाहिये। आजाद साहब ने कहा कि मिनिस्टरों को इसके लिये मिसाल कायम करनी चाहिये और लोगों को बतलाना चाहिये। यह ठीक है कि मिनिस्टरों को इसके लिये बतलाना चाहिये लेकिन साथ ही साथ सारे माननीय सदस्यों का भी यह फर्ज हो जाता है कि वे भी इसमें सहयोग दें और इसके उपाय लोगों को बतलायें। आप बजट देखें तो आप को मालूम होगा कि इसके लिये सेन्टर से हमको रुपया मिला है। १५० सेंटर देहातों में और २५ सेंटर शहरों में खोले जायेंगे। इसके अलावा इसके लिये अस्पतालों में भी इंतजाम किया गया है कि वे इस बात का प्रचार करें। गवनमट आफ इंडिया भी इस मामले म बहुत इंटरेस्ट ले रही है। अभी हाल ही में हेल्थ मिनिस्टरों की एक कमेटी हुई थी उसमें भी फैमली प्लानिंग के लिये जोर दिया गया था और वहां पर इस बात पर जोर दिया गया कि आज हमारे देश में इस बात की जरूरत है कि फैमली प्लानिंग किया जाय। गवर्नमेंट आफ इंडिया से हमको काफी रुपया भी मिला है और आगे उम्मीद है कि हमको और रुपया मिलेगा। शर्मा जी ने जो इसके बारे में कहा है वह मैंने मंजूर कर लिया है। लेकिन उन्होंने एक बात यह कही कि जिस तरह से दूसरे मुल्कों में अबार्शन लीगल करार दिया गया है हमारे देश में भी इसको लीगल करार दिया जाय। मैं समझता हूं कि हम लोग इसको मानने के लिये तैयार न होंगे और हम अपने देश में इस चीज को अच्छा भी नहीं मान सकते हैं और न माना जा सकता है। तो हर उपाय इसके लिये ठीक नहीं होगा, मगर जो उपाय रखे गये हैं, उनको मानने में मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं इस प्रस्तावक महोदय का मशकूर हूं कि वे इस तरह का प्रस्ताव यहां पर लाये हैं और गवर्नमेंट की तरफ से पूरे इंटरेस्ट के साथ इसके लिये कार्यवाही की जायेगी।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त---माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत प्रस्ताव पर कुछ निवेदन करने से पहले मुझे इस बात के लिये माफी मांगनी चाहिये कि जो अभी तक यहां वाद विवाद हुआ मैं उपस्थित नहीं था, इसलिये हो सकता है कि बहुत सी बातें जो पहले कही जा चुकी हों, मैं भी उनको कहूं, इसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं। इस संबंध में मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, केवल दो, चार बातों की तरफ ही इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

पहली बात तो यह है कि माननीय मंत्री जी ने जो बात कही कि गवर्नमेंट का ध्यान पहिले से इस बात की तरफ है और गवर्नमेंट ने कुछ और सेन्टर्स की संख्या इस विषय में आरम्भ करने की बत तय की है। अभी अभी मैं बजट देख रहा था, तो मेरी नजर इस विषय पर पड़ गई और मुझे ऐसा लगा कि सारे बजट के आकार को देखते हुए, जो रकम फैमिली प्लानिंग के मद में रखी गयी है, न्यू आइटम्स आफ एक्सपेंडीचर में, वह बहुत कम है और सेन्टर्स की संख्या जो इस वर्ष खुलेंगे, वह भी विषय की महत्ता को देखते हुए बहुत कम है। मैं इस पर काफी दिनों से सुनता आ रहा हूं और इस विषय पर गवर्नमेंट आफ इंडिया यू० पी० गवर्नमेंट को काफी मदद दे रही है और कभी कभी जब हेल्थ मिनिस्टर्स की या इस विभाग के आफिसर्स की कान्फ्रेंस होती है, तो उनमें इसका जिक्र आता है। सेन्टर में माननीय अमृत कौर जी के बहुत से भाषण भी इस विषय पर सुने गये, लेकिन जब इसको कार्यरूप

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

में देने का प्रश्न आता है, तो हम देखते हैं कि यह विषय एक बहुत ही नगण्य विषय की तरह से लिया जा रहा है। पिछली जो पंचवर्षीय योजना थी, उसके कार्य कलाप का जब रिव्यू किया गया, तो यह देखा गया कि इस सिलसिले में इम्प्लायमेंट की पोजीशन के इम्प्रूवमेंट के लिये जो जो तरीके सोचे गये थे, वह पहली पंचवर्षीय योजना के जरिये से नहीं हो पाये और जितने लोगों को इम्प्लायमेंट उस प्लान के जरिये से देने की सोची गयी थी, उससे भी कम प्रतिशत में इंप्लायमेंट सरकार दे पाई। अब जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा करीब ८० लाख व्यक्तियों को यहां पर रोजगार देने की बात सोची गई है, तो इसके साथ ही साथ हमें यह भी सोचना चाहिये कि हमारी आबादी किस तरह से बढ़ रही है और जितने नये लोगों को रोजगार देने की हम सोचते हैं, उससे ज्यादा आबादी हमारे यहां बढ़ती चली जाती है। इसका नतीजा यह होगा कि जहां हम १० आदमियों को रोजगार देने की बात सोचते हैं, इस तरह से चार आदमियों को बेरोजगार कर देंगे। इस तरह से अगर नये बच्चे हमारे यहां बढ़ते जायेंगे तो यह बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी बल्कि बढ़ती जायेगी। इस बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई बेरोजगारी का मुकाबिला करते हुए एक अखबार के सम्पादक ने एक लेख लिखा था और उसने इस बात को बतलाने की कोशिश की थी कि जबतक हम फैमिली प्लानिंग को फर्स्ट रेट महत्व न दे कर, इस पर नहीं सोचेंगे, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना इसको हल नहीं कर पायेंगी। मुझे आप के जरिये से यह कहना है कि अभी माननीय मंत्री जी ने जो एक लाख, डेढ़ लाख और १० हजार रुपये के आंकड़े बतलाये हैं, इस बजट के आकार को देखते हुए, यह बहुत कम रकम है और इसके जरिये से जो लाभ होगा, वह इस महत्वपूर्ण समस्या को देखते हुए बहुत कम होगा और कहना यह चाहिये कि सरकार इस समस्या को अभी ठीक तरह से आंक नहीं रही है। मैं समझता हूं कि यह जो शर्म है उसे छोड़ देना चाहिये और जो मुल्क की बहबूदी की मांग है उस समस्या को अपनी जगह पर ठीक ठीक स्थान दिया जाय। जहां तक इसका ताल्लुक है मुझे खुशी हुई कि सरकार ने न सिर्फ उन केन्द्रों पर जो फैमिली प्लानिंग के लिये खोले गये हैं, के कार्य कलाप पर निर्भर रही है बल्कि वह अस्पतालों के जरिये भी इसको करना चाहती है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कुछ ऐसे भी अस्पताल हैं जहां डाक्टरों के पास काम नहीं रहता है। आज ही प्रश्नोत्तर के समय एक आई डी अस्पताल का नाम आया जिसमें पूरी साल भर में कुल ४७ आउट डोर मरीज आये। फिर मैं यह देखता हूं कि उनके पास कोई अधिक काम नहीं रहता है और माननीय अध्यक्ष महोदय अगर मैं यह कहूं कि वह साल भर बैठे रहते हैं तो अनुचित न होगा। जहां सरकार इतना खर्च करती है वहां अगर ऐसे अस्पतालों का इस चीज के लिये भी इस्तेमाल करें वह अपने काम के साथ साथ फैमिली प्लानिंग का भी काम करें तो हमारा कुछ खर्च भी नहीं होगा और काम भी हो जायेगा। हमारे जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज हैं उनके पास ऐसी समस्या नहीं है। जो ऐसे डाक्टर हैं वह जनता को समझाने का काम कर सकते हैं वह उच्च कोटि का काम नहीं है। यह काम करने के लिये अगर सब मिल कर तैयार हो जायं और जुट कर काम करें तो लोग यह समझने लगेंगे कि परिवार नियोजन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उनको यह बतलाया जाय कि जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है उस समस्या का सीधा ताल्लुक हमारे परिवार नियोजन से है। सरकार ने अब तक इसके महत्व को समझाने की ओर ध्यान नहीं दिया है उसने केवल सेंटर खोल कर उनको चलाने की ओर ध्यान दिया है। उससे काम नहीं चलेगा। अगर मुझे माफ किया जाय तो मैं यह कहूं कि हमारे जो एजूकेटेड लोग हैं वह भी इस की ओर ध्यान नहीं देते हैं। जो एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स हैं वहां जो प्रोफेसर्स हैं जिनका कि इस ओर विशेष ध्यान होना चाहिये वह भी जब फैमिली प्लानिंग की बात आती है तो वह उसे मजाक में उड़ा देते हैं। फैमिली प्लानिंग का शब्द आज मजाक में उड़ गया है। मेरा ख्याल है कि इसके प्रोपेगेन्डा की, इसके प्रचार की और उसके

महत्व को समझाने की बड़ी आवश्यकता है। और सरकार अगर ठीक तरह से इसके प्रचार को संगठित करके काम आगे बढ़ाये तो काम बहुत तेजी से बढ़ेगा और हमें लाभ होगा। हमारी जो संस्कृति है हमारा जो धर्म है उसके अन्दर मैथुन को घृणा की दृष्टि से देखा गया है। हमारा जो वर्णाश्रम धर्म है उसमें भी मैथुन की ओर बहुत ही कम लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया है। आज ब्रह्मचर्य की तरफ अवहेलना की भावना हमारे स्कूलों में और हमारे घरों में घुस गयी है। पहले यह था कि पचीस वर्ष से कम का व्यक्ति मैथुन की तरफ आकर्षित ही नहीं होता था और अध्यक्ष महोदय, मैथुन की परिभाषा इतनी जबरदस्त थी कि अगर कोई पुरुष स्वप्न में भी किसी स्त्री की तरफ ख्याल करे तो वह मैथुन कहलाता था। यही स्त्रियों के लिये भी था कि यदि कोई स्त्री किसी पुरुष का स्वप्न में ख्याल करे तो वह मैथुन कहा जायगा। हमारे विद्यार्थियों को अपना मुंह पानी में देखना भी विद्यार्थी धर्म के प्रतिकूल समझा जाता था। तो हमारी संस्कृति में इस मैथुन के प्रति कितनी घृणा का भाव था। आज हम यह समझने लगे हैं कि फैमिली प्लानिंग उन्हीं लाइन्स पर हो सकती है जिन पर वेस्ट में होती है। यदि हम अपने तरीकों को अपना सकें तो और अपनी संस्कृति की उन चीजों का प्रचार कर सकें जिनसे मैथुन के प्रति घृणा उत्पन्न हो सकती है तो ज्यादा अच्छा हो और यह काम हमारे लिये बहुत आसान हो जायगा। अभी हमारे मंत्री जी ने कहा कि बेकार आदमी का ध्यान भी इस ओर अधिक जाता है लेकिन मेरा यह कहना है कि केवल बेकारी को ही इस चीज के लिये जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता है और बेकारी ही इस ओर मनुष्य का ध्यान नहीं ले जाती है बल्कि यह सिनेमा हाउसेज भी इसके प्रति जिम्मेदार हैं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार इन सिनेमा हाउसेज का नियोजन उस प्रकार से नहीं कर पा रही है जिस प्रकार से करना चाहिये। हो सकता है कि सरकार इस बात को कहे कि यह तो केन्द्रीय सरकार का मामला है लेकिन मैं इसको कुछ अधिक महत्व नहीं देता हूं और मैं इसका अधिक कायल नहीं हूं। इस बढ़ती हुई समस्या का बहुत बड़ा हल शिक्षा और प्रचार पर ही निर्भर करता है। मुझे बहुत अधिक बोलने का मौका नहीं है, केवल १५ मिनट ही लेना चाहिये। यदि बोलने का मौका होता तो मैं और अधिक इस बात पर बताता।

दूसरी बात मैं इसके सिलसिले में यह बताना चाहता हूं जिसको मैंने वेस्ट में पढ़ा है और हमारे यहां थोड़ी सी बेखबरी है। जहां हम वेस्ट की बहुत सी खराब बातों को ले लेते हैं वहां हम बहुत सी अच्छी बातों को नहीं लेते हैं। अमरीका और दूसरे कंट्रीज में सेक्स के लिहाज से उन बच्चों को जो बहुत ही नाजुक होते हैं उनका बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से शिक्षा दी जाती है और वहां के कालिजेज और स्कूल्स में सेक्स का बहुत ही अच्छा इंतजाम है। वहां के नौजवानों को समझाया जाता है कि किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि हमको उसी तरह से चलना चाहिये लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने सुना है और जब मैं पढ़ता था तो एक मिश्नरी स्कूल में पढ़ता था और मुझको अपनी कालिज लाइफ खत्म करके इस बात का मौका हुआ कि उनके सेक्स एजूकेशन के क्लासेज को अटेंन्ड करूं। वहां मैंने देखा कि किस तरह से वह अपने नौजवानों को एजूकेट करते हैं। तो सरकार वेस्टर्न कंट्रीज के अन्दर पैटर्न आफ एजूकेशन देखें कि क्या हमारे विद्यार्थियों के लिये कोई अनुकरणीय बात उसमें हो सकती है। एक-दो बातें माननीय मंत्री जी ने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज में एबार्शन की प्रवृत्ति चल रही है वह हमारी संस्कृति के विरुद्ध है और गांधी जी ने इस संबंध में २-१ पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने बताया है, वह भविष्य द्रष्टा थे, सन् १९०८ या १० में उन्होंने संतति-निरोध पुस्तक लिखी थी उसमें फैमिली प्लानिंग के विषय को अच्छी तरह से डील किया है। उसमें लिखा कि इन बातों का अनुकरण करना चाहिये जो वेस्ट ने की है। अगर हम उन बातों का अनुकरण अपने देश में करें तो हमारे देश का कल्याण हो सकता है।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय इस सदन का नहीं लेना चाहता। क्योंकि जो प्रस्ताव रखा है उसका स्वागत सदन के सभी माननीय सदस्यों

[श्री प्रेम चन्द्र शर्मा]

ने लगभग किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ शंकायें की हैं और उसके संबंध में ३, ४ मिनट में कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। श्री चतुर्वेदी जी ने कुछ बातें रखी थीं। उनसे यह प्रगट नहीं हो सका कि आया वह इसका स्वागत कर रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं। शुरू शुरू में इस बात पर असंतोष प्रगट किया कि आज कल यह फैशन हो गया है। फैमिली प्लानिंग का जैसे और प्लानिंग के कार्य चल रहे हैं। यह सही है कि समाज की आवश्यकताओं की ओर देखकर और जिस बीमारी की अधिक चर्चा है उसको देखकर अगर फैमिली प्लानिंग की बात कही जाय तो अनुचित नहीं होगा। माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि क्या यह समस्या पहले भी थी। थी, लेकिन इतनी उग्र रूप में नहीं थी। जो विचारक थे, जो आगे को देख सकते हैं जैसे अभी माननीय कन्हैया लाल जी ने कहा कि सन् १९०८ में महात्मा गांधी जी ने संतति–निरोध की पुस्तक लिखी थी। वह भविष्य जानते थे कि भविष्य में क्या भयावह स्थिति आने वाली है इसलिये उन्होंने पहले से विचार किया। यह बात भी कही गयी कि यदि कोई मनुष्य अधिक संतान का पालन–पोषण कर सकता है और उसके यहां पैदा होती है तो कोई हर्ज नहीं। मैं कहता हूं कि आप अपने घर में तो व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन इससे दूसरे लोगों को आप महरूम कर देंगे। आप बहुत सी संतान पैदा कर के दूसरों की सुविधा को नष्ट करेंगे और इस तरह से जो दूसरों के लिये सुख सुविधा मिल सकती थी उसको आप काट लेंगे। यह भी कहा गया है कि इस प्रस्ताव के जरिये से सभी समस्यायें हल नहीं हो सकती हैं। मैं भी कहता हूं कि इससे सभी समस्यायें हल नहीं हो सकती हैं। बहुत सी समस्यायें हैं और इस छोटे से प्रस्ताव के जरिये हल नहीं हो सकती हैं। दो–एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक प्रश्न और पैदा किया गया था। बहन सावित्री श्याम जब बोल रही थीं तो स्त्रियों के संबंध में उन्होंने कहा वैसा कोई विचार नहीं था। मर्दों का आपरेशन वाकई स्त्रियों से आसान है। उसमें ३ दिन लगते हैं और कोई खास परेशानी नहीं होती है। मेरा इशारा तो पुरुषों की तरफ था। लेजिस्लेशन के विरोध की बात कही गयीं। मैं भी लेजिस्लेशन के फेवर में नहीं हूं लेकिन मैंने विकल्प के रूप में कहा था यदि कोई दूसरा रास्ता न हो तो सरकार संभवतः यह कर सकती है। यहां मेरी तरफ से कोई बात नहीं है कि वह लेजिस्लेशन करे। कई माननीय सदस्यों ने जो आश्रम होते हैं उनका उन्होंने जिक्र किया लेकिन आज दुनिया में कितने व्यक्ति हैं जो आश्रम की मर्यादा का पालन करते हैं। अगर ऐसा होता तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती लेकिन दुर्भाग्य है। इसलिये कुछ न कुछ उपाय इसके लिये करना होगा। एक बात यह कही गयी कि इसके लिये नये विभाग खुलेंगे और उसमें ज्यादा खर्चा होगा। इसमें नये विभाग को खोलने की आवश्यकता नहीं है। जो मौजूदा विभाग है वही काम करे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि लगभग उसी लाइन पर काम हो रहा है। इसके लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन किया और बातों को भी बतलाया यह जान करके कि सरकार क्या कर रही है माननीय सदस्यों को संतोष हुआ। माननीय कन्हैया लाल जी ने कहा कि इसमें ग्रान्ट थोड़ी रखी गयी है लेकिन मैंने कहा कि ४ करोड़ रुपये की राशि पंचवर्षीय योजना में रखी गई है। उसमें से १५ लाख रुपया पा सकते हैं। उस रुपये को उपलब्ध कर लिया जाय तो काफी काम हो सकता है। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी को और विरोधी दल के नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कि इस संकल्प का स्वागत किया।.

श्रीमन् एक वरबल अमेंडमेंट है। वह यह है कि शब्द "सब" की जगह पर शब्द "उचित" रख दिया जाय।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि शब्द "सब" की जगह पर शब्द "उचित" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि "इस परिषद् का निश्चित मत है कि जन-संख्या की अत्यधिक वृद्धि राज्य के कल्याण में घोर बाधा डालती है और सरकार से अनुरोध करती है कि संतति-निरोध के आन्दोलन के प्रचार के लिये उचित उपाय काम में लावे और उसके लिये सुविधा उपलब्ध करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन का कार्यक्रम

श्री चेयरमैन--कल भी असरकारी कार्य होगा। एक विधेयक जिसका विचार आरम्भ हो गया था उस पर विचार जारी रहेगा। वह विधेयक है आजाद साहब का १९५६ का यू० पी० भूमि वितरण तथा प्रबंधक व्यवस्था विधेयक। मुझे ऐसा भी बताया गया है कि श्री राम किशोर रस्तोगी जी ने आजाद साहब को राजी कर लिया है कि उनका संकल्प उस विधेयक के बाद ले लिया जाय।

अगर सदन को स्वीकार हो तो उस विधेयक के बाद यह संकल्प ले लिया जाय। प्रस्ताव यह है :

"यह परिषद् सरकार से सिफारिश करती है कि नगरपालिकाओं के कार्य-स्तर को ऊंचा उठाने व उनकी सुव्यवस्था के लिये नगरपालिकाओं के एवजीवयूटिव अधिकारियों की नौकरियों का प्रदेशीयकरण कर दिया जाय"।

(सदन ने अपनी अनुमति दे दी।)

श्री चेयरमैन--कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ४ बज कर ४७ मिनट पर दिनांक २५ जुलाई, १९५७ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

लखनऊ :
२ श्रावण, शक संवत् १८७९
(२४ जुलाई, सन् १९५७ ई०)।

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ३४ का उत्तर ६९ पृष्ठ पर)

तालिका

जिले का नाम	चिकित्सा	कम्पाउन्डर	नर्स	सिस्टर्स	असिस्टेंट मिड वाइफ	वार्ड मास्टर	क्लर्क	एम्बुलेंस ड्राइवर	एम्बुलेंस क्लीनर	लेबोरेटरी असि०	अन्य इंफीरियर स्टाफ	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१—लखनऊ ...	१	२	१	...	...	१	१	२	२	१	१९	३०
२—कानपुर ...	२	३	१	१	...	...	१	...	१	...	२४	३५
३—वाराणसी ...	२	३	...	...	...	...	१	...	...	...	१३	१९
४—इलाहाबाद ...	२	३	६	...	...	...	...	...	...	...	१९	३०
५—सहारनपुर ...	१	२	...	...	...	...	...	...	...	...	४	७
६—झांसी ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
७—गोरखपुर ...	१	१	...	...	१	...	...	...	...	...	४	७
८—देहरादून ...	१	१	१	...	...	...	...	...	...	...	६	९

९—गोंडा	...	१	१	...	...	...	...	...	...	...	...	३	५
१०—अलीगढ़	...	१	१	...	...	...	...	...	...	...	...	२	४
११—आगरा	...	१	१	...	...	...	...	...	१	...	१	११	१५
१२—मसूरी	...	१	१	...	...	...	...	...	...	...	...	४	६
१३—सीतापुर	...	१	...	...	...	...	...	...	...	...	...	१	२
१४—मेरठ	...	१	२	...	...	...	...	...	...	..	...	५	८
१५—अयोध्या	...	१	१	...	...	...	...	...	...	...	१	१४	१७
१६—हरद्वार	...	१	२	...	...	...	...	...	...	...	१	१४	१८
१७—मिरजापुर	...	१	१	...	...	...	...	...	...	...	...	१५	१७
१८—वृन्दावन	...	१	१	...	...	...	...	...	...	...	...	१०	१२
१९—ऋषीकेश	...	१	१	...	...	...	...	...	...	...	...	१३	५*
२०—मथुरा	...	१	१	१	...	...	...	...	...	...	१	६	१०

*एक चिकित्सक १४ अप्रैल से ३० सितम्बर तक प्रत्येक वर्ष नियुक्त किया जाता है।

†इसमें लेब्रोरेटरीज, अटेन्डेन्ट, नर्सिंग आर्डरलीज, मीनेन अटेन्डेन्ट, वार्डब्वाइज, चौकीदार, चपरासी, जमादार, दाई इत्यादि–इत्यादि की संख्या भी शामिल है।

APPENDIX 'A'

(*See* answer of starred question 34 on page 69)

Sl. no.	Name of district	Medical Officer	Compounder	Nurse	Sisters	Assistant Midwife	Ward Master	Clerk	Ambulance Carrier	Ambulance cleaner	Labour Assistant	*Other inferior staff	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Lucknow	1	2	1	..	..	1	1	2	2	1	19	30
2	Kanpur	2	3	1	1	..	..	1	2	1	..	24	35
3	Varanasi	2	3	..	..	..	..	1	..	..	..	13	19
4	Allahabad	2	3	6	..	..	..	..	..	..	..	19	30
5	Saharanpur	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	4	7
6	Jhansi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
7	Gorakhpur	1	1	..	..	1	..	..	..	..	..	4	7
8	Dehra Dun	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	6	9
9	Mathura	1	1	1	..	..	..	..	..	..	1	6	10
10	Gonda	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5
11	Aligarh	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4
12	Agra	1	1	..	..	..	..	..	1	..	1	11	15
13	Mussoorie	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	4	6
14	Sitapur	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2
15	Meerut	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	5	8
16	Ayodhaya	1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	14	17
17	Hardwar	1	2	..	..	..	..	..	..	..	1	14	18
18	Mirzapur	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	15	17
19	Vrindaban	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	10	12
20	Rishikesh	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	†3	*5 including Seasonal staff also

N. B.—*One Medical Officer is employed during 1st April to 30th September every year.

†Col. 13 including laboratory attendants, nursing orderlies, women attendants, ward boys, chowkidars, peons, sweepers, Dhis, etc., etc.

सी० एस० यू० पी०—११८ एल० सी०—१३५७—८०० (प्रो)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

गुरुवार, ३ श्रावण, शक संवत् १८७९, (२५ जुलाई, सन् १९५७ ई०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (४९)

अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमा नाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टंडन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पुष्कर नाथ भट्ट, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
पृथ्वी नाथ, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
मदन मोहन लाल, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम गुलाम, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पांडे, श्री
राम लखन, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विजय आफ विजयानगरम्, महाराजकुमार, डाक्टर
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
व्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री

निम्नलिखित मन्त्री, राज्य मन्त्री व उप मन्त्री, जो विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे:—

श्री चरण सिंह (माल मंत्री)।
श्री सैयद अली जहीर (न्याय, वन, खाद्य व रसद मंत्री)।
श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (सहकारी उपमंत्री)।
श्री कैलाश प्रकाश (शिक्षा उपमंत्री)।
श्री गिरधारी लाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)।
श्री विचित्र नारायण शर्मा (स्वशासन मंत्री)।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

वृन्दावन म्युनिसिपल बोर्ड के भूतपूर्व प्रेसीडेंट द्वारा सरकार के पास भेजा गया प्रतिनिवेदन

*१--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--(क) क्या यह ठीक है कि म्युनिसिपल बोर्ड, वृन्दावन के भूतपूर्व प्रेसीडेंट ने सरकार के पास एक प्रतिनिवेदन भेजा है, जिसमें कि उन्होंने बोर्ड के बहुत से सदस्यों के विरुद्ध भीषण आरोप लगाये हैं?

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिनिवेदन कब किया गया और वह सरकार द्वारा कब प्राप्त हुआ?

*1. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*Teachers' Constituency*)—(*a*) Is it a fact that the former President, Municipal Board, Vrindaban, has made a representation to the Government, in which he has made serious allegations against a number of members of the Board ?

(*b*) If so, when was this representation made and when was it received by the Government ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा (स्वशासन मंत्री)--(क) जी हां, ऐसे दो प्रतिनिवेद उन्होंने भेजे।

(ख) उन्होंने एक प्रतिनिवेदन ९ अक्तूबर, १९५६ को दिया, जो कि सरकार को ९ अक्तूबर, १९५६ को मिला। दूसरा प्रतिनिवेदन १२ नवम्बर, १९५६ को दिया गया और यह सरकार को १५ नवम्बर, १९५६ को मिला।

Sri Vichitra Narain Sharma (Minister for Local Self-Government)—(*a*) Yes. Two representations were made by him.

(*b*) He made one representation on October 9, 1956, which was received on October 9, 1956. The other representation made by him on November 12, 1956, was received on November 15, 1956.

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनमें प्रधान आरोप क्या क्या थे?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--कुछ तो सरकारी आर्डर्स के डिसओबिडिएन्स के थे, कुछ हिसाब की गड़बड़ी के थे और 'नो कान्फीडेन्स' का प्रस्ताव भी उन के प्रति आ रहा था।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--'नो कान्फीडेन्स' का प्रस्ताव आना कोई आरोप नहीं होता है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--वह आरोप तो नहीं था, लेकिन इस तरह से ठीक काम नहीं होता है। परन्तु यह कुप्रबन्ध की वजह से भंग किया गया है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या यह सत्य है कि इन आरोपों में कुछ इस प्रकार के भी आरोप थे कि व्यक्तिगत सदस्यों ने बोर्ड के पैसे का गबन किया है और पक्षपात-पूर्ण व्यवहार चेयरमैन तथा अन्य लोगों के साथ में किया है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इस समय मुझे सारी फाइल पढ़नी पड़ेगी, बदकिस्मती से मुझे ठीक तरह से याद नहीं रहा, संभव है कि इस प्रकार से भी कुछ आरोप हों।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी बाद में मुझे बता सकेंगे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—निश्चय पूर्वक, बल्कि मैं स्वयं प्रार्थना करने वाला था कि जब दूसरे प्रश्न समाप्त हो जायं, उसके बाद बता दूंगा या यदि आप अलग से मेरे पास आ जायं, तो मैं बताने को तैयार हूं।

*२—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) क्या सरकार ने इन आरोपों के संबंध में कोई जांच करवाई थी ?

(ख) यदि हां, तो उसका क्या फल निकला ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

2. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Did the Government institute any enquiry into these allegations ?

(*b*) If so, with what result ?

(*c*) If not, why not ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) जी हां।

(ख) पहिले प्रतनिवेदन की जांच के परिणामस्वरूप और दूसरे प्रतिनिवेदन पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने बोर्ड को दिनांक ७ अप्रैल, १९५७ से भंग कर दिया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Sri Vichitra Narain Sharma (*a*)—Yes.

(*b*) On the basis of the enquiry held on the first representation and on examining the second representation Government dissolved the Board on April 7, 1957.

(*c*) The question does not arise.

*३—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) क्या यह ठीक है कि म्युनिसिपल बोर्ड, बृन्दाबन ने पिछले एक वर्ष के भीतर सरकार के कुछ आदेशों की अवहेलना की है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार बोर्ड के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

3. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Is it a fact that Municipal Board, Vrindaban, has disobeyed some of the orders of the Government during the last one year ?

(*b*) If so, what action, if any, do the Government propose to take against the Board ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) जी हां।

(ख) सरकार बोर्ड को भंग कर चुकी है।

Sri Vichitra Narain Sharma—(*a*) Yes.

(*b*) Government have already taken action by dissolving the Board.

*४—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—(क) क्या यह ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों में म्युनिसिपल बोर्ड, वृन्दावन ने सरकार को सरकार द्वारा उसको कुछ कामों के लिये दिये गये कर्ज की वार्षिक किस्तों में से बहुत सी किस्तों को अदा नहीं किया है?

(ख) यदि हां, तो यह किस्तें कब वाजिब थीं और उनकी क्या रकमें थीं?

4. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Is it a fact that Municipal Board, Vrindaban, has failed to pay back to Government some of the annual instalments of the loans advanced to them for certain works during the la t few years?

(*b*) If so, when were these instalments due and what were their amounts?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) जी नहीं। नगरपालिका, वृन्दावन उन सभी ऋणों की वार्षिक किस्तों को, जिनकी धनराशि एकाउन्टेंट जनरल, उत्तर प्रदेश ने निर्धारित कर दी हैं, समय से भुगतान कर रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Sri Vichitra Narain Sharma—(*a*) No. The Municipal Board, Vrindaban, is regularly paying the annual instalment of all such loans for which the amount of annual instalments have been fixed by the Accountant General, Uttar Pradesh.

(*b*) Does not arise.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से यह समझ लिया जाय कि सन् १९५६–५७ का सारा भुगतान भी बोर्ड कर चुका है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—१९५६–५७ के भुगतान के संबंध में अभी ए० जी० का निर्णय होना है, वह कितनी किस्तों में उसे बांधे, ताकि वे अदा कर सकें, इसका अभी निर्णय नहीं हुआ है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या अभी फाइनल नहीं हुआ है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—मामला रिफर तो किया गया है, लेकिन अभी फाइनली तय नहीं हुआ है।

इलाहाबाद की दीवानी कचहरियों की इमारतों का नवनिर्माण

*५—**श्री अजय कुमार बसु** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार बतायेगी कि उन्होंने इलाहाबाद की दीवानी कचहरियों के नये विंग के बनवाने का काम शुरू कर दिया है?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों?

5. **Sri Ajay Kumar Basu** (*Legislative Assembly Constituency*) (*absent*)—(*a*) Will the Government state if the construction of a new Wing for Civil Courts, Allahabad, has been started?

(*b*) If not, why?

प्रश्न संख्या ५—श्री राम किशोर रस्तोगी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) द्वारा पूछा गया।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (सहकारी उपमंत्री)--(क) जी नहीं।

(ख) अभी तक इमारत बनाना संभव नहीं हो सका है क्योंकि उसके नक्शों तथा तखमीनों पर किफायत की दृष्टि से विचार किया जा रहा है।

Sri Laxmi Raman Acharya (Deputy Minister for Co-opration)—(*a*) No.

(*b*) It has not been possible to take up the construction so far as plan and estimate are being revised according to austerity standard.

श्री नरोत्तम दास टंडन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--कब तक मंत्री जी आशा करते हैं कि यह तय हो जायेगा?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--मेरे विचार से बहुत शीघ्र हो जायेगा।

*६--९--**श्री पन्ना लाल गुप्त** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--(वर्तमान सत्र के प्रथम बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ३७-४० के रूप में रखे गये।)

बिन्दकी नगरपालिका के प्रबन्ध के संबंध में जिलाधीश, फतेहपुर की रिपोर्ट

*१०--**श्री पन्ना लाल गुप्त**--(क) क्या यह सत्य है कि बिन्दकी नगरपालिका का इन्तजाम खराब होने पर जिलाधीश, फतेहपुर ने कोई रिपोर्ट नगरपालिका के वासियों की शिकायत के आधार पर सरकार को भेजी थीं?

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) जी हां।

(ख) मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले को कितने रोज अभी विचाराधीन रखने की सरकार की मंशा है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--मामले आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, इसलिये अगर थोड़ा थोड़ा समय भी सब को दें तो काफी वक्त लग जाता है, लेकिन सरकार का विचार इसको जल्द करने का है।

बिन्दकी में जल-कल योजना

*११--**श्री पन्ना लाल गुप्त**--क्या सरकार बतलायेगी कि बिन्दकी में जल-कल योजना कब से चालू होगी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--बिन्दकी जल-वितरण योजना फीस प्राप्त न होने के कारण अभी तक नहीं बनाई गई है। जैसे ही बिन्दकी नगरपालिका द्वारा फीस जमा कर दी जायगी, योजना बनाने का काम प्रारम्भ कर दिया जायगा।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि वह फीस कितनी है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जितना काम होता है, उसी के प्रतिशत के हिसाब से होती है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां के म्युनिसिपल बोर्ड में जनता दिलचस्पी नहीं ले रही है, इसलिय फीस नहीं भजी है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह मुमकिन हो सकता है।

*१२—१३—श्री पन्ना लाल गुप्त—[स्थगित।]

जिल्लातारा से शिवराजपुर रोड की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थिति

*१४—श्री पन्ना लाल गुप्त—(क) क्या यह सत्य है कि जिल्ला तारा से शिवराजपुर रोड, फतेहपुर के ३ मील के सड़क का टुकड़ा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग उसे ठीक करेगा ?

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री कुंवर महावीर सिंह (सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव)—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आकार में कटौती हो जाने तथा जिले के अन्य अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के कारण योजना की अवधि में इस कार्य को लेना संभव नहीं हुआ।

श्री पन्ना लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कब तक संभव होगा ?

श्री कुंवर महावीर सिंह—यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं लिया जायगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना जब आयेगी उस वक्त इस पर गौर किया जायगा।

*१५—१८—श्री पन्ना लाल गुप्त—(वर्तमान सत्र के प्रथम बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ४१–४४ के रूप में रखे गये।)

१ अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक म्युनिसिपल बोर्ड, लखनऊ में कर्मचारियों की नियुक्तियां

*१९—श्री राम किशोर रस्तोगी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड में १ अप्रैल, सन् १९५६ से ३१ मार्च, सन् १९५७ तक कौन कौन कर्मचारीगण किस कस स्थान पर नियुक्त किये गये ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—१ अप्रैल सन् १९५६ से ३१ मार्च सन् १९५७ तक लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड में नियुक्त किये गये कर्मचारियों के नाम और उनके स्थानों की सूची† सदन की मेज पर रख दी गई है।

*२०—श्री राम किशोर रस्तोगी—क्या सरकार उपर्युक्त कर्मचारियों की योग्यतायें तथा वेतनक्रम बताने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इन कर्मचारियों की योग्यता एवं वेतनक्रम सदन की मेज पर रखी गयी सूची† में अंकित है।

---

†देखिए नत्थी "क" पृष्ठ १७६ पर

*२१—**श्री राम किशोर रस्तोगी**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उनमें से कितने परिगणित जाति के हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जैसा कि सदन की मेज पर रखी गयी सूची† से विदित है, इनमें से २१ कर्मचारी परिगणित जाति के हैं ।

*२२—**श्री राम किशोर रस्तोगी**—(क) क्या इन कर्मचारियों की नियुक्ति बजरिये इम्प्लायमेंट एक्सचेंज, लखनऊ हुई है अथवा डाइरेक्ट प्रबन्धक द्वारा ?

(ख) यदि प्रबन्धक द्वारा नियुक्ति की गई, तो क्यों ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) जिन कर्मचारियों की नियुक्ति एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा अथवा डाइरेक्ट प्रबन्धक या अन्य विभागीय अध्यक्ष द्वारा की गई है, उनका ब्योरा सदन की मेज पर रखी गई सूची† में दिया हुआ है।

(ख) प्रबन्धक द्वारा अथवा अन्य विभागीय अध्यक्षों द्वारा जितनी नियुक्तियां की गई हैं वे केवल ऐसी परिस्थिति में की गई हैं, जब कि वह नियुक्तियां या थोड़े समय के लिये थीं, या उन पर शीघ्र ही प्रबन्ध न करने से कार्य में बाधा पड़ने की संभावना थी अथवा जब एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से उपयुक्त उम्मेदवार प्राप्त न हो सके।

श्री राम किशोर रस्तोगी—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति के समय उनकी योग्यता और उनकी सीनियारिटी का ख्याल नहीं किया गया, इस कारण काफी असंतोष है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि ऐसा नहीं किया गया है, अगर कहीं पर कोई खास बात है तो उसको बतलाया जाय, उस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि थोड़े समय के लिये जो नियुक्तियां की गयी थीं, उनका विज्ञापन हुआ था या नहीं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—अगर नियुक्ति थोड़े समय के लिये होती है तो विज्ञापन नहीं किया जाता है। एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज से मांग लेते हैं। मैं ठीक नहीं कह सकता हूं कि क्या हुआ। मैंने स्वयं यह लिस्ट आज ही देखी है। उस लिस्ट को देख कर मेरे ऊपर यह प्रभाव पड़ा कि शायद इस मामले को देखने की जरूरत है। यह काम जिस ठीक तरीके से होना चाहिये था वह शायद नहीं हुआ है। मेरा भी यह ख्याल है कि किसी एक आफिसर को इतनी नियुक्तियां नहीं करनी चाहिये थीं। सरकार की यह नीति है कि जिस सरकारी अधिकारी को नियुक्तियां करने का अधिकार होता है, वह अपने लिये दो या तीन आफिसर को और ले लेता है और उन सब की सलाह से काम करता है। तभी सही तरीके से नियुक्तियां हो सकती हैं। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये से नियुक्तियां नहीं होती हैं, तो वह नियुक्तियां विभागीय कमेटी के द्वारा होनी चाहिये।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी के उत्तर से मैं यह समझूं कि व इन सब नियुक्तियों के संबंध में जांच करेंगे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—मैंने आज अपने सेक्रेटरी को आदेश दे दिया है कि जो नगरनिगम हैं, वह लागू किये जायं, अगर वे सेलेक्ट कमेटी से नहीं पास होते हैं, तो सरकार को अधिकार है कि वह जिस चीज को सही समझती है उसको करे और जो कानून है, उसको भले ही पास हो जाने के बाद लागू करे। इस में कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। मेरा यह भी आदेश है कि जो भी काम विभाग में होगा, वह उचित तरीके से हो।

---

†देखिए नत्थी 'क' पृष्ठ १७६ पर।

श्री कन्हैया लाल गुप्त——मेरा जो प्रश्न था, वह लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड में जो नियुक्तियां की गईं, उनके जांच के बारे में था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने एक जनरल बात कही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा——जांच करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जो अधिकार उन्हें मिले थे, यदि उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किये हैं, हम उनका सेन्सर तो अब नहीं कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में जब कभी इस तरह की नियुक्तियां होंगी, तो उसके लिये हमारे आदेश उनके पास पहुंच जायेंगे और इसके लिये हम सावधान रहेंगे।

श्री कन्हैया लाल गुप्त——जो कर्मचारियों में असन्तोष है, उस को देखते हुये क्या सरकार के लिये कुछ कार्यवाही करना उचित नहीं होगा ?

श्री डिप्टी चेयरमैन——इस प्रश्न में आप एक विशेष कार्य का सुझाव दे रहे हैं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त——मेरा प्रश्न तो यही जानने के लिये है कि क्या सरकार के लिये कार्यवाही करना उचित नहीं होगा?

श्री विचित्र नारायण शर्मा——जो मूल प्रश्न है, उसमें जो असंतोष की बात है, वह तो प्रमोशन के बारे में है, मेरा ख्याल है कि जो कुछ हो गया है, अब उसके बारे में कोई कमेटी बैठाने की आवश्यकता नहीं है कि वह उसकी जांच करे।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)——गवर्नमेंट ने क्या इन आफिसरों को अधिकार दे रखे हैं कि वे इस तरह से डाइरेक्टली नियुक्तियां, जितनी चाहें, कर लें ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा——जब इम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नाम नहीं आये, तभी उनको इस तरह के अधिकार दिये गये।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद——इसमें तो पता नहीं कितनी नियुक्तियां इस तरह से हुई हैं, केवल ४, ६ ही नियुक्तियां नहीं हैं, तो क्या इन आफिसरों से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और इसका क्या कारण है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा——यह मुमकिन हो सकता है वसे इसके लिये हमारी तो हिदायतें हैं। पर यह संभव हो सकता है कि हमारी हिदायतें उनके पास न गई हों, फिर भी मैं देख लूंगा कि इस तरह की हिदायतें उनके पास गई या नहीं और मैं इसके बारे में इंक्वायरी भी कर लूंगा।

श्री बंशीधर शुक्ल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)——क्या इम्प्लायमेंट एक्सचेंज को यह लिख कर भेजा गया कि उसके भेजे हुए कैन्डीडेट्स में क्या कमियां थीं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा——यह प्रश्न मैं नहीं समझता कि किस प्रकार से उठता है।

श्री बंशीधर शुक्ल——अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि चूंकि इम्प्लायमेंट एक्सचेंज ने कैन्डीडेट्स नहीं दिये, इसलिये दूसरों को लिया गया, तो क्या इम्पलायमट एक्सचेंज के कैन्डीडेट्स के संबंध में, जो नहीं चुने गये. और डाइरेक्टली चुन लिये गये, वहां यह लिख कर भज दिया था कि तुम्हारे यहां के कैन्डीडेट्स में ये ये कमियां थीं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा——मैंने शायद यह कहा भी नहीं है, वहां से चूंकि नाम नहीं आ सके, तभी डाइरेक्टली कैन्डीडेट्स चुने गये।

पंजाबी टोला पार्क, अहियागंज वार्ड, लखऊन की मरम्मत

*२३—श्री राम किशोर रस्तोगी—क्या सरकार को ज्ञात है कि पंजाबी टोला पार्क, अहियागंज वार्ड, लखनऊ की मरम्मत तथा पुनःनिर्माण के लिये दिसम्बर सन् १९५४ में जनता द्वारा प्रार्थना की गई थी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—अहियागंज, लखनऊ स्थित पंजाबी टोला पार्क की मरम्मत तथा पुनःनिर्माण के हेतु नगरपालिका, लखनऊ के पास केवल माननीय सदस्य महोदय द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ था।

*२४—श्री राम किशोर रस्तोगी—(क) क्या यह ठीक है कि इस पार्क की मरम्मत की स्वीकृति बोर्ड द्वारा हो गई थी और सन् १९५५–५६ के बजट में उसकी मरम्मत की रकम भी निश्चित कर दी गई थी?

(ख) यदि हां, तो वह रकम कितनी थी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) और (ख)–पार्क में लोहे की रेलिंग लगाने के लिये ३,१९० रु० का अनुमानित व्यय (estimate) नगरपालिका ने १९५५–५६ में स्वीकृत किया था।

श्री राम किशोर रस्तोगी—क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि इसके संबंध के कागजात दफ्तर से गायब कर दिये गये थे?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है।

श्री डिप्टी चेयरमैन—यह आप सूचना दे रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं।

*२५—श्री राम किशोर रस्तोगी—(क) क्या यह ठीक है कि उपर्युक्त पार्क की अभी तक (३० अप्रैल, १९५७ तक) मरम्मत नहीं हुई है

(ख) यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) पार्क की मरम्मत ३० अप्रैल, १९५७ तक नहीं हो सकी थी।

(ख) सर्वप्रथम २१ मार्च, १९५६ की नगरपालिका ने पार्क की मरम्मत के लिये अनुमानित व्यय (estimate) की स्वीकृति दी थी। पूर्व इसके कि इस कार्य के लिये टेंडर आमंत्रित किये जाते और उन पर विचार होता, वर्ष १९५५–५६ की समाप्ति के साथ साथ बजट में स्वीकृत धनराशि का व्यपगमन (lapse) हो गया। वर्ष १९५६–५७ में दयानिधान पार्क की मरम्मत, जो इसके पूर्व ही शुरू हो चुकी थी, चलती रही और इस पार्क की मरम्मत धनराशि के अभाव में न हो सकी। पंजाबी टोला पार्क की मरम्मत के सिलसिले में उसे खोदने, भूमि समतल करने, घास लगाने और कंटीले तार का घेरा लगाने का काम प्रारम्भ किया जा चुका है और वह शीघ्र ही पूरा हो जावेगा।

म्युनिसिपल बोर्ड, बिन्दकी के सदस्यों द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

*२६—श्री पन्ना लाल गुप्त—(क) क्या सरकार व जिलाधीश के पास कोई इस प्रकार की शिकायत म्युनिसिपल बोर्ड बिन्दकी, जिला फतेहपुर के सदस्यों द्वारा की गई है कि म्युनिसिपल बोर्ड, बिन्दकी के अध्यक्ष ने मार्च, सन् १९५७ में नगरपालिका की बैठक बिना सभी सदस्यों को सूचित किये हुए रात्रि के ९ बजे दफ्तर बन्द करके की?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी जांच कराई और उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) बोर्ड के एक सदस्य ने तार द्वारा जिलाधीश, फतेहपुर से शिकायत की थी कि बोर्ड के अध्यक्ष ने बिना सब सदस्यों को सूचित किये हुए एक गोपनीय बैठक की।

(ख) जांच करने पर यह मालूम हुआ कि बैठक शाम को ५ १/२ बजे हुई थी। यह नहीं कहा जा सकता कि यह बैठक दफ्तर बन्द करके की गई।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बैठक में बजट पास किया गया और ठेके भी कैंसिल किये गये।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह तो मुझे ठीक मालूम नहीं है। मालूम यह है कि यह बैठक एडजर्न की गयी। कुछ लोगों को इस बैठक की सूचना नहीं दी जा सकी थी। यह नहीं मालूम कि किसके पास सूचना पहुंची, किसके पास नहीं।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया गया?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह सूचना तो मेरे पास है।

कोड़ा-जहानाबाद टाउन एरिया का प्रकाशित किया गया हद्दी नक्शा

*२७--**श्री पन्ना लाल गुप्त**--(क) क्या यह ठीक है कि कोड़ा-जहानाबाद, जिला फतेहपुर में टाउन एरिया का जो हद्दी नक्शा प्रकाशित किया गया और उसमें जो नम्बरान दिये गये हैं उस नक्शे के मुताबिक अभी बहुत से नम्बर शामिल नहीं हैं?

(ख) यदि हां, तो सरकार उन नम्बरों को कब तक टाउन एरिया की हद में लेने के लिये सरकारी आदेश जारी करेगी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) जी हां।

(ख) इस विषय की विज्ञप्ति शीघ्र ही गजट में प्रकाशित की जाने वाली है।

*२८--**श्री पन्ना लाल गुप्त**--(क) क्या यह ठीक है कि उपरोक्त सवाल के सिलसिले में जिलाधीश ने अपनी कोई रिपोर्ट सरकार के पास भेजी है?

(ख) यदि हां, तो सरकार जिलाधीश की रिपोर्ट पर कब तक कार्यवाही करने का इरादा रखती है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) जी हां।

(ख) जैसा कि अभी कहा जा चुका है कि इस विषय की सरकारी विज्ञप्ति शीघ्र ही जारी होने वाली है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह विज्ञप्ति चुनाव के पहिले ही जारी हो जायगी।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--अब तो यह चुनाव के बाद ही हो सकेगा।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि टाउन एरिया के कागजात चलने के बाद वहां गांव सभा का जो काम था, वह भी नहीं हो रहा है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह मुमकिन हो सकता है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह उपयुक्त है कि वहां टाउन एरिया भी न काम करे और जो वहां ग्राम सभा भी थी वह भी अपना काम बन्द कर दे?

श्री डिप्टी चेयरमैन--यह प्रश्न तो मूल प्रश्न के उत्तर से नहीं उठता।

जिला पंचायत, चकिया के कर्मचारियों का प्राविडेंट फंड

*२९--श्री राम नन्दन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार बतायेगी कि जिला पंचायत, चकिया के कर्मचारियों के प्राविडेंट फन्ड का रुपया, जो बनारस ट्रेजरी के परसनल लेजर एकाउन्ट में इस समय है, इसके पूर्व चकिया पोस्ट आफिस में जमा था?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं।

श्री राम नन्दन सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्राविडेंट फंड में कितना रुपया है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इसके आंकड़े तो मेरे पास यहां नहीं हैं। कोई २६,१५० रुपये के करीब है।

श्री राम नन्दन सिंह--यह रुपया बनारस ट्रेजरी में जमा होने के पहिले कहां था?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह शुरू से ही बनारस स्टेट के बनारस स्टेट बैंक में था।

*३०--श्री राम नन्दन सिंह--(क) यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वह रुपया चकिया पोस्ट आफिस में किसके आदेश से जमा हुआ और किस तारीख को?

(ख) किसके नाम कितना रुपया था और किसके द्वारा जमा किया गया था?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*३१--श्री राम नन्दन सिंह--क्या यह ठीक है कि चकिया पोस्ट आफिस में जमा किये जाने के पूर्व यह रुपया चकिया की ट्रेजरी में जमा था?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह रुपया चकिया ट्रेजरी या पोस्ट आफिस में कभी जमा नहीं था।

*३२--श्री राम नन्दन सिंह--यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि चकिया ट्रेजरी में वह रुपया किसके आदेश से निकाला गया और किस तारीख को और कुल कितना रुपया था और किसके द्वारा निकाला गया?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--प्रश्न नहीं उठता।

*३३--श्री राम नन्दन सिंह--क्या यह ठीक है कि चकिया ट्रेजरी से जितना रुपया निकाला गया था उसमें से कुछ रुपया जिला पंचायत, चकिया ने अपने पास रख लिया था?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--प्रश्न नहीं उठता।

*३४--श्री राम नन्दन सिंह--यदि हां, तो उपर्युक्त रुपया किस प्रकार खर्च किया गया?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--प्रश्न नहीं उठता।

*३५--श्री राम नन्दन सिंह--क्या यह सच है कि चकिया ट्रेजरी में जमा किये गये रुपये के विवरण का रजिस्टर जिला बोर्ड, बनारस में नहीं जमा किया गया?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--प्रश्न नहीं उठता।

राज्यपाल की सजा माफ करने की आज्ञा पहुंचने के पहले एक मृत्यु-दंड कैदी को फांसी का दिया जाना

*३६--श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार कृपा करके बतायेंगे कि एक मृत्यु दंड पाये हुए कैदी को सीतापुर जेल में, जेल अधिकारियों के पास राज्यपाल के फांसी की सजा को माफ करने की आज्ञा पहुंचने से पहिले ही फांसी दे दी गई?

36. **Sri Kunwar Guru Narain**--(*Legislative Assembly Constituency*) Will the Government be pleased to state whether a condemned prisoner in Sitapur Jail was recently executed before the Governor's order commuting the sentence could reach the Jail Authorities?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--जी नहीं। इस राज्य में फांसी की सजायें कैदियों द्वारा अथवा उनकी ओर से माफी की दरख्वास्त पाते ही रोक दी जाती है और माफी की दरख्वास्त के विचार-काल में किसी भी कैदी को फांसी दिये जाने की संभावना नहीं है।

Sri Laxmi Raman Acharya--No. All executions, so far as this State goes, are stayed as soon as mercy petitions are received from or on behalf of the condemned prisoners and there is no possibility of a person being hanged during the pendency of his mercy petition.

श्री कुंवर गुरु नारायण--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि इसके संबंध में 'लीडर' अखबार ने एक एडीटोरियल लिखा था और जो वाकिया सीतापुर जेल में हुआ, उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया था?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--'लीडर' का एडीटोरियल तो मैंने नहीं देखा, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा। इस घटना के संबंध में अखबारों में कुछ चर्चा चली थी, लेकिन इस घटना का संबंध सीतापुर जेल के किसी कैदी से नहीं था।

श्री कुंवर गुरु नारायण--चूंकि इस प्रकार की एक घटना का जिक्र, जो विशेषकर सीतापुर से संबंधित है, 'लीडर' में आया है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री इसकी फिर से जांच करेंगे?

श्री डिप्टी चेयरमैन--यह तो आप सुझाव दे रहे हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--It is not a suggestion.

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे यह समझा जाय कि यह घटना सीतापुर में न हो कर किसी दूसरी जगह हुई है?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--ऐसी कोई घटना इस प्रदेश में नहीं हुई कि किसी कैदी को, जिसको फांसी की सजा थी, उसको फांसी हो गई हो, जब कि उसकी सजा को राष्ट्रपति या राज्यपाल ने माफ कर दिया हो।

*३७--श्री कुंवर गुरु नारायण--उस कैदी का क्या नाम है और उसके विरुद्ध मुकद्दमा चलाने के क्या दोषारोपण थे ?

37. Sri Kunwar Guru Narain—What is the name of the prisoner and what were the charges under which he was tried ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--यह प्रश्न नहीं उठता है।

Sri Laxmi Raman Acharya—Does not arise.

*३८--श्री कुंवर गुरु नारायण--मृत्यु-दंड की आज्ञा हो जाने के कितने दिन बाद रहम की दरख्वास्त राज्यपाल के पास पहुंची थी ?

38. Sri Kunwar Guru Narain—After how many days of pa sing of the death sentence the mercy petition had reached the Governor ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--यह प्रश्न नहीं उठता है।

Sri Laxmi Raman Acharya—Does not arise.

*३९--श्री कुंवर गुरु नारायण--रहम की दरख्वास्त पर राज्यपाल को आज्ञा देने में कितना समय लगा ?

39. Sri Kunwar Guru Narain—How long did it take for the Governor to pass orders on the mercy petition ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--यह प्रश्न नहीं उठता है।

Sri Laxmi Raman Acharya—Does not arise.

*४०--श्री कुंवर गुरु नारायण--जेल अधिकारियों को मृत्यु दंड की माफी का आदेश कब भेजा गया ?

40. Sri Kunwar Guru Narain—When was the order of commutation of death sentence actually conveyed to the Jail Authorities ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--यह प्रश्न नहीं उठता है।

Sri Laxmi Raman Acharya—Does not arise.

बरेली नगरपालिका को जल-कर लगाने के संबंध में सरकार द्वारा दिया गया सुझाव

*४१--श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली नगरपालिका को जलकार्य (waterworks) के संबंध में कर्ज देते समय सरकार ने बरेली में जल-कर (water-tax) लगाने का कोई सुझाव दिया था ?

(ख) यदि हां, तो कितना कर लगाने का ?

श्री विचित्र नाराराण शर्मा--(क) जी हां।

(ख) १० प्रति शत।

*४२--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या बरेली नगरपालिका ने इस टैक्स को कम करने का कोई अनुरोध सरकार से किया था ?

(ख) यदि हां, तो कितना ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) जी नहीं ।

(ख) इसका प्रश्न नहीं उठता।

*४३--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--(क) क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने नगरपालिका की उपर्युक्त प्रार्थना का क्या उत्तर दिया?

(ख) क्या सरकार उपर्युक्त उत्तर की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) तथा (ख)--इसका भी प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि बोर्ड अब प्रार्थना-पत्र भेजे, तो टैक्स में कमी की जा सकती है?

श्री डिप्टी चेयरमैन--यह तो प्रश्न कल्पित है?

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--अब अगर बोर्ड प्रार्थना करे, तो क्या टैक्स कम किया जा सकता है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--उस पर विचार किया जा सकता है।

प्रदेश में सुपरसीडेड नगरपालिकाएं

*४४--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय (३० अप्रैल, १९५७) प्रदेश में कौन कौन सी नगरपालिकायें सुपरसीडेड (superseded) हैं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इस समय (३० अप्रैल, १९५७) तक प्रदेश में ९ अवक्रान्त (superseded) नगरपालिकायें हैं, जिनके नाम संलग्न सूची* में दिये हैं।

*४५--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त नगरपालिकायें किस-किस तिथि से superseded हैं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इन नगरपालिकाओं के अवक्रान्त होने की तिथि संलग्न सूची* में दी हुई है।

*४६--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त नगरपालिकाओं में से किन नगरपालिकाओं के चुनाव नगरपालिकाओं के भावी आम चुनावों के साथ होंगे?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--नगरपालिका, अलीगढ़ और गोला गोकर्णनाथ के चुनाव भावी आम चुनाव के साथ होंगे। अन्य जगहों पर चुनाव कराने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

*४७--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि शेष नगरपालिकाओं के चुनाव कब होंगे?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--शेष नगरपालिकाओं [कवाल (KAVAL)बोर्डों को छोड़कर] में अक्तूबर, १९५७ तक आम चुनाव होने की संभावना है।

---

* देखिए नत्थी "ख" पृष्ठ २१२ पर)

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--गोला गोकर्णनाथ तथा अलीगढ़ और बाकी सुपरसीडेड बोर्ड्स में क्या अन्तर है, जिसके करण इनका चुनाव नहीं होगा ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इन दो बोर्डों का प्रबन्ध काफी दिन से सरकार के हाथ में था और अब यह समझा जाता है कि यदि वहां चुनाव करा दिया जाय, तो कोई हानि न होगी, यदि दूसरी जगहों पर देखा जायगा कि वहां का प्रबन्ध ठीक हो गया है, तो वहां भी चुनाव करा दिया जायगा।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आम चुनावों की कोई डेट्स नियत हुई है या नहीं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--अभी कोई डेट ठीक-ठीक नहीं निश्चित हुई है, लेकिन जैसा उत्तर में कहा गया है, अक्तूबर में करने का विचार है।

श्री वीरेन्द्र स्वरूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--कवाल टाउन्स में कब तक चुनाव कराने का विचार है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह तो बहुत कुछ माननीय सदस्यों पर निर्भर करता है। अभी तो सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग में ही सदस्य नहीं आते हैं। सदस्यों की कमी के कारण मीटिंग एडजर्न करनी पड़ती है। अगर यही सिलसिला रहेगा, तो न मालूम कब तक चुनाव हों, लेकिन यदि उनका सहयोग मिला तो मार्च तक चुनाव करा दिये जायेंगे।

*४८--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--स्थगित।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जलकल तथा ड्रेनेज की योजना

*४९--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से शहर जल-कल (water works) और कौन से शहर Drainage के लिये चुने हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इस विषय पर अभी कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया जा सका है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ९ जिलों में जल-कल-योजना तथा ५ कवाल नगरों में drainage तथा water works की योजनाओं को पूर्ण करना तथा उन ५२ शहरों में जहां पहली पंचवर्षीय योजना में जल-कल लग चुके हैं, drainage schemes को कार्यान्वित करने का विचार है। परन्तु यह सब योजनायें भारत सरकार से उचित धन की सहायता प्राप्त होने पर ही पूर्ण की जा सकेंगी।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्र की ओर से सन् १९४६-४७ में ड्रेनेज के लिये कोई रकम दी गई ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--अब तक कोई निश्चित रकम नहीं दी गयी है। हम लोग मांग रहे हैं। अभी शायद २० लाख आगे के ३, ४ साल के लिये रखा है, जो अपर्याप्त है।

*५०--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--(क) क्या सरकार निकट भविष्य में Drainage के लिये नगरपालिकाओं को अनुदान देने की व्यवस्था करने जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो किन नगरपालिकाओं को ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) जी नहीं।

(ख) इसका प्रश्न नहीं उठता।

*५१--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--(क) क्या यह ठीक है कि सरकार ने बरेली नगरपालिका को हाल ही में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत Drainage के लिये अनुदान देने का वचन दिया था?

(ख) यदि हां, तो सरकार उसको कितना अनुदान देने जा रही है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) जी नहीं।

(ख) इसका प्रश्न नहीं उठता।

*५२--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--(क) क्या यह ठीक है कि बरेली नगरपालिका ने हाल ही में सरकार से Drainage के लिये grants की प्रार्थना की थी?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस प्रार्थना-पत्र का क्या उत्तर दिया?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) जी हां।

(ख) सरकार ने नगरपालिका के प्रार्थना-पत्र को स्वीकृत करने में असमर्थता प्रकट की।

५३--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९५७ से अब तक (३० अप्रैल, १९५७ तक) किन नगरपालिकाओं को Drainage के लिये अनुदान दिये जा चुके हैं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--१ जनवरी, १९४७ से अब तक (३० अप्रैल, १९५७ तक) जिन नगरपालिओं को drainage के लिये अनुदान दिये जा चके हैं उनकी सूची* संलग्न है। इससे विदित होगा कि १९५५-५६ से कोई भी अनुदान drainage के लिये नहीं दिया गया है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन १४ स्थानों को अनुदान दिया गया, उनमें से कितनी जगह ड्रेनेज स्कीम पूरी हो चुकी है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--मेरे पास इस समय पूरा हवाला नहीं है। अगर आप सूचना देंगे तो उत्तर मिल जायेगा।

कुछ व्यक्तियों की शिक्षा संबंधी योग्यता से मुक्त करने के विषय में म्युनिसिपल बोर्ड, लखनऊ द्वारा की गई सिफारिश

*५४--**श्री राम नन्दन सिंह**--(क) क्या स्वशासन मंत्री को यह ज्ञात है कि म्युनिसिपल बोर्ड, लखनऊ की ओर से गतवर्ष कुछ अयोग्य व्यक्तियों को शिक्षा सम्बन्धी योग्यता से मुक्त करने के लिये सरकार से सिफारिश की गयी है?

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) प्रश्न का आशय बहुत स्पष्ट नहीं है। पर यदि माननीय सदस्य का इरादा यह जानना है कि क्या स्वशासन मंत्री को यह ज्ञात है कि बोर्ड ने कुछ कर्मचारियों को शिक्षा संबंधी योग्यता से मुक्त करने की सिफारिश की थी, तो उसका उत्तर है "जी हां"।

---

* देखिये Appendix 'A' पृष्ठ २१३ पर।

(ख) बोर्ड ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख कर सिफारिश की थी--

(१) ऐसे पदों की अल्पकालीन रिक्तियों में, जिनमें शिक्षा संबंधी योग्यता निर्धारित थी, संतोषजनक कार्य;

(२) ज्येष्ठता; तथा

(३) दक्षता और योग्यता।

श्री राम नन्दन सिंह--क्या मैं यह समझूं कि जो सिफारिश अल्पकालीन स्थिति के लिये की गई है, वह स्थायी स्थिति के लिये भी लागू रहेगी?

श्री डिप्टी चेयरमैन--यह तो आप सुझाव दे रहे हैं?

श्री राम नन्दन सिंह--यह प्रश्न उठता है, जो बताया गया है कि अल्प कालीन रिक्त स्थानों में कर्मचारियों के लिये शिक्षा संबंधी योग्यता से मुक्त करने के लिये सिफारिश की गई है, उसमें मैं समझूं कि जो स्थान स्थायी रूप से खाली होंगे, उसके लिये भी यह सिफारिश है?

श्री डिप्टी चेयरमैन--यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या उन स्थानों के लिये, जिन व्यक्तियों को योग्यता से मुक्त किया गया है, उन व्यक्तियों से योग्य व्यक्ति वहां मौजूद थे?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--मुझको कोई सूचना नहीं है, वह संभव हो सकता है।

श्री राम किशोर रस्तोगी--यदि ऐसा है तो छानबीन की जायेगी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--कोई स्पेसिफिक शिकायत आये तो की जा सकती है। सिर्फ हवा में छानबीन कराना नामुमकिन है।

फतेहपुर नगरपालिका द्वारा कुछ एरिया नगरपालिका में मिलाने की मांग पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

*५५--**श्री पन्ना लाल गुप्त**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर नगरपालिका द्वारा जो एरिया नगरपालिका में मिलाने की मांग हाल ही में की गई थी उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मांग नगर-पालिका ने सरकार के पास कब भेजी थी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इस समय तो कहना कठिन है। यहां दिखलाई नहीं दे रहा है, अगर आप बाद में मैं पूछ लें, तो कैसा रहेगा।

श्री डिप्टी चेयरमैन--बाद में पूछ लेंगे।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इसमें कितना समय लगने की संभावना होगी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह चुनाव के बाद होगा, तो अच्छा रहेगा।

फतेहपुर नगरपालिका द्वारा सिलसिलेवार पाइप कनेक्शन न लगाना

*५६—श्री पन्ना लाल गुप्त—(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि फतेहपुर नगरपालिका के जल-कल विभाग द्वारा, जिस सिलसिले से प्राइवेट मकानों के पाइप लगाने के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं, उस सिलसिले से पाइप लाइ न उन मकानों में नहीं लगाई जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) जी हां।

(ख) इसका कारण यह है कि अधिकतर मालिक मकानों की आर्थिक सुविधा के अनुसार पिलम्बर पाइप कनेक्शन लगाते हैं। इसके अतिरिक्त जनता की खास जरूरत का ध्यान भी रखना पड़ता है। इसलिये नम्बर सिलसिला नहीं कायम हो पाता। इसके अलावा ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि पाइप कनेक्शन सिलसिलेवार लगाये जायं।

श्री पन्ना लाल गुप्त—क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि आर्थिक हालत के कारण वहां के लोगों ने बतलाया कि हम अभी इसको लगवाने के लिये तैयार नहीं हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जो गरीब लोग हैं, जो अप्लीकेशन्स नहीं दे सके, तो वहां पर भी लगना चाहिये।

श्री पन्ना लाल गुप्त—क्या मन्त्री महोदय को यह ज्ञात है कि वहां पर गरीबों का सवाल नहीं है। वहां पर अमीरों के यहां पर भी कनेक्शन्स नहीं लगाया जा रहा है ? गरीबों का सवाल ही नहीं है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इसको दुरुस्त किया जा सकता है। इससे तो पता नहीं चलता है कि कहां पर शिकायत है। ऐसा नियम भी नहीं बना सकते हैं कि कौन शिकायत है।

श्री पन्ना लाल गुप्त—क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां जल-कल-योजना की लाइन जो लग रही है वह नई लग रही है। जिनकी दरख्वास्त लाइन लगवाने के लिये पड़ी है, उनके यहां लाइन लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह साधन पर है और पानी की सप्लाई है तो अवश्य लगेगा। अगर साधन की कमी होगी, तो उसमें दिक्कत अवश्य होगी।

उरई नगरपालिका को सन् १९५३-५४ से १९५६-५७ तक सड़कों को सुधारने तथा उनके पुनर्निर्माण के हेतु दिये गये अनुदान

*५७—श्री लल्लू राम द्विवेदी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार सन् १९५३-५४ से १९५६-५७ तक प्रति वर्ष सड़कों को सुधारने तथा फिर से बनवाने के लिये उरई नगरपालिका को प्रदान की गई विभिन्न अनुदानों की धनराशियों को बताने की कृपा करेगी ?

57. Sri Lallu Ram Dwivedi—(*Local Authorities Constituency*) Will the Government be pleased to state the amounts of various grants given to the Orai Municipality for the renewal and reconstruction of its Roads during the years 1953-54 to 1956-57 year-wise ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—गत चार वर्षों में नगरपालिका, उरई को सड़कों के सुधारने तथा बनवाने के लिये निम्नलिखित अनुदान दिये गये हैं :—

वित्तीय वर्ष			अनुदान
१९५३–५४	...	...	४०,०००
१९५४–५५	...	...	१८,४००
१९५५–५६	...	...	२५,२००
१९५६–५७	...	...	२४,७००

Sri Vichitra Narain Sharma—The following Road Grants were given to Municipal Board, Orai during the last 4 years.

Year			*Amount* Rs.
1953-54	..	..	40,000
1954-55	..	..	18,400
1955-56	..	..	25,200
1956-57	..	..	24,700

*५८—**श्री लल्लू राम द्विवेदी**—उपरोक्त अनुदानों के इस्तेमाल करने की शर्तें क्या थीं ?

58. **Sri Lallu Ram Dwivedi**—What were the conditions for the utilization of the grants referred to above ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इन अनुदानों का उपयोग करने के लिये, जो शर्तें सरकार द्वारा लगाई गई थीं वह सूची* "ख" में दिखाई गई है ।

Sri Vichitra Narain Sharma—The conditions that were imposed for the utilization of the above Road Grants are shown in the list* appended.

*५९—**श्री लल्लू राम द्विवेदी**—क्या यह अनुदान उन्हीं विशिष्ट कार्यों पर इस्तेमाल की गई है, जिनके लिये उन्हें स्वीकृत किया गया था ?

59. **Sri Lallu Ram Dwivedi**—Have these grants been utilized for the specific purposes for which they were sanctioned?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—नगरपालिका, उरई द्वारा इन अनुदानों के कुछ भाग का उपयोग उन विशिष्ट कार्यों पर नहीं किया जा सका, जिसके लिये वह दिये गये थे। इस मसले पर सरकार गौर कर रही है ।

Sri Vichitra Narain Sharma—Some portion of the grants could not be utilized by the board for the specific purpose for which the grants were sanctioned. This is under Government's examination.

श्री लल्लू राम द्विवेदी—क्या मननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ग्रान्ट दी गई है, वह विशिष्ट कार्यों के अलावा किन–किन कार्यों के ऊपर खर्च की गई ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री लल्लू राम द्विवेदी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो ग्रान्ट सड़कों को दी गई है, उनमें कौन–कौन सी सड़क बनी हैं ?

---

*देखिये नत्थी "ग" पृष्ठ २१४ पर ।

**See* Appendix 'B' on page 216.

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह सूचना भी शायद यहां पर उपलब्ध नहीं होगी। अगर इसकी आपको जरूरत है तो इसके लिये आप को सूचना देनी होगी।

उरई नगरपालिका को ऋण स्वरूप दी गई धनराशि

*६०—**श्री लल्लू राम द्विवेदी**—क्या सरकार उरई नगरपालिका को उरई वाटर वर्क्स तथा उसकी पुनर्गठन योजना जब से कि वह आरम्भ हुई, दिये गये प्रत्येक ऋण की धनराशि को बतलाने की कृपा करेगी ?

*60. **Sri Lallu Ram Dwivedi**—Will the Government be pleased to state the amount of each loan given to the Orai Municipality for Orai water works and its re-organization scheme since its very start ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—नकरपालिका उरई को उसकी वाटर वर्क्स तथा उसका पुनर्गठन योजना के अधीन निम्नलिखित धनराशि ऋण के रूप में दी गई है :—

वित्तीय वर्ष			धनराशि रुपये
१९३८–३९	...	...	४२,६१०
१९४३–४४	...	...	५०,०००
१९५०–५१	...	...	७२,०००
१९५२–५३	...	...	८१,३००
१९५३–५४	...	...	५७,०००

Sri Vichitra Narain Sharma—The following loans were sanctioned to Municipal Board, Orai, for water works and its reorganization scheme since its very start.

Year			Amount Rs.
1938-39	..	..	42,610
1943-44	..	..	50,000
1950-51	..	..	72,000
1952-53	..	..	81,300
1953-54	..	..	57,000

*६१—**श्री लल्लू राम द्विवेदी**—क्या सरकार उन विभिन्न ऋणों को बताने की कृपा करेगी, जो उरई नगरपालिका को पिछले तीन वर्षों में ड्रेनेज और सीवेज योजना के लिये स्वीकृत किये गये ?

*61. **Sri Lallu Ram Dwivedi**—Will the Government be pleased to state the various loans granted to Municipal Board, Orai, for Drainage and Sewage Scheme during the last 3 years ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—पिछले तीन वर्षों में उरई नगरपालिका को उसकी ड्रेनेज योजना के लिये कुल ७,४६,००० रुपयों का ऋण दिया गया, जिसका ब्योरा निम्नलिखित है :—

१—१९५४–५५	...	... ३,००,००० रुपया
२—१९५५–५६	...	... ४,४६,००० रुपया
	कुल रुपया	... ७,४६,०००

उरई नगरपालिका को उसकी सीवेज योजना के लिये कोई ऋण नहीं दिया गया।

Sri Vichitra Narain Sharma—A total loan of Rs. 7.46,000 was advanced to Municipal Board, Orai, for its Drainage Scheme during the last 3 years as detailed below :

		Rs.
(1)	1954-55	3,00,000
(2)	1955-56	4,46,000
	Total Rs.	7,46,000

No loan was sanctioned to the Municipal Board, Orai, for its Sewage Scheme.

श्री लल्लू राम द्विवेदी—यह जो लोन दिया गया था, उसमें कितना खर्च हुअ और कितना बकाया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इसकी सूचना चाहिये ।

*६२—**श्री लल्लू राम द्विवेदी**—(क) क्या उरई नगरपालिका उक्त ऋण को नियमित रूप से किश्तों द्वारा अदा करती रही है ?

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने किश्तों की वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

62. **Sri Lallu Ram Dwivedi**—(*a*) Has the Municipal Board, Orai, been regularly paying the instalments of the said loans ?

(*b*) If not, what action has the Government taken to realize the instalments ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) जी नहीं ।

(ख) बोर्ड से पहले ही कहा जा चुका है कि जब भी किश्तें देय हों, वह अदा कर दें । इसके अतिरिक्त ऋण की अदायगी के सिलसिले में एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश के परामर्श से वित्तीय नियमों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ?

Sri Vichitra Narain Sharma—(*a*) No.

(*b*) The Board has already been asked to pay the instalments of the loan as and when it falls due. In addition further necessary action is being taken in consultation with the Accountant General, Uttar Pradesh, to recover the loan in accordance with the financial rules.

*६३—**श्री लल्लू राम द्विवेदी**—(क) क्या यह ठीक है कि उरई नगरपालिका १९५४-५५ से प्रत्येक महीने में सरकारी अनुदान तथा ऋण को छोड़कर, रक्षित तथा निम्नतर कार्य करण पूंजी working balances को संधारित नहीं कर रही है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो सरकार ने नगरपालिका के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

*63. **Lallu Ram Dwivedi**—(*a*) Is it a fact that the Orai Municipal Board has not been maintaining its reserve and the minimum working balances excluding the Government grants and loans in each month since 1954-1955 ?

(*b*) If so, what action Government has taken against the Board ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) जी हां ।

(ख) शासन नगरपालिका अधिनियम, १९१६ की धारा ३० के अधीन कार्यवाही कर रहा है और बोर्ड से आरोपणों का जवाब मांगा गया है ।

Sri Vichitra Narain Sharma—(*a*) Yes.

(*b*) Government are taking necessary action under section 30 of the U. P. Municipalities Act. 1916, and have asked the Board to explain charges framed against it.

नगरपालिका, उरई का आय-व्ययक

*६४—**श्री लल्लू राम द्विवेदी**—क्या यह ठीक है कि—

(क) उरई नगरपालिका आजकल ऋणी है, और

(ख) अपने मूल तथा पुनरीक्षित आय-व्ययक को सन् १९५४-५५ से समय पर पारित करने में असफल रही है ?

*64. **Sri Lallu Ram Dwivedi**—It is a fact that :

(*a*) the Orai Municipal Board is indebted at present and

(*b*) has failed to pass its original and revised budgets in time since the year 1954-55 ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) जी हां।

(ख) जी हां।

Sri Vichitra Narain Sharma—(*a*) Yes.

(*b*) Yes.

*६५—**श्री लल्लू राम द्विवेदी**—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उरई नगरपालिका ने अपने सन् १९५६-५७ के मूल तथा पुनरीक्षित आय-व्ययक कब पारित किये ?

(ख) क्या ये आय-व्ययक नियत प्राधिकारी द्वारा मन्जूर कर लिये गये हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो नियत प्राधिकारी द्वारा उनको अस्वीकृत किये जाने के क्या कारण हैं ?

*65. **Sri Lallu Ram Dwivedi**—(*a*) Will the Government be pleased to state as to when the Orai Municipal Board passed its original and the revised budgets for the year 1956-57 ?

(*b*) Have these budgets been approved by the prescribed authority ?

(*c*) If not, what are the reasons of their rejection by the prescribed authority ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) बोर्ड ने अपना १९५६-५७ का मौलिक आय-व्ययक २४ जुलाई, १९५६ को स्वीकार किया तथा पुनरीक्षित हुआ बजट ३१ मार्च, १९५७ को स्वीकार किया।

(ख) जी नहीं।

(ग) निर्धारित अधिकारी ने इन आय-व्ययकों को इसलिये स्वीकार नहीं किया कि उनमें सरकारी ऋण की किश्तों को देने के लिये उचित प्राविधान नहीं किया गया था।

Sri Vichitra Narain Sharma—(*a*) The Board passed its original budget for the year 1956-57 on the 24th July, 1956, and its revised budget on March 31, 1957.

(*b*) No.

(c) The prescribed authority did not approve these budgets as adequate provision for repayment of Government loan instalments was not made.

उरई नगरपालिका की वाजिबुल अदा रकम, करों, किराये इत्यादि की बकाया धनराशियों का विवरण

*६६--श्री लल्लू राम द्विवेदी--(क) क्या सरकार पिछले तीन वर्षों में उरई नगर-पालिका की वाजिबुलअदा रकम, करों, किराये और Contract money की सम्पूर्ण बकाया धनराशि का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

(ख) सरकार बकाया धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

*66. **Sri Lallu Ram Dwivedi**—(*a*) Will the Government be pleased to lay on the table a statement showing the amount of the total arrears of the Orai Board's dues, taxes, rents and contract money during the last 3 years ?

(*d*) What action does the Government propose to take in the matter of realization of these dues?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) विवरण *सदस्य की मेज पर रख दिया गया है। ठेके की रकमों की, जो बकाया धनराशि है, वह प्रश्न में वांछित सूचना के आधार पर गत तीन वर्षों की अलग-अलग दी गई है। जहां तक अन्य बकाया धनराशियों का सम्बन्ध है वह केवल १९५५-५६ तथा १९५६-५७ वर्ष की ही दिखाई गई है।

(ख) यह बोर्डों का वैधानिक कर्तव्य है कि वह अपने करों तथा वाजिबुलअदा रकम को उचित ढंग से समय के अन्दर ही वसूल करे। बोर्डों को कुछ त्रासवादी अधिकार दिये गये हैं कि वे अपने करों को वसूलें। जहां तक उरई नगरपालिका का सम्बन्ध है, शासन ने उस पर आरोप लगाये हैं। बोर्ड के उत्तर की प्रतीक्षा है।

Sri Vichitra Narain Sharma—(*a*) The statement* has been laid on the table. Arrears of the dues on the contract basis have been shown for the last three years as required in the question. As for other arrears, figures for the years 1955-56 and 1956-57 only have been furnished.

(*b*) It is the statutory duty of the boards to realize their taxes and dues properly and in time. The Boards are empowered to use certain coercive measures to realize their dues. So far as Municipal Board, Orai, is concerned, Government have framed charges against it, and are awaiting its reply.

नगरपालिका, उरई के प्रति देय धनराशि

*६७--श्री लल्लू राम द्विवेदी--क्या सरकार एक ऐसा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिससे मालूम हो कि ३१ मार्च, १९५६ को उक्त बोर्ड को कुल कितनी रकम देनी थी ?

*67. **Sri Lallu Ram Dwivedi**—Will the Government be pleased to place on the table a statement showing the details of total liabilities on the Orai Municipal Board's Fund on March 31, 1957 ?

---

* देखिए नत्थी "घ" पृष्ठ २१८ पर

*See Appendix 'C' on page 219.

श्री विचित्र नारायण शर्मा--विवरण *मेज पर रख दिया गया है।

Sri Vichitra Narain Sharma—The statement* has been laid on the table.

श्री लल्लू राम द्विवेदी—क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि उरई म्युनिसिपल बोर्ड का १९५७-५८ का बजट अभी तक नहीं पास हुआ और खर्च हो रहा है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हां, मालूम होता है कि पास नहीं हुआ।

पशु चिकित्सक योगदान से सम्बन्धित जिला बोर्ड, जालौन की उरई नगरपालिका पर बकाया धनराशि

*६८--**श्री लल्लू राम द्विवेदी**--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा नियत पशु चिकित्सक योगदान से सम्बन्धित जिला बोर्ड, जालौन की नगरपालिका उरई पर धनराशि बाकी है ?

(ख) क्या जिला बोर्ड, जालौन ने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिनिवेदन सरकार के पास भेजा है ?

(ग) यदि हां, तो सरकार के द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

*68. **Sri Lallu Ram Dwivedi**—(*a*) Will the Government be pleased to state as to what amount is due to the District Board, Jalaun, from the Municipal Board, Orai, relating to the Veterinary contribution fixed by the Government ?

(*b*) Did the District Board, Jalaun, make any representation to the Government in this respect ?

(*c*) If so, what action was taken by Government in the matter ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) ३१ मार्च, १९५७ तक की कुल रकम जो जिला परिषद्, जालौन को मिलनी चाहिये २०,९३३ रुपये १४ आने हैं।

(ख) जी नहीं। जिला बोर्ड, जालौन से शासन को इस प्रकार का कोई प्रतिवेदन-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Sri Vichitra Narain Sharma—(*a*) The total amount due to the District Board, Jalaun, up to March 31, 1957, is Rs.20,933-14.

(*b*) No. Government have not received any such representation so far from the District Board, Jalaun.

(*c*) The question does not arise.

श्री लल्लू राम द्विवेदी—१९५७-५८ के बजट के बारे में उरई म्युनिसिपल बोर्ड के खिलाफ गवर्नमेंट क्या करने जा रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—अगर माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को ध्यान से सुना होता तो वह समझ जाते कि उनसे जवाब-तलब हुआ है और उनके ऊपर सुपरसेशन की तलवार लटक रही है।

---

* देखिए नत्थी "ड" पृष्ठ २२० पर।

*See Appendix 'D' on page 221.

श्री लल्लू राम द्विवेदी--क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उरई म्युनिसिपैलिटी से २० हजार ९ सौ ३३ रुपया १४ आने वसूल करने के लिये एक आर्डर गवर्नमेंट ने उरई म्युनिसिपैलिटी को दिया है, मगर उसका कोई पालन अभी तक नहीं हुआ है ?

श्री विचित्र नरायण शर्मा--इसकी मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं है।

नगरपलिका, उरई द्वारा बिना चीफ इन्जीनियर की पूर्व अनुमति के पाइप लाइन तथा वाटर पोस्ट स्टैन्ड लगाया जाना।

*६९--श्री लल्लू राम द्विवेदी--(क) क्या यह ठीक है कि पिछले तीन वर्षों में उरई नगरपालिका द्वारा बिना चीफ इंजीनियर, उत्तर प्रदेश की पूर्व अनुमति के पाइप लाइन तथा वाटर पोस्ट स्टैन्ड लगाये गये ?

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अपनी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

*69. **Sri Lallu Ram Dwivedi**—(*a*) Is it a fact that the pipe lines and the water stand posts were laid by the Orai Municipal Board during the last three years without the previous sanction of the Chief Engineer, U. P. ?

(*b*) Has the Government made any enquiry in this respect ?

(*c*) If so, will the Government be pleased to place his report on the table ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सम्बन्धित रिपोर्ट के उद्धरण* की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

Sri Vichitra Narain Sharma—(*a*) Yes.

(*b*) Yes.

(*c*) Copy of relevant extract† from the report is laid on the table.

नरगपालिका, उरई के विरुद्ध जनता की शिकायतें

*७०--श्री लल्लू राम द्विवेदी--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, उरई के विरुद्ध जनता की ओर से उसको कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

Sri Lallu Ram Dwivedi—(*a*) Will the Government be pleased to state whether it has received any representation on behalf of the public against the Orai Municipality ?

(*b*) If so, what action Government has taken in the matter ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हां। शिकायतों की जांच करने के पश्चात् बोर्ड पर यह आरोप लगाये गये हैं कि वह कारण बताये कि उसे क्यों न अवक्रान्त कर लिया जाय।

---

*देखिये नत्थी "च" पृष्ठ २२२ पर।

*See नत्थी "च" on page 222 पर।

Sri Vichitra Narain Sharma—Yes. After enquiring into the complaints, charges have been served on the Board to show cause why it should not be superseded.

*७१—७३—**श्री प्रेम चन्द्र शर्मा** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—(यह प्रश्न वर्तमान सत्र के दूसरे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ४—६ के रूप में रखे गये।)

उत्तर प्रदेश की समस्त नगरपालिकाओं के वाटर-टैक्स लगाने के अधिकार

*७४—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न नगरपालिकाओं को कितने प्रतिशत वाटर-टैक्स (पानी का टैक्स) लगाने का अधिकार सरकार द्वारा दिया गया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सरकार ने नगरपालिकाओं को जल-कर लगाने के लिये अधिकृत नहीं किया है बल्कि नगरपालिकायें स्वयं ही यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा १२८(१) (१०) के अन्तर्गत इसके लिये अधिकृत हैं।

*७५—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—क्या सरकार उपर्युक्त नगरपालिकाओं द्वारा इस समय (१-४-५७) लगाये गये प्रतिशत पूंजी के हिसाब से पानी के टैक्स की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—एक विवरण-तालिका* पानी के टैक्स के विषय में संलग्न की जाती है।

नगरपालिकाओं को १९४७ से लेकर मार्च १९५७ तक दी गई सरकारी सहायता अथवा ऋण

*७६—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने किन-किन नगरपालिकाओं को सन् १९४७ से लेकर अब तक (३१-३-५७) पानी की योजना के लिये कितना-कितना कर्ज या सहायता दी है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—एक विवरण तालिका† संलग्न है, जिसमें भिन्न-भिन्न नगरपालिकाओं को सन् १९४७ से लेकर ३१ मार्च, १९५७ तक ऋण या अनुदान पानी की योजना के लिये दिये गये हैं, दिखाया गया है।

*७७—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—(क) क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने उपरोक्त कर्ज या सहायता देते समय पानी का टैक्स लगाने की कुछ शर्तें भी नगरपालिकाओं के सामने रखी थीं ?

(ख) यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) जी हां।

(ख) प्रदेश की नगरपालिकाओं की जलकल योजनाओं के प्रति National Water Supply and Sanitation Programme के अन्तर्गत प्रथम पंच वर्षीय योजना में ऋण देते समय सरकार ने विभिन्न नगरपालिकाओं से अनुरोध किया था कि वे आदर्श जल-वितरण नियम बनावें तथा मकानों की लागत की १० से १२ प्रतिशत तक जल कर लगावें। वास्तविक जल-कर की दर अन्तिम रूप से निर्णय करने के लिये यह आधार नियत किया गया

---

*देखिये नत्थी "छ" पृष्ठ २२४ पर।

†देखिये नत्थी "ज" पृष्ठ २२६-२२७ पर।

कि जलकर द्वारा मिलने वाली आय से जल-योजना के संचालन में जो वार्षिक व्यय हो, वह इसी जल-कर और Excess Water Consumption की आय के द्वारा पूरा किया जाय ताकि इसका संचालन पर्याप्त रूप से होता रहे।

*७८--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या यह ठीक है कि प्रदेश की कुछ नगरपालिकाओं ने इस टैक्स में कुछ प्रतिशत कमी की भी प्रार्थनायें कीं ?

(ख) यदि हां, तो किन-किन नगरपालिकाओं ने और कितने-कितने प्रतिशत कमी की मांग की है ?

(ग) उपरोक्त कमी की मांग का सरकार द्वारा क्या उत्तर दिया गया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) जी हां।

(ख) जल-कर की वह दर, जो इन नगरपालिकाओं ने ऋण लेते समय, स्वीकार की थीं, उसमें कमी करने के लिये जिन्होंने सरकार से प्रार्थना की है, वे निम्नलिखित हैं :--

नगरपालिका का नाम		कमी की मांग
१--बुलन्दशहर	..	२ १/२ प्रतिशत
२--फैजाबाद (अयोध्या)	..	५/८ प्रतिशत
३--फिरोजाबाद	...	३ ३/४ प्रतिशत
४--हल्द्वानी	...	३ ३/४ प्रतिशत
५--हाथरस	...	३ ३/४ प्रतिशत
६--पीलीभीत	...	५ प्रतिशत
७--रामनगर (बनारस)	..	२ १/२ प्रतिशत
८--बृन्दावन	..	२
९--चन्दौसी	...	यह बोर्ड जल-कर लगाने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं है।

(ग) उक्त उल्लिखित क्रम संख्या (१), (३), (४) और (७) पर अंकित नगरपालिकाओं के प्रस्ताव सरकार ने स्वीकृत कर लिये हैं तथा क्रम-संख्या (२), (५), (६) और (८) के नगरपालिकाओं के प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन हैं। केवल चंदौसी नगरपालिका जिसने कि जलकर न लगाने का निश्चय किया है, सरकार ने यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा १३०-ए के अन्तर्गत चन्दौसी नगरपालिका में १० प्रतिशत जल-कर लगाने की आज्ञा दी थी। परन्तु बोर्ड ने उक्त आज्ञा का पालन नहीं किया है। अतएव सरकार यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा १३०-ए (३) के अन्तर्गत टैक्स लगाने जा रही है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि जलकर के सम्बन्ध में मुख्तलिफ बोर्डों में इतना अन्तर क्यों है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इसका कारण यह है कि जलकर से कोई खास आमदनी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो रकम खर्चे के तौर से म्युनिसिपल बोर्ड सरकार से लेते हैं, उसको वे अदा कर सकें तथा उसके रखरखाव को मीट कर सकें, इस दृष्टि से कर लगाया जाता है। जहां पर कम में काम चल जाता है वहां पर कम टैक्स लगाया जाता है और जहां पर ज्यादा खर्च होता है, वहां पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। बांदा ही में आपने देखा होगा कि वहां बहुत ज्यादा खर्च होता है, इसलिये ज्यादा टैक्स लगाया गया है।

सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को आम चुनाव में हस्तक्षेप करने पर चेतावनी

*७९--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को गत आम चुनाव में हस्तक्षेप करने पर चेतावनी या सजायें दी गई ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--कोई नहीं ।

*८०--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार उनकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

आम चुनावों के सम्बन्ध में हुये झगड़ों के अपराध में गिरफ्तारियां

*८१--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि पिछले आम चुनावों के दौरान में हुये झगड़ों के अपराध में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--५८।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि ५८ में से कितनों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं और कितनों को छोड़ दिया गया है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--इस प्रकार की तो कोई सूची मेरे पास नहीं है कि कितने व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं, लेकिन यह सही है कि इन ५८ में से बहुत से व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं। इनमें से कुछ की तहकीकात हो चुकी है, कुछ अदालत में हैं और कुछ का निर्णय हो चुका है ।

*८२--८४--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--[स्थगित] ।

वन विभाग के रेंजरों की बिना पब्लिक सर्विस कमीशन की अनुमति के पदोन्नति

*८५--श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या यह ठीक है कि वन विभाग के तीन रेंजर जो अस्थायी रूप से असिस्टेन्ट कन्सर्वेटर के पद पर काम कर रहे थे बिना इस केडर में स्थायी हुये और बिना पब्लिक सर्विस कमीशन की अनुमति के हाल ही में डिप्टी कन्जर्वेटर बना दिये गये हैं ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--जिन तीन रेन्जरों का प्रश्न में उल्लेख किया गया है वे पिछले नौ वर्षों से असिस्टेन्ट कन्सरवेटरों के अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे हैं और डिप्टी-कन्जरवेटरों के अस्थायी जगहों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किये गये हैं। ऐसी नियुक्ति के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है ।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि ये कितने साल तक अस्थायी रूप से काम करने के बाद स्थायी कर दिये जायेंगे, क्या इसके लिये कोई समय निर्धारित है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--ऐसा तो सरकारी नौकरियों में निर्धारित नहीं होता है कि किसी निश्चित समय तक कार्य कर लें तो उनको नियमित रूप से स्थायी कर दिया जायेगा। यह तो आदमी के कार्य पर निर्भर रहता है और सीनियारिटी के हिसाब से कब उस की बारी आती है और फिर वह उपयुक्त है या नहीं यह भी देखा जाता है, इन सभी बातों को देखकर

ही कोई सरकारी नौकरी मे स्थायी किया जाता है। फिर यह भी देखा जाता है कि कोई स्थायी जगह खाली है या नहीं ताकि उसको स्थायी किया जाय।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--क्या मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि ९ वर्ष तक उनको अस्थायी रखने का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--कोई स्थायी पद खाली नहीं हुआ होगा, इसलिये अस्थायी रह गये।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि जो अस्थायी नियुक्तियां हुई हैं, वे कितने वर्षों के लिये हुई हैं ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--यह प्रश्न तब तक नहीं उठ सकता, जब तक कि उनको स्थायी नहीं किया जायेगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--चूंकि इन जगहों को पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर नहीं किया गया है तो क्या सरकर ने कोई निर्णय नहीं किया है कि इतने समय तक के लिये इनको अस्थायी नियुक्त करेगी ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या कोई ऐसा नियम है कि टेम्पोरेरी एप्वाइन्टमेंट के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन को न रेफर किया जाय ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--नियमानुसार यह आवश्यक नहीं है कि उनके लिये रिफरेन्स पब्लिक सर्विस कमीशन को किया जाय।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या यह सत्य है कि यह जो अस्थायी रूप से डिप्टी कन्जरवेटर एप्वाइन्टमेंट किये गये हैं उसके लिये बहुत से स्थायी असिस्टेन्ट कन्जरवेटरों का हक सुपरसीड किया गया ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--जी नहीं, यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन लोगों को इसके योग्य समझा गया, उनको ऊपर का पद दिया गया और जिनको योग्य नहीं समझा गया, उनको नहीं लिया गया।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या यह नियम है कि प्रमोशन के समय जो अस्थायी कैडर में काम करने वाले आदमी हैं, उनको स्थायी लोगों की निस्बत प्रिफरेन्स दिया जाय ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--यह भी हो सकता है कि स्थायी लोगों को ही अस्थायी कैडर में प्रमोशन दिया जाय, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि यह बहुत सी चीजों के ऊपर मुनहसर है, विशेषतः योग्यता, किस प्रकार का किसी आदमी का कार्य रहा और सीनियारिटी, यही तीन चार चीजें हैं, जिनका इस सिलसिले में ध्यान रखा जाता है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हुआ हूं। इसलिये मैं इस पर आधा घंटा डिस्कशन के लिये चाहता हूं।

श्री डिप्टी चेयरमैन--ठीक है, आप इसके लिये अलग से नोटिस दे दें।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--क्या माननीय मन्त्री जी का अभिप्राय यह है कि गवर्नमेंट चाहे किसी भी पद पर अस्थायी रूप से रख सकती है, क्या कोई ऐसा रूल है जिसके द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन को रोका जाता है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इस विषय में शायद थोड़ी सी गलतफहमी हो रही है। सरकार का उद्देश्य यह कभी भी नहीं है कि लोगों को खामख्वाह ही स्थायी न करके अस्थायी रखा जाय, लेकिन स्थायी करने के लिये किसी कैडर के अन्डर परमानेन्ट वैकेन्सी होनी चाहिये। जितना भी काम करने के लिये होता है, उसके लिये स्टाफ रखा जाता है और वह काम जो होता है बिल्कुल ही टेम्पोरेरी नेचर का होता है। पी० डब्ल्यू० डी० में ही कभी कभी काम बढ़ जाता है तो इसके लिये उतना पैसा भी मिल जाता है, क्योंकि आजकल तो प्लान की वजह से काम बढ़ा हुआ है, लेकिन यह काम हमेशा ही रहने वाला नहीं है, जब काम नहीं होता है तो हम को रुपया नहीं मिल पाता है, इसलिये यह जरूरी नहीं है कि चाहे काम हो या न हो, हमको उतना रुपया मिलता ही रहेगा। अभी बहुत सी जगहों में म्युनिसिपल बोर्डों को पैसा दिया गया कि वह अपना काम पूरा करा लें। एल० एस० जी० इन्जीनियरिंग विभाग को ही ले लीजिये कि जब अधिक काम होता है तो अधिक आदमियों की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हीं में से लोगों को अस्थायी तौर से प्रमोशन दे दिया जाता है। इसलिये जहां पर व्यवस्थित रूप से काम होना आरम्भ हो जाता है वहां पर प्रमोशन दे दिया जाता है वरना अगर काम की अनसर्टेन्टी रहती है तो लोग १० साल क्या २०, २० साल तक भी टेम्पोरेरी रहते हैं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—परमानेन्ट को प्रमोशन न दे करके टेम्पोरेरी को क्यों प्रमोशन दिया गया ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह तो मैं नहीं कह सकता। मैंने तो गवर्नमेंट की जनरल नीति के बारे में आपको बताया कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि ऐसे ही लोगों को टेम्पोरेरी बेसिस पर रखा जाय। मैक्सिमम जितना परमोशन दिया जा सकता है, उतना दे दिया जाता है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—परमानेन्ट आदमी के होते हुये टेम्पोरेरी को प्रमोशन दिया है, मेरा तो यह प्वाइन्ट है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—इसके उत्तर में कहा गया है कि ऐसी नियुक्तियों के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है तो यह किस रूल के अनुसार है।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—मेरा ख्याल है कि इस विषय में देख करके ही उत्तर दे सकता हूं। मुझे तो इसमें सन्देह हो रहा है क्यों कि जब किसी को टेम्पोरेरी रखते हैं, तो उसके लिये भी पब्लिक सर्विस कमीशन को रिफर किया जाता है, यह दूसरी बात है कि कोई जगह तीन महीने या साल भर के लिये खाली होती है तो उसमें गवर्नमेंट स्वयं ही रख लेती हो लेकिन अक्सर जब कोई जगह साल भर या उससे ज्यादा समय के लिये खाली होती है तो उस सम्बन्ध में पब्लिक सर्विस कमीशन को रिफर करना पड़ता है, यह मेरी सूचना है।

श्री डिप्टी चेयरमैन—माननीय मन्त्री जी ने इस पर डिस्कशन करना तो मंजूर कर लिया है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—जिस तारीख को चाहें, आप इस पर बहस कर सकते हैं।

श्री डिप्टी चेयरमैन—३० तारीख को ५ बजे इस पर डिसकशन हो जायगा।

*८६—**श्री पन्ना लाल गुप्त**—क्या यह भी ठीक है कि उनमें से दो रेंजर मुअत्तल कर दिये गये और एक अभी (१५-१-५७) तक हिन्दी की परीक्षा पास नहीं कर सके ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—उल्लिखित तीन रेन्जरों में से दो सन् १९५० में मुअत्तल किये गये थे, पर जांच करने पर वे निर्दोष पाये गये। यह सच नहीं है कि उल्लिखित रेंजरों में से एक ने अब तक हिन्दी की परीक्षा पास नहीं की है।

अतारांकित प्रश्न

जिला सहारनपुर के ९ टाउन एरियाज में बिजली की व्यवस्था का न होना

१—श्री तेलू राम (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--(क) क्या यह ठीक है कि जिला सहारनपुर में ९ टाउन एरियाज हैं और सभी पक्की सड़कों पर स्थित हैं, लेकिन उनमें बिजली की रोशनी की व्यवस्था नहीं है ?

(ख) उन स्थानों पर बिजली पहुंचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) यह ठीक है कि जिला सहारनपुर में ९ टाउन एरियाज हैं। इनमें से झबरेड़ा पक्की सड़क पर स्थित नहीं है। रामपुर टाउन एरिया के अतिरिक्त उनमें बिजली की रोशनी की व्यवस्था नहीं है।

(ख) उन स्थानों पर बिजली पहुंचाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है क्योंकि अर्थ-व्यवस्था ऐसी नहीं, जो इसका भार वहन कर सकें।

प्रदेश के टाउन एरियाज की कार्य-प्रणाली

२—श्री तेलू राम--(क) क्या यह ठीक है कि वर्तमान कानून के अन्तर्गत प्रदेश के टाउन एरियाज के हिसाबात जिले का एक टाउन एरिया क्लर्क रखता है ?

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस प्रणाली पर टाउन एरियाज में असन्तोष है ?

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) टाउन एरियाज के हिसाबात जिलाधीश के कार्यालय में एक सम्बन्धित क्लर्क द्वारा रखे जाते हैं। पहले एक टाउन एरिया क्लर्क इस काम के लिये नियुक्त था, परन्तु माह जनवरी से यह पद समाप्त कर दिया गया है। अब यह कार्य Local Bodies Clerk को सौंप दिया गया है।

(ख) किसी टाउन एरिया से इस प्रणाली पर असन्तोष प्रकट नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला बोर्डों का चुनाव

३—श्री तेलू राम--सरकार उन जिला बोर्डों के चुनाव जिनके चुनाव, १९४८ में हुये थे, कब कराने जा रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह विषय अभी विचाराधीन है।

जिला बोर्डों के समाप्त करने की योजना

४—श्री तेलू राम--क्या जिला बोर्डों को समाप्त करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं।

प्रस्ताव कि सन् १९५६ ई० के उत्तर प्रदेश भूमि वितरण तथा प्रबन्धक व्यवस्था विधेयक को एक प्रवर समिति के अधीन किया जाय

श्री डिप्टी चेयरमैन--अब प्रश्न समाप्त हुये। इसके बाद श्री प्रताप चन्द्र आजाद जी के प्रस्ताव पर बहस जारी रहेगी।

श्री राम नन्दन सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रताप चन्द्र जी के प्रस्ताव का समर्थन करने लिये खड़ा हुआ हूं। आजाद साहब ने सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण

[श्री राम नन्दन सिंह]

विषय की ओर आकर्षित किया है। सरकार ने जब जमींदारी विनाश विधेयक बनाया था, तो उसमें इस बात की व्यवस्था की थी कि किसी के पास ३० एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिये। जो मध्यवर्ती हैं, उनको समाप्त कर दिया जाय। किसी एक परिवार के पास ३० एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिये। लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास ३० एकड़ से बहुत ही अधिक भूमि है, वे उसको ठीक से जोत भी नहीं सकते हैं और इस कारण बहुत सी जमीन खाली ही पड़ी रह जाती है। वे लोग उस पर कब्जा किये हुये हैं और किसी दूसरे को नहीं देते हैं। इस वजह से पैदावार भी नहीं हो पाती है। जिन लोगों के पास अधिक भूमि है, वे लोग अपने खेतों को अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं, इसलिये उन खेतों में पैदावार बहुत ही कम होती है। इसके अलावा हमारे यहां देहातों में बहुत बेकारी है। यदि भूमि का ठीक से वितरण होगा तो यह समस्या भी बहुत कुछ हल हो सकती है, क्योंकि जब लोगों के पास जमीन होगी तो वे उसको जोतेंगे और बोयेंगे, इस तरह से वे बेकार नहीं रहेंगे। आज हमारे प्रदेश में भूमि का ठीक से वितरण होना बहुत ही जरूरी है। विनोवा जी इसी प्रश्न को लेकर देश के कोने कोने में घूम रहे हैं और लोगों से भूमि दान ले रहे हैं। आज हम इस बात की आवश्यकता को महसूस करते हैं कि जमीन का समान वितरण होना चाहिये। हमारे भारत की सरकार को ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिये, जिससे जमीन का इस प्रकार से वितरण हो कि प्रत्येक आदमी को अपने गुजर के लिये जमीन मिल सके। हमारे माल मन्त्री जी ने इसके लिये काफी काम किया है, लेकिन अब और अधिक विलम्ब होना इसके लिये ठीक नहीं है। जिन लोगों के पास ३० एकड़ से अधिक भूमि है, वे इस को ठीक से जोत नहीं सकते हैं, लेकिन अपना कब्जा किये हुये हैं, मैं समझता हूं कि उस भूमि का बहुत जल्द बटवारा हो जाना चाहिये।

फिर भी ऐसी व्यवस्था में चोरी करने की गुन्जाइश है। दफा १५४ के प्रतिबन्ध में यह लिखा है कि कोई भी भूमि वाला ऐसे परिवार वाले के पास जमीन नहीं बेच सकता है, जिसके परिवार के पास इस बिक्री के फलस्वरूप कुल मिलाकर ३० एकड़ से अधिक भूमि हो जाये। फिर भी इस नियम के होते हुये भी चोरियां होती हैं। इस नियम में लिखा है कि जब तक वह यह साबित नहीं करता है कि अपने परिवार से अलग है और इसके पास ३० एकड़ भूमि नहीं है, तभी इसको बेची गई, तो इसके लिये होता यह है कि अदालतों में मुकद्दमें दायर हो जाते हैं और जब बाप ने मुकद्दमा दायर कर दिया हो, तो बेटा यह स्वीकार कर लेता है कि मैं अपने बाप से अलग हूं। इसका नतीजा यह होता है कि अगर उन के पास परिवार में ५० एकड़ जमीन है, तो बेटे के अलग हो जाने पर ३० एकड़ से जमीन कम हो जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मान लीजिये एक आदमी के चार बेटे हैं और उनके पास ५० एकड़ जमीन है, तो उसने अदालत में अपील दायर कर दी कि मैं अपनी जमीन को लड़कों के नाम बांट देना चाहता हूं और इस जमीन का बंटवारा कर देना चाहता हूं। पिता इस बात को स्वीकार कर लेता है कि ये आपस में बंटवारा करना चाहते हैं और इस तरह से बंटवारा हो जाता है। बंटवारा होने के बाद उनको यह फायदा रहता है कि उनमें से प्रत्येक ३० एकड़ जमीन खरीद सकता है और उनके पास फिर ५० एकड़ से भी ज्यादा जमीन हो जाती है। तो मेरा कहना यह है कि यह एक विचार करने वाली बात है।

दूसरी बात यह है कि ३० एकड़ से अधिक जिसके पास जमीन है, उस पर इतना अधिक बोझ लाद दिया जाय कि इससे ज्यादा जमीन उस के पास न आ सके। इस प्रकार से एक आदमी के पास किसी तरह से भी ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रहनी चाहिये, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। जहां तक मेरा अनुभव है, मैं तो समझता हूं कि लोग अपने पास बहुत जमीन रखना चाहते हैं। माननीय आजाद साहब ने आज इस मसले की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और सरकार को चाहिये कि वह इसे स्वीकार कर लें, क्योंकि

इससे फिर ३० एकड़ से अधिक कोई भी अपने पास जमीन नहीं रख सकेगा। आपने इसके लिये एक बोर्ड बनाने की भी बात रखी है और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को उस बोर्ड में रखा जायगा, जोकि इस प्रश्न पर अच्छी तरह से विचार करने के बाद अपने सुझाव माननीय मन्त्रीजी को देंगे। जिस प्रकार का प्रस्ताव माननीय आजाद साहब ने सदन में रखा है, उसको सरकार को और माननीय मन्त्री जी को अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये। सदन के सभी सदस्यों को इस बात का स्वागत करना चाहिये और सरकार को भी इस तरह का कानून बनाना चाहिये, जिससे कि जमीन का बंटवारा ठीक तरह से हो सके। माननीय आजाद जी ने इसके लिये सभी वही सिद्धान्त स्वीकार किये हैं, जिसको कि सरकार भी स्वीकार करती है और केन्द्रीय सरकार भी, जैसा कि माननीय माल मन्त्री जी ने बतलाया था, इसको माना है कि ३० एकड़ ही नहीं, बल्कि इससे भी कम हर एक के पास जमीन का बंटवारा होना चाहिये। ऐसी स्थिति में यह सरकार के लिये और भी उचित है कि वह माननीय प्रताप चन्द्र आजाद जी के प्रस्ताव को स्वीकार करे। माननीय आजाद जी ने प्रस्ताव किया है कि इस बिल को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इससे यह स्पष्ट है कि बिल की त्रुटियां भी वहां दूर हो जायेंगी और जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, तभी इस प्रकार का अधिनियम पास किया जा सकता है। इसलिये जहां तक जमीन के बंटवारे का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से तथा माननीय मन्त्री जी से इस बात की सिफारिश करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और जल्द से जल्द इसको कानून का रूप दें, क्योंकि इसमें उन्हीं के सिद्धान्त हैं, जो कि आजाद साहब ने रखे हैं और इस तरह से जमीन के बंटवारे में आसानी रहेगी।

जमीन की समस्या का जहां तक सवाल है, यह हमारे यहां बढ़ती चली जा रही है। इससे पैदावार में भी असर पड़ रहा है और लोगों की माली हालत पर भी असर पड़ रहा है तथा गरीब लोगों को इस तरह से बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इस जमीन के बंटवारे की समस्या पर जब कि आज श्री आजाद साहब ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से तथा माननीय माल मन्त्री जी से सिफारिश करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार कर लें और जितनी जल्दी हो सके, इस तरह का कानून पास कर दें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय आजाद साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक आजाद जी ने जमीन के बटवारे के सम्बन्ध में रखा है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने ख्यालात रखना चाहता हूं। श्रीमान् इस प्रश्न पर बहुत काफी विचार करने के बाद और बहुत सा साहित्य पढ़ने के बाद, मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि जो जमीन के बटवारे की मांग है, वह एक अनप्रैक्टिकली मांग है, एक गलत मांग है। आज अग्रेरियन प्राब्लम का सोल्यूशन जमीन के बटवारे की मांग के रूप में पेश किया जाता है और इस तरह का एक फैशन हो गया है कि अगर हम अग्रेरियन प्राब्लम को साल्व करना चाहते हैं, तो हम जमीन का बटवारा कर दें। लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं बतलाया कि जमीन का बटवारा कैसे हो, वह कैसे किया जाय। इसमें क्या-क्या दिक्कतें होंगी और क्या वाकई हमारे पास इतनी पर्याप्त जमीन है कि उस जमीन को बांटकर हम उस समस्या को, जिस को हल करना चाहते हैं, आसानी के साथ हल कर सकते हैं। यह एक तरह का पोलिटिकल पार्टीज का स्टंट है। कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट पार्टीज या जो अपोजीशन में हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने ही जमीन के बटवारे का प्रश्न रखा है, और वह एक पोलिटिकल स्टंट की तरह से रक्खा है। सच तो यह है कि यह एक अनप्रैक्टिकल और गैर मुमकिन चीज है। इसका यह सल्यूशन नहीं हो सकता है। विनोवा जी ने, जैसा कि अभी आजाद जी ने संकेत किया, भूदान आन्दोलन चलाया है और उससे जमीन के बटवारे के लिये संकेत किया है। श्रीमन्, मेरा ऐसा ख्याल है कि विनोवा जी ने यह आन्दोलन इसलिये चलाया कि वह इससे जमीन का बटवारा कर देंगे। मैं समझता हूं कि यह सही इन्टरप्रीटेशन नहीं है। तलंगाना में कुछ काश्तकार थे, जो गरीब थे। उनके सामने जमीन की समस्या पड़ी तो उनको सताया गया। कुछ लोगों

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

ने गल्ला लूटने की कोशिश की। उसका एक संकेत लेकर बिनोवा जी ने यह समझा कि जिसके पास जमीन न हो उसको जमीन देनी चाहिये। इस तरह से हम इस समस्या का कुछ हल निकाल सकते हैं, लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि यह उस समस्या का एक सोल्यूशन है।

वह तो एक प्रकार की ऐसी बात है कि वह यह चाहते थे कि जिनके पास ज्यादा जमीन है, जो ज्यादा प्रासपेरस हैं, वे अपनी जमीन में से थोड़ी सी जमीन दूसरों को दे सकें और जो प्रासपेरस नहीं हैं उनकी भी प्रास्पेरिटी कायम कर दें। मैं इस बात का क्रेडिट यू० पी० गवर्नमेंट को देता हूं कि यह पहली गवर्नमेंट थी, जिसने सबसे पहले इस भावना को रिकगनाइज किया और उसके लिये एक विधेयक लाया गया। और मैं समझता हूं कि यह पहली स्टेट है, जिसमें इस प्रकार का एक लेजिस्लेशन पास किया गया। इसके माने यह नहीं हैं कि जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसके माने तो यही है कि जिसके पास ज्यादा जमीन है और जिसके पास कम है उसको थोड़ी सी जमीन और मिल जाय। आज हमारे पास टोटल एरिया जो अन्डर प्लाऊ है, वह एक करोड़ एकड़ के कुछ ऊपर है और यह एरिया हमने बहुत से ट्यूबवेल्स और नहरों को खोद कर हासिल किया है। तो ऐसी हालत में एक लाख से कुछ ही ऊपर एकड़ जमीन कितने करोड़ आदमियों में बांटी जायगी। यह एक ऐसी समस्या है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से नहीं हो सकता है। हमारे यहां ८० प्रतिशत से अधिक ऐसे आदमी होंगे, जिनके पास सवा ६ एकड़ या उससे कम जमीन होगी। इन सब बातों को देखते हुये मैं समझता हूं कि इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन की मांग बिलकुल ही इम्प्रैक्टिकेबल है और इसको मैं एक पोलिटिकल स्टन्ट समझता हूं। जो लोग इस चीज की डिमान्ड कर रहे है वह स्वयं इसको फालो नहीं कर रहे हैं। केरल गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है वहां भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात अपने एग्रेरियन प्रोग्राम में नहीं रखी है। उन्होंने यह रखा है कि जो लैन्डलेस हैं उनको लैन्ड मिलना चाहिये। वह एक पार्टी गवर्नमेंट है। उन्होंने देखा कि यदि इस प्रकार की मांग हम करेंगे तो यह गलत होगा। जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की मांग की है वह इसका आब्जेक्ट ही नहीं समझते हैं। मैं समझता हूं कि हम जमीन को नहीं बांट सकते हैं और यह एक बिलकुल गलत मांग है और यह चीज कभी भी चालू नहीं हो सकती है। जिस समय भूदान विधेयक पास हुआ था तो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा था कि जिनके पास लैन्ड कम है, उनके ऊपर इस बात का जोर न दिया जाय कि वे भी लैन्ड दें, लेकिन उन पर जोर दिया जाय, जिनके पास अधिक हो। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों को देखते हुये इस प्रकार की मांग रखना गलत है।

फिर हमें सोचना है कि अपनी इस आबादी में एग्रीकल्चरल लैन्ड पर जो लोग निर्भर रहते हैं, उसका सोल्यूशन कुछ न कुछ होना ही चाहिये। उसका सोल्यूशन यह हो सकता है कि जो छोटे-छोटे उद्योग-धंधे खुल रहे हैं, वह लैन्ड के प्रेसर को कम करेंगे। काटेज इन्डस्ट्रीज से लैन्डलेस लेबरर का फायदा होगा।

इसके साथ-साथ दूसरी चीज यह भी करनी चाहिये कि जो अनएकानामिक होल्डिंग्स हैं, उनको एकानामिक बनाया जाय। हां, यह भी मैं मानने के लिये तैयार हूं और यह भी एक उपाय है कि जो सेन्टर ने डायरेक्टिव लिया है कि सीलिंग आफ लैन्ड होना चाहिये। जिस के पास ज्यादा जमीन हो, उसके लिये सीलिंग आफ लैन्ड फिक्स होनी चाहिये और अधिक जमीन किसी के पास न रहे। इन सब बातों को देखते हुये मैं निःसन्देह यह कह सकता हूं कि यह जो रिडिस्ट्रिब्यूशन की बात कही जा रही है यह हो नहीं सकती। जो पोलिटिकल पार्टीज कहती हैं, जब उनके सदस्य विधान मंडल में आते हैं या अपनी सरकार बना लेते हैं तो वह स्वयं इसको लागू करने के लिये तैयार नहीं होते हैं। तब वह कैसे आशा कर सकते हैं कि दूसरे प्रदेश की दूसरी सरकारें उस बात को करें। मैं समझता हूं कि जो माननीय आजाद साहब का विधेयक है, वह वेग है और जिस उद्देश्य को लेकर चला है, उसमें उसका कोई तरीका भी नहीं बताया गया है, सिर्फ इसके कि कुछ आफिसर्स मुकर्रर हो जायेंगे, और बोर्ड बना दिया जायेगा उसके बाद सब की जमीन छीन ली जायेगी और

फिर वितरण कर दिया जायेगा। इसका एक तरीका कन्सालिडेशन का है, जो एकानामिक होल्डिंग्स बना सकता है। मैं समझता हूं कि जो तरीका इस समय चल रहा है, वह सही है और यह मांग गलत है। मैं नहीं समझता कि यह मांग कैसे की जा सकती है। जनता इस चीज को पसन्द नहीं करेगी। पहले पहल शायद रिडिस्ट्रिब्यूशन आफ लैन्ड का टैम्पटेशन हो जाय, लेकिन बाद में जब लोग इस तथ्य तो समझेंगे, तो कहेंगे कि इस पर अमल नहीं हो सकता है।

*श्री पुष्कर नाथ भट्ट (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज जो माननीय सदस्यों के विचार सुने, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ता है कि दुनियां आज तेजी के साथ जा रही है और जो विचार इस सदन के सामने इस समय रखे गये हैं, वह मौजूदा प्रश्न को हल करने में कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि विनोवा जी भूमि का बटवारा चाहते हैं। यह तो ठीक है कि कुछ दिनों पहले उन्होंने ऐसा आन्दोलन चलाया और एक साल के करीब हो गया है, वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भूदान से खेती करने वालों का कुछ सुधार नहीं हो सकता है। कुछ सुधार अगर हो सकता है, तो ग्राम दान से हो सकता है, जितने ग्राम के निवासी हैं उन सबका पूरी जमीन पर हक है और पूरी जमीन का इन्तजाम सबके फायदे के लिये किया जाय। यह विचारधारा है, जिसको वह जरूर कर रहे हैं। हमारी यूनियन गवर्नमेंट के प्रधान मन्त्री और प्लानिंग कमीशन का विचार है कि खेती करने वालों का सुधार कोआपरेटिव फार्मिंग से हो सकता है। अब सवाल जो इस वक्त अपने देश में है वह कोआपरेटिव फार्मिंग का है। यह सभी मानते हैं कि हर एक आदमी के पास जमीन बांट दी गई, तो किसी के पास भी इक्नामिक होल्डिंग रहना मुश्किल है। अगर हमारे प्रदेश में ढाई बीघा का औसत है और बांटने से ढाई के बजाय तीन-चार बीघा जमीन हो गई, तो उनका सुधार किसी तरह से भी नहीं हो सकता है। अब असली प्रश्न जो है, जिसको मैं मानता हूं कि केवल ग्राम दान की बात नहीं है। अब सवाल यह है कि हम इसको किस तरह से करें। हमारे प्रदेश की सरकार इस वक्त कोआपरेटिव फार्मिंग की नीति को अपनाना नहीं चाहती है। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में कई चैप्टर इस विषय में हैं। अगर कोआपरेटिव फार्मिंग किसी गांव के लोग करें तो क्या सहूलियतें दी जायं। इससे भी यह नतीजा निकलता है कि हमारे प्रदेश की गवर्नमेंट कोआपरेटिव फार्मिंग के पक्ष में है।

अभी एक दूसरा रेजोल्यूशन जो इस सदन के सामने पेश होता है तथा एक खास जेहनियत का प्रदर्शन होता है। कल यहां पर एक ऐसा प्रस्ताव हुआ कि फैमिली प्लानिंग किया जाय। इस पर ज्यादा रुपया खर्च किया जाय। जो बटवारे का प्रश्न है, इसको गवर्नमेंट कर दे। जितने प्रश्न हैं वे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जरिये से हों। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को याद दिलाता हूं कि हमारे पड़ोस के देश चीन में ९०फीसदी किसान हैं। वे सब कोआपरेटिव फार्मिंग में शरीक हो गये हैं। और सबसे ताज्जुब की बात है कि वे किसी कानून के जरिये से नहीं बल्कि पार्टी के समझाने से और उनको मदद करने से यह काम हुआ है। यह काम तीन वर्ष में हुआ है। हर चीज जब सरकार के ऊपर रखते हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम देहातों में जायं और उन लोगों को समझायें कि वे सहकारी खेती में शरीक हों। उन को सरकार ने जो सुविधा दी है, उसका वे पूरा फायदा उठायें। अगर किसानों की भलाई हो सकती है तो इसी रास्ते से हो सकती है। मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि गवर्नमेंट के जरिये से इस कार्य को किया जाय। असली बात यह है कि किसानों की विचार धारा बदली जाय। जो कोआपरेटिव फार्मिंग को मानते हैं और जो ग्राम दान को मानते हैं, वे गांव-गांव जायं और इस चीज को फैलायें कि इससे उनका फायदा हो सकता है। आपको भक्त जी ने दिखला दिया, उन साथियों ने ग्रामदान की सूरत पैदा कर दी है, उनको दो हजार गांव मिल गये हैं।

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री पुष्कर नाथ भट्ट]

भूदान में लाखों एकड़ जमीन मिली है। कानून के जरिये से किसी तबके का सुधार करना मुश्किल होता है। अगर खुद हम यह विचारधारा उनमें फैलायें तो इसमें कामयाबी मिल सकती है। मैं इस प्रस्ताव के खिलाफ इसलिये नहीं हूं कि इसमें बड़े बड़े जमींदारों की जमीन बंट जायेगी। बल्कि इस वजह स इसकी मुखालिफत करता हूं कि अगर हम यह समझें कि इससे कोई फायदा हो जायगा, तो फायदा कुछ नहीं होगा। अगर जमींदारी अबा-लीशन न किया होता, अगर किसानों को भूमिधर न बनाया होता, तो आज हम कोआपरेटिव फार्मिंग में कहीं ज्यादा कामयाब होते। जब किसानों को मालिक बना दिया, अब उनसे उम्मीद करना कि खुशी २ अपनी जमीन वे दगे कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये, तो यह मुश्किल होगा। जब असली सिद्धान्त देशभर में एक है और यह सिद्धांत मैं समझता हूं कि ठीक है। इस सदन मे ऐसा प्रश्न उठाकर, जिसका कि इस वक्त कोई महत्व नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा। इससे जो हमारा असली सिद्धान्त है, उसमें एक तरह से रोड़ा अटकेगा। ऐसे प्रस्ताव से बजाय फायदे के नुकसान हो सकता है।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित (नाम निर्देशित)—उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सम्मुख जो आजाद जी का प्रस्ताव आया है, उसके सम्बन्ध में अनेक प्रकार की रायें सदन के सामने आईं। इसके पहले कि निश्चित रूप से इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ कहूं, मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रस्ताव जो इस सदन के सामने पेश हो या किसी भी सदन के सामने पेश हो वह देश के लिये लाभप्रद होगा या नहीं, इसकी कसौटी यह हो सकती है कि उस प्रस्ताव से हमारे देश में अपनी योजनाओं के द्वारा जो उद्देश्य स्थापित किये गये हैं, उनकी पूर्ति वह कहां तक करता है। हमारे सामने जो भी उद्देश्य हमारी योजनाओं के द्वारा हमारी राष्ट्रीय सरकार और हमारे नेता लाये हैं। वे मुख्यतः देश में उत्पादन बढ़ाना, देश की आमदनी को बढ़ाना और देश की बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं। इस सदन के लोग जानते होंगे कि जो पहली योजना निकली थी, उसमें जो एग्रीकल्चरल लेबरर से सम्बन्धित चैप्टर है, उसमें यह बात स्पष्ट की गई थी कि उत्तर प्रदेश के देहात में २५ फीसदी ऐसे आदमी हैं, जिनको एग्रीकलचर में इम्पलायमेंट मिलता है। ७५ फीसदी ऐसे हैं, जिनको नहीं मिलता है। सारी समस्या तो अब यह है कि देहातों में जो ७५ फीसदी आदमी बेरोजगार हैं, उनको कैसे इम्पलायमेंट दिया जाय, उन्हें कैसे रोजगार वाला बनाया जाय।

दूसरी समस्या यह है कि ये जो २५ फीसदी काम पाते हैं, उनकी ज्यादातर आय २६ से ३० रुपया महीना होती है। बहुत से ऐसे कुटुम्ब हैं, जिनके लिये यह आमदनी बहुत कम है। वे वास्तव में अन्डर इम्पलायड हैं। ऐसे लोगों के आर्थिक साधन कैसे बढ़ाये जायं। यह हम सबको सोचना है। इस रूप से जब हम इस प्रस्ताव को देखते हैं, तो हम यह पाते हैं कि यह प्रस्ताव हमें कोई अधिक मदद नहीं करता।

श्री आजाद जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके अन्दर एक सामाजिक भावना छिपी है कि अधिक से अधिक भूमि कोई क्यों रखे। भूमि का पुनः वितरण होना चाहिये। किन्तु यह देखने की बात है कि वितरण स्वतः कोई आदर्श नहीं है। वितरण से कुछ माने में कुछ लोगों को लाभ हो जायेगा, लेकिन उस वितरण में कोई कल्याण नहीं दिखाई देता। कुछ १०-२० प्रतिशत आदमियों को कुछ जमीन मिल भी जाये, लेकिन जहां ७५ फीसदी लोग बेकार हैं इससे उनका अनइम्पलायमेंट दूर नहीं हो सकता है और उन लोगों को इस वितरण से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय उत्पादन तो वही रहेगा। यह भी माननीय सदस्य को मानना पड़ेगा कि देश में जो भी चीज सामने रखी गई, राष्ट्रीय योजनाओं द्वारा, उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हम जो कृषि करें वह सामूहिक प्रयास द्वारा करें। थोड़े ही दिन हुये सदन ने कंसालिडेशन ऐक्ट पास किया और वह थोड़े जिलों में लागू हो चुका है उसका उद्देश्य अनएकानामिक होल्डिंग्स को खत्म करना है। इतना ही नहीं, कोआपरेटिव फार्मिंग का विचार भी सामने आया है। यही नहीं जब हम सारी चीजों को एक योजना के अनुसार करना

जा रहे हैं, और जब हम जनता के ध्यान को कोआपरेटिव फार्मिंग और कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स की ओर आकर्षित कर रहे हैं, तब इस प्रस्ताव को स्वीकार करना हमारी विचारधारा और कार्य प्रणाली के प्रतिकूल होगा। यह प्रस्ताव हमारे देश की मूल समस्या अनइम्पलायमेंट को दूर करने में सहायक नहीं होगा, इसलिये यह प्रस्ताव लाभकर नहीं है और जो हमारी वर्तमान परिस्थिति है, उसमें यह सहायक नहीं हो सकता। अभी एक माननीय सदस्य ने दो बातें आपके सामने कहीं हैं उनकी बातों को दोहराये बगैर एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यदि आप एक ओर समाज व्यवस्था में कन्सालिडेशन की बात करेंगे और फिर आप दूसरी ओर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इसका वही परिणाम होगा जो स्टेट रिआर्गेनाइजेशन का हुआ। पहले तो आप स्टेट्स को बांटने को तैयार हुये फिर उसको रोकने के लिये सुझाव दिये गये। एक तरफ हमने जमींदारी मिटायी। जब मिटाई तब हमने यह सोचा नहीं कि जमीन का पुनर्वितरण होना है, यदि हम अब जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की बात करें तो वह सामाजिक मनोविज्ञान के बिल्कुल विपरीत होगा। इसलिये बिना सदन का अधिक समय लिये हुये, मैं सदन के सदस्यों से अपील करूंगा कि वह सोचें कि ऐग्रीकल्चरल उत्पादन कैसे बढ़ाया जाय और वह ७५ फीसदी आदमी जो देहातों में बेकार हैं, उनको रोजगार कैसे दिया जाय। यह मुख्य बातें हैं। अगर यह दो बातें प्रस्ताव से पूरी हो जाती हैं, तो मुझे विरोध नहीं, लेकिन उनका इसके अन्दर कोई समाधान नहीं मिलता है।

मैं इस तरह से भी उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, जिस तरह से कुंवर साहब ने किया है। लेकिन जो प्रस्ताव रखा गया है वह अस्पष्ट है। हो सकता है कि प्रस्तावक महोदय कहें कि ऐसी बात नहीं है तो उनके और मेरे विचार में अन्तर हो सकता है। मैं इस प्रस्ताव का विरोध तो नहीं करता, लेकिन इस बात पर अवश्य जोर दूंगा कि यह सदन इस बात को अवश्य सोचे कि किस तरह से कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाय और किस तरह से बेकारों को नौकरी दी जाय। इस प्रस्ताव से तो कम से कम यह प्रश्न हल नहीं होता है।

श्री तेलू राम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रताप चन्द्र आजाद के प्रस्ताव का समथन करता हूं। इसमें शक नहीं कि हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि देश के इतने आगे बढ़ने के बाद फिर इस प्रस्ताव का विरोध होता है। यह बात सही ह कि सिर्फ ३० एकड़ की सीमा बांध दी जाय तो इससे समस्या हल नहीं हो सकती है। जहां तक सीमा बांधने का सवाल है यह कोई नया प्रस्ताव नहीं है और न कोई ऐसी बात है जो आज कही जा रही हो। यह तो आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का बहुत पुराना प्रस्ताव है। हमारे प्रान्त में जो नयी भूमि व्यवस्था कायम की गई है, उसमें भी हमारे माननीय माल मन्त्री जी ने यह तय कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास ३० एकड़ जमीन है, वह इससे अधिक नहीं खरीद सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ३० एकड़ वाली बात हमारी समस्या को हल नहीं करती है। यह तो जमीन के रूप और बनावट पर निर्भर है। कहीं पर ३० एकड़ जमीन में १० खानदान पल रहे हैं, तो कहीं पर ३० एकड़ जमीन एक खानदान को भी नहीं पाल रहा है। आज की दुनिया में जिस तरह से आदमी बातें करते हैं, उनको सुनकर हमें हैरानी होती है। बार--बार होल्डिंग की बात की जाती है। कहते हैं कि होल्डिंग छोटी हो जायगी, तो वह अनएकोनामिक हो जायेगी। लेकिन आज यह सिद्ध हो गया है कि छोटे--छोटे टुकड़े जिनकी मात्रा ३.१ एकड़ है, उनको हमारे माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि उनको हम अनएकोनामिक होल्डिंग नहीं कह सकते हैं। यही बात विनोबा जी ने भी कही है। ३० एकड़ तो बहुत बड़ी बात है लेकिन जमीन की हैसियत से कहीं यह भी अनएकोनामिक हो सकती है और जो छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं वे सपोर्टिंग होल्डिंग हो सकती हैं। आज आप दूसरे मुल्कों में देखिये, वहां पर भी शहरों में दो बीघा पुख्ता जमीन पर २० आदमियों का खान्दान निर्भर होता है। इसलिये यह कहना कि ये अनएकोनामिक होल्डिंग हो जायेंगी, यह तथ्य नहीं है। बिनोवा जी ने कहा है कि जमीन के टुकड़े होने से तो लोग डरते हैं, लेकिन गरीबों के दिल के टुकड़े होने पर उन पर कोई असर नहीं होता है। उनका कहना है कि रोजी सबके लिये मिलनी

[श्री तेलू राम]

जरूरी है और खेती पर बहुत लोगों को रोजी मिल सकती है। बड़ी दस्तकारी तो सबको नहीं मिल सकती है। यह ठीक है कि आज देश के लिये बड़ी-बड़ी मशीनों की आवश्यकता है, लेकिन वह रोजी के मसले को पूरे तौर से हल नहीं कर सकती हैं।

इसमें कोई शुभहा की बात नहीं है कि यह समस्या इस प्रदेश की ही नहीं है, बल्कि सारे देश की है और इस समस्या को टाला नहीं जा सकता। रोजी सब को देनी जरूरी है और वह भी ऐसी रोजी, जिसको लोग आजादी से कमा सकें। बहुत से लोगों का कहना है कि सरकार लोगों को रोटी दे, लेकिन इस प्रकार इस समस्या का हल नहीं हो सकता। सरकार द्वारा लोगों को काम दिये जाने पर इस समस्या का हल हो सकता है। केवल जमीन का बंटवारा हो जाने से ही समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। आज कानून के द्वारा जमीन के बटवारे में सुधार किया गया, इसको क्रान्तिकारी कदम तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु सुधार होते होते ही इसमें समस्या का हल निकाला जा सकता है। आज कानून के द्वारा ही लोगों को जमीनें टुकड़ों में दे दी गयी हैं, और उन छोटे टुकड़ों में कितनी पैदावार होती है, यह इस मुल्क की पैदावार से अन्दाजा लगाया जा सकता है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि अभी यह भी कुछ नहीं है, लेकिन ३० एकड़ वाली बात को भी समस्या का हल नहीं कहा जा सकता है। बहुत सी लैन्ड आज खाली पड़ी हुई हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जो बड़े बड़े फार्म वाले थे और ट्रैक्टरों से खेती करने वाले थे, वह भी नाकामयाब हो गये। अतः ट्रैक्टर वाली खेती भी इस समस्या का हल नहीं है। उनकी यह आर्थिक मनोवृत्ति थी कि किसी तरह से धन कमाया जाय, लेकिन वह उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाये। हम लोग, जो यहां लेजिस्लेचर में बैठे हुए हैं, यह हमारा फर्ज हो जाता है कि हम इस समस्या पर गौर करें और इस बात को समझें कि इस समस्या को अब अधिक दिनों तक टाला नहीं जा सकता है। अगर हम किसी चीज की तरफ से आंख मींच देते हैं, तो प्रकृति तो अपना काम करती ही है, वह किसी भी चीज की ओर से आंख नहीं मींचती और वह किसी न किसी तरह से समस्या का हल निकाल लेती है।

यह रोज़ी का मसला हमारे प्रदेश में ही नहीं है, बल्कि सारे देश में है और अगर हम इसको हल नहीं कर सकते या अधिक से अधिक लोगों को रोजी नहीं दे सकते, तो और चीजें तो मुहैया कर सकते हैं, इसलिये इस प्रस्ताव को यहां पर लाया गया है, और आजाद साहब ने स्वयं भी कहा है कि इसके लिये एक कमेटी बना दी जाय और वह इस मसले पर विस्तृत रूप से सोचे और जो कमजोरियां और खामियां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इस विषय में वह कमेटी अपनी राय दे सकती है। इसीलिये प्रस्ताव में कमेटी बनाने के लिये कहा गया है।

मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि मसले को पोलिटिकल स्टन्ट बनाया जाता है। भगवान की कृपा से बिनोवा जी इस काम में बहुत ऊंचे उठ गये और अब तक ३ हजार गांवों को उन्होंने ग्राम दान में लिया, मेरे विचार में उन्होंने तो इसको किसी भी तरह से पोलिटिकल स्टन्ट के रूप में नहीं लिया। मैं तो इस मामले में कम्युनिस्टों को दोष नहीं देता हूं उन्होंने जब कभी इस मसले को उठाया तो उसमें पोलिटिकल स्टन्ट की बात नहीं होती है, बल्कि उनके दिमाग में यही बात रहती है कि जो गरीब हैं, उनको ऊपर उठाया जाय, जिनको रोजी नहीं मिलती है, उनको रोजी मिले। लोगों को खाना और कपड़ा मिले और इस भावना से प्रेरित हो कर ही वह इस मसले को उठाते हैं, केवल वोट लेने के समय में भले ही वह इसको पोलिटिकल स्टन्ट का रूप दे दें, तो भी इसको पोलिटिकल स्टन्ट मान लेना, इस प्रदेश में किसी की भी नीयत पर शुबहा करना कुछ शोभा नहीं देता है। बहरहाल जो प्रस्ताव है उसका मकसद केवल इतना ही है कि इस तरह की समस्या की ओर हम लोगों का ध्यान आकर्षित कराया जाय और हम इस समस्या का गंभीरता के साथ में अन्दाजा लगा सकें। अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है, तो मेरी प्रार्थना है

कि इसको अवश्य स्वीकार किया जाय। इसमें कमेटी के लिये मांग की गयी है और वह इस मसले पर वास्तविक रूप से विचार करेगी। समाजवाद की व्यवस्था में रोजी दिलाने का प्रश्न बहुत आवश्यक है और यही सरकार की भी मंशा है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रस्ताव इसमें मददगार होगा। एक तरह से यह आर्थिक प्रश्न है, जिसमें खास तौर से देश के सामर्थ्यवान पुरुष देश के लिये कार्य कर रहे हैं। जहां तक इस बात का प्रश्न है, तो इस सिलसिले में हमारे प्रदेश में ग्राम दान की अवहेलना नहीं है, विनोबा जी की अवहेलना नहीं है। इस सूबे में ७ ग्राम दान हुए और इन ग्राम दानों में ३० एकड़ वाली बात नहीं रहती।

वहां पर गांव में जो गांव वाले बैठ कर बटवारा करेंगे, उससे बहुत कुछ समस्या हल हो जायेगी। मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि उसके लिये यह एक सुनहरा मौका है, वह इससे फायदा उठा सकती है। हम देखते हैं कि चकबन्दी विधेयक बनाया गया, लेकिन उसमें बाद में बहुत से संशोधन लाये गये। मैं तो यह कहता हूं कि कानून के जरिये से आप किसी समाज के ढांचे को आसानी से नहीं बदल सकते हैं। समाज का ढांचा आपस के मेल-मिलाप और आपस के सम्पर्क से बदल सकता है। इंसानों में ऐसी इंसानियत पैदा करनी होगी जिससे वे एक दूसरे को अपना समझें। सरकारी आदेशों के जरिये से ही दुनिया के सब काम नहीं हो जाया करते हैं। बहुत सी बातों के लिये समाज में एक तरह का वातावरण पैदा करना पड़ता है, जिससे लोगों के दिलोदिमाग में परिवर्तन आ जाये। मैं समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव आजाद साहब ने पेश किया है, इसकी इस समय बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस समय हमारे प्रदेश में भूमि के वितरण की बहुत ही जरूरत है। विनोबा जी ने इसके लिये एक आन्दोलन किया है। उनको और उनके साथियों को अपने काम में काफी कामयाबी भी मिली है, लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक सरकार, जिसके हाथ में सारी सत्ता है, इसमें सहयोग नहीं देगी, यह काम अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा। यह एक बहुत बड़ी समस्या रोटी की है, इसको हल करना सरकार का फर्ज है। सरकार को चाहिये कि वह इस समस्या को जल्द से जल्द हल करे। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसकी ओर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिये। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस प्रस्ताव से सहमत होंगे और मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को जरूर स्वीकार करेगी।

श्री परमात्मा नन्द सिंह (माल उपमंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तुत विषय है, उस पर गवर्नमेंट की ओर से माननीय मंत्री जी जवाब दे चुके हैं, इसलिये मैं इस विषय पर अधिक विस्तारपूर्वक कुछ कहना सदन का समय नष्ट करना समझता हूं। लेकिन इस प्रस्ताव के संबंध में मेरे हृदय में कुछ भावनायें पैदा हो गयी हैं, जिनको मैं इस सदन के सामने चन्द मिनट में रख देना चाहता हूं। आप देखते हैं कि सरकार की तरफ से जब कोई कानून बनता है, तो वह उसी समय बनता है, जब कि उस नियम की अत्यन्त आवश्यकता महसूस होती है और ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उस कानून के बिना काम नहीं चल सकता है, तभी कोई कानून बनाया जाता है। सरकार जब यह देखती है कि कोई बुराई उग्र रूप धारण किये हुए है, और उसको रोकने के अन्य उपाय असफल हो रहे हैं, उसको कानून से रोका जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है, तभी कानून बनाये जाते हैं।

अभी थोड़े ही दिन हुए हमने जमींदारी का विनाश किया जो कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी और क्रांतिकारी कार्य था। इस क्रांति की हम अभी पूरी तरह से व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। अभी इसके सिलसिले में जो अधिवासी तथा दूसरे प्रश्न चल रहे हैं, उनसे अभी हम गुजर रहे हैं। हमारे सामने इनकी समस्यायें अभी मौजूद हैं। अभी जिन लोगों की हमने जमींदारी ले ली है, उनको मुआवजा भी नहीं दिया है। अभी हम उनको पुनर्वास के लिये मदद भी नहीं दे पाये हैं, जिससे कि वे अपने को स्थापित कर सकें। अभी तो इतना बड़ा कदम हमने भूमि के विषय में उठाया है, जो कि अपने देश के सामने ही नहीं, बल्कि

[श्री परमात्मा नन्द सिंह]

दुनिया के सामने एक मिसाल है। हम इतना बड़ा कार्य पहले ही कर चुके हैं और इसे हम पूरा भी नहीं कर पाये हैं। इसी बीच में एक ऐसा प्रश्न पैदा करें, जिस प्रश्न की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है, आप सोचेंगे कि मैं ऐसे शब्द कह रहा हूं, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता अभी प्रतीत नहीं होती और अभी इसे करने में अनेक कठिनाइयां भी हैं। आप देखें कि प्रकृति का क्या नियम है? प्रकृति ने ८४ लाख योनियां बनाई हैं और वह इन पर अपना इम्तिहान करती जाती है। एक योनि बनती है, उसमें कमी दिखलाई देती है, तो दूसरी योनि बनती है, और उसमें भी कमियां पूरी नहीं होती हैं, तो तीसरी और चौथी योनि बनती है। इसी तरह से इसके लिये यह कहा जाता है कि प्रकृति ने ८४ लाख योनियां या जीनस बनाये हैं। आगे प्रयोग होता जाता है, परन्तु कोई भी योनि नष्ट नहीं की जाती, अभी सभी अपने अपने स्थान पर कायम हैं। हां, यह कहा जा सकता है कि कब से एक योनि का पता नहीं लगता; अंग्रेजी में उसे मिसिंगलिंक (missing link) कहते हैं। कदाचित् मनुष्य बड़ा है। हम नई व्यवस्था का प्रबन्ध करते हैं सही है, परन्तु प्रचलित व्यवस्था यदि बहुत उग्र रूप से समाज विरोधी नहीं है तो उसको मिटा देना भी प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा। ऐसे तो कहा ही जाता है कि एक आदमी के पास बहुत साधन हैं, एक के पास बहुत सी जमीन है उससे लेकर बांट दो, तो यह भावुक और सेन्टिमेंटल चीजें हैं, सवाल यह है कि किसान छोटा हो या बड़ा मेहनत करने के बाद कोई चीज वह पैदा करता है, उस पैदा करने वाले की आमदनी के ऊपर हम कुछ हद लगाने के लिये तैयार हो जाते हैं, जिससे उसके पैदा करने के साधन घट जाते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो कि अन प्रोडक्टिव (unproductive parostical) हैं। उनके पास बहुत बड़ी आमदनी है और उस बड़ी आमदनी पर हद लगाने के लिये हम कोई कार्य नहीं करते हैं।

मैं तो जोतों के छोटे करने के भी विरुद्ध हूं। मैं तो यह कहता हूं कि उनको अभी चलने दिया जाय। उनको अपनी राह में चलने दिया जाय। उनको इस बात को साबित करने का मौका दिया जाय कि वह समाज का एक काम शुरू कर रहे हैं। "Let them exist and justify their existence" उनको आप अपने अस्तित्व को उपयोगी साबित करने का मौका दें। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि जो बड़ी एग्रीकल्चरल लैन्ड होल्डिंग्स हैं, उन्हें ऐसा न करने दिया जाय कि वह कोई जमीन खाली छोड़ दें, उसमें कुछ पैदा न करें और अपना इनकमटैक्स भी इस तरह से कम रक्खें। उनके ऊपर इस बात का दबाव होना चाहिये कि वह कोई जमीन का हिस्सा बेकार न छोड़ें, हर जमीन में उनको पैदा करना पड़ेगा।

मैं आपकी आज्ञा से यह अर्ज करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन हुए गवर्नमेंट आफ इंडिया की मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर एंड फूड का जो मिशन विदेश गया था, उसने आकर यह बतलाया कि पोलैन्ड में जो बड़ी बड़ी जोत या (holdings) थीं उनको कम कर दिया गया, तो वहां पर उन्होंने देखा, जो उसका नतीजा हुआ। लैन्ड होल्डिंग्स जब छोटी हो गयीं तो सभी बाजारों में गल्ला कम आने लगा, क्योंकि जो छोटे काश्तकारों के पास गल्ला होता है, वह अपने खाने के लिये और बीज के लिये रख लेते हैं। लेकिन जो बड़े काश्तकार होते हैं, उनके पास जो गल्ला अधिक होता है, वह बाजार में बेच देते हैं। अगर बड़ी लैन्ड होल्डिंग्स होती हैं, उनको कम कर दिया जाता है तो बाजार में गल्ला नजर नहीं आयेगा। और लखनऊ और कानपुर के लोग मरने लगेंगे। मैं उस रिपोर्ट का एक हिस्सा आपके सामने पढ़ दूं।

"A ceiling of 50 hectors was imposed for individuals. (This is in respect of Poland, Sir.) The rent was reduced and all important commodities were regulated. The immediate result was, however. not an increase, but a decrease in the marketing surplus. The small

farmers had no surplus to sell. Soon the position became desperate and the Government was obliged to reverse its investment policy and increased the supply of consumer goods for the farmers and provided greater material by way of higher prices, etc.

तो यह कार्य करने पर वहां पर यह हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शायद मैं एक बजे से दो एक मिनट ज्यादा ले लूं और शायद आप उसकी इजाजत भी देंगे। मैं तो यह कहूंगा कि काम का बटवारा (distribution) होना चाहिये। उसका बटवारा होना चाहिये। जब तक काम का बटवारा नहीं होता है व्यक्ति का एक रास्ता (direction) नहीं होता है। उसको बहुत समय तक भ्रम में रहना होता है उससे बड़ा समय लोगों का नष्ट होता है कि हम इधर कूद कर जायं, उधर कूद कर जायं। इस उसूल को सामने रख कर मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की कोशिश होनी चाहिये जिससे कि जो खेती के चक हैं उनको बहुत नीचे की तरफ वितरित न किया जाय।

कोई समय था विलायत वगैरह में बड़े-बड़े राजा या Lords थे और उनके आसामी थे, दूसरा कोई नहीं था। उन लार्ड्स के पास रुपया जमा हो गया। अब उस रुपये को काम में लाने के लिये कौन आवे। उस रुपये को काम में लाने के लिये उन लार्ड्स के छोटे भाई आये और उनसे कहा कि तुम रुपया लाओ हम उसको काम में लायेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस रुपये से कारोबार करेंगे और कुछ पैदा करेंगे और आप को सूद देंगे। उनसे उन्होंने रुपया लिया और व्यापार और कारीगरी में लगाने लगे, कारखाने खुलने लगे। और उसका नतीजा यह हुआ कि आज योरुप एक इंडस्ट्रियल कन्ट्री है। जरमनी में अब भी ला आफ प्रिमेजनेचर है। वहां खेती का बटवारा नहीं होता है। जो बड़ा भाई होता है, उसको ही खेती मिलती है, वही उस खेती का मालिक होता है। नतीजा यह होता है कि होल्डिंग्स बटती नहीं हैं और अनइकोनामिक नहीं होती हैं। दूसरा नतीजा यह होता है कि छोटा भाई जानता है कि उसको खेत नहीं मिलेंगे और वह दूसरे काम की तरफ जाता है और यही वजह है कि इतना ठुकराया हुआ जरमनी आज भी इंडस्ट्री में सब से आगे है। मैं इस राय का हूं कि जो खेती इस समय है, उस पर कोई लिमिट नहीं होनी चाहिये। बारबार जमीन बटने से अनइकोनामिक हो जाती है। मेरी एक और भी राय है। मैं माननीय सदस्यों से और हिन्दुस्तान के विचारकों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे एक सवाल को रोज रोज न पैदा करें। कम से कम हमको एक स्थिति पर १० वर्ष तक तो रहना चाहिये। अगर हम एक पोजीशन पर नहीं रुकते हैं, तो लोगों के दिलों में अनिश्चितता पैदा होती है।

श्री कुंवर गुरु नारायण---यही राय तो विधेयक लाने के समय दी गई थी।

श्री परमात्मा नन्द सिंह---इससे लोगों में अनिश्चितता पैदा होती है और हमारे देश की पैदावार कम होती है। जिस समय यहां रेन्ट ऐन्ड इविक्शन बिल पेश था, उस समय मैंने निवेदन किया था कि किसी चीज की कमी को पूरा करने का तरीका कन्ट्रोल नहीं है, बल्कि यह कि उसकी पैदावार बढ़े। मकान तब तक ज्यादा न बनेंगे, जब तक लोग यह समझेंगे कि मकान की मिलकियत पर कोई खतरा है, कोई डर है। वही बात आज मैं फिर कहना चाहता हूं। मेरी जानकारी में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़े बड़े फार्म हैं और वह लोग अच्छी पैदावार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वह अपने फार्म की तरक्की इसलिये नहीं कर रहे हैं और रुपया इसलिये नहीं लगा रहे हैं कि उन्हें इत्मीनान नहीं है कि कल को यह जमीन उनके पास रहेगी भी या नहीं, इससे पैदावार को बड़ा धक्का लग रहा है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह फैसला कर दीजिए कि १० वर्ष तक हम इस सवाल को फिर न उठायेंगे वरना जो अनिश्चितता पैदा हो रही है, उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा, मकान अधिक नहीं बनेंगे, खेती नहीं बढ़ेगी। मैं इन शब्दों के साथ अपने भाई से निवेदन करूंगा, कि वह इस बिल को वापस ले लें।

श्री डिप्टी चेयरमैन—अब कौंसिल २ बज कर ३० मिनट तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १ बज कर १० मिनट पर अवकाश के लिये स्थगित हो गई और २ बज कर ३० मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा संतोष है कि इस विधेयक पर सदन के बहुत से माननीय मेम्बरों ने अपने विचार प्रकट किये। अधिकतर माननीय मेम्बरों ने इस विधेयक के समर्थन में अपने विचार प्रकट किये हैं। माननीय मंत्री जी ने जो अपना विचार प्रकट किया, उसमें भी माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसी दलील नहीं दी, जिससे यह प्रतीत होता हो कि माननीय मंत्री जी, जो विधेयक की भावना है, उस के खिलाफ हैं। माननीय मंत्री जी की पुस्तक "एग्रेरियन रेवोल्यूशन इन यू० पी०" उस दिन मुझे मिली, जिस दिन इस विधेयक पर बहस हो रही थी। उस पुस्तक को मैंने कई बार देखा। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि जो विधेयक मैंने रखा है, वह बहुत सही है। उस पुस्तक के पढ़ने के बाद मुझे यह मालूम हुआ कि सीलिंग आफ लैन्ड अवश्य होनी चाहिये। माननीय मंत्री जी ने उस पुस्तक में पेज नम्बर ५१ पर इन शब्दों के साथ सीलिंग आफ लैन्ड की जो स्पिरिट है, उसे प्रोत्साहन दिया है :

It is true, that, given equal facilities, large holdings do not produce as much per acre, as, rather they produce less per acre than small holdings; that, inasmuch as they are usually mechanized, they do not provide as much employment per acre as small holdings operated with bullock-power; that, supply of land in relation to persons seeking it being so limited, a ceiling on existing holdings is a measure dictated by the ideal of a socialistic pattern of society which we have set for ourselves; and finally, that small economic units conduce to better working of democracy.

इन शब्दों से यह प्रकट होता है कि यह जो बड़े-बड़े फार्म्स हैं और यह जो बड़ी-बड़ी होल्डिंग्स और फ़ार्म्स में उतना प्रोडक्सन नहीं होता है, जितना छोटे-छोटे फार्म्स में होता है। छोटे-छोटे काश्तकारों के जो खेत हैं, उसमें इस सिद्धान्त को माना गया है कि वहां पर लैंडलेस लेबरर जो हैं, उनको ज्यादा इम्पलायमेन्ट मिलता है। बड़े-बड़े फार्म्स में ज्यादा इम्प्लायमेन्ट नहीं मिलता है, इसको पूरी तरह से माना गया है।

दूसरी बात यह है कि जो आंकड़े माननीय मंत्री जी ने दिये हैं, उनके संबंध में मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात टेबिल दिया हुआ है, उसमें दिखाया गया है कि प्रत्येक स्टेट में कितने व्यक्तियों के पास भूमि है और कितने ऐसे हैं जो लैन्डलेस लेबरर का काम करते हैं। इसमें प्रायः सभी प्रदेशों के आंकड़े दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में लिखा हुआ है कि ६७.४ कल्टीवेटर्स हैं, जिनमें ५.६ लैन्डलेस लेबरर्स हैं। आसाम और राजस्थान को छोड़ कर बाकी ऐसे प्रदेश हैं, जहां काफी बड़ी संख्या में लैन्डलेस लेबरर्स हैं। बिहार में २१.९, मध्यप्रदेश में १२.७, मैसूर में २०.४, इस प्रकार से बमुकाबिले और स्टेट्स के उत्तर प्रदेश में लैन्डलेस लेबरर्स की तादाद कम है। इस आधार पर यदि हम ३० एकड़ या २० एकड़ के हिसाब से भूमि को रखें कि इससे ज्यादा किसी के पास न हो, तो जो जमीन बच जाती है, उसको हम लैन्डलेस लेबरर्स में बांट दें, जिनकी संख्या हमारे प्रदेश में कम है, तो बहुत से लोगों को रिलीफ मिल सकती है। और यह संख्या और भी कम हो सकती है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने अपनी पुस्तक में पेज ६२ में लिखा है कि अगर हम सीलिंग

आफ होल्डिंग्स के हिसाब से बंटवारा करते हैं, तो हमारे पास बहुत कम भूमि रहती है और उससे बहुत कम फैमिलीज का गुजारा होता है। एग्जेक्ट फिगर्स एक जगह दी गई हैं:

If available area is distributed in units of such holdings only 32,700 families will be provided.

इसका मतलब यह है कि ३२,७०० फैमिलीज को हम जमीन प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम इतना ही मान लें कि एक फैमिली में ५ आदमी हैं, तो लगभग डेढ़ या दो लाख को हम इम्प्लायमेंट दे सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा है कि बिल्कुल भूमि के वितरण से ही हमारा प्रदेश निर्भर नहीं रह सकता है। हमें अपने प्रदेश के लिये इंडस्ट्रीज भी खोलनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि यह ठीक है और वास्तव में होना चाहिये। छोटे-छोटे उद्योग-धंधे खुलने चाहियें, अगर उनके साथ-साथ अगर जमीन भी मिल जाती है तो हम एक लाख फैमिलीज में और वितरण कर सकते हैं।

श्री चरण सिंह (माल मंत्री)—जमीन कहां से आयेगी?

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि जो स्केल आपने दिया है कि अगर ३० एकड़ जमीन बांटी जाय तो ३२ हजार फैमिलीज प्रोवाइडेड होंगी। मैं अर्ज करता हूं कि आप ३० के बजाय और कम कर दीजिए, तो इससे ज्यादा आदमियों में बांट सकते हैं।

श्री चरण सिंह—३० और ३२ एकड़ आंकड़े तो हमने कहीं पर दिये नहीं हैं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—हर हालत में सीलिंग आफ होल्डिंग्स का जो सुझाव है, वह बहुत उचित है। एक बात से मुझे आश्चर्य हुआ और वह यह कि कुंवर साहब ने अपने भाषण में कहा था कि बिनोवा जी स्वयं सीलिंग नहीं चाहते। तो जहां तक उन्होंने विधेयक की मुखालिफत की है, उससे मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्यों कि उनको विधेयक की मुखालिफत करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि पिछले जितने जमींदार या ताल्लुकेदार थे, उन सबको इसकी मुखालिफत करनी चाहिये क्योंकि ९० फीसदी आज जो फार्म हैं, वह पुराने जमींदारों और ताल्लुकेदारों के ही हैं। क्योंकि उस वक्त जो उनके पास सीर थी, वह सारी की सारी भूमि उनको मिल गई थी। लेकिन एक बात का मुझे आश्चर्य हुआ, जब उन्होंने कहा कि जमींदारी अबालीशन में जितनी दिक्कत नहीं हुई, उतनी दिक्कत इस लैन्ड रिडिस्ट्रीब्यूशन में होगी। मैं नहीं समझता कि जब जमींदारी अबालीशन ऐसा बड़ा काम हमारे प्रदेश में कुछ ही सालों में हो गया तो रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ दि लैन्ड, जैसा कि माननीय मंत्री जी खुद कहते हैं कि छोटा काम है और थोड़े ही आदमियों से यह लेना है तो इसमें क्या दिक्कत होगी। विनोवा भावे जी के संबंध में दो माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। एक तो भट्ट जी ने और दूसरे कुंवर साहब ने कहा कि अब उन्होंने अपने विचार बदल दिये हैं। मैं तो कहता हूं कि जहां तक विनोवा जी का इससे संबंध है, अब भी वह रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैन्ड के पक्ष में हैं। मटरूकान्तीकम का एक स्थान है, वहां पर उन्होंने जून २५ को अपने भाषण में कहा है कि :

"We cannot expect that the present Government, manned mostly by the land-owning class, will enact such land legislation which will harm their own interests," he told a meeting in Shirunellur near here. "Even if the Government try to introduce land reforms they give ample time for the land-owners to distribute the land among themselves or sell their land so that they may not be affected by law."

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

यह विचार उन्होंने अपना एक जगह पर प्रकट किया है। उन्होंने जून २० को रडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैन्ड के संबंध में कहा है :

Acharya Vinoba Bhave. addressing a post prayer meeting at Madurantakam a village near here, yesterday said, that while he agreed that production should be increased, he did not believe that distribution of existing land should be delayed till production increased.

Illustrating his point by means of an analogy, the Acharya said, "Suppose there are five members in a family which can provide only for four. Do those four consume all and ask the fifth to wait until more is earned or provided for" ?

ये उनके इसके संबंध में विचार हैं और इन विचारों को जानने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वे ग्राम दान और भू दान में ही विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि वे इसमें भी विश्वास रखते हैं कि लेजिस्लेशन के जरिये से लैन्ड का बटवारा नये सिरे से होना चाहिये। यह बात उनके भाषण में स्पष्ट मिलती है।

इसी प्रकार से हमारे सिंह साहब ने कहा है कि यह मसला कोई आवश्यक मसला नहीं है और जब यह ऐसा मसला नहीं है, तो इतनी गंभीर समस्या के संबंध में ऐसे विचार यहां पर नहीं प्रकट होने चाहिये। आपने इसका कारण यह बताया कि जो बड़े-बड़े फार्म्स के होल्डर्स हैं, उनके दिमाग में यह शक होता है कि कहीं हमसे जमीन तो न छीन ली जावेगी। और इसका नतीजा यह होता है कि प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता है। मैं उनकी इन दोनों बातों से सहमत नहीं हूं। जिस मसले से हमारे प्रदेश की ८० प्रतिशत जनता का संबंध हो, उससे ज्यादा अहमियत का और क्या मसला हो सकता है। जहां बड़े बड़े फार्मर्स होल्डर्स को डर है और जिस डर के कारण वे अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको जमीन छिन जायेगी, तो इसके संबंध में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि समय ऐसा है कि वह अपनी चाल में किसी को नहीं छोड़ता है। हुकूमतें बदल जाती हैं और आदमी बदल जाता है, लेकिन जब समय के चक्कर में आते हैं तो जो समय की आवाज है, वह आदमी से भी काम करा देती है और गवर्नमेन्ट से भी काम करा देती है या उसे बदल देती है। जिस आवाज को हिन्दुस्तान की प्लानिंग कमीशन ने उठाया है कि सीलिंग आफ लैन्ड होना चाहिये वह समय की पुकार है और उसको हम बहुत समय तक टाल नहीं सकते हैं। इसको आप भले ही ५-१० वर्षों तक टाल दें, लेकिन जिसे देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने समझ लिया है कि बिना सीलिंग आफ लैन्ड के हमारी योजना नहीं चल सकती है और जिसका डाइरेक्टिव उन्होंने स्टेट्स को दिया है, उसको हम अधिक समय के लिये टाल नहीं सकते हैं।

जहां तक इस विधेयक के सिद्धांतों का ताल्लुक है, तो इस विधेयक में वही सिद्धांत हैं, जिनको हिन्दुस्तान के प्लानिंग कमीशन ने अपनाया है। जहां तक इस विधेयक के वर्किंग का सवाल है, तो मैंने सेलेक्ट कमेटी की बात रखी है। अगर इसमें कोई गलत बात हो, तो वह सुधारी जा सकती है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने में माननीय मंत्री महोदय को कोई विरोध नहीं होना चाहिये। मैं यह भी मानता हूं, कि आप इसको सेलेक्ट कमेटी में न भेजिए, तो कम से कम पब्लिक ओपिनियन के लिये भेज दीजिए। अभी सिंह साहब ने यह भी कहा कि अगर यह पब्लिक ओपिनियन के लिये भेज दिया गया, तो कोई इसको फेवर नहीं करेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आप इसको पब्लिक ओपिनियन के लिये ही भेज दीजिए तो आप को मालूम हो जायेगा कि कितनी पब्लिक इसके फेवर में है और कितनी नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके संबंध में पूर्णतः न्याय करेंगे।

*श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम होता है कि मैं इस मजमून पर पहले भी बोल चुका हूं और उस रोज जो कुछ मैंने कहा था, उसके अलावा मुझे और कोई नई बात नहीं कहनी है। मैं चाहता यह था कि उस रोज के नोट्स मेरे पास होते, तो जो बातें मेरे माननीय दोस्तों ने कही हैं, उनका ही जवाब दे देता, लेकिन मेरी गलती से वह नोट्स मेरी फाइल में नहीं हैं, इसलिये यहां मैं उन बातों का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन जो बातें मैंने आज सुनी हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा और पहले जो बातें मैंने कही हैं, उनको भी कुछ कुछ दोहराना जरूरी मालूम होता है। मैंने जो तकरीरें सुनी हैं, खास तौर से तेलू राम जी की और प्रताप चन्द्र आजाद जी की, ऐसा मालूम होता है कि जैसे उनको रिऐक्शनरी लोगों के सामने तकरीर पेश करने की जरूरत आ गयी हैं, ऐसे लोग, जो न समय की चाल को जानते हैं, न समय की गति को जानते हैं और प्लानिंग कमीशन ने क्या लिखा है, न इस बात को जानते हैं और समय की गति के साथ साथ उनको मजबूर होना पड़ेगा या यह कि क्रान्ति होकर रहेगी, इस तरह की बातें करना, यह ऐसी भावना है कि मान लिया जाय कि जो ट्रुथ है वह रिवोल्यूट करेगा कुछ लोगों को और बाकी यह गवर्नमेंट तो कान में तेल डाले पड़ी है और जो समय का तकाजा है, उसको गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे शिकायत यह है कि शायद जो बातें मैंने पहले जमाने में भी अर्ज की थीं, उन बातों के ऊपर गौर नहीं किया गया और जो इस सिलसिले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से लिट्रेचर तकसीम हुआ, पेपर में भी वक्तन-फवक्तन आर्टिकिल निकलते रहे और सन् ५५ में, नेशनल हेराल्ड में इस सिलसिले में दो आर्टिकल मैंने निकाले और बहुत तफ-सील के साथ उसमें बयान किया गया, उनको पढ़ने की तकलीफ बहुत कम लोगों ने गवारा की है और मेरे लिये कुछ ऐसा ख्याल हो गया है कि अभी इस जिन्दगी में कोई शरीक नहीं हुआ है।

जहां तक भूमि वितरण के उसूल का ताल्लुक है और बड़ी होल्डिंग्स हमारे मुल्क में नहीं रहनी चाहिये, जहां तक इस प्रश्न का संबंध है तो मैं यह अर्ज कर सकता हूं कि शायद मैंने ही पहले पहल यह आवाज उठायी थी और मैं बड़ी होल्डिंग्स के बहुत मुखालिफ, मिकेनाइज्ड होल्डिंग्स के बहुत मुखालिफ था। पेपर ने मेरे लिये लिखा था कि जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, बहुत रिऐक्शनरी हैं। तो जब मैं यह बताता रहा हूं कि बड़ी होल्डिंग्स हमारे देश के लिये हितकर नहीं हैं और मैं खुद इस बात को मानता रहा हूं कि छोटी होल्डिंग्स हमारे देश के लिये हितकर हैं, बड़ी मिकेनाइज्ड होल्डिंग्स हमारे देश के लिये हितकर नहीं हैं, तो मैं जो बातें आज कह रहा हूं, वही पहले भी कह चुका हूं और फिर भी कहना चाहता हूं, लेकिन रिडिस्ट्रीब्यूशन का बाकायदा कोई प्रोग्राम बनाना, उसकी इस सूबे के लिये जरूरत नहीं है। एक तरह से बजाहिर परस्पर विरोधी बातें मालूम होती हैं, इसलिये यह और भी जरूरी हो जाता है कि माननीय सदस्य मेरा दृष्टिकोण और इस गवर्नमेंट का दृष्टिकोण समझने की कोशिश करें। मेरे दोस्त यह महसूस करते हैं कि मैं बहुत कुछ तब्दील हो गया हूं और इसलिये उनकी बात को नहीं मानता हूं। छोटी होल्डिंग्स के क्या फायदे हैं, वह तो मैं खुद ही तस्लीम करता हूं और अब इसकी तफसील में जाना नहीं चाहता, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि जो चीजें थ्योरिटिकली मुनासिब हैं, वह हर जगह इस सूबे के सरकम्स्टांसेज और कन्डीशन को देखते हुए नाफिज नहीं की जा सकती हैं, बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि उनको नाफिज करने की जरूरत ही नहीं है। दो और दो चार होते हैं, यह ठीक है लेकिन इस तरह का एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है, वह ऐडमिनिस्ट्रेशन में कहीं पासिबिल नहीं है। आदमी को और भी बातें देखनी होती हैं, जिन बातों का प्रदेश में मजमुई असर पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है इसलिये हमको इस तरह का प्रोग्राम लांच करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आजाद साहब ने कहा कि शायद आसाम को छोड़ कर बाकी सब सूबों के मुकाबिले में उत्तर प्रदेश में किसानों की तादाद अधिक है। मैं तो समझता हूं कि यदि

*मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

हम अपने सूबे में किसानों की संख्या और अधिक बढ़ाते हैं, तो शायद यह हमारे लिये हितकर नहीं होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा देश मालदार नहीं हो सकता है। हमारे प्रदेश में मेरठ में ५.९९ एकड़ होल्डिंग पड़ती है, एक परिवार के पास, मुजफ्फरनगर में ७.२ एकड़ होल्डिंग पड़ती है, सहारनपुर में शायद ८ एकड़ के करीब है। देवरिया में २.९७ एकड़ होल्डिंग एक किसान के पास है। बस्ती में ३.४८, आजमगढ़ में ३.३४ हैं। बनारस, बलिया और गाजीपुर में सवा चार एकड़ के करीब हैं। गोरखपुर में तीन, सवा तीन और साढ़े तीन एकड़ के करीब है। गोरखपुर और मेरठ में अन्तर है, लेकिन वहां पर, पर कैपिटा जमीन बराबर है। मेरठ में ४३ परसेंट आदमी खेती करता है, मुजफ्फरनगर में ४५ परसेन्ट खेती होती है। इसी तरह से मुख्तलिफ जिलों में मुख्तलिफ तादाद है। गोरखपुर के मुकाबिले में मेरठ की काफी अच्छी हालत है। वहां पर खेती में पैदावार भी अच्छी होती है। यदि हम देवरिया और गोरखपुर में सेन्टपरसेंट खेती करने वाले कर दें तो भी मैं समझता हूं कि वे लोग मेरठ का मुकाबिला नहीं कर सकेंगे। मैं तो समझता हूं कि इसमें कोई खास बात नहीं है। मैं कहता हूं कि यह देवरिया के साथ अन्याय है। इससे ज्यादा डिससर्विस देवरिया के लोगों के लिये और कुछ नहीं हो सकती है कि ८४ या ८५ के बजाय सौ फीसदी लोगों को वहां पर खेती के लिये डाल दें। यह जो एकानामिक की थ्योरीज या पालिसीज हैं, यह सभी परिस्थितियों में एकसी नहीं रहती और हर जगह पर ठीक नहीं रह सकती हैं। मैंने यह भी आप से कहा कि सबसे बड़ी तादाद किसानों की आसाम में है। यहां पर एग्रीकल्चरल लेबर की तादाद ५.७ प्रतिशत है।

एक दूसरी बात यह भी है कि यहां पर बड़ी होल्डिंग्स की तादाद सब से कम है। यह ५.७ प्रतिशत जो नान एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं, उनको खेती में लगा देने से ही सूबे का फायदा है और अगर उनको जमीन दी जाती है, तभी सूबे को लाभ हो सकता है, अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं हो सकता हूं। यहां पर जितने पब्लिक सर्वेन्ट्स हैं, पब्लिक वरकर्स हैं, वे अपने जिलों में, इलाकों में, पार्टी मीटिंग में, प्लानिंग कमेटी में, तहसीलों में, गावों में, लैन्ड मैनेजमेंट कमेटीज में जा कर यह कहें कि हर एक को एक एक एकड़ जमीन इस तरह से दे दी जाय, तो सारे मसले हल हो जायेंगे, तो इसके लिये मेरा कहना यह है कि यह कोई जादू की लकड़ी तो है नहीं कि ऐसा होने से हमारे सूबे के सभी मसले हल हो जायेंगे और अगर इस तरह करने से हल भी हो जायेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह हमारे सूबे के लिये बदकिस्मती है। आप लोग शायद ऐसा समझते हैं कि इस तरह की बात यहां कर के आप अपने यहां के रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी को पूरी तरह से निभा रहे हैं। भावना और जज-बात की बिना पर इस तरह से भूमि बांटकर आप सभी मसले को हल कर सकते हैं, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं तो कहता हूं कि फिर ३० एकड़ भी क्यों रक्खा जाय, साढ़े चार एकड़ कर दीजिए। हमारे यहां ८९ लाख किसानों की तादाद है और इस तरह से सब के लिये आप साढ़े चार या पौने पांच एकड़ जमीन कर दीजिए, बिस्वा बिस्वांसी से आप उसे पूरा कर दीजिए, तभी यह गाड्स जस्टिस होगा, और पूरी तरह से जस्टिस इस संबंध में तभी हो सकती है। वैसे इस तरह से तो प्रताप चन्द्र जी के चार लड़के हुए, मेरे १२ हो गये, फिर तकसीम कैसे होगा ?

एक सदस्य--फैमिली प्लानिंग कीजिए।

श्री चरण सिंह--फैमिली प्लानिंग में भी ऐसा ही होता है। वह तीन से शुरू करेंगे, मैं एक से शुरू करूंगा। इसके लिये तो मैंने यह कहा कि अगर मनुष्य ने जन्म लिया है, तो वह मनुष्य मरेगा जरूर और इसके लिये वाद विवाद की जरूरत नहीं है। मनुष्य चाहे वह दुनिया में कहीं भी आया हो, वह मरेगा जरूर, और इसके लिये हर जगह एक ही विधान है। लेकिन हमें भूमि के संबंध में जो बंटवारे की बात है, उसके लिये अपने यहां की परिस्थिति पर भी विचार करना चाहिये।

मेरे सहयोगी ठाकुर साहब ने जर्मनी की मिसाल दी। तो योरोपियन कन्ट्रीज के लिये जहां की परिस्थितियां यहां से भिन्न हैं, कई बातें ऐसी संभव हो सकती हैं, जो कि यहां पर नहीं हो सकती हैं। मैं तो दूसरी दृष्टि से अपने देश की बात देखता हूं और मैं तो इससे देश की या सूबे की बदकिस्मती समझूंगा जब कि यहां पर सभी लोगों के पास जमीन हो जायगी। गांव से जो लड़के शहरों में पढ़ने के लिये आते हैं, वे यहां पर जरूरी नहीं हैं कि उतनी ही मेहनत करें, जितनी की यहां के लोग करते हैं और वह इसलिये कि वह सोचता है कि अगर मैं बी० ए० पास नहीं भी हूंगा, तो मेरे हिस्से की वहां पर दो एकड़ जमीन तो है ही, गुजर करने के लिये वही काफी है। लेकिन किसी कलेक्टर या कमिश्नर का लड़का जिसके घर में कोई जमीन नहीं है, उसे तो अपने बाप के मरने के बाद अपने ही पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। "He will have to stand upon his own legs"। मेरा अपना एक्सपीरिएन्स है, उसे मैं बतलाता हूं। नान एग्रीकल्चरल क्लास के लड़के ज्यादा काबिल होते हैं, वह ज्यादा मेहनत से पढ़ते हैं और ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। उनको इस बात की कानशसनेस रहती है कि अगर वह नहीं मेहनत करते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो आगे चल कर क्या वह काम करेंगे। अगर सब लोगों के पास जमीन हो जायेगी तो फिर मेरा कहने का मतलब यह है कि हम बैकवर्डनेस की ओर जायेंगे। एक बात यह भी है कि जिसके पास जमीन है वह घर छोड़ कर बाहर नहीं जाना चाहता। किसान यह सोचता है कि अब की बाढ़ आ गयी तो फिर पैदा हो जायेगा। अब की ओला पड़ गया तो अगले साल फसल अच्छी हो जायेगी। land never disappoints उससे कुछ न कुछ आशा बनी ही रहती है। इसका दूसरा पहलू यह है कि जमीन छोड़ कर आदमी बाहर नहीं जाता है। यह जमीन आदमी के पैरों में जंजीर डालती है, यह जमीन किसानों के पैरों में बेड़ी डाल देती है और वह अपने घरों को छोड़ कर बाहर नहीं जा सकते। यही बात मैंने गोरखपुर में कही थी। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सभी स्टेट गवर्नमेंटस से यह कहा था कि उनके स्टेट्स के अन्दर जो जमीन खाली है, जिसको एग्रीकल्चर के लिये काम में लाया जा सकता है, वहां पर हम कुछ लोगों को सेटिल करना चाहते हैं। इस पर सभी स्टेट्स गवर्नमेंट्स ने यह कहा कि हजार पांच सौ जितने भी आदमियों को बसाना हो, उनकी एक फेहरिस्त भेज दें, उनको हम सेटिल कर देंगे। उसका रेवेन्यू कमिश्नर के पास जो जवाब आया, मेरे पास फाइल मौजूद है, जो साहब देखना चाहें, उसको मेरे पास देख सकते हैं। हमारे यहां लखीमपुर खीरी जिले में कुछ जमीन है, वहां पर भी लोग नहीं जाना चाहते हैं। अंडमान में कौन जायेगा। अगर घर में सौ रुपया मिले और बाहर डेढ़ सौ रुपया मिलता हो, तो लोग सौ रुपया लेना अच्छा समझते हैं। इंगलैन्ड जैसे कंट्री के लोग हजारों मील दूर अपने घर से बाहर चले जायं और हमारे यहां के लोग अपना घर न छोड़ें। वह भी एक जमाना था जब हम लोग इंडो-चाइना गये, वहां पर से और आगे गये और जब जमाना पतन का आया, हमने बाहर जाने पर रोक लगा दी। लेकिन इंगलैन्ड के लड़के एबसर्टमाइन्डेडनेस के फिट में जैसा कि वह लोग कहते थे अपने घर छोड़ कर बाहर चले गये और वह दुनिया में राज करने लगे, यह बात मैंने कही थी। इस पर लोगों ने कहा कि मैं अंडमान भेजने की बात कहता हूं। मेरे पास तो एप्लीकेशन्स भेजनी चाहिये थीं लेकिन लोग बुरा मान गये। मैं लोगों को अंडमान भेजने की बात कहता हूं, तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि जमीन से बेड़ियां पड़ जायगी। यह रिपोर्ट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से छपी है, उसमें लिखा हुआ है। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है। प्लानिंग कमीशन में बड़े-बड़े लोग हैं, उसका हवाला देकर हमने कुछ बात लिखी है। अगर आप पढ़ेंगे तो प्लानिंग कमीशन ने वही रिकमेंडेशन्स की हैं जो कि गवर्नमेंट कर चुकी है। जो उनकी रिकमेंडेशन्स हैं, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ कर आप देखेंगे और उसकी जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, जिसकी बेसिस पर वह रखी गयी है, तो आप देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन राइट आफ रिडेम्प्शन चाहता है। वह मान लेता है कि जैसे कोई स्टेशन मास्टर है उसकी जमीन है, वह कोई लिये है तो उसे खुदकाश्त के लिये उस जमीन को बेदखल

[श्री चरण सिंह]

करवाने का हक है। जब वह रिटायर हो कर आये, तो जमीन बेदखल करा लिया, खुद काश्त के लिये। यह रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन ने दी है। आपके यहां क्या हुआ। यहां यह हुआ कि एक बीघा जमीन भी बेदखल नहीं कराई गई, जमींदार की काश्त के लिये। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन ने इस बात का रिकमेंड किया था। सेकेन्ड प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है कि उससे बड़ा कन्फ्यूजन हुआ है, बहुत से लोग बेदखल हुए हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन एक साहब जो इंचार्ज हैं, उन्होंने मुझसे बताया है कि इससे बहुत से लोग बेदखल हुए हैं। सेकेन्ड प्लान में अब भी राइट आफ रिडम्पशन है। टेनेन्ट्स की बात छोड़ दीजिए, हमने सब टेनेन्ट्स तक को बेदखल नहीं किया है और कहां तक कहूं कि जो नान आक्यूपेन्सी टेनेन्ट्स हैं, वह तक बेदखल नहीं हुए हैं। ५८९०००० या ५७९०००० के नाम साढ़े पचीस लाख एकड़ जमीन दर्ज थी। उनको भी हमने बेदखल नहीं कराया, "Then what to say of zamindars" अब यह सब कुछ हो गया है। दूसरे सूबों की बात लोगों के सामने आती नहीं है और वे प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने की तकलीफ नहीं उठाते, नहीं तो उनको मालूम हो जाता कि दूसरे सूबों में क्या हो रहा है और हमारे यहां क्या हो चुका है। कहते हैं कि जमींदारी तो खत्म किया, अच्छा किया जैसा तेजूराम जी अभी कह रहे थे, लेकिन वह देखें कि हमारे वहां क्या हो चुका है। प्लानिंग कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी हैं, उससे ज्यादा हमारे वहां हो चुका है। मैं भी इस गवर्नमेंट का एक जिम्मेदार आदमी हूं। मैं कोई क्रीटीसाइज तो नहीं करता लेकिन जो कुछ प्लानिंग कमीशन ने रिकमेंड किया है, उससे ज्यादा यहां हुआ है। प्लानिंग कमीशन ने पहले तो बेदखल कर दिया फिर राइट आफ रिडम्पशन दिया। तो मेरा कहना है कि यहां तो टेनेन्ट और सब टेनेन्ट को छोड़ दीजिए, नान-आक्यूपेन्सी टेनेन्स तक बेदखल नहीं हुए। दूसरी जगहों पर यह हो रहा है कि पहले बेदखल कर रहे हैं। वहां यह होम फार्म्स कहलाते हैं। होता यह है कि पहले उनको बेदखल करो और फिर लैन्ड को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाय। मेरा कहना है कि आज जो खेती कर रहे हैं, पहले उनको पक्का कर दिया जाय। इसलिये प्लानिंग कमीशन की बात हमारे वहां ठीक नहीं बैठती है। हां, मान लीजिए, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता हूं, अगर मेरी भूमि वहां होती और मैं जमींदार होता तो मैं कहता कि रिडिस्ट्रीब्यूशन करो। वहां किसानों की तादाद कम है और लैन्डलेस लेबरर की तादाद बहुत ज्यादा। जो टेबिल मैंने देखी है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रावनकोर-कोचीन में खेती में लगे हुए लोग जो हैं, वह ५३.६ हैं और एक्चुअली खेती करने वाले लोग ३३.४ हैं और २०.२ लेबरर हैं। हमारे यहां ६७.५ जमीन के काश्तकार हैं और ५.७५ लेबरर हैं। आज केरल में कम्यूनिस्ट गवर्नमेंट बनी हुई है। उसका खास कारण यह है कि कांग्रेस सरकार वहां पर जमींदारी को खत्म नहीं कर सकी और लेबरर्स को जमीन नहीं दे सकी। अगर आपने अखबार पढ़ा हो तो उसमें है कि वहां पर हाल्ट इन लैन्ड रिफार्म था। पी० एस० पी० ने ६ बिल पास किये, वह मेरे पास रखे हैं। मैंने उनको देखा कि शायद कोई ऐसी चीज मिल जाय, जिसको हम नकल कर सकें, लेकिन कोई चीज उसमें नहीं मिली। इसीलिये लोगों को यह बात अपील करती है कि जिनके पास भूमि नहीं है वह भूमि पर कब्जा कर लें। और भी रीजन्स रहे होंगे। शेडयूल्ड कास्ट के लोगों के साथ बुरा बरताव होता होगा। दूसरी स्टेट्स में आप देखेंगे, वहां पर प्रोपोर्शन लेबरर का कल्टीवेटर के मुकाबिले में बहुत ऊंचा है। हमारे यहां का रेशियो— ८ परसेंट है, जब कि उनके यहां ६० परसेन्ट और ४० परसेन्ट हैं। यही वजह है कि वहां यह सवाल पैदा हुआ। यही सवाल मध्य प्रदेश में उठ सकता है फिर देखना पड़ेगा उपाध्यक्ष महोदय, अगर २५ लाख एकड़ से लोगों को बेदखल कर दिया जाय और उसके बाद रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाय तो फिर आजाद साहब कहेंगे कि यह सरकार बहुत खराब है। किसी ने कहा मैंने असेम्बली में जवाब दिया था और बुकलेट में टेबिल दे दिया था। एक बार मैं सेन्सस की रिपोर्ट पलट रहा था, उसमें मुझे एक टेबिल मिल गई कि हरिजनों के पास कितनी जमीन है। हम सब का यह ख्याल था कि लैन्ड रिडिस्ट्रीब्यूशन में जो नीची श्रेणी के हैं, उनके पास

जमीन कम है और कास्ट हिन्दू के पास ज्यादा जमीन है। लेकिन जितने अधिवासी और शिकमी हैं उनमें ९० परसेंट हरिजन हैं, जिनको राइट हो चुका है। टेबिल यह कहता है, पेज ५७ पर यह लिखवा दिया गया है और कल मिल जायेगा, उससे जाहिर होगा कि १००० अगर सूबे में आदमी हैं। तो उसमें से ७४२ एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं उसमें ६.७ किसान हैं और ५.७ और हैं। शेड्यूल्ड कास्ट के लोग जो खेती करते हैं उनमें १००० में से ७८५ के पास जमीन है। इस तरह से ६१ परसेंट खेती करते हैं और १७.२ एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनमें से ६१ फीसदी आदमियों के पास लैन्ड है। अपने मन के अन्दर से यह ख्याल निकाल देना चाहिये कि जिनके साथ हमने अन्याय किया है, उनके पास जमीन नहीं है। उनके पास जमीन होनी चाहिये, ऐसी बात नहीं है। अब कुल जमीन और बड़ी होल्डिंग्स कितनी है। २० या ३० हजार एकड़ है। यह फीगर हमने एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट से लिया है, दो साल से यह काम हो रहा है। ३० एकड़ से बड़ी होल्डिंग्स की तादाद २२२३४ है। अब उनमें वह होल्डिंग्स निकाल दीजिये जो झांसी और आगरा जिले में हैं जहां का दो एकड़ एक एकड़ के बराबर है। इस प्रकार से जो होल्डिंग्स रह जाती है। जिसको स्टैन्डर्ड कहते हैं, वह २०,४८७ है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मेम्बर ने जो विधेयक यहां पेश किया है, उसमें लिखा है। आबजेक्ट्स और रीजन्स में :—

After the abolition of zamindari, the big landlords took possession of the land belonging to large numbei of tenants with the result that on the one hand there are people who are now big tenants and possess land much in excess of their own requirements and on the other there are tenants who have particularly no land.

लैन्ड नहीं होगी, तो टेनेन्ट्स कैसे कहलायेंगे। अखबार में निकल जाता है उसी को देख लेते हैं। माननीय आजाद साहब का भी यही ख्याल है कि केवल शिकायत है कि वे अखबार से ले लेते हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशन्स जो है, उससे लेना चाहिये। ३० से ३५ एकड़ के बीच की जो होल्डिंग्स हैं, उनकी तादाद २२७४ है और ४० एकड़ के बीच जो होल्डिंग्स हैं, वह ३७३८ है। ३५ से ४० एकड़ के बीच की जो होल्डिंग्स है, वह २७४२ है। इसको मैं दूना मान लेता हूं, तो वह ७,४०० हुई। यह फीगर जो मैंने दी, वह दो साल पहले की है। यह १३६२ फसली की फीगर है। दो साल पहले १ लाख १४ हजार जो होल्डिंग्स थी वह घटकर १ लाख १४ हजार से ३० हजार रह गई है। देखना यह है कि अबालिशन के बाद होल्डिंग्स घटी हैं या बढ़ी हैं। यह कहा जाता है कि काश्तकार बेदखल हो गये, जमींदारों ने कब्जा कर लिया। लेकिन असलियत तो यह है कि अगर एक काश्तकार का खेत आ गया तो नीचे से ऊपर तक सारा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हिल गया। एक काश्तकार के लिये जितने सिम्पैथैटिक रेवेन्यू आफिशियल्स हैं, उससे ज्यादा और नहीं हो सकते। वे पूरी तरह से सैचुरेटेड हैं गवर्नमेंट के आइडिया से।

ब्यूरोक्रेसी की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। कहने वाले कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी बढ़ रही है। लेकिन जितना दोष बताया जाता है, उतना नहीं है। अगर दोष है तो वह हमारा दोष है, उनका नहीं है। हम उनसे चाहे जिस तरीके से काम ले सकते हैं। वे तो इन्स्ट्रूमेन्ट हैं, काम करने के। बेदखली का कहीं सवाल ही नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मालूम नहीं, कहां से यह बात ले आये हैं कि किसानों की बेदखली हुई। किसी और सूबे में हुई हो और यहां के अखबारों ने छाप दी हो, ऐसा हो सकता है। मैं प्लानिंग कमीशन की एक बात बतलाना चाहता हूं। उसका कहना है कि तीन फैमिली होल्डिंग्स से ज्यादा अगर जमीन बचती हो तो वह तकसीम होनी चाहिये। फैमिली होल्डिंग्स की जो तारीफ की है, पेज ६० पर, इस प्रकार है कि जिस जमीन की नेट इन्कम हो १२ सौ रुपये की, वह जमीन मानी जानी चाहिये होल्डिंग्स

[श्री चरण सिंह]

में। हम रफ कैल्कुलेशन से ७५ रुपया एक एकड़ की नेट इन्कम मानते हैं। १२ सौ रुपये आमदनी होनी चाहिये। ३ फमिली होल्डिंग की इजाजत देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि ३६ सौ रुपये जिस जमीन की आमदनी हो जाय, उसकी सीलिंग होनी चाहिये। ४८ एकड़ की आमदनी उत्तर प्रदेश में ३६ सौ रुपये हुई। यह प्लानिंग कमीशन के हिसाब से लिमिट हुई। अगर एक फैमिली पांच आदमियों की हो तो उसकी एक होल्डिंग होगी। लेकिन किसी फैमिली में ५ से भी ज्यादा आदमी हो सकते हैं। अगर हम ५ आदमियों की ही फैमिली मान लें तो प्लानिंग कमीशन के हिसाब से जो ५० एकड़ से ज्यादा की होल्डिंग होगी, वे तकसीम होंगी। इससे छोटी बैंक नहीं की जा सकती।

अब यह ५०, ५० एकड़ के हिसाब से जमीन निकाल दीजिये तो ५ लाख २३ हजार एकड़ जमीन रह जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रताप चन्द्र आजाद जी और श्री लल्लू राम जी से पूछना चाहता हूं कि जब यह छोटे-छोटे किसानों को तकसीम किया जायेगा, तो इससे कितनी बेरोजगारी दूर होगी। मैं मानता हूं कि इससे कुछ होगा, लेकिन वह होगा कैसे। मैंने एक पैम्फलेट निकाला था, उसमें मैंने लिखा था कि सांप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे, इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूशन करें। इसके अलावा और कोई तरीका हो सकता है, तो उसके ऊपर विचार करना चाहिये। एक बात गवर्नमेंट, जिसके सामने बहुत मसले होते हैं वह हर काम को उठाती नहीं है। जिस योजना में सरदर्द बहुत है और फायदा कम है उसको कोई गवर्नमेंट नहीं उठाती है। मैं तो खुद छोटी-छोटी होल्डिंग्स के खिलाफ हूं, इसी वजह से कोआपरेटिव फार्मिंग की बात की जाती है कि लार्ज युनिट्स से ज्यादा पैदावार होती है। मैं कोआपरेटिव फार्मिंग के सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ एक प्रबल आर्गूमेन्ट यह है कि लार्ज होल्डिंग्स से पैदावार अधिक होती है।

In view of the advantages that will accrue.

प्रताप चन्द्र आजाद जी ने किसी दिन कलम उठायी और बिल बनाकर दे दिया। कन्स्टीट्यूशन में यह अमेंडमेंट हुआ है कि कम्पेन्सेशन जस्टीफाइबल है : अब अगर ५० लाख एकड़ जमीन ऐसी हो कि जो अब तक कुछ टूट चुकी हो, तो अगर उसका कम्पेन्सेशन देना हुआ और ५०० रु० फी एकड़ भी दिया गया, तो २५ करोड़ रुपया देना होगा। यह रुपया उन गरीबों के पास तो हो नहीं सकता, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है तो वह गवर्नमेंट ही को देना होगा। फिर वह २५ करोड़ कहां से आयगा। १०,११ करोड़ तक की बात रहे तो कोई बात नहीं। फिर वह जमीन कहीं होगी और वहां कहीं और जगह से आदमी ले जाकर बसाना होगा, जिसके लिये तकावी, मकान, बैल आदि का भी प्रबन्ध करना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और है कि जहां जमीन है वहां रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक जमीन लखीमपुर से पीलीभीत तक फैली है, वहां हमें आदमी देवरिया से ले जाकर रखना पड़ेगा। २५ एकड़ बिजनौर में होगी, ४० एकड़ मेरठ में होगी, इसी तरह से और जिलों में भी ५०, ६० एकड़ होगी, जो कोसों दूर पर फैली होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, ८९ लाख किसान फैमिली हमारे प्रदेश में हैं। इनमें केवल ८ हजार की ऐसी होल्डिंग्स हैं, जो कि तकसीम होने के काबिल हैं। कहने का मतलब यह है कि १००० किसानों में से एक किसान के पास इतनी जमीन है, जो कि तकसीम होने के काबिल है। हो सकता है कि आजाद साहब ने अपने यहां कोई बड़ी होल्डिंग्स देख ली हो और फिर सोचा हो कि अगर वह तकसीम हो जाय तो शायद पूरे बरेली का ही मसला हल हो जाय। खैर, इस बात को रहने दीजिये, लेकिन एक होल्डिंग्स एक जगह पर नहीं है, बल्कि बीच-बीच में बिखरी हुई है। जहां पर कोई होल्डिंग है, वहां पर लेने वाला नहीं मिलेगा। मेरठ और देवरिया से तो कोई वहां बसने आयेगा नहीं। अगर कोई आयेगा भी तो बैल और बीज का इन्तजाम करना पड़ेगा तो इसके लिये रुपया कहां से आयेगा और फिर यह सवाल उठेगा कि कौन इसको तकसीम करे। यह जो आजाद साहब ने बोर्ड बनाया है

उस पर बेईमानी का रोज इल्जाम लगाया जायेगा। जो इन्होंने सेक्रेटरी रखा है, उसके खिलाफ रोज हल्ला होगा। इसकी जगह पर आपको कोई डिप्टी कलेक्टर रखना होगा तो इतना खर्चा कहां से आयेगा। फिर जो जमीन पहले बंटेगी, वह इन्फीरियर होगी, तो इस बंटवारे का काम कोई जिम्मेदार आदमी ही कर सकता है। एक सवाल फिर यह उठेगा कि जमीन तो १००० को चाहिये, लेकिन १० को ही दे सकते हैं तो किस को पहले दी जाय। आज तीन चौथाई किसान ऐसे हैं, जिनके पास १० बीघा पुख्ता जमीन है। दो एक बीघा जमीन दे कर तो आप लोगों को और गरीब बनाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास स्टैटिक्स तो नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि गाजीपुर का दो बीघा का मालिक उतनी अच्छी हालत में नहीं है जितनी अच्छी हालत में मुजफ्फरनगर का एक लैन्डलेस लेबरर होगा। मैं शामिली एक नुमायश में गया था। वहां पर एक पशु-प्रदर्शनी भी हुई। मैंने उसमें कुछ पूर्वी जिलों के एम० एल० एज० को बुलाया था। गेन्दा सिंह जी तो नहीं आये, लेकिन एक साहब आजमगढ़ के और एक साहब गाजीपुर के आये थे। जिस गाय और भैंस पर मेरी निगाह पहुंची तो उसके मालिक से मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा कि बुद्धू। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या काम करते हो तो उसने कहा कि बगार का काम करता हूं। वहां पर भी लैन्डलेस लेबरर्स हैं, लेकिन इतनी खराब हालत में नहीं है, जितनी कि पूर्वी क्षेत्र में हैं। अब आप बतलाइये कि वह आदमी अच्छा है, जिसके पास १०, १५ सेर दूध देने वाली भैंस है या वह आदमी अच्छा है, जिसके पास २ बीघा तो जमीन है और उसको इतनी जमीन का बड़ा भारी नशा है कि मेरे पास जमीन है। १० एकड़ से कम जमीन किसी के पास नहीं होनी चाहिये, तभी हालत अच्छी हो सकती है। दो-एक बीघा जमीन देने से किसी की हालत अच्छी नहीं हो सकती है। हमारे यहां तीन चौथाई फेमिलीज ऐसी हैं जिनके पास सवा छ एकड़ से कम जमीन है, तो पहले किस को देंगे। जो यहां की एग्रेरेयिन पिक्चर है, वह इस तरह से जमीन तकसीम करने से अच्छी नहीं हो सकती है। ८९ लाख फैमिलीज में से अगर आपने १०, २० हजार में यह जमीन बांट भी दी, तो क्या फायदा हुआ। मैं समझता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश से ५० लाख आदमी अन्डमान निकोबार भी चले जांय तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि यहां पर फैमिली प्लानिंग नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक कहानी याद आ गयी। यह कहानी मैंने दर्जा दो में पढ़ी थी। साइबेरिया का किस्सा है, वहां पर बर्फ बहुत पड़ती है और साथ ही रातें भी बहुत बड़ी होती है। एक रईस आदमी अपनी चार घोड़ों की बग्घी में जा रहा था तो कुछ भेड़िये उसके पीछे लग गये। एक बात यह भी है कि साइबेरिया में भेड़िये अधिक होते हैं।

उस रईस के दरबान ने एक घोड़ा छोड़ दिया, भेड़िये उस घोड़े को खा लेने के बाद फिर १५ मिनट में पीछे आ लगे, मुश्किल से चार मील ही उन्होंने तय किया होगा, जब देखा कि कि भेड़िये फिर पीछे लग गये हैं तो उसने दूसरा घोड़ा छोड़ दिया, मुश्किल से दस मील कटे कि फिर भेड़िये पीछे आ लगे, उसने फिर तीसरा घोड़ा छोड़ दिया, यह ख्याल करके कि अब तो मंजिले मकसूद आ ही गया है, तब तक शहर में पहुंच जायेंगे। तीसरे घोड़े को भी खा करके भेड़िये फिर पीछे आ धमके तो उसमें स्वामिभक्त नौकर की बात आती है, वह किताब शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, जब भेड़िये पीछे पड़ गये और शहर बहुत ही नजदीक रह गया तो वह स्वामि भक्त नौकर ही खुद कूद पड़ा था, इतनी देर में वह रईस शहर में पहुंच गया। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह जमीन का तकसीम करना ऐसा है जैसा कि घोड़े छोड़ दिये, लेकिन वह जो पावर्टी नामक भेड़िया है, वह हर दो-दो मील में उसके पीछे पड़ा रहता है। यह ऐग्रेरियन का मसला ही बहुत जटिल है काश्तकार की पैदावार बढ़ी और इसके बाद भी कोशिश करने पर दुगुनी, तिगुनी और चौगुनी तक हमारे सूबे की पैदावार बढ़ सकती है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माफ किया जाऊं कहीं मेरी स्पीच ऐसी न हो कि मैं जैसे पब्लिक में बोल रहा हूं, वैसे तो हम पब्लिक से भी ज्यादा जिम्मेदार लोग यहां पर बैठे हैं, क्योंकि हम उनके नौकर हैं और पब्लिक

[श्री चरण सिंह]
के लिये काम करके हम यहां पर जिम्मेदार सवालों को हल करते हैं। हम कहते हैं कि भूमि का वितरण हो, तो भुखमरी होगी, हालांकि भुखमरी के बारे में न मेरे पास अभी तक कोई खत आये हैं और न उनके बारे में कोई बात ही पेपरों में निकलती है, लेकिन गरीबी है और बड़ी एक्यूट सिचुएशन है, कहीं व्याख्यान इस बात का देने, जो भी पोलिटिकल पार्टी के आदमी हों, वह इस बात को कहते कि वह अपने जिले की पैदावार को कैसे बढ़ाय। क्या कोई भी किसी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के पास गया है या किसी ने उनको अपने जिले में बुलाया है? गवर्नमेंट की प्लानिंग सब-कमेटी है क्या कोई कम्युनिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी या जनसंघ जितनी भी डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाईजेशन हैं, उनमें से किसी ने भी सलाह ली है, स्माल इन्डस्ट्रीज के बारे में या फैमिली प्लानिंग के सम्बन्ध में, एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में? मेरे ख्याल में किसी ने भी इस बात की तकलीफ गवारा नहीं की होगी, क्योंकि इसमें मेहनत का काम है, पढ़ना पड़ेगा फिर लोगों को जाकर समझाना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपनी हो गयी है उसको कहना आसान है कि जमीन तकसीम कर दो, मालगुजारी माफ कर दो, यह सब घोड़ छोड़न क बराबर ह। इसके लिये स्वतन्त्र नौकरों की आवश्यकता है।

श्री पुष्कर नाथ भट्ट—परपज आफ दि बिल विल बी लास्ट।

श्री चरण सिंह—जैसा कि जनरलिस्ट का लास्ट होता है। उपाध्यक्ष महोदय, में कह रहा था कि आखिर इस समस्या का कैसे हल हो। सिर्फ यह एक बात है हमने प्लानिंग कमीशन को बना रखा ह, उसकी सब-कमटी न अपनी रिपोर्ट भी दी है तो ३० एकड़ ही आप आज क्यों करते हैं क्यों नहीं २१ करते हैं और कल को उसको १६ ही क्यों नहीं कर देते हैं तो यह सब तो एडहाक की बात है। इससे लोगों क मन अनसर्टेन्ट हो जायेंगे कि हम जितना भी रिफार्म करते हैं यह लोगों के मन को सेटल डाउन करने के लिये यह सब आर्ग्यूमेन्ट्स हैं। इस प्रदश में यह चीज आवश्यक नहीं है, जिसके लिये यह दिक्कत उठाई जाय। इसलिये यह हरगिज न समझा जाय कि गवर्नमेंट गरीबों का फायदा नहीं सोचती है या प्लानिंग कमीशन के के बारे में कुछ नहीं जानती है, उसके लीडरान कहने भर के लिये रिडिस्ट्रीब्यूशन का नाम लेते हैं। सब बातों को सोच समझ कर ही रखा गया है। बड़ी होल्डिंग्स न हों, इसके लिये कदम उठाया गया है और आगे भी कदम उठने वाला है और अगर इसके लिये और कुछ न भी किया जाय तो यह तो अपने आप ही खतम हो जायेंगी, वह तो बेचारे अपने आप ही कम होते जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड में इसके बारे में एक बार आया भी है कि एक ५ सौ की होल्डिंग्स थी, उसने डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर को लिखा कि मेरा फार्म खरीद लिया जाय, क्योंकि उस समय डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर जिलों की तरफ से जमीन लेना चाहते थे। पहले हम को यह पता नहीं चलता था कि किस की आमदनी कितनी है, जो वह कहता था, वह हमको मानना पड़ता था। हम अब एसा एक बिल लाने वाले हैं कि उसको मजबूर होना पड़ेगा, इस बात को मानन के लिये कि उसकी आमदनी इतनी है। इसका नतीजा यह होगा कि करप्शन कम हो जायगा। अगर किसी की आमदनी ४२ सौ के करीब है तो उसके पास नोटिस जाता है और उसको टैक्स देना पड़ता है। इससे अब यह हो गया है कि ८० परसेंट करप्शन नहीं होगा। आप देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर लोग अब अपना हिसाब-किताब बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, ये लोग अंग्रेजी तक पढ़े-लिखे होते हैं और बहुत ठीक तरह से अपना हिसाब रखते हैं। बरेली के बारे में मुझे कुछ शक था तो मैंने वहां से फीगर्स मंगाये थे। हम लोग जो उनकी आमदनी मुकर्रर कर देते हैं उसी पर उनको टैक्स देना पड़ता है। इसको लेवी कहत हैं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—इसमें एरिया का भी कंसीडरेशन होता है।

श्री चरण सिंह—इसमें एरिया और क्वालिटी दोनों चीज हैं। मैं तो समझता हूं कि इसमें कोई खराबी की बात नहीं है। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की धारा १५७ या

१५४ जो है, उसमें इस बात के लिये कहा गया है कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन एक परिवार में नहीं रख सकते हैं। हर एक बालिक को ३० एकड़ तक भूमि रखने का अधिकार है। अब ऐसा हो गया है कि किसानों या जमींदारों से अंगूठा लगवा कर, उनकी खेती पर अपना कब्जा नहीं कर सकते हैं। जैसे आप के शहर में टोले ह, जैसे रस्तोगी टोला वगैरह है, तो अब यह लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। राम किशोर रस्तोगी जो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं।

एक दूसरा अन्देशा इसमें था कि बड़ी-बड़ी होल्डिंग्स हो जाय, इसलिये हमने ३० एकड़ कर दिया, लेकिन इसमें बीच में बहुत से लूपहोल्स आये और मुझे जो उसमें ज्वाइन्ट लब्ज था, वह भी पसन्द नहीं था। अब मेरा सजेशन उसके लिये यह है कि साढ़े १२ एकड़ दिया जाय, चाहे वह ज्वाइन्ट फैमिली हो या सेपरेट हो। साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा एक एडल्ट के लिये नहीं हो सकता है और लड़का उसका जवान हो जाय, तो वह भी उसे ले सकता है। कई बातों को सोचने के बाद हमने यह लिमिट रखी है। हम इसे इनएफीशियेन्ट कल्टीवेटर की दृष्टि से ठीक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जितनी पैदावार दूसरे देशों में इस तरह से होती है, वह यहां के काश्तकार नहीं कर पाते ह। अगर यह उसी तरह की एफीशियेन्ट खेती करें तो यह ज्यादा ठीक है और इस तरह से एक्सचेकर को भी लाभ होगा। हम चाहते हैं कि वह अपनी पैदावार को ज्यादा बढ़ायें। यहां तो यही शिकायत रहती है कि कल्टीवेटर्स इनएफीशियेन्ट हैं, इसीलिये हम उनको ज्यादा नहीं दे रहे हैं। इस तरह से जो अच्छी खेती नहीं कर सकते हैं, उनका इलाज हमने यह कर दिया है कि साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा वे नहीं खरीद सकते हैं। यह ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम उनको मुआवजा दें, बैल दें या तकावी दें और तब ये प्राब्लम्स हमारे सामने नहीं रहेंगी। इसमें बेचने वाले भी किसी को साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा नहीं बेच सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह कैबिनेट से भी करीब-करीब मन्जूर ही हो जायेगा। अगर यह हो जाय तो यह एक लेविल तय हो जायेगा और फिर मैं समझता हूं कि आप लोगों की मन्शा भी इस तरह से पूरी हो जायेगी। इसके लिये मैं पहले ही कह रहा था कि सांप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे। यह सेल्फ रिमार्डलिंग स्कीम है। इन शब्दों के साथ मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे माफी चाहता हूं कि मैंने बहुत समय ले लिया और अगर कोई ऐसी बात कह दी हो, जो कि मुझे नहीं कहनी चाहिये, तो मैं उसके लिये माफी चाहता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि अब माननीय प्रताप चन्द्र आजाद जी अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---मेरा ख्याल है कि अब तो अखबार वाले भी समझ गये होंगे।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद---मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री डिप्टी चेयरमैन---क्या सदन की अनुमति है कि यह प्रस्ताव वापस लिया जाय ?

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

संकल्प कि नगरपालिकाओं के कार्य-स्तर को ऊंचा उठाने व उनकी सुव्यवस्था के लिये नगरपालिकाओं के एक्जीक्यूटिव अधिकारियों की नौकरियों का प्रदेशीयकरण कर दिया जाय

श्री राम किशोर रस्तोगी---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :--

"यह परिषद् सरकार से सिफारिश करती है कि नगरपालिकाओं के कार्य-स्तर को ऊंचा उठाने व उनकी सुव्यवस्था के लिये नगरपालिकाओं के एक्जीक्यूटिव अधिकारियों की नौकरियों का प्रदेशीय करण (provincialization) कर दिया जाय।"

[श्री राम किशोर रस्तोगी]

श्रीमन्, लोकल बाडीज हमारे शहरों और जिलों का प्रबन्ध करती हैं। आमतौर से हमारे शहरों में जितने भी प्रबन्ध होते हैं, चाहे वह सफाई से सम्बन्धित हों, टैक्स से हों या सड़क अथवा शहरों के निर्माण से सम्बन्धित हों, वह सभी शहरों में तो म्युनिसिपल बोर्ड्स और जिलों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स प्रबन्ध करती हैं। आमतौर से प्रबन्ध तभी अच्छा होता है जब कि अधिकारीगण अच्छे होते हैं। लेकिन ज्यादातर अखबारों के पढ़ने से नगरपालिकाओं के प्रबन्ध में बड़ी खराबियां और शिथिलता आ गई है और इसमें अक्सर जो धक्केबाजी होती है, उसकी चर्चा अखबारों में पढ़ने को मिलती है। आज जब बहुत से प्रश्नों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी के उत्तरों द्वारा मालूम हुआ कि शिक्षा के सम्बन्ध में और म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की अन्य बातों के संबंध में जो शिकायतें होती हैं, उनमें अधिकतर अधिकारियों की लापरवाही होती है। उसमें बहुत से लापरवाह अधिकारियों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है, उनको दूर करने के लिये, किन्तु आमतौर से वह दूर नहीं हो पाते हैं। एक दिक्कत को, एक कमजोरी को दूर करने के लिये कोशिश की जाती है तो दूसरी आती, दूसरी कमजोरी नजर आती है और उसका भी प्रयत्न किया जाता है। किन्तु सही बात यह है कि हम उस कमजोरी के ऊपर बुनियादी तौर पर विचार नहीं करते हैं। इसीलिये हम उस शिथिलता को, बुराई को दूर नहीं कर सकते हैं। लोकल बाडीज का चुनाव, चुने हुये मेम्बरों के द्वारा होता है, वह अपने समय के अन्दर उस लोकल बाडीज का प्रबन्ध करते हैं और अधिकारीगणों से काम लेते हैं। इस तरह से अगर चुने हुये सदस्य गण इस योग्य नहीं समझे जाते हैं तो सरकार उन्हें हटाकर प्रबन्धक नियुक्त कर देती है और वह उसका संचालन करता है। आमतौर से एक्जीक्यूटिव अफसर बोर्ड के सभी कर्मचारियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लिहाजा एक्जीक्यूटिव अफसर ही उस बोर्ड के सर्वेसर्वा होते हैं। एक्जीक्यूटिव अफसर की पोस्ट जनता के चुने हुये सभी मेम्बरों से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आम तौर से बोर्ड के अध्यक्ष भी उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते हैं जितना महत्वपूर्ण स्थान एक एक्जीक्यूटिव अफसर रखता है। यही कारण है कि एक्जीक्यूटिव अफसर के कहने में सभी कर्मचारी होते हैं। वह यह समझते हैं कि एक्जीक्यूटिव अधिकारी जब तक जिन्दा रहेंगे तब तक वह बोर्ड का अधिकारी रहेगा। लेकिन जो चुने हुये सदस्य हैं, वे तीन या पांच साल तक ही रहेंगे। हो सकता है कि इन चुने हुये सदस्यों को बीच काल में ही चला जाना पड़े और अगर वह उनके कहने में रहते हैं तो हो सकता है उनकी नौकरी में कुछ बाधा पड़े। शायद ही एक आध ऐसा एक्जीक्यूटिव अफसर होगा जिसके अन्दर स्वार्थ की भावना न हो और तब तो वह उस नगर पालिका का सौभाग्य है। लेकिन अधिकतर यह देखा गया है कि वे इस बात से बरी नहीं होते हैं उनके अन्दर कुनबापरस्ती की भावना और रुपया पैसा कमाने की मनोवृत्ति बनी रहती है। और वह जनता का शोषण करते हैं। बाईलाज बनाने की आड़ में एक्जीक्यूटिव अफसर अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं। उनके विरोध में कोई कर्मचारी या नागरिक इस बात का साहस नहीं कर पाता कि वह कोई चीज कहे या करे, उनके विरोध में। क्योंकि वह जानता है कि उसको न कोई सबूत मिलेगा न ही कोई उनके खिलाफ गवाही मिलेगी। उनकी मातहती में उन्हें रहना ही है जब तक जिन्दा हैं, वे यहां रहेंगे। बोर्ड के सदस्य तो आते जाते रहेंगे। अधिकतर ऐसे निकम्मे अधिकारी के जाने से सारा प्रबन्ध निकम्मा हो जाता है। शहरियों का जीवन दूभर हो जाता है और बोर्ड का प्रबन्ध दिनों दिन गिरता जाता है।

इन्हीं बातों को दृष्टिकोण में रख कर मैं यह चाहता हूं कि आज जिस तरह की बातें इन अधिकारियों द्वारा हो रही हैं, उसका उन्मूलन किया जाय, कानून में तब्दीली की जाय और यह जो कामधेनु का स्थान है इसको सेवा करने वाले व्यक्तियों को ही सौंपा जाय, जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर अपनी सेवाओं के द्वारा लोकप्रिय हो सकें। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह स्थान तो ऐसे लाभ का है कि गत वर्ष मैंने देखा कि लेजिस्लेचर के एक मेम्बर ने इस स्थान को पाने के लिये अपना इस्तीफा असेम्बली से दे दिया। यहां का सदस्य बड़े संघर्ष के

बाद चुना जाता है, विभिन्न पार्टियों का सामना करना पड़ता है, इस प्रकार बड़ी सेवा और मेहनत करने के बाद लेजिस्लेचर का सदस्य कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन इस स्थान के प्रलोभन ने उनको भी नहीं छोड़ा। हरदोई के एक सदस्य ने इसी पद को प्राप्त करने के लिये इस्तीफा दिया। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि यह स्थान कामधेनु गाय की तरह है कि जिसको पाकर वह अपने स्वार्थ को सफल करने में संलग्न हो जाते हैं। एक बात इसमें बड़ी खूबी की है कि एक बार जब एक्जीक्यूटिव आफिसर की सर्विस मिल जाने पर वह स्थान उसके मरने के बाद ही रिक्त हो जाता है। २०,३० वर्ष तक बैठकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आड़ में वह अपनी स्वार्थ-सिद्धि और जनता का शोषण कानून की आड़ में करता रहता है। आमतौर से यह स्थान ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो स्थानीय होते हैं और नतीजा यह होता है कि वह अपना पुराना रिश्ता कायम रखने के लिये, कुनबापरस्ती की पूर्ति के लिये मजबूर होते हैं और तब आपसी वायदे एक दूसरे के हितों की रक्षा करते हैं, स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। अगर इन स्थानों का प्रान्तीयकरण कर दिया जाय तो इससे उस भ्रष्टाचार से, जो हमारी लोकल बाडीज में हो रहा है, अक्सर जिसकी शिकायतें मन्त्री जी के पास आती रहती हैं और उनको इस बोझ को ढोना पड़ता है और वकालत भी करनी पड़ती है, तो वह खत्म हो जायगा। मैं यह बता देना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर मैंने यह प्रस्ताव रखा है यदि माननीय मन्त्री जी इसको मान गये तो हमारी लोकल बाडीज का स्तर ऊंचा उठ सकता है। फिर यह नहीं होगा कि एक व्यक्ति एक ही स्थान पर सांप की तरह बैठकर जनता का शोषण करता रहे और उसके नीचे के कर्मचारी भी उससे सदा डरते रहें और अपने अधिकारों की रक्षा भी न कर सकें।

बुनियादी बात यह है कि हम जब लोकल बाडीज को ऊंचा उठाने की बात करते हैं तो ऐसे निकम्मे व्यक्तियों को निकाल कर ही इसके स्तर को ऊंचा उठाने की बात कर सकते हैं। इस प्रकार एक बार निकम्मे व्यक्ति को रखने के बाद उसको हटाने में जितनी अड़चन होती है, वह न होगी। अगर सरकार जिस प्रकार एक डाक्टर को एक शहर से दूसरे शहर को ट्रान्सफर कर देती है, उसी प्रकार एक्जीक्यूटिव आफिसर भी ट्रान्सफर हो सकेगा। अगर वह ईमानदार व्यक्ति है, तो वह लोकप्रिय हो जायेगा। उसकी सेवाओं की प्रशंसा होगी। अगर अयोग्य है और सेवा करने का भाव नहीं है तो ज्यादा दिन तक टिक भी न सकेगा। इस प्रकार से हमारी सरकार का स्तर ऊंचा उठेगा। वहां पर गिरोहबन्दी न होगी। एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं, कभी कभी यह देखा जाता है कि एक्जीक्यूटिव आफिसर का एक गिरोह होता है और चुने हुये मेम्बरों का दूसरा गिरोह हो जाता है। एक्जीक्यूटिव आफिसर यह समझता है कि वह वहां का परमानेन्ट आदमी है वह ईल्ड नहीं करता है दूसरी तरफ जनता के चुने हुये प्रतिनिधि होते हैं, वह सोचते हैं कि हम जनता के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिये आये हैं, हम क्यों दब कर रहें। नतीजा यह होता है कि बोर्ड का जो उद्देश्य है, जो काम करने का सिस्टम है, वह रसातल को चला जाता है और काम कुछ नहीं हो पाता है। अधिकारियों में चख-चख रहती है। कभी-कभी बड़े-बड़े शहरों में यह देखा जाता है कि एक ही रैंक के २, ३ अधिकारी होते हैं और उनमें गुटबन्दी हो जाती है और उनके कारण जनता पिसती रहती है और काम घपले में पड़ जाते हैं। इस प्रकार से एक्जीक्यूटिव पोस्ट में दुर्गुण आ जाते हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इन सर्विसेज का प्रदेशीयकरण कर दिया जाय। आज प्रश्नोत्तर के समय माननीय मन्त्री जी ने बताया कि लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड में एक अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक ३८७ स्थानों की पूर्ति की गई। लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड में केवल १४ व्यक्ति ऐसे थे, जो इम्पलायमेंट के द्वारा आये और बाकी का अप्वाइन्टमेंट डाइरेक्ट किया गया। ऐसा भी देखा गया है कि अर्जियां घरों से मंगा ली गई हैं और अप्वाइन्टमेंट कर लिया गया है। इस प्रकार से दोस्तों को खुश करने के लिये स्वार्थ नीति चलती है। इस तरह से योग्य व्यक्तियों को बलायेताक रख दिया जाता है, सेवायें अलग रख दी जाती हैं, शिक्षा का कोई विचार नहीं किया जाता है, कार्य करने का सिस्टम खत्म हो जाता है और पुराने कर्मचारियों में

[श्री राम किशोर रस्तोगी]

असन्तोष फैल जाता है उनकी सिनियारिटी भी मारी जाती है। मेरे सामने कई दरख्वास्तें आई हैं, जिनकी तमाम जिन्दगी बोर्ड में सेवा करते हुये बीत गई, जब तरक्की करने का मौका आया तो नये आदमी को जो अनक्वालीफाइड था, उसको रख लिया गया। इन सब बातों को देखते हुये अगर कोई कर्मचारी शिकायत करता है तो थोड़े दिनों के बाद उस पर कोई न कोई झूठा इल्जाम लगाकर उसे परेशान किया जाता है।

जो बीमारी एक्जीक्यूटिव अधिकारियों के इस तरह के सिस्टम से पैदा होती है, वह आज यही नहीं कि केवल लखनऊ में है। यह बीमारी लगभग सूबे के विभिन्न बोर्डों में है। आज जगह-जगह पर तहलका मचा हुआ है। ओरई के म्युनिसिपल बोर्ड के प्रश्न के उत्तर में आज मालूम हुआ, वहां पर ५६,५७ तथा ५७ और ५८ का बजट ही पेश नहीं हुआ। सरकार को भी नहीं मालूम हुआ कि उसका बजट नहीं बना। उसका उत्तरदायित्व किस पर है। मैं जानता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय ने जब से उसका कार्य भार संभाला है, मुझे बहुत सन्तोष है। मुझे आशा है कि जिस उद्देश्य को लेकर यह बोर्ड बनाया गया है अगर उनकी पूर्ति नहीं होती है, तो बोर्ड हटा देना ही उचित है। आमतौर से जब जनता ऊब जाती है, तब शिकायत करती है। यह नहीं कि सड़कों की मरम्मत के लिये, बल्कि ऐसी ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। जिसमें गबन तक का आरोप होता है। म्युनिसिपल बोर्ड का पैसा जो गरीब आदमियों से वसूल किया जाता है, तब ऐसे पैसे का दुरुपयोग हो, तो खेद होता है। श्रीमान्, ५ मार्च, १९५६ में हमारे लखनऊ के मुअज्जिज नवाब विलायत हुसैन ने एक दरख्वास्त म्युनिसिपल बोर्ड में दी। उसकी एक कापी लोकल सेल्फ मिनिस्टर को भी दी, मुख्य मन्त्री जी और सी० आई० डी० को भी दी। उसमें ऐसी बातें थीं, जो रिक्शा की आमदनी के घपले के बारे में थी। हजारों रुपये साल का गबन उसमें होता था। उसका कहीं पर जिक्र नहीं आया। एक शिकायत सुनने में आती है कि हमारे कबाल टाउन में ऐसी बातें होती रहीं और जिस व्यक्ति को अधिकारी बनाया गया है चूंकि वह एक्जीक्यूटिव आफिसर का हमदर्द है, इसलिये वह जो चाहे करता रहे।

श्री नरोत्तम दास टण्डन—Are we in quorum?

श्री डिप्टी चेयरमैन—Yes, we are in quorum.

श्री राम किशोर रस्तोगी—मैं यह अर्ज कर रहा था कि यदि पैसे का घपला होता और उस पर कोई कार्यवाही न हो तो मुझे खेद होता है। मैं दैनिक स्वतन्त्र भारत की खबर का जिक्र करना चाहता हूं। प्रेस रेप्रेजेन्टेटिव ने म्युनिसिपल बोर्ड के लाइसेंसिंग विभाग के घपले में और आडिट रिपोर्ट के घपले के बारे में जो प्रकाशित किया है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ५२-५३ की रिपोर्ट में लाइसेंस की फीस थी उसी के सिलसिले में एक आदमी था जो चोरी तथा भ्रष्टाचार का काम करता था। इस तरह से अखबार में चरचा होने के बाद भी हमारे अधिकारी इस पर कोई ऐक्शन न लें, खेद होता है। पिछले मई के महीने में एक कत्ल का मुकद्दमा लखनऊ में चल रहा था और उसका सम्बन्ध में म्युनिसिपल बोर्ड के एक रिक्शा के लाइसेंस से था। मुलजिम ने बोर्ड की फाइलों को तलब किया था, लेकिन वह फाइल हफ्तों में ही गायब कर दी गई और वह सफाई पेश न कर सका, उसको फांसी का दन्ड मिला, उसने दया की भिक्षा यू० पी० के गवर्नर से की। उसके रिजेक्ट होने के बाद उसने केन्द्रीय सरकार से की और आज वह जीवन-मरण की हालत में है, म्युनिसिपल बोर्ड की लापरवाही के कारण ऐसी घपले की बातें होती रहें, फाइल गायब हो जाय और उसकी जांच न की जाय, खेद की बात है।

तो इस तरह की अनेक बातें होती रहती हैं। एक व्यक्ति ३ लाख का गबन करके पाकिस्तान चला गया। उसके कुछ साथी यहां रह गये। जो पाकिस्तान चला गया था उसके पाकिस्तान भाग जाने के बाद मुकद्दमा अदालत में दे दिया गया। उस मुकद्दमे में एक

प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया कि १५ हजार रुपया खर्च हुआ। इस पर भी बोर्ड हार गया। इस तरह की चीजें होती रहे और आखिर इसका उत्तरदायित्व किस पर है। ऐसी बातों का कोई जिक्र नहीं किया जाता है। अगर कोई चिट्ठी लिखी जाती है तो जवाब दे दिया जाता है कि विचार हो रहा है। लेकिन उसका फिर होता कुछ नहीं। श्रीमान्, आपकी आज्ञा से मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। वह लखनऊ के एक्जीक्यूटिव अधिकारियों के सम्बन्ध में है। हमारे यहां पुराना बाजार नक्खास है। वहां पर ठेकेदारों को ठेके दे दिये जाते थे। पैसा ठेकेदार वसूल करते थे। १५-२० हजार के लगभग ठेके छूटते थे। अधिकारियों ने आदेश दिया कि डाइरेक्ट पैसा वसूल करेंगे। उसके खिलाफ आवाज उठाई गई। हम लोग बड़े और छोटे अधिकारियों से मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चूंकि उन्हें १०-१२ आदमियों को रखना था, इसलिये यह सब किया गया। इसी में बिल कलेक्टर्स रखे गये। उनकी कोई योग्यता नहीं है। पैसा वसूलना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। पर उनकी न तो कोई योग्यता देखी गई और न उनकी पुरानी सर्विसेज देखी गई। उसका नतीजा यह हुआ कि जो आमदनी पहले ठेकेदारों से होती थी, वह भी समाप्त हो गई। पिछले ऐडमिनिस्ट्रेटर महोदय से बातें हुई। उन्होंने फरमाया कि पहले से घाटा हो रहा है। बिल कलेक्टर्स ने खूब पैसा पैदा किया। वे साधारण आदमियों से अच्छी हैसियत रखने लगे हैं। उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, और बोर्ड को बड़ा नुकसान हुआ है। यह बात किसी वक्त भी दरियाफ्त की जा सकती है। नित्य ही ऐसी बातें बोर्डों में हो रही हैं। कोई शिकायत की जाती है तो फाइल गायब हो जाती है। कोई सुनवाई नहीं होती। छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक सब अवहेलना करते हैं। जो गलतियां होती हैं सरकार उनका स्पष्टीकरण करती रहती है। अभी इस चीज की चर्चा हुई कि सर्विसेज में ५५ से ५८ की उम्र कर दी जाय। किन्तु एक्जीक्यूटिव आफिसर को तो पहले से ही प्रतिवर्ष एक्सटेंशन मिलता रहता है और अब ६०-६२ वर्ष के होने के बाद भी काम करते रहते हैं।

इस तरह यह लोग रिटायर नहीं होना चाहते हैं। लखनऊ के एक्जिक्यूटिव आफिसर को डाक्टर एलाऊ करते हों या न करते हों मगर उनको एक्सटेन्शन मिलता जा रहा है और वह इसलिये कि वही उच्च अधिकारी हैं। हमें दुख है कि आज के जनयुग में इस तरह से डिक्टेटरशिप चलती रहे, कहां तक उचित है। हम देखते हैं कि उसी स्थान पर एक बाबू ५५ वर्ष में, जो उससे ज्यादा स्वस्थ है उसको रिटायर कर दिया जाता है और एक्जीक्यूटिव आफिसर को रिटायर नहीं किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक महत्वपूर्ण बातें माननीय मन्त्री जी के समक्ष सुझाव के रूप में और रखना चाहता हूं, यदि लाल बत्ती बन्द कर दी जाय

श्री डिप्टी चेयरमैन--आप दो एक मिनट में अपना भाषण खत्म कर दीजिये।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इस विषय में अगर आप गवर्नमेंट का पक्ष जान लेते तो फिर बोलते।

श्री राम किशोर रस्तोगी--मैं सहमत हूं।

श्री डिप्टी चेयरमैन--ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी स्पीच खत्म कीजिये।

श्री राम किशोर रस्तोगी--उपाध्यक्ष महोदय, आज यह एक्जीक्यूटिव आफिसर जनता का पैसा जिस तरह से बरबाद कर रहे हैं उसे देख कर दुख होता है, इसलिये हम चाहते हैं कि कानून में परिवर्तन करके उनकी सर्विसेज का प्रदेशीयकरण कर दिया जाय तो तमाम वह त्रुटियां जो आज नजर आ रही हैं खत्म हो जायेंगी और योग्य व्यक्तियों को हमारे बीच में सेवा करने का मौका मिल जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :--

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

संकल्प में दिये हुये शब्द 'एक्जीक्यूटिव अधिकारियों" के पश्चात् शब्द "मन्त्रियों तथा इंजीनियरों" जोड़ दिया जाय ।

मैं बहुत थोड़े शब्दों में इस प्रस्ताव के ऊपर कहना चाहता हूं । पिछली मर्तबा जब म्युनिसिपल ऐक्ट पेश हुआ था तो हमने माननीय मन्त्री जी से मांग किया था कि एक्जीक्यूटिव आफिसर्स को प्राविन्शियल बेसिस पर लाया जाय तो उस समय माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि सरकार इस मामले पर पूरी तरह से गौर कर रही है । कारपोरेशन बिल आने वाला है उसी साथ ही म्युनिसिपल ऐक्ट लाया जायेगा और दोनों के समन्वय से ऐसी तब्दीली हो जायेगी । परन्तु वह विचार खतम हो गया । निःसन्देह जहां तक एक्जीक्यूटिव आफिसर का ताल्लुक है वह बड़ी इम्पारटेन्ट सर्विस है और उनके ऊपर सरकार का पूरी तरह से नियन्त्रण होना चाहिये और वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो किसी पार्टी के पक्ष में पड़ न जाय और बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिये । आज के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एक पार्टी के होते हैं और वह अपने भेद में कुछ मेम्बर रखते हैं और इस तरह से उनका इन्तजाम चलता है । बहुत सी जगहों पर एक्जीक्यूटिव आफिसर नहीं हैं । कितनी ही म्युनिसिपैलिटियां ऐसी हैं जिनकी आमदनी १०,१५ लाख के करीब है, मिसाल के लिये हम अपने नगर को ले लेते हैं, वह फर्स्ट क्लास की म्युनिसिपैलिटी है, तो जब सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी की यह हालत है, जहां का आज १५ लाख से २० लाख रुपये का बजट है वहां म्युनिसिपैलिटी का जो एक्जिक्यूटिव आफिसर है वह सिविल का आदमी है । वही एक्जिक्यूटिव आफिसर ही ओवरसीयर का भी काम करता है और वह इंजीनियर का भी काम करता है, वह जांच का भी काम करता है और दूसरा काम भी करता है ।

एक्जिक्यूटिव आफिसर यह चाहता है कि अगर इंजीनियर रखा जायेगा तो जो कोई भी ठेका दिया जायेगा वह इंजीनियर की मर्जी से दिया जायेगा और ठेकेदार को रुपया देने का पूरा अधिकार फिर इंजीनियर को ही रहेगा । आजकल जो म्युनिसिपल बोर्ड्स में भ्रष्टाचार होता है, वह इसी जगह से होता है । एक्जिक्यूटिव आफिसर चाहता है कि कोई मेरे रास्ते में रोड़ा ही न हो और वह इंजीनियर को तो चाहता ही नहीं है । कोई वजह नहीं मालूम होती है कि किसी म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर इंजीनियर न हो और खास तौर से एक ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर जो कि काफी बड़ा हो । इस तरह से जो एक्जिक्यूटिव आफिसर की पोस्ट है उसको आपने देखा होगा कि बहुत से म्युनिसिपल बोर्ड्स में २० और ३० साल से वही आदमी एक्जिक्यूटिव आफिसर का काम करता आ रहा है । सरकार का नियम है कि कोई भी सरकारी अधिकारी एक स्थान पर ३ साल से अधिक नहीं रह सकता है । यह नियम अच्छा है । इसका कारण यह है कि अगर एक आफिसर एक स्थान पर ३ साल से अधिक रहता है, तो उसका कन्टैक्ट ज्यादा हो जाता है इसलिये सरकार की पालिसी है कि वह ३ साल के बाद बदल दिया जाय । लेकिन एक्जीक्यूटिव आफिसर की सर्विस प्राविन्सलाइज नहीं है इसलिये उसका नतीजा यह होता है कि जो आदमी एक बार नियुक्त हो गया, वह ३० साल तक वहीं पर रहता है । इसका नतीजा यह होता है कि सारी खराबी इसी जगह से शुरू होती है । सब से भयानक खराबी तो यह होती है कि क्वालीफाइड आदमी नहीं रखा जाता है । अगर प्राविन्सलाइज सर्विस का आदमी हो तो वह जरूर क्वालीफाइड होगा । डेमोक्रेसी की एक सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि सदस्यों को अपने मिलने वाले और सपोर्टर्स का ख्याल रखना पड़ता है । उनके खिलाफ वह जा नहीं सकता है । इस तरह से अगर मिलने वाला या सपोर्टर नान-क्वालीफाइड भी होगा तो उसको सपोर्ट करना होगा । माननीय मन्त्री जी स्वयं देखेंगे कि पिछले पांच सालों में उनके यहां कितने पत्र क्वालीफिकेशन के एक्जम्पशन के लिये आये हैं, जिनमें यह कहा गया है कि इस एक्जिक्यूटिव आफिसर को क्वालीफिकेशन से एक्जम्प्ट कर दिया जाय । एक्जिक्यूटिव आफिसर के लिये बी० ए०, एल-एल० बी० की क्वालीफिकेशन रखी गयी है । लेकिन एक म्युनिसिपल बोर्ड में एक हाई

स्कूल फेल एक्जिक्यूटिव आफिसर हैं। तो जो खराबियां हैं वह उसी वजह से है, क्योंकि ये पोस्ट प्राविंशलाईज नहीं हैं। अगर इन तीनों पोस्ट को प्राविन्शलाईज कर दिया जाय तो बोर्ड्स का काम अच्छी तरह से चल सकता है और जो पार्टीबन्दी होती है वह भी खत्म हो जाय। एक्जिक्यूटिव आफिसर्स के सामने भी कुछ दिक्कतें हैं। प्राविन्शियल कैडर न होने की वजह से दो-तिहाई की मैजारिटी से उनको निकाला जा सकता है। अगर एक ही ग्रुप का ऐसा मेम्बर हो, जो चाहता है कि वह न रहे तो टू थर्ड की मेजारिटी से वह किसी भी आदमी को निकाल सकता है। इसी प्रकार से जो चेयरमैन है, वह उसको सस्पेन्ड भी कर सकता है तो उसकी भी कुछ दिक्कतें हैं और इसके साथ ही साथ बोर्ड की भी कुछ दिक्कतें हैं इसलिये यह तीनों ही बातें ऐसी हैं कि अगर इन तीनों पोस्टों को प्राविन्शलाईज कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि बोर्ड का काम आसानी से हो सकता है और वह स्थिति जो कि आज है, कि बगैर इंजीनियर के ठेका दिया जा रहा है और काम हो रहा है और उसका नतीजा यह होता है कि सरकार का रुपया इतनी बुरी तरह से खर्च हो रहा है कि अगर कोई सीमेन्टेड रोड बनती है तो इंजीनियर के न होने की वजह से वह रोड एक ही साल में खराब होने लगती है और वह टूट जाती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं और उनको एक साल भी नहीं होता कि क्रेक हो जाती हैं और इस तरह से सारे का सारा रुपया जो सरकार का खर्च होता है वह बुरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसलिये इन सब चीजों को रोकने के लिये इलाज है और वह यह है कि एक्जिक्यूटिव इंजीनियर सेक्रेटरी और एक्जिक्यूटिव आफिसर, इन तीनों पोस्टों को प्राविन्शलाईज किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री डिप्टी चेयरमैन---क्या माननीय मन्त्री इस पर पहले बोलना चाहेंगे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---मैं तो केवल एक शर्त पर बोलना चाहूंगा कि प्रस्तावक महोदय मेरी बात को गौर से सुनें और सुनने के बाद अगर उनके विचार में यह बात आये कि मेरी बात सही है और प्रस्ताव विथड्रा करने के लिये काफी है तो वह विथड्रा कर लें, वरना मेरा कहना बेकार है।

श्री डिप्टी चेयरमैन---आप अपना भाषण दे दें तो प्रस्तावक स्वयं ही जैसा भी उचित समझेंगे, वैसा करने के लिये तैयार हो जायेंगे।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---अच्छी बात है, मैं अपने भाग्य की परीक्षा किये लेता हूं। जहां तक इस विषय का प्रश्न है, श्रीमान्, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और जैसा कि अभी आजाद साहब ने भी कहा था कि हमारा दिमाग इस पर अब भी लगा हुआ है और बहुत मुद्दत से सरकार के सामने यह चीज रही है। पहले इसके लिये एक खेर कमेटी बैठी थी और उसकी कुछ रिकमेन्डेशन भी आयी बाद में हमने देखा कि इसमें कुछ कठिनाइयां मालूम होती हैं और आज भी वह कठिनाइयों से बरी नहीं है। जो आर्गूमेन्ट्स मेरे मित्रों ने और प्रस्तावक महोदय ने दी कि अगर एक्जिक्यूटिव आफिसर की पोस्ट का हम प्राविन्शियलाईजेशन कर देंगे तो बोर्ड का काम आसान हो जायेगा। मैं तो कहता हूं कि उसके रहने से भी शिकायतें रफा नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि परमानेन्ट होने की वजह से वह किसी से डरता नहीं है, अभी तो बहुत कुछ डर हो भी सकता है क्योंकि उसके खिलाफ अगर दो-तिहाई की मेजारिटी हो जाती है और वह निकाला जा सकता है, लेकिन अगर उसको हमने प्राविन्शियलाइज कर दिया तब तो वह अमर हो जायेगा। अगर आप बहुत कुछ शिकायत करेंगे तो यही होगा कि उसका ट्रान्सफर हो जायेगा, और जो उसकी चेयरमैन को इग्नोर करने की टेन्डेन्सी है, वह और भी बढ़ जायेगी और जो डिसिप्लिन आप बढ़ाना चाहते हैं, वह बढ़ जायेगा इसमें मुझे शक है। अभी तो यह है कि परमानेन्ट है, उसको हटा नहीं सकते, लेकिन उसके बाद तो उसकी परमानेन्सी

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

और भी बढ़ जायेगी, अगर हम उसको प्राविन्शलाईज कर देंगे। फिर तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जायेगी और वह आसानी से कह देगा कि ट्रान्सफर हो गया है, गलती उनकी है। सरकार के लिये भी मुश्किल यह होगा कि काम तो करायेगा एक आदमी और जज करेंगे हम, तो डिवाइडेड रिस्पान्सिबिलिटीज होने की वजह से वह अपनी बेवकूफी और गलतियों को छिपा सके और उसके रिजल्ट्स को बहुत दर्जे तक इवेड कर सकेगा।

इसी तरह से सर्विस में नेपोटिज्म की बात कही गयी है, मेरे ख्याल में तो इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नेपोटिज्म की जो शिकायत है, अभी जो भाई कहते-कहते चले गये, वह तो उनके बरखिलाफ कह गये कि जो कि परमानेन्ट सर्विस करते हैं, मेरा ख्याल है कि जो अखबारों में लेख निकलते हैं और यहां पर स्पीचेज होती हैं, वह नेपोटिज्म की शिकायत तो उन लोगों के बरखिलाफ ज्यादा है जो परमानेन्ट सर्विस के हैं।

मैं दलील के लिये कहता हूं कि अगर इसमें निपोटिज्म हो, तो यह उचित नहीं है। मैं कहता हूं कि आपने इसके लिये जो दवा रखी है, वह उचित नहीं है, इसकी दवा दूसरी है, यह नहीं है। इसी तरह से फाइल चोरी हो जाने की बात है। मैं कहता हूं कि अगर प्राविन्शियलाईज भी हो जाय, तब भी तो फाइल चोरी हो सकती है और एक्जिक्यूटिव आफिसर तो खुद फाइल चोरी नहीं करता है और मैं समझता हूं कि एक्जिक्यूटिव ने खुद फाइल चोरी की है, यह शायद उनका भी ख्याल नहीं है। फाइल तो अदालतों में से भी चोरी हो जाती है और अभी हाल ही में दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर के आफिस से फाइलें चोरी चली गईं जहां कि फाइलें पूरी तरह से हिफाजत से रखी जाती हैं, लेकिन वहां भी चोरी चली जाती हैं। लेकिन बुनियादी चीज जो है, वह यह है कि जो हमारी संस्थायें हैं, जिनको कि आज हम बनाना चाहते हैं, वे हम चाहते हैं कि सेल्फ गवर्निंग संस्थायें हों और यह उचित नहीं है कि उनकी भलाई व बुराई हम किसी एक्जिक्यूटिव आफिसर के ऊपर डालें। हम इन संस्थाओं को महत्वपूर्ण बना देना चाहते हैं ताकि वे अपने आप कामयाब होती रहें। अगर हम सचमुच में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स तथा स्वायत्त की संस्थाओं को, जैसे म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं, टाउन एरियाज हैं और आज हम नगरनिगम भी बनाना चाहते हैं, उनको सभी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, तो ऐसा करना उचित नहीं होगा। क्या हम उनको स्वराज्य की सीढ़ी में पहुंचाना चाहते हैं या नहीं? अगर हम इस तरह से उनको पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें चाहिये कि हम उनको जिम्मेदारी के साथ गलत काम भी करने दें, भूल भी करने दें ताकि वे अपने से ही सबक ले सकें। हमें इस तरह से उनको अवश्य ही अधिकार देने होंगे। हम नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट आदेश जगह जगह भेजकर दिन प्रति दिन के काम में इन्टरफियर करे। हमें जनता को सिखलाना है और उन को ही इस का असली मालिक बनाना है। लेजिस्लेटिव असेम्बली के प्रतिनिधि या दूसरे सभी लोग जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। जो चीज जनता की है, उसी को उसका मालिक रहना चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि स्वराज्य की जो पहली सीढ़ी है, वही हमें जनता को पहले सिखलाना है कि अपने प्रबन्ध के लिये हम अपने प्रतिनिधि चुनें। अगर वे इसमें भूलें भी करें तो चुनने वाले अपनी जिम्मेदारी समझें। मैं इसलिये आपसे यह निवेदन करूंगा कि हमें उनकी सब गलतियों के लिये गवर्नमेंट को उसमें इन्टरफियर नहीं करने देना चाहिये। खास तौर से इस तरह से जनता को पहले काम करने देना चाहिये और उनको गलतियां करने देना चाहिये और इसके लिये उनमें असन्तोष भी होना चाहिये। इस तरह से जब वे फिर खड़े भी होंगे, तो उनको वोट नहीं मिलेगा। अगर हम इस को इस दृष्टि से देखें तो ई० ओ० जो है, वह बड़ा ही इनसिगनिफिकेन्ट हो जाता है। अगर हम सचमुच में एक जिम्मेदार बाडी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिये कि हम उसे पार्टीबाजी से अलग रखें और वहां पर राजनैतिक दलों की लड़ाई नहीं होनी चाहिये। अगर वहां पर राजनैतिक दलों की लड़ाई होती रहेगी, तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस तरह से जनता का वहां पर राज्य होगा, तो वे छोटी छोटी बातों में लड़ेंगे नहीं बल्कि समझ-बूझकर अपना

काम करेंगे। ई० ओ० का कन्ट्रोल इस तरह से वहां नहीं होना चाहिये। वहां खास तौर से जनता के अपने चुने हुये आदमी ही होंगे। वह इस तरह से अच्छी तरह से भविष्य में अपना कन्ट्रोल कर सकेंगे। लेकिन जो बात है, मैं उसको रूल आउट नहीं करता हूं। हम अब नगरनिगम भी बना रहे हैं, वहां एक एग्जिक्यूटिव आफिसर म्युनिसिपल कमिश्नर रहेगा जो कि प्राविन्शियल सर्विस का आदमी होगा।

यह मैं नहीं कहता हूं लेकिन यह स्टेज हमारे दिमाग की है, हमारे नगरनिगम कैसे हों, हमारी म्युनिसिपैलिटीज कैसी हों, हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कैसे हैं। यह हमारा क्वेश्चन है। अगर हम इसको हल कर लेंगे तो हम यह समझ लेंगे कि हमारा एक्जीक्यूटिव अफसर या सेक्रेटरी कैसा होना चाहिये। मैं अत्यन्त विनम्रता से निवेदन करूंगा कि जब तक हमारे सामने इसका नक्शा नहीं होगा कि हम क्या जिम्मेदारी उन संस्थाओं पर डालें और क्या न डालें। हमारे जो इंजीनियर हैं, जो सेक्रेटरी हैं उन पर अगर हम ज्यादा जिम्मेदारी डालते हैं तो हमें उसका खतरा भी उठाना पड़ेगा। अगर हम यह चाहते हैं कि हमारा एक्जीक्यूटिव अफसर ऐसा होना चाहिये तो हमें सबसे पहिले यह जानना होगा कि हमारा एक्जीक्यूटिव अफसर क्या-क्या कर सकता है। मेरा तो यह कहना है कि कोई भी एक्जीक्यूटिव अफसर हो जाय, कोई भी सेक्रेटरी हो जाय, परन्तु एकाउन्टेन्ट हमारा हो। वह अगर हमारा हो तो कोई भी गलती नहीं हो सकती है, वह पेमेन्ट्स रोक सकता है। वह पास ही नहीं करेगा। वह जरूर प्राविंशियल केडर का आदमी हो, वह सारे प्रबन्ध को बचा सकता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस प्रश्न को फिलहाल छोड़ दिया जाय। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं हमारे सामने सारी पिक्चर आये। आज हम अगर इस प्रस्ताव को पास कर दें और सारी चीजों पर गौर न करें तो यह चीज अगर न हो पायी तो यह अप्रतिष्ठा का विषय होगा। इसलिये मैं बहुत नम्रता से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य इसको विथड्रा कर लें। जब फिर चाहेंगे तो इस सवाल को उठाया जा सकता है। इस समय इसको विथड्रा ही कर लें।

श्री डिप्टी चेयरमैन—क्या आप स्पीच दे रहे हैं ?

श्री राम किशोर रस्तोगी—माननीय मन्त्री जी को कुछ बातें बतलाना चाहता हूं जिनके ऊपर अगर वह विचार करेंगे, तो इस पोस्ट का प्राविंशियलाइजेशन करने पर तैयार हो जायेंगे।

सदन का कार्यक्रम

श्री डिप्टी चेयरमैन—इस प्रस्ताव पर विचार जारी रहेगा। अब कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ४ बजकर ४५ मिनट पर दूसरे दिन, दिनांक २६ जुलाई, १९५७ को ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गयी।)

लखनऊ:
दिनांक ३ श्रावण, शक संवत् १८७९
(२५ जुलाई, सन् १९५७ ई०)।

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये प्रश्न संख्या १९--२२ के उत्तर पृष्ठ १२०-१२१ पर)

१ अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ ई० तक नगरपालिका, लखनऊ द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों की सूची।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	योग्यता	वेतन-क्रम	जाति	डाइरेक्ट या इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा नियुक्त
१	२	३	४	५	६	७
			वाटर वर्क्स विभाग में			
				रु०		
१	श्री हसनैन	पम्प ड्राइवर	...	४५-९०	...	डाइरेक्ट
२	,, विशन चन्द	एस० एस० ए०	...	३५-१ १/२-५०	...	,,
३	,, इकबाल बहादुर	माउलडर	...	४५-९०	,,...	,,
४	,, मैकू लाल	मजदूर	...	३०-१ १/२-४५	...	,,
५	,, पुत्ती लाल	,,	...	,,	...	,,
६	,, अशरफ	चौकीदार	...	२०-१/२-२५	...	,,
७	,, राम प्रसाद]	फिल्टर मजदूर	...	३०-१ १/२-४५	...	,,

८	,, गया प्रसाद	पोल्टर	...	,,	...	,,
९	,, एस० आर० सिद्दीक	टी० डब्ल्यू० फोरमैन	...	७५–१५०	...	,,
१०	,, छोटे लाल	ए० एस० ए०	...	३५–१ १/२–५०	...	,,
११	,, विजय कुमार	,,	...	,,	...	,,
१२	,, शिव नारायण	चौकीदार	...	२०–१/२–२५	...	,,
१३	,, छेदी	माली	...	२५–१–३०–ई०–बी०–१–३५	...	,,
			लाइसेंसिंग विभाग में			
१४	,, एतेशाम अली	साइकिल क्लर्क	हाई स्कूल	५०–२–६०–ई०–बी०–४–१००	...	,,
१५	,, एलनी डोनाल्ड	,,	सीनियर केम्ब्रेज	,,	...	,,
१६	,, बी० पी० पान्डे	चपरासी	हाई स्कूल	२०–१/२–२५	...	,,
१७	,, हुसन रजा	वहिल टैक्स इन्सपेक्टर	,,	७५–४–९०–ई०–बी०–५–१५०	...	,,
१८	,, शफीक अहमद	एच० सी० इन्सपेक्टर	हाई स्कूल	७५–४–९०–ई० बी०–५–१५०	...	,,

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	योग्यता	वेतन-क्रम	जाति	डाइरेक्ट या इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा नियुक्त
१	२	३	४	५	६	७
				रु०		
१९	श्री हमीद हुसैन	क्लीनर	...	२५	...	डाइरेक्ट
२०	,, ए.१० ए.१० कपूर	क्लर्क	हाई स्कूल	५०–२–६०–ई०बी०–४–१००	...	,,
२१	,, हरदेव सिंह	सहायक अध्यापक	बी०ए०, एल० टी०	७५–५–११०–६–१४०–ई०–बी०–७–१७५	...	,,
२२	,, बाबू लाल	वाटर वियरर	...	२०–१/२–२५	...	,,
२३	,, के० पी० श्रीवास्तव	...	...	...	...	,,
२४	,, मुस्तफा हुसैन	ड्राइवर	...	...	...	इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा ।
२५	मिस मित्रौती बनर्जी	सहायक अध्यापिका	ए० एम० आई०	७५–५–११०–६–१४०–ई०बी०–७–१७५	...	प्रबन्धक द्वारा
२६	मिसेज सुशील अग्रवाल	,,	मौन्टेसरी कोर्स (लन्दन)	१२०–६–१६८–८–२००	...	,,
२७	मिस गोपाला तिवारी	,,	बी० ए०, मौन्टेसरी ट्रेन्ड	७५–१७५	...	,,

२८	,, रूप लाल	चपरासी	हिन्दी पढ़ा	२०–१/२–२५	...	,,
			महिला आश्रम			
२९	श्रीमती ज्ञान मेहरोत्रा	रजिस्टर्ड नर्स	...	६०रु०+२५ रु० महंगाई अन्य भत्ता ३६ रु०	...	डाइरेक्ट
३०	,, रानी देवी	...	इन्टरमीडियेट	७५ रु०	...	,,
३१	श्री राघू दास	चौकीदार	वर्नाक्यूलर मिडिल पास	२०–१/२–२५	...	,,
३२	,, विजय बहादुर सिंह	गेटमैन	८वीं कक्षा पास	,,	...	,,
३३	,, मुकुट बिहारी	गेटमैन	हाई स्कूल	,,	...	,,
			टरमिनल टैक्स विभाग			
३४	,, राम हजारी	चपरासी	हिन्दी जानता है	२०–१/२–२५	...	,,
३५	,, धनवीर	गुननेर	,,	,,	...	,,
			सेवा सदन विभाग में			
३६	,, अभिलाष कुमार सक्सेना	कम्पाउन्डर	ट्रेन्ड कम्पाउन्डर	४५–२–६५–३–८०–४–१००	...	,,

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	योग्यता	वेतन-क्रम	जाति	डाइरेक्ट या एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा नियुक्त
१	२	३	४	५	६	७
				रु०		
३७	श्रीमती फहीमन	मेहतरानी	...	२०-१/२-२५	परिगणित	डाइरेक्ट
			चिकित्सा विभाग			
३८	श्री ज० सी० सेठ	सैनीटरी इन्सपेक्टर	क्वालीफाइड (Qualified) सैनीटरी इन्सपेक्टर	१२०	...	,,
३९	,, एम० एल० अग्रवाल	,,	,,	१२०	...	,,
४०	,, रशीद अहमद	,,	,,	१२०	...	,,
४१	,, सुशील कुमार	,,	,,	१२०	...	,,
४२	,, बाकर हुसैन	,,	,,	१२०	...	,,
४३	,, महादेव प्रसाद गुप्ता	वैक्सीनेटर	मिडिल पास तथा क्वालीफाइड (Qualified) वैक्सीनेटर	३५	...	,,
४४	,, जाकीर हुसैन	वैक्सीनेटर	,,	३५	...	,,

४५	श्रीमती जे० लाल	...	क्वालीफाइड (Qualified) नर्स	६०	...	,,
४६	श्री गोमती प्रसाद	कम्पाउन्डर	ट्रेन्ड कम्पाउन्डर	४५	...	डाइरेक्ट
४७	,, बी०के० तिवारी	क्लर्क	बी० ए०	५०	..	इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा।
४८	,, कुंवर बहादुर	सहायक सफाई हवलदार	८वीं कक्षा तक पढ़ा	२५	...	डाइरेक्ट
४९	,, प्यारे लाल बाल्मीकि	,,	६ठीं कक्षा तक पढ़ा	२५	परिगणित जाति	,,
५०	,, सरदार हुसैन	,,	हाई स्कूल फेल	२५	...	,,
			इंजीनियरिंग विभाग			
५१	,, नूरुद्दीन कादरी	ड्राफ्टमैन	अनुपयुक्त (Unqualified)	५०–२–६०	मुसलमान	,,
५२	,, रामचन्द्र अग्रवाल	सरवराकार	इन्टरमीडियेट (टेक्निकल सहायक)	७५–५–१५०	हिन्दू	,,
५३	कुमारी हरभजन कौर	इंगलिश स्टेनो	हाई स्कूल	९०–५–१८०	पंजाबी	,,
५४	श्री जगदीश दत्त तिवारी	थर्ड ग्रेड क्लर्क	,,	५०–२–६०	हिन्दू	,,

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	योग्यता	वेतन-क्रम	जाति	डाइरेक्ट या इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज द्वारा नियुक्त
१	२	३	४	५	६	७
				रु०		
५५	श्री गंगबिहारी लाल	टाइपिस्ट (थर्ड ग्रेड क्लर्क)	इन्टरमीडियेट	५०-२-६०	हिन्दू	डाइरेक्ट
५६	,, मोहम्मद रफीक	चपरासी	हाई स्कूल	२०-१/२-२५	मुसलमान	,,
		लाइटिंग विभाग	(Lighting Department)			
५७	,, अहमद हुसेन	जमादार	...	३०-१-३५	...	,,
५८	,, अब्बास हुसेन	जंगली जानवरों को पकड़ने वाला	...	२०-१/२-२५	...	,,
५९	,, रखलील बेग	,,	...	...	...	,,
६०	,, मुन्ना	,,	...	,,	...	,,
६१	,, गया प्रसाद	,,	...	,,	...	,,
६२	,, पहारी	,,	...	,,	...	
६३	,, रामसेवक	,,	...	,,	...	,,

६४	,, अली हुसेन	लाइटर	...	,,	...	,,
६५	,, असरफ हुसेन	,,	...	,,	...	,,
			कलेक्शन (अ) विभाग	**(Collection (A) Department)**		
६६	,, कौसलेन्द्र विक्रम सिंह	टैक्स इन्सपेक्टर	इन्टरमीडियेट	७५–४–९५–ई०बी०–५–१५०	...	,,
६७	,, कमलापति पांडे	टैक्स कलेक्टर	हाई स्कूल	४०–२–६०–ई०बी०–२०	...	,,
			शिक्षा विभाग	**(List of Trained Mistresses)**		
६८	उर्मिला श्रीवास्तवा	सहायक अध्यापिका	एच० टी० सी० ट्रेन्ड	३५–१–४०–ई०बी०–१–४५–ई०बी०–१–५०	...	इम्प्लामेंट एक्सचेंज द्वारा
६९	शान्ति भोला	,,	इन्टर, सी० टी०	,,	..	,,
७०	गंगारानी सक्सेना	सहायक अध्यापिका	हाई स्कूल सी० टी०	३५–१–४०–ई० बी०–१–४५–ई० बी०–१–५०	...	,,
७१	लीलावती तनेजा ...	,,	एच० टी० सी०	,,	...	,,
७२	महेश्वरी निगम ...	,,	इंटर, सी० टी०	,,	...	,,
७३	कृष्णावती श्रीवास्तव ...	,,	एच० टी० सी०	,,	...	,,

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम		पद	योग्यता	वेतन-क्रम	जाति	डाइरेक्ट या इम्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा नियुक्त
१	२		३	४	५	६	७
					रु०		
७४	रूप रानी	...	सहायक अध्यापिका	एच० टी० सी०	३५-१-४०--ई० बी०-१-४५--ई० बी०-१-५०	...	इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा।
७५	कृष्णा अग्रवाल	...	”	हाई स्कूल, सी० टी०	”	...	”
७६	मनोरमा देवी	...	”	एच० टी० सी०	”	...	”
७७	शान्ति शर्मा	...	”	”	”	...	”
७८	सत्यावती सिंह	...	”	हाई स्कूल, जे० टी०सी०	”	...	”
७९	नसीम फातिमा	...	”	इंटर, सी० टी०	”	...	”
८०	उर्मिला सक्सेना	...	”	”	”	...	”
८१	वाइलेट शिवलाल		”	एच० टी० सी०	”	...	”
८२	डी० ई० स्कॉट	...	”	हाई स्कूल, एच०टी०सी०	”	...	”
८३	उर्मिला देवी	...	”	एच० टी० सी०	”	...	”
८४	जेनेत रोबिनसन	...	”	हाई स्कूल, एच० टी० सी०	”	...	”

८५	सयादा खातून	...	,,	,,	,,	...	,,
८६	सरोज सिंह	...	लेडी क्लर्क	हाई स्कूल	५०—२—६०—ई० बी० —४—१००	...	,,

शिक्षा विभाग (List of untrained Mistresses)

८७	प्रेम कुमारी उपाध्याय		सहायक अध्यापिका	विद्या विनोदिनी	३० रु०	...	सरकार की स्वीकृति से एक सेशन के लिये नियुक्त की गई।
८८	सुशीला देवी	...	,,	,,	,,	...	,,
८९	कृष्णा चोपड़ा	...	,,	रतन प्रभाकर	,,	...	,,
९०	पुष्पा चटर्जी	...	,,	हाई स्कूल	,,	,,	,,
९१	अबीदा हासमी	...	,,	,,	,,	...	,,
९२	सिया प्यारी मिश्रा		,,	,,	,,	...	,,
९३	मनोरमा श्रीवास्तवा		...	,,	,,	...	,,
९४	जनक दुलारी माथुर	...	,,	,,	,,	...	,,
९५	विद्यावती पांडे	...	,,	,,	,,	...	,,

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	योग्यता	वेतन-क्रम	जाति	डाइरेक्ट या इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा नियुक्त
१	२	३	४	५	६	७
९६	चन्दा देवी ...	सहायक अध्यापिका	अपर मिडिल	रु० ३०	...	सरकार की स्वीकृति से एक सेशन के लिये नियुक्त की गई।
९७	जनक कुमारी कल्ला ...	,,	भूषन	,,	...	,,
९८	ऊषा देवी जैन ...	,,	हाई स्कूल ...	,,	...	,,
९९	रानी श्रीवास्तवा ...	,,	मिडिल ...	,,	...	,,
१००	सुखदेवी ...	,,	अपर मिडिल	,,	...	,,
१०१	कृष्णलता ...	,,	हाई स्कूल	,,	...	,,
१०२	विद्या श्रीवास्तवा ...	,,	विद्या विनोदिनी ...	,,	...	,,
१०३	चन्द्र मोहिनी रैना ...	,,	हाई स्कूल	,,	...	,,
१०४	कलावती देवी ...	,,	अपर मिडिल	,,	...	,,
१०५	कुन्ती अग्निहोत्री ...	,,	हाई स्कूल ...	,,	...	,,
१०६	दुर्गा चटर्जी ...	,,	विद्या विनोदिनी ...	,,	...	,,

१०७	राम सुमरनी ...	"	अपर मिडिल ...	"	...	"
१०८	रामप्यारी भटनागर ...	"	हाई स्कूल ...	"	"	"
१०९	ललिता बनपुरी ...	"	"	"	...	"
११०	ओमवती भटनागर ...	"	अपर मिडिल	"	...	"
१११	कृष्णा मिश्रा ...	"	विद्या विनोदिनी	"	...	"
११२	रामकुमारी राठौर ...	"	हाई स्कूल ...	"	...	"
११३	मनजीत कौर ...	"	"	"	...	"
११४	सुमित्रा नरौवला ...	"	"	"	...	"
११५	खुरशीद फातिमा ...	"	" ...	"	...	"
११६	शान्ति देवी ...	"	लोवर मिडिल ...	"	...	"
११७	शान्ता कुमारी ...	"	हाई स्कूल ...	"	...	"
११८	सावित्री खन्ना ...	"	रतन ...	"	...	"
११९	कमला चावला ...	"	हाई स्कूल ...	"	...	"
१२०	ए० जौसफ ...	"	एंग्लोवर्नाक्युलर मिडिल	"	...	"

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	योग्यता	वेतन-क्रम	जाति	डाइरेक्ट या इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा नियुक्त
१	२	३	४	५	६	७
१२१	प्रेमवादा मिश्रा ...	सहायक अध्यापिका	विदुषी तथा इंटर	३० रु०	...	सरकार की स्वीकृति ले कर एक सेशन के लिये नियुक्त की गई।
१२२	फारुका मसी ...	"	हाई स्कूल ...	"	...	"
१२३	हजरा बेगम ...	"	"	"	...	"
१२४	बिरजिस बान ...	"	"	"	...	"
१२५	लक्ष्मी सिन्हा ...	"	एंग्लो-वर्नाक्युलर मिडिल	"	...	"
१२६	सुलकसना गर्ग ...	"	साहित्य रत्न हाई स्कूल	"	...	"
१२७	नजमा हसन ...	"	हाई स्कूल	"	...	"
१२८	कमला ई० सिंह ...	"	हिन्दुस्तानी मिडिल	"	...	"
१२९	प्रभा अग्रवाल ...	"	हाई स्कूल	"	...	"
१३०	सुमित्रा मेहरोत्रा ...	"	मिडिल ...	"	...	"

१३१	प्रकाशवती	,,	हाई स्कूल	,,	,,
१३२	निर्मल कान्ता	,,	विद्याविनोदिनी	,,	,,
१३३	कोस्वरजहां रिजवी	,,	हाई स्कूल	,,	,,
१३४	लक्ष्मी देवी	,,	विद्या विनोदिनी	,,	,,
१३५	विमला देवी सक्सेना	,,	,,	,,	,,
१३६	निर्मल मलिक	,,	हाई स्कूल	,,	,,
१३७	शान्ति देवी सक्कार	,,	,,	,,	,,
१३८	हजूरआरा बेगम	,,	अपर मिडिल	,,	,,
१३९	वेद कुमारी	,,	मिडिल	,,	,,
१४०	लैकुनिसा	,,	एंग्लो–वर्नाक्यूलर मिडिल	,,	,,
१४१	शकुन्तला कुमारी	,,	हाई स्कूल	,,	,,
१४२	गिरजेश कुमारी	,,	हिन्दुस्तानी मिडिल	,,	,,
१४३	कमला सक्सेना	,,	विद्या विनोदिनी	,,	,,
१४४	कमला सिन्हा	,,	,,	,,	,,

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	योग्यता	वेतनक्रम	जाति	डाइरेक्ट या इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा नियुक्ति
१	२	३	४	५	६	७
१४५	बिमला टंडन ...	सहायक अध्यापिका	हाई स्कूल ...	३० रु०	...	सरकार की स्वीकृति लेकर एक सेशन के लिये नियुक्ति की गई।
१४६	ज्ञान देवी ...	,,	अपर मिडिल	,,	परगिणित	,,
१४७	कमलेश कुमारी ...	,,	विद्या विनोदिनी	,,	...	,,
१४८	माया देवी ...	,,	इंटर ...	,,	...	,,
१४९	सुशीला कुमारी पाठक	,,	हाई स्कूल ...	,,	...	,,
१५०	केसर कुमारी ...	,,	हिन्दुस्तानी मिडिल	,,	...	,,
१५१	उर्मिला खन्ना ...	,,	हाई स्कूल ...	,,	...	,,
१५२	शकुन्तला कुशवाहा ...	,,	विद्या विनोदिनी	,,	...	,,
१५३	विमला कुमारी ...	,,	,,	,,	...	,,
१५४	राजरानी ...	,,	हाई स्कूल ...	,,	...	,,

१५५	बिमला	...	"	"	"	...	"
१५६	प्रेमवती श्रीवास्तवा		"	विद्या विनोदिनी	"	...	"
१५७	लीलानाथ सिंह	...	"	हाई स्कूल ...	"	...	"
१५८	नाजमी बेगम	...	"	"	"	...	"
१५९	ऊषा सिन्हा	...	"	"	"	..	"
१६०	लीला वर्मा	...	"	इंटर ...	"	...	"
१६१	राजरानी खन्ना	...	"	हाई स्कूल ...	"	...	"
१६२	राधाप्यारी सक्सेना	...	"	"	"	...	"
१६३	श्यामा देवी	...	"	"	"	परिगणित	"
१६४	शिव प्यारी	...	"	विद्या विनोदिनी	"	..	"
१६५	गुदा देवी	...	"	हिन्दुस्तानी मिडिल	"	...	"
१६६	सुशीला मिनोचा	...	"	विद्या विनोदिनी	"	...	"
१६७	इशरत बानू	...	"	हाई स्कूल ...	"	...	"
१६८	कमनी श्रीवास्तवा	...	"	इन्टर ..	"	...	"

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम		पद	योग्यता		वेतनक्रम	जाति	डाइरेक्ट या इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा नियुक्ति
१	२		३	४		५	६	७
१६९	मोहनी वर्मा	...	सहायक अध्यापिका	विद्या विनोदिनी	...	३० रु०	...	सरकार की स्वीकृति लेकर एक सेशन के लिए नियुक्ति की गई
१७०	जी० मिश्रा	...	"	इन्टर	...	"	...	"
१७१	चुन्नी देवी	...	"	विद्या विनोदिनी		"	...	"
१७२	लीलावती श्रीवास्तवा		"	एंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल		"	...	"
१७३	मोहम्मदी बेगम	...	"	इन्टर		"	...	"
१७४	मलका बेगम	...	"	हाई स्कूल	...	"	...	"
१७५	शान्ति देवी	...	"	जूनियर हाई स्कूल		"	...	"
१७६	सहिल भटनागर	...	"	हाई स्कूल	...	"	...	"
१७७	इशरफ जहां	...	"	विद्या विनोदिनी		"	...	"
१७८	शान्ति श्रीवास्तवा	...	"	इंटर	...	"	..	"
१७९	सुशीला शर्मा	...	"	हाई स्कूल	...	"	...	"
१८०	रानी सक्सेना	...	"	बी० ए०	...	"	..	"

१८१	सावित्री पाल ...	"	"	"	...	"
१८२	के० अरोरा ...	"	विद्याविनोदिनी	"	...	"
१८३	श्यामा देवी सक्सेना	"	हाई स्कूल ...	"	...	"
१८४	लीला वोखरे ...	"	बी० ए० ...	"	...	"
१८५	चन्द्रकान्ता अरोरा ...	"	हाई स्कूल ...	"	...	"
१८६	मनोरमा ...	"	इन्टर ...	"		"
१८७	मोहनी चौधरी ...	"	अपर मिडिल ...	"	...	"
१८८	मीरा देवी ...	"	विद्या विनोदनी ...	"	...	"
			शिक्षा विभाग (untrained)		...	
१८९	श्री अमरनाथ ...	सहायक अध्यापक ...	वर्नाक्युलर फाइनल (अन्ट्रेन्ड)	३० रु०	...	बोर्ड द्वारा नियुक्त चूंकि ट्रेन्ड अध्यापक न मिलन के कारण
१९०	श्री गजराज प्रसाद ...	"	"	"	परिगणित	"
१९१	श्री मनीराम ...	"	"	"	...	"
१९२	श्री मुन्नू लाल ...	"	"	"	...	"

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	योग्यता	वेतनक्रम	जाति	डाइरेक्ट या इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा नियुक्त
१	२	३	४	५	६	७
१९३	श्री रामेश्वर प्रसाद ...	सहायक अध्यापक	वर्नाक्यूलर फाइनल (अन्ट्रेन्ड)	३० रु०	...	बोर्ड द्वारा नियुक्त चूंकि ट्रेन्ड अध्यापक न मिलने के कारण
१९४	श्री मथुरा प्रसाद ...	"	"	"	...	"
१९५	श्री विशेश्वर प्रसाद	"	"	"	...	"
१९६	श्री विश्वनाथ प्रसाद ...	"	"	"	...	"
१९७	श्री मोती लाल ...	"	"	"	...	"
१९८	श्री भगवान दीन ...	"	"	"	परिगणित	"
१९९	श्री राम शंकर ...	"	"	"	...	"
२००	श्री सुन्दर लाल ...	"	"	"	परिगणित	"
२०१	श्री द्वारिका प्रसाद	"	"	"	"	"

२०२	श्री मुन्नू लाल	...	,,	,,	,,	...	,,
२०३	श्री गुरई लाल	...	,,	,,	,,	परिगणित	,,
२०४	श्री वख्त बहादुर	...	,,	बी० ए० फाइनल (अन्ट्रेन्ड)	,,	...	,,
२०५	श्री विश्राम शर्मा	...	,,	बी० एफ० अन्ट्रेन्ड	,,	...	,,
२०६	श्री राम सुन्दर		,,	,,	,,	...	,,
२०७	श्री रघुनाथ सिंह	...	,,	,,	,,	...	,,
२०८	श्री शिवदास	...	,,	,,	,,	...	,,
२०९	श्री महाबीर प्रसाद	...	,,	,,	,,	...	,,
२१०	श्री पीताम्बर प्रसाद	...	,,	,,	,,	...	,,
२११	श्री श्रीनाथ	...	,,	,,	,,	...	,,
२१२	श्री हरपाल सिंह	...	,,	,,	,,	...	,,
२१३	श्री परस राम	...	,,	,,	,,	परिगणित	,,
२१४	श्री गुरचरन लाल	...	,,	,,	,,	,,	,,
२१५	श्री मेवा लाल	...	,,	,,	,,	...	,,

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम.	पद	योग्यता	वेतन क्रम	जाति	डाइरेक्ट या इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा नियुक्त
१	२	३	४	५	६	७
२१६	श्री हरीश चन्द्र ...	सहायक अध्यापक	बी० एफ० (अन्ट्रेन्ड)	३० ए०	...	बोर्ड द्वारा नियुक्त चूंकि ट्रेन्ड अध्यापक न मिलने के कारण
२१७	श्री द्वारका प्रसाद ...	,,	,,	,,	...	,,
२१८	श्री राम अवतार ...	,,	,,	..	...	,,
२१९	श्री चंद्रिका प्रसाद ...	,,	,,	,,	...	,,
२२०	श्री राम किशोर ...	,,	,,	,,	...	,,
२२१	श्री जगदीश प्रसाद ...	,,	,,	,,	...	,,
२२२	श्री हिम्मत बहादुर ...	,,	,,	,,	...	,,
२२३	श्री देवी प्रसाद ...	,,	,,	,,	...	,,
२२४	श्री जालपा प्रसाद ..	,,	,,	,,	...	,,
२२५	श्री वीरेन्द्र बहादुर ...	,,	,,	,,	...	,,
२२६	श्री केदार नाथ ...	,,	,,	,,	...	,,

२२७	श्री लालू राम	...	"	"	"	...	"
२२८	श्री बुद्ध सागर	...	"	"	"	...	"
२२९	श्री बराती लाल	...	"	"	"	...	"
२३०	श्री हरी प्रसाद	...	"	"	"	...	"
२३१	श्री राम अक्षयबर सिंह		"	"	"	परिगणित	"
२३२	श्री भगवानदीन	...	"	"	"	...	"
२३३	श्री जगन्नाथ प्रसाद	...	"	"	"	...	"
२३४	श्री राम दास	...	"	"	"	परिगणित	"
२३५	श्री महाबीर प्रसाद	...	"	"	"	परिगणित	"
			ट्रेन्ड अध्यापक (Trained Teachers)				
२३६	श्री श्री कृष्ण	...	सहायक अध्यापक	ट्रेंड एच० टी० सी०	३५–१–४०–१–५०रु०	...	समाचार-पत्रों में विज्ञापन किया तथा एक कमेटी द्वारा उनकी नियुक्ति की गई।
२३७	श्री शंकर लाल	...	"	"	"	...	"

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	योग्यता	वेतन-क्रम	जाति	डाइरेक्ट या इम्प्लायमेंट सक्सचेंज द्वारा नियुक्ति
१	२	३	३	५	६	७
२३८	श्री मु० नसीम ...	सहायक अध्यापक	ट्रेन्ड एच० टी० सी०	३५–१–४०–१–५०	...	समाचार पत्रों में विज्ञापन किया तथा एक कमेटी द्वारा इनकी नियुक्ति की गई
२३९	श्री जगतनारायण ...	"	"	"	...	"
२४०	श्री राममूर्ति सिंह ...	"	"	"	...	"
२४१	श्री चन्द्र भाल ...	"	"	"	...	"
२४२	श्री रमेश चन्द्र ...	"	"	"	...	"
२४३	श्री बंशधारी सिंह ...	"	"	"	...	"
२४४	श्री अब्दुल गफूर खां ...	"	"	"	...	"
२४५	श्री वहीद अहमद ...	"	"	"	...	"
२४६	श्री बाबू राम ..	"	"	"	...	"
२४७	श्री शिव दुलारे ...	"	"	"	...	"

२४८	श्री स्वरूप नारायण ...	,,	,,	,,		...	,,
२४९	श्री देवी शंकर ...	,,	,,	,,		...	,,
२५०	श्री शिव पाल सिंह ...	,,	,,	,,		...	,,
२५१	श्री जगदीश प्रताप सिंह	,,	,,	,,		...	,,
२५२	— ...	,,	,,	,,		...	,,
२५३	श्री राम सिंह ...	,,	,,	,,		...	,,
२५४	श्री राजेन्द्र सिंह ...	,,	,,	,,		...	,,
२५५	श्री लक्ष्मी चन्द्र ...	,,	,,	,,		...	,,
२५६	श्री मुहम्मद मुस्तफा ...	,,	बी० एफ० अन्ट्रेन्ड	३० रु०	...	...	बोर्ड द्वारा नियुक्त, चूंकि ट्रेन्ड अध्यापक न मिलने के कारण।
२५७	श्री श्याम नारायण ...	,,	,,	,,		...	,,
२५८	श्री कबीर अहमद ...	,,	,,	,,		...	,,
२५९	श्री सालिक राम ...	,,	,,	,,		...	,,
२६०	श्री गरप्रसाद ...	,,	,,	,,		..	,,

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम		पद	योग्यता	वेतन-क्रम	जाति	डाइरेक्ट या इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा नियुक्त
१	२		३	४	५	६	७
२६१	श्री राम नाथ	...	सहायक अध्यापक	बी० एफ० अन्ट्रेंड	३० रु०	...	बोर्ड द्वारा नियुक्त चूंकि ट्रेन्ड अध्यापक न मिलने के कारण
२६२	श्री रेवाधर	...	"	"	"	...	"
२६३	श्री अब्दुल रऊफ	...	"	"	"	...	"
२६४	श्री कपिल देव	...	"	"	"	...	,
२६५	श्री सुन्दर लाल	...	"	"	"	...	"
२६६	श्री राम रतन	...	"	"	"	...	"
२६७	श्री भोला नाथ	...	"	"	"	...	"
२६८	श्री बलभद्र प्रसाद	...	"	"	"	...	"
२६९	श्री विश्वनाथ गुप्ता	...	"	"	"	...	"
२७०	श्री मेवा लाल	...	"	"	"	...	
२७१	श्री चन्द्र नाथ	...	"	"	"	...	"

२७२	श्री गोबरधन लाल ...	"	"	"	...	"
२७३	श्री भगवान बख्श सिंह	"	"	"	...	"
२७४	श्री हर्षदीन ...	"	"	"	...	"
२७५	श्री राम शंकर ..	"	"	"	..	"
२७६	श्री रसिक बिहारी ...	"	"	"	...	"
२७७	श्री नगेन्द्र बहादुर ...	"	बी० ए०	"	...	"
२७८	श्री चन्द्र मूल ...	"	"	"	..	"
२७९	श्री रुद्र प्रताप ...	"	"	"	...	"
२८०	श्री मु० मुर्तजा ...	"	"	"	...	"
२८१	श्री जयकृष्ण लाल ...	"	"	"	...	"
२८२	श्री बिशेश्वर नाथ ...	"	"	"	...	"
२८३	श्री गंगा प्रसाद ...	"	"	"	..	"
२८४	श्री सुन्दर लाल ...	"	"	"	..	"
२८५	श्री बाबू राम निगम ...	"	हाई स्कूल ...	"	...	"

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	योग्यता	वेतन-क्रम	जाति	डाइरेक्ट या इम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज द्वारा नियुक्त
१	२	३	४	५	६	७
२८६	श्री ग्यानी राम ...	सहायक अध्यापक	हाई स्कूल	३० रु०	...	बोर्ड द्वारा नियुक्त चूंकि ट्रेंड अध्यापक न मिलने के कारण
२८७	श्री रामगोपाल ...	,,	,,	,,	...	,,
२८८	श्री ईश्वर दीन ...	,,	,,	,,	...	,,
२८९	श्री हरगोविन्द ...	,,	,,	,,	...	,,
२९०	श्री वसीउल्ला खां ...	,,	,,	,,	...	,,
२९१	श्री सूरज बक्श सिंह ...	,,	,,	,,	...	,,
२९२	श्री शंकर प्रसाद ...	,,	,,	,,	परिगणित	,,
२९३	श्री बुद्धी लाल ...	,,	,,	,,	,,	,,
२९४	श्री राम खिलावन ...	चपरासी	...	२० रु०	...	,,
२९५	श्री जगतनारायण ...	,,	...	,,	,,	,,

२९६	श्री ओरी लाल ...	,,	...	,,	...	,,
			बिल्डिंग सेक्शन (Building Section)			
२९७	श्री नियाजुल हसन स्थायी सर्वेयर	अस्थायी सरबराकार	निपुण सर्वेयर तथा डाफ्ट्समैन	७५–४–९५–ई० बी० –५–१५० रु०	...	डाइरेक्ट
२९८	श्री रफीकुर रहमान	अस्थायी मोहर्रिर	हाई स्कूल पास	३५–१ १/२–५० रु०	...	इक्जीक्यूटिव अफसर द्वारा।
२९९	श्री मुस्तफा हुसैन ...	,,	,,	,,	...	,,
३००	श्री एस० एन० तिवारी	अस्थायी सर्वेयर	हाई स्कूल ...	६०–३–९०–ई० बी–५–१२० रु०	...	डाइरेक्ट प्रशासक द्वारा।
३०१	श्री अलीअब्बास ...	अस्थायी सर्वेयर	हाई स्कूल ...	६०–३–९०–ई० बी० –५–१२० रु०	...	प्रशासक द्वारा।
३०२	श्री अब्दुल रसीद स्थायी स्थायी ट्रेसर	अपयुक्त ड्राफ्ट्समैन	अपयुक्त ...	७५–४–९५–ई० बी० –५–१५० रु०	...	,,
३०३	श्री गोपाल कृष्ण ...	अस्थायी ट्रेसर ...	हाई स्कूल पास	५०–२–६०–ई० बी–४–१०० रु०	...	,,
३०४	श्री वजीर हसन ...	अस्थायी इन्स्पेक्टर	हाई स्कूल तक ...	७५–४–९५–ई० बी०–५–१५० रु०	...	,,

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	योग्यता	वेतन-क्रम	जाति	डाइरेक्टर या इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज द्वारा नियुक्त
१	२	३	४	५	६	७
			म्युनिसिपल इंजीनियरिंग विभाग			
३०५	श्री उजगर ...	कुली	...	३१-४-० ...	परिगणित	डाइरेक्ट
३०६	श्री सीता राम ...	खल्लासी	...	२०-१/२-२५ ...	...	"
३०७	श्री दुलारे ...	चपरासी	...	२०-१/२-२५ ...	...	"
३०८	श्री राम नाथ ...	कुली	...	३१-४-० ...	परिगणित	"
३०९	श्री सरजू प्रसाद ...	"	...	"	...	"
३१०	श्री कन्धई ...	मिस्त्री	क्वालीफाइड (qualified)	४०-२-६०-ई० बी० २ १/२-८०	परिगणित	
३११	श्री कुंज बिहारी ...	बेलदार	...	३२ रु० ...	...	
३१२	श्री सियराम ...	कार्टमैन	...	२०-१/२-२५	...	
३१३	श्री मिश्री लाल ..	"	...	"	...	

३१४	श्री हबीब ...	रौलर ड्राइवर ...	क्वालीफाइड लाइसेंस होल्डर	५०–३–८०	...	इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा बुलाये जाने पर नियुक्ति की गई।
३१५	श्री ब्रिजलाल ...	बेलदार	...	३२ रु०	...	डाइरेक्ट
३१६	श्री राज किशोर ...	प्लम्बर फिटर	ट्रेन्ड ...	४५–२–६५–ई० बी०–२१/२–९०	...	"
३१७	श्री राम बहादुर ...	चौकीदार	..	२०–१/२––२५	...	"
३१८	श्री मुरली मनोहर ...	फाइर मैन	...	३०–१/½–४५	..	
३१९	श्री नरेशचन्द्र त्रिपाठी ...	सर्वेयर	क्वालीफाइड (qualified)	६०–३–९० ई० बी०–५–१२०	...	म्प्लायमेंट एक्स–चेंज द्वारा।
३२०	श्री राधेश्याम मैथानी ...	"	"	"	"	"
३२१	श्री आर० सी० अग्रवाल ...	ओवरसियर	"	१२०–५–१५०–ई० बी०–७ १/२–२४०	...	समाचार–पत्रों में विज्ञापन करनेके बाद एक कमटी द्वारा इन्टरव्यू ले कर नियुक्त किया।
३२२	श्री एस० एन० पी०अग्रवाल	ए० एम० ई०	क्वालीफाइड (qualified) ...	३००–२०–४००–ई० बी०–२५–६००	...	"

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	योग्यता	वेतन-क्रम	जाति	डाइरेक्ट या इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज द्वारा नियुक्त
१	२	३	४	५	६	७
३२३	श्री एन० सी० सहगल ..	क्लर्क	क्वालीफाइड qualified	५०-२-६०-ई० बी०-४-१००	...	इम्प्लायमेंट एक्स-चेंज द्वारा
३२४	श्री कन्हैया लाल ...	वर्क एजेन्ट	"	४०-२-६०-ई० बी०-२ १/२-८०	...	विभाग द्वारा।
			माडल मौन्टेसरी स्कूल			
३२५	कुमारी आर० के० कक्कड़	सहायक अध्यापिका	बी० ए०, एल० टी०	७५ रु०	...	डाइरेक्ट (विभाग द्वारा)।
३२६	श्रीमती कृष्णा अरोरा	"	सी० टी० मौन्टसरी ट्रेन्ड	७५ रु०	..	"
३२७	श्री करीम बख्श ...	क्लीनर	प्राइमरी शिक्षा	...	..	"
		कलेक्शन (ब) में नियुक्त [Appointments in Collection (B)]				
३२८	श्री कृष्ण मुरारी ...	क्लर्क	हाई स्कूल ...	५०-२-६०-ई० बी०-४-१००।	...	"
३२९	श्री आत्मा प्रकाश पांडे	"	इन्टरमीडिएट	"	...	"

३३०	श्री प्रम नरायन ...	,,	हाई स्कूल	,,	..	,,
३३१	श्री आर० के० अग्रवाल	,,	,,	,,	...	,,
३३२	श्री शिकान्त ...	,,	इंटरमीडिएट	,,	...	,,
३३३	श्री फूलचन्द्र सिंह ...	,,	हाई स्कूल	,,	...	,,
३३४	श्री मोहम्मद आरिफ	,,	,,	,	..	,,
३३५	श्री सिद्ध नाथ ...	,,	इंटरमीडिएट	,,	...	,,
३३६	श्री रमाकान्त ..	,,	,,	,,	...	,,
३३७	श्री हिम्मतराय ...	रेवेन्यु इंस्पेक्टर	अनक्वालीफाइड (unqualified)	७५–४–९५–ई० बी०–५–१५०	...	,,
३३८	श्री ऐजाज हुसैन ...	,,	बी० ए०	,,	...	,,
३३९	श्री इबरार हुसैन ...	,,	हाई स्कूल	,,	...	,,
३४०	श्री दयानन्द गुप्ता ..	,,	,,	,,	...	,,
३४१	श्री दयानन्द गुप्ता ...	बिल कलेक्टर ...	,,	४०–२–६०–ई० बी० २ १/२–८०	...	,,

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	योग्यता	वेतन-क्रम	जाति	डाइरेक्ट या इम्प्लायमेंट एक्स-चेंज द्वारा नियुक्ति
१	२	३	४	५	६	७
३४२	श्री मोहम्मद मोसीन ...	बिल कलेक्टर ...	अनक्वालीफाइड (unqualified)	४०-२-६०-ई० बी०-२ १/२-८०	...	,,
३४३	श्री नानक सरन ...	,,	,,	,,	...	,,
३४४	श्री नासीर मिर्जा ...	,,	हाई स्कूल	,,	...	,,
३४५	श्री इबरार हुसैन ...	,,	,,	,,	...	,,
३४६	श्री श्यामनरायन मिश्रा	,,	इंटरमीडिएट	,,	...	,,
३४७	श्री रमजान अली ...	,,	अनक्वालीफाइड (unqualified)	,,	...	,,
३४८	श्री वेद प्रकाश ...	,,	हाई स्कूल	,,	...	,,
३४९	श्री कृष्ण नन्द ...	,,	,,	,,	...	,,
३५०	श्री प्रभास चन्द्र ...	,,	,,	,,	...	,,
३५१	श्री प्रेम चन्द्र ...	,,		,,	...	,,
३५२	श्री जाहिरुल इसलाम	,,	,,	,,	...	,,

३५३	बिन्दा प्रसाद ...	,,	,,	,,	...	,,
३५४	श्री फूलचन्द्र सिंह	,,	,,	,,	...	,,
३५५	श्री सुखदेव बिहारी ...	,,	,,	,,	...	,,
३५६	श्री सूरज प्रताप ...	,,	अनक्वालीफाइड ... (unqualified)	,,	...	,,
३५७	श्री सतीश चन्द्र ...	,,	हाई स्कूल ...	,,	...	,,
३५८	श्री मोहीउद्दीन ...	चपरासी ...	अनक्वालीफाइड (unqualified)	२०–१/२–२५	...	,,
३५९	श्री रमजान अली ...	,,	,,	,,	...	,,
३६०	श्री सूरज प्रताप ...	,,	,,	,,	...	,,
३६१	श्री राम अवतार ...	,,	,,	,,	...	,,
३६२	श्री रमेश चन्द्र ...	,,	,,	,,	...	,,
३६३	श्री हजारी ...	,,	,,	,,	...	,,
३६४	श्री पूरन ...	,,	,,	,,	परिगणित	,,
३६५	श्री गिरवरबहादुर ...	,,	,,	,,	...	,,

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	योग्यता	वेतन-क्रम	जाति	डाइरेक्ट या इम्प-लायमेंट एक्सचेंज द्वारा नियुक्ति
१	२	३	४	५	६	७
३६६	श्री महादेव प्रसाद ...	चपरासी	अनक्वालीफाइड (unqualified)	२०–१/२–२५	...	डाइरेक्ट विभाग द्वारा।
३६७	श्री बद्री प्रसाद ...	,,	,,	,,	...	,,
३६८	श्री बाबू लाल ...	,,	,,	,,	...	,,
३६९	श्री हरिश्चन्द्र ...	,,	,,	,,	...	,,
३७०	श्री नरायन प्रसाद ...	,,	,,	,,	...	,,
३७१	श्री राम बहादुर ...	,,	,,	,,	...	,,
३७२	श्री देवी सिंह ...	,,	,,	,,	...	,,
३७३	श्री छोटे लाल ...	,,	,,	,,	...	,,
३७४	श्री अब्बास ...	बिल सरवर	,,	,,	...	,,
३७५	श्री मोहम्मद बाकर ...	,,	,,	,,	...	,,
३७६	श्री हजारी ...	,,	,,	,,	...	,,

३७७	श्री बी० एन० रंमसन	”	हाई स्कूल		...	”
३७८	श्री मोहीउद्दीन ...	कट्र्स (cutters)	अनक्वालीफाइड (unqualified)	२ रु० प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी	...	”
३७९	श्री हजारी ...	”	”	”	...	”
३८०	श्री कामरउद्दीन ...	”	”	”	...	”
३८१	श्री नाजिम अली	”	”	”	...	”
३८२	देवी सिंह ..	कुली (coolie)	”	१ रु० ८ आ० प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी	...	”
३७३	श्री पूरन ...	”	”	”	...	”
३८४	श्री हरीश ...	”	”	”	परिगणित	”
३८५	श्री नारायन प्रसाद	”	”	”	...	”

नत्थी 'ख'

(देखिए प्रश्न संख्या ४४ का उत्तर पृष्ठ १२८ पर)

सूची

नगरपालिका का नाम		अवक्रान्त होने की तिथि
१—सहारनपुर	...	२१ फरवरी, १९५६।
२—रामपुर	...	२ मई, १९५६।
३—अल्मोड़ा	...	६ मई, १९५६।
४—कोंच	...	२६ जुलाई, १९५६।
५—गाजीपुर	...	४ फरवरी, १९५६।
६—हमीरपुर	...	१ दिसम्बर, १९५६।
७—बुलन्दशहर	...	१ दिसम्बर, १९५६।
८—गोला गोकर्णनाथ	...	६ दिसम्बर, १९५६।
९—अलीगढ़	...	२२ सितम्बर, १९५२।

APPENDIX 'A'

[*See answer to qusetion no. 53 in Hindi on page 130.*]

Statement showing the amount of grant-in-aid paid during the Year

Sl. no.	Name of Municipal Board	Purpose	1946-47	1947-48	1948-49	1949-50	1950-51	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56 & 56-57
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	Amroha	Drainage	..	74,000	1,04,465	..	..	..	..	..	..	..
2	Naini Tal	,, (Sewage)	..	1,33,000	..	..	..	..	..	..	..	..
3	Hathras	,,	..	50,000	..	..	..	..	..	..	..	..
4	Agra	,,	..	3,00,000	7,52,400	3,56,000	3,47,100	..	..	..	53,000	..
5	Aligarh	,,	..	..	..	..	..	..	1,40,000	1,00,000	1,72,000	..
6	Faizabad	Ayodhya Drainage	..	..	..	..	..	..	75,000	28,550	1,00,000	..
7	Bahraich	Drainage	..	..	..	..	..	..	73,000	50,000	50,000	..
8	Orai	,,	..	..	..	..	..	..	..	1,00,000	1,00,000	..
9	Deoria	,,	..	..	..	..	..	..	50,000	1,00,000	50,000	..
10	Ghaziabad	,,	..	..	1,20,000	..	..	1,00,000	..	..	..	..
11	Hardwar	Storm Water Drainage	..	..	..	2,50,000	..	..	..	..	..	..
12	Hardoi	..	..	..	..	..	..	50,000	..	..	..	..
13	Vrindaban	..	..	..	..	..	..	90,700	..	71,450	..	..
14	Ballia	Mcpl. Drainage	..	..	..	..	..	..	50,000	50,000	75,000	..

नत्थी 'ग'

(देखिए प्रश्न संख्या ५८ का उत्तर पृष्ठ १३३ पर)

सूची "ख"

शर्तें जिनके साथ वर्ष १९५३-५४ में सड़क अनुदान दिया गया था।

१—कवाल नगरों के म्युनिसिपल बोर्डों के प्रशासक आपको कोई निर्देश (reference) किये बिना स्वयं अनुदान का उपयोग करेंगे।

२—बोर्ड कार्य का संपादन स्वयं अपने ही साधन (agency) द्वारा करेंगे।

३—अनुदानों का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जायगा, जिनके लिये वे दिये गये हों।

४—यदि अनुदान सामान्यतः सड़कों के सुधार के लिये दिये गये हों तो वे केवल सड़कों के नवीकरण, पुनर्निर्माण या सुधार पर खर्च किये जायेंगे।

५—कार्य के लिये ठेके आपकी स्वीकृति से केवल उन्हीं ठेकेदारों को किये जायेंगे, जो बोर्ड की स्वीकृति सूची में हों। केवल कवाल नगरों के म्युनिसिपल बोर्डों को छोड़कर।

६—कार्य का पर्यवेक्षण (supervision) सामान्यतः आप के द्वारा होगा (केवल कवाल नगरों को छोड़कर)।

७—ठेकेदारों को चालू (running) बिलों का भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग से परामर्श करने के बाद किया जायगा।

८—अन्तिम भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग से परामर्श करने और इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद, कार्य सन्तोषजनक रूप से समाप्त हो गया है, आप की स्वीकृति से किया जायगा (केवल कवाल नगरों के म्युनिसिपल बोर्डों को छोड़कर)।

९—संबंधित बोर्डों के अगले वर्ष के बजट में सड़कों के पुनर्निर्माण तथा मरम्मत के लिये की गयी धनराशि की व्यवस्था उसी रूप में करेगी और उसके किसी भी भाग का उपयोग किसी दूसरे शीर्षक के अधीन न किया जायगा।

१०—जहां तक संभव हो, उस म्युनिसिपल बोर्ड को भी, जिसे अनुदान प्राप्त हो, चाहिये कि स्वयं अपनी निधि से उस परियोजना की लागत के निमित्ति अंशदान दे, जिसके लिये इन अनुदानों का उपयोग किया जाय।

११—जब तक कि कार्य पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाय, जिससे बिलों का अन्तिम भुगतान भी सम्मिलित है, तब तक प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के पश्चात् यथाशीघ्र त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट सरकार के पास नगरपालिका (क) विभाग में यथोचित माध्यम (proper channel) से भेजी जायेगी।

१२—ज्यों ही कार्य समाप्त हो जाय और सहायक अनुदान का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाय त्योंही उसकी सूचना एकाउन्टेंट जनरल, उत्तर प्रदेश तथा इक्जामिनर, लोकल फन्ड एकाउन्ट्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजी जाये और साथ ही उसकी एक प्रतिलिपि सूचनार्थ सरकार को नगरपालिका (क) विभाग में भी भेजी जाय और १३ अनुदानों का पूर्ण उपयोग ३१ मार्च, १९५६ तक बिना चूके कर लिया जायगा।

वर्ष १९५४-५५, १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में उपर्युक्त समस्त शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिवाय निम्नांकित के :—

उपर्युक्त शर्त १० में निम्नांकित रूप में परिवर्तन हुआ:—

प्रत्येक बोर्ड वर्ष १९५५–५६ में सड़क संबंधी कार्यों पर व्यय के निमित्ति स्वयं अपनी निधि से कम से कम उस अनुदान की धनराशि के, जो उसे प्राप्त हों, बराबर अंशदान देगा।

वर्ष १९५६–५७ में उपर्युक्त शर्त में पुनः निम्नांकित रूप में परिवर्तन हुआ:—

प्रत्येक बोर्ड चालू वित्तीय वर्ष में सड़क संबंधी कार्यों पर व्यय के निमित्त स्वयं अपनी निधि से उस अनुदानों की जो इसमें स्वीकृत हुए हैं, कम से कम आधी धनराशि के बराबर अंशदान देगा और वह अनुदान के शेष भाग के बराबर अंशदान १९५७–५८ में देगा, किन्तु यदि किसी कारण बोर्ड इस कार्य के लिये अपने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में कोई धनराशि नियत न कर सके, तो वह १९५७–५८ के बजट में अंशदान की पूर्ण धनराशि की व्यवस्था करेगा।

शर्त नं० १२ में निम्नांकित रूप में परिवर्तन हुआ:—

ज्यों ही कार्य समाप्त हो जाय और सहायक अनुदान का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाय और हर हालत में, अधिक से अधिक ३१ मार्च, १९५६ तक सम्पूर्ण अनुदान के यथोचित उपयोग के बारे में सूचना एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश, तथा इक्जामिनर लोकल फंड एकाउन्ट्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजी जाय और साथ ही उसकी एक प्रतिलिपि सूचनार्थ सरकार के के पास नगरपालिका (क) विभाग में भी भेजी जाय, और

शर्त नं० १३ में निम्नांकित रूप में परिवर्तन हुआ:—

अनुदानों का पूर्ण उपयोग वित्तीय वर्ष १९५५–५६ के भीतर कर लिया जायगा। बोर्ड को सावधान कर दिया जाय कि इस शर्त का पालन न किया जाना एक गंभीर बात मानी जायगी और इस संबंध में की गयी चूक का, किसी अन्य कार्यवाही पर जिसे परिस्थितियों को देखते हुए सरकार उपयुक्त समझे, कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना, चूक करने वाले बोर्ड के लिये परिणाम यह हो सकता है कि उसे आगे से तब तक कोई भी सड़क अनुदान पाने का अधिकार न रह जाय जब तक कि इसमें स्वीकृत अनुदान तथा पिछले अप्रयुक्त अनुदानों का यदि कोई हों, यथोचित रूप में उपयोग न कर लिया जाय।

APPENDIX 'B'

[See answer to question no. 58 on page 133.]

Conditions with which Road-grant in the year 1953-54 was given

1. The Administrators of Municipal Boards of KAVAL towns will utilize the grant themselves ond without any reference to you ;

2. that the Boards will carry out the work through their own agency;

3. that the grants shall be spent only on the purpose for which they are intended;

4. that where grants are intended for improvement of roads generally they shall be spent only on renewal, reconstruction, or improvement of roads;

5. that the contracts of work shall be given with your approval only to the contractors on the approved list of the Board (except in the case of Municipal Boards of KAVAL town) ;

6. that the work will generally be supervised by you (except in the case of Kaval towns);

7. that the payment of running bills of contractors shall be made after taking the advice of Public Works Department ;

8. that the final payment shall be made with your approval (except in the case of Municipal Boards of KAVAL towns) after taking the advice of Public Works Department and obtaining a certificate that the work has been completed satisfactorily;

9. that the provisions made in the next year's budget of the respective boards for reconstruction and repairs to roads shall stand and that no part of it shall be diverted to another head;

10. that, so far as may be, the Municipal Board which receive grants should also contribute from their own funds towards the cost of the projects for which these grants are utilised;

11. that a quarterly progress report shall be submitted to Government in Municipal (A) Department, through proper channel as soon as possible after the close of every quarter till the work is fully completed, including the final payment of bills;

12. that as soon as the work is completed and the grant-in-aid is fully utilised an intimation should be sent to Accountant General Uttar Pradesh and the Examiner, Local Fund Accounts, Uttar Pradesh, Allahabad, about it under endorsement to Government in the Municipal (A) Department; and

13. that the grant shall be utilised fully by March 31,1956 without fail.

In the years 1954-55, 1955-56 and 1956-57 all the above conditions were unchanged but for the following :

Condition no. 10 above was changed as under :

That a contribution equivalent, at least, to the amount of grant received shall be made by each Board from its own funds towards expenditure on road works during the year 1955-56.

In the year 1956-57, the above condition was again changed as follows :

That a further contribution equivalent at least to half of the amount of grant sanctioned herein shall be made by each Board from its own funds towards expenditure on road works during the current financial year and the contribution equivalent to the remaining portion of the grant shall be made during the financial year 1957-58, provided that if for any reason a Board is unable to provide any amount in its current year's budget for the purpose, it shall provide the full amount of its contribution in its budget for 1957-58.

Condition no. 12 above was changed as under :

"That as soon as the work is completed and the grant-in-aid is fully utilized and, in any case, not later than March 31, 1956, an intimation about the due utilization of the entire grant should be sent to the Accountant General, Uttar Pradesh, and the Examiner, Local Fund Accounts, Uttar Pradesh, Allahabad, under intimation to Government in the Municipal (A) Department;" and

Condition no. 13 above was changed as under :

"That the grants shall be utilized in full within the financial year 1955-56; the Board should be cautioned that failure to comply with this condition will be taken serious notice of, and any default in this behalf may, without prejudice to any other action which the Government may deem appropriate to be taken in the circumstances, result in the defaulting Board forfeiting its claims for any subequent allotment of road-grant till the grant sanctioned herein and the previous unutilized grants, if any, have been duly utilized."

नत्थी 'घ'

(देखिए प्रश्न सं० ६६ का उत्तर पृष्ठ १३७ पर)

सन् १९५४–५५, १९५५–५६ तथा १९५६–५७ में करों, किराये और ठेके से संबंधित कुल बकाया रकमों का विवरण, जो नगरपालिका, उरई द्वारा देय है––

		१९५४–५५	१९५५–५६	१९५६–५७
		रु०	रु०	रु०
ठेके ...	...	...	...	६,९७५
कर व किराया	...	*	१,२०,७६८	१,७१,००३
कुल धन	...	*	१,२०,७६८	१,७७,९७८

*आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

APP I N I X

[*See* answer to question no. 66 on page 137]

Statement showing the amount of the total arrears of the Municipal Board, Orai, dues on taxes, rent and contract during the years 1954-55, 1955-56 *and* 1956-57.

	1954-55	1955-56	1956-57
	Rs.	Rs.	Rs.
Contrac ·	Nil	Nil	6,975
Taxes and r· n	*	1,20,768	1,71,003
Total dues	*	1,20,768	1,77,978

*Figures not availabl·.

नत्थी 'ङ'

(देखिए प्रश्न सं० ६७ का उत्तर पृष्ठ १३८ पर)

३१ मार्च, १९५७ को उरई नगरपालिका द्वारा कुल दी जाने वाली रकम का विवरण

		रु०	आ०
सरकारी ऋण की किस्तें	...	८९,११४	०
मीटर की कीमत	...	२५,२९४	०
पशु चिकित्सा अस्पताल (निर्धारित किस्तों के अनुसार)	...	४,०००	०
सदर अस्पताल	...	१,५५२	०
सड़कों की मरम्मत के लिये ठेके	...	७,१७०	०
पुरुषार्थियों की दूकानों की मरम्मत	...	२,५३३	०
जिला बोर्ड, जालौन को पशु-चिकित्सा संबंधित अनुदान	...	२०,९३३	१४
योग	...	१,५०,५९६	१४

APPENDIX 'D'

[See answer to question no. 67 on page 138.]

Statement showing total liabilities on Orai Municipal Board's fund on March 31, 1957.

		Rs.	a.
Government loan instalments	..	89,114	0
Meter cost	..	25,294	0
Veterinary Hospital (according to instalment fixed)	..	4,000	0
Sadar Hospital	..	1,552	0
Constracts for road repairs	..	7,170	0
Construction of refugee shops	..	2,533	0
Veterinary contribution to District Board, Jalaun ..	..	20,933	14
Total	..	1,50,596	14

नत्थी 'च'

[देखिये प्रश्न संख्या ९९ का उत्तर पृष्ठ १३९ पर]

Extract taken from Inspection Report of Executive Engineer

9. **Distribution system** : Total number of connections up to date was reported to be 839, out of which 826 connections were metered and 13 were unmetered. The unmetered connections should also be metered immediately to avoid wastage. The number of non-domestic connections was reported to be 15 and these were all metered. At the time of previous inspection, it was noted that there were 50 standposts. The number of the standposts now is 55 and the Water-works Engineer reported that he had already instructions from the President to add about 5 more standposts, so that the total number would soon be 60. Even with the previous number, i. e. 55, it was pointed out by Chief Engineer, Local Self-Government Engineering Department, Uttar Pradesh, during his previous inspection that the number of standsposts for a town like Orai was too high. With the addition of these standposts, the economics of the Water Supply Undertaking would be effected. It was, however, observed that at no time the approval of the Chief Engineer, Local Self-Government Engineering Department was taken to increase the standposts. This is in contravention to G. O. no. 3412/XI-A—644-54, dated June 16, 1954, a copy of which has already been forwarded to the Municipal Board, Orai. In this Government Order, the Presidents of all the Municipal Boards having Waterworks, were advised not to increase the number of standposts without getting the prior approval of the Chief Engineer, Local Self-Government Engineering Department, Uttar Pradesh. It is not understood why the Municipal Board did not follow the procedure laid down by Government.

It was also noted that the distribution system have been extended as outlined below :

Locality	Length of mains	Size of mains	Number of stand-posts	Number of domestic connections	Remarks
		1954-55			
Sadanpur[i]	344 ft. 65 ft.	1" dia. G. I. ¾" ditto	2	..	
Tilaknagar	397 ft.	¾" ditto	2		
Ramnagar	582 ft.	1" ditto	2	3	
Gopalganj	15 ft.	¾" ditto	1	..	
Konch Road	400 ft.	¾" ditto	1	..	
Ganesh Ganj (i)	320 ft.	1" ditto	1	..	
(ii)	234 ft.	1" ditto	1	..	
Shyamnagar ..	100 ft.	1" ditto	..	3	
Shivapuri ..	250 ft.	1" ditto	1	..	
		1955-56			
Chandranagar	164 ft. 371 ft.	1½" dia. G. I. 1" ditto	1	6	
Vallabhanagar	80 ft.	1" ditto	1	..	
Tilaknagar	372 ft. 100 ft.	1½" ditto 1" ditto	1	8	

Locality	Length of mains	Size of mains		Number of stand-posts	Number of domestic connections	Remarks
		1955-56				
Tulsinagar ..	476 ft.	1″	dia. G. I.	..	5	
Gandhinagar..	920 ft.	1½″	ditto	..		
		1″	ditto	..	5	
Nai Basti ..	80 ft.	1″	ditto	..		
	69 ft.	¾″	ditto	..	9	
		1956-57				
Ramnagar	442 ft.	1″	dia. G. I.	..	4	
(Extension to Ram			ditto			
Babu's house)			ditto			
Rajendranagar	170 ft.	1″	ditto	..	3	
Gopalganj	288 ft.	1″	ditto	1	3	
Nai Basti (i)	215 ft.	1″	ditto	..	4	
(ii)	485 ft.	1″	ditto	..		
(iii)	130 ft.	2″	ditto	..	11	
	210 ft.	1″	ditto	..		
	60 ft.	¾″	ditto	..	9	
Gopalganj..	719 ft.	½″	ditto	..		
	100 ft.	1″	ditto	..	8	
Jawaharganj	180 ft.	1″	ditto	..	4*	
Tulsinagar						
Nai Basti (i)	82 ft.	½″	ditto	1	..	Executed in February 1957, as per order of President, dated February 20, 1957.
(ii)	125 ft.	¾″	ditto	1	..	Executed in February 1957, as per order of Executive Officer, dated Februray 21, 1957.
Tilaknagar ..	111 ft.	½″	ditto	1		Ditto.
Hazaripura ..	370 ft.	¾″	ditto	1	..	Ditto.
Ganeshganj'..	700 ft.	1″	ditto	..	8	

*Executed in January, 1957, as per order of President, dated January 21, 1957.

It will be seen from the above that so many new extensions have been carried out without making any reference to Chief Engineer, Local Self-Government Engineering Department, as required in rule no. 9, Part II of Municipal Manual, Volume I. This is very irregular. Such haphazard extensions are technically very unsound. Additions of these lines have not brought about any material relief to the public. On the other hand, most of the consumers on this new main are actually not getting enough water and the consumers on the main line have also been affected to some extent. The total extensions of various sizes has been to the extent of about 2 miles at the cost of about 20,000 as reported by Executive Officer and Waterworks Engineer. The Waterworks Engineer has been instructed to mark all these extensions on the index plan after taking fresh measurements and submit these to this office for information and record.

नत्थी 'छ'

(देखिये प्रश्न संख्या ७५ का उत्तर पृष्ठ १४० पर)

Statement showing prevailing rates of Water Tax in the Municipalities of Uttar Pradesh

Serial no.	Name of Municipality	Per cent of water tax
1.	Agra	11 ¼%
2.	Allahabad	Rs. 6-12%—on property valued up to Rs. 120/ per annum and above that at Rs. 10-2%.
3.	Varanasi	7½%
4.	Kanpur	6¼%
5.	Lucknow	8-7/16%
6.	Mussoorie	6%
7.	Naini Tal	6¾%
8.	Faizabad	9-3/8%
9.	Hardwar	7-50%
10.	Gorakhpur	12-50%
11.	Unnao	7 ½%
12.	Bareilly	10%
13.	Farrukhabad-cum-Fatehgarh ..	Rs. 8 up to Rs. 120 per year. Rs. 12 per cent above Rs. 120 per year.
14.	Saharanpur	10%
15.	Ghazipur	12-50%
16.	Bahraich	8¼%
17.	Kosi Kalan	9-4%
18.	Etawah	9 3/8%
19.	Moghal Sarai	7-13%
20.	Vrindaban	8%
21.	Ghaziabad	4-11%
22.	Rampur	10%
23.	Hardoi	10%
24.	Basti	10%
25.	Roorkee	10%
26.	Ballia	10%
27.	Pratapgarh	12%
28.	Padrauna	12 ½%
29.	Hapur	10%
30.	Azamgarh	10%
31.	Sandila	10%
32.	Deoria	10%
33.	Najibabad	12 ½%
34.	Firozabad	6 ¼%
35.	Dehra Dun	5%

Serial no.	Name of Municipality	Per cent of water tax
36.	Jhansi	Rs.12 to Rs. 120—7¾ Rs.12-to Rs. 300— Rs. 9-6% Rs.301 to Rs.500—Rs. 10-15 above Rs. 500— Rs. 12-8%
37.	Fatehpur-Sikri	Rs. 12 ½%
38.	Orai	Rs. 7 ½%
39.	Banda	Rs. 30 with a maximum of Rs. 120 per annum.
40.	Jaunpur	10-15%
41.	Mathura	8 ½%
42.	Hathras	2-50%
43.	Fatehpur	12½%

नत्थी

(देखिये प्रश्न सं० ७६

Statement showing amount of loan

Serial no.	Name of Municipal Board		Purpose	1946-47	1947-48	1948-49
				Rs.	Rs.	Rs.
1	Agra ..	..	W. S. S.	2,70,000	6,00,000	6,00,000
2	Allahabad	..	,,	8,58,541	..	..
3	Almora	..	,,	..	..	..
4	Azamgarh	..	,,	..	..	..
5	Bahraich	..	,,	30,000	70,580	..
6	Ballia ..	..	,,	..	..	..
7	Banda ..	..	,,	..	1,50,000	
8	Bareilly	..	,,	..	..	..
9	Bulandshahr	..	,,	..	..	..
10	Basti ..	..	,,	..	..	..
11	Banaras ..	..	,,	..	..	..
12	Chandpur	..	,,	..	..	..
13	Chandausi	..	,,	..	..	..
14	Dehra Dun	..	,,	26,700	..	..
14-A	Dehra Dun	..	Duplication of Bundal main.	1,00,000	2,00,000	2,00,000
15	Deoria ..	..	W. S. S.	..	..	..
16	Etah ..	..	,,	..	..	..
17	Etawah ..	..	,,	..	..	..
18	Faizabad	..	Ayodhya W. S. S.	..	..	..
19	Farrukhabad-cum-Fatehgarh.		W. S. S.	..	..	..
19-A	Fatehpur	..	,,	..	..	..
20	Fatehpur-Sikri	..	,,	..	..	..
21	Firozabad	..	,,	..	..	..
22	Ghaziabad	..	,,	..	..	..
23	Ghazipur	..	,,	..	..	..
24	Gorakhpur	..	,,	..	..	..

'ज'

का उत्तर पृष्ठ १४० पर)

sanctioned during the year

1949-50	1950-51	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
8,00,000	3,50,500	49,500	..	6,00,000	7,25,000	11,92,000	..
1,00,000	..	..	..	..	4,00,000	11,00,000	2,50,000
2,00,000	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	1,00,000	4,14,000	..
1,36,666	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	50,000	1,00,000	2,05,000	1,55,000	..
1,21,200	..	1,05,000	..	1,00,000	1,50,000	..	..
..	..	..	50,000	..	7,00,000	10,00,000	..
..	..	..	..	1,80,000	2,00,000	3,95,000	..
..	..	..	50,000	1,00,000	96,000	2,91,200	..
..	..	..	..	5,00,000	10,50,000	12,50,000	16,00,000
..	..	..	..	..	2,88,865	17,135	..
..	..	..	..	..	..	7,25,000	..
..	..	..	..	..	..	5,00,000	..
5,00,000	..	..	..	..	:	..	..
..	..	..	50,000	1,00,000	1,05,050	1,00,115	..
..	..	..	..	..	1,00,000	5,67,680	..
..	..	1,50,000	50,000	..	71,000	1,42,000	..
..	..	..	1,00,000	..	1,50,000	63,54,000	..
..	..	..	50,000	..	3,93,000	13,09,687	..
..	..	..	1,00,000	50,000	4,35,900	2,36,100	..
..	..	..	..	..	30,000	70,000	..
..	..	..	1,00,000	1,50,000	3,50,000	8,60,028	..
..	1,36,500	4,63,500	1,00,000	..	..	..	..
90,000	..	..	85,776	..	..	..	..
..	25,000	..	1,50,000	3,00,000	7,68,391	12,75,000	..

Statement showing the amount of

Serial no.	Name of Municipal Board		Purpose	1946-47	1947-48	1948-49
				Rs.	Rs.	Rs.
25	Haldwani	..	W. S. S.	..	..	..
26	Hamirpur	..	”	..	..	..
27	Hapur	..	”	..	..	..
28	Hardoi	..	”	..	..	..
29	Hardwar	..	1. Jwalapur W. S. S.	..	1,00,000	50,000
		..	2. Kankhal W. S. S.	..	..	..
30	Hathras	..	W. S. S.	..	..	..
31	Jaunpur	..	”	..	..	..
32	Jhansi	..	”	..	..	..
33	Kanpur	..	”	30,00,000	..	..
34	Kosi Mathura	..	”	..	..	..
35	Lucknow	..	”	..	..	4,53,000
36	Lalitpur	..	”	..	..	..
37	Mainpuri	..	”	..	..	..
37-A	Mathura	..	Pumping Plant for 3 tube-wells.	..	..	1,21,658
38	Mirzapur	..	W. S. S.	..	..	..
39	Nagina	..	”	..	..	..
40	Naini Tal	..	”	..	..	..
41	Najibabad	..	”	..	..	..
42	Orai	..	”	..	..	..
43	Pratapgarh	..	”	..	..	..
44	Pilibhit	..	”	..	..	..
45	Padrauna	..	”	..	..	..
46	Rampur	..	”	..	..	..
47	Ramnagar (Varanasi)	..	”	..	..	..
48	Rishikesh	..	”	..	..	..
49	Rath	..	”	..	..	..
50	Roorkee	..	”	..	..	..
51	Saharanpur	..	”	..	..	..
52	Sandila	..	”	..	..	..
53	Sitapur	..	”	..	..	..
54	Vrindaban	..	”	..	..	..

grant-in-aid sanctioned during the year

1949-50	1950-51	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
..	..	..	50,000	1,28,000	..	1,14,825	..
..	..	..	50,000	1,00,000	2,12,000	25,000	..
..	..	..	..	..	1,35,625	7,26,875	..
1,00,000	1,00,000	3,50,000	1,56,500	..	52,700	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	50,000	1,00,000	2,05,000	2,17,000	..
..	..	..	50,000	1,00,000	50,000	..	..
..	..	..	..	..	75,000	1,90,400	..
3,58,000	1,00,000	1,00,000	2,00,000	..	44,000	14,18,000	..
..	..	5,00,000	..	..	13,00,000	27,00,000	14,00,000
..	..	..	50,000	60,000	65,000	..	..
10,00,000	14,00,000	3,50,000	7,50,000	5,00,000	21,95,935	12,60,065	10,00,000
..	..	..	75,000	..	3,67,500	9,00,000	..
..	..	..	..	..	1,00,000	7,62,900	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	1,00,000	..	2,00,000	..	..
..	..	..	1,00,000	50,000	58,200	4,12,000	..
..	..	..	..	..	..	2,80,050	..
..	..	75,000	2,00,000	1,72,200	2,66,800	2,00,000	..
..	72,000	..	81,300	57,000	..	..	..
..	..	..	50,000	..	1,36,700	2,91,500	..
..	..	..	..	..	..	10,00,000	..
..	..	..	..	..	..	2,04,300	..
..	..	..	1,00,000	..	5,25,000	15,20,000	..
..	..	..	..	1,32,000	76,834	1,53,666	..
..	..	..	..	1,00,000	2,60,000	4,68,000	..
..	..	..	..	..	1,00,500	2,90,900	..
5,00,000	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	1,000,00	1,00,000	8,00,000	19,50,000	..
..	50,000	1,00,000	2,28,000	60,000	90,000	..	..
..	..	..	..	..	..	10,00,000	..
11,000	..	1,07,800	..	..	1,50,000	3,14,616	..

Statement showing the amount of

Serial no.	Name of Municipal Board		Purpose	1946-47	1947-48	1948-49
				Rs.	Rs.	Rs.
1	Almora	..	W. S. S.	..	..	40,000
2	Banda	..	”	1,94,600	..	..
3	Ballia	..	”	..	..	..
4	Bareilly	..	”	..	..	..
5	Deoria	..	”	..	..	..
6	Lucknow	..	”	..	50,000	..
7	Hamirpur	..	”	..	..	..
8	Hardwar	..	Jwalapur W. S. S.	..	50,000	50,000
9	Mirzapur	..	W. S. Filtration Scheme.	..	..	1,84,175
10	Jhansi	..	W. S. S.	..	..	..
11	Naini Tal	..	W/S Arrangement in Narendranagar.	..	..	..
12	Etawah	..	W. S. S.	30,000	70,000	20,000
13	Bahraich	..	Ditto	..	50,292	68,334
14	Banaras	..	Installation of rapid fillters.	..	1,33,000	2,67,000
15	Ghazipur	..	W. S. S. Extension	..	..	..

grant-in-aid sanctioned during the year

1949-50	1950-51	1951-52	1952-53	1953 54	1954-55	1955-56	1956-57
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
..	..	..	..	..	..	..	..
76,500	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	50,000	..	50,000	..	..
..	..	..	60,000	..	1,00,000	..	..
..	..	..	..	..	50,000	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	25,000	..	..	..
1,55,000	90,595	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
2,00,000	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	2,000	1,00,000	..	..	..
30,000	50,000	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	45,083	..	..	..	..	..
..	..	..	50,000	4,000	4,000	..	..

पी० एस० यू० पी०—११९ एल० सी०—१९५७—८०० (प्रो०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

शुक्रवार, ४ श्रावण, शक संवत् १८७९

(२६ जुलाई, सन् १९५७ ई०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (५१)

अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमा नाथ बली, श्री
उमा शंकर सिंह, श्री
एम० ज० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टंडन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पुष्कर नाथ भट्ट, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
पृथ्वी नाथ, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
मदन मोहन लाल, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम गुलाम, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पांडे, श्री
राम लखन, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विजय आफ विजयानगरम, महाराजकुमार, डाक्टर
ब्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
सैयद जहां बेगम, मखफी, श्रीमती
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मंत्री, राज्य मंत्री व उपमंत्री, जो कि विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे:—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत् व उद्योग मंत्री)।
श्री कैलाश प्रकाश (शिक्षा उपमंत्री)।
श्री मुजफ्फर हसन (समाज सुरक्षा राज्य मंत्री)।

शपथ ग्रहण

श्रीमती सैयद जहां बेगम मखफी ने सदस्यता की शपथ ग्रहण की।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित।

*३-७—श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित।

गत १८ मई, १९५७ को पौड़ी (गढ़वाल) जिले के खांकड़ा श्रीनगर में हुई बस दुर्घटना

*८—श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत १८ मई, १९५७ को पौड़ी (गढ़वाल) जिले के खांकड़ा श्रीनगर में जो बस-दुर्घटना हुई थी उसमें कितने व्यक्ति मरे ?

(ख) क्या सरकार मरे हुए व्यक्तियों के नाम और उनके पते की सूची बताने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश (शिक्षा उप मंत्री)—(क) तथा (ख) इस दुर्घटना में ३४ व्यक्ति मरे। जिनके नाम और पते मालूम हो सके, उनकी सूची संलग्न† है।

*९—श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दुर्घटना का कारण क्या था ?

श्री कैलाश प्रकाश—बस में बैठे हुए सभी व्यक्तियों के मर जाने से दुर्घटना के कारण का पता न चल सका, परन्तु स्थिति से अनुमान किया जाता है कि एक तो बस में सवारियां नियम के प्रतिकूल अधिक थीं दूसरे यह कि गाड़ी के इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई होगी।

*१०—श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—(क) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है ?

(ख) यदि हां, तो किसके द्वारा ?

*११—क्या सरकार उपरोक्त जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश (प्रश्न संख्या १० व ११)—इस दुर्घटना की जांच कप्तान पुलिस ने की है, जिनका ‡रिपोर्ट संलग्न है।

श्री बंशीधर शुक्ल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—इस दुर्घटना की रिपोर्ट पहले पहल कब हुई ?

---

†देखिए नत्थी "क" पृष्ठ २९१ पर)
‡देखिए नत्थी "ख" पृष्ठ २९२ पर)

श्री कैलाश प्रकाश--इस दुर्घटना की रिपोर्ट १७ तारीख को ३ बजे के लगभग हुई।

श्री बंशीधर शुक्ल--यह रिपोर्ट किसने की ?

श्री कैलाश प्रकाश--एक कान्स्टेबिल था जिसने यह रिपोर्ट की।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो वहां पर सवारियां ज्यादा थीं तो क्या वहां पर ट्रैफिक चेक करने का कोई तरीका नहीं है ?

श्री कैलाश प्रकाश--चेकिंग वहां पर होता है जहां पर कि गेट होता है। ऐसा मालूम होता है कि गेट से निकलने के बाद रास्ते में उसको जो सवारियां मिलीं, उनको उसने बैठा दिया।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--यह बस प्राइवेट थी या सरकारी थी ?

श्री कैलाश प्रकाश--वहां पर तो प्राइवेट बसें चलती हैं, इसलिये वह प्राइवेट बस ही मालूम होती है।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या वहां पर अधिक आदमियों को बैठाने का कोई आम रिवाज है ?

श्री कैलाश प्रकाश--इसके विषय में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अधिक सवारियां नहीं बैठा सकते हैं। शायद ड्राइवर ने लालच में आकर अधिक सवारियां बैठायी होंगी।

(१९-७-१९५७ को श्री कन्हैया लाल गुप्त, एम० एल० सी० के इच्छानुसार स्थगित किए गए प्रश्न)

* * * *

टी० बी० और दूसरी बीमारियों से पीड़ित गरीब शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को सहायता देने के लिये उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के अधिकार में फंड

*६--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--(क) क्या उत्तर प्रदेश के शिक्षा मन्त्री के अधिकार में कोई फन्ड है जिससे कि वह टी० बी० और दूसरी बीमारियों से पीड़ित गरीब शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को सहायता दे सकते हैं ?

(ख) यदि हां, तो १ अप्रैल, १९५७ को उस फन्ड में कुल कितना रुपया चालू वित्तीय वर्ष के लिये था ?

(ग) उसमें से सहायता देने की क्या प्रक्रिया है ?

*6. Sri Kanhaiya Lal Gupta (*Teachers' Constituency*)—(*a*) Is there any fund at the disposal of the Uttar Pradesh Education Minister out of which he can help poor teachers and students suffering from T. B. or other diseases ?

(*b*) If so, what was the total amount of the fund on April 1, 1957, for current financial year, and

(*c*) what is the procedure for giving help out of it ?

श्री कैलाश प्रकाश--(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Sri Kailash Prakash (Shiksha Up Mantri)—(*a*) No.

(*b*) The question does not arise.

(*c*) The question does not arise.

श्री कन्हैयालाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जो टी० बी० फन्ड कमेटी है उसने इस तरह का एक फन्ड निर्माण किये जाने का सुझाव सन् १९५४ में दिया था?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, दिया था।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह कार्यान्वित क्यों नहीं किया जा सका?

श्री कैलाश प्रकाश—वह सुझाव आया। उस सुझाव पर डाइरेक्टर की आज्ञा मांगी गयी। जब वह आज्ञा आई तो बजट में रुपया देखने की कोशिश की गयी लेकिन उस समय बजट में रुपया नहीं मिल सका। अब यह प्रयत्न किया जा रहा है कि बजट में इस बार कुछ रुपया उपलब्ध हो जाय।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—इस बार से मतलब क्या माननीय मंत्री जी का सन् ५७-५८ के बजट से है?

श्री कैलाश प्रकाश—जी, चाहते तो यही हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या इन टी० बी० के मरीजों के लिये शिक्षा मंत्री जी ने डिस्क्रिशनरी फंड से कुछ खर्चा किया है?

श्री कैलाश प्रकाश—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि ५७-५८ के बजट में कितना रुपया रखने का इरादा है?

श्री कैलाश प्रकाश—अभी इसके विषय में मैं कुछ नहीं बता सकता।

अग्रसेन इंटरमीडिएट कालेज, इलाहाबाद की कुछ कक्षाओं की पढ़ाई का काम रुकना

७—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) क्या यह ठीक है कि अग्रसेन इंटरमीडिएट कालेज इलाहाबाद को कुछ कक्षाओं की पढ़ाई का काम स्कूल में अब तक, यानी १५ मार्च, १९५७, रुका हुआ है?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास कुछ सूचना है कि इसका कुछ सम्बन्ध कुछ दिन पूर्व एक शिक्षक के कालेज के अधिकारियों द्वारा ससपेन्ड किये जाने से है?

(ग) कथित शिक्षक कब ससपेन्ड किया गया था और क्यों?

*7. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Is it a fact that teaching work of certain classes of the Agrasen Intermediate College, Allahabad remains suspended in the school even till now, i.e. March 15, 1957?

(*b*) If so, has the Government some information that this has something to do with the suspension of a teacher by the College authorities sometime ago?

)When was the said teacher suspended and why?

श्री कैलाश प्रकाश--(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) श्री परशु राम पांडे नामक एक अध्यापक दिनांक २४ जनवरी, १९५७ को इस कारण निलम्बित कर दिये गये थे कि वे बिना प्रबन्धक समिति की आज्ञा प्राप्त किये पचास साठ लड़कों का एक (कोचिंग क्लास) चला रहे थे। उक्त कक्षा में वही लड़के थे जिनको श्री पांडे कालेज में भिन्न-भिन्न विषय पढ़ाते थे।

Sri Kailash Prakash—(*a*) No.

(*b*) The question does not arise.

(*c*) A teacher Sri Parsu Ram Pande was suspended on January 24, 1957, for running a coaching class of about 50 to 60 students of the College without the permission of the management. The boys were the same who were taught different subjects by the teacher in the College.

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि सरकार की यह रिपोर्ट कि कार्य सुचारु रूप से चल रहा है, कब की है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, इसका उत्तर मई में आया है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या यह बात सत्य है कि मई के महीने में ही वहां उस स्कूल में बहुत बड़ा दंगा हुआ और उसमें सिटी मैजिस्ट्रेट ने कुछ अध्यापकों और विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया, उसके बाद से पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश--यह बात तो सत्य है कि वहां कुछ झगड़ा हुआ। असल में जब इन शिक्षक महोदय को निलम्बित कर दिया गया तो उन्होंने लड़कों को उकसाया और जितने लड़के उनकी कोचिंग क्लासेज में पढ़ते थे, वही लड़के कालेज में आ गये और जब यह बात मैनेजमेंट के पास आयी कि यह जो कोचिंग क्लास के लड़के हैं, यह स्कूल में पढ़ते नहीं हैं और स्कूल में दंगा मचा कर दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर मैनेजमेंट कमेटी ने इस बात की जांच-पड़ताल की और उनको ससपेन्ड कर दिया, उसके बाद उन्होंने लड़कों को फिर उकसाया और उन लड़कों ने कालेज में आ कर के स्ट्राइक वगैरह करने की कोशिश की, यह स्थिति जो उत्पन्न हुई, यह मई में नहीं हुई बल्कि जनवरी-फरवरी में जब वह निलम्बित हुए, तब की यह स्थिति है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--मैं यह जानना चाहूंगा कि जनवरी-फरवरी में जो कुछ भी हुआ हो लेकिन मई में क्या कोई झगड़ा नहीं हुआ है और उस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या माननीय मंत्री जी इस बात मे निश्चित है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं, मैं निश्चित तो नहीं हूं लेकिन यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं पता लगा लूंगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या यह बात ठीक है कि वहां पर उस कालेज के प्रिन्सिपल को भी निलम्बित कर दिया गया है और वहां पर काम चलाने के लिये एक कमेटी बना दी गयी है ?

श्री कैलाश प्रकाश--यह बात मेरी जानकारी में नहीं है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी, अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो इसका पता लगा लिया जायेगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूरी जांच करने की दरख्वास्त करता हूं।

*८—श्री कन्हैया लाल गुप्त—सरकार द्वारा उपर्युक्त संस्था में फिर से ठीक से काम चलाने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

*8. Sri Kanhaiya Lal Gupta—What steps have been taken by Government to restore proper working in the above institution ?

श्री कैलाश प्रकाश—उचित कार्यवाही संस्था के अधिकारियों ने स्वयं किया। अध्यापक के निलम्बित होने के बाद तुरन्त उनके पाठन कक्षाओं का कार्य अन्य अध्यापकों को दे दिया गया था। अध्यापक के पदच्युत किये जाने पर प्रबन्धक समिति ने रिक्त स्थान पर एक योग्यता प्राप्त अध्यापक की स्थायी नियुक्ति कर दी है और कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

Sri Kailash Prakash—Proper steps were taken by the institution itself. Immediately after the suspension of the teacher, his teaching work was assigned to other teachers. On dismissal of the teacher the management appointed a qualified teacher in the vacancy and normal work was resumed.

* * *

असन्तुष्ट शिक्षकों के मामलों को दर्ज करने के लिये डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स आफ स्कूलों का अलग-अलग रजिस्टर रखना

*१४—श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या यह ठीक है कि प्रदेश के समस्त डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स आफ स्कूलों को अलग-अलग रजिस्टर रखने पड़ते हैं, जिसमें कि जिले के सब असन्तुष्ट शिक्षकों के मामलों को दर्ज किया जाता है ?

14. Sri Kanhaiya Lal Gupta—Is it a fact that all District Inspectors of Schools in the State are required to maintain separate registers in which the cases of all aggrieved teachers of the district are recorded ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

Sri Kailash Prakash—Yes.

*१५—श्री कन्हैया लाल गुप्त—यदि हां, तो यह प्रक्रिया कब से लागू हुई है ?

*15. Sri Kanhaiya Lal Gupta—If so, since when has this practice come into force ?

श्री कैलाश प्रकाश—सितम्बर, १९५४ से।

Sri Kailash Prakash—Since September, 1954.

*१६—श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या इन रजिस्टरों का समय समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है ?

*16. Sri Kanhaiya Lal Gupta—Are these registers periodically inspected by higher authorities ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

Sri Kailash Prakash—Yes.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या सरकार ने अपने आपको इस बात पर सन्तुष्ट कर लिया है कि सब जिलों में रजिस्टर रखे जा रहे हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—सरकार के पास जो सूचना है वह इस बात की है कि सभी जिलों में है।

श्री हृदय नारायण सिंह--यह जो उच्च अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण करने की बात है तो यह किन अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जो विभाग के उच्च अधिकारी होते हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या यह बतलाना सम्भव होगा कि उनका डिजिगनेशन क्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश--बहरहाल, डिप्टी डाइरेक्टर्स तो होंगे ही और बाकी कौन कौन हो सकता है, इस समय बताना दुश्वार है।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या कोई निश्चित सूचना माननीय मंत्री जी के पास नहीं है ?

श्री कैलाश प्रकाश--कोई निश्चित सूचना होने की आवश्यकता नहीं है, जिन विभागों का काम चल रहा है और जब अधिकारी निरीक्षण करते रहते हैं तो जरूरी है कि रजिस्टर का काम भी जो होता है, उसका भी निरीक्षण करते होंगे। अगर माननीय सदस्य किसी खास जिले की बात को कहें या किसी खास जिले के किसी खास उच्च अधिकारी का नाम बतावें कि किस-किस उच्च अधिकारी ने उस जिले का निरीक्षण किया।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि कितना समय इन निरीक्षकों को दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो निरीक्षण होता है वह साल भर में या छः महीने में होता है। इसके क्या नियम हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--सरकार के सामान्यतः निरीक्षण के नियम होते हैं और जो उच्च अधिकारी होते हैं, वही इसका निरीक्षण करते हैं। रजिस्टरों के निरीक्षण का कोई खास नियम नहीं है।

* श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यापकों के रजिस्टर का जो निरीक्षण होता है, उस पर कोई कार्यवाही होती है या नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, जो जरूरी कार्यवाही होती है वह की जाती है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह समझना ठीक होगा कि सरकार ने निरीक्षण की कार्यवाही के संबंध में कोई खास आदेश नहीं निकाले हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--मैं समझ नहीं पाया कि क्या आदेश निकालने हैं। रजिस्टर रखा जाता है, जो रिपोर्ट होती है वह दर्ज की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जो कार्यवाही होनी चाहिये वह सरकारी आफिसर करता है।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि निरीक्षण के परिणाम स्वरूप कोई आदेश उच्च अधिकारी द्वारा निकाला गया है या कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री कैलाश प्रकाश--क्षमा कीजिएगा, मैं आप का प्रश्न समझ नहीं सका कि किस विषय का आदेश है।

श्री हृदय नारायण सिंह--इस विषय का आदेश कि बहुत से मामले बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं, उनका निबटारा जल्द किया जाय। जो मामले पड़े हुए हैं उनका निबटारा बहुत जल्द किया जायगा, ऐसा कोई आदेश उच्च अधिकारियों द्वारा निकाला गया है, क्या माननीय मंत्री जी को इसके बारे में कुछ मालूम है ?

श्री कैलाश प्रकाश—माननीय सदस्य ने जिस बात की ओर ध्यान दिलाया है, उसके बारे में वास्तव में कठिनाई है। शिक्षकों के मामलों के निबटारा करने में बहुत कठिनाई होती है। माननीय सदस्य खुद इस बात को जानते हैं कि वे प्राइवेट संस्थायें हैं, इसलिये काफी कठिनाई हो जाती है। सरकार की तो यह ख्वाहिश होती है कि जल्द से जल्द वह इसको पूरा करदे, लेकिन कुछ कठनाइयों के कारण वह मजबूर हो जाती है। शिक्षकों के विषय में जब कभी कोई बातचीत होती है तो माननीय शिक्षा मंत्री जी यही परामर्श देते हैं कि उनके मामलों को बहुत जल्द निबटाया जाय। लेकिन वास्तव में जो कठिनाई है उसको माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं।

* * *

जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा के निरीक्षकों की नियुक्ति के नियम

*३०—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—(क) क्या जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा के निरीक्षकों की नियुक्ति के लिये कोई नियम बनाये गये हैं?

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं?

*30. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Are there any rules laid down for appointment of examiners of Junior High School examination.

(*b*) If so, what are they?

श्री कैलाश प्रकाश—(क) परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कोई सामान्य नियम नहीं बनाये गये हैं। प्रत्येक जिले की परामर्शदात्री समिति को अपने नियम बनाने का अधिकार है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Sri Kailash Prakash—(*a*) There are no general rules laid down for appointment of examiners. The Advisory Committee of each district is competent to lay down its own rules.

(*b*) The question does not arise.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या यह बात सच है कि सरकार इस संबंध में नियम बनाने पर विचार कर रही है?

श्री कैलाश प्रकाश—अभी तो इस विषय में विचार नहीं हो रहा है, क्योंकि यह वहां की स्थायी समितियों के प्राधिकारी के पास रखी गई है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी, कृपा करके यह बतला सकेंगे कि इन समितियों के सदस्य कौन-कौन हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—इन समितियों के जो सदस्य होते हैं, उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल होता है, एक गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है, एक इन्स्पेक्टर आफ स्कूल होता है, एक उस जिले के सेकेन्डरी हायर स्कूल का हेड मास्टर होता है, एक जो वहां का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जूनियर हाई स्कूल है उसका प्रधानाध्यापक होता है और संभव है कि एक, दो और होते हों।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या यह बतलाना संभव होगा कि इन निरीक्षकों में क्या विशेषता होती है अर्थात् ये किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—ये निरीक्षक हैं या परीक्षक?

श्री हृदय नारायण सिंह—इसमें निरीक्षक लिखा है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हिन्दी का ट्रान्सलेशन गलत हुआ है।

श्री कैलाश प्रकाश--परीक्षक होना चाहिये।

१९५६ में मथुरा जिले में जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा के निरीक्षकों की कुल संख्या

*३१--**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--(क) मथुरा जिले में जूनियर हाई स्कूल की १९५६ की परीक्षा के निरीक्षकों की कुल कितनी संख्या थी ?

(ख) उनमें से कितने जूनियर हाई स्कूल के और कितने हाई स्कूल के थे ?

***31. Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) What was the total number of Junior High School examiners during the examination of 1956 in the district of Mathura ?

(*b*) How many of them belonged to Junior High Schools and how many of High Schools ?

श्री कैलाश प्रकाश--(क) ४७।

(ख) जूनियर हाई स्कूल के पांच, हाई व हायर सेकेन्डरी स्कूलों के छत्तीस तथा सहायक उप-विद्यालय निरीक्षक और राजकीय दीक्षा विद्यालयों के छः।

Sri Kailash Prakash—(*a*) Forty-seven.

(*b*) Five of them belonged to Junior High Schools, thirty-six to High and Higher Secondary Schools and six to Sub-Deputy Inspector of Schools and Government Normal Schools.

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों में इस बात का बड़ा असंतोष है कि परीक्षकों में उनको कोई स्थान नहीं मिलता है ?

श्री कैलाश प्रकाश--ऐसी शिकायत हो सकती है।

* * * * *

१९५४-५५ में आगरा और मथुरा के कुछ अभ्यार्थियों को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बैठने की इजाजत न देना

*३७--**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--(क) क्या यह ठीक है कि १९५४-५५ में आगरा और मथुरा के कुछ अभ्यर्थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में नहीं बैठने दिये गये थे क्योंकि उन्होंने अधिवास के झूठे प्रमाण-पत्र दिये थे ?

(ख) क्या यह भी ठीक है कि इन अभ्यर्थियों को मथुरा और आगरा के वकीलों द्वारा झूठे प्रमाण-पत्र दिये गये थे ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उनके नाम देगी ?

***37. Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Is it a fact that in 1954-55 some candidates from Agra and Mathura were not permitted to appear in the High School and Intermediate Examinations because they submitted false certificates of domicile ?

(*b*) Is it also a fact that these students had been given false domicile certificates by lawyers of Mathura and Agra ?

(*c*) If so, will the Government give their names ?

श्री कैलाश प्रकाश--(क) जी नहीं, इस प्रकार के समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अस्थायी अनुमति प्रदान कर दी गयी थी और यथार्थता की जांच तक परीक्षाफल नहीं घोषित किये गये।

(ख) निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिलाधीश द्वारा दिये जाते हैं। वकील केवल प्रत्याभिज्ञान करते हैं?

(ग) सरकार इन वकीलों का नाम देना उचित नहीं समझती।

Sri Kailash Prakash—(*a*) No, provisional permission to appear at the Examination was given to all such students, but their results were withheld till the enquiry into the facts were completed.

(*b*) Domicile certificates are granted by District Magistrate. The lawyers only identify a person.

(*c*) Government do not consider it advisable to give the names of the lawyers.

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या इन विद्यार्थियों के परिणाम बाद में घोषित किये गये?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, घोषित किये गये।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि उन वकीलों ने झूठी प्रत्याभिज्ञान जान-बूझ कर दी थी?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी।

श्री हृदय नारायण सिंह--झूठी प्रतिविज्ञा देने वाले वकीलों की संख्या कितनी थी?

श्री कैलाश प्रकाश--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री वंशीधर शुक्ल--डोमिसाइल सर्टीफिकेट की जो दरख्वास्तें कलेक्टर को दी जाती हैं वह क्या सामान्यतः तहसील से वेरीफाई नहीं कराई जाती हैं?

श्री कैलाश प्रकाश--आप का मतलब मैं समझा नहीं।

श्री वंशीधर शुक्ल--जो डोमिसाइल सर्टीफिकेट की दरख्वास्तें दी जाती हैं वह तहसील से पहिले वेरीफाई कराई जाती हैं फिर कलेक्टर उन पर सर्टीफिकेट देता है?

श्री डिप्टी चेयरमैन--यह तो आप सूचना दे रहे कृपया आप प्रश्न पूछिए।

श्री वंशीधर शुक्ल--क्या स्वभावतः कलेक्टर तहसील से डोमिसाइल सर्टीफिकेट वेरीफाई नहीं कराते हैं?

श्री कैलाश प्रकाश--जो लोग बार में हैं वह जब वेरीफाई करते हैं तो साधारणतः उनकी बात मान ही ली जाती है।

श्री वंशीधर शुक्ल--क्या वह एफीडेविट्स थीं या डोमिसाइल सर्टीफिकेट थे?

श्री कैलाश प्रकाश--यह तो कागजात देखने पर ही मालूम होगा।

झूठे प्रमाण-पत्र देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

*३८--श्री कन्हैया लाल गुप्त--सरकार द्वारा उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, जिन्होंने कि उपर्युक्त झूठे प्रमाण-पत्र दिये थे?

*38. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—What action was taken by Government against the persons who granted the above false certificates ?

श्री कैलाश प्रकाश—सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि सबने क्षमा मांग ली।

Sri Kailash Prakash—No action was taken against these persons as they tendered unconditional apology.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—उन विद्यार्थियों की संख्या क्या थी और झूठे डोमिसाइल सार्टीफिकेट देने के एवज में उनको दंड दिया गया या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जैसा कि उत्तर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन परीक्षार्थियों के लिये संभव था, उनको सार्टीफिकेट दिये जा चुके थे और जहां तक उनके वकीलों का संबंध है, जिन्होंने कि एफेडेविट दिया था, उन्होंने माफी मांग ली।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उन वकीलों के नाम देना वह क्यों उचित नहीं समझती है ?

श्री कैलाश प्रकाश—उन वकीलों ने अपनी गलती मान ली है और उनके नाम बतलाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—तो क्या मैं यह समझूं कि करप्शन वाले आदमियों का नाम डिस्क्लोज करना सरकार जनहित के खिलाफ समझती है ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह तो एक मनोविज्ञान का प्रश्न है। ठीक तो यह है कि उस आदमी की हम इज्जत भी कायम रक्खें और फिर उसको सुधार करने का मौका दें, तो वह ज्यादा अच्छा होता है और वह अपना सुधार भी कर लेते हैं ऐसा मेरा ख्याल है और इसीलिये मैंने इनका नाम न बतलाना उचित समझा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—मैं आपसे हाई पावर्ड कमीशन की मांग करता हूं इसकी नोटिस देता हूं। दरख्वास्त बाद में लिख कर दे दूंगा।

श्री बंशीधर शुक्ल—मैं भी इसकी मांग करता हूं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मुझे जहां तक मालूम हुआ है जो इन्फारमेशन आपको मिली है वह सही नहीं मालूम होती है, इसलिये मैं यह नोटिस दे रहा हूं।

श्री डिप्टी चेयरमैन—आपको कोई एतराज तो नहीं है।

श्री कैलाश प्रकाश—जो सूचना मुझे मिली है उसको बतलाने से कोई भी फायदा नहीं है जो कारण था उसको मैंने स्पष्ट कर दिया। इसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन उसको डिसकस करने से कोई फायदा होगा यह मेरी समझ में नहीं आता है।

श्री डिप्टी चेयरमैन—जो बातें आपको इस संबंध में पूछना है आप मिनिस्टर साहब से मिल कर पूछ लें।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—अच्छी बात है, मैं मंत्री जी से परसनली डिसकस कर लूंगा।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या अखबारों में जो सूचना है सरकार भी उसको अपनी सूचना मानती है ?

श्री डिप्टी चेयरमैन—यह सवाल मूल प्रश्न के उत्तर से नहीं उठता है।

* * * * *

राज्य सरकार द्वारा प्राइमरी अध्यापकों तथा माडल स्कूलों के अध्यापकों के वर्तमान वेतन में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार

*६९—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) क्या राज्य सरकार प्राइमरी अध्यापकों तथा माडल स्कूलों के अध्यापकों, जो कि नार्मल ट्रेनिंग स्कूलों से संयोजित हैं, की वर्तमान उपलब्धि में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

(ग) क्या राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कुछ आर्थिक सहायता मिलने वाली है ?

*69. Sri Kanhaiya Lal Gupta—(a) Are the State Government considering the question of increase in the peresent emoluments of Primary teachers and teachers of model schools attached to normal training schools ?

(b) If so, to what extent ?

(c) Are the State Government going to get some financial help in this respect from the Central Government ?

श्री कैलाश प्रकाश—(क) इस समय तो इन अध्यापकों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है क्योंकि जिला परिषदों के अध्यापकों के वर्तमान वेतन-क्रम के अनुसार उन्हें वार्षिक वेतन-वृद्धि देने का सारा भार सरकार ने १९५६-५७ से स्वयं ग्रहण किया है। इस मद में १९५६-५७ में भारत सरकार ने कुल व्यय का ५० प्रतिशत रुपया दिया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शेष अवधिकाल में भी इस वित्तीय सहायता के पाने की पूर्ण सम्भावना है। प्रदेशीय सरकार को अध्यापकों से पूर्ण सहानुभूति है।

(ख) यह प्रश्न अभी नहीं उठता।

(ग) इस सम्बन्ध में सूचना प्रश्न संख्या ६९ (क) के उत्तर में दे दी गई है।

Sri Kailash Prakash—(a) At present no increase is being given in the emoluments of these teachers, because from the financial year 1956-57, Government have assumed the responsibility for payment of annual increments in the present scales of pay of District Board teachers. In 1956-57 Government of India have given a subsidy equal to 50 percent of the total expenditure on this account and there is full possibility of receiving this financial assistance from the Government of India for the remaining period of the Second Five-Year Plan. The State Government have every sympathy with the teachers.

(b) At present the question does not arise.

(c) Information in respect of this question has been furnished in answer to question no. 69 (a).

श्री कैलाश प्रकाश—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो बजट की घोषणा हुई है उसके अनुसार उन स्थानीय निकायों के जितने

शक्षक हैं उनको भी ५ रुपया प्रति मास की वेतन–वृद्धि हो जायेगी और उनको भी ५ रुपया प्रति मास लाभ होगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त––क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह वार्षिक वेतन–वृद्धि का भार, जो सरकार ने अपने ऊपर लिया है वह कितना सालाना पड़ता है ?

श्री कैलाश प्रकाश––यह करीब–करीब २० लाख रुपये का है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त––क्या यह बात सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पिछले वर्ष प्रारम्भिक अध्यापकों की वेतन वृद्धि के लिये अपनी ओर से कुछ अनुदान देने के लिये प्रादेशिक सरकार को लिखा था ?

श्री कैलाश प्रकाश––जी हां, यह सही है केन्द्रीय सरकार ने कुछ अंश तक के लिये देने के लिये लिखा था और इसीलिये यह संभव भी हो सका कि प्रादेशिक सरकार ने यह वेतन वृद्धि का भार अपने कन्धों पर ले लिया है। यह जो भार लिया हुआ है उसका ५० फीसदी केन्द्रीय सरकार की सहायता है।

राज्य में स्थित सूचना कार्यालयों की संख्या

*७०––**श्री कन्हैया लाल गुप्त**––क्या सरकार राज्य में स्थित सूचना कार्यालयों की संख्या तथा उनमें से प्रत्येक में काम करने वाले गजटेड अधिकारियों तथा लिपिकों की भी संख्या देगी ?

*70. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Will the Government give the number of Information Offices in the State together with the number of gazetted officers and clerks employed in each office ?

श्री कैलाश प्रकाश––राज्य में स्थित जिला सूचना कार्यालयों की संख्या ५१ है। प्रत्येक कार्यालय में एक–एक गजटेड जिला सूचना अधिकारी तथा एक–एक लिपिक नियुक्त हैं। इसके अतिरिक्त एक क्षेत्रीय सूचना कार्यालय है, जिस में तीन गजटेड क्षेत्रीय सूचना अधिकारी तथा चार लिपिक भी नियुक्त हैं।

Sri Kailash Prakash—There are 51 District Information Offices in the State, one in each district. Each office has one gazetted District Information Officer and one Clerk. Besides these offices, there is one Regional Information Office consisting of there Regional Information Officers (gazetted) and four clerks.

श्री हृदय नारायण सिंह––क्या यह सही है कि जिलों में एडीशनल डिस्ट्रिक्ट इन–फारमेशन आफिसरों की नियुक्ति हुई है, अगर यह सही है तो कितनों की हुई है ?

श्री कैलाश प्रकाश––इसकी सूचना इस समय मेरे पास है नहीं, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

सूचना अधिकारियों के कर्त्तव्य तथा उनको ी गई मोटर गाड़ियों की संख्या

*७१––**श्री कन्हैया लाल गुप्त**––सूचना अधिकारियों के क्या–क्या कर्त्तव्य हैं ?

*71. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—What are the duties of Information Officers ?

श्री कैलाश प्रकाश––सूचना अधिकारियों का मुख्य कर्त्तव्य जनता में प्रचार कार्य करना है। इन अधिकारियों के कार्य एवं कर्त्तव्य का विवरण संलग्न राज्यादेश में दिया हुआ है।

Sri Kailash Prakash—The main duty, assigned to District Information Officers, is to publicise the activities of the Government. Their duties and functions are defined in detail in the Governmen Order enclosed.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, जिस राज्यादेश का उल्लेख है वह तो इसमें है नहीं इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि यह प्रचार कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं, मीटिंग आदि कर के या किसी अन्य प्रकार से ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, राज्यादेश बहुत बड़ा है अगर आप की आज्ञा हो तो मैं पढ़ कर सुना दूं। वैसे माननीय सदस्य उसको देख सकते हैं अगर चाहें तो मेरे कमरे में आकर देख लें या उनके पास भिजवा दिया जायेगा अगर उनको नहीं मिला है।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दिये गये हैं ?

श्री डिप्टी चेयरमैन—यह प्रश्न १९ तारीख के लिये रखे गये, लेकिन माननीया सदस्या का तार आ जाने पर मुल्तवी कर दिये गये थे। कार्य-सूची में इसलिये इनके उत्तर भी उसी दिन सदस्यों को दे दिये गये थे।

*७२—श्री कन्हैया लाल गुप्त—कितने नगरों में उनको मोटर गाड़ियां दी गई हैं ?

*72. Sri Kanhaiya Lal Gupta—In how many districts have they been supplied with motor vehicles ?

श्री कैलाश प्रकाश—प्रत्येक जिला सूचना अधिकारी को एक-एक मोटर गाड़ी दी गई है।

Sri Kailash Prakash—Each District Information Officer has been supplied with a motor vehicle.

राज्य सरकार द्वारा १९५६-५७ में दिये गये रेडियो सेटों की जिलेवार संख्या

*७३—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) राज्य सरकार द्वारा १९५६ तथा १९५७ में दिये गये रेडियो सेटों की जिलेवार संख्या क्या थी ?

(ख) उन पर कितना व्यय किया गया था ?

*73. Sri Kanhaiya Lal Gupta—(a) What was the districtwise number of radio sets distributed by the State Government during the years 1956 and 1957, and

(b) how much expense was incurred on them ?

श्री कैलाश प्रकाश—(क) सूची† संलग्न है।

(ख) कुल १५,३७,००० रुपया व्यय किया गया।

Sri Kailash Prakash—(a) *A list is enclosed.

(b) A total expenditure of Rs. 15,37,000 was incurred.

---

†देखिये नत्थी "घ" पृष्ठ २९८ पर।
*See Appendix "B" on page 304

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि रेडियो सेट के डिस्ट्रिब्यूशन में इतना भारी डिसपैरिटी क्यों है। आगरा में ५० सेट दिया गया और देवरिया में २ सेट दिया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश--रेडियो सेट में कुछ रुपया वहां के रहने वालों को देना पड़ता है, इसलिये रेडियो सेट उपलब्ध करने में डिस्पैरिटी है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--सरकार की ओर से मुफ्त में कोई रेडियो सेट नहीं दिया जाता है। क्या यह बात ठीक है ?

श्री कैलाश प्रकाश--मेरे ख्याल से नहीं दिया जाता है, लेकिन कोई निश्चित सूचना इस वक्त नहीं दे सकता हूं। अगर मेम्बर साहब चाहेंगे तो दे सकता हूं।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--यह रेडियो केवल देहातों में दिया जाता है या शहर में भी दिया जाता है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जो सार्वजनिक संस्थायें हैं, उन्हें शहरों में भी दिया जा सकता है।

*७४--श्री कन्हैया लाल गुप्त--(क) क्या केन्द्रीय सरकार भी इस व्यय में कुछ अनुदान देती है ?

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

*74. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Do the Central Government also contribute towards this expenditure ?

(*b*) If so, to what extent ?

श्री कैलाश प्रकाश--(क) जी हां।

(ख) ५० प्रतिशत।

Sri Kailash Prakash—(*a*) Yes.

(*b*) 50 per cent.

उन व्यक्तियों की सूची, जिन्होंने मथुरा जिले में १९५६ में रेडियो सेटों के लिये धन जमा किया

*७५--श्री कन्हैया लाल गुप्त--(क) क्या सरकार उन व्यक्तियों की एक सूची तारीख सहित देगी, जिन्होंने मथुरा जिले में १९५६ में रेडियो सेटों के लिये धन जमा किया था ?

(ख) इनमें से किन व्यक्तियों को ये सेट दिये गये और कब ?

*75. **Sri Kanhiya Lal Gupta**—(*a*) Will the Government give a list of those persons along with dates who made deposits for radio sets in the district of Mathura in 1956 ?

(*b*) Which of these persons have been supplied these sets and when.

श्री कैलाश प्रकाश--(क) सूची† संलग्न है।

(ख) वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

†देखिये नत्थी "च" पृष्ठ ३०६ पर।

Sri Kailash Prakash—(*a*) *A list is enclosed.

(*b*) TLe requiied infoimation is also given in the enclosed list.

*　　*　　*　　*　　*

आगरे में शिक्षकों द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में भूख हड़ताल

*९१—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि आगरा में कुछ शिक्षक भूख हड़ताल करने जा रहे हैं क्योंकि सरकार ने उनके प्रतिवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की, जो कि उन्होंने अपनी नौकरियों के समाप्त किये जाने के विरुद्ध दिये थे ?

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

*91. Sri K..nhaiya Ial Gupta—(*a*) Are the Government aware that some teachers are going to resort to hunger strike in Agra, owing to Government's not taking any action on thier representations against te mi..ation of their services ?

(*b*) If so, what action is the Government going to take in the matter ?

श्री कैलाश प्रकाश—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Sri Kailash Prakash—(*a*) No.

(*b*) Question does not arise.

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा नियम, १९५७

श्री परमात्मानन्द सिंह (माल उपमंत्री)—श्रीमन्, आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा नियम, १९५७ को मेज पर रखता हूं।

जौनसार-बावर बन्दोबस्त नियमावली, १९५७

श्री परमात्मानन्द सिंह—मैं आप की आज्ञा से जौनसार-बावर बन्दोबस्त नियमावली, १९५७ को मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में किये गये संशोधन

श्री परमात्मा नन्द सिंह—मैं आप की आज्ञा से मालविभाग की विज्ञप्तियां संख्या २६०७/१-अ—१०४२-५५, दिनांक २४ अप्रैल, १९५७, संख्या १४३४(आर)/१-अ—१०५१-५७, दिनांक ४ जून, १९५७, संख्या १०८२(आर'१-अ—१२५-द-५३, दिनांक २६ जून, १९५७, संख्या २१३१(आर)/१-अ-माल(द)-२८-द-५५, दिनांक ३ जुलाई, १९५७ तथा संख्या २२८७ (आर)/१-अ-माल(द)-२-द-५४, दिनांक १० जुलाई, १९५७, जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में संशोधन किये गये हैं, मेज पर रखता हूं।

---

*See Appendix "C" on page 313

सन् १९५७–५८ के आय–व्ययक (बजट) पर आम बहस

श्री डिप्टी चेयरमैन--अब वित्तीय वर्ष सन् १९५७–५८ के आय–व्ययक (बजट) पर आम बहस होगी।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट १९५७–५८ का माननीय मंत्री जी ने रखा है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

श्रीमन्, मैं पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो कुछ भी विचार हम लोग रखना चाहते हैं वे किसी प्रकार से भी एक पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं हो सकते और न किन्हीं कारणों से प्रभावित होकर ही रखते हैं। लेकिन फिर भी यह जरूरी है कि बजट के अवसर पर जो बातें हों, अगर कुछ कड़ुई बातें भी हों तो उन्हें भी कहना पड़ता है ताकि सरकार उनसे फायदा उठा सके और आगे चलकर उन तमाम चीजों को सही तरीके पर ला सके, जिनको हम लोग विधान मंडलों के अन्दर से कहना चाहते हैं। श्रीमन्, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि इस सरकार का जो बजट है वह सोशलिस्ट पैटर्न का है या कैपिटलिस्ट पैटर्न का है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो भी बजट गवर्नमेन्ट की तरफ से आये, वे हमको समाजवादी ढांचे की ओर ले जाते हैं इसमें कोई संदेह नहीं और यदि कुछ भी टीका–टिप्पणी इस प्रकार की होती है तो वह राजनैतिक दल की तरफ से प्रोपैगन्डा के विचार से हो तो वह तो दूसरी चीज है, लेकिन यह सही है कि यह प्रयत्न किया जा रहा है और हो रहा है चाहे तेजी के साथ न हो कि हमारी सरकार सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने की तरफ अग्रसर है।

जहां तक इस बजट का ताल्लुक है, जहां तक हमारी फाइनेंशियल इस्टेबिलिटी का ताल्लुक है, माननीय हाफिज जी ने उसकी एक तस्वीर अपनी बजट स्पीच के जरिये विधान मंडल में रखी और इस विधान मंडल में रखने से तमाम जनता में उसकी तस्वीर पहुंची। मैं यह जरूर कहता हूं कि जो तस्वीर माननीय नेता सदन ने, वित्त मंत्री जी ने जो रोजी पिक्चर ड्रा की है फाइनेंसेज की हमारे स्टेट की उतनी रोजी नहीं है जितनी माननीय मंत्री जी समझते हैं। जब हम अपने प्रदेश की इन्डेटनेस को देखते हैं तो हमको सही परिस्थिति का पता लगता है। ९८ करोड़ से लेकर अब हमारे प्रदेश की जो इंडेटेडनेस है वह एस्टीमेटेड है ५७-५८ में ३२३ करोड़। हमारे जो कामर्शियल कन्सर्न्स हैं गवर्नमेंट के यानी नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं अगर उनके आंकड़े देखें तो उनसे जाहिर होता है कि जिन कन्सर्न्स में मुनाफा है, प्राफिट है वह दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है और जहां नुकसान है वहां बराबर एक तरफ से धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। हमारा रेवेन्यू फन्ड जो था वह छः या पौने सात करोड़ इस वक्त रह गया है और उसमें से ५ करोड़ निकाल दिया जायेगा, तब लगभग एक करोड़ या ऐसे ही कुछ रह जायेगा। इसके साथ ही साथ वह तमाम फन्ड जो ईयर मार्क्ड हैं वह भी दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं और सब से दुख की बात यह है कि जो बाकी रुपया फन्ड में बच गया है वह इन्वेस्टेड फन्ड बहुत कम है उसकी भी मात्रा इसके साथ ही साथ गिरती जा रही है। इसके अलावा हमारे जो सोरसेज हैं वह एकाएक खतम हो गये। माननीय मन्त्री जी ने अपने बजट स्पीच में इस बात पर संकेत किया कि वह कर्जा लेंगे, लेकिन शायद सेन्टर के डाइरेक्शन के बाद कोई कर्जा भी न लिया जा सके अपने स्टेट के फाइनेन्सेज को पूरा करने के लिये। इन सब परिस्थितियों को देखते हुये, हम जिन परिस्थितियों में रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, उन सोर्सेज की ओर हमारी हिम्मत नहीं कि हम कदम उठा सकें और अपने रुपये की कमी को पूरा कर सकें। यह चीज जब हम देखते हैं तो एक निराशा होती है। बहरहाल जो कुछ प्रदेश की परिस्थिति है, वह यह है।

मैंने माननीय मंत्री जी से यह कहा कि जहां यह हकूमत आगे कदम नयी योजनाओं को लाकर बढ़ा रही है, उसे यह भी देखना चाहिये कि एकाएक कहीं किसी दिन हमारा एकानामिक स्ट्रक्चर को लैप्स न कर जाय। मैंने जहां तक इस बजट को देखा है उसके पढ़ने से खास स्टैटिक्स जो देखता हूं वह यह कि जिन–जिन प्रोजेक्ट्स में हमारा कैपिटल बढ़ा है उसी के अनुपात

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

से हमारा प्राफिट घटा है। मैं चन्द बातें बजट से पढ़कर आपकी आज्ञा से सुना देना चाहता हूं। रोडवेज को ले लीजिये ५५-५६ का कैपिटल आउट ले ४ करोड़ ५३ लाख २९ हजार था और लाभ ९.१२ प्रतिशत का था। ५७-५८ का कैपिटल आउट ले ६ करोड़ २० लाख ९ हजार है और लाभ हमारा २.३२ परसेंट का है। इसी हिसाब से आप देखेंगे तो कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई का भी हैं। ५५-५६ का कैपिटल आउट ले ५ करोड़ २६ लाख १ हजार था और लाभ हमारा ३.७१ प्रतिशत का था। ५७-५८ में वहां का कैपिटल आउट ले ५ करोड़ ८० लाख ६२ हजार है और गेन हमारा २.२७६ का है। इससे मालूम होता है कि लाभ दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है।

इसी तरह से आप को गंगा हाइडिल स्कीम की हालत देखने में मिलेगी। सन् १९५५-५६ में १२ करोड़ ४५ लाख ८२ हजार का कैपिटल आउट ले था तो उस समय .८२ प्रतिशत का लास हुआ। फिर सन् १९५७-५८ का कैपिटल आउट ले १६ करोड़ ४ लाख ९४ हजार है, लेकिन इस में भी .२८९ परसेंट का लास है। स्टेट टयूब वेल में सन् १९५५-५६ में २० करोड़ ९७ लाख ४८ हजार का कैपिटल आउट ले था लेकिन इस में भी ४.८४ प्रतिशत का लास हुआ है। इसी प्रकार से टयूब वेल्स के लिये सन् १९५७-५८ में २४ करोड़ ४२ लाख ३९ हजार का कैपिटल आउट ले है, मगर इसमें भी ४. ८२ प्रतिशत का लास हो रहा है। इसी प्रकार से कैनाल्स में सन् १९५५-५६ में ५६ करोड़ ३७ लाख ९९ हजार का कैपिटल आउट ले था तो उस में सिर्फ १.९६ प्रतिशत का ही लाभ हुआ है। यह कैपिटल आउट ले सन् १९५७-५८ में ७३ करोड़ ५१ लाख एस्टीमेट किया गया है, लेकिन जहां तक इस से लाभ का सम्बन्ध है तो वह सिर्फ ·५७ प्रतिशत ही आंका गया है। यह अगर एक जटिल परिस्थिति या पैराडाक्स नहीं है तो फिर क्या है ? इस को आप एक विशेष परिस्थिति ही समझिये क्योंकि तमाम गवर्नमेंट प्रोजेक्टस् पर तो हमारी लागत बढ़ रही है, लेकिन जब उस हिसाब से हम फायदे को देखते हैं तो अगर वह पिछले सालों में ज्यादा था तो अब कम हो रहा है और अगर पहले लास अधिक था तो वह और भी अधिक बढ़ रहा है। इसके माने क्या है ? इसके माने यही हैं कि कुछ न कुछ खराबी कहीं पर है। इस पर सरकार को अवश्य विचार करना चाहिये।

इस के साथ ही साथ जो सब से बड़ी चीज इस बजट में मैंने देखी है वह चुर्क सीमेंट फैक्टरी की देखी है। इसमें करीब ३ करोड़ से ज्यादा रुपये की लागत हमारी सरकार की लगी है। वहां पर एक बड़ा भारी डाइरेक्टर भी है तथा एक सीनियर एकाउन्ट्स आफिसर, जो कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट है, वह भी है। लेकिन उस फैक्टरी का पर फार्मा एकाउन्ट हमें बजट की वाल्यूम दो में नहीं मिला है। क्या कारण है कि वहां के लास का ब्यौरा इस में नहीं रखा गया है। इन सब चीजों को देखने के बाद मैं तो किसी प्रकार से भी यह मानने के लिये तैयार नहीं हो सकता कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी है और हम अपने प्रदेश को बैंकरप्ट नहीं होने देंगे। मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर हमने इन चीजों पर समय के अन्दर विचार नहीं किया आगे चल कर एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जायेगी, हमारे सामने एक ऐसी समस्या खड़ी हो जायेगी, जिसको हम ठीक नहीं कर सकेंगे।

यही बात नहीं है कि हमें अपने अन्डर टेकिंग्स में लास और गेन हो रहा है बल्कि जो हाई इनडेटेडनेस है उस के भी आंकड़े मेरे पास हैं, टयूब वेल्स के भी आंकड़े हमारे पास हैं और यह मालूम है कि कितना लास हो रहा है। इसी तरह से एक्साइज के भी आंकड़े हमारे पास हैं और हमें मालूम है कि इस में किस प्रकार से नुकसान हो रहा है और वह बराबर हो रहा है। इन सब बातों को देखते हुये मेरा अपना ख्याल है कि सरकार को अधिक सतर्कता के साथ कार्य करना चाहिये। इयर मार्क्ड जो बैलेन्सेज हैं उन से ऐसा मालूम होता है कि गवर्नमेंट जनरल परपज

के लिये बराबर धन ले रही है, मैं समझता हूं कि रुपया तो लिया जा सकता है, लेकिन जिस कार्य के लिये जो रुपया रखा गया है, वह वहां नहीं रहता और फिर एक ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जिसकी वजह से हम को बहुत परेशानी का मुकाबला आगे चल करके करना पड़ेगा। जहां तक बजट के डेफिसिट होने का ताल्लुक है, कम से कम मैं तो यह नहीं कहता कि यह बजट कोई डैफिसिट बजट है। साढ़े ११ करोड़ का डेफिसिट जो इसमें दिखलाया गया है, वह इतना नहीं हो सकता है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा कि १ करोड़ हम टैक्सेज से पूरा करेंगे और १ करोड़ का खर्चा इकानामी मेजर से पूरा करेंगे, फिर जो भी आज हमारी यहां की बजटिंग की फिगर्स हैं, उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारी यह एक टेन्डेन्सी सी हो गयी है, ओवर एस्टिमेटिंग दि एक्सपेन्डीचर एंड अन्डर एस्टिमेटिंग दि रेवेन्यू, इसके आधार पर आज यह कहा जा सकता है, कि जितना भी पिछले वर्षों में घाटा हुआ, उन सब वर्षों में बराबर यह बात रही कि एक्चुअल जो डेफिसिट था वह सरप्लस में चला गया। अब इसको तो मैं नहीं कहता कि यह बजट इतना डेफिसिट है कि उससे बड़ी भारी दिक्कत हो जायेगी। लेकिन फिर भी एक बात है कि जब हमारी योजनायें चालू हैं तो उनमें रुपया तो लगाना ही पड़ेगा और इन सब बातों को देख कर के हमको विचार तो करना ही है कि हम को किस तरह से क्या करना चाहिये।

मैं आपके जरिये से चन्द सुझाव गवर्नमेन्ट को इस मौके पर देना चाहता हूं। एक यह कि जैसा कि मैंने कहा कि जो कामर्शियल अन्डरटेकिंग्ज हैं और सेमी कामर्शियल अन्डरटेकिंग्ज हैं, उनमें बराबर गवर्नमेन्ट का नुकसान होता चला जा रहा है तो इसका असर पब्लिक पर भी पड़ता है और गवर्नमेन्ट पर भी पड़ता है। मैं इस के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह इसके लिये एक एक्सपर्ट कमेटी बनावें और वह कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से बनायी जाय जो हर तमाम तरीके उनके लिये सोचे और यह सुझाव दे कि जितने भी गवर्नमेन्ट कनसर्न हैं उनको कैसे प्राफिटेबल बनाया जा सकता है और वह गवर्नमेन्ट को अपनाना चाहिये, तो उससे ज्यादा फायदा हो सकता है।

इसके साथ ही साथ एकाउंटिंग के सम्बन्ध में बहुत सी जरूरी बातें हैं, इनमें बड़ा फर्क होता है, जैसा कि हमने रोडवेज में देखा कि गवर्नमेन्ट के एकाउन्ट में और प्राइवेट सेक्टर के एकाउन्टिंग में बड़ा फर्क होता है। मान लिया कि रोडवेज में ६० हजार रुपये के स्पेयर पार्टस् खरीदे गये और उसमें कुछ ४० हजार के ही इस्तेमाल हो पाये और २० हजार नहीं इस्तेमाल हो पाये तो गवर्नमेन्ट का पूरा खर्चा दिखा दिया गया, लेकिन जो बच गया है उसको रिसीट्स में नहीं रखा जाता है, लेकिन प्राइवेट अन्डरटेकिंग्ज जो हैं वह उसको रिसीट्स में डाल देते हैं और वह चीज रिसीट्स में पड़ी रहती है और रेवेन्यू साइड में भी उसको दिखाते हैं तो इस तरह से एक सही तस्वीर हमारे सामने आ जाती है, इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इसी तरीके पर गवर्नमेंट के एकाउन्टिंग सिस्टम पर भी गवर्नमेन्ट को विचार करना होगा कि किस तरह से हम अपने यहां के एकाउन्ट्स को ऐसे सिस्टम पर डालें जो अच्छा साबित हो सके। हमने इस बजट में यह भी देखा कि प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री के बारे में भी कोई परफार्मा एकाउन्ट्स का नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है कि किस तरीके पर यह फैक्ट्री चल रही है और उसमें कितना प्राफिट या लास होता है। माननीय हाफिज जी अक्सर यह कहा करते हैं कि क्रिटिसिज्म तो बहुत कुछ होते हैं इसमें, लेकिन कोई प्रेक्टिकल सोल्यूशन हम लोगों के सामने नहीं रखा जाता कि जिससे उनके ऊपर हम अमल कर सकें।

मेरी शिकायत तो यह है कि कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन रखा जाय। सरकार तो आइडियलिस्टिक थिंकिंग के कारण ऐसे सोल्यूशन पर अमल करने की हिम्मत नहीं करती है, या डिमोक्रेटिक सेट अप में वह इस प्रकार के कार्य करना नहीं चाहती है। जब कोई सही बात जनता सरकार के सामने रखती है, और वह वाकई में एक सही कदम है तो मैं समझता हूं कि सरकार को उसे मान लेना चाहिये और हिम्मत के साथ उस कार्य को करना चाहिये।

मैं एक बात और सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि और वह यह है कि आज जो सरकार की प्राहिबिशन की पालिसी है उसको फिर से रिवाइज करना चाहिये सेन्ट्रल

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

गवर्नमेंट का डायरेक्टिव सब स्टेट गवर्नमेंट, के पास मौजूद है उसका कहना है कि "you should go slow as far as prohibition geos", मैं तो इस बात को ठीक नहीं समझता हूं कि ६ या ७ जिलों में तो आपने प्रहिबिशन कर रखा है और बाकी जिलों में नहीं है। मैं इस सिद्धांत को ठीक नहीं मानता हूं। मैं तो समझता हूं कि अगर सरकार प्राहिबिशन की स्कीम को रखना चाहती है तो वह कह सकती है कि कम से कम प्लान्ड पीरियड भर के लिये प्राहिबिशन न किया जाय क्योंकि इससे आमदनी कम होती है। इसके लिये अगर सरकार चाहे तो कुछ समय मुकर्रर कर दे। आज आप देखते हैं कि गांव गांव में शराब बनायी जाती है। हर जगह पर जहां प्रोहिबिशन है शराब चोरी से मिलती है। मैं समझता हूं कि जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो इससे कोई खास फायदा नहीं हो सकता है। जहां पर आपने प्रोहिबिशन कर रखा है वहां पर भी शराब चोरी से बनती और बिकती है। मैं तो समझता हूं कि यह कोई अकलमन्दी और दानिशमन्दी का काम नहीं है। मेरा कहना यह है कि अगर सरकार अपनी इस पालिसी को फिर से रिवाइज करे तो ज्यादा अच्छा होगा।

इसके अलावा एक दो बातें मैं और कहना चाहता हूं और वह है टैक्स के बारे में, इस विषय पर भी सरकार को गौर से देखना चाहिये। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं साल्ट पर टैक्स लगाने का हामी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बात यह कहना चाहता हूं और मेरा अपना ख्याल है कि आपको मालूम है कि खाने की बहुत सी चीजों पर टैक्स लगा हुआ है। जिन चीजों की बहुत ही जरूरत है उन पर बराबर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर थोड़ा साल्ट पर टैक्स लग भी जाय तो कोई अनपापुलेरिटी की बात न होगी। महात्मा गांधी जी ने साल्ट टैक्स के बारे में जो बात कही थी वह अंग्रेजों का जमाना था, उस समय की परिस्थिति दूसरी थी। आज हमारा भारत आजाद है तो ऐसे समय में हमको अपनी नीति को फिर से रिवाइज करना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो योजनायें चल रही हैं उस में धन की जरूरत होगी वह कहां से आयेगा। म यह बात जानता हूं कि साल्ट की कीमत पहले से बढ़ गयी है, लेकिन फिर भी हमको उस पर आन ए वेरी हाई लेविल पर विचार करना होगा। मैं यह नहीं चाहता हूं कि किसी चीज पर टक्स खामख्वाह लाद दिया जाय। अगर हमको किसी खास काम के लिये रुपया चाहिये तो हमको किसी एक अनुपात से ही चीजों पर टैक्स लगाना चाहिये मैं साल्ट या किसी ऐसे टैक्स का हामी नहीं अगर वह गरीब पर पड़े पर अगर रुपये का सही तरीके से खर्च हो जिससे आगे आने वाली सन्तानों को फायदा हो तो हम भूखे रह कर भी टैक्स देने स इन्कार नहीं करेंगे। इसी प्रकार से मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं। तो एक बैटरमेंट टैक्स है और उन प्रोजेक्ट्स में जिनके रीजन्स में कि इस तरह की चीजें चल सकती हैं, उनके सम्बन्ध में गवर्नमेंट विचार कर सकती है। बहुत से ऐसे टैक्सेज जो मिडिल मैन या पुअर मैन को इफेक्ट कर सकते हैं, उनको हटा कर के गवर्नमेंट इस प्रकार रीजन्स बना सकती है जहां कि उसे प्रोजेक्ट्स से लाभ हो इस प्रकार के रीजन्स की योजनाओं पर किसी न किसी प्रकार से विचार किया जा सकता है। यह एक ऐसी चीज करने की है जो कि विचार की है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें दो, एक चीजें एसी हैं, जिनके लिये मैं समझता हूं कि उनको मुझ इस समय कहना ही चाहिये। आज बहुत सा रुपया व्यर्थ में खर्चा होता है और मैं यह भी जानता हूं कि जनता टैक्स देने से घबराती नहीं है क्योंकि जनता को तो टैक्स देना ही है। अगर वह टैक्स नहीं देती है तो हमारा प्लानिंग सफल नहीं हो सकता है और इस तरह से आगे चल कर जनता को कैसे सुख मिल सकता है, लेकिन प्रश्न यह है कि एक तरफ तो टैक्स पेयर सरकार को टैक्स देती है और दूसरी तरफ वह यह देखती है कि बजाय इसके कि उसकी मुसीबतें कम हों, मुसीबतें ही बढ़ती चली जाती हैं और इस तरह से

उसे बहुत परेशानी होती है। वह यह सोचता है कि जो रुपया हम गवर्नमेंट को देते हैं उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है बल्कि दुरुपयोग हो रहा है। इसी प्रकार के बहुत से वेस्टफुल खर्चे हैं और जिन जगहों पर सरकार बचत कर सकती है, वहां पर वह व्यर्थ में बहुत सा रुपया खर्च कर देती है। मुझे मालूम है कि कई ऐसी जगहों पर रुपया खर्च हुआ है जिससे कोई भी लाभ नहीं हुआ और सारा रुपया बरबाद हो गया। हमें इस चीज को कड़ी निगाह से देखना पड़ेगा क्योंकि इस तरह से जब टैक्स पेयर को मुसीबतें पड़ती हैं, तो वह भी टैक्स देने से इन्कार करता है। जैसे कुछ टोकन कट के रूप में मन्त्रियों ने अपनी तन्ख्वाहों में कुछ रकम काटी है, यह अच्छा ही है। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं और इस से सन्तोष नहीं किया जा सकता है। मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ी चीज जो मन्त्रियों को रखनी चाहिये, वह यह है कि आज जो बहुत से विभाग खुल गये हैं, वे कम होने चाहिये। कोई भी चीज आगे आई नहीं कि उसके लिये डिपार्टमेंट तैयार हो जाता है। गवर्नमेंट की तो यह कोशिश होनी चाहिये कि हमारे यहां कम से कम विभाग खोले जायं और इसमें कुछ डिस्क्रिशन होना चाहिये। एक तरफ तो आप गरीब आदमियों से प्लान के लिये रुपया मांगते हैं दूसरी तरफ रुपये को इस तरह से बरबाद करते हैं वे गरीब आदमी तो एक वक्त खाकर आप को रुपया देते हैं, मगर आप उससे एक के स्थान पर दो-दो विभाग खोल देते हैं। आपको चाहिये कि जहां तक हो सके दो विभागों का एक विभाग कर दीजिये। आप आज सेक्रेटेरियेट में ही देख लीजिये, जिलों में देख लीजिये। यहां एक विभाग खुलता है, तो उसमें अन्डर सेक्रेटरी और ज्वाइन्ट सेक्रेटरी कितने हो गये, उनको याद रखना भी हमारे लिये मुश्किल हो गया। इसके लिये मैं इस समय गवर्नमेंट के सामने यह सुझाव रखना चाहता हूं कि जो इस तरह के विभाग हैं या उनके हेड्स हैं, उनको एक विभाग में मिक्स कीजिये और दूसरी तरफ ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, अन्डर सेक्रेटरी और असिस्टेन्ट सेक्रेटरी को कम कीजिये

इसी प्रकार से मैं एक और सुझावा माननीय मन्त्री जी के सामने रखना चाहता हूं, अभी बजट स्पीच में माननीय मन्त्री जी ने सेविंग ड्राइव का जिक्र किया है और इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि ५ रुपये तनख्वाह उन कर्मचारियों की बढ़ायी जायेगी, जिनको कुल मिला कर ९० रुपये से कम मिलते हैं। मैं समझता हूं कि यह उचित है और इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सेविंग ड्राइव के लिये अगर यहां लेजिस्लेशन उसी आशय का ले आया जाय कि हर शख्स को अपनी तन्ख्वाह से १० प्रतिशत या ५ प्रतिशत कट करना होगा और वह इस तरह से कट करे, तो मैं समझता हूं कि किसी प्रकार से भी इसी प्रकार का प्रश्न अनौचित्य नहीं कहा जा सकता है। वह रुपया तो फिर बाद में उसको मिलेगा ही इस तरह से अगर हर शख्स दस या पांच परसेंट अपनी आय से कम्पलसरिली सेव करे, तो मैं समझता हूं कि उससे बहुत लाभ हो सकता है सरकार का और आगे चल कर वह रुपया वह लोग अपने लिये सेव भी कर सकेंगे। यह भी मैं सुझाव देता हूं कि इस वक्त गवर्नमेंट ने जो इन्क्रीमेन्ट पांच रुपये का छोटी तनख्वाह वालों का किया है मैं समझता हूं कि उस पर कोई आपत्ति न हो और हो सकता है कि दूसरे लोग मेरी राय से इत्तिफाक न करें और वह यह कि इस रुपये के बजाय अगर उनको सेविंग्स सर्टीफिकेट के रूप में यह रुपया दे दिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे आपका भी फायदा होता और उनकी सेविंग्स भी होती।

यह भी सुझाव मेरा इसके सम्बन्ध में है कि इस बजट में एक प्राविजन है ओल्ड एज पेन्शन्स का और उसके लिये २५ लाख रुपया रखा गया है। मैं समझता हूं कि यह रकम जो इसमें रखी गयी है उसका औचित्य तो हो सकता है। लेकिन आज यह २५ लाख रुपया जो ओल्ड एज पेन्शन्स के लिये रखा गया है, उसके बजाय वह डिसएबिल्ड परसन्स के लिये वर्क हाउसेज खोलने के लिये और उनको चलाने के लिये दे दिया जाये तो उसका ज्यादा अच्छा उपयोग हो सकता है। जो भी दल हैं वह उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। हालांकि मैं इसकी इम्पारटेंस इस वक्त देखता हूं, लेकिन फिर भी यह समझता हूं कि यह रुपया ओल्ड एज पेन्शन्स देने के बजाय डिसएबिल्ड परसन्स को काम देने के लिये खर्च किया जाय तो उससे

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

ज्यादा फायदा होता। मैं समझता हूं कि अब जो स्टाफ कार हैं वह सिर्फ मिनिस्टरों के पास ही रहेंगी।

मैं कोई एकानोमी की बात नहीं बतलाना चाहता हूं बल्कि मेरी राय यह है जो मिनिस्ट्रियल शो है वह कम होना चाहिये। यह एक्सपेन्सिव भी है और उससे जनता पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। स्टाफ कार्स के लिये यह प्रबन्ध किया गया है कि उनका आक्शन किया जायेगा और सील्ड आक्शन होगा। इस तरह से ऐसा होगा कि यह जो स्टाफ कारें हैं वे वही लोग जो कलक्टर वगैरह हैं वह उनको खरीद लेंगे। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि सील्ड आक्शन नहीं होना चाहिये। जो २० या पचीस हजार रुपये की गाड़ी है वह सील्ड आक्शन के जरिये ४ या ५ हजार रुपये में दी जा सकती है। यह ठीक है कि उन लोगों के पास रुपया न हो। लेकिन जो हमारे डी० एम० हैं उनको कार रखना पड़ेगी यह ठीक है। पहिले भी तो यह प्रथा थी कलक्टरों वगैरह को कार खरीदने के लिये कर्जा दिया जाता था। वह उनको अब भी दिया जा सकता है। लेकिन यह जो सील्ड आक्शन है वह नहीं होना चाहिये।

एक सुझाव मैं माननीय मन्त्री जी को और देना चाहता हूं और वह यह है कि बहुत से डिपार्टमेंट में अनस्पेन्ट ग्रान्ट हुआ करती हैं और होता यह है कि डिपार्टमेंटल हेड्स साल के आखिर में उसको जल्दी जल्दी खर्च करने की कोशिश करते हैं और उसका नतीजा यह भी होता है कि वह इनफ्लेक करके डिपार्टमेंटल बजट बनाते हैं। मैं इस लिये समझता हूं कि जो अनस्पेन्ट ग्रान्ट्स हों इनका एक फन्ड क्रियेट किया जाय और उस डिपार्टमेंट को राइट रहे कि वह उसमें से रुपया लेकर साल के बाद भी खर्च कर सके। इसका नतीजा यह होगा कि डिपार्टमेंट के बजट में जो आज इन्फ्लेशन की प्रवृत्ति है वह खत्म हो जायगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसका एक सेपरेट फन्ड होना चाहिये। और डिपार्टमेंट को इजाजत होनी चाहिये कि वह इसका इस्तेमाल बाद को भी कर सकें। इसके बाद गवर्नमेंट सिस्टम जो एकाउन्टिंग का है उस पर भी मुझे कुछ कहना है। हम लोगों ने एकोनामी कमेटी में विचार किया है, लेकिन हमारा यह ख्याल है कि हर डिपार्टमेंट के पास और आमदनी का ब्योरा रहना चाहिये। अब तक होता यह है कि जब वह ए० जी० के वहां से पास होती है तो दो वर्ष के बाद नजर में आती है। फिर पब्लिक एकाउन्ट कमेटी में आती है, इसलिये मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि गवर्नमेंट स्वयं अपना एकाउन्ट रखे और सेन्टर से वह इस चीज को अपने लेविल पर तय करे चाहे इसको इन्सीडेन्स आफ कास्ट लगा कर तय किया जाय। इससे बहुत से फायदा होगा और हमारी मुश्किलात बहुत हद तक हल हो जायेंगी।

इसके बाद मुझे यह कहना है कि जो डेवलपमेंट्स वर्क्स हैं इनका एक इन्टेन्सिव इन्सपेक्शन होना चाहिये और इस इन्टेन्सिव इन्सपेक्शन के लिये कोई ऐसा तरीका विचार किया जाय जिससे अच्छे तरीके से जांच हो सके और भी आफिसर्स या नानआफिशियल्स फाल्स या मिसलीडिंग रिपोर्ट्स दें तो उनके लिये एडीकेट पनिशमेंट होना चाहिये तभी एफीशेन्सी हो सकती है। मान लीजिये कोई आफिसर गलती करता है तो अभी यह होता है कि अच्छा जाने दो और उसको माफ कर दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि जब तक आप स्ट्रांग एटीट्यूड नहीं लेंगे तब तक डिपार्टमेंट की एफीशेन्सी को मेन्टेन नहीं कर सकते और स्लेकनेस के साथ सारे डिपार्टमेंट चलते रहेंगे।

मैं समझता हूं कि कोई भी गलती इस जनता के युग में यदि कोई करता है तो वह सारे समाज का नुकसान करता है, और ट्रेटर होता है, इसलिये कोई कारण नहीं कि उसके खिलाफ स्ट्रांग एक्शन न लिया जाय। मैं देखता हूं कि जब प्रोजेक्ट बनता है और उसके सेंक्शन के लिये सरकार के पास एस्टीमेट आता है तो मान लीजिये उस समय २० लाख रखा गया लेकिन जैसे ही वह सेंक्शन हो जाता है उसका रिवाइज्ड एस्टीमेट ४० लाख का हो जाता है और दुबारा सेंक्शन के लिये वह आ जाता है। इसके माने यह है कि डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं

वह करेक्ट फीगर्स नहीं बनाते हैं और यह उनकी स्लेक्नेस है। बहुत जरूरी है कि इन चीजों को रोका जाय। मिनिस्टीरियल लेविल पर इन पर विचार किया जाय।

एक बात इसमें और रखी गयी है रजिस्ट्रेशन की जो रिसीट्स हैं उनसे ३० लाख की आमदनी होती है। माननीय मन्त्री जी के बजट भाषण में वह डबिल कर दी गई है। जब वह दुगुनी हो जाती है तो ३० के बजाय ६० लाख होनी चाहिये था लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि वह घट कर २८ लाख कर दिया गया है। यह प्रावीजन जो बजट में किया गया है वह समझ में नहीं आता है कि क्यों अन्डर एस्टीमेट किया गया है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, उद्योग तथा विद्युत् मन्त्री)—आधा साल गुजर गया है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—आधे साल में आपने २० लाख रखा है जब कि ओरीजनल ३० लाख है। इस तरह से ३२ लाख कम दिखाया गया है। यह मेरी खुद की समझ में नहीं आता है। ३० लाख की आमदनी की दूना होकर ६० लाख होना चाहिये जो कि ओरीजनल है। लेकिन यहां तो उससे भी कम कर दी गई है। यह अन्डर एस्टीमेट किस कारण रखा गया है। मेरी समझ में नहीं आया या कोई भूल है।

इसके अलावा मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इर्रीगेशन असेस्ट्स की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा ख्याल है कि आमदनी की जो रिसीट्स हैं उसमें ५० फीसदी आमदनी कम हो गई है। आपके यहां बराबर कैनाल बढ़ती जा रही है, ट्यूबवेल बढ़ते जा रहे हैं और सिंचाई का एरिया बढ़ता जा रहा है। पानी लोगों को मिलता है या नहीं इस पर मैं नहीं कहता हूं। लेकिन जब आबपाशी का एरिया ज्यादा हो रहा है तो आमदनी की रिटीट्स भी ज्यादा होनी चाहिये। एक कारण यह बताया गया है कि रिबेट देना पड़ा लेकिन यह एक्सप्लेनेशन काफी नहीं है। इसके साथ–साथ आश्चर्य कैनाल के सम्बन्ध में यह हुआ कि वर्किंग में जो खर्च होता है वह बराबर बढ़ता जाता है। पहले के मुकाबिले में आमदनी कम हो रही है और खर्च की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसका एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट के पास क्या है मैं समझता था यह बड़ी वैसी समस्या है। इसके बाद मैं इस अवसर पर माननीय मन्त्री जी का ध्यान ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन ऐसी है जो सोचनीय है। उस एरिया का दुर्भाग्य है कि वहां पर जो ट्यूबवेल के पानी का रेट है उसकी भी मात्रा हाई है। यह मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ कार्य नहीं कर रही है। आज जो कार्य वहां पर हो रहा है वह अपर्याप्त हो रहा है। उसको ज्यादा मात्रा में होना चाहिये। वरना यहां की परिस्थिति बहुत विकट हो जायगी। हम लोगों ने ठीक तरह से काम नहीं लिया तो स्थिति को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जायेगा।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हो सकता है कि वह कड़वी हो। जब हम आज इकानामी ड्राइव कर रहे हैं और इस तरह से इकानामी करने की बात सोच रहे हैं तो कोई कारण नहीं कि यह जो हमारे डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी बढ़ाये जा रहे हैं। मैं स्वयं कहता हूं कि यह यूजफुल (usefull) नहीं है लेकिन ऐज ए एकानामी मेजर मैं महसूस करता हूं कि इफिसिएन्ट सेक्रेटरी रहते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी रहते हैं तो डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी को जो आज सरकार बढ़ा रही है तो उस पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिये और इनको खत्म करना चाहिये। दो तीन मिनिस्टर चाहें तो बढ़ा लें लेकिन इस इन्स्टीट्यूशन को खत्म करने से एकानामी होगी। मैं लोकल पार्टी पालिटिक्स की बात नहीं करता। आज चारों तरफ डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी के बारे में क्रिटिसिज्म होता रहता है। जिलों में दौरा करके रोज रोज कोई काम यह नहीं करने देते। सब हुक्काम इनकी खातिर दारी में ही फंसे रहते हैं। इकानामी मेजर के लिये उनको नहीं रखना चाहिये। अगर किसी और बात से न मानिये। मैं महसूस करता हूं कुछ लोग कहते हैं कि इन मिनिस्टरान पर बेकार

श्री कुंवर गुरु नारायण]

इस तरह से पब्लिक मनी का वेस्ट हो रहा है। काम कौन करता है जो आई० सी० एस० हैं वे काम करते हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में विचार करे मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट को मजबूरियां हैं और वह नहीं कर पायेगी। चूंकि एक चीज ऐसी है जिसका पब्लिक में काफी क्रिटिसिज्म होता है इसलिये मैंने यह सुझाव रखा। मैं ये चन्द बातें इस बजट के सम्बन्ध में कहना चाहता था। मैं तो यह समझता हूं कि जो कदम स्टेट का चल रहा है वह इसमें शक नहीं कि हम एक सोशलिस्टिक समाज को बनाने के लिये चल रहे हैं लेकिन हम पब्लिक के क्रिटिसिज्म को दूर कर सकते हैं और लोगों के कान्फिडेन्स को अधिक मात्रा में पा सकते हैं तभी जब चीजों को उनके सामने ऐसे रखें कि उनके सामने आये। सख्ती से स्टेट के फाइनेन्स की तरफ निगाह रखें। इन चन्द शब्दों के साथ में अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

महाराज कुमार डाक्टर विजय आफ विजयानगरम (नाम निर्देशित)—Sir, I rise to support the budget, but in doing so I have to make a few observations. The first observation that I would like to make is that the infection of Sri T. T. Krishnamachari from the Centre apparently has had a tremendous catching effect on all the State Finance Ministers. It was much worse in this State. The observations that I would like to make would be on certain items, but before doing so I feel that our Hon'ble Finance Minister, who is the very milk of human kindness, would never have put up this budget had he not been forced to do so. Perhaps it was impossible for him to do otherwise. He is so kind and so good that I feel that you would never find him lacking in giving help.

Now, the item that I would like to take up first is about one with which I am known to be closely associated myself—Sports. There is an increment of 50 per cent on Entertainment Tax. Now Sir, when the Governor made his speech, I, in this House, had read out a cutting from the *Pioneer* in which it was said that in England (UK) they had abolished the Entertainment Tax on Sports. In that speech of mine, I had mentioned that whenever the Governor should speak on future occasions, the item on sports should figure prominently. Now it would be unfair that people should be made liable to 50 per cent taxation on entertainments especially when so many games are played. Now this taxation is going to be very difficult for sports organizations and especially so when we have international matches. I hope the Hon'ble Finance Minister will be generous enough to give us relief from that point of view.

Now coming to the larger issue, Sir, 50 per cent tax on entertainment means that the poor man, the labourer or the common man, which is the order of day, would find it very difficult to get a little pleasure in the evenings. You have already introduced prohibition. To many, prohibtion is obnoxious, but to many it is a very happy feature, but all said and done drink did give some little pleasure to some people. While accepting that this is a matter of sentiment, as a creed of the Congress, prohibition must stay. If it will, let it be so, but then if you introduce taxation of this kind of 50 per cent on pleasures, that is to say that poor man who wants to go in the

evenings to cinemas, he will have to pay 50 per cent more and that will really take away the little happiness that he looks to in the evening and what is more, taxation of this nature will lead to further taxation and when you find that 50 per cent has worked through this year, probably next year you may have a bigger excuse to say that why should'nt they be taxed by another 50 per cent. Well, Sir, this is going to be very infectious and you are going to deprive the common man of the little pleasure that he looks for.

Now I come to taxation on petrol. Taxation on petrol affects everybody, apart from the common man. The bus rates always go up because if you increase the tax on petrol, obviously bus owners margin of profit is reduced and then consistently with that, there will be high rates for buses. If the Finance Minister would assure that bus fares will not be increased if he would stick to the increase in petrol tax, then it will be some relief to the poor man, and I have no objection.

Then I come to the registration charges. As mentioned by the Leader of Opposition, although I do not see eye to eye with him on many things, this is going to be equally hard because this also affects the common man. I have to use this word 'commom man' because it is the order of the day. Everything that is done these days is for the common man, the Janta. Obviously those of us who have been sent here are their representatives, some nominated, some elected, can voice their feelings and say that this tax is going to be a very hard one on them.

Sir, Government expenditure on projects, on many of the departments that they have, has increased to such an extent that it is astounding. All I can say is that the administration is top heavy and a top heavy administration is bound to re-act badly. One difficulty in democracy as I know and feel, is that it is easy to gain popularity by introducing a new department, a new project, but when you want to curtail, when you want to make any reduction, you are in for trouble. The moment you say that we want reduction in this department, you are open to tremendous risk. There is the trade union. Every man has a right to go to it. What I would suggest is that Government should be careful in future not to introduce new department, new projects unless they are sure that it is going to be a project of profit and usefulness and it is going to do good to the countryside. Unless, therefore, this is the object they should not increase the administrative side and the staff. The obvious thing in a democracy is that you cannot make any reduction, you can of course increase. If you reduce you are in for the greatest trouble. That brings to my mind an English saying, "Penny wise, pound foolish". So let us go in for bigger things than smaller ones.

Now the agriculturist happens to be the target everywhere, unfortunately, especially so in this State. He is to be taxed once again. Where are you going to end ? It is the agriculturist who is really going to be your saviour in this country. If it were

[महाराज कुमार डाक्टर विजय आफ विजयानगरम]

not for the agriculturist I do not know where you would be. As it is, you have to depend on foreign grain, foreign commodities that come in the food line. If you burden the agriculturist with further taxes, with further responsibility, he will loose the initiative, he will give up the hard work that he puts in. He knows that despite his hard work he will save only a bare minimum to keep his family. Is it a wise policy? I submit, it is not. The agriculturist who really is the backbone of the country should be given further relief, further facility, further help and we should not make his tax more burdensome, more difficult. With the increase of population, the agriculturist is no exception. His family is also on the increase—which is of course the world over. He has more responsibilities of looking after his family. Now, Sir, instead of a taxation of this kind our Hon'ble Minster for Finance would do well to get a big slice from the Centre. I know that the Centre is already heavily taxed, but it would be far better. As this is called a Welfare State, its taxation policy should be consistent with its ideals. While we call it a Welfare State it is a Burden State. So welfare and taxation do not go consistently together.

As it is said, Sir during the budget discussion anything under the sun can be discussed I am not suggesting to say that I would say anything improper. On this occasion I would like to bring to the notice of the House that in the British day they used to call this department dealing with municipalities and District Board the Local Self-Government Department. This is a very slavish thing That was all right in British days. It was a measure of what you call 'reform'—reform 'that was doled out to you'. Then they termed it 'Local Self-Government'. Now we are independent. Independent as we are, if we call it Local Self-Government Department, it amounts to an insult to people living in towns. Instead of that, my humble suggestion is that we should call it 'Ministry for Local Bodies' instead of calling it by the British term 'Ministry for Local Self-Government'. It seems improper with freedom in our country to call it something, that it is not. They are self-governed. We all belong to an independent country and there is no question of self-government now. My suggestion, I repeat again is that it should be renamed and called 'Ministery for Local Bodies'.

Our Hon'ble Chief Minister has very rightly ushered an austerity drive all over the State and I wish him good luck. As a measure of gesture in this drive, I have sent him this letter this morning which I will read out to you.

"You have undertaken a great mission in ushering an austerity drive in Utter Pradesh I wish your efforts all sucess. As a gesture of my support to your austerity drive, I give up my Council salary of Rs.200 p. m. for one year beginning from 1st July, 1957 to 30th June, 1958."

With these few words I support the budget but look forward to the Finance Minister making a few exceptions such as entertainment tax on sports and I would like that entertainment tax for the poor people who go to cinemas should not be pushed down their throats. So I have mentioned about extra tax on petrol. I hope that the Hon'ble Finance Minister would see that the bus rates and bus fares are not increased and a top heavy administration is checked and also in doing that, further what you call new avenues, of putting up new departments or projects, should be very carefully considered because in these days of democracy you cannot, just dare not, make any reduction in the form of staff or in the emoluments of the people.

With these words, Sir, I support the budget.

*श्री प्रताप चन्द्र आजाद--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस हाउस के सामने पेश किया है इस बजट में कई विशेषतायें है जो शायद अभी तक बजट में नहीं थीं। इस बजट का बहुत कुछ हिस्सा जो है वह हमारे प्रदेश के लिये कल्याणकारी राज्य बनाये, इस कोशिश में है और इस बजट के अन्दर बहुत सी बातें इस वर्ष ऐसी रखी गयी है जो वास्तव में हमारे राज्य को एक कल्याणकारी राज्य की ओर ले जायेंगी। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी और सबसे अहम्मियत की जो बात इसमें रखी गयी है वह यह है कि इस पंच वर्षीय योजना के अन्दर इन पांच सालों के अन्दर हाई स्कूल तक की शिक्षा फ्री हो जायेगी और इसका श्री गणेश इस बजट में किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि छठीं क्लास तक की फीस इस साल नहीं ली जायेगी और आगे चार सालों में सातवीं से लेकर दसवीं क्लास तक फीस लड़कों से नहीं ली जायेगी यानी हाई स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क हो जायेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी डेमोक्रेसी दुनियां की उस समय तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि वहां की जनता शिक्षित न हो और जब तक कि वहां की जनता के लिये शिक्षा के लिये ईक्वल अपार्चुनिटी न हो। आज हमारे प्रदेश के अन्दर अगर देखा जाय तो समाज का ढांचा देखते हुये यहां पर ईक्वल अपार्चुनिटी नहीं थी, जो धनाढ्य होते थे वह अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दिला सकते थे, क्यों कि वह रुपया खर्च कर सकते थे, किन्तु जो लोग गरीब हैं, जिनके लिये अपना पेट भरना ही मुश्किल है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनकी संख्या हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत अधिक है, वह रुपया खर्च नहीं कर सकते थे और इस तरह से अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा नहीं दे पाते थे। अब इस तरह से उनके लिये भी हाई स्कूल तक फ्री एजूकेशन प्रोवाइड किया गया है। इस व्यवस्था में केवल हमारे प्रदेश की शिक्षा ही नहीं बढ़ेगी बल्कि अब हर अमीर और गरीब के लिये समान अवसर है कि वह अपने बच्चों को बिना पैसा दिये ही हाई स्कूल तक पढ़ा सकेगा।

इसी तरह से जो बुढ़ापे की पेन्शन है, वह भी हमारे बजट के अन्दर एक नयी चीज है, एक नया सुझाव है और यह एक बहुत ही अहम कदम है। हमारे प्रदेश के अन्दर गरीबों की संख्या अधिक है और गरीबों के साथ ही साथ हमारे प्रदेश में ऐसे असहाय लोग हैं जो कि जब बूढ़े होते हैं, जबकि उनकी उम्र ६०, ७० वर्ष की हो जाती है और कुछ नहीं कर सकते हैं, उनकी कोई सन्तान नहीं होती है, न उनके पास धन होता है, न जायदाद होती है तो फिर उनके लिये बहुत ही खराब अवसर आता है और उनके लिये सिवाय इसके कि वह भीख मांगें, सड़कों पर फिरते रहें, और कोई चारा नहीं रह जाता है। तो इस बजट के अन्दर जो पेन्शन की तजवीज रखी गयी है कि ७० वर्ष या उससे ऊपर के जो ऐसे लोग हैं, जो कि असहाय अवस्था में हैं, उनके लिये पेन्शन का प्राबीजन किया गया है, चाहे हमारी सरकार इतनी मात्रा में पर्याप्त धन खर्च न कर सके लेकिन उसके लिये गवर्नमेंट ने इस पंचवर्षीय योजना के अन्दर शुरुआत कर दी है

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]
और हो सकता है कि कोई समय ऐसा आ जावेगा जबकि जितने भी ऐसे लोग हैं, सबके लिये इस प्रकार की सहूलियत और सहायता प्रदान हो।

इसी प्रकार से जो कम वेतन वाले लोग हैं, चपरासी, प्राइमरी स्कूल के टीचर, लेखपाल इत्यादि जितने भी छोटे छोटे लोग हैं, जिनका वेतन ९० रुपये तक है, उनका वेतन, ५ रुपया महीना तक बढ़ जाना यह भी उनके लिये बड़ी रीलीफ है और इसके साथ ही साथ जो एकानामिक ड्राइव और उसके अन्तर्गत एक तो सब से बड़ा खर्चा जो हमारे प्रदेश में होता था और जिसके मुतालिक इस हाउस में और इस हाउस के बाहर बहुत दफा क्रिटिसिज्म हुआ, वह यह है कि हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत मोटर गाड़ियां बढ़ गयी हैं। हर डिपार्टमेंट में बहुत सी मोटरें हैं, उन का इस्तेमाल जरूरत से भी होता है और बेजरूरत भी होता है। इससे हमारे प्रदेश का बहुत सा रुपया बेकार खर्च हो जाता है। इस बजट के अन्दर इन मोटरों के लिये भी प्राविजन किया गया है। अब यह मोटरें हमारे प्रदेश में स्टाफ कार की शक्ल में नहीं रहेंगी। अगर किसी को जरूरत है तो वह अपनी खरीदेगा।

इसके अलावा बजट में एक बात यह भी है कि मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लिया-मेन्टरी सेक्रेटरीज साहेबान ने अपने वेतन में से १० फीसदी कट किया है, ताकि एकोनामिक ड्राइव में कठिनाई न पड़े। यह एक नई बात है जो वास्तव में इस साल के बजट में नई चीज है और हमारे प्रदेश की खुशहाली और उसकी उन्नति के लिये एक रास्ता है और एक अच्छा कदम है। इसके साथ ही साथ मैं कुछ सुझाव और माननीय मंत्री जी की सेवा में पेश कर देना चाहता हूं और वह यह है कि बजट के पढ़ने से और माननीय मंत्री जी के बजट भाषण से यह मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी और कुछ भी सुधार करना चाहते थे, लेकिन वे सुधार कुछ मजबू-रियों की वजह से नहीं कर सके। मिसाल के तौर पर सब से ज्यादा जोर एकानामिक ड्राइव पर दिया गया है। जो एकानामिक कमेटी ने सिफारिश की है, उनको भी सरकार ने बहुत कुछ मान लिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो लोग एक हजार रुपया वेतन पाते हैं या इससे अधिक पाते हैं वे लोग या तो अपनी मर्जी से १० परसेन्ट कट करें या उनको कम्पलसरी कट करना पड़े। मैं समझता हूं कि इस तरह से बहुत काफी संख्या में सरकार को रुपया मिल जायेगा और वह रुपया देश के हित में खर्च हो सकता है।

इस बजट में एफिशिएन्सी बढ़ाने के लिये भी कहा गया है। एफिशियेन्सी बढ़ाने के लिये बजट में कुछ नई रखी गयी हैं। इसके लिये कुछ नया स्टाफ रखा गया है। कुछ नये इंजी-नियर्स रखे गये हैं, बहुत से डिपार्टमेंट में जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी रखे गये हैं और इसी प्रकार से दूसरे कर्मचारी भी बढ़ाये गये हैं। इस तरह से नया स्टाफ बढ़ाने से एफिशिएन्सी भी बढ़ जायेगी। हमारे प्रदेश में दूसरी पंच वर्षीय योजना चल रही है, हजारों नये काम हो रहे हैं, नये उद्योग-धन्धे भी शुरू किये गये हैं, इसी प्रकार से बहुत से नये काम सरकार कर रही है जिससे प्रदेश की उन्नति हो। इसमें सेक्रेटरीज भी बढ़ जायेंगे, असिस्टेंट सेक्रेटरीज भी बढ़ जायेंगे और क्लर्क्स भी बढ़ जायेंगे और स्टाफ भी बढ़ जायेगा, किन्तु इस संबंध में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो बढ़ा हुआ स्टाफ है, उनके हृदय के अन्दर वही भावनायें नहीं हैं या जो एक्जिस्टिंग स्टाफ है, वे भी उन भावनाओं के अन्तर्गत काम नहीं कर पाते हैं जिन भावनाओं के अन्तर्गत मंत्रि-मंडल काम करता है। मिसाल के तौर पर पुलिस विभाग है, उसमें आप देखें, तो मालूम होगा कि काफी स्टाफ और धन उसके लिये नई मदों के अन्दर शामिल किया गया है। जहां तक पुलिस का संबंध है और हमारे प्रदेश की जो पुलिस है, वह अभी तक जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाई है और ऐसा मालूम होता है कि पुलिस और जनता के बीच का आपस में जो

सहयोग होना चाहिये, वह नहीं है। आप बड़े पुलिस के आफिसरों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो कान्सटेबुल और सब-इन्सपेक्टर्स हैं, वे इस तरह से कार्य करते हैं कि उनका और जनता का आपस में विश्वास नहीं हो पाता है और जो संबंध उनमें आपस में होना चाहिये, वह नहीं है। बल्कि आज तो ऐसा मालूम होता है कि पुलिस और जनता एक दूसरे से काफी हद तक दूर हो गये हैं। इसका जो कारण है, उसके लिये मैं मिसाल के तौर पर आप को एक उदाहरण देता हूं। पुलिस का जो रवैया है, वह ज्यादातर वही है कि चीजों को छिपा देना। मेरे जिले में एक थाना है, उसमें एक डकैती हुई और ५० डाकू बन्दूकों से लैस होकर एक गांव में घुस गये और उस गांव का जो कि एक बहुत बड़ा आदमी था, उसको उन्होंने मार दिया और उसके पास ५-१० हजार का जो भी गहना या माल था, सब लूट लिया और लूट मार कर के वे उस गांव से चले गये। दूसरे दिन जब उसको रिपोर्ट लिखाने के लिये आदमी थाने में गया, तो वहां के स्टेशन इंचार्ज ने कहा कि तुम इस तरह से रिपोर्ट मत लिखाओ और यह कह दो कि जिस समय हमारी भी बाहर गई हुई थी उसी समय हमारे यहां डकैती पड़ गई और डाकुओं ने हमला कर दिया। वे डाकू जब आये बड़े, तो उन्होंने वहां छप्परों और घरों में भी आग लगा दी। लेकिन इसमें एक बात यह हो गई कि उन डाकुओं की एक बन्दूक वहां पड़ी मिल गई, जब उसका पता लगाया गया, तो लोगों ने यह सवाल किया कि यह बन्दूक कहां से आई। इन्स-पेक्टर ने उसके लिये रिपोर्ट दी कि उस गांव के अन्दर एक बहुत बड़ी डकैती पड़ी। लेकिन थानेदार ने जो असली रिपोर्ट थी, वह नहीं लिखी। इस तरह की बातें आज पुलिस में होती रहती हैं।

इसी तरह से जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है, हम लोग उसका जिक्र तो करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इसका जिक्र कर देने से ही काम नहीं चल सकता है। इसका जिक्र करने की ज्यादा आवश्यकता भी नहीं होगी, लेकिन जो इसकी प्रैक्टिकल साइड है, अमली पहलू है, वह एक विचार करने की चीज है। पहले ऐसा होता था कि ए० डी० एम० के सामने स्टेटमेंट हो गया, नोटों पर दस्तखत हो गये और वह पकड़ा भी जाता था, लेकिन अब हाई कोर्ट की एक रूलिंग हो गई है कि प्री प्लान तरीके से किसी को पकड़ना नाजायज है। अगर किसी को इस तरह से पकड़ना है, तो इस तरह की कार्यवाही फौरन होनी चाहिये। इस तरह से मेरा कहना है कि जो आज अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैल गया है, उसे अवश्य रोकने का उपाय करना चाहिये।

इसी प्रकार से आज जो हमारा प्लान बन रहा है, इस प्लान के अन्दर अगर देखा जाय तो इंजीनियर्स का बहुत बड़ा हाथ है और सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग जो हैं, इन दोनों विभागों का इस प्लान के अन्दर बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये विभाग सुस्ती बरतेंगे, तो हमारा सारा प्लान नाकामयाब हो जायेगा। लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि हमारी प्लान जिस स्पिरिट के साथ बनती है वह उन प्लान को कार्यान्वित करने वाले जो लोग हैं वह जो इंजीनियर या ओवरसियर हैं वह उस स्पिरिट से काम नहीं करते हैं। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभी कुछ चीजें बनीं और एक साल भी नहीं हुआ कि वह बह गयीं। बनबसा में एक बेरेज बना और एक साल भी नहीं हो पाया कि वह बह गया। वह बेरेज खतम हो गया। तो यह राय हुई कि वह अमृतसर में बनेगा। फिर उसके बाद बरेली की ट्रैक्टर वर्कशाप को कहा गया वहां पर बनेगा। वह एक जगह पर बन कर तैयार हो गया लेकिन दूसरी जगह पर कैन्सिल करने का आर्डर नहीं दिया गया।

श्री डिप्टी चेयरमैन—आप कितना समय और लेंगे?

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—मैं अभी करीब १० मिनट और लूंगा।

श्री डिप्टी चेयरमैन--तो आप फिर लंच के बाद अपना भाषण जारी रखिए।

कौंसिल २ बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है।

[सदन की बैठक १ बजे अवकाश के लिये स्थगित हो गई और २ बजे से श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी (श्री अधिष्ठाता) की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।]

श्री प्रताप चन्द्र आजाद---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हमारी बड़ी बड़ी प्लान्स और योजनायें हैं। उनके संबंध में आम शिकायत यह है कि जो उन योजनाओं के ठेकेदार हैं उनके जो मिटीरियल्स में खराबी होती है उसका एक कारण यह भी है कि ठेकेदारों को जो रुपया दिया जाता है उसमें से कुछ प्रतिशत कटौती कर दिया जाता है। तो मैं इस संबंध में सुझाव देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी की खिदमत में कि जहां हम एफीशियेन्सी को बढ़ाने में, स्टाफ बढ़ाने में प्रयत्न करते हैं वहां यह भी हो कि एक प्रकार से इन विभागों में चाहे गुप्तचर के रूप में और चाहे सी० आई० डी० के रूप में रखें जो यह देखें कि जो प्लान के लिये रुपया है उसमें से किसी प्रकार का गोलमाल तो नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ एक बात और है और वह यह है कि हमारे इस नये बजट में हाउसिंग प्राबलम पर बहुत जोर दिया गया है। पुराने बजट में भी हाउसिंग प्राबलम्स पर हमारे प्रदेश की सरकार ने कई लाख रुपया खर्च किया और केन्द्र की सरकार ने भी कई लाख रुपया दिया है। इस साल भी जो प्रान्त की सरकार का उद्देश्य है वह तो है ही केन्द्र की सरकार ने भी ४० लाख रुपया इस स्टेट को दिया है। इस संबंध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो हमारे हाउस बनते हैं, जो लेबरर्स के लिये बनाये जाते हैं या मिडिल क्लास के लिये बनाये जाते हैं उस सिलसिले में यदि देखा जाय तो जिस उद्देश्य और भावना के लिये वे बनाये जाते हैं वह पूरी नहीं होती हैं।

कल ही एक माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे थे कि कानपुर में जो लेबरर्स के लिये मकान बनाये गये हैं क्या कारण है कि उसमें दूसरे लोगों को रखा गया है। मंत्री जी ने इसका उत्तर यद्यपि हंसी में ही दिया है कि शायद उनको जरूरत न रही हो, लेकिन फिर भी यदि देखा जाय तो जो मकसद है वह पूरा नहीं हो पाता है। मिसाल के तौर पर लखनऊ में बर्लिंग्टनगंज और महानगर में मकान बनाये गये। जो मिडिल क्लास के आदमी हैं उनके लिये मकान बनाये गये। लेकिन उनके लिये यह संभव नहीं हो पाता कि वे ४, ५ मील आसानी से जहां पर वे रहते हैं वहां से अपने काम करने की जगह पर आ जा सकें। इसके विपरीत जिनके पास सवारी है, मोटर वगैरह का इंतजाम है उनको सिक्रेटेरिएट के पीछे मकान मिलता है। तो मेरा कहना है कि जिनके पास सवारी हैं मोटरें हैं उनके बंगले तो दूर भी हो सकते हैं लेकिन जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं उनके लिये ४-५ मील पर मकान बनाना उपयोगी नहीं मालूम होता है। फिर मैंने यह देखा खास तौर से कि जो मकान बने हैं महानगर आदि में उनको किन इंजीनियर साहब ने बनवाया है कि किसी भी मकान में प्राईवेसी नहीं है। अगर आप एक मकान से दूसरे मकान को देखें तो आप को अन्दर से अन्दर तक दिखाई देगा। जो लोग मिडिल क्लास के होते हैं उनके लिये प्राईवेसी की आवश्यकता होती है। उनके यहां पर्दा होता है। तो उनके लिये यह चाहिये कि मकान एक दूसरे से अलग बनें हों जिससे वह फैमिली आसानी से रह सकें, तब मैं समझता हूं कि यूजफुल हो सकते हैं।

एक बात यह है वेतन के संबंध में सन् १९५२ में जो बजट पास हुआ था उसमें माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी और एक प्रोग्रेसिव नीति का एलान किया था और यह कहा था कि सरकार का मंशा यह है कि जो छोटी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं और जो बड़े वेतन पाने वाले हैं उनके वेतनों में अनुपात कम हो और उस समय कुछ असली कदम भी उठाया गया था। लेकिन अब उस रीति को दोहराया नहीं जा रहा है और न आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। अभी जो ५ रुपये बढ़ाये गये हैं उसको देखने से मालूम होता है कि हमारे बजट में ३ करोड़ से ज्यादा दिया जा रहा है। इससे ऐसा मालूम होता है कि हम छोटे कर्मचारियों का वेतन अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर हम अधिक बढ़ाते हैं तो बजट का बहुत बड़ा भाग

हमको उसमें रखना पड़ता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हमारे प्रदेश में दुबारा वेतन वृद्धि की नीति निर्धारित की जाय। किसी आयोग को बिठाया जाय और वह आयोग सारे प्रदेश में छोटे से ले कर बड़े वेतनों तक विचार करे और उनके बीच अनुपात को निर्धारित करे। यदि ऐसा किया गया तो वेतन की समस्या हल हो सकती है। आज समस्या यह है कि कम वेतन वालों का वेतन बढ़ता है तो हमारे पास रुपया नहीं है और बड़े वेतन वालों का वेतन हम घटा नहीं सकते है, क्योंकि उसके लिये हमारे पास कोई कायदा नहीं है। नतीजा यह होता है कि बावजूद सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि छोटे वेतन वालों का वेतन बढ़े, लेकिन उनको सहूलियत नहीं मिलती है।

जहां तक न्याय का संबंध है, इसके संबंध में कुछ रकम रखी गयी है। इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि न्याय हमारे प्रदेश में बहुत कास्टली हो गया है। हमारे प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह पूर्वी हिस्से में है नतीजा यह होता है कि जो हमारे वेस्टर्न जिलों के रहने वाले हैं उनको बहुत दूर जाना पड़ता है तब वह हाई कोर्ट में पहुंचते हैं। इस संबंध में कई दफा माननीय मंत्री जी के सामने और सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि कम से कम मेरठ रुहेलखंड के अन्दर दोनों स्थानों पर हाई कोर्ट कायम हो जाय तो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लोगों को सुविधा हो सकती है। इसी प्रकार से पहिले बोर्ड था। बोर्ड हर डिवीजन के अन्दर था उसका नतीजा यह होता था कि उसमें आसानी होती थी और रेवेन्यू की जो अपीलें होती थीं उनको तय करने में आसानी होती थी। लेकिन जब से बोर्ड इलाहाबाद में बन गया है तब से पेंडिंग केसेज की तादाद बहुत बढ़ गई है। आज कल पेंडिंग केसेज की तादाद पहले से बहुगुना ज्यादा है पहली बार माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था जब उनसे सवाल किया गया था कि पेन्डिंग केसेज की तादाद इतनी ज्यादा क्यों है। उन्होंने जवाब दिया था कि पहले इतना लिटिगेशन नहीं था। अब ज्यादा लिटिगेशन हो रहा है इसलिये ज्यादा केसेज हो गये हैं। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। एक जगह पर बोर्ड का दफ्तर केंद्रित हो गया है इस लिये ऐसा हो रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि सारे स्टेट से जो मुकद्दमे आते हैं उनको नियत समय में तय करने में वे असमर्थ हैं इसलिये जैसे पहले रेवेन्यू का बोर्ड था उसी तरह से अब भी होना चाहिये।

एक बात जो है उसको मैं कहना चाहता हूं और वह यह है कि माननीय कुंवर साहब ने कहा था कि अगर हम इस प्रदेश की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो जहां तक सम्भव हो सरकार को यह करना चाहिये, प्राहिबिशन पालिसी को सरकार को सोचना चाहिये। नमक पर टैक्स लगाये। जहां तक प्राहिबिशन का संबंध है मेरा विचार है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि नशा बन्दी जो है वह बुरी है और उसको नहीं होना चाहिये। चीन के अंदर करोड़ों रुपये की अफीम वहां के लोग खा जाते थे, लेकिन उन्होंने ने उस चीज को बन्द किया इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते वहां अफीम खाने वालों की तादाद कम हुई। आज उसके अन्दर कोई अफीम खाने वाला नहीं है। कुछ दिन तक लोग चोरी से अफीम खाते थे, लेकिन आज वहां तमाम लोग इस बुराई को समझ गये इस लिये जो यह बुराई है उसको हमें भी जानना चाहिये लेकिन प्रयत्न यह होना चाहिये था कि हमारे सारे प्रदेश के अन्दर प्राहिबिशन हो। इस प्रकार शराब से रुपया मिल जाय तो और काम हो सकता है, लेकिन अच्छे काम से रुपया मिल जाय तो वह रुपया अच्छा होता है। मैं समझता हूं कि जो रुपया बुरे काम से लिया जाता है वह रुपया कभी भी वेलफेयर स्टेट के लिये अच्छा नहीं होगा। जहां तक प्राहिबिशन का संबंध है सरकार ने यह पालिसी अख्तियार की है और उसके इस में और एफेक्टिव होना चाहिये। इस वक्त जब सारे प्रदेश के अन्दर प्राहिबिशन लागू करना चाहिये चोरी से कब तक पियेंगे। समय आयेगा जब लोगों को शराब पीना छोड़ना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

*श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस तरीके से कोशिश करूंगा कि अपने ख्यालात को बिला किसी तास्सुब या जानिबदारी से आपके सामने

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री बद्री प्रसाद कक्कड़]

में इस ऐवान में पेश करूं। यह ऐवान का फर्ज है कि बजट के टाइम में शुक्रिया अदा किया जाय क्योंकि हमारे भविष्य का नक्शा हमारे सामने आता है। मैं पब्लिक का एक खादिम हूं और पब्लिक के जोश और जजबात का असर लेता हूं। एक जोश होता है कि अपनी तकरीर का इख्तताम एक शेर से करूं :

गुल गुल के दाग दिल उभर आते हैं दिल नवा।
तुम कैहिये कफस की खिजां क्या बहार क्या।।

जनाबेवाला! अगर आंखें कुशादा करके देखा जाय कि आजादी के बाद हमारे सूबे ने क्या तरक्की की तो एक दम से कह देना होगा कि दर असल जो तरक्की जराअत में, बिजली में और इंडस्ट्री में और हर लाइन में की गई वह ताज्जुबअंगेज है। मेरे ख्याल में कोई शख्स मुनकिर नहीं है कि इस दौरान में वह तरक्की की गई है जो डेढ़ सौ बर्षों की हुकूमत में अंग्रेजों ने नहीं की। मगर ताज्जुब है कि दिल परेशान है और हैरान है और लोगों के दिल शिकस्ता हैं और जबनेगम की काली घटायें छाई हुई हैं। माली हालत ऐसी कमजोर मालूम होती है कि जिन्दगी को मद्देनजर रखते हुए हम महसूस करते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं और तरक्की करना लाजिमी है। मेरा तो यह ख्याल है कि इंसानी शक्ल अख्तियार करके दो चीजों से इंसान को अलग नहीं किया जा सकता। एक तो मौत और दूसरा टैक्सेशन। मौत वक्त के समय और टैक्स मौजूं और सब सहूलियतों को मद्देनजर रख कर होना चाहिये। और राय देहन्दों की राय को शामिल करते हुये जनाब वाला मेरा ख्याल है कि आप मेरी राय से इत्तफाक करेंगे कि प्रोहीबीटेड टैक्सेशन और रिवोल्यूशनरी मेजर्स यह वक्त जोश और वक्ती खरोश नहीं बल्कि मख्फी हो सकते हैं और अगर मख्फी किये जा सकते हैं और मुल्क को इसमें परेशान करना पड़ेगा। आपने बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी मेजर इस आजादी की जिन्दगी में जो थोड़ी सी रही है, छेड़ा। उसके तजुर्बे पर आपको गौर करना चाहिये, यह बदतहजीबी में शामिल नहीं है। जमींदारी अबालीशन के बाद परचेजिंग पावर कुछ घट गई और टैक्सेशन बढ़ गया। टैक्सेशन एक ऐसा मसला है जिस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत कुछ एतराज भी किया जा सकता है। मैं इस मौके पर ज्यादा और मजीद न कह कर इतना ही कहना मुनासिब समझता हूं कि टैक्सेशन मेजर से इंसानी हस्ती चूर हो रही है। प्रोहीबिशन का मेजर, जिसे मेरे दोस्त ने बतलाया कि कायम रखना चाहिये और वह आमदनी जो खराब जरिये से वसूल हो, उसको पसन्द नहीं करना चाहिये। क्या यह रोशन नहीं, क्या यह मालूम नहीं कि प्राहीबीशन का क्या असर हो रहा है। पीने और पिलाने वाले क्लर्क, अफसरान इंसाफ करने वाले लोगों से जो रुपया हासिल हो, उसको हम ऐक्सेप्ट करने को तैयार हरगिज नहीं, आपका खाम्ख्वाह बड़ा नुकसान हो रहा है। हर साल अगर एक किताब लिखी जाय तो मालूम होता है कि ८ करोड़ से कम का नुकसान नहीं होता है। ८ करोड़ से कितनी नयी योजनायें आप बना सकते हैं, उससे कितनी मुल्क की भलाई हो सकती है, आपको इस पर गौर करना चाहिये। इस ८ करोड़ की आमदनी पर मैंने एक वक्त तहैया किया था कि मुनशियात की चीजों को रोक दिया जाय। आपको अगर रोकना है तो आप प्रोहीबिशन मेजर्स अख्तियार कीजिए। उसके लिये आप उसकी ड्यूटी को बढ़ा दीजिए। हुजूर को टैक्सेज लगाना है तो एक टैक्सेशन है। हजूर की इजाजत हो तो अर्ज करूं :

It is on ladies Sir. Jor the skill and art of dressing and appealing before the public o be conspicuous to rise in their eyes and that was the measure adopted in England in sixteen hundred century, and you can consult "Swift" Sir.

एक आवाज—हिन्दी में बोलने की कृपा कीजिए।

श्री बद्री प्रसाद कक्कड़---मैं यह कह रहा था कि औरतों के ऊपर टैक्सेशन हो। जो पाकइमनी को वालायेताक करते हुए हजरात वहां गये।

इंगलैन्ड में १६ सौ सदी में स्वीफ्ट ने बयान किया कि यह आयद किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान की सर जमीन, जो इन देवियों पर नाज करती थी, जिस हया पर और शर्म पर मुल्क नाज करता था उन पर वे पुरानी बातें लौटाने के लिये यह लाजिमी और जरूरी है। मुमकिन है कि मैंने दिमागों में खारिश पैदा कर दी हो, तो उसके लिये मैं म्वाफी का हकदार हूं।

दूसरी बात यह है कि आप को टैक्स लगाने की ही जरूरत नहीं है। आप के पास तो वे सुविधायें हासिल हैं कि टैक्स लगाना तो दूर रहा, लेकिन जो आप का डेफिसिट बजट है वह सरप्लस हो सकता है। लेकिन इसके लिये आपको सख्ती करनी होगी। हम और बातों पर तो कन्ट्रोल करते हैं, लेकिन रकम को खर्च करने में कोई कंट्रोल नहीं करते हैं। मेरी दरख्वास्त यह है कि जितना भी इस समय कन्सट्रक्शन हो रहा है उसमें आप २० परसेंट काट कर दीजिए और अपने अफसरान से कहिये कि तुम्हारी काबलियत तो इसी में है कि तुम इसको पूरा कर के दिखला दो। मैं हिसाब में बहुत कमजोर रहा हूं लिहाजा ठीक ठीक तो नहीं बतला सकता लेकिन ऐसा ख्याल है कि इस बजट में ६३ करोड़ रुपया कन्सट्रक्शन वर्क्स के लिये रखा गया है। इस रुपये से रोड्स इमारतें और नहरें बननी हैं। अगर आप इस खर्च पर सख्ती के साथ निगाह रखेंगे तो मेरा यकीन है कि १२ करोड़ रुपये की बचत हो सकती है और अगर इतनी न सही तो इसका आधा ६ करोड़ से कम बचत नहीं हो सकती है।

जनाबवाला, इस परेशानी के जमाने में हमारे बुजुर्ग मिनिस्टर साहब ने बहुत कुछ अच्छी चीजें फरमाई हैं। कब्ल इसके मैं कुछ कहुं, मैं एक चीज के ऊपर आपकी निगाह आखिर में दौड़ाना चाहता हूं। यह चीज प्लानिंग है। प्लानिंग में आप ८ करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। प्लानिंग विभाग की जो प्लानिंग है उसकी हालत हर जिले में बद्तर है। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जिगर में हाथ रख कर देखें कि क्या इसका खर्च ठीक तरह से हो रहा है। जिस वक्त मैं राय दूंगा और अपनी तजवीज पेश करूंगा तो आप फरमायेंगे कि यह डेमोक्रेसी की बात नहीं, यह तो एरिस्टोक्रेसी और ब्योरोक्रेसी है। मेरा तजुर्बा तलख है और मैं समझता हूं कि इसी तरह से आपके भी तजुर्बात हैं कि जो जिलों में प्लानिंग का रुपया जाता है वह अक्सर दोस्त और यारों में खर्च होता है और उसको हमें बचाना चाहिये। आप उसको ८ करोड़ के बजाय ६ करोड़ रखिए और अपने आदमियों से खर्च कराइये और उनसे इंतजाम कराइये। हर तरह से इत्मीनान करके देखिए कि जायज खर्च हो रहा है या नहीं। मैं इसके बाद जनाब का ध्यान जो हमारे मोहतरिम वजीर साहब ने फरमाया है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं

In the absence of such allowances, it has been decided that, like the proverbial saint who could present only a green leaf, all Ministers of the State Government should donate Rs.100 per month out of their pay.

मेरे ख्याल में जमाने की हालत और मुसीबत की उनके दिल में छाप पड़ी है।

शामे गम लेकिन खबर देती है सुबहे ईद की,
और जुल्मते शाम नजर आई किरण उम्मीद की।

हुजूर, पता चलता है कि दिल में किस कदर जोश है, कभी सादगी है, सादा दिली, सादा रवा पसन्द है। ईश्वर चाहेगा तो यह पैलेसियल बिल्डिंग भी छोड़ दी जायेगी। उनके दिल रोशनये तीमार होंगे, आंखों में जौहर होगा, दरख्वास्त होगी।

आंख को बेजार कर दे वादये दीदार से,
जिन्दा कर दे दिल को सोज जौहरे गुफ्तार से।

[श्री बद्री प्रसाद कक्कड़]

हुजूर, जब उनके दिल में यह असर हो गया, आंखों में यह कशिश हो गयी तो हम भी रिन्द हो गये।

रिन्द जो जर्फ उठा लें वही सागर बन जायं
जिस जगह बैठ के पी लें वही मयखाना बन जाय।

इस मयखाने को मैखाना बन जाने पर प्राहिबिशन नहीं रहेगा। यहां पर जोशे मसीह होगा, हम लोगों के दिलों में कशिश होगी, खुद एक चीज होगी, खुद अपने में मिटने का एक जोम होगा, एक मौज होगी। मैं जनाब का रुझान २१ सफे पर दिलाता हूं।

'As a further concession to low-paid Government employees, it has been decided to grant half free-ships in class IX for those Government servants drawing a pay of Rs. 100 per month or less.'

जो बहुत तल्ख है दिल को, सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेन्ट लिख देने से दिल में उलझन सी पैदा होती है। वह जो एडेड इन्स्टीट्यूशन्स में हैं, वह कौन से हैं, वह भी तो आपके हैं। कभी मैनेजमेंट की सख्ती और ज्यादती होती है, तनख्वाह कम मिलती है, हुजूर वह भी तो आप के ऊपर है जो उम्मीद लगाये बैठा है। दूसरी एक मियार नवें दरजे में होगी, सातवें और आठवें में हुजूर क्या, वहां तो सुबह ही सुबह है, खैर, मेरे ख्याल में वे इस पर गौर करेंगे।

हुजूर अब मेरे ऊपर तरफदारी का इलजाम न लगाया जाय क्योंकि मैं अब कुछ फतेहपुर के बारे में इस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं। पेज १७ में दिया हुआ है कि--

The total mileage of irrigation works managed by the Irrigation Department increased from 21,300 miles in 1954-55 to 22,100 miles in 1955-56. The number of tube-wells showed a rise from 2,586 in 1954-55 to 4,554 in 1955-56.

इस बात को कहने में क्या गुनाह है कि ५१ जिलों में तो आपने किया, लेकिन हमारे यहां कुछ भी नहीं किया है। आप ने पांच हजार ट्यूबवेल्स बनाये हैं, लेकिन फतेहपुर में कोई भी नहीं बनवाया है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--हमारे जिले उन्नाव के बारे में भी कह दीजिए

श्री बद्री प्रसाद कक्कड़--उन्नाव, फतेहपुर और बांदा तो पड़ोसी ही हैं हम लोग तो सन् ४२ वाले हैं कुछ चश्मपोशी हो जानी चाहिये मेरे यहां कोई भी इर्रीगेशन का वर्क नहीं हुआ है। जो दूसरी पंच वर्षीय योजना है उसमें भी कोई काम नहीं किया गया है, जिससे फतेहपुर को कोई खास फायदा पहुंचे। लोगों को आबपाशी के बारे में बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है लेकिन फिर भी कोई काम ऐसा नहीं किया जाता है जिससे लोगों को आराम मिले। पेज १६ में है:--

"Immediately before Independence, this State had only 9,387 miles of metalled roads. To day the total length of metalled roads is about 11,700 miles."

Certainly it is very creditable.

* * * *

"In 1946 there were only 1,842 miles of modernized roads. Today we have over 3,900 miles of modernized and cement concrete roads. During the current financial year about 320 miles of new metalled roads are expected to be opened to traffic, 155 miles of existing roads are proposed to be reconstructed."

मैं आप का ध्यान फिर अपने जिले की तरफ दिलाना चाहता हूं। हाफिज साहब भी मेरी बातों को सुनते सुनते परेशान हो गये होंगे। अब तो कुंवर महावीर सिंह जी भी रौनक अफरोज हैं। हमारे पड़ोसी भी हैं। उनसे उम्मीद है कि वे वहां पर कुछ काम करेंगे। फतेहपुर के जो लेजिस्लेचर्स हैं वे दुश्मनों के नाम से याद किये जाते हैं।

If you want us to be condemned and condemned for good, please do not make anything for the good of the people.

पेज १५ में लिखा हुआ है।

Amelioration of the conditions of scheduled castes, backward classes and ex-criminal tribes has also continued to receive the earnest attention of Government. A total provision of Rs.95·55 lakhs has been made for this purpose in the budget.

आपने जो इसमें प्राविजन किया है, उसका इस्तेमाल किस तरह से होगा जो आपने प्राहिविशन किया है उससे भी बहुत कुछ हुआ है।

There should be a cultivation of the brain and mind.

आपके पास जो जरिये हैं उनका ठीक से इस्तेमाल कीजिए। एक काम आपने बहुत अच्छा किया है और वह यह है कि हमारे यहां जो पासी कौम होती थी वह बहुत ही चोर और डकैत हुआ करती थी उस के अब दिमाग जरूर कुछ बदल गये हैं। उन लोगों ने अब यह काम करना छोड़ दिया है। अगर कोई काम करता है तो वे लोग उसको पंचायत से बहुत कड़ी सजा दिलाते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा काम है।

क्या लेजिस्लेशन से इतना बड़ा काम हो सकता है?

There should be the cultivation of mind and heart both Sir, if you want to raise the country.

मैं आपको यकीन दिलाऊं और बड़ी खुशी होती है जिस वक्त कि मैं एजूकेशन बजट को पढ़ते हुए देखता हूं। सन् ३७ में जब मैं इस ऐवान में आया था, तो उस वक्त एजूकेशन का बजट सिर्फ २ करोड़ था, लेकिन आज दो करोड़ तो क्या, सिर्फ ३ करोड़ रुपया आप ऐसी पिछड़ी हुई जातियों पर खर्च कर रहे हैं, उनकी तरक्की के लिये खर्च कर रहे हैं कि इससे वे आप के बहुत मशकूर हैं।

The total estimated expenditure on education, as a whole, thus amounts to Rs.19·56 crores which exceeds by Rs.3·12 crores the total provision for this purpose made in the estimate for the previous year.

लेकिन मैं आप का ध्यान बावजूद इस खर्च के उन बच्चों की तरफ भी दिलाना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि उनके दिमाग में आज क्या है, उनकी पढ़ाई में क्या है, उनका विचार और चरित्र कैसा है जब कि आज उस पढ़ाई से बुजुर्गों की इज्जत भी उनके दिल में नहीं है। ऐसी पढ़ाई से बेपढ़ाई अच्छी है। अगर पढ़ाई है, तो

There should be schooling of mind and heart both.

आप गौर करें। सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह है, आप मानें या न मानें, लेकिन आप का फर्ज है कि आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स से एजूकेशन को एकदम से खींच लें। अगर आपको बच्चों का सुधार करना है, अगर उनकी पार्टीबन्दी से मास्टरों को बचाना है, तो ऐसा करना आप का फर्ज है। दूसरी लाजिम चीज यह है कि आप मास्टरों को उनकी तकदीर पर छोड़ दें। तीसरी चीज यह है कि हमारे यहां मारेल एजूकेशन कम्पलसरी हो। योरोप में यह कायदा था कि वहां स्कूलों में रेलीजस टीचिंग रखी गई थी, लेकिन उसके लिये भी च्वाइस थी।

Anybody who does not want he may not attend the classes.

[श्री बद्री प्रसाद कक्कड़]

हमारे यहां भी मारेल टीचिंग जरूर होनी चाहिये। इन तीन बातों पर आप खास तौर से ध्यान दें।

Sir, I want to draw your attention to page 13 :

"A sum of Rs. 1,43,000 was provided in the Budget for the last year for the establishment of a prisoners" camp, for employment of prisoners at the quarry of the Government Cement Factory at Churk."

मैं क्या अदब से पूछ सकता हूं कि इसके लिये जो रुपया प्रोवाइड किया गया है, वह उचित है। मैं समझता हूं कि यह गलत है इस बुनियाद पर कि चुर्क में जितने मजदूर रहते हैं, चुर्क फैक्टरी उसके लिये पे करती है। यह जो इंतजाम किया गया यह फैक्टरी की बहबूदी के लिये किया गया है और इसका कुल खर्चा सीमेंट फैक्टरी से मिलना चाहिये और यह रकम सोशल वेलफेयर में चली जानी चाहिये। आप १२ वें सफे में फरमाते हैं :—

The Plan of the Social Welfare Department includes such schemes as the setting up of institutions for the education of the blind at Lucknow and Gorakhpur, a work-house for beggars at Hardwar.

क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूं कि यह ७० लाख की रकम बेगरी के लिये काफी है ?

Beggary should be taken as sin, Sir.

और बेगरी की आज यह हालत है कि वह आज कौम की लाज को धो रही है। वह किसी भी तरीके पर खतम की जाय। क्या हरिद्वार में बेगर हाउस खोल देने से बेगरी खतम हो सकती है। बेगरी तो दूर हो सकती है जब हर जिले में हर दिल में यह जोश यह खरोश हो मेरे दिल में जो चीज है वह यह कि हमको बेगरी हर हालत में दूर करना है। और उसके लिये एक लेजिस्लेशन आये। वह एक सिन है। लेकिन आज हजरतगंज में चले जाइये या कहीं रेल में सफर कीजिए निकलना मुश्किल हो गया है। आज बेगरी एक प्रोफेशन हो गया है। जो तन्दुरुस्त हैं जवान हैं। औरतें लड़के गोद में लिये हुए हैं उनके बच्चे पास में खेल रहे हैं और वे भीख मांग रही हैं। यह बड़े शर्म की बात है। स्वीफट ने कहा कि योरोप में ५०० वर्ष हो गये कोई बेगर नजर नहीं आता है। आज हिन्दुस्तान को आजाद हुए दस वर्ष हो गये लेकिन बेगरी नहीं जाती है। बेगरी में कोई कमी नहीं नजर आती है।

मैं ९वें सफे की ओर आप का ध्यान दिलाता हूं जिसमें लिखा है—

"Both these factories are making steady progress and their production has reached almost full capacity. Plans are in hand for expanding these undertakings by installing a new plant in the Cement Factory to produce another 700 tons of cement per day."

जहां इस खुशी का ताल्लुक है मुझे दिली खुशी है, लेकिन अभी मेरी समझ में नहीं आया कि आया यह दूसरी सीमेंट फैक्टरी चुर्क में होगी या हरिद्वार में होगी क्योंकि एक्सपर्टस ने बताया है कि मेटेरियल जो सीमेंट के लिये जरूरी होता है वह देहरादून में भी पाया जाता है। एक बात आज मैं वजीरे साहब के पेश कदम पेश करना चाहता हूं। मुझे मोतबर जराये से पता चला है कि मिर्जापुर जिले में सीमेंट को चुरा चुरा कर बेचा जाता है। एक एक बोरी तीन तीन रुपये में मिलती है। उसको मुस्तफिक करने के लिये सी० आई० डी० के जरिये से इसका पता लगावें कि यह सही है या नहीं। अगर सही हो तो सख्त से सख्त सजा मुजरमान को दी जा सकती है। दूसरी चीज जो मैं आखिर में एक चीज के साथ कहूंगा वह यह है कि इसका हमारी गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है। मगर रुपया तो हमारा है हमारे बाप दादा का है

और उन पर हमारा हक है। आपके खजाने में अभी तक दो ही आदमी काम करते थे एक आप और दूसरा खजांची।

आखिर में मुझे एक बात की तरफ और आप का ध्यान खींचना है और वह यह है कि आज स्टेट बैंक हर जिले में खुलते चले जा रहे हैं। इस तरह से ७,००० रुपया बरबाद हो रहा है। मेरे ख्याल में छोटे जिलों में इन बैंक्स की जरूरत नहीं है। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि आप गवर्नमेंट को मूव करें कि यह चीज न रवां की जाय। छोटे जिलों में बैंक्स के खुलवाने की कोई खास जरूरत नहीं है।

आखिर में एक बात के कहने में मुझे दिली अफसोस है, लेकिन मैं उस चीज को इस ऐवान के सामने कह देना चाहता हूं। जिस वक्त पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और डिप्टी मिनिस्टर्स को यह हिदायत हुई कि वह एक ऐवान से दूसरे ऐवान में जा सकते हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे हाफिज साहब का बोझ हल्का हो गया और ऐवान को दिली खुशी हासिल हुई कि उनकी गुफ्तगू बादहवाई न समझी जायगी। हमको तो केवल जनरल डिसकशन करने का अख्तियार है और मैं देखता हूं कि हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहबान यहां तशरीफ नहीं लाये हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले दिन जब बजट पर डिसकशन होगा तो वह यहां आयेंगे और हम लोगों की बातों को सुन कर नोट कर लेंगे। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं जनाब का शुक्रिया अदा करता हूं। अगर मेरी जानिब से कुछ गलतफहमी हुई हो तो मैं उसकी माफी मांगता हूं।

श्रीमती तारा अग्रवाल (नाम निर्देशित)--श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, जो सदन के सामने वित्तीय बजट पेश हुआ है म उसके लिये वित्त मंत्री की सराहना करती हूं। वास्तव में यह बजट मंत्री जी की सूझ बूझ की बड़ी भारी देन है। इस बजट को देखने से यह मालूम होता है कि जो पंचवर्षीय योजना हमने बनाई है उसकी किन किन मदों पर कितना कितना खर्च किया जायगा इसके साथ ही साथ इस बजट से यह भी पता चलता है कि पंच वर्षीय योजना जो द्वितीय है उसको सम्पादित करते हुए वेलफेयर स्टेट की तरफ एक कदम उठाये गये हैं। जैसा कई वक्ताओं ने बताया कि शिक्षा में हमारी सरकार ने छठें दर्जे तक की फ्री शिक्षा रखी है, लेकिन वास्तव में देखा जाय तो हमारे प्रदेश में इस बात की बड़ी आवश्यकता थी कि हम नाइंथ (नवीं) तक फ्री शिक्षा देने की व्यवस्था कर सकते किन्तु जिस प्रकार से आर्थिक समस्यायें हैं उनको देखते हुए यही संभव है कि प्रतिवर्ष एक क्लास आगे हम इसको ले जायं।

इसके साथ साथ शिक्षा में जहां स्त्री और पुरुष शिक्षा में शामिल हैं उसमें परिगणित जाति के लिये भी काफी सुविधायें दी गयी हैं। किन्तु मैंने देखा जहां परिगणित जाति की शिक्षा की आवश्यकता थी वहां हमारे प्रदेश में महिला समाज की शिक्षा की भी बात होनी चाहिये थी। उनकी शिक्षा में जो प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं के माफिक है। यदि शिक्षा मंत्री जी कुछ अधिक क्लासेस तक फ्री शिक्षा की व्यवस्था कर देते तो बड़ा हित उनका हो जाता। इसके साथ साथ द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उद्योग के अन्दर जो लक्ष्य बनाया गया है और जो योजनायें बनाई गई हैं वहां मैंने देखा कि कुटीर उद्योग के साथ प्रदेश में कोई इस प्रकार के साधन नहीं दिये गये हैं जहां फ्री दस्तकारी के २, ४ स्कूल इस बजट में खुलवाने के साधन होते। आज अपने प्रदेश में पुरुष वर्ग तो बेकार ही है वहां महिला वर्ग में भी तेजी के साथ बेकारी बढ़ती जा रही है। महिला वर्ग को तो सिर्फ शिक्षा ही द्वारा जीवन यापन होता है। अगर यह न हो तो किस प्रकार वह जीवित रह सकती है। यदि इसके साथ २, ४ स्कूल कबाल टाउन में महिलाओं के लिये फ्री खोल दिये जाते तो बहुत कुछ आर्थिक समस्या इस समाज की हल हो जाती।

इसके साथ सेल्स टैक्स की बात आती है, इसमें जैसा कि बजट से मालूम हुआ है कि जनता में दिन प्रति दिन असंतोष बढ़ता जाता है। सेल्स टैक्स के लिये हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कानपुर है इसमें कितनी बार इस बात का प्रस्ताव पास हुआ कि सेल्स टैक्स की वसूलयाबी में कुछ सुविधा दी जाय। आज होता यह है कि सेल्स टैक्स आफिसर

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

दूकानदार को साल में १५ दिन अपने दफ्तर दौड़ना है और उन १५ दिनों में उनकी आमदनी का नुकसान होता है। यदि इस प्रकार से न होकर जैसा कि जापान में होता है कि सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर दूकान पर जाता है और हिसाब को देखता है और टैक्स को वसूलयाबी करता है तो इससे २ फायदे होंगे। एक तो अपने प्रदेश की आय में वृद्धि होगी और दूसरे जनता में जो असंतोष है उसमें कमी होगी। दूसरी बात जो सेल्स टैक्स की चोरी होती है वह भी दूर हो जायेगी। आज होता यह है कि ग्राहक को दूकानदार बिना पर्चा, कैश मेमो दिये हुए सामान दे देता है और दूकानदार यह समझता है कि इस तरह से मैंने सेल्स टैक्स की बचत कर ली और ग्राहक यह समझता है कि मैंने टैक्स की अदायगी का पैसा अपनी जेब में रख लिया है परिणाम यह होता है कि जो सरकार को आय होनी चाहिये थी नहीं होती है।

दूसरी योजना के संबंध में मुझे यह बात कहनी है कि सामाजिक स्तर से जिस प्रकार की योजनायें प्रदेश में चल रही हैं और संचालित होती हैं, वह सराहना के काबिल हैं। किन्तु उनके संचालन में जिस प्रकार की कठिनाई है जिस प्रकार से संचालन विभाग करते हैं उसमें कमी है। अगर बचत की ओर दृष्टिकोण रखें जैसे कि समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा प्रदेश में योजना चल रही है और जिलों में भी योजना संचालित है जैसे महिला मंगल योजना और प्लानिंग कमेटी द्वारा ए० डी० ओ० को नियुक्त करके केन्द्र द्वारा संचालित किया जा सकता है। इस प्रकार से योजना का उद्देश्य योजना के व्यय से एक ही है, किन्तु उसका स्टाफ तीन तरह से बंटा है। अगर उन विभागों को खतम करके एक विभाग कर दिया जाय तो बहुत बड़ी रकम जो इस कल्याण में आने वाली है वह बच सकती है और वह रकम उन पर व्यय हो जो विभागीय व्यय है। इसी तरह से समाज कल्याण के अन्दर जो ट्रेनिंग की योजना है उसको मैं देख रही हूं। उस वर्ग को जो पिछड़ता जा रहा है। जो अपने पेशे के कार्य करने में दक्ष हैं वह उससे वंचित हो रहा है। सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। वह वर्ग है दाइयों का। वह धानुक वर्ग प्राचीन काल से दाई का काम करते हैं। उनके बालिकाओं को शिक्षा का प्रबन्ध प्रदेश की सरकार द्वारा फ्री हो जाय और उनको ट्रेनिंग दी जाय तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। आज दूसरे वर्ग की स्त्रियों और बालिकाओं को सिफारिश करके मिड वाइवज की शिक्षा दी जाती है। इसलिये मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी इस सुझाव को ज्यादा कार्यान्वित करने के लिये कोशिश करें। इसी के साथ साथ जो समाज कल्याण की योजना है डिस्ट्रिक्टवार कायम हो। चिल्ड्रेन रेस्क्यू होम जो हैं उसको देखा जाय तो सन् १९५७ का बजट बनाने के पहले ३१ मार्च के अन्दर हजारों रुपये का सामान उसमें खरीद लिया गया है। सैकड़ों विभागीय स्टाफ को नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन उनकी संख्या देखी जाय तो बच्चों की और महिलाओं की संख्या नहीं के बराबर है। इस प्रकार से खर्चा हजारों रुपया हमारी समझ से हो रहा है, किन्तु उसका उपयोग हजारों रुपयों के पीछे एक बच्चे को मिल रहा है। अगर इस रुपये को हम ठीक तरह से खर्च करें तो मैं समझती हूं कि स्टेट को बहुत रुपये की बचत हो सकती है।

शिक्षा के सम्बन्ध में भी मैंने वहां की योजना को देखा है। जिन बच्चों को चिल्ड्रेन होम में शिक्षा दी जा रही है उनको पश्चिमी ढंग की शिक्षा दी जा रही है। हम इस योग्य नहीं हैं कि उन बच्चों को इस तरह की शिक्षा देकर उनके भविष्य के लिये साधन जुटा सकें। इसलिये उन बच्चों का इस तरह से लालन पालन किया जाय जो हमारे देश के लिये और हमारे समाज के लिये लाभदायक हो। इसी के साथ साथ प्रदेशीय सरकार ने जो पेन्शन देने की व्यवस्था की है उसकी मैं सराहना करती हूं। लेकिन पेन्शन का रुपया इतना कम है कि अगर देखा जाय तो प्रदेश में पाने वाले बहुत संख्या में होंगे किन्तु धनराशि नहीं के बराबर है। फिर भी मैं इस बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि इस पेंशन में ऐसी महिला वर्ग के लिये धन रखा जाय जो पर्दे में रहती हैं।

आज जो अपंग हो गये हैं और कहीं जाकर जीवनयापन का साधन नहीं जुटा सकते। जो नौकरियां दी जा रही हैं, उन नौकरियों में भी संविधान को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री पुरुष वर्ग में कोई भेद नहीं है, किन्तु देखने में यह आता है कि ज्यादातर शिक्षा में तो स्त्रियों की गणना होती है, लेकिन बाकी विभागों में जहां नौकरियां निकलती हैं, वहां जो आवेदनपत्र आते हैं उन पर कोई रहम नहीं किया जाता। वे स्त्रियां गृहों को छोड़ कर कार्य करने आती हैं और इस तरह से आवेदनपत्र देती हैं। मैं चाहती हूं कि उनके लिये एक विभागीय प्रबन्ध होना चाहिए जिसमें उनको प्राथमिकता मिले और उनके घरों की गाड़ी अच्छी तरह से चल सके। अभी हाल में माननीय कुंवर गुरु नारायण जी ने मद्य निषेध के बारे में चर्चा की। मैं स्वयं जानती हूं कि जिस वक्त हमारे प्रदेश के अन्दर मद्य निषेध का कानून लागू हुआ, उस वर्ग में कितनी खुशी छाई जो हरिजन वर्ग कहलाता है। इससे पीने वालों की संख्या कम हो गई है। जहां हम इन बातों को देखते हैं वहां हमें इन बातों को भी देखना चाहिए कि हम अपनी वेलफेयर स्टेट में नैतिक स्तर को ऊंचा उठायें, गिरने न दें। अगर हमारी आय में कमी है तो उसको दूर करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। अभी हमारे माननीय कक्कड़ साहब ने एक ऐसी बात कही जिसके लिये मुझे ताज्जुब हुआ। वे भारतीय संस्कृति में पले हैं। भारतीय पोशाक में पश्चिमी सभ्यता की दुहाई दी जाय यह मैं समझ नहीं सकती। अब हमें भारतीय संस्कृति और भारतीय नागरिकों के जीवन को ऊंचा उठाना है तो एक भारतीय नारी जो कि माता के स्वरूप मानी जाती है, उसकी आय से हम अपने भारत की इनकम को पूरा करें, मुझे अफसोस मालूम होता है। हां अगर वे इस बात को कहते कि जो भारतीय नारियां जो कि पश्चिमी सभ्यता में बढ़ रही है, उन सामग्री पर ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी लगाई जाय-कर लगाये जांय, तो मैं मानती।

श्री राम किशोर रस्तोगी--(स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--उनका मतलब यही है।

श्रीमती तारा अग्रवाल--नहीं, यह मतलब नहीं मालूम होता। आपने फैशन वाली स्त्रियों के ऊपर कर लगाने का सुझाव दिया है। मैं पश्चिमी भाषा नहीं समझ पाती हूं। जहां तक बुद्धि से समझी उनका मतलब उस फैशन सामग्री से नहीं जहां वे श्रृंगारमयी हो कर हजरतगंज में घूमती हैं। इस प्रकार से माननीय सदस्य को आय के जरिये नहीं ढूढ़ने चाहिए। लोग भारतीय संस्कृति को भूल गये हैं भारत का पतन हो रहा है उसके उठाने के लिये प्रयत्न हो रहा है। नारी के लिये कर लगाने की बात कहना यह सदन के लिये अशोभनीय बात है। हमारे माननीय सदस्य भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे मैं यह आशा करती हूं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि जो ग्रांटस् रखी गई हैं उनमें इस प्रकार की योजनायें बनाई जायं ताकि हमारे प्रदेश में स्त्रियों के लिये ऐसे केन्द्र हों जहां उनके जीवनयापन के साधन मिल सकें।

श्री राम नारायण पांडे (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट प्रस्तुत है और बजट का मैं स्वागत करता हूं। बजट में जहां तक आय का सवाल है वह टैक्सेशन के द्वारा होती है। टैक्सेशन कितना ही लगाया जाय टैक्स देने वाले को चिन्ता नहीं होती है, चिन्ता होती है कि आप उसको किस तरीके से खर्च करते हैं कितना फीसदी खर्च का सही होता है और कितना व्यर्थ जाता है। इस चीज पर हर तरफ से दृष्टि जाती है। यों तो घर के खर्च में बहुत से खर्च ऐसे होते हैं जिनमें पूरा रिटर्न पूरे खर्च का नहीं होता है और इस सरकारी खर्च में जहां थोड़ा सही ढंग से और बड़ा हिस्सा ऐसे खर्च होता है जिसका रिटर्न नहीं मिलता है और अगर मिला भी तो १०, २० फीसदी से कोई लाभ नहीं होता है। बहुत से टैक्सेशन तो ऐसे हैं जिनके कलेक्शन करने में जितना टैक्स नहीं लगाया जाता उससे अधिक उनके वसूलयाबी में खर्च हो जाता है। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिनके टैक्सेज हम जस्टीफाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे टैक्सेज को अच्छा टैक्स नहीं कहा जा सकता है टैक्स लगाने के बाद उसके वसूलयाबी में कम से कम खर्च हो यह सबको मान्य होगा। अभी सदन के

[श्री राम नारायण पांडे]

सामने सभी लोग बोलने को हैं और बड़ा डिस्कशन्स होने को है, मैं दो एक डिपार्टमेंट्स के मुताल्लिक जिनपर काफी खर्चहोता है और उनके ऊपर जो व्यर्थ का खर्च हो रहा है उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज प्लैनिंग के नाम से बहुत बड़ा खर्च हो रहा है।

(इस समय ३ बजकर २५ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

प्लानिंग की आवश्यकता भी है इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। कोई भी मुल्क बगैर प्लानिंग के आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस स्थिति में हमारा मुल्क है वह बगैर प्लैनिंग के उठ ही नहीं सकता है। हमें तो बहुत पहले से प्लानिंग कर लेना चाहिये था। आजादी पाने के बाद ही हमारी प्लानिंग शुरू हुई। प्लानिंग के दौर के साथ ही फौरन हमने विकास का काम शुरू कर दिया और एन० ई० एस० शुरू कर दिया और वह बड़े-बड़े ब्लाक्स जो बने हैं अजीब पैरेडाक्स हैं। बी० डी० ओ० ए० डी० ओज, विल्लेज वर्कर्स बनाये गये हैं उनके साथ में जीप्स हैं और काफी रुपया उन पर खर्च हो रहा है। वह जीप्स को लेकर कच्चे गलियारों से बीबियों और बच्चों को लेकर घूमते हैं। उनमें हम लोगों को भी कभी कभी घूमने का मौका मिल जाता है। एक बी० डी०ओज० का रिलेशन करीब सौ गावों से होता है, जो करीब दस मील के अन्दर ही हो जाते हैं। फिर भी इस दस मील की दौड़ के लिये उसको एक एक जीप दे दी गई है जो काम वह साइकिल से आसानी से कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अमेरिका में तो आप हर एक को जीप और मोटर दे सकते हैं लेकिन हमारे यहां तो साइकिल सब से अच्छी सवारी है। अगर हर एक बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० को एक एक साइकिल दी जाती तो वह आज इस तरह से कोट पतलून पहिन कर गांवों में नहीं जाता। अगर वह आज गांव में जाता है तो उसको लौटने की बहुत जल्दी रहती है। पुराने जमाने में जब जिलाधीश का दौरा होता था तो वह कैंप करता था। हम उसको चाहे पुराने ब्योरोक्रेट कहें या कुछ भी कहें, लेकिन वह एक स्थान पर दो तीन रात रहता था और उस स्थान की स्थिति को जानने की कोशिश करता था। लेकिन आज यह होता है कि सुबह जीप में निकाल कर जाते हैं और शाम को किसी तरह से भी अपने ब्लाक में पहुंचने की कोशिश करते हैं। वह रात में तो उस स्थान में रहना ही नहीं चाहते हैं। वे किसी गांव में जाते हैं और किसी आदमी या किसी इन्फ्लूयेन्शियल नेता से चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, पूछ-ताछ कर लेते हैं और इसके बाद अपने ब्लाक में शाम को लौट जाते हैं। पहली बात तो यह है कि देहाती आदमी कोट पतलून से बिचकता है, क्योंकि इस चीज को तो वह कभी पहिनता ही नहीं है। अरे भाई अगर देहात में जाना है तो धोती कुरता पहिन कर जाओ। अगर इतना नहीं कर सकते तो अचकन पायजामा पहिन कर जाओ, हालांकि देहाती आदमी ने अचकन भी कम देखी है। कहने का मतलब यह है कि उसको साधारण ड्रेस में देहात में जाना चाहिए। लेकिन अब तो देहाती भी कुछ न कुछ होशियार हो गये हैं वे कचहरियों में जाते हैं और वहां पर लोगों को तथा सरकारी आफिसरों को देखते हैं और यह भी जानते हैं कि किस तरह से साहब से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाय। वे भी किसी से कम नहीं हैं। पुराने कुयें को थोड़ा ठीक ठाक करके नये कुयें के नाम से रुपया ले लेते हैं। हम जानते हैं कि सब के चरित्र में कुछ न कुछ दोष है। लेकिन इस दोष के होते हुये भी अगर थोड़ी सी इच्छा काम करने की हो तो कोई भी काम ठीक हो सकता है।

इन जीप गाड़ियों का किस तरह से इस्तेमाल होता है वह भी सब जानते हैं। सिनेमा जाने के लिये अक्सर इस्तेमाल की जाती हैं और घंटों सिनेमा घरों के बाहर खड़ी रहती हैं। ये सब चीजें ऐसी हैं जिन पर आप को सोचना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि ये सब चीजें खत्म हो जायेंगी। अब इसके साथ एक सवाल यह आता है कि जो बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० सचमुच में सेवा कर रहे हैं, उनका सेलेक्शन कहां से हो। आज तक जो सरकारी पालिसी है, वह यह है कि गैर जिले में ही उसको काम करना चाहिये। गैर जिला इस लिये

होना चाहिए ताकि वह लोकल राजनीत में इन्वाल्व न हो और कोई नेपोटिज्म का काम न कर सके। कहा गया है कि इस में प्रयोग भी किया गया है, लेकिन इन प्रयोगों से हार मान लेना ठीक नहीं है। जब हम ग्रेट ब्रिटेन की डेमोक्रेसी को यहां पर ट्रायल देने के लिये तैयार हैं तो इन सर्विसेज को भी ट्रायल देना चाहिए। पुलिस वाला अपने मुहल्ले की हर एक बात जानता है और घर घर की बात वह जानता है। वह जानता है कि हर मकान के अन्दर क्या हो रहा है। अगर आप उस से कोई बात जानना चाहें तो वह आप को बतला सकता है कि कौन क्रिमिनल छूट कर आया है। जब हम डेमोक्रेसी को ट्रायल दे रहे हैं तो हमें सर्विसेज को भी ट्रायल देना चाहिए। अगर कोई बी० डी० ओ० उसी क्षेत्र का है, जिसमें कि ब्लाक खुला है तो वह ज्यादा से ज्यादा यह बेईमानी कर सकता है कि वह अपने पास के गांवों वालों की ज्यादा मदद कर ले। फिर उस को भी डर होगा कि अगर मैंने कोई गड़बड़ी की तो इस गड़बड़ी का आगे चल कर मेरे घर वालों पर असर पड़ेगा और मेरे घर वाले बदनाम होंगे। यह पालिसी की बात है। इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। लेकिन जहां तक इन खर्चों का ताल्लुक है यह विभाग को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से बन्द किये जायं। इन जीपों और इस तरह के वाहियात खर्चों को जो कि डेवलेपमेंट ब्लाक्स के नाम से चल रहे हैं, इस खर्च में बहुत थोड़ी फीसदी है जो कि सचमुच में इस्तेमाल हो रही हैं, वह जानते नहीं हैं कि किस चीज में कितना खर्चा होगा। मुझे एक तहसील में एक ब्लाक के बारे में मालूम हुआ, वहां से एक साहब पेड़ खरीदने के लिये लखनऊ आये, उनको आर्डर दिया गया कि इतना रुपया है तुम पेड़ खरीद लाओ, उनसे पूछा गया कि कौन से पेड़ खरीदोगे तो कहने लगे कि काकटेल गुलाब, हरे नीले लाल पीले गुलाब खरीदवा दीजिये। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार यह रुपया कहां से आया, कितने तुमको रुपया दिया तो कहने लगे कि ब्लाक वालों ने कहा है कि दो तिहाई हम देंगे और एक तिहाई तुम्हारा रहेगा तो एक तिहाई तो रेल से स्टेशन ले जाने और गांव तक ले जाने में दिखा देंगे और बाकी हमें पूरा का पूरा फ्री पड़ जायेगा। जाकर के गवर्नमेंट से आर्डर ईशू करा दिये गये तो इस तरह से यह खर्चा किया जा रहा है।

इसी तरह से और डिपार्टमेंटों की बात है, मैं मानता हूं कि आप पुराने इन्स्टीट्यूशन्स को रिवाइव करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, एक जमाना था जब कि चारणों और भाटों का इन्स्टीट्यूशन हुआ करता था, उसको एक अरसा हो गया है, शायद वह राजाओं के जमाने में हुआ करते थे, वह लोग कोई पब्लिसिटी का काम नहीं करते थे, बल्कि राजवंश के गुणों का वर्णन किया करते थे, इसी तरह से आपका इनफारमेशन डिपार्टमेंट है, जो चारणों और भाटों का बना हुआ है जिसके डिसपोजल पर एक एक गाड़ी दे दी गयी है उसका काम है कि किस मिनिस्टर की फोटो किसी किताब के मुख्य पृष्ठ पर आनी चाहिये कौन कौन से पेज पर किस किस मिनिस्टर का नाम आ जाय और उनको पी० एज० के जरिये से मिनिस्टरों के पास भेज दिया जाता है, यह तो इस विभाग का काम है। फिर आर्ट पेपर हर जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जितने भी पैम्फलेट्स निकलते हैं, उन में हर एक में आपको आर्ट पेपर देखने को मिलेगा। वैसे तो आर्ट पेपर की इतनी कमी है कि कहीं पर भी आपको नहीं दिखाई देगा लेकिन यहां पर आर्ट पेपर के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता और फिर जो किताबें छापी जाती हैं, वह कितनी जगह पड़ी जाती हैं, इसमें मुझे सन्देह है। आखिर वह पेपर किस काम आता है, वह रद्दी में बेच दिया जाता है।

इसी तरह से एजूकेशन विभाग का सवाल है। इस विभाग में जितना ही खर्च किया जाय उतना ही अच्छा है। अभी कक्कड़ साहब कह रहे थे कि इसमें कुल दो करोड़ के बजाय अब पिछड़ी जातियों के लिये तीन करोड़ खर्चा होने लगा है। यह तो अच्छी बात है और मैं नहीं चाहता कि इसमें खर्चा किसी तरह से कम किया जाय, लेकिन खर्चा किस तरह से हो रहा है, इस पर भी हमको विचार करना है। जैसे कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी खोली गयी है, तो यूनिवर्सिटी वहां पर है लेकिन उसका दफ्तर यहां लखनऊ में है, एक एक पिकअप है, एक गाड़ी लगजरी के काम के लिये है, और उसके साथ में एक साहब रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिये गये हैं, जो कि किसी दूसरे पद पर थे और उन्होंने किसी तरह की दरख्वास्त भी नहीं दी और

[श्री राम नारायण पांडे]

उनको रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिया गया। यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं कि वह पहले कहां पर थे, लेकिन जिस संस्था में वह पहले थे, वहां पर काफी गोलमाल पैसे का किया गया और उनका मामला अभी सरकार के विचाराधीन है लेकिन वह अभी वहां पर मौजूद हैं। और भी कई सज्जन काफी तादाद में वहां पर हैं जो कि पेन्शन याफ्ता हैं और वहां अच्छे अच्छे पदों पर मुकर्रर हैं। वहां पर अब एम० ए० क्लासेज भी खुलने जा रहे हैं, इसलिये कि पार्टी बाजी का वहां पर काफी असर है। वहां पर एक महाराणा प्रताप कालेज है और भी दूसरे कालेज हैं, चूंकि वह लोग यूनिवर्सिटी के लेक्चरार के ग्रेड में आ जायेंगे, इसलिये वहां पर पहले एम० ए० की क्लासेज खोली गयी हैं लेकिन बी० ए० की क्लासेज अभी नहीं खोली गयी हैं, एम० ए० के लिये पूरा स्टाफ रख लिया गया है ताकि जो एसोसिएटेड कालेज हैं, उनको भी मुकाबले में लाया जाय। इस तरह की नीतियां हम देख रहे हैं कि किस-किस तरह से उपयोग किसी चीज का हो रहा है। इसमें तो यह चाहिये था कि किसी मामले को सरकार खुद ही छानबीन करे न कि इस सदन के कहने पर। सदन के लोग जब इस तरह की खराबियां देखते हैं। तो उन्होंने उसको यहां पर कह दिया और यह उनका फर्ज हो जाता है। हमें यही मालूम है, वहां पर सिर्फ एक चपरासी गोरखपुर का रहने वाला है और बाकी स्टाफ बाहर से रखा गया है। वह एक लोकल रेजीडेन्शियल यूनिवर्सिटी है, वहां पर लोगों को उस शहर में कोई ऐसा लायक आदमी नहीं मिला, जिसको वहां पर एप्वाइन्ट किया जा सके।

श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या यह आपसे आचार्य जी ने कह दिया है ?

श्री राम नारायण पांडे--कोई भी सदस्य कह सकता है और वह सदस्य के अलावा भी कोई हो सकता है। अब एक बड़ी बात और है कि राज्य के अन्दर हजारों रुपये पाने वाले कर्मचारी बहुत हैं और छोटे भी हैं, लेकिन जो करप्शन की बात कही जाती है, उस पर मुझे विश्वास नहीं होता है कि करप्शन है भी। मैं तो कम से कम हिन्दू समाज के उस समुदाय से आता हूं, जहां पर चित्रगुप्त को पहले पिंड दिये जाते हैं और वह इसलिये दिये जाते हैं कि वह हमारे लिये कुछ बेइमानी करें। पिंड देने वालों को ही वह थोड़ा सा मौका देते हैं कि स्वर्ग में जगह मिले। दूसरे करप्शन इस प्रकार से होता है कि शादी के लिये जब जाते हैं तो कहते हैं कि तनख्वाह तो ५० रुपये हैं, लेकिन ऊपर की आम्मदनी काफी है। अगर आज हम अपनी लड़की की शादी के लिये कहीं जाते हैं तो वहां जा कर यही कहते हैं कि ऊपर की आमदनी काफी है। यह जो ऊपर की आमदनी होती है, इसको भी आज कल काफी अच्छा स्थान मिल गया है और आज कल लोग खुलेआम कहते हैं कि इतनी ऊपर की आमदनी है। आज हम देखते हैं कि जो चोटी के लोग हैं वे भी खुले आम इस काम को करते हैं। मैं आपके सामने एक लखनऊ की ही मिसाल रखना चाहता हूं। बन्दरिया बाग में एक जमीन थी जो एवीक्यू प्रापर्टी कही जाती थी। उसका आक्शन नहीं किया गया और उसको ६ आने फुट के हिसाब से बेच दिया गया। इसके अलावा जिन साहब ने उस जमीन को लिया उनको १२ वैगन कोयला भी मिल गया। १२ वैगन कोयले में १२ लाख ईंटें तैयार होती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई छोटा मोटा किला बनाया जायगा।

श्री वंशीधर शुक्ल--वे कौन साहब हैं ?

श्री राम नारायण पांडे--वे बहुत बड़े आदमी हैं। आई० सी० एस० ग्रेड के आदमी हैं। एक आदमी को इतना फायदा पहुंचाया जाता है, और जो दूसरे लोग हैं, जिनकी पहुंच कम हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। इस तरह के पक्षपात देखने में आते हैं। सीतापुर में प्लाईवुड फैक्टरी है, वहां से कई हजार रुपये का माल मुफ्त में आया है वह भी बहुत से माननीय सदस्य जानते होंगे। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि अगर हमारे यहां कोई आफिसर

गलती करता है तो उसको तरक्की दे दी जाती है। जैसे लखनऊ में अगर कोई कोई एस० पी० था और दूसरा आफिसर कोई गलती करता है तो जो एस० पी० होता है उसको डी० आई० जी० बना दिया जाता है। इसी तरह से और जो दूसरे लोग होते हैं उनमें से किसी को सेक्रेटरी और किसी को चीफ सेक्रेटरी बना कर भेज दिया जाता है। यह हमारे यहां की खास बात है कि गलती करने पर उनको तरक्की दी जाय, क्योंकि उनके खिलाफ और कोई कार्यवाही हो नहीं सकती है। इस कारण सरकार भी मजबूर है। एक दफा सरकार ने किसी आफिसर के खिलाफ कोई कार्यवाही की तो उसको उसमें सफलता भी नहीं मिली। अगर सरकार किसी को सजा देना भी चाहे तो उसको उसमें बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है और बाद में सफलता भी नहीं मिलती है क्योंकि सारा डिपार्टमेन्ट उसकी मदद करने के लिये तैयार हो जाता है। सरकार के हाथ बन्धे हुये हैं, वह कुछ भी नहीं कर सकती है। इस डिमाक्रेसी के जमाने में अगर वह कुछ करना चाहती है तो नहीं कर पाती है। अगर कोई बांध बनाया जाता है तो उसमें करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है लेकिन काम कुछ भी नहीं होता है। आप चीन को देखें तो आप को मालूम होगा कि तीन क्यूबिक फीट वर्क मेनुअल लेबर के जरिये से हो गया। लेकिन हम अपने यहां देखते हैं कि लाखों रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता है। हमारे यहां भी मेनुअल लेबर के जरिये से काम हो सकता है। हम अपने यहां जब किसी काम को शुरू करते हैं तो पहले एक इन्जीनियर रखते हैं, फिर दूसरा रखते हैं और इसी तरह से कई लोग आते हैं, लेकिन काम फिर भी कुछ नहीं होता है। भाखरा नांगल डैम में अभी ८ करोड़ रुपये का गबन मिला है और अभी उम्मीद है कि ४ करोड़ का गबन और मिलेगा। इस तरह से १२ करोड़ रुपये का गबन हुआ है। हमारे यहां का करोड़ों रुपया इस तरह से बेकार चला जाता है। मैं तो इसके लिये यह कहता हूं कि जब सरकार कोई काम शुरू करे तो किसी एक आदमी को चाहे वह मिनिस्टर हो, डिप्टी मिनिस्टर हो या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हो, उसको वहां पर बैठा दे जो उस को देखता रहे और वहां पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाये। साल भर के भीतर खत्म करते हैं, इसके लिये हमारे पास सबब है। अगर आप उस चीज को जो कि ५ वर्ष में खत्म हो जाती है, दो ही वर्ष में उसे खत्म करें, तो तीन वर्ष हमारे पास और उत्पादन के लिये मिल जाते हैं। वह हमारा सारा रुपया रिपे भी हो जायेगा। बिजिनसमैन जल्दी काम क्यों खत्म कर लेना चाहता है, वह इसलिये ऐसा करता है क्योंकि उसको इससे फायदा होता है। ९ रुपये बोरी सीमेंट मिल रही है, आप जितना चाहें लखनऊ से ले लीजिये, बजाय इस के कि आप सप्लाई आफिस में चक्कर मारते फिरें। वैसे वेस्टेज तो हर जगह पर है। एक तरफ तो हम एकानामी चला रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत सा रुपया व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं। सिकन्दराबाद में एक बिल्डिंग बन रही है, बोटेनी सेक्शन के लिये शायद बन रही है और इसी तरह से १०-१२ लाख रुपया बिल्डिंग्स बनाने के लिये रखा गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन सब की इस समय क्या जरूरत है। इस सब के बावजूद भी जिस ढंग से बजट पेश किया गया है और जो बातें उस में रखी गई हैं, वे सराहनीय हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का सपोर्ट करता हूं।

श्री खुशाल सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के समक्ष सन् १९५७-५८ के आय व्ययक का लेखा प्रस्तुत किया गया है, मैं इसके सम्बन्ध में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं सब से पहले माननीय वित्त मंत्री जी को, उनकी भावनाओं के लिये तथा बजट में रखी गई अच्छी बातों के लिये धन्यवाद देता हूं। बजट में जो भी बातें रखी गई हैं, उनमें से कुछ बातों के ऊपर मैं अपने विचार प्रकट करूंगा, जिनको कि मैं समझता हूं कि वे समाजवादी ढांचे के अनुसार हमारे यहां के समाज में कामयाबी के साथ चलाये जा सकते हैं। यह भी ठीक है कि हमें अपने यहां के सभी काम समाजवादी ढंग के अनुसार करने हैं। जर्मनी में भी समाजवाद था, रूस में भी हो और चीन में भी, अपने अपने ढंग से उन सभी देशों ने अपने यहां समाजवाद की स्थापना की। हमारे देश में हमारी संस्कृति और सभ्यता को देखते हुए, हमारे यहां का जो वातावरण है, उसको देखते हुये, इन सभी बातों की अनुकूलता पर विचार करते हुये हमें अपने यहां समाजवाद कायम करना है, परन्तु समाज--

[श्री सुजान सिंह]

समाजवाद के कुछ मूल सिद्धान्त हैं, जिन पर हमें अमल करना जरूरी है। सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये, कि हम देश में ऐसा वातावरण पैदा करें कि "शक्ति भर कार्य करें और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करें" परन्तु यदि हमारे देश में नैतिक स्तर ऊंचा न हो और हमारे यहां यह यदि सम्भव न हो सके तो कम से कम इस सिद्धान्त को तो अपना लेना चाहिये कि जितना काम करो, उतने ही दाम भी मिलें। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहां भयंकर असमानता है। बजट में कुछ ऐसी बातें रखी गयी हैं, जो कि हमारे यहां के समाजवादी ढांचे के अनुसार नहीं कही जा सकती हैं।

इसमें एक अनुदान है, पोलिटिकल पेन्शन के नाम से। हमने अपने यहां ५ साल पहले से ही समाजवादी व्यवस्था की घोषणा कर दी थी और हम आज भी उसी पर कायम हैं, फिर पोलिटिकल पेंशन के नाम से जो राजा, महाराजाओं को रुपया दिया जा रहा है, वह उचित नहीं कहा जा सकता है। यह तो समाजवाद के नाम पर एक धब्बा है। यह हो सकता है, कि इस प्रकार की जो पेंशनें हैं वह आज की हालतों को देखते हुए हमारे लिये रोकना संभव नहीं हैं क्योंकि कांस्टीट्यूशन में भी इस प्रकार का प्राविजन किया गया है और जब स्टेट्स मर्ज की गई थीं, तो राजा, महाराजाओं के साथ समझौता हुआ था कि उनको इस प्रकार से प्रिवीपर्स दिया जायेगा, लेकिन जब हमने समाजवाद के सिद्धान्त स्वीकार कर लिये हैं, तो कम से कम उसके मूल सिद्धान्त के अनुसार हमें अवश्य चलना चाहिये।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पोलिटिकल पेंशन्स राजाओं और महराजाओं को दी जा रही हैं और मैंने बजट में देखा उनके परिवारों को भी पेंशन्स दी जा रही हैं। वह पेंशनें करीब १२ या १४ लाख रुपया के हैं। वह पेंशनें समाप्त कर दी जायं। अगर कांस्टीट्यूशन में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो मैं यह कहूंगा कि वह परिवर्तन कर दिया जाय। जहां तक मेरी जानकारी है कि इस तरह के बिल उड़ीसा प्रदेश में आ रहे हैं और वहां पर राजा-महाराजाओं की पेंशनें खतम की जा रही हैं। हमारे जो मूल सिद्धांत समाजवाद के हैं उनको माना जाय। इस काम को करना ही है। इसी में हमारी भलाई है। यह एक बहुत बड़ा धब्बा है। इसको हमें धो देना चाहिये। उस रुपये से हम अपने प्रदेश में बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। समाजवाद के साथ साथ मैं यह कहूंगा कि आज हमारे मजदूरों में बहुत बड़ा असंतोष है। उनके ऊपर भी गौर करना सरकार का कर्त्तव्य है। फिर मैं यह कहूंगा कि सरकारी कर्मचारी अपने वेतन में कमी कर लें, माननीय मंत्री गण अपने वेतन में कमी कर लें तो उससे काम नहीं चलेगा। अभी माननीय मंत्री गण ने अपने वेतन में दस परसेंट की कटौती की। लेकिन आज सदन के बाहर जो लोग हैं, वह उस पर मजाक करते हैं। वह कहते हैं कि दस परसेंट की कटौती करने से कोई लाभ नहीं होता है। सरकारी कर्मचारी जो हैं वह भी ऐसा वातावरण देख कर स्वयं अपने वेतन में कटौती कर देंगे। और कुछ लोग कर भी रहे हैं। लेकिन इससे समाजवाद कायम नहीं होगा। हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वह बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे सकती हैं तो इससे हमारे जो कर्मचारी हैं उनमें असंतोष हो सकता है। वह अपने वेतन को घटाने के लिये तैयार होंगे, इसमें संदेह है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे समाज में समानता आये तो आपको इनकम्स पर सीलिंग्स फिक्स करनी पड़ेगी।

अभी तो हम जमीन के सिलसिले में ही सीलिंग्स फिक्स नहीं कर सके तो आमदनी के ऊपर कैसे कर सकेंगे। इनकम टैक्स, सुपर टैक्स लगा कर इस प्रकार से आमदनी में रोक तो लगा दी गयी, लेकिन जनता में धन संचय का जो लोभ है वह तो कम नहीं होता है। भ्रष्टाचार के बारे में आज कहा जाता है। उसका कारण यह है कि हमारे समाज में आज बहुत बड़ी असमानता है। वही इसका कारण है। हरेक आदमी चाहता है कि हमारे पास भविष्य के लिये कुछ पैसा इकट्ठा हो। प्रेम चन्द्र जी की एक कहानी मुझे याद आ गयी उसमें उन्होंने इस भावना को व्यक्त किया कि वेतन पूर्णमा के चांद की तरह होता है

जो कि घटता जाता है। असल इनकम वह है जो ऊपरी आमदनी होती है। जो कर्मचारी होते हैं वे ऊपरी आमदनी पर निर्भर रहते हैं। जब आदमी देखता है कि हमारे समाज में कुछ लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो गया है और उसके पास नहीं है तो वह भी अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करता है। और इस तरह से दुराचरण करता है वह भ्रष्ट हो जाता है और समाज के अन्दर इस तरह से भ्रष्टाचार पैदा होता है। इसका उपाय यह है कि इनकम पर सीलिंग फिक्स कर दी जाय। और आज जो कन्पटीशन होता है उसको खतम किया जाय।

सहकारिता के संबंध में यह अवश्यक है कि हम प्रतियोगिता को समाप्त कर दें। इस संबंध में हमने चाहा था कि हमारे जिले में जहां वन बहुत हैं वहां के श्रमिक वहां की आमदनी से फायदा उठायें और इस कारण वहां श्रमिकों की समितियां बनाई गईं लेकिन आपके फाइनेंशियल रूल्स ऐसे हैं कि बिना टेंडर प्राप्त किये हुए काम नहीं दिया जाता है और श्रमिक समितियां तीव्र प्रतियोगिता के कारण टेन्डर नहीं दे सकती हैं तो परिणाम यह होता है कि जो व्यक्ति ठेकेदार हैं वही व्यक्तिगत रूप से इसका फायदा उठाते हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सचमुच समाजवाद कायम करना है और सहकारिता आन्दोलन को सफल बनाना है तो आप अपने फाइनेंशियल रूल्स में कुछ परिवर्तन कीजिए ताकि लेबर सोसाइटी को भी इस बात का मौका मिल सके। मैं इसकी ओर सरकार का ध्यान खास करके आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिये बहुत से समाज कल्याण योजनायें चलाई हैं और जो योजनायें चल रही हैं उनके अन्तर्गत नारी मंगल योजना और शिशु मंगल योजना इत्यादि चल रही हैं लेकिन मुझे खेद है कि हमारी सरकार का ध्यान एक बड़ी समस्या पर नहीं गया जो हमारे सारे समाज में कलंक है, एक बड़ा धब्बा है। मेरा अभिप्राय वेश्यावृत्ति से है। यह हमारे ऊपर एक बड़ा धब्बा है कि जिस नारी को हम अपनी मां कहते हैं, जिस नारी की हम पूजा करते हैं, वही नारियां अपने पेट के लिये अपने शरीर को बेचने के लिये बाध्य हों। यह हमारे ऊपर एक धब्बा है कि वह नारी अपने पेट के लिये अपने शरीर का विक्रय करे। तो मेरा कहना यह है कि इस प्रास्टीच्युशन को हमें बिल्कुल बन्द करना है। इस संबंध में पहले भी एक बार प्रस्ताव आया था लेकिन इस बजट में इस संबंध में कोई भी प्राविजन नहीं किया गया है जिससे यह समस्या हल की जा सके। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो यह समस्या है उसको खतम करने के लिये पूरा पूरा उपाय किया जाय। इसके संबंध में कानून की आवश्यकता पड़ेगी और रिहैबिलिटेशन की भी आवश्यकता पड़ेगी। जिस प्रकार से आप बेगर्स के लिये घर बनाते हैं उसी प्रकार से इन वेश्याओं को भी बसाने के लिये सरकार के द्वारा पूरा पूरा प्रयत्न होना चाहिये वरना यह हमारे ऊपर सदा एक कलंक बना रहेगा। आज दुनिया के लोग इस बात पर हंसते हैं कि भारतवर्ष जैसे देश में, जहां नारी का स्थान हमेशा ऊंचा रहा है, वहां यह पाप है।

मैं अधिक जोर से इस विषय में कहना चाहता था, लेकिन मैं समझता हूं कि अब इतना ही कह देना काफी होगा कि यह जो हमारे ऊपर कलंक है, इसको हम जितनी जल्दी धो सकें उतना ही अच्छा है।

आज कल इकोनामी के लिये रिआर्गेनाइजेशन सिक्रेटेरिएट और कलेक्ट्रेट का हो रहा है। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है कि सिक्रेटेरियेट का रिआर्गेनिजेशन न हो, लेकिन आपकी एफीशियेन्सी खत्म न हो जाय इसका ध्यान रखा जाय। एजूकेशन, फारेस्ट और इरीगेशन में जिस तरह की एफीशयेन्सी है, कहीं वह समाप्त न हो जाय इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जो एफीशियेन्सी हमने बहुत दिनों के अनुभव के बाद प्राप्त की है उसके लिये यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वह नष्ट न हो; इसलिये मेरा कहना है कि हेड आफ दि डिपार्टमेंट को इतनी पावर न दे दी जाय कि सारी एफीशियेंसी ही खत्म हो जाय।

[श्री खुशाल सिंह]

उदाहरण के लिये एक सेक्रेटरी होता है उसके पास कई डिपार्टमेंट और सब-डिपार्टमेंट होते हैं और बहुत सी फाइल होती है, उन सब को एक सेक्रेटरी नहीं देख सकता है। उन फाईलों के देखने के लिये क्लर्क की आवश्यकता होती है। इसी तरह से जो नोटर और ड्राफ्टर्स होते हैं वह भी काम कर देते हैं। सेक्रेटरी इनटलेक्चुयेल काम करता है और क्लर्क मैनुयेल कार्य करता है। आप एकानामी के नाम पर इन दोनों में असामन्जस्य न पैदा कीजिये और ऐसी व्यवस्था एकोनामी के नाम पर न कायम कीजिये जिससे आप को बाद में गलती महसूस करना पड़े। एकोनामी ड्राईव के नाम पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिलों में बहुत से अधिकारी होते हैं, हरिजन वेलफेयर आफिसर, सोशल वेलफेयर आफिसर और मैंने देखा है सोशल एजूकेशन आफिसर भी नियुक्त किये जा रहे हैं। इस तरह से यह तीन प्रकार के आफिसर हैं। उनमें से आप कम कर सकते हैं। उनका जो स्टाफ रखा गया है उसमें आप कमी कर सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन वेलफेयर आफिसर और सोशल एजूकेशन वेलफेयर आफिसर की जगह पर एक आफिसर रखा जाय और वह आसानी से काम कर सकता है।

बजट के सम्बन्ध में एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग इस बात पर आपत्ति करते हैं कि हमारे प्रदेश में डेफिसिट बजट बनाया गया है। मुझे डेफिसिट बजट में कोई आपत्ति नहीं है। डेफिसिट बजट और डेफिसिट फाइनेन्सिंग में अन्तर है। जो रेवेन्यू रिजर्व से हम रुपया लेते हैं उनको ऐसी बातों में इनवेस्ट करते हैं जिससे निकट भविष्य में आमदनी होने वाली है वह डेफिसिट बजट होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग में यह होता है कि जो रुपया हम खर्च करते हैं उससे भविष्य में कोई आमदनी न हो। हमारा जो बजट है वह डेफिसिट बजट है और यह अच्छा है। इससे स्टेट प्रोग्रेस करती है। उदाहरण के लिये एक आदमी व्यापार करता है और व्यापार के लिये वह रुपया उधार लेता है और यह आशा करता है कि उसको इस व्यापार में लाभ होगा। इस तरह से डेफिसिट बजट में किसी खतरे का डर नहीं है। यह कहना कि प्रदेश में दिवालापन आ रहा है, गलत है। हमारा जो बजट बनाया गया है वह डेफिसिट बजट है और प्रदेश की तरक्की के लिये बनाया गया है, विकास के लिये बनाया गया है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और विश्वास करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो विश्वास प्रगट किया है कि विकास कार्य में इस प्रदेश की जनता उनका सहयोग देगी, माननीय वित्त मंत्री जी का जो विश्वास है वह पूरा होगा। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं यह सही बात है, श्री कुंवर गुरु नारायण जी ने कहा है कि बजट में ओवर एस्टीमेट्स दिये जाते हैं। बजट में ओवर एस्टीमेट नहीं होता है वह तो अनुमानित होता है, इसलिये अगर कुछ ज्यादा या कम हो जाय तो गलती की बात नहीं है। लेकिन मुझे जो एतराज है वह इस बात का है कि हमारे बजट में बहुत से ऐसे प्रोपोजलस होते हैं जो अगर न होते तो जनता में जो असंतोष फैला हुआ है वह न होता। उदाहरण के तौर पर मैं अर्ज करूं कि हमारे जिले में भागीरथी के ऊपर एक पुल का प्रोपोजल रखा गया था और ५६ और ५७ में उस पर पुल बनने के लिये एक योजना थी, लेकिन उस कार्य को आरम्भ नहीं किया गया, इसलिये जनता में असंतोष होता है। अब ५७-५८ में उसका नामो निशान नहीं है, इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में वही आइटम रखे जायं, जिसके बारे में सरकार को विश्वास हो जाय कि जो आइटम रक्खे गये हैं उसको सरकार कर लेगी वरना इससे असंतोष ही बढ़ता है। इससे जो लेजिस्लेटर्स होते हैं उनको दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। उनके पास जनता आती है और कहती है कि यह काम होने वाला था लेकिन नहीं हो रहा है। सरकार के पास भी बराबर रेप्रेजेंटेशन आता है उसके सिलसिले में मैं मानता हूं कि कभी कभी सरकार के सामने दिक्कत आ जाती है जिसके कारण यह काम पूरा नहीं कर सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा ५६-५७ में भागीरथी पर एक पुल की योजना थी, लेकिन अब नहीं है। इससे असंतोष ही होता है। इस प्रकार का प्रोपोजलस न हो तो अच्छा ही है।

ओल्ड एज पेंशन हमारे बजट में रखा गय है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आर्कषित करना चाहता हूं कि अभी तो हमें ओल्ड एच प्राप्त करना है। हमारे प्रदेश की इतनी कम उम्र है कि हम बहुत कम जी पाते हैं। अभी इसचीज की आवश्यकता नहीं थी। उम्र को बढ़ाने के लिये अस्पतालों में जो फैसेलिटीज होती हैं उसको देते तो अच्छा होता। ओल्ड एज पेंशन को रख कर सरकार ने कोई बड़ा अच्छा काम नहीं किया है। इससे सरकार को परेशानी होगी। अगर आप २५ लाख रुपया मेडिसिन के ऊपर खर्च करते तो ज्यादा बेहतर होता। ओल्ड एज पेंशन का जो लक्ष्य है हमारा प्रदेश तो उस उम्र तक नहीं पहुंचता है। जिसके लिये वह पेन्शन रखी गयी है उसके सिलसिले में मैं आप से कहना चाहता हूं कि ७० वर्ष की उम्र तक १ फीसदी लोग बचते हैं और सौभाग्य से हमारे प्रदेश में इस प्रकार की परम्परा है कि हम अपने बुड्ढे लोगों का पालन करते हैं। विदेश में ऐसा होता है कि जब फैमिली अलग अलग हो जाती है तब बुड्ढे परेशान हो जाते हैं लेकिन हमारी फैमिली संगठित है। हमारी जो संस्कृति है उसमें यह है कि हम बुड्ढों का आदर करें इसलिये ओल्ड एज पेंशन को रख कर जो काम किया गया है वह कोई बड़ा क्रान्तिकारी काम नहीं है। इस तरह से हमने कोई नया कदम नहीं उठाया है। ओल्ड एज पेंशन के बजाय अगर आयु को बढ़ाने के लिये रखा जाता तो अच्छा होता।

मैं आपकी इजाजत से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की ओर आर्कषित करना चाहता हूं कि हमारा जिला टेहरी गढ़वाल है। वहां पर शिक्षा वगैरह की बहुत बड़ी कमी है। वहां पर जितनी समस्यायें हो सकती हैं सभी समस्यायें हैं। वहां की जनता बड़े उत्साह से इस प्रदेश के अन्दर विलीन हुई। उनको पूरी आशा थी कि यू० पी० में विलीन हो कर यू० पी० के निवासियों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब हमारे जिले में निराशा का वातावरण बढ़ रहा है। जब से विलीनीकरण हुआ है एक भी नई सड़क एक मील तक भी नहीं बनी है।

जो ग्रान्ट केंद्र से आई है उसके मातहत कुछ सड़कें बन रही हैं, लेकिन स्टेट की तरफ से कोई सड़क नहीं बनी है। हां, यह बात जरूर है कि जो सड़कें पहले थीं, उनकी हालत बड़ी खराब थी वे सुधारी गई हैं। काफी सुधार हुआ है। सरकार ने इस सिलसिले में काफी खर्च किया है। अब सड़क काफी सरल और खतरे से परे हो गई हैं। परन्तु नये कामों में कोई काम नहीं हुआ है। इससे जनता में बड़ा असंतोष है। हमारी रियासत ने एक करोड़ रुपया दिया। हमें एक करोड़ रुपये का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लोगों को आशा थी कि एक करोड़ रुपया दिया जा रहा है, वह हमारे ऊपर खर्च होगा लेकिन उनकी आशा खत्म हो गई। मुझे यह भी कहना है कि और भी स्टेट्स मर्ज हुई, लेकिन इतना रुपया किसी ने नहीं दिया। एक करोड़ के बजाय ९० लाख भी हो सकता है। वह रुपया अगर वहां के डेवलपमेंट के लिये खर्च किया जाय तो बहुत उचित होगा। जब राज्य विलीन हुआ था, उसके पहले वहां एक कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली थी। उसने एक प्रस्ताव पास किया था कि राज्य में शिक्षा की बड़ी कमी है, उसको फैलाने के लिये एक ट्रस्ट कायम किया जाय। उसके लिये उसने २० लाख रुपया रखा था। जब स्टेट का मर्जर होने लगा तो जो इंटेरिम सरकार थी उसने यह उचित समझा कि उस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणत न किया जाय और इस प्रकार दूसरी सरकार पर भार न डाला जाय। उन्होंने तय किया कि जो सरकार होगी वह उस पर पुनः विचार करेगी। इस तरफ हमने और दूसरे लोगों ने भी सरकार का ध्यान आर्कषित किया लेकिन ट्रस्ट अभी नहीं बना। वहां पर विद्यार्थियों को चाहे वे हाई स्कूल के हों, यूनिवर्सिटी के हों या टेक्निकल लाइन में हों बड़े अच्छे स्कालरशिप मिलते थे लेकिन उत्तर प्रदेश में विलीन होने के बाद वे स्कालरशिप समाप्त हो गये। मैं इस तरफ सरकार का ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं। जो शिक्षा ट्रस्ट के लिये २० लाख रुपया वहां की कान्स्टी-ट्यूएन्ट असेम्बली ने तय किया था उसको यह सरकार कार्य रूप में परिणत करने की कृपा करे। जब तक टेहरी गढ़वाल में विशेष रूप से कोई नया काम नहीं किया जायगा तबतक वह दूसरे जिलों के समकक्ष नहीं आ सकता। अगर सरकार चाहती है कि वह उसी प्रकार

[श्री खुशाल सिंह]
से आगे बढ़े जिस प्रकारसे दूसरे जिले बढ़ रहे हैं तो उसको जो सहायता और जिलों के समान ही मिलती है उससे अधिक कुछ विशेष सहायता मिलनी चाहिए।

मैं देखता हूं कि इस बजट में टेहरी-गढ़वाल के लिये कोई खास काम नहीं किया जा रहा है। केवल इसके कि ४० मील की लम्बी सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बन विभाग द्वारा बने। उसके लिये ३० लाख रुपया रखा गया है। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि २३८ मील सड़क, जो पहाड़ी जिलों में बनाई जायेगी वह वहां के बनों को देखते हुए बहुत कम है। जो इस्टीमेट्स बनाये गये हैं वह नाकाफी है। यह तो बन विभाग का काम है और पी० डब्ल्यू० डी० के तरह से बन विभाग को भी कहा जाय कि वह अपनी सड़कें बनायें तो ज्यादा अच्छा होगा। २० लाख रुपये का एक आइटम बजट में और दिखायी गया है जो ५७-५८ के विकास योजना के संबंध में है। स्मृति पत्र में मैंने देखा, सारे बजट साहित्य में ढूंढ़ा, परन्तु उससे साफ नहीं मालूम होता कि यह २० लाख की रकम कहां खर्च की जायेगी। उसका पूरा पूरा ब्यौरा होता तो शायद मालूम हो जाता कि टेहरी-गढ़वाल में क्या होने जा रहा है। यह चीजें हैं जिनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। टेहरी गढ़वाल बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। उस पर तो विशेष ढंग से खर्चा होना चाहिये क्यों कि इस प्रदेश के हम सब से छोटे भाई हैं इसलिये हमें अधिक लाभ उठाना चाहिये। मेरा विश्वास है अगर सरकार की कृपा होगी तो हमारा पिछड़ा हुआ जिला टेहरी-गढ़वाल का बहुत आगे बढ़ जायेगा।

मैं बजट के और बातों का स्वागत करता हूं। जो नये कर लगाये गये हैं उनका मैं अनुमोदन करता हूं। जो इन्टरटेनमेंट टैक्स सिनेमा पर लगाया गया है वह बड़े आदमियों पर ही होना चाहिये क्यों कि रिक्शे वाले और तांगे वाले और अन्य श्रमिक होते हैं उनके लिये सिनेमा ही एक आमोद-प्रमोद का साधन है और उनके लिये मैं चाहता हूं कि ५ आने वाले क्लास पर टैक्स न लगाया जाय। दूसरे जो ड्रामा और कला के दूसरे प्रदर्शन आदि होते हैं वह भी इस इन्टरटेन्मेंट टैक्स से बरी कर दिये जाय ताकि हमारी कला के प्रगति में बाधा न पड़ सके। एक बार फिर मैं माननीय मंत्री जी को धन्य-वाद देता हूं कि उन्होंने समाजवादी राज्य कायम करने की कोशिश की है इस बजट को पेश करके। मुझे पूर्ण आशा है कि उनके इस परिश्रम से हमारे प्रदेश में अवश्य समाज-वाद कायम होगा। इसके साथ साथ मैं यह कामना करता हूं कि हमारा यह उत्तर प्रदेश दूसरी पंचवर्षीय योजना में खूब फले फूले।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित (नाम निर्देशित)——उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने इस वर्ष का जो बजट रखा है उसके संबंध में आपके सामने और इस सदन में अनेकों प्रकार के विचार आ चुके हैं। मैं तो यह समझता हूं कि जो बजट वित्त मंत्री जी ने इस सदन के सामने रखा है वह एक साहस का कार्य है। किसी भी साहस के कार्य की हम सराहना यह देख कर करते हैं कि उस काम में कितनी हिम्मत की आवश्यकता है और वह कितना है। यह मैं इस लिये कहता हूं कि सरकार ने यह जो घोषणा की कि ७० वर्ष से अधिक आयु वालों को पेंशन देने का वह विधान कर रही है, वास्तव में बड़े साहस का कार्य है। साहस का कार्य जब तक न हो जाय तब तक वह पूरी प्रशंसा का पात्र नहीं होता है। मैं यह इसलिये कहता हूं कि बहुत से अच्छे कार्य और बहुत सी अच्छी योजनायें हम और आप बनाते हैं और सरकार भी उसमें शामिल रहती है किन्तु जब उनके कार्यान्वीकरण का समय आता है या उनसे उन लाभों को उठाने का समय आता है जिनको आपने सदन में निश्चय किया है तथा जब उन सुविधाओं के वितरण का समय आता है उस समय उसकी प्रशंसा जनता भी करे तो वह उचित प्रशंसा है। अतः हमारी प्रशंसा इस बात पर मुनहसिर है कि वह चीजें जनता के पास किस रूप में पहुंची। मुझे सूचना मिली है, हो सकता है कि वह गलत हो कि अभी सर्वे भी नहीं हुआ है कि कितने आदमियों को पेंशन

मिलनी चाहिये और इसका आधार भी निश्चित नहीं है। सिर्फ एक २५ लाख की रकम बजट में रख दी गयी है। इसी लिय मैंने यह कहा कि यह एक बहुत ही साहस का कार्य है। जब यहां से पास होने के बाद कुछ महीनों में यह योजना लागू होगी तब यह देखना है कि अधिकारी कितनी सफलतापूर्वक इसको लागू करते हैं। यदि इसमें सफलता मिलती है तब तो जनता इस की प्रशंसा करेगी नहीं तो हम एक वादविवाद में फंस जायेंगे। इसके माने कोई यह न समझें कि मैं इस योजना का समर्थन नहीं करता। मैं तो यह समझता हूं कि प्रान्तीय सरकार ने एक ऐसी बात की ह जिससे इस देश की अन्य राज्य सरकारों को भी मार्ग निर्देशन मिलेगा। बाकी राज्यों को भी सोचना होगा कि बूढ़े लोग कैसे अपने बुढ़ापे को अच्छी तरह से व्यतीत करें। इसके लिये उन्हें विचार करना होगा। आज हमारी प्रदेशीय सरकार ने और प्रदेशों की सरकारों को रास्ता दिखला कर एक प्रशंसा का कार्य किया है और इसकी हमें सबको प्रशंसा करनी चाहिये।

इसी प्रकार से ९५ रुपये तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का जो मंहगाई भत्ता बढ़ा है वह भी एक अच्छा कार्य है, यद्यपि यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा देता है। प्रश्न यह उठा देता है कि वे लोग, जिनको वेतन जनता के टैक्स से मिलता है उनका तो भत्ता बढ़े, चाहे वे ९५ रुपये से कम पाने वाले हों या उससे ज्यादा पाने वाले हों। कहने का मतलब यह है कि सरकारी बजट बना कर उनसे धन प्राप्त करके सरकारी कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया जाय इसे सरकार स्वीकार करती है, लेकिन जब हम कानपुर के इन्डस्ट्रियल मजदूरों की तरफ से कहते हैं कि इनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए तो सरकार कहती है कि उद्योगों की हालत अच्छी नहीं है, तथा सदन के लोग भी कहते हैं कि उद्योगों की हालत अच्छी नहीं है। यह उचित नहीं है, ६ दिसम्बर. १९४८ में टैक्स टाइल मिलों के मजदूरों के लिये और २८ दिसम्बर. सन् १९४८ में शुगर मिलों के मजदूरों के लिये वेतन निश्चित करते हुए सरकार ने एक आदेश निकाला था और उसके बाद आज तक एक भी पैसा उनका नहीं बढ़ा है। सरकारी कर्मचारियों को यदि कुछ राहत मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन एक बड़े भारी प्रश्न को आखिर में भुला दिया जाय वह ठीक नहीं है।

इन बातों को देखते हुए जो भी टैक्स लगाया गया है वह कोई आलोचना का विषय नहीं बनाया जा सकता है। जिस बजट में बूढ़े लोगों को पेंशन देने की व्यवस्था की गयी हो, जिसमें लो पेड गवर्नमेंट इम्प्लाइज के लिये कुछ राहत देने की व्यवस्था की गयी हो, जिस बजट में कि शिक्षा की सुविधा देने की बात कही गयी हो, यदि उसमें थोड़ा सा भी टैक्स बढ़ गया है तो इन सुविधाओं को देखते हुए इन टैक्सों की आलोचना करना किसी भी तर्क संगत व्यक्ति के लिये बड़ा मुश्किल होगा। किन्तु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं और वह यह कि माननीय वित्त मंत्री जी की स्पीच में, मैं उनकी डिमान्ड्स को आलोचक की तरह से न देखते हुए, और उनके बजट का स्वागत करते हुए, जिस तरह की तस्वीर इंडस्ट्रियल प्रोग्रस और मैटीरियल प्रोग्रेस की इस सदन के सामने रक्खी गयी है वह ज्यादा फायदेमन्द नहीं है। हो सकता है कि जो आंकड़े उनकी स्पीच में हैं उन आंकड़ों को देखने पर हम आप सब इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमने बहुत प्रगति की है, लेकिन आंकड़ों के पीछे जो असल चीज है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर इसकी ओर कुछ भी ध्यान दिया जाय तो यह महसूस होगा कि यह तस्वीर उतनी अच्छी तस्वीर नहीं है, बल्कि सदन को और सरकार को काफी होशियारी के साथ काम करना पड़ेगा, इसमें आंख मूंद कर विश्वस करने की बात नहीं है। इंडस्ट्रीज का जिक्र करते हुए मैं स्वयं कुछ बातें आपके सामने रख दूं कि लड़ाई के जमाने के पहले यहां पर ६५ या ६६ शुगर मिलें थीं, लेकिन बाद में दो एक बाहर से भी आयी हैं इस तरह से अब कुल ६७ शुगर मिलें हैं, उन शुगर मिलों में प्रोडेक्शन बढ़ा प्रोडक्शन के जो भी आंकड़े आये हैं, वह सही हैं। इसमें शुबहा नहीं है कि शुगर का प्रोडेक्शन बढ़ा है, लेकिन उस प्रोडक्शन का क्या लाभ हुआ यह भी देखने की बात है। लाभ यह हुआ कि सन् ४६-४७ में एक मन गन्ने का दाम दो रुपये था और चीनी का दाम २८ रु० ८ आने था, जिसमें कि १ रु० या १५ आ० का प्राफिट भी शामिल था। इसके बाद फिर १ मन

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित]

गन्ने का दाम एक रुपया १२ आने हुआ और फिर एक रुपया ७ आने हुआ और उस वक्त तक वह १ रु० ७ आने है। लेकिन अब चीनी के दाम देखिए तो वह बताने की जरूरत नहीं है, जो कोई भी चीनी इस्तेमाल करता होगा, उसको मालूम हो सकता है कि इस समय चीनी के क्या दाम हैं। शायद ३० या ३२ रुपये मन है। तो जब गन्ने का दाम दो रुपये मन था तब तो चीनी २८ रुपये मन पड़ती थी जिसमें कि प्राफिट भी शामिल था लेकिन अब जब कि उसके सिलसिले में गन्ने का दाम घट कर केवल १ रु० ७ आ० है तब चीनी के दाम बढ़ गये। चीनी इस समय ३१-३२ रुपये मन पड़ती है। फिर वह गन्ना जिसका दाम १ रु० ७ आ० है यदि ८ मई तक फैक्ट्रियों में पहुंच चुका है तो वही रहेगा और यदि गन्ना ८ मई के बाद कारखानों में गया उसके बाद उसके दाम और कम होंगे असल बात तो यह है कि जैसे-जैसे मौसम बीतता जाता है गन्ने का शुगर कन्टेन्ट खत्म होता जाता है और मोलासेस की मात्रा अधिक बढ़ती जाती है। इस वजह से जो गन्ने के दाम गवर्नमेंट के आर्डर्स से फिक्स हुए वह जाकर के १ रु० दो पैसे के करीब किसानों को पड़ा। और यदि जुलाई में कहीं गन्ना फैक्टरियों में गया तो उसके दाम १४ आने या साढ़े १४ आने ही रह जाते हैं जो कि ईंधन के दाम के बराबर भी नहीं पड़ता है।

मैं आपको बतला दूं कि प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन वह किस कीमत पर बढ़ा। अर्थशास्त्र में केवल आंकड़ों से ही काम नहीं चलता है। मुझे इसलिये और परेशानी है कि जल्दी में आंकड़े नहीं मिल सके, क्योंकि यह मई के महीने की बात है। लेकिन फिर भी मैं आप को यह बतला दूं कि मई के महीने में गन्ने का दाम एक रुपये ७ आने मन था और जुलाई के महीने में १४ आने मन ही रह गया। गन्ने का प्रोडक्शन तो बढ़ गया है लेकिन उससे किसानों की हालत कुछ अच्छी नहीं हुई है। किसानों का यह ख्याल है कि अगर वे गन्ना बोयेंगे तो उनको मिलों से फौरन गन्ना बेचने से पैसा मिल जायेगा। बहुत सी ऐसी जमीन है जो पहले गल्ला पैदा करने के काम में आती थी, लेकिन आज किसान उसमें गन्ना पैदा करता है, इस तरह से गन्ने की काश्त बढ़ गयी। जब गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ा तो चीनी का भी प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन उससे मजदूरों को कोई फायदा नहीं हुआ। माननीय कुंवर गुरु नारायण जी ने कल उद्योगों के रा-मेटिरियल की तथा श्रमिकों की गरानी की चर्चा की थी। मैं सदन की जानकारी के लिये एक बात यह कह देना चाहता हूं कि एक पैसा भी वेतन में इंक्रीमेंट के नाम पर कानपुर के मजदूरों को दिसम्बर सन् ४८ से आज तक नहीं मिला है शुगर फैक्टरियों की भी यही हालत है। मजदूरों को कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इससे किसानों को भी कोई खास फायदा नहीं होता है।

हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने चीनी पर एक्साइज ड्यूटी सवा पांच रुपये मन कर दी, मुझे इस समय ठीक से याद नहीं है, लेकिन इसी तरह से कुछ एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि देश चीनी का एक्सपोर्ट कर सकें, इसलिये उन्होंने ऐसा किया है। पहले तो किसानों को आपने प्रोत्साहन दिया कि गन्ने का प्रोडक्शन अधिक करें और अब ऐसा करते हैं। मैं तो यह कहता हूं कि यह एक बहुत बड़ा वैषम्य है। यह बात आप सभी लोग जानते हैं कि यू० पी० में शुगर फैक्टरी सब सूबों से अधिक है, और पूर्वी जिलों में शुगर फैक्टरी काफी हैं अगर आप ने गन्ने के प्रोडक्शन को किसी तरह से रोका और इसका परिणाम यह हुआ कि फैक्टरियों को गन्ना न मिल सका तो वहां पर फैक्टरियां बन्द हो जायेंगी जिससे वहां के मजदूरों को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। मैं अभी यह नहीं कहता, कि इस तरह का कोई खतरा है, लेकिन इस तरह का खतरा आगे के लिये हो सकता है। अगर आप किसानों को हतोत्साहित करेंगे तो वे गन्ना पैदा करना बन्द कर देंगे। यह आप सभी लोग जानते हैं कि गन्ने के बगैर चीनी नहीं बन सकती है। यदि कच्चा माल नहीं होगा तो फिर वर्कर बेकार हो जायगा और उनको काफी नुकसान होगा।

इसलिये मेरा यह सरकार से निवेदन है कि यह इस सर्वे का हिसाब लगावे और आने वाले सीजन में गन्ने के लिये पूरी तरह से ठीक प्रयत्न करे। मैं कोई विरोधी पक्ष की तरह से यहां पर केवल विरोध की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन चुनाव पर भी इसका असर पड़ता है। इस चुनाव में कांग्रेस से या विरोधी पक्ष से जो लोग गये हैं, तो पहले वे किसानों से गन्ने के क्षेत्रों में यह कहते थे कि हमें चुन लो और हम गन्ने का रेट एक रुपया १० आने मन कर देंगे। बहुत से लोग इसी प्रकार से चुने भी गये हैं। सीतापुर में इसी तरह की बातें हुई हैं। जहां पर शुगर फैक्टरीज हैं, वहां पर तो किसान गन्ने का ही उत्पादन करता है। आने वाले सीजन में हमें इसको हल करना है और यही वह वक्त है जब कि गन्ना बोया जा रहा है। यही गन्ना आगे चल कर के इस्तेमाल होगा और उस समय सरकार को इसे सोचना पड़ेगा। इसलिये हमें इस समय इसके लिये कुछ न कुछ उपाय कर लेना चाहिये।

अब मैं थोड़ी सी बात टैक्सटाइल इंडस्ट्री की बाबत कहूंगा। शुगर इन्डस्ट्री के बाबत तो मैं कह चुका। हां, एक बात शुगर इंडस्ट्री के बारे में मैं और बतला दूं। बहुत से लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें लेबर की बात भी आ जाती है। यही नहीं सन् ४८ में जो वेजेज मिली थीं, उसमें उनका कोई ग्रेड नहीं बना, कोई स्केल आफ पे नहीं बना। फैक्टरी के अन्दर जो मजदूर नौकरी करते हैं, उनकी तादाद जितनी पहले थी, उसमें से १२-१५ परसेंट इस समय कम हो गयी है। पिछले दो सालों में भी मैनेजर साहबों ने अपने किसी विशेष संबंधी को नौकरी में रख लिया हो, तो यह बात दूसरी है, लेकिन मुझे अधिकृत रूप से जानकारी है कि साधारणतया मजदूरों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जब कि यहां मंत्री जी की स्पीच में इंडस्ट्रियल इम्प्लायमेंट की फीगर्स मुझे बढ़ी हुई नजर आती है। मैं ठीक तौर से इस बात को कह सकता हूं कि शुगर फैक्टरी में कोई इम्प्लायमेंट नहीं बढ़ा है और वहां पहले से ही ६ या ७ हजार लोगों का इम्प्लायमेंट कम हो गया।

दूसरी चीज मैं, टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज के संबंध में कहना चाहता हूं। इनकी फीगर्स बढ़ी नहीं है और इन फीगर्स में जाकर मैं सदन का अनावश्यक रूप से समय लूंगा, इसलिये मैं इनमें नहीं जाता। यह देखना है कि इस राज्य में पहिले से कितना कपड़ा बढ़ा। यदि आप तुलना से देखेंगे तो पता चलेगा कि कपड़ा ज्यादा बढ़ा, सूत ज्यादा बढ़ा और इसीलिये शायद कानपुर के मिल की बन्द होने की नौबत आई। आप कहेंगे कि लेबर कास्ट भी बढ़ गई। माननीय सदस्यों को तो मैंने पहले ही बतला दिया कि ६ दिसम्बर सन् ४८ से एक पैसा भी कानपुर के मजदूरों के वेतनों में नहीं बढ़ा। वहां पहिले ६३ हजार मजदूर थे, अब वहां पर ४३ हजार मजदूर ही काम करते हैं। जब मजदूरों की संख्या कम होगी, तो लेबर कास्ट बढ़नी चाहिये या कम होनी चाहिये। ६३ हजार और ४३ हजार में काफी अन्तर है। प्रोडक्शन बढ़ा, वेतन नहीं बढ़ा, लेबर कास्ट घटी, मजदूरों की संख्या कम हुई। क्या कपड़े के दाम कम हैं, यदि नहीं, तो आज यह विरोधाभास कैसा। उपभोग की बात लीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो पहिली प्लानिंग कमेटी बनायी उसने कहा था कि १८ गज कपड़े का प्रति व्यक्ति के प्रयोग में लाना चाहिये। प्रथम पंच वर्षीय आयोजन जब बना तो उसमें १६ गज कपड़े के उपभोग का प्रति व्यक्ति के लिये विधान रखा। युद्धोत्तर काल में एक व्यक्ति १५ गज कपड़े का प्रयोग करता था। लेकिन फर्स्ट फाइव इयर प्लान के अन्त में कन्जम्पशन पर कैपिटा १३ गज ही रह गया, जब कि प्रोडक्शन बढ़ा। आबजेक्टिव (objective) या कन्जम्प्शन (consumption) बढ़ाने का, लेकिन वह कम रह गया। मैं इस बात को वैसे ही नहीं कहता। विन्ध्य वासिनी प्रसाद कमेटी जो कि कानपुर में टेक्सटाइल्स मिल्स के संबंध में जांच कर रही थी मैंने उससे कहा था कि नेशनलाइजेशन से जो लाभ हो उसको जनता, मजदूर और मालिक तीनों में तकसीम कर दिया जाय। मैंने सौ पचास पन्ने का एक मैमोरेंडम भी इस संबंध में दिया था। उस पर उन्होंने कहा था कि यह भारत सरकार के विषय की चीज है। यह बात हमारे विचार करने की नहीं है।

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित]

एक बात और मैं मेटीरियल के संबंध में कहूंगा। रुई का उत्पादन बम्बई, मध्य-प्रदेश और पंजाब में होता था। अभी जो फीगर्स निकली हैं उससे मेरा यह ख्याल है कि पंजाब में रुई का प्रोडक्शन इतना होने लगा कि वह मध्य प्रदेश से भी ज्यादा पैदा करने लगा है। पंजाब में फगवाड़ा को छोड़ कर कोई टेक्सटाइल मिल नहीं है। हो सकता है कि अब वहां कोई दूसरी मिल लग गयी हो। यहां की रुई बाहर जाती है। उसमें फ्रेट चार्जेज पड़ते हैं। तो क्या बात है कि प्रोडक्शन बढ़े किन्तु इंडस्ट्री को मैनेज करने वालों की ओर सरकार की आमदनी न बढ़े और इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने प्राफिट में से जो हिस्सा मशीन को रिहेबिलिटेट करने में खर्च होना चाहिये वह वे नहीं करते, और आगे के लिये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिये जो पैसा जरूरी है वह न रख कर दूसरी इंडस्ट्रीज के इंटरप्राइजेज में खर्च कर देते हैं कानपुर काटन मिल में क्या देखने में आया। क्या उनके पास पैसे की कमी थी। नहीं मुन्द्रा साहब ने बम्बई में कारखाना खरीद लिया। इसको प्रीवेंट (prevent) करने का तरीका होना चाहिये। जिन लोगों के सामने यह बात आयी वह यह जानते हैं। पर कारखाने का खोलना या खरीदना कैसे रोका जाय। मैंने यह भी सुना कि ५० लाख रुपया उनको भारत सरकार से कर्ज के रूप में भी मिल गया। यह जैसे भी हो पर हमारे प्रदेश में जो फैक्टरीज हों उनको अपने रिजर्व को सीक्योर (reserve secure) रखना चाहिये। और अगर वह ऐसा न करके अपने रिजर्व दूसरी इंडस्ट्री में लगा दें तो यह बात तो ठीक नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि हमारी जो शुगर मिलें हैं उनके हेड आफिस अधिकतर कलकत्ते या बम्बई में हैं। हमारे नेता सारे भारतवर्ष की बात सोचते हैं। वे नेशनल प्वाइंट आफ व्यू से सोचते हैं। लेकिन हमें तो अपने प्रदेश के लिये सोचना है। हमारे सूबे से कमाया पैसा हमारे सूबे में ही लगना चाहिये। इस चीज को हम कैसे हल करें? इसके लिये मैंने अभी तक कोई बात नहीं सोची। मैंने टैक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कही और बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एम्प्लायमेंट कम हुआ। मजदूरों के ग्रेड भी अभी तक नहीं बने। इसकी मांग भी चल रही है।

यह सही है कि हमारी सरकार ने बड़ी दूरदर्शिता का काम किया कि सीमेंट की फैक्ट्री कायम की और भी कई जगह काम शुरू किया। इसके शुरू होने के बाद से चार करोड़ पांच लाख रुपये का सीमेंट इंपोर्ट हुआ। इसके माने यह हैं कि सीमेंट बनाने की और भी ज्यादा जरूरत है। इस ओर सरकार जो प्रयास कर रही है, यह बहुत तेजी से नहीं हो रहा है, क्योंकि एक फैक्ट्री तो सरकार ने अपनी ओर से खोली है और एक प्राइवेट सैक्टर खोलेगा मुझे मालुम है कि दूसरी फैक्ट्री देहरादून में खुलेगी और उसके लिये लाइसेंस दे दिया गया है। किन्तु मेरी जो अपनी व्यक्तिगत जानकारी है, उसको मैं बताना चाहता हूं। जिन सज्जन को यह लाइसेंस दिया गया है उन सज्जन में उतना उत्साह नहीं है। उसके खुलने का जितना समय समझा जाता है उससे अधिक लगेगा। यदि सदन के सदस्य और माननीय अध्यक्ष आप उचित समझें तो मैं यह बताना चाहता हूं कि रानीखेत में मेरी और उन डाइरेक्टर की, जिनको फैक्टरी खोलने का लाइसेंस दिया गया है, बात हुई थी और उन्होंने कहा कि हमें लाइसेंस तो मिल गया है लेकिन यह जानने के लिये कि देहरादून के पत्थर में ज्यादा चूना निकलता है या नहीं हम जर्मनी के उन इंजीनियरों से जो फैक्ट्री कायम करेंगे उनसे इस बात की जांच कराना चाहते हैं। अभी वह उस फैक्ट्री को चलाने वाले पत्थर को इक्जामिन (examine) कराने का सवाल ही सोच रहे हैं। ऐसी हालत में यह समझ लेना कि वह खुल ही जायगी कुछ उचित नहीं मालूम होता है। जब तक सरकारी अंकुश और पब्लिक ओपीनियन (public opinion) का जोर उन पर न पड़ेगा तब तक उसे वह खोलेंगे इसमें धोखा ही मालूम होता है। जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली है उनसे हम यह कहें कि वह जल्दी से जल्दी इस कार्य को शुरू करें।

जैसी यह बात है उसी तरह की एक और भी बात है और उस तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो भी स्ट्रक्चर आज सोसाइटी का कायम है, उसमें हमने यह देखा है कि लगभग शहरों में जो रहने वाले हैं उनकी आमदनी पर कैपिटा बहुत ही तीव्रगति से बढ़ती जा रही है और देहात में उस लिहाज से नहीं बढ़ रही है जब कि हमारे रेवेन्यू (Revenue) का मुख्य भाग किसानों से ही आता है। हमारी जो जानकारी है वह यह है कि ४९–५० में देहातों के रहने वाले लोगों की पर कैपिटा आमदनी २०१ रुपया थी, और सन् ५४–५५ में २१० रुपया हुई यानी कुल ९ रुपया बढ़ी और शहरों में पहले ५९२ रुपया थी और उसके बाद सन् ५४–५५ में ६९६ रही। यानी लगभग १०० रुपया जब शहरों में बढ़ी तो देहातों में ९ रुपया बढ़ी। इन आंकड़ों से पता चलेगा कि नागरिकों और ग्रामीणों की आमदनी में तीव्र गति से अन्तर होता चला जा रहा है। इसको हमें रोकना है। यह उसी तरह की बात है जि स तरह की हमने गन्ने की बात बताई थी। यह इस प्रकार से है जैसा कि मैंने गन्ने के बारे में कहा जिसमें किसान को केवल १२ आने मन मिलता है। इस प्रकार से हमारा प्लान (plan) स्टैबिल (stable) नहीं है और इसका असर किसानों की आमदनी पर पड़ता है। इससे किसान परेशान हैं क्योंकि हमारे स्टेट में किसानों का बहुमत है। अब देखना यह है कि आखिरकार इन हम चीज को किस प्रकार दूर कर सकते हैं। आज सेल्स टैक्स अनाज पर भी लगेगा, सिंगिल प्वाइंट पर लगेगा, इसलिये कोई खास प्राब्लम नहीं है। इसके साथ–साथ पेट्रोल के भी दाम बढ़े हैं। जो मोटर पर चलने वाले हैं वह अगर चलेंगे तो राष्ट्र–निमार्ण के लिये उनको यह दाम देना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे यह कहना है कि हमारी दूसरी पंच वर्षीय योजना जो २५३ करोड़ की बनी है उसमें रोड और रोडवेज के डेवलपमेंट के लिये बहुत कम पैसा रखा गया है। इस वक्त जो मोटर आपरेटर्स हैं उनकी जो दिक्कतें हैं उनको जो फ्रेट देना पड़ता है वह रेल के किराये से बहुत ज्यादा होता है और उनको माल के ले जाने में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है इसका नतीजा यह होता है कि जो कीमत किसान को अपनी पैदावार पर उसको मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाती। उसका बहुत सा हिस्सा हमारे बीच का आदमी (मिडिल मैन) ले जाता है। सरकार को चाहिये कि इस पर विचार करे और ऐसी व्यवस्था निकाले जिससे मारकेट में जो अनाज बिके उसका अधिक से अधिक लाभ किसान को हो और मिडिल मैन को न हो तो अच्छा है। मैं ऐसा सोचता हूं कि यदि ऐसा हो जाय तो इससे काफी राहत किसानों को मिल जायेगी। यह कैसे हो सकता है कि बीच का आदमी बीच से हट जाय, यह सोचने का विषय है और मैं चाहूंगा कि अधिकारी इस बात को सोचें। हां, एक बात यह है जैसा कि मैंने कहा कि आज मारकेट की हालत अच्छी नहीं है लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिये।

किसी कल्याणकारी राज्य का बजट जिसको समाजवाद स्थापित करना है उसके बजट की तारीफ सिर्फ रुपये, आने और पाई से नहीं आंकी जा सकती है और न विरोध से, उसको तो देखना होता है कि रिसोर्सेस कम होते हुए किसको प्रायरीटीज दें। तो इन चीजों पर देखा जाता है कि बजट कैसा है। मैं नया सदस्य हूं। मैं नहीं समझता कि फाइनेंस के मैटर्स को पुराने सदस्य कैसे समझते होंगे। मैंने प्रोफारमा एकाउन्ट देखे हैं। मैंने एकानामिक्स पढ़ी है और पढ़ाई है। ट्यूबवेल के प्रोफारमा में २ करोड़ १५ लाख २३ हजार का हिसाब इसमें लिखा हुआ है। उसमें एक बात विचित्र है वह यह है कि मेनटेनेन्स और रिपेयर पर ३६ लाख १५ हजार की रकम लिखी है और डिप्रीशियेशन में ७६ हजार है। जो चारटर्ड एकाउन्टेन्ट बैलेन्स शीट बनाते हैं और डैप्रीशियेशन को निकालते हैं मशीन की लाइफ से मशीनों के क्रय पर लगे मूल धन को भाग दे कर। मान लीजिए इंजीनियर ने देखा कि इस मशीन की लाइफ २० साल की है और उसके बाद वह मशीन बेकार हो जायेगी या यह अपरेटस बेकार हो जायेगा, उसकी जगह हमको दूसरी मशीन रिप्लेस करनी होगी तो डेप्रीशियेशन फन्ड में जो रुपया रखा जाता है उससे वह मशीन २० वर्ष बाद बदल दी जाय। डेप्रिसियेशन ७६ हजार रुपये हैं। रिपेयर्स और मेनटिनेन्स के ऊपर ज्यादा खर्च हुआ है। यह स्टोर का मामला है। इसमें इनक्वायरी होनी चाहिये। जितनी पासिबुल चीजें सरकार

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित]

को घाटा पहुंचाती हैं और सरकार को नुकसान पहुंचाती हैं वह स्टोर्स में होती हैं। ऐक्चुअलिटी (actuality) क्या है इसको देखना चाहिये। ऐसा प्रबन्ध पहिले से होना चाहिये कि जिस दिन मशीन को लाइफ खत्म हो उस दिन मशीन आ जानी चाहिये और इसके लिये प्रबन्ध होना चाहिये। ७६ हजार रुपये डिप्रिसियेशन का चार्ज है। १ लाख १५ हजार मेनटिनेन्स का चार्ज है और कुछ रिपेयर्स का चार्ज है जो बहुत बड़ी रकम है। हमने देखा इस मेमोरेंडम में कहीं पर भी मेनटिनेन्स का चार्ज ४० फीसदी से कम नहीं आता। डिप्रिसियेशन चार्ज हर एक में कम है। यही हालत गंगा हाइडिल स्कीम में है। उसमें डिप्रिसियेशन ४० लाख ७० हजार रुपया है। इसी तरह से सारे कलकुलेशन्स हैं। इसमें सरकार की सहायता कर सकूं, आपत्ति करके यह मुशकिल है। रिपेयर्स के चार्जेज, डिप्रिसियेशन के चार्जेज से ज्यादा नहीं होना चाहिये। जिस प्राइस पर आपरेट्स खरीदे हैं और अगर किसी कारण वश अधिक चार्जेज देना पड़े तब तो ठीक है जैसे स्वेज कैनाल की समस्या है। अगर उसकी वजह से कुछ अधिक देना पड़ा है तब तो ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय, आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर ठीक तरह से काम हुआ तो यहां इन मदों में बहुत कुछ कमी करने का स्कोप सरकार के नेता पायेंगे। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि जहां पर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहां पर मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर जायें और वहां के काम को देखें। मेरा ख्याल है कि यह विचार बुरा नहीं है। माननीय डाक्टर कैलाश नाथ काटजू जब मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री हुए तो उन्होंने एक परम्परा डाली। वहां एक प्लानिंग मिनिस्टर थे। उनसे प्लानिंग का डिपार्टमेन्ट ले कर उनको चम्बल प्रोजेक्ट का मिनिस्टर बना दिया।

बिहार में भी एक डिप्टी मिनिस्टर कोसी प्रोजेक्ट के लिये अलग बना दिया गया है। एक माननीय सदस्य ने जो विचार रखा उसको ध्यान में रखते हुए यह चीज अनुचित नहीं होगी कि कोई अधिकारी रिहंद बांध में दिलचस्पी लेने लगे। काम तब बहुत जल्दी होगा। मैंने वहां के डिप्टी चीफ इंजीनियर से पूछा कि कब तक प्लान पूरा हो सकेगा। उसने जवाब दिया कि साढ़े ८ साल के बाद। पता नहीं सरकार को उसने क्या रिपोर्ट दी। पता नहीं उसने मुझसे मित्रता में कह दिया था या ऐसे ही कह दिया। सरकार को क्या रिपोर्ट दी यह देखना है। अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि इन कामों में दिलचस्पी लेने लगे तो काम बड़ी शीघ्रता से होंगे।

मैंने इंडस्ट्री के बारे में बताया कि उसकी तस्वीर इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आंकड़ों से मालूम होती है। इम्प्लायमेंट की भी उतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। यह बात जरूर है कि प्रोडक्शन बढ़ा है। जहां तक मजदूरों का सवाल है वे प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करेंगे। इस बात की हम लोग कोशिश करते रहेंगे। किन्तु आखिरकार उन विषमताओं का, जिनका मैंने जिक्र किया है हल निकालने के लिये कुछ उपाय करना चाहिये। रह गयी डिस्ट्रिक्ट लेबल पर प्लानिंग कमेटी की बात, एक बड़ी ही विचित्र बात है कि एक जिले में क्या खर्च होगा पांच वर्ष के अन्दर, यह चीज किसी भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के सदस्य को नहीं मालूम, उसका एस्टिमेट क्या है इसका उनको पता नहीं रहता। जो बुकलेट्स हैं उनमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। प्लानिंग कमेटी के मेम्बर को इसकी कुछ जानकारी नहीं रहती। होता यह है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बैठक हुई और हम लोग ११ बजे पहुंचे। अगर पांच मिनट देर में पहुंचे तो पता लगा कि सवा लाख रुपया उत्तर प्रदेश से मिला है, उसको बांटना है। जब तक पहुंचे तब तक जिन लोगों ने देखा, उन्होंने कह दिया कि इतने पैसे से अस्पताल बनेगा और इतने से स्कूल बनेंगे और वह रुपया उनको दे दिया जाय। इससे बड़ा नुकसान होता है। मेरा ख्याल यह है कि पहले ही इस चीज का

निर्णय हो जाना चाहिये कि आपको क्या खर्च करना है। हम लोगों के पास फैक्ट्स या फीगर्स तो रहते नहीं।

मैं कई स्कूलों की बात जानता हूं इनको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से या कलेक्टिव फाइन्स (collective fines) से जो रुपया इकट्ठा हुआ था उसमें से काफी रुपया उनको दिया गया। कुछ को तो मेरी जानकारी में एक, दो लाख रुपया दिया गया, लेकिन उनकी हालत यह है कि अगर उन स्कूलों की जांच करें तो मालूम होगा कि १० हजार रुपया भी नहीं रहा। अगर उसका इस्तेमाल किसी ऐसे काम में किया होता जिससे राष्ट्र का डेवलपमेंट होता या लड़कों की पढ़ाई ठीक होती, तो अच्छा होता। लोकल बाडीज (local bodies) में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन (Private Institutions) में ऐसा ही होता है। इस लिये डिस्ट्रिक्ट लेबल पर यह बात होनी चाहिये कि प्लानिंग कमेटी को आफ हैंड (off hand) निर्णय न लेना पड़ा करे। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेम्बर को मालूम होना चाहिये कि हमारे पास इतना रुपया है। यह मैंने प्लानिंग के बारे में कहा। इसी सिलसिले में मुझे थोड़ा सा एजूकेशन के संबंध में स्कूलों और कालेजेज के ऊपर भी कहना है। विद्यार्थियों के लिये सदन में कहा गया कि आज कल के विद्यार्थी अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करते, राष्ट्र का सम्मान नहीं करते, अनुशासन की भावना नहीं रखते। यह बातें सब सही हैं किन्तु मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि यह है क्यों? और इस पर कभी आपने गौर किया? मुझे आप क्षमा करें यह कहने के लिये कि इसका पहला कारण यह है कि बहुत से स्कूल्स और कालेज में ऐसे लोग पहुंचते हैं जो जीवन में नौकरी पाने से निराश हो गये हैं। वह एडेड स्कूलों में इसलिये रख लिये जाते हैं कि वह किसी प्रबन्धक के रिश्तेदार होते हैं। वहां मेरिट और टेलेन्ट का ख्याल नहीं किया जाता है। जहां टीचर्स ऐसे भर्ती नहीं किये जाते हैं और मेरिट के आधार पर रखे जाते हैं उनके लड़के हमेशा अच्छे रहते हैं। इस पर भी सोचना होगा कि एडेड स्कूल्स का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिये। उनके मैनेजमेंट का इंतजाम आपको करना होगा। कई जगहों पर मैंने देखा है कि चुनाव में लड़के काम कर रहे हैं और प्रोफेसर्स भी चुनाव का काम करने चले गये हैं। जब लोग चुनाव में ले जाये जायेंगे तो समझ लीजिए कि उनकी कैसी भावना बनेगी। इसलिये यह कहना कि विद्यार्थी अनुशासन नहीं मानता यह ठीक नहीं। इसका रूट काज (root cause) समाज है। दूसरे सिनेमाज से भी नुकसान पहुंचते हैं। जो इंटरटेनमेंट टैक्स लगाया गया है यह बहुत अच्छी चीज है। इससे लड़के डिसकरेज हो कर सिनेमा कम जायेंगे और डिसिप्लिन उनकी इससे अच्छी होगी।

मकानों की बाबत भी यहां जिक्र हुआ है कि मजदूरों के लिये मकान बने हैं, मिडिल क्लास के लोगों के लिये नहीं बने हैं। यह भी कहा गया कि जब मजदूर उन मकानों का इस्तेमाल नहीं करता तो वह मिडिल क्लास के लोगों को दे देना चाहिये। मैं पूछता हूं कि ५५ रु० पाने वाला कैसे उन साढ़े बारह रुपये के मकानों का किराया दे सकता है। कानपुर में मजदूरों के नाम पर मकान हैं, मगर उनमें लेबर डिपार्टमेंट के आफिसर और इम्प्लाईज रहते हैं इसीलिये कि वह किराया नहीं बरदाश्त कर सकते हैं। वह मकान म्योर मिल और काटन मिल के मजदूरों के नाम ईश्यू हैं मगर सचमुच रहते हैं उनमें दूसरे ही।

ठीक है रहना भी चाहिये। जब कोई रहने वाला नहीं तो किसी न किसी को रहना है, लेकिन उसका मुख्य कारण यही है। उपाध्यक्ष महोदय, समय अन्त होने जा रहा है, इसलिये जिन बातों को मैंने आपके तथा सदन के सामने रखा है, मैं चाहता हूं कि उन पर सरकार सोचेगी और सोचने के बाद ऐसे तरीके निकालेगी कि और राज्यों की तरह हमारे राज्य का भी औद्योगिक रूप से विकास हो। भारत सरकार की जो वर्तमान नीति है, उससे जो रिच है वह रिचर होता जा रहा है और जो गरीब है वह उत्तर प्रदेश की तरह और भी गरीब होता जा रहा है। हमें अपनी इंडस्ट्रियल पोजीशन ऊंची करनी है। सरकार प्राइवेट तथा

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित]

सहायता-प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को भी सुधारने का ख्याल रखे। चकबन्दी के लिये भी हमें कुछ करना चाहिये, नहीं तो लोगों को फायदे के बजाय जो नुकसान हो रहा है वह और बढ़ता जायगा। चकबन्दी का विचार तो अच्छा है, लेकिन जो दिक्कतें कार्य करने में आयी हैं उनसे जनता परेशान है। इस चीज को मैं तब कहूंगा जब रेवेन्यू का मसला आयेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और सरकार को इसलिये धन्यवाद देता हूं कि उसने एक साहस का बजट प्रस्तुत किया है। हम सदैव यही चाहेंगे कि सरकार ऐसे कदम उठाय, जिससे हमारे प्रदेश का इंडस्ट्रियल विकास हो और यहां की शिक्षा संस्थायें उन्नति करें।

श्री डिप्टी चेयरमैन—यह सदन २९ अगस्त, १९५७ को ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित किया जाता है।

(इस समय ४ बज कर ५५ मिनट पर सदन की बैठक दिनांक २९-७-१९५७ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गयी।)

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
दिनांक ४ श्रवण, शक संवत् १८७९
(२६ जुलाई, सन् १९५७ ई०।)

नत्थी "क"

(देखिये प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पृष्ठ २३४ पर)

१७-५-५७ को बस-दुर्घटना में मरे हुये व्यक्तियों की सूची

१--श्री लाथी प्रसाद पुत्र कुला नन्द, बस का ड्राइवर।
२--श्री श्याम सिंह पुत्र नारायण सिंह बस का कंडक्टर।
३--श्री हरी सिंह, कंडक्टर जी० एम० यू०, कोटद्वारा।
४--श्री रघुबीर प्रसाद पुत्र भगवती प्रसाद, सिंगारनगर, लखनऊ।
५--श्रीमती भगवान देवी स्त्री श्री रघुवीर प्रसाद, सिंगारनगर, लखनऊ।
६--श्री चन्द्र सुरेश (३ वर्ष) पुत्र श्री रघुवीर प्रसाद, सिंगारनगर, लखनऊ।
७--श्री भगवती प्रसाद पुत्र राम चरन दुबे, ग्राम जरयारी, बाराबंकी।
८--श्रीमती राम कुमारी पुत्री माता प्रसाद दुबे, जरयारी, बाराबंकी।
९--श्रीमती उमाकिशोरी, पुत्री राम कुमारी, जरयारी, बाराबंकी।
१०--श्रीमती रामदुलारी स्त्री शिव नारायण वकील, ग्राम पुशादी, छपरा, बिहार।
११--श्रीमती हृदय कुंवर स्त्री बिन्दा बाबू, ग्राम पुशादी, छपरा, बिहार।
१२--श्रीमती जशोदा स्त्री दीपा महतू, ग्राम पुशादी, छपरा, बिहार।
१३--श्रीमती अंजोरा स्त्री राम जीवन राय, ग्राम पुशादी, छपरा, बिहार।
१४--श्री दीपा महतू, ग्राम पुशादी, छपरा, बिहार।
१५--श्री जगत किशोर पुत्र खेम सिंह, श्रीनगर, गढ़वाल।
१६--श्री बचान सिंह पुत्र गोकुल, घनदियाल, टेहरी।
१७--श्री कुंवर सिंह पुत्र मगन सिंह, गंदवा, टेहरी।
१८--श्री मुरली पुत्र सज्जी, खारसैन गांव, टेहरी।
१९--श्री चिदामी पुत्र सज्जी, खारसेन गांव, टेहरी।
२०--श्री नारायण सिंह पुत्र कुसिया सिंह, सैनदार, टेहरी।
२१--श्री जगन्नाथ पुत्र शिव पालत, करनाईपुर, इलाहाबाद।

निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम और पते की ठीक से अभी पुष्टि होना बाकी है :--

२२--श्री रामनाथ पुत्र शिव पालत
२३--श्री रघुनाथ
२४--श्रीमती कौशिलिया स्त्री जगन्नाथ
२५--श्रीमती विपता स्त्री रामनाथ
२६--श्रीमती रघुनाथ स्त्री रघुनाथ
२७--श्री बिन्देश्वरी
२८--श्रीमती झकन
२९--एक वृद्धा स्त्री

} इन लोगों के बारे में अनुमान है कि यह श्री जगन्नाथ (नं० २१) की पार्टी में शामिल थे।

३०--३३--चार अन्य यात्री जो जौनपुर जिला के थे।
३४--एक व्यक्ति जो पहिचाना न जा सका।

नत्थी 'ख'

(देखिये प्रश्न संख्या १० व ११ का उत्तर पृष्ठ २३४ पर)

Report on the accident of Bus no. 294 near Khankra on Shrinagar Rudraprayag Road in district Garhwal on May 17, 1957

At about 3 p.m. on May 17, 1957, information was received at police station Shrinagar through constable Pratap Singh no. 65 C. P. that the Bus no. 294 UPY which had started from Shrinagar by 9.30 a.m. gate had fallen down deep in a very steep 'Khud' near Khankra, patti Bachansyun, about 12 miles from Shrinagar. The Station Officer contacted the Superintendent of Police immediately on telephone who ordered him to proceed to the scene along with Medical Officer, Shrinagar and also required the Head Constable Incharge outpost Rudraprayag to bring the Medical Officer, Rudraprayag also. The S. P. immediately informed the Civil Surgeon and the District Medical Officer of Health to proceed to the scene along with all available medical relief from the Headquarters. The S. P., the D. C., the Civil Surgeon and the Health Officer, all proceeded to the scene immediately after and reached there by about 6 p. m. The Station Officer, Shrinagar had already reached the scene at about 4. 30. p. m.

2. On inspection of the scene of occurrence we found the following :

(*a*) The bus which was being driver by driver Sri Nath Prasad had collided against the parapet wall which was completely smashed and had gone down in a very steep 'Khud' about 500′ down below throwing all the occupants of the bus at great distances in a very pitiable condition. No sign of life was found in any of the victims. Most of them had almost no covering on their bodies and appeared to have died instantaneously after the accident. The accident seems to have taken place at about 10.45 a. m. It was learnt that the vehicles which were following this vehicle involved all and had not noticed the smashed parapet wall but had proceeded to Rudraprayag. It was only after sometime that another vehicle after noticing the smashed parapet wall saw the chassis of this bus down below in the 'Khud'.

(*b*) The smashed parapet wall had a retaining wall under it. On a through inspection of the retaining wall, I found that there was no fault of the retaining wall whose stones were completely intact and that the accident had happened purely due to either the fault of the driver or of the vehicle. The place where this accident has happened was quite wide (about 15′). There is a sharp bend, a little behind the place of occurrence, which the vehicle had negotiated successfully. After the negotiation of the bend, the left front wheel appears to have collided against the parapet wall on the left hand side of the road and the

entire parapet wall was smashed and vehicle fell down the 'Khud'. The vehicle appears to have dragged on for about 25'—30' on the left hand side touching the parapet walls. Strangely enough the vehicle was going on a climb and it is very difficult to say as to the exact cause of the disaster. Either the vehicle developed some serious trouble and became out of control of the driver or the driver had some serious diversion of attention leading to the collision of the vehicle against the parapet wall. The probable cause of the accident which is under investigation has been discussed further in the report.

(c) The local inspection of the vehicle which was in a completely smashed condition could not indicate, in any way, the possib'le cause of acc.dent. Bulk of the chassis was found about 500' below with some parts flown to distant places.

3. There was no direct way to reach the place, where the dead bodies and the smashed vehicle were lying. We had to go through a village situated at a distance of about a mile from the place from where the vehicle had fallen and had to reach the bed of the river ALAKNANDA from where again there was a very steep climb with absolutely no track. The Station Officer, the Police party and others were busy in collecting dead bodies, the clothing and other properties. After giving proper instruction to the Station Officer and after ascertaining that there is nothing which the medical relief can do at this time, the District authorities returned back to the Headquarters leaving the Police party at the scene for the preparation of the inquest reports and for the dispsoal of the dead bodies. The Police party had to face many odds on that night as they had to live without their clothings, water or meals. Their inconveniences were greatly added due to constant rains. Facing all these odds, the dead bodies were disposed of after cutting the jungle and bringing them down below from their places to the river by the Police party.

4. In all there were found to be 34 dead bodies, which were photographed with the help of A. R. I. (Technical) Kotdwara in the absence of any local photographer. Out of these 34 victims 21 were males, 12 females and 1 was a male child. In the beginning identifications could not be made but addresses of the victims were tried to be ascertained through the inoculation certificates which were found from the spot. Later on after the preparation of inquest reports other enquiries too were made. The persons whose names and addresses have been ascertained so far are given in the attached list. Persons whose names and addresses are not certain but are under enquiry are also mentioned separately in the enclosed list. Superintendents of Police of all concerned places have been informed. Property recovered from the possession of victims have been stocked in police station Shrinagar, whose list was duly prepared and also checked up by S. D. M., Pauri when he had visited the spot.

5. *Probable cause of accident*—The bus had started from Shrinagar with 23 seats besides the driver and the conductor, but the

number of victums was 34 which clearly indicated that the driver had allowed other passengers to sit in the bus during the course of its journey. It is not unlikely that with such a heavy congestion in the bus, which is only meant for 23 persons, there might have been some sort of quarrel among the passengers themselves which might have seriously diverted the attention of the driver leading to the disaster. Another fact which has come to the notice of the Polic is that this driver was habituated to drinking and was a gamble also. Though no evidence is forthcoming, but it has been ascertained that in the night of 16/17 th May, 1957, the driver had gambled and had also taken alcohol. In the morning of May 17, 1957, too it is strongly suspected that he had taken some alcohol. Though there might be a possibility of the accident being due to the negligence of the driver in a state of intoxication and drowsiness but the fact that he was able to drive quite properly from Shrinagar to the place of occurrence and had negotiated difficult bends successfully should be a strong factor against such a presumption.

6. The Station Officer, Shrinagar has been directed to enquire into the cause of accident through a Dariafthal. A further report will follow if we are able to find out anything new in this regard.

नत्थी "ग"

(देखिये प्रश्न संख्या ४५ का उत्तर पृष्ठ २४४ पर)

पुलिस कर्मचारियों की सूची, जो सन् १९५५ में अभियोगों में लिप्त पाये गये

क्रम-संख्या	पुलिस के कर्मचारी का नाम	श्रेणी	दफा, जिसमें अभियोग चलाया गया	अभियोग का फल
१	श्री कलियान सिंह ...	कान्स्टेबिल ...	३७९ आई० पी० सी० ...	सजा हुई।
२	श्री धरम सिंह ...	,, ...	,, ...	,,
३	श्री रघुबर सिंह ...	सब-इन्स्पेक्टर ...	३०२/२०१/३१३/१६१ आई० पी० सी०	,,
४	श्री भोगीलाल ...	,, ...	,, ...	,,
५	श्री महबूब हुसैन ...	हेड कान्स्टेबिल ...	,, ...	,,
६	श्री मसी उद्दीन ...	,, ...	,, ...	,,
७	श्री राम प्रसाद ...	कान्स्टेबिल ...	,, ...	,,
८	श्री रवेन्द्र प्रकाश ...	,, ...	,, ...	,,
९	श्री मान सिंह ...	,, ...	,, ...	,,
१०	श्री सूरज सिंह ...	,, ...	,, ...	छूट गये।
११	श्री नरेन्द्र सिंह ...	सब-इन्स्पेक्टर ...	३०७ आई० पी० सी० ...	,,
१२	श्री हरी शंकर ...	हेड कान्स्टेबिल ...	,, ...	,,

पुलिस कर्मचारियों की सूची, जो सन् १९५६ में अभियोगों में लिप्त पाये गये

क्रम-संख्या	पुलिस कर्मचारी का नाम	श्रेणी	दफा, जिसमें अभियोग चलाया गया	अभियोग का फल
१	श्री हेमन राम ...	कान्स्टेबिल ...	पुलिस ऐक्ट की धारा २९ ...	सजा हुई।
२	श्री रंजन लाल ...	,, ...	,, ...	,,
३	श्री राजाराम ...	,, ..	३७९/४११ आई० पी० सी०, १९ (एफ) आर्म्स ऐक्ट	,,
४	श्री हबीब खां ..	,, ...	३२३/५०६ आई० पी० सी० ...	कम्पाउंड कर लिया गया।
५	श्री बशेश्वर सिं ...	हेड कान्स्टेबिल ...	३२३/५०४/५०६/३४२ आई० पी० सी०	छोड़ दिया गया।
६	श्री वीरेन्द्र सिंह ...	सब-इन्स्पेक्टर ...	,, ...	,,
७	श्री शीतल सिंह ...	कान्स्टेबिल ...	,, ...	,,
८	श्री जैपाल सिंह ...	सब-इन्स्पेक्टर ...	३२३/५०४/५०६ आई० पी० सी०	,,
९	श्री ईश्वर चन्द त्यागी ...	,, ...	३२३/५०६ आई० पी० सी० ...	,,

APPENDIX "A"

(*See* answer question no. 45 on page 244)

Statement showing Police Officers and men found involved in various crimes, during 1955

Serial no.	Name of the police officers	Rank	Tried under offence	Result of the trial
1	Kalyan Singh ..	Constable	.. 379, I.P.C. ..	Convicted.
2	Dharam Singh ..	"	.. " ..	Do.
3	Raghuber Singh ..	S.-I.	U/s 302/201/323/161. I.P.C.	Do.
4	Bhogilal ..	"	.. Ditto ..	Do.
5	Mahboob Hussain ..	H. C.	.. Ditto ..	Do.
6	Mashi Uddin ..	"	.. Ditto ..	Do.
7	Ram Prasad ..	Constable	.. Ditto ..	Do.
8	Ravander Prakash ..	Do.	.. Ditto ..	Do.
9	Man Singh ..	Do.	.. Ditto ..	Do.
10	Suraj Singh ..	Do.	.. Ditto ..	Acquitted.
11	Narendra Singh ..	S.-I.	.. 307, I.P.C. ..	Discharged.
12	Hari Shanker ..	H. C.	.. Ditto ..	Do.

Statement showing Police Officers and men found involed in various crimes, during 1956

Serial no.	Name of the police officer	Rank	Tried under offence	Result of the trial
1	Heman Ram ..	Constable	.. 29 Police Act ..	Convicted
2	Rajjan Lal ..	Do.	.. Ditto ..	Do.
3	Raja Ram ..	Do.	.. 379/411/I.P.C. 19 .. (F) Arms Act. ..	Do.
4	Habib Khan ..	Do.	.. 323/506 I.P.C. ..	Compounded
5	Basheshwar Singh ..	H. C.	.. 323/504/506/342 I.P.C.	Acquitted
6	Virender Singh ..	S.-I.	.. Ditto ..	Do.
7	Sheetal Singh ..	Constable	.. Ditto ..	Do.
8	Jai Pal Singh ..	S.-I.	.. 323/504/506 I.P.C. ..	Acquitted
9	Ishwar Chand Tyagi..	S.-I.	.. 323/506 I.P.C. ..	Do.

नत्थी "घ"

(देखिये प्रश्न संख्या ७३ का उत्तर पृष्ठ २४८ पर)

सामूहिक श्रवण योजना के अन्तर्गत १९५६ व १९५७ में वितरित रेडियो सेटों की जिलेवार सूची

क्रम-संख्या	जिलों के नाम	१ जनवरी, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५६ तक वितरित रेडियो सेट				१ जनवरी, १९५७ से ३१ मई, १९५७ तक वितरित रेडियो सेट			
		शुष्क बैट्री सेट	आर्द्र बैट्री सेट	मेन्स/बिजली सेट	योग	शुष्क बैट्री सेट	आर्द्र बैट्री सेट	मेन्स/बिजली सेट	योग
१	२	३	४		६	७	८	९	१०
१	आगरा	४७६	...	...	४७६	१४	...	...	१४
२	अलीगढ़ ...	६६	१	...	६७	६०	...	...	६०
३	इलाहाबाद ...	७९	...	...	७९	९१	...	...	९१
४	अल्मोड़ा ...	६७	...	१	६८	५८	...	...	५८
५	आजमगढ़ ...	६८	१	...	६९	१८	..	...	१८

६	बहराइच	...	९१	...	...	९१	१०३	...	...	१०३
७	बलिया	...	३१	१	...	३२	७	...	...	७
८	बाराणसी	...	३३	..	१	३४	३५	...	...	३५
९	बांदा	...	४५	१	...	४६	५२	...	...	५२
१०	बाराबंकी	...	५६	१	...	५७	...	...	...	...
११	बरेली	...	५६	...	...	५६	७७	...	...	७७
१२	बस्ती	...	२९	...	...	२९	५४	...	...	५४
१३	बिजनौर	...	३२	१	...	३३	९	...	...	९
१४	बदायूं	...	३१	...	...	३१	२९	...	...	२९
१५	बुलन्दशहर	...	४९५	...	...	४९५	...	...	...	...
१६	देहरादून	...	१८	...	...	१८	२६	...	...	२६
१७	देवरिया	...	२	...	...	२	१००	१	...	१०१
१८	एटा	...	५०	१	...	५१	७९	...	...	७९
१९	इटावा	...	४७	...	..	४७	१२१	...	...	१२१

क्रम-संख्या	जिलों के नाम	१ जनवरी, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५६ तक वितरित रेडियो सेट				१ जनवरी, १९५७ से ३१ मई, १९५७ तक वितरित रेडियो सेट			
		शुष्क बैट्री सेट	आर्द्र बैट्री सेट	मेन्स/बिजली सेट	योग	शुष्क बैट्री सेट	आर्द्र बैट्री सेट	मेन्स/बिजली सेट	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२०	फैजाबाद ...	४६	...	...	४६	११	...	...	११
२१	फर्रुखाबाद ...	२३	१	...	२४	२४	...	...	२४
२२	फतेहपुर ...	२८	१	...	२९	...	...	...	...
२३	गढ़वाल ...	२०	...	...	२०	२२	...	...	२२
२४	गाजीपुर ...	४४	१	...	४५	७	...	...	७
२५	गोंडा ...	१४३	...	...	१४३	४०	...	...	४०
२६	गोरखपुर ...	४०	१	...	४१	६८	...	...	६८

२७	हमीरपुर	...	२२	...	...	२२	५८	...	...	५८
२८	हरदोई	...	९	...	...	९	...	...	...	...
२९	जालौन	...	२६४	१	...	२६५	२७	...	...	२७
३०	जौनपुर	...	४०	...	...	४०	११	...	...	११
३१	झांसी	...	७३	...	...	७३	६७	...	...	६७
३२	खीरी	...	७२	...	..	७२	१०४	...	...	१०४
३३	कानपुर	...	१३	...	...	१३	४१	१	...	४२
३४	लखनऊ	...	२७	१२	...	३९	१	१५	...	१६
३५	मैनपुरी	...	८	१	...	९	१०७	...	...	१०७
३६	मेरठ	...	७७	...	...	७७	९६	...	...	९६
३७	मिर्जापुर	...	६	१	...	७	२४	...	...	२४
३८	मुरादाबाद	...	७४	१	...	७५	...	...	...	...
३९	मुजफ्फरनगर	..	४०	..	..	४०	७०	१	...	७१
४०	मथुरा	...	१५	१	...	१६	९३	...	..	९३

क्रम-संख्या	जिलों के नाम		१ जनवरी, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५६ तक वितरित रेडियो सेट				१ जनवरी, १९५७ से ३१ मई, १९५७ तक वितरित रेडियो सेट			
			शुष्क बैट्री सेट	आर्द्र बैट्री सेट	मेन्स/बिजली सेट	योग	शुष्क बैट्री सेट	आर्द्र बैट्री सेट	मेन्स/बिजली सेट	योग
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०
४१	नैनीताल	...	४७	...	...	४७	२९	...	...	२९
४२	पीलीभीत	...	५४	५	...	५९	५९	...	...	५९
४३	प्रतापगढ़	...	१७	१	...	१८	१५	...	...	१५
४४	रायबरेली	...	८७	...	...	८७	१	२	...	३
४५	रामपुर	..	६९	..	..	६९	३२	..	..	३२
४६	शाहजहांपुर	..	१६	१	..	१७	२८	..	..	२८
४७	सहारनपुर	..	३२	...	...	३२	७०	...	...	७०

४८	सीतापुर	...	६६	...	..	६६	...	...	...	...
४९	सुल्तानपुर	...	११६	१	..	११७	...	...	...	...
५०	टेहरी–गढ़वाल		६२	१	...	६३	१६	...	...	१६
५१	उन्नाव	...	४५	१	...	४६	१९	...	..	१९

APPENDIX "B"

(*See* answer to question no. 73 on page 248)

Districtwise distribution of radio sets distributed during the year 1956 *and* 1957.

Serial no.	Name of the district	No. of radio sets distributed from January 1 to December 31, 1956				No. of radio sets distributed from January 1 to May 31, 1957			
		Dry Battery set	Wet Battery set	Mains set	Total	Dry Battery set	Wet Battery set	Mains set	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Agra	476	..	..	476	14	..	..	14
2	Aligarh	66	1	..	67	60	..	..	60
3	Allahadad	79	..	..	79	91	..	..	91
4	Almora	67	..	1	68	58	..	..	58
5	Azamgarh	68	1	..	69	18	..	..	18
6	Bahraich	91	..	..	91	103	..	..	103
7	Ballia	31	1	..	32	7	..	..	7
8	Banaras	33	..	1	34	35	..	..	35
9	Banda	45	1	..	46	52	..	..	52
10	Barabanki	56	1	..	57	..	..	..	..
11	Bareilly	56	..	..	56	77	..	..	77
12	Basti	29	..	..	29	54	..	..	54
13	Bijnor	32	1	..	33	9	..	..	9
14	Budaun	31	..	..	31	29	..	..	29
15	Bulandshahr	495	..	..	495	..	..	..	..
16	Dehra Dun	18	..	..	18	26	..	..	26
17	Deoria	2	..	..	2	100	1	..	101
18	Etah	50	1	..	51	79	..	..	79
19	Etawah	47	..	..	47	121	..	..	121
20	Faizabad	46	..	..	46	11	..	..	11
21	Farrukhabad	23	1	..	24	24	..	..	24
22	Fatehpur	28	1	..	29	..	..	..	..
23	Garhwal	20	..	..	20	22	..	..	22
24	Ghazipur	44	1	..	45	7	..	..	7
25	Gonda	143	..	..	143	40	..	..	40
26	Gorakhpur	40	1	..	41	68	..	..	68
27	Hamirpur	22	..	..	22	58	..	..	58
28	Hardoi	9	..	..	9	..	..	..	..
29	Jalaun	264	1	..	265	27	..	..	27
30	Jaunpur	40	..	..	40	11	..	..	11
31	Jhansi	73	..	..	73	67	..	..	67

Serial no.	Name of the district	No. of radio sets distributed from January 1 to December 31, 1956				No. of radio sets distributed from January 1 to May 31, 1957			
		Dry Battery set	Wet Battery set	Mains set	Total	Dry Battery set	Wet Battery set	Mains set	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Kheri	72	..	..	72	104	..	..	104
33	Kanpur	13	..	..	13	41	1	..	42
34	Lucknow	27	12	..	39	1	15	..	16
35	Mainpuri	8	1	..	9	107	..	..	107
36	Meerut	77	..	..	77	96	..	..	96
37	Mirzapur	6	1	..	7	24	..	..	24
38	Moradabad	74	1	..	75	..	..	..	..
39	Muzaffarnagar	40	..	..	40	70	1	..	71
40	Mathura	15	1	..	16	93	..	..	93
41	Naini Tal	47	..	..	47	29	..	..	29
42	Pilibhit	54	5	..	59	59	..	..	59
43	Pratapgarh	17	1	..	18	15	..	..	15
44	Rae Bareli	87	..	..	87	1	2	..	3
45	Rampur	69	..	..	69	32	..	..	32
46	Shahjahanpur	16	1	..	17	28	..	..	28
47	Saharanpur	32	..	..	32	70	..	..	70
48	Sitapur	66	..	..	66	..	..	..	..
49	Sultanpur	116	1	..	117	..	..	..	..
50	Tehri-Garhwal	62	1	..	63	16	..	..	16
51	Unnao	45	1	..	46	19	..	..	19

नत्थी "च"

(देखिये प्रश्न संख्या ७५ क-ख का उत्तर पृष्ठ २४९ पर)

जिला मथुरा में सन् १९५६ में सामूहिक श्रवण योजना के अन्तर्गत रेडियो सेट प्राप्त करने के लिये अंशदान जमा करने वाले व्यक्तियों की सूची

क्रम-संख्या	अंशदान जमा करने वाले व्यक्ति का नाम	अंशदान जमा करने की तिथि	रेडियो सेटों के दिये जाने की तिथि
१	२	३	४
१	मंत्री, नवयुवक मंडल, पूरह	४ जनवरी, १९५६	२३ फरवरी, १९५६
२	प्रधान, ग्राम सभा, बैठन खुर्द	१५ फरवरी, १९५६	२५ सितम्बर, १९५६
३	प्रधान ग्राम सभा, खेटाबेटा	,,	,,
४	प्रधानाचार्य, गांधी इन्टर कालेज, छाता	२८ फरवरी, १९५६	,,
५	प्रधान ग्राम सभा, भदावल	९ मार्च, १९५६	१२ मार्च, १९५६
६	प्रधान, प्राइमरी पाठशाला, बैठन कलां	१६ मार्च, १९५६	२५ सितम्बर, १९५६
७	प्रधान, ग्राम सभा, मुस्मिना	१७ मार्च, १९५६	६ अक्तूबर, १९५६
८	प्रधान, ग्राम सभा, अदमपुर	२४ मार्च, १९५६	२५ सितम्बर, १९५६
९	प्रधान, ग्राम सभा, गाठौली	,,	२७ सितम्बर, १९५६
१०	प्रधान, ग्राम सभा, रौसू-जलालपुर	,,	२५ सितम्बर, १९५६
११	अध्यक्ष, पुस्तकालय, चौना	२८ अप्रैल, १९५६	,,
१२	प्रधान, ग्राम सभा, अजहो	,,	१५ अप्रैल, १९५७
१३	प्रधान, ग्राम सभा, गिडोह	,,	८ फरवरी, १९५७

क्रम-संख्या	अंशदान जमा करने वाले व्यक्ति का नाम	अंशदान जमा करने की तिथि	रेडियो सेटों के दिये जाने की तिथि
१	२	३	४
१४	प्रधान, ग्राम सभा, हथना	१३ मई, १९५६	१३ अप्रैल, १९५७
१५	प्रधान, ग्राम सभा, उमरी	५ जून, १९५६	८ फरवरी, १९५७
१६	प्रधान, आर्यसमाज, कोसीकलां	२५ जून, १९५६	८ फरवरी, १९५७
१७	प्रधान, सहकारी समिति, बरौसा	,,	,,
१८	प्रिन्सिपल, वृन्दाबन विद्या-पीठ	४ जुलाई, १९५६	,,
१९	मंत्री, महिला चिकित्सालय, वृन्दावन	,,	,,
२०	प्रधानाचार्य, चम्पा अग्रवाल इन्टर कालेज	२७ जुलाई, १९५६	,,
२१	श्री रघुनाथ सिंह, प्रधान, सहकारी समिति	,,	,,
२२	श्री रघुनाथ प्रसाद, प्रधान सहकारी समिति	,,	,,
२३	प्रधान, सहकारी समिति, अडिंग	,,	११ फरवरी, १९५७
२४	मंत्री, नवयुवक दल, माधुरी-कुंड	,,	१३ अप्रैल, १९५७
२५	प्रधान, ग्राम सभा, संकेत	,,	,,
२६	प्रधान, ग्राम सभा, लौहर-बाड़ी	,,	,,
२७	प्रधान, ग्राम सभा, बदनगढ़	,,	रेडियो लेने नहीं आये

क्रम-संख्या	अंशदान जमा करने वाले व्यक्ति का नाम	अंशदान करने वाले कि तिथि	रेडियो सेटों के दिये जाने की तिथि
१	२	३	४
२८	प्रधान ग्राम सभा, देवसिरस	२७ जुलाई, १९५६	१३ अप्रैल, १९५७
२९	प्रधान ग्राम सभा, कृष्णपुर	३ अगस्त, १९५६	९ मई, १९५७
३०	प्रधान ग्राम सभा, पिलखू	,,	१३ अप्रैल, १९५७
३१	प्रधान, नवयुवक पुस्तकालय, शेरगढ़	७ अगस्त, १९५६	९ फरवरी, १९५७
३२	प्रधान ग्राम सभा, सिहाना	,,	,,
३३	प्रधान ग्राम सभा, नहौरा	,,	१५ अप्रैल, १९५७
३४	प्रधानाचार्य हायर सेकेन्डरी स्कूल, सौंख	,,	९ फरवरी, १९५७
३५	प्रधानाचार्य हायर सेकेन्डरी स्कूल, राया	,,	८ फरवरी, १९५७
३६	प्रधान ग्राम सभा, कोइ-लालीपुर	२४ अगस्त, १९५६	,,
३७	प्रधान ग्राम सभा, परखम	२७ अगस्त, १९५६	११ फरवरी, १९५७
३८	प्रधान ग्राम सभा, बरौली	२९ अगस्त, १९५६	९ फरवरी, १९५७
३९	प्रधान ग्राम सभा, पलसों	,,	,,
४०	प्रधान ग्राम सभा, सीई	,,	,,
४१	प्रधान ग्राम सभा, नौमगांव	,,	१३ अप्रैल, १९५७
४२	प्रधान ग्राम सभा, मलहू	२९ अगस्त, १९५६	१५ अप्रैल, १९५७
४३	प्रधान ग्राम सभा, पैंन	,,	१२ फरवरी, १९५७

क्रम-संख्या	अंशदान जमा करने वाले व्यक्ति का नाम	अंशदान जमा करने की तिथि	रेडियो सेटों के लिये जाने की तिथि
१	२	३	४
४ :	प्रधान ग्राम सभा, बछगांव	२९ अगस्त, १९५६	१३ अप्रैल, १९५७
४५	प्रधान ग्राम सभा, अनौर	,,	,,
४६	प्रधान ग्राम सभा, खायरा	,,	१५ अप्रैल, १९५७
४७	प्रधान ग्राम सभा, रसूलपुर	,,	११ फरवरी, १९५७
४८	प्रधान ग्राम सभा, टोस	,,	रेडियो लेने नहीं आये
४९	प्रधान ग्राम सभा, मेघपुर	,,	११ फरवरी, १९५७
५०	प्रधान ग्राम सभा, दौलतपुर	,,	,,
५१	प्रधान ग्राम सभा, फरह	,,	,,
५२	प्रधान ग्राम सभा, गढ़या लोनी	,,	,,
५३	प्रधान ग्राम सभा, धनासिरस	,,	रेडियो लेने नहीं आये
५४	श्री कन्हैयालाल गुप्त, एम० एल० सी०, मंत्री, सेवा समिति	१५ सितम्बर, १९५६	२८ मई, १९५७
५५	प्रधान ग्राम सभा, नगला-मौरा	,,	११ फरवरी, १९५७
५६	श्री कन्हैयालाल गुप्त, एम० एल० सी०, क्षय निवारण अस्पताल, वृन्दावन	,,	२८ मई, १९५७
५७	प्रधान ग्राम सभा, बेरा	४ अक्तूबर, १९५६	११ फरवरी, १९५७
५८	प्रधान ग्राम सभा, चिन्तागढ़ी	४ अक्तूबर, १९५६	१५ फरवरी, १९५७

क्रम-संख्या	अंशदान जमा करने वाले व्यक्ति का नाम	अंशदान जमा करने की तिथि	रेडियो सेटों के लिये जाने की तिथि
१	२	३	४
५९	प्रधानाचार्य, किशोरीरमन बालिका विद्यालय	३१ अक्तूबर, १९५६	रेडियो लेने नहीं आये
६०	प्रधान ग्राम सभा, समपुर	,,	२५ अप्रैल, १९५७
६१	प्रधान ग्राम सभा, बसोती	,,	११ फरवरी, १९५७
६२	प्रधान ग्राम सभा, आसा गांव	,,	रेडियो लेने नहीं आये
६३	प्रधान ग्राम सभा, जुनसुरी	,,	१२ फरवरी, १९५७
६४	प्रधान ग्राम सभा, भरतिया	,,	,,
६५	प्रधान ग्राम सभा, सिंहोरा	,,	,,
६६	प्रधान ग्राम सभा, दौलतपुर	,,	रेडियो लेने नहीं आये
६७	प्रधान ग्राम सभा, सरौठ	,,	१२ फरवरी, १९५७
६८	प्रधान ग्राम सभा, लसीग्	,,	,,
६९	प्रधान ग्राम सभा, धानौटी	,,	१५ अप्रैल, १९५७
७०	प्रधान ग्राम सभा, सलेम-पुर	,,	१२ फरवरी, १९५७
७१	प्रधान ग्राम सभा, मडौरा	,,	,,
७२	प्रधान ग्राम सभा, तनरौली	,,	,,
७३	प्रधान ग्राम सभा, मस्मना		१५ फरवरी, १९५७
७४	प्रधान ग्राम सभा, खानपुर	,,	१६ अप्रैल, १९५८७

क्रम-संख्या	अंशदान जमा करने वाले व्यक्ति का नाम	अंशदान जमा करने की तिथि	रेडियो सेटों के लिये जाने की तिथि
१	२	३	४
७५	प्रधान ग्राम सभा, सांखी	३१ अक्तूबर १९५६	१५ अप्रैल, १९५७
७६	प्रधान ग्राम सभा, चौबारा	,,	१३ फरवरी, १९५७
७७	प्रधान ग्राम सभा, बुड़ाइच	,,	,,
७८	प्रधान ग्राम सभा, नांगरू	,,	१५ अप्रैल, १९५७
७९	प्रधान ग्राम सभा, सोडा	,,	१५ फरवरी, १९५७
८०	प्रधान ग्राम सभा, लोधई	,,	१३ फरवरी, १९५७
८१	प्रधान ग्राम सभा, गुलहरा	,,	,,
८२	प्रधान ग्राम सभा, कुकर-गांव	,,	१५ अप्रैल, १९५७
८३	प्रधान ग्राम सभा, मदार	,,	१३ फरवरी, १९५७
८४	प्रधान ग्राम सभा, महरानी	,,	,,
८५	प्रधान ग्राम सभा, जानूं	,,	१५ फरवरी, १९५७
८६	प्रधान ग्राम सभा, सीयाफही	,,	१३ फरवरी, १९५७
८७	प्रधान ग्राम सभा, लोरिया-पट्टी	,,	,,
८८	प्रधान ग्राम सभा, मुड़ीसरस	,,	,,
८९	प्रधान ग्राम सभा, उमराया	,,	रेडियो लेने नहीं आये
९०	प्रधान ग्राम सभा, मकनपुर	,,	१३ फरवरी, १९५७
९१	प्रधान ग्राम सभा, शाह-जादपुर		१५ अप्रैल, १९५७

क्रम संख्या	अंशदान जमा करने वाले व्यक्ति का नाम	अंशदान जमा करने की तिथि	रेडियो सेटों के लिये जाने की तिथि
१	२	३	४
९२	प्रधान ग्राम सभा, जतीपुरा	३१ अक्तूबर, १९५६	१५ फरवरी, १९५७
९३	प्रधान ग्राम सभा, सोन	"	"
९४	प्रधान ग्राम सभा, महमद-पुर	"	रेडियो लेने नहीं आये
९५	प्रधान ग्राम सभा, भटनार-कलां	"	१५ फरवरी, १९५७
९६	प्रधान ग्राम सभा, सुर्रका	"	रेडियो लेने नहीं आये
९७	प्रधान ग्राम सभा, नरहौली उचगदार	"	१२ फरवरी, १९५७
९८	प्रधान ग्राम सभा, आरती	"	१५ फरवरी, १९५७
९९	प्रधान ग्राम सभा, बधैना	"	रेडियो लेने नहीं आये
१००	प्रधान प्राथमिक पाठशाला, सोन	"	१५ अप्रैल, १९५७
१०१	मंत्री, युवक कांग्रेस कमेटी, दलौत	"	११ फरवरी, १९५७
१०२	प्रधान ग्राम सभा, रंगवारी	९ नवम्बर, १९५६	१५ फरवरी, १९५७
१०३	प्रधान ग्राम सभा, सुलतान पट्टी	३० नवम्बर, १९५६	"
१०४	प्रधान ग्राम सभा, बैठनकला	१७ दिसम्बर, १९५६	"
१०५	प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, बरसाना	"	१६ फरवरी, १९५७

APPENDIX "C"

(See answer to question no. 75 A and B on page 249)

List of persons who had deposited unrefundable contribution in Mathura District for obtaining a radio set under the Community Listening Scheme during the year 1956.

Serial no.	Name of the person who had deposited the contribution	Date on which the contribution was desposited	Date on which the radio set was given
1	2	3	4
1	Secretary, Nauyuwak Mandal, Poorah	4-1-'56	23-2-'56
2	Pradhan, Gram Sabha, Baithan Khurd	15-2-'56	25-9-'56
3	Pradhan, Gram Sabha, Kheta Beta	15-2-'56	25-9-'56
4	Principal, Gandhi Intermediate College, Chhata	28-2-'56	25-9-'56
5	Pradhan, Gram Sabha, Badwal	9-3- 56	12-3-'56
6	Pradhan, Primary School, Baithan Kalan	16-3-'56	25-9-'56
7	Pradhan, Gram Sabha, Musmina	17-3-'56	6-10-'56
8	Pradhan, Gram Sabha, Adampur	24-3-'56	25-9-'56
9	Pradhan, Gram Sabha, Gatholi	24-3-'56	27-9-'56
10	Pradhan, Gram Sabha, Rausoojlalpur	24-3-'56	25-9-'56
11	President, Chauna Library, Chauna	28-4-'56	25-9-'56
12	Pradhan, Gram Sabha, Ajhee	28-4-'56	15-4-'57
13	Pradhan, Gram Sabha, Gidhoh	28-4-'56	8-2-'57
14	Pradhan, Gram Sabha, Hathana	13-5-'56	13-4-'57
15	Pradhan, Gram Sbbha, Ubri	5-6-'56	8-2-'57
16	Pradhan, Arya Samaj, Kosi Kalan	25-6-'56	8-2-'57
17	Pradhan, Co-operative Society, Baroosa	25-6-'56	8-2-'57
18	Principal, Vrindaban Vidyapith	4-7-'56	8-2-'57
19	Secretary, Women Dispensary, Vrindaban ..	4-7-'56	8-2-'57
20	Principal, Champa Agarwal Intermediate College ..	27-7-'56	8-2-'57
21	Sri Raghunath Singh, Pradhan, Co-operative Society ..	27-7-'56	8-2-'57
22	Sri Raghunath Prasad, Pradhan, Co-operative Society ..	27-7-'56	8-2-'57
23	Pradhan, Co-operative Society, Ading	27-7-'56	11-2-'57
24	Secretary, Nauyuwak Dal, Madhuri Kund ..	27-7-'56	13-4-'57

Serial no.	Name of the person who had deposited the contribution	Date on which the contribution was deposited	Date on which the radio set was given
1	2	3	4
25	Pradhan, Gram Sabha, Sankeet	27-7-'56	13-4-'57
26	Pradhan, Gram Sabha, Loharwadi	27-7-'56	13-4-'57
27	Pradhan, Gram Sabha, Badangarh	27-7-'56	Has not taken delivery of the set.
28	Pradhan, Gram Sabha, Devsiras	27-7-'56	13-4-'57
29	Pradhan, Gram Sabha, Krishnapur	3-8-'56	9-5-'57
30	Pradhan, Gram Sabha, Pilkhu	3-8-'56	13-4-'57
31	Pradhan, Nauyuwak Pustakalaya, Shergarh	7-8-'56	9-2-'57
32	Pradhan, Gram Sabha, Sihama	7-8-'56	9-2-'57
33	Pradhan, Gram Sabha, Nahora	7-8-'56	15-4-'57
34	Principal, Higher Secondary School, Soonkh	7-8-'56	9-2-'57
35	Principal, Secondary School, Raya	7-8-'56	8-2-'57
36	Pradhan, Gram Sabha, Koilalipur	24-8-'56	8-2-'57
37	Pradhan, Gram Sabha, Prakham	27-8-'56	11-2-'57
38	Pradhan, Gram Sabha, Barali	29-8-'56	9-2-'57
39	Pradhan, Gram Sabha, Palson	29-8-'56	9-2-'57
40	Pradhan, Gram Sabha, Seyee	29-8-'56	9-2-'57
41	Pradhan, Gram Sabha, Neemgaon	29-8-'56	13-4-'57
42	Pradhan, Gram Sabha, Malhu	29-8-'56	15-4-'57
43	Pradhan, Gram Sabha, Pain	29-8-'56	12-2-'57
44	Pradhan, Gram Sabha, Bachgaon	29-8-'56	13-4-'57
45	Pradhan, Gram Sabha, Anur	29-8-'56	13-4-'57
46	Pradhan, Gram Sabha, Khaira	29-8-'56	15-4-'57
47	Pradhan, Gram Sabha, Rasoolpur	29-8-'56	11-2-'57
48	Pradhan, Gram Sabha, Tons	29-8-'56	Has not taken delivery of the set.
49	Pradhan, Gram Sabha, Maghpur	29-8-'56	11-2-'57

Serial no.	Name of the person who had deposited the contribution	Date on which the contribution was deposited	Date on which the radio set was given
1	2	3	4
50	Pradhan, Gram Sabha, Daulatpur	29-8-'56	11-12-'57
51	Pradhan, Gram Sabha, Farah	29-8-'56	11-2-'57
52	Pradhan, Gram Sabha, Gadyaloni	29-8-'56	11-2-'57
53	Pradhan, Gram Sabha, Dhanasiras	29-8-'56	Has not taken delivery of the set.
54	Pradhan, Gram Sabha, Naglamaura	15-9-'56	11-2-'57
55	Sri Kanhaiya Lal Gupta, M.L.C., Secretary, Sewa Samiti	15-9-'56	28-5-'57
56	Sri Kanhaiya Lal Gupta, M.L.C., T. B., Hospital, Brindaban.	15-9-'56	28-5-'57
57	Pradhan, Gram Sabha, Bara	4-10-'56	11-2-'57
58	Pradhan, Gram Sabha, Chintagarhi	4-10-'56	15-2-'57
59	Principal, Kishori Raman Balika Vidyalaya ..	31-10-'56	Has not taken delivery of the set.
60	Pradhan, Gram Sabha, Sampur	31-10-'56	25-4-'57
61	Pradhan, Gram Sabha, Basoti	31-10-'56	11-2-'57
62	Pradhan, Gram Sabha, Asagoan	31-10-'56	Has not yet taken delivery of the set.
63	Pradhan, Gram Sabha, Junsuri	31-10-'56	12-2-'57
64	Pradhan, Gram Sabha, Bhartia	31-10-'56	12-2-'57
65	Pradhan, Gram Sabha, Sinhora ..	31-10-'56	12-2-'57
66	Pradhan, Gram Sabha, Daulatpur	31-10-'56	Has not yet taken delivery of the set.
67	Pradhan, Gram Sabha, Saronth	31-10-'56	12-2-'57
68	Pradhan, Gram Sabha, Laseeg	31-10-'56	12-2-'57
69	Pradhan, Gram Sabha, Dhanoti	31-10-'56	15-4-'57
70	Pradhan, Gram Sabha, Saleempur	31-10-'56	12-2-'57

Serial no.	Name of the person who had deposited the contribution	Date on which the contribution was deposited	Date on which the radio set was given
1	2	3	4
71	Pradhan, Gram Sabha, Madora	31-10-'56	12-2-'57
72	Pradhan, Gram Sabha, Tanraula	31-10-'56	12-2-'57
73	Pradhan, Gram Sabha, Masmana	31-10-'56	15-2-'57
74	Pradhan,Gram Sabha, Khanpur	31-10-'56	16-4-'57
75	Pradhan, Gram Sabha, Sankhi	31-10-'56	15-4-'57
76	Pradhan, Gram Sabha, Chobra	31-10-'56	13-2-'57
77	Pradhan, Gram Sabha, Buraich	31-10-'56	13-2-'57
78	Pradhan, Gram Sabha, Mangro	31-10-'56	15-4-'57
79	Pradhan, Gram Sabha, Lodhye	31-10-'56	13-2-'57
80	Pradhan, Gram Sabha, Soda	31-10-'56	15-2-'57
81	Pradhan, Gram Sabha, Gulhara	31-10-'56	13-2-'57
82	Pradhan, Gram Sabha, Kukargaon ..	31 10-'56	15-4-'57
83	Pradhan, Gram Sabha, Bhadar	31-10-'56	13-2-'57
84	Pradhan, Gram Sabha, Mahraji	31-10-'56	13-2-'57
85	Pradhan, Gram Sabha, Janoo	31-10-'56	15-2-'57
86	Pradhan, Gram Sabha, Siyaphai	31-10-'56	13-2-'57
87	Pradhan, Gram Sabha, Loriyapatti	31-10-'56	13-2-'57
88	Pradhan, Gram Sabha, Mudisiras	31-10-'56	13-2-'57
89	Pradhan, Gram Sabha, Umraya	31-10-'56	Hast not taken delivery of the set.
90	Pradhan, Gram Sabha, Makanpur	31-10-'56	13-2-'57
91	Pradhan, Gram Sabha, Sahzadpur ..	31-10-'56	15-4-'57
92	Pradhan, Gram Sabha, Zatipura ..	31-10-'56	15-2-'57
93	Pradhan, Gram Sabha, Sone	31-10-'56	15-2-'57
94	Pradhan, Gram Sabha, Mahmadpur ..	31-10-'56	Has not taken delivery of the set.
95	Pradhan, Gram Sabha, Bharnakalan	31-10-'56	15-2-'57

Serial No.	Name of the person who had deposited the contribution	Date on which the contribution was deposited	Date on which the radio set was given
1	2	3	4
96	Pradhan, Gram Sabha, Surrakka	31-10-'56	Hast not taken delivery of the set.
97	Pradhan, Gram Sabha, Narhauli Uchgadar ..	31-10-'56	12-2-'57
98	Pradhan, Gram Sabha, Arti	31-10-'56	12-2-'57
99	Pradhan, Gram Sabha, Baghena	31-10-'56	Has not taken delivery of the set.
100	Pradhan, Primary School, Sone	31-10-'56	15-4-'57
101	Secretary, Yuwak Congress Committee, Dalaot ..	31-10-'56	11-2-'57
102	Pradhan, Gram Sabha, Rangwari	9-11-'56	15-2-'57
103	Pradhan, Gram Sabha, Sultanpatti	30-11-'56	15-2-'57
104	Pradhan, Gram Sabha, Baithan-Kalan . ..	17-12-'56	15-2-'57
105	Headmaster, Junior High School, Barsana ..	17-12-'56	16-2-'57

आ० पी० यू० पी०—१२६ एल० सी०—१९५८—८५० (प्रो०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

७ श्रावण, शक संवत् १८७९ (२९ जुलाई, सन् १९५७ ई०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक कौंसिल हाल विधान भवन लखनऊ में दिन के ११ बजे श्री चैयरमैन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (५३)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमा नाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टण्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पीताम्बर दास, श्री
पुष्कर नाथ भट्ट, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बेगम ए० जे० शेरवानी, श्रीमती
मदन मोहन लाल, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम गुलाम, श्री
राम नारायण पांडेय, श्री
राम लखन, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विजय आफ विजयानगरम्, महाराजकुमार, डाक्टर
वीर भान भाटिया, डाक्टर
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
श्याम बिहारी विरागी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार इन्द्र सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मन्त्री व उपमन्त्री, जो कि विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे :

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत् व उद्योग मन्त्री)।

श्री चरण सिंह (माल मन्त्री)।

श्री जगमोहन सिंह नेगी (नियोजन उपमन्त्री)।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

राज्य सचिवालय के पुनर्गठन की योजना

*१—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या यह ठीक है कि राज्य सचिवालय के पुनर्गठन की कोई योजना हाल ही में बनाई गई थी ?

(ख) यदि हां, तो कब और योजना किसने बनाई थी ?

*1. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*Teachers, Constituency*)—(*a*) Is it a fact that some scheme was recently prepared to reorganize the State Secretariat ?

(*b*) If so, when, and who had prepared the scheme ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी (नियोजन उपमंत्री)—(क) जी हां।

(ख) यह योजना रिआर्गेनाइजेशन कमिश्नर ने कुछ महीने पहले बनाई।

Sri Jagamohan Singh Negi—(Deputy Minister for Planning)—(*a*) Yes.

(*b*) The Commissioner for Reorganization prepared the scheme some months ago.

*२—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) क्या सरकार योजना की मुख्य रूपरेखा का एक संक्षिप्त विवरण देगी ?

(ख) उपर्युक्त योजना के कार्यान्वित होने की कब तक सम्भावना है ?

*2. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Will the Government give an idea of the main features of the scheme ?

(*b*) When is the above scheme likely to be implemented ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—(क) इस योजना का उद्देश्य मामलों का जल्दी निपटारा करना और कार्यक्षमता (efficiency) को बढ़ाना है। इस उद्देश्य को पूरा करने का विचार, इस प्रकार है कि, जहां तक संभव हो, उन टिप्पणियों (notes) को ज्यादातर खत्म कर दिया जावे जो Heads of Departments और आखिरी हुक्म (final orders) देने वाले अधिकारियों के बीच लिखे जाते हैं। इस योजना के अनुसार सेक्रेटेरियट के स्टाफ में से कुछ लोगों को Heads of Departments के दफ्तरों में भेजा जा सकता है पर किसी को नौकरी से हटाया नहीं जावेगा।

(ख) अगर सरकार ने योजना मंजूर कर ली, तो ब्यौरा (details) तय करने में कुछ महीने लग जायेंगे।

Sri Jagamohan Singh Negi—(*a*) The scheme aims at expediting the disposal of cases and increasing efficiency. The objective is sought to be achieved by eliminating, as far as possible, a large part of the noting that intervenes between the Head of Department, and the authority which passes final orders, some of the staff on the Secretariat may have to be transferred to the Offices of Heads of Department. The scheme will not result in retrenchment.

(*b*) If the scheme is approved by Government, it will take some months to settle the details.

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यहां पर "आखिरी हुक्म" देने से तात्पर्य मिनिस्टर से है या किसी सेक्रेटरी से है। दूसरी बात यह है कि क्या अर्जियां सीधे उन्हीं के पास आ जायेंगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--उनके अनेक स्तर हैं। जो सेक्रेटरी के अधिकार में होगा वह सेक्रेटरी करेगा और जो मिनिस्टर के ही अधिकार में होगा वह मिनिस्टर करेगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स के पास कागजात नहीं जायेंगे और वे फाइनल अथारिटी के ही पास आयेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी नहीं, कागजात पूर्ववत् सभी के पास जायेंगे।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--इसमें जो लिखा हुआ है कि नोट्स को ज्यादातर खत्म कर दिया जायेगा उसका क्या तात्पर्य है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--पहले यह होता था कि हेड आफ दि डिपार्टमेंट के यहां अलग फाइल होती थी और उसमें वहीं पर नोटिंग होता था और जब वह केस सेक्रेटेरियट में आता था तो यहां पर अलग फाइल खोली जाती थी, जिसमें अलग से नोटिंग होता था लेकिन अब नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही फाइल होगी।

श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या इस योजना से खर्च में बचत होने की सम्भावना है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--बचत का प्रश्न तो देखा नहीं गया, लेकिन एफिशियेन्सी जरूर होगी, ऐसा अनुमान किया जाता है।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलायेंगे कि इसके अनुसार कुछ सेक्रेटरीज हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स में ट्रान्सफर किये जायेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस के लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत कोई ऐसा सुझाव है जिसके अनुसार कागजात का डिसपोजल हेड आफ दि डिपार्टमेंट और फाइनल अथारिटीज में किसी कान्फ्रेंस की शकल में होगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--आप का प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या इस योजना के अन्तर्गत कोई ऐसा सुझाव है कि कागजात का डिसपोजल फाइनल अथारिटी और हेड आफ दि डिपार्टमेंट में किसी कान्फ्रेंस की शकल में मिल कर करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--नहीं, अभी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है।

*३--७--श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--स्थगित।

*८--९--श्री राम नन्दन सिंह--अनुपस्थित (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) स्थगित।

राज्य सचिवालय में सचिवों की संख्या

१०--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी सेक्रेटेरियट में ३०-४-५७ को कितने सेक्रेटरी थे ?

(ख) क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इनमें से प्रत्येक सेक्रेटरी को वेतन मय डी० ए० तथा समस्त प्रकार के भत्तों सहित क्या मासिक मिलता है ?

(ग) क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि १ अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक प्रत्येक सेक्रेटरी पर कुल व्यय कितना हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--(क) मुख्य सचिव तथा मुख्य मंत्री के निजी सचिव को मिलाकर कुल सोलह सचिव थे।

(ख) वांछित सूचना संलग्न सूची* संख्या १ में दी हुई है।

(ग) इस अरसे में सचिवालय के विभिन्न विभागों में भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए सचिव के पद पर २० अधिकारी नियुक्त किये गये, जिनमें से प्रत्येक पर किया गया कुल सालाना खर्चा संलग्न सूची† संख्या २ में दिया हुआ है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संलग्न सूची १ जो है उसमें पेट्रोल, चपरासी और निवास-स्थान का खर्चा भी शामिल है या नहीं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो आप ने तीन हिस्सों में बाट दिया है, लेकिन इस सूची में तो वेतन, विशेष वेतन और उसका ही योग है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--जो प्रश्न है उस में लिखा है कि सब प्रकार के खर्चे कितने होते हैं, लेकिन जवाब उससे नहीं मिलता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--चूंकि दूसरी सूची में उसका खुलासा हो जाता है इसलिये आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई कि यहां पर भी उसे दोहराया जाय।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो दूसरी सूची है उस में पेट्रोल, चपरासी और निवास स्थान का खर्चा भी शामिल है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यात्रिक भत्ता, पेट्रोल के खर्चे में आ जाता है और जहां तक निवास स्थान का सवाल है तो सभी आफिसर्स को अपने वेतन का १० प्रतिशत किराये के रूप में देना पड़ता है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--चपरासी वगैरह और माली वगैरह का खर्चा कहां से आता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसके लिये तो अलग तनख्वाह का सवाल है यह तो अलग से नौकर हैं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो इसमें ३०० रुपये विशेष वेतन लिखा हुआ है, यह क्या चीज है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह उनको सेक्रेटेरियट एलाउन्स मिलता है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे विशेष एलाउन्स क्या चीज है, यह किस-किस काम के लिये मिलता है और क्या यह हरएक को मिलता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो सेक्रेटेरियट के अन्दर जितने सेक्रेटरीज का वर्क करते हैं, उनको स्पेशल काम के लिये दिया जाता है और करीब-करीब सभी को मिलता है।

श्री पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें गोविन्द नारायण और बी० डी० सनवाल को क्यों नहीं दिया गया है?

श्री चेयरमैन--इस प्रकार के व्यक्तिगत प्रश्न यहां पर नहीं पूछे जा सकते हैं।

---

*सूची के लिये देखिये नत्थी "क" पृष्ठ ३७८ पर।

†सूची के लिये देखिये नत्थी "ख" पृष्ठ ३७९ पर।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो कनवेएन्स भत्ता एक आफिसर को दिया जाता है क्या उसका कोई कारण है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो बाहर जाकर दौरा करते हैं और उनको किसी कार्य विशेष के लिये जाना पड़ता है इसलिये यह उनको यात्रिक भत्ता मिलता है।

*११--**श्री पन्ना लाल गुप्त**--[स्थगित]।

जिला फतेहपुर में भूमिदान सम्मेलनों में लेखपाल व कानूनगो को बुलाये जाने के सम्बन्ध में सरकारी आदेश

*१२--**श्री पन्ना लाल गुप्त**--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में भूमिदान सम्मेलनों में लेखपाल व कानूनगो किस कानून या सरकारी आदेश के अन्तर्गत बुलाये जाते हैं ?

श्री परमात्मा नन्द सिंह (माल उप-मंत्री)--सरकारी आदेश संख्या ५४४९/१-अ--१६१२-१९५३, दिनांक ८ अगस्त, १९५३ के खंड ६ के अनुसार लेखपाल तथा कानूनगो भूमिदान सम्मेलन में उपस्थित होते हैं।

*१३--**पन्ना लाल गुप्त**--क्या सरकार उसकी एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री परमात्मा नन्द सिंह--उपरोक्त आदेश के खंड ६ की एक प्रति* प्रस्तुत की जाती है।

*१४--**श्री पन्ना लाल गुप्त**--(क) क्या उन लेखपालों के आने जाने का कोई टी० ए० सरकार देती है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री परमात्मा नन्द सिंह--(क) लेखपालों को ४ रुपया का निर्धारित मासिक भत्ता दिया जाता है। यदि लेखपाल को २ दिन से अधिक सरकारी काम पर हल्के के बाहर रहना पड़ता है, तो १२ आना प्रति दिन के हिसाब से दिया जाता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

भूमिदान द्वारा पायी गई जमीन का कब्जा न मिलने के कारण उन लोगों के इस्तीफा का न लिया जाना

*१५--**श्री पन्ना लाल गुप्त**--(क) क्या यह सत्य है कि जो भूमिदान द्वारा जमीन लोग पाये हैं और जिनको कब्जा नहीं मिला उनका इस्तीफा तहसीलदार वगैरह नहीं लेते हैं ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई नियम बनाये हैं ?

(ग) यदि हां, तो उन नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों का इस्तीफा किस अधिकारी को दिया जाता है ?

श्री परमात्मा नन्द सिंह--(क) जी नहीं।

(ख) इस्तीफे का कानून धारा १८३ से १८५, जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम तथा धारा ८२ से ८४ यू० पी० टिनेन्सी ऐक्ट में दिया हुआ है।

(ग) इस्तीफा तहसीलदार एवं भूमि प्रबन्धक समिति/क्षेत्रपति को दिया जाता है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार को ज्ञात है कि जो इस्तीफा तहसीलदार एवं भूमि प्रबन्धक समिति क्षेत्रपति को दिया जाता है, उसको आम तौर से स्वीकार नहीं किया जाता ?

श्री परमात्मा नन्द सिंह--ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आयी।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार, अगर ऐसी कोई शिकायत आये तो उस पर अपने आदेश दे देगी ?

श्री चेयरमैन--यहां पर कल्पनात्मक (hypothetical) प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।

जिला फतेहपुर की बिन्दकी तहसील की नई इमारत

*१६--श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में बिन्दकी तहसील की नई इमारत जो बन रही थी वह कब तक पूरी तरह से तैयार हो जायेगी ?

श्री परमात्मा नन्द सिंह--बिंदकी तहसील के नव निर्माणित भवन में खजाने का करेन्सी चेस्ट और रेकार्ड रूम में लोहे के रेक्स लगना अभी बाकी है। इस कार्य के पूरे होने की तिथि अभी निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है।

*१७--श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार बतायेगी कि बिन्दकी की नई इमारत में तहसील कार्यालय को कब से ले जाने का सरकार का विचार है ?

श्री परमात्मा नन्द सिंह--अभी कोई तिथि निश्चित करना संभव नहीं है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह कितना बड़ा काम है, जो इसमें निश्चित करना संभव नहीं है ?

श्री चेयरमैन--यह तो कोई प्रश्न नहीं है बल्कि एक तर्क है।

उन जिलों की संख्या जहां पर अतिरिक्त जिलाधीश नियुक्त हैं

*१८--श्री हृदय नारायण सिंह--(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितने जिलों में इस समय (१-४-५७) Additional Dirtrict Magistrates नियुक्त हैं ?

(ख) Additional District Magistrates किन अवस्थाओं या परिस्थितियों में नियुक्त होते हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--(क) ३९ जिलों में।

(ख) एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कार्य को शीघ्र निपटाने के अभिप्राय से तथा जिलाधीश की अतिरिक्त जिम्मेदारियों के निबाहने में सहायता देने के लिये की जाती है।

श्री हृदय नारायण सिंह--एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को क्या कोई खास भत्ता दिया जाता है और क्या वह कोई स्पेशल ग्रेड का रखा जाता है या साधारण ग्रेड का रखा जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में सरकार जिले की आबादी और उसके क्षेत्रफल का ध्यान रखती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकतायें होती हैं, उसी के हिसाब से वे रखे जाते हैं। जिले की आबादी या वहां के क्षेत्रफल का ख्याल नहीं किया जाता है बल्कि यह ख्याल किया जाता है कि कहां पर कितना काम है और उस काम को देखकर ही नियुक्ति की जाती है।

श्री मदन मोहन लाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किसी-किसी जिले में दो ए० डी० एम० हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मुमकिन है कि कहीं-कहीं पर दो हों, एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और दूसरा ए० डी० एम० (प्लानिंग) हों।

वर्तमान श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश की इस पद पर नियुक्ति की अवधि

*१९--श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर के वर्तमान श्रमायुक्त कितने वर्षों से अपने वर्तमान पद पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--वर्तमान श्रमायुक्त कानपुर इस पद पर ६ १/२ वर्षों से कार्य कर रहे हैं।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि क्या कारण है कि वे इतने रोज से हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--वह कार्य अच्छा चला रहे हैं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि हमारे प्रदेश में और व्यक्ति अच्छे कार्य संचालन के लिये नहीं मिल सकते हैं ?

श्री चेयरमैन--इस प्रकार के राय मांगने वाले सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं।

*२०--श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या यह ठीक है कि उपर्युक्त विभागीय अध्यक्ष के पद पर किसी एक अधिकारी को ३ वर्ष से अधिक समय तक न रखने का नियम है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी नहीं।

*२१--श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार का निकट भविष्य में किसी अन्य अधिकारी को श्रमायुक्त बनाने का विचार है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--ऐसा कोई विचार नहीं है।

कलेक्शन स्टाफ में काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिये नियम

†२२--श्री राम नन्दन सिंह (अनुपस्थित)--क्या माल मन्त्री कृपया यह बतायेंगे के कलेक्शन स्टाफ में काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायित्व प्रदान करने के लिये उन्होंने कोई नियम बनाये हैं ?

श्री परमात्मा नन्द सिंह--अभी ऐसे कोई नियम नहीं बनाये गये हैं।

*२३--श्री राम नन्दन सिंह (अनुपस्थित)--यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसे नियम बनाने जा रही है ?

श्री परमात्मा नन्द सिंह--जब यह तय हो जायगा कि वसूली की मौजूदा योजना स्थायी कर दी जाय तब नियम बनाने पर विचार किया जायगा।

---

†प्रश्न संख्या २२ तथा २३ श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) द्वारा पूछे गये।

*२४--२५--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--स्थगित ।

*२६--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(वर्तमान सत्र के दूसरे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १८ के रूप में रखा गया।)

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के अवकाश प्राप्त करने की उम्र का बढ़ाया जाना

*२७--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या यह ठीक है कि सरकार उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के अवकाश प्राप्त (रिटायर) करने की उम्र को बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार अवकाश प्राप्त करने की क्या उम्र निर्धारित करने का विचार कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--(क) जी हां ।

(ख) ५८ वर्ष ।

*२८--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सरकार का उपर्युक्त निर्णय कब से लागू करने का विचार है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--१७ जून, १९५७ से ।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आमतौर पर जो तारीखें रखी जाती हैं वे पहली अप्रैल या जुलाई रखी जाती हैं। इस कार्य के लिये १७ जून क्यों रखा गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--केबिनेट का उस दिन फैसला हुआ और उसी दिन आर्डर जारी कर दिये गये ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह आर्डर सारे सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा या कोई विशेष वर्ग पर ही लागू होगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अभी तो यह समस्त कर्मचारियों पर लागू होगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या इस नियम के अन्तर्गत सरकार ने यह भी रखा है कि ५८ वर्ष के बाद एक्सटेन्शन देने की कोई संभावना नहीं रहेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस विषय पर कोई निर्णय नहीं है ।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि यह आदेश किसके जरिये से जिलों में भेजा गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जो प्रापर चैनल है, उसके जरिये से भेजा गया है। चीफ सेक्रेटरी के यहां से भेजा गया है ।

श्री राम गुलाम (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि ५५ से ५८ साल तक जो रिटायरमेंट एज बढ़ायी गयी है, उसमें आफिसरों की संख्या कितनी हो जायगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री श्याम बिहारी विरागी (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार ने ५५ वर्ष के बाद यह रखा है कि उन लोगों से फिजिकल सर्टिफिकेट लिया जायगा कि वे लोग फिजिकली फिट हैं या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस तरह के जो फिजिकल सर्टिफिकेट के बारे में आपने कहा है वह तो हर एज में लिया जाता है। ५० वर्ष के बाद भी लेना चाहिये, २५ वर्ष में भी लिया जा सकता है। एक व्यक्ति जब तक सरकारी नौकरी करे उसको फिजिकली फिट होना चाहिये।

श्री श्याम बिहारी विरागी--इसके बारे में जनरल नियम क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--वही नियम हैं जो पुराने हैं।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सरकारी आदेश चीफ सेक्रेटरी द्वारा भेजा गया है, वह जी० ओ० द्वारा भेजा गया है या वायरलेस के जरिये से भेजा गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी० ओ० जिस प्रकार से भेजा जाता है, वैसे ही भेजा गया है। वायरलेस के जरिये से भेजा गया या कागज के जरिये से भेजा गया, जैसी जरूरत हुई, भेज दिया गया।

श्री राम गुलाम--रिटायरमेंट की अवधि बढ़ाने की सरकार को क्यों आवश्यकता महसूस हुई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह बात तो बहुत दिनों से चल रही थी, अखबारों में भी इसकी चर्चा काफी दिनों से चल रही थी और यह बात काफी स्पष्ट भी हो चुकी थी कि प्लानिंग कमिश्नर ने इस बात के लिये कहा कि हमको टेक्निकल हैन्ड्स की काफी जरूरत रहती है, इसलिये यह मुनासिब है कि इन लोगों की सर्विस से फायदा उठाया जाय, इसी वजह से ऐसा किया गया है। यह बात तो काफी पुरानी हो चुकी है और करीब-करीब सभी लोगों को मालूम है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में भी रिटायरमेंट एज ५५ से ५८ तक सरकार का बढ़ाने का विचार है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बारे में अभी कुछ विचार नहीं किया गया है।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि गवर्नमेंट का इस सम्बन्ध में जो डिसीजन हुआ है, वह फाइनली तय हो गया है या अभी इस पर कुछ विचार होगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अभी तो फाइनली हुआ है, वैसे गवर्नमेंट जब भी चाहे अपने डिसीजन पर दुबारा विचार कर सकती है।

श्री राम गुलाम--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि देश के दूसरे प्रदेशों में रिटायरमेंट एज बढ़ायी गई है ? और वहां इस तरह से एज बढ़ाना उचित समझा गया ?

श्री चेयरमैन--यह तो तर्कात्मक प्रश्न है। यदि कोई सूचना आपको इस सम्बन्ध में चाहिये तो वह मन्त्री जी बतला देंगे, मगर इस बात का यहां पर साबित करना कि गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट एज (Retirement Age) बढ़ाकर गलती की है यह उचित नहीं है।

श्री राम गुलाम--मेरा प्रश्न यह है कि किसी दूसरे प्रदेश में भी यह चीज हुई है या नहीं।

श्री चेयरमैन--दूसरे प्रदेशों के सम्बन्ध में प्रश्न यहां पर नहीं किया जा सकता।

श्री एम० जे० मुकर्जी--(नाम निर्देशित)-- इस रिटायरमेंट एज को बढ़ाने से गवर्नमेंट को किसी तरह से एकानामी हुई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--हुई, तो कैसे कहा जा सकता है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि होगी।

श्री कुंवर गुरु नारायण--जो एज बढ़ाने का डिसीजन किया गया, तो क्या इसके लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट से भी पूछा गया था या इस प्रदेश की सरकार ने अपने आप ही ऐसा डिसीजन ले लिया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस मामले में सेन्ट्रल गवर्नमेंट से पूछना आवश्यक नहीं था।

श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या गवर्नमेंट इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को विधान मंडल के सामने लाना चाहती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अब विधान मंडल के सामने डिस्कशन के लिये क्यों रख जाय जबकि यह आलरेडी चालू हो चुका है।

श्री चेयरमैन--कोई भी सदस्य विधान मंडल के सामने प्रस्ताव द्वारा इस तरह का प्रश्न ला सकता है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि केबिनेट ने जो डिसीजन इस सम्बन्ध में लिया, उसको कान्स्टीट्यूशन के अनुकूल समझा।

श्री चेयरमैन--कैबिनेट ने कान्स्टीट्यूशनल काम ही किया होगा, वह अनकान्स्टीट्यूशनल काम क्यों करेगी। अब किसी कानून के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

श्री हृदय नारायण सिंह--माननीय मन्त्री जी ने प्रश्न संख्या २८ के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया है, तो उसके लिये मैं यह जानना चाहता हूं कि कैबिनेट ने कब इस तरह का डिसीजन लिया और कब यह लागू किया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--१५ या १६ जून को इस तरह का डिसीजन लिया और १७ जून से यह लागू किया गया।

प्रत्येक कमिश्नर के पास ३ मास ६ मास, एक साल तथा उससे अधिक समय की सरकारी कर्मचारियों की विचाराधीन अपीलों और रिप्रेजेन्टेशन की संख्या

*२९--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी कर्मचारियों की कितनी अपीलें और रिप्रेजेन्टेशन (Representation) प्रत्येक कमिश्नर के यहां pending में पड़े हुये हैं ?

(ख) उपरोक्त में से कितने निम्नलिखित समय के हैं :--

(१) एक वर्ष या उससे अधिक,

(२) ६ मास या उससे अधिक,

(३) ३ मास या उससे अधिक ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--(क) और (ख) सूचना मेज पर रखी गयी तालिका में दे दी गई है ?

*३०--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त अपीलों या (Representations) को निर्णय करने के लिये सरकार ने कितने समय की अवधि निर्धारित की है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--आम आदेश यह है कि जहां तक संभव हो अधीनस्थ अधिकारी जिनमें कमिश्नर भी शामिल हैं, अपीलों का दो माह की अवधि में निर्णय करें। रिप्रेजेन्टेशनों के निर्णय के लिये कोई अवधि नहीं है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना के आधार पर जहां पर एक साल से ज्यादा अपीलें पेंडिंग हैं वहां के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--उनको यह लिखा गया है कि वह जल्दी से समाप्त करें और कायदे के मुताबिक काम करें।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि क्या उनसे यह जवाब मांगा गया है कि उन्होंने इतने दिन तक फैसला क्यों नहीं किया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--पहले तो यह आशा नहीं थी कि इतने ज्यादा निकलेंगे। अभी तक एक आध कमिश्नर्स ने अपनी खुशी से उसका कारण लिखकर भेज दिया है। बाकी ने खाली स्टेटमेंट्स भेज दिये हैं। आगे पूछने के लिए समय नहीं था। इसलिए पूछा नहीं गया।

*३१-३३--**श्री बद्री प्रसाद कक्कड़** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--(स्थगित)--

*३४-३७--**श्री प्रेम चन्द्र शर्मा** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--(वर्तमान सत्र के दूसरे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ८--११ के रूप में रखे गये।)

दिनांक ३१ मार्च, १९५७ तक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत वितरित की गई मुआविजे की धनराशि

*३८--**श्री हृदय नारायण सिंह**--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कितना धन मुआविजे के रूप में अब तक (३१-३-५७) वितरित हो चुका है ?

श्री परमात्मा नन्द सिंह--उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९५७ तक भूतपूर्व मध्यवर्तियों को ४९,८०,४३,८९४ रुपया मुआविजे के रूप में वितरित हो चुका है।

*३९--**श्री हृदय नारायण सिंह**--(क) क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त अधिनियम के अधीन प्रदेश में पुनर्वासन अनुदान (Rehabilitation Grant) के अन्तर्गत कितना धन अब तक (३१-३-५७) दिया जा चुका है ?

(ख) यदि कुछ भी नहीं, तो इसकी व्यवस्था कब से की जायेगी ?

श्री परमात्मा नन्द सिंह--(क) ३१-३-५७ तक प्रदेश में पुनर्वासन अनुदान के अन्तर्गत कोई धनराशि नहीं दी गई है।

(ख) प्रदेश में पुनर्वासन अनुदान के प्रार्थना-पत्र लिये जाने तथा पुनर्वासन अनुदान की धनराशि निश्चित किये जाने और उसके भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था बहुत

*देखिये नत्थी "घ" पृष्ठ ३८२ पर।

पहिले से कर दी गई है। फलस्वरूप भूतपूर्व मध्यवर्तियों के प्रार्थना-पत्र दाखिल हो रहे हैं, और उन पर नियमानुसार पुनर्वासन अनुदान की धनराशि निश्चित किये जाने की कार्यवाही हो रही है। नकदी में देय पुनर्वासन अनुदान के भुगतान का कार्य भी आरम्भ हो गया है। बांडों में देय पुनर्वासन अनुदान के भुगतान का कार्य भी निकट भविष्य में बांड के फार्म प्रेस से आने पर आरम्भ हो जायेगा।

श्री हृदय नारायण सिंह--जो प्रार्थना-पत्र दाखिल हो रहे हैं यह क्या इन्वाइट किये गये हैं या स्वत: जो लोग चाहते हैं वह दे रहे हैं।

श्री चरण सिंह (माल मन्त्री)--जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के मातहत एक धारा है उसी के मातहत दिये जा रहे हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह--मैं यह स्पष्टीकरण चाहता था कि यह इन्वाइट किये जा रहे हैं या स्वत: लोग उस धारा के अन्तर्गत दे रहे हैं ?

श्री चरण सिंह--जिन को गरज है वह दे रहे हैं। इन्वाइट का क्या सवाल है। वह एन्टाइटिल हैं उसके लिये।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--इस प्रकार की ग्रान्ट्स के लिये जो एलिजबुल हैं, क्या उन की क्वालिफिकेशन भी उसमें दी हुई है ?

श्री चेयरमैन--यह सब अधिनियम में दी हुई है।

श्री हृदय नारायण सिंह--पुनर्वासन भुगतान की कार्यवाही आरम्भ हो गई है। मैं जानना चा हता हूं कि जो पेयेबुल अनुदान है उसकी कोई सीमा निश्चित है ?

श्री चरण सिंह--जी हां, ५० रुपये। अगर ५० रुपये से कम है, तो नकद दिया जायेगा।

श्री हृदय नारायण सिंह--माननीय मन्त्री जी ने अभी बतलाया है कि कार्य आरम्भ हो जायगा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने दिनों तक वह आशा करते हैं कि यह काम सम्पन्न हो जायगा।

श्री चरण सिंह--यह आशा की जाती है कि ३ महीने में यह कार्य सम्पन्न हो जायगा। क्योंकि नासिक से यह इत्तिला आई है कि तीन महीने में वे छापकर दे देंगे।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो शिक्षा संस्थायें हैं, रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट की इनटाइटिल्ड हैं ? क्या उनसे अप्लीकेशन्स इनवाइट की जाती हैं। ४९ रु० से यह स्पष्ट नहीं होता है। एक तो व्यक्तिगत लोग हैं अर्थात् इन मीजियरीज हैं और दूसरे चैरिटेबुल ट्रस्ट्स हैं, तो क्या रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट के लिये अप्लीकेशन्स इनवाइट की जाती हैं ?

श्री चरण सिंह--अप्लीकेशन इनवाइट करने का क्या मतलब है। जिसे जरूरत है वह तो अप्लीकेशन देगा ही। उन्होंने कानून के मुताबिक अप्लीकेशन दे ही रखी है। और उन्हें एक करोड़ दस लाख रुपया से ज्यादा एन्युटी के रूप में मिल चुका है और २२ लाख से ज्यादा इन्टरेस्ट मिल चुका है।

श्री हृदय नारायण सिंह--मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं और वह यह कि क्या शिक्षा संस्थाओं की रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट एन्युटी में मर्ज हो जायगी ?

श्री चरण सिंह--रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट को ही एन्युटी समझिये, क्योंकि वह उनको परपीचुअल मिलेगी।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या जो सूचना हमारे कालिज के पास आई है कि इतनी एन्युटी मिलेगी और इतना रिहैबिलिटेशन मिलेगा ... ?

श्री चेयरमैन--इस सूचना का आप बाद में मिनिस्टर साहब से स्पष्टीकरण करवा लीजियेगा।

*४०--**श्री हृदय नारायण सिंह**--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मिर्जापुर जिले के भूतपूर्व जमींदारों को पुनर्वासन अनुदान में कितना धन (३१-३-५७) तक दिया जा चुका है ?

श्री परमात्मा नन्द सिंह--जैसा कि प्रश्न ३९-क के उत्तर में कहा जा चुका है ३१-३-५७ तक कोई पुनर्वासन अनुदान मिर्जापुर जिले के भूतपूर्व जमींदारों को नहीं दिया गया है।

*४१--**श्री हृदय नारायण सिंह**--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश की किन किन संस्थाओं को कितना-कितना धन वार्षिक शुल्क (Annuity) के रूप में इस समय (३१-३-५७) दिया जा रहा है ?

श्री परमात्मा नन्द सिंह--जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत धार्मिक तथा दानोत्तर संस्थाओं को देय वार्षिक अन्तिम वृत्ति (annuity) अभी निश्चित नहीं हुई है। इसलिये इन संस्थाओं को इस समय अन्तरिम वार्षिक वृत्ति (interim annuity) दी जा रही है। ३१-३-५७ तक उपरोक्त संस्थाओं को १,१०,५७,९५९ रुपये अन्तरिम वार्षिक वृत्ति के रूप में दिया जा चुका है।

*४२--**श्री हृदय नारायण सिंह**--(क) क्या जो उपर्युक्त रकमें निश्चित हुई हैं वह केवल provisional हैं ?

(ख) यदि हां, तो पूरी रकमें कब से दी जाने लगेंगी।

श्री परमात्मा नन्द सिंह--(क) अभी अन्तिम वार्षिक वृत्ति (annuity) निश्चित नहीं हुई है, अतएव यह प्रश्न नहीं उठता। उपर्युक्त अन्तरिम वार्षिक वृत्ति provisional है जो संस्थाओं के आस्थानों (estates) की पक्की निकासी (net assets) के ७५ प्रतिशत् प्रति वर्ष की दर से दी जा रही है।

(ख) ज्यों हीं पुनर्वासन अनुदान अधिकारी किसी संस्था को देय वार्षिक वृत्ति का अवधारण संस्था द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र के फलस्वरूप नियमानुसार कर देंगे, उस संस्था को Annuity Roll दे दिया जावेगा जिस पर वह प्रतिवर्ष खजाने से वार्षिक वृत्ति की धनराशि ले लिया करेगा।

*४३--**श्री हृदय नारायण सिंह**--(क) क्या प्रश्न संख्या ४१ में उल्लिखित संस्थाओं के लिये पुनर्वासन अनुदान (Rehabilitation Grant) भी निश्चित किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अनुदान कब से दिया जायेगा ?

श्री परमात्मा नन्द सिंह--(क) जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अनुसार प्रश्न संख्या ४१ में उल्लिखित संस्थाओं को पुनर्वासन अनुदान वार्षिक वृत्ति के रूप में देय है, लेकिन यदि किसी संस्था के किसी आस्थान (estate) या उसकी आमदनी का कोई भाग उक्त अधिनियम के निदेशों के अनुसार धर्मोत्तर या दानोत्तर न होगा तो उसके सम्बन्ध में पुनर्वासन अनुदान दिया जायेगा। इस पुनर्वासन अनुदान का निश्चय संस्था को देय वार्षिक वृत्ति के अवधारण के साथ साथ होगा।

(ख) उपर्युक्त अनुदान उसके अवधारण के पश्चात् दिया जावेगा। यह अवधारण आरम्भ हो चुका है।

प्रश्न संख्या ४४-४७ तक श्री प्रभु नारायण सिंह द्वारा गये।

तहसील विकास समिति चकिया की ओर से तहसील चकिया के विकास कार्यों पर एक दृष्टि (१९५५-५६)" शीर्षक की पुस्तिका छपना

४४--श्री राम नन्दन सिंह (अनुपस्थित)--क्या नियोजन मन्त्री कृपया यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तहसील विकास समिति, चकिया की ओर से "तहसील चकिया के विकास कार्यों पर एक दृष्टि (१९५५-५६)" शीर्षक कोई पुस्तिका प्रकाशित हुई है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां।

*४५--श्री राम नन्दन सिंह (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या यह ठीक है कि उसमें "श्रमदान शीर्षक' एक लेख में ७,३०० रुपये के आंशिक अनुदान से लेवा इलिया रोड को २ मील ४२२ गज पक्की बनाने का जिक्र है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी नहीं, उस लेख में लेवा इलिया रोड का जिक्र नहीं है। उसमें केवल यह लिखा है कि "शहाबगंज क्षेत्र में इस वर्ष २ मील ४२२ गज पक्की सड़क का निर्माण हुआ, जिसके हेतु केवल ७,३०० रु० का आर्थिक अनुदान जिला नियोजन समिति से प्राप्त हुआ है।

वस्तुस्थिति इस प्रकार है। इस क्षेत्र में लेवा इलिया सड़क कई ग्राम सभाओं के बीच से गुजरने वाली सड़क है। इसके दो टुकड़ों के पक्के करने का काम प्रारम्भ हुआ जिसके खर्च का अनुमान ४०,००० रु० था। शासन से २०,००० रु० अनुदान मंजूर हुआ। उसमें से ७,४०० रु० दिया जा चुका है उसका विवरण इस प्रकार है।

मिट्टी श्रमदान द्वारा	..	६ लाख घनफीट
मिट्टी का मूल्य	...	८,००० रु०
मजदूरी दी गई	...	२,३६२ रु०
इकट्ठे किये गये कंकड़ का मूल्य	...	४,४६४ रु०
कुलाबे लगाये गये	..	संख्या ६० और मूल्य
	..	६३० रु०

श्री प्रभु नारायण सिंह--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ७३ सौ रुपया अनुदान में लिखा है वह अलग है और ७४ सौ रुपया शासन की ओर से अनुदान अलग है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--सरकार की ओर से २० हजार रुपया मिला है।

श्री प्रभु नारायण सिंह--इसमें ७४ सौ रुपया भी दिया गया है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मंजूर हुआ है, २० हजार और सिर्फ ७,३०० रुपया सरकार ने दिया है।

श्री प्रभु नारायण सिंह--७,३०० रुपया का अनुदान नियोजन की ओर से अलग लिखा हुआ है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस प्रश्न के ऊपर उत्तर से स्पष्ट कर लीजिये जैसा कि इसमें है कि ७,३०० रुपया जिला नियोजन समिति से प्राप्त हुआ है। तो अनुदान केवल ७३,००० रुपया का मिला है।

श्री प्रभु नारायण सिंह--इसमें जिक्र है कि शासन की ओर से ७,४०० पया दिया गया है और मिला है सिर्फ ७,३०० रुपया तो १०० रुपये के डिफरेन्स के बारे में सरकार का कोई एक्सप्लेनेशन है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसके लिये तो नोटिस चाहिये। ऐसा हो सकता है कि १०० रुपये प्लानिंग कमेटी ने अपनी तरफ से रख दिया होगा।

---

*प्रश्न संख्या ४४--४७ तक श्री प्रभु नारायण सिंह ने पूछे।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--बड़ोर ग्राम सभा के बीच से कुल १३/६ मील आंकी गई। सड़क निर्माण का ब्योरा इसमें अलग अलग नहीं है। अगर आप खास तौर से कहें तो मैं और सूचना मंगवा लूंगा जिससे आपको सफाई मिल जायेगी।

श्री प्रभु नारायण सिंह--अभी तक सड़क बनने का जो प्रश्न है मुझे बताया गया है कि वह सड़क अभी तक बनी नहीं है। क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जांच करा ली जायेगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी तक जो काम हो सकता था वह हुआ और पक्की सड़क बनाने का कार्य ग्राम सभा द्वारा हो नहीं सकता था उसको शासन पूरा करेगा।

श्री प्रभु नारायण सिंह--जो सड़क अभी तक बनी है, जिसका लेख में जिक्र है कि बनी है वह दरअसल बनी नहीं है, क्या इसकी जांच करा ली जायेगी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसकी जांच करा ली जायेगी।

*४६--**श्री राम नन्दन सिंह** (अनुपस्थित)--क्या यह भी ठीक है कि वास्तव में वह सड़क अब तक (२०-१२-५६) बिल्कुल नहीं बनी है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां, श्रमदान से जितना काम होना संभव था हो चुका। शेष काम विभागीय तरीके पर पूरा किया जायगा।

*४७--**श्री रामनन्दन सिंह** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि उसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध सरकार की ओर से अब तक कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--कोई दोषी नहीं है। किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

कुछ सरकारी कर्मचारियों का १५ अगस्त, १९४७ और १५ जुलाई, १९५६ के बीच में सरकारी रुपया लेकर पाकिस्तान भागना

१--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--(क) क्या यह ठीक है कि कुछ सरकारी कर्मचारी सरकार का रुपया लेकर १५ अगस्त, १९४७ और १५ जुलाई, १९५६ के बीच में पाकिस्तान भाग गये हैं?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त भागे हुये व्यक्तियों की एक जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री जग मोहन सिंह नेगी (क)--जी हां।

(ख) जिलेवार सूची† प्रस्तुत है।

दिनांक ८ जून सन् १९५७ ई० को उन्नाव में कुछ पुलिस के सिपाहियों द्वारा एक बारात पर किये गये हमले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव

श्री चेयरमैन--कुंवर गुरु नारायण जी ने एक एडजार्नमेन्ट मोशन की नोटिस दी है, जो इस प्रकार है --

"I beg to move that the business of the House be adjourned to discuss a matter of urgent public importance, viz. the situation created

† देखिये नत्थी "ङ" पृष्ठ ३८३ पर।

[श्री चेयरमैन]

by the police excesses in Unnao on June 8, 1957, when about 40 police constables, some of whom were drunk, attacked a peaceful marriage party at Unnao resulting in injuries to a number of persons belonging to the marriage party. Since no impartial enquiry into the matter has been set up and excitement and tension in the public still continues and as such the matter be discussed by this House."

The motion should have ordinarily been moved by me on the 19th July when the House first met, but since the short notice questions on the incident were sent by me to the Government and they were expected to be answered on July 26, I did not consider it proper to move it. Now, since the Home Minister has not agreed to answer those questions listed for July 26, at short notice, I had no other alternative but to press in for an adjournment motion on the incident in the House as any further delay in answering those question will not be in public interest.

इस एडजार्नमेंट मोशन को तो मैं स्वीकार नहीं करता। लेकिन सवाल ऐसा है जिसमें अगर कोई जवाब गवर्नमेंट दे सके तो मैं जरूर समझता हूं कि अच्छा होगा। यह घटना ८ जून, १९५७ को हुई थी। इसलिए काफी समय गवर्नमेंट को मिला है कि इसके बारे में जानकारी कर लेती और हाउस को इत्तिला दे देती। क्या यह संभव है कि गवर्नमेंट से इसका जवाब मिल जायेगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वह जो दिया गया होगा वह यह कि शार्ट नोटिस की तरह से जवाब नहीं दिया जा सकता होगा। यह हो सकता है कि इतने वक्त के अन्दर जिले से मालूमात मुहइया करना नामुमकिन होगा। लेकिन यह बात है कि क्वेश्चन को मामूली क्वेश्चन की तौर पर रख दिया जाय और इसी सिटिंग के अन्दर जवाब दे दिया जाय, यह मुमकिन हो सकता है।

श्री चेयरमैन--बात यह है कि २ अगस्त के बाद परिषद् की बैठक न होगी। इसलिये अगर गवर्नमेन्ट मंजूर कर ले कि इसी सिटिंग के खत्म होने से पहले प्रश्नों का जवाब मिल जायेगा तो उसका समय निर्धारित कर लिया जाय, कुंवर साहब को जवाब भी मिल जायेगा और सदन को इत्तिला भी मिल जायेगी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने इसी सिटिंग के मुताल्लिक अर्ज किया है। इस वक्त जवाब देना मुनासिब नहीं है। इस दौरान में मालूमात मिल जायेगी और हम जवाब दे देंगे। कल मैं होम मिनिस्टर साहब से अर्ज कर दूंगा कि वह तशरीफ ले आवें और वह बता देंगे।

श्री चेयरमैन--इस एडजार्नमेन्ट मोशन की तो अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन कोशिश की जायेगी कि इस सम्बन्ध में प्रश्नों के उत्तर मिल जायें।

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रांत भूमि) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्--श्रीमान् जी, मैं आप की आज्ञा से सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा २६ जुलाई, १९५७ को पारित किया गया, मेज पर रखता हूं।

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्--श्रीमान् जी, मैं आप की आज्ञा से सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा २६ जुलाई, १९५७ को पारित किया गया, मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ की धारा १७ (१) के अधीन प्रख्यापित राज्यपाल की आज्ञा

श्री परमात्मानन्द सिंह--मैं श्रम विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४०२५ (एस० टी०)/३६--ए-१३४ (एस० टी०)-५५, दिनांक १२ जुलाई, १९५७ द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उपधारा (१) के अधीन प्रख्यापित राज्यपाल की आज्ञा को मेज पर रखता हूं ।

वित्तीय वर्ष सन् १९५७-५८ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर आम बहस

श्री चेयरमैन--अब बजट पर बहस जारी रहेगी । बोलने वाले सदस्यों की जो सूची हमारे पास है वह काफी बड़ी है । इसलिये जरूरत है कि मेम्बर संक्षेप में अपना वक्तव्य दें ।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--अध्यक्ष महोदय, जिस खूबी के साथ फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने गवर्नमेंट की नीति का वर्णन अपने भाषण में किया है उसके लिये वे अवश्य धन्यवाद के पात्र हैं । इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी काबिलियत, उनका तजुर्बा और उनका एखलाक इस बात को गवारा नहीं करता कि वे कोई कठोर शब्द कहें । एक दूसरे स्थान पर फाइनेन्स मिनिस्टर ने दूसरे ही प्रकार का दृष्टिकोण रखा है । उन्होंने कहा है कि मैं अमुक टैक्स लगाता हूं, इसलिये कि आप लोगों का मकान टैक्स न देने के कारण बिक जाय । उन्होंने यह भी कहा कि अपनी आय के बारे में एफिडेविट देना पड़ेगा । यदि उसमें कोई गलत बात होगी तो कैद का दंड दिया जा सकेगा । हमारे माननीय मंत्री जी ने किसी ऐसे कठोर शब्द का प्रयोग अपने भाषण में नहीं किया है बल्कि बार-बार जनता से अपील की है कि मैं चाहता हूं कि यू० पी० की जनता सरकार की मदद करे । आप को याद होगा कि जब टैक्स लगा था तो माननीय मंत्री जी ने व्यापारियों को बुलाया था और समझौते की कोशिश की थी । मैं समझता हूं कि यह सब होते हुये भी माननीय मंत्री जी परिस्थितियों के कारण मजबूर हो जाते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी चाहता था कि आप को धन्यवाद करके बैठ जाता, परन्तु इस कौन्सिल के सदस्य होने की हैसियत से मुझे अपने कर्त्तव्य का पालन करना है । कौंसिलर्स का कर्त्तव्य है कि वह राजा को उचित सलाह दे । मानना और न मानना उसका काम है, इसीलिये मैं चन्द शब्द कहने के लिये खड़ा हुआ हूं । जो बजट हमारे सामने है उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं और बहुत अच्छी योजनायें हैं । उसमें गरीबों की मदद के लिये कई सुविधायें हैं जैसे फीस मुक्ति की व्यवस्था, वृद्धों की पेन्शन आदि । इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कम करने के लिये कहा गया है । लेबर वेलफेयर और सोशल वेलफेयर के लिये सुविधायें की गई हैं । परन्तु यदि आप न्यू आइटम्स आफ दी बजट को देखें तो मालूम होगा कि बहुत सा रुपया अफसरों की नियुक्ति में खर्च होगा । अधिकांश आइटम्स अफसरों के लिये हैं । जनता के लिये बहुत कम हैं । मैंने गिनने की कोशिश की कि कितने अफसर नियुक्त किये जायेंगे, लेकिन नहीं गिन सका, क्योंकि समय कम था । "इसमें ३ बातें दिखलाई दीं, एक तो क्रिएशन आफ न्यू पोस्ट्स, दूसरी अपग्रेडिंग आफ ओल्ड पोस्ट्स और तीसरी कन्वर्जन आफ पोस्ट्स । मेरी समझ में नहीं आया कि हमारी सरकार इतनी जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यों ले रही है । यदि इसी तरह नौकरियां बढ़ती गईं और रुपया खर्च होता गया तो आखिर किस तरह से काम चलेगा । अब आप बजट को लीजिये ।

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

पिछले साल ९ करोड़ का डैफिसिट था हालांकि डैफिसिट बजट चिंता की बात नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसमें बहुत भय की आवश्यकता हो। कल कुंवर साहब ने कहा कि स्टेट का ऋण बहुत बढ़ रहा है, कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन एकानामिक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाय। माननीय मंत्री जी बड़े दक्ष हैं। उनको फाइनेंशियल इस्टैबिलटी में विश्वास है, वे ऐसा नहीं होने देंगे। परन्तु जब श्री सूरज दीन वाजपेई जी का आर्टिकल पायोनियर में पढ़ा तो बड़ी आशंका पैदा हुई। उन्होंने कहा कि बड़ी डिस्परेट फाइनेंशियल पोजीशन है। उन्होंने बहुत से सुझाव दिये हैं। हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट उन पर ध्यान देगी। ९ करोड़ का डैफिसिट पिछले साल था अब ११ करोड़ के करीब है। इस डैफिसिट का कारण बताया जाता है प्लान। दूसरी पंच वर्षीय योजना हमारे सामने चल रही है। अगर बजट को देखें तो मालूम होता है कि दूसरी पंच वर्षीय योजना का पूरा प्रभाव बजट पर है। बिना प्लान का ख्याल किये हुए इसको कोई समझ नहीं सकता है। प्लान के बारे में यहां पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि प्रदेशों में प्लानिंग के सम्बन्ध में स्वतंत्रता होनी चाहिए थी। जो प्लानिंग कमीशन के सुझाव हैं उन पर काम किया जा रहा है। इन बातों को सोचे बिना कि हम कहां तक जा सकते हैं और हमारे पास क्या साधन हैं और हम कितना खर्च कर सकते हैं, एक मामूली आदमी भी जानता है कि बजट बैलेन्स होना चाहिए। जितनी रजाई लम्बी हो उतने ही पैर फैलाने चाहिये। इस बात का ख्याल नहीं रखा गया और कदाचित् यह सेंटर के दबाव के कारण हुआ। अध्यक्ष महोदय, जब हमें प्लान को पूरा करना है तो उसके लिये बहुत से साधन चाहिए।

कहा यह गया था कि पहली जो विकास योजना होगी उसका बायस एग्रीकल्चर होगा और दूसरी का बायस इन्डस्ट्रियलाइजेशन अर्थात् उद्योगीकरण होगा। परन्तु उद्योगों के लिये कुल १६ करोड़ की रकम रखी गई है। आप समझ सकते हैं कि १६ करोड़ से क्या इन्डस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। हमारे मन्त्री जी ने कहा है कि किसी भी देश का इन्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता जब तक उस देश में टेक्निकल एजूकेशन का प्रबन्ध न हो। टेक्निकल एजूकेशन देने का कोई प्रबन्ध इस बजट के अन्दर नहीं किया गया है जो किसी भी योजना के लिये बहुत आवश्यक है। मैंने अपने युनिवर्सिटी के कई अर्थशास्त्रियों से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि प्लैनिंग को पूरा करने के लिये ऋण द्वारा रुपया लेना चाहिए, टैक्सेशन नहीं लगाना चाहिये। मगर ऋण के ऊपर केन्द्र ने प्रतिबन्ध लगा रखा है। अभी हाल में माननीय चीफ मिनिस्टर ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था कि हालत बड़ी कठिनाई की हो गई है। सेन्टर ने कहा है कि हम बाजार में कर्ज नहीं ले सकते और रिजर्व बैंक ने भी प्रतिबन्ध लगा रखा है। अब हम कहां जायं। यह भी कहा कि प्रादेशिक सरकार को कर्जा लेने का अधिकार संविधान देता है, मगर ऐसा संघर्ष सेन्टर से क्यों किया जाय। दूसरा साधन जो रुपया मिलने का रह गया है वह कर लगाना है। मन्त्री जी ने टैक्सेशन के सम्बन्ध में बहुत कुछ अपने भाषण में बड़े नर्म शब्दों में कहा है और ऐसी चीजों पर कर लगाया है, जिनसे रुपया ज्यादा नहीं मिल सकता। जनता को तकलीफ तो होगी जरूर, मगर जनता का बड़ा भाग ऐसा है जिसको विशेष कष्ट नहीं होगा। ४० करोड़ हमें बाजार का लोन देना है जो गवर्नमेंट पर कर्जा है। उसके मुकाबले में सरकार ने ९ करोड़ का सिंकिंग फन्ड बना दिया है। वाजपेई जी ने कहा है कि यह ९ करोड़ का फन्ड नाकाफी है और उसके लिये और अधिक का प्रबन्ध करना होगा। टैक्सेशन के सम्बन्ध में मन्त्री जी ने कहा था कि पर कैपिटा टैक्सेशन हमारे प्रदेश में कम है और हमारी आमदनी प्रति मनुष्य बढ़ गयी है। कुछ आंकड़े दिये गये हैं बंगाल में १०.०४, बम्बई में ९.०५७, पंजाब में ७.९१, मैसूर में ५.८६, मध्य प्रदेश में ४.२१ और उत्तर प्रदेश में ४.२। उन्होंने कहा कि इस तरह से हमारा टैक्सेशन पर कैपिटा बहुत कम है। मन्त्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं वह ठीक नहीं हैं। आपके प्रदेश का मुकाबला बम्बई से नहीं हो सकता, इसलिये कि वह कारोबारी शहर है और वहां बड़े-बड़े धनाढ्य लोग रहते हैं। कलकत्ते से इसका मुकाबला नहीं हो सकता, मैसूर से भी मुकाबला

नहीं हो सकता, क्योंकि मैसूर भी तरक्की पर है । मध्य प्रदेश से हो सकता है वहां की पर कैपिटा आय ४.२१ है जो हमसे मिलता जुलता है । टैक्सेशन का बोझ यहां पर ज्यादा नहीं हो सकता और न होना चाहिये, जो कर लगाया जाता है वह कन्जूमर्स पर शिफ्ट हो जायेगा। सब से खराब टैक्स अनाज का है। मैंने कई लोगों से पूछा, मैं तो इतनी एकोनामिक्स नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने यहां के एकोनामिक्स के अध्यापकों से पूछा कि अनाज पर टैक्स के बारे में आप की क्या राय है। उन्होंने कहा कि यह सब से खराब टैक्स है। इसकी डिमान्ड इलास्टिक है। जितनी कीमतें बढ़ती जायेंगी और जितना टैक्स बढ़ता जायगा उतना ही अनाज का दाम भी बढ़ता जायेगा और इससे लोगों को तकलीफ होगी । मैं समझता हूं कि इस तरह के टैक्स की स्कीम माननीय वित्त मंत्री जी की ठीक नहीं है। अगर यह टैक्स नहीं लगाया जाता तो अच्छा होता। मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि यह टैक्स अब शुरू में लगेगा जहां पर रजिस्टर्ड परचेजर प्रोड्यूसर से खरीदेगा और आइन्दा चल कर डीलर्स को यह टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह स्कीम पहली अप्रैल सन् १९५८ से लागू होगी। मैं नहीं समझता कि जो लोग गल्ला खरीदेंगे और उस वक्त टैक्स देंगे वे दूसरों पर उस टैक्स को ट्रान्सफर नहीं करेंगे। वे जरूर ट्रान्सफर करेंगे। इस तरह से यह टैक्स बराबर पास आन होता जायेगा चाहे वित्त मंत्री जी इसको चाहें या नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा वे पहली अप्रैल सन् १९५८ से करेंगे तो शायद इसके लिये कोई प्रस्ताव वे सदन के सामने लायेंगे। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि एक डीलर दूसरे के पास टैक्स को अवश्य पास आन करेगा।

दूसरी बात इन्टरटेन्मेन्ट टैक्स की कही गयी है। अगर इस में टैक्स बढ़ाया जाता है तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, हालांकि परसों महाराज कुमार साहब ने कहा था कि इसका प्रभाव अधिकतर गरीबों पर ही पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर रिक्शा, तांगा चलाने वाले आदि मजदूर गरीब लोग सिनेमा बहुत जाते हैं। मैं समझता हूं कि वे १० आने का टिकट लेकर अपनी ही आंखें खराब करते हैं। परन्तु महाराज कुमार साहब ने जो सुझाव दिया है वह विचारणीय है और इस टैक्स से कोई अधिक लाभ भी नहीं होगा।

तीसरा टैक्स पेट्रोल पर लगाया गया है। वह देखने में तो ऐसा मालूम होता है कि जो रईस हैं या बड़ी-बड़ी तनख्वाहें पाने वाले सरकारी कर्मचारी हैं उन्हीं को देना पड़ेगा लेकिन क्या गारन्टी है कि मोटर बस का किराया नहीं बढ़ेगा। इससे देहाती लोगों को कष्ट होगा। रजिस्ट्रेशन का जो टैक्स बढ़ाया गया है उसमें कोई हर्ज नहीं है।

वित्त मंत्री जी ने कहा है कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स से ३०, ३५ लाख रुपये की और आमदनी हो सकती है। इस टैक्स को बढ़ाने की तजवीज हो रही है और समय आने पर इसका ऐक्ट संशोधित किया जायेगा। मैं समझता हूं कि इस टक्स का असर दो प्रकार के लोगों पर पड़ेगा। एक तो उन पर पड़ेगा जिनके बड़े-बड़े फार्म्स हैं और दूसरा उन पर पड़ेगा जो कि बड़े-बड़े किसान हैं। इस से देहातों में असंतोष फैलेगा। एग्रीकल्चरल टैक्स भी चकबन्दी की तरह सरकार के लिये ठीक न होगा। देहातों में लोग इसे पसन्द न करेंगे।

यह जो टैक्सेशन की स्कीम है, मुझे ठीक नहीं मालूम होती है। मैं तो समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी अगर बाजार से रुपया कर्ज लेते तो प्लान अच्छी तरह से चल सकता था और जितना टैक्स सुविधा के साथ लोगों पर लगाया जा सकता, वह लगाया जाता तो उसमें कोई आपत्ति की बात न होती। क्योंकि आप देखते हैं कि ८० प्रतिशत लोग हमारे देश में ऐसे हैं, जो टैक्स नहीं दे सकते हैं, उनकी इतनी हालत खराब है कि वह अब टैक्स का अधिक भार नहीं सहन कर सकते। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, जिनके यहां पर रोटी गिन ली जाती है और कहते हैं कि बच्चों को पेट भर कर खा लेने दो और बाकी अपने आप दो-दो रोटी ही खाकर गुजर कर लेते हैं। माननीय मन्त्री जी पश्चिमी यू० पी० की हालत को देखकर भले ही कह लें कि वहां पर किसानों की हालत बहुत अच्छी है, पश्चिमी जिलों के किसान सम्पन्न हो सकते हैं। आपके मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा आदि में किसानों की हालत जरूर अच्छी

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

है, परन्तु आप पूर्वी जिलों की ओर भी देखिये। इलाहाबाद से आगे चले जाइये, देवरिया और गोरखपुर की तरफ देखिये, वहां की क्या हालत है। अभी कुछ दिन हुये समाचार-पत्रों में यह खबर आयी थी कि एक हरिजन की लड़की या लड़के की मृत्यु हो गयी, वहां पर उसकी बेवा मां थी, जब वहां पर जाकर देखा गया तो उसके भीतर एक दाना भी अनाज का न मिला, उसके पास अनाज तक खाने को नहीं था। लोगों का कहना है कि मृत्यु भूख के कारण हुई।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी बातें जब सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या उस गांव में कोई भला आदमी ऐसा नहीं था जो उसको १० सेर अनाज दे सकता। हरिजनों में भी आज बहुत से सम्पन्न लोग हैं क्या वहां पर कोई आदमी ऐसा नहीं था जो उसको ४,५ सेर आनज दे देता। इस बात के अकसर पैम्फलेट्स छपा करते हैं कि जिनमें लिखा होता है कि भुखमरी फैल गयी है। आज भले ही भुखमरी न भी हो, लेकिन अनाज की तो अवश्य ही कमी है। आज जो ढ़ाई सौ और तीन सौ तन्ख्वाह पाता है, उसको भी २० रुपया मन गेंहू खरीदने में तकलीफ होती है, फिर जो गरीब आदमी हैं, उनको तो और भी तकलीफ होती है। इसलिये हमारे यहां पर ८० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो टैक्स नहीं दे सकते, उनकी कमर अब बिल्कुल टूट गई है, टैक्स देने की उनकी शक्ति क्षीण हो चली है, इसलिये उनकी शोचनीय दशा की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि आमदनी बढ़ गयी है, लेकिन एक्चुअल इन्कम अर्थात् वास्तविक आय नहीं बढ़ी है बल्कि नाम की इन्कम बढ़ी है। आज जिसके पास एक हजार रुपया है उसकी आमदनी पहले २ सौ रुपये के बराबर है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके छंगुने और सात गुने दाम बढ़ गये हैं। और भी ऐसी चीजें हैं, जिन पर खर्चा अधिक होता है। इसलिये जो रियल इन्कम एक व्यक्ति की है उसमें अन्तर नहीं हुआ है। इस प्रकार से जो टैक्स देने की शक्ति है वह बहुत ही कम हो गयी है। मैं तो यह समझता हूं कि अगर सरकार टैक्स अधिक लगायेगी तो उत्पादन कम हो जायेगा, लोग श्रम नहीं करेंगे, लोगों की काम करने की शक्ति घट जायेगी। अगर हमें खाने को नहीं मिलेगा तो हम दफ्तरों में, कचहरियों में, स्कूलों में, खेतों में, मिलों में पूरे रूप से काम नहीं कर सकेंगे, अन्ततोगत्वा स्टेट को नुकसान होगा। इसलिये मेरी राय में तो अधिक टैक्स लगाना उचित नहीं है। बहुत से विद्वानों ने कहा है कि टैक्स का समाज के ऊपर बहुत असर पड़ता है। उससे बौद्धिक तथा नैतिक ह्रास हो जाता है। लोग टैक्स से बचने का प्रयत्न करेंगे और देश में एक धोखेबाजी का वातावरण फैलेगा, यह तो मारेल डिक्लाइन हुआ और इन्टलेक्चुअल डिकलाइन इस रूप में की जब लोगों को खाने को नहीं मिलेगा तो फिर उनका मस्तिष्क कैसे काम करेगा, आप देखेंगे कि आजकल हमारे समाज का क्या हाल हो रहा है। हाई स्कूल में ४० प्रतिशत लड़के पास हुये हैं, इन्टरमीडियेट में ४६ प्रतिशत पास हुये और गत वर्ष आगरा विश्वविद्यालय में तो १६ प्रतिशत ही एल० एल० बी० (प्रथम) में पास हुये थे। किसी भी जगह देख लीजिये ४०, ४५ प्रतिशत से अधिक कहीं पर भी पास नहीं होते, तो आखिर क्या खराबी है, दिमाग की खराबी है, खाने की खराबी है, या भाषा की खराबी है। लोगों के दिमाग इतने दुर्बल हो गये हैं कि उनकी समझ में कुछ नहीं आता है, इस तरह से हमारा इन्टेक्लेक्चुअल पतन हो रहा है और लोग टैक्स को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि यह टैक्स लगाने की जो बात है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि इससे लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोगों को भी इस समय कष्ट हो रहा है। अब तो जो हो गया है सो गया लेकिन यदि माननीय मन्त्री जी इसका आगे ख्याल रखें तो अधिक अच्छा होगा। भविष्य में जितना टैक्स लोग आसानी के साथ दे सकें, उतना ही उन पर टैक्स लगाया जाय। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से बम्बई स्टेट ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, जितने भी रिसोर्सेज

थे वह सब एक्जास्ट हो रहे हैं, इसलिये प्लान को चलाने के लिये हमें पैसा दिया जाय। इसी तरह से, चूंकि अब फाइनेन्स कमीशन की मीटिंग होने वाली है, माननीय मन्त्री जी जाकर अपने प्लान के लिये अधिक रुपया रखा लें और सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर प्रभाव डालें कि वह हमें प्लान को चलाने के लिये अधिक रुपया दे। मन्त्री जी ने आश्वसन दिलाया है कि वे फाइनेन्स कमीशन से इस बात के लिये कहेंगे कि हमें अधिक रुपया दिया जाय, जिससे हम अपनी विकास योजनाओं को सुविधा के साथ चला सकें। जो विकास के काम हमको करने हैं, उनमें जो मुख्य कार्य हो उनको पहले लेना चाहिये, जिनकी अभी खास जरूरत न हो उनको छोड़ देना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, लखनऊ में एक स्वीमिंग पुल के लिये ५० हजार रुपया रखा गया है। ऐसे समय में जब कि हमारे देश को आवश्यक कार्यों के लिये रुपये की अधिक आवश्यकता है तो इस तरह सरकार को रुपया नष्ट नहीं करना चाहिये। मनुष्य के लिये पहले खाने और पहनने के साधन होने चाहिये, तैर तो बाद में लेंगे। सरकार ने इसी तरह के कार्यों में बहुत सा रुपया खर्च किया है, जिसको मैं बाद में बतलाऊंगा।

श्री चेयरमैन—आप संक्षेप में कहें, क्योंकि बहुत से अन्य सदस्य बोलने वाले हैं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मितव्ययता पर बहुत जोर दिया है। तीन, चार पृष्ठ एकोनामी के बारे में लिखे गये हैं। उनके पढ़ने से मुझे कोई बात स्पष्ट नहीं हुई। माननीय मंत्री जी इस बात की बहुत चेष्टा करते हैं और वे बराबर अपने बजट भाषण में इस बात के लिये कहते हैं कि एकोनामी की जाय। सन् १९४८ में एक एकोनामिक कमेटी नियुक्त की गयी। सन् १९४९ में इसी के लिये एक कमीशन नियुक्त किया गया। सन् १९५३-५४ में मुख्य मंत्री ने एक एकोनामिक कमेटी नियुक्त की, लेकिन इतना होते हुये भी कुछ नहीं हो सका। इन सब बातों का परिणाम कुछ भी नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जो रिपोर्ट है वह बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन मैं उसको पढ़कर आप का समय नष्ट नहीं करूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि जब चीफ मिनिस्टर ने अपने हाथ में इस चीज को लिया तो और कठिनाई बढ़ गई। सन् १९५५ की जो आडिट रिपोर्ट है उसमें चार मुख्य बातें हैं।

"Excess on voted grants, unnecessary provision through supplementary grants, reappropriation by putting unnecessarily in excess of requirements and non-surrender of savings. Financial irregularities."

सन् १९४९ में एक स्टाफ कार का एक्सीडेन्ट हुआ, उसकी जो सन् १९५५ की रिपोर्ट है उसमें इस बात के लिये कहा गया है कि बराबर इस बात की कोशिश की गयी लेकिन यह पता नहीं लग सका कि उस वक्त उसमें कौन आफिसर बैठा था और किस आफिसर ने इसको इस्तेमाल किया था। उस आफिसर ने उसकी मरम्मत अपने पास से क्यों करायी। १८ हजार के करीब दूसरी मोटर खरीदने पर रुपया क्यों खर्च किया गया। इस प्रकार के अनावश्यक व्ययों का वर्णन श्री वाजपेयी जी ने भी किया है।

एक नदी पर बांध बनाने के लिये एक करोड़ ८५ लाख ९२ हजार रुपया रखा गया। जब १९ लाख रुपया खर्च हो गया तब सरकारी आफिसरों ने बतलाया कि इस जगह बांध नहीं बन सकता है और वह बन्द कर दिया गया। अब क्या इसे किफायत कहेंगे। किसी काम को करने से पहले ही सरकार को इस बात का ठीक से पता लगा लेना चाहिये कि वह काम हो सकता है या नहीं। लाखों रुपया खर्च हो जाने के बाद इस प्रकार का निर्णय करना सर्वथा अनुचित है।

प्रिसिजन फैक्टरी के बारे में भी यही रिपोर्ट है।

The whole scheme shows lack of planning ;

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

"Instead of finalizing the scheme first and then appointing the experts, a whole team of technicians was recrutied first and ways of utilizing their talents was considered later on."

यह सब १९४४ की आडिट रिपोर्ट में लिखा है। चूंकि आडिट रिपोर्ट्स देर में आती हैं, इसलिये माननीय मंत्री जी को इसका समय पर पता नहीं चलता है, जिससे वे इस पर ठीक तरह से विचार कर सकें। अगर उसी समय इस पर विचार हो जाय तो अच्छा है। मंत्री जी चेष्टा तो करते हैं परन्तु रोक नहीं सकते ऐसा प्रतीत होता है।

अब मैं दो शब्द शिक्षा के बारे में कहूंगा और इसको कहकर समाप्त करूंगा। शिक्षा में प्लानिंग की कमी है और जो भी प्लानिंग होती है वह ठीक नहीं है। बहुत सी योजनायें बनी हैं, लेकिन उनका नतीजा यह हुआ कि नेशनल इनर्जी का ह्रास हो रहा है। हाई स्कूल का नतीजा ४० प्रतिशत् है, इन्टरमीडियेट का ४६ प्रतिशत् है, बी० ए० और बी एस० सी० का ४० प्रतिशत् है और ला का भी ऐसा ही है। यह तो हमारे यहां परीक्षाफल की दशा है। अधिकांश लड़के थर्ड डिवीजन में पास हुये हैं और यूनिवर्सिटी ने उनसे कह दिया है कि आप यहां से अब चले जाइये। बेकारी बहुत बढ़ रही है। पत्रिका ने हाल ही में लिखा था कि १५ सौ क्लर्कों के स्थान खाली थे, उसके लिये विज्ञापन किया गया, तो ५४ हजार अर्जियां आईं। हमारे यहां इन्टरमीडिएट में ८३ हजार लड़के बैठे जिसमें से ५८ हजार तो रेगुलर थे और २९,८५७ प्राइवेट थे। हमारे यूनीवर्सिटी का कमीशन दिल्ली में है, तो उस के अध्यक्ष श्री देशमुख हैं। उन्होंने कहा है कि तीन वर्ष का डिग्री कोर्स चलाने को १५ करोड़ रुपये चाहिये। वह रुपया कहां से आयेगा, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। इस प्रश्न पर भी विचार होना चाहिये। शिक्षा-विशारदों की इस सम्बन्ध में एक कमेटी बैठनी चाहिये जो कि इन सब बातों पर विचार करे। टीचर्स की क्वालिटी उत्तम होनी चाहिये और किताबों का स्तर ऊंचा होना चाहिये। स्क्रिप्ट में भी सुधार की बहुत आवश्यकता है। अब जो नया स्क्रिप्ट चल रहा है, उससे बहुत दिक्कत है। उसे शीघ्र ही बन्द कर देना चाहिये। इस तरह की बहुत सी बातें हैं। हमें चाहिये कि हम सरकार का ध्यान इन सब बातों की ओर आकर्षित करें और वह इन सब चीजों के लिये एक कमेटी नियुक्त करे जोकि इन पर ठीक तरह से विचार करे। सरकार को प्राइमरी एजूकेशन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ले लेना चाहिये। स्टेट के अधिकार में होने से उस का प्रबन्ध ठीक तरह से चलेगा। प्राइमरी शिक्षा का दिन प्रति दिन ह्रास हो रहा है और स्कूलों की संख्या भी कम होती जा रही है। सन् १९५१-५२ में संख्या ३२ हजार २७ थी, १९५२-५३ में वह संख्या ३१ हजार ९५१ रह गई और १९५३-५४ में सिर्फ ३१,११९ हो गई। इस तरह से स्कूलों की संख्या दिन प्रति दिन कम हो रही है। छात्रों की संख्या भी इसी प्रकार कम होती जाती है। सन् १९५१-५२ में २८,४०,२८३ थी, सन् १९५२-५३ में २७,४२,७६० और १९५३-५४ में २६,९४,५४५ रह गई। यह बड़े खेद की बात है। सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये। माध्यमिक शिक्षा की भी यही दशा है। इस की संस्थाओं का अच्छी तरह से निर्माण होगा, यह सोचकर एक बिल भी इस सदन में लाया जाने वाला था, परन्तु चुनाव के कारण वह स्थगित कर दिया गया। सरकार सेकेन्डरी एजूकेशन के सम्बन्ध में एक बिल यहां पर लाये और उस में जो भी त्रुटियां या बुराइयां हैं, उनको दूर करे। उच्चशिक्षा की भी यही हालत है और इस सम्बन्ध में जो नया लेजिस्लेशन हुआ है, उससे बड़ी हानि हो रही है। सरकार को इस सम्बन्ध में एक संशोधन बिल लाना चाहिये जिससे कुछ सुधार हो सके। यूनीवर्सिटी को काफी मात्रा में रुपया मिलना चाहिये ताकि वह अपने काम को पर्याप्त रूप से कर सकें। लखनऊ तथा प्रयाग विश्वविद्यालय के अधिनियमों और स्टैटयूटों में शीघ्र ही संशोधन करने की आवश्यकता है।

श्री प्रभु नारायण सिंह--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सड़क अभी तक २ टुकड़ों में बनी हुई है वह किन-किन गांवों से गई है ?

शासन की दशा भी अध्यक्ष महोदय सोचनीय होती जा रही है और एक बात जिस की ओर मैं आप का विशेष रूप से ध्यानाकर्षित करना चाहता था वह यह है कि जो फैक्ट्रियां वगैरह खुल रही हैं उन में घाटा ही घाटा हो रहा है। फेमिली प्लानिंग सेन्टर्स खुलने वाले हैं। उन पर ६० हजार रुपया खर्च होगा। संस्कृत परिषद् बम्बई को लगभग २५ हजार रुपया दिया जा चुका है, ५ हजार वार्षिक दिया जायेगा। कुल २५,००० रु० बम्बई संस्कृत परिषद् को मिल चुका है जिस से यू० पी० को कोई लाभ नहीं होने वाला है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की अवधि बढ़ा दी है। इस विषय को विधान सभा के सामने क्यों नहीं लाया गया। अन्त में मैं यह कहूंगा कि समस्यायें जो हमारे सामने हैं वह हल नहीं हो रही हैं। शासन की दशा दिनों दिन गिरती जा रही है। एफीशेन्सी और इन्टीग्रेटी का ह्रास हो रहा है, योग्यता को कोई नहीं पूछता, नौकरियां सरकार के हाथ में हैं, उनमें योग्यता नहीं देखी जा रही है। उसमें पक्षपात हो रहा है, जात पांत भी अपना असर लाती है, ला ऐन्ड आर्डर की हालत खराब हो रही है, फूड के बारे में देखिये, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में समस्या विकट रूप धारण कर रही है, बेकारी बढ़ती जा रही है, गरीब आदमियों को अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है और हमारे जीवन का स्तर भी बढ़ नहीं रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस पर विचार करना चाहिये, मैं आपको एक पैसेज सुनाता हूं बर्क का, बर्क तो बड़ा रूढ़िवादी दार्शनिक था, कोई रिवोल्युशनरी नहीं था। उससे हमें बड़ी शिक्षा मिलती है।

"To create Government is not difficult. Settle the seat of power, teach men obedience and your task is done. To confer liberty is still easier, you have only to let the reins. But to create a Government which combines order with liberty requires a capacious and conspiring mind."

हमने कल्याणकारी राज्य बनाने का बीड़ा उठाया है, हमारा काम केवल गवर्नमेन्ट स्थापित करना नहीं है। मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता था कि ऐसी पालिटी बनाई जाय जिससे सब को सुख हो, सबको सुविधा हो और सब का कल्याण हो।

श्री चेयरमैन--जरा मैं सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे चेयर की कुछ मदद करें। पहली बात तो यह कि जब लाल रोशनी दिखाई पड़े तो वे अपना भाषण जल्द समाप्त करने का प्रयत्न करें।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--विषय बड़ा गहन है, अध्यक्ष महोदय।

श्री चेयरमैन--दूसरी बात यह भी है कि ६, ७ सदस्य लंच से पहले बोलना चाहते हैं। इसका वादा मैं नहीं कर सकता कि ४५ मिनट में ६, ७ सदस्यों को मैं मौका दे सकूंगा। अगर सदस्य सहयोग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा।

श्री एम० जे० मुकर्जी--Mr. Chairman, Sir, without wasting the time of the House I shall just place before you some of the things which I feel about this budget. Of course we all know that this is a deficit budget and we have been quite accustomed year after year and so, it should not come to us as a surprise. Deficit budget necessarily is not bad. Deficit budget at least shows that the Government is determined to do something and something for the good of the people. It is a very courageous budget and I congratulate the Finance Minister that without having any money in his bag, he is trying to complete or at least to do something for the second Five-Year Plan. The Second Five Year Plan is the crux of......

श्री प्रभु नारायण सिंह—It is curse, not crux.

श्री एम० जे० मुकर्जी—Crux of the whole thing and the progress and the prosperity of this State depends on the successful carrying of the Second Plan. Without money it cannot progress. Therefore, money has to be got. I am very happy, Sir, that no new taxation has been proposed.

श्री हृदय नारायण सिंह—It is coming.

श्री एम० जे मुकर्जी—It may come, if it is according to the need. But still whatever the Government is trying to do is to take this State towards the goal, the goal of socialist pattern of society. I think we ought to accept that and we ought to be able to understand and realize the present needs because anything that we think our children should have in future, we have to begin now. At present we have to sacrifice and from that point of view we should be prepared to accept some of the sacrifices that we are called upon to make.

A levy has been made on motor sprit, entertainment and the registration fee. All these levies have been criticized. I do feel that for poor people the increase in the registration fee is too much. I do feel that the raising of the entertainment tax will come in the way of the poor to have some kind of enjoyment. It does not only mean going to cinema but it includes all sorts of entertainments. This will discourage the poor to treat entertainments as relaxation.

One idea given by Kr. Guru Narain for raising the income was to slowdown on the question of prohibititn. Prohibition was brought into our country's Constitution for the sake of the poor. We felt that the poor spent all their money in drinks and, therefore. their families suffered. We find now that the result of prohibition has been to create illegal manufacture of spirit. This is worse than getting drunk. I feel that if we study the question of prohibition systematically and logically, we will come to the conclusion that the habit of drinking has not decreased. People who used to drink openly now drink secretly. They manufacture alcoholic drinks illegally in their homes. Therefore, I also agree with Kr. Guru Narain that we should go slow on the policy of prohibition.

Then there is the question of salt tax. We brought this question sometime age., but on the ground of emotion we dropped it with the result that salt which was one anna a seer has gone up to two annas a seer. That is to say, levy of tax on salt did not affect the price. It was a tax which affected the rich and poor alike and therefore I would like Government to consider the levy of salt tax in order to increase their income.

Then there is too much wastage which is apparent. Unfortunately I was ill in a hospital for two months but it gave me an opportunity of coming across certain things which I would like to bring to the notice of the House. Certain district hospitals have been supplied with Electric Cardiograms which cost Rs. 4,000 to 5,000

each. Would you believe that the two hospitals that I visited, had Electric Cardiograms but there was no man to work it, to operate that apparatus. Leaving aside the question of Electric Cardiograms, I also found that the Government has been very kind to give to the district hospitals Rs. 2,000, for the free medical treatment of the members of the legislature. Every one of them had spent Rs. 2,000, their allotment, in purchasing medicines without any legislator going to the hospital with the result that they had no money for the medicines that I required for my own treatment. Now, Sir, this is a sheer waste. They have got certain medicines which they may have to keep for years and it would simply be a waste. I don't know if the patients suffering from a particular disease would require those medicines. I would request the Health Department to please give such instructions to the authorities concerned that this money should be kept and not utilised simply because it would lapse at the end of the year. It may lapse and then be renewed in the next year. There would be no wastage in that way. It may continue on and on.

Thirdly, my experience of nursing in the hospital, has been very unsatisfactory. The nursing is very poor in all these hospitals. There are not sufficient number of nurses. Government have started training classes for nurses to meet this demand. Trainees are given stipend of Rs.80 p.m. but no Sister-Tutor with the result that at Bareilly when 20 trainees were admitted for training in July 1956 but no Sister-Tutor was apointed till May, 1957. That means Rs.80 × 20 × 12 has been wasted which is about Rs.19,200 a year. This amount is small. It may be small but it is wastage. We need every pie for our Plan. Therefore, I request that we should go into all these little things and try to save money wherever we can.

Then what I also feel is that our administration is top heavy. Curtailment is possible. Economy has been proposed to the tune of Rs.1 crore. This, together with the levy of one crore that we are expecting to get, will reduce the deficit budget from Rs.11.67 crores to Rs.95 crores at least. But if we go by our experience of last year when the deficit budget was presented to us, rupees 9 crores deficit was reduced to 5.5 crores. We feel that there is some miscalculation somewhere. Either the income was underestimated or we overestimated our expenditure. Here may again be an opportunity for Government to get into it and get it corrected.

Then, Dr. Ishwari Prasad just mentioned about account. I know the A. G's. office gets its men from the Central Government for Audit. They take so much time in auditing the accounts that by the time they bring out their report, it is not worthwhile. For example, when an embezzlement has taken place, they cannot find it out before one and a half year. Therefore, I suggest that some agency should be made under which the State Accounts Officers be responsible for the checking of the accounts on behalf of Finance Department. This is one thing that is needed.

[श्री एम० जे मुकर्जी]

I would lastly suggest that our bureaucracy should be more human. A dumb boy who wase mployed in 1948 as a typist in an office, has not been confirmed yet while his juniors have been confirmed and given promotion. He was to be confirmed in his post but the Civil Surgeon says that he cannot give the certificate of fitness. Now, imagine he was a destitute boy. The Civil Surgeon knew about it. He had no other physical unfitness. Simply because, he was dumb and deaf, he could not be certified as a fit person and could not be confirmed and given promotion. I would like our bureaucracy should be more human. Their approach should be more human. We are all doing this in the social sphere, we are having social welfare councils for those dumb and deaf destitutes. What is the use of it if the deaf and dumb is not given any encouragement for either confirmation or other things. I would like this case to be considered. The boy is in the Transport Commissioner's office. I would like the authorities to take a note of this. As the time is up I should stop now.

डाक्टर वीर भान भाटिया (नाम निर्देशित)——Mr. Chairman, at the outset I would like to say that the State of Uttar Pradesh has made steady and praiseworthy progress in its agricultural development, in its various schemes of irrigation, power and social welfare and to some extent in its schemes of industrial development and for that reason the State Ministry deserves our appreciations and congratulations.

But I feel, Sir, that the State Ministry has not given enough attention and has not made strenuous efforts to achieve efficiency, economy and honesty. If these three measures were achieved, I am sure our Hon'ble Finance Minister would have been able to present a balanced budget and not a deficit budget. I further feel that even our Second Five-Year Plan would have been successful without the excessive taxation which has been imposed from the Centre.

I need not give many examples where efficiency is lacking, where economy is lacking and where honesty is lacking. These instances are well known to every one of us and are even well known to those who govern us. An austerity programme has been initiated by our Prime Minister and endorsed by the Chief Ministers of the various States. I am in full agreement with that austerity programme and I feel that it is the duty of every one of us to contribute our humble share towards that austerity programme. We must begin to think in terms of making our Five-Year Plan a success at any cost and whatever taxes, are imposed rightly or wrongly, we must bear them and in our day to day living we must show economy and austerity so that no money is wasted on articles of luxury. But I feel, Sir, that if the slogan of efficiency, economy and honesty was raised we wolud be more successful in our Five-Year Plan than by the slogan of austerity. If every official, high or low, was to take an oath that he would be efficient in his work, he will exercise economy in his

work and he will be honest. I am sure at the end of the second Five-Year Plan our country will present an absolutely different picture.

Sir, looking through the pages of the budget, the most astounding feature of the budget is that the State has completely lost its autonomy. It is no longer an autonomous State in those spheres where autonomy was granted under the Constitution. If you will look through the budget of the Medical Department which is supposed to be an autonomous department you will find that every new item of expenditure has been initiated from the Centre. The Centre is now interfering too much into the day to day working of the State. I feel, Sir, that we should never accept any grants under the Second Five-Year Plan which have strings attached to them that they should be scrutinised by the Centre and then it should be adopted. I think the Centre should have given us a lump sum of money for those departments which are supposed to be autonomous and the States should have seen their requirements and should have undertaken those projects which were suited to our State. So, I feel, Sir, that the Centre is becoming stronger and stronger every day and the State is losing its autonomy. Looking at the medical budget, Sir, I find that in every page it is said that the Centre has intiated this scheme and the Centre is going to give 25 per cent, 50 per cent or 75 per cent but at the end of the Sescnd Five-Year Plan all these schemes have to be provided for by the State itself. The State has not scrutinised these schemes. They have not found whether they were useful for our State or not. I would give a few examples. In the Lucknow University two departments have been upgraded for post-graduate teaching. Two new departments of Neurology and Psychiatry and Social and Preventive Medicines are to be started. I do not know much about the merits and demerits of the proposal but I must just say that the departments which are going to be upgraded are not fit for that. There is no talk of upgrading those departments for post-graduate teaching which really deserve upgrading. Similarly, when you look through the budget you find that in the upgrading of one department every single detail of expenditure is given whereas in the upgrading of the other department, no details are given. Similarly, new departments, Neurology and Pshychiatry, there is no detail of the expenditure, which has to be incurred in these departments. Similarly, the department of Social and Preventive Medicine has been mentioned in the budget but no details are given of the expenditure which is going to be incurred in that. How can you expect a Member to express his opinion on the establishment of these departments when no details are given of the expenditure which has to be incurred. Similarly, almost every new scheme in the Medical Department is the scheme which the learned *Pundits* from New Delhi have initiated. They are very learned, I have no doubt about that but are not so conversant with the needs of this State as are the Members of this House or is our Government. I feel, Sir, and feel very strongly, that the Government must write to the Centre that they would like to

[डाक्टर वीर भान भाटिया]

have their own schemes in those spheres where the State is supposed to have an autonomy.

Again you will find, Sir, in the budget, that for the development of Medical College in Lucknow only Rs. 8,000 have been provided and for the Gandhi Memorial and Associated Hospitals Rs.15,000. Whereas schemes considered essential by us are not included for want of money, every item initiated by the Centre, has been included.

A few months ago when I made a speech on the floor of this House, the Finance Minister was very kind to say that he will be prepared to spend a rupee per head on the health of the people of the State. We have a population of six crores but we find that the total budget of Medical and Health Department runs only a little over 4 crores. If we were given additional 2 crores I am sure we would give a much better health service to the poor people of this State and I would request the Finance Minister that he would see at least in his next budget, that the medical and health department gets a rupee per head.

Well, Sir, the next difficulty that we feel is that whatever little money we get for our apparatus and equipment, we find great difficulty in getting the import licence. Again, this is something which entirely geverned from the Centre. Here again, if the Centre had allocated some foreign exchange to the State and the States granted an import licence so much time and energy would have been saved. The Hon'ble Finance Minister of the Centre gave a promise in Madras a few days ago that he would see that import licences are freely given for medical apparatus and equipment yet it is our experience that we have not been able to get import licence for urgent and important appliances. Every now and then the Officer in charge of Import Licence rejects our applications. Now these apparatuses and equipment cannot be manufactured in the country and these are very essential for the modern diagnosis and treatment of the diseases. Sometimes it takes a year to get a reply from new Delhi. Here again, I would request the State Ministry to make an appeal to the Centre that they might allocate certain amount of foreign exchage particularly for the development programme for which the import licences may be given by the State and may not be given by the Centre where so much time is taken and who again do not understand our day to day requirements.

Lastly, as I have said in the beginning, that whatever may be the tax proposals, good or bad, we might accept them because no State can progress without money and no plans can be successful without money.

I agree with Sri Mukerjee and Kr. Guru Narain that prohibition has miserably failed in the State. It has not only miserably failed in this country, it has also failed in every other country

which has tried to impose prohibition by legislation. I am not one of those who is in favour of drinking. In fact I am one of those who even believes that alchohol has no medical value. In fact since I have been the Head of the Department, not a single bottle of Brandy has been indented for my Wards but I do feel, Sir, that prohibition through legislative measures has failed and it has only given rise to smuggling and to illicit distillation in every village and in every house. If we all believe that prohibition has failed, why not boldly face the facts ? Why not say that we will repeal this legislation and we shall try to impose prohibition by preaching and by practice ? I would like to say that every Congress member who wears the white cap and wears khadi does not abstain from drinking.- There may not be many amongst them but there are some of them who use alchohol for drinking. If every Congress member was to practice prohibition and preach prohibition I am sure we would achieve better results than we have done by imposing prohibition. Human brain is so made that it does not take any impositions any thing that is imposed by law, it tends to revolt against it and tries to find a way out of it. On the other hand if the human brain is convinced by the practice of their friends that alchohol is a harmful thing, I am sure in the long run we will be more successful. For the time being we are losing a very valuable income by the imposition of prohibition.

With these few words, Sir, I would like again to thank our Hon'ble Finance Minister for the budget that he has presented but it would have pleased us more if it was not a deficit budget.

श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् १९५७-५८ वित्तीय वर्ष का बजट हमारे सामने प्रस्तुत है। मैं आपकी आज्ञा से उस पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। किसी भी राज्य और प्रदेश का बजट उसकी आर्थिक स्थिति का परिचायक हुआ करता है। उससे हमें पता लगता है कि हम किन-किन योजनाओं को कार्य रूप में परिणित करने जा रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है और हमारा क्या आब्जेक्टिव है ? इन्हीं बातों को दृष्टि में रखते हुए मने बजट का अध्ययन किया है। यह सही है कि यह बजट घाटे का बजट है और यह भी सही है कि मामूली तौर पर घाटा कोई अच्छी चीज नहीं है परन्तु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाया करती हैं, जब हमें घाटे को जानते हुए भी घाटा सहना पड़ता है। मैं समझता कि हूं ऐसे ही कुछ परिस्थितियां हमारे वित्त मंत्री जी के सामने रही होंगी, जिससे कि उन्हें घाटे का बजट प्रस्तुत करना पड़ा वरना कोई ऐसा नहीं होगा, जो कि जानबूझ कर अपने ऊपर या अपने सर पर ऐसी बात मोल ले।

अब मैं आपके सन्मुख कुछ बजट की खास-खास बातें रखूंगा। हमारा राज्य एक कल्याणकारी राज्य है, अतः एक कल्याणकारी राज्य में समाज कल्याण विभाग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारे यहां समाज कल्याण विभाग की स्थापना लगभग ढाई वर्ष हुए, हुई थी। इस वर्ष के बजट में मैंने समाज कल्याण विभाग के बजट को देखा और मुझे खुशी है कि इसमें लगभग २५ लाख रुपये की वृद्धि हुई है। इस वर्ष इसका बजट ७० लाख रुपये का है, जब कि पिछले वर्ष लगभग ४५ लाख रूपये का था परन्तु फिर भी जब मैंने यह देखा है कि १०८ करोड़ रुपये के बजट में समाज कल्याण विभाग के ऊपर केवल ७० लाख ही व्यय किया जायेगा, तो मुझे कुछ निराशा होती है। कारण यह है कि यदि आप इसको प्रतिशत् के अनुपात में देखें तो समाज कल्याण विभाग पर

[श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी]

केवल ७ प्रतिशत व्यय किया गया है। इसके विपरीत में दूसरे विभागों के बजटों को भी आपके सामने रखना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर "एजूकेशन" या शिक्षा पर हमने इस बजट में १४ प्रतिशत व्यय किया है और मेडिकल पर ६ तथा पुलिस और जेलों पर १०। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य है तो फिर हमारे लिये इस बात की आवश्यकता हो जाती है कि हम समाज कल्याण के कार्यों में अधिक व्यय करें और इसीलिये मैंने जब यह कहा कि यद्यपि समाज कल्याण विभाग के बजट में इस साल अवश्य बृद्धि की गयी है, फिर भी वह संतोषजनक नहीं है। समाज कल्याण विभाग के बजट को देखने से मालूम होता है कि हमने पिछले वर्ष कुछ विशेष स्कूलों और गृहों की स्थापना की है। उदाहरण के तौर पर एक स्कूल गूंगे बहरों के लिये आगरा में और दो स्कूल अंधों के लिये लखनऊ और गोरखपुर में स्थापित हुए हैं। इसी प्रकार से कुछ अनाथ बच्चों के लिये, असहाय स्त्रियों के लिये और कुछ अन्य साधनहीन लोगों के लिये हमने गृहों की स्थापना मथुरा, कानपुर और देहरादून इत्यादि स्थानों में की है। मुझे प्रसन्नता है कि यह एक अच्छा कदम है परन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन गृहों या इन स्कूलों के खोल देने से ही समाज कल्याण विभाग की समस्या कदापि हल नहीं हो सकती है। हमें देखना है कि इन समस्याओं की सीमायें क्या हैं और हम किस प्रकार से उन्हें हल कर सकते हैं। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी जगहों में हमें मालूम है कि कुछ सार्वजनिक संस्थायें भी इन्हीं कार्यों को संपादित कर रही हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे कार्यों को करने के लिये जहां तक हो सके वह सार्वजनिक संस्थाओं को ही प्रोत्साहन दें। और जहां तक संभव हो सके ऐसी संस्थायें सार्वजनिक लोगों के द्वारा ही खोली जायं। इससे खर्चे में कमी भी होगी और साथ ही जनसाधारण का अधिक सहयोग भी मिलेगा।

इसके अलावा मुझे समाज कल्याण विभाग के विषय में भी कुछ निवेदन करना है। इस विभाग के कार्य करने की जो गति है वह बहुत ही धीमी और मन्द है। ढाई साल में जो इस विभाग में कार्य किया गया है वह इतना नहीं है, जिस पर हम संतोष कर सकें। मैं यह चाहता हूं कि इस विभाग की गति या स्पीड और अधिक तेज होनी चाहिये, क्योंकि अब यहां पर काफी संख्या में आफिसर नियुक्त कर दिये गये हैं, इसलिये अब कोई ऐसा कारण नहीं मालूम होता है जिससे इसके काम में अधिक शीघ्रता न लाई जा सके। इस विभाग के बजट को देखने से यह भी पता चलता है कि इसमें कुछ आफ्टर केयर होम्स की स्थापना के लिये भी अनुदान रखा गया है। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का यह सुझाव कि आफ्टर केयर होम्स स्थापित किये जायं अत्यन्त सराहनीय है। इन में से कुछ होम्स उनके लिये होंगे जो कि जेलों से छूट कर आते हैं या जो लोग अपनी ट्रेनिंग आदि अन्य ऐसी संस्थाओं से समाप्त करके आते हैं, उनसे इन होम्स में कार्य लिया जाय और उसके बदले में उनको उचित वेतन दिया जाय। श्रीमान्, इस सिलसिले में मैं आपके जरिये से सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर जेल से छूटे हुए लोगों के लिये गृहों का प्रबन्ध किया जा रहा है, वहां पर इस बात का भी प्राविजन किया जाना चाहिये कि जो अन्धे बहरे, गूंगे तथा लंगड़े हैं उनके लिये भी कुछ ऐसे ही होम्स खोले जाने चाहिये। वहां पर उन लोगों को ऐसा काम सिखाया जाना चाहिये जिससे वे अपना बाद में जीवन निर्वाह कर सकें। हमारे प्रदेश में कम से कम एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जरूर होना चाहिये, जहां पर वह सब विद्यार्थी जो कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा को समाप्त कर चुके हैं, जब तक उनको कोई दूसरा काम न मिले वहां पर रहें और वहां पर रह कर वे काम करें और उसके बदले में सरकार उन को पैसा दे।

जब उनको कोई कार्य मिल जाय तो वे वहां से जा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन्स के खोलने के विषय में वे अवश्य विचार करें। हमें इस बात का संकल्प करना चाहिये कि हम सभी लोग और विशेष कर वे लोग जिनके पास अधिक साधन हैं, इन लोगों के जीवन निर्वाह के लिये अवश्य प्रयत्न करें।

मेरा इस सम्बन्ध में एक और भी सुझाव है। मेरा अपना ऐसा विचार है कि फिजीकली हैन्डीकेप्ड की एजूकेशन के लिये एक स्पेशल आफिसर नियुक्त होना चाहिये जो कि सारे देश में उनकी देख भाल कर सके। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार को बतलाना चाहता हूं कि इन फिजीकली हैन्डीकैप्ड की संख्या हमारे प्रदेश में काफी अधिक है। यद्यपि हमारे पास इसके लिय पूरे आंकड़े नहीं हैं, फिर भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनकी संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होगी। इन सबकी देखभाल की अत्यन्त अवश्यकता है और इसके लिये एक विशेष आफिसर नियुक्त किया जाय जो कि इस समस्या के बारे में अनुभव रखता हो और जिसको इस समस्या की जानकारी हो। तब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समस्या का हल हम अधिक अच्छे ढंग और सफलता पूर्वक कर सकेंगे।

[इस समय १२ बज कर ५१ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन ने) सभापति का आसन ग्रहण किया।]

श्रीमन्, मैंने समाज कल्याण विभाग के बजट को देखा। जहां इसमें इस वर्ष २५ लाख की बृद्धि हुई है, वहां कुछ ग्रान्ट्स में कट देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उदाहरण के तौर पर मैं बतलाना चाहता हूं कि जहां पिछले वर्ष अन्धे, गूंगे और बहरे बच्चों के लिये, उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिये, १ लाख ६३ हजार रुपया अनुदान में रखा गया था, वहां उसके विपरीत इस साल केवल ८९ हजार ५०० रुपया रखा गया है, यद्यपि यह आशा को जाती थी कि इस वर्ष उनके लिये अनुदान और बढ़ेगा। इसी प्रकार से इन बच्चों के लिये १० हजार रुपये का अनुदान स्टाइपेन्ड के रूप में रखा गया है। यह अनुदान पिछले वर्ष भी रखा गया था और श्रीमन्, मैंने पिछले वर्ष बतलाया था कि यह अनुदान बहुत ही अपर्याप्त है। सारे प्रदेश के अंगहीन और पीड़ित बच्चों के लिये १० हजर रुपया एक साल में स्टाइपेन्ड रखने के अर्थ हैं कि मुश्किल से १०० लड़कों को १० रु० मासिक का स्टाइपेन्ड मिलेगा और यह रकम बहुत ही कम है। मैं आशा करता था कि यह रकम इस साल अवश्य बढ़ा दी जायेगी। लेकिन मुझे निराशा हुई कि इस रकम में कोई वृद्धि नहीं हुई और १० हजार के स्थान पर १० हजार ही रखी गई है।

श्रीमन्, मैं अब इसी विभाग से संबंधित एक विशेष बात की ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन ऐन्ड साइन्टिफिक रिसर्च की ओर से एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है जिसमें उन्होंने एक स्कीम भेजी है और राज्य सरकार यदि चाहे तो उस स्कीम के अन्तर्गत वोलेन्टरी आर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन्स के डेवलपमेंट के लिये योजनायें भारतीय सरकार को भेजवा सकती है। यह तभी संभव है जब कि स्टेट गवर्नमेंट इस बात का वादा करे कि वह भी उस ग्रान्ट में अपना निर्धारित हिस्सा देगी। ऐसा करने से सेन्ट्रल गवर्नमेंट ६६ प्रतिशत् तो उन इन्स्टीट्यूशन्स को नान रिकरिंग खर्चा देने के लिये तैयार है और ५० फीसदी रिकरिंग खर्चा। समाज कल्याण विभाग ने ऐसी इंस्टीट्यूशन्स से स्कीमों को मांगा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे वित्त मंत्री जी इन स्कीमों के लिये जो राज्य सहायता के रूप में धन की आवश्यकता होगी अवश्य ही स्वीकार करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से रुपया प्राप्त कर इस स्कीम का फायदा उठाने में सहायक होंगे और उसका पूरा उपयोग करेंगे।

[श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी]

इस विभाग के अन्तर्गत एक और ग्रान्ट के संबंध में मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं और वह अनुदान इंडियन कान्फ्रेन्स आफ सोशल वर्क से संबंध रखता है। विगत वर्ष इस कांफ्रेन्स को ३,५०० रु० का अनुदान दिया गया था। यह कोई इतनी बड़ी रकम न थी जिसका प्राविजन इस वर्ष भी न किया जा सकता था। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि इंडियन कांफ्रेन्स आफ सोशल वर्क हमारे प्रदेश की नहीं सारे देश की संस्था है, जिसने समाज कल्याण कार्य की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया है। यह विगत दस वर्ष से अच्छा काम कर रही है। उसकी शाखा हमारे प्रदेश में भी है। जिसका हेड आफिस लखनऊ में है। अभी तीन चार वर्ष हुए उसने आल इंडिया कांफ्रेन्स आफ सोशल वर्क का कनवेन्शन आमंत्रित किया था और संभवतः हमारे वित्त मंत्री जी ने भी उसको अटेन्ड किया होगा। यह कान्फ्रेंस समाज-कल्याण विभाग से संबंधित अनेक कामों को कर रही है और इसका मुख्य काम है समाज-कल्याण की जो विभिन्न इंस्टीट्यूशन्स या संस्थायें हैं उनका कोआ-र्डिनेशन करना। उसने हाल में दो सर्वे भी किये हैं। एक सर्वे प्रदेशीय सरकार के आदेश से डेस्टीच्यूशन अमंगस्ट चिल्ड्रेन का था, दूसरा सर्वे ट्रयेन्सी इन दी बेसिक स्कूल्स आफ लखनऊ। जब इतना उपयोगी कार्य यह कांफ्रेन्स कर रही है तो यह देख कर आश्चर्य होता है कि विगत वर्ष जो ३५०० रु० की ग्रान्ट उसे दी गई थी वह इस वर्ष नहीं दी जा रही है। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी इस पर अवश्य विचार करेंगे और यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हों कि यह कांफ्रेन्स अच्छा काम कर रही है तो उसको ग्रान्ट देने की अवश्य कृपा करें।

शिक्षा के संबंध में मुझे अधिक नहीं कहना है कारण कि मेरे बहुत से मित्र ऐसे हैं जोइस पर बोल चुके हैं और अन्य बहुत से मित्र इस पर बोलना चाहते होंगे। फिर भी इस विषय में दो तीन बातों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि वित्त मंत्री जी ने इस साल के बजट में छठे दर्जे तक एजूकेशन को निःशुल्क कर दिया है। इससे लोगों को बहुत कुछ राहत मिलेगी। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। परन्तु देखना यह है कि कार्य रूप में यह किस प्रकार परिणत होता है। अब तक जो इसका अनुभव है वह यह है कि यद्यपि पांचवें दर्जे तक एजूकेशन फ्री थी, परन्तु एडेड इंस्टीट्यूशंस फीस में माफी नहीं देते। उनका कहना है कि हमारी ग्रान्ट में कोई वृद्धि नहीं हुई इसलिये हमारा काम कैसे चलेगा। मुझे आशा है कि जब हमारी सरकार ने इस बात का निश्चय किया है कि वह एजूकेशन हायर सेकेन्ड्री स्टेज तक या कम से कम टेन्थ क्लास तक फ्री कर देंगे, तो उसे यह भी देखना चाहिये कि इस पर भली-भांति से अमल किया जावे। गवर्नमेन्ट्स स्कूल्स के विषय में मैं नहीं जानता परन्तु प्राइवेट एडेड स्कूल्स में हमारे आपके सभी के बच्चे पढ़ते हैं। हमारा अनुभव है कि हमको फीस देनी पड़ती है। मैं आशा करता हूं कि जो यह संकल्प हुआ है उसके आधार पर हमें अब भविष्य में फीस न देनी पड़ेगी।

इसी प्रकार से माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि सरकारी कर्मचारियों के वार्ड्स को नाइन्थ क्लास में आधी फीस देनी होगी। बहुत अच्छा कदम है, इसकी मैं सराहना करता हूं और सभी सराहना करेंगे। मैं नहीं जानता हूं कि यह केवल गवर्नमेंट स्कूल्स तक ही सीमित रहेगी या एडेड स्कूल्स में भी होगी। मेरा सुझाव है कि इसको दोनों ही प्रकार के स्कूल्स में कार्य रूप में परिणत किया जाना चाहिये।

शिक्षा के संबंध में जहां मैंने दो बातें कहीं हैं वहां एक बात और कह देना चाहता हूं। यूनीवर्सिटीज में होस्टल एकोमोडेशन की बहुत कमी है। प्रतिवर्ष विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यद्यपि यह सत्य है कि हमारे होस्टल एकोमोडेशन में कुछ

वृद्धि अवश्य हुई है परन्तु वह इतनी कम है कि अधिकांश लोग कम से कम आधे लड़के जो होस्टल में रहना चाहते हैं उन्हें यूनीवर्सिटीज में रहने की सुविधा नहीं प्राप्त होती है। यूनीवर्सिटीज में सिंगिल रूम्स को डबुल बनाया गया है, लेकिन फिर भी समस्या हल नहीं हो पा रही है। मेरा सुझाव है कि इस पर हमारी सरकार अवश्य ध्यान दे और ग्रान्ट नहीं तो लोन के रूप में ही सही यूनीवर्सिटीज को होस्टल बनाने के लिये रुपया दिया जाना चाहिये।

चिकित्सा और स्वास्थ्य के संबंध में डा० भाटिया और अन्य लोगों ने काफी कह दिया है। मैं केवल दो बातों की ओर श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और सब से पहली बात यह है कि.............

श्री डिप्टी चेयरमैन--एक बज कर ५ मिनट हो गये हैं।

श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी--५ मिनट और दे दीजिए। मेरा कहना यह है कि लखनऊ मेडिकल कालेज जो हमारे प्रदेश का सब से बड़ा कालेज है, जिसको स्थापित हुए ४०, ४५ वर्ष हो गये हैं उसमें जो उस समय प्राइवेट वार्ड्स का प्राविजन किया गया था वही आज तक चला आ रहा है। अनुभव बतलाता है कि वहां ऐसे रोगियों को जिन्हें प्राइवेट वार्ड्स की आवश्यकता है कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता है कि उनका वहां एडमिशन हो सके। यह प्राइवेट वार्ड्स जो संख्या में १२ हैं ६ स्त्रियों और ६ पुरुषों के लिये सन् १९११ में बने थे। ४५ वर्ष में रोगियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है पर जो काटेज वार्ड्स का नम्बर है यह वैसा ही चला आ रहा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इसके लिये विशेष अनुदान सरकार को देना चाहिये और अधिक संख्या में काटेज वार्ड्स और प्राइवेट वार्ड्स बनाये जाने चाहिये। जो आउट डोर पेशेन्ट डिपार्टमेंट हैं उसमें भी अधिक एक्सपैन्शन की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि गवर्नमेंट इस ओर अधिक ध्यान देगी।

उद्योग का अनुदान देख कर मुझे प्रसन्नता हुई, इसमें काफी विगत वर्ष से इस वर्ष वृद्धि हुई है। विशेष कर स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन की स्थापना का मुबारक कदम है जिसकी सराहना हम में से प्रत्येक करेगा। इसकी अत्यन्त आवश्यकता थी क्योंकि यह अनुभव किया जाता था कि गांव में और छोटे जिलों में जो वस्तुऐं कुटीर उद्योग के रूप में बनाई जाती थीं उनकी मार्केटिंग अथवा बेचने में काफी कठिनाई पढ़ती थी। जैसा कि कहा गया है कि और मुझे विश्वास है कि कारपोरेशन की स्थापना से बहुत कुछ इस काम में सहूलियत हो जायगी। इसके विषय में केवल एक ही सुझाव वित्त मंत्री जी को आपके द्वारा देना चाहता हूं वह यह है कि बहुत से इंस्टीट्यूशन में जिनमें कुटीर उद्योग की वस्तुऐं बनाई जाती हैं, उन्हें भी यह कारपोरेशन इसी प्रकार की सुविधा प्रदान करे।

जेलों के अनुदान के संबंध में मैं आप का ध्यान श्रीमन, रिफार्मेटरी स्कूल की ओर दिलाना चाहता हूं। लखनऊ में इस नाम की एक सरकारी संस्था है जिसको रिफार्मेटरी स्कूल कहते हैं। यह इस प्रदेश की अपनी एक ही संस्था है जिसमें वह लड़के जिनकी उम्र १४, १५ साल तक होती है और जिनको मैजिस्ट्रेट किसी अपराध में सजा देते हैं और जिनके बारे में यह अनुमान किया जाता है कि संभवतः वह रिफार्मेटरी स्कूल में रहकर शायद ठीक हो सकें, उनको भेजा जाता है। इस स्कूल से एक विजिटर या मैनेजमेंट कमेटी का एक सदस्य के नाते मेरा भी संबंध है और आज से नहीं कई वर्षों से है, मैं बराबर इसकी प्रगति देखता रहा हूं। मुझे यह कहने में थोड़ा सा दुख होता है कि जहां जेल में इतने इंप्रूवमेंट्स हुए वहां रिफार्मेटरी स्कूल उसी प्रकार कार्य कर रहा है जैसे दसियों वर्ष पहिले। इस स्कूल में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। बराबर इस कमेटी के सदस्य अपने सुझाव समय-समय पर भेजते रहते हैं। परन्तु कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूं कि जब नई-नई योजनायें बनाई जा रही हैं तो रिफा-

[श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी]
मेंटरी स्कूल की ओर भी सरकार को अपना ध्यान देना चाहिये।

अन्त में श्रीमन, मैं आपसे गन्दी बस्तियों अर्थात् स्लम्प क्लीयरेन्स के विषय में एक शब्द और कहना चाहता हूं। स्लम्प क्लीयरेन्स की, श्रीमन, आपको मालूम है कि एक जटिल और महत्वपूर्ण समस्या है। इस विषय में अभी हाल में एक आल इंडिया सोशल कानफ्रेंस द्वारा सेमीनार किया गया था, उसमें बतलाया गया था कि बम्बई और मद्रास प्रदेश में इस विषय में काफी कार्य हो रहे हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम में पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत १२० करोड़ रखे गये हैं और उसमें से २० करोड़ केवल स्लम्प क्लीयरेन्स के ऊपर सरकार व्यय करना चाहती है। श्रीमन, आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां भी स्लम्प क्लीयरेन्स का कार्य उसी तेजी से होना चाहिये जैसा कि अन्य प्रदेशों में हो रहा है क्योंकि यह समस्या ऐसी है, चाहे वह देहातों में हो या शहरों में, गन्दी बस्तियां जब तक ठीक न होंगी, हम कल्याणकारी राज्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकते।

अन्त में एक शब्द और कहना चाहता हूं वह है सर्विसेज के विषय में सर्विसेज के बारे में आजकल काफी वाद-विवाद हो रहा है। मैं उस वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता परन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि सर्विसेज को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। साथ ही हमें भी उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। यदि हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश वास्तव में डेमोक्रेटिक बने और हमारी स्टेट वेल फेयर स्टेट हो, तो उसके प्रत्येक सर्वेन्ट या कर्मचारी को यह समझना चाहिये कि यह स्टेट उसकी है। गवर्नमेन्ट और वे दो भिन्न चीजें नहीं हैं। हमें और उन्हें एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। दोनों का यदि म्युचुअल अथवा परस्पर कानफिडेन्स या विश्वास हो तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई कठिनाई पड़े। बहुत से कर्मचारी हैं जो बहुत ऊंचे स्थानों पर हैं उन्होंने अपना पुराना दृष्टिकोण नहीं बदला है। उन्हें अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिये। इन शब्दों के बाद मैं वित्त मंत्री को इस सुव्यवस्थित बजट के लिए बधाई देना चाहता हूं।

श्री डिप्टी चेयरमैन—कौंसिल २ बजकर १५ मिनट तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १ बज कर १५ मिनट पर अवकाश के लिए स्थगित हो गई और २ बज कर १५ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मदन मोहन लाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस बजट पर अपने विचार रखना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सोशलिस्ट बजट नहीं है। मैं नहीं समझता कि वह है या नहीं लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि यह बजट काफी प्रोग्रेसिव है, डिमोक्रेटिक और वेलफेअर भी है। इसकी सपोर्ट में मैं चंद चीजें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जो प्रावीजन है ग्रान्ट टू टी० बी० पेशेन्ट्स बिलांगिंग टू शेडयूल्स, बैकवर्ड ऐंड ऐक्स क्रिमिनल ट्राइब्ज, इसकी बड़ी आवश्यकता थी। आजकल यह टी० बी० की बीमारी काफी फेटल तो नहीं रही अगर इलाज ठीक हो। यह प्रावीजन बड़ा प्रोग्रेसिव है। इस सिलसिले में अर्ज करूंगा कि यह प्रावीजन केवल इन्हीं क्लासेज के लिये किया गया है। अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा करें कि इस प्रावीजन को सभी के लिये कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरे देखने में ऐसे केसेज आये हैं कि जिनकी आय सौ रुपये से कम है तो वे भी अगर इस मर्ज के मरीज हो गये हैं तो अपने आप इस मर्ज का इलाज नहीं कर पाये। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूंगा कि हमारे यहां गांधी आश्रम में एक वर्कर है। वे काफी ओल्ड हो गये हैं, पुराने हैं और जेल भी गये हैं। सन् १९३२ में वे मेरे साथ जेल में थे। वे टी० बी० से बीमार हो गये। थोड़ी सी इमदाद गांधी आश्रम ने दी लेकिन उनकी बीमारी बढ़ती गई। हमने कोशिश की कि चंदा इकट्ठा हो जाय लेकिन नहीं हुआ। तब एक दो आदमियों ने उनका

भार अपने जिम्मे लिया तब इलाज किया गया। इसमें उनके ६००–७०० रुपये खर्च हो गये, तब वे इस काबिल हुए कि वे रोजगार कर सकें। अगर इसको सब के लिये न कर सकें तो जिनकी आमदनी १०० रु० के करीब है या कम है उन के लिये यह रुपया अगर फराहम किया जाय तो अच्छा होगा और अगर जरूरत हो और भी आगे इसे बढ़ा सकते हैं।

दूसरा रिलीफ जो इस बजट में है वह उनके लिये है, जिनकी आय ९५ रुपये है और पांच रुपये का प्राबीजन है। अगर मंहगाई देखी जाय तो इसके लिहाज से ५ रुपये थोड़े हैं। लेकिन मैं इतना अर्ज कर दूं कि यह पांच रुपया तो इन ऐडीशन है उस से जो उनकी सालाना आमदनी बढ़ती है। इसके अलावा और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं जैसे उनके बच्चों के लिये अगर वे नवीं क्लास में हैं, तो उनको आधी फीस देनी पड़ेगी। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि यह काफी प्रोग्रेसिव है।

चौथी ग्रान्ट जो रखी गई है वह यह है कि ६० हजार रुपया हर एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इस उत्तर प्रदेश में दिये जायं, वह इस वास्ते कि चूंकि उनकी आय कम है और खर्च ज्यादा है। उनकी जो रोड्स और इमारतें हैं उनकी काफी खराब हालत है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि अगर कुछ ग्रांट जो आपके टाउन एरियाज हैं, उनके लिये प्रोवाइड की होती, तो ज्यादा अच्छा होता। टाउन एरियाज की हालत बहुत खराब है। बाज–बाज जगहों पर दोनों में कन– फ्लिक्ट भी है और देखने में आया है कि दोनों में टसलस है और आय देने वाला कहता है कि यह आय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दें या टाउन एरिया को दें। टाउन एरियाज की गलियां और नालियां बहुत खराब हैं, गन्दा पानी भरा रहता है जिससे उनकी हालत और खराब हो गई है और यह इसलिये कि उनकी माली हालत बहुत खराब है। इसलिये उनके लिये बजट में प्राबीजन होना लाजिमी था।

एक और प्राबीजन है और वह यह कि जो ७० साल या ७० साल से ज्यादा के बूढ़े हैं उनको कुछ पेन्शन मिलनी चाहिये, लेकिन यह बहुत थोड़ी है। इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले २०, २५ वर्ष के अन्दर हमारे यहां ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नल एन्ड व्याइड हो गये और इस तरह से जो फैमिली में बूढ़े हो जाते हैं उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। मेरा भतीजा विलायत से अभी वापस आया है। वह बतलाता है कि वहां पर बूढ़ों की हालत बहुत खराब है और वह इसलिये कि वहां पर ज्वाइन्ट फैमिली सिस्टम नहीं है। वहां पर जो बच्चे होते हैं वह फौरन ही अलग हो जाते हैं, बहुत थोड़े जो दयालु चित्त होते हैं वह ५–१० रुपया महीना दे देते हैं, अधिकतर नहीं देते हैं। लेकिन वहां पर नर्सिंग होम्स हैं जहां पर उन बूढ़ों को सहायता मिलती है। मगर यहां पर तो नर्सिंग होम्स भी नहीं हैं जहां इन बूढ़ों की देखभाल हो सके। इसलिये यह एक अच्छा प्राबीजन है।

एक और तरमीम यह है कि पिछले सालों में यह होता था कि गुजिश्ता साल के सेल के बेसिस पर नये साल का सेल टैक्स लगा दिया जाता था, वह चीज अब खतम हो गई। अब तक यह था कि अगर किसी ने एप्लाई किया कि पिछले साल की हमारी बिक्री इतनी थी तो उसी के हिसाब से सेल टैक्स लागू हो जाता था। इसमें बड़ी चोरियां और धांधली हुआ करती थीं। इसको हटाने से जो ईमानदार वर्ग है वह उसको वेलकम करता है और कहता है कि इससे सरकार की आय भी बढ़ जायेगी। सब से बड़ी रिलीफ जो बिजिनेस कम्युनिटी को मिली है वह इससे कि कपड़ा, तम्बाकू, चीनी जो आपने इक्साइज के साथ जोड़ दिया है। इससे पहले बड़ी शिकायत थी और बावेला था, लोग कहते थे और शिकायत करते थे कि पहले सेल टैक्स से लोग छिपा लेते थे, अब इमानदारी से सब सामने आ जायेगा। इस प्राबीजन के आ जाने से पैदावार जो होगी उसपर टैक्स लग जाया करेगा और अब कोई चोरी या बेईमानी न होने पायेगी। बिजिनेस कम्युनिटी के लोग तो इसको बहुत पसन्द करते हैं और इससे सरकार की आय काफी बढ़ेगी।

एक और रिलीफ है और वह यह कि फूड ग्रेन पर सिंगल प्वान्ट टैक्स कर दिया गया है और वह भी इस तरह से कर दिया गया है जिस को हम परचेज टैक्स कह सकते हैं। जैसा बजट में लिखा हुआ है कि अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर या अनरजिस्टर्ड डीलर्स से परचेज करता है तो उस को यह टैक्स देना पड़ेगा। इस सदन में दो एक भाषण ऐसे हुये जिन में कहा

[श्री मदन मोहन लाल]

गया कि फूड ग्रेन पर टैक्स नहीं होना चाहिए। बात तो बहुत ही अच्छी है कि टैक्स नहीं होना चाहिये लेकिन बजट की पोजीशन को देखते हुये यह बहुत ही मुश्किल है कि इस तरह के टैक्स को छोड़ दिया जाय। इस टैक्स का जहां तक उस जनता से ताल्लुक है जो कि गांव में रहती है तो उन पर इस का कोई असर नहीं पड़ेगा। वे तो सीधा प्रोडयूस करने वाले से खरीदते हैं। लेकिन इस का असर अरबन एरिया में रहने वाली जनता पर अवश्य पड़ेगा। परन्तु साथ ही यह भी प्राविजन है कि जिसकी बिक्री ३० हजार से कम होगी उन को एक्जेम्प्ट कर दिया जायेगा। इस से काफी छोटे-छोटे दुकानदारों को मदद मिलेगी। अलावा इन चीजों के सरकार सब को वे चीजें दे रही है जिन को मैंने अभी बयान किया है।

अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने यहां पर कहा है कि जो ५० प्रतिशत इन्टरटेनमेंट टैक्स बढ़ाया गया है उसका अधिक भार छोटे आदमियों पर पड़ेगा। लेकिन मैं इसके सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन्टरटेनमेंट टैक्स की अधिक आमदनी सिनेमाओं से होती है और जितनी गांवों की जनता है उनके यहां कोई सिनेमा नहीं है। इस लिये ८० प्रतिशत जनता पर इसका असर नहीं पड़ेगा और जो २० प्रतिशत जनता शहरी क्षेत्र में रहती है उसी के बारे में यह कहना चाहता हूं कि वे भी रोज सिनेमा नहीं देखते हैं। उनमें से बहुत कुछ तो ऐसे हैं जो कभी भी सिनेमा नहीं जाते हैं और बाकी कभी-कभी जाते हैं, तो इससे कोई विशेष असर उन पर नहीं पड़ेगा।

इसी तरह से जो मोटर स्प्रिट पर टैक्स बढ़ाया गया है उस पर भी आपत्ति की गयी और यह कहा गया है कि गरीब जनता पर इसका असर पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि ग्रामीण जनता बहुत कम सफर करती है और अक्सर वे अपनी ही बैलगाड़ियों पर जाते हैं। इन में से बहुत कम होंगे जो मोटर गाड़ियों से सफर करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस टैक्स का ऐसा असर नहीं पड़ेगा जैसी कि पिक्चर इस सदन के सामने रखी गयी है। मैं यह भी साथ ही अर्ज कर दूं कि इस टैक्स से बहुत कम आमदनी है जिससे यह साबित होता है कि इनका असर बहुत कम आदमियों पर पड़ेगा। अगर सब पर असर पड़ता तो आमदनी भी उसी हिसाब से अधिक होती। इसी तरह से जो रजिस्ट्रेशन की फीस बढ़ायी गयी है वह ठीक है और उसका असर छोटे आदमियों पर बहुत कम पड़ेगा बल्कि वह नहीं के बराबर है।

एक चीज मैं सदन के सामने और रखना चाहता हूं और वह यह है कि शिक्षा पर काफी रुपये हमारी सरकार पहले से खर्च कर चुकी है और इस दफे और ३ करोड़ रुपये का इजाफा है। लेकिन अगर आप देखें तो इस शिक्षा के बारे में कोई अभी तक निश्चित् प्लान नहीं है। आप यह देखते होंगे कि काफी तादाद में लड़के पास होकर निकलते हैं और निराशा की हालत में इधर उधर फिरते रहत हैं। जहां तक थर्ड डिवीजन वालों का ताल्लुक है उन्हें तो कोई जगह ही नहीं मिलती है और न उन के पास ऐसे कोई साधन होते हैं कि वे अपने आप कोई इन्डस्ट्री कायम कर सकें।

आजतक हमारी सरकार ने, यह जो काटेज इन्डस्ट्रीज हैं, उनका अभी कहीं गांवों में निर्माण नहीं किया है। जबतक गवर्नमेंटल लैविल पर इनका निर्माण छोटे-छोटे गांवों में या कस्बों में और ग्रुप आफ विलेजेज के अन्दर नही होगा तब तक मैं समझता हूं कि जो एजूकेशन पर इतना रुपया खर्च किया जा रहा है, उसका कोई ज्यादा लाभ नहीं है। इसलिये सरकार को और जो एजूकेशनिस्ट्स हैं, उनको यह चाहिये कि जब सरकार का १८, २० परसेन्ट बजट इस आइटम पर खर्च होता है तो कोई ऐसी स्कीम बनावें, जिससे यह सब के लिये हितकर हो। उन्हें कोई ऐसी स्कीम जरुर सामने लानी चाहिये जिससे कि जो लोग पढ़ लिख लें, वह किसी धंधे में या नौकरी में लग सकें।

मैंने बजट में एक चीज देखी है और वह यह है कि जो हमारी नेशनल इनकम है, वह काफी बढ़ गयी है, जो करीब करीब ४ रु० ७ आने पर हेड पड़ी, तो मैं यह सोचता था कि इसमें काफी इजाफा हुआ है, लेकिन जब मैंने उसे फिर बड़े गोर से देखा, तो मैं समझा कि यह इजाफा

जो है वह तो इस तरीके से है कि यदि आप, जो बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट हैं, उनकी इनकम के रिटर्न को देखें, तो वह पहले से ज्यादा इनफिलक्टिड मिलती है, यह इनकम तो ज्यादातर उसमें चली जाती है। इस बजट में यह है कि करीब ४ परसेन्ट आदमियों को इम्प्लायमेंट मिल गया है तो यह ४ परसेन्ट जो इम्प्लायमेंट मिला है, अगर उनकी तनख्वाहों को इसमें जोड़ा जाय, तो मैं समझता हूं कि जितनी आय बढ़ी है, करीब एक चौथाई हिस्सा इनमें चला जाता है और जो तबका ऐसा था कि जिसकी आय बहुत कम थी, मैं समझता हूं कि वह वहीं का वहीं रहता है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ताकि उनका भी स्तर कुछ ऊंचा हो सके।

जो सरकार के अपनी अन्डरटेकिंग्स हैं, उनकी तरफ जब तवज्जो किया गया तो देखने में यह आया है कि परसेन्टेज आफ प्राफिट बहुत कम है, जैसे कि रोडवेज को ही ले लीजियेगा, तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि २·३२ परसेन्ट की आमदनी है। इसमें कोई शुबहा नहीं है कि डेप्रिसिएशन में काफी बड़ी रकम गयी है जो कि करीब-करीब ९ परसेन्ट आती है और करीब ३ परसेन्ट की रकम सूद की आती है, यदि सूद और इस रकम को जोड़ दिया जाय, तो ५ परसेन्ट के करीब आती है, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत कम है।

श्री डिप्टी चेयरमैन--आपका समय हो गया है।

श्री मदन मोहन लाल--मैं केवल दो मिनट और लूंगा।

मैं समझता हूं कि पिछले दिन कुंवर गुरु नारायण जी ने एक सुझाव सेल टैक्स का दिया था, मैंने भी इस पर विचार किया और मैं यह समझा कि जब फूड ग्रेन्स पर टैक्स लगा ही लिया है तो फिर इस आइटम को ही क्यों छोड़ा जाय, मैं समझता हूं कि अगर प्राविन्शियली इस पर टैक्स लगाया जा सकता है, तो सरकार जरूर इसके ऊपर विचार करे और इस पर टैक्स लगाये। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि इससे बड़ी रकम मिल सकती है। अगर हम इसी तरीके से चलें कि दो पैसा माहवार भी अगर एक आदमी को टैक्स देना पड़े तो एक साल में ६ आने से ज्यादा एक आदमी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही छोटा टैक्स है और शायद ही कोई आदमी इसको देने से गुरेज करे। इस तरह से दो या सवा दो करोड़ की आमदनी इससे हो सकती है। मैं अपने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस चीज को सोचें और अगर इस पर टैक्स लगाया जा सकता हो तो जरुर लगावें। क्योंकि जब हर एक फूड आइटम पर टैक्स है तो फिर कोई वजह नहीं है कि इसे छोड़ दिया जाया। हमें इस ख्याल से इसे नहीं छोड़ देना चाहिये कि गांधी जी ने चूंकि नमक का कानून तोड़ा था, तो गांधी जी ने तो बहुत से कानून तोड़े थे और हम सब लोगों ने भी बहुत से कानून तोड़े, लेकिन अब वह एज चली गयी है। आज तो अगर हम इस तरह का टैक्स लगावें भी तो वह नेशनल डेवलपमेंट के लिये खर्च होगा जिससे कि हमारे प्रदेश का बहुत फायदा होगा।

श्री डिप्टी चेयरमैन--श्री मदन मोहन जी, आप का समय खत्म हो गया है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में जो सन् १९५७-५८ का बजट माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश हुआ है और जिस पर हम लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, मैं भी उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज जो बजट माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, वह सरकार की उस नीति का जो कि हम अपने यहां सेकुलर स्टेट बनाने जा रहे हैं, प्रतिपादन करता है क्योंकि आज हिन्दुस्तान के किसी भी सूबे में वह चीज नहीं हुई है जो कि हमारे सूबे में हुई है और वह यह है कि हम ने ७० वर्ष से ऊपर वालों के लिये, जिन को कि कोई दीन दुखिया पूछने वाला नहीं है, आज उनके जिन्दगी के सहारे के लिये हम ने इस में रकम रखी है और उनको सहारा दिया है। आज जो गरीब तबके की तरफ हमारे वित्त मंत्री जी की निगाह गई है, वह एक ऐसी निगाह है जिससे कि मैं समझता हूं कि हमारा सूबा वेलफेयर स्टेट की तरफ जा रहा है। आज ९५ रुपया तनख्वाह पाने वालों को ५ रुपये तरक्की दी गई है और उन के लड़कों के लिये छठवें दर्जे तक फीस माफ हुई है और नवें दर्जे में आधी फीस हुई है। ऐसा होने से उन को काफी राहत मिलेगी और उन के लड़के भी अच्छी तरह से अपनी जिन्दगी को गजार सकेंगे। हमारी सरकार की निगाह अभी यहीं तक सीमित नहीं रहनी

[श्री पन्ना लाल गुप्त]
चाहिये और सरकार को आगे के लिये भी बजट में उन को राहत देनी होगी जिससे कि वे अपनी जिन्दगी को और भी अच्छी तरह से गुजार सकें ।

जहां तक आज डिपार्टमेंट्स की बातें हैं, अगर मैं इस बजट के मौके पर हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर जाऊं, तो इसमें एक तरफ तो बहुत समय हाउस का लगेगा और दूसरी तरफ और भी माननीय सदस्य अभी इस बजट के मौके पर बोलना चाहेंगे, इसलिये यह उचित नहीं जान पड़ता है। आज जब हम सरकार का बजट देखते हैं और सरकार की नीति व उसकी प्रशासन व्यवस्था देखते हैं, तो हमें कुछ आश्चर्य होता है। आज अगर हम प्रदेश की शासन व्यवस्था की तरफ जाते हैं, जिन के हाथ में सूबे की जिम्मेदारी दे रखी है और उस का जो इन्तजाम करते हैं, अगर हम उनकी तरफ जाते हैं, तो हमें एक दूसरा ही नक्शा देखने को मिलता है। आज प्रशासन की बागडोर जिनके हाथ में है, तो हम यह उम्मीद करते थे कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद वे अच्छी तरह से कार्य करेंगे और अपने को हिन्दुस्तान का व देश का सेवक समझ कर कार्य करेंगे, लेकिन वे चीजें उन में नहीं हैं। आज मैंने मजबूर होकर इस बजट के अवसर पर माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। आज हम पुलिस में जिस तरह से तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, तरक्की दे रहे हैं और रोज उनकी ख्वाहिशें पूरी करते जा रहे हैं, फिर भी उनका काम ठीक नहीं है, यह देख कर दुख होता है। पहले यह कहा जाता था कि इन्सपेक्टर और सब-इन्सपेक्टर को वर्दियां नहीं मिलती हैं, उनके लिये मंत्री जी ने बजट में प्राविजन किया। इसके अतिरिक्त थानेदारों और सर्किल इन्सपेक्टरों के लिये भी वर्दियां दीं और उन को पैसा दिया है वा खाने के लिये भी पैसे दिये, लेकिन हम पुलिस के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि पुलिस में क्राइम्स बढ़ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कुछ आंकड़े यहां पर बतला देना चाहता हूं। डकैतियां सन् १९५४ में ९०१, सन् १९५५ में ८४४ हुईं, तो सन् ५६ में वे ९३२ हो गईं। राहजनी सन् ५४ में ४८८, सन् ५५ में ४१४ तथा सन् ५६ में ५६२ हो गईं। हत्यायें सन् ५४ में १५९२, सन् ५५ में १४४८ तथा सन् ५६ में १५९९, दंगे सन् ५४ में ३८३ सन् ५५ में २७५५ तथा सन् ५६ में ३७९५। सेंधें सन् ५४ में १८९, सन् ५५ में ५०९ तथा सन् ५६ में ९४२० हैं। इस तरह से ये संख्यायें बढ़ गयी हैं। इस के लिये लिखा जाता है कि किंचित वृद्धि मामलों में ठीक प्रकार से न सोचने और गलत रिपोर्ट दर्ज करने के कारण हुई।

इससे साफ जाहिर होता है कि सन् १९५४-५५ में जो आंकड़े इंदराज किये गये हैं और जो रिपोर्ट लिखी गयी है वह ठीक तरह से नहीं इंदराज किये गये, इसलिये सन् १९५६ में ठीक किये गये, तो उनके आंकड़ बढ़ गये। तो इस तरह से एक अच्छा रोल प्ले किया गया। मै मिसाल देता हूं। ठीक इंदराज करने के कारण बढ़ गये। मैं अब भी कहता हूं अगर सरकार और हम लोग देखें, देहातों में आम तौर से चोरियां जो गरीबों के यहां होती हैं उनको दर्ज नहीं किया जाता है। अभी १४ रोज पहिले ही हमारे यहां एक बदमाश ने एक आदमी को गोली मारी और जब वह आदमी एक मकान में घुसा तो उस मकान में एक कुम्हार था उसने कहा कि तुम यह क्या करते हो, तो उसको भी गोली मारी और वह मर गया। १५ दिन हो गये, वहां पर पुलिस का कोई भी कान्सटेबुल नहीं गया। जब कप्तान साहब से कहा गया तो उन्होंने कहा जरूर गया होगा। हमने पूछा कि आपने देखा, तो उन्होंने कहा कि हमने देखा तो नहीं। जब वह आदमी रिपोर्ट करने थाने में गया, तो उससे कहा गया कि दरोगा जी नहीं हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जायगी। उस कुम्हार को लेकर लोग शहर आये और अस्पताल में दाखिल किया। कोतवाली में मुद्दई गया। वहां पर उससे कहा गया कि थानेदार साहब ने कहा है कि रिपोर्ट न लिखी जाय। एस० पी० से कहा गया तो उन्होंने कहा कि देखा जायगा। मजबूर हो कर गवर्नमेंट को तार दिया गया। दूसरे तीसरे रोज जब एस० पी० के यहां गया तो एस० पी० ने कहा कि चूंकि तुमने गवर्नमेंट को तार दे दिया है, वहां

से जो कुछ होगा किया जायगा। अब वही आदमी बन्दूक ले कर घूमता है और कहता है कि जिस पर हमने पहले गोली चलाई थी जब तक उसको न मार लेंगे तब तक हम हाजिर न होंगे। आज हालत यह है। मैं अपने जिले के आंकड़े दूं, वहां चोरियां डेढ़ गुनी ज्यादा हो गयी हैं, मर्डर डेढ़ गुना ज्यादा हो गये हैं। अगर देखा जाय हमारा जिला एक बदनसीब जिला है, कोई रोज ऐसा नहीं होता है जब कि चीरघर में पोस्ट मारटम के लिये कोई न कोई लाश न दिखाई दे। दूसरी तरफ हालत यह है कि किताबों में जो आंकड़े दिये गये हैं उसमें असलियत को छिपाया गया है। यह पुलिस ने कहीं पर नहीं दिखाया है कि हमारे यहां इतनी वारदात हुई, इतने केस चले, इतने छूटे और इतनों में फाइनल रिपोर्ट लिखी जिससे यह मालूम हो जाता कि हमारी पुलिस ने इतना काम किया। आज एक तस्वीर छिपाई जाती है और हम लोग असलियत को नहीं देख पाते हैं। हम लोगों के सामने सरकार और जनता के सामने इन सब चीजों को आना चाहिये, जिससे हमको मालूम हो सके कि हमारे यहां का इंतजाम कैसा है। इन चीजों के साथ अगर हम उपसंहार को देखें, इतना बढ़िया लिखा हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने मुंह अपनी तारीफ की है, पुलिस और जनता को एक दूसरे के समीप लाने तथा पुलिस को जनता की सेवाओं के योग्य बनाने के लिये सतत प्रयत्न जारी रखे गये और पुलिस फोर्स ने प्रशंसनीय रूप से अपने कार्य को निभाया और उसका मनोबल काफी अच्छा रहा। एन्टी-करप्शन के आंकड़े देखे जायं, एन्टी करप्शन के डिप्टी एस० पी० हैं कितने लोगों को सजा दी गयी, कितनों को छोड़ दिया गया, तो इससे कुछ पता नहीं चलेगा। सब से बड़ा जुल्म आज यह हो रहा है, हमारे सूबे के आई० जी० जो मुस्तकिल आई० जी० हैं वह बाहर पड़े हुए हैं और उनकी जगह पर मोस्ट जूनियर तथा भ्रष्ट टेम्पोरेरी आई० जी० बराबर काम कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कि एक मुस्तकिल आई० जी० यहां का जो हो वह यहां क्यों नहीं बुलाया जाता है, वह बाहर क्यों है क्या खसूसियत है या कोई खराब बात है जिसे सरकार पसन्द नहीं करती है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मुस्तकिल आई० जी० कौन हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत व उद्योग मंत्री)--अगर आप उनकी तारीफ करते हों तो उनको बुला लिया जाय।

श्री पन्ना लाल गुप्त--मंत्री जी जानना चाहते हैं, कोहली साहब मुस्तकिल आई० जी० हैं।

श्री डिप्टी चेयरमैन--श्री पन्ना लाल जी, आप व्यक्ति विशेष की चर्चा न कीजिए।

श्री पन्ना लाल गुप्त--मैं पर्सनल पर कभी न जाता, कुंवर साहब ने कहा और माननीय मंत्री जी ने कहा तो मैंने कह दिया। अगर आप कहें तो मैं कभी नाम न लूं चाहे कोई भी पूछे। कुंवर साहब की बातों पर कहना ही पड़ता है। तो इस तरह की चीजें आज हमारे यहां चल रही हैं। उन्हें भी हमें अच्छी तरह से देखना है।

दूसरी तरफ मैं भ्रष्टाचार की तरफ आता हूं। इस पर सब की आवाजें उठती हैं। सरकार भी प्रयत्नशील है और हम सब भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे सूबे से खत्म हो। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहां एक भ्रष्टाचार कमेटी बनी, जिसमें नान-आफिशियल चेयरमैन रखे गये। मैं भी उसका चेयरमैन हूं, मगर मैंने देखा कि वह कमेटी नहीं के बराबर हो गई। उसका तरीका यह है कि अगर हमारे पास कोई दरख्वास्त आ जाती है तो हम डिपार्टमेंट्स के पास जांच के लिये भेज देते हैं। बाद में जब जांच के बाद रिपोर्ट हमारे पास आती है तो हम देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि यह शिकायत झूठी है। इसके बाद हम उसको फाइल कर देते हैं। इसके अलावा हमको कोई अधिकार नहीं है। हम कोई इनक्वायरी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ

[श्री पन्ना लाल गुप्त]

कमेटी बना कर के हम कोई फायदा नहीं कर सकते हैं। हम तो सिर्फ एक पोस्ट आफिस की तरह काम करते हैं, जिस काम को एक मामूली क्लर्क कर सकता है। जब कोई शिकायत आती है तो डिपार्टमेंटल हेड्स के पास भेज दी जाती है। आज भ्रष्टाचार की हालत यह है जो लोग भ्रष्टाचार प्रवृत्तियों में मशगूल हैं वह अपने काम से किसी प्रकार से भी बाज नहीं आते हैं। मैंने अभी देखा हमारे यहां एक सैनेटरी इंस्पेक्टर रिश्वत के मामले में पकड़ा गया और जिस वक्त थाने में डी० एस० पी०, ऐन्टी-करप्शन ने बन्द किया, तो मैंने सुना कि रात में उनको हवालात से बाहर निकाल लिया गया और चारपाई पर बिस्तर लगवा करके आराम से थाने के आंगन में सुलाया गया और कुछ दूसरे साहब कागजात लेकर वहां पर गये। जिस कागज में गवाहों के चालान किये गये उसको बदल करके फिर उन कागजात को अदालत में भेजा गया। तो आज इस तरीके से एक अफसर हवालात में बन्द करता है, दूसरा अफसर आंगन में सुलाता है तो मैं क्या समझूं कि इन प्रवृत्तियों पर हम किस तरह से काबू पायेंगे। हमने कानून बनाया, कमेटी बनाई मगर हालत यह है कि भ्रष्टाचार बन्द नहीं है। अब हमें देखना यह है कि उनको हम किस तरह से तबदील करें। आगे और देखा जाय तो मालूम होगा कि अभी एक बंगला १ लाख ७५ हजार में खरीदा गया और अगर उसकी कीमत आंकी जाय तो सही बात मालूम होगी, लेकिन वह फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक साहब के रिश्तेदार का बंगला है, इसलिये १ लाख ७५ हजार रुपये में खरीद लिया गया। दूसरी तरफ देखा जाय हमारे मिनिस्टर साहब जहां रहते हैं पंच बंगलियों के सामने, वहां एक हाई आफिसर को जमीन दी जाती है, जो बिना किराये की है। ६ आना स्क्वायर फिट पर जमीन दी जाती है जब कि लखनऊ में ३ रुपया और ५ रुपया से कम स्क्वायर फिट जमीन नहीं है। कई हजार का प्लाईवुड सीतापुर से आ गया है क्योंकि प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एक पुलिश सीतापुर में कारखाने के सामने बनवा दी थी। छोटे-छोटे मामलों को कहां तक कहूं। बड़े-बड़े मामले हमारे सामने हैं, मुर्गी को मार देना आसान है, मगर शेर नहीं मारा जाता है। इस तरह से मुर्गियों को मारने से काम नहीं चलेगा। आज एक अमीन को एक रुपया रिश्वत में पकड़ लेना आसान है, लेकिन जो बड़े बड़े अफसर हैं वे तीन-तीन बोतल शराब नायब तहसीलदार से लेकर भी पी जायं, लेकिन उनको नहीं पकड़ा जाता है, तो इन अमीनों के पकड़ने से क्या होगा? आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह से लोगों को तरक्की मिल रही है? हमने सुना है कि कोई दूसरे चीफ सेक्रेटरी आने वाले हैं जो उपरोक्त भ्रष्टाचार में संलग्न थे, मगर अब उनको चीफ सेक्रेटरी का पद दिया जा रहा है। अक्सर देखा यह गया है कि हमारी सरकार के सम्मुख किसी बड़े अधिकारी की शिकायत करने पर, बजाय इसके कि उसकी इनक्वायरी की जाय और उसे सजा दी जाय, उसे तरक्की दी जाती है। उदाहरण के लिये किसी एस० पी० की शिकायत करने पर वह डी० आई० जी० बना दिया जाता है और डी० आई० जी० तब आई० जी० बना दिया जाता है। इस प्रकार अगर किसी डिप्टी सेक्रेटरी की शिकायत होती है, तब उसे सेक्रेटरी बना दिया जाता है। लेकिन इसके विपरीत छोटे मोटे अधिकारियों की शिकायतें होने पर उन बेचारों को तनज्जुल कर दिया जाता है। सर्किल इंस्पेक्टर की शिकायत होने पर वह सब-इन्स्पेक्टर बना दिया जाता है और सब इन्सपेक्टर की शिकायत होने पर वह हेड कान्स्टेबुल बना दिया जाता है। इसी प्रकार सेक्रेटेरिएट में छोटे अधिकारियों की शिकायत होने पर वे तनज्जुल किये जाते हैं तथा निकाल दिये जाते हैं, किन्तु बड़े अधिकारियों के मनमाने भ्रष्टाचार करने पर भी उनको तरक्की ही होती है। आज हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि ईमानदार अधिकारी अपने स्वाभिमान की रक्षार्थ बड़े अधिकारियों की अधिक खुशामद नहीं कर पाते, इसलिये उन बेचारों की कोई सुनवाई नहीं होती। मगर भ्रष्टाचारी लोग खुशामद के बल पर और चाटुकारिता की योग्यता पर बराबर तरक्की

करते चले जा रहे हैं। सरकार में इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती कि ऐसे जूनियर लोग किस प्रकार और क्यों तरक्की पा गये हैं। बस उनके पीछे किसी बड़े अधिकारी का हाथ होना चाहिये। जितने बड़े अधिकारियों की शिकायतें की गयीं, या तो उनका ट्रान्सफर कर दिया गया या सेक्रेटेरियेट में बुला लिया गया, नहीं तो यहां से हटा कर दिल्ली भेज दिया गया। वे वहां से हटा दिये गये। अगर उनसे कुछ कहा गया तो उन्होंने यही कहा कि उसको इस सूबे से हटा दिया गया। जो आदमी हर दृष्टि से भ्रष्ट है, उसको तरक्की दे दें, तो इस तरह से भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। आज जिस तरह से हमारी प्रवृत्ति खराब हो रही है उसको हमें देखना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट और समय दीजिए। एक सेमीनार दक्षिण भारत में हमारे प्लानिंग अफसरों का हुआ था, उसमें सारे अफसर वहां गये थे। वे अपने बीबी बच्चों के साथ वहां पर गये। खूब तीर्थ यात्रा हुई। पूरे-पूरे समय का टी० ए० हर अफसर ने सरकार से चार्ज किया। उन लोगों ने तीर्थ यात्रा का पैसा सरकार से लिया है। इसको भी सरकार देखे। मैं सरकार से कहूंगा कि वह इनक्वायरी कमेटी बैठाये और वह देखे कि टी० ए० चार्ज हुआ कि नहीं, वे तीर्थ यात्रा में गये कि नहीं। यह बड़े-बड़े अफसरों की चीज है।

पी० आर० डी० डिपार्टमेंट को अभी खत्म किया गया। वह इसलिये किया गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पोलिटिकल सफरर हैं, जिन्होंने देश की आजादी में भाग लिया है, जिनमें देश के प्रति काम करने की भावना है। आज पी० आर० डी० को खतम करके उनको हटाया जा रहा है, इसलिये कि वे बड़े अधिकारियों की चाटुकारिता करना नहीं जानते और न ही उनके बच्चों को खिलाना जानते हैं। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो सोया करते हैं। पी० आर० डी० डिपार्टमेंट के वे सब लोग सर्विसेज में आ जायेंगे, मगर जो पोलिटिकल सफरर होंगे वे निकाल दिये जायेंगे। यह जो मेनटालिटी है, यह मेनटालिटी आज एक दो जगह नहीं है। आज जो अफसरों की मेनटालिटी है वह ठीक नहीं है। मंत्री महोदय के सामने कुछ सब्जबाग नजर आयेगा लेकिन उनके सामने कुछ कहने जाइये तो वे कहते हैं कि दो पैसे की टोपी लगा कर चले आये।

आज विधान सभा में मंत्रि-मंडल हमसे बजट पास करा ले, लेकिन क्या सरकार उन अफसरों को भी ठीक करेगी जो आज यह कहने को तैयार हैं कि दो दो पैसे की टोपी लगा कर हम पर हुकूमत करने को चले आते हैं। आज इन अफसरों की हालत यह है कि खुदा ही मालिक है। आप एक तरफ बढ़िया मकान तैयार करते जाइये, हमसे कहिये कि विकास के लिये हमको दीजिए, हम सुन्दर निर्माण कार्य करेंगे। मगर वह नींव तो ऐसी कुदाल से खोदी जा रही है जिसकी खटक भी आपको नहीं सुनाई दे रही है। अभी तो एक तिहाई ही समाप्त हुआ है। कहीं ऐसा न हो कि एक मंजिल के बजाय सारी इमारत ही साफ हो जाय। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने अफसरों पर कड़ी दृष्टि रखें।

एक बात और रह गई। वह बात यह है कि एक तैराकी तालाब यहां बनाने के लिये सरकार ने बजट मंजूर कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया कि यहां गोमती में कितने आदमी तैरते हैं। कानपुर में एक स्त्री व्यायामशाला, तैराकी व्यायामशाला है, जहां पचीस-पचीस मील की रेस होती है, जिसमें स्त्री-पुरुष सभी भाग लेते हैं और यहां लखनऊ में अफसरों के लिये तालाब बनाने के लिये बजट मंजूर कर दिया जाता है। अफसर जो चाहें कर लें, चाहे तालाब बना लें या जो भी चाहें करें। अगर कोई इंस्टीट्यूशन कोई रिपोर्ट भेजता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं कहता हूं कि लखनऊ में एक आदमी भी ऐसा न होगा जो दस मील तैर सकता हो और कानपुर में २५ मील तक की तैराकी रेस होती है जिसमें मर्द-औरतें सभी तैरते हैं, लेकिन तालाब कानपुर में नहीं बना, बना तो लखनऊ में बना। तो मेरा कहना यह है कि मंत्री महोदय का उधर भी ध्यान जाये और जिस खूबी के साथ बजट बनाया है उसी खूबी के साथ उधर भी देखें। इन बातों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सावित्री श्याम (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहिले कि मैं प्रस्तुत बजट पर अपने भाव प्रकट करूं, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं। इसमें संदेह नहीं कि माननीय वित्त मंत्री जी अपने विषय में बहुत ही सुलझे हुए हैं और उन्हें अपने विषय पर पूरा अधिकार है। इस वर्ष का जो बजट लाया गया है उसके देखने से ही यह आभास मिलता है कि यह और वर्षों के बजट से भिन्नता लिये हुए है। बजट के सेलिवन्ट फीचर्स को देखने से पता चलता है कि वह प्रगतिशील और कल्याणकारी है। ७० वर्ष के वृद्धों का पेंशन देना, कक्षा ६ तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देना और चौथे श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर देना इस बात का द्योतक है कि हमारा प्रान्त समाजवाद की ओर बढ़ रहा है, और यह समाजवाद के लिये पहला कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बजट की सभी क्षेत्रों में प्रशंसा हुई है और इसका स्वागत किया गया है और आगे भी इस बात की आशा की जाती है कि इससे सूबे का बहुत कुछ भला होगा। यह आलोचना की गई है कि बजट डेफिसिट बजट है। अर्थशास्त्र के विद्वानों का कथन है कि प्राइवेट बजट सरप्लस बजट होना चाहिये और पब्लिक बजट हमेशा डेफिसिट में होना चाहिये जिससे कि उसको खर्च करने वाली सरकार को हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि एक-एक पैसा देख-देख कर लगाना है। इससे सरकार को यह सोचना चाहिये कि वह इस पैसे की ट्रस्टी है और इस पैसे को देखभाल कर खर्च करना है। हां, एक बात मैं कहूंगी कि ओवर बजटिंग भी होती है। पिछले साल हमने देखा कि ५ करोड़ ५० लाख का घाटा दिखलाया गया लेकिन १ करोड़ ३० लाख का सरप्लस रहा। इस बार भी ऐसा होगा कि यह इतना डेफिसिट नहीं रहेगा।

इस सदन के माननीय सदस्यों ने सूबे की आमदनी बढ़ाने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं, जैसे प्राहीबिशन को खत्म कर देना, नमक पर टैक्स लगाना और फैशनेबुल स्त्रियों पर कर लगाना। सूबे की तरक्की और बहबूदी हर एक चाहता है। सूबे की उन्नति प्लान पर निर्भर है। वह एक पवित्र यज्ञ है। उस यज्ञ में आहुति देना हर एक का फर्ज है। अभी दो तीन दिन हुए कांग्रेस के प्रेसीडेंट ढेबर साहब ने कहा कि प्राहीबिशन कांग्रेस पार्टी की नीति नहीं है। बल्कि यह एक नेशनल पालिसी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पब्लिक के मारेल को ऊंचा करे। इस सिलसिले में हालांकि प्रगति नहीं हुई है लेकिन इसके माने यह नहीं है कि इस चीज को एक दम छूट दे दी जाय। दूसरी चीज नमक पर टैक्स लगाने को कहा गया। अब भी वे लोग मौजूद हैं जो नमक आंदोलन में जेल गये हैं। भावनाओं को कुचल कर कोई चीज जीवित नहीं रह सकती है। जहां तक महिलाओं का संबंध है उसका उत्तर तारा जी दे चुकी हैं। स्त्रियों ने हमेशा से देश की प्रगति के लिये सैक्रीफाइस की है। आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपना सुहाग लुटाया है, गोद सूनी की है। वे भारत के नव निर्माण के लिये सब कुछ त्याग कर सकती हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने स्माल सेविंग्स पर जोर दिया है। मैं भी समझती हूं कि जब हमें घाटे को पूरा करना है तो स्माल सेविंग्स से बेहतर दूसरी कोई चीज नहीं हो सकती। यह योजना तीन-चार वर्ष से चल रही है। लेकिन इसमें काफी प्रगति नहीं हुई। जिन लोगों ने इस चीज को चलाया है वे इसमें सफल नहीं हुए हैं। जिन जिलों में स्माल सेविंग्स से रुपया इकट्ठा हुआ है वह स्माल सेविंग्स से नहीं हुआ। कुछ संस्थायें होती हैं, उनके पास फंड रहता है, कुछ म्युनिसिपल बोर्ड में रुपया रहता है, उन्होंने उस रुपये को स्माल सेविंग्स में दे दिया। इस तरह का स्माल सेविंग्स स्माल सेविंग्स नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। स्माल सेविंग्स वह है, जिसमें भारत में रहने वाला हरएक नर-नारी यह समझे कि देश के निर्माण के लिये कुछ बचाना है। इससे उनका भी भला होगा। सरकार के पास इसके लिये बहुत बड़ी मशीनरी है, इन्फारमेशन डिपार्टमेंट है और एन० ई० एस० है, वे इस चीज का प्रचार कर सकते हैं। इस प्रकार प्रचार होना चाहिये कि हर एक को इस स्कीम में विश्वास हो जाय और वह कुछ न कुछ अवश्य दे। तब हम इसमें सफल हो सकते हैं।

इस समय की स्थिति देखते हुए जब कि टैक्सेज नहीं बढ़ रहे हैं, दूसरे मुल्कों से कर्ज नहीं ले रहे हैं, तब केवल यही उपाय हमारे पास रह जाता है कि हम स्माल सेविंग्स स्कीम को सफल बनायें, जिससे प्रत्येक नर-नारी यह अहसास कर सके कि भारत माता के मन्दिर बनाने में उसने भी एक ईंट का काम किया है।

वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया है कि हम एकानामी की तरफ चलना चाहते हैं। उन्होंने इकानामी पर जोर ही नहीं दिया बल्कि आगे चल कर बताया है कि इन बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिये इकानामी ही एक साधन है। इस ओर सरकार पिछले दस साल से बराबर प्रयत्न करती रही है, प. कितनी सफलता मिली है, यह सभी जानते हैं। १९४८ में एक इकानामी कमेटी बैठी थी उसने सुझाव दिया था कि इर्रीगेशन और बिजली के डिपार्टमेंट्स एक जगह पर हैं और उनमें तीन इंजीनियर थे। उस समय सुझाव हुआ कि इर्रीगेशन और बिजली को अलग-अलग कर दिया जाय। इर्रीगेशन के लिये एक इंजीनियर और हाईडल के लिये एक इंजीनियर हो। मगर उसका परिणाम यह निकला कि इस समय ७ इंजीनियर्स दोनों में मिला कर हो गये हैं। पांच इर्रीगेशन में और दो हाइडल में काम कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि इससे कितना लाभ हुआ इसको वही महसूस कर सकते हैं, जिन्होंने वास्तविक इससे लाभ उठाया हो। उस कमेटी ने यह भी बतलाया था कि एक इकानामी कमीशनर मुकर्रर किया जाय, जिसको अपनी तनख्वाह के उपरान्त एक हजार और मिलेगा। उसमें इकानामी हुई या नहीं, मगर एक हजार उनकी और तनख्वाह बढ़ाई गई। इसी तरह से सेक्रेटेरियट के कई सेक्रेटरी कमीश्नर रैन्क के हैं। सेक्रेटरी को यहां सोलह सौ तनख्वाह और तीन सौ रुपया एलाउन्स मिलता है और जब वही कमीश्नर बाहर रहे तो उसको १६ सौ से आरम्भ करते हैं। बहुत दिनों से सेक्रेटरीज यहां पड़े हुए हैं। लखनऊ में एक आदमी के रहने के लिये कितना सुभीता है। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में बात यह है कि जब अंग्रेज यहां थे तो जिलों के कलेक्टरों और इक्जीक्युटिव फोर्स के आदमियों को सेक्रेटेरिएट में आने के लिये अट्रैक्ट करते थे और उसके लिये २५० रु० प्रति मास एलाउन्स का प्रबन्ध कर दिया था। अब वह अलाउन्स तीन सौ कर दिया गया, जिससे सेक्रेटेरिएट में रहने वाले सेक्रेटरी लखनऊ छोड़ना ही नहीं चाहते। एक-एक सेक्रेटरी को यहां पर एक-एक युग हो गया। वह जानते हैं कि यहां पर रहने से मंत्री जी के पास आसानी से पहुंच हो सकती है, इसलिये वह सेक्रेटेरिएट नहीं छोड़ना चाहते। मैं समझती हूं कि आज इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है कि यह एलाउन्सेज दिये जायं। जब हमारे मंत्री जी वालेन्टरी कट अपनी तनख्वाह में से करा देते हैं तो क्यों न इन अफसरों को, जिनको १००, २०० एलाउन्स मिलते हैं और जब हम इकानामी की तरफ जा रहे हैं, तो इन एलाउन्सेज को रोक दें और इस तरह से जो एनामली फैली हुई है, वह खत्म हो जाय। सैलरी के अलावा जो एलाउन्स मिलता है वह खतम कर दिया जाय। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है हम नेशनल एकानामी या देश के सुधार के लिये कुछ सैक्रिफाइज भी करें। अगर वे स्वयं नहीं करते हैं तो क्यों न सरकार उनके वेतन से कट नहीं करती है। मैं इस लिये सरकार से अपील करती हूं कि उनके वेतन से भी कट किया जाय। by strope of pen

नई मदों को पढ़ने से मैंने यह पाया कि बहुत सी नई जगहें क्रियेट की गयी हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी सरकार और मंत्रिमंडल ने इस तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया है। हाउस की फाइनेंस कमेटी के सुझाव से जो लाभ हो सकता था वह लाभ अब के साल नहीं उठाया जा सका। यहां पर देखने से पता चलता है कि एक डी० आई० जी० presen १० वर्ष से टेम्पोरेरी चलते आ रहे थे तो उनको १० वर्ष के बाद परमानेन्ट किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो यह पायेंगे कि एक डी० आई० जी० की पोस्ट सन् १९५५ में क्रियेट की गयी थी और अब के साल उसको परमानेन्ट किया जा रहा है जब कि Finance Committee की यह सिफारिश है कि जब तक ३ वर्ष टेम्पोरेरी तौर पर न हो जायं तब तक परमानेन्ट नहीं किया जा सकता, परन्तु यह पोस्ट

[श्रीमती सावित्री श्याम]

२ साल से पहिले ही परमानेन्ट की जा रही है। इसी तरह से और भी बहुत सी पोस्ट्स हैं जिनको परमानेन्ट किया जा रहा है। मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करती हूं कि वे इन पर गंभीरता के साथ सोचें।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम बतलायें कि एकानामी किस तरफ की जाय तो इस बजट में बहुत गुंजायश है और उसके लिये सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं। जो गवर्नमेंट प्रेस से सरकारी लिटरेचर छपता है वह बहुत ही कास्टली पेपर पर होता है और इस बात को हमारे माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं और देखते हैं। जो लिटरेचर हमें रोज सदन में मिलता है वह इतने बढ़िया कागज पर होता है जिसका खर्चा बहुत पड़ता होगा। पहले साल प्रिंटिंग पर १०४ लाख रुपया खर्च हुआ था, पिछले साल वह बढ़ कर ११४ लाख हो गया और अब के साल तो वह १२८ लाख कर दिया गया है। क्या आवश्यकता है कि हम इतने अच्छे पेपर पर सरकारी साहित्य छापें। हाउस का एजेंडा छापने का कागज ऐसा इस्तेमाल होना चाहिये जो कि सस्ता हो। सरकार जिस आर्ट पेपर पर अपना लिटरेचर छापती है वह अन्त में वेस्ट पेपर बासकेट में जाता है। इसी तरह से जो सरकारी लिफाफे हैं वे गड्डी के गड्डी बेकार चले जाते हैं। मंत्री जी को देखना चाहिये कि वाकई उनकी जरूरत है या नहीं।

एक बात सरकारी कार्यालयों में अक्सर देखने में आती है और वह बिजली का व्यय है। बिजली के व्यय पर कोई ध्यान ही नहीं रखा जाता है। इसमें कितना नेशनल वेस्टेज हो रहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। एक तरफ तो जनता पर आप टैक्स लगाते हैं, हालांकि इस वर्ष कोई विशेष टैक्स नहीं लगा है। एक तरफ तो जनता टैक्सज से दबी जा रही है, दूसरी तरफ आप एकोनामी की बात करते हैं, लेकिन जो वेस्टेज हो रहा है उसको देखते नहीं हैं। मैंने देखा है कि आफिस में साहब नहीं हैं लेकिन उनका पंखा चल रहा है। पूछने पर पता चलता है कि साहब ने कहा कि खुला रहने दिया जाय ताकि कमरा ठंडा रहे। क्या इसमें राष्ट्र का धन व्यय नहीं होता है? उपाध्यक्ष महोदय, यदि हमारी सरकार इसमें सख्ती न करे तो बहुत नुकसान हो सकता है। कहने के लिये तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन में वेस्टेज बहुत होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहती हूं और वह चाय के स्टैंडर्ड की बात है। किसी opening और इनागुरेशन के समय जो चाय पार्टी दी जाती है वह बहुत मंहगी पड़ती है। और साथ ही साथ इसके अन्दर एक करप्शन भी होता है। मैं इसके पक्ष में नहीं कि चाय न दी जाय, यह तो भारतीय संस्कृति की चीज है कि अपने मेहमानों का स्वागत किया जाय, लेकिन इसका एक स्टैन्डर्ड होना चाहिये। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक जगह पर इस तरह की सेरेमनी हुई, मैं उस जगह का नाम तो नहीं लेना चाहती, उसमें मैं भी उपस्थित थी। वहां पर ५ सौ रुपया सरकार की तरफ से सैंक्शन हुए थे, पर चाय ५,००० रु० की थी। उपाध्यक्ष महोदय, बाद में पूछने पर यह मालूम हुआ कि यह चाय किसी ठेकेदार साहब ने पिलायी थी। मैं समझती हूं कि ऐसे मौकों पर जब मंत्री महोदय जाते हैं तो वे मुश्किल से ही एक कप चाय पीते होंगे लेकिन उनके नाम से इस तरह की चाय पार्टियां बहुत उड़ाई जाती हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि वे इस बात को ध्यान पूर्वक सोचें। हमारे हाउस की कमेटीज बनती हैं, उनमें भी इसी तरह का रिवाज है वह भी कम होना चाहिये, एक सादा कप चाय भले ही हो जाय, लेकिन उसमें इतने बड़े-बड़े नाश्ते देने की आवश्यकता नहीं है जो कि कमेटियों में नैनीताल में या यहां पर दी जाती हैं। अब मैं इस इकानामी के ऊपर सदन का अधिक समय खराब करना नहीं चाहती लेकिन मैं इतना अवश्य कह देना चाहती हूं कि यही छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो कि अपना बहुत बड़ा प्रभाव रखती हैं।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने बरेली क्लारास्वेन हास्पिटल के लिये एक लाख का अनुदान दिया है। यह अस्पताल एक बहुत ही अच्छा अस्पताल है और उसमें आपरेशन वगैरह के सब इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, तथा सभी प्रकार की सुविधायें वहां पर हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि इसका इलाज बहुत महंगा पड़ता है। जिन लोगों का वहां पर आपरेशन हुआ है उनसे मालूम हुआ है कि वहां पर उनका करीब ४ हजार रुपया खर्चा हुआ है। यह खर्चा केवल आपरेशन का ही नहीं है बल्कि रहने और खाने-पीने में जो खर्चा होता है, वह भी शामिल है, जिसको कि हर एक आदमी बरदाश्त नहीं कर सकता है। हमारी सरकार ने इस साल इसमें २० सीटें उत्तर प्रदेश के लिये रिजर्व रखी हैं और वास्तव में मैं समझती हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग ही ज्यादा फायदा उठायेंगे। किन्तु मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि यदि कुछ सीटें वहां पर फ्री ट्रीटमेंट के लिये रिजर्व करा दी जायं तो बहुत अच्छा होगा, जिससे कि एक साधारण आदमी भी उससे फायदा उठा सके। इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं और इस प्रदेश के लिये शुभ कामनायें करती हूं कि यह बजट हमारे प्रदेश के लिये प्रासपेरिटी लाये और यहां के लोगों को समृद्धिशाली बनाये।

*श्री सभापति उपाध्याय (नाम निर्देशित)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आज यहां पर आय-व्ययक प्रस्तुत है, उसका मैं स्वागत करता हूं। यद्यपि यह बजट घाटे का बजट है और घाटा देख करके कुछ मन में संतोष नहीं होता है। परन्तु मेरे मत में जो घाटा दिखाया गया है यह कार्यवाहन का सूचक है। जब अधिक कार्य होता है और बहुत से काम उठा करते हैं तो उन कार्यों की पूर्ति इतने थोड़ धन में नहीं होती है, इसलिये अधिक रुपये की आवश्यकता होती है। अस्तु इसमें घाटा होना फिर स्वाभाविक ही है।

हमारे वित्त मंत्री जी का बजट तो कमंडल की तरह है और उसका बढ़ना स्वाभाविक ही है। वह उतना अवश्य होना चाहिये जो कि सब जगह भरा जा सके क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता है और उनको सभी जगहों की व्यवस्था करनी पड़ती है जिससे कि ठीक तरह से काम हो सकें। इसलिये उन्होंने घाटे का बजट प्रस्तुत किया। यह जरूर है कि चूंकि यह वृद्धि का बजट नहीं है, इसलिये इसकी प्रशंसा न होती हो, लेकिन इस वर्ष का बजट और वर्षों के बजटों की अपेक्षा विशेष रूप से अधिक प्रशंसा के योग्य है क्योंकि इसमें सभी विभागों के लिये अलग-अलग आय-व्यय की व्यवस्था रखी गई है और भी कई विशेष बातें इस बजट में हैं जो कि पिछले और बजटों में नहीं थीं। यद्यपि इसमें सभी विभागों का वर्णन है, परन्तु मैं और विभागों पर अधिक नहीं जाऊंगा।

मैं तो केवल शिक्षा के विषय में ही कुछ कहूंगा। यद्यपि शिक्षा के विषय में इस साल और सालों से अधिक प्रयत्न किया गया है और अधिक रुपया रखा गया है परन्तु मैं तो संस्कृत का शिक्षक हूं और इसके लिये कहूंगा कि संस्कृत विभाग की तरफ सरकार ने अधिक ख्याल नहीं दिया है। यही बात मैं कई दिनों से कहता चला आ रहा हूं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। यद्यपि संस्कृत के छात्र काफी संख्या में हैं, लेकिन उनके विद्यार्थियों के लिये आज तक सरकार ने कोई छात्रालय नहीं बनवाया है। जो वाराणसी में गवर्नमेंट का संस्कृत कालेज है, उसके लिये भी छात्रालय नहीं बनाया गया है। हर एक विभागों के लिये भवन बन रहे हैं, लेकिन हमारे संस्कृत विभाग के लिये कोई भवन नहीं बनाया जा रहा है। मैं इसकी ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि वह संस्कृत विद्यालय और छात्रालय बनाने के लिये धन दें।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री सभापति उपाध्याय]

यह भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग में शिथिलता आ गई है और इसमें सभी तरफ सुधार होना चाहिये। परन्तु सुधार क्या होना चाहिये, इसकी तरफ सभी का ध्यान कम है। मेरी दृष्टि में तो सुधार तभी हो सकता है जब कि सभी अपने कर्त्तव्य को समझ सकें। उनका क्या कर्त्तव्य है, इसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया है। हमारे यहां धर्म ग्रन्थों की शिक्षा नहीं दी जाती है और छात्रों का पढ़ने के अतिरिक्त अपने बनाव, श्रृंगार की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। चाहे कन्या हो या बालक हो, इनको अपने स्वरूप पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिये, हां सफाई का अवश्य ध्यान रखना चाहिये। परन्तु आज कल हम देखते हैं कि ये लोग और चीजों को छोड़ कर अपने स्वरूप को बनाने में ज्यादा लगे रहते हैं। ऐसी अवस्था उनकी नहीं होनी चाहिये। उनको पढ़ने में अपना ध्यान लगाना चाहिये। जो अध्ययन करने वाले लोग होते हैं, उनको दुनियां की मायाओं में कभी भी नहीं पड़ना चाहिये, जब कि आज कल वे भिन्न-भिन्न मायाओं में पड़े रहते हैं। उनको अपने को साधारण रूप में रखना चाहिये। जो हमारा मनु धर्म है, उसके अनुसार इन छात्रों की शिक्षा होनी चाहिये। उनको क्या ग्रहण करना चाहिये, इसकी तरफ उनका ध्यान जाना चाहिये। दूसरी बात यह भी है कि आज कल लड़कों की कई किस्म की सभायें होने लग गई हैं और लड़के उनके अलावा सिनेमा देखने भी चले जाते हैं और वे प्रपंच में अधिक पड़े रहते हैं और अध्ययन की ओर कम ध्यान देते हैं। उनको चाहिये कि प्रपंच में न पड़ें। मैं समझता हूं कि अध्ययन करने वाले छात्र उछृंखल नहीं हो सकते। हम देखते हैं कि बहुत से लड़के रात दिन पढ़ने में लगे रहते हैं, वह बुद्धिमान हैं। जो पढ़ने वाले नहीं हैं, केवल पिता माता के आग्रह से विद्यालय में जाते हैं, वही उछृंखल होते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से निर्धन छात्र ऐसे भी होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, विद्याध्ययन के लिये लालायित रहा करते हैं, पर धनाभाव के कारण विद्या-ध्यन नहीं कर पाते। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे विद्यार्थियों कि वह सहायता करने की कृपा करें, जिससे वह विद्यार्थी आगे बढ़ सकें और देश की उन्नति कर सकें।

इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार आयुर्वेदिक विद्यालय तो बना रही है पर वहां के रोगियों के रहने का कोई प्रबन्ध नहीं है। आयुर्वेदिक विद्यालय के रोगियों के लिये भवन बनाना भी आवश्यक है। एक बात और भी है। संस्कृत के जो अध्यापक हैं, जो प्राइवेट पाठशालाओं में हैं; यद्यपि राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन कुछ ठीक है परन्तु प्राइवेट पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन ऐसा है जिससे भोजन छाजन भी ठीक से नहीं चल सकता, फिर भला वह परिवार का पालन कैसे कर सकते हैं। हमारे यहां स्टेट में जो पाठशालायें थीं, उनको सरकार ने राजकीय घोषित किया है इस लिये उनके अध्यापकों को राजकीय पाठशालाओं के अध्यापकों के ही समान वेतन मिलना चाहिये। आज उनका वेतन पहले की ही तरह बना हुआ है। जैसे अपने यहां हाई स्कूलों का वेतन है, उसी प्रकार उनका भी वेतन होना चाहिये।

अभी हमारे एक सदस्य ने पुलिस के संबंध में कहा है कि पुलिस का वेतन सरकार बढ़ाती चली जा रही है पर उन के कर्त्तव्य में सुधार नहीं हो पा रहा है। मैं तो कहूंगा कि अभी भी उनका वेतन ऐसा नहीं है, जिससे वह ठीक प्रकार से भोजन भी कर सकें। पुलिस के जो मनुष्य होते हैं वह शरीर से बलिष्ट होते हैं। उनको यदि ठीक से भोजन दिया जाय तो दो रुपये प्रति दिन तो इसी के लिये चाहिये। वे इतने बड़े होते हैं कि कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है कि उनका भोजन इतने में कैसे चलता है। मेरी समझ में तो पुलिस का कम से कम वेतन १०० रुपया मासिक होना चाहिये।

हां, मंत्री जी से मैं यह कहूंगा कि हर एक विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसके लिये मेरा सुझाव है कि हर एक विभाग में कर्त्तव्याकर्त्तव्य के लिये उपदेशक होने चाहिये।

कर्त्तव्य का पालन न करने से क्या होता है इस का उन्हें ज्ञान ही नहीं है। जैसे पारलौकिक दृष्टि से यह है, कि अमुक-अमुक काम करने वाला शूकर और गधा होता है और अमुक काम करने वाला अच्छी योनि में जाता है। यदि यह ज्ञान सबको हो जाय तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। परन्तु आज कल शास्त्रों की उपेक्षा, धर्म की उपेक्षा होती है, यह अच्छा नहीं है। कट्टर साम्प्रदायिकता के उपदेश तो भले ही न हों परन्तु साधारण जो धर्म है जिससे मनुष्य का सुधार हो सकता है, ऐसे धर्म का उपदेश जरूर होना चाहिये। पहले सैनिकों को महाभारत सुनाई जाती थी और वह इसलिये कि देश के सैनिक और हों महाभारत में कहा गया है कि जो युद्ध में पीठ दिखलाता है वह वीर नहीं है यह उपदेश सैनिकों को दिया जाता था, इससे उनकी वीरता बढ़ती थी। तो तात्पर्य कहने का यह है कि हर एक विभाग में उपदेशक नियुक्त किये जायं तो हम समझते हैं कि अवश्य ही बहुत बड़ा सुधार हो जायगा। केवल कहने से सुधार नहीं हो सकता है।

एक और भी सुझाव है और वह यह है कि अभी तक संस्कृत पाठशालायें केवल धार्मिक व्यक्ति ही स्थापित करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। अभी तक किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा कोई संस्कृत पाठशाला न खोली गई होगी, वे केवल प्राइमरी पाठशालायें या कहीं पर बड़े स्कूल ही खोलते हैं, यदि वे एक एक स्कूल खोल दें, तो इस तरह से संस्कृत के ३००, ४०० स्कूल खुल जायं। संस्कृत विद्या के प्रचार से ही भारत की संस्कृति उठ सकती है। आज कल हम देखते हैं कि भारतीय वेशभूषा को अधिक सम्मान नहीं दिया जाता है। यदि भारतीय संस्कृति को उठाना है तो संस्कृत शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड को इस बात के लिये बाध्य करे कि वे एक एक स्कूल अपने यहां खोलें। इन शब्दों के साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं औपचारिक तौर पर नहीं बड़े गंभीर और हृदय की गहराई से वित्त मंत्री को इस बजट के लिये बधाई पेश कर रहा हूं। जब यह घाटे का बजट है तो इससे मुझे कोई निराशा नहीं हुई है बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश करते समय इस संकल्प को दोहराया है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारे पास रुपया हो या न हो, लेकिन हर तरह से हमें इस प्रदेश को उन्नत बनाना है और ऐसा करने के लिये वित्त मंत्री ने अपने खर्चों में कमी की है। टैक्सों की जो चोरी थी उसको बचाने का प्रयत्न किया है। इसके लिये उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा है कि हमारे सूबे के प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी इस बजट से बढ़ जावे। सेल्स टैक्स में कपड़ा, चीनी और तम्बाकू को इक्साइज ड्यूटी के साथ लगा कर निश्चय ही इस संबंध में एक अच्छा कदम उठाया है और जो चोरी टैक्स की होती थी, उसमें कमी की है।

इस टैक्स पर विचार करने से पहले उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदन के सदस्यों से चाहता हूं कि वह एक बार सोचें अगर वह अपने घर का बजट बनावें और उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने घर को बनवाना है, दूध के लिये गऊ खरीदना है, तो वह क्या करेंगे, मान लीजिये कर्जा नहीं मिलता है, और पास में रुपया नहीं है, तो क्या वह बच्चों की पढ़ाई छोड़ देंगे या उनकी पुष्टि के लिये दूध की आवश्यकता है, उसमें कमी आने देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। मां बाप अपने खर्च में कमी करके, अपने रोटी के टुकड़े को कम कर के बच्चों को पढ़ायेंगे। उसी तरह से मकान की बात है। इसी प्रकार से जैसे हम अपने बच्चों के लिये सोचते हैं, अपने खर्च में कमी करके हम उनको पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से राष्ट्र के कर्णधार जो जिम्मेदार आदमी हैं, उनका फर्ज होता है

[श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार]
कि चाहे रुपया हो या न हो, किसी प्रकार से भी वह यह सोचेंगे कि इस प्रदेश के अन्दर शिक्षा की वृद्धि हो, व्यक्तिगत आमदनी बढ़े, यहां के लोग सुखी और सम्पन्न हों, बेरोजगारी दूर हो, बीमार अच्छे हों, मुझे लगता है कि इस बजट में ऐसा किया गया है, इसलिये मैं बधाई दे रहा हूं।

आप अगर बजट भाषण को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि व्यक्तिगत आमदनी पिछले ५ साल के अन्दर ५३ रुपया ६ पैसा बढ़ गयी है। यह इस बात का प्रदर्शन करता है और वित्त मंत्री का यह हक हो जाता है कि वह आप से कहें कि इस बढ़ी हुई आमदनी से कुछ न कुछ प्रदेश की उन्नति के लिये आप दें। यह बात सही हो सकती है कि ५३ रुपया ६ पैसा की वृद्धि हर आदमी की न हो, किसी की २०० रुपया हो और किसी की ३ रुपया हो, किन्तु इसी प्रकार से टैक्स भी बराबर नहीं है, किसी के ऊपर कुछ आने हैं और किसी के ऊपर कुछ रुपये हैं। हमारे टैक्स का जो स्केल है वह सभी सूबों से कम है, ४ रुपया कुछ आना एग्रीकल्चरल टैक्स को छोड़ कर। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अपने सूबे में टैक्स बढ़ रहा है। हां, सही बात यह है कि यहां पर कुछ प्रधान पंचायतों के भी होंगे और कुछ चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड के होंगे, वह खुद चाहते हैं कि जब उन पर जिम्मेदारी आती है कि गांव वाले कुछ टैक्स दें, अपना खर्च कम कर के, श्रमदान के अन्दर कुछ दें, यह हर एक जिम्मेदार प्रधान चाहता है।

जब जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है तब हम चाहते हैं कि हर शक्ल में हमारे क्षेत्र की आमदनी बढ़े। सूबे के जो कर्णधार हैं इस तरह से सोचें तो यह हैरानी की बात नहीं है। मैंने हर एक को कहा था कि हर एक आदमी अपने परिवार का जिम्मेदार है। जिस तरह से अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिये और शिक्षा के लिये हम देखते नहीं हैं कि हमारे पास रुपया है कि नहीं, अपने खर्च में कमी करके, उस चीज को पूरा करते हैं। यही दृष्टिकोण अपने इस सारे बजट में है।

(इस समय ३ बज कर ३७ मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

मुझे इस बात से बहुत संतोष मिला है कि ७० साल के बुड्ढों को कुछ राहत दी गई है। वृद्ध पुरुषों का आशीर्वाद सब के लिये अच्छा है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो कमजोर आदमी हैं, उनकी तन्ख्वाह में ५ रुपये की वृद्धि की गई है। मैं ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट का बजट पढ़ रहा था, उससे पता लगता था कि कनडक्टर जिसकी तन्ख्वाह कम थी यानी ३० या ३५ रुपये थी, उसकी तन्ख्वाह ६० रुपया कर दी गई है। चपरासी और क्लर्कों को स्थिर करने में काफी रुपया लगाया गया है। बड़े-बड़े आदमियों के लिये भी कुछ रुपया दिया गया होगा किन्तु आप दूसरी दृष्टि से देखें तो उसके अन्दर मामूली आदमियों के लिये राहत का बहुत बड़ा सामान है। मैं इस बजट के लिये वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं। हमारे सूबे की जो वित्त स्थिति है, वह बहुत ही संतोषजनक है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें केन्द्रीय सरकार इस बात की इजाजत दे देती कि हम अपने सूबे के लिये कर्ज ले लें तो इस बात की परख होती कि हमें कितनी जल्दी कम सूद पर रुपया मिल जाता, लेकिन वह परख होने वाली नहीं है। हर एक आदमी को इत्मीनान बढ़ाने के लिये कि कर्जे का रुपया समय से लौटा दिया जायगा। ९६० लाख रुपया सिंकिंग फंड में जमा किया गया है। ताकि हर एक आदमी को विश्वास हो जाय कि जो आदमी रुपया देता है उनका रुपया ठीक समय पर लौट जायेगा। आज सरकारी कर्जे के शेयर की दर क्या है, यह पता नहीं है। यहां के कर्जे का जो हिस्सा उनकी दर बाजार में मजबूत है। हमारे प्रदेश की वित्त स्थिति बहुत मजबूत है। जो प्रोफारमा दिया गया है उसकी चर्चा है। जिस तरह से बस सर्विसेज का प्रोफार्मा है वैसे ही सिमेन्ट फैक्टरी का प्रोफार्मा होना चाहिये। राज्य के ऊपर जो खर्च होता है उसका प्रोफार्मा होना चाहिये। जिस कैपिटल से जो चीज हम चला रहे हैं, उससे कितना घाटा

है इसका भी प्रोफार्मा होना चाहिये। नलकूप का प्रोफार्मा है, उसमें ४ या ५ फीसदी का घाटा है और किसी जगह पर आप को घाटा नहीं है। गंगा ग्रिड के मामले में मुझे कहना है कि हमारे यहां पथरी पावर हाउस इस साल चलने को है लेकिन उसकी बिजली नहीं बिकी है। उसके अन्दर कुछ करोड़ रुपया तार वगैरह लगाने के लिये रखा गया है। वह रुपया एक दम से तो फायदा दे नहीं सकता। इसमें भी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ माइनस है। कुछ कैपिटल लाभ देने लगे तब ठीक तरह से सोच सकेंगे। यह भी एक बात कही गयी थी कि उसके अन्दर जो मरम्मत है उसका खर्च बहुत बढ़ा हुआ है और जो डैप्रीसियेशन फंड है वह कम है। मुझे इस बात पर सन्तोष है कि जो मरम्मत में रुपया खर्च होता है वह डैप्रीसियेशन फंड से ही जाता है। किसी भी हालत में डैप्रीसियेशन फंड स बाहर खर्च नहीं हो सकता। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके जो नलकूप हैं उसके अन्दर स्टेट को ५ प्रतिशत का नुकसान होता है। या तो आप सिंचाई की दर बढ़ायें या और कोई काम करें जिससे घाटे की पूर्ति हो जाय। इस मद के अन्दर जो घाटा है वह सबके लिये एक चिन्ता की बात है।

ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट के अन्दर एक दो बातें समझ में नहीं आईं जो अनुदान संख्या २९ है उसमें ह कि २०० नई बसें ली जायेंगी। जो डीजल आइल से बसें चलती हैं उनका खर्च कम पड़ता है और जो पैट्रोल से चलती हैं उन पर अधिक खर्च होता है। उसके अन्दर १६ हजार रुपया प्रति बस डैप्रीसियेशन फंड से पूरा होगा। नई बस ४२ हजार में आती है। तो १६ हजार कम करके २६ हजार के हिसाब से ५२ लाख रुपया रखा गया है। १६ हजार डैप्रीसियेशन फंड काटने के बाद वह उनको कहां ले जायेंगे। उनकी जो कीमत आज थी उसको लगाकर यदि कम रुपया मांगते तो ज्यादा अच्छा था। उनको किस आइटम में क्रैडिट किया है, यह देखने की चीज है। उनको बेचकर उनका रुपया डैप्रीसियेशन फंड में पड़ सकता है। मुझे एक सुझाव और देना है। ट्रक परमिट से आपकी आमदनी १ करोड़ ४० लाख की होती है। किन्तु मोटर वालों को परेशानी होती है। वे बड़ आदमी नहीं होते हैं। मेरे पास तो परमिट नहीं है। मुझे तो अनुभव होता ह कि वार से पहले एक आदमी को जिले के हेडक्वार्टर में जाकर सब चीजों से सन्तोष मिल जाता था। परमिट रिन्यू हो जाता था, जो रुपया जमा होता था, वहीं हो जाता था। बाद में आपने तेल पर कन्ट्रोल किया, पैट्रोल पर कंट्रोल किया, इसलिये आपने रीजन वाइज आफिस खोल दिये। अगर कोई आदमी रुपया जमा करने मेरठ जाय, तो उसको यह दिक्कत होती है कि यदि वहां जाकर एक दिन उसको ठहरना है, तो उसके १२ रुपये खर्च हो ही जाते हैं। यदि सहारनपुर में जाता तो उसी दिन वह जाता भी और शाम को वापस भी चला आता और जरूरत होती तो फिर अगले दिन चला जाता। अब एक दिन रुकने को बचाने के लिये उसको सोचना पड़ता है और वह बाबू को दस रुपये देकर एक दिन रुकना अपना बचा लेता है। मैंने यह इसलिये कहा कि करप्शन का एक यह भी कारण है। जिस समस्या को हल करना हो उसका हल जितना ही दूर होगा उतना ही करप्शन बढ़ेगा। चूड़ियाले की समस्या अगर चूड़ियाले में ही हल हो जाय तो करप्शन नहीं होगा। अगर कहीं उसको लखनऊ अपनी समस्या का हल करने को आना पड़े तो उसका नुकसान होगा। अपने समय की बचत के लिये वह एक बाबू को १०, ५ रुपया देने की कोशिश करेगा तो इससे करप्शन बढ़ेगा। अगर करप्शन को दूर करना है तो समस्या का हल जितना नजदीक हो उतना ही अच्छा है। यह बीच के आफिसेज जो हैं करप्शन को दूर करने के लिये उनको तोड़ देना होगा। जो एक करोड़ ४० लाख देता है, उसके हित में अगर यह कर दिया जाय तो कोई अहित नहीं होगा। जब से रोड-वेज की बसें चली हैं तब से यह हुआ है कि आर० टी० ओ० के दफ्तर का काम बहुत कम हो गया है। यह जो बीच के ट्रान्सपोर्ट के आफिसेज हैं उनको तोड़कर डिस्ट्रिक्ट में ही रख दिया जाय तो काफी फायदा होगा।

इसके बाद मैं कुछ शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जो हमारी समस्या का एक मात्र हल हो सकता है तो उसके लिये शिक्षा के सम्बन्ध में हमें सोचना पड़ेगा। बच्चों को जितनी बड़ी उम्र तक मां, बाप की संरक्षता में शिक्षा दी जा

[श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार]

सके उतना ही अच्छा है। मुझे अध्यापक वर्ग माफ करेगा कि आज ऐसे अध्यापक नहीं मिल रहे हैं जिनके ऊपर मां, बाप बच्चों को छोड़ दें। मैं यह जानता हूं कि कितने ऐसे अध्यापक हैं जो झूठ बोल कर और बच्चों से झूठ बुलवा कर छुट्टी देते हैं। मैंने एक बार इसका जिक्र किया था और उनकी दूसरी समस्यायें होती हैं, मसलन ट्यूशन करना, जिनके बिना पर वह ऐसे नहीं होते कि उन पर मां, बाप अपने बच्चों को छोड़ दें। इसलिये मेरा सुझाव है कि अधिकतर मां बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सुबह स्कूल जाय तो शाम तक पढ़कर वापस भी आ जाय। अभी उस दिन कन्या गुरुकुल दीक्षान्त के ऊपर भाषण करते हुये शिक्षा मन्त्री महोदय ने कहा था कि विश्व की जो रिपोर्ट निकली है उसमें अपराध बढ़ा है और उसका कारण यह है कि आज विद्यार्थी मां, बाप से दूर रहते हैं, इसलिये यह अपराध बढ़ा है। नर्सिंग स्कूल की इसमें कतई चर्चा नहीं की गई है।

एक बात कह कर अपना स्थान ले लूंगा। वह यह है कि पंडित सुन्दर लाल जी से कहा गया कि वे बिहार में भूकम्प से पीड़ितों के लिये रुपया एकत्रित कर लें। यह बात इलाहाबाद की है, वे एक गरीब औरत के पास गये और कहा कि बिहार में भू कम्प आ गया है, तो उस औरत ने २० या २५ रुपये निकाल कर दे दिये। जब उस से कहा गया कि तुम को यह रुपया देने में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुन्दर लाल जी ने कहा कि बिहार में बहुत से भूखे, नंगे और गरीब लोग हैं उनके लिये भी आप कुछ और सहायता करें ताकि आप कम से कम एक मास तक भूखे, नंगे और गरीब की दिक्कत को महसूस करें, तो वह औरत फिर अन्दर गयी और जितनी सहायता उससे हो सकती थी की, उसने चुपके से उतने रुपये जितने उसके पास थे दे दिये। इसी तरह से मैं अपने यहां सदस्यों से कहता हूं कि जितनी बचत हो सकती है वह हमें करनी चाहिये। हमें अल्प बचत करके अपने सूबे की भलाई करनी चाहिये। उस दिन यह कहा गया कि हमारे जीवन का कुछ माप-दंड बढ़ना चाहिये लेकिन आज वह सवाल नहीं है। सवाल तो यह है कि जो डेफिसिट फाइनेन्स है उसके लिये जो कुछ आप के पास है वह देश के लिये दे दें क्योंकि इसमें आपका वदेश का कल्याण है। मैं यहां पर सन्तों की वाणी को नहीं दोहराना चाहता हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि हम अपने ऊपर जितना श्रम भार बढ़ायें और अपनी इच्छा से जितनी गरीबी को अपनावें, उससे यह प्रदेश अधिक से अधिक अमीर बनेगा।

*श्री तेलू राम (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद है कि वित्त मन्त्री जी इस बजट के लिये बधाई के पात्र हैं। कारण स्पष्ट है कि जैसी हालत प्रदेश की है, जिस भावना से प्रेरित हो कर उन्होंने कुछ नये कदम उठाये हैं, वे इस बात के द्योतक हैं कि जिस समाज की ओर हम जा रहे हैं, वह उन्नति करने के लिये है। उदाहरण के लिये मैं कह सकता हूं कि ओल्ड एज पेन्शन है और निःशुल्क शिक्षा है। ये सभी चीजें नयी हैं और एक तरह से इस बात को सिद्ध करती हैं कि हम उस ओर जा रहे हैं जिस ओर प्रदेश को जाना चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि जितने साधन प्रदेश को प्राप्त हैं उनका सदुपयोग करने की सरकार इच्छा रखती है। लेकिन इस सिलसिले में यह अर्ज करना जरूरी है कि जितनी नीयत सरकार की है उतना सभी चीजों का अपने स्थान पर उपयोग नहीं होता है। अभी पिछले दिनों चर्चा चली थी कि स्टाफ कारें वापस होंगी, लेकिन उसमें प्लानिंग विभाग की कारों का कोई जिक्र नहीं था। उसमें कहा गया था कि प्लानिंग विभाग को कारें केन्द्रीय सरकार देती है, इसलिये उनकी चर्चा नहीं थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि प्लानिंग में जीप देने से हानि पहुंची है और लाभ नहीं हुआ है। इसका दुरुपयोग भावना में हो रहा है और इसका फिजीकल शकल में भी हो रहा है। अगर इसकी जगह साइकिल दी जाती तो उसमें काम करने में भी सुविधा होती और भावना भी अच्छी रहती। समाज में इस तरह की एक भावना बन गयी ह वह हमरे काम के पूर्ण रूप से विकसित

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

होने में पूरी बाधक हो रही हैं। आम तौर पर यह देखा जाता है कि वहां पर जिस तरह का वातावरण सर्विसेज में होना चाहिये, उस तरह का नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि राज्य का अगर सारा वित्त भी वहां पर लगाया जाय, तब भी इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बजट में हम उसके लिये रुपया तो रखते हैं, लेकिन बी० एल० डब्ल्यू० का रहन-सहन और खान-पान ऐसा है, जोकि गांव वालों के खान-पान और रहन-सहन से बिल्कुल नहीं मिलता है और जिनका हम सुधार करने के लिये गांवों में जाते हैं, उनसे बिल्कुल अलग ही रहते हैं। तो इस तरह से सुधार होना असंभव सा हो जाता है। ऐसी हालत में यदि हम वहां पर खर्चा करते हैं, और उसका उपयोग सही तरह से नहीं होता है तो वह खर्चा करना न करना बराबर है। इसलिये मेरा तो सुझाव है और माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वहां पर से जीप्स को हटा दिया जाय और उनके स्थान पर साइकिलें हों और बी० एल० डब्ल्यू० की सर्विस कन्डीशन हों, उनका खान-पान, रहन-सहन गांव वालों से मिल सके और जो रुपया उन कामों के लिये रखा जाता है, उसका दुरुपयोग न होने पाये।

एक बात, जो कि अभी बहिन सावित्री श्याम जी कह रही थीं, वह सत्य है कि सरकार के कामों का प्रचार करने के लिये जो कागज इस्तेमाल किया जाता है उन कागजों और कलेन्डरों को देख कर के ऐसा मालूम होता है कि इस गरीब प्रदेश में इस तरह के कागज इस्तेमाल हों, जो कि दिल को अच्छा नहीं लगता है और बात भी कुछ गले से उतरती नहीं है। कहा जाता है कि प्रचार के कामों में इसका प्रयोग होता है, तो यह बात कुछ उचित नहीं प्रतीत होती है। हमारे माल मन्त्री जी समय-समय पर अपने लेख निकाला करते हैं जो कि जमीनों से सम्बन्ध रखते हैं, तो इस तरह से जिन-जिन कामों के लिये पैसा खर्च किया जाता है, उसमें उस रुपये का सही उपयोग नहीं हो पाता है। मैं सहारनपुर जिले की बात को कहता हूं कि वहां पर दो ग्राम समाज की सम्पत्ति के बारे में एक तरह से नोटिस दिला करके, अगर मैं यह कहूं कि उसे बेचा खाया है, तो बात कुछ घट करके ही कही गयी है। आपके जितने भी पेपर होते हैं वह साधारण जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं और न जो आपके बजट के आंकड़ हैं, आपके बजट में क्या लिखा है यह साधारण लोग समझते तक नहीं हैं, बल्कि जो आये दिन आप सरकारी लेबल पर कार्य होते हैं, उनसे ही साधारण जनता की भावना बनती और बिगड़ती रहती है। आज साधारण जनता की यह भावना हो गयी है कि ब्लैक से चाहें जितनी सीमेंट ले लीजिये आपको मिल जायेगी, लेकिन अगर किसी ने सीमेंट के लिये दरख्वास्त दी, तो उसको सीमेंट उपलब्ध नहीं हो सकती है। उस समय कहा कहा जाता है कि सीमेंट की बहुत कमी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप चाहे लाखों प्रचार करें लेकिन जनता जानती है और उसको विश्वास हो गया है कि यहां पर इस तरह की बातें हुआ करती हैं। यह सारी बातें ऐसी हो गयी हैं कि इनकी चर्चा करना एक मामूली सी बात हो गयी है। अगर कहो कि ऐसी बात होती है, तो यही सुनने में आता है कि हो होता होगा। मगर दरअसल इन बातों को सुनकर जिस तरह से हमें चौंक जाना चाहिये था वह नहीं हो रहा है। रिश्वत की बात के ऊपर हमारा चौंकना अब खत्म हो गया है, इसी तरह से ब्लैक मार्केट की बातों को अब तो अहसास भी नहीं किया जाता है। जब हम लोग बजट को देखते हैं तो दिल को बड़ा सन्तोष होता है, लेकिन जब उसको नीचे के स्तर पर उपयोग होते देखते हैं, उसका समाज के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उसका परिणाम जो समाज के ऊपर होता है, उसके बहरहाल एक दूसरी ही भावना दिल में उत्पन्न होती है। असल में हमारे बजट का नक्शा यह नहीं है कि हमने किताबों में उसको लिख दिया बल्कि उसका सही नक्शा समाज है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वह हमारी योजनाओं के प्रति क्या भावना रखते हैं, इससे हमको अपने बजट को देखना चाहिये और वही हमारी योजनाओं की सही कसौटी है, जहां पर कि हमारे कामों का मूल्यांकन होता है।

दो-तीन चीजों की तरफ मैं इस अवसर पर और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। समाज कल्याण विभाग की ओर से बहुत सुन्दर काम हो रहा है और गर्भवती माताओं को जो एक-दो महीने पहले दूध देने की व्यवस्था है, वह भी बहुत अच्छी है। लेकिन जब

[श्री तेलू राम]

हम इन योजनाओं को इन जगहों में जाकर देखते हैं, तभी हमें इसके असली स्वरूप का पता चलता है। जब वह दूध उन स्त्रियों को उचित रूप से नहीं दिया जाता है, तो उसे देख कर तकलीफ होती है। मैं समझता हूं कि जितने दूध की व्यवस्था रहती है, उसका ५० प्रतिशत भी उन लोगों को नहीं मिल पाता है। जब उस दूध का दुरुपयोग होता है तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। गवर्नमेंट जिस भावना से इन चीजों को चलाती है, जब वह उस तरह से नहीं होती है, तो बड़ा दुख होता है और उसके परिणाम का आप स्वयं ही अन्दाजा लगा सकते हैं। मेरा कहना है कि जो भी व्यवस्था इस तरह से हो, उसको अच्छे ढंग से कार्य रूप में परिणत भी करना चाहिये, मगर ऐसा नहीं होता है।

आप वन महोत्सव को ही देखें। अगर आप दरखतों का सुमार कीजिये तो आप को इसका हिसाब किताब मालूम हो जायेगा। मैं तो अपने ही जिले की बात कहता हूं। वहां बाग में जितने भी पेड़ इस अवसर पर लगाये गये थे, अब अगर पूछा जाय, तो एक भी पेड़ का पता नहीं है। बाग वालों से कहा जाता है कि आप इन चीजों की रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, तो वे जवाब देते हैं कि हमारी तो नौकरी का प्रश्न है, तो ऐसी अवस्था में क्या किया जा सकता है। कुछ चीजें तो बड़ी ही सुन्दर थी, लेकिन उसका दुरुपयोग होने लग गया है। बाग पर जो मालगुजारी है, उसको सरकार को माफ कर देना चाहिये और इस तरह से किसान सीधे ही इन्सेन्टिव ले सकते हैं और वह अपनी जमीन का उपयोग कर सकते हैं। वन महोत्सव की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, लेकिन जब इसकी चर्चा होती है, तो उस तरह की व्यवस्था से हमें वास्तव में बहुत तकलीफ होती है।

कुंवों की ही बात ले लीजिये। सरकार की जो इस तरह की स्कीम है, उसको गांव के लोगों ने भी चलाया और सरकार ने उसके लिये रुपया भी दिया, लेकिन जिस तरह से उनका इस्तेमाल होता है, वह ठीक नहीं है। कुंवें बन जाने पर भी और सभी चीजों पर एतराज होने पर भी वहां का आपरेटर किसान से कहता है कि पहले मुझे ८ आना बीघा दो, तभी हम तुम को पानी देंगे। ऐसी चीजें तो होती रहती हैं। ये छोटी-छोटी चीजें हैं, लेकिन इससे बहुत असर पड़ता है। यदि किसान हर काम में सीधा इन्सेन्टिव ले तो वह ज्यादा अच्छा है।

मैं दो-चार बातें एजूकेशन की बाबत भी कह दूं। छठे क्लास तक सरकार ने सबके के लिये फीस माफ कर दी है, यह प्रसंशनीय है। राजस्थान ने तो ८वें क्लास तक फीस माफ की है और २५० रुपये तक तनख्वाह पाने वालों के लिये इस तरह की सुविधायें दी हैं, लेकिन यहां तो १०० रुपये तक तनख्वाह पाने वालों के लिये इस तरह की सुविधा है। फिर भी इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। हमारे यहां जितनी स्कीमों की चर्चा होती है, उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल भी हैं। अगर कहीं पर स्कूल हैं भी, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक मील के फासले पर रजिस्ट्रेशन करा कर स्कूल चलाता है। वहां पहले से स्कल है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी स्कूल खोल देती है।

बहरहाल, इन चीजों से जिन के ऊपर असर पड़ता है, मैं उसकी तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। हाल ही में इम्पलायमंट एक्सचेन्ज प्राविन्स के अन्डर में आ गई हैं, पहले ये केन्द्रीय सरकार के अधीन थीं। तो इससे पहले भी इस तरह की शिकायत थी और अब भी वह शिकायत दूर नहीं हुई है कि वहां पर लड़कों का नाम दर्ज करने में बिलकुल भी इन्साफ नहीं होता है। वहां भी गरीब आदमियों के बच्चों के लिये बहुत परेशानी रहती है। मैं अपने जिले की बात कहता हूं, वहां के लोगों के साथ ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं होता है। दूसरे जिलों की बात मैं नहीं कह सकता हूं। मैं इस मौके पर और हाउस का समय न लेता हुआ, माननीय वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इन सब चीजों में जो चीजें अच्छी हों, उनका अगर कुछ इलाज हो सकता है, तो वे

उसको करें, ताकि ऐसी चीजों का सदुपयोग आगे जाकर अच्छा हो सके और जो भी हमारी योजनायें बनती हैं, वे सफल हो सकें।

श्री चेयरमैन--अगर सभी सदस्य यह चाहें कि वह कल और परसों सुबह ही बोल लें तो यह नामुमकिन होगा। चार-पांच नाम मेरे सामने हैं, मगर वह सभी लोग कल-परसों सुबह बोलना चाहते हैं। ११ से १२ तक प्रश्न के लिए समय रहता है। १२ से १ तक एक घन्टे में सात-आठ सदस्य नहीं बोल सकते। दूसर पहर का वक्त ही क्यों रखा जाय अगर कोई बोलना नहीं चाहता।

-***श्री कृष्ण चन्द्र जोशी** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, नवीन वर्ष के आय-व्यय का ब्यौरा जो माननीय वित्त मंत्री जी ने उपस्थित किया है उसकी जब हम समालोचना करते हैं, तो उस अवसर पर यह अवश्य प्रतीत होता है कि हम सिर्फ यह न देखें कि हमारे सम्पूर्ण उद्देश्य जो थे वे हम पूरे कर सके हैं या नहीं, लेकिन यह देखने की आवश्यकता है कि सरकार ने जिन कदमों को आगे बढ़ाने के लिये कहा था उन कदमों को आगे बढ़ाने में यह बजट कहां तक सहायक हो रहा है जो आइन्दा साल के लिये सरकार कार्यवाही करने जा रही है वह कहां तक ठीक है। सभी प्रश्नों पर इस दृष्टिकोण से विचार करें तो किसी भी हालत में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो कदम उठाये जा रहे हैं यानी विद्यार्थियों की शिक्षा को अनिवार्य छठे दर्जे तक कर देना और साथ ही साथ बड़े और अपाहिज लोगों को जिनको जीवन में कोई भी आसरा नहीं है उनको उनकी रोटी के लिये पेन्शन का प्रयास करना या जो मेडिकल रिलीफ वगैरा में वृद्धि की है इन सब कामों में जो हमने कदम बढ़ाये हैं उसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है इससे किसी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता। यह जरूरी बात है कि इसके साथ ही साथ हमको कुछ और चीजों पर भी गौर करना पड़ेगा। यह मानी हुई बात है कि हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि साहब यह तो डेफिशिट बजट है अध्यक्ष महोदय जहां एक्सपैन्डिग इकोनामी होती है वहां डेफीशिट बजट आवश्यक हो जाता है। जब आपको कोई आवश्यक कार्य करने होते हैं, पारिवारिक स्थिति को ही अगर हम देखें जैसे अपने लड़कों की शिक्षा दीक्षा के लिये उनकी आइन्दा उन्नति के लिये, तो आप कर्ज लेकर भी हर साधनों को प्राप्त करके उनकी उन्नति का उपाय सोचते हैं। जो स्थिति परिवार में एक बाप की होती है, वही स्टेट में सरकार की होती है। सरकार जहां इस ध्येय को भुला देती है वहां वह निश्चय ही असफल रहती है। जिन ध्येयों को लेकर उसने जनता की राय से सरकार बनाने का प्रयास किया उन ध्येयों को पूर्ण करना परम कर्त्तव्य हो जाता है और यह देखते हुये कि हमारे आदर्श पूरे हो रहे हैं या नहीं, हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उनको पूरा करने की कोशिश करें। हमें इस बात का दुख नहीं है कि हमारा डेफीशिट बजट है क्योंकि एक्सपैन्डिग इकोनामी में जो डेफीशिट बजट आ रहे हैं उसमें हमें इस बात को देखना होगा कि आयन्दा इस डेफीशिट को हम पूरा कर लें। अगर हम उन चीजों को पूरा कर सकते हैं तब कोई कारण नहीं है कि हम डेफीशिट बजट न लायें और मैं समझता हूं और इस कारण विरोधी हमें चाहे कुछ भी कहें, तनिक भी अफसोस करने की गुंजायश नहीं है।

दूसरी बात जो कही गई है वह टैक्सेशन के सिलसिले में कही गई है। यों तो टैक्सेशन के मेजर्स जो भी दिखलाये जायें नगन्य हैं उस हालत को देखते हुये जिस हालत से हमारा प्रदेश निकल रहा है, उस हालत में जब कि सेकेन्ड फाइव इयर प्लान चल रही है और हमारे हाथ उससे बंधे हुये हैं, उस प्लान के मुताबिक हमें चलना ही है और अगर उस प्लान के लिये टैक्सेशन की आवश्यकता होगी तो वह हमको करना ही पड़ेगा। हम समझते हैं कि जनता अब इतनी जागृत है कि वह टैक्सेशन की आवश्यकता को समझती है। टैक्सेशन से जो लाभ देश को और हमारे प्रदेश को होगा उसको अब जनता समझती है। मैंने अभी एक उपमा परिवार की दी थी। उसमें परिवार में जिस तरह से बाप अपने बच्चों को ऊंचा उठाने के

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कृष्ण चन्द्र जोशी]

लिये उनके भविष्य के लिये काट-छांट करना आवश्यक समझता है उसी तरह से प्रदेश को ऊंचा उठाने के लिये टैक्सेशन की आवश्यकता हुआ करती है और खर्चों में काट-छांट भविष्य की आशा से करना ही पड़ता है। जिस तरह से बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिये काट-छांट करता है उसी प्रकार जनता भी अपने भविष्य को समझेगी और इस बात को भी समझेगी कि इस युग में सैक्रीफाइज के लिये उसे कुछ करना ही है। कांग्रेस की सरकार, जिसने हमेशा जनता के उद्देश्य को सामने रखा है मैं समझता हूं इस बात से घबरा नहीं सकती है कि हमको टैक्सेशन करना है। यह मैं मानता हूं कि मिडिल क्लास की, मध्यम वर्ग की, जो हालत है उसमें टक्सेशन से तकलीफ होगी। हालत आज यहां तक है कि कई मध्यम वर्गीय लोगों को अपने गहने तक बेच कर अपना गुजर करना पड़ा है। जब एक वर्ग को ऊंचा उठाना है तो दूसरे जो वर्ग हैं उनको सैक्रीफाइस करनी ही पड़ती है। उच्च वर्ग तो उस तकलीफ को महसूस नहीं करता है क्योंकि उसके पास पैसा होता है, लेकिन मध्यम वर्ग को इसके लिये बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। हमेशा से ही मध्यम वर्ग ऐसा रहा है जिसको सैक्रीफाइस करनी पड़ी है। मुझे कुछ बातें ऐसी भी कहनी पड़ती हैं जिनको कहना मैं कांग्रेस के सदस्य के हैसियत से अपना आवश्यक धर्म समझता हूं। क्योंकि मैं समझता हूं कि जहां तक उस आदमी को नसीहत देना या सलाह देना होता है, यदि वह सच्ची सलाह नहीं देता है, तो वह अपने कर्त्तव्य से च्युत होता है और साथ ही साथ उसका भी भला नहीं होता है जिसको सलाह दी जाती है। जहां हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं, यह इंकार करने की बात नहीं है, वहां एक चीज देखी जाती है जो हृदय को दुखित करती है और वह चीज यह है कि आज जब हम इस जमाने में जनता के मुख से यह सुनते हैं कि किसी हद तक अंग्रेजी राज के जमाने में यह बात नहीं थी जो आज है। हमें देखना है कि क्या कारण है कि जनता आज ऐसा कहती है। ऐसा न होते हुये भी ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो कदम हमने उठाया है और जिस कदम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको जिस मशीनरी के द्वारा हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, वह वही पुराने ढांचे की है और इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि वह ब्योरोक्रेटिक मशीन है और हमको उसी ब्योरोक्रेटिक ढांचे पर ले जाने के लिये मजबूर करती है। आज इस युग में जबकि जनता की राय से हम सब कार्य करते हैं, जनता की राय से सरकार चलाते हैं उस समय जब हम ब्योरोक्रेटिक ढांचा देखते हैं तो जनता का चित डांवांडोल हो जाता है। इस सम्बन्ध में दो-एक मिसाल देना आवश्यक समझता हूं। हमने एक कदम उठाया, प्लानिंग डिपार्टमेंट खोला कि प्लान्ड एकानामी कैसे चले। इस चीज को लेकर हम आगे बढ़े। सरकार ने अपनी नीति निर्धारित की और प्लानिंग डिपार्टमेंट ने यह उद्देश्य रखा कि हर डिपार्टमेंट प्लानिंग के साथ मिल कर जनता के दुखों को दूर करने का प्रयास करे। अध्यक्ष महोदय, इस समय प्लानिंग ने जो आदर्श रखा, अगर मैं गलती नहीं करता तो यह आदर्श रखा कि जनता के कोआपरेशन को लेकर, जनता की कमियों को जनता की ही शक्ति से पूरा करे और इस काम में जनता ने सरकार का सहयोग भी दिया। इस बात को कहने में मुझे कतई गुरेज नहीं कि जनता ने पूर्ण सहयोग सरकार के साथ दिया और सरकार के कामों में श्रमदान भी दिया, लेकिन आज हम जिस रेडटैपिज्म को देखते हैं जिसमें यह सरकार काम कर रही है, तब मालूम होता है कि क्या बात है। सरकार का यह आदेश है कि जो काम करवाया जाय उसका पेमेन्ट फौरन कर दिया जाय, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ३,४ साल हो गये काम किये हुये और पेमेन्ट अभीतक नहीं हुआ। जिस जनता से आप श्रमदान में काम कराये और उसके पास खाने को न हो उसको इस नीति से काम पर बुलाया जाय कि उसको काम मिलेगा, लेकिन ३ साल हो गये हैं उसको खाने के लिये जो देने के लिये निश्चित किया गया था, वह नहीं दिया गया है। इसका असर उनके दिलों में क्या होगा। यह मैंने माना कि गांव सभा को ५० फीसदी दे देते हैं, लकिन जिसने मेहनत की है उसको अगर तीन साल तक रुकना पड़े तो उसकी

क्या भावना होगी। मैं एक और किस्सा बतलाऊंगा। एक आदमी को ठेका दिया गया और उसने काम किया। तीन साल के बाद उसकी जांच की गई। पहले तो गांव सभा ने कहा कि मैंने काम नहीं दिया। काम पूरा हो गया और तीन साल के बाद उसकी जांच हुई। इस तरह से उसको डेढ़ हजार रुपये का घाटा हुआ। तीन साल के बाद उस काम की क्या वकत रह जायेगी। जो कुछ हुआ उसको दे दिया गया और उसको मानना पड़ा। उसकी जो हालत है मैं बतला दूं। वह एक रिटायर्ड हवलदार है। वह कर्ज देने में अपनी पेन्शन लगा रहा है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—आपने गवर्नमेंट से कहा।

श्री कृष्ण चन्द्र जोशी—हां हां, मैंने कहा। इसमें विचार करने का प्रश्न है। लोहाघाट अल्मोड़े में है। यह चीजें जो होती हैं यह जनता को अनुत्साहित कर देती हैं। जिस काम को हम उनसे करवाना चाहते हैं हमारा प्रयास उसमें रुक जाता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि २६ मील की नई सड़क लोगों ने बगैर पैसे के खोली। अगर वह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० से बनती तो कितने रुपये में बनती वही जानते हैं। पी० डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर उधर नहीं गये हैं। आप जनता से कार्य करा लेते हैं और तीन साल तक उनको कार्य का फल नहीं मिलता है। आप की मोटर वहां अभी तक नहीं चली; अब वह सड़क बहने लगी है। उस जनता को जब यह देखने को मिलता है कि हमारा श्रम बेकार गया, तो उसकी मेरे प्रति भावना क्या होगी। हम तो कहते हैं कि काम करो, लेकिन काम का कोई वैलू नहीं करता है। या तो हम जनता से बनवाते नहीं और अगर बनवाया था तो इस बात का प्रयास होना चाहिये था कि उसके बन जाने के बाद पी० डब्ल्यू० डी० या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उसके रख रखाव का इन्तजाम करता। इस तरह से जनता के श्रम का दुरुपयोग करके यह उम्मीद करें कि वे आप के लिये कल्पें तो यह आशा करना उचित नहीं है। मैं दो चार मिनट के लिये अध्यक्ष महोदय और समय आप से मांगता हूं। इसी के साथ साथ हम बीरोक्रेसी के ढांचे में बहते चले जा रहे हैं।

मैं यहां पर एक बात नजर में लाना चाहता हूं। ऐकानामी ड्राइव हम सब करते हैं, क्या ऐकानामी ड्राइव चल रहा है यह हमको देखना है। आज हमको एक-एक पाई की बचत करनी है। हमें धन का इस तरह से उपयोग करना है कि जनता दोष देने के लिये तैयार न हो। एक उदाहरण मैं आपके सामने दूं। मेरे यहां एक मुन्सिफी का कोर्ट है। यह जुडिशियरी के सेपरेशन के लिये रखा गया था। यह कोर्ट रन करती है। तीन महीने, चार महीने या दो महीने में एक दफा वह लोहाघाट जाती है और एक बार पिठौरागढ़ जाती है। दो सब-डिवीजनों का दौरा करने वह आती है। वह एक हफ्ता पिथौरागढ़ और दो दिन या तीन दिन वह लोहाघाट रुकती है। इन दोनों सब-डिवीजनों के लिये पूरा हाई कोर्ट से रिकाग्नाइज्ड स्टाफ है। इसमें दो अर्दली हैं, खलासी हैं सरिश्तेदार हैं, चपरासी हैं। इसके लिये दो बंगले हैं—एक पिठौरागढ़ में और दूसरा लोहाघाट में। उनका सौ रुपये माहवार किराया देना पड़ता है। मैं नहीं कहता कि इनको न रखिये। लेकिन क्या वह कोर्ट लोहाघाट या पिठौरागढ़में एक रूम लेकर कोर्ट नहीं कर सकती। बंगलों की क्या जरूरत है। मैंने एक बार कौंसिल क्वेश्चन भी किया था। इन चीजों को देखते हुये यह आवश्यक मालूम होता है कि सरकार इन चीजों पर गौर करे। हर मद को देखकर हमें काट-छांट करनी है। टैक्सेशन के लिये हमें जनता के पास न जाना पड़े, हमें यह ख्याल रखना है। धन का दुरुपयोग होने से हमें दुख होता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन चीजों पर ध्यान देगी।

श्री राम किशोर रस्तोगी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के बजट को बड़ी खूबी के साथ माननीय वित्त मन्त्री जी ने तैयार किया है, उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। बजट हमारे प्रान्त के भविष्य का दर्पण है। वह बताता है कि किस आदर्श को लेकर हम चलना चाहते हैं, किन समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। हमने देखा कि

[श्री राम किशोर रस्तोगी]

जो हमारे जीवन की प्रमुख समस्यायें थीं उनको काफी दिक्कतों और परेशानियों के बावजूद भी हल करने का प्रयत्न किया है। सबसे ज्यादा बधाई के पात्र वित्त मन्त्री जी एजूकेशन के मामले में हैं, जिसमें उन्होंने छठवीं क्लास तक के विद्यार्थियों के लिये फ्री एजूकेशन का प्रबन्ध किया। आज जब अन्न के संकट का भीषण रूप होने की संभावना है उसका बुद्धिमत्ता के साथ स्टेट मुकाबिला करने को तत्पर है। इस पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। सरकार अन्न समस्या को सुव्यवस्थित ढंग से हल करने में लगी हुई है यह बड़ी प्रशंसनीय बात है।

मैंने इस बजट में एक महत्वपूर्ण बात यह देखी कि जो विदेश की सरकारों में और उनके बजट में नहीं देखी और वह है बूढ़ों की पेन्शन, जब वह काम करने योग्य नहीं होते। हमारे वित्त मन्त्री जी ने इसमें उनके लिये अनुदान करके बड़ा प्रसंशनीय कार्य किया है। इन्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में भी बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। बहुत सी इन्डस्ट्रीज, जिनका इनमें जिक्र हुआ है, अगर बन गई तो बहुत सी चीजें, जो विदेशों से मंगानी पड़ती थीं, वह न मंगानी पड़ेंगीं और उनका पैसा जो बचेगा देश के उत्थान में लगेगा। आज हमारे ग्रामीण भाई जिनको खेती से फुरसत के बाद कोई काम करने को नहीं मिलता और बेकार पड़े रहते हैं जब वह इन कामों को करने को पायेंगे, तो उनका आर्थिक ढांचा ऊंचा उठेगा।

इसके अतिरिक्त इस बजट में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे वेतनभोगी गरीब भाइयों को जो ९५ रु० से कम तनख्वाह पाते हैं उनको पांच रुपया और देकर हमारे वित्त मन्त्री जी ने एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। गो यह पांच रूपया कोई बड़ी तादाद नहीं है, फिर भी भूखे भाई इससे अपने दवा और दूसरे जरूरियात के कार्य कर सकते हैं। इस तरह से बहुत से आइटम हैं जिनमें प्रशंसनीय कदम उठाया गया है। अपने प्रान्त की आर्थिक हालत को देखते हुये और प्रदेश को ऊंचा उठाने के लिये वित्त मन्त्री जी ने जो-जो टैक्सेशन लगाया है वह गरीब जनता के ऊपर नहीं रखा है। जनता आज देखना चाहती है कि हमारी सरकार जो कदम उठा रही है वेलफेयर स्टेट बनाने के लिये वह कितना दुरुस्त है और उसकी एक झलक इस टैक्सेशन से आती है जिससे जनता को इस पर विश्वास होता है।

श्रीमन्, एक-आध बात का और जिक्र करना चाहता हूं और उनमें से एक तो यह कि इम्पलायमेंट का कोई जिक्र इस बजट में में हमारे वित्त मन्त्री जी ने नहीं किया है। हम देखते हैं कि आज हमारा शिक्षित समुदाय कितने परिश्रम के बाद जब यूनिवर्सिटीज से निकलता है बड़ी-बड़ी उमंगें लेकर, तो उसको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। भारत के निर्माण के प्रति वह भी सोचता है, मगर जब उसको अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं मिलता है तो वह कभी कभी हताश हो गुमराह हो जाता है और फिर दूसरे ढंग से अपनी बातों को सोचता है। अक्सर वह अपने देश और अपनी सरकार के लिये घातक सिद्ध होता है। ऐसे वातावरण में मैं उम्मीद करता था कि इम्पलायमेंट का भी इसमें जिक्र होगा। यह सही है कि इन्डस्ट्रीज का इसमें जिक्र है, लेकिन उन इन्डस्ट्रीज के खुल जाने से हो सकता है हजार दो हजार आदमी की खपत हो जाय, मगर उससे अनइम्पलायमेंट नहीं समाप्त हो सकता। एक तरफ ऊंची ऊंची बातें हमारे मन्त्रीगण और सरकार करती है, लेकिन हम फिर देखते हैं कि बावजूद तमाम कोशिशों के हमारा काम करने का तरीका ऊंचा नहीं उठता है। तब हमें सोचना पड़ता है कि आखिर हमारी कौन सी कमजोरियां हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं।

मिसाल के तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी तारीख २४ या २५ जून की घटना है कि २७ वर्ष का एक युवक बिना दवादारू के यहीं लालबाग में मर गया। जो युवक अपना तथा अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकता हो, वह बिना दवादारू का मर जाय, यह कितने शर्म की बात है। इसी कौंसिल हाउस के सामने जहां पर बड़े बड़े आफिसर्स की

कोठियां बनी हैं और हजारों कारें रोज गुजरती हैं, वहां पर एक नवयुवक बिना दवादारू के मरे, तो मैं सोचता हूं कि क्या हम इस तरह से समाजवाद की तरफ जा रहे हैं ? जब हम समाजवाद की तरफ जाने की बात सोचते हैं तो वहां पर हमें यह भी देखना होगा कि इस तरह से लोग बिना दवादारू के न रहें। यह हमारी सरकार के लिये कोई शुभ लक्षण नहीं है। जहां हम बड़े-बड़े विभाग खोलते हैं अपने राज्य को एक वेलफेयर राज्य बनाने के लिये, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे प्रान्त के अन्दर इस तरह की घटनायें हों जो कि सारे राज्य के लिये एक कलंक की बात हो।

एक दौर और मैं अपने राज्य में देखता हूं और वह सिफारिशों का दौर है। आज हम यह देखते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी का फर्स्ट क्लास विद्यार्थी है या किसी कालेज का ऐसा छात्र है, जिसका अपने क्षेत्र में तीसरा या चौथा नम्बर आया हो, उसको बावजूद इन क्वालिफिकेशन के नौकरी नहीं मिलती है। इसका कारण यह है कि न तो उसका कोई उच्च अधिकारी रिश्तेदार है और न कोई ऐसा हितैषी ही है जो कि उसकी सिफारिश कर सके। आज एकेडेमिक क्वालि-फिकेशन के साथ सिफारिश की क्वालिफिकेशन आवश्यक है। अगर यह सिफारिश की क्वालि-फिकेशन हमारे राज्य में रहेगी तो राज्य के लिये कोई शोभा की बात नहीं है। आज यह देखते हैं कि किसी की अगर सिफारिश नहीं है तो योग्य से योग्य आदमी नहीं लिया जाता है। देखने में यह आता है कि जिनका रिकार्ड रद्दी से रद्दी है वे ऊपर पहुंच जाते हैं, उनकी सीनियारिटी नहीं देखी जाती है और इसका नतीजा यह होता है कि जो एफिशियेन्सी होनी चाहिये, वह नहीं होती है। प्रथम नतीजा यह होगा कि हमारे प्रान्त में लोगों में असन्तोष फैलेगा और दूसरा नतीजा यह होगा कि हर एक आदमी यह सोचने लगेगा कि हम योग्यता की बात क्यों करें और सिफा-रिश क्यों न पहुंचायें। कभी कभी मैंने देखा है कि हाई स्कूल अथवा इन्टर के पर्चे होते हैं तो पर्चे समाप्त हो जाने के बाद लड़के दौड़ लगाते हैं कि किस के पास कापियां पहुंची हैं। आज लड़कों के दिलों में यह बात बैठ गयी है कि जिस तरह से किसी भी स्थान के लिये एके-डेमिक क्वालिफिकेशन आवश्यक है, उसी तरह से सिफारिश की क्वालिफिकेशन भी आवश्यक है। सरकार को हर एक सलेक्शन कमटी को यह हिदायत देनी चाहिये कि आंख बन्द करके योग्यता को देखें और किसी भी सिफारिश को न सुने तभी हमारे राज्य का कल्याण हो सकता है। कभी कभी तो ऐसी मुसीबत आ जाती है कि किसी आदमी को टाला भी नहीं जा सकता है और सिफारिश करने वाले को एक दिक्कत पेश आ जाती है। ऐसी स्थिति में आप सोचें कि किस तरह से इस बीमारी को दूर किया जाय।

(इस समय ४ बजकर ३५ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

श्रीमन्, इसमें एक विचार बहुत ही अच्छा है जिस का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। वह ७० वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले वृद्धों को पेन्शन देना है। यह एक बहुत ही प्रशंसा की बात है। लेकिन एक और युवक क्लास है जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। जब आप 'चारबाग रिक्शा या तांगे पर बैठकर चलते हैं तो किस कदर आप के पीछे वे पड़ जाते हैं। इस तरह से हजारों स्त्री और पुरुष मारे-मारे फिरते हैं। उनके चेहरों से मायूसी नजर आती है, कपड़े गन्दे और फटे होते हैं, वे लोगों के पास जाते हैं तो लोग उनको बुरी तरह से दुतकारते हैं, पास नहीं फटकने देते, उनका उपयोग किया जाता है क्रिमिनल के द्वारा। आप क्रिमिनल का सुधार करने जा रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है, आप ७० वर्ष से ऊपर की उम्र वाले लोगों को पेन्शन देने जा रहे हैं, यह भी अच्छी बात है, लेकिन उनका क्या करने जा रहे हैं जिनसे कि प्रदेश का निर्माण होने को है। उसमें एक तरफ तो लापरवाही के साथ में उनको छोड़ दिया जाता है जिससे कि क्रिमिनल की संख्या बढ़ती चली जाय और भिखमंगे प्रदेश में बढ़ते चले जायं। हम रोज अखबारों में देखते हैं कि कुछ पेशेवर लोग ऐसे भी हैं जो कि इन लड़कों को भीख मांगने के लिये पकड़ कर ले जाते हैं। उनसे भीख मंगवा करके पैसा पैदा किया जाता है। इस तरह इन लड़कों से भीख मंगाई जाती है और दूसरी तरफ क्रिमिनल उनको अपने साधन जुटाने में इस्तेमाल करते हैं। श्रीमन्, हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश एक वेलफेयर स्टेट

[श्री राम किशोर रस्तोगी]

हो, तो इस तरह के भिखमंगे समाज के अन्दर रहना, समाज के लिये कलंक है, हमारी सरकार के लिय कलंक है। बजट में जिक्र है कि बृन्दावन में इस तरह के इन्स्टीट्यूशन्स खोले गये, हरिद्वार में खोले गये, लेकिन जब आंखों के सामने कोई यह चीज आती है, तो दिल को यकीन नहीं होता है, जिस तरह की बातें यहां देखने को मिलती हैं। उनका जिस तरह से तिरष्कार होता है, जिस तरह से मानवता सिसकियां लेती है, उन छोटे छोटे नवजात शिशुओं को देखकर यकीन नहीं हो पाता है कि हमारी स्टेट कभी वेलफेयर स्टेट हो भी पायेगी एक तरफ तो हम वेलफेयर की बात करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल काम जो इसके लिये होने चाहिये वह हमें कहीं भी नजर नहीं आते हैं। हमारे आफिसरों का जो रवैया है उससे यह बात सिद्ध नहीं हो पाती कि हमारा उत्तर प्रदेश वेलफेयर स्टट है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि एक सुपरिन्टेन्डन्ट ने यह कहा कि हमारी इन्स्टीट्यूशन में इतने लड़के भरती हो गये हैं, सब कुछ हो गया, उनको ग्रान्ट भी मिल गयी लेकिन असली बात तो यह है कि उसमें कोई भी भरती नहीं हुई। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी का ध्यान इन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो इस तरह के भ्रष्टाचार हैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया, उनके ऊपर मन्त्री जी स्वयं विचार करें। जब फाइनेन्शियल इयर आता है मार्च के प्रत्येक महीने में, तब हम क्या देखते हैं कि बड़े बड़े आफिसर और डायरेक्टर अपने-अपने विभागों से पूछता है कि तुम्हारे पास कितना रुपया बचा है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से रुपये का इस्तेमाल होता है, उससे प्रदेश को नुकसान ही ज्यादा होता है। यह तमाम चीजें जिस तरह से चलती हैं जिस तरह से रुपया व्यय किया जाता है और जिस तरह से बचत दिखायी जाती है, उसका कोई असर प्रदेश की हालत पर होने वाला नहीं है। आज भले ही हम बचत की बात करते हैं। माननीय मन्त्री महोदय अपनी तन्ख्वाहों में से रुपया कटाते हैं, बड़ी प्रशंसनीय बात है, लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि थोड़ा सा पैसा कटाने के बाद अगर आठ हजार या दस हजार रुपया बच गया तो इस तरह की बचत से कुछ नहीं होता है। जरूरत तो इस बात की है कि आप देखिये कि कहां पर किस प्रकार से रुपया खर्च हो रहा है। आज आप किसी भी विभाग को ले लीजिये, चाहे मेडिकल विभाग हो, चाहे एजूकेशन विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, सबमें यही होता है कि सेक्रेटरी लोग बड़ी बहादुरी के साथ कह देते हैं कि तुम्हारे पास जितना रुपया बचा हो, उसको इस्तेमाल कर लो और हजारों-लाखों रुपया इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को मैं भी जानता हूं, मन्त्री महोदय भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि उस रुपये को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। उसके विपरीत उसका क्या असर होता है, इसकी ओर भी क्या कभी मन्त्री महोदय का ध्यान गया है। होता यह है कि अगर बचत होती है तो उसको फौरन खर्च करने के लिये कहा जाता है, लेकिन कभी उनसे इस बात के लिये जवाब तलब नहीं किया जाता है कि रुपया योजना के कार्यों में खर्च न करके क्यों बचाया गया है और उनसे कभी यह नहीं कहा जाता है कि जो रुपया बच गया है उसको फौरन से रिजर्व में डाल दो और आगे के लिये निर्माण कार्यों पर उसे लगाओ। जिस तरह के सरकार के नियम बनाये जाते हैं उनसे कहीं कहीं पर किसी प्रकार का भी लाभ नजर नहीं आता। इसी तरह से पुलिस विभाग का नियम है कि अगर किसी थाने में १०९ के मुलजिमों का जिक्र नहीं किया गया, तो उनको कहा जाता है कि वह थाना एफिशियेन्ट नहीं है। इसलिये फिर १०९ के मुलजिमों की खानापुरी करने के लिये बेगुनाह को पकड़ते हैं। एक तरफ तो हम सुधार की बात करते हैं और दूसरी तरफ यह नहीं देखते हैं कि थानेदार को ऐसे काम के लिये कुछ भी नहीं कहा जाता है। अंग्रेजों के जमाने में जो नियम बनाये गये थे, वे हमें मजबूर करते थे कि हम अपने आफिसरों को करेप्शन की तरफ ले जायें और जिससे हमारा रुपया बेकार चला जाय। इन छोटी-छोटी कटौती से और तनख्वाह में कुछ प्रतिशत कट कर देने से कुछ नहीं हो सकता है, जबकि करोड़ों के खर्च की चर्चा होती है। आप के कुल खर्च का एक तिहाई तो आफिसरों की तनख्वाह में ही चला जाता है और एक तिहाई

बजट के दूसरे कामों में आता है। इस तरह से आपकी जो खर्च करने की व्यवस्था है, वह ठीक नहीं है और इस पर आपको ध्यान देना चाहिये। हर विभाग में इस तरह की चीजें रख दी गई जिससे कि आज हमारे सामने घाटे का बजट प्रस्तुत हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता और उस रुपये का उपयोग हम सही माने में करते, तो उस रुपये को वेलफयर स्टेट बनाने में खर्च कर पाते। श्रीमन्, इसी तरह की और कई बातें हैं, लेकिन मैं उनके सम्बन्ध में नहीं कहूंगा।

अब मैं एक बात की तरफ आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह है गरीबों के स्तर को ऊंचा उठाने के सम्बन्ध में। हम चाहते हैं कि जिसके पास कपड़ा नहीं है, उसको कपड़ा दिया जाय, जिसके पास अन्न नहीं है, उसको खाना दिया जाय, जिसके पास मकान नहीं है, उसको मकान दिया जाय। लेकिन श्रीमन्, ये सब चीजें होती नहीं हैं। मैं एक बात आपको याद दिला दूं। सन् १९४७ में बशीरतगंज की स्कीम शुरू की गई थी और उस समय यह सोचा गया कि यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर मकानों की समस्या को बहुत कुछ हल कर देंगे और उस समय यह भी कहा गया था कि वहां के पुराने लोगों को उचित एकोमोडेशन दे दिया जायेगा। लेकिन आपको मालूम है कि वह जो बस्ती थी, वह अमीरों की नहीं थी, रईसों की नहीं थी बल्कि वह तो गरीब लोगों की बस्ती थी जो रोज कमाते थे और रोज अपना पेट भरते थे। उनको वहां से खाली कर देने का आदेश दिया गया। उस समय एल० एस० जी० मिनिस्टर श्री खेर साहब थे, जो कि आजकल स्पीकर हैं और उन्होंने उन गरीब लोगों से वह जगह लेकर यह वादा भी किया था कि सूटेबुल एकोमोडेशन विल बी गिवन टू देम। यह सन् ४७ की बात है और आज सन् ५७ हो गया, मगर उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। वे इस बरसात में अपने बच्चों को लेकर उसी पानी में में पड़े रहते हैं। मैं बड़े अदब से माननीय मन्त्री जी से अर्ज करूंगा कि वे अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकाल कर उस बस्ती में जाकर जरूर देखें। जब उनके मकान छीन लिये गये हैं, तो उनको इसके लिये कोई आलटरनेट एकोमोडेशन जरूर मिलनी चाहिये। हम जब अपने यहां वेलफेयर स्टेट बनाने जा रहे हैं तो हमें इस तरह के कामों में रुकावटें नहीं पैदा करनी चाहिये। इन चीजों की तरफ माननीय मन्त्री जी अवश्य ध्यान दें क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्टेट वेलफेयर स्टेट हो। लेकिन इस तरह की छोटी-छोटी बातों की तरफ ही हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिये। ऐसा मालूम होता है कि हम वेलफेयर स्टेट बनाने में थोड़ा पीछे चल रहे हैं। क्योंकि इस तरह से वेलफेयर स्टेट बनाई नहीं जा सकती है। हमें इसमें गरीबों का भी पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिये जिससे कि वे भी अपने जीवन-स्तर को कुछ ऊंचा उठा सकें। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को भी ईमानदारी और सच्चाई के साथ इन आफिसरों से काम नहीं करायेंगे, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा।

यही अपने थोड़े से विचार रख कर मैं वित्त मन्त्री जी को उनके इस परिश्रम के साथ-साथ जो उन्होंने इतना अच्छा, ऊंचा और बेहतरीन बजट हमारे प्रान्त के लिये बनाया है, उसके लिये मैं फिर उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री डिप्टी चेयरमैन--कल ११ बजे तक के लिये कौंसिल स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ४ बजकर ५२ मिनट पर दूसरे दिन, दिनांक ३० जुलाई, १९५७ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ:
[दिनांक ७ श्रावण, शक संवत् १८७९
(२९ जुलाई, सन् १९५७ ई०)।]

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १० (ख) का उत्तर पृष्ठ ३२२ पर)

सूची संख्या १

क्रम-संख्या	३० अप्रैल, १९५७ को, जो सचिव थे, उनके नाम	वेतन	विशेष वेतन	योग
		रु०	रु०	रु०
१	श्री ए० एन० झा	३,०००	...	३,०००
२	श्री बी० बी० लाल	३,०००	...	३,०००
३	श्री एच० ए० सिद्दीकी	१,५००	३००	१,८००
४	श्री बी० पी० जोशी	१,२४०	३००	१,५४०
५	श्री एम० जो० कौल	१,५००	३००	१,८००
६	श्री जहूरुल हुसन	१,६५०	३००	१,९५०
७	श्री मिट्ठन लाल	१,५२५	३००	१,८२५
८	श्री बी० सी० शर्मा	१,७००	३००	२,०००
९	श्री गोविन्द नारायण	३,०००	...	३,०००
१०	श्री बी० डी० सनवाल	३,०००	...	३,०००
११	श्री ए० डी० पाण्डेय	१,१८०	३००	१,४८०
१२	श्री के० ए० पी० स्टेवन्सन	१,३००	३०० कन्वेंन्स भत्ता १००	१,७००
१३	श्री के० एन० सिंह	१,६००	३००	१,९००
१४	श्री एल० एम० भाटिया	१,१८०	३००	१,४८०
१५	श्री आर० एस० दास	१,६००	३००	१,९००
१६	श्री एस० एस० एल० कक्कड़	१,१८०	३००	१,४८०

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १० (ग) का उत्तर पृष्ठ ३२२ पर)

सूची संख्या २

क्रम-संख्या	१९५६–५७ में जो अधिकारी सचिव के पदों पर रहे उनके नाम	वेतन	सी० एल० ए०	इलाज के खर्च की क्षति पूर्ति	यात्रा का भत्ता	योग
		रु०		रु० आ०	रु० आ०	रु० आ०
१	श्री ए० एन० झा	३६,०००	...	...	१,४६७ १४	३७,४६७ १४
२	श्री वी० सी० शर्मा	२३,३९१	...	९२ ९	१,९६८ १४	२५,४५२ ७
३	श्री बी० बी० लाल	३२,०४०	...	...	४,३३८ १५	३६,३७८ १५
४	श्री जेड० हसन	२३,३९१	...	१७ ११	३२९ ४	२३,७३७ १५
५	श्री के० एन० सिंह	२२,६५०	...	...	२,००१ ७	२४,६५१ ७
६	श्री आर० कान्त	२१,८५०	...	...	८९० ९	२२,७४० ९
८	श्री एच० ए० सिद्दीकी	२१,२९३ ५	...	८० ९	४४६ ०	२१,८२२ १४
८	श्री एम० जी० कौल	२१,०२५ १३	..	...	१,८८८ १०	२२,९१४ ७
९	श्री गिरीश चन्द्र	२१,४८६ ३	...	...	४६२ २	२१,९४८ ५

क्रम-संख्या	१९५६-५७ में जो अधिकारी सचिव के पदों पर रहे, उनके नाम	वेतन	सी० एल० ए०	इलाज के खर्च की क्षति पूर्ति	यात्रा का भत्ता	योग
		रु० आ०		रु० आ०	रु० आ०	रु० आ०
१०	श्री के० सी० मित्तल	१३,४९८ ६	...	...	१,११४ ९	१४,६१२ १५
११	श्री के० ए० पी० स्टेवेन्सन	१९,६४३ ४	...	...	३,२३५ १४	२२,८७९ २
१२	श्री एल० एम० भाटिया	१७,०२० १०	..	४१५ ९	१,७२७ ११	१९,१६३ १४
१३	श्री बी० पी० जोशी	१७,६२८ ५	...	...	३७४ १३	१८,००३ २
१४	श्री जे० एन० उग्रा	१,८५० ०	...	...	...	१,८५० ०
१५	श्री आर० आर० सिंह	५,६३३ ६	...	...	१९० ७	५,८२३ १३
१६	श्री ए० डी० पान्डे	७,३८६ ८	...	...	१,८४६ ८	१०,२३३ ०
१७	श्री बी० डी० सन्याल	२१,७७४ ३	...	१८५ १५	२,१७४ १०	२४,१३४ १२
१८	श्री एस० एस०एल० कक्कड़	१७,३६२	...	३१८ ९	२,००२ ३	१९,६८२ १२
१९	श्री आर० एस० दास	२२,७०६ १०	...	५२ ३	१,६३४ १५	२४,३९३ १२
२०	श्री गोविन्द नारायण	३६,००० ०	...	...	२,९७२ २	३८,९७२ २
					योग	४,३६,८६४ १

=४,३६,८६४ रु० ६ न० पै०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १२ का उत्तर पृष्ठ ३२३ पर।)

राज्यादेश संख्या ५४४९/१–अ––१६१२–१९५३, दिनांक ८ अगस्त, १९५३ के खंड ६ की प्रतिलिपि

Finally, I am to request you to see that the cases relating to Bhoodan Yagna are disposed of as expenditious as possible and that every possible assistance is given to the workers of the Yagna by the officers subordinate to you.

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २९ का उत्तर पृष्ठ ३२९ पर)

---	पेंडिंग अपीलों और रिप्रेजेन्टेशनों की संख्या	१ वर्ष या उससे अधिक पेंडिंग अपीलों और रिप्रेजेन्टेशनों की संख्या	६ मास या उससे अधिक पेंडिंग अपीलों और रिप्रेजेन्टेशनों की संख्या	३ मास या उससे अधिक पेंडिंग अपीलों और रिप्रेजेन्टेशनों की संख्या	३ मास से कम की पेंडिंग अपीलों और रिप्रेजेन्टेशनों की संख्या
१	२	३	४	५	६
कमिश्नर, वाराणसी	२७	...	२	६	११
कमिश्नर, गोरखपुर	८	१	१	५	१
कमिश्नर, कुमायूं	...	...	...	...	...
कमिश्नर, लखनऊ	१३	...	५	२	६
कमिश्नर, झांसी	१३	१	५	२	५
कमिश्नर, आगरा	१३	१	...	१	११
कमिश्नर, इलाहाबाद	१०९	६३	१६	७	२३
कमिश्नर, मेरठ	५०	...	...	१६	३४
कमिश्नर, फैजाबाद	३५	१	४	७	२३
कमिश्नर, रुहेलखंड	८८	२	२७	४१	[illegible]
योग ...	३५६	६९	६०	८७	१४०

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पृष्ठ ३३३ पर)

देहरादून

(१) श्री जुबेर अहमद वहीदी, जूनियर एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर।
(२) श्री आई० एच० अन्सारी, ओवरसियर।
(३) श्री मुहम्मद यूनिस सिद्दीकी, सीनियर एकाउन्ट्स क्लर्क।
(४) श्री औलाद हुसैन, कान्सटेबिल।

सहारनपुर

(५) श्री अबदुल वहीद खां, मारकेटिंग, इन्सपेक्टर।
(६) श्री अकबर अली, सुपरवाइजर, सीड स्टोर।
(७) श्री मुहम्मद आफाक, कान्सटेबिल।
(८) श्री दाविर हुसैन, कान्सटेबिल।
(९) श्री असफाक अहमद, कैनाल क्लर्क।
(१०) श्री मुहम्मद यासिन सिगनलर, इर्रीगेशन विभाग।
(११) श्री वाई० खां, वर्कशाप सुपरिन्टेन्डेन्ट।
(१२) श्री नसीर अहमद, एक्जक्यूटिव इन्जीनियर।
(१३) श्री हाशिम हुसैन गैदी, अहलमद।

मुजफ्फरनगर

(१४) श्री मुहम्मद अतीक बर्नी, एग्रीकलचर सुपरवाईजर।
(१५) श्री अखलाक अहमद उसमानी, स्टेनो।
(१६) श्री अब्दुल मुत्तलिब, रेवेन्यू असिस्टेन्ट।

मेरठ

(१७) श्री अब्दुल मजीद खां, हेड असिस्टेन्ट।
(१८) श्री इखलाक अहमद, सुपरवाइजर, सीड स्टोर।
(१९) श्री इशाक अली खां, एग्रीकलचर सुपरवाइजर।
(२०) श्री मुहम्मद अमीर, कान्सटेबिल।
(२१) श्री इकबाल हुसैन, कान्सटेबिल।
(२२) श्री जमील बेग, कान्सटेबिल।
(२३) श्री हबीबुर्रहमान, मुन्शी।
(२४) श्री मिर्जा तसावर अली बेग।
(२५) श्री जे० डब्ल्यू० रसेल, सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर।

बुलन्दशहर

(२६) श्री रहमत उल्लाह खां, ओवरसियर, इर्रीगेशन।
(२७) श्री मोहम्मद जोहेर, हेड मुन्शी, इर्रीगेशन।
(२८) श्री फिदा हुसैन, दफेदार।

(२९) श्री शौकत अली, बरकन्दाज।
(३०) श्री हसन अली खां, क्लर्क।
(३१) श्री नायब हुसेन, नायब नाजिर, तहसील।
(३२) श्री अब्दुल रसीद, मिस्त्री।

अलीगढ़

(३३) श्री एस० एम० रजी, सुपरवाइजर, सीड स्टोर।
(३४) श्री सदरउद्दीन अहमद सिद्दीकी, अध्यापक, राजकीय नार्मल स्कूल, अलीगढ़।
(३५) श्री मुकर्रब अली, कलेक्शन अमीन।
(३६) श्री मुहम्मद सैदीदाई, स्थानापन्न एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर।
(३७) श्री इसरार अहमद, क्लर्क।
(३८) श्री साकिल अहमद कुरेशी, असिस्टेन्ट इन्जीनियर।

मथुरा

(३९) श्री वासिक अली, एग्रीकल्चर, सुपरवाइजर।

आगरा

(४०) श्री मुख्तार रजा, सुपरवाइजर, सीड स्टोर।
(४१) श्री मुहम्मद तकी " "
(४२) श्री मुख्तार हुसेन, अग्रीकल्चर सुपरवाईजर।
(४३) श्री जहूर अहमद वहीदी, सीनियर एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर।
(४४) श्री मुहम्मद अली, इलेक्ट्रीशियन, सरकारी रोडवेज।
(४५) श्री जनशेर हुसेन, पतरौल।
(४६) श्री आबिद हुसेन, मुंशी।
(४७) श्री मुहम्मद अयूब, असिस्टेन्ट इन्जीनियर।

मैनपुरी

(४८) श्री नसीर अब्बास अंसारी, सुपरवाइजर, सीड स्टोर।
(४९) श्री एम० एम० खां, असिस्टेन्ट इन्जीनियर।

पीलीभीत

(५०) श्री अब्दुल हमीद, अमीन नहर।
(५१) श्री महसूद अहमद खां, नकल नवीस।

बरेली

(५२) श्री अवदर हुसेन, पंचायत लिपिक।
(५३) श्री अमानत हुसेन, कलेक्शन अमीन।
(५४) श्री जाहिद अली, हेड कान्सटेबिल।
(५५) श्री असद हुसेन रिजवी।

(५६) श्री अबशार हुसेन, पंचायत क्लर्क ।
(५७) श्री शमसाद हुसेन ।

बदायूं

(५८) श्री अनवारूल हक, सुपरवाइजर।
(५९) श्री अनीस बेग, स्थानापन्न एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ।

मुरादाबाद

(६०) श्री मंसूर हुसेन, सुपरवाइजर, सीड स्टोर ।
(६१) श्री शहादत खां, हेड कान्सटेबिल ।
(६२) श्री अब्दुल रसीद, कान्स्टेबिल ।
(६३) श्री साबिर अहमद, टी० डब्ल्यू० आपरेटर ।
(६४) श्री शाबिर हुसैन, ट्यूबवेल आपरेटर ।
(६५) श्री मुन्ने खां, ट्यूबवेल मिस्त्री ।
(६६) श्री नजीर मोहम्मद खां, ट्यूबवेल मिस्त्री ।
(६७) श्री फखरूद्दीन अहमद, असिस्टेन्ट इन्जीनियर ।

रामपुर

(६८) श्री मुहम्मद सिद्दीक खां, स्टाफ नर्स, जिला चिकित्सालय, रामपुर ।
(६९) श्री नजाकत अली, अरदली ।
(७०) श्री गुलाम याजदानी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ।
(७१) श्री अख्तर अली खां, जिलेदार ।
(७२) श्री खुरशीद अली खां, जिलेदार ।
(७३) श्री नफीस अहमद खां, जिलेदार ।
(७४) श्री मुश्ताक अहमद, अमीन ।
(७५) श्री मुहम्मद अली, नगर अमीन ।
(७६) श्री आई० वाई० खां, बुकिंग क्लर्क, रोडवेज ।

फर्रुखाबाद

(७७) श्री सत्तार अहमद, सुपरवाइजर, सीड स्टोर ।

इटावा

(७८) श्री शाबिर अहमद हसवैल, ओवरसियर ।
(७९) श्री सैयदउद्दीन बेग, क्लर्क

कानपुर

(८०) श्री यस० टी० यस० जैदी, सहायक श्रम आयुक्त ।
(८१) श्री अब्दुल हई, सहायक लिपिक, जिला पुलिस कार्यालय ।
(८२) श्री महबूब हुसैन, मुन्शी ।

फतेहपुर

(८३) श्री जहीर हसन, नायब नाजिर ।

इलाहाबाद

(८४) श्री लैफ्टिनेन्ट ऐ० डब्ल्यू० खां, टाउन राशनिंग आफिसर ।
(८५) श्री जफर उद्दीन अहमद, सुपरवाइजर, सीड स्टोर ।
(८६) श्री जफर उद्दीन अहमद, एग्रीकल्चर, सुपरवाइजर ।
(८७) श्री मुहम्मद सिफतान, कान्स्टेबिल ।
(८८) श्री हिकमत उल्ला, क्लर्क, कार्यालय, शिक्षा संचालक, उ०प्र० ।

झांसी

(८९) श्री ए० एफ० कुरेशी, स्थानापन्न, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ।
(९०) श्री अतीउर्रहमान, क्लर्क ।
(९१) श्री अब्दुल जलील अन्सार, असिस्टेन्ट इन्जीनियर ।

जालौन

(९२) श्री आर० एस० घोरी, उप जिला विद्यालय निरीक्षक ।

बांदा

(९३) श्री मुस्तफा हुसैन, ओवरसियर ।
(९४) श्री मुसद्दी हुसैन, ओवरसीयर ।

वाराणसी

(९५) श्री सरफराज अहमद सिद्दीकी, क्लर्क, जिला चुनाव कार्यालय ।
(९६) श्री मुहम्मद असीर, हेड क्लर्क, " "
(९७) श्री अरशाद उल्लाह अब्दुल खैरी, क्लर्क सेल्स टैक्स कार्यालय ।

बलिया

(९८) श्री शहर यार सिद्दीकी, सुपरवाइजर, सीड स्टोर ।

जौनपुर

(९९) श्री समीउद्दीन, सुपरवाइजर, सीड स्टोर ।
(१००) श्री जहीर हुसैन, सहायक जेलर ।

गाजीपुर

(१०१) श्री अब्दुल गनी, कान्स्टेबिल ।

गोरखपुर

(१०२) श्री सिब्ते मेहन्दी नकवी।
(१०३) श्री मुहम्मद जहीर, कान्स्टेबिल।
(१०४) श्री हसन अली अबीदी, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर।
(१०५) श्री जेड० ए० नकवी, सहायक इन्जीनियर।
(१०६) श्री अब्दुल समी, ओवरसियर।
(१०७) श्री नजरूर हसन, नाजिर।
(१०८) श्री सलाहुउद्दीन, सुपरवाइजर, सीड स्टोर।

देवरिया

(१०९) श्री हबीब उल्लाह, अस्थायी कुर्क अमीन।

बस्ती

(११०) श्री अली हसन, सिनेमा आपरेटर।
(१११) श्री वली मुहम्मद सीनियर एकाउन्टस क्लर्क।
(११२) श्री इकबाल अहमद, क्लर्क कलेक्टरेट।
(११३) श्री नजरूल हसन, नाजिर।

लखनऊ

(११४) श्री शौकत थानवी, पब्लिसिटी आफिसर।
(११५) श्री रफीक हुसैन, हेड कान्स्टेबिल।
(११६) श्री अख्तर अहमद, पी० आई०।
(११७) श्री इकबाल अहमद हमदानी, ओवरसियर।
(११८) श्री स्वरूप नरायन, हेड कान्स्टेबिल।
(११९) श्री अब्दुल रहमान, सीनियर असिस्टेन्ट, सी० आई० डी०, उ० प्र०।
(१२०) श्री मुहम्मद फारूकी, सहायक सचिवालय।
(१२१) श्री सईफउल्ला, चपरासी, सचिवालय।
(१२२) श्री एन० ए० जाफरी, हेड क्लर्क, कार्यालय, उप-संचालक, राजकीय कृषि यान्त्रिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
(१२३) श्री जहीर उद्दीन, क्लर्क कार्यालय, ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर, यू० पी०।
(१२४) श्री मुहम्मद अहमद, कर्मचारी जज शिप।

उन्नाव

(१२५) श्री शौकत अली, कान्स्टेबिल।
(१२६) श्री मोहम्मद अनीस, सहायक लिपिक, जिला पुलिस कार्यालय।
(१२७) श्री इजहार अहमद, ओवरसियर।

रायबरेली

(१२८) श्री सज्जाद अली हनीफी, कर्मचारी कार्यालय, जिला जज।
(१२९) श्री अबरार हुसैन, हेड क्लर्क।

(१३०) श्री अख्तर हुसैन अन्सारी, एग्रीकल्चरल सुपरवाइजर ।
(१३१) श्री वली हैदर, कुर्क अमीन (नहर) ।
(१३२) श्री अब्दुल रहमान, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ।

सीतापुर

(१३३) श्री नसीरउद्दीन अहमद, डिस्ट्रिक्ट इन्जीनियर ।
(१३४-क) श्री बख्तीयार हुसैन, सीनियर एकाउन्ट्स क्लर्क ।
(१३४-ख) श्री अब्दुल अजीज खां, एग्रीकल्चरल सुपरवाइजर ।

खीरी

(१३५) श्री निमाज उल्लाह खां, कलेक्शन अमीन ।
(१३६) श्री सरीफुल हसन, सुपरवाइजर, सीड स्टोर ।
(१३७) श्री जान आलम, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ।
(१३८) श्री आई० ए० अन्सारी, ट्रैक्टर आपरेटर ।

फैजाबाद

(१३९) श्री मुहम्मद तवक्कुल हुसैन किदवई, उप-सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक ।

गोंडा

(१४०) श्री अब्दुल्लाह खां, हेड कान्स्टेबिल ।
(१४१) श्री एजाज वारिस वारसी, कान्स्टेबिल ।
(१४२) श्री शहीद खां, मोटर ड्राइवर, जिला सूचना कार्यालय ।

प्रतापगढ़

(१४३) श्री मुबीन उद्दीन खां, सुपरवाइजर, सीड स्टोर ।

बाराबंकी

(१४४) श्री आगा इकराम हुसैन काजिल बास, क्लर्क ।
(१४५) श्री मुहम्मद सिद्दीक अमीन ।
(१४६) श्री वहीदउद्दीन, अमीन ।

पशुपालन विभाग के डाक्टर, जिनकी पढ़ायी पर सरकार ने खर्च किया और जो शर्त पूरी करने से पहले पाकिस्तान चले गये--

(१४७) श्री असद जहीर, सहायक वैट० डाक्टर ।
(१४८) श्री जका उल्लाह, " "
(१४९) श्री शहीद हुसैन कुरेशी, अमरीका में ट्रेनिंग पाने के बाद सर्विस के लिये नहीं आए ।

पी० एस० यू० पी०--१३६ एल० सी०--१९५७-- ८५० (प्री०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

८ श्रावण, शक संवत् १८७९ (३० जुलाई, सन् १९५७ ई०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (५८)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद , डाक्टर
उमा नाथ बली, श्री
एन० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
तारा अग्रवाल , श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टन्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पीताम्बर दास, श्री
पुष्कर नाथ भट्ट, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
पृथ्वी नाथ, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
मदन मोहन लाल, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम गुलाम, श्री
राम नारायण पांडे, श्री
राम लखन, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विश्व नाथ, श्री
वीर भान भाटिया, डाक्टर
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
ब्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
श्याम बिहारी विरागी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार इन्द्र सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद जहान बेगम मकफी, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मंत्री, राज्य मंत्री व उपमंत्री, जोकि विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे :

श्री सैयद अली जहीर (न्याय, वन, खाद्य व रसद मंत्री)।
श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (सहकारी उपमंत्री)।
श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी (उद्योग उपमंत्री)।
श्री राममूर्ति (सिंचाई राज्य मंत्री)।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

वृन्दावन की बिजली सप्लाई के नुक्सों के निरीक्षण हेतु विद्युत् मन्त्री के सभा सचिव का वहां जाना

*१—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या यह ठीक है कि विद्युत् मंत्री के सभा सचिव किसी समय १९५६ में बिजली की सप्लाई के नुक्सों को देखने के लिये वृन्दावन गये थे?

(ख) यदि हां, तो वे कब गये थे और कौन-कौन से अधिकारी उनके साथ में थे?

*1. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (Teachers Constituency)—(*a*) Is it a fact that Parliamentary Secretary to the Minister for Power had paid a visit to Vrindaban some time in 1956 to look into the defects of electric supply there?

(*b*) If so, when did he visit and which of the officers had accompanied him?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी (उद्योग उप-मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) १४ जुलाई, १९५६ को विद्युत् मंत्री के सभा सचिव के साथ श्री अब्दुल हलीम, असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंसपेक्टर (जो अब इलेक्ट्रिक इंसपेक्टर है) और श्री एस० पी० माथुर, असिस्टेंट इंजीनियर हाईडिल, हाथरस थे।

Sri Mohammad Rauf Jafri (Udyog up-Mantri)—(*a*) Yes.

(*b*) On July 14, 1956, Sri Abdul Halim, Assistant Electric Inspector (now Electric Inspector) and Sri S. P. Mathur, Assistant Engineer, Hydel, Hathras, accompanied Parliamentary Secretary to Minister for Finance.

*२—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—क्या यह ठीक है कि नागरिकों की एक बहुत बड़ी संख्या सभा सचिव से मिली थी और उनसे वहां की बिजली सप्लाई कम्पनी के विरुद्ध शिकायतें की थीं?

*2. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Is it a fact that a large number of citizens had met the Parliamentary Secretary and complained to him against the Electric Supply Company there?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां।

Sri Mohammad Rauf Jafri—Yes.

*३—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—सभा सचिव से की गयी मुख्य मुख्य शिकायतें क्या थीं?

*3. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—What were the main complaints made to the Parliamentary Secretary?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--मुख्य-मुख्य शिकायतें निम्नलिखित थीं --

(१) बिजली की अनियमित सप्लाई,

(२) सप्लाई में लो वोल्टेज,

(३) बिजली के तारों का अपर्याप्त साइज,

(४) सप्लाई में बाधायें (Interruption),

(५) कम्पनी के सब-स्टेशन में लगे हुए खराब स्विच तथा कट आउट।

Sri Mohammad Rauf Jafri—The following were the main complaints which were made to the Parliamentary Secretary :

(1) Irregular Supply,

(2) low voltage of supply,

(3) inadequate size of the mains,

(4) interruptions in supply, and

(5) defective switches and cut-outs belonging to the licensee installed in the sub-station.

*४--**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--उन शिकायतों को दूर करने के लिये तब से क्या कदम उठाये गये हैं ?

*4. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—What steps have since been taken to remove those complaints ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--१२५ के० वी० ए० का ट्रांसफार्मर ३०० के० वी० ए० के नए ट्रांसफार्मर से बदल दिया गया है और कम्पनी ने शिकायतें दूर करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की हैं:

(१) सब-स्टेशन से क्लाक टावर तक एक नया फीडर लगा दिया है और फीडर को जमीन के अन्दर से केबिल ले जाकर मिला दिया गया है।

(२) सब-स्टेशन के अन्दर दुबारा वायरिंग कर दी गयी है और फ्यूजेज और कट आउट बदल दिये गये हैं।

(३) कई स्थानों में जैसे क्लाक टावर से लोई बाजार और रेतिया बाजार शाह जी के मंदिर के पीछे गोपी नाथ बाग में, रमन रेटी, जंगल कटी और गवादुआ गली के क्षेत्रों में विद्युत् वितरण लाइनें खड़ी कर दी गई हैं।

(४) दुसयत और किशोरपुरा में एक फेस लाइन को हटा कर ३ फेस लाइन लगा दी गयी है।

(५) वाटर वर्क्स तक जाने वाली लाईन का अधिकतर भाग मजबूत कर दिया गया है।

(६) लकड़ी की बल्लियों की जगह लोहे के खंभे लगा दिये गये हैं।

Sri Mohammad Rauf Jafri—The transformer of 125 KVA has been replaced by a new one of 300 KVA and the licensee has taken the following steps to remove the complaints :

(1) A new feeder has been erected from sub-station to Clock-Tower and an underground cable for connecting the feeder has also been laid.

(2) The installation in the sub-station has been re-wired and fuses and cut-outs have been changed.

(3) Distribution lines have been erected in several localities viz. from Clock-tower to Loi Bazar and Reta Bazar, in Gopi Nath Bagh, behind Shahji Temple, in Raman Reti, Jangal Ketti and Gawadua Gali areas.

(4) Three phase lines have been erected in Dusayat and Kishorepura to replace the Single phase lines.

(5) Major portion of the over-head line feeding the water-works has been strengthened.

(6) Wooden *ballis* have been replaced by iron poles.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शिकायतों को दूर करने के लिये और भी कोई कार्यवाही की जाने वाली है या जो कुछ किया जा चुका है, वही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जैसा कि जवाब में कहा गया है कि नगरपालिका की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या यह सच है कि वहां के सारे हास्पिटल्स ने यह बार बार शिकायत की है कि वहां का एक्सरे प्लान्ट वर्क नहीं कर रहा है और उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—ऐसी कोई शिकायत तो नहीं है और न इसकी कोई सूचना है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री महोदय का मतलब यह है कि ऐसी कोई चिट्ठी या शिकायत उन्हें नहीं मिली है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जैसा कि पहिले कहा जा चुका है कि ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो इसके बारे में दरियाफ्त किया जा सकता है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या यह बात सच है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी महोदय ने सारी जनता को यह आश्वासन दिया था कि वहां वोल्टेज आटोमैटिक रिकार्डर लगा कर के वे जांच की कार्यवाही करेंगे, लेकिन उसके बाद बहुत सी शिकायतें होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जैसा कि बतलाया गया है कि यह हुआ कि बहुत सी शिकायतें भी दूर हुई हैं।

*५—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—क्या सरकार उन शिकायतों की संख्या बतायेगी कि उसे १९५६ से लेकर अप्रैल, १९५७ तक वृन्दावन में बिजली के असन्तोषजनक प्रदान के संबंध में पहुंची ?

*5. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Will the Government give the number of complaints received by the Government regarding the unsatisfactory position of electric supply in Vrindaban during 1956 and April 1957 ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—एक।

Sri Mohammad Rauf Jafri—One.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—प्रश्न ५ के संबंध में जो शिकायतें थीं, वह किस की थीं और उसमें क्या बातें थीं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--आप प्रश्न को दोहरा दीजिए, मैं समझ नहीं पाया।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--प्रश्न ५ के उत्तर में कहा गया है कि कुछ शिकायतें आयी थीं, तो वह शिकायतें किसकी थीं और क्या थीं?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतला सकते हैं कि एलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की ड्यूटी क्या है?

श्री चेयरमैन--इस प्रकार के प्रश्न मूल प्रश्न के उत्तर से असंगत हैं।

*६--**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--(क) क्या यह ठीक है कि सरकार ने इनमें से कुछ शिकायतों की प्राप्ति को स्वीकार भी नहीं किया?

(ख) यदि हां, तो क्यों नहीं?

(ग) इन शिकायतों के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

*6. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**--(*a*) Is it a fact that the Government have not even acknowledged receipt of some of these complaints

(*b*) If so, why not?

(*c*) What action has been taken with regard to these complaints?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत मई में असिस्टेंट एलेट्रिक इंसपेक्टर ने स्थान पर मामले की जांच की और एक्जीक्यूटिव अफसर नगरपालिका वृन्दावन को स्थिति समझा दी। इसके बाद नगरपालिका से कोई शिकायत नहीं आई और की गई कार्यवाही का अन्तिम परिणाम प्रश्न संख्या ४ के उत्तर में बता दिया गया है।

Sri Mohammad Rauf Jafri--(*a*) No.

(*b*) Does not arise.

(*c*) The matter was duly investigated by the Assistant Electric Inspector at site and he explained the position to the Executive Officer, Municipal Board, Vrindaban in May last. There has been no complaint from the Municipal Board thereafter and the final result of the action is as detailed in reply to question no. 4.

विद्युत् निरीक्षक के कार्यालय में गजटेड अधिकारियों की संख्या

७--**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर टु गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में कितने गजटेड अधिकारी हैं?

*7. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**--How many gazetted officers are there in the department of the Electric Inspector to Government, Uttar Pradesh?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--१३ गजटेड अधिकारी इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को मिलाकर हैं उनमें से एक आडिट अफसर है।

Sri Mohammad Rauf Jafri—There are thirteen gazetted officers including the Electric Inspector to Government, Uttar Pradesh, Lucknow. One of them is the Audit Officer.

*८—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—क्या सरकार उन नगरों के नाम तारीख सहित देगी जो कि इन अधिकारियों द्वारा १९५७ में देखे गये ?

*8. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Will the Government give the names of the towns with dates which have been visited by these officers during 1957 ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—आवश्यक सूचना संलग्न अनुसूची† एक में दी गई है।

Sri Mohammad Rauf Jafri—Statement appended at Annexure‡ I gives the required information.

विद्युत् निरीक्षक द्वारा जिला मथुरा की अन्तिम निरीक्षण की तिथि

*९—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—क्या सरकार बतायेगी कि इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ने मथुरा जिले को अन्तिम बार कब देखा ?

*9. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Will the Government state as to when did the Electric Inspector visit Mathura District last ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर मार्च, १९५३ में आखिरी बार मथुरा गये थे।

Sri Mohammad Rauf Jafri—The Electric Inspector visited Mathura last in March, 1953.

*१०—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—उसने उन नुक्सों को, यदि कोई थे, तो दूर करने के लिये कदम क्या उठाये ?

10. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—What steps did he take to remove the defects, if any ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम, १९५६ के नियम ५(४) के अन्तर्गत कम्पनी को समय-समय पर नोटिस दिये गये जिनके फलस्वरूप खराबियां, जैसा कि प्रश्न संख्या ४ क उत्तर में दिया गया है, दूर हुई।

Sri Mohammad Rauf Jafri—Notices under rule 5 (4) of the Indian Electricity Rules, 1956, were served on the licensee from time to time which culminated in the removal of the defects as detailed in reply to question no. 4.

सरकार द्वारा गोकुलनगर, जिला मथुरा में बिजली लगाने का ठेका दिया जाना

*११—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—(क) क्या यह ठीक है कि सरकार ने मथुरा जिले के गोकुलनगर में बिजली लगाने का ठेका हाल ही में दिया था ?

(ख) यदि हां, तो ठेका कब और किसको दिया गया था ?

---

† देखिए नत्थी "क" पृष्ठ ४६० पर
‡ *See* नत्थी "क" on page 460

*11. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Is it a fact that the Government had recently given a contract for electrification of the town of Gokulnagar in Mathura District ?

(*b*) If so, when was the contract given and to whom ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—(अ) जी नहीं।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

Sri Mohammad Rauf Jafri—(*a*) No.

(*b*) The question does not arise.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या गोकुल में बिजली लगाने के संबंध में भी अब कोई शिकायत योजना की नहीं रही ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां, थी।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—तो फिर उसके संबंध में क्या किया ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—हुआ यह कि जैसे वृन्दावन में एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी थी तो उसको कोई लाइसेन्स इशू हुआ लेकिन कुछ एलेक्ट्रिसिटी बल्क सप्लाई की वजह से और कुछ फाइनेन्सेज की डिफ्रीकल्टीज की वजह से वह कार्य न कर सके, लेकिन उसने कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—मैंने प्रश्न संख्या ११ के बारे में प्रश्न किया था और माननीय मंत्री जी ने प्रश्न संख्या १३ समझ लिया। मैं यह कह रहा हूं कि गोकुल में क्या कान्ट्रेक्ट दिया गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इसमें जो आपका सवाल है, वह यह है कि किसी को ठेका दिया गया है, तो उसके जवाब में "नो" कहा गया है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—लेकिन उसकी पोजीशन क्या है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—आगे की जो पोजीशन है, वह जवाब में बतला दिया गया है।]

*१२—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—(क) क्या उपर्युक्त कार्य पूरा किया जा चुका है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

*12. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Has the above work been carried out.

(*b*) If not, why not ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—(अ) प्रश्न नहीं उठता।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

Sri Mohammad Rauf Jafri—(*a*) The question does not arise.

(*b*) The question does not arise.

बलदेवनगर जिला मथुरा में सरकार का बिजली लगाने का विचार

*१३—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—क्या सरकार का विचार मथुरा जिले के बलदेव नगर में बिजली लगाने का है ?

*13. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Do the Government have any intention to electrify the town of Baldeo in Mathura District ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां। मथुरा बिजली सप्लाई कम्पनी द्वारा इस नगर के विद्युत्करण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

Sri Mohammad Rauf Jafri—Yes, the question of electrification of this town by the Mathura Electric Supply Co. Ltd., Mathura is under the consideration of Government.

The General Electric Co., Vrindravan and the Mathura Electric Supply Co., have mutually agreed that the work of electrification of the town of Baldeo should be taken up by the Mathura Company who have accordingly issued an advertisement in the papers inviting objections from the public as required under the Rules. The Chairman, Notified Area Committee, Baldeo has been reminded for the comments.

श्री चेयरमैन—प्रश्न संख्या १३ का जो छपा हुआ उत्तर है उससे ज्यादा तफसील के साथ डिप्टी मिनिस्टर साहब ने जवाब दे दिया है इसलिये अब मैं समझता हूं कि इस पर पूरक प्रश्न पूछे जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

फतेहपुर और बिन्दकी में बिजली की उपलब्धि

*१४—**श्री पन्ना लाल गुप्त** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार बतायेगी कि फतेहपुर और बिन्दकी में कब तक जनता को बिजली उपलब्ध हो सकेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—आशा की जाती है कि फतेहपुर तथा बिन्दकी का विद्युतीकरण १९५८-५९ के अन्त तक हो जायगा।

सन् १९५२—५६ तक सिंचाई विभाग द्वारा सिविल तथा मेकेनिकल इंजीनियरों की नियुक्ति

*१५—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५२ से १९५६ तक कुल कितने नये सिविल तथा मेकेनिकल इंजीनियर सिंचाई विभाग द्वारा नियुक्त किये गये ?

(ख) क्या सरकार उपरोक्त इंजीनियरों की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम मूर्ति (सिंचाई राज्य मंत्री)—(क) १९५२ से १९५६ तक २१७ सिविल तथा ३५ मेकेनिकल इंजीनियर नियुक्त किये गये जिनमें से १० सिविल तथा ३ मेकेनिकल इंजीनियर नौकरी छोड़ गये, एक सिविल इंजीनियर की मृत्यु हो गई तथा एक मेकेनिकल इंजीनियर की सेवायें समाप्त कर दी गईं।

(ख) उपर्युक्त इंजीनियरों की सूची† सदन की मेज पर रख दी गई है।

*१६—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त इंजीनियरों में से कितने पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अब तक (१-४-५७) approve हो चुके हैं ?

---

†देखिए नत्थी "ख" पृष्ठ ३६३ पर

श्री राम मूर्ति--उपर्युक्त इंजीनियरों में से जो इस समय विभाग में कार्य कर रहे हैं १२४ सिविल और २५ मेकेनिकल इंजीनियर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा approve हो चुके हैं।

*१७--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा approve हुए इंजीनियरों में से कितने confirm हो चुके हैं और कितने नहीं ?

श्री राम मूर्ति--पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा approve हुए इंजीनियरों में से १२ सिविल तथा ३ मेकेनिकल इंजीनियर confirm कर दिये गये हैं या probation पर रखे गये हैं। इस प्रकार से ११२ सिविल तथा २२ मेकेनिकल इंजीनियर अभी temporary हैं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इंजीनियरों को जो प्रमोशन दिये जाते हैं, उसके लिये कोई सिद्धांत है ?

श्री राम मूर्ति--उनका यह सिद्धांत है कि जो हमारे यहां इंजीनियर्स रखे जाते हैं वे सब टेम्पोरेरी नेचर के होते हैं। जो काम परमानेन्ट नेचर का होता है, तो उसके लिये जो जगह खाली होती है, वह इन टेम्पोरेरी इंजीनियर्स को मिलती हैं। जो इंजीनियर्स पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये से एप्रूव होते हैं, उनको वहां पर एक कमेटी बनी हुई है, वह सेलेक्ट करती है। उस कमेटी में चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी इर्रीगेशन आदि होते हैं। इस तरह से उनका प्रोमोशन मिलता रहता है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इन इंजीनियरों के कनफरमेशन के लिये कोई अवधि नियुक्त है या कोई और शर्तें हैं ?

श्री राम मूर्ति--इसमें कोई अवधि का सवाल नहीं है।

सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अनुपात रखने का विचार

*१८--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कोई अनुपात रखने पर विचार कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो क्या अनुपात रखने का विचार है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत् व उद्योग मंत्री)--(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*१९--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के वेतनक्रम के संबंध में कोई समिति बिठाई है ?

(ख) यदि हां, तो उस समिति के कौन कौन सदस्य हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*२०--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय (१-४-१९५७) प्रदेश में एक हजार से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है, और

(ख) एक हजार अथवा उससे अधिक वेतन पाने वालों की संख्या कितनी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--(क) १ अप्रैल, १९५७ ई० को ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े इस संबंध में उपलब्ध नहीं हैं पर इनकी संख्या ३१ मई, १९५६ को ३,३४,४२१ थी।

(ख) ३१ मई, १९५६ ई० को ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या ४११ थी।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि सन् १९५३ ई० में माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात की कोई घोषणा की थी कि सरकारी कर्मचारियों में कोई अनुपात नियुक्त किया गया है, इसके बाद और सरकार ने क्या कोशिश की है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं आपको याद दिलाऊं कि मैंने यह अर्ज किया था कि छोटी तनख्वाहों और बड़ी तनख्वाहों में जो फर्क है, उसके लिये गवर्नमेंट ने यह पालिसी अख्तियार की है कि धीरे धीरे उस तरफ चला जाय।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--इसमें तो आपने अनुपात दिया है। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इस रेशियो के घटाने और बढ़ाने के संबंध में कोई पालिसी अख्तियार की है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--रेशियो का जो लफ्ज है, वह डेफिनिट लफ्ज है और फिक्स रेशियो जो है, उसका मैंने उस वक्त कोई जिक्र नहीं किया था। इसका जवाब यह है कि कोई इसका फिक्स रेशियो अभी नहीं है।

श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--यह जो वेतन में अन्तर है, वह किस प्रकार से कम किया जावेगा यानी जो नीचे के वेतन पाने वाले हैं, उनको ऊपर उठाकर या जो ऊपर के वेतन पाने वाले हैं, उनका वेतन नीचे ला करके?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जहां तक ऊंची तनख्वाह पाने वाले हैं, उनका हाउस के सामने पहले भी जिक्र आया था, तो ३१ मई, १९५६ तक उनकी तादाद सिर्फ ४११ थी, अब शायद इस वक्त तक कुछ और बढ़ गई हो, तो उन कमबख्तों के वास्ते इसमें सवाल आता नहीं है। हमारी नीति तो यही है कि छोटी तनख्वाह पाने वाले जो हैं, उनको तनख्वाह बढ़ाई जाये, इससे खुद ब खुद बड़ी तनख्वाह वाले और छोटी तनख्वाह वालों का फर्क हटता जायेगा। हम ऊपर वालों की तनख्वाह बढ़ाते जायेंगे, यह तो मैंने नहीं कहा, हां, कुछ स्केल के हिसाब से हम छोटी तनख्वाह वालों की तनख्वाह बढ़ाते चले जायेंगे। हम छोटी तनख्वाह वालों की तनख्वाह में थोड़ा थोड़ा इजाफा करते रहेंगे, ताकि इन दोनों में जो फर्क है, वह घटता जाय।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--श्रीमान् 'कमबख्त' का लफ्ज क्या पार्लियामेन्टरी है?

श्री चेयरमैन--इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह सीमेंट फैक्ट्री और प्रिसीजन फैक्ट्री जो है उसके लिये जो रुपया मांगा गया है, अगर यह रुपया न मिला तो क्या फैक्ट्री नहीं खुलेगी?

श्री चेयरमैन--ऐसे (hypothetical) कल्पनात्मक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--फैक्ट्री तो खुली हुई है। उसके प्रसार का सवाल है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने कोई उत्तर दिया है कि वह रुपया देंगे या नहीं देंगे?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——गवर्नमेंट आफ इंडिया से बातचीत हो रही है। उनकी तरफ से अभी एश्योरेंस यह नहीं मिला है कि हम देंगे ही। देने को वह कहते हैं

श्री हृदय नारायण सिंह——क्या इन दोनों फैक्ट्रियों का काम इतना संतोषजनक है कि उनको एक्सपेन्ड करने की आवश्यकता गवर्नमेंट समझती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——मेरे ख्याल से तो इससे भी ज्यादा है।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में बड़ी इंडस्ट्रीज का आयोजन

*२१——**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**——(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में बड़ी (heavy) इंडस्ट्रीज का भी आयोजन है ?

(ख) यदि हां, तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लगाई जायेंगी ?

(ग) वे किन स्थानों पर लगाई जायेंगी ?

(घ) उन पर कितना रुपया व्यय किया जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——(क) जी हां।

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत Government Cement Factory, Churk और Government Precision Instruments Factory, Lucknow, के प्रसार का आयोजन है। इसके अतिरिक्त एक Joint Stock Sugar Factory और चार Co-operative Sugar Factories के स्थापित करने का भी आयोजन है।

(ग) (1) Government Cement Factory का प्रसार (चुर्क) मिर्जापुर।

(2) Governmnt Precision Instruments Factory का प्रसार (लखनऊ)।

(3) Joint Stock Sugar Factory किच्छा (नैनीताल)।

(4) Co-operative Sugar Factories

(अ) बाजपुर (नैनीताल)।

(ब) बागपत (मेरठ)।

(स) सरसावा (सहारनपुर)।

(द) चौथे के बारे में अभी निश्चय नहीं हुआ है।

(घ) ४०२.५० लाख रुपया।

*२२——**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**——क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपर्युक्त प्रश्न के भाग (घ) में उल्लिखित धन में से कितना धन राज्य सरकार व्यय करेगी और कितना धन केन्द्रीय सरकार देगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——Government Cement Factory, Churk, तथा Government Precision Instrument Factory, Lucknow के प्रसार के लिये ३०२·५० लाख रुपया (२७८+२४.५० लाख रुपये क्रमशः) व्यय होगा, जो कि भारत सरकार से कर्ज के रूप में मांगा गया है परन्तु अभी तक कुछ नहीं मिला है। Sugar Factories पर १ करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय है जिसमें से ६० लाख रुपये का ऋण भारत सरकार ने देने को कहा है शेष धनराशि के लिये भारत सरकार से लिखा-पढ़ी हो रही है।

सरकार द्वारा १९५१ से १-४-१९५७ तक मंत्रियों, उपमंत्रियों, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों तथा सरकारी अधिकारियों के लिये नैनीताल में भूमि अथवा बंगलों का खरीदना अथवा किराये पर लेना

*२३--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५१ से अब तक (१-४-५७) सरकार ने मंत्रियों, उपमंत्रियों, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों तथा सरकारी अधिकारियों के लिये नैनीताल में कुछ बंगले या भूमि खरीदी है अथवा किराये पर ली है?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस काल में खरीदने में कितना मूल्य दिया और किराये पर कितना मूल्य चुकाया गया?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--(क) जी हां। कुछ बंगले केवल १९५४ से किराये पर लिये हैं।

(ख) किराये पर अब तक ३६,३४६ रु० १२ आ० दिये गये।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी उन मकानों की तादाद बतायेंगे?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इसकी फेहरिस्त तो मौजूद नहीं है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो मकान लिये गये थे, अफसरों के रहने के लिये लिये गये थे या किसी और काम के लिये लिये गए थे?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां, रहने के लिये ही लिये गये थे।

श्री हृदय नारायण सिंह--कितने बंगले खरीदे गये हैं, क्या माननीय मंत्री जी बता सकते हैं?

श्री मुहम्द रऊफ जाफरी--किसी बंगले के खरीदने का मामला अभी पूरा नहीं हुआ है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--मैं यह जानना चाहता हूं कि अफसरों के लिये लिये गये हैं, नानआफिशियल्स के लिये लिये गये हैं या मिनिस्टर्स के रहने के लिये लिये गये हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इसमें से एक दो तो मिनिस्टर्स के लिये लिये गये हैं। और एक बंगला बराबर इस लिये लिया जाता रहा है कि वहां पहुंचने के बाद जरूरत पैदा हो जाती रही है। कभी गवर्नमेंट आफ इंडिया के लोग आ जाते हैं, कभी कहीं के लोग आ जाते हैं और एकोमोडेशन न होने के कारण उनको उसमें ठहरा दिया जाता है।

श्री हृदय नारायण सिंह--जिन बंगलों को खरीदने की कार्यवाही पूरी नहीं हुई है, उनके लिये क्या एडवांस दिया गया है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यहां जिक्र खरीदने का नहीं है। उन्होंने किराये का जवाब दिया है।

उत्तर प्रदेश में अम्बर चर्खा ट्रेनिंग केन्द्र

*२४--**श्री हृदय नारायण सिंह**--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय (१-४-५७) प्रदेश में जिलेवार कितने अम्बर चर्खा ट्रेनिंग केन्द्र चल रहे हैं।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--प्रदेश में अभी कोई अम्बर चर्खा ट्रेनिंग केन्द्र राज्य सरकार द्वारा नहीं खोला गया है ।

*२५--**श्री हृदय नारायण सिंह**--इनके लिये कितने कर्मचारी या अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और उनके वेतनक्रम क्या हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--प्रश्न नहीं उठता ।

*२६--**श्री हृदय नारायण सिंह**--अम्बर चर्खे के प्रचार तथा ट्रेनिंग के लिये सन् १९५६-५७ में सरकार ने क्या खर्च किया और १९५७-५८ में कितना खर्च करने जा रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--सन् १९५६-५७ में सरकार ने कुछ व्यय नहीं किया । १९५७-५८ में इस कार्य पर क्या खर्च होगा यह भी अभी निश्चय नहीं किया गया है ।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार अम्बर चर्खे की उपादेयता के बारे में कुछ राय रखती है ? क्या यह हमारे प्रदेश के लिये यूजफुल है या नहीं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां, यह फायदेमन्द स्कीम है । प्लानिंग कमीशन की यह राय है । वहां के जो एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि यह फायदेमन्द स्कीम है ।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि इसके कितने केन्द्र चल रहे हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जैसा कि मैंने बतलाया कि सरकार के द्वारा कोई सेन्टर नहीं चल रहा है । गांधी आश्रम के द्वारा कुछ सेन्टर और सब-सेन्टर चल रहे हैं । केन्द्रीय सरकार से उनको बराहरास्त पैसा मिलता है और वे खर्च करते हैं ।

उत्तर प्रदेश की ट्रेजरियों के तहवीलदारों को सरकारी कर्मचारी माना जाना

*२७--**श्री राम नन्दन सिंह** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)--क्या वित्त मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश की ट्रेजरियों में काम करने वाले तहवीलदारों को सरकारी कर्मचारी मान लिया गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--अभी तक तहवीलदारों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना गया है, परन्तु उनका मामला विचाराधीन है ।

*२८--**श्री राम नन्दन सिंह** (अनुपस्थित)--क्या उन्हें वेतन सरकारी स्केल के अनुसार दिया जाता है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--तहवीलदारों को सरकार द्वारा निश्चित वेतन दिया जाता है ।

*२९--**श्री राम नन्दन सिंह** (अनुपस्थित)--उनका वेतन स्केल क्या है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--उनका कोई वेतनक्रम निर्धारित नहीं है । उन्हें निश्चित रूप से ६० रु० प्रति मास वेतन तथा महंगाई भत्ता मिलता है ।

ऐजन्टों द्वारा ट्रेजरियों का काम कराये जाने में सरकार का वार्षिक लाभ

*३०--**श्री राम नन्दन सिंह** (अनुपस्थित)--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि ट्रेजरियों का काम एजेन्टों द्वारा कराये जाने में सरकार को प्रति वर्ष कितना लाभ होता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--खजानों का काम एजेन्टों द्वारा नहीं बल्कि सरकारी खजांचियों द्वारा कराया जाता है, जो सरकारी कर्मचारी हैं । अतः सरकार का प्रति वर्ष लाभ होने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*३१-३२—श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित।

*३३—४१—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—स्थगित।

सरकार द्वारा गवर्नमेंट पालिटेक्निक लखनऊ को मोटर मेकेनिक की क्रियात्मक शिक्षा के हेतु मोटरें दिया जाना

*४२—श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या यह ठीक है कि सरकार द्वारा गवर्नमेंट पोलिटेक्निक लखनऊ को मोटर मेकेनिक कक्षा के विद्यार्थियों को क्रियात्मक शिक्षा देने के लिये मोटरें दी गई हैं?

*42. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Is it a fact that cars have been provided by the Government to the Government Polytechnic, Lucknow for imparting practical training to the students of Motor Mechanic class ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—हां, मोटरों का प्रयोग पोलीटेक्निक के सरकारी कार्यों क लिये भी किया जाता है।

Sri Mohammad Rauf Jafri—Yes. The car is also used for official work pertaining to the Polytechnic.

*४३—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) यदि हां, तो यह मोटरे कब दी गई थीं, और

(ख) किस कीमत पर ?

*43. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—If so—

(*a*) when were these cars provided, and

(*b*) at what cost ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—दो पुरानी मोटरें एक प्लइमाउथ मोटर, जो कि सन् १९४८ में ५,५०० रु० की खरीदी गई थी, और एक फोर्डसन, जो कि सन् १९५५-५६ में (डी० डी० एस० ऐन्ड डी०) दिल्ली से ७५० रु० की खरीदी गई।

Sri Mohammad Rauf Jafri—Two old cars—One old Playmouth car was purchased in the year 1948 at Rs.5,500 and one Fordson car was purchased in the year 1955-56 from Directorate General of Supplies and Disposals, Delhi at Rs.750.

*४४—श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या यह भी ठीक है कि उपर्युक्त मोटरों में से एक मोटर इन्स्टीट्यूट के एक कर्मचारी के निजी इस्तेमाल में कुछ दिन तक रही ?

*44. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Is it also a fact that one of the above cars was under private use of an employee of the Institute for some time ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—नहीं, मोटरें सर्वथा इन्स्टीट्यूट से सम्बन्धित कार्यों के लिये ही उपयोग में लाई जाती हैं तथा वह स्थानाभाव के कारण राजकीय गैरेज में, जो कि प्रधान अध्यापक की कोठी के साथ है, रखी जाती है।

Sri Mohmmad Rauf Jafri—No. It was under official use and was kept in the Government garage in Principal's bungalow for want of space in the Institute's compound.

*४५—श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या यह ठीक है कि उपर्युक्त मोटर पिछले वर्ष उस कर्मचारी के निवास-स्थान पर एक दुर्घटना के कारण बुरी तरह टूट गई थी ?

*45. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Is it a fact that this car got badly damaged due to an accident last year by the employee at his residence ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह मोटर दिनांक ३० नवम्बर, १९५५ को जबकि इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर आफिस में होने वाली सभा में सम्मिलित होने के लिये चालू की जा रही थी, दुर्घटनावश टूट गई।

Sri Mohammad Rauf Jafri—This car got damaged due to an accident on November 30, 1955, while starting it for going for a meeting to the Electrical Inspectors Office.

*४६—श्री कन्हैया लाल गुप्त—यदि हां, तो

(क) उस पर मरम्मत कराने में क्या व्यय हुआ था, और

(ख) किसने उस व्यय को चुकाया ?

*46. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—If so—

(*a*) what were the repairing expenses on it, and

(*b*) who paid them ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—(क) उस पर मरम्मत व्यय ४९ रु० १४ आना हुआ, तथा

(ख) यह राशि विद्यालय (इन्स्टीट्यूट) ने चुकाई।

Sri Mohammad Rauf Jafri—(*a*) The repairing expenses on it were Rs.49-14, and

(*b*) were incurred by the Institute.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि क्या इन्स्टीट्यूशन में कोई गैरेज नहीं है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां। जवाब में तो यह है ही कि वहां जगह नहीं थी।

श्री चेयरमैन—माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि मिनिस्टर साहब को इस बात की जानकारी नहीं रह सकती है कि कहां किस स्कूल में गैरेज है या नहीं। चूंकि प्रश्नोत्तर के लिये समय सीमित है, इसलिये यह उचित होगा कि वह ही पूरक प्रश्न पूछे जायं जो महत्वपूर्ण हों।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—अध्यक्ष महोदय, यह गवर्नमेंट का अपना टेक्निकल इन्स्टीट्यूट है और आटोमोबाइल इंजीनियरिंग से सम्बन्ध रखता है, इसलिये मैंने प्रश्न पूछे हैं।

(कुछ ठहर कर) यह मीटिंग, जिसमें प्रिंसिपल साहब जा रहे थे, क्या वह पोलीटेक्नीक से सम्बन्धित थी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां, जब वह जा रहे थे तो उसी से सम्बन्धित रही होगी।

श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय मन्त्री जी ने हाई-पोथीटिकल-आन्सर दिया है।

श्री चेयरमैन—जितनी सूचना थी, वह दे दी गई है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कार एक्सीडेन्ट हुआ, कार स्टार्ट करते वक्त हुआ तो कौन स्टार्ट कर रहा था ?

श्री चेयरमैन--मैं समझता हूं कि किसी एक्सीडेन्ट के सम्बन्ध में इतना विस्तार पूर्वक उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या किसी व्यक्ति को संघातिक चोट भी आई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--ऐसी कोई इत्तिला नहीं है ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--अध्यक्ष महोदय, आप माफ करें । एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है और पेपर्स में इसकी बहुत पब्लिसिटी हुई है कि इस एक्सीडेन्ट में ऐसा हुआ है, इसलिये मैंने यह प्रश्न पूछा है ।

श्री चेयरमैन--मैंने पहिले भी कई बार कहा है कि अगर ऐसा कोई वाक्या हो, जिसके बारे में कोई सदस्य विस्तृत प्रश्न गवर्नमेंट से पूछना चाहें तो उसी समय डाइरेक्टली मिनिस्टर को लिखकर पत्र का रिफरेन्स देकर या उनको पेपर की कटिंग भेजकर सूचना प्राप्त करें । मगर एक घटना के एक महीना बाद यहां पर क्रास एग्जामिनेशन द्वारा यह साबित करने की कोशिश की जाय कि अमुक व्यक्ति की लापरवाही है या गवर्नमेंट की लापरवाही है, तो ऐसा यहां पर नहीं हो सकता है । जैसे एक अफसर की गलती है और वह अफसर यहां पर मौजूद नहीं है, उससे फौरन पूछा भी नहीं जा सकता । तो मैं समझता हूं कि इस किस्म का सवाल उचित नहीं है । मेरा ख्याल है कि अगर माननीय सदस्य लिखकर सूचना प्राप्त करें तो मिनिस्टर साहब उस अफसर को बुला सकते हैं और पूछ भी सकते हैं और माननीय सदस्य को पूरी जानकारी प्राप्त करके खबर दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त यहां पर क्रास एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता है । यहां पर सरकार का ध्यान दिला दिया जाय और जो कार्यवाही गवर्नमेंट करे उस पर विश्वास किया जाय ।

श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय मन्त्री जी से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो इन्फारमेशन श्री कन्हैया लाल जी ने दी है कि एक आदमी की मृत्यु हो गई है तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार इन्क्वायरी करायेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जरूर पूछा जायेगा ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--अध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी के बाद माननीय मन्त्री जी बुला कर बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--आपके पास खबर भेज दी जायेगी, आपको खत के जरिये इत्तला दे दी जायेगी ।

गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ के विद्यार्थियों को सरकारी व्यय पर अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी देखने के लिये दिल्ली भेजा जाना

*४७--श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या यह ठीक है कि दिसम्बर, १९५५ में गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ के विद्यार्थी सरकारी खर्चे पर अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी, देहली, दो समूहों में देखने के लिये भेजे गये थे ?

*47. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Is it a fact that the students of Government Technical Institute, Lucknow, were sent to see the International Industries Fair at Delhi in December 1955, at Government expenses in two batches ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां।

Sri Mohammad Rauf Jafri—Yes.

*४८--श्री कन्हैया लाल गुप्त--यदि हां, तो क्या सरकार उन शिक्षकों के नाम, उनके पदों सहित देने की कृपा करेगी जो कि उपर्युक्त विद्यार्थियों के समूहों के साथ भेजे गये थे ?

*48. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—If so, will the Government give the names of the members of the staff along with designa ions who were deputed to accompany these batches of studen s ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--प्रथम समूह के साथ श्री एल० बी० गुप्त, प्रथम टेक्निकल मास्टर तथा श्री आई० जे० सिंह सर्वेइंग लेक्चरार गये थे, व दूसरे समूह के साथ प्रिंसिपल श्री एम० वी० रामाराव गये थे।

Sri Mohammad Rauf Jafri—Sarvasri L. B. Gupta, Ist Technical Master and I. J. Singh, Lecturer in Surveying, accompanied the first batch while Sri M. V. Rama Rao, Principal of the Institute accompanied the students of second batch.

४९--श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या यह भी ठीक है कि उपर्युक्त भेजे गये शिक्षकों में से एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को प्रदर्शनी के चारों तरफ नहीं घुमाया ?

*49. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Is it also a fact that one of the members of the staff so deputed did not take the students round the Fair ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी नहीं।

Sri Mohammad Rauf Jafri—No.

५०--श्री कन्हैया लाल गुप्त--(क) क्या यह ठीक है कि उपर्युक्त शिक्षक ने सरकार से यात्रिक भत्ता वसूल किया ?

(ख) यदि हां, तो यात्रिक भत्ते की वसूल की गई रकम क्या थी ?

*50. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Is it a fact that this member of the staff charged his T. A. from Government ?

(*b*) If so, what was the amount charged ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--(क) उपर्युक्त शिक्षकों को यात्रिक भत्ता सरकार से दिया गया था।

(ख) दोनों शिक्षकों व प्रिंसिपल को यात्रिक भत्ते के रूप में २४१ रु० १४ आ० दिये गये।

Sri Mohammad Rauf Jafri—(*a*) The aforementioned members of the staff charged their travellling allowance from Government.

(*b*) Both the teachers and the principal were paid Rs. 241/14 as their T. A.

श्री हृदय नारायण सिंह--शिक्षकों और प्रिंसिपल को जो रकम दी गई तो क्या प्रत्येक को २४१ रु० १४ आना दिया गया या दोनों को मिलाकर कर दिया गया ?

श्री मुहम्मद रफऊ जाफरी--यह कुल खर्चा है।

जुलाई सन् १९५६ में गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ की इंजीनियरिंग की प्रथम कक्षा के लिये विद्यार्थियों का चुनाव

*५१—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—(क) क्या यह ठीक है कि जुलाई, १९५६ में गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ की इंजीनियरिंग कक्षा के प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने के लिये सेलेक्शन बोर्ड द्वारा पचास विद्यार्थी चुने गये थे ?

(ख) उपर्युक्त कक्षा में वास्तव में कितने विद्यार्थी भर्ती किये गये ?

*51. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Is it a fact that fifty students were selected by the Selection Board for admission to the first-year engineering class of the Government Teachnical Institute. Lucknow in July, 1956.

(*b*) How many students were actually admitted to the above class ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—(क) जी हां।

(ख) केवल ५० विद्यार्थी।

Sri Mohammad Rauf Jafri—(*a*) Yes.

(*b*) Only fifty students.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या यह सच है कि इन्स्टीट्यूशन के रोल पर विद्यार्थियों की संख्या ५० से ज्यादा है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह प्रश्न में बतला दिया गया था कि विद्यार्थियों की संख्या ५० थी।

गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट लखनऊ के विद्यार्थियों को १९५६ की वार्षिक परीक्षा के प्रश्न-पत्रों का पहले से ज्ञान होना

*५२—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—क्या यह ठीक है कि गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ की अप्रैल, १९५६ की वार्षिक परीक्षा के प्रश्न-पत्र परीक्षा होने से पहिले ही ज्ञात हो गये थे ?

*52. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Is it a fact that the question papers of the last annual examination of the Government Technical Institute, Lucknow, held in April, 1956, were out before commencement of the examination ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी नहीं, केवल दो प्रश्न-पत्र, जो कि द्वितीय वर्ष के इंजीनियरिंग कक्षा के १९५६ की वार्षिक परीक्षा के लिये बनाये गये थे, श्री मुस्तफा (प्रिंसिपल के अर्दली) द्वारा कुछ लड़कों के लालच देने के कारण ज्ञात हो गये थे।

Sri Mohammad Rauf Jafri—No. Only two question papers set for II year Engineering class annual examination in 1956, were leaked out by Sri Mustafa Khan (Orderly to Principal) to some students of the class on getting temptation.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—पेपर्स को प्यून ने कैसे आउट किया। क्या यह पेपर उसकी कस्टडी में दिया गया था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—छपते समय यह लोग सहयोग दे रहे थे । किसी तरह से उसने दो पर्चे आउट कर लिये थे ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—किस तरह से पर्चा आउट हुआ, क्या माननीय मन्त्री जी इस पर लाइट थ्रो करेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मुझे ठीक तरह से मालूम नहीं है लेकिन मैं बतलाता हूं कि किस तरह से हुआ होगा मैं तरकीब बतलाता हूं । चपरासी खड़ा होगा और चुपके से ले लिया होगा ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—प्वाइन्ट आफ आर्डर सर । जब मिनिस्टर साहब को नहीं मालूम है तो इस तरह से जवाब देना क्या ठीक है ?

श्री चेयरमैन—इस प्रकार का प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता है । प्वाइन्ट आफ आर्डर उसी वक्त उठाया जा सकता है जबकि कौंसिल के नियम का उल्लंघन किया जाय । तब प्वाइन्ट आफ आर्डर हो सकता है ।

५३—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—यदि हां, तो क्या सरकार उन व्यक्तियों के नाम देने की कृपा करेगी जिनकी देखरेख में प्रश्न-पत्र छपाये गये थे ?

*53. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—If so, will the Government give the names of the persons under whose supervision the papers were printed ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—१९५६ की वार्षिक परीक्षा के सब परचे प्रिंसिपल (श्री रामा राव) की देखरेख में छपे । गुप्त क्लर्क श्री मलिक तथा अरदली मुस्तफा ने प्रश्न-पत्रों की छपाई में सहयोग दिया । दुर्भाग्य से दो परचे परीक्षा से पूर्व ही ज्ञात हो गये जो कि शीघ्र ही बदल दिये गये और परीक्षा सुचारु रूप से सम्पन्न हो गई ।

Sri Mohammad Rauf Jafri—All the papers of annual examination of 1956 were stencilled under the direct supervision of the Principal (Sri Rama Rao) with the assistance of his confidential clerk Sri N. K. Mallick and Sri Mustafa Khan (Orderly to Principal). Unfortunately two papers were leaked out before examination which were immediately re-set and examination conducted successfully.

*५४—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—प्रश्न पत्र के ज्ञात हो जाने के जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

54. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—What action was taken against the persons responsible for the leakage of papers ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—श्री मुस्तफा खां (प्रिंसिपल का अर्दली) तुरन्त ही मुअत्तल कर दिया गया और मामले की छानबीन की गई, जिसके फलस्वरूप मुस्तफा अपराधी पाया गया व उसे उचित दन्ड दिया गया । उसको चपरासी के पद से उतार कर कुली बना दिया गया और उसको एक साल के लिये सालाना तरक्की रोक दी गई तथा उसके चाल-चलन पत्र पर "एडवर्स एन्ट्री" कर दी गई ।

Sri Mohammad Rauf Jafri—Sri Mustafa Khan (Principal's orderly) was immediately suspended and enquiries instituted. He was found guilty and has been suitably punished. He has been reverted from the post of peon to the post of attendant (colie) ; also his increment has been withheld for one year and an adverse entry has been made in his character roll.

जुलाई सन् १९५६ में गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ की इंजीनियरिंग की प्रथम कक्षा के लिये विद्यार्थियों का चुनाव

*५१—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) क्या यह ठीक है कि जुलाई, १९५६ में गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ की इंजीनियरिंग कक्षा के प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने के लिये सेलेक्शन बोर्ड द्वारा पचास विद्यार्थी चुने गये थे ?

(ख) उपर्युक्त कक्षा में वास्तव में कितने विद्यार्थी भर्ती किये गये ?

*51. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Is it a fact that fifty students were selected by the Selection Board for admission to the first-year engineering class of the Government Teachnical Institute. Lucknow in July, 1956.

(*b*) How many students were actually admitted to the above class ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—(क) जी हां ।

(ख) केवल ५० विद्यार्थी ।

Sri Mohammad Rauf Jafri—(*a*) Yes.

(*b*) Only fifty students.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या यह सच है कि इन्स्टीट्यूशन के रोल पर विद्यार्थियों की संख्या ५० से ज्यादा है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह प्रश्न में बतला दिया गया था कि विद्यार्थियों की संख्या ५० थी ।

गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट लखनऊ के विद्यार्थियों को १९५६ की वार्षिक परीक्षा के प्रश्न-पत्रों का पहले से ज्ञान होना

*५२—श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या यह ठीक है कि गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ की अप्रैल, १९५६ की वार्षिक परीक्षा के प्रश्न-पत्र परीक्षा होने से पहिले ही ज्ञात हो गये थे ?

*52. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Is it a fact that the question papers of the last annual examination of the Government Technical Institute, Lucknow, held in April, 1956, were out before commencement of the examination ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी नहीं, केवल दो प्रश्न-पत्र, जो कि द्वितीय वर्ष के इंजीनियरिंग कक्षा के १९५६ की वार्षिक परीक्षा के लिये बनाये गये थे, श्री मुस्तफा (प्रिंसिपल के अर्दली) द्वारा कुछ लड़कों के लालच देने के कारण ज्ञात हो गये थे ।

Sri Mohammad Rauf Jafri—No. Only two question papers set for II year Engineering class annual examination in 1956, were leaked out by Sri Mustafa Khan (Orderly to Principal) to some students of the class on getting temptation.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—पेपर्स को प्यून ने कैसे आउट किया । क्या यह पेपर उसकी कस्टडी में दिया गया था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—छपते समय यह लोग सहयोग दे रहे थे। किसी तरह से उसने दो पर्चे आउट कर लिये थे।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—किस तरह से पर्चा आउट हुआ, क्या माननीय मन्त्री जी इस पर लाइट थ्रो करेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मुझे ठीक तरह से मालूम नहीं है लेकिन मैं बतलाता हूं कि किस तरह से हुआ होगा मैं तरकीब बतलाता हूं। चपरासी खड़ा होगा और चुपके से ले लिया होगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। जब मिनिस्टर साहब को नहीं मालूम है तो इस तरह से जवाब देना क्या ठीक है ?

श्री चेयरमैन—इस प्रकार का प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता है। प्वाइन्ट आफ आर्डर उसी वक्त उठाया जा सकता है जबकि कौंसिल के नियम का उल्लंघन किया जाय। तब प्वाइन्ट आफ आर्डर हो सकता है।

५३—श्री कन्हैया लाल गुप्त—यदि हां, तो क्या सरकार उन व्यक्तियों के नाम देने की कृपा करेगी जिनकी देखरेख में प्रश्न-पत्र छपाये गये थे ?

*53. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—If so, will the Government give the names of the persons under whose supervision the papers were printed ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—१९५६ की वार्षिक परीक्षा के सब परचे प्रिंसिपल (श्री रामा राव) की देखरेख में छपे। गुप्त क्लर्क श्री मलिक तथा अरदली मुस्तफा ने प्रश्न-पत्रों की छपाई में सहयोग दिया। दुर्भाग्य से दो परचे परीक्षा से पूर्व ही ज्ञात हो गये जो कि शीघ्र ही बदल दिये गये और परीक्षा सुचारु रूप से सम्पन्न हो गई।

Sri Mohammad Rauf Jafri—All the papers of annual examination of 1956 were stencilled under the direct supervision of the Principal (Sri Rama Rao) with the assistance of his confidential clerk Sri N. K. Mallick and Sri Mustafa Khan (Orderly to Principal). Unfortunately two papers were leaked out before examination which were immediately re-set and examination conducted successfully.

***५४—श्री कन्हैया लाल गुप्त**—प्रश्न पत्र के ज्ञात हो जाने के जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

54. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—What action was taken against the persons responsible for the leakage of papers ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—श्री मुस्तफा खां (प्रिंसिपल का अर्दली) तुरन्त ही मुअत्तल कर दिया गया और मामले की छानबीन की गई, जिसके फलस्वरूप मुस्तफा अपराधी पाया गया व उसे उचित दन्ड दिया गया। उसको चपरासी के पद से उतार कर कुली बना दिया गया और उसको एक साल के लिये सालाना तरक्की रोक दी गई तथा उसके चाल-चलन पत्र पर "एडवर्स एन्ट्री" कर दी गई।

Sri Mohammad Rauf Jafri—Sri Mustafa Khan (Principal's orderly) was immediately suspended and enquiries instituted. He was found guilty and has been suitably punished. He has been reverted from the post of peon to the post of attendant (colie) ; also his increment has been withheld for one year and an adverse entry has been made in his character roll.

कानपुर की एक फर्म द्वारा गवर्नमेंट पोलिटेक्निक, लखनऊ को दोषपूर्ण मशीनरी का देना

*५५—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—क्या यह ठीक है कि:—

(क) वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में कानपुर की एक फर्म ने गवर्नमेंट पोलीटेक्निक, लखनऊ को दोषपूर्ण मशीनरी सप्लाई की, और

(ख) उस फर्म को पूरा रुपया दे दिया गया ?

*55. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Is it fact that—

(*a*) a firm of Kanpur supplied defective machines during the financial year 1955-56 to the Government Polytechinc, Lucknow, and

(*b*) full payments were made to the firm ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—फर्म द्वारा सप्लाई की गई मशीनों में से एक दोषपूर्ण निकली, परन्तु फर्म ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था तथापि उस फर्म ने मशीन का बिना किसी अतिरिक्त दामों के दोष दूर कर दिया।

Sri Mohammad Rauf Jafri—One of the machines supplied by the firm was defective, but the firm did not intentionally supply defective machine. The defeets were removed by the firm free of charge.

*५६—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—क्या सरकार बतायेगी कि :—

(क) उपर्युक्त मशीनरी के लिये क्या रकम दी गई, और

(ख) उस रकम के अदा करने के लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार थे ?

*56. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Will the Government state—

(*a*) the amount paid for the machinery, and

(*b*) the persons responsible for the payment ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—(क) कुल मूल्य का ८० प्रतिशत अर्थात ४,९८१ रु० ७ आना ६ पाई मेसर्स बाटली बाय एन्ड कं० कानपुर को सप्लाई की हुई मशीनरी के मूल्य के उपलक्ष में आर० टी० आर० द्वारा दिनांक १२ अक्तूबर १९५५ को दिया गया तथा शेष २० प्रतिशत मशीनरी के ठीक सेट हो जाने पर तथा सन्तोषजनक ट्रायल के उपरान्त दिया गया।

(ख) यह धनराशि, प्रधानाध्यापक ने शिक्षालय का प्रधान होने के नाते चुकायी।

Sri Mohammad Rauf Jafri—(*a*) A sum of Rs. 4.981/7/6 being 80% Payment of the machines supplied was paid to messers Batli Boy & Co., Kanpur by R. T. R., on October 12, 1955. The remaining 20% was also paid after satisfactory trial of the machines and setting right the lathes supplied by the firm.

(*b*) The Principal, being the Head of the Institution disbursed he aforesaid amount.

सरकार द्वारा मथुरा जिले में ३ साल के भीतर बनाये गये नलकूपों की संख्या

*५७—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—(क) क्या सरकार उन नलकूपों की संख्या देगी जो कि मथुरा जिले में सिंचाई के लिये पिछले तीन वर्षों के भीतर सरकार द्वारा बनवाये गये ?

(ख) उपर्युक्त नलकूप कहां स्थित हैं ?

(ग) सरकार ने अब तक इन नलकूपों पर कितना रुपया व्यय किया ?

*57. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Will the Government give the number of tube-wells bored in the district of Mathura for irrigation purposes during the last three years ?

(*b*) Where are the above tube-wells situated ?

(*c*) What is the total amount that the Government has spent so far on these tube-wells ?

श्री राम मूर्ति—(क) गत तीन वर्षों में मथुरा जिले में ५ नलकूपों की बोरिंग की गई।

(ख) यह नलकूप निम्नलिखित स्थानों में स्थित हैं:—

(१) ग्राम फालिन, तहसील छाता, कोसीकलां के निकट,

(२) ग्राम गोथानो, विसवा, कोसी कलां के निकट,

(३) जवाहर पार्क, मथुरा,

(४) ग्राम औरंगाबाद, तहसील मथुरा, और

(५) ग्राम बीजापुर नवादा, मथुरा तहसील में जवाहर पार्क के निकट।

(ग) इन नलकूपों के निर्माण में अब तक कुल १,००,६१९ रुपया व्यय किया गया है।

Sri Ram Murti—(*a*) Five tube-wells were bored in the district of Mathura during the last three years.

(*b*) These tube-wells were drilled at the following places—

(1) village Falin of tehsil Chhata near Kosi Kalan,

(2) village Gotoh-no-Bishwa near Kosi Kalan,

(3) Jawahar Park, Mathura,

(4) village Aurangabad, tehsil Mathura, and

(5) village Bijapur Nawada, tehsil Mathura near Jawahar Park.

(*c*) The total amcunt spent on the construction of these tube-wells so far is Rs. 1,00,619.

*५८—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—उपर्युक्त नलकूपों में से कितने नलकूप सफल प्रमाणित हुये ?

*58. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—How many of the above tube-wells have proved to be successful ?

श्री राम मूर्ति—जवाहर पार्क, मथुरा में निर्मित किया गया नलकूप सफल प्रमाणित हुआ।

Sri Ram Murti—Only one tube-well in Jawahar Park, Mathura has been suceessful.

*५९—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—(क) क्या सरकार का विचार मथुरा जिले में कुछ नये नलकूपों के लगाने का है ?

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ?

59. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Do the Government intend to bore some new tube-wells in Mathura District ?

(*b*) If so, when and where ?

श्री राम मूर्ति--(क) जी हां।

(ख) ग्राम (१) सेही, (२) सुरीर कलां, (३) नौहझील, (४) वृन्दावन, (५) सेई, (६) शेरगढ़, (७) महोली और (८) भैंसा में इस वर्ष भारत सरकार द्वारा निर्माण किये जाने वाले ८ परीक्षण नलकूपों के अतिरिक्त ६ नलकूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत और निर्माण किये जायेंगे। इन ६ नलकूपों में एक का पशुचिकित्सा कालेज के पास सफलतापूर्वक निर्माण हो चुका है। एक नलकूप ग्राम नौहझील में बनाया जा रहा है तथा २ नलकूप यहां १९५८-५९ में और बनाये जायेंगे। शेष दो नलकूपों का निर्माण सादाबाद तहसील में इस वर्ष होगा।

Sri Ram Murti—(*a*) Yes.

(*b*) Besides the 8 exploratory tube-wells which are proposed to be drilled by Government of India in the villages (1) Sehi, (2) Surir Kalan, (3) Nahjhil, (4) Vrindaban, (5) Sei, (6) Shergarh, (7) Maholi and (8) Bhainsa, during the current year, six tube-wells are proposed to be constructed under the Secend Five-Year Plan. One of these six tube-wells has already been drilled successfully near the Veterinary College, one is being bored in village Nahjhil and two more will be constructed there in 1958-59 and the remaining two will be constructed in Sadabad tehsil during the current year.

*६०--श्री कन्हैया लाल गुप्त--चालू वित्तीय वर्ष में उनके लिये कितने आर्थिक अनुदान की व्यवस्था की गई है?

*60. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—What financial provision has been made for them during the current budget?

श्री राम मूर्ति--मथुरा जिले में दो नलकूपों के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष (१९५७-५८) में १,००,००० रुपये की व्यवस्था की गई है।

Sri Ram Murti—A provision of Rs. 1,00,000 for the construction of 2 tube-wells has been made in the current year's budget.

सरकार द्वारा मथुरा जिले में सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने की योजना

*६१--श्री कन्हैया लाल गुप्त--(क) क्या सरकार को मथुरा जिले में सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने की कोई योजना है?

(ख) यदि हां, तो किन तरीकों से और कब?

*61. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Have the Government any plan to increase the irrigation facilities in Mathura District?

(*b*) If so, by which means and when?

श्री राम मूर्ति--(क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित योजनायें जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने के लिये स्वीकृत की गई हैं, मथुरा जिले में सिंचाई की सुविधायें बढ़ायेंगी:--

(१) रामगंगा बांध,

(२) माट शाखा का विस्तार,

(३) माट शाखा से निकाली जाने वाली शाखायें, तथा

(४) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण किये जाने वाले ६ नलकूप रामगंगा बांध के अतिरिक्त जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तैयार होगा, उपरोक्त सभी योजनायें १९६०-६१ तक पूर्ण हो जायेंगी ।

Sri Ram Murti—(*a*) Yes.

(*b*) The following schemes have been sanctioned for execution during the Second Five-Year Plan which will increase the irrigation facilities in Mathura district—

(1) Ram Ganga Dam,

(2) extension on Mat Branch,

(3) construction of new channels on Mat Branch, and

(4) construction of six tube-wells during the Second Five-Year Plan.

All the above schemes are expected to be completed by 1960-61 except the Ram Ganga Dam which will be completed by the end of the Third Five-Year Plan.

*६२-६३—श्री कन्हैया लाल गुप्त—स्थगित ।

विधान मंडल के सदस्यों के लिये लखनऊ में निवास-स्थान की व्यवस्था

*६४—**श्री हृदय नारायण सिंह**—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय (१-४-५७) विधान सभा तथा परिषद् के कितने सदस्यों के लिये लखनऊ में निवास स्थान की व्यवस्था है ?

(ख) उनके लिये कितने कमरे Single seated है और कितने कमरे Double seated हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—(क) इस समय यहां ५६३ सदस्यों के रहने के स्थान की व्यवस्था है ।

(ख) २४० कमरे डबल सीटेड (Double Seated) और ८३ कमरे सिंगिल सीटेड Single Seated) हैं ।

*६५—**श्री हृदय नारायण सिंह**—(क) क्या यह ठीक है कि Double seated rooms में कितने सदस्य अकेले ही रह रहे हैं ?

(ख) इन कमरों में भी दो-दो सदस्यों को रखने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—(क) जी हां ।

(ख) उन सदस्यों से जो कि डबल सीटेड कमरों में अकेले रह रहे हैं निवेदन किया गया है कि वे अपने साथ रहने के लिये दूसरे सदस्य चुन लें ।

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं जानना चाहता हूं कि कितने सदस्य अकेले डबल सीटेड रूम्स में रह रहे हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—होता यह है कि सदस्य जो हैं वह अक्सर अदलते बदलते रहते हैं इसलिये ठीक तरीके से नहीं बताया जा सकता, लेकिन यह बताया जा चुका है कि पांच ऐसे हैं जो बगैर एलाट किये रह रहे हैं ।

श्री हृदय नारायण सिंह--मेरा प्रश्न है कि डबल सीटेड कमरों में कितने सदस्य अकेले रह रहे हैं ।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इस वक्त उनकी तादाद नहीं है ।

*६६--**श्री हृदय नारायण सिंह**--(क) क्या यह ठीक है कि विधान मंडल की महिला सदस्यों में से कुछ अकेली ही Double seated rooms में रह रही हैं ?

(ख) क्या इनमें भी दो-दो सदस्याओं को रखने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--(क) जी हां ।

(ख) डबल सीटेड कमरों में जो सदस्याओं के रहने की व्यवस्था है ।

*६७--**श्री हृदय नारायण सिंह**--क्या सरकार विधायक निवासों के कमरों के आवंटन के नियमों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के निवास सम्बन्धी नियम, १९५७ की एक प्रतिलिपि †मेज पर रखी है ?

*६८--**श्री हृदय नारायण सिंह**--इस समय (१०-४-५७) को कितने विधान मंडल के सदस्यों ने बिना नियमित आवंटन के कमरों को अपने कब्जे में कर रखा है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इस समय (१-७-५७) को ५ सदस्य बिना नियमित आवंटन के कमरा अधिकार में किये हुये हैं ।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या ऐसे इन्स्टैन्सेज भी हैं जिनमें नान लेजिस्लेटर्स कौन्सिलर्स रेजीडेन्स में रह रहे हों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--पहले तो ऐसा था, मगर अब नहीं है ।

श्री एम० जे० मुकर्जी (नाम निर्देशित)--क्या यह सही है कि कुछ सदस्य कमरों का ताला तोड़कर जबरदस्ती कमरों में घुस गये, जो उनको नहीं करना चाहिये था । अगर ऐसा है, तो क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

श्री चेयरमैन--विधान मंडल के सदस्यों के सम्बन्ध में अगर कुछ कहना है तो वह प्राइवेट तरीके से लीडर आफ दी हाउस से कहना चाहिये ।

*६९--**श्री हृदय नारायण सिंह**--क्या सरकार बतायेगी कि इस समय विधान मंडल के कितने सदस्य ऐसे हैं, जिनको कोई निवास-स्थान नहीं दिया जा चुका है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--लखनऊ में जिन सदस्यों के पास निजी अथवा किराये के मकान हैं उनके अतिरिक्त विधान मंडल के समस्त सदस्यों को स्थान दिया जा चुका है। कुछ सदस्यों ने वह स्थान जो कि उनको दिया गया, नहीं लिया और वे अन्य स्थान चाहते हैं। ऐसे सदस्यों की संख्या १४ है ।

*७०--**श्री हृदय नारायण सिंह**--इनके लिये सरकार क्या रहने की व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--सरकार के पास इस समय भी कुछ खाली कमरे हैं । उन सदस्यों से, जिन्होंने स्थान की मांग की है, पूछा जायगा कि क्या वे कमरे लेना चाहते हैं ।

---

†देखिए नत्थी "ग" पृष्ठ ४६९ पर ।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह कमरे कहां हैं जो सरकार देने के लिये कहती हैं और जो अभी तक एलाट नहीं हुये हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--ठीक नहीं मालूम, वह होटल में हो सकते हैं ?

श्री चेयरमैन--वह लखनऊ शहर में जरूर होंगे, बाकी आप दरियाफ्त कर लीजिये।

सरकार द्वारा सन् १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में विधायक निवासों पर प्रति सदस्य व्यय

*७१--श्री हृदय नारायण सिंह--सन् १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में राज्य सरकार को प्रति सदस्य, निवास स्थानों के रखरखाव, किराये, बिजली, पानी तथा नौकरों और अधिकारियों के वेतन पर कितना खर्च अलग-अलग करना पड़ा ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--मांगी हुई सूचना †नक्शा "क" में दी हुई है।

*७२--श्री हृदय नारायण सिंह--(क) क्या सरकार बतायेगी कि विधान मंडल के सदस्यों के लिये जो Family Suites बनवाये जा रहे हैं वे किन शर्तों पर दिये जायेंगे ?

(ख) उनमें से प्रत्येक को बनवाने में कितना व्यय होगा ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--(क) निर्धारित नियमों की एक प्रतिलिपि‡ प्रस्तुत है।

(ख) लगभग ९,००० रुपये ।

अतारांकित प्रश्न

जमुना की बाढ़ से सहारनपुर के ग्रामों को क्षति पहुंचने पर सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता

१--श्री तेलू राम (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--(क) क्या यह ठीक है कि इस वर्ष जमुना की बाढ़ से जिला सहारनपुर के लगभग १५० ग्रामों को भारी क्षति पहुंची है, जिसके लिये प्रदेश की सरकार ने आर्थिक सहायता दी है ?

(ख) क्या इस बाढ़ का सम्बन्ध पंजाब में बनाये गये किसी बांध से भी है ?

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम मूर्ति--(क) गत वर्ष १९५६ में जमुना की बाढ़ से सहारनपुर जिले के १६५ गांव क्षतिग्रस्त हुये। इन गांवों में आर्थिक सहायता हेतु ५०,००० रुपये खैराती नकद एवं २,७८,५०० रुपये तकावी वितरित की गई और १३६४ फसली खरीफ की मालगुजारी में ७७,४८५ रुपये १ आना ९ पाई की छूट दी गई। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों की फीस (शुल्क) माफ की गई। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में गुड़, चना, कपड़े, तेल, दूध तथा घी का वितरण किया गया और अनाज की सस्ती दूकानें (Subsidised Shops) खोली गई।

(ख) यह निश्चित करना कि जमुना नदी में किन-किन कारणों से बाढ़ आई, बहुत कठिन है और यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि पंजाब में बनाये हुये बांध से इसका कहां तक सम्बन्ध है।

(ग) उत्तर प्रदेश के गांवों की सुरक्षा के लिये बांध बनाने की योजना तैयार हो चुकी है, यह योजना जमुना कमेटी के विचाराधीन है।

---

†देखिये नत्थी 'घ' पृष्ठ ४७२ पर।

‡ देखिये नत्थी 'घ' पृष्ठ ४७२ पर।

सहारनपुर में मोमिन अन्सारों द्वारा सरकार से उनके बुने हुये माल को बिक्री कर से मुक्त किये जाने की प्रार्थना

२——श्री तेलू राम——(क) क्या सरकार के पास सहारनपुर के मोमिन अंसारों के पास से हाल ही में कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र आया है जिसमें उनके बुने हुये माल को बिक्री-कर से मुक्त किये जाने की मांग की है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी——(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सन् १९४७ से कोल्ड स्टोरेज उद्योग के लिये सरकार से धनराशि प्राप्त करने वाले-व्यक्तियों की सूची

३——**श्री मदन मोहन लाल** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)——क्या सरकार उन व्यक्तियों की सूची देगी, जिनको उत्तर प्रदेश में सन् १९४७ से कोल्ड स्टोरेज उद्योग के लिये सरकार द्वारा रुपया दिया गया

3 **Sri Madan Mohan Lal**—(Local authorities Constituency) Will the Government give a list of persons whom money was advanced by the Goverment for the Cold Storage Industry in Uttar Pradesh since 1947 ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी——कोल्ड स्टोरेज उद्योग के लिये लिब्रालाइज्ड लोन स्कीम के अन्तर्गत १,३०,००० रु० निम्नलिखित फर्मों को स्वीकृत हुआ है। जिसका अभी भुगतान नहीं हुआ है :——

	रु०
१——श्री बद्री प्रसाद दुर्गा प्रसाद, दुर्गा आइस फैक्ट्री, हाथरस	४०,०००
२——सर्वश्री मुरली लाल एन्ड ब्रदर्स, प्रा० लि०, गोरखपुर	४०,०००
३——सर्वश्री मान सरोवर इन्डस्ट्रीज,लि० सेवा समिति रोड, मुजफ्फर नगर	५०,०००
	१,३०,०००

Sri Mohammad Rauf Jafri—Loans of Rs. 1,30,000/-have been sanctioned to the following parties during current financial year but payment has not yet been made ?

(1) Sri Badri Prasad Durga Prasad.
Durga Ice Factory Hathras Rs. 40,000/-

(2) M/S Murli lal and Bros.
Private Ltd. Gorakhpur Rs. 40,000/-

(3) M/S Mansarover Industries Ltd,
Sewa Samiti Road,
Muzaffarnagar. Rs. 50,000/-

Rs. 1,30,900/-

४—श्री मदन मोहन लाल—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि—

(क) कर्जों की क्या-क्या शर्तें थी, और

(ख) किन किन तारीखों को कर्ज दिये गये ?

4 Sri Madan Mohan Lal—Will the Government also state—

(a) the condition of loans, and

(b) the dates on which loans advanced ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—(क) लिबरलाइज्ड लोन स्कीम के अन्तर्गत ३ प्रति सैकड़ा ब्याज लिया जाता है, और ऋण १० बराबर सालाना किस्तों में अदा किया जाता है और दुगनी कीमत की जायदाद की जमानत ली जाती है।

(ख) अभी भुगतान नहीं हुआ है।

Sri Mohammad Rauf Jafri—(a) Under liberalised loans scheme loans are advanced against 200% security on the rate of interest at 3% per annum. These are repayable in 10 equal yearly instalments.

(b) The loans have not been disbursed so far.

५—श्री मदन मोहन लाल—विभिन्न व्यक्तियों से कर्जों की शर्तों के अनुसार कितना कर्जा ३१-३-५७ तक वसूल हो चुका है ?

5 Sri Madan Mohan Lal—How much of the loans has been realized according to terms of loans from different persons up to March 31, 1957 ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—अभी भुगतान ही नहीं हुआ, इसलिये अदायगी का प्रश्न नहीं उठता।

Sri Mohammad Rauf Jafri—As the loans have not been disbursed so for, the question of recovery does not arise.

६—श्री मदन मोहन लाल—सरकार उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठा रही है, जो कि कर्ज की वापसी की शर्तों को नहीं निभा रहे हैं ?

6 Sri Madan Mohan Lal—What steps the Government is taking against those individuals who are not honouring the terms of the repayment of the loans ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—प्रश्न नहीं उठता।

Sri Mohammad Rauf Jafri—The question does not arise.

प्रदेश में प्रत्येक चीनी मिल पर दिनांक ३० अप्रैल, १९५७ को वाजिब गन्ना कर की बकाया धनराशि

७—श्री पृथ्वी नाथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार गन्ना कर की बकाया धनराशि की एक प्रति वर्षीय सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जो ३० अप्रैल, १९५७ तक प्रदेश के स्थित प्रत्येक शूगर फैक्ट्री पर वाजिब थी ?

7 Sri Prithvi Nath—(*Lagislative Assembly Constituency*) Will the Government lay on the table a list of the arrears yearwise of the Sugarcane cess due from each Sugar Factory situated in U. P. up to April 30, 1957 ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—प्रदेश की प्रत्येक चीनी मिल पर सेस के ३० अप्रैल, १९५७ तक के बकाये का विवरण संलग्न तालिका "ए"† में दिया हुआ है।

Sri Mohammad Rauf Jafri—A statement showing the yearwise arrears of Sugarcane cess outstanding on April 30, 1957, against each sugar factory in U. P. is in Appendix‡ 'A'.

८—**श्री पृथ्वी नाथ**—क्या सरकार उन कारणों को बताने की कृपा करेगी जिनकी वजह से इस बकाया धनराशि की वसूली अभी तक नहीं हो सकी ?

8 **Sri Prithvi Nath**—Will the Government state the reasons why these arrears have not been realised so far ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—सीजन के प्रारम्भ में प्रदेश की कुछ चीनी मिलों ने सेस की वसूली से सम्बन्धित कानून की वैधानिकता को चुनौती दी और उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दाखिल किये। उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये रोक आदेश के कारण सेस की वसूली उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक कार्यान्वित न की जा सकी। शेष चीनी मिलों में से अधिकांश इस स्थिति का लाभ उठाकर सेस की शीघ्र अदायगी से बच निकलीं। अतः वसूलयाबी के लिये कोई कार्यवाही संभव न हो सकी।

Sri Mohammad Rauf Jafri—Early in the season some of the Sugar Factories in the State challenged the validity of the Cess enforcing provisions of the law and filed writ petitions in the Hon'ble High Court. Under the Stay orders issued by the Court, recovery of cess could not be effected until final decision in the cases. Most of the remaining factorise took advantage of this position and evaded prompt payment of cess dues and no recovery measures could be enforced.

९—**श्री पृथ्वी नाथ**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह बकाया धनराशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है।

9 **Sri Prithvi Nath**—Will the Government state what action in proposes to take to realise the arrears ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—केन सेस के बकाया को वसूल करने के लिये उत्तर प्रदेश शुगर केन सेस ऐक्ट, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (६) का, जिसमें सम्बन्धित जिले के कलेक्टर के पास सर्टीफिकेट भेज कर सेस के बकाया को मालगुजारी के बकाये की तरह वसूल करने की व्यवस्था है, पूर्णतया उपयोग करने का विचार किया गया है।

Sri Mohammad Rauf Jafri—To realise the arrears of cane cess it is proposed to make full use of sub-section (6) of section 3 of U. P. Sugarcane Cess Act, 1956, which provides for the issue of certificates to the Collectors of the districts concerned to realise the arrears of cane cess as arrears of land revenue.

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को मई, १९५७ के पश्चात् गन्ने का पूरा मूल्य देने का आश्वासन देना

१०—**श्री पृथ्वी नाथ**—क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश की कुछ शुगर मिलों ने गन्ना उत्पादकों को मई, १९५७ के पश्चात् गन्ने का पूरा मूल्य देने का आश्वासन दिया है ?

---

†देखिए नत्थी "क" पृष्ठ ४७३ पर।

‡See नत्थी 'क' on page 473.

10. **Sri Prithvi Nath**—Is the Government aware that certain Sugar Mills in U. P. have given an assurance to the Cane cultivators to pay them the whole price of their cane after May, 1957 ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—प्रदेश की किसी भी चीनी मिल ने गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने के लिये मई, १९५७ के पश्चात पूरे दाम देने का आश्वासन नहीं दिया है ?

Sri Mohammad Rauf Jafri—No Sugar Factory in the State has given an assurance to the cane cultivators to pay the whole price of their cane after May 1957.

११—**श्री पृथ्वी नाथ**—यदि हां, तो सरकार गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने के मूल्य को शीघ्र दिलाने के सम्बन्ध में क्या करने का विचार कर रही है ?

11. **Srii Prhvi Nath**—If so, what steps do the Government intend to take ensure early payment of the price of their sugar-cane to the cultivators ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—प्रश्न नहीं उठता ।

Sri Mohammad Rauf Jafri—Does not arise.

सरकार की सन् १९५६–५७ में मथुरा उद्योग–धन्धों की प्रगति के लिये योजना

१२—**श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—(क) १९५६–५७ में उद्योग-धंधों की प्रगति के लिये सरकार की मथुरा जिले के लिये क्या योजना है, और

(ख) कौन–कौन से शिल्प–उद्योग जिले में कहां खोले जायेंगे और उनके लिये ट्रेनिंग की सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जायेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—(क) सन् १९५६–५७ में मथुरा जिले में उद्योग–धंधों की प्रगति के लिये निम्नलिखित योजनायें थीं :—

(१) गुड़ एवं खंडसारी विकास योजना ।

(२) सघन विकास योजना ।

(३) औद्योगिक शिक्षालय योजना ।

(४) हस्त कर्घा योजना ।

(ख) उक्त जिले में शिल्प–उद्योग खोलने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

विधान परिषद् में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले पूरक प्रश्नों के संबंध में जानकारी

श्री चेयरमैन—मैं बहुत नम्रता से सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि एक छोटा सा नोट मैंने प्रश्नों के बारे में उनकी सेवा में भेजा था, उसको पढ़ने का वे कष्ट करें। मैंने कोशिश यह की है कि अगर उनको पढ़कर उनके मुताबिक प्रश्न किये जायें, तो बड़ी सुविधा होगी। इसमें लिखा है

"It cannot be too strongly emphasised that supplementary questions are intended to elicit further information arising out of the answers given by Ministers and are not to be utilized for asking additional questions. They cannot be used as a cross-examination to prove that the answer given by Government is wrong or that there is some '*garbari*' in a Department of Government, as an hon'ble member once said he was trying to show by his supplementary questions, in the Council."

श्री हृदय नारायण सिंह--अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिये हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री चेयरमैन--क्या आप कोई जनरल रिमार्क करना चाहते हैं ?

श्री हृदय नारायण सिंह--जी हां।

श्री चेयरमैन--प्रश्नों के समय ऐसा नहीं किया जा सकता है।

सदन की स्थायी समितियों के निर्माण के लिए नाम निर्देशनों की तिथि

श्री चेयरमैन--श्री प्रताप चन्द्र आजाद ने लिखकर दिया है कि सदन की स्टैंडिंग कमेटियों के निर्माण के लिये नाम निर्देशनों की तारीख २९ अगस्त रख दी जाय। हो सकता है कि २९ अगस्त को सदन की बैठक ही स्थगित हो जाय तो क्या उससे पहले नाम नहीं दिये जा सकते हैं ?

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--मैं समझता हूं कि २९ अगस्त को बैठक होगी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब वाला, इस गलती का जिम्मेदार मैं हूं। अब २९-३० अगस्त को मिलना शायद मुमकिन न हो, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिन की वजह से हम नहीं मिल सकते हैं। तो २९ तारीख से पहले कोई तारीख होनी चाहिए ताकि उस तारीख तक अगर चुनाव की जरूरत हो तो वे कर दिये जायं। २९ तारीख से पहले ही बतला दिया जायेगा कि कौन सी तारीख को चुनाव हो।

सन् १९५७-५८ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर आम बहस

श्री चेयरमैन--अब सन् १९५७-५८ के बजट पर आम बहस होगी। माननीय सदस्य इस बात का ख्याल रखें कि २० मिनट में ही अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री पीताम्बर दास (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसी बातें नहीं कहूंगा, कि जिसको दूसरे माननीय सदस्य कह चुके हों और साथ ही अनावश्यक बातों को दोहराऊंगा नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे सामने बहस में चल रहा है, उसको यहां इस सदन में पेश करने में जिस बुद्धिमत्ता और कुशलता का परिचय हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है मैं उस की सराहना किये बगैर नहीं रह सकता। एक तरीक़े से देखा जाय तो जिसको कहना चाहिए "नाट सो गुड" वाला उसको "सो वेरी गुड" वाली चीज बना कर रख देना एक तो कुशलता की बात है और भगवान ने जैसी कुशलता तथा खूबी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को दी है वैसी बहुत कम लोगों को नसीब हुई है। इसलिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

एक तो बजट जब हमारे सामने आता है तो कई बार श्रीमन्, इस सदन में यह बात कही भी गयी है कि इसको हम रुपये आने पैसे में न समझ करके, इसको सरकार की एक नीति समझें और इसीलिये रुपये, आने, पाई की अधिक चर्चा न करते हुये, मैं आपके द्वारा इस सदन में केवल सरकार की नीति के विषय में ही दो-चार बातें कहूंगा। जहां तक रुपये, आने, पाई की बचत का सवाल है, उसके बारे में तो कल इस सदन में माननीय सदस्या श्रीमती सावित्री श्याम ने दो, चार बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव रखे हैं। यह जरूर है कि डैफिसिट बजट कोई इतनी डरावनी चीज नहीं होती है कि जिसको देख करके एकदम चौंका जाय। किसी भी प्रगतिशील देश के लिये यह आवश्यक है कि जब वह आगे को तरक्की करेगा तो उसका बजट डैफिसिट बजट हो जायेगा और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक सबसे बड़ी दलील यह भी है कि अगर हम अपने बजट को एक डैफिसिट

बजट में न रख कर के बैलेन्स्ड बजट में रक्खा जा सके तो भी यह समझाने के लिये कि हम तरक्की कर रहे हैं, एक डैफिसिट बजट पेश करने के लिये कोशिश की जाती है। कल जितने भी सुझाव माननीय सदस्या ने दिये हैं, उन पर अगर बड़ी गौर से सोच विचार किया जाय, तो काफी बचत कितने ही विभागों में हो सकती है और यह बचत अपने बजट में बहुत मायने भी रखती है, जब कि हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री लोग इस बात के ऊपर भी तुले हुये हैं कि अपनी तनख्वाहों में से सौ-सौ रुपया महीना कटौती करके बचत करना चाहते हैं तो जो बचत सारे विभागों से होगी, जिनका जिक्र कि कल यहां पर किया गया है, वह हमें और भी तरक्की की ओर ले जायेगी। बहुत से विभागों में बचत हो सकती है और उससे काफी पैसा भी मिल सकता है। मैं मिसाल के तरीके पर आपके द्वारा एक सुझाव प्रस्तुत करूं, एक ग्रान्ट में जो कि ग्रान्ट नम्बर ४३ है और जो कि प्लानिंग के सम्बन्ध में एन० ई० एस० स्कीम को बढ़ाने के लिये ग्रान्ट है। वैसे तो ग्रान्ट के बारे में ब्योरेवार चर्चा करना आवश्यक नहीं है और यहां पर इस सदन को इसके लिये अधिकार भी नहीं है, परन्तु यह प्रश्न नीति का है, इस लिये इस ग्रान्ट के संबंध में यहां पर कुछ कह देना मैंने उचित समझा। यह एक योजना है कि जिसके द्वारा गांवों के सुधार की बात कही जाती है तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि गांवों के सुधार के लिये जब भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में, अपने अलग-अलग विभाग मौजूद हैं, तब फिर एन० ई० एस० की स्कीम की क्या आवश्यकता पड़ी, यह सोचने की बात है। इसका उद्देश्य हमें यह बताया जाता है कि वह सारे विभागों को कोआर्डिनेट करता है। गांव वालों की भलाई की बात, जब हम सोचते हैं तो गांवों की तरक्की के लिये सबसे पहले उनके खेतों में काफी कुछ पैदा होना चाहिये और खेती में बीज, खाद, पानी यह सारी चीजें आती हैं तो इसके लिये ऐग्रीकल्चर विभाग मौजूद है, उसी के अन्तर्गत खाद तथा सीड स्टोर्स भी आ जाते हैं। अगर पानी का प्रश्न पैदा होता है तो उसके लिये इर्रीगेशन विभाग मौजूद है, जो कि पानी का पूरा प्रबन्ध किया करता है। अगर पशु-पालन का सवाल आता है कि उनको अच्छी नस्लों की गाय, भैंस चाहिये, अच्छी नस्ल के बैल उसके पास हों और जितने कि जानवर हैं, वह सब अच्छी नस्ल के हों तो उसके लिये पशु-पालन विभाग अलग से है, जिसके अन्तर्गत एनीमल हस्बेन्ड्री के लिये बहुत कुछ पैसा मांगा गया है। ऐसे ही और भी विभाग हैं, शिक्षा का ही समझिये, स्वास्थ्य का समझिये सड़कें वगैरह हैं, रास्ते हैं, इन सब के लिये सरकार के अलग-अलग विभाग हैं और यदि उनके अन्तर्गत कोई चीज आने से रह जाती है तो सरकार ने ग्राम सभायें क़ायम की हुई हैं, जो ग्रामों के फायदे के ही लिये हैं और पंचायतें क़ायम हैं, उनको काफी अधिकार भी दिये हुये हैं तो फिर कौन सी बात रह गयी है, जिसके लिये इतना बड़ा डिपार्टमेंट क़ायम किया गया। फिर मैंने इसके ऊपर गौर करने की कोशिश की और गौर करने के बाद और अधिक मालूमात करने के बाद यह पता चला कि इन सब विभागों को कोआर्डिनेट करने के लिये एक ऐसा डिपार्टमेंट चाहिये, जो सब कुछ जानता हो और जिस का गांव वाले सहूलियत के साथ और जल्दी से उपयोग कर सकें। इन सभी विभागों का कोआर्डिनेशन तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा चलता ही है तो फिर इसी विभाग की कौन सी बड़ी आवश्यकता पड़ गयी है, यह मेरी समझ में नहीं आया। पिछले बहुत से सालों से किसी न किसी नाम से यह योजना अपने देश में चल रही है। कभी एन० ई० एस० के नाम से, तो कभी किसी और नाम से, इन चार-पांच सालों में यह स्कीम चलती रही है। इसके बारे में जो फोर्थ वेल्यूएशन रिपोर्ट है उसकी एक चीज, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जरूर पढ़ करके सुना दूं, उससे अन्दाजा लग जायेगा कि जहां तक कोआर्डिनेशन का सवाल है तो उनके काम करने की वही हालत है जो कि पहले से चली आती थी। उसमें प्राब्लम्स आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जिक्र किया गया है और वह इस रिपोर्ट के पृष्ठ ५ पर है, उसमें दिया गया है कि :

"25. The problem of co-ordination of combining the horizontal responsibilities of the area specialist with the vertical responsibilities of the subject specialist, still continues to defy solution. Coordination at the block level is now becoming more a by-product of coordination

[श्री पीताम्बर दास]

at the district level with the District Collector directly, or assisted by a District Development Officer—exercising more coordination over the technical heads of development department in the district and more control over the development work of the project staff in his district. The district officer is thus tending of become the king-pin of the development p.ogramme."

इससे यह पता चलता है कि कोई नयी बात नहीं है। चार साल के बाद भी वहां पर कोई प्रगति दिखाई नहीं देती है। चालू वर्ष पहले जो स्थिति वहां पर थी, वही अब भी है। इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। हमको यह देखना है कि इस योजना से हम को कोई लाभ हुआ है या नहीं। जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, उसी रिपोर्ट के पृष्ठ ६ में दिया हुआ है।

"27. Unless the whole administrative machinery of Government gets permeated with the philosophy of community development, problems of co-ordination will continue to hamper the programe in spite of any changes that may be made in the administrative set up for dealing with this problem."

जो काम करने की मशीनरी है, उस के पुर्जों को ही सारी बातों के लिये जिम्मेदार बना देने से स्कीम सफल नहीं हो सकती है। वहां पर कोई काम चार वर्षों में नहीं किया गया है, जिसके लिये यह कहा जाय कि काम अच्छा है। इस योजना में ग्राम सेवक को बहुत महत्व दिया है। जो उन्नति करने के जरिये है, वे सब चारों तरफ से उन्हीं पर रहेंगे। एक ही आदमी में सारी कुशलता और सारी योग्यता आ जाये और उसी के सहारे सारा काम हो, तो यह एक सोचने की बात है कि कहां तक ठीक है। यह सोच लेना कि ग्राम सेवक सारी जानकारी रक्खेगा, मैं सम्भव नहीं समझता हूं। इन लोगों को शिक्षा देने के लिये इसी रिपोर्ट में, जिसका हवाला मैंने पहले दिया था, लिखा हुआ है।

"**28.** A Grama Sevak for instance, can be far more effective as an extension worker if he can turn to a well equipped and well staffed hospital or agricultural research station at the block or district levels for guidance and supplies, then if he has to depend upon his block and district level technical officers who in turn have to depend upon still more distant sources."

इसका अर्थ यह हुआ कि यह सब योग्यतायें उसमें आनी चाहिये, इसके लिये सारे विभागों को रखना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि मतलब नहीं हल होगा। इसी रिपोर्ट के पृष्ठ ७ में जिक्र किया गया है,

"**31.** In spite of the fact that the movement has now been in existence for more than four years, there is no sufficient understanding of the objectives and techniques of community development programmes among the specialist staff."

गांव वालों को जानकारी क्या होगी। रिपोर्ट में स्वयं स्वीकार किया गया है कि इतना परिश्रम करने के बाद भी कोई जानकारी नहीं है। इस रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है कि कोई अधिक प्रगति नहीं हुई है। जहां भविष्य का प्रश्न है उसके बारे में इस रिपोर्ट में जिक्र है:

Chapter IX—32. Reports have come from a number of evaluation centres that the Grama Sevaks do not have much work and spent a

considerable proportion of their time at block headquarters ; they do not visit villages, and even when they do, confine their contacts to a few people whom they know well. It is also reported that some of them are getting more official in their behaviour and expect the villagers to come to their offices for their requirements.

हमारी यह हालत हुई है ४ सालों में कि ग्राम सेवक अपने को सेवक न समझकर अब आफिसर समझते चले जा रहे हैं, जिनके पास जाकर गांव वालों को अपनी समस्याओं का हल ढूंढना पड़ता है। लेकिन इससे उन लोगों को कोई लाभ नहीं होता है। अब यह सोचने की बात है कि आगे चल कर जो इस तरह का ग्राम सेवकों का स्टाफ है, वह गांव के अन्दर सहकारिता की भावना कहां तक ला सकेगा। इसके लिये रिपोर्ट में लिखा है :

Chapter XII—50. Except for a few project areas, where co-operative traditions had long been prevalent and co-operative institutions well established before the project period, the PEOs' are agreed that the movement is still largely official in initiative and support and has not evoked that sense of identification and members responsibility without which there can be no real or lasting progress in the co-operative movement. Inquiries made from members in more then one project area revealed that they had practically no knowledge about the working of their societies, hardly attended any of the meetings of the societies and regarded them simply as one way of obtaining credit.

चार साल के बाद गांव के अन्दर कर्मचारियों ने, आफिसरों ने व ग्राम सेवकों ने इस तरह से सहकारिता का काम किया है जब कि उनको मुख्य रूप से गांव के अन्दर सहकारिता की भावना लानी है। पृष्ठ १४ पर स्पष्ट कहा गया है।

श्री चेयरमैन—रिपोर्ट में से बहुत पढ़ियेगा, तो आप का बहुत सा समय इसी में लग जायेगा।

श्री पीताम्बर दास—श्रीमन् सौभाग्यवश यह आखिरी चार लाइनें हैं :

"Chapter XIII—60. By and large, success has not attended industrial co-operatives in the project areas and it is reported that even what little success they have atained will in most cases vanish when government funds are withdrawn from their support"

सरकार की योजना इस तरह से यह है कि गांव के अन्दर स्वावलम्बन पैदा हो जाये और गांव वाले आत्मनिर्भर हो सकें। लेकिन इन ४-५ सालों के अन्दर कुछ भी इस तरह की प्रगति यहां पर नहीं हो सकी और आगे होगी, ऐसी आशा नहीं है। जो विलेज लेविल वर्कर हैं, वे बहुत दिनों तक इस तरह काम करते करते इस कोशिश में रहेंगे कि सारे अधिकार उन्हीं को रहें। अधिकारों का केन्द्रीयकरण हो जायेगा और इस प्रकार फिर सभी गांव के लोगों को पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस योजना के अन्दर डिक्टेटोरियल भावना पनपेगी कि समस्त अधिकार उन्हीं को प्राप्त हो जाये। इसलिये मेरा सरकार से यह सुझाव है कि गांव के अन्दर जो डेढ़ करोड़ रुपये का सवाल है, इसमें अधिक दिन तक अब फजूल खर्चा न किया जाय। इस तरह का एक्सपेरीमेंट कभी सफल नहीं होगा। बजाय इसके कि हम इस पर व्यर्थ में खर्च करते रहें, हमारे लिये यही उचित है कि हम इस कटु सत्य को अभी से पहचान लें। इससे भी बहुत कुछ बचत हो सकती है। वैसे तो सरकार गांव वालों के लिये बहुत कुछ करने का दावा करती है जिससे कि गांव वालों को लाभ हो और उसके लिये वह नारा भी लगाती है कि हम गांव वालों के लिये इस तरह की योजनायें चला रहे हैं। गांव वालों का ध्यान सरकार रखती है या नहीं इसका अन्दाजा इससे लगाया

[श्री पीताम्बर दास]

जा सकता है कि वह उनकी मांगों पर कितना ध्यान देती है। जब ज़मींदारी खत्म नहीं हुई थी, तो नेताओं ने गांव वालों को यह बताया था कि उत्तर प्रदेश के ज़मींदार जो हैं, यह आप से बहुत मुनाफा लेते हैं और किसानों की जो कमाई होती है, उसको वे अपनी जेबों में भर लेते हैं और वह रुपया उनको मुफ्त में मिल जाता है। ज़मींदार लोग १९ करोड़ रुपया लगान वसूल करते थ, उसमें से सिर्फ ७ करोड़ रुपया वे सरकार को देते थे और बाकी १२ करोड़ ज़मींदारों की जेबों में चला जाता था और किसानों को कुछ नहीं मिल पाता था इसलिये किसानों से कहा गया कि ज़मींदारी खत्म हो जाने से इन दलालों (ज़मीन्दारों) के पास जो व्यर्थ में रुपया चला जाता है, वह उनके पास नहीं जायगा और किसानों को बच जायगा।

ज़मींदारी खत्म हुए इतना अर्सा हो गया, पर वह रुपया किसानों को नहीं बचा। सरकार किसान से आज भी उतना ही लगान वसूल करती है, जितना उस समय ज़मींदार वसूल करता था। ज़मींदारी खत्म होने का फायदा सरकार को भले ही हुआ हो लेकिन किसानों को तो कोई फायदा हुआ नहीं। पिछले साल भी सरकार के यहां इस प्रकार से बहुत से प्रस्ताव पास होकर गांवों से आये थे। किसानों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की कोठियों पर जाकर प्रदर्शन भी किए हैं और इस तरह की मांगें की हैं कि उनका लगान आधा कर दिया जाये। इस साल भी उन्हीं मांगों को दोहराया गया। एलेक्शन के ज़माने में भी उनकी मांगों की विरोधी दलों के द्वारा दोहराया गया है। उसका परिणाम हमें एलेक्शन के नतीजे से दिखलाई देता है। परन्तु सरकार ने उसकी कुछ भी सुनवाई नहीं की। इस प्रश्न पर सरकार बिल्कुल चुप हो जाती है। यह बात मेरी समझ में आ सकती है कि इस मांग को मानने में सरकार के सामने कुछ दिक्क़तें हों। परन्तु दिक्क़तें क्या हैं, सरकार का कुछ तो मुंह खुले। रुपए की दिक्क़त जरूर हो सकती है जो रेवेन्यू आ रहा है, उसमें सरकार को नुकसान हो जायेगा। परन्तु यह तो कोई कारण नहीं है। लगान उसी समय आधा हो जाना चाहिए था जब ज़मींदारी खत्म हुई थी। उस समय लगान आधा न होने का नतीजा यह हुआ है कि सरकार को उस रुपए का चस्का लग गया है। तो दिक्कत तो जरूर दिखाई देगी, परन्तु कुछ न कुछ इधर उधर कटौती करके उस रुपये को पूरा किया जा सकता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार की जो नीति पिछले कुछ सालों से दिखाई दे रही है, बातों को अनसुनी कर देने की, वह बहुत खराब है। एक मांग जनता की ओर से सामने आती है और उस उचित मांग पर भी सरकार चुप हो जाती है। और जब उस पर आन्दोलन की नौबत आती है, तो कुछ लोग जेल भेजे जाते हैं, डन्डे पड़ते हैं, हाउस के अन्दर ऐडजर्नमेन्ट मोशन्स आते हैं, कुछ लोगों को चोटें आ जाती हैं जो सरकार की तानाशाही की जन्म भर याद दिलाती रहती हैं। जब यह बातें हो चुकती हैं तब सरकार सोचती है कि जनता की बात मान लेनी चाहिए।

मैं यह बातें यों ही नहीं कह रहा हूं, मिसाल के ज़रिये से भी बता सकता हूं। अपने प्रान्त में क़ानूनन गोवध बन्दी के लिए सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव पास हुए। सरकार से मिन्नतें हुईं। "नाम भी आते रहे, होती रही फरियादें भी" आन्दोलन चला, कुछ लोग जेल भी गए। विधान भवन के सामने ऐसी नागवार हरकतें महिलाओं के साथ हुईं जो न होतीं तो अच्छा होता। उस समय कहा गया कि यह मांग जायज नहीं है। परन्तु कुछ दिन बाद हमने देखा कि हमारे विधान मंडल के सामने एक बिल आया और उस चीज को मान लिया गया। मानना था तो पहले ही मान लेते। लोगों को जेल के अन्दर रहना पड़ा, पब्लिक का रुपया व्यर्थ खर्च भी हुआ। लोगों को जेल में रखने से कुछ खर्च होता ही है।

एक बात सदस्यों को और आप के द्वारा याद दिलाऊं। इस प्रदेश के अन्दर कुछ दिन पहले यह मांग रखी गई थी, विरोधी दलों की ओर से कि विदेशी शासकों की मूर्तियों को हटाया जाय, और १० मई से पहले हटा दिया जाय तो बहुत अच्छी बात है, लिखित रूप में सरकार से प्रार्थना की गई। सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। बाद में जाकर एक विरोधी दलने

इस प्रश्न पर सत्याग्रह तक करने की बात कही। मैं समझता हूं कि यह मांग ऐसी थी जिसको मान लेना चाहिए था। इसको सरकार ने भी माना है। बहरहाल कोईभी सरकार यह नहीं चाहेगी कि मुल्क के अन्दर गुलामी के निशान मौजूद रहें। सरकार ने मांग को जब माना जब कि आन्दोलन की नौबत आ गई। वास्तव में तो सरकार को चाहिए कि वह बिना इस बात को सोचे हुए कि यह मांगें विरोधी दल की ओर से आ रही हैं वह मांग के औचित्य को देखे। अगर वह समझती है कि वह मांग अच्छी नहीं है तो फिर वह क्यों मान ली जाती है।

मैं चुनौती देने का आदी नहीं हूं। मामूली बात के लिये चुनौती देना अच्छा भी नहीं मालूम होता, परन्तु चेतावनी जरूर देना चाहता हूं।

वह यह है कि उत्तर प्रदेश में यह आधा लगान होने की मांग इतना जोर पकड़ती जा रही है कि अगर वक्त रहते यह मांग सरकार पूरी कर दे तो उसको प्रशंसा मिलेगी। लेकिन अगर किसी बहानेबाजी से इसको नामंजूर किया तो वह नाखुशगवार होगा और ठीक न होगा। सरकार बारबार कहती है कि सारे दल हमें सहयोग दें और जनता हमें सहायता दे तो इससे देश की प्रगति होगी। सरकार उनका सहयोग चाहती है तो सरकार के लिये भी यह आवश्यक है कि वह जनता की इस मांग को स्वीकार करे। अब इस मांग को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। इसमें जो कठिनाइयां हों उन सबको पार करके जो किसान हैं उनके मन की भावना का सरकार को आदर करना ही चाहिये। कठिनाई कोई ऐसी नहीं, जो पार न की जा सके।

एक दूसरी बात, जिसके बारे में मुझे कहना है और जिसके बारे में दो एक वक्ताओं ने कहा भी है उस पर मैं ज्यादा न कहूंगा केवल उस ओर इशारा ही करूंगा और वह है प्राइवेट सेकेन्डरी स्कूल्स के टीचर्स के बारे में। उन्होंने बहुत दिनों तक सरकार के सामने अपना रोना रोया है। वह चाहते हैं कि हमारा वेतन का ग्रेड उसी तरह से कर दिया जाय जैसे सरकार के और टीचर्स का है और वही सब सहूलियतें दी जायं, जो उनको दी जाती हैं। इसके बारे में राज्यपाल महोदय का जब अभिभाषण हुआ था तो उन्होंने भी इस ओर थोड़ा सा इन शब्दों में इशारा किया था, इस तरह से मेरी सरकार का पहला कदम निजी हायर सेकेन्डरी स्कूल के शिक्षक तथा कर्मचारियों के लिये वही चिकित्सा संबंधी देखभाल और इलाज की सुविधायें देना है जो सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूलों में उनके समकक्ष कर्मचारियों को मिलती हैं। तो इस तरह से जब उस समय भी यह आशा दिलाई गई थी तो इस आशा को जल्द से जल्द पूरा कर देना चाहिये। उनकी आवाज उठ रही है और उनका एसोसियेशन है और उनका डेपुटेशन भी सरकार से मिल रहा है तो इन सब बातों को देखते हुए सरकार की यह शान होगी कि वह प्रभावी कदम इस ओर उठावे। देश में और भी बहुत से लोग अपनी आवाज उठाते हैं। उनकी यूनियन्स होती हैं और वह हड़तालें करते हैं, मजाहरे करते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार टीचर्स को उस हद तक न जाने दें तो अच्छा हो। क्योंकि न तो यह बात सरकार के लिये अच्छी होगी और न अपने प्रदेश के फायदे में होगी।

इसके साथ ही साथ एक दूसरी बात भी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आप यह बता दें कि मुझे अभी कितना समय और मिलेगा?

श्री चेयरमैन---आपको मिनट और मिल सकते हैं।

श्री पीताम्बर दास---मुझे अभी दो तीन बातें और सरकार के सामने रखनी हैं जिसमें एक मेरठ यूनिर्वासिटी के बारे में है। यदि आप इजाजत दें तो मैं कहूं।

श्री चेयरमैन---एक बात तो यह मेरठ यूनिर्वासिटी की हो गयी बाकी बातें दूसरे सदस्य कह देंगे।

श्री पीताम्बर दास---मैं अपने दिमाग की बात दूसरे मेम्बरों के दिमाग में कैसे भर दूं?

श्री चेयरमैन——अगर कोई मेम्बर न बोले और सदन को मंजूर हो तो उसका समय आपको दे दूं।

श्री पीताम्बर दास——तो बजाय इसके कि बात अधूरी कही जाय, शायद इस समय उसका न कहना ही अच्छा होगा।

***श्री बंशीधर शुक्ल** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)——माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट को मैंने गौर से पढ़ा और मैं यह स्वीकार करता हूं कि इसमें कहीं कहीं पर समाजवाद के निशानात मिलते हैं और समाजवाद के समकक्ष कहीं थोड़ी बहुत रोशनी हासिल होती है लेकिन जब बाहर की जनता में असन्तोष देखता हूं, टैक्स पेयर की शिकायत को सुनता हूं और बजट में दिये हुए आंकड़ों पर गौर करता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि यहां पर जो सरकार ने आंकड़े दिये हैं वह नौकरशाही की कारगुजारी का एक लेखा है। वह एक कामन मैन का बजट नहीं है। इसके साथ साथ कामन नागरिक का दिल और हौसला नहीं है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं और अनुभव करने का कारण यह है कि, मैं वाद-विवाद में नहीं जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े संक्षेप में रखना चाहता हूं। जनरल बजट में करीब ७५ लाख टेम्पोरेरी सर्विसेज को परमानेन्ट करने के लिये कहा गया है। फाइव इअर प्लान में इसी तरह से टेम्पोरेरी सर्विसेज को १२ लाख ९१ हजार को परमानेन्ट किया गया। नई जगहें सामान्य बजट में ४,८३,६०० जगहें रखी गई हैं और १,९२,७०० को परमानेन्ट करने का विचार है। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। देखने से मालूम होता है कि बहुत सी टम्पोरेरी जगहें परमानेन्ट की गई हैं, नई जगहों को गौर से देखा जाय जैसे एक पंचायत का डिप्टी डाइरेक्टर था उसको परमानेन्ट किया गया, इसी तरह से बहुत सी बातें हैं। जब कोई जगह परमानेन्ट की जाती है तो यह नहीं कि टैक्स पेयर को क्या देना पड़ता है। अफसरान और उनके समकक्ष बैठने वाले जब परमानेन्सी की बात सामने रखते हैं तो यह भूल जाते हैं कि टैक्स पेयर किस तकलीफ से रुपया देता है। इसके अलावा फुट नोट में लिखा रहता है कि इस खर्च को डिपार्टमेन्ट के अन्दर से मीट कर लिया जायेगा। मैं अदब के साथ पूछता हूं कि डिपार्टमेंट किन जरूरियात को खत्म करेगा। क्या बाहर बैठने वाले विजिटर्स की बेन्चेज को हटाकर यह खर्च पूरा करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि साफ लफ्जों में यह कुनबापरवरी है। हम नई-नई जगहें पैदा करते हैं और इस चीज को नहीं देखते कि जनता के रुपये से नौकरशाही किस तरीके से खिलवाड़ करती है।

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरे प्वाइंट पर आता हूं। रुपया बजट में एलाट किया गया है और खर्च नहीं किया गया। इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम में जो धनराशि रखी गई थी, उसमें ३९ लाख रुपये खर्च नहीं किये गये। गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी में ७५ लाख रुपया नहीं खर्च किया गया। कैपिटल पोर्शन में ६ करोड़ ५४ लाख रुपया नहीं खर्च किया गया। इस तरह से ७ करोड़ ६९ लाख रुपया बजट में प्रोवाइड किया गया था, लेकिन वह खर्च नहीं किया गया। दो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप लोन लेते हैं उस पर आपको ब्याज देना पड़ता है और जब आप उसको एलाट कर देते हैं तो भी आप का खर्च नहीं होता है उस वक्त जब कि आप के पास एक्सपर्ट इंजीनियर आदि रहते हैं और उनके अनुमान के बाद ७-८ करोड़ रुपया बच जाता है। अगर आज हम किसी आइटम को खत्म करने की बात कह दें तो अभी आफिसर्स में होड़ लग जायेगी और वह कहेंगे कि इसे न खत्म करो, यह बहुत जरूरी है, इसके लिये टैक्स लगाना उचित है।

यह जो खुला खिलवाड़ है जनता के रुपये से वह खत्म होना चाहिये। हम यह ख्याल न करके कि किस तकलीफ से रुपया आता है लोन को फ्लौड' कर देते हैं। यह भी सोचना

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

चाहिये कि जो चीजें यहां पर लगाई जा रही हैं और जो योजना चल रही है। क्या उनका होना जरूरी है कि उनकी जरूरियात को खतम करके उसको इस तरफ लगायें। हमारे प्रदेश की जनता और हम लोग पूरी तरह से सहयोग देने के लिये तैयार हैं और तैयार रहें। जनता अपनी गाढ़ी कमाई में से एक एक पैसा देने के लिये तैयार है लेकिन जब वह देखती है कि उसके पैसे के साथ खिलवाड़ किया जाता है, किस तरह से लोगों को नौकरी दिलवाने के लिये रुपया खर्च किया जाता है तब उसको तकलीफ होती है। रुपया खर्च के लिये रखा जाता है, लेकिन आखिर में वह रुपया किस तरह से लैप्स होता है उसको जानकर उसको तकलीफ होती है और वह महसूस करता है। उसके रुपये के साथ ठीक तरह से काम नहीं होता है, जिसके लिये वह रुपया है। मैं आपके सामने अदब के साथ तीन बातें रखूंगा। स्वीमिंग पूल, का यह इतना जरूरी है कि टैक्स पेयर को इसके लिये मजबूर किया जाय। जीपों की खरीदारी है। कुछ जीपें पी० डब्ल्यू० डी० में जिनका रिपेयर्स हो सकता है। इंजीनियर्स हैं, उनका रिपेयर कीजिए। उसके लिये ७५ हजार रुपये की मांग है। सोशल वेलफेयर में पिक अप के लिये ४८ हजार रुपये की मांग है। पब्लिक सर्विस कमीशन के लिये एक बड़े हाल की जरूरत है जिस पर तीन लाख रुपया खर्च होगा। इलाहाबाद में बड़े-बड़े हाल होना चाहिये। उसके लिये पैविलियन होना चाहिये, लेकिन जरूरत किस चीज की है। क्या हम इन चीजों को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। हां, अगर जरूरी चीजें हैं तो अवश्य कीजिए लेकिन स्वीमिंग पूल के लिये यह जरूरी नहीं है। मैं आपके सामने अदब के साथ यह दूसरी चीज रखूंगा। मैंने क्वेश्चन ओवर में देखा कि जो रुपया मिलों में बकाया है, वह ४ करोड़ ५९ लाख ८५ हजार है। यह मिल मालिकों के साथ क्या बर्ताव है। उनका मुकद्दमा सन् ५६ में खत्म हो गया और वह रुपया वसूल किया जा सकता था। यह बात सब को मालूम है और छिपी नहीं है कि २० से ३० फीसदी रुपया किस तरह से खर्च होता है और किसके पास जाता है। जिस तरह से हम मांग करते हैं, साधारण नागरिकों से कि आप कुरबानी कीजिए, आप लोन दीजिये तो क्या बड़ी बड़ी तनख्वाह पाने वालों से नहीं कह सकते कि इसमें से २० फीसदी कट कीजिये तो इस तरह से मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि बजट को हम इस तरह से देखें कि रुपया किस परेशानी से मिलता है तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इस बात का ख्याल नहीं रखा गया है। वक्त कम है इसलिये एक बात और कह देना चाहता हूं। इस पर हम नई नौकरियों को परमानेन्ट करने जा रहे हैं। वहां पर हमारे सामने नक्शा आता है पी० आर० डी० का जिसमें आई० एन० ए० और पोलिटिकल सफरर काम कर रहे हैं। उस डिपार्टमेंट को आज हम खत्म करने जा रहे हैं। इससे डेढ़ लाख आदमी बेकार हो जायेंगे। ९ वर्ष उन को आपने ट्रेनिंग दी है जो लड़ाई के जमाने में काम दे सकते हैं।

इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। वे देहातों में जायेंगे और क्रिमिनल ऐडाप्ट करेंगे। एक डिपार्टमेंट जो ९ वर्ष से कायम है उसको खत्म करने जा रहे हैं। इसका क्या हस्र होगा। इस तरीके से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह तरीका नहीं है समाजवादी बजट के प्लान करने का। समाजवादी कल्याण का मुहकमा क्रिमिनल ड्राइव और बैकवर्ड क्लासेज के लिये खोला गया। लेकिन एक ब्लैक स्पाट है उन बहिनों का, जिन्हें अपना शरीर क्रय विक्रय करना पड़ता है। उनके लिये एक शब्द भी नहीं कहा गया है। क्या यह शर्मनाक बात नहीं है। मालियों के लिये चपरासियों के लिये कुछ कर दिया। यह केवल एक आई वाश है। दो तीन रुपया दे कर समाजवाद नहीं ला सकते। इस तरीके से डिपार्टमेंटस में आफिशिएल्डम है कि कहा नहीं जा सकता। समय नहीं है कि मैं डिटेल्स में जा सकूं। इन चीजों को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि इस बजट को देखते हुए इंतहाई खुशी नहीं है। आई रिसीव दिस बजट नाट विद स्माइल्स बट विद टीअर्स।

श्री वीरेन्द्र स्वरूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के बजट पर दो दिन से आम बहस हो रही है और इस बहस के दौरान में बजट की आलोचना भी हुई है और बजट के पक्ष में भी कहा गया है। मुझे केवल उन बातों की ओर जिनको मैं

[श्री वीरेन्द्र स्वरूप]

महत्वपूर्ण समझता हूं, सरकार का ध्यान दिलाना है। सब से पहले उन भाइयों से कि जिन्होंने इस बजट की आलोचना की है, केवल एक शब्द कहना चाहता हूं। अगर आंख बंद करके देखा जाय तो जरूर बजट खराब दिखलाई देगा, लेकिन यह एक सच्चाई ह कि जो जो बजट हमारे सामने पेश किया गया है उससे यह जाहिर होता है कि हमारे प्रदेश ने उन्नति की है न कि कोई ऐसा कदम उठाया है जो नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन से पीछे ले जाता हो। लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी सच्चाई है कि बजट में कोई ऐसी चीज नहीं दिखलाई दी जिससे जनता में उत्साह हो। यह बजट ऐसा बजट है जो मिडिल क्लासेज को डिस्हार्टिन करता है। जो कुछ भी रिलीफ दिया गया है वह नहीं के बराबर है। ११ करोड़ रुपया टैक्सेशन के लिये इस बजट के द्वारा जमा किया जायगा, इसलिये जमा किया जायगा कि जो सेकन्ड फाइव इअर प्लान है उसके रिक्वायरमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। मैं अपना धर्म समझता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं कि हम लोगों का जो फाइव इयर प्लान है वह "That plan is going cutof hard" हम इस बात को देखने की कोशिश करें कि इसमें क्या नुकसान है अगर फाइव ईयर्स प्लान के बजाय सेवेन ईयर प्लान कर दिया जाय क्योंकि इस वक्त जो हमारे प्लान हैं और जो आगे आने वाले हैं, सबका आब्जेक्टिव है नेशनल कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन नहीं है। मैं सरकार से कहूंगा कि जनता पर उतना ही टैक्स का भार लादना चाहिये जितना वह बरदाश्त कर सकें। जहां तक बरदाश्त करने की बात है, वह पूरी हो चुकी है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि हम अपने मुल्क को प्रासपेरिटी की तरफ ले जायं, मिजरीज की तरफ नहीं। डेफिसिट बजट यह मालूम होता है कि हमारे प्रदेश में एक रूल सा हो गया है। अब प्रश्न यह है कि डेफिसिट बजट एवायड किया जा सकता है या नहीं। अगर कैराला ऐसा छोटा प्रदेश एक सरप्लस बजट पेश कर सकता है और साथ ही अपनी जनता को काफी रिलीफ दे सकता है तो मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी जो नेता सदन भी हैं ऐसा बजट जरूर पेश कर सकते हैं जो डेफिसिट ही न हो बल्कि काफी जनता को उससे रिलीफ भी दी जा सके।

अब मैं शिक्षा विभाग की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सब से पहले मैं आपके जरिये सरकार से एक बार फिर यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का का रवैया आगरा युनिवर्सिटी के टीचर्स के साथ एक स्टेप मदर का सा है। टू ग्रेड सिस्टम जो निकाला गया है वह लखनऊ युनिवर्सिटी, इलाहाबाद युनिवर्सिटी और गोरखपुर युनिवर्सिटी से एफिलियेटेड कालेजेज के लिये एक है और आगरा युनिवर्सिटी से एफिलिएटेड को कालेजेज हैं उनके लिये वह नहीं है वह टीचर्स जो पहली जुलाई, १९५७ के पहले आगरा युनिवर्सिटी से संबंधित थे उनको दिया जाय (which has formed its jurisdiction into the Gorakhpur University has got its benefit but not those whose jurisdiction is in the parent university itself.) इससे बढ़ कर स्टेप मदरली दलील सरकार के सामने रखने के लिये मेरे पास शब्द नहीं हैं। सबसे ज्यादा टीचर्स आगरा युनिवर्सिटी से एफिलियेटेड कालेजेज में हैं, लेकिन वह बेनेफिट उनको न देकर एक छोटी सी यूनिवर्सिटी को, जहां १०, १२ कालेज ही होंगे दिया गया है।

दूसरी बात सरकार की नीति प्राइमरी एजूकेशन की तरफ उतनी उदारपूर्ण नहीं है जितनी होनी चाहिये। आज कल हमारे बच्चों को कुछ स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जाती है, जहां वह खास धर्म में परिणित हो जाते हैं और वह बजाय हिन्दी, हिन्दुस्तान और राम लक्ष्मण के बारे में जानने के उनको बताया जाता है कि ईसा मसीह क्या थे। मैं यह नहीं चाहता कि बाइबिल की शिक्षा न दी जाय, बल्कि यह चाहता हूं कि सरकार एक कमेटी लेजिस्लेचर्स के मेम्बरों की मुकर्रर करे, जो इस बात की शिफारिश करे कि इस

मौजूदा शिक्षा प्रणाली में क्या क्या तब्दीलियां की जायं। सरकार ने छठवें दर्जे तक की शिक्षा मुफ्त करने की घोषणा की है। इस कदम का सभी स्वागत करेंगे, लेकिन जब एक छोटी रियासत जम्मू तथा काश्मीर हर स्टेज तक शिक्षा को फ्री कर सकती है और जब पंजाब में मैट्रिक तक शिक्षा फ्री हो सकती है तो मैं यह समझता हूं कि हमारी स्टेट जो कि इन दोनों से हर बात में समृद्धशाली है वह भी इतना कदम उठा सकती है, जितना कि पंजाब सरकार ने उठाया है यानी मैट्रिक तक तो वह शिक्षा फ्री कर सकती है। मैं समझता हूं कि सरकार अवश्य इस विषय पर विचार करेगी और ऐसे कदम उठायेगी कि हाई स्कूल तक फ्री शिक्षा इस प्रदेश के रहने वालों के लिये कर देगी।

इससे पहले मैं अपने विचार शिक्षा पर समाप्त करूं, मैं एक बात की ओर और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि मैं इस बात के फेवर में नहीं हूं कि हमारे प्रदेश में यूनिवर्सिटी का मशरूम ग्रोथ हो। परन्तु साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि जिस गोरख-पुर यूनिवर्सिटी के पास न तो बिल्डिंग है और जहां पर उच्च शिक्षा का कोई भी प्रबन्ध नहीं है वहां पर सरकार इस साल से यूनिवर्सिटी कायम करने जा रही है तो मेरे विचार से कान-पुर का नम्बर इससे पहले आता है, जहां पर गवर्नमेंट का टेक्निकल कालेज है, जहां आर्ट, साइन्स और ला की फैकल्टीज पहले से ही मौजूद हैं। कानपुर एक ऐसा शहर है, जहां पर सभी चीजें मौजूद हैं सिर्फ एक वाइस चान्सलर और रजिस्ट्रार ही नियुक्त करना है, वहां पर सरकार यूनिवर्सिटी नहीं बनाती है, लेकिन जहां पर वर्षों यूनिवर्सिटी बनने में लग जायेंगे वहां पर यूनिवर्सिटी कायम करती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार कानपुर की इस मांग पर अवश्य विचार करेगी और अगले साल तक जरूर हमें संकेत देगी कि सरकार कानपुर में यूनिवर्सिटी कायम करने पर विचार कर रही है।

दूसरा प्वाइन्ट, जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह प्राहिबिशन के बारे में है। मैं उनमें से सदैव रहा हूं, जिन्होंने हमेशा प्राहिबिशन इंफोर्स करने की दलील दी होगी। लेकिन तजुर्बा बतला रहा है कि जितना रुपया हम प्राहिबिशन पर खो रहे हैं और यह बात दिन ब दिन महसूस हो रही है कि हम इस टैक्स को बढ़ायें और उस टैक्स को बढ़ायें, अगर हम प्राहिबिशन से रुपया बचा सकें क्योंकि प्राहिबिशन डिसमेयर फेल्योर रहा है।

D'smal failue because the dry districts are better than even the wet districts.

अगर यही प्राहिबिशन का नाम है तो हम आज ही सीधे और सच्चे रास्ते से इस प्राहिबिशन को खत्म कर दें और जो रुपया हमें इससे मिले उससे हम टैक्स देने वालों को कुछ रिलीफ ही दें और कम से कम हमें और टैक्स की आवश्यकता न पड़े।

इन्टरटेनमेंट टैक्स बढ़ाने की इसमें चर्चा की गयी है। जैसा कि इस सदन में कहा जा चुका है, मैं भी कुछ खेल कूद की संस्थाओं से संबंध रखता हूं। जहां तक इंटरटेनमेंट टैक्स का स्पोर्टस पर ताल्लुक है, मैं सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि अगर यह टैक्स स्पोर्ट्स पर भी लागू किया गया तो इससे उस पर बहुत धक्का पहुंचेगा। जो इंटर नेशनल मैच हुआ करते हैं वे नहीं होंगे और जो गरीबों को थोड़ा बहुत मनोरंजन शाम के वक्त हाकी तथा फुटबाल से हुआ करता है, उसमें बहुत रुकावट आ जायेगी। सिनेमा में आप बढ़ाइये लेकिन स्पोर्टस में फिर से सरकार को विचार करना चाहिये। नेशन के लिये यह एक हेल्दी एक्टि-विटी है, जिसको हमें डिसकरेज करने के बजाय इनकरेज करना चाहिये।

हमारे मिनिस्टर साहबान ने वालियन्टरी कट अपनी सैलरीज में थोड़े दिन हुए एना-उन्स किया था, मैं इस कदम का हृदय से स्वागत करता हूं, लेकिन इसके साथ-साथ मैं सरकार से यह नम्र निवेदन कर देना चाहता हूं, श्रीमन्, आपके जरिये कि जब तक वह नौकर शाही लोग, जो कि बड़ी-बड़ी तनख्वाहें पा रहे हैं, वह भी इस कदम के साथ साथ अपना कदम

[श्री वीरेन्द्र स्वरूप]
नहीं उठायेंगे तो जो शोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी हम इनविसेज करते हैं, वह अधूरा सा स्वप्न रह जायेगा। आज यह बात सदन के अन्दर कही जा चुकी है और मैं भी उससे सहमत हूं कि

Bureaucracy was never more powerful than it is today.
Framing of a socialistic pattern of society.
Justice delayed is justiee denied.
Food grains should have been exempted from sales tax.

यह ठीक है कि मिनिस्टर साहबान काफी सैक्रीफाइज कर रहे हैं और उनको करना चाहिये, लेकिन यह सैक्रिफाइज बिल्कुल अधूरा ही रहेगा अगर ब्यूरोक्रेसी भी उनके कदमों के साथ नहीं चलती है। इसलिये मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार उनकी सैलरीज को, अगर वह वालेन्टरी कट करते हैं तो ठीक है, वरना एक कमेटी के जरिये से एक्जामिन करा कर ऐसी सीलिंग में मुकर्रर करे जिससे कि सरकार का जो मकसद है शोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम करने का, वह जल्द से जल्द पूरा हो सके।

इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ायी गयी है, लेकिन सरकार का ध्यान इस सिलसिले में मैं दिलाना चाहता था कि कहीं पर भी, जहां जहां रजिस्ट्रेशन से और ऐसी फीस से जो डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली कोर्ट वर्क से संबंधित हैं, किसी देश में नहीं ली जाती है। तीसरी चीज यह है कि जो कोर्टस में एरियर्स हैं, वह बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको कम होना चाहिये। क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस जल्द से जल्द नहीं होगी तो जनता जो जस्टिस के लिये वहां पर जाती है, उसका मकसद पूरा न हो सकेगा और यह जभी हो सकता है जब कि फुल फ्लैज्ड सपरेशन आफ जुडीशियरी फाम दि एक्जीक्यूटिव होगा। कहा यह गया है कि प्रोडक्शन हमारे प्रदेश में बढ़ रही है लेकिन असल बात यह है कि जो कनवीनिएन्ट फिगर्स बजट के अन्दर नौकरशाही के लोगों ने लिखी है और एक्सपर्टर्स ने लिखी है, उनके ख्याल से यह ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है। उससे जो फायदा हो रहा है, वह तो मिल मालिकों की जेब में जा रहा है, गरीबों की जेब में नहीं जा रहा है। सरकार का ढंग आज इस तरह का है कि अमीर जो है वह और भी अमीर होते चले जा रहे हैं और जो गरीब हैं वह और भी गरीब होते जा रहे हैं। इसलिये जरूरत इस बात की है कि सरकार इक्विल डिस्ट्रि-ब्यूशन आफ नेशनल वेल्थ की तरफ पाजीटिव कदम उठावे।

एक बात की ओर मैं आपके जरिये से सरकार का ध्यान और दिला दूं और वह यह है कि मल्टिपल प्वाइंट सेल्स टैक्स फूड ग्रेन के ऊपर से हटा करके अब सिंगल प्वाइंट सेल्स टैक्स की योजना की गयी है और वह भी सन् ५८ से है, लेकिन हमारे देश के प्रधान मंत्री और खाद्य मंत्री का जो विचार है, वह यह है कि फूड ग्रेन पर से टैक्सेशन बिल्कुल ही हटा दिया जाय। एक तो अप्रैल सन् ५८ से सिंगल प्वाइंट टैक्सेशन होगा, यह बात समझ में नहीं आयी। बजाय इसके कि यह कदम उठाया गया होता कि फूड ग्रेन शुड हैव बिन एक्जेम्पटेड फाम दि सेल्स टैक्स, इसको सिंगल प्वाइंट फिर भी रखा गया और दूसरी बात यह है कि यह अगले साल के बजट में भी रखा जा सकता था तो अभी रखने की क्या जरूरत थी। इसलिये मैं सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि जब पहली अप्रैल सन् ५८ से, जैसा कि आपके एडवाइजर्स का विचार है और आपके नेताओं का विचार है कि फूड ग्रेन को एक्जेम्पट किया जाय, यह न करके आप सिंगल प्वाइंट करने जा रहे हैं तो यह कहां तक ठीक बात हो सकती है, इस पर भी विचार आपको करना चाहिये।

श्री चेयरमैन---लालबत्ती चूंकि खराब है, इसलिये आप स्वयं ही अपने समय का ध्यान रखें।

श्री वीरेन्द्र स्वरूप--इससे पहले श्रीमन् कि मैं अपने विचार बजट के ऊपर समाप्त करूं, मैं इस बात का अवश्य स्वागत करता हूं कि जो सरकार ने ओल्ड एज पेंशन का प्राविजन किया है, जो छठो क्लास तक फ्री एजूकेशन का प्राविजन किया है और दसवीं कक्षा तक उन लोगों के बच्चों की हाफ फ्री शिप की है, जो कि सरकार के सौ रुपये से कम तनख्वाह पाने वाले लोग हैं, यह सब स्वागत के योग्य बातें हैं।

इंडस्ट्रीज में जो बिजली दी जायगी, उसमें २५ परसेंट के बजाय २० परसेंट कर दिया गया है। इतना करते हुए भी सरकार ने जो कदम उठाये हैं, उससे कहीं ज्यादा जनता उम्मीद करती थी और वे कदम जनता की उम्मीदों से बहुत ही कम हैं। सरकार को चाहिये कि वह जनता की भलाई का अधिक से अधिक ख्याल रखे। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्रीमती शान्ति देवी अग्रवाल (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे इस समय बोलने का मौका दिया है। हमारे सामने सन् ५७-५८ का बजट प्रस्तुत है, जिस के लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो बजट हमारे सामने रखा है, उसका भली प्रकार अध्ययन करने के पश्चात यह मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवाद की ओर जा रही है। इसमें जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें नहीं जाऊंगी। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि कुछ बातों के बारे में माननीय मंत्री जी ने चर्चा नहीं की है। मैं उस विषय के बारे में कहूंगी जिसके बारे में किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं कहा है। मैं विशेष कर स्त्रियों के संबंध में चर्चा करूंगी। मैं उन बातों की चर्चा करूंगी जो समाज कल्याण बोर्ड ने की हैं और इसके साथ-साथ उन बातों का भी जिक्र करूंगी जिनको सरकार ने अपनी योजनाओं द्वारा किया है। २३७ केन्द्र समाज कल्याण बोर्ड द्वारा खोले गये हैं और २८७ केन्द्र हमारे प्रदेश द्वारा खोले गये हैं। श्रीमान्, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश में जो काम केन्द्रीय सरकार की मदद से समाज कल्याण बोर्ड द्वारा हुआ है, उसमें बहुत सी प्रगति हुई है, यद्यपि इस प्रकार की योजनायें प्रदेशीय सरकार के जरिये से भी चलायी गयी हैं, लेकिन उसमें उतनी प्रगित नहीं है जितनी प्रगति समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किये गये कार्यों में हुई है। समाज कल्याण बोर्ड के जो सेन्टर हैं, वहां पर दाइयां, क्राफ्ट टीचर और ग्राम सेविकायें रहती हैं। इन तीनों को तैयार करने के लिये ट्रेनिंग होती है। इसके साथ ही साथ प्लानिंग विभाग द्वारा भी कुछ महिलायें कार्य करती हैं। इस संबंध में मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार को इस कार्य के लिये और अधिक रुपया खर्च करना चाहिये। समाज कल्याण बोर्ड ने जच्चा बच्चा के लिये दाइयां ट्रेन्ड की हैं। इतना होते हुए भी मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि अभी भी हमारे यहां दाइयों की बहुत कमी है। सरकार को चाहिये कि वह और अधिक दाइयों को ट्रेन्ड करे ताकि हमारे प्रदेश में इनकी कमी न रहे।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, मुझे जो हाल ही में अनुभव हुआ है उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। वह यह है इस मर्तबा मुझे पहाड़ों के स्थानों पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पहाड़ों पर उत्तर काशी तक मैं यात्रा कर आई हूं और वहां पर जो मैंने स्त्रियों की अवस्था देखी, उसको मैं बतलाना चाहूंगी। वहां लड़कियों को ३, ४ हजार रुपये में बेच दिया जाता है और जहां लड़की शादी हो कर जाती है, वहां वाले लड़की को इस बात के लिये मजबूर करते हैं कि वह अदालत में जा कर इस बात की अपील करे और छूट मांगें।

श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--यह गलत बात है।

श्रीमती शान्ति देवी अग्रवाल--कभी कभी जब बड़े बड़े मेलों का वहां पर आयोजन होता है, तो उन मेलों में जो लड़कियों का व्यापार करते हैं, उनके दलाल आते हैं और उन दलालों द्वारा लड़कियों को भगाया जता है और उनसे जघन्य कार्य करने के लिये मजबूर किया

[श्रीमती शान्ति देवी अग्रवाल]

जाता है। इसके लिये पिछड़े इलाकों में तथा उन पहाड़ी इलाकों में, जहां इस तरह के कार्य होते हैं, विशेष रूप से महिला कल्याण बोर्ड द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि वहां पर कुछ उद्योग स्थापित हो सकें और वहां की महिलाओं को उस ओर आकर्षित किया जाय। उद्योग के सिलसिले में मैं यह कहना चाहती हूं कि मैंने वहां पर एक ऊनी सेन्टर देखा, जहां पर कि ऊन का कार्य होता है और उसकी कताई तथा बुनाई होती है। जब उनसे इस के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बतलाया कि यहां पर २ साल की ट्रेनिंग २० व्यक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जब पूछा गया कि ट्रेनिंग के बाद वे क्या करते हैं, तो पता चला कि दो साल की ट्रेनिंग के बाद वे अपने घर चले जाते हैं और वे ऐसा इसलिये करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से उनको नौकरी देने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इन बातों का उल्लेख यहां पर कर देना इसलिये आवश्यक समझती हूं ताकि हमारे पहाड़ों में जो इस तरह से पिछड़ा इलाका है, वहां के लिये सरकार उचित इंडस्ट्री बनाये जिससे कि वहां के लोग अपनी माली हालत को ऊंचा उठा सकें और वहां सुधार भी हो सके। जो कार्य वहां इस समय होता है, इस तरह से उन्हीं में बहुत कुछ सुधार किया जा सकता है।

इसके साथ ही साथ अब मैं शिक्षा के संबंध में दो शब्द कहना चाहूंगी। वह यह है कि हमारे हाउस के माननीय सदस्यों ने, जो कि शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, इसकी ओर बहुत प्रकाश डाला है और मैं तो जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उन्हीं के संबंध में कुछ कहना चाहूंगी। प्राइमरी स्कूलों की हालत आज बहुत दयनीय है और दयनीय इसलिये भी है कि वहां पर बच्चों के आमोद प्रमोद के लिये कोई उचित स्थान नहीं है और जो तंग कमरे उनको दिये जाते हैं, उसमें वे अपनी पुस्तकों को भी ठीक तरह से नहीं पढ़ सकते हैं। मेरा इस संबंध में यह सुझाव है कि सरकार ट्रेन्ड अध्यापकों द्वारा प्राइमरी एजूकेशन कराये और इन अध्यापकों की तनख्वाहें इतनी अच्छी रखें कि उनको अपने घर के सम्बन्ध में कोई चिन्ता न रहे। प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने के लिये आते हैं, उनके वास्ते नाश्ते का प्रबन्ध भी स्कूलों में किया जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात यहां पर कही गयी है कि सामाजिक वेलफेयर की ओर आज हमारी सरकार बढ़ रही है और इसके लिये सरकार ने आज निम्न वर्ग के कर्मचारियों में ५ रुपये की वृद्धि की है। सरकार ने अपनी लिमिटेड पूंजी को देख कर ही ५ रुपये की वृद्धि इनके वेतन में की है और इसके लिये मैं सरकार को मुबारकबाद देती हूं। ७५ वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों के लिये भी सरकार ने जो पेंशन की व्यवस्था की है, उसके लिये भी माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। उससे उन दुखी और क्षीण अवस्था के वृद्ध व्यक्तियों को बहुत मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में कम्युनिटी तथा एन० ई० एस० ब्लाक्स द्वारा देहातों में आज बहुत कुछ कार्य हुआ है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी कि हमारे यहां सड़कें बनीं, कुंओं का निर्माण हुआ, स्कूल खुले, अस्पताल खुले, लेकिन गांव के निवासी उसको कुछ महत्व नहीं देते। म समझता हूं कि उसका एक कारण है। हमारे ग्रामों में ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभायें हैं, पंच हैं, सरपन्च हैं,। जब उनसे पूछा जाता है कि यह जो तुम्हारे यहां कार्य हो रहे हैं यह क्या मुफ्त में हुए हैं, क्या उन पर गवर्नमेंट का पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो जवाब यह मिलता है हमको मालूम नहीं कि सरकार क्या कर रही है। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि प्रान्त के सभी भागों में सूचना विभाग है। एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है। मैं नहीं जानती कि सेक्रेटेरियेट द्वारा जो लिटरेचर जिलों में भेजा जाता है उसका क्या होता है। यह तो सही है कि जिलों में पंच और सरपंचों के पास वह लिटरेचर नहीं पहुंचता और उनको नहीं मालूम हो पाता कि हमारी क्या आवश्यकतायें हैं, हमको किसके पास जाना चाहिये और प्रदेशीय सरकार क्या कर रही है। हम देखते हैं कि गांव का जो नवयुवक समाज है उसमें

उद्दंडता तेजी से बढ़ रही है। हमारा सुझाव है कि यद्यपि हमारे गांवों का नवयुवक अशिक्षित है, फिर भी सरकार को कुछ ऐसा सुधार करना चाहिये जिससे ज्यादा से ज्यादा नव–युवक कार्य पर लगाये जा सकें। ऐसे उद्योग धंधे वहां पर कायम किये जायें जिससे उनको काम मिल सके। बहुत सी बातें मुझे कहनी थीं, टाइम हो गया है, मैं दो मिनट चाहूंगी।

लखनऊ में सुना कि ५० हजार रु० की धनराशि लगा कर स्वीमिंग पूल बनाया जाने वाला है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जिन वस्तुओं को खरीद कर हम अपना स्वास्थ्य सुधारने की सोचते हैं उस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। मैं गवर्नमेंट का ध्यान यहां की सब्जी मंडी के निवासियों की ओर आकर्षित कराना चाहती हूं। वहां आप देखिए कि क्या हालत है। जिन गंदी जगहों में वह रहते हैं और वहां पर रख कर जिन वस्तुओं को वह बेचते हैं, उनको खा–कर समाज का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है। इसके लिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि किन्हीं मदों में कमी करके एक ऐसी आदर्श सब्जी मंडी कायम कीजिए, जिससे हमारे तमाम प्रदेशों से आने वाले दोनों हाउसेज के सदस्य एक सबक सीख सकें और अपने अपने जिलों में उस प्रकार की सब्जीमंडी स्थापित कर सकें, जिससे वहां रहने वालों के लिये पृथक स्थान हो और सब्जी बेचने के लिये पृथक स्थान हो। इन शब्दों के साथ जो प्रगतिशील बजट माननीय मंत्री जी ने रखा है उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देती हूं।

सदन की स्थायी समितियों के निर्माण के लिये नाम निर्देशनों की तिथि

श्री चेयरमैन––श्री प्रताप चन्द्र आजाद ने यह लिख कर दिया है कि २९ अगस्त के स्थान पर कौंसिल की नामजदगी की तिथि २ अगस्त रख दी जाय। इसकी घोषणा यदि आप लंच से पहले कर दें तो अच्छा होगा क्योंकि नामजदगी के लिये समय बहुत कम रह गया है।

स्टैंडिंग कमेटी के लिये नामिनेशन २ अगस्त को १२ बजे तक सेक्रेटरी को मिल जाय। २ अगस्त के बाद शायद इस सदन की बैठक न हो। फिर २९ तारीख तक के लिये सदन उठ जायेगा। मैं समझता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी के नामिनेशन के लिये २ तारीख तक का समय बहुत काफी है।

कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १ बज कर ३ मिनट पर अवकाश के लिये स्थगित हो गई और २ बजे से श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

सन् १९५७–५८ ई० के आय–व्ययक (बजट) पर आम बहस

***श्री राम गुलाम** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)––माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बजट का तीसरा दिन है। बजट के द्वारा सरकार ने समाजवादी कल्याणकारी व्यवस्था कायम करने की नीति की घोषणा की है। समाजवाद आज के युग की मांग है। भारत की दूसरी राजनैतिक पार्टियां भी समाजवाद का नारा लगाती हैं परन्तु यह नहीं बताती हैं कि भारत में हमारे यहां किस प्रकार का समाजवाद हो। भारत एक गरीब घनी आबादी वाला देश है। यहां की लैन्ड प्रापरटी दूसरे समाजवादी मुल्कों की १/३ और आबादी तिगुनी है। समाज का चारित्रिक स्तर भी नीचा है और इस बात से भी बड़ी मुश्किल है कि हमारी आबादी रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है,। हमारे यहां खाद्य पदार्थ, मकान, शिक्षा, बिजली, पानी अध्यापक, डाक्टर और टैक्नीशियन सभी का अभाव है। समाजवाद लाने का मतलब होता है दुखी को सुखी, गरीब को अमीर और बेरोजगार को रोजगार देना। तो समाजवाद लाने के लिये हमें हर कीमत पर इस अभाव को दूर करना होगा और यह अभाव दूर हो सकता है मेहनत से काम करके और कष्ट सह करके। दूसरे मुल्कों में जहां तानाशाही हुकूमत होती है वहां यह सब काम डंडे के जोर पर होता है लेकिन प्रजातंत्र देशों में इसका मतलब होता है कि जब जनता एक बार एक पार्टी चुन लेती है तो उसके माने होते हैं कि वह ५ साल तक उस पार्टी को अपने देश में सरकार चलाने का और अपनी नीति चलाने का अधिकार देती है और फिर विरोधी पार्टियों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह सरकार को अपने

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री राम गुलाम]

कान्सट्रक्टिव क्रोटीसिज्म द्वारा सहयोग देकर उसकी नीति को कामयाब करने का मौका दें। मेरा कहना यह है कि यदि हमें समाजवाद लाना है तो देश के उत्पादन को बढ़ाना होगा और उस कार्य में पूरा पूरा सहयोग देना होगा। सरकार का हर अच्छी बात से विरोध करने से निर्माण कार्य में लगी हुई सरकार को हर बात में बदनाम करने से उत्पादन नहीं बढ़ेगा। यह सोचने की बात है।

फिर समाजवाद कैसे कायम होगा, यह सोचने की बात है। तानाशाही में जो काम डंडे के जोर से होता है वही काम प्रजातन्त्र में सेल्फ डिसिप्लिन से होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस बजट को अपने राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के दृष्टि-कोण से देखेंगे तो मालूम होगा कि सरकार ने राष्ट्रीय आमदनी को बढ़ाने के लिये, बेरोज-गारी को दूर करने के लिये जनस्वास्थ्य को ठीक करने के लिये, सड़कों के निर्माण लिये, समाज सेवा के कार्य में और हरिजनों के लिये क्या किया, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे प्रदेश की आबादी ६ करोड़ से अधिक है और बजट १०८ करोड़ का है। यह इस बात को जाहिर करता है कि हमारे पास बहुत सी मुश्किलात हैं और उन मुश्किलात को देखते हुए हम जो कुछ कर पाये हैं वह उचित है। इस दृष्टि से हम जब देखते हैं तो माननीय वित्त मंत्री जी को बगैर धन्यवाद दिये नहीं रह सकता क्योंकि इस बजट में उन्होंने इस बात की कोशिश की जिससे यह पता चलता है कि उन्होंने क्या किया। बहुत से लोग कहते हैं और सुनने में आया, दूसरे मुल्कों की मिसाल देते हैं इंगलैन्ड के बजट की तुलना हमारे यहां से करते हैं और कहते हैं कि इंगलैन्ड में इतनी सड़कें बनी इतने बेड्स हैं लेकिन यह नहीं देखते कि इंगलैन्ड का बजट हमारे यहां से ५८ गुना ज्यादा है। उनका बजट ५८,०० करोड़ रुपये का है और हमारे यहां का सिर्फ १०८ करोड़ का है। ऐसी हालत में जब हम मुकाबिला करते हैं तो ठीक नहीं है। जब हम राष्ट्र की आमदनी बढ़ने की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि सन् ४७-४८ में आमदनी १,३३७ थी और सन् ५४-५५ में १८,२३ करोड़ हो गई यानी ४ करोड़ ८६ लाख बढ़ गई। आबादी बढ़ने के बावजूद ५३ फीसदी हमारी आमदनी बढ़ गई। इस तरह से मालूम होता है कि हमारी सरकार आमदनी बढ़ाने में प्रयत्नशील है। उत्पादन बढ़ाने की ओर जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि हमारे यहां एग्रावोर्ड्स सन् ५४-५५ में ६७ था और अब ५५-५६ में १२९ हो गया है, खेती में पहले ४६७ लाख एकड़ भूमि थी लेकिन सन् ५५-५६ में ५०२ हो गई। सिंचाई में देखें ५४-५५ में २१.३ हजार मील थी और ५५-५६ में २२.१ हजार मील हो गई।

इस तरह से हम बिजली में देखें तो हमें पता चलता है कि सन् ५५ में ३५ करोड़ ३० लाख ६९ हजार युनिट बिजली थी लेकिन अब वह बढ़ कर ७० करोड़ ५२ हजार ३६ युनिट हो गई है। बेरोजगारी में भी हम पाते हैं कि सन् ५६ में यू० पी० में ७ फीसदी मजदूर बेकार थे। लेकिन उनकी संख्या अब घट रही है। सन् ५५ में उनकी संख्या ११ फीसदी थी। देहाती क्षेत्र में सन् ५५ में ५ से ७ फीसदी बेकार थे लेकिन अब सन् ५६ में २ या ३ फीसदी बेकार हैं। उत्पादन में बराबर तरक्की हो रही है। चिकित्सा और जन स्वास्थ्य को देखते हैं तो पता चलता है कि सन् ४७ में सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिये ९,५५० पलंग थे लेकिन अब उनकी संख्या १६,४६७ हो गई है। टी० बी० के मरीजों के लिये जो पलंग पहले थे उनसे अब उनकी तादाद बढ़ गयी है और अब वह १,०५६ हो गये हैं। हमने देखा कि टी० बी० की संख्या १५.६ थी अब वह घट कर ९ फीसदी रह गई है। अब प्लेग और हैजे का नाम भी नहीं सुना जाता है। अब हमने देखा है कि टी० बी० के मरीजों की रक्षा के लिये जो लोग उनकी देखभाल करते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिये १ लाख रुपया रखा है। सड़कों को हम देखें तो उसमें भी हम बढ़ोत्तरी पाते हैं। सन् १९४६ में १,८४२ मील पक्की सड़क थी अब ३,९०० मील सिमेंट की पक्की

सड़क है। ३२० मील पक्की सड़क और तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। इस तरह से हम पूरे बजट में देखें तो पायेंगे कि सरकार ने कोई जगह छोड़ी नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि इसमें यह कमी रह गयी है और यह कमी रह गयी है तो १०० करोड़ रुपये के बजट में क्या-क्या हो सकता है। क्या तरक्की हो सकती है। यह जरूर मालूम होता है। सरकार ने एक कदम आगे देखा है और एक कदम ज्यादा उठाया है जिससे वह बधाई के पात्र हैं। ७० साल के बूढ़ों को पेंशन देने का प्रबन्ध किया गया है। अगर सरकार इस बात का ख्याल रखती है कि जो लोग बेकार हैं और जिनको रोटी मिलने का साधन नहीं है उनको रोटी दें। इसमें सरकार ने कोई निश्चित् रकम नहीं रखी है। अभी इसका सर्वे भी नहीं हुआ है। इससे तो यह पता चलता है कि सरकार सोच कैसे रही है और क्या चाहती है। जो लोग इसके लिये आपत्ति करते हैं तो मुझे हैरानी हो जाती है। हमने देखा कि छोटे नौकरों की तनख्वाह ५ रुपया बढ़ा दी है। यह बढ़ा देने से हमारी मुश्किलात जो हैं वे सब की सब हल नहीं हो जायेंगी और इसको सरकार भी नहीं कहती है। मैं आप से अर्ज कर चुका हूं कि अगर हम समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि देश के उत्पादन को बढ़ाने में हम कितने प्रयत्नशील हैं। और किस तरह से उसे बढ़ाना चाहते हैं। देश की आवश्यकता के अनुसार देश का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। छठवीं कक्षा तक के लिये फीस माफ कर दी गई है। सातवीं आठवीं कक्षा के लिये भी करने जा रहे हैं। हमें तरक्की करने के लिये जो कुछ भी उत्पादन के साधन हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। हां, मुझे एक बात कहनी थी कि भ्रष्टाचार के लिये बहुत शोर मचाया जाता है। मैं अर्ज कर चुका हूं कि हमें यह कहने में खुशी नहीं होती है कि हमारा चरित्र का स्तर नीचा है। सरकार ने भ्रष्टाचार दूर करने के लिये कोई व्यवस्था बजट में नहीं की है। मैं वित्त मंत्री जी का इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस सिलसिले में काफ़ी प्रचार होना चाहिए। स्कूलों में भी इसका प्रचार होना चाहिए। अगर हम भ्रष्टाचार को दूर नहीं करेंगे तो हमारा लेविल ऊंचा नहीं उठ पाएगा। हमको यह भी देखना है कि सरकार ने १ करोड़ ५० लाख का टैक्स लगाने के लिये किन २ आइटम्स को लिया है। अगर इंसाफ की नजर से देखें तो यह पता चलेगा कि सरकार ने इंतिहाई कोशिश की है कि वह ऐसी चीजों पर टैक्स न लगाये जिससे आम जनता पर उनका भार पड़े। लोगों ने तो इंटरटेनमेंट टैक्स पर भी एतराज किया है समझने से बुद्धि कासिर हो गई है कि आखिर कौन सी चीज है जिन पर टैक्स लगाया जाय। यह तो प्रजातंत्र है। डिमाक्रैसी है। हर एक चीज कहना आसान होता है। डिक्टेटरशिप में विरोधी की सजा मौत होती है। लेकिन यहां हम और आप आजाद हैं। हम स्वतंत्र नागरिक हैं। किसी की मजाल नहीं कि कोई एक शब्द भी कह सके। अब मैं सरकार का ध्यान मुरादाबाद और रामपुर की ओर दिलाऊंगा। जब रामपुर स्टेट मर्ज हुई तो रामपुर वालों को आशा थी कि उसकी छोटी सी रियासत बड़े प्राविन्स में मर्ज हुई उसको बहुत सहूलियतें मिलेंगी। वहां के बहुत से मुलाज़िम थे वे जाते रहे। सरकार ने रामपुर की बेरोजगारी को दूर करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की। वहां पर बहुत सी फैक्टरीज़ हैं जो बंद पड़ी हैं। सरकार को वहां से काफी रुपया मिला है। वहां की हालत यह है कि वहां शरीफ घराने के आदमी रात में रिक्शा चलाते हैं या दिन में जंगल से लकड़ी तोड़ लाते हैं। वहां एक शख्स के यहां से एक हड़िया और पतीली चुरा ली गई। थोड़ी देर बाद पतीली तो मिल गई लेकिन पता लगा कि खिचड़ी खा ली गई। प्राविंस से आशा थी कि वहां की हालत सुधारने के लिये कुछ किया जायगा। वहां के लोगों की लाज ढक लेंगे लेकिन कुछ नहीं किया गया। मुरादाबाद में ४० हज़ार के करीब मजदूर रहते हैं। वहां ब्रासवेअर इंडस्ट्री का काम बहुत अच्छा होता है।

मैंने बजट में देखा एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग मशीन की व्यवस्था की गई है। लेकिन वह नाकाफी है वहां की बेरोज़गारी को देखते हुये। मुरादाबाद का ब्रास का काम सारी दुनिया में मशहूर है। मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। जहां तक बजट की शिकायत करने का ताल्लुक़ है मैं कहता हूं कि यह बजट अगर १०० करोड़ के बजाय ५८ करोड़

[श्री राम गुलाम]

का होता तो किसी को इतनी शिकायत नहीं होती। मैं दावा करता हूं कि यह बजट एक अरब क्या जब ५८ अरब का हो जायेगा उस दिन आप अपने देश को अमरीका और इंगलैन्ड से बेहतर पायेंगे। इन अल्फाज़ के साथ मैं माननीय वित्त मन्त्री को धन्यवाद देता हूं।

श्री श्याम सुन्दर लाल (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कल्याणकारी बजट के लिये जिसमें सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की ओर ले जाने की व्यवस्था की गई है मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं। इसमें कुछ मदों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। पहली मद 'ओल्ड एज पेंशन' की व्यवस्था है जो राज्य सरकार पहले पहल करने जा रही है उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। बुढ़ापे में बूढ़े और बुढ़ियों का जिनका कोई सहारा नहीं रहता जीवन बड़ा संकटमय हो जाता है, उनके लिये यह एक बहुत बड़ा सहारा होगा। इस स्कीम को चालू करने के लिये डिटेल्स सरकार के विचाराधीन हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि ऐसे असहाय पेन्शनर्स किसी एक स्थान पर रखने के लिये बाध्य न किये जायं। वे किसी पुअर हाउस में न रखे जायं जहां उनके खाने और रहने का इन्तज़ाम हो जाय, क्योंकि ओल्ड एज में अपने लाइफ लांग एसोसियेशन से अलग होना बूढ़े-बुढ़ियों के लिये बहुत ही दुखदाई हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वह जहां रहते हों वहीं पर जो सहायता सरकार देना चाहे पेन्शन के रूप में दिया करे। दूसरा सुझाव जो देना चाहता हूं वह यह है कि जो पेन्शन सरकार देना चाहे उसके लिये ऐसी व्यवस्था हो कि पेन्शन उनके पास पहुंच जाय और उसके लिये सुगम होगा कि वह मनीआर्डर के ज़रिये भेज दी जाया करे।

दूसरी बात जो एक्सपेक्टेन्ट मदर्स के लिये दूध का प्रश्न है उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि दूध बांटने में गरीब तबक़े की स्त्रियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय क्योंकि उनको ही इसकी विशेष आवश्यकता होती है।

तीसरी बात मुझे अनुसूचित जातियों के विषय में कहनी है। उनके हाउसिंग की बड़ी समस्या है। ये अधिकतर स्लम्स में किराये के घरों में रहते हैं जहां पर उनकी बड़ी दुर्दशा रहती है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने इनके गृह निर्माण के लिये सबसीडी के रूप ग्रांट में देने की व्यवस्था की है। मेरा सुझाव यह है कि उनके लिये जो क्वार्टर्स बनें वे उन्हें हायर परचेज सिस्टम पर दिये जांय और उनका रेन्ट नामिनल रखा जाय। मैं नामिनल रेन्ट इस लिये कहता हूं कि अभी अभी जो इन्डस्ट्रियल लेबरर्स के लिये हाउसिंग स्कीम चलायी गयी है उसमें उनके लिए अच्छे मकान बनाये गये हैं लेकिन जिन श्रमिकों के लिये ये मकान बनाये गये हैं वे उनमें नहीं जा पाये हैं। हमारे माननीय सदस्य श्री दीक्षित जी ने अपने बजट भाषण में बताया है कि इस तरह की बात कानपुर में हो रही है। उन्होंने कहा है कि दूसरे कर्मचारी उनमें रहते हैं। कारण यह है कि श्रमिकों की ऐसी हालत नहीं है कि वे ११ या १२ रुपया एक क्वार्टर का किराया दे सकें जबकि उनकी मासिक आय ६५ या ७० रुपये है। किस तरह से वे इतनी आय में से ११ या १२ रुपया किराया दे सकते हैं। इस कारण से वे मकान जिनके लिये बनाये गये हैं उन्हें न मिल कर दूसरे लोग किराये में रह रहे हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो हायर परचेज सिस्टम पर क्वार्टर्स बनें वे नामिनल रेन्ट पर ही हों और २०-२५ वर्ष की अवधि में उनसे उसका रुपया वसूल किया जाय। इतने वर्ष के बाद वह मकान उनका अपना हो जाय।

चौथी बात यह है कि केन्द्रीय सरकार ने अस्पृश्यता निवारण के लिये काफी रुपया सब्सिडी के रूप में देने की व्यवस्था की है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जहां तक शहरों का सम्बन्ध है लोगों के हृदय में काफी परिवर्तन हो गया है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में अभी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में अस्पृश्यता निवारण का कम्पेन है वह काफी जोरों के साथ होना चाहिए। अभी तक रीजनल हरिजन वेलफेयर

आफिसर होते थे लेकिन अब तो हर जिले में एक हरिजन वेलफेयर आफिसर की नियुक्ति हो गयी है। मेरा सुझाव यह है कि वे ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करें। वहां पर जो मेले इत्यादि होते हैं उनमें पब्लिसिटी वान के जरिये से या भाषणों से अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में प्रचार किया जाय। इसके साथ-साथ इस कार्य में ग्राम सभाओं का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय। उनके जरिये से भी यह अस्पृश्यता निवारण का कार्य सिस्टैमैटिकली किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं, उनके अध्यापक और छात्र भी इसमें सहयोग दे सकते हैं। यथा समय वह इसमें शामिल हो कर प्रचार का कार्य कर सकते हैं। इससे एक विशेष फल तो यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का ध्यान अगर इस स्टेज में इस तरफ जायगा तो फिर बड़े होने पर उनके अन्दर से भेद-भाव की भावना जाती रहेगी।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने एक सर्वे यूनिट इस संबंध में नियुक्ति करने का निश्चय किया है, जिसमें किसी विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ या जे० के० इन्स्टीट्यूट लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र के विशेषज्ञ इस बात की जांच करेंगे कि जो उनके उत्थान का काम हो रहा है, उसका क्या परिणाम हुआ है और उससे उनकी इकानामिक सोशल ऐजूकेशनल हालात में कहां तक परिवर्तन हो गया है तथा उसमें क्या-क्या और होनी चाहिये, इस विषय में वे समय समय पर अपनी रिपोर्ट देंगे, यह बहुत ही उपयोगी बात होगी। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री पुष्कर नाथ भट्ट (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यहां पर तीन दिन से बजट के ऊपर डिबेट हो रही है, उसको मैंने काफी गौर से सुना और सभी माननीय सदस्यों के विचारों को सुन कर भी मुझे यह तसकीन नहीं हुई कि इस बजट के हर पहलू पर गौर किया गया है। इस बजट में तीन खास बातें हैं। पहली मर्तबा तो ऐसा मालूम होता है इस बजट को पढ़ने से, कि इस बजट के बारे में जो कुछ नोटीफिकेशन गवर्नमेंट के निकले हैं, उनसे ऐसा मालूम होता है कि हम अब अपने प्रदेश के पूरे तौर से मालिक नहीं रहे। हमारा बजट जो है, वह ऐसा मालूम होता है कि वह युनियन बजट के ऊपर ही अधिकतर निर्भर करता है। साथ ही साथ हमें यह भी मालूम हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट ने हमारी प्रादेशिक सरकार को कर्जा देने से मना कर दिया। यह बात जो है यह बहुत ही गौर तलब बात है। जैसा कि हम समझते हैं और अभी तक ऐसा होता भी रहा है कि यहां पर एक प्राविन्शियल आटोनामी है और जो अख्तियार प्रदेश के पास हैं, उन अख्तियारों क अन्दर वह अपने घर का इन्तजाम पूरा कर सकता है, लेकिन अगर आप बजट के ऊपर गौर करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा आइटम्स ऐसी हैं जिनमें यह बात कही गई है कि यह काम इसलिये लिया गया है कि इसमें यूनियन से सबसिडी मिलेगी, तो हमारा जो यह बजट है एक तरह से यूनियन गवर्नमेंट के मातहत हो गया और इसमें प्राविन्शियल आटोनामी का ख्याल नहीं किया गया है।

हमारे मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने एक बयान दिया है जो बहुत ही सोचनी है। उन्होंने हम को कर्जा लेने से मना किया है। हमको इस बात की कम उम्मीद है कि स्माल सेविंग से हम इतना रुपया जमा कर सकेंगे कि हम अपने यहां के डेफिसिट बजट को पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा एक बात उन्होंने और कही है, जो काफी सोचनीय है, उन्होंने कहा है कि देहली में हमारी कोई सुनवायी नहीं है। यह बात हमारे प्रदेश के लिये बहुत ही गौरतलब है। जब हमारे देश के आदमियों के हाथ में हुकूमत की बागडोर है, तो हमको वहां से काफी मदद मिलनी चाहिये। मौका बे मौका हमारे माननीय मंत्रियों ने कहा है कि जो हमारे यहां की बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज है, उनके बारे में हमको काफी गौर से देखना है और बजट में उनके बारे में विचार करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके बारे में मैं यह कह सकता हूं कि यह कुछ हद तक ठीक ही हो सकता है। जहां तक हमारे प्रदेश की उन्नति का सवाल है उससे

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री पुष्कर नाथ भट्ट]
सभी सहमत होंगे कि हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाया जाय। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को और अपनी सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे बजट में जो दिक्कतें हैं उनको दूर करना चाहिये और ऐसे कार्य करने चाहिये जिससे प्रदेश की उन्नति हो।

इसके अलावा इस बजट की जो एक खसूसियत है वह यह है कि डेफिसिट बजट होते हुये भी माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात की कोशिश की है कि प्रदेश में खुशहाली बढ़े उन्होंने बहुत ही हिम्मत और काबिलियत के साथ सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की तरफ कदम उठाया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने छोटी श्रेणी के लोगों को काफी सुविधायें पहुंचाने की कोशिश की है और जहां तक हो सकता था, उन्होंने उनकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश की है। इससे यह बात साबित होती है कि हमने जो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी के सिद्धान्त को अपनाया है, उस पर अमल भी करने को तैयार हैं। हम उस के लिये कुर्बानी भी करने को तैयार हैं।

हमारे प्रदेश में जो नये टैक्स लगाये गये हैं, उनके बारे में मैंने यहां पर देखा है कि जिन लोगों पर वे टैक्स लगेंगे, उन्होंने कोई खास मुखालिफत नहीं की है, क्योंकि वे समझते हैं कि इस टैक्स के जरिये से अपने प्रदेश के छोटे तबके के लोगों को मदद मिलेगी।

इस बजट में एक खसूसियत यह भी है कि जिन चीजों पर अधिक रुपया खर्च करना चाहिये था, उन पर खर्च किया गया है। जिस प्रकार से यह बजट सरकारी दफ्तर के लोग बनाते हैं, उससे यह जाहिर होता है कि जिस प्रकार से बजट बनता है, उसका एक ढर्रा है और उसी तरह से वह बजट बनता है। मैंने कई सालों का बजट देखा, तो मुझे एक खास बात यह मालूम हुई कि कुछ खास मामलों की थोड़ी सी झलक उसमें होती है और आखिर दफ्तर वाले यह दिखलाते हैं, ताकि आखिर में क्लोजिंग बैलेन्स कम न हो जाय, कि ओवर एस्टीमेट है और इस तरह से वे ओवर बजटिंग करते हैं। जब खर्चा कम होता है, तो आखिर में ४–५ करोड़ रुपया बच जाता है। इन चार–पांच सालों से बराबर यही होता चला आ रहा है। जितना बजट होता है, आखिर में उतना खर्चा नहीं किया जाता और इस तरह से आमदनी ज्यादा होती है, मगर खर्च उतना नहीं हो पाता है और इस तरह से ५, ६ करोड़ का फर्क हो जाता है। ५, ६ करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती। जो कोई भी बजट बनाने के जिम्मेदार हैं, उनको इसमें सहूलियत होती है, लेकिन इसके लिये उन्हें अपने को कामयाब नहीं समझना चाहिये कि हमने बजट में आमदनी बढ़ाई है और खर्चा घटाया है। बजट की खूबी यही है कि जहां तक हो सके, उसे एक्यूरेट होना चाहिये। इससे यह होता है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में सख्ती हो जाती है और एकानामिक ड्राइव में सहूलियत मिलती है। हमने यह सोचा कि लैन्ड रेवेन्यू में ५ करोड़ मिल रहा है और हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि ६ करोड़ मिलता है, तो आप समझते हैं कि इस तरह करने से एक करोड़ बच जायेगा। हमें तो एकानामी करनी चाहिये। इसी पहलू को लेकर हमारी सरकार के ४–५ साल से बजट बन रहे हैं उसमें इनकम तो कम दिखाई जाती है और खर्चा ज्यादा दिखाया जाता है। पिछले साल इसी तरह से ६ लाख का डैफिसिट मेकअप हुआ था। इसलिये सदन को और जनता को बजट की ठीक पिक्चर नहीं मिलती है और यह एक सोचने की बात है।

इस बजट के मौके पर दो तीन खास बातें विचार करनी जरूरी हो जाती हैं कि आखिर में जब कार्य खत्म हो जाता है तो हमारी हालत क्या होगी, कितना सुधार होगा, और जो कठिनाइयां आयेंगी, वह ठीक हो सकेंगी या नहीं, इस तरह की झलक हमें बजट में जरूर मिलनी चाहिये जहां तक मैंने देखा है कि इस मौके पर हमारा यह भी फर्ज होता है कि अगर सरकार से गलतियां हुई हैं, जिससे कि जनता को नुकसान हुआ हो, या सरकार को नुकसान हुआ हो, वह भी सरकार सदन के सामने रखे और जनता के सामने रखे। हम जो लखनऊ के रहने वाले हैं, हमें इस सरकार से बहुत शिकायत है। सरकार ने लखनऊ के प्रति जो उपेक्षा दिखलायी है, वह प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती। लखनऊ की म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड

किया गया और वहां के नाजिरों के अख्तियारात ले लिये गये । सुपरसेशन ठीक हुआ या गलत हुआ और इसको लोग कैसा समझते थे, मैं इस समय इसको दोहराना नहीं चाहता हूं। सभी को यह उम्मीद थी कि गवर्नमेंट का जब इन्तजाम होगा तो वहां की हालत सुधर जायेगी।

बजाय दो तीन साल के सुपरसेशन के आठ साल हो गए हैं, वह सरकार के इन्तजाम में है। हम इस पर भी गौर नहीं करते, शायद किसी वजह से कानून न बन पाया हो। लेकिन आज दिन लखनऊ म्यूनिसिपल बोर्ड की जो माली हालत है वह ऐसी सोचनीय है कि उस का बजट में जिक्र न होना या उस पर जिक्र न करना, मैं समझता हूं बहुत गलत होगा। ऐडमिनिस्ट्रेटर के जमाने में सरकार के मशविरे से, सन् ५३ में, रजामन्दी से स्कीमें बनाई गई। पब्लिक से नहीं पूछा गया। तीन बहुत बड़ी स्कीमों का मैं मुख्तसर में अर्ज करूंगा। एक करोड़ ५२ लाख की स्कीम शहर के वाटर वर्क्स को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने चालू की। उस स्कीम में ५० लाख रुपए खर्च हो गए। उसके मेन्स डालने में ५० लाख रु० की कमी हो गई तब गवर्नमेंट ने यह तय किया कि हम रुपया नहीं दे सकते हैं। बोर्ड अगर अपनी पाकेट से रुपया मोहैया कर सके तो उसको चालू कर सकते हैं। अब यह समझ लीजिए कि ५० लाख रुपया बोर्ड का वाटर वर्क्स में लगाया गया और उसके बाद वह स्कीम खत्म कर दी गई, और ५० लाख पर बराबर सूद लिया जाता है। एक करोड़ ३२ लाख रुपए की सीवर की स्कीम थी। उस पर भी ४० लाख रुपया खर्च किया गया और वह भी खत्म कर दी गई। दो आइटम्स और बड़े बड़े हैं। सलेज फार्म्स में ३५ लाख रुपया गवर्नमेंट ने लगाया। उसमें १०० रु० भी आमदनी नहीं बढ़ी और न किसी को कोई फायदा हुआ। उसके बाद हमारी हाउसिंग स्कीम में भी २०-२५ लाख रुपया लगा। उसमें ऐसा हिसाब लगाया गया कि ४ परसेन्ट मुनाफा होना चाहिए, और इस वक्त जो किराया वहां के रहने वाले दे रहे हैं वह ४ फीसदी मुनाफे पर है। लेकिन सरकार को मालूम होगा कि साढ़े पांच परसेन्ट हम उसका सूद दे रहे हैं। ४ परसेन्ट आमदनी है और साढ़े पांच परसेन्ट सूद है, उसमें भी डिप्रेशन है, इन्तजाम है, और खर्च है। यह चार बड़ी-बड़ी स्कीमें हमारे लखनऊ के नागरिकों के ऊपर लाद दी गई हैं। जहां तक हाउसिंग स्कीम का ताल्लुक है वह तो रिफ्यूजी प्राबलम को साल्व करने के लिए है। यूनियन गवर्नमेंट को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी पर उसको यहां की सरकार ने म्यूनिसिपल बोर्ड के ऊपर डाल दिया है। इससे हमेशा ही नुकसान रहा। इसका जितना किराया इस वक्त दे रहे हैं वह काफी ज्यादा है। इससे ज्यादा मिलने की बहुत कम उम्मीद है और हमारा एक करोड़ रुपया सीवर का बिल्कुल खराब हो गया है। आपने महानगर स्कीम भी सुनी होगी कि यह फैसिलिटी और वह फैसिलिटी, वह भी सीवर बिल्कुल बेकार होगा क्योंकि जब तक मेन सीवर न बनेगा तो वही कैसे चल सकता है। अब सूरत यह है कि एक करोड़ का कर्ज गवर्नमेंट ने लखनऊ शहर पर लाद दिया है जिससे कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले साल १० लाख रुपए के करीब मारिटोरियम दिया गया क्योंकि सूद अदा नहीं कर सकते और इस साल उनको २७ लाख रुपया किस्त का देना है और अगर वह रुपया देते हैं तो शायद दो तीन महीने वहां के मुलाजिमों को तनख्वाह भी न मिले। यह एक बड़ी अहम चीज थी और मैं चाहता हूं कि हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट एक स्कीम ऐसी सरकार के सामने रखे कि इस एक करोड़ रुपये का जो नुकसान हो गया है उसको बचाने के वास्ते कोई न कोई तरीका होना चाहिये, नहीं तो लखनऊ के नागरिकों को और यहां के टैक्सपेयर्स को बहुत जबर्दस्त नुकसान होगा।

दूसरी बात जो मैं आपके जरिये से सरकार से कहना चाहता हूं, यह है कि लखनऊ के नागरिक एक बात से बहुत ही रंजीदा और परेशान हैं और वह बात यह है कि हमारे यहां के वकला ने अपनी कान्फ्रेंस में यह तय किया था कि सात आठ साल पहले के अवध और हाई कोर्ट हम मर्ज करते हैं बशर्ते कि यहां एक बेंच कायम रहेगी। सरकार ने यह कानून बनाया कि बेन्च रहेगी और दोनों का स्टेटस एक हो जायगा। अब कुछ जजों के विचार से कुछ

[श्री पुष्कर नाथ भट्ट]

इलाहाबाद वालों के जोर से और कुछ काट पेंच के सिलसिले में ऐसा किया गया है कि हमारा १/३ ज्यूरिसडिक्शन कम कर दिया गया। फैजाबाद और सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्टस काट कर इलाहाबाद में कर दिये गये हैं। अब मैं अपनी सरकार के सामने यह रखना चाहता हूं कि क्या जब हमने अमलगमेशन आर्डर पास किया था तो क्या उसमें यह कहा था कि ज्यूरिसडिक्शन कम कर दिया जायगा। यहां अवध के १० हजार वकीलों पर इसका असर पड़ा है। मैं अपनी सरकार के सामने दावे से कहता हूं कि एक वकील भी ऐसा पेश कर दे जो यह कहे कि हम इलाहाबाद चाहते हैं। तो जब जनता की यह मांग है तो इस पर गौर होना ही चाहिये। जब आपके यहां डेपूटेशन जाते हैं तो आप कह देते हैं कि चीफ जस्टिस से मिलो और चीफ जस्टिस कह देता है कि मैं क्या कर सकता हूं बहरहाल कोई गौर नहीं करता है। मैं आपके जरिये से सरकार के सामने यह कहना चाहता हूं कि आप इस बात का ख्याल न कीजिये कि वकील जो हैं वह एक जलूस नहीं निकाल सकते हैं, हाय, हाय का नारा नहीं कर सकते हैं वह दर-बदर दौड़ नहीं सकते हैं लेकिन इंसानियत और इंसाफ के तकाजे से अपनी गवर्नमेंट से कहता हूं कि अवध का ज्यूरिसडिक्शन कम करके यहां के वकीलों को परेशान किया है।

मैं अपनी गवर्नमेंट को यह बतला देना चाहता हूं कि २ बातों से, एक म्युनिसिपैलिटी का इन्तजाम और दूसरा हाई कोर्ट की बेंच का इन्तजाम, कांग्रेस की पिछले एलेक्शन में ३० फी सदी वोट मिले और इस वक्त भी २५-३० फी सदी वोट कम हो गये। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस शहर में हमारी गवर्नमेंट को १० फीसदी वोट भी नहीं मिलेंगे अगर इन दोनों चीजों को ईमानदारी से जल्द फैसला नहीं किया गया। ऐसे मौके पर हमारा फर्ज है कि हम जनता की आवाज को इस सदन में रख कर अपनी सरकार के सामने रखे मेरा वक्त पूरा हो गया है। मैं इस सदन के सामने एक बात और कहना चाहता हूं। मैं ३ दिन से यह सुन रहा हूं कि हमारे अफसर नालायक हैं और बेईमान हैं। मैं उन चीजों को दोहराऊंगा नहीं जो एलीगेशन और चारजेज उन पर सदन में रखे गये हैं उन अफसरों की बहबूदी के लिये मैं चाहता हूं कि उनकी जांच कराई जाय और जो वाक्यात हों वह जनता के सामने लाये जांय और सदन के सामने रखे जांय। जहां तक ऐसे अफसरों का ताल्लुक है उनके प्रोटेक्शन को मैं मानता हूं कि उनके इनट्रेस्ट प्रोटेक्ट किये जायं लेकिन उसके माने यह नहीं है कि सरकार यह नीति बना ले कि उनके बारे में कुछ सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। जब एक नहीं १०-१० सदन के सदस्य कह रहे हैं तो इनक्वायरी जरूर करना चाहिये जिससे उनकी रिपुटेशन और करेक्शन एब्जार्ब हो। मैं इन अल्फाज के साथ माननीय वित्त मंत्री जी की इस बात के लिये तारीफ करता हूं कि उन्होंने इतनी मुश्किलात के होते हुये भी इतनी कोशिश की। और तारीफ तो उस वक्त आंकी जा सकती है जब साल का खातमा होगा कि कितना काम पूरा हुआ जैसा कि खुद मंत्री जी का कहना है कि हमको खुद नहीं मालूम है कि यह डेफिसिट किस प्रकार से पूरा होगा। हमको कर्जा और मिल नहीं सकता है।

श्री डिप्टी चेयरमैन--श्री भट्ट जी, अब आपका वक्त खत्म हो गया है।

श्रीमती शान्ति देवी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--श्रीमान्, इस समय प्रदेश के उत्थान व प्रगति आवश्यकताओं की पूर्ति, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम को सफलीभूत बनाने तथा जनता को सुख सुविधा पहुंचाने के लिये सरकार कितनी अधिक प्रयत्नशील है इस बजट के अध्ययन से इसका स्पष्टतया ज्ञान हो जाता है। इतने अल्प समय में चतुर्मुखी विकास और कार्य सरकार ने किया है यह बजट में रखने पर सचमुच बड़ा विस्मय व हर्ष होता है। सरकार ने जो कुछ किया है और करने जा रही है उसके लिये वास्तव में सरकार प्रशंसा व बधाई की पात्र है।

शिक्षा के लिये तो हमारे सदन को शिक्षा के ज्ञाताओं ने बहुत कुछ कहा है और सुझाव दिये हैं उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहती। मुझे तो केवल इतना कहना है कि अभी देहाती क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार व संस्थाओं की बहुत कमी है। बड़े–बड़े शहरों में तो वैसे भी बड़े–बड़े कालेज, विश्वविद्यालय, अनेक स्कूल तथा और भी अनेक प्रकार की शिक्षा संस्थायें हैं जिनका देहात में अभाव है।

विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा की तो बड़ी दयनीय स्थिति है। शहर से दूर दस–बीस मील के एरिया में, कस्बों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से केवल मिडिल तक की शिक्षा का स्कूल होता है उसके बाद आगे उनके पढ़ने का कोई साधन नहीं होता। अब जनता में स्त्री–शिक्षा की भावना जागृत होती जा रही है। वह अपनी लड़कियों को भी काफी शिक्षा देना चाहते हैं और बालिकायें तो स्वयं अधिक से अधिक शिक्षा पाना चाहती हैं, पर साधारण स्थिति के मां–बाप शहरों में बाहर भेज कर पढ़ाने का खर्च afford (अफोर्ड) नहीं कर पाते। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे कस्बों में दसवीं कक्षा तक के स्कूल तो अवश्य खोलें, जिसमें आस पास के गांवों की लड़कियां भी शिक्षा पा सकें। ६ कक्षा तक निःशुल्क पढ़ाई सरकार ने की है वह सराहनीय है बालिकाओं की तो दसवीं कक्षा तक पढ़ाई फ्री करने की कृपा करें।

स्वास्थ्य के विषय में सरकार ने जनता के लिये बहुत कुछ किया उसके लिये बधाई की पात्र है। हमारे इटावे जिले में T.B. Hospital खोलकर वहां की जनता पर बहुत उपकार किया है उसके लिये गर्भिणी स्त्रियों को दूध देने की स्कीम अभी केवल ११ जिलों में है उसे और भी जिलों में शीघ्र ही जारी किया जावे वहां की जनता सरकार की आभारी है। मुझे माफ करें मैं अपने जिले की बात कहूं कि हमारे इटावा प्रापर शहर में एक जनाना अस्पताल है, पर वहां से १० मील दूर जसवन्तनगर कस्बे में, जिसके आसपास कई गांव हैं, पर कोई जनाना अस्पताल नहीं है। अनेक हतभागिनी बहिनें उपयुक्त साधन के अभाव से प्रसवकाल में अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं। मैंने वहां की बहिनों को आश्वासन दिया, कई बार यहां अनुरोध किया पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमसे कहा जाता है २५–५० हजार रुपया दीजिये या बिल्डिंग दीजिये तब जनाना अस्पताल खुले। कहां से हम लोग इतना रुपया इकट्ठा करें, कहां से उपयुक्त बिल्डिंग लावें। हमारे यहां न तो बहुत धनी लोग हैं न इतने बड़े बिजनेस मैन हैं, बड़े शहरों में तो मेडिकल कालेज, बड़े–बड़े अस्पताल व अनेक प्राइवेट डाक्टर होते हैं पर छोटी जगह में इस सब का अभाव है। कहीं से भी रुपया कम करके ऐसी जगहों में सरकार को मटरनिटी हास्पिटल्स खोलने चाहियें।

पुलिस का कार्य बड़ा सुन्दर है, पर हमारा इटावा जिला भिन्ड (ग्वालियर), बाह (आगरा) के बार्डर पर है जहां डाकुओं का काफी आंतक है। दिन दहाड़े डाके पड़ते हैं, बच्चे किडनेप (kidnap) किये जाते हैं। आज हमारा देश स्वतंत्र है, हमारी पुलिस है पर हमारी जान माल की कोई हिफाजत नहीं है। पुलिस उनके रहने–छिपने के स्थान का भी पता नहीं लगा पाती उन्हें पकड़ नहीं पाती। मेरा एक सुझाव है कि पुलिस फोर्स को हटाकर वहां ex-militry man रख दिये जायं, जो केवल इसी कार्य के लिये नियुक्त हों। सी० आई० डी० जो रखे जांय वह trained हों और जिनका सम्बन्ध जिले से न होकर सीधा प्रान्त से हो क्योंकि जिले में रहने वाले सी० आई० डी० इन्सपेक्टर को सभी जान जाते हैं इससे वह भेष बदल कर भी कार्य में सफलता नहीं पाते।

न्याय अब हमारे यहां का बड़ा महंगा है। किसी भी मुकद्दमें में बहुत अधिक खर्च हो जाता है। मामूली रेन्ट कंट्रोल के मुकद्दमे में ही काफी समय लगता है। वकीलों को मेहनताना कोर्ट फीस वगैरह गवाहों को ले जाने में और कहीं तारीखें बढ़ जायं तो फिर दुबारा खर्च बहुत ही अधिक हो जाता है तब फैसला हो पाता है। हमारे देश में न्याय तो सस्ता होना ही चाहिये।

[श्रीमती शान्ति देवी]

सड़कों के निर्माण पर बहुत खर्च हुआ पर हमारा इटावा जिला बड़ा बदनसीब है। जहां ग्रांड ट्रंक रोड तो वास्तव में अच्छी स्थिति में है पर और सड़कों की स्थिति कुछ अधिक अच्छी नहीं है। मैं अपने ही जसवन्त नगर कस्बे की सड़क की स्थिति बताऊं कि उस सड़क पर सवारी का तो प्रश्न ही नहीं उठता इन दिनों पैदल चलने में भी गड्ढों व खराब स्थिति के कारण कष्ट व गिरने का भय रहता है। कई बार प्रार्थना करने पर भी P.W.D. ने कोई ध्यान नहीं दिया।

और विषयों में कुछ न कह कर अपने जिले की दो-एक बात कहूंगी। हमारे जिले में बुनकरों की काफी आबादी है और हैन्डलूम का काम बहुत सुन्दर होता है पर उसकी खपत उचित परिमाण में नहीं हो पाती, क्योंकि उसका फिनिश मिल के कपड़ों की भांति उतना सुन्दर नहीं हो पाता। मेरा सुझाव है कि सरकार वहां केलेन्डरिंग मशीन लगवा दे, जिससे फिनिश वगैरह सुन्दर होने से माल की खपत ज्यादा हो तो बुनकरों को उनके परिश्रम का उचित फल मिले।

हमारे जिले व आसपास भदावरी भैंसें अधिक घी देने वाली होती हैं। जब घी की देश में कमी है, डालडा के प्रयोग से स्वास्थ्य पर हानि पहुंचती है तो सरकार को इन भैंसों के विकास व संख्या बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिये था। इस बजट में यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अब सरकार उधर ध्यान देने जा रही है।

इसी प्रकार जमनापारी बर्बरी बकरियों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इस सदन में दो माननीय सदस्यों ने महिलाओं के विषय में, जिनमें से एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कुछ अशोभनीय बातें कही हैं, जो नहीं कहनी चाहिए थी। आज वे मौजूद नहीं हैं। आपके द्वारा मैं सिर्फ यह पूछना चाहती हूं कि उन्होंने जो शब्द "फैशनेबिल" यूज किया है उसका क्या मतलब है। आप प्राचीन युग से लेकर आज तक के इतिहास के पन्ने उलट डालिये तो मालूम होगा कि श्रृंगार महिलाओं का एक जन्म-सिद्ध अधिकार है। किसी भी युग में श्रृंगार को बुरी दृष्टि से नहीं देखा गया है। पहले पान खाया जाता था, अब उसकी जगह पर लिपस्टिक लगाती हैं इससे समाज की कोई बुराई नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि उनके लिये तितिलियां वगैरह जो कहा जाता है वह कहने वालों के लिये शोभा नहीं देता है। वह भी तो आज बुशशर्ट, जो हम लोगों का पहनावा था, पहन कर घूम रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह कि इस सदन में उन्हें सुन्दर शब्दों में और शिष्ट शब्दों में कहना चाहिये।

श्री पुष्कर नाथ भट्ट—उन्होंने मना नहीं किया सिर्फ टैक्स लगाने के लिये कहा।

श्रीमती शान्ति देवी—मना नहीं किया तो वह पुरुष जो सज-धजकर निकलते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाना चाहिये। हमारे भाई पन्ना लाल जी ने कहा कि वह तितलियां हैं, यह नहीं कहना चाहिये था, वह उनके लिये शोभा नहीं देता। वह अपनी स्वतंत्रता कायम रखने के लिये इन बातों पर जोर देती हैं। मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि वह इस तरह का आक्षेप न करें। मैं एक बार पुनः माननीय वित्त मन्त्री को इतना सुन्दर बजट पेश करने के लिये धन्यवाद देती हूं।

***श्री नरोत्तम दास टंडन** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो बजट रखा है वह काफी अच्छा है। इसमें सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी का. जो कांग्रेस का कहना है, आभास मिलता है। सरकार ने टैक्सेशन के लिये जो प्रोपोजल रखे हैं वह मिडल क्लास और अपर क्लास के लोगों के लिये ठीक है। अभी युनियन गवर्नमेंट ने तीन आने गैलन पैट्रोल के दाम बढ़ा दिये हैं अब अपनी सरकार ने भी तीन आने बढ़ा दिये हैं। इसका नतीजा यह होगा कि

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

जिन बसेज पर गरीब जनता चलती है उनको बहुत ही कष्ट होगा, इसलिये कि उनका किराय बढ़ा दिया जायेगा, जो वह नहीं दे पायेंगे क्योंकि वह तो टैक्स के बोझ से तो यों ही लदे पड़े हैं। अगर बसेज का किराया न बढ़े तो कोई आपत्ति नहीं है, जितना भी पेट्रोल का आप दाम बढ़ाना चाहें फिर बढ़ा सकते हैं। जनता जो ग्रामों में रहती है उसके ऊपर भार न पड़े। हम लोग जो अपर और मिडिल क्लास के लोग हैं या सरकारी अफसर हैं उनपर भार हो जाय तो कोई बात नहीं वह बरदाश्त कर सकते हैं। गरीब जनता के ऊपर यह भार नहीं होना चाहिये। दूसरा टैक्स का प्रोपोजल रजिस्ट्रेशन पर है। मैं समझता हूं रजिस्ट्रेशन की फीस चार साल के अन्दर काफी बढ़ गई है। शायद चार गुना हो गई है। क्षमा कीजिये मैंने ऐसा ही समझा है। अब की दफा १०० के २०० हो जाने से यह बहुत ही दुखदाई हो गई है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ बड़े ही आदमी नहीं कराते हैं बल्कि मामूली काश्तकार भी कराते हैं। जब काश्तकार के ऊपर स्वयं इतना बड़ा टैक्स लगा हैं फिर आप उसको दूना कर दें तो वह बहुत ही अधिक बोझा उसपर हो जायेगा, जो वह बरदाश्त नहीं कर सकता है। तीसरा प्रोपोजल एन्टरटेनमेंट टैक्स का जो है मैं समझता हूं कि हमारे गरीब भाई जो दिन भर मेहनत करते हैं शाम को उनको सिवाय इसके कि अपने दिल बहलाने के लिये सिनेमा जांय या स्पोर्ट्स देखें और कोई मनोरंजन का साधन उनके लिये नहीं है। एक दम से ५० प्रतिशत बढ़ा देना बहुत ज्यादा होगा। सिनेमाओं में आज कल अधिकतर वे नवयुवक जाते हैं, जो कि कालेज या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। यह टैक्स तो उन के पिताओं पर पड़ेगा। जब उनसे पैसा लेंगे तभी तो सिनेमा जायेंगे। लिहाजा इस टैक्स से अधिक लाभ नहीं होगा। अगर इसमें कुछ कमी हो सके तो वह जनता के लिये अधिक सुविधाजनक होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि वित्त मंत्री जी प्रति वर्ष ऐसा बजट रखते हैं, जिसमें सदस्य अधिक नहीं कह सकें। हम समझते हैं कि वे डेफिसिट बजट इसलिये रखते हैं, जिससे सदस्य कुछ मांग न सकें लेकिन साल के अन्त में वे एक या दो करोड़ का फायदा दिखला देते हैं। पिछले वर्ष ९ करोड़ का डफिसिट था, लेकिन साल के अन्त मे उन्होंने एक करोड़ की बचत बतलाई।

इसके अलावा मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा, जैसा कि कुंवर गुरु नारायण जी ने भी कहा कि सरकार अधिक टैक्सेज लगाती जाती है और साथ ही नये-नये विभाग भी खोलती जाती है, कि सरकार को इन विभागों में एकोनामी करनी चाहिए। बहुत से ऐसे आफिसेज खोल दिये गये हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है। आज तो इतने आफिसर्स हो गये हैं कि हम लोगों की समझ में ही नहीं आता कि किस सीढ़ी से चलें ताकि आखिरी आफिसर के पास पहुंचे और अपना फाइनल आर्डर पा सकें। आफिसर्स में जरूर कमी होनी चाहिए।

इसके अलावा जो दूसरी पंच वर्षीय योजना चली है उसमें कहा गया है कि सरकार इस वर्ष व्यापार की ओर अधिक ध्यान देगी, परन्तु मैं इस बजट में देखता हूं कि केवल १६ करोड़ रुपये इन्डस्ट्री के लिये रखे गये हैं। १६ करोड़ रुपये साढ़े ६ करोड़ की आबादी के लिए कुछ भी प्रतीत नहीं होते हैं, इससे अधिक रखना चाहिए था। मैं इसकी मिसाल दे कर अपने इलाहाबाद की बात बतलाना चाहता हूं। आज ७ साल से वहां पर नैनी स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज की स्कीम चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आप क्षमा करेंगे, जब डाक्टर कैलाश नाथ काटजू, जो कि इस समय मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, यहां के इन्डस्ट्री मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि मैं इलाहाबाद को इन्डस्ट्रियल टाउन बना दूंगा। वहां पर बिजली चली गयी है और कालोनी भी तैयार हो गयी है लेकिन अभी तक वहां पर सिर्फ लिपटन कम्पनी और जैपुरिया साहब के अतिरिक्त कोई नहीं गया है। इलाहाबाद के इन्डस्ट्रियलाइजेशन का प्रश्न करीब दस वर्ष से अधिक हो गया होगा, चल रहा है, लेकिन आज दिन तक इलाहाबाद में कोई इन्डस्ट्री खुल नहीं पायी। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से और सरकार से प्रार्थना करूंगा

[श्री नरोत्तम दास टन्डन]
कि जिस शहर के बारे में जो निश्चय किया जाय, उस शहर को पहले इन्डस्ट्रियलाइज किया जाय या जो भी निश्चय किया गया हो, वह कर दिया जाय नहीं तो इस तरह से व्यर्थ में रुपया बरबाद जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि सैकड़ों रुपया ऐसी जमीन पर खर्चा किया गया है कि अगर उसमें अनाज पैदा किया जाता तो वह ऐसी उपजाऊ जमीन है कि उसमें हजारों मन अनाज पैदा हो सकता था, लेकिन उनको इसलिये बोया जोता, नहीं जाता है क्योंकि उनमें इन्डस्ट्रीज खोलने का निश्चय किया गया है, लेकिन आजतक वह जमीन वैसी ही खाली पड़ी हुई है। मैं तो कहता हूं कि या तो उस जमीन को एग्रीकल्चरिस्ट को रिलीज कर दिया जाय, क्योंकि अगर आप उसमें कुछ नहीं खोलना चाहते हैं तो कम से कम जब अनाज की देश में कमी है, तो उसमें अनाज ही पैदा किया जा सकता है, आज पूर्वी जिलों की हालत अनाज में बहुत शोचनीय है और पश्चिमी जिलों का हम पूर्वी जिलों वाले मुकाबला नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां तो हर चीज का इन्तजाम सरकार ने कर दिया है, परन्तु पूर्वी जिलों की तरफ सरकार ने अब निगाह दौड़ाई है, अब देखना यह है कि कितने दिनों में सरकार उसके ऊपर मेहरबानी करके कृपा करेगी।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जब यहां पर सरोजिनी नायडू गवर्नर थीं तब उन्होंने इलाहाबाद के मोतीलाल अस्पताल के बारे में कहा था कि यह बड़े शर्म की बात है कि इतने बड़े शहर में इतना खराब अस्पताल है, उसके लिये कितनी ही बार हमने कहा, परन्तु आज दिन तक वहां पर कोई अस्पताल नहीं बन पाया है। कभी कभी तो खबर आती है कि बन रहा है फिर बाद में खबर आती है कि उसका बनना रुक गया है। इसके ऊपर हमारे एक सदस्य, श्री अजय कुमार बसु ने प्रश्न भी पूछे थे कि क्या इलाहाबाद में अस्पताल बनना बन्द हो गया है तो उत्तर दिया गया है कि बन रहा है। एक दूसरा अस्पताल इलाहाबाद में तेज बहादुर सप्रू अस्पताल है, लेकिन उसमें भी कोई सुविधायें नहीं हैं, जो कि हम लोगों को मिल सकें, उसमें अभी बहुत कमियां हैं, वहां पर जब डाक्टरों से पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि हमारे पास इतना रुपया ही नहीं है कहां से क्या करें वह कहने लगे कि जो सुविधायें लखनऊ में हैं वह यहां पर नहीं हैं, आप बेकार में लखनऊ से चले आये, एक डाक्टर साहब मुझ को पहचानते नहीं थे, उन्होंने मुझे यह उत्तर दिया, तो मैंने उनसे कहा कि मैं यहीं का रहने वाला हूं, शायद आप मुझ को पहचान नहीं पाये तब उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना रुपया ही नहीं है और न हमको इतना रुपया दिया जाता है कि हम पूरी दवाइयों का इन्तजाम यहां पर रख सकें, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां पर पुराने जो टूटे फूटे अस्पताल हैं उनका ही कम से कम प्रबन्ध कर दिया जाय ताकि वहां पर जब जनता जाये, तो उसके रहने का और बेड्स का तथा दवाइयों का प्रबन्ध हो जाय। इसके अलावा मैं भी वही कहना चाहता हूं, जो कि हमारे एक माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि म्युनिसिपैलिटीज को सुपरसीड हुये पांच साल हो गये परन्तु अभी तक वहां पर कोई कारपोरेशन नहीं बना। मुझे इस बात के लिये क्षमा किया जाय उपाध्यक्ष महोदय कि आज आपके जरिये से मुझे यह कहने का मौक़ा मिला है कि जब हमारे मंत्री लोग जिलों में जाते हैं तो किसी को कोई पता नहीं चल पाता है। हमारे माननीय मंत्री जी इलाहाबाद गये तो उन्होंने वहां की जनता से मिलना-जुलना भी पसन्द नहीं किया, वह अपने आफिसरों से रिपोर्ट ले करके चले आये। मैंने वहां के एक एम० पी० से पूछा कि शायद उनको मंत्री जी मिले हों और हम लोग इस काबिल न समझे गये हों तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे भी नहीं बुलाया गया है। इस तरह से जो इकोनामी करने का तरीक़ा है तो इसके लिये यह तरीक़ा नहीं है कि मंत्री जी शहर में जायें और वहां के आफिसरों से मिलें और चले आयें, अगर आपको अपने आफिसरों से रिपोर्ट लेना ही है तो उसको यहां पर बैठे ही मांग सकते हैं, परन्तु जब किसी शहर में जायें तो उनका कर्त्तव्य हो जाता है कि जो माननीय सदस्य इस सदन के और उस सदन के वहां के हैं, उन लोगों को कम से कम बुला करके उनसे पूछा जाय कि तुम्हारे शहर में क्या दिक़्क़तें हैं। मुझे दुख हुआ कि

मैं भी माननीय मंत्री जी से मिलना चाहता था और उनको अपने शहर की गन्दगी दिखलाना चाहता था, जो कि उनके ऐडमिनिस्ट्रेटर की हुकूमत में वहां पर है। सोचा यह गया था कि एक आदमी की हुकूमत अच्छी होगी, हम लोग ४० आदमी अलग-अलग राय देते हैं, परन्तु हमने देखा कि ऐडमिनिस्ट्रेटर की हुकूमत में इलाहाबाद शहर में ऐसी गन्दगी बढ़ गई है कि जब हम लोग और आप लोग उसके सदस्य थे, तब भी इतनी गन्दगी हमने कभी नहीं देखी, जितनी कि आज वहां पर दिखाई देती है। १५, १५ दिन तक कूड़ा नहीं उठाया जाता है। मैंने ऐडमिनिस्ट्रेटर को दो तीन बार टेलीफोन किया, तो उसने जवाब दिया कि गधे वालों ने स्ट्राइक कर दिया है हम क्या करें। तो यह बात सोचने की है कि जब वह कुछ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, हम और आप करेंगे। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह इधर ध्यान दें और जो जनता की तकलीफें हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। सरकार को एक आदमी के हाथ में सारी ताकत नहीं देनी चाहिये। ऐडमिनिस्ट्रेटर ११ बजे आता है और १२ बजे चला जाता है। तो यह एक सोचने की बात है कि एक घंटे में सारे शहर का इन्तजाम कैसे हो सकता है। लोकल बाडीज का इलेक्शन जल्द से जल्द करना चाहिये। जब तक इलेक्शन नहीं होता है, कोई जनता का रिप्रेजेन्टेटिव होना चाहिये, जिसके जरिये से शहर का काम हो।

इसके अलावा अब मैं आकट्राइ रिफंडेबिल के बारे में कहना चाहता हूं। चार वर्षों में चार लाख रुपये की कमी हुई। सरकार ने इसके लिये कहा है कि यह चार लाख रुपया व्यापारियों से पूरा किया जाय। आप देखते हैं कि आज कल व्यापार दिन पर दिन कम हो रहा है और उसकी हालत गिरती जा रही है। सुपारी पर जो चुंगी १२ आने थी वह पांच रुपये कर दी गयी है। यह बात तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय सभी जानते हैं कि सुपारी एक ऐसी चीज है जिसको सभी खाते हैं। किसी को सुपारी आफर करना भारतवर्ष की सभ्यता में आता है।

श्री इन्द्र सिंह नयाल—आप ही ज्यादा सुपारी खाते होंगे।

श्री नरोत्तम दास टंडन—मैं तो पान ज्यादा खाता हूं। इसके अलावा एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां की जनता को बहुत ही कष्ट है जिस को जल्द से जल्द दूर करना चाहिये। म्युनिसिपल बोर्ड के शायद इलेक्शन नवम्बर में होने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भी इलेक्शन जल्द हो जाने चाहिये। वहां के लोग खुद इस बात को चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो। चूंकि मैं लोकल बाडीज से चुन कर आया हूं, इसलिये मुझे वहां की अधिक जानकारी है। ईश्वर वह दिन जल्द लाये जब इन लोकल बाडीज का इलेक्शन हो।

सरकार ने छठे दर्जे तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था कर दी है। यह एक अच्छी बात है। इससे लोगों को काफी आराम मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने संस्कृत पाठशालाओं के लिये कुछ भी नहीं किया है। सरकार को संस्कृत पाठशालाओं की ओर भी ध्यान देना चाहिये था। एक तो वैसे ही वहां पर बहुत कम विद्यार्थी पढ़ने के लिये आते हैं। हमारे यहां के नवयुवक वहां पढ़ना पसन्द नहीं करते हैं। जो लड़के गरीब होते हैं उनको कोई एक या दो रुपया महीना दे देता है, वही लड़के वहां पर आ कर पढ़ते हैं। हमारे भारतवर्ष के लिये संस्कृत भाषा बहुत ही आवश्यक है, इसलिये सरकार को संस्कृत पाठशालाओं की ओर जरूर ध्यान देना चाहिये और उनकी तरक्की का ख्याल रखना चाहिये। उसके ऊपर सरकार को बिल्कुल भी फीस नहीं लगानी चाहिये।

श्री डिप्टी चेयरमैन—आपका समय खत्म हो गया।

श्री नरोत्तम दास टंडन—जी हां, मैं अभी समाप्त करता हूं।

मुझे एक बात और कहनी है कि हर साल यहां पर रेन्ट कन्ट्रोल का बिल आता है और चार वर्ष पहले तो एक-एक साल की अवधि बढ़ाने के लिये आया था, उसके बाद दो साल के

[श्री नरोत्तम दास टंडन]

अवधि बढ़ाने के लिये आया था, फिर चार साल की अवधि बढ़ाने की बात थी तो इस बिल के लिये अब मैं ख्याल करता हूं कि अब यह बिल लैप्स हो जावेगा तथा सरकार इन वर्षों में काफी मकान बना लेगी, जिससे कि हर मनुष्य को इन में स्थान मिल सके और वे सुविधापूर्वक उसमें रह सकें। इन शब्दों के साथ में इस बजट का स्वागत करता हूं।

*श्री इन्द्र सिंह नयाल--उपाध्यक्ष जी, बजट की तफसील में छोटी-मोटी मदों के लिये दो राय हो सकती हैं और वे कह सकते हैं कि यह खर्चा नहीं होता तो अच्छा था या अमुक स्थान में अमुक खर्चा होता तो अच्छा था। लेकिन यह तफसील की चीज है और इसमें दो राय हो सकती है। इसकी तफसील का जो जिक्र हुआ है, तो बजट के अनुसार जो कार्य करने वाले हैं, वे समय पड़ने पर और आवश्यकता होने पर उन में तब्दीली भी कर सकते हैं। लेकिन बजट के इस आम बहस में, जिन सिद्धान्तों पर कि बजट आधारित किया गया है, उन्हीं के बारे में देखना चाहिये और सोचना चाहिये। मेरा इसके लिये नम्र निवेदन है कि इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे इस प्रदेश में हर पार्टी का यही सिद्धान्त है कि आम जनता का हित हो और हमारे देश से गरीबी और भुखमरी को मिटान का सभी का सतत प्रयत्न हो तथा इसके लिये सरकार का भी प्रयत्न हो, इस चीज को दृष्टि में रखते हुये यदि बजट को देखा जाय, तो पता चलेगा कि यह आम जनता का बजट है। इसमें प्राथमिकता या प्रायरिटीज तो पहले से ही निर्धारित की जा चुकी हैं, जिन पर किसी ने कोई भी आपत्ति न की तो इस सदन में ही उठाई और न बाहर किसी ने उठाई। वे प्रायरिटीज ह, जैसे शिक्षा, ईरीगेशन, काटेज इन्डस्ट्रीज आदि। हैवी इन्डस्ट्रीज तथा दूसरी चीज को भी प्राथमिकता देनी चाहिये और उनके लिये जितने भी साधन हमारे प्रदेश से उपलब्ध हो सकते हैं, वे माननीय वित्त मंत्री जी ने इस प्रदेश को आगे बढाने के लिये तथा यहां की आम जनता को तरक्की देने के लिये रखे हैं। यह बात सही है कि जहां तक तरक्की का सवाल है, सभी इसके लिये चाहते हैं कि हमारी मुसीबतें जल्दी से जल्दी दूर हों और हम जल्दी से जल्दी इस प्रदेश को समृद्धिवान देखें। किन्तु जो हमारे साधन हैं, उसके द्वारा जितना काम इस बजट के द्वारा आगे उठाया जा सकता है, वह उठाया गया है और बहुत सोच समझ कर उठाया गया है और इसके लिये सभी साधन उपलब्ध किये गये हैं। जहां तक बिजली आदि के करों पर छूट देने का सवाल है, गवर्नमेंट जितना उनके लिये कर सकती है, वह कर रही है और उनके स्थान पर ऐसी जगहों में जैसे सिनेमा आदि हैं, सरकार कर बढ़ा रही है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि यह बजट बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। इसमें करीब ९ करोड़ रुपया नई मदों के लिये है और इसमें ६ करोड़ रुपया आने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना की मदों के संबंध में है। इसमें चार करोड़ रुपया नान-रिकरिंग है और बाकी जो है वह आम चालू बजट के नई मदों का है। इसमें भी जो हैं, वे नान-रिकरिंग हैं, रिकरिंग नहीं हैं। ऐसी हालत में यह आशा की जा सकती है कि जो फाइव इयर प्लानिंग के लिए बजट में ६ करोड़ के करीब रुपया आया है उसमें काफी सहायता हम को केन्द्र से मिलेगी और केन्द्र से सहायता मिलने के बाद जो डेफिसिट इसमें इतना ज्यादा दिखाई देता है वह नहीं रहेगा। हमारा यह बजट सोशलिस्टिक पैटर्न के आधार पर पेश किया गया है। और उन सिद्धान्तों को देखते हुए इसमें आपत्ति की बात बिल्कुल नहीं है। अब जो दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इस सदन के अन्दर बहुत कुछ ऐडमिनिस्ट्रेशन के विषय में कहा गया है। यह जरूर है कि अच्छे से अच्छे बजट को चालू करने के लिए सुन्दर से सुन्दर ऐडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है वर्ना हमारे अच्छे से अच्छे मनसूबे बेकार होजाते हैं और वह उस हदतक पूरे नहीं होते, जिस हदकत हम चाहते हैं। इस समय सदन के सदस्यों ने सरकार का जो ध्यान शासन की ओर आकर्षित किया है, मैं उस से पूर्णतः सहमत हूं। क्योंकि मैं सोचता हूं कि यदि हम अपने नेताओं

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

को भुलावे में रखें कि शासन बहुत सुन्दर है, उसमें कोई खराबी नहीं है तो हम प्रदेश को बड़ा भारी धक्का पहुंचायेंगे, हम अपने प्रदेश को बड़ी भारी असेवा करेंगे। इसलिए हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है, जिसको आम जनता और हर आदमी कहता है कि नौकरशाही का बोलबाला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसको हम आप के द्वारा सरकार के सम्मुख रखें यह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है। मैं समझता हूं कि वह सब कुछ जो शासन के विषय में कहा गया है, मैं उससे सहमत हूं। यह सही है कि नौकरशाही का बोलबाला बहुत बढ़ गया है मैं उसमें इतना और जोड़ता हूं कि अंग्रेजों के समय में एक ब्युरोक्रेटिक रूल था लेकिन वह एक रिसपान्सबुल ब्युराक्रेसी थी। कलक्टर, कमिश्नर रिसपांसबिलिटी फील करते थे कि हमें अपनी अंग्रेजी सत्ता को इस देश में क़ायम करना है और उस ज़िम्मेदारी को वह हर तरह से निभाते थे। लेकिन आज जो नौकरशाही का बोलबाला बहुत ज्यादह बढ़ रहा है वह इरिस्पान्सबुल ब्युराक्रेसी है। किसी किस्म की ज़िम्मेदारी वह फ़ील नहीं करते। उनके अन्दर इस बात की ज़िम्मेदारी नहीं है कि इस काम को हमें पूरा करना है और इसके लिए हमें सरकार की इमदाद करनी है। तो ब्युराक्रेसी का बोलबाला बढ़ रहा है लेकिन वह इरिस्पांसिबुल ब्युराक्रेसी है। अगर ऐसी ब्युराक्रेसी होती जो यह कहती कि हमें इस बजट के मन्सूबे को पूरा करना है तो मैं समझता हूं कि इससे हमारा कोई अहित न होता, हित होता। लेकिन दुःख की तो यह बात है कि जो हमारा आइडियल है वह वहां नहीं है, कांग्रेस पार्टी का जो ध्येय है वह वहां हम नहीं पाते। वहां पोस्टिंग, ट्रान्सफर और प्रोमोशन यही सामने रहता है। इसका हमें बड़ा दुःख है।

बल्कि मैं तो यह निवेदन करूंगा कि टाप प्रायरिटी इस बात को देना चाहिये कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो जाय और यह कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर सरकार, विरोधी दल और जनता चाहे और सभी लोग इस तरफ ध्यान दें तो यह बात कठिन नहीं है कि हमारा शासन ठीक न हो। देखने में तो यह आता है कि विरोधी दल अपना फर्ज अदा नहीं करता है बल्कि कर्मचारियों में विशेषकर ऐसे कर्मचारियों से जो अपने काम में रत नहीं है उनसे उनका दोस्ताना होता है। अभी एटली साहब ने हमारे यहां भाषण दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि शासन को ठीक रखने की जिम्मेदारी बहुत कुछ विरोधी दल पर होती है, वह प्रश्न पूछ कर, खुले आम क्रिटीसाइज करके, प्रेस में जाकर के, प्लेटफार्म से स्पीच देकर शासन को क्रीटीसाइज कर सकता है क्योंकि उसको हर एक बात मालूम होती है। इस तरह से विरोधी दल पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है देश के शासन को दुरुस्त रखने की, तो अगर वह इस ओर अपना ध्यान दें कि शासन को दुरुस्त रखना है, तो यह चीज हमको हासिल हो सकती है। लेकिन देखने में आता है कि जब बजट आता है, तो वह कह देते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है लेकिन कभी भी कोई सुधार की बात पब्लिक या सरकार की नजर में नहीं लाते हैं। आज हम देखते हैं कि कोई अफसर भी विरोधी दल से नहीं डरता है, कांग्रेस वालों से तो कुछ डरते भी हैं लेकिन वह भी पूरी तरह से नहीं। अपोजीशन को तो यह अफसर अपना बन्धु समझते हैं और यही वोट के वक्त में होता है। तो अपोजीशन की वे जिम्मेदारी के कारण बहुत कुछ शासन बिगड़ रहा है। श्रीमान् मैं आपके द्वारा सदन की दृष्टि में यह बात लाना चाहता हूं कि यह बात अपोजीशन हमेशा अपनी नजर में रखे। शासन सुधारने की बहुत कुछ जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। अगर इस ओर अपोजीशन, गवर्नमेंट और दूसरी सब पार्टियां मिल कर प्रयास करें तो यह कोई मुश्किल की बात नहीं है। इस साल की बहस में सब का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है और मैं समझता हूं कि शासन में सुधार होगा।

श्रीमन्, मैंने अखबारों में २ शब्द वित्त मंत्री जी की स्पीच की समरी में देखे हैं। नाऊ और नेवर। यह शब्द उन्हीं की स्पीच में से हों या अलग से हों लेकिन यह मुझे बड़े अच्छे लगे। तो इस स्प्रिट में जिससे वित्त मंत्री ने प्रेरित होकर यह बजट पास किया है अगर उसी स्प्रिट से विरोधी दल तथा दूसरी पार्टियां काम करें तो फिर कोई कठिनाई किसी भी काम में न होगी और हम क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे और प्रगति क्यों नहीं करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसी स्प्रिट से हमें देखना है श्रमदान करने वालों को, टैक्सपेयर को इसी स्प्रिट से देखना चाहिये।

[श्री इन्द्र सिंह नयाल]

टैक्स देने वालों को कष्ट है किन्तु वह देखते हैं कि इससे देश का हित होगा सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेंगे और अस्पताल खुलेंगे। इस तरह से उनको टैक्स देने में खुशी होगी।

हमें आज जो देश की सेवा का मौका मिला है वह कभी नहीं मिलेगा, हम ऐसा मानकर अगर कार्य करें और जो ध्येय सरकार ने इस वक्त हमारे सामने रखा है उसको पूरा करें तो सब काम ठीक प्रकार से हो सकता है। काम यहां पर है और काम लेने वाले भी हैं और करने वाले भी हैं अगर इस स्प्रिट से लोग काम करें तो ध्येय पूरा हो सकता है। तो श्रीमन, मुझे आपसे यह निवेदन करना है। मेरा अभी टाइम नहीं हुआ है आप जो देख रहे हैं गलत देख रहे हैं। मुझे माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना है कि कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड यहां था वह कैसे डिफन्क्ट हो गया। क्या वह जनता के हित में डिफन्क्ट कर दिया गया। यह ख्याल है कि कुमाऊं की जनता को कष्ट है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार का ख्याल गलत रहा है क्योंकि अक्सर ऐसी बातें कुमाऊं के बारे में सुनने को आती हैं, जो सच नहीं होती हैं। अभी एक बहन ने कहा कि कुमाऊं में लड़कियां ३-३ हजार रुपये में बिकती हैं। वह शायद दौरे पर नैनीताल से रामगढ़ जा रही होंगी और रास्ते में किसी ने उनसे कह दिया होगा। तो कुमाऊं का विकास अज्ञान से नहीं हो सकता है बल्कि ज्ञान से होगा। तो कम से कम कुमाऊं डेवलपमेंट बोर्ड ऐसा था जहां अनुभवी लोग अपने अनुभव की बातें कहते थे और विकास के लिये सहायता देते थे। उसको डिफन्क्ट करके जनता का हित नहीं किया गया।

कुमाऊं में बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक सड़क बन गई है, जिससे बद्रीनाथ की यात्रा सुगम होगई है अब बहुत से लोग जाते हैं। इसी तरह से अल्मोड़ा में तिब्बत बार्डर तक भी सड़क का निर्माण हो रहा है, वहां पर सरकार ने स्कूल भी खोले हैं, हम सरकार के आभारी हैं और यह सब करना सरकार का कर्त्तव्य है। लेकिन इसके साथ साथ जो और पहेलियां और सवाल उठे हैं उनको सरकार ने नहीं सोचा। आप देखें बद्रीनाथ यात्रा में लाखों यात्री जाते हैं और फी आदमी करीब ५०० रुपया खर्च करता है और यह रुपया छोटे छोटे कुनबे वालों में बंटता था। अब वह साधन नहीं रहे।

यात्रा की सुविधा हुई, वहां जनता की सुविधा हुई और गल्ला सस्ता हुआ लेकिन जो मुख्य बात थी कि बीस-पचीस लाख रुपया, जो गरीबों को मिल जाता था वह चीज चली गई। जहां पर गाड़ी गई है वहां जितने छोटे-मोटे लोग जो सामान ढोने से और छोटी-मोटी दुकानदारी से अपना रोजी कमाते थे, उनका धंधा चला गया। वहां पर फिर से व्यवस्था करने की बात नहीं की गई है। कुमाऊं को सारे चित्र के अन्दर सोचना है। कहां पर इंडस्ट्री डेवलप हो, धन कमाने का किस प्रकार से साधन हो। दूसरी बात मैं श्रीमन् यह कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने जंगलात बढ़ाया था। मैं आप के द्वारा वित्त मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कुमाऊं के जंगल और वहां के मनुष्यों के जंगल में बहुत निकट का सम्बन्ध है। यदि उनमें बदलाव होगा तो वहां के मनुष्यों के जीवन में बहुत बदलाव हो जायेगा। वहां अंग्रेजी सरकार ने जमीन का सेटिलमेन्ट किया। उनका उद्देश्य आमदनी का था। उल्लेख भी है लोगों की कमेन्ट्री में। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर उन लोगों को कष्ट पहुंचायेंगे तो संभव है कि वे तराई में चले जांय और अंग्रेजों की कालोनी बना दिया जाय। वहां पर उनको बसाने का प्रयत्न किया गया लेकिन वे असफल रहे। लोगों के घर के नजदीक रिजर्व फारेस्ट बना दिया गया। उनकी औरतें घास काटने के लिये जाती थी तो उनको सजा देते थे। उनके उपजाऊ खेत जो थे उनको रिजर्व फारेस्ट में ले लिया गया। इस तरह से कई हजार एकड़ जमीन रिजर्व फारेस्ट के अन्दर ले ली गई। आज तो वेलफेयर स्टेट है इसलिये आज तो वेलफेयर स्टेट की दृष्टि से उस जंगलात का सेटिलमेन्ट होना चाहिये। जो स्थान उनसे पहले ले लिये थे उनको वापस होना चाहिये। और भी जो उपयोगी स्थान हैं जहां पर सिंचाई हो सकती है और आबाद हो सकता है उसको जनता को देना चाहिये। जहां पर पहले दो लाख की आबादी थी आज वहां पर ६ लाख की आबादी हो गई है। दूसरी तरफ ऐसे-ऐसे स्थान हैं।

बद्री नारायण की तरफ जाने में बड़े बड़े पहाड़ हैं लेकिन वहां से उनको फायदा नहीं होता है। वहां पर फारेस्ट लगाया जाय। काटेज इंडस्ट्री किस तरह से वहां पर बढ़े उस प्रकार से वहां पर बनस्पति लगाई जाय। यह एक तरीका वहां की गरीबी दूर करने का हो सकता है।

श्री डिप्टी चेयरमैन--आप का समय खतम हो गया।

श्री इंद्र सिंह नयाल--मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री डिप्टी चेयरमैन--एक मिनट के अन्दर कह दीजिये।

श्री इंद्र सिंह नयाल--मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनका जो सुन्दर स्लोगन है "नाउ एण्ड नेवर" वह कुमाऊं के लिये भी सुन्दर है।

***श्री कन्हैया लाल गुप्त**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर काफी कहा जा चुका है। मैं भी उन सदस्यों के साथ, जिन्होंने भाषण दिये हैं पिछले दो दिनों से अपनी राय मिला कर यह कहता हूं कि जो बजट इस सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया है उसके लिये वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। उपाध्यक्ष महोदय। बजट का तैयार करना एक कठिन काम है। खास तौर से आजकल के समय मे जब कि हम एक बहुत बड़े इन्कलाब या क्रान्ति के बीच से गुजर रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सब प्रकार की उन्नति देश में हो। हमारे साधन सीमित हैं। हमारी आवश्यकतायें अनेक हैं, विशाल हैं। सीमिति साधनों को लेकर इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का जो प्रश्न है वह वित्त मंत्री जी के सामने रहता है वह सरकार के सामने रहता है। उस पृष्ठभूमि से जब हम बजट को देखते हैं, तो सरकार के प्रति, वित्त मंत्री के प्रति इन बातों के लिये धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकते। उन्होंने जो कोशिश की है वह हमारे देश की और प्रदेश की तरक्की के लिये प्रशंसनीय है। किसी भी बजट के अंदर और खासकर ऐसे बजट के अंदर जो प्रगतिशील बजट है हमें पंच वर्षीय योजना की पूर्ति करने के लक्ष्य को सामने रखना पड़ता है। इस बात की भी आवश्यकता होती है कि हम अपनी आवश्यकताओं में प्राथमिकता का निर्णय करें। आज इस सदन में और उस सदन में जिन्होंने बजट पर भाषण को सुना है उन्होंने देखा है कि फिजूलखर्ची की बाबत काफी कहा गया है। मेरा विश्वास है कि आपने बजट को तैयार किया है। फिजूलखर्ची को कम करने की तरफ आपकी तवज्जह अवश्य रही होगी। प्राथमिकता का निर्णय करना, गैर जरूरी चीजों का पीछे रखना और आवश्यक चीजों को आगे रखना यह सब चीजें भी आपके सामने रही होंगी। बजट की तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि जिससे देश की प्रगति में जनता का सहयोग मिले। जनता के अंदर उत्साह हो और अपना योगदान दे। कोई भी सरकार कैसा भी बजट बना ले जब तक उसको जनता का सहयोग नहीं मिल पाता है, तब तक उसके उद्देश्य की पूर्ति में सफलता नहीं मिलती है। तो मैं सोचता हूं कि जब उन्होंने बजट तैयार किया होगा तब ये सब चीजें उनके दिमाग में रही होंगी। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने बजट के पन्ने उलटे हैं तो मुझको बहुत सी बातें मिली हैं, जिनके लिये मैं कहता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय किया है। अगर मुझे वक्त होता तो मैं उनका वर्णन करता। मुझे मालूम है कि मेरे वक्त पर पाबंदी लगी है। मुझे चंद मिनट मिले हैं। मेरा फर्ज हो जाता है कि जो काम आपने पिछले वर्षों में अच्छे किये हैं और जो आगे करने जा रहे हैं उनके लिये हम आपके कृतज्ञ हों। हम उनमें आपके सहयोगी हैं और आपको उनके लिये धन्यवाद देते हैं। उन कामों में हम आपका सहयोग करेंगे। मैं समझता हूं कि जो चंद मिनट मुझे मिले हैं उनका उपयोग उन बातों पर करूं, जिनके विषय में मुझे आलोचना करनी है।

जब मैंने निवेदन किया कि मुझे कुछ विषयों की आलोचना करनी है तो सरकार गलत न समझे। मेरा मंशा उन कामों की तरफ ध्यान दिलाने का है। चाहे मैं इस तरफ बैठता लेकिन मेरा यह ख्याल रहा है कि मैं इस सरकार के लिये उतना ही सोचता हूं जितना कोई हमारे भाई जो उधर बैठते हैं, सोचते हैं। ज्यादा से ज्यादा गलतियां प्वाइन्ट आउट करना

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]
हमारा फर्ज है जिस फर्ज को अदा करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। यह जो बजट है इसमें बहुत सी चीजें गौर करने के लिये हैं। मैं तो चाहूंगा कि हर सदस्य फिर से इस बजट को देखे और जो कमियां हैं वह सरकार को बतलायें। जहां इस बजट के द्वारा हमारी तरक्की होने जा रही है वहां इस बजट के द्वारा ऐसी चीजें भी की जा रही हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को भविष्य में जाकर धक्का भी लग सकता है। टैक्स के तरीक़े, रिजर्व फारेस्ट से बारोविंग करने का तरीक़ा और डेट बजित के तरीक़ों से मालूम होता है कि हमारे प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वह गड़बड़ होने जा रही है। यह बात इतनी बड़ी है कि यदि मैं इसकी व्याख्या करने की चेष्टा करूं, तो मेरा सारा वक्त इसी में खतम हो जायेगा। इसलिये इतना ही कहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इतना कहलवाने की कोशिश की है कि इस प्रदेश की फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर बहुत ठोस है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है और बहुत सी बातों में बनावट भी है। मिसाल के लिये कहूंगा है वी इन्डस्ट्रीज जिनकी कि अन्डरटेकिंग ली गई है वह लूजिंग की तरफ जा रही है और हमारे देश के उद्योगपति लाखों करोड़ों रुपये उनसे कमा रहे हैं। गवर्नमेंट की प्रीसीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी की बाबत जो देखा तो मालूम उससे होता है कि हमारे पब्लिक सेक्टर की हालत बहुत शोचनीय है। कम से कम जैसा दिखाई पड़ता है उसके अनुसार जरूरी है कि हम देखें कि यह अन्डरटेकिंग कहां तक ठीक लाइन पर चलती है। माननीय वित्त मन्त्री जो इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट की अन्डर टेकिंग की बैलेन्स शीट जनता के सामने नहीं आती है और इसी का कारण है कि हम इस कदर नुक़सान बरदाश्त करते जा रहे हैं। जो प्लैनिंग का टारगेट फिक्स किया गया था वह ठीक तरीक़े से उपलब्ध नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर के अन्दर और भी कुछ फैक्टरीज कायम होने वाली हैं, उसके लिये मैं कहूंगा कि एक सेन्ट्रल कमेटी उनके सुपरवीजन के लिये हो, जिसमें भिन्न २ एसोसियेशन्स के लोग हों, तो ज्यादा अच्छा होगा। इस बात को सुझाव के रूप में सरकार के सामने रखना चाहता हूं। इसके जरिये टैक्स पेयर्स को कान्फीडेन्स होगा और जो गवर्नमेंट कांस्ट्रक्ट कर रही है वह भी साउन्ड होगा।

शिक्षा के विषय में बहुत सी बातें यहां पर कहीं गई हैं। मैं भी वक्त ब वक्त काफ़ी कहता रहा हूं, फिर भी बहुत सी बातें यहां कहना आवश्यक हैं और उनकी एक मात्र व्याख्या मेरे ख्याल में यह है कि इन्सान को इन्सानियत के रूल से रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत आज उपलब्ध नहीं है। आखिर हमने जो योजनायें बनायी हैं या आगे बनानी हैं उनका उद्देश्य यह नहीं है कि हम एक मोटा-ताजा, अच्छे मकान में रहने वाला और साफ-सुथरे कपड़े पहिनने वाला एक मिट्टी का पुतला भविष्य में तैयार करें, जिसकी न कोई संस्कृति हो, जिसके अन्दर कोई अनुभूति न हो और जिसके अन्दर मनुष्य के उद्देश्यों को समझने की कोई शक्ति न हो। यदि हमारी कोई योजना हो सकती है तो वह उचित और ठीक है लेकिन उसके सामने यह होना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए इसकी तस्वीर साफ-साफ हो। मैं इसके लिये हमेशा अपनी सरकार को अपराधी समझता आया हूं। मुझे इस बात की तकलीफ रहती है कि ये गांधी जी के उत्तराधिकारी का दावा करने वाली सरकार ने अपनी प्लानिंग के अन्दर इन्सान के लिये जो वास्तविक वस्तुयें जीवन की हैं, उनको हमेशा दरगुजर किया है। उसने ठीक प्रकार से जीवन को कहां पर पहुंचा देना है, उसका उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है। वे वेस्टर्न कन्ट्रीज की तरफ गये हैं। उसने समझा है कि रोटी, कपड़ा और मकान का इन्तजाम कर देने से सब ठीक हो जायेगा। लेकिन यह गलत बात है। अगर इन्सान की लाइफ के बारे में ठीक तरह से प्लानिंग नहीं किया जायेगा, उसके जीवन के उद्देश्य को ठीक तरह से तैयार नहीं करेंगे तो जो रोटी, कपड़ा और मकान के लिये चेष्टा कर रहे हैं वे भी पूरे नहीं होंगे। पहली और दूसरी पंच वर्षीय योजनाओं के लिये जो कुछ भी कहा जाय हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं कि ये योजनायें उस रूप से सफल नहीं हो रही हैं जिस रूप में हम चाहते हैं। मैं इस सरकार को इस पर वापस

लाना चाहता हूं कि वह देखे कि मनुष्य का जीवन उचित रूप में ढालने की क्या वस्तु है और जब मैं यह कहता हूं तो मेरा ध्यान शिक्षा की ओर जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि शिक्षा के तीन स्तर होते हैं प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर । मैं आप के द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज तीनों स्तरों पर शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है, जिसको बयान नहीं किया जा सकता । अगर इन तीनों के लिये कहा जाय तो मैं यह बयान करूंगा कि इसके लिये यह सरकार शत प्रतिशत उत्तरदायी है । उसी ने इसको ऐसा बनाया है । प्राथमिक शिक्षा के बारे में केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्री डाक्टर श्रीमाली ने कहा है कि हमें पहले इस शिक्षा को ठीक करना है । उन्होंने कहा है :

"Quality of teacher must get the first priority in our plans."

जिस शिक्षा को केन्द्रीय सरकार प्रथम स्थान दे रही है उसको हमारी सरकार कोई भी स्थान नहीं दे रही है । अध्यापकों को नीचा गिराने के लिये, उनके जीवन को दुखी बनाने के लिये तथा उन्हें नाना प्रकार के कष्ट पहुंचाने के लिये इस सरकार की ओर से जो कुछ हो सकता था वह उसने बराबर किया है । छोटी सी छोटी बात के लिये कहा गया कि आप इसको इस तरह से कर दीजिये तो उसको तंग किया । छोटी-छोटी बातों के लिये, अध्यापकों की उन्नति के लिये और शिक्षा की उन्नति के लिये कहा गया तो कुछ भी नहीं किया गया । विद्यालंकार जी सिर हिला कर कह रहे हैं कि मैं गलत कह रहा हूं । उनका कहना ठीक है क्योंकि मेरी बात कड़ुवी है । प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों के साथ हमारी सरकार ने इतना बड़ा अत्याचार किया है कि जिसकी कोई हद नहीं है । मैं आप से निवेदन करूं कि कितने ही सालों से हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप यदि प्राथमिक अध्यापकों के लिये कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके बच्चों के लिये ऐसी सुविधा कर दें, जिससे वे पढ़ सकें । हमारे कहने का मतलब यह था कि उनको फीस इत्यादि में रियायत दे दें । नतीजा क्या निकला कि १०० रुपये से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को ९ वीं क्लासमें आधी फीस मुआफ कर दी गयी है लेकिन वे अध्यापक जिनको चपरासी, स्वीपर्स तथा अन्य निम्न श्रेणी के कर्मचारियों से कम वेतन मिलता है उनके बच्चों को किसी प्रकार की रियायत देने के लिये सरकार तैयार नहीं है, हां १०० रुपये तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को यह रियायत देने के लिये तैयार है । मैं उसको खिलाफत नहीं करता, मैं तो इस बात को कहता हूं बार-बार कि इस प्लानिंग का बेसिस है प्रायरिटी कि किस बात की ज्यादा जरूरत है और किस बात की कम जरूरत है लेकिन आज इस बात को दर गुजर कर दिया गया है । आज हमें यह मालूम हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर यह नियम बनाया गया है हाल ही में वहां के हर कर्मचारी को २० या २५ रुपये डियरनेस एलाउन्स मिलेगा लेकिन उसमें टीचर्स के लिये एक खास नियम बनाया गया कि उनको किसी भी तरह से १२ या १३ रुपये से ज्यादा महंगाई नहीं मिलनी चाहिये । चपरासियों के लिये वह नियम नहीं है, किसी भी दूसरी तरह के क्लर्क के लिये यह नियम नहीं है किसी दूसरे कर्मचारी के लिये नहीं है, केवल अध्यापकों को एक लाइन में छांट करके यह नियम बना दिया गया है कि उसको १२, १३ रुपये से ज्यादा डी० ए० नहीं मिलने पाये और इस तरह के भी अध्यापक हैं कि जिनको केवल ६ ही रुपया मिल रहा है । मुझे कुछ वर्ष पहले भारतीय शिक्षा कानफ्रेंस में जाने का मौका मिला तो उसमें राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि सभी शिक्षा की बात कहने को आते हैं लेकिन यह सुनकर हमें तकलीफ होती है और वह यह कि सेकेन्डरी एजूकेशन के लिये यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिये बहुत से कमीशन और कमेटीज बैठी हैं लेकिन कहीं पर भी यह सुनने में नहीं आया कि प्राइमरी एजूकेशन के लिये कभी कोई कमेटी या कोई कमीशन बैठा हो । हमने भी बार बार इस बात को यहां पर कहा है कि आप प्राइमरी एजूकेशन के सुधार के लिये एक कमेटी बैठायें लेकिन हमारी इस सरकार ने उसको हमेशा ठुकराया है और तो कोई ऐसी बात इस बजट के अन्दर नहीं है, ओल्ड एज पेन्शन के लिये २५ लाख का इस बजट में प्राविजन

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

किया गया है और हम इसका स्वागत करते हैं, हालां कि मुझे इस बात में शक है कि उसके द्वारा वह उद्देश्य पूरा होगा, जो कि होना चाहिये, लेकिन मैं एक दूसरी बात की ही ओर आपके जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और शायद इस सदन के सदस्य मेरी इस बात को सुन कर आश्चर्य करेंगे और मुझ से खिलाफत करेंगे कि इस बजट के अन्दर छठवीं क्लास तक फीस माफ करने के लिए ३५ लाख रुपये का प्राविजन किया गया है, मैंने इसके बारे में भाषण सुने भी और पहले जो भाषण हुये हैं, उनसे यही मालूम हुआ है कि सभी ने इसका स्वागत किया है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और मैं इसको बड़े जोरों के साथ मुखालिफत करता हूं। मैं समझता हूं कि यह बात गलत की गयी, क्यों? आज इस बजट के मौके पर माननीय वित्त मंत्री जी ने टैक्सेशन के मुतालिक जो कुछ कहा, उसको देखने पर पता चलता है कि उनकी कोशिश इस बात की है कि हर वैलुएबुल सोर्स को टैप करें, जहां से हमें डेवलपमेंटल ऐक्टिविटी को बढ़ाने के लिये कुछ मिल सकता है, उसको टैप करके निकालें, ऐसी सूरत में यह जो फीस म्वाफ करने का प्राविजन किया गया है, मैं समझता हूं कि गलत है। मुझे एजूकेशन स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य होने का मौका मिला और वहां पर एक बार यह बात आयी थी कि पांचवीं क्लास तक की शिक्षा को फ्री कर देना चाहिये और उसके लिये एक करोड़ का प्राविजन किया गया था, उस समय मैंने उसका भी विरोध किया था। इसी तरह से इस छठी क्लास तक की शिक्षा को फ्री करने के लिये ३५ लाख का खर्चा किया जा रहा है, उसका भी मैं विरोध करता हूं। कारण यह है कि आज एजूकेशन जिस हालत में है वह शिक्षा शिक्षा नहीं है बल्कि अशिक्षा है। इस शिक्षा को अगर आप इस तरह से सस्ता करें और इस बात की शिक्षा देते हैं तो मैं बजाय इसके अच्छा यह समझता हूं कि इसको थोड़ा मंहगा कर दीजिये, लेकिन उसको सच्ची शिक्षा बना दीजिये। इसलिये वह सच्ची शिक्षा नहीं तब तक बन सकती है जब तक कि जो उसका संचालन करते हैं, अध्यापक हैं, वह अच्छी हालत में न हों। मेरा कहना यह है कि आज जो वक्त की मांग है वह यह है कि जब हर इन्सान अपनी-अपनी जरूरियात को पूरी करता जा रहा है तो, अगर शिक्षा पर टैक्स की बात आती है तो उसमें उसको कोई उज्र नहीं होना चाहिये। आज जब हम टैक्सेशन की बात कर रहे हैं और इस हद तक बात करते हैं कि नमक पर टैक्स देने के लिये तैयार हैं, अनाज पर टैक्स की बात आयी है तो अनाज तो हमारी सबसे बड़ी प्राइमरी नीड है, उस पर जब टैक्स की वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा जो है उसको हम फ्री करना चाहते हैं। मैं पूछता हूं कि आखिर क्यों? आप जितनी फीस को माफ करते हैं, उतना ही रुपया आप टैक्स लगा कर वसूल कर लेते हैं। प्राइमरी शिक्षा में चार या पांच आने फीस होती है। चार या पांच आने फीस माफ करके आप एक गार्जियन को रिलीफ देते हैं और दूसरी तरफ एक अध्यापक, जो कि देश के निर्माण में एक बहुत ही बड़ा काम करता है, उस की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। जो लड़के बहुत ही गरीब हों उनकी फीस जरूर माफ होनी चाहिये। इसी तरह से यह ३५ लाख का प्राविजन है। मद्रास स्टेट ने सन् १९२५ में जब कि हमारे यहां अंग्रेजों की हुकूमत थी, एजुकेशन सेस लगा कर रुपया जमा किया था और उससे शिक्षा की तरक्की की। आज हम और आप सब देखते हैं कि शिक्षा के मामले में उसने कितनी तरक्की की है और हमारी स्टेट से वह कहीं आगे है। लेकिन हमारी स्टेट क्या चाहती है? वह फीस तो जरूर माफ करती है, लेकिन और किसी बात की तरफ ध्यान नहीं देती है चाहे पढ़ने और पढ़ाने वाले जानवर हो कर ही स्कूल से क्यों न निकले। मैं इस फाल्स एकोनामी को गलत समझता हूं। आज १० वर्ष से अध्यापक एक जबान हो कर सरकार से कह रहे हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हमारी सरकार के कान अंग्रेजों के कान से भी कहीं अधिक बहरे हैं। मैं समझता हूं कि शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार के कान बहुत ही बहरे हैं।

सेकेन्डरी स्कूलों के जो अध्यापक हैं उनकी सर्विस की कहीं पर भी सेक्युरिटी नहीं है, १०-१० और १२-१२ वर्ष तक काम करने वाले अध्यापकों को जब चाहते हैं निकाल देते हैं और

जैसा चाहते हैं उनके साथ व्यवहार करते हैं। एक अध्यापक जो काफी योग्यता रखता है और काफी दिनों से काम भी करता है उसको एक ही दिन में निकाल दिया जाता है और उसकी कहीं भी कोई सुनवायी नहीं होती है। मुझे आज ही एक कागज मिला है, जिसमें आगरे के एक बहुत बड़े कालेज के प्रिंसिपल के बारे में लिखा हुआ है। यह कालेज बहुत ही नामी कालेज है और वहां के प्रिंसिपल के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया गया। मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों ने उनको निकाल दिया और कुछ सदस्यों ने प्रिंसिपल को बहुत ही खराब-खराब गालियां दीं और इसके बाद उनको पीटा। जो कागज मेरे पास आया है उसमें लिखा हुआ है कि अपमान उस समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, जब कि प्रबन्ध समिति के सदस्यों के संकेत पर दो लड़कों ने प्रिंसिपल महोदय के गले में जूतों की माला पहनाई तथा उनकी पिटाई की। एक सदस्य ने उनको सैकड़ों गालियां दी। उपाध्यक्ष महोदय, यह खत मुझे आज मिला है। डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी से मुझे इसके बारे में कुछ चीजें मालूम हुई हैं। इस खत को पढ़ने के बाद मैंने तफसील से मालूम किया तो मुझे पता लगा कि वहां पर और भी बहुत सी बातें हुई हैं। मैंने डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल को, डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजकेशन को और सेक्रेटेरियट लेविल पर कई खत लिखे, लेकिन मुझे किसी का भी जवाब नहीं मिला। और ऐसा बर्ताव एक पुराने प्रिन्सिपल के साथ किया जाय, यह कहां तक उचित है। प्रिन्सिपल कोई भी गलती करे, क्या यह उचित है कि मैनेजिंग कमेटी उसे मारे, गालियां दे और लड़कों द्वारा उनको जूतों की माला पहनाई जाय। अगर कोई रिपोर्ट की जाती है, तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं इस सदन के सामने ५ साल से बराबर इस चीज को अर्ज करता चला आ रहा हूं कि इस तरह की बातें आज सभी स्कूलों में होती चली आ रही हैं, तो ऐसी अवस्था में कोई क्या पढ़ सकता है और क्या पढ़ा सकता है। मैं इस बात को कहता रहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं सरकार के प्रति बहुत अकृतज्ञ हूं और उसके खिलाफ गलत बातें कहता रहता हूं। मेरा यह निवेदन है कि इस सदन में यह तो सभी को पता है कि इस तरह के स्कूलों की व्यवस्था को ठीक करने के लिये और उनमें सुधार करने के लिये एक बिल लाये जाने की बात बहुत दिनों से थी और गवर्नर महोदय के एड्रेस में भी यह बात कही गई थी। खैर, बिल बड़ी मुश्किलों से लाया गया और सेलेक्ट कमेटी के विचारार्थ भेजा गया, लेकिन वह बाद में खत्म कर दिया गया। मैंने इसके लिये सभी जगहों को चिट्ठियां लिखीं, लेकिन कहीं से भी मुझ को उत्तर नहीं मिला। ऐसा मालूम हुआ कि सरकार के ऊपर इस तरह का दबाव पड़ा कि वह इस तरह का बिल न लाये और उसने वैसा ही करना उचित समझा। इससे प्रतीत होता है कि आज सरकार के वायदों का कोई मूल्य नहीं रह गया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब सरकार किसी बात के लिये वादा कर देती है, तो फिर उसको क्यों पूरा नहीं करती है। सरकार की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी तथा गवर्नर द्वारा कोई बात कहीं जाती है और वादा किया जाता है और मिनिस्टर साहब १० दफे कहते हैं, मगर उससे भी कोई नतीजा नहीं निकलता है। मुझे इस सम्बन्ध में एक किस्सा याद आ गया। अंग्रेज कलेक्टर एक जिले में गया और वहां के गांव में कहत पड़ा था, तो उसने गांव वालों से इस बात का वादा किया कि इसके लिये उनको १५ हजार रुपये तकावी मिलेगी। उसने बोर्ड आफ रेवेन्यू को १५ हजार रुपये की मंजूरी के लिये भेजा, लेकिन वहां वालों ने उसको मंजूर नहीं किया। वह खुद बोर्ड आफ रेवेन्यू के आफिस में गया और उसने कहा कि मैंने उस गांव वालों से वादा कर लिया है कि उनको १५ हजार रुपया तकावी दी जायेगी, इसलिये वह रुपया उनको मिलना ही चाहिये। मगर बोर्ड आफ रेवेन्यू के आफिस ने उस रुपये की मंजूरी नहीं दी। इस पर उसने १५ हजार रुपये कर्ज लिया और गांव वालों को रुपया दिया। उसने कहा कि गांव वाले क्या जानते हैं कि बोर्ड आफ रेवेन्यू क्या होता है। उसने खुद १५ हजार रुपया कर्ज लिया और अपनी तनख्वाह में से उन रुपयों को कटाया, लेकिन अपने वादे को पूरा किया। आज इस सरकार के वायदों की तो कोई कीमत ही नहीं है। छोटे-छोटे या बड़े-बड़े जो भी वायदे कर दिये जाते हैं, जब तक वे पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक उनके लिये कोई आशा नहीं रखनी चाहिये। इस बिल के सम्बन्ध में जो कुछ

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

मैंने कहा या इस समय कह रहा हूं, उसके लिये आप हाउस की प्रोसीडिंग्स निकाल कर देख लीजिये। यदि मैंने कोई गलत बात कह दी हो, तो मुझे जो भी उचित सजा समझी जाये, वह दी जाय। मैं तो ऐसी बातें इसीलिये कहता हूं कि सरकार मुझे दोष दे और मुझ से नाराज हो, लेकिन सरकार मुझसे नाराज भी नहीं होती। मैं चाहता हूं कि माननीय हाफिज जी मुझसे नाराज हो जायें, लेकिन वे नाराज नहीं होते। इस प्रकार की पालिटिक्स से आज की सरकार ने अपने सेन्सज को बिल्कुल ब्लन्ट कर दिया है। मैंने मिनिस्टरों को चिट्ठियां लिखीं, दूसरे आफिसरों को तथा कइयों को चिट्ठियां लिखीं, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी जवाब मुझे नहीं मिलता है। कैसे मैं समझूं कि इस सरकार द्वारा जनता की उस तरह से भलाई होगी, जैसा कि इसके लिये कहा जाता है।

मैं सेकेन्डरी एजूकेशन के इम्प्लायमेंट्स की बाबत कहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय जब आप आज्ञा देंगे, मैं बैठ जाऊंगा।

श्री डिप्टी चेयरमैन--आप का समय खत्म हो गया है, लेकिन आप ५ मिनट और ले लीजिये।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--आप को धन्यवाद।

मेरी आप से अर्ज यह है कि सरकार जो भी काम करती है, उसमें उस को यह देखना है कि उनके काम क्यूम्यूलेटिव इन्टेरेस्ट में हो रहे हैं या नहीं, अर्थात् सामूहिक हित के लिये हो रहे हैं या नहीं और इस संबंध में उसकी यह अवहेलना कब तक चलेगी। शिक्षा शिक्षकों के द्वारा नहीं चल रही है; शिक्षकों से कभी नहीं पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का हो राज्य ऐसा है जिसके अन्दर शिक्षा उन लोगों की सलाह से चलती है, जिनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं, कमरों में बैठ कर बड़े से बड़े फैसले कर लिए जाते हैं। आज प्रदेश में बहुत बड़ा असंतोष है, अध्यापकों के द्वारा हड़ताल करने की बात आती है, मैं उसको पसंद नहीं करता, उससे बालकों का बहुत बड़ा अहित होता है। लेकिन मैं पूछता हूं कि अध्यापक क्या करें। मर रहे हैं, पिस रहे हैं। मैं कहता हूं कि अध्यापकों का अहित होता तो मुझे कष्ट न होता। अध्यापकों की कब्र भी अगर आप उठा सकते और उससे देश का कल्याण होता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। लेकिन मैं जानता हूं कि आप अध्यापकों को पीस कर हिन्दुस्तान को नहीं उठा सकते, यह नहर और बांध हिन्दुस्तान का भविष्य नहीं हैं। हिन्दुस्तान का भविष्य वह बच्चे हैं, जिन्हें आप उठाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का चरित्र ऐसा हो जो जवाहरलाल ऐसे बच्चे पैदा कर सके और जो विश्व की दबी और पिसी हुई आवाज को उठा सकें तो अवश्य ही आप को अध्यापकों की ओर ध्यान देना होगा। गोरखपुर युनिवर्सिटी में सारे अप्वाइन्टमेन्ट्स हो गए, आज अखबार में आता है कि सारे अप्वाइंटमेन्ट्स टेलोग्राफिकली कैंसिल कर दिए गए। यह युनिवर्सिटी है कि खिलवाड़ है। एमरजेन्सी पावर्स के मातहत सारे अप्वाइन्टमेन्ट्स किए जाते हैं। एक अगस्त को यूनिवर्सिटी खुलने वाली है और ३० जुलाई को खबर आती है कि सारे अप्वाइन्टमेन्ट्स कैंसिल कर दिए गए तो यह कैसा खिलवाड़ है। बहुत सी बातें हैं, कहां तक कहूं। किताबों की बाबत कैफियत यह है कि पांचवें दर्जे को एक किताब है उसमें लिखा है कि गंगा के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। एक बहुत बड़े अफसर के जरिए से किताबें छापी जाती हैं। उसका बड़ा लम्बा चौड़ा दफ्तर है। यह सब बातें ऐसी हैं कि सुबह से शाम तक कहूं तो पूरी न हों। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कैफियत कब तक चलेगी। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लेना है। मैं अपनी आखिरी बात पर आना चाहता हूं और वह यह है कि हम एक प्लानिंग पीरियड के थ्रू गुजर रहे हैं, जिसमें सरकार और जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा सहयोग की जरूरत है। आज फिजूल

खर्चों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि सरकार और जनता के बीच में बहुत भारी खांई होती जा रही है। इसको पाटने की जरूरत है। हमारे यहां काफी मिनिस्टर्स हैं, सभी ने बड़े-बड़े बलिदान किए हैं, लेकिन उनका और पब्लिक का साथ छूटता जा रहा है। कुंवर साहब ने यह बात कही कि डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। हमें उनके द्वारा कोई काम होता नहीं दिखाई दे रहा है। मैं भी पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज और डिप्टी मिनिस्टर्स के दफ्तर में कभी कभी जाता हूं तो मुझे कुछ लोग तो बड़े बिजी मालूम होते हैं और कुछ लोग दरबार लगाते हुए और मक्खी मारते हुए नजर आते हैं। मुझे यह ज्ञात है कि जनता में बहुत ज्यादा असंतोष है और डिप्टी मिनिस्टर्स के पास काम नहीं है। मेरा ख्याल है कि इन डिप्टी मिनिस्टर्स को हमारी सरकार को युटिलाइज करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो हमारे पोर्टफोलियोज का डिवीजन है, जहां तक मिनिस्टर्स का ताल्लुक है वह ठीक है। लेकिन पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्रीज और डिप्टी मिनिस्टर्स जिनकी तादाद करीब करीब बीस है, मेरा ख्याल है कि अगर वह पोर्टफोलियोज के साथ जबरदस्ती अटैच न किए जायें तो ज्यादा अच्छा हो। उनको हम एरिया मिनिस्टर्स की शकल में तब्दील कर दें। एरिया मिनिस्टर्स से मेरा क्या मतलब है यह मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आज पबलिक के अन्दर बड़ा भारी डिस्कन्टेन्टमेन्ट इस बात का है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर उनको सुना जाय तो उनको सुलझाया भी जाय। वह कागज लखनऊ भेजते हैं और लखनऊ वाले उसको समझ नहीं पाते हैं और हर कोई लखनऊ आ नहीं सकता है तो मेरा ख्याल है कि यह जो २० डिप्टी मिनिस्टर्स हैं इनको दो-तीन जिलों में बांट दिया जाय। १५ दिन तो वह लखनऊ में रहें और १५ दिन वह अपने एरिया में रहें और वहां के लोगों के पास जायं, उनकी शिकायतें सुनें और जिनको दूर करने का प्रयत्न वहां पर हो सकता हो उनको वहीं पर दूर कर दें, बाकी को यहां लखनऊ में आकर देखें। यदि यह प्रक्टिस एडाप्ट की जाय तो लोगों का डिसकान्टेन्टमेन्ट बहुत कुछ दूर हो सकता है। लोगों की बहुत कुछ शिकायतें दूर हो सकती हैं। इस तरह करने से मेरा ख्याल है कि बहुत फायदा होगा।

एक बात की ओर मुझे और आपका ध्यान दिलाना है और वह यह है कि जहां हम सरकार को दोष देते हैं वहां मैं अपने को भी दोष देता हूं। मेरा कहना है कि हर एक मेम्बर की बड़ी जिम्मेदारी है और वह अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभावें इसके लिये मैं एक सजेशन मेम्बरों को देना चाहता हूं और उसको मैंने अपने जिले मथुरा में ट्राई भी किया था। हम लोगों ने जो अपने जिले के लेजिस्लेटर्स हैं इसको ट्राई किया है और इससे बहुत फायदा हुआ है। मेरा सजेशन यह है कि हम लोग एक जिले के जितने लेजिस्लेटर्स हों उनको चाहिये कि वे अपने यहां एक कमेटी फार्म करें और हर एक मेम्बर १०-२० रुपया कन्ट्रीब्यूट करके एक परमानेन्ट आफिस रन करे। हमको २५०, ३०० रुपया यहां से मिलता है उसमें से हम आसानी से १०-२० रुपया कन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस रुपये से वहां हम एक सेन्ट्रल आफिस रन करें। एक आदमी रखें और खुद भी एक दो दिन का समय दें। लोगों को हम इनवाइट करें और उनकी तकलीफों को सुनें। उन तकलीफों को सुन कर आपस की मीटिंग में डिसकस करें और बाद में उनको सरकार के पास भेजें और जो दूसरी शिकायतें हों उनको डिस्ट्रिक्ट के लेविल पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेज दें। यदि ऐसा किया जाय तो बहुत काफी काम हो सकता है और लोगों की तकलीफें दूर की जा सकती हैं। यदि हमारी बात सुनी गई और यदि हमने सरकार का काम इस तरह से बटाया तो बहुत लाभ होगा। हमको न सिर्फ निगेटिव साइड में बल्कि पाजिटिव साइड में देखना होगा और सरकार के निर्माण के कार्यों में हाथ बटाना होगा। यह जो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं इसके लिये सरकार नहीं कसूरवार है बल्कि हम कसूरवार हैं। मैंने जो बातें कही हैं यदि वह ठीक हैं और ठीक प्रासपेक्टिव से सरकार उनको देखेगी तो इस प्लान का उद्देश्य सफल होगा।

*श्री महफूज अहमद किदवई (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, बजट के मुतालिक तो यह कहना जरूरी है कि इसको मिनिस्टर साहब ने बहुत मेहनत से बनाया है, और इसमें पूरी कोशिश की गई है कि जनता की बहबूदी की जाय।

(इस समय ४ बजकर ३१ मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

अब इसके मुताल्लिक यह कहना कि यह सोसाइटी के मुताबिक है और इसमें जितनी बातें जनता चाहती है वह सब हो जायेंगी तो यह तो कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। सबको जितनी उसकी आमदनी है उसी के अन्दर उसको खर्च करना पड़ता है। ग्रान्ट्स के मुताल्लिक कहा गया है कि लैप्स हो जाती है। यह होता है। इसमें कुछ गलतियां हैं, साल भर इन्तजाम नहीं किया जाता है और आखिर में जब देखा जाता है कि लैप्स हो रही है तो कोशिश की जाती है और उस वक्त, वक्त बहुत कम रह जाता है, इसलिये लैप्स हो जाती है। मैंने एक ब्लाक में देखा भैंसों के खरीदने के लिये तकावी का १,००० रुपया रखा हुआ था, ३० मार्च को इत्तिला मिलती है कि इस तकावी को देना है और उस वक्त सवाल यह उठा कि ऐसे आदमी को दे दिया जाय जिसके लिये जमानत लेने में दिक्कत न पड़े। उन्होंने जल्दी में ऐसे आदमी को तकावी दे दी जिसकी जमानत में मुसीबत नहीं थी। मैंने उस पर एतराज किया तो मुझे बताया गया कि इत्तला ३१ मार्च को मिली है कि यह रुपया देना है और मेरे पास चन्द घंटे का वक्त था तो ऐसे आदमी को तकावी दी गई जिसकी परसनल जमानत हो सकती थी। तो सरकार को यह चाहिये कि वक्त खत्म होने से पहले तहकीकात आम कर ले कि कौन सी ऐसी ग्रान्ट है जो अभी तक काम में नहीं आई है। अभी लो ग्रूप हाउसिंग के लिये एक बड़ी ग्रान्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर से यू० पी० को दी गई थी और उसका करीब ३० फी सदी रुपया यू० पी० में सर्फ हुआ। मैं सेन्ट्रल के मिनिस्टर से मिला उन्होंने कहा कि यू० पी० ने एक बड़ा अच्छा मौका खो दिया और बहुत बड़ी तादाद में रुपया लैप्स हो गया और अब जब रुपया सेन्ट्रल से मांगा जाता है तो उनको एतराज हो रहा है और देने में ताम्मुल हो रहा है।

एजूकेशन के मुताल्लिक मुझे यह अर्ज करना है कि आपने छठे दर्जे तक की फीस माफ की है, यह काफी नहीं है। इससे यह होगा कि एक लड़का जो पढ़ने में अच्छा है और इस साल छठा पास कर लेता है और सातवें में आ जाता है तो उसको कोई फीस माफ नहीं होगी और जब दूसरे साल आप सातवें दर्जे की फीस माफ करेंगे तो वह आठवें दर्जे में पहुंच जायेगा तो इस तरह से उस लड़के को कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। इसलिये मेरा कहना यह है कि आप को एक साथ लागू करना चाहिये। इस कनसेशन के लिये आप को सोचना होगा। सर्विसेज के बारे में बहुत बुरा भला कहा गया है। यह अच्छी बात नहीं है, यह वह सर्विसेज हैं जिन्होंने आजादी के बाद दंगे के जमाने में देश को संभाला। कुछ उनमें से खराब हो सकते हैं। उनके लिये नौकरशाही और ब्युरोक्रैसी कहना इन्साफ की बात नहीं है और गवर्नमेंट के लिये कहना नाइन्साफी है। गवर्नमेंट पर यह हमला है कि मिनिस्टर न समझते हैं, न देखते हैं और अपने सेक्रेटेरियट के कहने पर चलते हैं। मिनिस्टर तो बहुत ऐसे हैं जो १५ साल से मिनिस्टर हैं और कुछ उनमें से १० साल से हैं। कोई ऐसा नहीं हो सकता है जो अपने सेक्रेटरी से डरे। अब तो सेक्रेटरी भी बहुत ज्यादे पुराने हैं। हमारे मिनिस्टर तो ऐसे तजुर्बेकार हो गये हैं कि हमारे मेम्बरों के लिये यह बात नामुनासिब हो गई है कि आजादी के दस वर्ष के बाद जो हिन्दुस्तान की तरक्की हुई है और जो दूसरे मुल्कों को मुतासिर कर रहा है, उसमें ब्युरोक्रेसी का जिक्र करें। पुलिस के खिलाफ अभी तक शिकायत काफी आती रही इतना नहीं जितना चार पांच साल पहले। अब भी शिकायत काफी आ रही है। अक्सर पुलिस की शिकायत मुझको करनी पड़ती है। मगर उसको भी मौका मिलना है और

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

ज्यादातर उसमें कसूर अवाम का है जो उनको रिश्वत देती है। हमारा काम है कि हम पब्लिक में ऐसी स्पिरिट पैदा करें कि जो नामुनासिब रिश्वत मांगने पर हरगिज न दे। अलबत्ता जो मुक़द्दमे में देर हो रही है। छोटे-छोटे मुक़द्दमे, जो १० मिनट में तय हो सकते हैं उसमें साल भर लग जाता है। दो साल लग जाय, तीन साल लग जाय तो यह दस्तूर की गलती है। उसके लिये गवर्नमेंट को तवज्जह करनी चाहिये। उसको कमीशन बैठाना चाहिये ताकि जो इसमें तवालतें हैं उसको वह रफा करे। इस बजट में ओल्ड एज पेन्शन रखा गया है। यह कोशिश की गई है कि इस बजट में कुछ वेलफेयर स्टेट का नमूना पेश किया जाय। वेलफेयर स्टेट के माने तो यह है जैसा पंडित जी ने कहा है। वह जिम्मेदारी ले सकती है फ्राम बर्थ टू डेथ। इसमें देखा जाय कि अगर कोई आदमी ६७ वर्ष ६ महीने का भी हो गया है तो उसको भी पेंशन दी जाय। इसकी ग्रान्ट के लिये एक ऐसी कमेटी बनाई जाय जिसमें नान-आफिशियल एलिमेन्ट ज्यादा हों।

६ आना फी यूनिट बिजली गवर्नमेन्ट ने मंजूर की है। बाराबंकी में जो बिजली चार्ज है उसके बारे में वहां के कनज्यूमर्स एजीटेट कर रहे हैं। वहां के मिडिल मैन की मांग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिये है। वह हिन्दुस्तान में सब से हाइएस्ट है। पहाड़ में १३ आने युनिट ६ महीने पहले थी। बाराबंकी के लिये वहां के लोगों ने ६ आना फी युनिट की मांग की और हाइडिल इलेक्ट्रिसिटी के लिये की। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जितने दिन रेजिस्ट कर सकती थी उतने दिन किया उसके बाद हाइडिल इलेक्ट्रीसिटी उसको लेनी पड़ी। जो लाइसेंस के रूल्स हैं उनमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स कंपनी खुद मुक़र्रर कर सकती है। नौ आना फी यूनिट बाराबंकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ने डोमेस्टिक कंजम्प्शन के लिये मुकर्रर किया है और ढाई आना यूनिट फार इंडस्ट्रियल परपसेज़ रखा है। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को देती है तीन आना फार डे डोमेस्टिक और ६ पैसा फार इंडस्ट्री। तो थ्री टाइम्स दी गवर्नमेंट रेट कंपनी चार्ज करती है। तीन आना पर यूनिट वह कन्ज्यूमर को देती है नौ आना पर यूनिट कंपनी चार्ज करती है। यह ऐसा सवाल है जिसमें गवर्नमेंट को सोचना है। मैंने मिनिस्टर साहब से बातें कीं, वे कहते हैं कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐक्ट है जो उनको इंसाफ नहीं करने देता है। बाराबंकी म्युनिसिपैलिटी के अंदर रहना वहां के कन्ज्यूमर्स के लिये इतना गरां हो गया है कि उनको ९ आना फी यूनिट चार्ज वहां देना पड़ता है और जब बाहर निकलते हैं तो ६ आने फी यूनिट देहातों में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। इंडस्ट्रीज बाराबंकी में कैसे तरक्की कर सकती हैं। जब तक वहां इंटरमीडियरी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है। किस तरह से कम से कम चार्जेज हो सकते हैं यह चीज देखनी है। एक पाई का फर्क लाखों रुपये का असर रखता है। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इंडस्ट्रीज को कुचल देगी। वे कम्पटीशन में नहीं ठर सकेंगी। मैं यह कहता हूं कि आप इंसाफ करें। जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसको निकालें। अगर डैमेजज़ मांगे तो जिस प्रकार राजा बलरामपुर थे, महमूदाबाद थे जो इंटरमीडियरी थे उनको कम्पेन्सेशन दिया तो क्या उससे ज्यादा कम्पेंसेशन देना पड़ेगा। काफी जनता परेशान हो रही है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप सोचिये कि यह नावाजिब बात है या नहीं। आप इंसाफ करिये और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को खत्म कीजिये। जैसे आपने सीतापुर में किया है और दूसरी जगहों पर कम्पेन्सेशन देकर ले लिया है उसी तरह यहां भी कर सकते हैं। अगर क़ानून मजबूर करता है तो मैं कहता हूं कि आप अपने रेट कम कर दीजिये। ६ आना यूनिट बाराबंकी कन्ज्यूमर को देना पड़े आप इसका प्रबन्ध करिये। आप इसमें चाहे जितना नुक़सान उठायें। इंसाफ तो यही है। कोआपरेशन पर कुछ मुझे कहना है। कोआपरेशन के अलग मिनिस्टर हैं। जिलों में कोआपरेशन का कोई असर नहीं मालूम होता है। कोआपरेटिव फार्मिंग वगैरह सब पेपर पर हैं। गांवों में कहीं चले जाइये किसी के पास तीन बीघा खेत है, किसी के पास चार बीघा है और किसी के पास एक एकड़ है। होना तो यह चाहिए कि सब मिला कर एक किये जांय। कोआपरेटिव फार्मिंग के द्वारा मैनेजमेंट किया जाय। आपकी जितनी तरक्क़ी की स्कीमें हैं वह देहातों में बहुत ही कम हैं। जहां कहीं ब्लाक बने हैं वहां थोड़े खड़न्जे लगा दिये गये हैं। इसके अलावा

[श्री महफूज अहमद किदवई]

और कोई चीज नहीं दिखाई पड़ती है। आपका पहला पांच साला मन्सूबा आया और गुजर भी गया, मगर देहात में किसी ने नहीं जाना कि कब आया और कब गया। सेकेन्ड फाइव ईयर्स प्लान चल रहा है, मगर कोई देहात में नहीं जानता कि क्या हो रहा है। इसमें देखिये यह कि कोआपरेटिव फार्मिंग, कोआपरेटिव हाउसिंग और कोआपरेटिव ट्रेडिंग हो और जब तक इन तीन चीजों पर कंसेन्ट्रेट नहीं करेंगे तब तक देहात में कोई तरक्की नहीं होगी।

मेडिकल के बारे में कहूंगा कि एक दफा एक डाक्टर के बारे में काफी लिखा कि इन-डोर पेशेन्टस बनाने के लिये अपनी निजी फीस मुकर्रर कर ली है, गालिबन उसकी तहक़ीक़ात हो, मगर कुछ नहीं हुआ। इसलिये कहूंगा कि इस डिपार्टमेंट पर कड़ी निगरानी की ज़रूरत है क्योंकि एक गवर्नमेंट की अच्छाई और बुराई जानने के लिये कुछ टेस्ट्स होते हैं। आज जो मरीज हैं इनको देखता हूं कि आसानी से मेडिकल कालेज में दाखिल नहीं हो पाते। एक-एक बेड के लिये तीन-तीन हफ्ते इन्तज़ार करनी पड़ती है। मैंने एक पेशेन्ट के भरती के लिये बराबर खत लिखा तीसरे हफ्ते में जाकर उसको बेड मिली।

दूसरी चीज आज लड़कों का ऐडमिशन आसानी से नहीं हो रहा है। युनिवर्सिटी में एक-एक प्रोफेसर के पीछे बीसों लड़के लगे रहते हैं कि ऐडमिशन हो जाय। कुंवर साहब को मालूम है कि कितनी सिफारिश उनको करनी पड़ती है। तो देखना है कि कोई गलती कहां से है वह कैसे रोकी जा सकती है। आपको जानना चाहिये और उसको दूर करना चाहिये। आज कोई भी लड़का पढ़ना चाहे तो उसका ऐडमीशन जरूर होना चाहिये। अगर गलत ऐडमीशन मांगता है तो उसके लिये आप इन्स्ट्रकशन्स ऐसे बनाइये जो सही डाइरेक्शन दे। तीसरी बात कि किस तरह से गवर्नमेंट जांची जा सकती है वह होता है उसके अनइम्प्लायमेंट से। अनइम्प्लायमेंट कोई बुरी चीज नहीं है, मगर देखिये कि क्या उनके साथ आप बिहेव करते हैं। यही बातें हैं जो आज गवर्नमेंट को यही अपने ही हाउस वाले बुरा कहते हैं।

बन विभाग के रेन्जरों, असिस्टेन्ट कन्जरवेटरों तथा डिप्टी कन्जरवेटरों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में आधे घंटे की बहस

श्री चेयरमैन---माननीय सदस्यों को यह याद होगा कि २५ जुलाई को यह तय हुआ था कि श्री पन्ना लाल गुप्त के तारांकित प्रश्नों के उत्तर पर आज आधा घंटा बहस होगी।

श्री कन्हैया लाल गुप्त---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर ये असिस्टेंट कन्जरवेटर्स इतने सालों तक क्यों टेम्पोरेरी रहे और उन का मामला पब्लिक सर्विस कमीशन को क्यों रेफर नहीं किया गया ?

श्री चेयरमैन---आप को जो कुछ पूछना है वह एक बार पूछ लीजिये और फिर मिनिस्टर साहब अपना स्टेटमेंट देंगे। उसके बाद जिन सदस्यों ने सवाल पूछने के लिये नाम दिये हैं उनको भी प्रश्न पूछने का मौक़ा दिया जायेगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त---पहली बात यह है कि तीन असिस्टेन्ट कन्जरवेटर्स ९ साल तक अस्थायी रखे गये और पब्लिक सर्विस कमीशन को उनकी पोस्ट्स नहीं गयी। यह भी कहा गया था कि चूंकि ये अस्थायी पोस्ट्स थी, इसलिये पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस बात को मैं नहीं समझ सका और इन दो बातों की ओर मैं सरकार का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि इस पर माननीय मंत्री महोदय प्रकाश डालने की कृपा करें। दूसरी बात यह है कि वहां पर कितनी पोस्ट असिस्टेन्ट कन्जरवेटर्स के कैडर्स की परमानेन्ट थीं तो उन परमानेन्ट कैडर के लोगों को यह प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया। बहुत डिप्टी कन्जरवेटर्स थे जो कि आफिसियेट कर रहे थे तो उनको क्यों परमोशन

नहीं दिया गया। फिर जो असिस्टेन्ट कन्जरवेटर्स परमानेन्ट थे पहले उन को परमोशन मिलना चाहिए था। लेकिन जो लोग ९ साल से टेम्पोरेरी थे उनको बिना पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफ्रेंस किये हुये ही परमोशन दिया गया है। ये सब बातें जो हुई हैं उनके बारे में मंत्री महोदय से प्रकाश डालने के लिये प्रार्थना करता हूं।

*श्री सैयद अली जहीर (न्याय, वन, खाद्य व रसद मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, यह मामला पुराने जमाने का है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है तो डिपार्टमेंट अभी डेढ़ महीने से मेरे पास आया है। इसमें जो सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है इसके बारे में मुझे यह अर्ज करना है कि असल में पहले यहां पर एक सर्विस थी जिस को यू० पी० अपर सबार्डिनेट फारेस्ट सर्विस कहते थे। यह सन् १९३५ में कायम हुई थी। ये सभी लोग इसमें थे और उसमें काम कर रहे थे। लेकिन बाद में यह तय हुआ कि यह जो यू० पी० अपर सबार्डिनेट फारेस्ट सर्विस है उसको खत्म कर दिया जाय, चुनान्चे यह खत्म कर दी गयी और ये लोग पहली अप्रैल, सन् १९४७ से जो कि उसके टेम्पोरेरी मेम्बर थे उनको यू० पी० फारेस्ट सर्विस का मेम्बर बना दिया गया, जिसका ओहदा असिस्टेन्ट कन्जरवेटर होता है। इस तरह से ये लोग इसमें टेम्पोरेरी तौर पर रहे। जब आगे के लिये अप्वाइन्ट का सवाल आया तो यह सोचा गया कि जो हमारे आदमी मुस्तकिल हैं उन में से लिये जांय क्योंकि उन्हीं में से आगे के लिये रेक्रूटमेंट होता है या इन लोगों को लिया जाय, जिन्होंने काफी अर्से तक काम कर लिया है। तो जो हमारी एक डिपार्टमेन्टल कमेटी है उसने फैसला किया कि ये तीनों आदमी जो हैं ये बहुत काफी पुरानी सर्विस के हैं और साथ ही रिटायर होने के करीब भी हैं। अगर इनका रेकार्ड बहुत अच्छा हो तो इन लोगों को इस सर्विस पर मुस्तकिल कर दिया जाय। उनको डिप्टी कन्जरवेटर आफ फारेस्ट बना दिया जाय, जहां पर कि वह इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि यह मामला पब्लिक सर्विस कमीशन को जाना था लिहाजा जो यहां की डिपार्टमेंटल कमेटी थी, उसने जब मंजूर कर लिया, तब उसके बाद अक्तूबर में यह तीनों आदमी इस पोस्ट पर अप्वाइन्ट कर दिये गये और जो पुराने कैन्डीडेट रेगुलर लाइन के थे और डाइरेक्ट रिक्रूटेड कैंडिडेट थे, उनको नहीं किया गया, इस वजह से कि उनका एक्सपीरिएन्स कम था। मेरे ख्याल में ४ वर्ष से भी कम उनका तजुर्बा है, इसलिये ऐसे आदमियों को इतनी हाई पोस्ट पर तरक्की देना मुनासिब नहीं समझा गया और यही मुनासिब समझा गया कि इनको तरक्की दे दी जाय। यह जरूर है कि इनमें से कुछ तो आन दि वर्ज आफ रिटायरमेंट थे और उन में से एक को तो एक्सटेंशन भी दिया गया कि वह एक साल, दो साल और रहें, चुनाचे अब रूल्स में तब्दीली की गयी है और रिटायरमेंट की उम्र ५८ साल तक की कर दी गयी है, इसलिये अब उनकी सर्विसेज से डिपार्टमेंट को फायदा होगा। असल में जो कुछ भी किया गया है वह डिपार्टमेंन्ट के बेस्ट इन्टरेस्ट में किया गया है, एक तो यह कि वह ऐसी सर्विस में थे जो कि अबालिश हो गयी थी और दूसरी बात यह कि इस सर्विस पर उन को टेम्पोरेरी तौर से मुकर्रर कर दिया गया था। उनके कनफरमेशन का सवाल था और उनका केस पब्लिक सर्विस कमीशन को कनफरमेशन के लिये भेजा गया था अब वह वहां से मंजूर हुआ है। मैं एक बात और अर्ज कर दूं, अभी थोड़े दिन हुये, मुझे तारीख मालूम नहीं है, फाइल पर शायद यह नहीं है, उनका मामला जो पब्लिक सर्विस कमीशन में गया हुआ था, वह वहां से आ गया है और कन्फरमेशन के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन ने—I mean the Public Service Commission has held that they should be confirmed, and now that they will be confirmed, the confirmation will date back to the day on which they had been selected by the Departmental Committee.

---

*मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

जिनको डिपार्टमेंटल कमेटी ने सेलेक्ट किया था, उनको उस दिन से जिस दिन से कि वे सेलेक्ट किये गये परमानेन्ट समझा जायेगा और यह समझा जायेगा "दैट दे वेयर परमानेन्ट आन दैट पोस्ट ऐज असिस्टेंट कन्जरवेटर सिन्स दि डेट आफ देयर सेलेक्शन।" इसलिये अब कोई आबजेक्शन बाकी नहीं रह गया।

अभी जब मैं नैनीताल गया था, तो कुछ लोग ऐसे थे जो इससे इफेक्ट हुये हैं और जो परमानेन्ट कैडर पर थे, वे मेरे पास आये, मैं उनसे मिला और उन्होंने अपना एक रिप्रेजेन्टेशन गवर्नमेंट को दिया है। उसमें बहुत तफसील के साथ सभी प्वाइन्ट्स लिखे हुये हैं। मैंने उसको अभी अच्छी तरह से एग्जामिन नहीं किया है क्योंकि यह मामला जरा कम्पलीकेटेड है और इसमें सर्विस रूल्स का भी सवाल आ सकता है, तो मैं फिर एक दफे इस केस को देखूंगा, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अभी यह मामला ऐसा है जो कि बहुत पहले का है और चूंकि यह डिपार्टमेंट कुछ ही दिन से मेरे पास आया है, इसलिये मेरे लिये यह समझना जरा मुश्किल है कि वाकई में ऐसा हुआ है। अगर कहीं ज्यादती हुई हो, हालां कि मैं नहीं समझता कि ऐसी बात हुई है, जो कि विद इन रूल्स न हो, फिर भी मैं इस को दुबारा एग्जामिन करूंगा और अगर कोई ऐसी बात पाई गई, तो जो हमारा किसी चीज को ठीक करने का तरीका रहा है, आइन्दा भी वही रहेगा।

श्री चेयरमैन--अगर आप को इससे सम्बन्धित और कोई प्रश्न पूछने हों, तो आप पूछ सकते हैं ?

श्री कन्हैया लाल गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि इसकी जो डिपार्टमेंटल कमेटी थी, उसके पर्सनल कौन कौन थे ? इसका जवाब नहीं दिया गया है और दूसरी बात यह है कि यह पोस्ट ९ साल तक पब्लिक सर्विस कमीशन को बिना रिफरेन्स के क्यों टेम्पोरेरी रहीं। जो डिप्टी कन्सरवेटर एप्वाइन्ट हुये हैं, उसकी तफसील तो माननीय मंत्री जी ने दी है, लेकिन ९ साल तक वे क्यों टेम्पोरेरी रहे- इसका जवाब सुनने में नहीं आया है।

श्री सैयद अली जहीर--अब जहां तक मैं समझता हूं कि डिपार्टमेंटल कमेटी जब उसको सेलेक्शन करना होता है, उसी वक्त बनाई जाती है और यह मामला बहुत पुराना है, इसलिये मुझे मालूम नहीं है कि उसके मेम्बर कौन थे क्योंकि इसकी तफसील इस फाइल में भी नहीं है। जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजे जाने का ताल्लुक था। वह तो मैंने अर्ज किया था कि वह इसलिये जरूरी था क्योंकि वे पुरानी सर्विस में थे और वह सर्विस अबालिश हो गई, इसलिये उनको नई सर्विस में रखा गया। उस वक्त यह सवाल नहीं था कि इसको पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजा जाय या क्या किया जाय। उस वक्त तो सवाल यह था कि हमें इन तीन पोस्टों पर रिक्रूटमेंट करना था और उसके लिये हमें अच्छे आदमी नहीं मिल रहे थे, तब हम ने यह तय किया कि इसकी सर्विस में जो पुराने लोग हैं, उन सबको लेकर के कमेटी ने उनके सेलेक्शन के बारे में गौर किया और यही समझा कि इनसे ज्यादा बेहतर काम करने वाले दूसरे नहीं मिल पायेंगे, इसलिये उनको अप्वाइन्ट कर दिया गया। जहां तक मैं फाइल से समझा हूं, उसकी सूरतेहाल यही है। बहरहाल, मैं एक दफा फिर गौर करूंगा क्योंकि कुछ लोगों का रिप्रेजेन्टेशन आया हुआ है, उनसे मैंने वहां पर भी बातचीत की और फिर उनको यहां पर भी बुलाया है। उनसे मैं बातचीत कर के पूरी तरह से छानबीन करके इस मामले को देखूंगा और उसके बाद जो फैसला होगा, वह आप को बतला दिया जायेगा। उससे आप को मालूम हो जायेगा कि असल बात क्या थी।

(इस समय श्री पन्ना लाल गुप्त बोलने के लिये खड़े हुये)।

श्री चेयरमैन--मैं आप को इजाजत तो दे दूंगा, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि जो नियम बने हुये हैं, हर सदस्य को उनका पालन करना चाहिये। यदि सदस्य ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत कठिनाई होगी। रूल में दिया हुआ है :--

"There shall be no formal motion before the Council nor voting. The Member who has given notice may make a short statement and the Minister concerned shall reply briefly. Any Member who has previously intimated to the Chairman may be permitted to put a question for the purpose of further elucidating any matter of fact."

अब श्री पन्ना लाल जी कुछ पूछना चाहें, तो पूछ सकते हैं।

श्री पन्ना लाल गुप्त--रूल्स में आज्ञा नहीं है, इसलिये मैं कुछ नहीं पूछूगा।

सदन का कार्यक्रम

श्री चेयरमैन--कल बजट पर बहस जारी रहेगी।

मैं एक बात यहां पर फिर कह देना चाहता हूं कि हमारे यहां के सभी माननीय सदस्य सुबह के समय ही बोलना चाहते हैं। सुबह के समय ४५ मिनट तो प्रश्नों में निकल जाते हैं बाकी जो समय बचता है उसमें मुश्किल से चार या पांच सदस्य ही बोल पाते हैं, तो इस तरह से बहुत मुश्किल पड़ती है। सुबह के वक्त दो घंटे में से सिर्फ सवा घंटा ही मिलता है और उसी समय में सब सदस्य बोलने की कोशिश करते हैं। कल बोलने के लिये ७-८ माननीय सदस्यों के नाम मेरे पास आये हैं। मैं यह चाहता हूं कि १०-१० और १५-१५ मिनट से ज्यादा कोई सदस्य समय न लें, क्योंकि दूसरे सदस्यों के लिये भी समय निकालना होता है।

श्री चेयरमैन--कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ५ बज कर ५ मिनट पर दूसरे दिन, दिनांक ३१ जुलाई, १९५७ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गयी।)

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
८ श्रावण, शक संवत्, १८७९।
(३० जुलाई, सन् १९५७ ई०)

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पृष्ठ ३९४ पर)

ANNEXURE I

Statement showing the names of the Gazetted Officers of the Electric Inspectorate with the town visited by them on the dates noted against each town.

1. **Sri H. L. Kashyap. Electric Inspector to Government, U. P.**

Allahabad	..	January 9, March 5 and April 29, 1957.
Varanasi	..	February 11, 1957.
Madras	..	March 29 and 30, 1957.
Shahjahanpur	..	April 7, 1957.
Hathras	..	April 23, 1957.

2. **Sri P. N. Mulla, Assistant Electrict Inspector:**

Varanasi	..	January 5 to 7, 1957 and February 24, 1957.
Ghazipur	..	February 3, 1957.
Faizabad	..	January 8, 1957.
Allahabad	..	January 9 to 11, 1957, January 26, 1957, February 12, 1957, February 20, 1957. April 4 to 10, 1957 and May 7, 1957.
Mirzapur	..	May 7, 1957.
Bhadohi	..	February 26, 1957.
Gorakhpur	..	February 18 and 19, 1957.

3. **Sri R. K. Satsangi, Assistant Electric Inspector:**

Etah	..	January 2 to 4, 1957.
Kasganj	..	January 4, 1957.
Budaun	..	January 5 and 6, 1957.
Bareilly	..	January 7 and 10, 1957.
Bara Banki	..	January 18, 1957.
Kanpur	..	January 24, 1957, February 21, 1957 and March 26, 1957.
Unnao	..	February 21, 1957.
Jhansi	..	March 27, 1957.
Bangar Mau	..	April 25, 1957.
Mathura and Vrindaban.	..	May 24 to 28, 1957.

4. **Sri L. S. Mathur, Assistant Electric Inspector:**

Haldwani	..	January 17, 1957 and March 29 and 30, 1957
Rudrapur	..	January 18, 1957.
Bareilly	..	January 19, 20, 21 and 22, 1957, February 12 and 13, 1957 and March 27 and 28 1957.
Pilibhit	..	January 23, 1957 and March 26, 1957.
Budaun	..	May 28, 1957.

Almora	..	May 29 and 30, 1957.
Naini Tal	..	May 31 and June 1, 1957.

5. **Sri P. K. Srivastava, Assistant Electric Inspector :**

Agra	..	January 11 and 12, 1957, February 11 and 12, 1957, April 6, 7, 8, 9 and 10, 1957 and April 22, 1957.
Vrindaban	..	February 13, 1957.
Firozabad	..	February 23, 1957 and April 5, 1957.
Etawah	..	April 4, 1957.
Aligarh	..	April 11, 12, and 19, 1957.
Bulandshahr	..	April 13, 1957, and May 28, 1957.
Lakhauti	..	May 29, 1957.
Kasganj	..	May 31, 1957.

6. **Sri J. N. Ghoshal, Assistant Electric Inspector :**

Hardoi	..	January 21, 1957.
Shahjahanpur	..	January 23, 1957.
Unnao	..	January 28, 1957 and April 29, 1957.
Kanpur	..	February 22, 1957, March 22, 1957, April 15, 1957 and May 16, 1957.
Khurja	..	March 3, 1957.
Muzaffarnagar	..	March 3, 1957.
Mainpuri	..	April 24, 1957.
Farrukhabad	..	April 26, 1957.

7. **Sri A. Halim, Assistant Electric Inspector :**

Hapur	..	January 7, 1957.
Auraiya	..	February 12 and 13, 1957.
Kasganj	..	March 15, 1957.

8. **Sri B. B. Fuller, Assistant Electric Inspector:**

Rampur	..	January 19 and 20, 1957, and February 13, 1957.
Moradabad	..	January 21 and 22, 1957.
Kotdwar	..	January 23, 1957.
Hardwar	..	January 24, 1957.
Dehra Dun	..	January 25, 1957.
Chandausi	..	February 12, 1957.
Bara Banki	..	April 3, 1957 and May 8, 1957.
Gonda	..	April 4, 1957 and May 23, 1957.
Bahraich	..	April 5, 1957.
Balrampur	..	April 6, 1957.
Gorakhpur	..	April 7 to 9 and 21, 1957.
Padrauna	..	May 22, 1957.

9. **Sri Sher Singh, Assistant Electric Inspector :**

Bahraich	..	January 6, 1957.
Faizabad	..	January 17, 1957.
Basti	..	January 23, 1957.
Gonda	..	January 24, 1957.

Babhnan	..	January 25 to 28, 1957.
Varanasi	..	February 11 and 12, 1957.
Gorakhpur / Khalilabad	..	February 13, 1957.
Dehra Dun	..	March 21 and 22, 1957.
Mussoorie	..	March 23, 1957.
Hardwar	..	March 24 and 25, 1957.
Rishikesh	..	March 26, 1957.
Moradabad	..	April 22 to 25, and May 27, 1957.
Chandausi	..	April 26, 1957, and May 25 to 27, 1957.
Rampur	..	April 27, 1957.

10. **Sri N. P. Jain, Assistant Electric Inspector :**

Faizabad	..	January 10, 1957, February 22, 1957 and April 2, 1957.
Allahabad	..	January 28, 29, 30 and 31, 1957 and February 19, 1957.
Mirzapur	..	January 31, 1957 and February 20, 1957.
Jaunpur	..	January 12, 1957, February 21, 1957 and March 30, 1957.
Sultanpur	..	January 11, 1957.
Pipri	..	February 1, 1957 and February 12, 1957.
Robertsganj	..	February 3 and 4. 1957.
Mau	..	March 6, 1957, March 29, 1957 and April 10, 1957.
Ballia	..	March 6, 1957, March 29, 1957 and April 4, 1957.
Sukhpura	..	February 6, 1957.
Azamgarh	..	March 28, 1957.
Varanasi	..	March 31, 1957, April 1, 1957, April 26, 1957 and April 27, 1957.
Gazipur	..	April 28, 1957 and April 29, 1957.
Deoria Sadar	..	April 30, 1957.
Khurja	..	May 3, 1957.
Muzaffarnagar	..	May 4, 1957.
Saharanpur	..	May 5, 6 and 7, 1957.
Gopiganj	..	March 31, 1957.
Bhadohi	..	March 31, 1957.

11. **Sri R. H. Agarwal, Assistant Electric Inspector :**

Roorkee	..	January 5, 1957, February 14, 1957, and April 11, 12 and 13, 1957.
Khurja	..	February 11, 1957.
Meerut	..	February 12 and 13, 1957, April 5 to 10, 1957 and May 17 and 18, 1957.
Muzaffarnagar	..	February 13, 1957 and May 18, 1957.
Hapur	..	April 5, 1957, May 17, 1957 and May 24, 1957.

12. **Post vacant.**

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १५ का उत्तर पृष्ठ ३९६ पर)

सिंचाई विभाग में १ जनवरी, १९५२ से ३१ दिसम्बर, १९५६ तक नियुक्त हुए असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) और असिस्टेंट इंजीनियर (मेकेनिकल) की सूची

असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल)

(१) श्री प्रभाकर केशव गोसावी
(२) श्री उस्मान अहमद निजामी
(३) श्री ए० टी० भटीजा
(४) श्री प्रेम सरन निगम
(५) श्री इकबाल सिंह
(६) श्री रवीन्द्र कुमार अग्रवाल
(७) श्री राजेन्द्र स्वरूप भटनागर
(८) श्री वीरेन्द्र नारायन सक्सेना
(९) श्री भगवती प्रसाद सिंह
(१०) श्री जगदीश मोहन गर्ग
(११) श्री दयाल दास निगम
(१२) श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता
(१३) श्री ओम् प्रकाश शर्मा
(१४) श्री सूर्य प्रकाश भार्गव
(१५) श्री विशेश्वर दयाल
(१६) श्री मनमोहन नाथ टन्डन
(१७) श्री मधुसूदन मिश्रा (इन्होंने त्याग-पत्र दे दिया)
(१८) श्री बासुदेव प्रसाद पांडे (इनकी मृत्यु हो गई)
(१९) श्री ओम् प्रकाश गुप्ता (तृतीय)
(२०) श्री एल० पी० जैन
(२१) श्री विश्वेन्द्र नाथ
(२२) श्री प्रताप नारायन सक्सेना
(२३) श्री ए० पी० पाराशर (इन्होंने त्याग-पत्र दे दिया)
(२४) श्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
(२५) श्री हरि कुमार सहाय
(२६) श्री जगदीश चन्द्र
(२७) श्री विनय कुमार
(२८) श्री के० सी० वार्ष्णेय
(२९) श्री इन्द्र सेन जैन
(३०) श्री प्रेम सिंह जैन
(३१) श्री महीपाल सरन गुप्ता
(३२) श्री राज कुमार (इन्होंने त्याग-पत्र दे दिया)
(३३) श्री रामेश्वर कुमार जैन
(३४) श्री चन्द्र प्रकाश
(३५) श्री राम कुमार गर्ग
(३६) श्री ईश्वर नारायन माथुर
(३७) श्री कौसर अख्तर रिजवी
(३८) श्री एम० बी० नाग माथुर
(३९) श्री मुजफ्फर हसन खां

(४०) श्री योगेन्द्र नाथ गुप्ता
(४१) श्री मुहम्मद अयूब हसन
(४२) श्री इश्तियाक अहमद
(४३) श्री जी० टी० वधवानी
(४४) श्री मुहम्मद इस्माइल सिद्दीकी
(४५) श्री मुहम्मद गुफरान
(४६) श्री महेन्द्र कुमार सिंघल
(४७) श्री रमाशंकर वार्ष्णेय
(४८) श्री आनन्द नारायन
(४९) श्री राम कृष्ण गर्ग (इन्होंने त्याग-पत्र दे दिया)
(५०) श्री पुरुषोत्तम दास
(५१) श्री परमानन्द गुप्ता
(५२) श्री श्याम नारायन गोयल
(५३) श्री विमल कुमार जैन
(५४) श्री सर्वेश्वरी प्रसाद माथुर
(५५) श्री प्रताप स्वरूप रस्तोगी
(५६) श्री कृष्ण गोपाल गोयल
(५७) श्री शहजाद बहादुर
(५८) श्री बृजेन्द्र कुमार गोविल
(५९) श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल
(६०) श्री रूप किशोर चतुर्वेदी
(६१) श्री धर्म प्रकाश गर्ग (इन्होंने त्याग-पत्र दे दिया)
(६२) श्री ललित कुमार शोभ
(६३) श्री विजय कुमार जोशी
(६४) श्री राजेन्द्र प्रकाश बंसल (इन्होंने त्याग-पत्र दे दिया)
(६५) श्री कुंवर गजेन्द्र पाल सिंह
(६६) श्री रामसिंह पाल
(६७) श्री बसन्त कुमार अग्रवाल
(६८) श्री महावीर प्रसाद गर्ग
(६९) श्री बसन्त कुमार
(७०) श्री नवल किशोर गुप्ता
(७१) श्री महाराज बहादुर माथुर
(७२) श्री ए० पी० शर्मा
(७३) श्री आर० नारायण स्वामी
(७४) श्री कृष्ण चन्द्र
(७५) श्री शाहबुद्दीन अहमद
(७६) श्री विशेश्वर नाथ गुप्ता
(७७) श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता
(७८) श्री रईस अहमद सिद्दीकी
(७९) श्री मुहम्मद फिरोजुद्दीन शामसी
(८०) श्री खलीक अहमद सिद्दीकी
(८१) श्री बृज बंस बिहारी
(८२) श्री गुरु दास अग्रवाल
(८३) श्री सच्चिदानन्द गुप्ता
(८४) श्री महेश चन्द्र

(८५) श्री बाबू राम गोविला
(८६) श्री राजेन्द्र स्वरूप
(८७) श्री विष्णु दत्त तिवारी (इन्होंने त्याग-पत्र दे दिया)
(८८) श्री सुरेन्द्र नाथ पांडे (इन्होंने त्याग-पत्र दे दिया)
(८९) श्री देवेन्द्र प्रसाद
(९०) श्री अमरेश चन्द्र बागची
(९१) श्री चौधरी अनीस अहमद
(९२) श्री उमा शंकर ललटकिया
(९३) श्री प्रेम नारायन गुप्ता
(९४) श्री आनन्द मोहन कर
(९५) श्री अम्बिका प्रसाद
(९६) श्री हसन मुहम्मद (इन्होंने त्याग-पत्र दे दिया)
(९७) श्री कृष्ण कुमार शर्मा
(९८) श्री ओम् प्रकाश जैन
(९९) श्री शिव कुमार
(१००) श्री मुहम्मद इलहाम सिद्दीकी
(१०१) श्री रवीन्द्र नारायन सक्सेना
(१०२) श्री ओंकार नाथ गर्ग
(१०३) श्री योगेश्वर दयाल शर्मा
(१०४) श्री सैयद अहमद सुल्तान
(१०५) श्री सैयद अली नकी
(१०६) श्री सुन्दर प्रकाश संबल
(१०७) श्री जमीरुल इसलाम
(१०८) श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल
(१०९) श्री शिव कुमार भार्गव
(११०) श्री मदन मोहन लाल खन्ना
(१११) श्री लीला धर
(११२) श्री राम अवतार अग्रवाल
(११३) श्री बृज भूषन लाल गोयल
(११४) श्री रवीन्द्र नाथ चतुर्वेदी
(११५) श्री राजेन्द्र स्वरूप सक्सेना
(११६) श्री महेश दत्त दुबे
(११७) श्री आनन्द स्वरूप अग्रवाल
(११८) श्री सतीश चन्द्र गोयल
(११९) श्री द्वारका नाथ भार्गव
(१२०) श्री सैयद मसजूद हसन
(१२१) श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता
(१२२) श्री परमात्मा सरन मित्तल
(१२३) श्री सुखवीर सिंह अग्रवाल
(१२४) श्री सतीश चन्द्र
(१२५) श्री कृष्ण चन्द्र सरीन
(१२६) श्री राजेश्वर सहाय माथुर
(१२७) श्री देवेन्द्र सिंह
(१२८) श्री सुभाष चन्द्र गर्ग्या
(१२९) श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल
(१३०) श्री यमीनुल इस्लाम खां

(१३१) श्री जगत राम राना
(१३२) श्री सुरेन्द्र प्रकाश सिंह
(१३३) श्री वकील अहमद सिद्दीकी
(१३४) श्री वीरेन्द्र प्रसाद
(१३५) श्री प्रकाश चन्द्र जैन
(१३६) श्री महबूब हसन
(१३७) श्री कुंवर प्रताप सिंह वर्मा
(१३८) श्री राम कुमार
(१३९) श्री लाजपत राय गुप्ता (इन्होंने त्याग-पत्र दे दिया)
(१४०) श्री बिशन लाल जटाना
(१४१) श्री दर्शन सिंह
(१४२) श्री नरेन्द्र सिंह
(१४३) श्री कैलाश नाथ मेहरोत्रा
(१४४) श्री रमेश चन्द्र
(१४५) श्री सतीश चन्द्र मित्तल
(१४६) श्री हरी प्रकाश शर्मा
(१४७) श्री गुरु दत्त त्यागी
(१४८) श्री रवीन्द्र नाथ वर्मा
(१४९) श्री रेवती रमन अग्रवाल
(१५०) श्री राधेश्याम अग्रवाल
(१५१) श्री रनवीर सिंह
(१५२) श्री हरीश चन्द्र
(१५३) श्री यशपाल सिंह
(१५४) श्री सतीश चन्द्र जैन
(१५५) श्री राजा राम प्रताप लाल
(१५६) श्री विजेन्द्र कुमार जैन
(१५७) श्री भागीरथ गुप्ता
(१५८) श्री तिलक राज खुराना
(१५९) श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
(१६०) श्री प्रभात कुमार गुप्तारा
(१६१) श्री फूल चन्द्र जैन
(१६२) श्री मदन मोहन
(१६३) श्री वीरेन्द्र कुमार
(१६४) श्री शिवदान सिंह
(१६५) श्री श्याम नारायन
(१६६) श्री आनन्द स्वरूप शर्मा
(१६७) श्री रवीन्द्र सिंह
(१६८) श्री विनोद कुमार जैन
(१६९) श्री देवेन्द्र सिंह बंगा
(१७०) श्री हरि शंकर मित्तल
(१७१) श्री कांति लाल शाह
(१७२) श्री सैयद मजीद अली
(१७३) श्री अब्दुल रहीम
(१७४) श्री कृष्ण चन्द्र अग्रवाल
(१७५) श्री जतीन्द्र भगत

(१७६) श्री मौजी लाल यादव
(१७७) श्री मदन सिंह सहगल
(१७८) श्री शैलेन्द्र अरोड़ा
(१७९) श्री निरंजन नाथ सिंघल
(१८०) श्री अनिरुद्ध कुमार
(१८१) श्री ठाकुर दास
(१८२) श्री राम नाथ लवानिया
(१८३) श्री विद्याभास्कर सिंघल
(१८४) श्री विजय कुमार जैन
(१८५) श्री रमेश चन्द्र गोयल
(१८६) श्री शंकर सरन अग्रवाल
(१८७) श्री सत्य पाल
(१८८) श्री उमेश चन्द्र पांडे
(१८९) श्री आनन्द स्वरूप गोयल
(१९०) श्री रामेश्वर दयाल वर्मा
(१९१) श्री मदन लाल मखीजा
(१९२) श्री विष्णु सरन
(१९३) श्री दिनेश कृष्ण रस्तोगी
(१९४) श्री अकूर नाथ चौहान
(१९५) श्री हरि राम शर्मा
(१९६) श्री रनवीर अहुजा
(१९७) श्री मोहम्मद जहीरुद्दीन
(१९८) श्री मजीद अली सिद्दीकी
(१९९) श्री वेद प्रकाश अग्रवाल
(२००) श्री प्रेम कुमार सिन्हा
(२०१) श्री इन्द्र प्रकाश
(२०२) श्री याकूब अन्सारी
(२०३) श्री जगमोहन लाल अग्रवाल
(२०४) श्री वशीरुल रहमान खां
(२०५) श्री भगवत स्वरूप दीक्षित
(२०६) श्री मुहम्मद अब्दुल मजीद
(२०७) श्री राजेन्द्र कुमार कश्यप
(२०८) श्री सतीश चन्द्र वार्ष्णेय
(२०९) श्री सैयद जैनुल आबदीन आवदी
(२१०) श्री एम० ए० सलाम
(२११) श्री गनेशी लाल
(२१२) श्री विश्वेन्द्र मिश्रा
(२१३) श्री चन्द्र कुमार गुप्ता
(२१४) श्री कृष्ण लाल वार्ष्णेय
(२१५) श्री ओम् प्रकाश जैन
(२१६) श्री सैयद औसाफ अहमद
(२१७) श्री जसपाल सिंह सहगल

असिस्टेंट इंजीनियर (मेकेनिकल)

(१) श्री महेश चन्द्र जिंदल
(२) श्री ओम् प्रकाश प्रधान

(३) श्री ए० डी० के० जैन
(४) श्री हीरा लाल टंडन
(५) श्री जगदीश्वर सरन (इन्होंने त्याग-पत्र दे दिया)
(६) श्री महेश चन्द्र माथुर
(७) श्री सतीश चन्द्र सिन्हा
(८) श्री जियालाल जैन
(९) श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता
(१०) श्री बेनी प्रसाद गोयल
(११) श्री रमाकान्त त्रिवेदी
(१२) श्री हरि नारायन जलोटे
(१३) श्री विश्वनाथ सिंह
(१४) श्री नरेश चन्द्र जैन
(१५) श्री वीरेन्द्र पाल सिंह
(१६) श्री लाजपत राय अग्रवाल
(१७) श्री महेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव
(१८) श्री राजेन्द्र प्रसाद
(१९) श्री महेन्द्र लाल सहदेव
(२०) श्री फायक हुसेन
(२१) श्री मदन मोहन सिन्हा
(२२) श्री सादिक अली खां
(२३) श्री नाजिम अली शैदा
(२४) श्री बिन्देश्वरी प्रसाद हजेले
(२५) श्री सत्यपाल चन्द्र
(२६) श्री अवध बिहारी वर्मा
(२७) श्री भगवान स्वरूप शर्मा
(२८) श्री राम कुमार गोयल
(२९) श्री एस० एन० दुबे
(३०) श्री रेवती प्रसाद शर्मा
(३१) श्री ओम् प्रकाश जैन
(३२) श्री नजमल हुदा खां (इनकी सेवायें समाप्त कर दी गईं)
(३३) श्री सत्य पाल खन्ना (इन्होंने त्याग-पत्र दे दिया)
(३४) श्री पुरुषोत्तम सरन कपूर (इन्होंने त्याग-पत्र दे दिया)
(३५) श्री नरेन्द्र कुमार माथुर

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ६७ का उत्तर पृष्ठ ४१२ पर)

उत्तर प्रदेश सरकार

राज्य सम्पत्ति विभाग

संख्या ए० आर० ६९०/जी० ई० ओ०--१७२-१९५५

लखनऊ, दिनांक २७ मार्च, १९५७

विज्ञप्ति

विविध

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १२, १९५२), को जैसा कि वह उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उप-मन्त्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, १९५६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ८, १९५६) की धारा ६ (२) द्वारा संशोधित हुआ है, धारा २-ख द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के निवास संबंधी नियम, १९५७

१--ये नियम राज्य विधान मंडल के सदस्यों के निवास सम्बन्धी नियम, १९५७ कहलायेंगे।

२--ये ७ अप्रैल, १९५७ से प्रचलित होंगे।

३--इन नियमों में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न हो--

(१) "विधायक निवास" का तात्पर्य किसी ऐसे भवन या कमरों के सूट (suite) से है जो राज्य सरकार द्वारा धारा २-ख के अधीन विधान मंडल के सदस्यों के ठहरने के लिये घोषित किये गये हों चाहे उक्त भवन या कमरों के सूट राज्य सरकार के स्वामित्व में हों या उसके द्वारा किराये पर लिये गये हों,

(२) "सदस्य" का तात्पर्य राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन के किसी सदस्य से है ;

(३) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ; तथा

(४) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ से है।

४--प्रभारी मन्त्री (Minister-in-charge) विधायक निवास में कमरों के सूटों को उनके आकार तथा आवास के अनुसार "बड़े सूटों" तथा "छोटे सूटों" के रूप में परिछिन्न या घोषित कर सकता है अथवा परिछिन्न या घोषित करा सकता है।

५--(१) प्रभारी मन्त्री एक सदस्य को कमरों का एक छोटा सूट अथवा दो सदस्यों को कमरों का एक बड़ा सूट कैलेन्डर वर्ष (Calendar year) के लिये प्रदिष्ट (allot)

करेगा या करायेगा और तत्पश्चात् जिस सदस्य या जिन सदस्यों को सूट प्रदिष्ट किया जाय वह/वे विधान मंडल का/के सदस्य बने रहने और तत्पश्चात् १५ दिन तक कमरों के सूट का बिना किराया दिये हुये प्रयोग करने तथा उसमें अधिवास करने का/के अधिकारी होगा/होंगे। कमरों के किसी बड़े सूट की प्रदिष्टि साधारणतया दो सदस्यों के संयुक्त रूप से आवेदन-पत्र देने पर की जायगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी दशा में जबकि कोई सदस्य/सदस्या, जिसे कमरों का कोई बड़ा सूट प्रदिष्ट हो, अपने साथ किसी अन्य सदस्य/सदस्या को साझेदार के रूप में रखना अस्वीकार करे या यदि दो साझेदार सदस्यों/सदस्याओं में से कोई सदस्य/सदस्या अपने आचरण से अपने साझेदार का उसके साथ रहना असम्भव कर दे तो जो सदस्य/सदस्या कमरों के बड़े सूट में अधिवास करता रहेगा/रहेगी उसे यथास्थिति किसी साझेदार को रखना अस्वीकार करने या सहप्रदिष्टी द्वारा कमरे का सूट खाली करने के दिनांक से उस अधिक स्थान के लिये जो उसके द्वारा अधिवासित समझा जायेगा, प्रतिदिन १ रु० ४ आना देना पड़ेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि विरोधी दल के नेताओं/नेत्रियों को कमरों का एक बड़ा सूट प्रदिष्ट किया जा सकता है।

(२) प्रदिष्ट (allotment) अनुगामी कैलेन्डर वर्षों के लिये वर्ष प्रतिवर्ष स्वतः स्वीकृत समझी जायगी जब तक कि या तो उसे प्रदिष्टि-गृहीता (allottee) द्वारा किसी कैलेन्डर वर्ष के समाप्त होने के कम से कम एक मास पूर्व लिखित रूप से प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर या किसी अन्य प्रकार से प्रभारी मन्त्री के बिवेकानुसार एक मास की नोटिस मिलने पर कैलेन्डर वर्ष अन्त होने के पहले ही समाप्त न कर दी जाय।

(३) प्रत्येक सदस्य या अन्य व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन कमरों का सूट प्रदिष्ट न किया गया हो अथवा उपनियम (१) के अधीन जिसकी प्रदिष्टि की अवधि समाप्त हो गई हो, उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ (उ० प्र० अधिनियम सं० ३९, १९५२) के अधीन उक्त सूट का अनधिकृत अध्यासी समझा जायगा और राज्य सरकार के कहने पर उसे बेदखल किया जा सकता है और वह ऐसे सूट को उपयोग में लाने तथा उसमें अध्यासन के लिये कमरों के छोटे सूट के निमित्त कम से कम १ रु० ४ आना प्रति दिन तथा कमरों के बड़े सूट के निमित्त २ रु० ८ आना प्रतिदिन के हिसाब से परिव्यय (charges) का देनदार होगा।

६--प्रदिष्टि-गृहीता (allottee) को अपनी पत्नी/अपने पति, अपने भाई या भाइयों को और बहिन या बहिनों को, जो लखनऊ में पढ़ रहे हों/पढ़ रही हों, तथा ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को जो उस पर पूर्णतया आश्रित हों, प्रदिष्ट कमरों के सूटों में ठहरने की अनुमति देने का अधिकार होगा।

७--विधायक निवास में ठहरने के सम्बन्ध में किसी सदस्य/सदस्या द्वारा देय सभी बकाया धनराशियां किसी अन्य प्रकार की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त सदस्य/सदस्या के वेतन से कटौती करके वसूल की जा सकती है।

(१) मोटरखाना प्राप्य होने तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किराया देने पर प्रभारी मन्त्री किसी ऐसे सदस्य को, जिसके पास मोटरकार हो, मोटरखाना प्रदिष्ट कर सकता है या करा सकता है।

(२) अपनी मोटर कार रखने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिये किसी मोटरखाने का उपयोग करना उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ३९, १९५२) के प्रयोजनों के लिये अनधिकृत अध्यासन समझा जायगा।

८--(१) कमरों के सूट, राज्य सरकार द्वारा अनिर्धारित ढंग से सज्जित किये जायेंगे। उपस्कर (furniture), सामान (fitting) और संलग्न वस्तुओं (fixture), आदि को किसी प्रकार की हानि या क्षति पहुंचने पर प्रदिष्टि गृहीता उसके लिये उत्तरदायी होगा।

(२) अतिरिक्त उपस्कर (furniture) प्राप्य होने पर, कोई भी सदस्य उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किराये पर प्राप्त कर सकता है।

आज्ञा से,

हबीब अहमद सिद्दीकी,

सचिव।

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ७१-७२ का उत्तर पृष्ठ ४१३ पर)

नक्शा "क"

		औसतन खर्चा प्रति सदस्य	औसतन खर्चा प्रति सदस्य
		१९५५-५६	१९५६-५७
(१) रखरखाव	...	२३२ रु० १ आना	२२२ रु० १ आना
(२) किराया	...	१७ रु० १५ आना	५६ रु० २ आना
(३) बिजली	...	१८१ रु० १ आना	१५८ रु० ९ आना
(४) पानी का टैक्स	...	४२ रु० ५ आना	४३ रु० १४ आना
(५) स्टाक ...	...	२०२ रु० १५ आना	२४७ रु० १३ आना
(कर्मचारियों आदि का वेतन)			

सरकार द्वारा पुराने रायल होटल के हाते में निर्मित मकानों के आवंटन के निर्धारित नियम :

(१) आवंटनी को इस मकान का किराया देना होगा। किराया अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हो सकता है। फिलहाल इसका किराया ५० रुपया माहवार तय किया गया है जो कि कम व बेश हो सकता है।

(२) किराये के अलावा म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा निर्धारित जल-कर (वाटर टैक्स) देना होगा।

(३) आवंटनी स्वयं बिजली तथा पानी का कनेक्शन लेंगे जिसका भुगतान वे स्वयं करेंगे।

(४) इन मकानों में कोई सरकारी फर्नीचर इत्यादि नहीं दिया जायगा। इनमें सफाई आदि तथा चौकीदारी के लिये कोई सरकारी व्यवस्था नहीं होगी।

(५) किराया तथा अन्य कर इत्यादि आवंटनी के वेतन से भुगतान किया जायगा।

(६) आवंटनी को यह मकान उनकी सदस्य-अवधि तक के लिये आवंटित होगा।

नत्थी "ङ"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पृष्ठ ४१६ पर)

APPENDIX 'A'

Statement of Cane Cess showing outstanding of Cane Cess as stood up to April 30, 1957, in lakh rupees

Serial number	Name of factory	Old arrears of outstanding with yearwise					Total columns 3 to 7	Current year outstanding for 1956-57	Grand total columns 8 and 9
		1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sardarnagar	..	..	..	..	2.61	2.61	11.11	13.72
2	Pipraich	..	..	..	2.05	4.70	6.75	3.20	9.95
3	Ghughli	..	..	..	..	..	..	4.06	4.06
4	Siswabazar	..	..	..	..	..	..	3.40	3.40
5	Pharenda	..	..	..	..	..	..	4.83	4.83
6	Purtabpur	..	..	..	..	..	..	4.51	4.51
7	Baitalpur	..	..	..	..	..	..	4.85	4.85
8	Gauribazar	..	..	..	..	..	..	3.87	3.87
9	Deoria	..	..	..	..	..	..	5.07	5.07
10	Captainganj	..	..	..	..	1.51	1.51	5.46	6.97
11	Khadda	..	3.26	1.86	1.39	2.98	9.49	3.28	12.77

Serial number	Name of factory	Old arrears of outstanding with yearwise					Total columns 3 to 7	Current year out standing for 1956-57	Grand total columns 8 and 9
		1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Chhitauni	..	..	..	..	2.54	2.54	..	2.54
13	Lakshmiganj	..	..	..	..	2.96	2.96	3.99	6.9
14	Ramkola (K)	..	..	..	..	3.77	3.77	4.43	8.52
15	Ramkola (P)	..	..	..	..	1.41	1.41	6.77	8.18
16	Padrauna	..	1.11	1.33	3.12	1.33	6.89	4.62	11.51
17	Kathkuiyan	1.46 1950-51 1.14	2.62	.26	2.86	1.56	9.90	3.31	13.21
18	Seorahi	..	..	..	..	..	..	1.07	1.07
19	Munderwa	..	..	..	..	1.16	1.16	3.65	4.81
20	Basti	..	..	..	..	..	..	..	..
21	Walterganj	..	..	..	..	..	..	..	..
22	Khalilabad	..	..	..	..	..	..	2.51	2.51
23	Babhanan	..	..	..	..	..	..	..	..
24	Nawabganj	..	..	..	..	..	..	..	..
25	Balrampur	..	..	..	..	1.67	1.67	5.06	6.73

26	Tulsipur	..	..	..	..	..	..	..	2.11	2.11	5.32	7.43
27	Jarwal road	..	..	..	..	..	..	..	1.50	1.50	4.85	6.35
28	Burhwal	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
29	Bara Banki	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5.27	5.27
30	Shahganj	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4.72	4.72
31	Biswan	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5.13	5.13
32	Hargaon	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
33	Maholi	..	..	..	..	..	..	..	6.77	6.77	8.39	15.16
34	Masodha	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6.35	6.35
35	Hardoi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
36	Aira	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2.75	3.75
37	Gola	..	..	..	..	..	..	..	2.43	2.43	12.39	14.82
38	Rosa	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3.70	3.70
39	Bareilly	..	..	..	..	..	.26	3.24	8.94	12.44	6.51	18.95
40	Baheri	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
41	Pilibhit	..	..	..	..	1.93	..	4.38	4.42	10.73	9.96	20.69
42	Seohara	..	..	..	..	..	..	..	2.39	2.39	..	2.39
43	Bijnor	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7.73	7.73
44	Dhampur	..	..	..	..	..	..	..	14.58	14.58	6.03	20.61
45	Doiwala	..	..	..	..	..	..	..	..	..	15.24	15.24
46	Deoband	..	..	..	..	..	..	..	5.90	5.90	6.30	12.20

Serial number	Name of factory	Old arrears of outstanding with yearwise 1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	Total columns 3 to 7	Current year outstanding for 1956-57	Grand total columns 8 and 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Lakshar	..	..	..	..	..	..	..	..
48	Saharanpur	..	..	..	..	5.97	5.97	9.38	15.35
49	Iqbalpur	..	..	..	1.66	9.49	11.15	6.74	17.89
50	Abdullapur	..	..	..	..	3.38	3.38	..	3.38
51	Khatauli	..	..	..	..	6.71	6.71	8.36	15.07
52	Mansurpur	..	..	..	..	..	..	12.09	12.09
53	Rohanakalan	..	..	..	..	.02	.02	5.79	5.81
54	Shamli	..	..	..	..	..	..	9.53	9.53
55	Sakotitanda	..	..	..	..	..	..	5.07	5.07
56	Daurala	..	..	..	..	..	..	..	..
57	Mowana	..	..	..	..	..	..	..	..
58	Jaswant	..	..	..	..	..	..	4.80	4.80
59	Mohiuddinpur	..	..	..	..	..	..	4.71	4.71
60	Modinagar	..	..	..	..	..	..	7.21	7.21
61	Simbhaoli	..	..	..	..	..	..	7.15	7.15

62 Pannimagar	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8.07	8.07
63 Kashipur	..	..	..	..	..	..	..	2.08	2.08	5.27	7.35
64 Neoli	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3.92	3.92
65 Amroha	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8.86	8.86
66 Bilari	..	..	..	..	..	..	..	4.38	4.38	9.01	13.39
67 Rampur	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		Total	..	2.60	8.92	3.71	18.70	109.27	143.20	316.65	459.85

पी० एस० यू० पी०—१२७ एल० सी०—१९५७—८२०—(प्रो)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

बुधवार, ९ श्रावण, शक संवत् १८७९ (३१ जुलाई, सन् १९५७ ई०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (५६)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
उमा शंकर सिंह, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
नरोत्तमदास टन्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पुष्कर नाथ भट्ट, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
पृथ्वी नाथ, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
मदन मोहन लाल, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम गुलाम, श्री
राम नारायण पान्डे, श्री
राम लखन, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विश्वनाथ, श्री
वीर भान भाटिया, डाक्टर
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वृज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
वृजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार इन्द्र सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद जहान बेगम मकफी, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मन्त्री, राज्य मन्त्री व उपमन्त्री, जो कि विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे :—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत् व उद्योग मन्त्री)।
श्री मोहन लाल गौतम (सहकारी मन्त्री)।
डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी (स्वास्थ्य उपमन्त्री)।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

१--३--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--स्थगित

प्रदेश में बन्दरों का निर्यात

*४--श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष (सन् १९५६ ई०) में प्रदेश से कितने बन्दरों का निर्यात किया गया ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी (स्वास्थ्य उप-मन्त्री)--सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि सन् १९५६ में प्रदेश से कितने बन्दरों का निर्यात किया गया।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश से बन्दर पकड़ कर बाहर नहीं भेजे जाते हैं ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--भेजे जाते होंगे, लेकिन सरकार के पास कोई खबर नहीं है।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में भी निकला था ?

श्री चेयरमैन--समाचार-पत्रों में छपे समाचारों से हमारा कोई मतलब नहीं है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मन्त्री जी के पास इस प्रकार की प्रार्थनायें आई हैं कि यह बन्दर पकड़ने का काम बन्द कर दिया जाय ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--जी हां, आती रहती हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि दूसरे प्रदेशों से इस प्रदेश में बन्दरों की अधिक तादाद है ?

श्री चेयरमैन--आर्डर, आर्डर, दूसरे प्रदेशों के सम्बन्ध में सूचना यहां पर नहीं पूछी जा सकती।

श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--जो बन्दर प्रदेश से बाहर भेजे जाते हैं, क्या उनसे सरकार को कोई आय नहीं होती है ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--जी नहीं, कोई आय नहीं होती है।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--मैं इस सम्बन्ध में और सप्लीमेन्टरी सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री चेयरमैन--जब सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना ही नहीं है तो फिर जवाब कैसे दिया जा सकता है।

*५--श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बन्दर पकड़ने का कार्य किन व्यक्तियों अथवा फर्मों द्वारा किया गया ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है, जिसके अन्तर्गत बन्दरों को पकड़ कर प्रदेश के बाहर भेजा जाय। अतएव यह प्रश्न ही नहीं उठता।

*६—श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गतवर्ष सरकार को इससे कितना धन प्राप्त हुआ ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—प्रश्न नहीं उठता।

(प्रश्न जो २४ जुलाई, १९५७ को श्री हृदय नारायण सिंह, एम० एल० सी० की इच्छानुसार स्थगित किये गये।)

सन् १९५६ ई० के अन्त में उत्तर प्रदेश में मनुष्यों की औसत आयु

*२—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार बतायेगी कि मनुष्यों की वर्तमान average age उत्तर प्रदेश में सन् १९५६ ई० के अन्त में क्या थी ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—सन् १९५१ की जन-गणना के आधार पर पुरुषों की औसत आयु ३४ वर्ष, स्त्रियों की ३४.३६ पाई गई थी।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकर (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९४१ की जन-गणना के आधार पर पुरुषों और औरतों की औसत आयु क्या थी ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—सन् १९४१ ई० के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, लेकिन आयु तब से बढ़ी ही है।

श्री हृदय नारायण सिंह—जो सरकार ने अपने कर्मचारियों की सुपरन्युयेशन की आयु बढ़ायी है तो क्या उस समय जो प्रश्न दो में उत्तर दिया गया है उसका भी ध्यान रखा गया या नहीं।

श्री चेयरमैन—सुपरन्युयेशन एज से इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये यह प्रश्न असंगत है।

श्री हृदय नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक स्टेटमेन्ट दिया था कि ज्यादातर लोग अधिक दिनों तक फिट रह सकते हैं तो मैं सोचता यह था कि क्या उससे और इससे कोई कन्सिसटेन्सी है ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—हो सकता है।

सन् १९५२ ई० में उत्तर प्रदेश के मनुष्यों की औसत आयु

*३—श्री हृदय नारायण सिंह—सन् १९५२ ई० में उत्तर प्रदेश के मनुष्यों की average age क्या थी ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—सन् १९५२ ई० के आंकड़े नहीं निकाले गये क्योंकि प्रति दस वर्ष के उपरान्त जन-गणना के आधार पर औसत आयु निकाली जाती है।

प्रदेश के लोगों की औसत आयु बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकारी प्रयास

*४—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) प्रदेश के लोगों की औसत आयु बढ़े, इसके लिये सरकार क्या उद्योग कर रही है, और

(ख) उसमें कितनी सफलता मिली है ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—(क) इस सम्बन्ध में सरकार ने जनता के हितार्थ चिकित्सा सम्बन्धी देखरेख का प्रसार कर रही है, जिसके अन्तर्गत नये चिकित्सालयों की स्थापना एवं उन्हें उच्च स्तर पर लाया जा रहा है ताकि जनता को विशेषज्ञों द्वारा उपचारों

की सुविधा उपलब्ध हो। छूत की बीमारियों की रोकथाम, शुद्ध जल का प्रबन्ध और नगरों व ग्रामों में नालियों तथा शौचालयों का उचित तथा स्वास्थ्यजनक निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य तथा चिकित्सा कर्मचारियों जैसे सफाई निरीक्षक, हेल्थ विजीटर एवं मिडवाइफों के प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया है ताकि उनके द्वारा जनता की औसत आयु को बढ़ाने सम्बन्धी कार्य लिये जा सकें।

(ख) आयोजना के सभी कार्य उन्नतोन्मुख हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—जो यह शौचालयों के प्रबन्ध करने की बात कही गयी है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कैसे शौचालय गांवों में बनाये जा रहे हैं?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—पानी से साफ होने वाली लैटरिन्स बनाने का इन्तजाम किया गया है और कई जगहों पर बन भी चुकी हैं।

वित्तीय वर्ष १९५७-५८ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर आम बहस

श्री चेयरमैन—अब बजट पर आम बहस जारी रहेगी।

***श्रीमती महादेवी वर्मा** (नाम निर्देशित)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो अनुमान पत्र प्रस्तुत है, उसको अनेक दृष्टियों से देखा जा सकता है। एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि यह सार्वजनिक निर्वाचन के उपरान्त आया है। यह पहला अनुमान पत्र है इस निर्वाचन के उपरान्त, इसलिये इसको हम विशेष उत्सुकता, जिज्ञासा से देखें, एक बड़ी भारी आशा से देखें और मिश्रित भावों का अनुभव करें, तो यह सम्भव है। अर्थ किसी भी राज्य की आधार शिला है, घर के लिये भी, समाज के लिये भी, व्यक्ति के लिये भी और राष्ट्र के लिये भी। वह एक ऐसा आधार है, जिस पर निर्माण के अनेक कार्य निर्भर कर सकते है, जैसे साधारण जल के बहाव के लिये धरती का आधार चाहिये, नदियों के जल के लिये धरती की कठोरता चाहिये, समुद्र के लिये भी पृथ्वी की कठोरता की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से आपकी भी नीति होनी चाहिये। आज इस सम्बन्ध में मुझे पुनीत चरण बापू का स्मरण हो आता है, अपने विद्यार्थी जीवन में मैं अपने हठ पर अड़ी थी और मैंने हठ पूर्वक उनसे पूछा कि मैं अर्थ शास्त्र पढ़ूं या दर्शन, तो उन्होंने उत्तर दिया कि नीति और त्याग से युक्त जो अर्थ शास्त्र है, वही तो दर्शन है, उससे भिन्न क्या कहीं दर्शन होता है और जब अर्थ उस नीति से रहित, उस त्याग से रहित होता है तब वह पाप अर्थ होता है, अकल्याण का अर्थ होता है। इसी प्रकार से मैं समझती हूं कि अर्थ दोनों शक्तियां रखता है, यह एक प्रकार से दोधार वाली तलवार है या यों कहें कि यह धार और तलवार दोनों ही है, वह रक्षा भी कर सकती है और नष्ट भी कर सकती है। आज के युग में हिंसा को अगर यह कहा जाय कि अर्थ शास्त्र से हिंसा का प्रादुर्भाव हुआ है, तो उसके कोई अर्थ नहीं निकलते हैं, शस्त्रों से हिंसा के कोई अर्थ नहीं होते हैं। अस्त्र-शस्त्र सब अर्थ के द्वारा बनाये गये हैं, आणुविक शस्त्र बने हैं परन्तु विश्व का जो जनमत है, यह अहिंसा को रोक सकता है, लेकिन इससे बड़ी हिंसा है जो अर्थ के माध्यम से आती है, उसे रोकने के लिये कभी कोई आणुविक यन्त्र नहीं बना है। जो सारी आपत्ति जीवन की है, राष्ट्रों की है वह सब इस अर्थ के ही कारण है, उसका ठीक वितरण तथा विभाजन न होने से सब को समान सुविधायें नहीं मिलेंगी, यह सबसे बड़ी हिंसा है क्योंकि इसमें अनेक व्यक्तियों का जीवन कुंठित होता है, उनकी आशाओं और कल्पनाओं पर पानी फेर देती है, इसी कारण से मनुष्य कोई सर्वांगीण विकास यदि करना चाहता है तो उसका सारा विकास इसी पर निर्भर है। इसलिये हमें इस आधार शिला को फिर-फिर देखना, फिर फिर उसका निरीक्षण

*सदस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

करना आवश्यक होता है। जब हम उसे ठीक करते हैं तो वह बहुत से मनुष्यों के सु का कारण बनता है और जब हम उसे ठीक नहीं करते हैं तो वह ध्वंस का कारण भी बन जाता है। आज आप देखेंगे कि हमारे देश और प्रदेश के ही सामने नहीं अपितु सारे विश्व के सामने व्यक्ति की समस्या है, यह समस्या भी अनन्त है, अन्न की समस्या, वस्त्र की समस्या है, विकास की समस्या है, शिक्षा की समस्या है और बहुत सी अन्तः जगत् और बाह्य जगत की समस्यायें हैं, व्यक्ति कभी किसी क्षण भी भय रहित नहीं है, शंका रहित नहीं है, आस्वस्थ नहीं है। यदि स्थिति किसी भी राज्य के लिये अच्छी नहीं होती है। राष्ट्र या राज्य यह भूल करते हैं कि वे समूह की क्रिया को देखते हैं, व्यक्ति की प्रक्रिया को नहीं देखते हैं कि उसके मन में क्या होता है। आज हम यही देखते हैं कि समूह ने कितना उत्पादन कर लिया है, या समूह ने कारखानों में में क्या क्या निर्माण कर लिया है। हम यह भी नही देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो प्रक्रिया होती है, उसी से आगे चलकर बड़ी-बड़ी क्रान्ति होती है, बड़ी-बड़ी योजनायें नष्ट होती हैं। हम मनुष्य के हृदय की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। यदि आप व्यक्ति को खोजें, तो आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो सवेरे आह भर कर न उठता हो और रात को कराह कर न सोता हो। आज मनुष्य का विश्वास नष्ट हो गया है। आज हमारा राज्य मनुष्य के लिये योजनायें बना रहा है। परन्तु हम देखते हैं कि जिसके लिये यह योजनायें बनायी जा रही है, उनको उसमें विश्वास नहीं है और जो योजनायें बनाने वाले हैं, उनमें वह त्याग नहीं है, वह सद्भावना नहीं है, जिसकी आज आवश्यकता है। यदि एक दूसरे में विश्वास पैदा हो जाये तो जो हमारी अर्थ नीति है, वह नाले से भागीरथी हो सकती है। राज्य के द्वारा जो योजनायें बनायी जायें, उसमें जनता का विश्वास होना आवश्यक है। राज्य की प्रणाली को देखते हुये, उसकी पद्धति को देखते हुये यह कहना कठिन है कि उसमें त्याग है, आत्मदान है, जिसकी आज आवश्यकता है। हमारा राज्य समाजवाद के अनुसार जीवन का निर्माण करने के लिये प्रतिसूत है। समाजवाद के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है और होना भी चाहिये। अध्यात्मवाद, जनतांत्रिकवाद और सर्वोदय समाजवाद में से कौन सा समाजवाद हमारे यहां है, किसके लक्षण हमारे राज्य में दिखायी देते हैं, इसके बारे में आपस में मतभेद हो सकता है। व्यक्ति को व्यक्ति पर विश्वास होना चाहिये, बुद्धि का विकास होना चाहिये। यह हर समाजवाद के लक्षण हैं। हमारे राज्य में यह लक्षण होने चाहियें।

आज हम अपने प्रदेश में देखते हैं कि हमको स्वतन्त्रता प्राप्त हुये कई वर्ष हो गये हैं, लेकिन जब शिक्षा की ओर देखते हैं तो बहुत ही दुख होता है। यदि आप समाज के नैतिक जीवन की ओर देख लें, तो कहीं भी यह नहीं पायेंगे कि आप मनुष्य के जीवन में उन सिद्धान्तों को ला रहे हैं, जिससे मनुष्य वास्तव में मुक्ति पाता है, मानसिक दासता से मुक्ति पाता है और उसको निर्माण का ज्ञान होता है। हमारा देश स्वतन्त्र तो अवश्य है, परन्तु हमारा हृदय और हमारा जीवन परतन्त्र है। जब हम शिक्षा के क्षेत्र को देखते हैं तो मालूम होता है कि उसका स्तर बराबर गिरता जा रहा है। अध्यापकों की दशा खराब है, विद्यार्थियों की बुद्धि का भी ठीक से विकास नहीं हो रहा है। इतना सब होते हुये भी हम यह नहीं समझ पाते हैं कि कहां से इसका स्तर नीचे गिर रहा है, क्योंकि नैतिकता, योग्यता की जननी है, नैतिकता एक वास्तविकता है, यदि आप अपना कर्त्तव्य नहीं करते हैं या उन पर विश्वास नहीं करते हैं, तो अवश्य आप अपना कार्य नहीं करते हैं। जिसको आप एफिशियेन्सी कहते हैं, वह हमारे वास्तविकता की नैतिकता है। जब हम इस पर विश्वास करेंगे तो हम अपना कर्त्तव्य कर सकते हैं। आज हमारे यहां अध्यापकों की दशा एक भिक्षुक के समान है। भिक्षुक तो निर्लज हो कर किसी के द्वार पर जाकर भीख भी मांग लेता है, परन्तु अध्यापक तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। सारी ग्लानि उनके हृदय में ही रहती है। ऐसे शिक्षकों से आज राष्ट्र का कोई बड़ा कल्याण नहीं हो सकता है। आज विद्यार्थियों के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है। गांव में आपको ७० प्रतिशत ऐसे मिलेंगे, जो पशु समान जीवन व्यतीत करते हैं, जिनका जीवन स्तर पशु समान हो गया है। वस्तुतः ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनके पास कि आज कोई लक्ष्य नहीं है, तो जब उनकी किसी प्रकार से भी उन्नति की संभावना नहीं है, जैसा कि आप कहते हैं कि हम समाजवादी समाज की स्थापना

[श्रीमती महादेवी वर्मा]

करने जा रहे हैं, तो यह बात सत्य की कसौटी पर नहीं उतरती है । आज जब प्रत्येक व्यक्ति की इस तरह से मांग है कि वह भी समाज के निर्माण में अपना पूरा सहयोग दे, तो उसके लिये वैसी ही व्यवस्था भी होनी चाहिये । मगर उसकी मांग किसी तरह से भी पूरी नहीं होती है । जैसे कि एक छोटा बालक है, वह अपनी शक्ति से तो कुछ नहीं कह सकता है और न कुछ मांग सकता है, लेकिन हमें उसको दूध देना पड़ता है और उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है । उसकी इस तरह की मांग हमारे सामने सबसे पहली मांग है और सबसे बड़ी मांग है और हमारा ध्यान उसकी ओर अवश्य जाता है । उसी प्रकार से एक वृद्ध व्यक्ति है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी जो उसकी मांग है, उसकी ओर हमारा ध्यान जाता है । राष्ट्र में इसी तरह के बहुत से व्यक्ति हैं, जिनकी ओर से मांग तो कुछ नहीं रहती है, मगर जो उनकी उपयोगिता है, उसको ध्यान में रखते हुये, हमें सबसे पहले उनकी बातों को मान लेना चाहिये । जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारा विकास नहीं हो सकता है ।

हमें घरों के अर्थ शास्त्र की नीति को सबसे पहले देखना चाहिये । घरों की जो अर्थ शास्त्र की नीति होती है, वह राष्ट्र की भी अर्थ शास्त्र की नीति होती है । आज इसमें सबको समान सुविधा नहीं है । जब तक हम सांस्कृतिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से इसे नहीं देखेंगे, तब तक हम विकास नहीं कर सकते हैं । जब तक हम अपनी योजनाओं को इन दृष्टिकोणों को रख कर नहीं बनाते हैं, तब तक हमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिल सकती है । हमारे जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, हम उसको भूल गये हैं और हम उन सिद्धांतों पर नहीं चल रहे हैं, ।

इस अनुमानित पत्र में मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली, जिसके लिये यह समझा जा सकता हो कि हम अपने लक्ष्य में उन्नति करेंगे या जब वे कार्यान्वित किये जायेंगे, तो उसमें पूर्णतः सफल होंगे। पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा की इस कदर खराब व्यवस्था हो गई है कि हम नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अपने लक्ष्य से बहुत दूर चले जा रहे हैं और उसको देखते हुये आज शिक्षा का ह्रास हो रहा है । जो भी धन इसके लिये खर्च किया जा रहा है, जब तक इस शिक्षा का उपयोग उचित प्रकार से नहीं होगा, तब तक इसमें सफलता नहीं मिल सकती है । जो काम इसके लिये हो रहा है, वह किसी प्रकार से भी सांस्कृतिक नहीं है और जब तक हम उसमें अपनी बुद्धि से, अपने हृदय से, अपने यहां की संस्कृति को समझते हुये सामंजस्य पैदा नहीं करेंगे, तो जिस कल्याण की हम आशा लगाये हुये हैं, वह तब तक संभव नहीं हो सकती है । जब तक हमारी ओर से इस प्रकार के प्रयत्न न हों, तब तक हमारे देश में उस तरह की स्थिति नहीं पैदा हो सकती है ।

मैं कहती हूं कि हमारे देश तथा प्रदेश में राष्ट्र भाषा हिन्दी का प्रश्न बहुत सालों से चला आ रहा है । हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है, लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में क्या काम हुआ है । केन्द्रीय सरकार ने तथा प्रदेश की सरकार ने इसके लिये क्या किया है । बिहार प्रदेश ने ४० पुस्तकों का प्रकाशन कर दिया है, लेकिन हमने तो इतना भी काम नहीं किया है । हम अधिक से अधिक किसी भी काम के लिये यह करते हैं कि किसी बहुत बड़े अधिकारी को उसके लिये रख देते हैं और उसको बहुत बड़ा वेतन दे देते हैं । उसके पश्चात् उसका कोई सेक्रेटरी नियुक्त होता है और उसके नीचे फिर एक आफिस खुल जाता है । मैं समझती हूं कि ५-६ हजार एक व्यक्ति पर खर्च कर के काम के नाम पर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं । इस तरह से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है । कभी-कभी कोई स्थान ऐसा हो जाता है कि हम उसके कार्य को करने के लिये अवैतनिक व्यक्ति को नहीं रख पाते हैं, बल्कि स्थान न होते हुये भी व्यक्ति को खपाने के लिये हमें स्थान रिक्त करना पड़ता है । हम स्थान के लिये व्यक्ति नहीं ढूंढते हैं बल्कि व्यक्ति के लिये स्थान रिक्त करते हैं । हैं । इस तरह से किसी भी काम में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं । किस प्रकार से हमें अपने साधनों का उपयोग करना चाहिये,

यह हम नहीं जानते हैं। इस तरह से तो मैं समझती हूं कि हमारी कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती है।

मैं एक मोटा सा उदाहरण देती हूं। मैंने एक उल्लेख देखा, उससे पता चला कि काशी के एक प्रकाशक को एक लाख रुपया ऋण दिया जा रहा है और बाद में उसे दो लाख और दिया जायेगा। मैं कहना नहीं चाहती, क्योंकि उन प्रकाशक महोदय ने जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ लेखकों के साथ अत्यन्त अनैतिक व्यवहार किया था। उसमें लेखकों की ओर से मैं मध्यस्थ हूं। उन्होंने उस समझौते के अनुसार भी कार्य नहीं किया और बड़ी मुकदमेबाजी हुई। सरकार उसे एक लाख या तीन लाख का ऋण दे कर कितने विद्वानों को उसके हाथ बेच रही है, यह मैं कह नहीं सकती। साहित्यकार संसद लेखकों की भी संस्था है। लेखक जो कष्ट में हैं, उनके सामने प्रकाशक कठिन शर्तें रखते हैं। उनके लिए एक प्रेस ऐसा हो जाय जहां उनकी किताबें छप सकें। गवर्नमेंट उसके लिए २५ हजार का ऋण दे दे। सरकार ने दस हजार का ऋण दिया है और वह दस हजार रखा हुआ है, क्योंकि कोई प्रेस दस हजार में आता नहीं है। ४४४ रु० ब्याज का लौटा रहे हैं और लगता है कि एक दो मास में पूरा धन लौटा देना पड़ेगा। सरकार निश्चित रूप से यह सोचती है कि अमुक साहित्यकार हमारे पास क्यों नहीं आता है। जैसे साहित्यकार संसद के अध्यक्ष राष्ट्रकवि मैथिलीशरण जी हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण जी निश्चय ही नहीं आयेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से मांगने के लिए। इस प्रदेश का या इस देश का राष्ट्रकवि नहीं आयेगा सरकार से मांगने के लिए। ऐसी स्थिति में जो उपयुक्त व्यक्ति हैं उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। मैंने उसमें देखा कि लेखकों की स्थिति जिससे सुधर सकती है, वह स्थिति कैसी है और लेखकों की स्थिति जिससे खराब हो सकती है वह स्थिति कैसी है। ऐसी असंगतियां एक नहीं, दो नहीं, अनेक होंगी। ऐसी स्थिति में मैं समझती हूं कि हर एक योजना के साथ यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। यह राष्ट्र के जीवन के विकास का प्रश्न है। हम यदि विकास कर लेते हैं तो हम राष्ट्र का विकास करते हैं, क्योंकि हम राष्ट्र के अंग हैं। अभी प्रेस के साहित्य की दृष्टि से हम ऐसा नहीं समझते। कुछ लेखक इसलिए हो गए हैं कि पुरस्कार मिलेगा। २०० रुपये का पुरस्कार पाने के लिए जो लेखक हर मेम्बर और हर सदस्य के पास दौड़ना चाहता है उसको लेखक मानने के लिए मेरा जी नहीं कहता। बहुत से लेखक तो ऐसे हैं, जो कहते हैं कि हमको कुछ मत दो केवल हमारी पुस्तक छाप दो, उत्तर प्रदेश की सरकार तो हम को दो सौ, तीन सौ रुपये दे देगी। मैं समझती हूं कि उत्तर प्रदेश के लेखकों का विशेष महत्व है। हिन्दी राष्ट्र भाषा की रीढ़ है। आप को जितने हिन्दी के महान् कवि या लेखक मिलते हैं, अधिकांश में वह उत्तर प्रदेश के हैं। निराला को ले लीजिए, सुमित्रानन्दन पंत को ले लीजिए, भारतेन्दु, प्रेम चन्द्र इत्यादि जितने हैं, उत्तर प्रदेश ने अधिक दिए हैं। उनकी स्थिति ऐसी है कि थोड़े दिन के बाद वह भिखमंगों की जमात हो जायगी। जो स्वाभिमानी हैं वह भूखों मरेंगे, जो यही व्यापार करते हैं वह मौज करेंगे क्योंकि दरबारदारी करना तो बड़ा कठिन है, किसी साहित्यकार के लिए और फिर वह जनता की बात अपने कंठ से कैसे कर सकता है जब कि आप चाहते हैं कि वह निरन्तर खुशामद करता रहे।

एक और उदाहरण मुझे स्मरण आ गया। मैं यह सब कहना नहीं चाहती थी। राम-नरेश त्रिपाठी यहां के बड़े पुराने लेखक हैं। उन्होंने बहुत कार्य किया है। सुल्तानपुर जिले में उनकी जमीन है। उस पर स्टेशन बन गया है और उसका जो कुछ उनको मिलना है, वह तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट देगी, लेकिन इस बीच उनको पक्षाघात हो गया है और उत्तर प्रदेश में कहीं किसी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। बम्बई से नेवटिया जी जो एक पूंजीपति हैं, वह आये और उनको ले गए और अब वह वहां पड़े हुए हैं। उनकी बात कहने, मैं नैनीताल तक गई। मैंने कहा कि किसी प्रकार से कुछ उनके लिये होना चाहिये, लेकिन कुछ नहीं हुआ और न कोई उत्तर ही सरकार से आज तक मिला है। मेरे पास समय नहीं था स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा कि यह हमारे पुराने साहित्य सेवी हैं और इनके लिये

[श्रीमती महादेवी वर्मा]

कुछ होना चाहिये, लेकिन सरकार की ओर से एक बार भी इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया गया और हो सकता है कि जब तक कुछ हो तब तक वह स्वर्ग चले जायं। तो मैं कहूंगी कि साहित्य-सेवियों की स्थिति एसी है, शिक्षक की स्थिति ऐसी है, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनकी स्थिति भी ऐसी है, तो फिर जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा हो, तो कैसे हो। यदि आप नैतिक स्तर नहीं उठाते हैं तो शिक्षा का स्तर नहीं उठ सकता है और न आपकी कोई योजना या निर्माण कार्य सफल हो सकता है। बड़ी-बड़ी सरकारें नष्ट इसलिये नहीं हुई हैं कि वह स्वयं असमर्थ थीं, परन्तु उन्होंने अपने नाक, कान, आंख अधिकारियों को बेच दिये। अधिकारियों ने जब अपना कर्त्तव्य छोड़ दिया तो बड़ी-बड़ी सरकारें नष्ट हो गईं। इसलिये स्वयं ही देखना होगा, स्वयं ही जानना होगा। समाज की जो हालत है, उससे आंख नहीं मूंदी जा सकती है। किसी की जीवन समस्या देखिये आंख से नहीं। वह इस परिभाषा को नहीं जानती है। वह कर्म की ही परिभाषा जानती है, कर्म की ही लिपि जानती है। मेरा तो यही कहना है कि मैंने इस बजट में ऐसा कुछ नहीं पाया जिससे मुझे यह विश्वास मिल सकता कि जो त्रुटियां नैतिक, सामाजिक दृष्टि से आ गई हैं, उन्हें हम दूर करने में समर्थ हो सकते। हमारा कुछ उत्पादन बढ़ सकता है, उद्योग-धन्धे बढ़ जायं, परन्तु जो जीवित व्यक्ति हैं, उनकी ओर ध्यान जा सकता है या नहीं, इस पर विचार करना होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

*श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् १९५७-५८ के बजट पर गौर करते हुये हम इस बात को देखते हैं कि इस वर्ष का बजट भी घाटे का बजट है। पिछले वर्ष का जो घाटा है उसे रिजर्व फन्ड से पूरा किया गया है और अगले वर्ष में भी वही होने वाला है। जहां तक कि इस विवाद का प्रश्न है कि डेफीसिट बजट अच्छे होते हैं, इसके लिये मेरा कहना यह है कि आज जो डेफीसिट बजट की परम्परा चल रही है उसमें टैक्स का भार जनता पर ही पड़ता है और जनता का बोझा कम नहीं होता है। जहां तक डेफीसिट का सवाल है वहां हम देखते हैं कि केन्द्र की सरकार ने १२ अरब के नोट छापने का फैसला किया और इसी तरह से केन्द्र की डेफीसिट फाइनैन्सेज के सिलसिले में हम महसूस करते हैं कि अगले आने वाले सालों में टैक्स का बोझा बढ़ने वाला है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात की कोशिश की है कि टैक्स के सिलसिले में यह बात साफ कर दें कि टैक्स का बोझ आयन्दा भी बढ़ सकता है और इसके लिये प्रदेश को तैयार रहना चाहिये। जब योजनायें पूरी न होंगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। तो डेफीसिट बजट के रहते हुये टैक्स का बोझ जनता पर ही पड़ेगा। हम तो यह महसूस करते थे कि जब नई सरकार आयेगी तो उसकी दृष्टि उन पुराने वादों पर जायगी जो पुरानी सरकार ने किये थे और अपने प्रदेश के किसानों को बहुत राहत मिलेगी तथा उनका टैक्स का बोझा कम होगा। मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि जमींदारी खात्मे के सिलसिले में एक जमींदारी एबालिशन कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, और करीब ७-८ साल हो गये तब वह सरकार के पास आ गई थी और उसमें यह था कि जमींदारी खत्म की जाय और उसमें यह भी कहा था कि गरीब किसान जो मालगुजारी के बोझ से लदे हुये हैं उनका स्केल डाउन किया जाय। उस रिपोर्ट के होते हुये आज हमारे यहां जमीन्दारी खत्म हो गई। जो आमदनी होती थी वह ३ गुने से अधिक सरकार को ज्यादा होने लगी, लेकिन गरीब किसानों की मालगुजारी का स्केल डाउन नहीं हुआ। इस सिलसिले में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह कहें कि मालगुजारी आधी होनी चाहिये। मैं मालगुजारी के सिलसिले में यह चाहता हूं कि इसका आधार भी वही होना चाहिये जो आय कर का होता है, जैसे शहर में आप इ कम टैक्स लेते हैं उसी प्रकार से किसानों से भी आय कर के आधार पर मालगुजारी वसूल करें। इस सिलसिले

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

में केन्द्र के वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचारी साहब ने एक प्रश्न उठाया है कि मालगुजारी का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाय जिससे किसानों को कुछ छूट मिले। अभी २ हजार के ऊपर लोग इस मांग को लेकर जेल में पहुंचे हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला, हालांकि मैंने सत्याग्रह नहीं किया था लेकिन सरकार की कृपा से सवा दो महीने के करीब जेल में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। बजट के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि मुझे उम्मीद थी कि इस बजट से किसानों को कुछ न कुछ राहत मिलेगी लेकिन जब मैंने इसको देखा तो मालूम हुआ कि कोई बात इसमें ऐसी नहीं है जिससे किसानों को किसी प्रकार की छूट मिले। इस सिलसिले में मैं यह समझता हूं कि जब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और इसके साथ-साथ पंचवर्षीय योजना में १२ अरब के नये नोट छापने का केन्द्रीय सरकार का प्रपोजल है, तो सवाल यह आता है कि इससे इनफ्लेशन होगा और चीजों के दाम ज्यादा बढ़ेंगे। इस समय सरकार को चाहिये था कि गल्ले के दामों के बढ़ने के सिलसिले में जो बिक्री कर है वह कम करती लेकिन मैंने देखा कि इस प्रतिक्रियावादी टैक्स के सिलसिले में कुछ नहीं किया गया और यह लिखा गया है कि पहली अप्रैल, १९५८ में यह सिंगिल प्वाइंट कर दिया जायेगा।

इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान प्रोग्रेसिव एकोनोमी है उस पर जो अर्थ शास्त्रियों ने लिखा है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं मानता हूं कि पंचवर्षीय योजना चलानी है और हमको नया देश बनाना है और इस सिलसिले में टैक्स भी लगने हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लग्जरी गुड्स हैं, उन पर टैक्स लगना चाहिये, जैसे एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स और इन्टरटेनमेन्ट टैक्स। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर गरीब आदियों पर टैक्स का बोझा कम न किया गया तो यह उचित नहीं होगा। हर मुल्क में जो प्रोग्रेसिव मुल्क हैं, जैसे स्वेडन आदि वहां पर आमदनी काफी है। वहां पर प्रत्येक मनुष्य की आमदनी ४०० रुपया माहवार से कम नहीं है। लेकिन वहां पर भी दूध ६ आना सेर मिलता है और जो सिगरेट आदि है उसकी कीमत ढाई रुपया फी पैकेट है। वहां पर जो लग्जरी गुड्स हैं उन पर ज्यादा टैक्स हैं। अगर हम इस तरीके को नहीं अपनाते हैं तो हमारी प्लानिंग ठीक प्रकार से नहीं चल सकती है और हमको कोई विशेष फायदा नहीं हो सकता है। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट में यह कहा गया है कि समाजवाद की रचना के लिये हमें धन और दौलत का बटवारा करना होगा और हम उस बात को मान कर समाजवाद की रचना करना चाहते हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने बड़े ही उत्तेजनात्मक वक्तव्य अपने बजट भाषण में दिया है लेकिन पूरे बजट को पढ़ने के बाद मुझे कहीं भी इस बजट में नहीं दिखाई पड़ा कि माननीय मंत्री जी दौलत का बटवारा किस तरह से करेंगे। किस तरह से समाजवादी दौलत पर समाज का कब्जा करवाना चाहते हैं, किस तरह से उस दौलत को जो कुछ लोगों के हाथ में है, उसका बटवारा करना चाहते हैं। जो डेलिगेशन सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गया था, उसने कहा कि हमको लैंड की सीलिंग कर देनी चाहिये। एक परिवार के पास उतनी ही जमीन होनी चाहिये जितनी पर वह खेती कर सके। प्लानिंग कमीशन की भी यही रेकमेन्डेशन है लेकिन हमको कहीं भी इस बजट में दिखाई नहीं देता है कि जमीन का बटवारा किस तरह से होगा। इसमें कहीं पर भी जो साधन उत्पादन का है उसके बटवारे का साधन नहीं दिखाई पड़ता है। मुझे तो यह समाजवादी कल्याणकारी राज्य का बजट नहीं लगता है। यह पूंजीवादी राज्य की आकांक्षाओं की भी पूर्ति नहीं करता। जो अनइम्प्लायड हैं उनको इम्पलायमेन्ट देने का वादा है लेकिन हमको इसके अन्दर कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है। हमको इस बजट में आध्यात्मिक तत्व भी नहीं दिखाई पड़ता है जो समाजवादी कल्याणकारी राज्य के सिलसिले में दिखाई देना चाहिये।

आज रिक्शा चलाने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जीवन के उपार्जन के सिलसिले में वृद्धि दौलत की नहीं है। किसी भी समाजवादी कल्याणकारी राज्य के अन्दर पहला कदम इस सिलसिले में उठता है कि राज्य के ऐसे कार्य जो उनको जीवन के आध्यात्मिक गिरावट की ओर ले जाता है उनको खत्म होना चाहिये। जब रूस

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

में क्रान्ति हुई और जो सबसे पहला कदम उठा वह वेश्यावृत्ति को खत्म करने के लिये उठा। १९२४ में वहां पर वेश्यावृत्ति खत्म कर दी गई। कुछ ऐसे काम हैं जिसमें कुछ अमेन्डमेन्ट करके उसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है हम यह महसूस करते हैं कि इस बजट के द्वारा समाजवाद का नाम भी नहीं दिखाई देता है। इसमें सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है। ओल्ड एज पेन्शन की बात इसमें है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य श्री हृदय नारायण सिंह ने एक प्रश्न पूछा था और उसमें बतलाया गया था कि हमारे सूबे की आयु ३४ वर्ष है तो ७० वर्ष की आयु के कितने लोग हैं जो जीवित रहते हैं। केवल कहने के लिये यह बात कह दी जाय। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं है। इस सिलसिले में जो आज योजना है और आप का जो दृष्टिकोण है और प्लानिंग का जो दृष्टिकोण है वह संतुलित नहीं है। प्लानिंग के सिलसिले में यह दिखलाई पड़ता है कि आप इम्प्लायमेन्ट देना चाहते हैं। माननीय वित्त मंत्री का कहना है कि ज्यादा लोगों को काम मिलेगा और कुछ लोग ओवरसियर के काम में चले जायेंगे। लेकिन हमको इस बजट के अन्दर यह नहीं दिखाई पड़ता है कि कितने लोगों को काम मिलेगा। जो दौलत बढ़ाने के साधन हैं उनमें कितने लोगों को काम मिलेगा, यह बात नहीं कही गई। कितने लोग बेकार हैं यह बात भी नहीं कही गई। उनकी बजट स्पीच में इस चीज की कोई चर्चा नहीं है। यह कहा गया है कि इतनी परसेंट बेकारी कम हो गई है। अगर जो आंकड़े दिये गये हैं वे सही हैं तो बेकारी हमारे सूबे में चंद सालों में खत्म हो जाये लेकिन वे सही नहीं हैं। केवल एक पिक्चर ही हमारे सामने रखी गई है। बेकारी की समस्या को दूर करने का कोई सही कदम नहीं लिया गया है। आज प्लानिंग के सिलसिले में किन लोगों को लाभ पहुंचने वाला है यह भी चीज देखने की है। मैं समझता हूं कि जैसे कीचड़ में कमल उगता है उसी तरह से कीचड़ में किन्हीं २ जगहों में कमल उगाये जायं यह इनका प्रयत्न है। हम इस बात को भी देखते हैं कि माननीय मंत्री जी दौलत के बंटवारे की बात करते हैं। लेकिन मैं इस सिलसिले में कहूंगा कि केवल चंद लोगों की दौलत ही बढ़ी है। केवल उन्हीं लोगों की दौलत बढ़ी है जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल ऐंटरप्राइज करते हैं। अगर बड़े २ कैपिटलिस्ट लोगों को निकाल दिया जाय तो मैं समझता हूं कि आय बढ़ने की बात नहीं हो सकती। मैं यह भी कहना चाहता हूं किस इस सिलसिले में बजट में ५१-५२ और ५२-५३ के बाद के आंकड़े नहीं मिले। जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे मालम होता है कि शहरों की आमदनी बढ़ी है और देहातों की आमदनी घटी है। ५०-५१ में ग्राम्य क्षेत्र की औसत आय २१०.६ रु० थी और ५२-५३ में १९१.८ रु० थी। शहरों की आमदनी ५०-५१ में ५४१.९ रुपये थी और ५२-५३ में ५५८.९ रुपये थी। इससे मालूम होता है कि शहर की जनता की आमदनी बढ़ी है। जो पूंजी लगाकर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज करते हैं उनकी आमदनी बढ़ी है। प्लानिंग के सिलसिले में सरकार को गौर करना चाहिए। आज गांवों के सिलसिले की बातें की जाती हैं लेकिन गांवों की पैदावार गिर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में पैदावार गिरी है। जिस अनुपात से आबादी बढ़ रही है उस अनुपात से अनाज की पैदावार नहीं बढ़ी है। पैदावार बढ़ाने के लिये केवल सिंचाई की बात करने से काम नहीं चलेगा। अच्छी खाद और बीज का भी प्रबन्ध करना पड़ेगा। गांव के लोगों को अच्छी खाद और बीज नहीं मिल रहा है। आज इस सिलसिले में जो डिपार्टमेंट्स की हालत है उसके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री चेयरमैन--समय का ख्याल रखें और २ मिनट में आप अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री प्रभु नारायण सिंह--तो इस सिलसिले में इतना कह देना चाहता हूं कि पुलिस और मैजिस्ट्रेसी बहुत ही गलत तरीके से काम कर रही है। मैं इस बात को मानता हूं कि लोक तन्त्र के अन्दर विरोधी पक्ष को और किसी भी व्यक्ति को सरकार के खिलाफ बोलने का हक है

और उसको शान्तिमय तरीके से बदलने का हक है। लेकिन अब दफा १०७ का इस्तेमाल सरकार के प्रोत्साहन पर ऐसे लोगों के खिलाफ हो रहा है जो विरोधी पक्ष की पार्टियों के हैं और वह इस लिये किया जा रहा है कि वे अपने राजनैतिक हक का पालन न कर सकें। साथ ही मजिस्ट्रेस की तरफ से ऐक्शन जो लिया जाता है वह इसलिये कि वे उनकी पार्टी के खिलाफ हैं और उनको गलत तरीके से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, यह ठीक नहीं है। यदि लोकतंत्र को ठीक तरीके से पनपने देना है तो सरकार को चैतन्यता रखनी पड़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि सरकार की नीति आज अजीब ढंग की है। मूर्ति के हटाने का सवाल जो है, उसमें जब एक मौलिक बात मान ली गई तो फिर जो एजीटेशन कर रहे हैं उनको जेलों में भजना ठीक बात नहीं है। इसी सिलसिले में आखिर में एक प्वाइन्ट कह कर मैं खतम करूंगा। बजट स्पीच में कहीं भी नहीं कहा गया है अपनी राष्ट्र भाषा के सम्बन्ध में। किसी भी आजाद मुल्क में दूसरे देश की भाषा नहीं चलती है और जितनी जल्दी उसका खात्मा हो उतना ही अच्छा है। इसके माने यह नहीं कि हम विदेश की भाषा न सीखें। सीखें मगर उसको विदेशी भाषा के रूप में, अपने राज्य में अपनी ही राष्ट्र भाषा का प्रयोग होना चाहिये। आज कचहरियों में जो भाषा प्रयोग में आती है उसमें अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है, एक प्रतिशत हिन्दी का प्रयोग होता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मसले पर गौर से सोचे। अगर उत्तर प्रदेश इस मसले पर नहीं सोचेगा तो शायद यह मसला बहुत दिनों के लिये टल जाय। इसलिये माननीय वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम प्रशासन और न्याय के मामले में हिन्दी का प्रयोग अवश्य होना चाहिये।

*डाक्टर बृजेन्द्र स्वरूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं भी मुबारकबाद में शरीक होना चाहता हूं और अपने विचार इस बजट के ऊपर प्रकट करना चाहता हूं। पोलिटिकल फ्रीडम रखने के लिये यह जरूरी है कि हम इकानोमिकल फ्रीडम को ऐटेन करें। दूसरे यह कि जो बजट पेश हुआ है उसमें हमको सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी का बीज मालूम होता है। वह जरूर हमें इस बजट में मिलता है। बहुत से लोगों ने यह जाहिर किया है कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का उन्हें कहीं पता नहीं चलता है। मेरा ख्याल यह है कि जो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का प्रस्ताव आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने आबादी सेशन में पास किया था उससे संबंधित बहुत सी बातें इस बजट में हमें मिलती हैं। पहली बात यह है कि सेल्स टैक्स को मल्टी प्वाइन्ट के बजाय सिंगिल प्वाइन्ट कर दिया जायेगा। बेहतर तो यह होगा कि फूड ग्रन्स पर कोई सेल्स टैक्स ही नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का ताज्जुब होता है कि क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और सेन्टर के फूड मिनिस्टर श्री अजीत प्रसाद जैन ने ये बातें मंजूर नहीं की। आगे जो हमें अच्छी बात मिलती है वह ओल्ड एज पेन्शन है। ७० वर्ष तक की उम्र वालों को यह पेन्शन मिलेगी लेकिन इस उम्र तक पहुंचना आजकल मुश्किल है, हालांकि मेरी उम्र इस समय ८० वर्ष है। परन्तु ७० वर्ष की उम्र तक पहुंचना दुश्वार है इसलिये इसको घटा कर ६५ वर्ष कर देना चाहिए।

हमें यह भी पता चलता है कि छठी क्लास तक फ्री एजुकेशन रख दी गयी है। काश्मीर में तो पूरी एजुकेशन फ्री है। सरकार ने यह प्राविजन किया है कि जो सरकारी कर्मचारी १०० रुपये से कम माहवार तनख्वाह पाते हैं उनके बच्चों की ९ वीं क्लास में फीस आधी कर दी जायेगी, यह मुनासिब मालूम होता है लेकिन काफी नहीं है। जब पंजाब में मैट्रिक तक की शिक्षा फ्री हो सकती है तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि हमारा देश इसमें पीछे क्यों है।

सरकार ने जो बिजली पर २५ फीसदी ड्यूटी लगायी थी उसमें इन्डस्ट्री के लिये कुछ कमी कर दी है। मेरी समझ से यह बिरला कमेटी के सजेशन पर किया गया होगा क्योंकि उसमें एक यह भी तजवीज थी। परन्तु मैं समझता हूं कि उस कमेटी ने जितने भी सजेशन दिये हैं उनको सरकार को मान लेना चाहिए।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इस में डेवलेपमेंट की स्कीम्स रखी गयी है उसके

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[डाक्टर बृजेन्द्र स्वरूप]

लिये जो रुपया चाहिए तो वह कहां से आयेगा क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इलास्टिक नहीं हैं। तमाम रिसोर्सेज को तो आप टैक्स कर चुके हैं, इसलिये जो फाइनेन्शियल पोजीशन हमें दिखलाई गई है वह ज्यादा साउन्ड नहीं दिखलाई देती है। पहले तो यह है कि ९ करोड़ का पिछले साल डैफिसिट था और उसको पूरा किया जाना हमारे फाइनेन्स ने तजवीज किया है रिजर्व फंड से तो इस साल जो साढ़े ११ करोड़ का डैफिसिट है उसको भी मिला करके रिजर्व फंड से लिया जायेगा या पूरा किया जायेगा तो फिर मैं समझता हूं कि रिजर्व फंड भी गायब हो जायेगा और हमारी स्टेट जो है वह बैंकरप्ट की सी हालत में पहुंच जायेगी। अब मैं सेपरेशन आफ जुडीशियरी फ्राम दि एक्जिक्यूटिव के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार के इसके लिये पहले से सेशन होते रहे हैं और हमेशा से कांग्रेस की यह नीति रही है तथा उसने इसके बारे में रेजोल्यूशन भी पास किये कि सेपेरेशन आफ जुडीशियरी फ्राम एक्जिक्यूटिव होना चाहिये, इसके लिये कान्स्टीट्यूशन का एक चैप्टर है, उसमें जो डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल आफ दि स्टेट पालिसी है उसके दफा ४९ में यह मिलता है कि स्टेट की अब तक यह ड्यूटी समझी गयी है कि वह रफ्ता-रफ्ता जुडीशियरी और एक्जिक्यूटिव के फंकशन्स को अलाहिदा कर दे, लेकिन आज उन का फंक्शन वैसा ही रहने दिया गया है, जैसा कि पहले से चला आ रहा है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट कान्स्टीटयुशन की रू से एक नोटिफिकेशन कर सकती थी और उस नोटिफिकेशन के जरिये से मैं समझता हूं कि तमाम मैजिस्ट्रेटों को हाई कोर्ट के कन्ट्रोल में लाया जा सकता है। हाई कोर्ट के कन्ट्रोल में लाने से नतीजा यह होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का असर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट पर है, जिसका फ्यूचर आन दि गुड विल आफ दि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर है, वह दूर हो जायेगा और यह इविल जो है वह हमेशा के लिये इलिमिनेट हो जायेगा।

इसके बाद मैं समझता हूं कि फैमिली प्लानिंग के बारे में जो कुछ भी इस सदन में कहा गया है म उसके मुवाफिक नहीं हूं। मैं समझता हूं कि एक्सटेन्शन और मारेल कोर्स के जरिये से अगर यह काम किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। यह ज्यादा मुनासिब होता कि अगर किसी की चार से ज्यादा औलाद होगी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था तो उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिये और ऐसे लोगों पर मैं समझता हूं कि टैक्स लगाना बहुत ही जरूरी मालूम होता है जो कि चार से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ज्यादा बच्चे पैदा करके वह स्टेट के ऊपर बोझा डालते हैं। और स्टेट जो है उस बोझे को बरदाश्त नहीं कर सकती है, उसको संभाल नहीं सकती। नतीजा यह होता है कि प्रदेश में अनएम्प्लायमेंट बढ़ता जाता है और जब इस तरह से अनएम्प्लायमेंट की तादाद बढ़ेगी तो फिर वह कभी भी खत्म नहीं होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और इससे ज्यादा मैं कह भी नहीं सकता।

श्री अम्बिका प्रसाद वाजपेयी (नाम निर्देशित)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट इस समय हमारे सामने है, उसके सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं और बहुत सी बातें कहीं जायेंगी। मुझे यह देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि सन् १८८५-८६ के बृटिश गवर्नमेंट के समय के बजट में ७२ करोड़ की आय थी और ७१ करोड़ और ५८ लाख का व्यय था और उस समय बृटिश भारत की आबादी करीब २१ करोड के थी और आजकल हमारे प्रदेश की आबादी साढ़े छः करोड़ की है और उसमें भी करीब ११ करोड़ का घाटा है। उसे देखने से मालूम होता है कि स्थिति बहुत ही विचित्र है। आमदनी से बहुत ही अधिक हमारी सरकार खर्च कर रही है। इसके साथ ही साथ आश्चर्य की एक बात यह भी है कि कहा तो यह जाता है कि एकोनामिक ड्राइव होती है। पर देखते हैं कि जब इकोनामिक ड्राइव है तो यह हाल है और यदि न होता तो क्या होता, यह सोचने की बात है।

श्रीमान्, मैं आपको एक बात यह बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने दो सफेद हाथी पाल रखें हैं, एक तो इन्फारमेशन डिपार्टमेंट और दूसरा पंचायत राज्य डिपार्टमेंट है। इसमें इतना धन नष्ट होता है कि कोई हद नहीं है। कागज की कमी है। मैं दो चार दिनों से यहां भी देख रहा हूं कि रंगीन कागज आ गया है, पर इन्फारमेशन डिपार्टमेन्ट में कागज की कोई कमी नहीं है। कागज बेफिक्री से खर्च होता है। आर्ट पेपर जो बड़ी मुश्किल

से मिलता है, वह वहां बहुत ही खर्च होता है। हमारे कोई मिनिस्टर साहब जब किसी यूनि-वर्सिटी में या कालेज में कन्वोकेशन भाषण देते हैं, तो उनका जो भाषण छापा जाता है वह भी आर्ट पेपर पर होता है। वैसे तो कागज की कमी है और इस तरह से कागज नष्ट होता है। यदि आप उस आर्ट पेपर को रद्दी में बेचें तो आपको बहुत ही कम पैसे मिलेंगे। परन्तु उसमें सरकार ने कितना पैसा लगाया है यह भी जरा सोचने की बात है। अभी दो या तीन दिन हुये बजट मिला था जिसका मैंने वजन किया तो साढ़े आठ सेर निकला। यह रद्दी ६ आने सेर बाजार में बिकती है। उसको बेचने से ५१ आने ही मिल सकते हैं, पर उसमें सरकार का कितना पैसा लगा, उसका कोई हिसाब नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि बजट साहित्य न छपना या न बंटना चाहिये। इसका छपना और बंटना आवश्यक है। पर जो प्रोपेगेन्डा साहित्य आर्ट पेपर पर छापा और बांटा जाता है उस पर आपत्ति है।

दूसरी बात यह कहनी है कि इन्फारमेशन डिपार्टमेंट में बहुत ही ज्यादा घपलेबाजी होती है। अभी हाल ही में एक हिन्दी कमेटी बनी थी। इस हिन्दी कमेटी में क्या हो रहा है। इस हिन्दी कमेटी ने ६ किताबें छापी हैं। जहां एक किताब की छपाई ४० रुपये फर्मे है, वहां इन किताबों की जो बनारस में छपी हैं, छपाई ८० रु० फर्मे दी गयी है। क्यों दी गई है? क्या बात है। इसका न कोई पूछने वाला है और न कोई बतलाने वाला है। आज यह अन्धेर खाता है।

बृटिश गवर्नमेंट के जमाने में ब्योरोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, पर आज तो गवर्नमेंट की हालत इससे भी अधिक खराब है। मंत्रियों के पास तो इतना ज्यादा काम है कि उन्हें दम मारने की भी फुरसत नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में आफिसर ५ बजे घरों को चल देते थे, पर आज मंत्री लोग रात तक बैठे रहते हैं। फिर भी इन्एफीशियेन्सी की शिकायत रहती है। इसके सिवा सचमुच एकाएक हाथी पालने की भी जरूरत समझी गयी है और उसके लिये ५ हजार रुपये खूराक पर सालाना खर्च होंगे। ऐसा मालूम होता है कि इस पब्लिक धन का कोई मालिक ही नहीं है। यह रुपया मालूम होता है कि गवर्नमेंट के लिये बहुत सस्ता है, पर क्या और लोगों के लिये भी इतना ही सस्ता है?

आज लोगों को खाने की तकलीफ है। जोन बनाये गये हैं, लेकिन जहां पहले ढाई सेर का गेहूं मिलता था, वहां जोन बनने के बाद सवा दो सेर का मिलता है। आज हमारी गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स पर टैक्स छोड़ने के लिये तैयार ही नहीं है। जब तक यह नहीं होगा अन्न सस्ता नहीं होगा।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सम्बन्ध में तो कुछ कहना ही नहीं है, परन्तु आज हड़तालों की धमकियां दी जा रही हैं। सन् १९४६ में पी० ऐंड टी० की हड़ताल मैंने देखी। वह बहुत जोरदार थी और इससे गवर्नमेंट का बहुत नुकसान भी हुआ। पब्लिक का भी बहुत नुकसान हुआ उस हड़ताल को तो अब लोग भूल भी गये हैं। उस समय जो हड़ताल हुई थी, उसका कोई अन्दाजा ही नहीं लगा सकता है। हमें इस को आज अच्छी तरह से समझ बूझकर विचार करना चाहिये कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है।

अब की बार एक बड़ा प्रसंशनीय कार्य सरकार ने किया है और वह है औल्ड एज पेन्शन का देना। २५ लाख रुपये इसके लिये डेढ़ लाख आदमियों के वास्ते रखे गये हैं। हम सभी जानते हैं कि पोलिटिकल सफरर के सम्बन्ध में क्या हुआ था। जो कभी जेल के दरवाजे के पास भी नहीं फटका, उसने भी सार्टिफिकेट दे दिया और उसे रुपया मिल गया। इसी तरह से ओल्ड एज पेन्शन के लिये भी होगा। तकावी के बारे में, जिनका सम्बन्ध देहातों से है, आज बहुत शिकायत करते हैं कहते हैं, जिनको कुछ चाहिये, उनको तो कुछ नहीं मिलता, जिन्हें नहीं चाहिये उनको मिलता है। इसी तरह की कितनी ही बातें हैं, जिनके सम्बन्ध में सरकार को विचार करना चाहिये। कहना पड़ता है कि आज पब्लिक धन बहुत ज्यादा नष्ट हो रहा है और इसका कोई ठिकाना नहीं है।

[श्री अम्बिका प्रसाद वाजपेयी]

एक बात और ऐसी है, जिस पर शायद न तो किसी ने कुछ कहा है और न कहेगा। आज हमारी गवर्नमेंट हिन्दी विज्ञापनों को अंग्रेजी पत्रों में देती है। अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाले तो अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिन्दी नहीं पढ़ते। हमारी गवर्नमेंट इतनी बुद्धिमानी से काम करती है जैसी बुद्धिमानी से संसार में और कोई नहीं करता। हिन्दी के पत्रों में हिन्दी के विज्ञापन क्यों नहीं दिये जाते हैं। यह बात समझ में नहीं आती। पब्लिक धन नष्ट इस तरह से हो रहा है कि इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसे रोकने का आज कोई उपाय नहीं है।

इन्फारमेशन डिपार्टमेंट से एक पत्रिका 'त्रिपथगा' निकलती है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यह पत्रिका किन लोगों के पास जाती है ? कब निकलती है और कब बंटती है, कोई नहीं बता सकता। कभी कभी मेरा लेख भी इसमें छप जाता है, तो मुझे वह अंक देखने की इच्छा अवश्यक होती है। पर यह ठीक समय पर कभी नहीं मिलता। यदि पत्रिका निकलनी है तो ठीक समय से निकालनी चाहिये। दो महीने पर निकालने से क्या लाभ ? मैं समझता हूं कि शायद बाद में वह टोकरी में या रद्दीखाने में चली जाती है। इस तरह की स्थिति से ऐसा मालूम होता है कि गवर्नमेंट में गदर मचा हुआ है और उसे देखने वाला कोई नहीं है। ६ डायरक्टर इन्फारमेशन डिपार्टमेंट में हैं और ६ पंचायत राज में हैं। काम की व्यवस्था यह है। इतना पब्लिक धन का दुरुपयोग कभी नहीं हुआ जितना कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में हो रहा है। यदि इससे लोगों का सरकार से विराग हो तो क्या कोई आश्चर्य है ?

बड़े दु:ख की बात तो यह है कि हम लोग सोचते थे कि हमारा राज्य होगा तो क्या ही अच्छा होगा। पर अब हम देखते हैं कि हमारा राज्य हो गया, और हम फ्राम दी फाइंग पैन टू दि फायर, कढ़ाई से चूल्हे में गिर पड़े। इसके लिये हमको क्रोध नहीं आता है। अपनी अकर्मण्यता पर दु:ख के साथ यह कहना पड़ता है। इस स्थिति को हम को संभालना चाहिये। गवर्नमेंट कहती है कि हमने यह किया वह किया, बजट स्पीच में जो तस्वीर हमारे वित्त मन्त्री जी ने खींची है उसका आधा भी होता तो हमको बड़ा आनन्द होता, प्रसन्नता होती। हमारे सामने जो वस्तुस्थिति है वह बहुत शोचनीय है। मैं तो विशेष बोल भी नहीं सकता, इसलिये यहीं समाप्त करता हूं।

श्री निजामुद्दीन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट के लिये जो फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने पेश किया है, उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस सदन के हर एक सदस्य को मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट का आब्जेक्टिव सोश-लिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी कायम करने का है। इस सिलसिले में जो सेकेन्ड फाइव इयर प्लान बनाया गया है, उसमें जो योजना रखी गयी है, उसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि हमारी नेशनल इन्कम बढ़े, हमारा स्टैन्डर्ड आफ लिविंग ऊंचा हो, हममें जो नाबराबरी है वह कम हो और हमारी बेरोजगारी में कमी हो। इस नुक्तेनिगाह को अपने सामने रखकर जब मैं इस बजट को पढ़ता हूं तो मुझे इस बात को कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि इसमें जो योजना रखी गयी है उससे हमारी नेशनल इन्कम बढ़ेगी, हमारा स्टेन्डर्ड आफ लिविंग ऊंचा होगा। हममें जो नाबराबरियत आई है उसमें रफ्ता-रफ्ता कमी वाकै होगी और जो बेरोजगारी है उसमें भी कमी होगी। फर्स्ट फाइव इयर प्लान जो गवर्नमेंट ने चालू किया था, हम लोगों को मालूम है कि उसका मकसद यह था कि हमारी फूड समस्या हल की जाय। चूंकि गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में जितने साधन फूड बढ़ाने के सिलसिले में हो सकते थे सब किये, इसका नतीजा यह हुआ कि ५४-५५ में जितना टार्जेट फूड प्रोडक्शन का था उससे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ और उसका नतीजा यह हुआ कि फूड प्राइसेज में बड़ी कमी होने लगी। कमी यहां तक हुई कि १३-१४ रु० मन गेहूं बिकने लगा ? सभी गल्ले की कीमतें गिरने लगीं। गवर्नमेंट ने जब यह देखा कि प्राइसेज कम हो रही हैं तो उसने उस पर पाबन्दी लगादी और उसकी प्राइस बढ़ी और आज परिस्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि यह एक समस्या बन गई है। आज २० रुपया मन गेंहूं बिक रहा है और गल्ले भी इसी तरह से महंगे हो गये हैं। जितनी और चीजें

जो जिन्दगी के लिये जरूरी हैं उसमें सबमें ज्यादती हो गई है । हममें से हर शख्स जितनी जिसकी आमदनी है अगर वह अपनी महीने की आमदनी और खर्च का हिसाब लगाये तो उसको पता चलेगा कि मिडिल क्लास के लोगों की क्या दशा है । आज उनको एक वक्त का खाना भी अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है । जिनके पास चार बच्चे और बीबी हैं उनकी शादी का सवाल, एजूकेशन का सवाल ऐसा है कि मैं समझ नहीं पाता कि कैसे वह अपनी जिन्दगी बिताते होंगे । इस समस्या को हल करना गवर्नमेंट का फर्ज है । जब गवर्नमेंट ने इस प्राइस को इतना बढ़ा दिया है तो वह कम भी कर सकती है । मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट साहूकारों और महाजनों को जिन्होंने गल्ला स्टोर कर लिया है और वह बाजार में नहीं ला रहे हैं उनका कड़ा प्रतिबन्ध लगा दे । मैं समझता हूं कि इस तरह करने से गल्ले की प्राइसेस में बहुत कमी हो जायगी । और अगर यह नहीं होता है तो जो गवर्नमेंट हरदिल अजीज है उसके लिये लोगों के वह ख्यालात न रह जायेंगे ।

बहुत सी बातें माननीय मन्त्री जी ने बजट में रखी हैं । उनके मुताल्लिक जितना भी फाइनेन्स मिनिस्टर को मुबारकबाद दिया जाय कम है । छठे दर्जे तक की फीस माफ कर दी गई है, ओल्ड एज पेन्शन का भी प्राविजन किया गया है । जो ९५ रुपया तनख्वाह पाने वाले गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं उनके भत्ते ५ रुपये और बढ़ा दिये गये हैं और जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट १०० रु० तनख्वाह पाने वाले हैं उनके बच्चों को नाइन्थ क्लास में हाफ फ्रीशिप कर दिया गया है । सोशल सर्विसेज में जो ७० लाख रुपया रखा गया है वह निहायत सराहनीय है । इससे अनाथ बच्चों की और जो अन्धे लूले–लंगड़े बच्चे हैं उनको सहायता मिलेगी । बावजूद इसके कि गवर्न–मेंट ने तालीम के सिलसिले में जो भी सहूलियतें हो सकती थीं, दी हैं लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है और मैं गवर्नमेंट का तवज्जह इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मोमिन स्टाइपेन्ड जो अब तक दिया जा रहा है और जो पिछले सालों में १ लाख ५५ हजार का था अबकी बार वह ४० फीसदी कम कर दिया गया है और बैकवर्ड में शामिल कर दिया गया है । मैं नहीं समझता हूं कि यह गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं सकते हैं उनके स्टाईपेन्ड में कमी क्यों की गई । मैंने इसकी तवज्जह मुख्य मन्त्री और श्री मंगला प्रसाद को दिलाई है और मन्त्री जी भी इस तरफ देखें कि ऐसा क्यों किया गया है ।

दूसरी बात हैन्डलूम इन्डस्ट्री की है यह काटेज इन्डस्ट्री हिन्दुस्तान में सब से बड़ी इन्डस्ट्री है और इसका रुपया सेन्ट्रल से आता है और जिस स्कीम के मातहत वह अब तक चलती थी वह बहुत अच्छी नहीं है । इसके बुनकरों को कुछ फायदा नहीं पहुंचता है । इसमें कुछ सेल्फिस लोग हैं वह फर्जी तौर पर आ गये हैं और आपस में रुपया बांट लेते हैं । तो मेरा आप से यह कहना है कि आप हैन्डलूम इन्डस्ट्री के लिये यह करें कि जो सोसाईटी के मेम्बर हैं उनको फिक्स ३०० रु० का ग्रान्ट्स लोन या सब लोन दें और उसके बाद जो उनका आउटपुट हो उसकी मारकेटिंग का इन्तजाम करें तो मेरा ख्याल है कि ढाई–तीन लाख आदमियों को इससे फायदा होगा ।

दो बातों की ओर मेरे लायक दोस्त श्री नरोत्तम दास टंडन ने इलाहाबाद शहर के सिलसिले में ध्यान दिलाया है । उस शहर में जहां गवर्नमेंट कारपोरेशन बनाने जा रही है वहां इस किस्म के अस्पताल जैसे इस वक्त इलाहाबाद में है, अच्छी बात नहीं है । वहां पर एक अच्छे हास्पिटल का न होना अच्छी बात नहीं है । मैं गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाऊंगा कि इलाहाबाद में जो प्रामिस दिया जा चुका है, और अभी तक पूरा नहीं हुआ है वह पूरा किया जाय और एक हास्पिटल बनाया जाय ।

नान रिफन्डेबिल आक्ट्राय के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी ४ महीने हुये सरकार के सामने साफ तौर से यह जाहिर था कि ४ लाख का घाटा होगा । जब यह स्कीम जारी होगी और अब आक्ट्राय शेड्यूल के रेट में ४–४ गुना इजाफा हो रहा है और इसी वजह से से वहां की इन्डस्ट्री बरबाद हो रही है और अगर यह इसी तरह से आक्ट्राय ली जाती रही तो मैं समझता हूं कि वहां की इन्डस्ट्री बरबाद हो जायेगी । मैं गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाऊंगा कि जब वह जानती थी कि ४ लाख का घाटा हो रहा है तो अब शेड्यूल में ऐसी तरमीम की इजाजत न दे, जिससे इन्डस्ट्री बरबाद हों ।

[श्री निजामुद्दीन]

एक बात की तरफ और मैं गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं, मेरे ख्याल में वह सूरते हाल बहुत नाजुक है। आज सरकार बहुत भयानक और खतरनाक सूरत एख्तियार करती जा रही है। अगर गवर्नमेंट ने इसके सुधार की तरफ ध्यान न दिया तो किसी वक्त यह बहुत खतरनाक सूरत अख्तियार कर लेगी और गवर्नमेंट की प्रेस्टीज के ऊपर भी धक्का लगेगा। वह यह है कि जो लड़के आज कल इन्टरमीडियेट का इम्तिहान थर्ड डिवीजन में पास करते हैं, उनको किसी कालेज में दाखिला नहीं मिलता, यह बात उन लड़कों के लिये और उनके वालदैन के लिये, जिन्होंने फाका करके और अपना पेट काट कर उनको यहां तक पढ़ाया, बहुत दुख की बात है, उन लड़कों को कालेज में दाखिला न मिलने पर न तो कोई नौकरी मिलती है और न कोई काम मिलता है। ऐसे लड़कों की तादाद साल बसाल बढ़ती जा रही है और वह बेकार हो कर बुरी सोहबत में और बुरे रास्ते पर जा रहे हैं, जिससे जरायम बढ़ेंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ गलत प्रोपेगेन्डा किये जायेंगे। गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। सरकार को यह देखना चाहिये कि उनको भी जगह दी जाय। अगर जगह नहीं हैं तो उनके लिये कोई दूसरा इन्तजाम किया जाय। मैं आखिर में माननीय वित्त मन्त्री जी को इस बजट के लिये बधाई देता हूं।

*श्री लालता प्रसाद सोनकर (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में सरकार ने ९५ लाख ५३ हजार रुपया रखा है हरिजन उद्धार के लिये। गत बजट से इस बजट में १० लाख रुपया अधिक है। इस बजट के लिये कहा जाता है कि यह समाजवाद की ओर एक कदम है और ऐसा कदम है कि हमारे देश में उन जातियों की, जो जातियां अभी तक हरिजन, अछूत और दलित कहलाती हैं, उनको समाजवाद से लाभ होगा, यद्यपि मैं यह समझता हूं कि हरिजन जातियों की वैसी स्थिति नहीं है जैसा लोग ख्याल करते हैं।

(इस समय १२ बजकर २५ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

मेरा ख्याल है कि व्यक्तियों के हृदय में जो प्रतिक्रिया उठ रही है उससे यह मालूम पड़ता है कि लोग सरकार से सन्तुष्ट नहीं हैं। उसका कोई कारण है। कांग्रेस की ओर से क्लास लेस सोसाईटी (वर्ग विहीन समाज) की स्थापना की बात कही जाती है मगर हमारी सरकार हरिजन कल्याण विभाग के नाम की संस्था कायम करके हिन्दू जाति में दो भेद उत्पन्न करने जा रही है। हमारे संविधान में हरिजन शब्द नहीं है। वहां शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब है। यहां पर हरिजन शब्द कहा जाता है। यदि हम श्री हाफिज मुहम्मद साहब को हरिजन कह दें, तो ऐसे आदमियों के सामने जो नहीं जानते हैं तो वे समझेंगे कि हाफिज साहब भंगी हैं और चमार हैं। श्री चन्द्रभाल साहब को कह दें कि यह हरिजन हैं तो वे समझेंगे कि यह भंगी हैं और चमार हैं। भावना के चक्कर में आकर और शाब्दिक के चक्कर में आकर लोगों ने शब्दों के अर्थ को भुला दिया है। महात्मा गांधी जी ने जिस भावना से प्रेरित होकर उनका नाम हरिजन रखा वह लुप्त हो गया है।

अब हरिजन शब्द नीच शब्द का परिचायक हो गया है। इस समाजवाद की ओर हमें बढ़ना है तो जब तक सम्पत्ति का बटवारा नहीं किया जायेगा तो समाजवाद कैसे आयेगा। सामाजिक स्थिति हरएक की बराबर नहीं होगी जब तक सम्पत्ति हर एक के पास नहीं होगी सम्पत्ति का बटवारा तो एक बहुत बड़ी चीज है। पहले सामाजिक समानता होनी चाहिये। यहां जब तक हरिजन शब्द है तब तक उनकी उन्नति नहीं होगी। महात्मा जी के दिमाग की यह उपज नहीं है। एक मद्रासी ब्राह्मण ने गांधी जी से कहा जब वह नाम बदलना चाहते थे कि महात्मा जी ये कितने परिश्रमी हैं। अपने बाहुबल पर कमाते हैं और किसी से भीख नहीं मांगते हैं

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

वह वास्तव में हरिजन हैं। इस बात से प्रेरित हो कर हरिजन शब्द रखा गया। हरिजन का अर्थ है, मन आफ गाड। कोई दूसरे आदमी को हरिजन नहीं कह सकता। हरिजन बिल्कुल अलग हो गये हैं, हिन्दू जाति से। यह सरकार के ही कारण हुआ है। सरकार को इस गलती को रोकना चाहिये।

अब राजा महाराजा नहीं रहे, जमींदार नहीं रहे, ताल्लुकेदार नहीं रहे, लेकिन ये हरिजन मौजूद हैं। समाजवाद किस चिड़िया का नाम है, मैं यह नहीं समझता। जमींदारियां, ताल्लुकेदारियां छीन ली गई हैं। सिर्फ पूंजीपति रह गये हैं। शायद अगला कदम पूंजीपतियों के खत्म करने का होगा। जब हरिजन और नान हरिजन पैदा रहेंगे, तब समाजवाद कैसे आयेगा। काठियावाड़ में हरिजन वे कहलाती हैं जो मन्दिरों में नाचने और गाने का काम करती हैं। वे ऐसे लोगों की लड़कियां होती हैं जिनके पुत्र नहीं होते। उन लड़कियों को मन्दिर की भेंट चढ़ा दिया जाता है और उनसे जो सन्तान पैदा होती है वे हरिजन कहलाती हैं। गांधी जी लाख कहते रहें, कौन मान सकता है। यदि सरकार ने इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की तो बुद्धिज्म का प्रचार हो जायेगा। मेरे पास आल इंडिया शैड्यूल्ड कास्ट फैडरेशन का सेक्रेटरी आया। उन्होंने कहा कि वे बौद्ध धर्म स्वीकार करने जा रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार को हरिजन शब्द बहुत जल्द खत्म कर देना चाहिये। अगर वे समाजवाद लाना चाहते हैं। पहले कई सम्प्रदाय थे, जैसे राधास्वामी सम्प्रदाय और हरिजन सम्प्रदाय। राधा स्वामी सम्प्रदाय तो अब भी है, लेकिन हरिजन सम्प्रदाय अब नहीं है। हरिजन सम्प्रदाय के प्रवर्तक से कहा गया कि हरिजन शब्द निकाल दीजिये। उन्होंने जवाब दिया कि ये लोग बड़े परिश्रमी हैं। सफाई से लेकर सारा काम ये करते हैं। इसलिये उनका नाम हरिजन रख रहे हैं। लेकिन लोगों को यह बात पसन्द नहीं आई। वे अलग हो गये। नतीजा यह हुआ कि आज हरिजन सम्प्रदाय का नाम सुनने में भी नहीं आता है। यह हरिजन नामक पत्रिका में लिखा था।

मैं आपसे कहता हूं कि हरिजन शब्द से आज भी वैसे ही घृणा है जैसे पहले थी। आज जब शिक्षा का प्रसार हरिजनों में भी हो रहा है, तो वह चाहते हैं कि अपने को हरिजन क्यों कहें। मैंने तहसीलों और कलेक्टरी कचहरियों में देखा है, अगर कहीं किसी हरिजन ने किसी की बाल्टी लोटा छू दिया तो उसको निकाल देते हैं, वह बरतन ही रखना नहीं चाहते। हरिजन कल्याण विभाग आपका क्या कर रहा है। हरिजन विभाग में जाकर डायरेक्टर महोदय से मिला, मगर उनके यहां कोई सुनवाई नहीं। आज लाइब्रेरीज में एड दी जाती है, मगर पैसा दिया ही नहीं जाता। हरिजनों के लिये नाइट स्कूल खोलने का हुक्म होता है, मगर वह स्कूल लगते ही नहीं। जब कम्पलेन्ट किया तो कहा गया कि लिख कर दीजिये। लिख कर दिया। मिनिस्टर नहीं सुनते, सेक्रेटरी नहीं सुनते, डिप्टी सेक्रेटरी नहीं सुनते। मैंने फिर उनके डिपार्टमेंट में जाना छोड़ दिया। ठाकुर हर गोविन्द सिंह से कहा कि किसी तरह से अनटचबिलिटी को खतम कीजिये, उन्होंने टाल दिया। मैं कहता हूं कि यदि अनटचबिलिटी दूर नहीं करते हैं तो बड़ी गलती कर रहे हैं और समाजवाद के नाम पर धोका दे रहे हैं। मुसलमानों में भी छूत-छात है। उनके यहां भी सैयद, शेख,पठान हैं। बैकवर्ड क्लासेज का एक कमीशन बना था, काका कालेलकर उसके चेयरमैन थे। जब वह दौरे पर लखनऊ में आये, तो मैं भी उनसे मिलने गया, उनके विचार में ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य आदि जातियां नहीं हैं। वह तो कहते हैं चार जातियां हैं, मगर वह हैं, हरिजन, गिरिजन, बहुजन, और महाजन। हरिजन में नीच जातियों को बतलाया, गिरिजन में पहाड़ में रहने वाले, बहुजन में तेली तम्बोली कहार आदि और महाजन में क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि। हमने कहा कि हरिजन शब्द के माने जो गांधी जी ने लिया है, वह है "पवित्र" के। मगर उसको आज मानता कौन है। आज कोई छोटी कौम का मुसलमान हो जाय। अपनी चोटी काट ले, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगे जाय और आप के राम और गंगा को भूल जाय, तब वह अनटचएबुल नहीं रह सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने धर्म से प्रेम नहीं है। आपको अपने राम, कृष्ण और गंगा से कोई प्रेम नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब आज संसार में एक धर्म और एक राष्ट्र की बात कही जा रही है, तब हमारी

[श्री लालता प्रसाद सोनकर]

सरकार कुछ नहीं सुनती है। मैं कहते-कहते थक गया, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। मैं अब किसी ऐसी कमेटी में ही नहीं जाता हूं। हमारे यहां कानपुर में राठौर साहब कलेक्टर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा सोनकर साहब आप मेरे पास कहिये। मैंने उनसे भी कहा कि कानपुर में शराब और नशे की चीजें घर-घर बिकती हैं और ये सारी चीजें उन मुहल्लों में होती हैं, जहां गरीब आदमी रहते हैं। मैं भी एक ऐसे ही बाजार में रहता हूं, जिसको कुली बाजार कहते हैं। यह नाम अंग्रेजी के जमाने में पड़ा था क्योंकि इस बाजार में अधिकतर वही लोग रहते हैं। इस बाजार में आप को गांजा, चरस, भांग, और झिन्जर खूब मिल सकती है। अभी वहां पर ७ मन भांग पकड़ी गई है। मैंने वहां पर कई बार थाने में भी इस बात की रिपोर्ट की और मेरे पास उन लोगों के नाम भी हैं जो कि गांजा, भांग और झिन्जर बेचते हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। सरकार हर साल इसमें ८ करोड़ का घाटा सह रही है। लेकिन उधर घर-घर में इस तरह की बातें हो रही हैं। मेरे पास अब भी लिस्ट है कि ये २ लोग बेचते हैं, लेकिन दारोगा १० रुपये रोज लेता है, मुन्शी ५ रुपये रोज लेता है, हेड कान्स्टेबुल ३ रुपये रोज लेता है और कान्स्टेबुल १ रुपया रोज लेता है तो फिर कौन उनको पकड़ेगा। ऐसी बातें वहां पर होती हैं। जब हम कहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है तो कहते हैं कि वे भी तो गरीब आदमी हैं।

(इस समय १२ बजकर ४२ मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

यदि समाजवाद की ओर सरकार कदम बढ़ाती है तो सब से पहले उन जातियों का उत्थान करना होगा और इस बात पर ध्यान देना होगा, जिसमें जातिवाद और साम्प्रदायवाद नहीं होना चाहिये, वरना इस सरकार के खिलाफ लोगों के दिलों में जो बगावत पैदा हो रही है वह बहुत जोरों के साथ उभड़ जायेगी। मेरे दिल में इस बजट के लिये सिर्फ एक यही बात है कि मैं वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

*श्री हयातुल्ला अन्सारी (नाम निर्देशित)—जनाब अध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में मेरा एक सजेशन है, जिसको पहले पेश करना चाहता हूं। कुछ इसकी टेन्डेन्सी बदलनी चाहियें। पहले स्कीम्स बनायी जाती थी, लेकिन अब आदमियों को देख कर बनाना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें बतलाया गया है कि हम इतना-इतना रुपया रखते हैं। जैसे ७० वर्ष से ऊपर वाले हैं, उनके लिये इतना रुपया रखा गया है। लेकिन उन आदमियों की क्या तादाद है यह नहीं बतलाई गई है। इसी तरह से ४ करोड़ रुपया हेल्थ के लिये रखा गया है तो क्या यह नहीं बतला सकते हैं कि इससे इतने आदमी पहले फायदा उठाते थे और अब इतने आदमी फायदा उठायेंगे। इसी तरह से अनइम्पलायमेंट की बात है। क्या यह नहीं बतलाया जा सकता कि इतने आदमी स्किल्ड में आ सकते हैं और इतने आदमी अनस्किल्ड में आ सकते हैं। जो आप का एकोनामिक्स डिपार्टमेंट है, क्या वह इस काम को नहीं कर सकता है। अगर बजट इस तरह से बनाया गया होता कि कितने मजदूर किस जगह पर लगेंगे, कितने बच्चों की फीस मुआफ हो जायेगी और कितने बीमारों को दवाइयां मिल जायेंगी, अगर यह तस्वीर सामने आ जाती, तो ठीक होता।

अगर यह रिवाज पूरी तरह से बना लिया जाय तो उससे सिर्फ गवर्नमेंट का ही फायदा नहीं होगा, पब्लिक का भी फायदा होगा। वह भी एक तरह से बजट को पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे कि बजट किस तरह से बनाया जाता है। अब एकोनामिक्स की बात इस तरह से फार्मल बन गयी है कि किस तरह से बजट को तैयार किया जाता है, उसको बनाना मुशकिल नहीं है, बजट को पढ़ने के बाद जो कुछ मुझे मालूम हुआ, वह यह कि हम मंजिल की तरफ जा रहे हैं। एक जगह से हमने टिकट ले लिया है और सफर के लिये गाड़ी में सवार हो गये हैं और अगला स्टेशन हमारे सामने आने वाला है, वह है हमारे सामने सेकेन्ड फाइव इयर प्लान, उस स्टेशन की

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

तरफ कुछ जा रहे हैं। जब मैंने बजट को पढ़ा तो मुझे अपने एक दोस्त की याद आई, जिनको कि एक जमाने में यह ख्याल आया कि किसी तरह से मकान बनाना चाहिये। लिहाजा उन्होंने कुछ पैसे काटने शुरू किये, बहुत मामूली खाते थे, मामूली पहनते थे और यहां तक कि बच्चों के ऊपर भी खाने पीने की कुछ कमी की गयी और एक साल के बाद पैसा बचा करके उन्होंने मकान को बनाया। अब उस से किराया आना शुरू हो गया तो किराया का पैसा भी बचा और उसका नतीजा अब यह हुआ कि उनका दूसरा मकान भी बन गया है। इसी तरह से बजट को देखा गया तो उसमें यह है कि काफी पैसा काटा गया है, बहुत सी चीजों में पैसा कम किया गया है और थोड़े से टैक्स भी बढ़ गये हैं, इससे मालूम होता है कि मंजिल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुश्किल तो यह है कि एक चीज और कामयाब जिन्दगी में आयी तो उससे यह मालूम हुआ कि यह बचत सिर्फ गवर्नमेंट की ही और से नहीं हो रही है, बल्कि जो उसको चलाने वाले हैं, वह भी बचा रहे हैं।

मिनिस्टर साहबान ने तनख्वाहें कम कर दी हैं, और अब यह मालूम हुआ है कि वे छोटी गाड़ियां रखेंगे। लेकिन जो असली तमाशा है और देखने में आता है, वह यह है कि बहुत सी स्टाफ कारें और कारें गवर्नमेंट के काम के लिये रखी गयी हैं लेकिन आफिशल स्कूल खुल गये हैं, रोज सुबह ही आकर देख ले, हर स्कूल के सामने सरकारी कारें खड़ी हुई हैं जो कि उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिये जाती हैं और फिर उनको लाने के लिये जाती हैं। यह तमाशा जो है उसको यहां पर तो साबित तो नहीं किया जाता है, लेकिन जब रोज लड़के देखते हैं, पब्लिक देखती है तो शोर मचता है लेकिन सरकार उनका भरोसा नहीं करती, किंडर गार्टेन की स्कूलों में नरसरी की स्कूलों में आप देखेंगे तो बहुत सी कारें इस तरह की दिखाई देंगी जो स्कूल बच्चों को छोड़ने और लाने के लिये हमेशा जाती हैं, वह गाड़ियां कि जिन पर टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ है और जो पब्लिक की चीज है। अगर हमें पैसा बचाना ही है, और पेट में पत्थर बांधना है तो मैं यह चाहूंगा कि मिनिस्टर लोग अपनी प्राइवेट कारें रखें या फिर रिक्शे में, तांगे में जायं, गवर्नमेंट के आफिशियल भी पैदल आया जाया करें, रिक्शे में या तांगे में आयें जायें तो इससे पब्लिक की एक नयी भावना होगी, एक नयी स्प्रिट पैदा होगी और वह स्प्रिट ऐसी होगी कि जो आपका पांच साल का प्रोग्राम है, वह चार ही साल में पूरा हो जायगा।

एक डिपार्टमेंट ऐसा है, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है और वह है इन्फारमेशन डिपार्टमेंट। यह डिपार्टमेंट पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच का डिपार्टमेंट है, यह भी एक तमाशे की चीज है, मन्त्री जी पब्लिक में जा कर तकरीरें करते हैं, एक जल्सा होता है लेकिन मुश्किल तो यह है कि जितनी भी इस तरह की गवर्नमेंट की नीति है, उसको यह डिपार्टमेंट पेश करता है, वह किताबें छापता है, एक चीज हमें नहीं मालूम कि दो साल से वित्त मन्त्री जी इस बात को कह चुके हैं कि उर्दू बोलने वाले भी यू० पी० में रहते हैं, उनकी जो गिजा है वह भी एक सी है, वह दो साल से इस बात को कहते आये हैं, लेकिन अभी ३९ सफे की एक किताब हम लोगों को मिली है, जिस का नाम है "हमारा नया मनसूबा" मनसूबा के माने प्लान के, उसको जब मैंने पढ़ कर देखा तो यह मालूम हुआ कि यह तो साल भर पुरानी है, छापी गयी है, पारसाल, जबकि उसको इसी साल में छापी जानी चाहिये थी, लेकिन हमको एक साल के बाद मिल रही है। उसमें मैंने दो तीन लफ्ज उर्दू के देखे। मेरे पास में ही एक साहब बैठे थे जो कि इस किताब को देख रहे थे और उर्दू में एम० ए० थे, उनको दो लफ्जों के माने नहीं आये तो उन्होंने मुझसे पूछा मैंने भी एक लफ्ज के माने, जो कि मुझको आते थे, बता दिया लेकिन दूसरे लफ्ज के माने आजतक मैं नहीं जान सका, किसी भी डिक्शनरी में ऐसा लफ्ज नहीं है, तो इस तरह की इसकी लैंग्वेज है। इस तरह की लैंग्वेज को अगर सिनेमा के इश्तेहारों में लिखते, तो ज्यादा अच्छा होता।

जो कुछ हमको दिया जाता है, वह इन्फारमेशन के लिये नहीं दिया जाता है, बल्कि पब्लिसिटी के लिये दिया जाता है। यहां पर मैं आपको एक बात बतला दूं। एक किताब मेरे पास है जिसका नाम "हमारा नया मनसूबा" है। इसका एक टुकड़ा मैं पढ़ देना चाहता हूं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आजादी के इन नौ वर्षों में इस बच्चा जम्हूरियत ने इतनी कूवत व इज्जत व अहमियत हासिल कर ली है कि वह दुनिया की छः सबसे बड़ी और

[श्री हयातुल्ला अन्सारी]

ताकतवर हुकूमतों में से एक शुमार की जाने लगी है और इस मुल्क को देखने और मुआयना फरमाने, जो बाहरी भी आया ख्वाह वह इंगलिस्तान से आया हो ख्वाह यूरप और एशिया के किसी हिस्से से, ख्वाह वह अमेरिका से तशरीफ लाया हो, इसमें जो तशरीफ का शब्द लिखा गया है वह एक डाल्टवे में लिखा गया है। मैं समझता हूं कि यहां पर यह लफ्ज लिखने का यही मतलब है। आज हम देखते हैं कि उर्दू बोलने वालों की हमारे यहां एक काफी बड़ी तादाद है। लेकिन उनके लिये कोई भी काम नहीं होता है और न उनकी तरफ ध्यान ही दिया जाता है। जो अखबार भेजे जाते हैं, उनको टाइप करने के लिये एक ही उर्दू टाइपिस्ट है अगर वह बीमार पड़ जाता है तो उसकी जगह पर कोई काम करने वाला नहीं है। दो साल पहले मैंने उर्दू के बारे में कुछ बातें कही थीं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब जहां पर उर्दू की बात आयी है उसी के सिलसिले में एक बात और कह देना चाहता हूं कि प्लू से बचने के लिये लखनऊ में म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से जगह-जगह पर बोर्ड लगाये गये हैं कि आप उससे किस तरह से बच सकते हैं, वे सब बोर्ड हिन्दी ही में लगाये गये हैं। क्या उर्दू पढ़ने वाले को प्लू नहीं होता है या उनके लिये इस किस्म की हिदायतों की जरूरत ही नहीं है। मैं तो समझता हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वह यह नहीं जानते हैं कि यहां पर हिन्दी के अलावा दूसरी भी कोई जबान है, जिसके जानने वाले यहां पर हैं या वह इतने बेवकूफ हैं कि उन्होंने इस बात पर गौर ही नहीं किया है कि जो बीमारी फैलती है वह उर्दू और हिन्दी जानने वालों के लिये एक सां होती है। अगर शहर में हैजा फैलता है तो उर्दू और हिन्दी दोनों जानने वालों को होता है। उर्दू जानने वालों के लिये म्युनिसिपल बोर्ड अपनी कुछ भी जिम्मेदारी को नहीं समझता है, उनके घर के घर बरबाद हो जायें, खान्दान के खान्दान बरबाद हो जाये लेकिन उनको उनकी कोई भी परवाह नहीं है। अगर १० रुपये खर्च करके एक दो बोर्ड उर्दू में भी तैयार कर लिये जाते तो कोई हर्ज की बात नहीं है। जहां सरकार ने इतना रुपया खर्च किया है, वहां ४० या ५० रुपया और खर्च हो जाते तो मैं समझता हूं कि उससे कोई खास नुकसान नहीं होता।

इसके अलावा एक बात मैं पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ वर्ष हुये यह सुना था कि माडल थाने बनाये जा रहे हैं और पुलिस में काफी सुधार करने का ख्याल है। लेकिन मैं देखता हूं कि अभी तक कोई खास सुधार नहीं हुआ है। अभी तक किसी भी केस की टेप रिकार्डिंग नहीं हुई है और न इसके अलावा कोई दूसरा जरिया निकाला गया है। मिकानाइज्ड ग्लास के जरिये से भी कुछ नहीं किया जाता है। मैं तो कहता हूं कि जहां पुलिस में दस हजार केस होते हैं, उनमें से अगर एक केस को भी आप साइंटिफिक तरीके से करें तो काफी इम्प्रूवमेंट हो सकता है और इससे पुलिस में भी काफी अच्छी तरक्की हो सकती है। अब आपको याद होगा कि अभी कुछ थोड़ी देर पहले पुलिस की रिश्वत के बारे में काफी कहा गया है, मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर इस चीज को कम किया जाय तो अच्छा ही होगा। अभी थोड़े दिन हुये एक केस में एक साहब ने टेप रिकार्डिंग करके अदालत में पेश किया था तो वह मुकदमा जीत गया। पुलिस को भी इसी तरह से करना चाहिये। जिस तरह से आप बाढ़ को रोकने की कोशिश करते हैं, गल्ले के पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, सड़कों को पक्का करना चाहते हैं और नयी सड़कें बनाना चाहते हैं, उसी तरह से आपको रिश्वतखोरी की तरफ भी ध्यान देना होगा और इसको रोकने की कोशिश करनी होगी।

इसी तरह से आज बेकारी बहुत बढ़ गई है। हम इसके लिये कोई कदम उठा सकते हैं, तो इसके लिये हमारे यहां एक इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट तो हो। आज दुनियां कहां से कहां पहुंच गयी है लेकिन हमारे यहां अभी तक डंडा ही चलता है। पुलिस का कर्टसी वीक मनाया गया, लेकिन उसमें कोई आर्ट और टेक्नीक नहीं था। इस तरह की चीजों को चेक करने के लिये आज हमारे पास कुछ नहीं है।

एक चीज और है और निसाब के लिये किताबों की बात है। हिन्दी और उर्दू की बेसिक रीडरों के बारे में दो साल पहले मैंने एक रेज्योलूशन रक्खा था, लेकिन उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज हिन्दी की रीडरें वैसी की वैसी ही हैं। इसमें कितनी हिमाकतें हैं जो कि हमारे यहां छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, इसके लिये मैं वही चीज फिर दोहराऊंगा जो कि मैं दो साल पहले पेश कर चुका हूं। इस किताब में एक लेसन है, जिसमें कि बेटा बाप के पास जाता है और कहता है :

पिता जी प्रणाम। पिता जी जवाब देते हैं, प्रसन्न रहो, केशव। क्या पूछना चाहते हो? इसके माने यह हुये कि बाप बेटे को प्रणाम करने के लिये जाता है, तो कुछ पूछना ही चाहता है। केशव पेड़ के पत्तों को हिलते हुये देखकर कहता है कि, इन पत्तों को कौन हिला रहा है, पिता जी जवाब देते हैं, कि हवा हिला रही है। केशव कहता है, कभी कभी बड़े जोर से हवा चलती है। छप्पर उड़ जाते हैं? पेड़ उखड़ जाते हैं। यानी केशव यह तो जानता है कि हवा बड़े जोर से चलती है, उससे छप्पर उड़ जाते हैं और पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन यह नहीं जानता है कि पत्तों को कौन हिला रहा है। यह अजीब बात है। मेरा ख्याल है कि इस तरह की किताबों के लिये राइटर को नोबल प्राइज मिलना चाहिये। ऐसी बात सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि मैं आपको कई जगहों में ऐसी ही बातें दिखा सकता हूं। इसी टाइप की बातें और कई जगहों में भी हैं।

एक बात यह भी है कि गवर्नमेंट ने अबकी छठें क्लास तक के लड़कों के लिये फीस माफ कर दी है, यह अच्छी बात है।

श्री चेयरमैन--आप ५ मिनट में अपने सुझाव दे दीजिये।

श्री हयातुल्ला अन्सारी--जी हां।

लेकिन मेरा ख्याल है कि छटे क्लास तक तो फीस ज्यादा नहीं पड़ती है, कम ही होती है, लेकिन फिर भी देहातों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इतनी फीस भी नहीं दे सकते हैं। जो प्लान हम बना रहे हैं, उसमें हमें सभी पहलुओं पर सोच लेना चाहिये और उसके लिये माइन्ड नहीं करना चाहिये यदि ८० लाख के बजाय ५० लाख ही में काम चल जाय। इसलिये जो छटे क्लास तक फीस दे सकते हैं, उनसे फीस लेकर यह रुपया दूसरी जगह भी यूटिलाइज हो सकता है।

कल एक माननीय मेम्बर ने सजेशन दिया था कि सेकेन्डरी स्कूल के टीचर्स की तनख्वाह बढ़नी चाहिये, मैं भी उसकी ताईद करता हूं। इनका वेतन जरूर बढ़ना चाहिये। इस तरह से जो फीस माफ हुई है, उसके लिये जो लोग फीस दे सकते हैं, उनसे फीस ली जानी चाहिये और बेहतर यह होगा कि उस रुपये को एजूकेशन की तरक्की के लिये खर्च किया जाय।

एक चीज और है कि सरकार ने अबकी बजट में इन्टरटेन्मेन्ट टैक्स बढ़ाया है। हमें बजट को सबसे पहले बैलेन्स्ड तरीके से देखना है। आप किसी मिडिल क्लास के पास चले जाइये, उसकी सभी चीजें, रोटी, दाल, कपड़ा, मकान आज महंगे हो गये हैं। इस प्लान में उसकी सभी चीजें महंगी हैं। आप यह यकीन मानकर चलें कि जो भी पैसा है, वह बैलेन्स्ड फैमिली का है और यह दूसरी बात है कि कोई खाना न खाकर सिनेमा चले जाते हों। लेकिन आज एक बहुत बड़ी तादाद मिडिल क्लास की ऐसी है जो कि रोटी और कपड़े को तो पहले लेंगे और उसके बाद यदि बचेगा तो सिनेमा देखेंगे।

इन सब का नतीजा यह होगा कि अब अगर आप एक पैसा भी बढ़ायेंगे तो तफरीह के लिये, इन्टरटेन्मेन्ट के लिये कोई नहीं जायगा, रोटी पहले लेंगे, कपड़ा पहले लेंगे। एथेंस के प्रिकलीस ने आज से दो ढाई हजार वर्ष पहले बड़ी शान से कहा था कि हमारे यहां इन्टरटेन्मेंट का भी इन्तजाम है पर हमारे यहां कोई इन्टरटेन्मेंट नहीं है। बल्कि हमारे मौलवी और पंडित तो समझते हैं कि इन्टरटेन्मेन्ट की कोई जरूरत नहीं है। इसको बिल्कुल निकाल दिया जाय। लेकिन उनको नहीं मालूम है कि दिमाग के लिये इन्टरटेन्मेन्ट की सख्त जरूरत होती है।

[श्री हयातुल्ला अन्सारी]

दिमाग के तीन बड़े डिवीजन हैं। फीलिंग, थिंकिंग एन्ड ऐक्शन। ऐक्शन कभी आ नहीं सकता जब तक फीलिंग और थिंकिंग न हो। ऐक्शन आखिरी स्टेज है, पहले हमें फीलिंग के लिये दिमाग को शिक्षा देनी है इसके बाद थिंकिंग। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो मिडिल क्लास है, वह दिनोंदिन बिल्कुल गायब कर देगा। यह कोई बहुत बड़ी आमदनी नहीं है। २५ लाख ३० लाख की आमदनी होती है। यों तो नीलाम की बोली एक-एक पैसा बढ़ती है। दस आना, सवा दस आना साढ़े दस आने। लेकिन मैं समझता हूं कि अब लिमिट पहुंच गई है, जबकि हमको इसे ड्राप कर देना चाहिये।

मैं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में भी कुछ कह देना चाहता हूं। इन केन्द्रों पर मैं घूमा भी हूं। अब से नहीं बहुत जमाने से मैं घूम रहा हूं। यह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो कुछ हो रहा है वह सब आन पेपर है। एक एडल्ट बढ़ कर पढ़ना लिखना सीख जाय यह मुश्किल हो है। शुगर कोटिंग होती है और शुगर कोटिंग होते होते इतनी बढ़ जाती है कि कुनैन गायब हो जाती है सिर्फ कोटिंग रह जाती है। इसे गवर्नमेंट को भी नीचे से देखना है। अगर आपके पास कोई प्रौढ़ शिक्षा स्कीम नहीं है तो इसे खत्म ही कर दीजिये। इसके बाद मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि जहां तक प्रोग्राम का ताल्लुक है वह बहुत मजबूती के साथ चल रहे हैं। यह दुनिया के अन्दर सबसे पहली मिसाल है कि डेमोक्रेसी के अन्दर प्लानिंग कामयाबी के साथ चल रही है।

सदन का कार्यक्रम

श्री चेयरमैन--गवर्नमेंट से एक पत्र आया है कि १ अगस्त, १९५७ से सदन के लिये यह कार्यक्रम निर्धारित कर दिया जाय,

१ अगस्त, सन् १९५७ ई०

(१) उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, १९५७, जैसा कि विधान सभा द्वारा पारित हुआ है।

(२) उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक सन् १९५७, जैसा कि विधान सभा द्वारा पारित हुआ है।

(३) हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संगठन) (संशोधन) विधेयक, सन् १९५७।

२ अगस्त, सन् १९५७ ई०

उत्तर प्रदेश में इन्फ्लूयन्जा की बीमारी से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद।

पत्र में यह भी लिखा गया है कि :--

'मुझे आपसे यह भी निवेदन करने का आदेश हुआ है कि यदि चेयरमैन महोदय को आपत्ति न हो तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् अपनी २ अगस्त, सन् १९५७ की बैठक की समाप्ति से स्थगित होकर फिर २९ अगस्त, सन् १९५७ से बैठक प्रारम्भ करे।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--फूड पोजीशन पर एक स्टेटमेन्ट की मांग की गई थी।

श्री चेयरमैन--यह गवर्नमेंट को भेज दिया गया है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--इसके पहले सदन उठे, क्या हमें निर्णय मालूम हो जायगा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत व उद्योग मन्त्री)--हुजूर मुझे तो मालूम नहीं कि आपने क्या फरमाया था। पर माननीय कुंवर साहब ने फरमाया था कि फूड के मुताल्लिक भी दूसरी तारीख को सदन में बहस होगी।

श्री चेयरमैन--फ्लू से उत्पन्न परिस्थिति पर बहस होनी है और उसके साथ खाद्य समस्या पर भी है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने फूड मिनिस्टर साहब को तलाश किया था, पर वह मिल नहीं सके, इसलिये मेरी उनसे बात नहीं हुई। आज शाम तक बतला दूंगा।

श्री चेयरमैन—शाम को सदन की बैठक स्थगित होने से पहले मालूम हो जायगा। अब कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १ बजकर ३ मिनट पर अवकाश के लिये स्थगित हो गई और २ बजे श्री डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष सन् १९५७-५८ ई० के आय व्ययक (बजट) पर आम बहस

*श्री जगन्नाथ आचार्य (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, बजट जो हमारे सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। प्रस्तुत बजट एक विकास का बजट है। उसको देखने से पता चलता है कि ११ करोड़ से अधिक का घाटा है। किस परिस्थिति में इसको प्रस्तुत किया गया और किस परिस्थिति में इसको बनाया गया, उसको यदि हम देखें तो वस्तुतः हमारे वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। अभी केन्द्र से प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है कि हम बाहर से ऋण नहीं ले सकते हैं और हम अपनी विकास की योजनायें चलायें तो ऐसी परिस्थिति में जो बुद्धिजीवी और महान् हैं, वही इस कार्य को कर सकते हैं। ऐसा प्रतिबन्ध होते हुये भी हम देखते हैं कि अधिक क्षेत्रों में कर नहीं लगाया गया है। कर सीमित क्षेत्र में रखा गया है। इस दृष्टिकोण से यदि हम विचार करें तो भी हमारे वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। आज हमारे प्रदेश में विकास की नितान्त आवश्यकता है। शुरू से ही यह प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश रहा है। अंग्रेजों के समय में भी इस प्रदेश की ओर ध्यान नहीं दिया गया। कारण यह है कि स्वतंत्रता के आन्दोलन में यह प्रदेश अगुवा था और सन् ५७ में भी यही प्रदेश अगुवा रहा और इसका श्रेय इसी प्रदेश को मिला। इसी कारण से अंग्रेजों ने इस प्रदेश की ओर ध्यान नहीं दिया और आज केन्द्र भी अगर यही नीति अपनाता है तो उचित नहीं है। ऐसी हालत में जब देश पिछड़ा हुआ है तो हमको अपनी विकास योजनाओं को सफल बनाना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा काम नहीं चल सकता है। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो हमको जरूरत होती है कि केन्द्र से अधिक सहायता हमको मिले। यदि केन्द्र से सहायता नहीं मिलती है तो हमारा विकास समुचित रूप से नहीं हो सकता है। आज कितने प्रश्न उठाये जा रहे हैं, सब से बड़ा मुख्य प्रश्न आज जो श्रीमती महादेवी जी ने उठाया वह यह कि सांस्कृतिक ह्रास हो रहा है। समय की कमी है। इसके संबंध में मैं १ या २ मिनट में कहूंगा। मैं निवेदन करूं कि आज एक महान पर्व का दिन है, नाग पंचमी और इस मौके पर हमको छुट्टी नहीं दी गई और सेशन चल रहा है। हमने नाग पंचमी का महत्व नहीं समझा, यह हमारी भूल है। इस त्योहार को महज महिलाओं का त्योहार मान लेना भूल है। इसका इतना ही महत्व है, जितना कि २६ जनवरी का है। नाग पंचमी का इतिहास है कि नागों और आर्यों में बराबर लड़ाई और संघर्ष चला करता था। परशुराम जी ने अपना कुठार इसीलिये उठाया था कि नाग जाति की रक्षा की जाय और दोनों में प्रेम का वातावरण पैदा किया जाय और संघर्ष समाप्त किया जाय। इसी तरह से उषा और अनुरुद्ध का विवाह हुआ था और उसके उपरान्त नागपंचमी का त्योहार मनाया गया। यदि हम इसी तरह से अपनी परम्पराओं को भूलते जायेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और यदि हम छोटी छोटी बातों को भूलते जायेंगे तो हम महान भूल करेंगे। आज जो हिन्दू और बौद्ध का प्रश्न है, भाषा का प्रश्न है यदि हम पुरानी बातों से शिक्षा न लेंगे तो हम बड़ी भूल करेंगे। आज इस बात की आवश्यकता है कि जो हमारी प्राचीन परम्परायें हैं उसके तथ्य में हम जायं। तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। खैर, जो कुछ हुआ हुआ, आगे इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ आचार्य]

इस सांस्कृतिक पर्व को हमेशा विशेषता देनी चाहिये। सरकार के ध्यान में यह आ जाना चाहिये। हमारा फर्ज था, इसलिये हमने सरकार के ध्यान में यह बात ला दी। यदि आज देखा जाय तो यह जो हमारा बजट है, यह योजना का बजट है। माननीय मंत्री जी और दूसरे मंत्री गण हैं, उनका काम है कि इस योजना को सफलतापूर्वक चलायें। किसी रूप में अच्छी से अच्छी मशीन बना दें, लेकिन मशीन हमने ठीक बना दी, पर प्रश्न होता है कि मशीन का जो चालक है उसकी देख रेख कैसे करता है। यदि इंजीनियर जो चालक है, अगर उस मशीन को ठीक तरह से काम में नहीं लाता है तो यह अच्छा नहीं है। उसका चलाने वाला कौन है, उसको देखना है। जबतक प्रशासक वर्ग आदर्श से प्रेरित नहीं होते हैं और यदि उसके अन्दर यह मनोभावना नहीं होती है कि हमें समाजवादी व्यवस्था कायम करना है। आज डिपार्टमेंट्स में यह होता है कि कागज आगे को बढ़ता चला जावे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। आज सारी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल के ऊपर है। मंत्रिमंडल दो दो बजे तक काम करता है लेकिन दूसरा वर्ग जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रहा है। योजना तभी सफल होगी जब जनता में यह भावना उत्पन्न हो कि हमें आगे बढ़ना है। अपने मुल्क को विकसित करना है। देहातों में आप चले जायं तो सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलेंगे। गांवों में कुवों का निर्माण हो रहा है, लेकिन उनमें से बहुत से फर्जी होते हैं। उसका रुपया ले लेते हैं. इस तरह से यह योजना चलाने वाले लोग हैं। उनके जानने में यह बुनियाद ही गलत है। भले ही शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो शिक्षित लोगों को नौकरियों में रखा जाय, मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन यह देखना चाहिये कि जन जागरण कितना उत्पन्न करते हैं। जो बेचारे एम० ए०, बी० ए० हो गये तो उसको देखें कि यह किस तरह से निर्माण का काम कर रहा है। आप यह नहीं देखते हैं कि जनता में किस तरह से काम करता है। आप सिर्फ यह देखते हैं कि परीक्षा में कैसा नम्बर लाया है। जब तक हम इस दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे कि जो हम योजना बनायेंगे उसमें यह जी जान से काम करेगा कि नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा। आप देहातों में चले जायं कितने सेक्रेटरी ऐसे पड़े हैं। एक जगह पर मैं स्वयं गया और सेक्रेटरी महोदय के बारे में पता लगाया तो पता लगा कि जो नियोजन का काम होता है, उससे रुपया बचाकर खेत ले लिये हैं। सिमेन्ट का रुपया ले लिये हैं, मगर सिमेन्ट नहीं दिया है। यह बुनियादी गलत चीज है। इसमें हमें देखना होगा कि अच्छी से अच्छी मशीन बन जाय, लेकिन जबतक चालक का मनोभाव अच्छा नहीं होगा हम सफल नहीं होंगे। आज इन्टरटेनमेन्ट टैक्स के बारे में कहा जा रहा है कि यह क्यों लगाया जा रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन्टरटेनमेन्ट हमेशा होता था और सांस्कृतिक ढंग से होता था। प्राचीन भारत में इसका उदाहरण है। इस तरह के सांस्कृतिक नाट्य जो हैं, उसको प्रोत्साहन देना चाहिये। सिनेमा में आजकल सस्ते फिल्म बन रहे हैं। वे कहते हैं कि हम ऐसे फिल्म बनायेंगे, जिसको निम्न वर्ग के लोग देखेंगे तब हमें आमदनी ज्यादा होगी। आज हमारा विद्यार्थी वर्ग ज्यादा सिनेमा देखता है और सिनेमा के गाने गाता है।

(इस समय २ बजकर १२ मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया)।

पहले यह था कि हम १०० वर्ष तक जीवें, आज भी हमें प्रयत्न करना चाहिये, कि हम १०० वर्ष तक जीवित रहें।

प्राचीन समय में ऐसी भावना लोगों में होती थी कि हम १०० वर्ष तक जीयें। हमारी ज्यादा से ज्यादा उम्र हो, ऐसी भावना लोगों में होती थी। इंटरटेनमेंट टैक्स जो लगाया गया है, वह ठीक लगाया गया है। क्योंकि समय बहुत कम है इसलिये जल्दी समाप्त कर दूंगा। मैं पूर्वी जिलों की बाबत कुछ कहना चाहता हूं। यह कहा जा रहा है कि वहां की हालत बड़ी खराब है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी जिलों के लोगों की यह दशा है कि वे गोबर खाकर जीवनयापन कर रहे हैं। कुछ लोग महज आम की गुठली खाते हैं। कुछ लोग वहां ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यह तो यहां की परम्परा है। लेकिन यह सही है कि वहां

की आर्थिक दशा अत्यंत शोचनीय है। आप सामाजवादी व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम राम राज्य कायम करने जा रहे हैं। राम राज्य तो तब कायम होगा जब सब समान स्तर पर आ जायेंगे और सबमें बुरी आदतें न रहेंगी। तो पूर्वी जिलों की हालत दरअसल खराब है। १० वर्षों से कुछ ऐसा होता है कि कभी बाढ़ आ जाती है कभी सूखा पड़ जाता है इसलिये वहां की आर्थिक दशा बड़ी डांवाडोल हो रही है। आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और उपज कम हो रही है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय उसके लिये एक सर्वे कराने का प्रबन्ध करें जिसमें भूमि का सर्वे हो जिससे वहां की उपज बढ़े। गोरखपुर के विश्वविद्यालय के बारे में कहा गया। एक यूनिवर्सिटी की पूर्वी जिलों में अत्यंत आवश्यकता थी। पहले समय में वहीं से अहिंसा का संदेश फैला। गोरखपुर ऐसा स्थान है जो मानवता का संदेश सारे एशिया को दे सकता है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जो लड़के वहां से निकलें वे भार स्वरूप न हों। आप कृषि विशेषज्ञ तैयार कीजिये। वन विशेषज्ञ तैयार कीजिये। शुगर टैक्नालाजी की शिक्षा दीजिये। ऐसी शिक्षा दीजिये जिससे सारा एशिया एक सूत्र में बंधे। अंत में वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)---क्या दस मिनट हो गये?

श्री चेयरमैन---बात यह है कि बोलने वाले ८।१० सदस्यों के नाम और हैं। इस लिये जल्दी करना लाजिमी है। आप आरंभ करें।

***श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल**---टाइम अब से लगाइयेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट की प्रशंसा में बहुत संक्षेप में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पश्चिमी जिलों में हिन्दुस्तान टाइम्स चलता है। वह अखिल भारतीय समाचार पत्र है। वह प्रदेश के समाचार बहुत कम लगभग नहीं के बराबर देता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने देखा कि हिन्दुस्तान टाइम्स ने ऐडीटोरियल लिखा उत्तर प्रदेश के बजट के ऊपर। उसमें इशारा कुछ और तरफ है। मगर अन्त में कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट बनाया गया है, बड़ी सूझ के साथ बनाया गया है। उसका इशारा इस बात की तरफ है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो फाइनेन्सियल कमीशन बैठाया है, उसमें सबसे बड़ी मदद जो मिलेगी वह उत्तर प्रदेश को और वह इसलिये कि डैफिसिट इसमें अधिक दिखाया गया है। कुछ मांगें इसमें ऐसी हैं जो जनता के ज्यादा फायदे की हैं और इसलिये मैं इस बजट की तारीफ करता हूं। हमारे बजट की प्रशंसा इसकी दोनों साइड को देख कर आल इंडिया स्टैन्डिग के पेपर ने किया है। उसने इस चीज की भी प्रशंसा की है कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने उत्तर प्रदेश की खराब हालत को भी नहीं छिपाया। उत्तर प्रदेश का मार्केटिंग लोन १९४६ में १२ करोड़ का था, ५२, ५३ में १३ करोड़ हुआ और ५६-५७ में बढ़ कर वह ४० करोड़ हो गया। उसके लिये मन्त्री जी ने कहा है कि almost desperate financial condition है।

इसलिये उत्तर प्रदेश को उस अवस्था से निकालना है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने बड़ी योग्यता के साथ बजट को बनाया कि उसमें सारी की सारी चीजें आ गई और वह ऐसा रखा गया कि हम ज्यादा से ज्यादा सेन्टर से ले सकते हैं। बजट पर समय की कमी को देखते हुये मैं कुछ बातों पर विस्तार के साथ न कह कर केवल उनका नाम ही लूंगा। जहां तक इस बात की आवश्यकता थी कि अन्धे लड़कों की पढ़ाई के लिये स्कूल का प्रबन्ध हो तो उनकी पढ़ाई के लिये नये स्कूल्स गोरखपुर, मथुरा और आगरा में खुल रहे हैं। कानपुर में ऐसे बच्चों की संख्या जो गूंगे बहरे हैं, अधिक है और जो हाथ पैर से निकम्मे होते हैं। जिनके कोई नहीं होता है, उनकी शिक्षा का प्रबन्ध वहां किया जा रहा है। दूसरी बात जो छठें दर्जे तक के लड़कों को निःशुल्क शिक्षा का आयोजन किया गया है, वह बहुत अच्छी चीज है। उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसके बाद आगे यह भी लिखा गया है कि अगले

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल]

साल सातवें, फिर अगले साल आठवें तक कर दिया जायेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी बढ़ा दिया गया है कि रिसोर्सेज परमिटिंग, जिससे कुछ आशंका लग गई है। जो सेकेन्डरी इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनमें भी आशंका की बात आई है और वह यह कि १९४७ में जो वेतन वृद्धि हुई उसका एक चौथाई सरकार ने दिया था, १९५५ में गवर्नमेंट ने निश्चय किया कि वह एक तिहाई हो। सन् ५६ में आधा किया और अब सन् १९५७ में केन्द्रीय सरकार तीन बटा चार हिस्सा सहायता के रूप में देने के लिये तैयार हो गयी है। इसमें यह होगा कि जो स्कूल अभी तक अपने अध्यापकों की वेतन वृद्धि नहीं कर पा रहे थे वे अब वेतन में वृद्धि कर देंगे। लेकिन अभी इस प्रस्ताव को वे एक्जामिन करेंगे क्योंकि इसमें लिखा है कि वह एक्जामिन हो रहा है। अभी यह परिस्थिति नहीं है कि सरकार ने देना मंजूर ही कर लिया है। यह प्रश्न सन् १९४७ से एक्जामिन हो रहा है। उस समय कहा गया था कि हिन्दी के टीचर्स को वही ग्रेड दिया जायेगा जो कि अंग्रेजी के टीचर्स को दिया जाता है। यह बात मुझे अच्छी तरह से याद है। तो हिन्दी टीचर्स की बात जो सन् ४७ से चल रही थी अब सन् ५७ में बजट में दिखलाई देती है। हिन्दी अब हमारी राष्ट्र भाषा बन चुकी है और इसके प्रचार के लिये आज हमारे प्रदेश में एक आन्दोलन भी चल रहा है। लेकिन जो प्रश्न सन् ४७ से चल रहा है उसके लिये सन् १९५७ में कहा जाय कि वह एक्जामिन हो रहा है तो कहीं ऐसा न हो जाय कि ये दोनों चीजें परीक्षण में ही रह जायं और वह सहायता न दी जा सके। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी सहायता देने वाली चीजों को जरूर किया जाय।

मैं शिक्षा के विषय में जितने बोलने वाले खड़े हुये हैं उनकी कही हुई बातों को नहीं दोहराऊंगा। मैं आप के सामने नयी बातों को ही निवेदन करना चाहूंगा। मैं आप के द्वारा वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे स्वयं नोट कर लें और जब कभी मौका मिले शिक्षा मंत्री जी को दे दें। एक बात यह है कि जो हमारा प्रदेश है उसके अन्दर कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जो कि शिक्षा के विषय में कोआर्डिनेशन का काम करे। इस विषय पर हमारे इस सदन में कई माननीय सदस्य जो कि शिक्षा के विशेषज्ञ माने जाते हैं उन्होंने कहा है और मैंने भी कई बार निवेदन किया है। यहां होता यह है कि एक दूसरे की बुराई करते हैं और कहते हैं कि यहां खराबी है वहां खराबी है इसलिये हमारे यहां भी उसका बुरा असर पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राथमिक, सेकेन्डरी और युनिवर्सिटी एजुकेशन के बीच में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है और वे एक दूसरे की बुराई ही करते रहते हैं। यह बात वे यहां ही नहीं कहते हैं बल्कि प्लेटफार्म पर भी कहते हैं। प्लेटफार्म शब्द मैं इस लिये इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वहां पर बुराई की जाती है। जब तक कोआर्डिनेशन मशीनरी नहीं होगी तब तक यह परेशानी चलती रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हमें अपने शरीर को ठीक करना है तो पैर को भी ठीक करें, पेट को भी ठीक करें और सिर को भी ठीक करें। इस तरह से जब तक प्राथमिक, माध्यमिक और यूनिवर्सिटी शिक्षा के बीच में कोई प्लानिंग नहीं है तो कोई भी शिक्षा सफल नहीं हो सकती है। उन्हें एक दूसरे को समझना चाहिए। जब तक उनमें कोई कोआर्डिनेशन नहीं हो सकता तब तक शिक्षा में किसी प्रकार का सुधार भी नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कौन आज ऐसा है जो कि आज की शिक्षा से संतुष्ट है। चारों तरफ से कहा जाता है कि शिक्षा में यह त्रुटि है और वह कमी है। इसके सुधार के लिये दो कमीशन और दो कमेटियां बैठी हैं लेकिन उन्होंने जो भी सिफारिशें की हैं वे हमारे सामने हैं। जो दशा आज गांवों में हाई स्कूल तथा इन्टर कालेजों की है उनकी एक बड़ी दुखद कहानी है। आज वे राजनीति के अखाड़े बन गये हैं। काफी संस्थाओं में दो-दो मैनेजर, दो-दो मैनेजिंग कमेटी और दो-दो प्रिन्सपल हैं। इस तरह की बातों के रहते हुये आज अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिये काम करना असम्भव हो रहा है। जो इन्टरमीडिएट बोर्ड बिल आने वाला है तो जब तक वह बिल नहीं आयेगा तब तक शिक्षा को किसी संतोषजनक स्तर पर पहुंचना मुश्किल होगा।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी स्पीच में तीन बार फ्रेजेज का इस्तेमाल किया है, कन्सि-डरेबल प्रोग्रेस, सिगनिफिकेन्ट रिफार्म्स ऐंड इम्प्रूवमेंटस इन कन्टेन्ट्स ऐंड टेकनिक्स आफ एजूकेशन में नम्रता पूर्वक यही निवेदन कर सकता हूं। यह शब्द तो बड़े अच्छे हैं, विशेषण हैं, ऐडजक्टिव्स हैं, लेकिन बात कुछ एकदम से समझ में नहीं आती। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि लोगों के असन्तोष को सामने रखते हुये किन-किन बातों में कन्सिडरेबल प्रोग्रेस हुई है, सिगनिफिकेन्ट रिफार्म्स और इम्प्रूवमेंट इन कन्टेन्ट्स आफ एजूकेशन यह जो कहा गया है तो इसके बारे में इतना तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा संस्थाओं में अवश्य कुछ वृद्धि हुई है, परन्तु शिक्षा संस्थाओं में वृद्धि होने के मतलब हैं, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ जाना, स्थान का बढ़ जाना और कुछ अध्यापकों का और एप्वाइन्ट हो जाना, परन्तु शिक्षा जिसकी ओर से कि बड़ा भारी असन्तोष है, उसमें किसी प्रकार की उन्नति नहीं हुई है।

इम्पलायमेंट के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक ....

श्री चेयरमैन---अब आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल--मैं अब समाप्त करता हूं। इम्प्लायमेंट का जहां तक जिक्र है, लेबर का भी कुछ जिक्र किया गया है तो जो मेन्टल वर्कर्स हैं, जिनके लिये कि निजामुद्दीन साहब ने भी कहा है कि इनकी एक फौज सी आती है स्कूलों और कालेजों से, लेकिन उनको काम दिलाने के बारे में कुछ नहीं सोचा गया है। अब तो इस बजट में कुछ नहीं हो सकता है लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने जो कुछ इन्टरिम बजट के समय में कहा था, शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत से लोग बोल चुके हैं, इसलिये शिक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ भी यहां पर कहा गया है, उन सभी बातों पर माननीय मंत्री जी अपनी फारमल स्पीच में प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

श्री हृदय नारायण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, हर साल बजट पेश होता है और उसके ऊपर समालोचनायें होती हैं लेकिन यह पता नहीं है कि सरकार इससे कितनी नसीहत लेती है। जो कुछ भी समालोचनायें होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुये ही बजट में माडिफिकेशन किये जाते हैं। श्री राजगोपालाचार्य ने कहा था

"Great Governments benefit by criticism without which they are bound to degenerate into despotism."

तो इस सिद्धांत को अगर माननीय मन्त्री जी और यह सरकार ध्यान में रखे तो बहुत ही अच्छा हो। क्योंकि यहां पर जितने भी सदस्य बोलते हैं वह अधिकतर अपनी स्टेट के वेल-फेयर की दृष्टि से बोलते हैं। मैं इस बजट को पहले एक तराजू पर रखना चाहता हूं और वह यह कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो सबसे आवश्यक चीज है उसका बजट में सबसे पहले प्रावि-जन होना चाहिये और जो कम जरूरी चीजें हैं, उनका बाद में होना चाहिये। चूंकि समय बहुत कम है इसलिये मैं केवल एक या दो ही मिसाल पेश करना चाहूंगा और अधिक विस्तार में इसके ऊपर जाना पसन्द नहीं करूंगा। एक बात तो यह है कि सुपरऐनुएशन की जो एज है उसको बढ़ा दिया गया है यानी पहले ५५ साल में रिटायर होते थे अब उसको बढ़ाकर ५८ साल कर दिया गया है, इसके ऊपर मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। दूसरे जो ओल्ड एज पेन्शन है उसके लिये क्या डिमान्ड है? क्या उसकी आवश्यकता है, कैसे उसका वितरण होगा और उसका वितरण सही-सही तरह से हो भी पायेगा इसमें लोगों को सन्देह है।

अब बजट में ३० लाख रुपये का एक बिल्डिंग के लिये तजवीज किये गये हैं, मैं समझता हूं कि इसकी भी आवश्यकता नहीं है। इसमें यह दिखलाया गया है कि विधान परिषद् में करीब ३६ सदस्य और बढ़ने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि उसके लिये इसी सदन के अन्दर व्यवस्था हो सकती है। ३६ सदस्य और जब होंगे तो उनको बैठने में जरूर कुछ तकलीफ होगी लेकिन उसके लिये ३० लाख रुपये का खर्च रख देना यह तो टैक्स पेयर के ऊपर एक बार्डेन लाद देना है।

[श्री हृदय नारायण सिंह]

इसी तरह से जो लेबर वेलफेयर सेन्टर्स हैं, अध्यक्ष महोदय, आप खुद भी देखेंगे कि दो सेन्टरों में, मिर्जापुर और देहरादून वेलफेयर सेन्टर्स में चार-चार म्युजिशियन एप्वाइन्ट किये जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि उन पर अधिक खर्चा नहीं होगा लेकिन एक चीज अवश्य है कि चाहे जितना ही खर्चा हो, अगर एक रुपया भी बेकार खर्च होता है तो उसका मूल्य ऐसे समय में बहुत होता है। इसी तरह से सुल्तानपुर और लखनऊ रोड के ऊपर एक हार्स ब्रीडिंग फार्म है तो यह सोचने की बात है कि आजकल करीब-करीब जमाना मोटर ट्रान्सपोर्ट का है और सरकार ने करीब-करीब सभी विभागों को मोटरें दे रखी हैं तो ऐसी हालत इस चीज को चला करके रुपया बरबाद करना क्या सरकार बदनामी की बात नहीं समझती है।

सरकार ने बहुत सी मोटरें रखी हैं। ऐसे समय में जबकि हमारे देश को रुपये की जरूरत है, यह चीजें चालू करके और देश का रुपया बरबाद करके कोई बड़ी भारी बुद्धिमत्ता नहीं की है मैं इसको कोई अच्छी बात नहीं समझता हूं। एक स्वामिंग पूल के बारे में भी धन मांगा गया। मैं उस बात को फिर कहकर समय नहीं खराब करूंगा क्योंकि समय बहुत ही कम है।

सन् १८५७ में जो लोग शहीद हुये हैं उनके मेमोरियल बनाये जा रहे हैं। बनारस में राजा चेत सिंह का स्मारक बनाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बनारस के रहने वाले हैं, आप स्वयं जानते हैं कि मेमोरियल पर कितना रुपया खर्च होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि बजट के मामले में जो चीज पहले करनी चाहिये, वह पहले करें। कम रुपये में हम अधिक उपयोगी काम करें। श्रीमान् आप देखें तो आपको, मालूम होगा कि जो हम लोगों को लेटेस्ट आडिट रिपोर्ट मिली है वह सन् १९५३-५४ की है। इस रिपोर्ट में एक जगह पर यह लिखा हुआ है कि एक बांध के लिये एक करोड़ ८५ लाख रुपये के करीब खर्च का अनुमान था, लेकिन जब उसमें १९.२७ लाख रुपया खर्च हो चुका तो यह मालूम हुआ कि वहां पर यह काम नहीं हो सकता है और उस काम को बन्द कर दिया गया। इस तरह से गवर्नमेंट का कितना रुपया वेस्ट होता है। इसी तरह से टेन्डर वगैरह का भी काम होता है। अक्सर यह होता है कि सामान खरीद लिया जाता है और प्रोटेक्शन का कोई इन्तजाम नहीं होता है और वह सामान बहुत सा चोरी चला जाता है। इसी तरह से ठेकेदारों के बारे में भी है। बगैर सेक्योरिटी के रुपया उनको दे दिया जाता है और वे ले कर भाग जाते हैं और लापता हो जाते हैं। आज सरकार एकानोमी के लिये कहती है, लेकिन मैं तो कहीं पर भी एकोनामी होते नहीं देखता हूं। इसके साथ ही साथ श्रीमान्, मैं आपके जरिये से एक दो बातें यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का काम किस प्रकार होता है, उसके एक दो उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। गवर्नमेंट डिग्री कालेज नैनीताल में बाटनी डिपार्टमेंट के लिये एक इमारत बनी, जिसमें हजारों रुपया खर्च हो गया और बनने के बाद शीघ्र ही धराशायी हो गई। ज्योलोजी डिपार्टमेंट में एक सकेन्ड स्टोरी बनायी गई, लेकिन बाद को यह मालूम हुआ कि वह अनसेफ है इसलिये उसको गिरा दिया गया। फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक वर्कशाप बनायी गई वह भी अनसूटेबिल है, उसको अभी अबैन्डन कर दिया गया है, बाद में वह गिरा दी जायेगी। तो इस तरह से हमारे यहां रुपया वेस्ट हो रहा है। मैंने तो समय की कमी के कारण थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, इसी तरह से मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं कि किस प्रकार से रुपये को वेस्ट किया जाता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये कि रुपया इस तरह से वेस्ट न किया जाय। सन् १९५२-५३ में सरकार ने ४८ करोड़ ४२ लाख रुपया कर्ज लिया, ५४-५५ में ६५ करोड़ ३८ लाख के करीब लिया है और सन् ५८ के जो सरकारी आंकड़े हैं, उनसे यह पता चलता है कि स्टेट के ऊपर तीन अरब और २२ करोड़ रुपये का कर्ज होगा। जब सरकार के ऊपर अधिक कर्ज होगा तो उसको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा।

श्रीमान्, जहां तक एफिशियन्सी का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं ही रोक देते हैं कि अधिक सप्लीमेन्टरी सवाल न किये जांय।

मिनिस्टर्स को यहां पर तैयार होकर आना चाहिये जब कि पहले से उन सवालों के बारे में उनको इन्टीमेट कर दिया जाता है। उन्हें खुद उस मामले को देखना चाहिये कि उसमें में क्या खराबी है और क्यों इस तरह का सवाल पूछा गया है। इसके लिये हाउस में उन्हें तैयार होकर आना चाहिये, लेकिन वे अपने फर्ज को नहीं अदा करते। कोर्ट्स में आज बहुत से मामले पड़े हुये हैं, उनकी ओर भी सरकार को देखना चाहिये। आज यह नहीं देखा जाता है कि विभागों में काम की क्या प्रगति हो रही है। इसके लिये सरकार को जरूर विचार करना चाहिये। एक छोटे से सेकेन्डरी स्कूल के रिकगनीशन का मामला था, कई महीने हो गये, उसके रिकगनीशन के बारे में क्या हो रहा है, इसकी उसे कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

आडिट रिपोर्ट में जिक्र है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एनुअल रिपोर्ट में अभी तक ६३३ मामले सबमिट नहीं हुये हैं और उसमें तो कुछ रिपोर्ट तो सन् ४३–४४ की भी बाकी है, लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ तय नहीं हुआ है। इससे बड़ा एफीसियन्सी का उदाहरण क्या है। जहां पर कि पुलिस पार्टी ने हमला किया और टेलीग्राम द्वारा चीफ मिनिस्टर को इत्तिला दी गई, लेकिन महीनों गुजर गये, वहां पर अभी तक इन्क्वायरी नहीं हुई। आज करप्शन का चारों तरफ से जाल फैला हुआ है। जो १८५७ सेंटेनरी सलीब्रेशन के उपलक्ष में हमारे यहां से कैदी छोडे गये हैं, उन कैदियों को छोड़ने के पीछे जेल विभाग ने काफी रुपया बनाया है और मथुरा में तो इस तरह का एक मामला पकड़ा भी गया। इस तरह से आज करप्शन का जाल हमारी स्टेट में चारों तरफ फैला हुआ है। आज सरकार की तरफ से चाहे हर जगह पर इस तरह के पोस्टर लगे हुये हैं कि घूस लेना तथा देना पाप है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई सफलता नहीं मिल रही है।

एक बात मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट अपने यहां के गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को अधिकांश सहूलियतें देती है, लेकिन इसके साथ ही उसका यह भी दृष्टिकोण होना चाहिये कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के साथ ही पब्लिक को भी उतनी ही सहूलियतें मिलनी चाहियें। स्कूलों में टीचरों को, फैक्टरियों में काम करने वालों को, प्रेस के काम करने वालों को भी गवर्नमेंट को एमेनिटीज देनी चाहिये। हमें चाहिये कि हम डेमोक्रेसी में सभी को सन्तुष्ट रखें। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक प्रेस कान्फ्रेन्स की थी।

श्री चेयरमैन—आप एक मिनट और बोल लीजिये।

श्री हृदय नारायण सिंह—जी हां।

गवर्नमेंट का जो यह उसूल है कि वह सरकारी कर्मचारियों को सभी प्रकार की सहूलियतें दे तो उसे पब्लिक का भी ख्याल रखना चाहिये और उसके रुपये को किसी तरह से भी वेस्ट नहीं करना चाहिये।

मैं शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन इतना समय उपलब्ध नहीं है कि मैं जितना कहना चाहूं, वह कह सकूं। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि शिक्षा का स्तर आज बहुत गिर गया है। अभी मैंने नेशनल हेराल्ड में एक पत्र भेजा था, वह शायद छप भी गया है, इसमें शिक्षा के बारे में लिखा है कि सन् १९४५ में हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट का रिजल्ट ६६ प्रतिशत था जो कि अब ३६ प्रतिशत रह गया है। इस तरह से ३० प्रतिशत घटा है। यूनिवर्सिटी एजूकेशन के बारे में भी यही बात है। आज हमारा यू० पी० का शिक्षा विभाग सेन्टर द्वारा डामिनेट होता है। ११ वर्षीय सेकेन्डरी एजूकेशन की स्कीम से कोई लाभ नहीं होगा। इससे बेकार का वेस्ट होगा। न इससे टीचर्स को फायदा है और न विद्यार्थियों को। पहले ३ और १, ४ होता था, अब २ और २, ४ चलेगा। एक क्लास को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रख दिया जायेगा और इसमें १५ करोड़ रुपये लगेंगे। उस को कहां से सरकार लायेगी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं

श्री चेयरमैन—आपका टाइम खत्म हो गया।

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं बैठ जाता हूं।

***श्री जमीलुर्रहमान किदवई** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, जो बातें इस बजट के मुताल्लिक रखी गयी हैं, उसमें एक बात यह अर्ज की गई है कि टैक्स अब जो लगाया गया है, उसका असर बहुत कम तादाद पर पड़ेगा। इस ख्याल से मैं समझता हूं कि दो तीन मदें जो दी गई हैं वह हैं मोटर टैक्स, पेट्रोल टैक्स, स्टैम्प टैक्स, और इन्टरटेन्मेंट टैक्स। मैं समझता हूं कि यह ख्याल किया जाता है कि मोटर बहुत कम लोगों के पास होती हैं इसलिये उसका असर थोड़े से मोटर चलाने वालों पर ही पड़ेगा इन्टरटेन्मेन्ट टैक्स भी शहरों के रहने वालों से ही ज्यादा ताल्लुक रखता है, इसलिये आम जनता पर इसका बराहरास्त असर नहीं पड़ेगा। जैसा कि मेरे दोस्त हयातुल्ला साहब ने कहा, इन्टरटेनमेन्ट टैक्स के मुताल्लिक दो रायें नहीं हो सकतीं, शहरों में इन्टरटेन्मेन्ट की काफी जरूरत है। देहातों में इसकी जरूरा नहीं है तो इसकी वजह है कि देहातों वाले इस जरूरत को महसूस नहीं करते। इसका असर ज्यादह अच्छा नहीं होगा जबकि कोई और इन्टरटेन्मेन्ट उनके पास नहीं है। एक और सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस पर कि मैं गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाना चाहता हूं, यह है स्टैम्प टैक्स। बजाहिर ऐसा मालूम होता है कि स्टैम्प टैक्स के मुतास्सिर होने वालों की तादाद बहुत कम है। लेकिन उसूल यह गलत है।

हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी शिकायत यह है यहां जस्टिस बहुत गरां है उसको सस्ता करना चाहिये। स्टैम्प टैक्स को दुगुना करने का मकसद यह है कि जो लोग किसी ज्यादती या जुल्म के खिलाफ, नाइन्साफी के खिलाफ अदालत में जाना चाहते थे उनके लिये बहुत रुकावट हो जायगी। अब भी वही लोग जो इस बात की हैसियत रखते हैं कि अदालत में मुकद्दमा दायर कर सकें, और पैरवी कर सकें, सिर्फ वही जाते हैं और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी तादाद इन सब मसायब की वजह से इन्साफ हासिल करने से महरूम रह जाती है। मैं समझता हूं कि इस टैक्स के जरिये से इसको और ज्यादा हम मुश्किल बना देंगे और इसलिये इसको इस नुक्तेनजर से भी देखना जरूरी था। इसी तरह से मोटर स्पिरिट टैक्स को इस नजर से देखना कि जो लोग मोटर रखते हैं, इसका असर सिर्फ उन्हीं पर पड़ेगा दुरुस्त नहीं। मैं समझता हूं कि जो कोई दो सौ, चार सौ रुपये महीने खर्च कर सकता है उसको १०,२०, ५० रुपये महीना जो इस टैक्स के जरिये से बढ़ जायेंगे, वह भी देना चाहिये। लेकिन इसमें कुछ न कुछ एक्सेप्शन भी जरूरी है। मसलन हमारे देहातों में जो गुर्बत है उसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमारे यहां ट्रान्सपोर्ट और कम्यूनिकेशन की बहुत बड़ी कमी है। इसका असर मोटर ट्रान्सपोर्ट पर भी पड़ेगा। इसका असर यह होगा कि या तो ट्रान्सपोर्ट फेल हो जायगा, जैसा कि जो टैक्स वगैरह हैं और जो देहात वालों का कच्चा माल ले जाकर शहरों में पहुंचाते हैं वह न पहुंचा सकेंगे और फिर इसका बोझ देहातों की गरीब जनता पर पड़ेगा। छठी क्लास तक फीस माफ कर देना, छोटी तनख्वाह वालों की तनख्वाह बढ़ा देना या ओल्ड एज पेन्शन के लिये प्रायोजन करना बेशक बड़ी खुशी की बात है। सिक्स्थ क्लास तक की फीस माफ करने की निस्बत मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन वक्त कम है इसलिये उसको छोड़कर ओल्ड एज पेन्शन के बारे में एक बात अर्ज करना चाहता हूं।

इसके बारे में यह ख्याल आम तौर से इस हाउस में जाहिर किया गया है कि यह चीज तो बहुत अच्छी है लेकिन अस्ल चीज यह है कि इसका इम्पलीमेन्टेनशन कैसे होगा। हम को इसका तजुर्बा है, हम जानते हैं कि इसको हासिल करने में वही कामयाब हो सकते हैं जो ५० दफा लखनऊ में दौड़ने की ताकत रखते हों। हम लोगों ने इस बात को पहले देखा है कि उन लोगों को जो बिस्तर से उठने के काबिल नहीं थे उनको पेन्शन नहीं मिली और जिन लोगों के परिवार में अच्छी आमदनी थी, जिनके घर वाले रोजगार करते थे, उनको मिल गई।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

(इस समय २ बजकर ४५ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

अगर इसके बारे में हमारे पास कुछ आंकड़े होते और हम समझते कि हम किस उसूल से इसको देंगे तो हम उसको अच्छी तरह से समझते, लेकिन हम देखते हैं कि रकम बहुत थोड़ी है और लेने वाले बहुत हो सकते हैं तो इसलिये सवाल उठता है कि इसका इम्प्लीमेन्टेशन कैसे होगा। इसलिये मेरा कहना है कि इसका इम्प्लीमेन्टेशन बहुत सोच समझ कर होना चाहिये। इसके अलावा मैं यह भी समझता हूं कि हिन्दोस्तान में ज्वाइंट फैमिलि सिस्टम है, इसलिये यह सवाल पैदा ही नहीं होता है। यहां पर अगर कोई कमाता है तो वह अपने बूढ़े बाप को भी खिलाता है। ऐसा नहीं है कि लड़का खा जाय और बाप रह जाय। तो सवाल यह है कि हमको पेन्शन देने से पहले यह देखना होगा कि उसके जो सपोर्टर्स हैं, उनके पास खाने को है या नहीं। यदि उसके सपोर्टर्स बेरोजगार हैं तो उनको काम देना चाहिये जिससे वे कमाते और दूसरों को खिलाते। यह तरीका रखा जाता तो वह सही तरीका होता। इसमें ऐसा भी होगा कि बहुत से ऐसे खुद्दार होंगे जो यह पेन्शन नहीं लेंगे। तो मैं समझता हूं कि इससे कोई रिलीफ नहीं मिल सकती है।

एक चीज मैं और भी इस बजट पर कहना चाहता हूं और वह यह है कि आजकल जो गिरानी बढ़ गई है उसके लिये यह कहा जा सकता है कि देहात के लोगों का काफी फायदा है, इसलिये कोई बुरी चीज नहीं है। इस सिलसिले में मैं दो चार रोज का हाल बताना चाहता हूं। हमारे यहां दो सेर से कम का गेहूं मिल रहा है। जिसके दो चार बच्चे हैं और जिसको ५०,६० तनख्वाह मिलती है तो उसका गुजर कैसे होता होगा। उसके लिये तो बड़ी मुश्किल पड़ती है। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में गरानी बहुत बढ़ रही है। मैं सरकार की तवज्जह इस ओर दिलाना चाहता हूं कि खाली पश्चिमी जिलों की तरफ तवज्जह न दें, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ भी देखें। आज जो गरानी बढ़ रही है उसमें लखनऊ भी शामिल है। और इस गरानी की वजह से बहुत से लोगों को तो खाना भी नहीं मिल रहा है। इन लफ्जों के बाद मैं खत्म करता हूं।

श्री पृथ्वी नाथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मन्त्री जी ने जिन आदर्शों और जिन भावनाओं का जिक्र किया है जिसके अन्तर्गत यह बजट बनाया गया है और जो आदर्श हमारी प्रदेशीय सरकार के सम्मुख हैं, वह सराहनीय है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने बताया कि समाजवाद और कल्याणकारी राज्य की स्थापना यह सरकार इस प्रदेश में करना चाहती है। इसके अतिरिक्त यह भी चाहती है कि न्याय संगत वितरण उस दौलत का हो, जो यहां पैदा होती है और जो बड़े आदमियों ने पूंजी पैदा की है वह इकट्ठा न हो सके, इसके अतिरिक्त माननीय मन्त्री जी ने यह भी बताया है कि इन सब आदर्शों को प्राप्त करने के लिये हमारी प्रदेशीय सरकार यह चाहती है और यह भावना रखती है कि उनके लिये प्रजातान्त्रिक उपाय ही इस्तेमाल किये जायेंगे। यह तीन बातें ऐसी हैं जो सराहनीय हैं और जिनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इन बातों को आगे रखकर जब हम बजट को देखते हैं, इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका सदन में सब ओर से स्वागत किया गया है। समय की कमी से मैं उनको तफसील से बताना नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी जैसे बुड्ढे गरीब आदमियों की पेन्शन के लिये २५ लाख रुपया का प्रोवीजन किया गया है और ९५ रुपये पाने वाले सरकारी नौकरों के लिये ५ रुपये की वृद्धि का सुझाव सरकार का है वह भी सराहनीय है।

इसके अतिरिक्त एजूकेशन में छठवीं क्लास तक के बच्चों के लिये फ्री एजूकेशन कर दी गई है इसके सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और रिकग्नाईज्ड इन्स्टीट्यूशन्स के लिये बहुत सी अनुदान गवर्नमेंट ने रखी है वह भी सराहनीय है। इन सब खर्चों को पूरा करने के लिये गवर्नमेंट ने कई टैक्स लगाने की तजवीज पेश की है, उनमें से इन्टरटेनमेंट टैक्स, रजिस्ट्रेशन और मोटर स्प्रिट पर टैक्स जो है, उसके मुताल्लिक दो राय नहीं

[श्री पृथ्वी नाथ]

हो सकती है, जो गरीब आदमियों से सम्बन्ध नहीं रखता है। इन चीजों का सम्बन्ध नेसेसिटी ज से नहीं है। मिसाल के तौर पर इन्टरटेनमेन्ट टैक्स सराहनीय है। लेकिन जो सेल्स टैक्स ग्रेन पर लगाया गया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। यह प्रश्न सरकार के सोचने का है।

(इस समय २ बजकर ५३ मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

ग्रेन गरीब और मालदार दोनों के लिये नेसेसिटी है, इसलिये जहां तक संभव हो सके इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। इसके अतिरिक्त और जो सवाल किसी गवर्नमेंट के सामने आना चाहिये, वही हमारी सरकार के सामने आता है और उसका जिक्र माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस बजट में अच्छी प्रकार से किया है। जो खर्चा सरकार कर रही है उसमें कैसे कमी की जाय, इस सिलसिले में उन्होंने बहुत सी बातों का जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर मिनिस्टर्स की तनख्वाह में कमी की तजवीज पेश की गयी है और बहुत से हेड्स आफ दी डिपार्टमेन्ट्स की कमेटी बना दी गई है जो गौर करेगी कि किस प्रकार से उनके यहां खर्च की कमी की जाय।

इसके साथ-साथ मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत, कि किसी भी सरकार के लिये जो समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहती है, उसके लिये जरूरी है कि देखे कि जो सरकारी उद्योग हैं वह उद्योग जब Private सेक्टर के हाथ में थे और उसके बाद जब सरकार ने उनको चलाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है तो कितना फायदा होता है। हम सरकारी उद्योग को देखें जैसे सीमेन्ट फैक्टरी, प्रिसीजन फैक्ट्री और कानपुर ऐलेक्ट्रिक फैक्ट्री, तो मालूम होगा और सन्देह नहीं किया जा सकता है कि जब एक उद्योग नेशनालाईज हो जाता है तो उसका मुनाफा क्यों कम हो जाता है। सीमेन्ट फैक्ट्री चुर्क में है उसके मुनाफे को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि अगर इस हिसाब से निजी उद्योग चलाये जांय तो मेरी राय में कोई फैक्ट्री नहीं कमा सकती।

लिहाजा एक और मूल सवाल इससे पैदा होता है। जितने निजी उद्योग प्रारम्भ किये जाते हैं उसमें उद्योगपति जो काम करता है वह स्वार्थ वश करता है लेकिन सरकार जो उद्योग करती है उसमें उसका स्वार्थ नहीं रहता है तो कोई न कोई मोटिव उसके सामने होना चाहिये। इसके अतिरिक्त एक सवाल और पैदा होता है। जो लोग इस इन्डस्ट्री को चलाते हैं, वे गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं। आया वे इस काम को जानते हैं कि नहीं। यह मूल सवाल है जो किसी भी कल्याणकारी सरकार को तय करना होगा। जितने निजी उद्योग हैं, उनको सरकार ले ले, यह नीति की बात है। इस सिद्धांत को हम मान चुके हैं, लेकिन सरकार को यह बात बराबर सोचनी होगी कि जिन उद्योगों को सरकार चला रही है, उसकी इफीसियेन्सी कायम है। हम देखते हैं कि जो हमारी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वह इस काम के लिये बनी नहीं है। जब यह चीज बनी थी तो उस जमाने में यह पुलिस स्टेट थी अब इसको वेलफेयर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसकी हम सब लोग सराहना करते हैं।

हमारी सरकार के पास जो साधन है और ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उसके ऊपर भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिये। यह मूल सवाल है, यह व्यक्तिगत सवाल नहीं है अगर इफीशियन्सी नहीं आई तो जो हमारे प्रदेश का खर्च हो रहा है उसमें दिक्कत आ जायेगी। सन् ५८ मार्च को हमारे प्रदेश को कुल ३२२ करोड़ रुपया देना है। गवर्नमेंट के जितने कमर्शियल अन्डरटेकिंग हैं, उसकी बैलेन्स सीट अलग हो। जो रुपया हमारे प्रान्त को देना है, उसकी बैलेन्स सीट अलग होनी चाहिये। आखिरी बात जो है, उसको सरकार को निश्चय करना होगी। जो उद्योगों के जानने वाले लोग हैं उनकी एक कमेटी बनी है, इससे बहुत लाभ होगा। जो सरकारी उद्योग सरकार के द्वारा चलाये जा रहे हैं, उससे सरकार को लाभ होगा। इका-नामी के बारे में माननीय मन्त्री जी ने काफी कहा है और किया है। सरकार ने बतलाया

है कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की तादाद जो एक हजार रुपया से कम पाने वाले हैं, वे ३३४४२१ और एक हजार से ज्यादा पाने वालों की तादाद ४११ है। अगर सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की ओर देखें तो इसके अनुसार गवर्नमेंट सर्वेन्ट की तादाद ज्यादा है। गवर्नमेंट को इस सारे बजट को देखते हुये सोचना होगा। जो ५२ करोड़ प्लानिंग में खर्च कर रही है, उनमें से कितना रुपया है जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट के ऊपर खर्च होता है। १०६ करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है उसमें से यदि ५० या ६० करोड़ रुपया सरकार गवर्नमेंट इम्प्लाइज को देती है। इस तरह से जो नौकर हैं, उनको तो लाभ होगा लेकिन ६ करोड़ जनता को लाभ नहीं होगा।

५२ करोड़ रुपया डेवलपमेंट के लिये रखा गया है और १६ करोड़ एजूकेशन पर खर्च होने वाला है। लेकिन इससे यह नहीं मालूम होता कि देश की बड़ी प्रगति हो रही है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स पर बहुत अधिक खर्च हो रहा है। कितने ही लोग तो ऐसे हैं जो सैक्रेटेरियेट में बैठकर बहुत कम काम करते हैं। गवर्नमेंट की एक एकोनामी कमेटी बननी चाहिये, जो इन सब चीजों पर गौर करे। एक सवाल यह भी उठता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स बढ़ते जा रहे हैं क्या वे वेलफेयर स्टेट के लिये ट्रेन्ड हैं। क्या उनके रैक्रूटमेंट (Recruitment) का वही पुराना तरीका नहीं है। ऐसे लोग होने चाहिये जो वैलफेयर स्टेट में ठीक-ठीक काम कर सकें। मैं एक बात और कहकर खत्म करता हूं। सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है उसमें मैंने एक बात देखी कि वे अपनी टैरीटोरियल डिमांड रखते हैं। एक नई कन्ट्रोवर्सी (controversy) ईस्टर्न और वैस्टर्न में चल गयी है। गवर्नमेंट उसको फेस नहीं करना चाहती। सब अपने २ जिलों की बाबत कहते हैं। यह पोजीशन मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। एक स्टार ऐंड ग्रिड की स्कीम है। नागपुर में इंजीनियर्स की एक कान्फ्रेन्स हुई थी। वहां यह स्कीम बनाकर एक फार्मूला तय किया गया। उसमें यह तय कर दिया गया कि फलां जिले में इतनी सड़क बननी चाहिये और फलां जिले में इतनी ?

इसी तरह से सब हैड्स आफ दि डिपार्टमेंट को फार्मूला तैयार करना चाहिये कि उनको किस जिले में क्या २ जरूरत है। पांच वर्षों में कितना पूरा कर पायेंगे। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश गरीब है तो उसको मालदार होना चाहिये। इससे लोगों को मालूम हो जायगा कि उनके जिलों में इतनी तरक्की होनी है। लेकिन जब मैंने ग्रिड फार्मूला का वर्किंग देखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। चार पांच जिले ऐसे थे जिनमें पहले से सड़कें थीं जैसे इलाहाबाद, कानपुर बनारस, लखनऊ आदि वहां पर और सड़कें बना दी गईं। एक बात मैं और अर्ज कर दूं। गोरखपुर में यूनिवर्सिटी बन गई। इस प्रान्त में लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस में यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन अगर आप पश्चिमी प्रदेश को देखें तो वहां कोई नहीं है। मेरठ में बनने की मांग की जा रही है। लेकिन वह अभी तक नहीं बनी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई फार्मूला डिपार्टमेंट के लिये बनना चाहिये कि किस २ जिले में क्या २ रिक्वायरमेंट है और किस तरह से उसको पांच वर्षों में पूरा किया जा सकता है। इससे सबको सन्तोष होगा।

श्री शिव प्रसाद सिन्हा (स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के देखने से मालूम होता है कि ५७-५८ के बजट में ९३ करोड़ ८८ लाख का रियलाईजेशन है जो टैक्सेशन, रेवेन्यू आदि मदों से आता है जहां तक टैक्सेशन रेवेन्यू आदि के रियलाईजेशन के खर्च का ताल्लुक है। २१ करोड़ के लिये साढ़े पांच करोड़ खर्च करना पड़ता है ४ करोड़ ८७ लाख के लिये १ करोड़ २७ लाख जो २५ फीसदी तक जाकर पड़ता है। मेरा ख्याल है यह खर्च १५-१६ प्रतिशत से ज्यादा न हों तो अच्छा है। इसलिये जरूरत है कि इनमें एकानामी की जाय। फारेस्ट को देखने से मालूम होता है कि ३ करोड़ ८२ लाख का जर और २ करोड़ खर्च हो जाता है और डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं इन आइटम्स पर जो खर्चे हैं उनका परसन्टेज ज्यादा है। अब कमर्शियल आईटेम्स को देखिये, जिसमें बिजली, इर्रीगेशन

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री शिव प्रसाद सिन्हा]

हैं। इर्रीगेशन पर ५ करोड़ खर्च होता है, ७ करोड़ रियलाईजेशन है, जिसमें से २ करोड़ बचता है। इस सम्बन्ध में करोड़ों रुपया डैम और प्रोजेक्ट्स के बनाने में खर्च हुआ है, उसका ब्योरा कहां है। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी अपनी स्पीच में इस पर जरूर रोशनी डालेंगे। बिजली का काम बहुत अच्छा है मगर ज्यादा खर्च पड़ता है। खर्चा के बाद ९० हजार ही की बचत है। बहुत सी गवर्नमेंट की हाइडल्स हैं जहां बहुत खर्च हो रहा है। अगर यह चीजें कर्मशियल बेसिस पर कर दी जांय तो सेविंग बहुत हो, क्योंकि प्राइवेट बाडीज से कम खर्च होता है। अब इस प्रदेश का बजट डेफिसिट में जा रहा है। और प्रदेश का डेट बढ़ता ही जा रहा है। ट्रान्सपोर्ट का कोई अलग आइटम नहीं दिया गया है। ५ करोड़ का खर्चा है, कितनी बचत है यह नहीं दिया हुआ है। यह सब डिपार्टमेंट कार्मशियल लाइन पर कर दिये जायं तो करोड़ों रुपये की बचत हो। न्याय पर १ करोड़ ४८ लाख खर्च होता है फिर भी बहुत से केसेज २५-२६ वर्ष से पड़े हैं, जजेज नहीं मिल रहे हैं। जजेज की स्ट्रेन्थ वही है जो पहले थी। जस्टिस डिलेड है। गवर्नमेंट को इसकी कोई परवाह नहीं है अगर बजाय १ करोड़ ४८ लाख के २ करोड़ यह कर दिया जाय तो within ten years तीन चौथाई केसेज खतम हो जायं। हाई कोर्ट्स में सब कोर्ट्स के लिये जजेज की जरूरत है, मगर जजेज मिलते ही नहीं। ४ करोड़ २६ लाख मेडिकल पर खर्च होता है मगर कोई भी शहर क्लीन नहीं हो पा रहा है इसलिये कि जितना कम रुपया दिया है उसमें सफाई की चीजें एक मुहल्ले के लिये भी नहीं मुहैया हो सकती हैं। और आमतौर से यह देखा गया है कि हेल्थ आफिसर की खुद अपनी मेज ही साफ नहीं रहती है तो वह शहर में क्या सफाई करायेगा। शहर की गलियों में एक जमादार को छोड़ कर और कोई नजर ही नहीं आता है।

शिक्षा की आज यह हालत है कि उस पर १५ करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है लेकिन यह हमारे राज्य के लिये बहुत ही कम है। जो हमारे टीचर्स हैं, जिनकी वजह से यह शिक्षा चल रही है उनकी हालत बहुत ही खराब है। सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों में जो डिसपैरिटी है उसके बारे में इस सदन में बराबर कहा गया है कि यह डिसपैरिटी नहीं होनी चाहिये मगर अभी तक उस डिसपैरिटी के बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा है। हमारे प्रदेश में ३३ सौ हायर सेकेन्डरी स्कूल्स हैं अगर उसको हमारी सरकार कुल मिलाकर ७५ लाख रुपये की भी सहायता दे, तो काफी लाभ हो सकता है। मैं तो कहता हूं कि अगर सरकार रुपये को नहरों, सड़कों और प्रोजेक्ट्स पर लगाने के बजाय शिक्षा पर लगाये तो अधिक फायदा होगा। आज हमारे प्रदेश में प्राइवेट हायर सेकेन्डरी स्कूल्स की हालत बड़ी खराब है और तीन चौथाई शिक्षा इन्हीं के द्वारा दी जाती है। परन्तु अफसोस है कि शिक्षा पर हमारी सरकार अधिक खर्च नहीं करना चाहती है, भले ही वह पी० डब्ल्यू० डी० और दूसरे ऐसे ही डिपार्टमेंट्स पर अधिक खर्च कर ले। अगर इन पर खर्च रोक भी दिया जाय तो कोई आफत नहीं आयेगी लेकिन शिक्षा, मेडिकल और जस्टिस पर ज्यादा खर्च करने से फायदा ही होगा।

इसके अलावा कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हिन्दी पर जोर देना चाहिये। हम भी हिन्दी को चाहते हैं लेकिन जैसा आज अंग्रेजी एक दुनिया की भाषा हो रही है तथा जितने लाऔर साइन्स की किताबें हैं वे अंग्रेजी में ही हैं तो क्या हमें उसको छोड़ देना चाहिये। आज हमारा प्रदेश तो यह कर रहा है कि न तो वह हिन्दी पर ही जोर दे रहा है और न अंग्रेजी पर ही जोर दे रहा है। इसका नतीजा यह है कि आज आल इन्डिया सर्विसेज में ज्यादातर बंगाल और मद्रास के लड़के आ रहे हैं। जैसा उड़ीसा में तय हुआ है कि वे अंग्रेजी और अपनी राज्य भाषा पर ही जोर देंगे वैसा ही यहां पर भी होना चाहिये।

पुलिस के बारे में मैं भी यहां पर कहा गया है। अगर इसमें कोई खराबी है तो वह मिनिस्टर साहब के सामने आनी चाहिये। जनरलाईजेशन करना ठीक नहीं है, इससे

कोई हम तरक्की नहीं करेंगे। पुलिस के बारे में कहा जाता कि वह बिल्ली है, तो बिल्ली कैसे दूध की रखवाली कर सकती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की हालत अगर आप देखें तो यह पायेंगे कि जब वे देहातों में जाते हैं तो गांव के लोग उनको घेर लेते हैं। यह अकसर आजकल देखने में आ रहा है। जब किसी को पकड़ा जाता है तो वे कहते हैं कि हमारा नाम क्यों लिखा जाता है। जो रिपोर्ट आप देखते हैं उसमें तो केवल एक तिहाई ही क्राइम्स लिखे हुये हैं। ज्यादातर क्राइम्स तो लिखे ही नहीं जाते हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह जी ने स्कैलिंग डाउन आफ रेन्ट के बारे में कहा है और इम्पलायमेंट के बारे में भी बहुत से लोगों ने कहा है उनके बारे में जहां तक बजट का ताल्लुक है, उसमें काफी योजनायें रखी गयी हैं, इन्डस्ट्रीज को अधिक संख्या में कायम किया गया है जिससे कि यह अनइम्पलायमेंट की सिचुयेशन काफी हद तक दूर हो सकती है। जहां तक रेन्ट का ताल्लुक है तो जमींदारी अबालिशन के बाद यह वायदा किया गया था और इस प्रान्त की जो योजनायें चल रही हैं, उनमें इसके लिये एक गोल्डेन एज आया है, इसलिये हो सकता है कि इसकी वजह से गवर्नमेंट स्कैलिंग डाउन आफ रेन्ट न कर सकी फिर भी मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि ऐसी सिचुएशन के होते हुये भी, जबकि हम कर्जे से लदे हुये हैं, उन्होंने इस तरह से सुन्दर रूप में अपने प्रदेश के फाइनेन्सेज को प्रस्तुत किया है।

श्री लल्लू राम द्विवेदी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, इस ५७-५८ के बजट पर विवाद के सिलसिले में हमारे माननीय सदस्यों में से दो एक ने यह विचार रखे हैं कि यह एक घाटे का बजट है, और इसको कैसे पूरा किया जाय तो इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज के युग में हम आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति के दौर में हैं। हमारा आदर्श है कि कल्याणकारी समाजवादी समाज की स्थापना करें तो इस आदर्श को स्थापित करने के लिये हमको कुर्बानियां भी करनी होंगी और त्याग भी करना होगा। माननीय वित्त मन्त्री जी ने घाटे का बजट प्रस्तुत किया है, वह इस बात को इंगित करता है कि उनका जो निश्चय है और जो उन्होंने आदर्श सामने रखा है उसको पूरा करने के लिये उन्होंने दृढ़ता से कदम रखा है। एक कहावत है कि नो गेन विदआउट रिस्क। अगर हमें समाज को फायदा पहुंचाना है, जो आज समाज में आर्थिक विषमता है और असमानता है, उसको अगर दूर करना है तो हमें यह खतरा लेना ही पड़ेगा और लेना भी चाहिये। घाटे के बजट के बारे में हमारे एक माननीय सदस्य ने अपनी यह राय प्रकट की कि इससे इन्फलेशन बढ़ जायेगा। मेरा तो नम्र निवेदन यह है कि घाटे के बजट और सरप्लस बजट का इन्फलेशन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध तो उत्पादन से है। अगर हमारे देश के अन्दर उत्पादन ठीक नहीं होता है या यदि उत्पादन होता है और उसका वितरण ठीक तरह से नहीं होता है तो अवश्य ही इन्फलेशन बढ़ेगा। सरप्लस और घाटे का बजट इस इन्फलेशन को कन्ट्रोल करने वाला नहीं होता है। इसी तरह से घाटे के बजट को पूरा करने के लिये यहां पर एक सुझाव दिया गया। मुझे दुख है कि मैं उस दिन उपस्थित न रह सका, लेकिन जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा, उसमें एक सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि नमक पर कर लगाया जाय। पहली बात तो यह है कि नमक कामन मैन के इस्तेमाल की वस्तु है।

श्री चेयरमैन--यहां पर क्या सुझाव दिये गये हैं, उसके बारे में आप न कहें बल्कि बजट पर अपना भाषण जारी रखें।

श्री लल्लू राम द्विवेदी--दूसरी बात यह है कि नमक हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्ध रखने वाला है, इसलिये कर लगाना अपने पुराने सिद्धान्तों पर घोर आघात करना है।

एक बात और हमारे सामने आयी। किसी माननीय सदस्य ने यह कहा कि जो पंचायतें हैं, वह सरकार ने व्हाइट एलीफैन्ट पाल रखे हैं तो मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि हमने प्रजातन्त्र को अपनाया है और प्रजातन्त्र के जरिये से हम यह क्रान्तियां ला रहे हैं। प्रजातन्त्र की यह पंचायतें आखिरी नींव हैं, अन्तिम ईन्ट हैं और उस ईन्ट को

[श्री लल्लू राम द्विवेदी]

सुचारु रूप से रखने के लिये अगर बजट में प्राविजन रखा जाता है तो उसके लिये ह्वाइट एलीफेंट कहा जाय, यह बात कहां तक संगत है, यह समझने की बात है।

बजट के घाटे को पूरा करने के सुझाव के सिलसिले में यह जरूर कहूंगा कि हमारे यहां सेल्स टैक्स का काफी बकाया है सरकार को उसके वसूल करने की तरफ ध्यान देना चाहिये। इससे उसको साढ़े चार करोड़ रुपया मिल सकेगा। बजट के घाटे की पूर्ति के लिये जो टैक्स इस वक्त लगे हुये हैं, राज्य की आमदनी के काफी अच्छे साधन हैं, उस पर अगर सरकारी कर्मचारी सही रूप से अपने आदर्श को लेकर काम करें तो काफी फायदा होगा और जो हमारा कल्याणकारी राज्य बनाने का जो स्वप्न है वह भी बहुत हद तक पूरा हो जायेगा। बजट का घाटा तो हमको पूरा करना ही है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि दिन पर दिन हमारे प्रदेश की हालत अच्छी होती जाती है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिये गल्ला बिक्री टैक्स का जो प्रस्ताव है, मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपनी स्पीच में किफायतसारी के बारे में भी कहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। बजट को देखने से मालूम होता है कि बहुत सी नयी जगहें कायम की गयी हैं और बहुत से टेम्पोरेरी पोस्टों को परमानेन्ट किया गया है।

श्रीमान्, मैं आप के जरिये से खासतौर से ग्रान्ट नम्बर ४३ के बारे में कहना चाहता हूं। उसमें पौने ग्यारह लाख रुपया जो प्रान्तीय रक्षक दल पर खर्च होता था उसको कम कर दिया है। मैं समझता हूं कि राष्ट्र के लिये प्रान्तीय रक्षक दल बहुत ही महत्व रखता है यह रुपया उसके लिये बहुत अधिक नहीं है। प्रान्तीय रक्षक दल को तोड़कर श्रमदान आन्दोलन की बांह काटना होगा।

सन् १९४६ के पुलिस बजट के मुकाबिले में आज सन् ५७-५८ का पुलिस बजट बहुत ही बड़ा है, बल्कि यह कहना चाहिये कि दुगुना हो गया है। आज हम देखते हैं कि पुलिस ने हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन को यानी जनता के शासन को अनपापुलर बना दिया है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि प्रान्तीय रक्षक दल पर जो रुपया खर्च किया जा रहा है वह बहुत नहीं है।

ग्रान्ट नं० ४३ प्लानिंग के बारे में है। सन् ५७-५८ के बजट में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के एलाटमेंट के अलावा कृषि उन्नति एवं बुन्देलखंडमें बन्धी के लिये ६६ लाख रुपया रखा गया है। इसके लिये मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। माताटीला की जो स्कीम है वह भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जायेगी, ऐसी आशा है। बुन्देल खंड अन्न के बारे में दूसरे जिलों को काफी मदद करता है, लेकिन यहां पर उद्योग की बहुत ही कमी है। इस अवसर पर मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर गल्ले का उत्पादन बढ़ाया जाय। जालौन जिले में तो गन्ने की पैदावार है, वहां पर कोआपरेटिव बेसिस पर शुगर फैक्टरी कामयाब हो सकती है। इस सिलसिले में सरकार को कदम उठाना चाहिये। इस तरह से प्रदेश की आमदनी तो बढ़ेगी ही और साथ ही साथ बुन्देलखंड जैसे पिछड़े जिले में भी यह एक आमदनी का साधन हो जायेगा और वहां की गरीबी दूर करेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह मद्य निषेध नीति के सम्बन्ध में है। प्राहिबिशन के सिलसिले में कहा गया कि इसे खत्म हो जाना चाहिये। शराब या नशे की जितनी भी चीजें हैं, ये समाज के लिये अहितकर हैं और इसके लिये कानून भी बना। लेकिन कानून कामयाब नहीं हुआ, इसलिये प्रोहिबिशन खत्म कर देना चाहिये, ऐसा कहा गया और इसकी आमदनी से दूसरे कामों को प्रोत्साहन दिया जाय। लेकिन मैं समझता हूं कि यह विचार गलत है। अगर कोई कानून बनाया गया और वह नाकामयाब रहा या उसकी मन्शा पूरी नहीं

हुई, इसलिये वह कानून खत्म हो जाना चाहिये, यह दलील ठीक नहीं है। हमारे यहां ताजीरात हिन्द ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से चला आ रहा है, फिर भी चोरियां व डकैतियां होती रहती हैं, तो क्या उसे हटा देना चाहिये। इस तरह की बात कहना उचित नहीं है। बहुत से सदस्यों ने प्राहिबिशन के बारे में कहा कि इसका कानून ठीक तरह से नाफिज नहीं हो रहा है, तो मेरा कहना है कि हमें समाज के ऐसे सुधार में तभी सफलता मिल सकती है जब कि उसके लिये वैसी ही आबोहवा हो। वह आबोहवा आज नहीं है। समाज के निर्माण के लिये, देश और राष्ट्र के चरित्र निर्माण के लिये जैसी आबोहवा आज होनी चाहिये, वह नहीं है और उसमें कमी है, तो उस कमी की जिम्मेदारी बहुत कुछ हम लोगों पर है और कुछ हमारे यहां के सरकारी कर्मचारियों पर है या यह समाज के उन लोगों पर भी है जो कि समाज के हित में सही बात हो रही है, उसको नहीं बतलाते हैं और उसमें केवल नुक्ताचीनी देखते हैं। अगर हम अपने काम को इसी नजर से देखेंगे, तो अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।

मुझे लाल बत्ती नजर आ रही है, इसलिये मैं अपनी बात खत्म करते हुये माननीय वित्त मन्त्री जी को फिर से इस बजट के लिये मुबारकबाद देता हूं।

श्री विश्वनाथ (विधान सभा निर्वाचित क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, सन् ५७-५८ का जो बजट आज प्रस्तुत है और उसमें जितनी योजनाओं की चर्चा की गई है, जितने पदोन्नति की चर्चा है, जितने स्थायी करण की चर्चा है और जितनी नई नियुक्तियों की चर्चा है उसे देखने से यह पता चलता है और विचार करने पर सहज ही हर व्यक्ति की यह धारणा होती है कि सरकार कितनी प्रयत्नशील है कि अपने राज्य का चौतरफा किस प्रकार से विकास हो। मालूम पड़ता है कि सरकार बहुत ही व्याकुल और चिन्तित सी है कि राज्य को कैसे समुन्नत किया जा सके और बहुमुखी विकास इसका हो सके। निश्चित रूप से मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि सरकार इस बजट को पेश करके हमारे धन्यवाद की पात्र है, अतएव मैं इसका समर्थन करता हूं। परन्तु साथ ही जैसी कि मनोवृत्ति है सरकार की, मैं समझता हूं कि क्या जो कुछ भी सरकार चाह रही है वह पूरा होने जा रहा है? अब तक का जो कार्य है उसको देखते हुये तो मेरी समझ में यह आ रहा है कि सरकार की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। इसमें सन्देह नहीं कि अगर चिकनी चुपड़ी बात मैं कह दूं कि "उसकी इच्छा पूरी होती हुई नजर आ रही है" तो शायद अपने राज्य के प्रति यह मेरी कृतघ्नता होगी। जिस रूप से हमारी सरकार चाह रही है कि राज्य के अन्दर एक समाजवादी ढंग के समाज की रचना हो, वह कार्य पूरा होता दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। किसी भी राज्य या देश में समाजवादी ढंग के समाज की रचना या कल्याणकारी राज्य की रचना उसी समय होती है, जब उस राज्य की जनता की मनोवृत्ति उस रूप में परिवर्तित की जाती है कि वह समाजवादी विचारधारा को अपना सके, परन्तु उस विचारधारा के प्रवर्तक आज दिन जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी कहते हैं, शायद उस मनोवृत्ति के वह नहीं हैं, अगर हैं भी तो बहुत थोड़े। मैं निश्चयपूर्वक इस बात को कह सकता हूं कि एक तरफ विषमता को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो आज गांव-गांव में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का जाल बिछाया जा रहा है वे किस मनोवृत्ति के हैं यह हमें देखना है, जो सरकार के प्रतिनिधि स्वरूप जनता में जाकर बैठे हैं और काम कर रहे हैं। इसकी सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्धारित है कि जनता की कैसी मनोवृत्ति आगे चलकर बनेगी और क्या हमारी इच्छा पूरी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। बहुत कुछ भविष्य की बात उन पर निर्भर करती है। हम देखते हैं कि एक तरफ तो सरकार ने जमींदारी खत्म करके, बड़े बड़े आय कर लगाकर पूंजीपतियों को घटाने की कोशिश की है, परन्तु दूसरी तरफ जो हमारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं वे उसी पूंजीवादी मनोवृत्ति के हैं, बल्कि उससे भी अधिक खतरनाक हैं, जो अपने आचार तथा व्यवहार से लोगों को त्रसित और दुखित करते हैं। साधारण जनता तथा उनके बीच गहरी खाई है। इससे साबित हो रहा है कि जिस मनोवृत्ति की आवश्यकता थी, वैसी मनोवृत्ति लोगों में न पैदा होकर दूसरे ढंग की पैदा हो रही है और इसका उलटा असर लोगों पर

[श्री विश्वनाथ]

पड़ रहा है। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस योजना को सफल बनाना है, तब तो आपको फूंक फूंक-कर क़दम बढ़ाना होगा और अपने काम करने वाले लोगों को बहुत सोच समझ कर रखना होगा, जो सही ढंग से इस स्कीम को कार्यान्वित कर सकें और सरकार की इच्छा को पूरा कर सकें। मैं इस अवसर पर प्रान्तीय रक्षक दल की भी चर्चा करूंगा। मैंने जो यह बात सुनी कि प्रान्तीय रक्षक दल टूटने वाला है, तो बड़ी चिन्ता हुई। जिस विभाग में अधिकांश राजनैतिक पीड़ित लोग रखे गये हैं और जो रिजर्वफोर्स की तरहसे सरकार का विभाग रहा है और जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ती थी वह विभाग भेज दिया जाता था, जिसमें वह लोग थे जो आजादी के दीवाने थे और निःस्वार्थ ढंग से जिन्होंने काम किया, आज मुझे पता नहीं है कि वह विभाग तोड़ करके उनको कहां खपाया जायेगा? क्या उन तमाम लोगों को पेन्शन दी जायगी? जब कि बाहर के साधारण असमर्थ लोगों के निर्वाह के लिये भी पेन्शन की व्यवस्था होने जा रही है, परन्तु इन राजनैतिक पीड़ितों का, जो इस दल में हैं उनका क्या होगा? मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बात पर पुनः विचार करे और ऐसी बात न करे, जिससे इन लोगों को कठिनाई में पड़ना पड़े। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस दल को तोड़ने वाली भयंकर भूल न करे। यह बड़ा ही दुख और चिन्ता की बात होगी।

समाजवादी ढंग के समाज की रचना के विषय में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सरकारी कर्मचारी जो दो हजार से अधिक वेतन भोगी भी हैं, वे ६ और ८ घन्टे से अधिक काम नहीं करते हैं, परन्तु उन्हीं के चपरासी जो ५०–६० रुपया से भी कम वेतन भोगी हैं वह १८–१८ घन्टे काम करते हैं और उन्हीं बड़े अधिकारियों के घर पर तथा आफिस में काम करते हैं। यदि वे बड़े अधिकारी चाहें तो २, ३ नौकर रख सकते हैं, परन्तु ऐसा न करके फिर सरकारी चपरासी ही से काम लेते ह और इस तरह से वे चपरासी दूसरा कोई पूरक कार्य परिवार की उदरपूर्ति के लिये नहीं कर पाते हैं, तो वह तो समाजवादी ढंग से समाज रचना के लक्षण नहीं है। सहकारिता विभाग पर बहुत रुपया खर्चा किया जा रहा है और पूरा-पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि यह विभाग बढ़ जाय, जिससे लोगों का बहुत कल्याण हो, परन्तु गाजीपुर की सहकारिता विभाग नवजात समितिमों को तोड़ने की फिक्र में है, एक प्रकार से सहकारिता के निकलते हुए अंकुर को ही मसल देना चाहता है। वहां कोयला बाहर के लोगों के हाथ सस्ते दाम पर ३०० से ४०० टन तक गत जनवरी, फरवरी में बेंचा गया; जब अनेक सहकारी भट्ठों को मई, जून और जुलाई में अपना कच्चा ईंटा लकड़ी पर पकाना पड़ा या बहुत महंगा कोयला खरीद कर पकाना पड़ा या कच्चा ईंटा, कोयला के अभाव में बरसात में गल कर मिटटी हो गया। गाजीपुर की बिजली के बारे में भी मुझे कुछ कहना है। गाजीपुर के विधायकों का एक डेपुटेशन सम्बन्धित मंत्री जी से मिला था और अपने कष्ट की चर्चा की थी। पता नहीं कि क्या उत्तर दिया गया। गाजीपुर में बिजली एक ठेकेदार द्वारा लेनी पड़ती है और साढ़े नौ आने की दर से बिजली मिलती है। इस बिजली को लेकर कोई भी छोटा बड़ा उद्योग नहीं किया जा सकता है। बिजली समुचित रूप से प्रकाश के लिये भी नहीं मिल पाती है। प्रायः प्रतिदिन बिजली कई बार फेल होती है। थोड़ी देर के लिये आप कल्पना कर लें कि ८ बजे रात्रि को, जब कि अधिकांश बाजार की दुकानें खुली होती हैं, कुछ देर के लिये बिजली फेल हो जावे, तो आप समझ सकते हैं कि आसानी के साथ वहां पर डाका डाला जा सकता है और डाकू नहीं पहचाना जा सकता है। ऐसी खतरनाक स्थिति है गाजीपुर शहर की। कई बार कोशिश की गई कि सुधार हो, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या राज है या क्या कारण है कि सरकार इधर ध्यान नहीं देती। मैं आप के द्वारा संबंधित विभाग के मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस पर विचार करें और गाजीपुर के कष्ट का निवारण करें।

स्वास्थ्य विभाग में काफी रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन गाजीपुर की अवस्था यह है कि अभी वहां एक गांव में चेचक से ६०० बच्चे और एक दूसरे गांव में ४ या ५ सौ बच्चे कहा जाता है कि मर गये। उन गांवों के नाम हैं सुहवल और नोली, गवर्नमेंट चाहे तो छानबीन

करा ले कि सत्य क्या है। इसी प्रकार है जैसे मुहम्मदाबाद तहसील में कई सौ आदमी काल के गाल में चले गये, सो भी अधिकतर नवयुवक ही।

श्री हृदय नारायण सिंह--बजट स्पीच में सब कुछ है आप देख लें।

श्री विश्वनाथ--औद्योगिक शिक्षा के विकास के लिये लिखा गया है कि नये-नये विद्यालय खोले जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि नये खुले, लेकिन मैं देख रहा हूं कि गाजीपुर के पालिटेक्निकल विद्यालय में मुश्किल से ५०-६० शिक्षार्थी लिये जाते हैं और सैकड़ों निराश तथा हताश हो लौट जाते हैं। उनका तो प्रबन्ध सरकार कर नहीं पाती है और नये खोलने जा रही है। नये खुलें, अच्छी बात है, परन्तु जो पहले से हैं उन्हें परिपूर्ण कीजिये, वहां की कमी को पहले दूर कीजिये। मेरी प्रिंसिपल साहब से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि स्टाफ है नहीं, हम लड़के ज्यादा कैसे लें। आज नये-नये डिग्री कालेज खोले जा रहे हैं, लेकिन पिछड़े जिलों की ओर कोई निगाह नहीं डाली जा रही है। जो खुले हुये हैं, उनको हमें आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये।

पूर्वी जिलों में पिछले साल अकाल पड़ा था, बाढ़ सूखा तथा अति वर्षा के कारण। उनके कष्ट निवारण के लिये तकावी बहुत कम दी गई। शिकायत करने पर कहा गया कि रुपया कम है, कैसे ज्यादा दिया जाय, लेकिन उसी समय गाजीपुर में नई कालोनी बनाई जा रही थी, जिसमें लाखों रुपये खर्च किये जा रहे थे, लेकिन तकावी देने के लिये रुपया नहीं था। वहां पर कलेक्टर और डिप्टी मैजिस्ट्रेट तथा अन्य स्थायी कर्मचारियों के लिये बंगले नहीं हैं। शहर तथा कचहरी रोड, जिस पर हजारों व्यक्ति प्रतिदिन चलते हैं, अच्छी सड़कें नहीं हैं लेकिन कालोनी के बीच तथा आस-पास अच्छी सड़क बनाई जा रही है। अगर कालोनी तथा आस-पास की सड़क का बनना रोक दिया जाता और उसके बजाय तकावी दे दी गई होती तो मैं समझता हूं कि वहां के किसानों को काफी राहत मिली होती और कालोनी बाद में बनती। इन बातों की चर्चा करते हुये मैं आप के द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके भीतर क्या रहस्य है? आज चौतरफा यह चर्चा होती है कि कोई काम मिलेगा, तो सोर्स से मिलेगा। स्कूल में एडमिशन होगा तो सोर्स के जरिये होगा। क्या बात है, यह सोर्स की बात कैसे खत्म होगी? एक सुझाव के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि अगर राम राज्य कायम करना है और कल्याणकारी राज्य कायम करना है तो निश्चित रूप से भृष्टाचार खत्म करना होगा। साथ ही उपरोक्त अनेक त्रुटियों, दोषों तथा मनोवृत्तियों के सुधार के लिये कुछ न कुछ व्यवस्था करनी होगी, तभी राम राज्य होगा। राम राज्य में दुर्मुख द्वारा उसी रात्रि में एक धोबी से सुनी शिकायत जब राम के पास पहुंचती है तब राम अपनी प्यारी सीता को, जिसके लिये जंगल में खाक छानते थे, जिसके लिये पागल हो गये थे और पक्षियों से भी पूछा करते थे कि --

हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी।

उस सीता को गर्भावस्था में एक धोबी की शिकायत पर उन्होंने वन में भेज दिये। यहां पर कलेक्टर, एस० पी० और जज, जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उनके मुताल्लिक भी सरकार को पता नहीं होता है कि वे कैसे हैं। जब तक राम जैसी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं होगी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब चेयरमैन साहब, जो इस सदन में तकरीरें इस साल के बजट पर हुईं, मैंने उनको जैसा कि इस सदन के मेम्बरों ने भी गालिबन महसूस किया होगा, बहुत ही तवज्जह के साथ सुनी। सुनी इसलिये कि मैं उससे कुछ फायदा उठाऊं। जो तकरीरें हुईं, उनमें बहुत सी बातें ऐसी कही गईं कि जिनके मुताल्लिक यकीनन गवर्नमेंट को खास तवज्जह करने की जरूरत है और इसके साथ यह भी कि जो बजट पेश हुआ, उस बजट में इस उत्तर प्रदेश के लिये जो कुछ रखा गया उसके सम्बन्ध में इस सदन में दो प्रकार की राय मालूम हुई। एक तो राय है अपोजीशन लीडर की जो इस वक्त आप के अपोजीशन के लीडर हैं, और उसी किस्म की राय कुछ और माननीय सदस्यों की भी है। उनकी तकरीर

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

का खुलासा जो मैं कर सकता हूं, वह यह है कि उनके नजदीक इस स्टेट का जो पिक्चर खींचा गया इस बजट में, वह ज्यादा रोजी होगा बमुकाबले उसके जितना वह वाकई में है। इसमें यह है कि पिक्चर इस स्टेट की रोजी है जैसा कि उन्होंने अपनी तकरीर में बतलाया है, उससे नतीजा निकलता है कि यह उतनी रोजी नहीं है, जितना मैंने अपने बजट स्पीच में दिखला दी। या-मैंने एक मुगालता किया जैसा एक ख्याल जाहिर करने में एक शायर करता है। हो सकता है ऐसी बात हो। मुमकिन है कि मेरा ख्याल गलत हो, लेकिन मैंने उस रोजी पिक्चर को दिखलाने में बहुत एहतियात किया है। जितनी रोजीनेस उसके अंदर थी, उस सबको मैंने बजट स्पीच में रखा नहीं। इसलिये कि उन दिमागों को जो कि तलाश में हों, इस बात की कि कहीं किसी जगह कोई नुक्स, कोई खराबी निकले और किसी तरफ से इस तस्वीर में भद्दापन की कोई बात निकाली जा सकती हो और उनको एक मौका मिले। वरना हकीकत यह है कि आज जो इस उत्तर प्रदेश की हालत है उसमें सन् ४५ के मुकाबिले में बहुत ही ज्यादा फर्क है। अगर बैकग्राउन्ड को देखा जाय उत्तर प्रदेश की पहली हालत को देखा जाय और उन कमियों को मुहताजगियों को देखा जाय जिसमें हम थे और उसके मुकाबिले में इस बात को देखा जाय कि यहां कुछ हुआ या नहीं हुआ, तो कमी इतनी है और करना इतना बाकी है कि जो कुछ हुआ है वह एक आदमी की नजर में मुश्किल से जंचता है इसलिये कि नाकारा मैदान बहुत बाकी है। तो उस लिहाज से जब मैं इस बात का देखता हूं कि जो तक़रीरें यहां हुईं, उनके लिये कम से कम एक बेस है। मगर यह कि भ्रष्टाचार है और वेस्ट है। सही। भ्रष्टाचार होगा और मैं यह भी नहीं कहता हूं कि नहीं है, वेस्ट है खर्च के अंदर, जरूर होगा लेकिन इस सिलसिले में मैं अर्ज करूंगा कि जितनी डार्कनेस दिखलाई गई है भ्रष्टाचार के नाम से, दूसरी कमियों के नाम से, वह भी असल पिक्चर नहीं है।

इसी सिलसिले में सरकारी मुलाजिम नौकरशाही का भी जिक्र किया गया। मैं बहुत दफा इस बात को लेजिस्लेचर में सुनता हूं और सोचता हूं कि बहैसियत मिनिस्टर के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला होने की हैसियत से कि आखिर यह नौकरशाही अगर इस मुल्क को तबाह करने वाली है और इसकी हालत ठीक नहीं होती है तो इसका इलाज क्या है और मैंने उन तक़रीरों को जो कि नौकरशाही के खिलाफ होती है इस नजर से हमेशा सुना कि कोई उसको प्रैक्टिकल व्यू प्वाइंट से देखे और यह बतलाये कि इसका होना क्या चाहिए। अगर किसी को सजा देने को कहें या किसी को तम्बीह करने को कहें तब अर्ज करूंगा कि मैं साल बसाल की जिस क़दर रिकार्ड्स हैं सजा के निकाल कर दिखा सकता हूं कि कितने-कितने आदमियों को किन-किन सालों में सजा हुई। शायद यहां न बताया गया हो, मगर मैं उस रेकार्ड को पढ़कर कहीं सुना भी चुका हूं। मैंने यह भी सुना कि जो हल बताया जाता है वह सजा से ठीक नहीं हो सकत वह तो जेहनियत का मामला है। उनको हटाओ, इस वक्त जितने हैं और और को लाओ यह एक नजरिया है, जिसको एक नजर से देखें कि यह कहां तक प्रैक्टिकेबुल है और क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है और जिन लोगों को लाया, जायेगा उनके जरिये क्या होगा यह एक चीज है, जिस ओर दिमाग की तवज्जह दिलाता हूं, तो यह सोचा कि इस नौकरशाही को सबस्टीट्यूट किस तरीके से किया जाय और वह शिकायत कैसे दूर की जाय, सोचा तो वह दूर नहीं हो सकती। मेरे नजदीक बहुत सजायें हुई हैं और उनसे कोई अच्छाई नहीं आई है। दूसरी बात की तरफ जनाब के जरिये मेम्बरान की तवज्जह दिलाऊंगा और वह यह है कि एक इन्सान का एक नेचर है। मैं वाकई बुरा आदमी हूं। अगर आप मुझको किसी भी टाइम बुरा कहेंगे, दुतकार और फटकार के कहेंगे तो मेरे ऊपर उसका अच्छा असर नहीं होगा। एक हमदर्दी और रहम से कहेंगे तो मेरे ऊपर असर होगा। अगर यह समझा जाता है कि किसी को बदनाम करके उसकी इसलाह कर सकते हैं तो शायद यह बात इन्सान के नेचर बिल्कुल खिलाफ है। मैं यह नहीं कहता कि मेम्बरान ने क्यों इसको कहा, उनको हक़ है। अगर यह दो फिजा जनाब

को दिखाया जाय और अगर यह रखने के क़ाबिल न हों तो क्या दूसरा तरीक़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यह कि इस पिक्चर में जो मैंने सामने रखा, उसमें राज्य की माली हालत की भी चर्चा बजट स्पीच में किया है, उसके मुताल्लिक़ सदन में सुना कि साहब बजाय उसके कर्ज का मामला ऐसा है कि उतना कर्जा होते हुये कभी भी उत्तर प्रदेश की हालत संतोषजनक नहीं समझी जा सकती, काबिले इतमिनान नहीं सोची जा सकती। यह बात मेरे नजदीक ऐसी है जिसे एक से ज्यादा दफा इस हाउस में मैं बयान कर चुका हूं और उसको दुहराने के लिये इस वक्त इसलिये मजबूर हूं कि इस बात पर ज्यादा ज़ोर अब की साल की बहस में दिया गया है। कर्जा है क्या? अभी मेम्बरान की ज़बान से सुना। ४०-४२ करोड़ रुपया बाजार का है। कुछ कर्जा गवर्नमेंट आफ इन्डिया का है और शायद २-४ करोड़ रुपये रिजर्व बैंक का भी होगा, लेकिन वह सब इसमें शामिल हैं।

एक दूसरी चीज है, जिसकी निस्बत में यहां पर पहले भी अर्ज कर चुका हूं और मेम्बरों को सुनकर याद भी आयेगा। वह यह है कि जमींदारों को मुआविजा देना है और वह रकम करीब एक अरब से ज्यादा ही है। तब सोचने की बात यह हुई कि जमींदारों का मुआविजा भी देना है, बाजार का कर्जा भी देना है और जो कर्जा गवर्नमेंट आफ इन्डिया से लिया है वह भी देना है। इसका टोटल एक तरफ रखें और यह देखें कि इस स्टेट की जो आमदनी है, वह रेवेन्यू नहीं है, जो कि पूरा ९६ करोड़ इस बजट में है। उसके अन्दर वह रकम भी शामिल है जो कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया से भी आयेगी। जो सिर्फ आप के टैक्सेज से आमदनी होती है उसकी फिगर्स भी मेरे पास हैं और बतला भी दूंगा कि कितने हैं। यह जो ९६ करोड़ रुपये का बजट है उससे २० करोड़ ही कम होगा। अगर वह कम भी है तो इस ९६ करोड़ रुपये के बजट में इतना कर्ज हो जाय तो मैं भी कहूंगा कि रात को नींद नहीं आ सकती है। ऐसा व्यक्ति जिसके जिम्मे इतना भार हो, अगर उत्तर प्रदेश को एक व्यक्ति समझा जाय और उसके सिर पर यह भार हो कि मेरी आमदनी तो इतनी है और कर्जा इतना बड़ा है तो वाकई उसको नींद नहीं आ सकती है। लेकिन वह जमाना जिस जमाने में स्टेट के खर्चों और स्टेट के कर्जों को इस नजर से देखा जाता था वह चला गया। अब वह जमाना है नहीं।

मेरे एक मुअज्जिज दोस्त ने इस सदन में अपने नजदीक एक बड़ा ही नेक मशविरा मुझे दिया और वह यह कि "कट योर कोट अकार्डिंग टू क्लाथ" याने अपना कोट कपड़े के मुताबिक ही बनाओ। यह एक बड़ी कहावत है। इस पर उनकी एक स्पीच भी हुई कि अपना कोट कपड़े के ही बराबर काटो। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं जनाब के जरिये से इस हाउस के मेम्बरों की इत्तिला के लिये कि यह एक डिसकार्डेड फारमूला है जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया है और जो कभी किसी जमाने में किसी स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनाने में कामयाब नहीं हो सकता है, कभी कोई स्टेट इस तरह से एक वेलफेयर स्टेट नहीं बन सकती है। हां, जो स्टेट दुनिया के स्टैन्डर्ड के मुताबिक सब काम कर चुकी है, बिल्कुल तरक्की पर पहुंच चुकी है, सब मुसीबतों से निकल चुकी है, उसकी उम्दा हालत है और वह इस बात की मुहताज न हो, वही स्टेट इस काम को नहीं कर सकती है या फिर वह स्टेट नहीं कर सकती है, जिसको दुनिया में कुछ नहीं करना हो।

अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश को उसी हालत में छोड़ दिया जाय, जिस हालत में कि वह है। अगर इसी हालत में छोड़ देना है तो आपकी अगर ९० करोड़ की आमदनी है तो उस ९० करोड़ की आमदनी में से उसके बराबर-बराबर कोट काटे जाइये, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं नहीं जानता हूं कि कौन सा फाइनेन्स मिनिस्टर ऐसा पैदा हुआ होगा, मैं अपने आप को अर्ज करूं कि जिस वक्त यहां का लेजिस्लेचर इस बात की हिमायत करे और इस बात की राय कायम करे कि "cut your coat according to the cloth" तो मैं इस फाइनेन्स मिनिस्टरी को करना गवारा नहीं कर सकता हूं और न फाइनेन्स मिनिस्टर के बतौर इस बात को ही गवारा कर सकता हूं कि जिसकी जैसी हालत है, उसको वैसा ही रहने

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

दिया जाय। दूसरा कोई करे, लेकिन मैं नहीं गवारा कर सकता। हां, फैयाजी, ऐयाशी और फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिये बल्कि जो उसको करता है, वह गुनहगार है। मैं एक इन्सान को नहीं कहता हूं बल्कि कौम की कौम को कहता हूं, गवर्नमेंट को कहता हूं कि अगर कोई गवर्नमेंट फिजूल खर्ची को टालरेट करती है तो गलत है, उसका टालरेट करना लानत है ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर जो इस चीज को टालरेट करती है, वह गवर्नमेंट में रहने के काबिल नहीं है, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन यह कि एक स्टेट के इन्सानों की जमात को, जिसके अन्दर कि ६ करोड़ से ज्यादा इन्सान रहते हों, उनको उसी हालत पर छोड़ दो, जिस हालत में कि वह हैं, उनकी तन्दुरुस्ती वहीं रखो, जहां कि वह है जितने मरते हों, मरने दो और जितने बाकी रह गये हैं उनको बाकी रहने दो, अपनी जिन्दगी को आप सम्भालो, तो मेरे नजदीक फिर गवर्नमेन्ट की कोई जरूरत हीं नहीं है, गवर्नमेंट को कायम करना, डेमोक्रेसी को कायम करना, यह सब बातें फिजूल हैं। यह दुरुस्त है कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कि इस पर किताबें लिखी हैं और जिन्होंने इस बात को कन्सीव किया है, कि जमाना आयेगा जब दुनिया में गवर्नमेंट ही न रहे, तो इस तरह के इमैजिनेशन लोगों के रहते हैं। लेकिन बरखिलाफ अगर मैं यह चाहूं कि हमको कुछ करना है तो फिर दूसरी बात क्या है उसमें देश का ख्याल रखना जरूरी है और अगर ख्याल करना है तो वह क्या है और वह मैं जानता हूं कि हर एक मेम्बर चाहता यही है भले ही तकरीर कुछ करें। तकरीर चाहे कोई कुछ करता हो लेकिन हर एक चाहता तो यही है। इसमें मुझे एक मिसरा एक शायर का याद आ गया है कि

किस्मत में जो लिखा है, अल्लाह तू वही अता करे।

यानी जो कुछ भी किस्मत में लिखा है उसको तू ऐ खुदा जल्दी से जल्दी हमारे सामने ला दे। तो करने वाले के सामने एक उसूल तो यह रखना होगा कि शार्टेस्ट पासिबल टाइम के अन्दर, जो कम से कम मुमकिन वक्त है उस वक्त के अन्दर उस काम को हो जाना चाहिए। एक तो जरूरत इस बात की है कि हम यहां के रहनेवालों के स्टैंडर्ड आफ लिविंग और स्टैंडर्ड आफ लाइफ की तरक्की करें, यह मुसल्लम बात है। सब मुसीबतों की जड़ क्या है, मौलाना मजूम्वी हुये हैं, उन्होंने खुद लिखा है, उनकी एक किताब भी है और वे बड़े अच्छे शायर भी हैं, जिसका मतलब यह है कि इन्सान को जब इन्सानियत के दर्जे से गिरा देते हैं तो वह मुफलिसी और कंगाली है। मजहब उसके सामने तबाह हुये हैं, इन्सान की शराफत उसके सामने तबाह हुई है, तो ऐसी चीज आसानी से नहीं निकल सकती है। दुनिया में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो पहले नहीं हुई थी लेकिन आज हो रही हैं। आज कल कोट को कपड़े के मुताबिक काटने की जरूरत नहीं है बल्कि जितने लम्बे कोट की आप को जरूरत हो, उसी नाप का कोट काटें चाहे आप को दूसरे कपड़े की ही जरूरत पड़े। हमारे यहां जो प्लान बने हैं उनको हमें पूरा करना चाहिये, चाहे जहां से भी वह रुपया आये। अभी हमको आजाद हुये बहुत कम दिन हुये हैं, इतने दिनों में भी अगर देखा जाये तो काफी काम हो गया है।

जनाब वाला, मैं यहां पर रूस के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि कि हमारे एक भाई ने वहां का भी कुछ जिक्र किया था। रूस में सन् १७ में रेवोल्यूशन हुआ था और उसी वक्त से उसकी हिस्ट्री है और आज सन् १९५७ है, ४० साल का अर्सा हो गया है। इस अरसे में उसने वहां पर काफी काम किया है। लेकिन इन ४० साल तक काम करने के बाद भी आज रूस के लिये यह नहीं कहा जा सकता है कि इन्सान की जितनी जरूरियात होती हैं, उन सब को पूरा करके उसका खात्मा कर दिया है। रूस के लिये यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपने यहां वह सोसाइटी कायम कर दी है, जहां पर अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और उसमें कोई कमी नहीं है। अब रूस का जो सब से बड़ा मुखालिफ मुल्क अमेरिका है उसको ले लीजिये। मैं लड़ाई के सिलसिले में उनकी मुखालिफत नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन दोनों मुल्के टैंकों स्टैन्डर्ड आफ लिविंग में जो मुखालिफत है उसके बारे में कहना चाहता हूं। अमेरिका

को आजाद हुये काफी अरसा हो चुका है। उसने अपने यहां काफी काम किये हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि वहां पर एक आदमी भी अनइम्प्लाई नहीं है। मेरे एक भाई ने अन-इम्प्लायमेन्ट के बारे में जो कुछ कहा है, उसको सुनने के बाद में तो यही समझता हूं कि उन्होंने शायद मेरी बजट स्पीच को गौर से नहीं पढ़ा है। मैंने उसमें कहा है कि अनइम्प्लायमेन्ट के लिये सरकार काफी गौर कर रही है और इसको दूर करने की तरफ उसका काफी ध्यान है। अगर वे साहब मेरी बजट स्पीच को फिर से पढ़ें तो उनको मालूम होगा कि मैंने उसमें क्या कहा है। इतने थोड़े से समय में यह कहना कि कोई भी आदमी बेकार न रहे मेरे नजदीक मुमकिन नहीं है। मैंने अनइम्प्लायमेन्ट के बारे में अमेरिका के लिटरेचर को पढ़ा है हमारे यहां भी लाइब्रेरी है, वहां पर बहुत सी किताबें हैं, जो अमेरिका से छप कर आती हैं। देखने से यह बात कोई भी आदमी नहीं कह सकता है कि वहां से एक दम बेरोजगारी खत्म हो गयी है और अब तक एक आदमी भी बेकार नहीं है। मुद्दत से अमेरिका अपने को बना रहा है, लेकिन फिर भी उसके यहां अनइम्प्लायमेंट बाकी है। मैं अनइम्प्लायमेंट की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, आप यह न समझें: लेकिन मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस किस्म की मायूसी और ख्यालात दिमाग में लाना कहां तक सही हो सकता है कि हम यह समझें कि हमारे यहां कुछ नहीं हो रहा है। यह तो बिल्कुल गलत बात है।

मेरे भाई माफ करेंगे, माननीय कन्हैया लाल जी की तकरीर में मैंने कल बहुत मोहब्बत देखी। मुझे उसे सुनकर खुशी हुई, इसलिये कि वह उनके दिल से निकली हुई बात थी। वह अपनी जगह पर सही हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। लेकिन वह बात उनके दिल से निकली थी और बहुत मोहब्बत से उन्होंने उसे कही थी, गो कि उनको गुस्सा भी बहुत था। उनका उस तरह से उस बात को सुनाने पर गुस्सा आना भी लाजिमी था, इसे मैं मानता हूं क्योंकि उन्होंने पहले अपनी तकरीर में जो कहा था या गवर्नमेंट ने उसके लिये जो कहा था, उसके लिये उनकी शिकायत थी कि उसे पूरा नहीं किया गया। लेकिन हमें जो रास्ता अपनी तकरीरों में अख्तियार करना चाहिये और उसके अन्दर जो कुछ कहना चाहिय, जिस हद तक हमें जाना चाहिये, उसके लिये मैं अर्ज करूं कि फारसी का एक मकूला है। मैं उसके मतलब आप को बतलाता हूं। ऐब तो सब बयान कर दिये, लेकिन मुझ में जो खूबी है, वह बयान नहीं किये।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--मैंने तो वह भी कहा था।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं तो आप की तारीफ ही कर रहा हूं कि उन्होंने बिल्कुल उसी पर अमल किया। फारसी में मकूला है :--

अयूब जुमला बेगुफ़्ती, हुनरम नेस्त बेगुफ़्ती।

उसके ऐब तो बयान कर दिये गये हैं, लेकिन क्या जो उसके हुनर हैं, वे भी आपने बतला दिये।

श्री हृदय नारायण सिंह--हुनर अपने दिल में रखते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--हुनर तो कोई दिल में रखता नहीं है। तब वह दिल शायद इन्सान का दिल नहीं है। इन्सान का तो दिमाग है और दिमाग से बाहर जो है, वह कुछ नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे दोस्त ने जो तकरीर फरमाई, उसका मेरे ऊपर बहुत असर हुआ और कमबख्त सरकार ने उसे समझा। खैर, कमबख्त का लफ्ज तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं कमबख्त कह रहा हूं और मैं तो कुछ भी कह सकता हूं। उन्होंने कहा कि इस सरकार के वादे का कोई एतबार नहीं। उन्होंने कहा कि यह सरकार कहने का भी बुरा नहीं मानती है। मुझे एक फिकरा याद आया।

श्री पीताम्बर दास (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र)--और कहने से भला भी नहीं मानती है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं अपने दोस्त को उस फिकरे की याद दिलाना चाहता हूं। "वह वादा ही क्या जो वफा हो गया"। यह शायद आप ने सुना नहीं होगा। लेकिन यह बहुत स्टैन्डर्ड फिकरा है। लेकिन मैं यह अर्ज करता हूं जनाब के जरिये से उनकी खिदमत में भी और इस सदन के तमाम मेम्बरान की खिदमत में भी कि गवर्नमेंट के वायदे का पूरा होने का वक्त होता है। गवर्नमेंट वायदा बहुत सोच समझ कर करती है कि उसको पूरा करना है। अब यह कि वह कब तक पूरा हो, उसके लिये सवाल आ सकता है और मौका आ सकता है। मैं इस बात को इसी जगह पर छोड़े देता हूं, मेरे अर्ज करने का खुलासा जो है वह यह है कि आज जो आपकी माली हालत है, उसको अपनी आंखों में रख कर और अपनी जरूरत को महसूस करके इस बात का फैसला करें वह पालिसी बतायें, जो फाइनेन्शियल पालिसी इस स्टेट में अख्तियार की जानी चाहिये जो कि मेरे नजदीक अब भी है और मैं अर्ज करता हूं कि टैक्स लगाना और खर्च बढ़ाना, यह बात आवश्यक है, जरूरी है। इसे किसी तरीके से हम हिल नहीं सकते। किस वक्त हो, कितना हो यह एक सवाल है जिस पर उस वक्त बहस होनी चाहिये जब कोई कंक्रीट प्रपोजल हमारे सामने हो। इस वक्त कोई ऐसा प्रपोजल है नहीं। जो टक्सेशन मैंने इस बजट में और अपनी स्पीच में पेश किया है उसको मैंने कोई ऐसी शिकायत मेम्बरों से सुनी नहीं है जिसके मुतालिलक मैं यह महसूस करूं कि कुछ ज्यादा कहने की जरूरत ह और वैसे तो यह है कि टैक्स जो भी लगाओ, उसकी शिकायत होगी, इसलिये मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप यह इत्मीनान रखें कि आप की स्टेट की माली हालत खराब नहीं है, बल्कि यही नहीं कि खराब नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी है और उसकी साख कायम है। मैं आप से पूछूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया कर्ज दिये जायं दो ही तो बातें होंगी या तो गवर्नमेंट आफ इंडिया हमें अपनी मुहब्बत से अपना समझ कर देती है कि भाई इनका और हमारा लेना देना हो क्या और हमने दे दिया इनको और इनसे हमें मिले कि न मिले, अगर इस ख्याल से देते हैं तो हमको चिन्ता की जरूरत नहीं। और अगर वह इस ख्याल से देते हैं कि हम को तो इनसे लेना है तो मैं आप से पूछूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के आदमियों की क्या अक्ल खो गई है कि ऐसे फक्कड़ उत्तर प्रदेश को करोड़ों रुपये दिये, जाते हैं किस बिना पर दिये जाते हैं, क्या चीज है वह। आखिर इस स्टेट के पास मालमता क्या, साल भर को आमदनी आई और खत्म हुई। आदमी के पास जो असासा होता है, जिसे असेट कहते हैं और वह असेट इसके पास है या नहीं। कितनी असेट यू० पी० के पास है, इसका बड़ा करेक्ट अन्दाज है, वह मैं पेश नहीं कर सकता। मगर उसमें से एक दो बात मैं बतलाऊंगा, यह जो बजट है इसके उस वाल्यूम को देखिये जिसके अन्दर असेट दी हुई है। इसमें डेढ़ अरब रुपये की असेट उसके अन्दर मौजूद है और वह कन्फाइन्ड है केसा में, हाइडिल में, नहरों में, सीमेन्ट फैक्ट्री में, बसेज में और बाकी जितनी चीजें हैं इस राज्य के पास वह इस में शामिल नहीं और वह हैं डेढ़ अरब रुपये कीमत की चीजें। स्टेट के पास हजारों मील सड़कें हैं, हजारों ब्रिजेज हैं, हजारों मकानात हैं वह भी डेढ़ अरब से कम न होंगे। तीन अरब का असासा एक स्टेट के पास हो और वह स्टेट एक ४० करोड़ रुपये कर्ज लेकर यह सोचे कि क्या मैं इस काबिल रहा कि न रहा कि आगे को कर्जा लूं या न लूं तो यह चीज मेरी समझ में नहीं आती है। एक बात कुंवर गुरु नारायण जी ने कहा कि उनको डर है ...

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--मुसीबत तो आपने खुद ही मोल ली है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं आपसे शिकायत तो नहीं करता, उस कर्ज की अदायगी का। वह कर्ज तो नहीं है। कोई मुद्दई इस बात का नहीं है। कर्ज लेने वाले

ने लिया है देने वाले ने नहीं दिया, मगर कमिटमेन्ट यह है कि इतना हम कम्पेन्सेशन देंगे और इतना रिहैबिलिटेशन देंगे। उसका जो एक अरब होता है उसके लिये यह है कि उसका पेमेन्ट हर साल होगा और रेवेन्यू जो जरूर बढ़ गया है इसके लिये वक्फ कर दिया गया है। उससे इस कर्ज की अदायगी होती रहेगी। उसकी फिक्र नहीं। गवर्नमेंट आफ इंडिया को रुपये की फिक्र नहीं तो फिर क्या यह ४० करोड़ रुपया ऐसा है जिसके बिना पर घुटने टेक कर फाइनेन्स मिनिस्टर बैठ जाय या इसकी फाइनेन्शियल स्टैबिलिटी पर शुबहा किया जाय यह कहां तक ठीक है, जिसकी शुबहा करने की आदत है वह तो शुबहा करता नहीं और हम करने लगें तो यह बेजा है। लेजिस्लेचर के मेम्बरान, जिनको पूरी पूरी मालूमात है और जिनके पास आना पाई का हिसाब कागज में है और जिनको दूसरी मालूमात हासिल करने का मौका है वह यह सोचें कि यह कैसे .

श्री पुष्कर नाथ भट्ट (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)---इस स्टेट को कर्ज लेना मना क्यों कर दिया।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---आपने पूछ लिया तो मुझे अर्ज करना पड़ता है। यह गलत ख्याल है कि रिजर्व बैंक ने या गवर्नमेंट आफ इंडिया ने स्टेट को कर्ज देने से मना कर दिया। मन के माने प्रोहिबिशन नहीं है। उन्होंने यह बतलाया हमेशा के लिये नहीं, बल्कि इस साल के लिये कि इस साल के अन्दर जो कन्डीशन मार्केट की है वह फेवरेबुल नहीं है कि स्टेट्स लोन लें। वह जो कन्डीशन है वह शायद मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन उसमें किसी स्टेट की खुद की कमजोरी नहीं है। वह सब हालात का तकाजा है, जिसके बिना पर उन्होंने कहा...

श्री कन्हैया लाल गुप्त---क्या मार्केट की कैपेसिटी खत्म हो गई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---नो नो, मार्केट में फ्लक्चुयेशन होता है और टाइट होती है। जब मार्केट टाइट होती है तो उसके अन्दर यह मुनासिब नहीं है कि स्टेट्स रुपया लोन लें, लेकिन हमने तै किया है कि हम नहीं जायेंगे।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र)---बाम्बे गवर्नमेंट ने क्या परमिशन मांगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मांगी होगी। फाइनेन्स मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स हुई थी। उसमें म मौजूद था। हमारे सामने गुफ्तगू हुई। फाइनेन्स मिनिस्टर बाम्बे और मेरी जाती गुफ्तगू हुई थी वहां उन्होंने ऐसा कोई इरादा जाहिर नहीं किया था। उस वक्त सबका यही ख्याल था कि न लिया जाय। और उसके बजाय गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह किया कि स्माल सेविंग्स स्कीम जो है उसका २/३ हिस्सा स्टेट को दिया जाय, पहले वह १/४ हिस्सा दिया जाता था और बाकी गवर्नमेंट आफ इंडिया अपने पास रख लेती थी। यह नहीं है कि हमारी हालत कमजोर है और हम कर्ज लेने के काबिल नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने मशविरा दिया कि इस वक्त बाजार टाइट है और कर्जा लेना मुनासिब नहीं है, इसका बिजनेश पर असर पड़ेगा। इसके जो लोग एक्सपर्ट हैं वह बमुकाबिले हमारे जानते होंगे मैंने उसको माना कि कर्ज नहीं लेंगे। बजट इससे पहले बन चुका था और पब्लिकेशन के लिये जा चुका था इसलिये हमको चेन्ज करने का मौका नहीं था। अगर बाजार की हालत ठीक हो जाती है २-४ महीने में, तो हम कर्जा ले सकते हैं। यह न सोचिये कि बुरी आदत कर्ज लेने की मैं छोड़ रहा हूं।

श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल---बजट स्पीच में वर्ड डिसपैरेट क्या लिखा गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं अंग्रेजी बहुत कम जानता हूं। जो कुछ हिन्दी में लिखा है उसको मैं जानता हूं। हो सकता है कि तर्जुमा गलत हो। आप डिक्शनरी जो

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

मोटी सी है उसका मुलाहिजा कीजिये। फाइनेंशियल कार्डशन के मुताल्लिक यह कहा गया है कि जो अन्डर टेकिंग्स हैं उनकी हालत खराब है और उनके अन्दर नुकसान हो रहा है। यह सही भी है और गलत भी है। मेमोरेन्डम आन दी बजट एस्टीमेट्स में आप देखें, जहां परफार्मा एकाउन्ट्स दिया हुआ है। इससे पहिले एक बात और अर्ज कर दूं अन्डर टेकिंग्ज जो हैं, उनकी दो हालतें हैं। मैं गवर्नमेंट की नहीं कहता हूं, अन्डरटेकिंग की बात कहता हूं।

(इस समय ४ बजकर ३३ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

तो अन्डरटेकिंग ऐसी है कि कोई मिल इस्टेबिलिश की हो और वह इस्टैबिलिश होकर खत्म हो गयी हो। जैसे एक मिल चल रही है उसी किस्म की हिन्दुस्तान के अन्दर इंडिविजुअल कुछ अन्डर टेकिंग्स इस किस्म की है, जिसमें कान्स्टेन्टली इजाफा होता है। उसके अन्दर डेवलपमेंट होता है। उतने ही पुर्जे पर वह नहीं छोड़ा जाता है यानी जितना पावर उससे पहुंचता था जिस वक्त कि उसे खरीदा गया तो जो उसमें कैपिटल इनवेस्ट किया गया। जैसे हाइडिल के अन्दर कैपिटल लगा था और उसमें गवर्नमेंट ने अनेक पावर स्टेशन बनाया। यह गंगा ग्रिड के मुताल्लिक है। उनके अन्दर कान्स्टेन्टली कैपिटल लगता रहता है। कन्स्ट्रक्शन पीरियड के अन्दर आप देखेंगे तो आप को मालूम होगा कि उसमें नुकसान हो रहा है, इसलिये कि कैपिटल जो उस वक्त होगा, उस पर मुनाफा नहीं दिखाई देगा। पथरी स्टेशन तैयार हो गया और उस पर अढ़ाई करोड़ रुपया खर्च हो गया लेकिन आप यह तवक्को नहीं कर सकते हैं कि बिजली में जो डेवलपमेंट होता है, उसमें कुछ इसलिये उसको वक्त लगता है। उसमें तीन, चार और पांच वर्ष का वक्त लगता है, देखने से पता लगता है कि यह खर्च जो हो रहा है यह बेकार हो रहा है? हाइडिल के सिलसिले में मैं आप से यह बतलाना चाहता हूं कि पुराने हाइडिल को हम चलाते हैं और नये पावर स्टेशन भी बनाते रहते हैं। इसमें पावर स्टेशन की जो जरूरत होती है, उसमें वह कैपिटल खतम हो जाता है। उस साल का हिसाब देखेंगे तो उसकी बिना पर कोई कारेस्पांडिंग रिटर्न नहीं मिलेगा। उस वक्त आपको यही मालूम होगा कि यह बहुत कम है इसमें इतना रुपया इन्वेस्ट हुआ और यही मुनाफा है।

कैसा का प्राफिट हर साल ज्यादा है। उसकी तमाम चीजें हैं जो फल्कचुएट करती हैं। कोयले पर जो खर्च होता है मेरे ख्याल से वह १५ या २० लाख रुपया होता है लेकिन उसके हिसाब में आठ आठ लाख रुपये का फर्क पड़ता है। कोयले का जो ग्रास प्राफिट है और नेट प्राफिट है इसका इस्टीमेट आप निकालेंगे तो उसमें भी हर साल अन्तर पड़ेगा। ऐसा प्राइवेट इन्डस्ट्री में भी देखेंगे। कैपिटल का प्रोपोरशनेट रिटर्न मिलना दूसरी बात है। बहुत से गवर्नमेंट के कन्सर्न हैं जिनका रिटर्न और प्राफिट अलग अलग है। रोडवेज में क्या होता है? बस खरीदी और चला दिया। उसमें आदमी उसी दिन बैठना शुरू कर देते हैं और रुपया आने लगता है। जैसे एक करोड़ रुपया इस साल रख दिया और दो हजार बसें चला दीं। दो हजार बस उसी दिन चलने लगीं और उसमें बैठाकर मुसाफिरों से किराया लेने लगे, यह बात हाइडिल में नहीं है। रोडवेज को दूसरी नजर से देखिये और हाइडिल को दूसरी नजर से देखिये इनका उसमें मुख्तलिफ किस्म के खर्चे होते हैं। कोयले का हाइडिल के अन्दर खर्च होता है। कोयले की कीमत का असर उसके ऊपर पड़ता है। इन अन्डरटेकिंग्स में मुनाफा जो आने वाला है वह बढ़ता जाता है, लेकिन नेट कभी कुछ बचता है, कभी कुछ बचता है। आप यह नहीं कह सकते कि ये नुकसान दे रही हैं। तीसरी बात और कहना चाहता हूं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्टरी का जिक्र नहीं है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उसके बारे में भी मैं अर्ज करता हूं। चुर्क फैक्टरी की बाबत भी अर्ज करूंगा। चुर्क की बाबत में अर्ज करूं। चुर्क में मुनाफा हो रहा है। और इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी में भी मुनाफा है। दोनों के अन्दर नफा है। आठ लाख से ज्यादा है चुर्क फैक्टरी में जो कि सिर्फ डेढ़ दो साल से चल रही है। प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्टरी में भी ५६ हजार से ज्यादा मुनाफा है।

(इस समय ४ बजकर ३७ मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन पुनः ग्रहण किया।)

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--बजट में नहीं दिखलाया गया है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--एक बात और आपको मालूम होगी। प्रीसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्टरी में बहुत दिक्कतें रहीं। अब वह अपना प्रोडक्शन पूरा करने लगी है उसकी चीजें आपके यहां भी बिकती हैं और बाहर भी जाती हैं। बाहर के मुल्कों में भी जायेंगी। यह इस तरीके का कन्सर्न है। हमें सिर्फ उसके नफे पर ही नजर नहीं डालना है बल्कि हमें यह देखना चाहिये कि उस किस्म का काम करने वाला और कोई नहीं था और आगे वह किसी तरह फलती फूलती है। अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कन्डैम्नेशन करें प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्टरी का, वाक्या यह है कि दोनों में नफा है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--उसकी बैलेन्स शीट निकलती है क्या?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अब निकलेगी। एक मेम्बर साहब ने कहा था हर कन्सर्न का अलग अलग हिसाब होना चाहिये। हर एक का है तो। जहां तक इन कन्सर्न्स का ताल्लुक है मुझे उनके ऊपर कोई शुबहा करने वाली बात नहीं है। एक बात गालिबन डाक्टर साहब ने कही थी और वह बहुत अच्छा मशविरा था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से रुपया मांगो। लेकिन मैं अर्ज करूं कि मैं मांगता हूं। मांगने में शर्म नहीं करता। मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की तरक्की के वास्ते एक-एक दरवाजे पर भीख मांगने के लिये तैयार हूं। मैं भीख मांगूंगा कि अपनी औलाद के वास्ते इतना पैसा दो।

मैं बहुत मांगता हूं और उनके देने की जो हालत है वह थोड़ी सी इस बजट से जो इस साल का है, मालूम होती है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से कितना रुपये कर्ज का आने वाला है और कितना रुपया रेवेन्यू से आने वाला है और कितना हर साल आता है। मसलन रिहन्दडाम है उसका सारा खर्चा गवर्नमेंट आफ इंडिया के ऊपर आता है और बहुत कम ऐसा है जिन पर प्रोप्रोशनेट अमाउन्ट मुकर्रर है। इस तरह से गवर्नमेंट आफ इंडिया हमारी हेल्प करती है। लेकिन यह कि सैटिसफाईड नहीं हूं तो मैं सैटिसफाइड होने वाला नहीं हूं और बराबर मांगता रहूंगा। लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया के मिलने के बिना पर मुझको जरूरत न हो कि यहां की जनता के सामने हाथ न फैलाऊं, तो यह नहीं होने का है और वह तो मांगना है। अभी मेरे लायक दोस्त तकरीर में फरमा रहे थे कि कोई इशारा नहीं है, शायद मैं कोई और टैक्स लगाने वाला हूं। उस तकरीर में मैंने कहीं यह फिकरे नहीं कहे हैं जिससे किसी को यह इण्डिकेशन हो कि गवर्नमेंट का आगे इरादा क्या है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--शिकायत यह है कि इशारे का पता नहीं चलता।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इशारे का पता न होना ही तो कामयाबी का राज है। उसका पता चल जाय तो न मालूम मेरी क्या हालत हो जाय। गवर्नमेंट आफ इंडिया से तो तो हम मांगते ही हैं और वह हमको देते हैं। डाक्टर साहब ने याद दिलाया एक बात की। इस कदर अनरीयल गलत बात कही गई, किसी अखबार में डाक्टर साहब ने शायद पढ़ लिया और उसका हवाला किया है। इसी में याद आ गई एक बात मुझे, डाक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारी एकानामी अनरीयल है। सन् ४६ से लेकर अब तक क्या क्या स्टेप्स एकानामी

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

करने के लिये लिये गये और उनके जरिये क्या-क्या एकानामी की गई, तब से कितने कमीशन गवर्नमेंट ने बैठाये और क्या क्या किया। अब भी एक कमेटी गवर्नमेंट ने बैठाई है और अभी उसका काम खतम नहीं हुआ है उसके मेम्बर आप के लीडर आफ अपोजीशन हैं। उस कमेटी ने बड़ी मेहनत से काम किया है। मैंने उनका शुक्रिया अपनी तकरीर में अदा किया और उनको शुक्रिया फिर करता हूं कि आपने हमको बहुत से तजवीज बतलाये हैं, जिससे यह खर्चा कम हो सकता है। उनमें से कुछ रिकमेन्डेशन मन्जूर कर ली गई है और वह काम किया जायेगा। एक तो यह कि प्रान्तीय रक्षक दल खतम हो। उसके रहने से घपला होगा, वह दूसरा ही प्रश्न है और इस वक्त उसमें मैं जाता नहीं।

एकोनामी करने का जहां तक सवाल है, अगर हम इसे नहीं करते हैं तो यकीनन हम गुनाहगार हैं। इसमें कोई शुभा भी नहीं है। गवर्नमेंट तो एकोनामी करने की ख्वाहिश ही नहीं रखती है बल्कि वह कर भी रही है। अभी वे कह रहे थे कि राज को बतलाते ही नहीं हो तो अपने राज को कैसे बतलायें लेकिन हम एकोनामी कर रहे हैं और जो लोगों का ख्याल है वह गलत है। आज किसी को हमारी एकोनामी नजर नहीं आ सकती है क्योंकि इस बजट में आपको एकोनामी नजर आयेगी ही नहीं। इस साल का बजट एक अरब ८ करोड़ का है अगर इसमें हमने साल के अन्त में ४ करोड़ की एकोनामी कर दी और ६ करोड़ रुपये किसी डेवलपमेंट के काम में और खर्च कर दिये तो दो करोड़ और बजट में बढ़ जायेगा और जो ४ करोड़ की हमने एकोनामी की है यह किसी को नजर नहीं आयेगी। अगर किसी स्टेट को डेवलपमेंट करना है तो खर्च बराबर बढ़ते हैं और बढ़ाने की जरूरत भी है। इस तरह से आपको कोई एकोनामी नजर ही नहीं आ सकती है। एकोनामी तो आपको तब नजर आती, जब हम कोई खर्च ही नहीं करते और पूरे ४ करोड़ रुपये बच जाते। इसलिये डाक्टर साहब को नजर नहीं आया। चूंकि वह चीज आंखों से छिपी रह गयी, इसलिये डाक्टर साहब को किसी अखबार ने बहका दिया और उन्होंने हमको भी बहका दिया कि एकोनामी तो होती ही नहीं है।

एक बात डाक्टर साहब ने यह कही कि शेड्यूल आफ न्यू डिमान्ड्स में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की ही बातें भरी हुई हैं। ८ करोड़ की रकम इसमें है। जो चीजें इसमें हैं अव्वल तो मुस्तकिली की है जिसमें कोई एडिशनल पैसा खर्च नहीं होना है। क्यों ये जगहें मुस्तकिल की जा रही हैं इसके लिये सरकार ने एक पालिसी मुकर्रर कर दी है। पहले यह होता था कि ७,८ साल की सर्विस हो जाती थी लेकिन आदमी सर्विस में मुस्तकिल नहीं होता था और वह जगह टेम्पोरेरी तौर पर चली आती थी। अब सरकार ने यह पालिसी निर्धारित कर दी है कि ३ साल से ज्यादा की सर्विस को मुस्तकिल कर देंगे। इस पर सरकार पिछले दो सालों से बराबर अमल करती आ रही है। एक तो यह बात है। दूसरी वह बात है जिसका जिक्र डाक्टर साहब ने किया है और वह ५ लाख की रकम है। यह इसलिये रखी गयी है कि किसी स्केल में ज्यादा इजाफा किया गया है तो इस किस्म की बातें इस ५ लाख में आती हैं। इस ८ करोड़ में अगर यह ५ लाख की रकम रख दी गयी है। तो वह कोई बड़ी रकम नहीं कही जा सकती है। अब यह कहा जाय कि इस रकम की वजह से यह शेड्यूल आफ न्यू डिमान्ड्स ज्यादा है, तो यह बात नहीं है।

तीसरी बात यह है कि डाक्टर साहब ने सन् १९५५ की आडिट रिपोर्ट की बिना पर यह फरमाया कि इसमें ये ये शिकायतें लिखी हुई हैं। ये शिकायतें हैं। मेम्बरान को मैं जनाब के जरिये से याद दिलाऊं कि इसी हाउस में डाक्टर साहब ने पहले भी पढ़कर उनको सुनाया है कि ये ये बातें इसके अन्दर लिखी हुई हैं और मैंने उनके मुताल्लिक जवाब भी अर्ज कर दिये थे लेकिन मैं एक बात अर्ज करता हूं, आप से। आप से मेरा मतलब, हुजूरवाला और मेम्बरान से भी है।

और वह यह है कि हिसाब का जो मामला है, वह उत्तर प्रदेश में फर्ज कीजिये कि ५ हजार दफ्तर हैं, और हरएक दफ्तर में हिसाब होता है, अब मैं उसको किसी तरह से इन्करेज नहीं करता कि तुम गलती करो, मैं गलती मानने से इन्कार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो क्रिटिकल आई है, उसकी हद के लिये कह रहा हूं कि किस हद तक उसको ले जाना चाहिये और किस हद तक नहीं ले जाना चाहिये, अगर उस हद के अन्दर उस क्रिटिकल आई से देखो तो मैं नामुमकिन समझता हूं और दावा करता हूं कि इस बात का कि दुनिया में जो सबसे बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट हो और मुकम्मल समझी जाती हो, उसका मुकाबला हमारी गवर्नमेंट से कर लो, जो कि सबसे ज्यादा अच्छा एकाउन्ट्स रखने के लिये दावा करते हों, उनके हिसाब को देख लो, उसके अन्दर जो गलतियां निकलती हों, उनको देख लो कि उसमें गलतियां निकलती हैं या नहीं निकलती हैं। एक आदमी अपने घर का मामूली सा हिसाब किताब रखता है, उसमें भी गलतियां होती हैं। जो लोग यहां पर जमींदार या तालुकेदार रहे हैं, और यहां पर तशरीफ रखते हों, उनसे पूछ लो कि उनके हिसाब में गलती निकलती थी या नहीं। अगर कोई जानबूझ कर गलती करता है और उसकी जानकारी में है तो उसको तो सजा होनी चाहिये लेकिन फिर भी अगर मेरे ५ हजार दफ्तर हैं और उन ५ हजार दफ्तरों में हरएक में अगर साल भर में एक एक गलती भी हुई, तब भी ५ हजार गलतियां होती हैं तो कौन सी ज्यादा हैं। जो वहां की इनसिगनिफिकेंस नेचर का काम है, उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं लेकिन वैसे ही कह रहा हूं कि मान लीजिये कि गलतियां हैं और वह गलतियां ऐसी हैं कि मान लीजिये किसी ने बेईमानी की है, किसी ने धोखा किया या किसी ने फरेज किया, वैसे तो हिसाब में गलतियां होती ही रहती हैं, और आडिट वालों का काम है, वह तो उसको निकालेंगे, उसके लिये उनको लिखेंगे और जो हमारे यहां पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी है, उसके सामने सभी चीजें जायेंगी, वह उसके लिये डिपार्टमेंट को बुलायेगी और उनसे पूछेगी फिर उसके ऊपर अपना फैसला देगी, अगर फैसला नहीं देती है तो उस पर अपना रिमार्क देती है और वह फिर लेजिस्लेचर के सामने लाया जाता है, उसमें कमेटी वालों को और दूसरे सदस्यों को मौका होता है कि वह गवर्नमेंट को डांटे फटकारे कि तुमने इस तरह की गलती क्यों की है। लेकिन सन् ५५ की रिपोर्ट में शैड्यूल आफ न्यू डिमांड में गलती दिखाते हैं और रकमें जो कि मुलाजिमों के वास्ते रखी हुई हैं वह कोई चीज नहीं है और इकानामी के बारे में फरमाते हैं कि वह कहीं भी नजर नहीं आती है तो यह कोई ऐसी सिस्टम तो है नहीं कि जिसको ऊपर से नीचे तक बिल्कुल ही कन्डेम कर दिया जाय। तो इस बिना पर किसी चीज को कन्डेम करना और यह समझना कि यह गवर्नमेंट जो है बिल्कुल निकम्मी है, किसी काबिल नहीं है, जो डाक्टर साहब की कन्क्ल्यूडिंग पोर्शन स्पीच का था और जितनी भी स्पीच डाक्टर साहब ने दी, उसमें सारा कन्डेमनेशन का मसला था कि गवर्नमेंट बिल्कुल नालायक है, मैं बिल्कुल नालायक और सभी को नालायक तस्लीम किया गया, डाक्टर साहब ने खुद को भी नालायक तस्लीम किया। मैं आपको बुजुर्ग और बड़ा समझता हूं, कहने को बुरा नहीं मानता। मुझे पता है लोग मुहब्बत से कहते हैं लेकिन कहने का अपना अपना अलग तरीका है कोई बुरा मानने की बात नहीं है, मगर कमी जो है, उस कमी को अपनी हद से जाना नहीं चाहिये, इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि जो कुछ भी कहा जाय वह सही और ठीक हो।

अब शायद इतना वक्त तो नहीं होगा। यह मने २८ प्वाइन्ट नोट किये थे मेम्बरों की स्पीच में से, उनके मुताल्लिक कुछ अर्ज करने के लिये, तो उसमें से एक बात मैं अर्ज करूं कि आमदनी जो इस सूबे की है, वह बढ़ी है।

एक बात मैं यह अर्ज करूं कि जो आमदनी स्टेट की बढ़ी है, उसकी बाबत इस हाउस में कई बातें कहीं गयी हैं। यहां पर यह भी कहा गया है कि जो आमदनी बढ़ी है वह अरबन एरिया की बढ़ी है, रूरल एरिया की नहीं बढ़ी है। मेरे पास फीगर्स मौजूद हैं अगर कोई साहब देखना चाहें तो देख सकते हैं। सन् ५२ से लेकर ५७ तक की फीगर्स को आप देखें तो आप को मालूम होगा कि रूरल एरिया की पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी है, उसमें बराबर इजाफा हुआ है। देहातों में बहुत से ट्यूबवेल बनाये गये हैं, उनसे काफी

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

फायदा हुआ है। फसलों में भी फायदा हुआ है। पैदावार में भी पहले से काफी इजाफा हो गया है। आठ साल में काफी उत्पादन बढ़ा है। सरकार ने नहरें बनायी हैं, ट्यूबवेल्स बनाये हैं, जिनके पानी से खेतों को फायदा होता है, पैदावार बढ़ती है। यह तो नहीं कहा जा सकता है, कि सरकार ने जो पानी दिया है उससे खेतों को फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है या जरखेज होने के बजाय बंजर हो रहे हैं। मेरे पानी में नहीं असर है तो आसमान के पानी में है और उससे उत्पादन में तरक्की ही होती है। एक बात मैं आपको यहां पर बतला दूं कि रूरल एरिया की आमदनी में ५ परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है। उन फीगर्स को अगर कोई साहब देखना चाहें तो देख सकते हैं, मेरे पास हैं। डाक्टर साहब ने यहां के टैक्सेशन का मुकाबिला बंगाल और बम्बई से किया है। वहां पर दस प्वाइन्ट और कुछ है और यहां पांच प्वाइन्ट और कुछ है। तो इसके मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूं कि वह इन्डस्ट्रियल सूबे हैं और वहां पर इन्डस्ट्री से बहुत ज्यादा फायदा होता है। वहां की आमदनी ज्यादा हो सकती है। यह हम को मानना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश की हालत पहले से अच्छी होती जा रही है।

बम्बई की इनकम क्या है, यह देखने की बात है और बम्बई की इनकम क्या है, इसकी फीगर्स मेरे पास मौजूद हैं। यू० पी० की फीगर्स भी मेरे पास मौजूद हैं, आप इन दोनों का मुकाबला कर लीजिये आपको फर्क मालूम हो जायेगा। बम्बई में १० परसेंट टैक्स है और हमारे यहां ५ परसेंट के करीब है, लेकिन आप यह न समझें कि मैं टैक्स लगाने वाला ही नहीं हूं। मैंने इस समय और रखा नहीं है, तो इसके यह माने नहीं हैं कि जरूरत पड़ने पर टैक्स और नहीं लगेंगे। लेकिन यहां पर एकानामी की दलील थी और जो एकानामी की पोजीशन की बात है, स्टेट गवर्नमेंट उसके लिये क्या कर रही है, इसलिये इसके लिये मैंने बजट में अर्ज कर दिया था। इसलिये इसके मुताल्लिक जो कुछ कहा जा सकता था, वह मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है।

सेल्स टैक्स की बाबत यह कहा गया कि फूड ग्रेन्स पर टैक्स नहीं होना चाहिये। उस के लिये यह कहा जाता है कि इसका असर इन्सान का जो हायर तबका है, उस पर कम पड़ता है, लेकिन गरीबों पर ज्यादा पड़ता है। जब मुझे इस बार टैक्स लगाने की नौबत आई, तो मैंने इन्टरटेनमेंट पर टैक्स बढ़ा दिया। इसका जो फेज हमारे सामने रखा गया है, वह यह है कि गरीब आदमी भी सिनेमा देखने जाते हैं। मेरे भाई फरमा रहे थे कि जिस प्रकार से खाना जरूरी है, उसी तरह से तफरी करना भी इन्सान की जिन्दगी के लिये बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वह स्टेट ही क्या जो इन्टरटेनमेंट पर टैक्स लगाये। मैं गल्ले पर टैक्स लगाऊं तो मुसीबत है, इन्टरटेनमेंट पर टैक्स लगाऊं तो मुसीबत है, और किसी चीज पर टैक्स लगाऊं तो मुसीबत है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं रुपया कहां से लाऊं, क्या उस के लिये फावड़े चलाऊं या क्या करूं।

श्री हयातुल्ला अंसारी--२५ परसेंट टैक्स तो इन्टरटेनमेंट पर पहले से ही है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जितना भी हो, बहरहाल, यह टैक्स मैंने लगाया मैंने पहले सेल्स टैक्स की निस्बत अपनी स्पीच में अर्ज किया था कि हम इसे सिंगल प्वाइन्ट कर देंगे अप्रैल सन् ५८ से तो मेरे पास टैक्स के बारे में लिस्ट मौजूद है, आप उसे देख लें, और अब मेरे पास कोई टैक्स ऐसा नहीं है जो कि रह गया हो और उसको बढ़ाकर मैं अपनी आमदनी कर लूं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक करोड़ डेढ़ करोड़ के वास्ते कितनी ही और चीज बढ़ायी गयी हैं, वह आपको इस बजट को देखने से मालूम हो जायेगा। अब मेरे पास सिर्फ सेल्स टैक्स रह गया है और उस सेल्स टैक्स के बारे में प्लानिंग कमीशन से प्लान के सिलसिले में यह तय हुआ है कि ९ करोड़ रुपया सालाना हमारी आमदनी इस टैक्स से बढ़नी चाहिये। इसके माने ५ वर्ष में ४५ करोड़ हो गये। यह दूसरा साल है। हमें ४५ करोड़ रुपये पैदा

करने हैं और एक साल के ९ करोड़ आते हैं, उसे मैं कहां से पूरा करूं, यह प्राब्लम मेरे सामने है, इसीलिये मैंने यह अर्ज किया कि सेल्स टैक्स और बढ़ा दो।

मैंने एक साहब की जबान से सुना था, वह शायद प्रभू नारायण सिंह जी फरमा रहे थे लक्जरी पर टैक्स कर दो। वह क्या है मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट रखी है उसमें शायद अगर आप देखें तो कोई भी चीज ऐसी नहीं निकलेगी, जो कि लक्जरी की चीजें हों, और जिनको छोड़ दिया गया हो।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--कक्कड़ साहब ने बहुत सी चीजें बतलाई थीं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मुझे तो उनकी शायरी से ही मुहब्बत है।

बहरहाल जो इस तरह की चीजें हैं उनके ऊपर टैक्स लगा रखा है। उसके ऊपर कम शरह है। इसी तरह से सोने के ऊपर लगा दिया गया है। तो कोई मुझे यह बतला दे कि कौन सी लक्जरी छोड़ दी गई है। तो इसलिये मैं मजबूर हुआ कि गल्ले पर टैक्स रहे। गल्लेवालों ने उस टैक्स के खिलाफ बहुत कुछ कहा और उनके कहने की बिना पर, उन्होंने कहा कि टैक्स को हटा दो और एक रकम बांध दो इस बिना पर वह इक्जेम्पट कर दिया गया। लोगों ने भी शिकायतें की तो इसको इस ढंग से हम खत्म कर सकते थे लेकिन उस आमदनी को फारगो नहीं करना चाहते हैं। एक बात मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं और उसको इम्फैसिस की वजह से दोहराता हूं। पैसे को हासिल करना इस स्टेट के वास्ते बहुत जरूरी है और मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक आदमी है और कितने ही आदमी ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल उस तरीके से बनते हैं जिस तरीके से मैं अर्ज करता हूं। तो वह आदमी भूखा नंगा है और वह गरीबी से एक मिलओनर की हैसियत तक पहुंच गया है, उसने उस बीच कुछ मुसीबतें उठाई हैं, पेट काट कर वह उठता है तो वह क्या बुरा करता है। इसी तरह से अगर इस स्टेट की तरक्की के लिये टैक्स लगता है, तो क्या बेजा है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं ज्यादा कहूं लेकिन अगर काम बनाना है और उसके लिये टैक्सेशन होता है तो मेरे नजदीक कोई बेजा नहीं। अगर एक आदमी दो रोटी खाता है और फिर वह आगे की तरक्की के लिये डेढ़ रोटी खाता है और आधी बचा लेता है तो क्या वह बेजा है। कौमें बिना तकलीफ उठाये आगे नहीं बढ़ती हैं और कौम की तरक्की के लिये मैंने टैक्स लगाया है और इसीलिये गल्ले पर टैक्स लगाया है कि उससे १ करोड़ की आमदनी होती है। मल्टीपल टैक्स उस पर लगा हुआ था। मैंने इस फन्दे से निकाल कर उसको सिंगिल प्वाइंट किया और मैंने उसको परचेज टैक्स रखा। जिस वक्त कि आढ़त वाले खरीदते हैं तो यह टैक्स उन से वसूल होता है। किसानों पर मैंने नहीं लगाया है और इसे चाहे मेरी तरफदारी समझिये या गैरतरफदारी लेकिन किसानों पर नहीं लगाया गया।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--क्या परचेजिंग टैक्स का इन्सीडेन्स हम पर नहीं आयेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बिलकुल नहीं आयेगा। मैं तो कह रहा था कि जो आढ़त वाले हैं जब यह किसान से खरीदेंगे तो यह टैक्स लिया जायगा और खरीदार इसको अपनी कीमत में शामिल कर लेगा। इस तरह से एक ही दफा टैक्स देना होगा और जो दो तीन दफा टैक्स की शिकायत थी, वह दूर हो गई। मैंने उसको उस वक्त से इसलिये नहीं लिया है क्योंकि एक्जेम्पशन फीस इस साल की बहुतों से वसूल हो चुकी है। वे लोग एग्जम्शन फी पे (pay) कर चुके हैं। दूसरी बात मैंने यह कही है कि वह आदमी जिसकी ३० हजार रुपये की बिक्री होगी, ऐक्ट में १२ हजार है, लेकिन ३० हजार जिसकी बिक्री होगी, उसपर लगेगा। उसके लिये कानून में अमेन्डमेंट करना होगा। दूसरी बात यह कि रजिस्टर्ड जो डीलर होगा, उससे अनरजिस्टर्ड को जो बिक्री होगी, उसके लिये तीन चार पांच महीने रजिस्टर्ड होने के लिये चाहिये। मैंने कहा कि एक्जम्पशन फी हमें वसूल हो चुकी है लिहाजा उनसे हमें लेना नहीं है, जिससे लेना है उससे ले लेंगे और इस किस्से को खत्म कर देंगे। वाकई माने में रिलीफ है। अगर मल्टीपुल प्वाइन्ट रहता तो हुजूरवाला तीन करोड़ रुपये की आमदनी होती। सेल्स टैक्स से ५ करोड़ की आमदनी है। गल्ला अगर मिला

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

रहता तो ५-६ करोड़ का फायदा होता। मैं टैक्स लगाने का आदी नहीं हूं, मैं टैक्स लगाते हुये डरता हूं। डरता पब्लिक से नहीं बल्कि दिल में मेरे महसूस होता है कि जैसे मुझे तकलीफ होती है वैसे ही दूसरों को भी तकलीफ होती होगी। और दीगर जो बड़े बड़े मुमालिक हैं वह इस चीज को फील करते हैं कि किस किस्म की इवेजन की तरकीबें वह करते हैं। तो अगर हम टैक्स लगाते हैं तो वह मेरी मजबूरी है और वह मेरी अपनी मजबूरी नहीं है बल्कि तमाम नेशन मजबूरी में शामिल है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--गवर्नमेंट का सिस्टम आफ एकाउन्ट्स बदलने का इरादा है कि नहीं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--डाक्टर साहब, म अर्ज करूं कि मेरे कब्जे में वह बात नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया के कब्जे में है, सिस्टम आफ एकाउन्ट्स।

श्री पुष्कर नाथ भट्ट--कुछ प्रपोजल्स छपे हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यूं कुछ बात चल रही है जैसा कि वह साहब फरमाते हैं, But I am not responsible, I cannot do it on my own accord without anything being done by the Government of India. बसेज के लिये मैंने अर्ज किया था कि बसेज का नक्शा मेरे पास है। इसमें रिवाइज्ड एस्टीमेट एंड हुआ है। मगर मेरे पास एक्चुअल का नकशा है उसको मैं आपसे अर्ज करूं। ४ प्वाइन्ट कुछ से लेकर आज १४ प्वाइन्ट कुछ है। तो मुसलसल मुनाफा हुआ है। चूंकि बसेज से फौरन आमदनी शुरू हो जाती है लिहाजा हर साल इसके अन्दर आ जाता है। इस लिहाज से कोई मायूसी की बात नहीं है। मेरे भाई चाहते हैं कि लैन्ड रेवेन्यू जो है उसे आधा कर दो। मेरे दिल से कोई पूछे तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल ही माफ कर दूं, लूं नहीं और लेने के लिहाज से सबको आराम में बिठला दूं और फिर यह गोता खाते फिरें मुसीबत के दरिया में, इसको मैं कैसे गवारा करूं।

लैन्ड रेवेन्यू वही है, जो सन् ३० में था और उस जमाने में प्राइसेस क्या थी। एक बात मैं अपनी जाती अर्ज कर दूं। वह मुझ से ज्यादा तजुर्बेकार हैं, मैं तस्लीम करता हूं लेकिन मेरी कुछ मालूमात हैं। मैं भी काश्तकार से मिलता हूं अपने जिले में भी और दूसरे जिलों में भी। गांव की हालत भी जानता हूं। किसी काश्तकार गरीब के दिल में यह ख्याल नहीं हुआ कि मेरा लगान आधा हो जाय। मियां मिट्ठू पढ़े और बात है। कोई जाकर कहे कि हम तुम्हारी आमदनी दुगुनी कर देंगे, वह कहेगा कि जरूर कर दो। लेकिन किसी काश्तकार के दिल में कोई शिकायत नहीं है। एक कमेटी बनी थी जिसका जिक्र उन्होंने किया था मुझे इसका ट्रेस नहीं मिला।

श्री प्रभु नारायण सिंह--जमींदारी अबालिशन रिपोर्ट में है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उसमें नहीं है। मेरी समझ में न आया हो, या तो मैं गलती पर हूं या आप गलती पर हों। एक इबारत है उसको देखकर एक एक बात कहे और दूसरा दूसरी बात कहे।

श्री पीताम्बर दास--अल्फाज उस रिपोर्ट में हैं उसको मोटी डिक्शनरी में देखा जाय जो आप बता रहे थे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वह हमारे सामने है नहीं, न मालूम क्या निकले। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था और यकीन कामिल से कहता हूं कि किसी काश्तकार के दिल में मालगुजारी की शिकायत नहीं है। जो पैदा करना चाहते हैं, वह करते हैं, उसका कोई

इलाज नहीं है, हो सकता है जिन्दगी में बेचैनी ऐसी चीज है जो जिन्दगी का सबूत देने वाली है। खुदा ऐसे इन्सान पैदा करता है जो पानी की सतह में पैर डाले कर हरकत पैदा कर देता है। किसी न किसी किस्म की ऐक्टिविटी जरूर हो। शायद कोई फायदा वह उससे उठा ले। काश्तकारों का लगान कम कर दो यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

एक भाई लखनऊ के हैं तशरीफ रखते हैं एक शिकायत फरमाई कि जो वाटरवर्क्स यहां का है उसमें ५० लाख रुपया खर्च कर दिया गया और और आगे के लिये कह दिया गया कि रुपया नहीं देंगे। मुझे इत्तिला मिली है कि वाटर वर्क्स में कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं। और उसमें कुछ फेजेज मुकर्रर किये गये हैं। पहले में ४८ लाख रुपया रखा गया है।

श्री पुष्कर नाथ भट्ट---There was no phasing in it.

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मेरे पास लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट से जो इत्तिला आई है उसमें है कि यह स्कीम गवर्नमेंट आफ इंडिया की है उन्होंने फेजेज मुकर्रर किये हैं। पहले में ४८ लाख रुपया मुकर्रर किया गया था और वह खर्च हो चुका। आगे के काम के वास्ते जो रुपया आने वाला है वह गवर्नमेंट आफ इंडिया से आयेगा। जब वह आ जायेगा, दे दिया जायेगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त---एजूकेशन के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं अपने मुंह को इस काबिल नहीं समझता हूं। मैं बे पढ़ा लिखा आदमी हूं इसलिये में नाम लेने की जुर्रत नहीं करता। ये जो स्कूल हैं और यह जो ५ रुपया बढ़ोत्तरी इनकम हुई है ९५ रुपया तनख्वाह पाने वालों की, उसके मुताल्लिक सवाल था कि यह किनको मिलेगी। मैंने बजट स्पीच में लिखा है जो लोकल बोर्ड के स्कूल हैं उनके टीचर्स की है और जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनके लिये भी है। टीचर्स जो प्राइमरी स्कूल के होते हैं उनकी तनख्वाह क्या है यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त---उनकी तनख्वाह ३५ रुपये माहवार है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उनको भी मिलेगा। इस बार यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक किसी ने कुछ नहीं कहा। कहा तो मेरठ यूनिवर्सिटी के लिये कहा कि वह यूनिवर्सिटी बन जाय। वास्तव में यूनिवर्सिटियों का जिक्र नहीं किया गया।

श्री चेयरमैन---इस समय ५ बजकर १५ मिनट हुये हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की जो तनख्वाह है वही स्केल आगरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को दिया जाय, इस की निस्बत बजट स्पीच में जिक्र किया गया। उसकी निस्बत मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर जो कालेज होंगे उनको भी मिलेगा लेकिन जो बाहर होंगे, उनको नहीं मिलेगा। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिये भी वहां पर जो कालेज हैं, उनको मिलेगा। रैजीडेंशियल पोरशन में वह चीज ली जायेगी। एजूकेशन के मुताल्लिक यह अर्ज करना चाहता हूं कि एजूकेशन को कौन नहीं चाहता है कि वह बढ़े। यहां पर टेक्निकल एजूकेशन के बारे में कहा गया। १६ करोड़ रुपये टोटल है। साढ़े तीन करोड़ रुपया पिछले साल से ज्यादा इस साल दिया गया है। टेक्निकल और मेडीकल है। यह दोनों चीजें ऐसी हैं कि उनके ऊपर जितना खर्च किया जाय उतना ही कम है। जितना उनको बढ़ाया जाय उतना ही वह बेहतर हो सकती है और उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। चूंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं इसलिये आप अच्छी राय रख सकते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिये अच्छी राय नहीं रखता हूं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कैसे कह सकता हूं कि वह अच्छी है या बुरी है।

श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल---आप राय तो रखते ही हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जहां तक टीचर्स के तनख्वाह की बात है मैं तो उन्हीं के लिये नहीं सबके लिये कहता हूं कि इस कदर कम तनख्वाह है कि वह कम तनख्वाह नंगी इन्सा-नियत है। इतनी तनख्वाह तो होनी ही नहीं चाहिये, जितनी मिलती है। लेकिन मैं उस दर्जे तक तो पहुंच जाऊं कि तनख्वाह बढ़ा सकूं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--जो बिना पैसे व खर्चे की बात है, उसको भी तो नहीं करते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बिना खर्चे की बात हो और अगर वह गलत हो, तो उसे कैसे करूंगा। जहां तक खर्चे का ताल्लुक है एजूकेशन में तो खर्चे की जरूरत है। स्टैन्डर्ड जो है एजूकेशन का वह भी ऊंचा होना चाहिये।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--आपने कहा नहीं कुछ।

श्री कुंवर गुरु नारायण--अगर नहीं कहा तो गलती मान लीजिये।

श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल--इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--There are so many improvements. अब और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं एक बार फिर मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने अपने मशिवरों से मुझे मदद पहुंचाने की कोशिश की है और इस्तदुआ करता हूं जनाब के जरिये से मेम्बरान से और उसी के साथ दुआ भी करता हूं जिसमें मैं चाहूंगा कि इस सदन के सभी भाई शरीक हों कि इस उत्तर प्रदेश की जिन्दगी आसमान पर हो। खुदा ऐसी तौफीक दे कि हर चीज जमीन से उठकर आसमान पर पहुंच जाय। मुसीबतों से निकल जाय।

सदन का कार्यक्रम

श्री चेयरमैन--माननीय सदस्यों को याद होगा कि फूड सिचुएशन पर मिनिस्टर साहब से स्टेटमेंट देने की दरख्वास्त की गई थी। मिनिस्टर आफ जस्टिस स्टेटमेंट देने के लिये राजी हो गये हैं। तो एक फूड सिचुएशन पर और दूसरी फ्लू पर बहस होगी। सदन की राय हो तो परसों सुबह फ्लू सिचुएशन पर बहस हो जाय और दूसरे पहर खाद्य स्थिति पर बहस हो जाय।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मुझे तो कोई एतराज नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने शायद कुछ कहा था।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उन्होंने फरमाया था कि तीसरे पहर हो जाय तो अच्छा होगा। तीन बजे तक तो फूड पर और उसके बाद फ्लू पर बहस हो जायगी।

श्री चेयरमैन--२ अगस्त को सुबह से दोपहर के ३ बजे तक खाद्य स्थिति पर और ३ बजे से ५ बजे तक फ्लू पर बहस होगी।

अब कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ५ बजकर ३० मिनट पर दूसरे दिन, दिनांक १ अगस्त, १९५७ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ,
दिनांक ९ श्रावण, शक संवत १८७९
(३१ जुलाई, सन् १९५७ ई०)

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०--१३७ एल० सी०--१९५८--८२० (प्रो०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

शुक्रवार, १० श्रावण, शक संवत् १८७९ (१ अगस्त, सन् १९५७ ई०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक कौंसिल हॉल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (६२)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमा नाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टण्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पीताम्बर दास, श्री
पुष्कर नाथ भट्ट, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
पृथ्वी नाथ, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
मदन मोहन लाल, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम गुलाम, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पांडे, श्री
राम लखन, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
ललिता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
विश्व नाथ, श्री
वीर भान भाटिया, डाक्टर
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार इन्द्र सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मंत्री, उपमंत्री, जो कि विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे :—

श्री चरण सिंह (राजस्व मंत्री)।
श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (सहकारी उपमंत्री)।
श्री कैलाश प्रकाश (शिक्षा उपमंत्री)।
श्री कमलापति त्रिपाठी (गृह, शिक्षा व सूचना मंत्री)।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

८ जून, सन् १९५७ ई० को उन्नाव में पुलिस द्वारा शान्ति पूर्ण बारात पर हमला

*१—श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार को ज्ञात है कि ८ जून, १९५७ को संध्या के समय उन्नाव में लगभग ४० पुलिस के सिपाहियों ने एक शान्तिपूर्ण बारात पर हमला किया?

***1—Sri Kunwar Guru Narain**—(*Legislative Assembly Constituency*) Is the Government aware that on the evening of June 8, 1957, about forty police constables attacked a peaceful marriage party at Unnao?

श्री कमलापति त्रिपाठी (गृह, सूचना तथा शिक्षा मंत्री)—जी हां। ऐसा मालूम हुआ कि इस घटना में २५ या ३० पुलिस कान्सटेबुल संबंधित थे।

Sri Kamalapati Tripathi—(Grih, Suchana tatha Shiksha Mantri) Yes. The number of policemen involved in the assault is reported to be between twenty-five and thirty.

*२—**श्री कुंवर गुरु नारायण**—क्या सरकार को ज्ञात है कि उस बारात के एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों के चोटें लगीं और उनकी डाक्टरी परीक्षा हुई?

***2—Sri Kunwar Guru Narain**—Is the Government aware that over a dozen people belonging to the marriage party were injured and were medically examined?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

Sri Kamalapati Tripathi—Yes.

*३—**श्री कुंवर गुरु नारायण**—क्या सरकार कृपा करके उस वाकये के मुख्य तथ्यों को मेज पर रखेगी?

***3—Sri Kunwar Guru Narain**—Will the Government be pleased to lay on the table the main facts of the incident?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना* संलग्न है।

Sri Kamalapati Tripathi—The required information is given in the attached note.*

*४—**श्री कुंवर गुरु नारायण**—क्या यह ठीक है कि कुछ सिपाही जो कि नशे में थे, बारात को ले जाने वाली एक लारी के अन्दर जबरदस्ती घुस गये और उन सिपाहियों के पास शराब की बोतलें थीं?

***4—Sri Kunwar Guru Narain**—Is it a fact that some constables who were drunk had made a forced entry into a bus carrying the marriage party and that the constables carried bottles of liquor with them?

---

*देखिए नत्थी "क" पृष्ठ ५५८ पर।

*See Appendix "A" on 559 page.

श्री कमलापति त्रिपाठी--एक हेड कांस्टेबुल, एक कान्स्टेबुल और एक उस हेड कान्स्टेबुल के रिश्तेदार ने उस बस को रोका और उस पर चढ़ना चाहा। ड्राइवर के बीच में पड़ने पर जो लोग बस में बैठे थे उन्होंने पुलिस वालों और दूसरे अन्य आदमी को बस में बैठने दिया। हेड कान्स्टेबुल के रिश्तेदार के पास एक झोला था जिस में एक बोतल शराब की थी। डाक्टरी निरीक्षण से सिर्फ हेड कान्स्टेबुल ही शराब के नशे में पाया गया।

Sri Kamalapati Tripathi—A party consisting of one Head Constable and one constable and a relation of the former stopped the bus. On the intervention of the Driver the occupants of the bus allowed the party to it. The relation of the Head Constable was carrying one bottle of liquor in a bag. On medical examination only the Head Constable was found to be drunk.

*५—श्री कुंवर गुरु नारायण—क्या सरकार सदन को बतायेगी कि सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

*5—Sri Kunwar Guru Narain—Will the Government inform the House of the action taken by them in the matter?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हेड कान्स्टेबुल और अन्य चार कान्स्टेबुल जो दोषी पाये गये उनको मुअत्तल कर दिया गया है और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्पलेंट्स) उस मामले की जांच कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आ जाने पर और आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

Sri Kamalapati Tripathi--The Head Constable and four constables who were found mainly responsible have been placed under suspension and the Deputy Superintendent of Police (Complaints) is making further enquiries in the matter. Other necessary action will be taken on receipt of his report.

*६—श्री कुंवर गुरु नारायण—(क) क्या सरकार से जनता की तरफ से उस संबंध में एक निष्पक्ष जांच की मांग की गई है?

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है?

*6—Sri Kunwar Guru Narain—(*a*) Has the Government received from the public a demand for an impartial enquiry in the matter?

(*b*) If so, what action do the Government intend to take in the matter?

श्री कमलापति त्रिपाठी—(क) जी हां, जुडिशियल इंक्वायरी की मांग उन्नाव की बार एसोसियेशन से एक प्रस्ताव द्वारा प्राप्त हुई है।

(ख) सरकार का जुडिशियल इन्क्वायरी कराने का कोई विचार नहीं। घटना की सूचना पाते ही डी० आई० जी० घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की सरकार ने जिलाधीश द्वारा भी जांच करवाई। उनकी रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है।

Sri Kamalapati Tripathi—(*a*) Yes; a request for a Judicial enquiry has been received in the form of a resolution passed by the BAR ASSOCIATION, Unnao.

(*b*) Government have no intention of ordering a Judicial enquiry. As soon as news of the incident was received the Deputy Inspector General of Police proceeded to Unnao and enquired into the matter. Government also asked the District Magistrate to enquire into the incident. His report has also been received.

श्री कुंवर गुरु नारायण--क्या माननीय मंत्री जी जो जिलाधीश की रिपोर्ट आई है, उसको पढ़ कर हमें बतलायेंगे कि क्या रिपोर्ट जिलाधीश की इस मामले में आयी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उस रिपोर्ट के आधार पर वह सूचना संलग्न है जो कि प्रश्न ३ के उत्तर में दी गयी है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना मिली है कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस ने ८ जून को उस मौके पर खुद जा कर उन्होंने गुस्से में आ कर इस बात को कहा कि "मारो सालों को"।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, इस संबंध में थोड़ी सफाई कर देना चाहता हूं। सूचना तो ऐसी नहीं मिली है लेकिन सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस इन दोनों पर अभियोग लगाया गया है। वास्तव में यह घटना दुखद हुई है और इसका हमें खेद भी है तथा इस प्रकार की कार्यवाही पर किसी को भी सरकार को खेद होगा। परन्तु जो अभियोग एस० पी० और डिप्टी एस० पी० पर लगाये गये हैं, जांच करने पर वे सिद्ध नहीं हुए। घटना यह हुई कि एक बारात पार्टी एक बस में आ रही थी, तो दो कान्सटेबुल्स ने रास्ते में उस बस को रोका और यह कहा कि हमको भी बैठा लो। आपको मालूम ही है कि ड्राइवर्स और कान्सटेबुल्स का जैसा ताल्लुक रहता है तो उन ताल्लुकात के कारण ड्राइवर ने उन्हें बैठाने के लिये कहा लेकिन बारात वालों ने इसमें विरोध किया कि इनको हम बस में नहीं बैठायेंगे। फिर ड्राइवर ने कहा कि हमारा और इनका रोज का ताल्लुक है, इन्हें बैठने दिया जाय। उन्होंने एक हेड कान्सटेबुल, एक कान्सटेबुल और एक दूसरे आदमी को बस में बैठने दिया। कहा जाता है कि जब बस चली तो ऐसा लगा कि ये लोग शराब पिये हुए हैं। उन लोगों के मुंह से गंध भी आ रही थी और कुछ वह बक झक भी रहे थे, इस पर बारात वालों ने कहा कि यह तो शराब पिये हुए हैं, इनको इस बस पर से उतार दो। ड्राइवर ने सीधे भाव से कहा कि साहब इनको लिये चलते हैं और शहर में जा कर इनको उतार दिया जायेगा। ऐसा लगता है कि चूंकि वह लोग नशे में तो थे ही, उन्होंने कुछ गाली गलौज की होगी, बारात वालों से, इस पर बारात वालों ने सोचा कि रास्ते में डी० एस० पी० का बंगला पड़ता है, वहां इनको पुलिस के हवाले कर देंगे, इसलिये उन्होंने उनको बस में रहने दिया। जब शहर कोतवाल का बंगला आया तब करीब रात के साढ़े ७ या ८ बज चुके थे, कुछ लोग बस से उतरे और उन्होंने बंगले के बाहर से ही आवाज दी, मालूम यह हुआ कि डी० एस० पी० साहब बाहर गये हुए हैं। कुछ लोग बंगले के अन्दर गये और मालूम किया कि साहब क्लब में गये हुए हैं। डी० एस० पी० के दो अरदली थे, उनको जा कर के इन लोगों ने कहा कि जा कर के कोतवाल साहब को खबर दो। एक तो रात का समय था और उस पर जो दो कान्स्टेबुल उन्होंने पकड़ रखे थे, जब उन कान्स्टेबुलों को मालूम हुआ कि हमको कोतवाल साहब के सुपुर्द किया जा रहा है तो वह भागने की भी कोशिश करने लगे और बारात वालों ने उनको पकड़े रखने की कोशिश की तो इस पर कुछ खींचातानी भी होने लगी। उन दो अरदलियों में से एक तो कोतवाल साहब को बुलाने के लिये क्लब चला गया और दूसरे ने जब इस तरह की खींचातानी देखी तो उसने यह समझा कि यह लोग पुलिस वालों को मार रहे हैं, लिहाजा वह पुलिस लाइन की तरफ दौड़ा और वहां पुलिस वालों को बताया कि कुछ लोग डी० एस० पी० साहब के बंगले के सामने बस पर बैठे हुए हैं और पुलिस वालों को पीट रहे हैं और डिप्टी साहब के बंगले को घेरे हुए हैं।

डाक्टर ईश्वारी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--तो उसने गलत खबर दी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नहीं गलत नहीं, उन लोगों में खींचातानी हो ही रही थी और कुछ बक-झक भी लोग रहे थे तो उसने समझा कि झगड़ा हो रहा है और अपनी डर की वजह से वह पुलिस लाइन की तरफ गया और वहां जा कर पुलिस वालों को खबर दी कि कुछ लोग बस से आये हैं और साहब का बंगला घेरे हुए हैं और कुछ लोग दो पुलिस वालों को मार रहे हैं। उस समय पुलिस वाले खाना खा रहे थे, कुछ सिपाही खाना खा चुके थे, तो उन लोगों ने यह समझ कर कि बंगले पर किसी ने धावा बोल दिया है, जो जिस हालत में था वैसे ही चल पड़े और इस तरह से लाइन से १५, २० पुलिस के सिपाही घटनास्थल की ओर चले जो कि लाइन से बिल्कुल ही पास था। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग दो पुलिस कान्स्टेबुलों को पकड़े हुए हैं और वे भागने की कोशिश कर रहे हैं, इधर इन पुलिस वालों ने समझा कि दंगा होने जा रहा है तो उन्होंने किसी को पूछा और न आव देखा न ताव, डंडा चलाना शुरू कर दिया। उधर जब डिप्टी साहब को खबर मिली तो वहां से एस० पी० और ए० डी० एम० भी जो कि वहां क्लब में मौजूद थे, सेशन जज की कार में चल दिये, यह लोग अभी पहुंच भी न पाये थे कि इस बीच में लाइन का जो हवलदार था उसको खबर लगी कि इस तरह से मार पीट हो रही है, वह भी एक दल को ले करके वहां पर पहुंचा, जब तक वह पहुंचा तब तक मार पीट हो चुकी थी और कुछ लोगों के चोटें भी आ चुकीं थीं बारात वालों के भी और इधर से पुलिस वालों के भी चोटें आयी, पुलिस वाले हवलदार ने पहुंच कर सब को रोका और पूछा कि क्या बात है तो उसको मालूम हुआ कि दो कान्स्टेबुल शराब पिये हुए थे जब यह बात हो ही रही थी इतने में डिप्टी साहब, एस० पी० और ए० डी० एम० भी आ पहुंचे, बारात वालों में से जिन लोगों को चोटें आ गई थीं वह बंगले के भीतर थे और कुछ लोग बंगले के बाहर भी चले आये थे तो जब इन्होंने पूछा कि बात क्या हुई तो मालूम हुआ कि इस तरह से घटना हुई है। कुछ लोग जो चोट खाये हुए थे उनको फौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया और बाकी लोगों से उन्होंने कहा कि बुरी बात हुई है इसको हम देखेंगे। जब इसकी खबर यहां लगी तो लखनऊ से स्वयं डी० आई० जी० को भेजा गया और उन्होंने डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी की तो उससे स्पष्ट हुआ कि यह पुलिस वालों का निकम्मापन और नालायकी थी। दो आदमी शराब पिये हुए थे, इनको उन्होंने रोक रखा तो कुछ पुलिस वालों ने मार पीट कर दी और इसी भ्रांति में ही पड़ कर के कि लोग डिप्टी साहब के बंगले को घेरे हुए हैं, बिना समझे बूझे ही उन्होंने डंडे चलाने शुरू कर दिये थे जिससे कुछ लोगों के चोटें आ गयी थीं। उसकी इंक्वायरी की गयी और उससे यह नतीजा निकला कि सिपाहियों की गलती थी। यह घटना बहुत ही दुखद है और इससे पुलिस का सारा विभाग एक लज्जा का अनुभव कर रहा है। वे सब सिपाही जो शराब पिये हुए थे और बस में आ कर बैठे और इसके अलावा वे सिपाही जो लाइन से दौड़ कर आये थे और बिना पूछे हुए ही डंडे चलाना शुरू कर दिये थे, उन सब लोगों को ससपेन्ड कर दिया है। यह बात बहुत ही दुःख की है। हमने इसकी इंक्वायरी कलेक्टर से भी करायी थी, उसकी भी वही रिपोर्ट है जो डी० एस० पी० की है। यह बात गलत है कि डी० एस० पी० ने यह कहा कि इन सालों को मारो। मैंने इसकी इंक्वायरी की है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह बात सही नहीं है। जो घटना हुई है और जिन सिपाहियों की गलती है, उनके ऊपर कार्यवाही हो रही है। इसके अलावा और किसी डी० एस० पी० या एस० पी० का दोष नहीं है। मैंने स्वयं इस संबंध में बार एशोसियेशन से बातचीत की थी। बारात वालों से भी बातचीत की थी। जो वहां के सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं उनसे भी मिला था और इस मामले में बातचीत की थी। इन सब से बातचीत करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सिपाहियों की गलती थी और किसी एस० पी० और डी० एस० पी० की गलती नहीं है। जिस वक्त ये लोग पहुंचे थे, उस वक्त मार पीट खत्म हो चुकी थी। जो वाकया सही था वह मैंने आप लोगों को बतला दिया है। मैं समझता हूं कि अब और अधिक इन्क्वायरी की जरूरत नहीं

हूं। बार एशोसियेशन के लोगों ने मुझसे कहा कि आप उन्नाव आ जायें, मैंने उनसे कहा है कि किसी दौरे वगैरह के सिलसिले में मैं वहां पर आ जाऊंगा। इस मामले में जितनी इन्क्वायरी करनी चाहिये वह कर ली गयी है और मैं समझता हूं कि किसी भी डी० एस० पी० या एस० पी० की गलती नहीं है।

श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--घटना का जो विवरण दिया हुआ है उसमें दो वकीलों के नाम दिये हुए हैं, एक तो श्री रमा शंकर हैं और दूसरे श्री सूरज नारायण शुक्ला हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इन लोगों ने जो घटना का बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि एस० पी० ने ललकार कर कहा है कि इनको मारो, इस तरह की रिपोर्ट दी है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जितना मुझे कहना था वह मैंने पहले ही कह दिया है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमान्, माननीय मंत्री जी के पास जो रिपोर्ट आयी है, वह आफिशियल रिपोर्ट है। अगर उसकी माननीय मंत्री जी इन्क्वायरी करें तो मालूम होगा कि डी० एस० पी० की भी गलती है। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि वे इसकी निष्पक्ष तरीके से इन्क्वायरी करायें तो उनको मालूम होगा कि इसमें किसकी गलती है और उसी आधार पर जो निर्णय होगा वही ठीक होगा।

श्री चेयरमैन--यह कुंवर साहब का एक सुझाव है, उसको सुन लीजिए, इसके जवाब की कोई जरूरत नहीं है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्यापकों को नियुक्त न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री चेयरमैन--मेरे पास श्री हृदय नारायण सिंह का एक कामरोको प्रस्ताव आया है। उसको मैं पढ़ रहा हूं :--

I beg leave to move an adjournment motion to discuss the serious situation arising out of the non-appointment of tuitional staff in the Gorakhpur University, which is going to open today. Certain appointments were made on 26-7-57 but the same were on Cancelled on 26-7-57, with the result that there is at present no tuitional staff in the University to engage the students who have been enrolled. As this involves the future of the students of the Gorakhpur Region, it is a matter of sufficient public importance to deserve a debate in the House on an adjournment motion.

प्रस्ताव का विषय अर्जेन्ट पब्लिक इम्पारटेन्स का है और रीसेन्ट आकरेन्स का भी है, इसके संबंध में सरकार के क्या विचार हैं, जब यह मुझे मालूम हो जायेगा, तब मैं तय करूंगा कि यह कामरोको प्रस्ताव लिया जाय या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मुझे इस संबंध में दो बातें कहनी हैं। जो यह कामरोको प्रस्ताव है, इसकी सूचना मुझे आज साढ़े दस बजे मिली है, एक बात तो यह है।

दूसरी बात यह है कि जिस विषय का जिक्र किया गया है, कि कुछ अप्वाइंटमेंट्स किये गये हैं और वे कैन्सिल किये गये हैं, तो इस विषय का गवर्नमेंट से सीधा ताल्लुक नहीं है। वहां पर वाइस-चांसलर ने अप्वाइंटमेंट्स किये और चांसलर, जिसको इसका अधिकार है, उन्होंने इसे एप्रूव नहीं किया। यह चीज चांसलर और वाइस-चांसलर के बीच की

हैं। इसमें न तो अप्वाइन्टमेंट्स करने में गवर्नमेंट का हाथ है और न कैन्सिल करने में। फिर भी इस बात की जानकारी मैं हाउस को करा देना चाहता हूं कि जो यह कहा गया कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी आज से खुल रही है और क्लासेज शुरू हो जायेंगे, तो ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। विद्यार्थियों की भर्ती हो गई है, इसकी भी सूचना मेरे पास नहीं है। हां, यह इरादा जरूर है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का कुछ काम शुरू कर दिया जाय और इसके लिये वाइस-चांसलर ने यह तय किया था कि कुछ पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज, यानी तीन, चार सबजेक्ट्स के, जैसे अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, एजूकेशन और साइकोलोजी आदि के एम० ए० प्रीवियस के क्लासेज खोल दें। उनका ख्याल था कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से चलाने में और सभी क्लासेज को अभी से चलाने में, उसकी इमारत, वहां की लाइब्रेरी तथा दूसरी चीजों के प्रबंध में एक साल लगेगा। लेकिन वहां थोड़ा सा अभी से इस तरह का एटमासफियर पैदा हो जाय, इसलिये पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज खोलने का उनका इरादा था, उसकी उन्होंने मंजूरी भी चान्सलर से ली थी। चूंकि जुलाई बीता जा रहा था और कुछ मौका उनको नहीं मिल रहा था, इसलिये वे सोच रहे थे कि किस तरह कार्य शुरू करेंगे। अभी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के स्टेट्यूट्स नहीं बने हैं, जिससे कि ठीक तरह से एप्वाइंटमेंट्स कर लिये जायें। जिस तरह से ठीक व्यवस्था ऐक्ट में है और उसके लिये प्राविजन है, उसके मातहत तुरन्त एप्वाइन्टमेंट्स नहीं हो सकते हैं क्योंकि उसका जो तरीका है, वह कुछ देरी का तरीका है। उसमें सेलेक्शन कमेटी बनती है और वह उस पर विचार करती है और उसको एप्रूव करती है। चूंकि इस तरह से एप्वाइंटमेंट्स नहीं हो सकते थे, इसलिये गवर्नमेंट ने, जैसा कि रिमूवल आफ डिफिकल्टीज के लिये किया जाता है, एक नोटीफिकेशन निकाला था और चांसलर को यह अधिकार है कि वह उसे रिमूव कर दे और एड हाक कमेटी बना कर तथा सेलेक्शन कमेटी बना कर, उनको इस तरह का अधिकार रहे कि वहां क्लासेज चलते रहें। इस महीने की २०, २१ तारीख को वह नोटीफिकेशन हुआ है और वाइस-चांसलर ने यह सोच कर कि अब जल्दी काम करना है, कुछ लोगों का इन्टरव्यू कर लिया और उनका एप्वाइंटमेंट हुआ। इसी बीच में रिमूवल आफ डिफिकल्टीज के सेक्शन में यह नोटिफिकेशन हो चुका था कि चांसलर कमेटियां बनाते रहें और उसके लिये जो एक्सपर्ट होंगे, वे हो जायें। उनसे पता चला कि कमेटी बना दी जाय, इसके लिये नोटीफिकेशन बनाया जा चुका है और उन्होंने उसे कैन्सिल कर दिया। वह कमेटी अनाउन्स हो चुकी है, और वह तुरन्त मीट करेगी और मीट करने के बाद सेलेक्शन होगा जिससे कि वे पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज शुरू कर सकें। मैं समझता हूं कि इस तरह से जो कुछ पहले हुआ वह गवर्नमेंट की सूचना में नहीं था, फिर भी इस संबंध में जो भी कार्यवाही हो रही है, सरकार का पूरी तरह से उस ओर ध्यान है।

श्री चेयरमैन—मुझे यह मालूम पड़ता है कि सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी इस मामले में नहीं है और कोई ऐसे विषय पर जिसमें गवर्नमेंट की प्राथमिक जिम्मेदारी न हो, उस पर काम रोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं विशेषतः जब कि माननीय मंत्री जी ने इस पर खुलासा रूप से सूचना दे दी है।

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं इसके संबंध में दो शब्द कहने की इजाजत चाहूंगा।

श्री चेयरमैन—जी नहीं, आप अब चेयर की रूलिंग के बाद कुछ नहीं कह सकते हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—सरकार की तरफ से जो कुछ कहा गया कि इसमें उसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं भी उसके लिये कुछ बतलाना चाहता हूं कि इसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या नहीं ?

श्री चेयरमैन—यह यूनिवर्सिटी से संबंधित कानून के निर्वाचन का प्रश्न है। सरकार की इसमें कितनी जिम्मेदारी है। यह तो हाईकोर्ट में ही तय हो सकता है सदन को इस प्रश्न पर वाद-विवाद करने का अधिकार नहीं है।

श्री हृदय नारायण सिंह—इसके लिये तो ऐक्ट भी है।

श्री चेयरमैन—लेकिन इसका इन्टरप्रिटेशन हाईकोर्ट में ही हो सकता है। यहां नहीं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—चेयरमैन इसके लिये जो रूलिंग दे चुके हैं, वह तो फाइनल है।

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक

श्री चरण सिंह (राजस्व मंत्री)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५७ ई० के उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, जैसा कि वह विधान सभा द्वारा पारित किया गया है, पर विचार किया जाय।

यह विधेयक जो पहले विधान परिषद् से पारित हो चुका है उसके दोबारा यहां पेश होने की वजह यह है कि जब वह यहां से पारित किये जाने के बाद विधान सभा में पहुंचा तो वक्त की कमी के कारण पारित न हो सका और विधान सभा उठ गई। उसके बाद हमने तीस जून या पहली जुलाई को एक अध्यादेश जारी कर दिया। विधान सभा से इस विधेयक को वापस ले कर उस आर्डिनेन्स की बिना पर पास करा लिया गया है कान्स्टीट्यूशन के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक विधान परिषद् में इसको आना जरूरी था। इसलिये मैं यहां इसके साथ पेश हुआ हूं। इस पर यहां बहस हो चुकी है।

श्री कुंवर गुरुनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जिसको माननीय माल मंत्री ने यहां रखा है यह पहले यहां आ चुका है और इस पर बहस हो चुकी है। लेकिन मैं बहुत ही प्रोटेस्ट करता हूं इन तरीकों की और यह जो गवर्नमेंट केयरलेसनेस है कि वह एक बार विधेयक लायें और विधान सभा उठ जाये और वह वहां पर पेश न कर सके, यह बहुत ही गलत तरीका है। गवर्नमेंट को अपने प्रोग्राम्स को इस तरह से एडजस्ट करना चाहिये ताकि इस प्रकारकी बातें न हों। यह सही है कि आर्डिनेन्स मेकिंग पावर गवर्नमेन्ट को दी गयी है। लेकिन यह आर्डिनेन्स मेकिंग पावर का मजाक है अगर छोटी-छोटी बात पर आर्डिनेन्स लगा दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह आर्डिनेन्स मेकिंग पावर का बहुत ही मिसयूज है। जहां तक इस विधेयक का सबंध है इसे तो स्वीकार ही किया जा चुका है। लेकिन मैं जरूर गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो डिपार्टमेंट या प्रोग्राम फिक्स करने वालों की केयरलेसनेस है, यह अच्छी नहीं है। जो तमाम रुपया पब्लिक एक्सचेकर का हम लोग बैठ कर यहां खर्च करते हैं, उस एक एक दिन का इस्तेमाल अच्छी तरह होना चाहिये। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी बजाय इसके कि अपनी गलती को जस्टीफाई करें, उसको स्वीकार करें और डिपार्टमेंट्स को आदेश दें कि इस तरह की गलती आगे से न हुआ करे।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय कुंवर गुरु नारायण जी ने दो प्रश्न उठाये हैं। एक तो है डिपार्टमेंट की लापरवाही और दूसरा ऐसे छोटे मामले में अध्यादेश जारी करना। डिपार्टमेंट की लापरवाही का जहां तक ताल्लुक है मैं कह सकता हूं कि उसमें उनकी कोई लापरवाही नहीं है। यह वहां के एजेन्डे पर मौजूद था और पन्द्रह मिनट आध घंटे में पास हो जाता। लेकिन जिस वक्त असेम्बली रिसेस के लिये उठी तो बजाय ढाई बजे के साढ़े चार बजे तक का वक्त कर दिया। मैं उस वक्त था नहीं। मैं इसकी

तफसील में जाना नहीं चाहता। इतना कहना चाहता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट की लापरवाही इसमें नहीं है। अगर लापरवाही होगी तो मैं उसके लिये गिल्टी प्लीड करता हूं और अगर माननीय कुंवर गुरु नारायण जी को जिन शब्दों में भी मेरी बात कहने से तसल्ली हो जाय तो मैं जुर्म को कबूल करता हूं।

दूसरी बात यह है कि यह अध्यादेश क्यों जारी कर दिया जाता है इसके लिये मेरा कहना यह है कि यह तो पहले ही पास कर दिया गया था इसलिये कोई नई बात नहीं थी, कोई नये उसूल की बात नहीं थी। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की इजाजत से अध्यादेश जारी किया गया। कहने को कहा जा सकता है कि बात बात पर आर्डिनेन्स नहीं जारी होना चाहिये। लेकिन यह बात-बात पर आर्डिनेन्स नहीं जारी हुआ। कोई बहुत बड़ी बसूली बात नहीं थी। टाइम सेव करने के लिये यह किया गया। गवर्नमेंट का न कोई इंटरेस्ट था और न कोई फायदा ही।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५७ ई० के उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५७ का उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक* जैसा, कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (सहकारी उप-मंत्री)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५७ ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

श्रीमन्, जैसा कि उद्देश्य और कारणों से स्पष्ट होगा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अध्यादेश ३१ मार्च, १९५६ को जारी किया गया था। उस समय विधान सभा और विधान परिषद् बैठी हुई नहीं थी, इसलिये एक अध्यादेश द्वारा यह आदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर विधेयक में कुछ सुधार किये जायं। उन सुधारों में एक बड़ा सुधार यह था कि उसकी धारा ३-ए की उपधारा (१) (क) में कुछ सुधार किये जायं। उपधारा (१) (क) में यह था कि राज्य सरकार जब चाहे, कुछ चीजों के उपर एक स्थान पर सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगा सकती है और वह टैक्स एक आना तक हो सकता है और उसकी सूची सरकार को देनी पड़ेगी। ३१ मार्च, सन् १९५६ को दूसरी विज्ञप्ति गवर्नर द्वारा जारी हुई और उसमें ४७ वस्तुओं की सूची दी गयी थी, जिसमें यह निर्णय था कि ४७ वस्तुओं में यह चीजें हैं। चूंकि यह संशोधन हुआ, इसलिये इसके अनुसार वेजीटेबुल घी, कपड़ा, चीनी पर सेल्स टैक्स लगाया गया। इसके अनुसार अलीगढ़ के सेल्स टैक्स के अधिकारियों ने वहां आदर्श भंडार, जो कपड़ा, चीनी का व्यापार करता था, उस पर टैक्स लगाया और उसकी तादाद ७६ हजार रुपया थी। शुरू में ही आदर्श भंडार ने विरोध किया और हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर दी, उसके द्वारा यह निर्णय हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार को यह सूची बनाने का अधिकार

---

*विधेयक के लिये देखिए नत्थी "ख" पृष्ठ ५६१ पर।)

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

३१ मार्च, १९५६ को नहीं था जिस दिन अध्यादेश जारी हुआ था। १ अप्रैल, सन् १९५६ को अधिकार आता था। इसलिये ३१ मार्च को कोई भी संशोधन के अन्तर्गत कोई भी सूची नहीं निकाली जा सकती थी। हमने इसको स्वीकार किया और इस विधेयक में संशोधन किये। एक संशोधन बिल्कुल सीधा है धारा ३ उपधारा (ए) भाग (२) और उपधारा ३-ए में संशोधन किया गया जिसमें तिथि १ अप्रैल के स्थान पर ३१ मार्च की गई है और इस संशोधन के अनुसार हमको यह अधिकार होगा कि हम कोई आदेश जारी कर सकते हैं और जो आदेश गवर्नर महोदय ने ३१ मार्च को किया, वह ठीक होगा। इस तरह से जो हाईकोर्ट का डिसीजन है, उसको भी मान्यता प्रदान होगी।

एक बात और बता दूं कि जो अध्यादेश गवर्नर महोदय ने जारी किया था वह कान्स्टीट्यूशन के हिसाब से सदन के सामने रख कर यू० पी० बिक्री कर संशोधन विधेयक, सन् १९५६ के नाम से प्रचलित है।

श्री वीरेन्द्र स्वरूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, यह विधेयक इस सदन के सामने इसलिये लाया गया है कि एक रिट हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी और उसमें यह फैसला किया गया था कि ३१ मार्च को जो नोटीफिकेशन सरकार ने जारी किया था वह ठीक नहीं था क्योंकि ऐक्ट १ अप्रैल, सन् १९५६ से लागू होने को था। जहां तक बिल के प्रावीजन का सवाल है कोई मतभेद नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मकसद यह है कि मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊं कि आखिर क्या वजह थी कि ३१ मार्च को नोटीफिकेशन आंख बन्द कर के जारी कर दिया गया जब कि ओरिजिनल ऐक्ट १ अप्रैल से था। यह ला डिपार्टमेन्ट की गलती है। यह एक फाइनेन्शियल बिल है, सब जानते हैं कि १ अप्रैल से जारी होगा। ला डिपार्टमेंट ने क्यों जारी कराया, जिससे सरकार का भी खर्चा हुआ और हाई कोर्ट को भी अपना वक्त बरबाद करना पड़ा। मैं इस बात को निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर इन्क्वायरी करे और जो गलती पर हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय सदस्य ने कही, वह सत्य है कि सरकार का इतना बड़ा ला डिपार्टमेंट होते हुए भी इस तरह की भूल हुई, जिससे सरकार को इतनी दिक्कत उठानी पड़ी और टैक्स पेयर्स को भी हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। इस प्रकार से वहां जा करके अपना पैसा भी खर्च करना पड़ा। तो इससे सरकार की भी काफी क्षति हुई। इतना ही नहीं हुआ कि गवर्नमेंट को केस लड़ना पड़ा और कुछ रुपया गवर्नमेंट का खर्च हुआ बल्कि टैक्स की अदायगी, जिसकी बाबत प्रदेश में हलचल है, नहीं हुई। लोगों ने काफी मुखालिफत की। इसके बाद कानून की शक्ल में सामने आये और कानून के रूप से उसको चैलेन्ज किया गया। उसमें गवर्नमेंट को हार खानी पड़ी, इस शकल में, जो रुपये की अदायगी होनी चाहिये थी वह अदायगी हाई कोर्ट से रुक गई। लाखों रुपया जो सरकार के खजाने में आना चाहिये था वह रुक गया। अक्सर यह देखा जाता है कि टैक्स के मामले में ऐसा तरीका अमल में लाया जाता है, जिससे खामख्वाह लोगों को असुविधा हो जाती है। टैक्स तो लगता है उन कार्यों के लिये जिसको स्टेट करना चाहती है, जनता की बहबूदी के लिये। लेकिन यह अवश्य मानना पड़ेगा कि उसमें कुछ ऐसे तरीके और कुछ ऐसी गलतियां और कुछ ऐसे काम्प्लीकेटेड मैटर्स हो जाते हैं, जिससे जनता को परेशानी होती है। उन परेशानियों की तरफ समय समय पर इस सदन में और दूसरे सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है, लेकिन सरकार उस पर गौर नहीं करती है। बाद में जब कुछ दिक्कतें लोगों के सामने आती हैं तब सरकार उनमें से किसी को मान लेती है। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इसमें नुकसान हुआ क्योंकि अब उस टैक्स को, जो पेएबुल है और जिसकी अदायगी

बक गई है उसमें से सरकार को पूरा टैक्स वसूल नहीं होगा। यह मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं इस तरीके से सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। यदि उस टैक्स को जिसका असेसमेंट हुआ है उसकी अदायगी न हुई हो तो उन लोगों को तलाश करना मुश्किल हो जाता है। बाद में उन लोगों का पता नहीं लगता है। इस प्रकार का कुछ रेगुलर व्यापार चल रहा है। आगरा में, कानपुर में और बुलन्दशहर में और दूसरी बस्तियों में जो कपड़े की बस्तियां हैं वहां पर इस तरह का व्यापार चल रहा है। कुछ लोग ऐसे व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं, लेकिन ऐसे नाम से होते हैं जिनका पता नहीं होता है। माल मंगाते हैं और जब उसके रिटर्न का मौका होता है और असेसमेंट का आर्डर होता है और जब उसके यहां पर कुर्की जाती है तो उन लोगों को पता नहीं लगता है। इस तरह से लाखों रुपये का नुकसान गवर्नमेंट का हुआ है। यदि सरकार इस बात की जांच करे तो उसको लाभ हो सकता है। इससे सब से बड़ा नुकसान होता है उन लोगों का, जो मंडी में काम करते हैं, जिनका असेसमेंट होता है और जिनसे गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है उनका नुकसान होता है।

करोड़ों रुपये का माल इस प्रदेश में आता है जो बिना सेल्स टैक्स दिये बिक रहा है। वे लोग जो ईमानदार हैं उस कीमत पर माल को नहीं बेच सकते हैं, जिस कीमत पर वे लोग जो चोरी से बेच सकते हैं। श्रीमन्, मैं आपके जरिये से यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का रेगुलर बिजनेस चल रहा है और लाखों रुपये का लोग बिजनेस करते हैं। तो इस तरीके से सरकार को इस इवेजन को रोकना चाहिये। अगर सरकार इसको रोक सके तो सरकार के रेवेन्यू में करोड़ों रुपये का लाभ हो सकता है। जो समय समय पर टैक्स लगाने की आवश्यकता होती है, सरकार उससे बच सकती है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले बच सकते हैं। लाखों रुपये का इवेजन हो रहा है। मैं इस बात को फिर से कहता हूं। विधेयक तो सीधा-सादा है उसको तो पारित होना ही चाहिये।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--अध्यक्ष महोदय, इस ऐक्ट को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती जैसा कि कहा गया है। सरकार को इससे काफी नुकसान हुआ और पब्लिक के लोगों को भी इससे कष्ट हुआ। इस सदन में कई बार कहा गया है कि सरकार का ला डिपार्टमेंट अपने काम में बड़ी ढिलाई करने लगा है। समाचार-पत्रों से ऐसा मालूम होता है कि जगह-जगह कानून की अवहेलना की जा रही है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर ने कानून की अवहेलना की। इमर्जेन्सी अप्वाइंटमेंट कर दिये। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा असंतोष फैलता है। प्रोफेसर्स के अप्वाइंटमेंट बड़ी छानबीन से होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून की अवहेलना हुई है। इसका कारण यह मालूम होता है कि वहां के वाइस चांसलर, डाइरेक्टर और सेक्रेटरी वगैरह बड़े-बड़े ओहदों पर रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि यूनिवर्सिटी का शासन एक संविधान के द्वारा होता है। इसीलिये ऐसी गलतियां हो जाती हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--क्या माननीय सदस्य यूनिवर्सिटी की बात इस बिक्री कर विधेयक के सिलसिले में उठा सकते हैं?

श्री चेयरमैन--हर एक शब्द को तो तौला नहीं जा सकता है। शायद वे दृष्टांत के रूप में इसकी चर्चा कर रहे हैं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--एक ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि लोग कानून की परवाह नहीं करते हैं। नोटिफिकेशन पहली तारीख को जारी हुआ। गवर्नमेंट के कानूनी परामर्शदाता ने कैसे कह दिया कि यह हो जायगा। इस बात की परवाह नहीं की कि यह मामला हाई कोर्ट तक जा सकता है। इस प्रकार से नोटिफिकेशन का होना ठीक बात नहीं है। सदन में इस विषय में बार-बार कहा गया है। सप्लीमेंटरी इस्टीमेट्स आये उनमें २४ मुकदमे ऐसे छपे, जिनमें सरकार के ऊपर डिग्री हुई। जो मुकदमे कमजोर होते हैं उनमें फैसला कर लेना चाहिये। बिल को तो हम लोग स्वीकार करते ही हैं

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]
परन्तु जैसा कि कुंवर साहब ने कहा कि इसमें प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता है। ऐसी शिथिलता नहीं होनी चाहिये। जो ला आफिसर्स हैं उनको ऐसी सलाह देनी चाहिये ताकि गवर्नमेंट के ऊपर डिक्री न हो। यह ठीक नहीं मालूम होता है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का संबंध है वह तो बहुत छोटा-सीधा सादा बिल है। उसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु इस बिल को देखते हुए दो बातें याद आती हैं। एक तो यह कि सरकार के जो सेल्स टैक्स और ला डिपार्टमेंट हैं वे वैसे हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते।

श्री चेयरमैन--एक ही बात को बार-बार कहना तो ठीक नहीं मालूम होता है।

*श्री प्रताप चन्द्र आजाद--जब हम एक सेशन में आते हैं तो एक नया सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल जरूर आ जाता है। पिछले एक साल में मेरे ख्याल में इस हाउस के सामने चार मर्तबा सेल्स टैक्स का अमेंडिंग बिल आया है। यह तो ला डिपार्टमेंट की कमजोरी है। एक साल में यह जितने अमेंडिंग बिल सेल्स टैक्स पर आये हैं उतने अमेंडिंग बिल किसी और चीज पर नहीं आये हैं। सरकार को चाहिये कि एक मुस्तकिल बिल अपने ला डिपार्टमेंट से बनवा कर लाती। एक दफा आता है कि सिंगल प्वाइंट पर टैक्स हो, दूसरी दफा आता है कि हर प्वाइंट पर टैक्स लगे, यह उचित बात नहीं मालूम होती है। इसी सेल्स टैक्स के ऊपर हमारे प्रदेश में काफी ऊधम मचा था। इलेक्शन हो गया। उसके बाद यह बिल आया और उसमें काफी सुधार हुआ। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो नये-नये बिल बार-बार आते रहते हैं, इससे सरकार को भी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि कोई हाई कोर्ट में चला जाता है और वहां से छुड़ा लेता है। इसलिये एक कम्प्रीहेंसिव बिल सेल्स टैक्स के ऊपर आना चाहिये और जितने अमेन्डिंग बिल्स आये हैं, उनके ऊपर एक कमेटी बैठ कर गौर कर ले और फिर वह कम्प्रीहेंसिव बिल की सिफारिश करे, जो सरकार ले आये।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडिंग बिल इस सदन के सामने लाया गया है वह एक साधारण सी चीज है उसको देखते हुए मैं यह नहीं कह सकता कि कहां तक मैं ठीक हूं या गलत हूं। सेल्स टैक्स के विषय में पिछले दिनों में जो कुछ बातें हुई हैं उनसे मालूम होता है कि सरकार लेजिस्लेशन्स के बारे में ज्यादा जल्दी कर देती है। मैं श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद जी की आवाज में मिला कर यह कह सकता हूं कि सेल्स टैक्स के बिल के संबंध में सरकार ने जितनी जल्दी दिखायी है उतनी जल्दी शायद और किसी मामले पर नहीं दिखायी।

श्री कुंवर गुरु नारायण--लैन्ड के मामले पर।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--उसमें कोई जल्दी हुई तो वह मजबूरी की हालत में हुई। पिछले दिनों जो कुछ सेल्स टैक्स के संबंध में हो रहा था मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को टेलीग्राम दिया और जनता ने जो कुछ बतलाया और उनसे जो कुछ मुझे मालूम हुआ तो इसी नतीजे पर पहुंचा कि सरकारी अफसरान कैसे ऐसी सलाह दे देते है। यहां पर समय कम है, वर्ना अगर मुझे कभी मौका मिला तो इस सेल्स टैक्स के अन्दर से ऐसी चीजें निकाल कर रख सकता हूं और उन पर बयान दे सकता हूं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिये, जो सरकार द्वारा रखी गयी है।

*सदस्यों ने अपने भाषण शुद्ध नहीं किये।

अगर हम किसी मंडी या बाजार में चले जायं और वहां पर बैठे १० आदमियों से सेल्स टैक्स के बारे में बातें करना शुरू करें तो ऐसी-ऐसी बातें निकल सकती हैं, जिनका सुधार करने के बाद काफी परेशानी दूर हो सकती है और सरकार का भी नुकसान नहीं होगा। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमें पैसे की जरूरत है, इसलिये हमने सेल्स टैक्स लगाया है। डेवलपमेंट के कामों के लिये रुपये की जरूरत है, जिनके लिये पैसा ढूंढ़ना पड़ेगा इसलिये सरकार की मजबूरी है। मैं कहता हूं कि पैसा आप जरूर लीजिए और बिना पैसा के आपका काम चल नहीं सकता है, लेकिन बिना जनता को परेशानी में डाले हुए जब आप को पैसा मिल सकता है, तो आप वैसा क्यों नहीं करते हैं। मेरा कहना यह है कि जो पैसा बिना जनता को परेशानी में डाले हुए मिल सकता है, उसको करना चाहिये। जो मल्टीपल प्वाइन्ट के बजाय सिंगल प्वाइन्ट आप पहली अप्रैल, सन् १९५८ से करने जा रहे हैं, उसके सिलसिले में बहुत दफे कहा गया था, इस हाउस में भी कहा गया और बाहर भी कहा गया, लेकिन सरकार ने नहीं माना और अब फिर इस बात पर आ गयी है। इस तरह से सरकार को भी पैसे का कोई नुकसान नहीं है। होना ऐसा चाहिये कि न तो जनता को कोई परेशानी हो और साथ ही सरकार को भी पैसा मिलता जाय। इसकी खराबी की वजह यह है कि हम जो बातें यहां पर कहते हैं उनकी ओर सरकार कोई ध्यान ही नहीं देती है। जनता की जो बात मौके पर कही जाती है, सरकार उसे उस मौके पर सुनती ही नहीं है। यह उसकी एक मनोवृत्ति बन गयी है। यह हमारे मंत्रियों की मनोवृत्ति नहीं है बल्कि जो उनके नीचे काम करने वाले आफिसर्स होते हैं, उनकी यह मनोवृत्ति है और उन्हीं की बातों को हमारे मंत्री-गण मानते हैं।

श्री कमला पति त्रिपाठी---कुछ बातें आपकी भी मानते हैं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--- जी नहीं।

श्री कमला पति त्रिपाठी---मैंने तो मानी हैं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त---इसके लिये आपका ऋणी हूं।

एक छोटी सी बात सेल्स टैक्स के बारे में यहां कहना चाहता हूं। जो इस कर से आज बड़ी परेशानी है तो मैंने अपने यहां देखा है कि जितना विरोध इस कर का है उतना और किसी का नहीं है। कर का तो इतना ज्यादा विरोध नहीं, लेकिन जो इस कर को वसूल करने के तरीके हैं, उनमें बड़ी खराबी है इसलिये लोगों को इसस विरोध है। इस टैक्स के जरिये तिजारती वर्ग को बड़ी परेशानी होती है। मैंने महसूस किया है कि जो बड़ी परेशानी होती है उसको देख लिया जाय। मैं माननीय आचार्य जी से कहता हूं कि एक रोज वे मथुरा के सेल्स टैक्स आफिस में जा कर दो घंटे का समय दे आयें तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि कितनी परेशानी हो रही है। मथुरा के सेल्स टैक्स आफिस से माननीय आचार्य जी परिचित हैं कि कितने महीने हो गये हैं कि जो पैसा सेल्स टैक्स का दाखिल किया जाता है वहां पर उसके फार्म ही नहीं हैं। मथुरा के वकीलों की तरफ से, वहां के आफिसर्स की तरफ से और वहां के व्यापारीवर्ग की तरफ से कलेक्टर और वहां के लिये लिखा गया कि एक-एक फार्म के लिये दूकानदारों को एक एक सप्ताह बीत जाता है, लेकिन उनको वह फार्म ही नहीं मिलता है, जिसका कि कोई मूल्य नहीं है। वे लोग न मालूम कितने दिन अपनी दूकान छोड़ कर आते होंगे। मैं दो दिन उस आफिस में गया हूं। वहां पर मेरी बातचीत दूकानदारों और वकीलों से हुई है। मैंने इस ओर सरकार का भी ध्यान दिलाया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वे आपका कहना मानने के लिये तैयार हैं, लेकिन उनको तो फार्म ही नहीं मिलता है। यह एक प्रश्न मैंने इस मौके का फायदा उठा कर आपके सामने बयान किया है।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

इस बिल का स्कोप थोड़ा ही है इसलिये डर है कि आप मेरी बहुत ज्यादा बातों के लिये यहां पर इजाजत नहीं देंगे। लेकिन कोई मौका नहीं मिलता है कि इन चीजों को हम सरकार के सामने कह सकें, इसलिये मैं इस प्रलोभन का संवरण न कर सका। यही चीजें नहीं, लेकिन कई और भी बातें हैं सेल्स टैक्स की। सेल्स टैक्स आफिसर जनता के साथ जो व्यवहार करते हैं वह अच्छा नहीं है। जो लोग वहां पर जाते हैं, उनको बैठने को नहीं मिलता है, जिनको टाइम दिया जाता है, वे दो-तीन दिन इस तरह से घूमते फिरते रहते हैं, अपने सब बही खातों को लेकर के जाते हैं। आज टाइम दिया, आज नहीं, कल टाइम दिया, कल भी कुछ नहीं होता फिर परसों टाइम दिया और इस तरह से कई दिन हो जाते हैं तब अधिक परेशान कर लेने के बाद कहीं डिक्लेयर करते हैं कि वह लेजिबिल नहीं था, सेल्स टैक्स के लिये। इस तरह की जो परेशानियां हैं, मैं आपके जरिये सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि सरकार इनकी तरफ भी कुछ ध्यान दे। सरकार काम तो अच्छा करती है, लेकिन खामख्वाह के लिये बदनाम होती चली जाती है, यह बात समझ में नहीं आती है। जहां तक मैं समझता हूं यही कारण इसके हो सकते हैं। यही छोटी-छोटी बातें होती हैं जिनकी ओर सरकार ध्यान नहीं देती है और सरकार अच्छा काम करते हुए भी बदनाम होती है। अगर मुझे मौका दिया जाय तो मैं माननीय मंत्री जी को ऐसी बातें बता सकता हूं सेल्स टैक्स के बारे में कि जिनको बिना किसी पैसे के खर्च किये हुए ही दूर किया जा सकता है और उनके दूर होने से जनता की काफी शिकायतें भी दूर हो सकती हैं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---श्रीमन्, इस सदन के माननीय सदस्यों ने कृपापूर्वक इस विधेयक के संबंध में कुछ ज्यादा चर्चा नहीं की। उन्होंने कुछ दूसरे प्रश्नों को इस सदन के सामने उठाया। मेरा विचार है कि मैं उनके संबंध में बहुत विवरण के साथ आज नहीं कहना चाहूंगा। कुछ सिद्धान्त की बात जरूर यहां सदन के सामने आयी और यह कहा गया कि यदि सरकार का ला डिपार्टमेंट ज्यादा सतर्क हो तो इस तरह के अमेंडिंग ऐक्ट्स की आवश्यकता न पड़ेगी। एक प्रकार से यह कहा गया कि ला डिपार्टमेंट के सतर्क न होने के कारण सरकार को आर्थिक क्षति भी सहनी पड़ी है और जनता को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि यदि इस विधेयक के सदन के सामने आने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो यह न्याय-संगत न होगा, क्योंकि कितनी ही बार ऐसी आवश्यकतायें पड़ी हैं और मैं एक बात और भी अत्यन्त विनम्रतापूर्वक इस सदन के सामने रखना चाहूंगा कि कितनी ही सतर्कता से विधि और नियम बनाये जायं, जब तक जनतंत्र शासन प्रणाली में विधि और नियम की देख-भाल करने की सुविधा प्राप्त हो, जब तक मनुष्य का मस्तिष्क इस कार्य में लगा रहेगा, यह निश्चित है कि कोई भी निर्णय ऐसा तैयार नहीं हो सकेगा, जिस निर्णय को कभी ऐसा न कहा जा सके। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदयों का निर्णय है, मैं उसके संबंध में भी इतना तक कहने को तैयार हूं कि उसमें भी दो राय हो सकती हैं और इस माननीय सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें ला डिपार्टमेंट के सतर्क होने का इतना बड़ा प्रश्न नहीं है। ३१ मार्च को जो संशोधन किया गया था, उनको व्यावहारिक रूप प्रदान किये जाने की बात थी, "they were to come in effect on the 1st April."। तो गवर्नर साहब ने जो आर्डिनेन्स निकाला उस आर्डिनेन्स की संशोधित धारा के अन्तर्गत एक नोटिफिकेशन किया गया "that was wholly to take effect from the Ist of April," यह नहीं था।

That the notification was to take effect from the 31st of March. But the notification was also to take effect from the 1st April,

श्री वीरेन्द्र स्वरूप—Under what Act was the notification issued?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—Yes, that was the only question before the Hon'ble High Court. मैं इस समय एक बात कहना चाहता था कि जो कुछ मेरे मित्र ने कहा है बिल्कुल यही बहस थी आनरेबुल हाई कोर्ट के सामने।

इस अमेंडिंग बिल की धारा ३ की उपधारा (१) व (२) नोटिफिकेशन में आते हैं। श्रीमान्, बहस में दोनों तरफ से वजन है। दूसरी तरफ से यह बहस की गई कि धारा २२ जनरल क्लाजेज ऐक्ट के अन्तर्गत यदि किसी कानून, या कानून की धारा या उपधारा एक दिन व्यावहारिक रूप से लानी थी और उस दिन उसका वह व्यावहारिक रूप नहीं हो सका और नोटिफिकेशन निकला।

The amending Ordinance was promulgated on the 31st March and, therefore, anything done under the later amendment was valid.

तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारे उच्च न्यायालय हैं उनके सामने हम अपना मस्तक झुकाते हैं और उनका जो निर्णय होता है उसको हम स्वीकार करते हैं। यह अमेंडमेंट बिल जो सदन के सामने आया है, उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संबंध में दो राय थीं और आज भी हैं। मैं समझता हूं कि जस्टिस मूथम और आर० दयाल और उनके साथियों में भी दो रायें थीं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि यह जो अमेंडिंग बिल आया है इसके लिये प्रदेशीय सरकार के सारे न्याय विभाग को एक नया तमगा न दें। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रकार का तमगा देने की चेष्टा नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि न्याय विभाग में दोष नहीं है, जो बात उचित होती है वह उसी को करने की कोशिश करता है। इस विषय के संबंध में दो राय हैं और उन दो राय में भी किसी एक को माना जा सकता है।

श्रीमान, यहां पर बहुत सी बातों पर विवाद हो गया है। हमारे एक मित्र ने यह कहने की चेष्टा की कि टैक्स से एवेजन बहुत अधिक है। मेरे ख्याल में बात सही है कि टैक्स से एवेजन अधिक है। केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार की इस संबंध में दो रायें नहीं हैं और हम इस बात की कोशिश में हैं कि यह एवेजन समाप्त हो जाये।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—यह बात तो गलत है, वह तो और बढ़ाया जा रहा है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—यदि डाक्टरों की तरफ से रोग बढ़ा तो दूसरी बात है, नेचुरल पेथ तो ऐसा नहीं कहते हैं। यह जरूर है कि कानून के जरिये से एवेजन बढ़ा, यह कुछ हद तक सही है। हमारे पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। प्रजातंत्र शासन प्रणाली के माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि दूसरा मार्ग मालूम नहीं है।

बिल के जरिए से भी टैक्स इवेजन होता हो, तो मुझे कोई दूसरा मार्ग समझ में नहीं आता है जिसका कि अवलम्ब लिया जाय। यद्यपि वाद विवाद के अन्तर्गत यह बात भी नहीं है और माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री जी श्री कृष्णामाचारी कह चुके हैं कि यह सरकार की नीति है कि धनिकों से धन लिया जाय और सरकार टैक्स एवेजन को रोकने के लिये उचित कार्यवाही करेगी। यह एक मोटी सी बात है कि आज वेल्थ पर टैक्स लगेगा, इन्कम पर टैक्स लगेगा, सुपर टैक्स लगेगा। जो ज्यादा वेल्थ रखे, उसके ऊपर सरकार टैक्स लगायेगी, जो ज्यादा खर्च करेंगे उन पर भी सरकार टैक्स लगायेगी और जो इससे भी बचना चाहेंगे और धन बचाकर रखेंगे, वे भी टैक्स देंगे, जिसके लिये इस्टेट ड्यूटी का प्राविजन है। अन्तिम रूप से भी अगर कोई टैक्स एवेजन करना चाहे, तो वह ऐसा न कर सके,

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

इसके लिये भरसक कोशिश की जाती है। यद्यपि इसमें बहुत सी कठिनाइयां भी हैं। हमारी सरकार का यह अनुभव है और हम सभी जानते हैं कि इन विधियों और नियमों के अन्तर्गत बहुत से ऐसे साधन लोगों को मिल जाते हैं, जिस के जरिये से उनको टैक्स एवेजन की बहुत सी सुविधायें मिल जाती हैं, इसीलिये विधेयकों में संशोधन किये जाते हैं, तब्दीलियां की जाती हैं और कभी-कभी कुछ घटाना या बढ़ाना पड़ता है। यही मेरे भाई प्रताप चन्द्र आजाद जी का सुझाव था कि आखिर सेल्स टैक्स में बार-बार संशोधन क्यों किये जाते हैं। मेरे मित्र कन्हैया लाल जी ने भी इसका जिक्र किया था। हमने ऐसा नहीं किया है, यह मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मैं इतने संशोधनों को जानता नहीं हूं। मेरे सामने ५, ६ संशोधन विधेयक आये हैं और मुझे दूसरे विधेयकों का ज्ञान नहीं है। एक विधेयक उत्तर प्रदेश बिक्री कर का सन् १९५६ में लाया गया था, दूसरा संशोधन विधेयक आज आपके सामने है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त---१९५४-५५ में बहुत संशोधन आये।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---संशोधन पहले होते रहे होंगे, मैं उनको नहीं कहता। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि सेल्स टैक्स प्रथम बार १९४८ में लगाया था और इसके लिये इस सदन के तथा दूसरे सदन के माननीय सदस्यों द्वारा जो भी सुझाव हमारे सामने आये हैं और जो कुछ भी सेल्स टैक्स में संशोधन हो सके, जिनको कि उचित समझा गया, वे संशोधन उसमें किये गये।

मैं माननीय कन्हैया लाल जी का ऋणी हूं कि उन्होंने कुछ सुझाव दिये और कुछ कठिनाइयां भी बतलाईं। मथुरा से मेरा भी सम्पर्क है और जिस प्रकार की उन्होंने शिकायत बतलाई है, वह वैसी नहीं थी लेकिन कुछ शिकायत थी और जो शिकायत मुझे मिली, वह रिटर्न वाले फार्म की शिकायत नहीं थी। जो शिकायत थी, वह यह थी कि वहां पर रजिस्ट्रेशन के फार्म उपलब्ध नहीं हैं। मेरे मित्र कन्हैया लाल जी इस बात को जानते होंगे कि जो भी शिकायत की जाती है, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर हमारे सामने रखने की कोशिश की जाती है। यानी कन्हैया लाल जी से जिन्होंने इसकी चर्चा की होगी, उन्होंने उसे बढ़ा चढ़ा कर कर कहा होगा और ऐसी लोगों की आदत सी होती है। मुझे मालूम है कि वहां पर रजिस्ट्रेशन के फार्म नहीं थे, लेकिन वे फार्म बाजार में मिल रहे थे।

श्री कन्हैया लाल गुप्त---मुझसे तो ऐसा ही कहा गया।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---मैंने तो स्वयं कहा कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहने की लोगों की आदत सी होती है। यह सही है कि वह फार्म वहां मुफ्त में मिल जाता है, लेकिन बाजार में भी एक आना या दो पैसे में मिलता है। रजिस्ट्रेशन वाला फार्म बाजार में इस तरह से एवेलेबुल था। जो छपा हुआ फार्म है, उसे टाइप करा कर प्राप्त किया जा सकता है। कोई कठिनाई की बात नहीं थी, लेकिन किस्सा दूसरा था।

मैं इस छोटे से विधेयक के लिये अधिक समय नहीं लेना चाहता। लेकिन अपने माननीय मित्र से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बार वह लोग जो टैक्स इवेजन क आदी हैं, बहुत बार वह लोग जो रजिस्ट्रेशन अपनी फर्म का नहीं कराते और जब रजिस्ट्रेशन नहीं होता और उसके लिये दंड देने की बात आती है तो काफी शिकायत सरकार की होती है। फिर भी मैं अपने मित्र को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यदि वह मुझको कुछ भी बतायें अथवा माननीय वित्त मंत्री जी से चर्चा करें तो मैं सरकार की ओर से उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी उपयुक्त कदम हो सकते होंगे वह

उठाये जायेंगे। इस विधेयक की धाराओं के संबंध में कोई दो मत नहीं हैं वह बहुत निर्दोष है। मैं आशा करता हूं कि यह सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५७ ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस छोटे से विधेयक के तृतीय वाचन के मौके पर यह कोई आवश्यक नहीं था कि विशेष कुछ कहा जाय, लेकिन अभी जो माननीय मंत्री जी बता रहे थे उसमें उन्होंने यह बात स्वीकार की है कि टैक्स का काफी इवेजन होता है और उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि बावजूद काफी कोशिश करने के, कानून में तरमीम करने के बाद भी इवेजन होता है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--आन एप्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मैंने कभी कोई असमर्थता प्रकट नहीं की।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--आपने असमर्थता नहीं प्रकट की लेकिन वह ऐक्शन में यही है कि होता नहीं है। इस प्रदेश की समस्त जनता की तरफ से जो व्यापारियों का डेलीगेशन माननीय वित्त मंत्री जी से मिला था, उसने सुझाव दिया था कि हम टैक्स बचाना नहीं चाहते बल्कि यह भी प्रार्थना नहीं करते कि उसमें कमी कर दी जाय, भले ही जिस चीज पर टैक्स लगा हुआ है उसको दो पैसे की जगह पर तीन पैसा कर दीजिए पर उसको उत्पादन की जगह पर कर दीजिए। इससे इवेजन भी भरसक रुकेगा और छोटे छोटे दूकानदारों को जो बहीखाते रखने पड़ते हैं, क्लर्क रखने पड़ते हैं उस तमाम परेशानी से वह बच जायेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट को जो तमाम स्टाफ रखना पड़ता है, उसकी चोरी को रोकने के लिये चेक पोस्ट इत्यादि कायम की गई है, इस तमाम सर दर्द से सरकार बच जायेगी और लोगों को इतना संतोष होगा कि वह आपको आशीर्वाद देंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि सरकार के धन का भी नुकसान न होगा और जनता की परेशानी भी दूर हो जायेगी। सरकार इन चीजों पर विचार करे तो क्या बेजा है। देश में जितने भी दूकानदार हैं उनकी तरफ से बार-बार सरकार से प्रार्थना की गई कि टैक्स बढ़ा दिया जाय तो हमको कोई एतराज नहीं होगा लेकिन उत्पादन की जगह पर ही वह लगाया जाय।

अब अध्यक्ष महोदय, होता क्या है कि सेल्स टैक्स की रेट में यूनीफार्मिटी नहीं है, किसी प्रदेश में कोई रेट है और किसी प्रदेश में कुछ और। मान लीजिए कि हम व्यापार करते हैं और आगरा के रहने वाले हैं और अपने प्रदेश में कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर २० रुपया टैक्स देना पड़ता है लेकिन वही चीज जब हम दिल्ली में खरीदते हैं तो ५ रुपया देना पड़ेगा। इसका नतीजा यह हुआ कि यहां की मंडियां बरबाद हो गई हैं और दूसरे स्थानों की मंडियां जैसे दिल्ली राजस्थान इत्यादि की खुशहाल हो गई हैं। इस तरह से यहां के व्यापार को क्षति पहुंची है। एक चेक पोस्ट का भी सजेशन दिया गया था। गवर्नमेंट ने उसको दो वर्ष के बाद माना। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उसमें भी लाखों रुपये का सरकार को नुकसान हो रहा है। यदि कोई एक ट्रक में कपड़ा भर कर लिये जाता है तो उसको ५०० रुपया देना चाहिये मगर वह ५ रुपया दे कर ही चला जाता है। तो आज हालत यह हो गई है कि

[श्री प्रेम चन्द्र शर्मा]

ईमानदार आदमी पिसा जा रहा है और बेईमान खुशहाल हो रहा है। हम देखते हैं कि एक ही चीज को एक व्यापारी ७ रुपये में बेच देता है और दूसरा साढ़े सात रुपये में बेचता है, तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस पर विचार करके सेल्स टैक्स को उत्पादन के स्थान पर ही लगा दें, तो लोगों को इससे बड़ा संतोष होगा।

श्री चेयरमैन---मैं माननीय सदस्यों को रोकना नहीं चाहता हूं, लेकिन बोलने की एक सीमा होती है। जो बिल पेश है उसी के सीमा के भीतर बोलना चाहिये। संशोधन विधेयक (amending Bill) की परिधि उन्हीं खंडों में सीमित है जिनका संशोधन हो रहा है। पुराने विधेयक की सब बातों पर विचार नहीं हो सकता। विशेष-कर तृतीय वाचन में तो अवश्य ही प्रस्तुत विधेयक की सीमा के भीतर ही रहना चाहिये।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जितनी बातें कही गयीं हैं वह बिल के स्कोप के अन्दर है। जिस समय बिल पेश था उसमें यह सजेशन दिये गये थे। इसलिये यह बिल के स्कोप के अन्दर है।

श्री चेयरमैन---एक बार जब चेयर ने निर्णय दे दिया तो फिर यह कहना कि वह गलत है उचित नहीं है।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा हुआ है तो मैं इसको स्वीकार करता हूं, ऐसी कोई मेरी मंशा न थी।

श्री वीरेन्द्र स्वरूप---जैसा कि आपने आदेश दिया है कि उसी के अनुसार ही मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो विचार मैं प्रकट करूंगा वह केवल बिल स संबधित होंगे। माननीय मंत्री जी ने इस बिल को पेश करते हुए अपने कुछ विचार प्रकट किये हैं और यह कहा कि ३१ मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब अध्यादेश जारी हुआ तो न्याय विभाग ने सरकार का ध्यान क्यों इस ओर नहीं दिलाया कि कोई भी ऐक्ट इस तरह का नहीं है। जब इस मामले में दो राय थीं तो क्या सरकार ने कोई कदम सुप्रीम कोर्ट में जाने का उठाया।

दूसरी चीज यह है कि न्याय विभाग की गलती हुई है, इसको स्वीकार किया जाना चाहिये। "To make bureaucracy powerful in day and out" गलती करने वाला समझता है कि उचित काम कर रहा हूं लेकिन सरकार का कर्तव्य है कि विभाग के अफसरों से कहे कि गलती हुई है और इस पर हाई कोर्ट का निर्णय भी हो चुका है। अगर आप हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं मानते हैं तो आपको उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिये था जिस कदम को आपने नहीं उठाया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि १५ दिन हुए, अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि टाईप फार्म्स यूज हो सकते हैं लेकिन सेल्स टैक्स आफिसर के यहां से एक प्रेस नोटिफिकेशन निकाला गया जब कि लखनऊ मरचेन्ट्स एसोसियेशन ने टाइप फार्म्स निकाले थे, कि छपे फार्म नहीं यूज किये जा सकते हैं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---किस फार्म के मुताल्लिक।

श्री वीरेन्द्र स्वरूप---शायद रजिस्ट्रेशन फार्म्स के मुताल्लिक था। यह एक गल्ती थी और सदन के सदस्य यदि कोई सुझाव देते हैं तो उसको सुना जाना चाहिये। यह कहना कि किसी की गलती नहीं थी जब कि पेरेन्ट बिल में ३१ मार्च था। "When the parent Act was not in force" हाई कोर्ट के जजमेन्ट के बाद भी यह कहना कि विभाग की कोई गलती नहीं थी तो यह सच्चाई पर परदा डालना है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--जो आपने रजिस्ट्रेशन फार्म के संबंध में कहा, मुमकिन है कि मुझे पता न हो, मैंने डिपार्टमेंट से अभी पूछा है। मैं उस जमाने की बात अर्ज कर रहा था जब वह प्रचलित था। वहां टाइप फार्म यूज किये जा रहे हैं और वह अवेलेबिल थे। ऐसा हो सकता है कि टाइप फार्म रजिस्ट्रेशन के लिये न यूज होते हों। अगर इस संबंध में कुछ कठिनाई होगी तो मैं आपके द्वारा इस सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अगर इस संबंध में कोई कठिनाई होगी जैसा कि माननीय कन्हैया लाल जी ने बताया, उनको पता लगवाऊंगा और उनको दूर करने की चेष्टा करूंगा। मेरा ख्याल है, इससे अधिक और कुछ नहीं कहना है कि न्याय विभाग ने एक काम किया और वह हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार ठीक नहीं था।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया है लेकिन अब भी दो राय हो सकती हैं। हाई कोर्ट का निर्णय तो सर्वमान्य होना चाहिये और यह कहना उपयुक्त न होगा।

श्री चेयरमैन--किसी भी प्रश्न पर विभिन्न रायें हो सकती हैं। यह कहना अनुचित नहीं है और न ऐसे शब्द असंसदीय ही हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह--On a point of order, Sir. डाक्टर ईश्वरी प्रसाद किस प्रोसीजर के अनुसार बोल रहे हैं?

श्री चेयरमैन--आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है?

श्री हृदय नारायण सिंह--थर्ड रीडिंग समाप्त हो गई। माननीय मंत्री जी बोल चुके। उसके बाद डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जो बातें कह रहे हैं वह किस नियम के अनुसार कह रहे हैं?

श्री चेयरमैन--फाइनल रिप्लाई (अन्तिम उत्तर) के पश्चात् साधारणतया कोई सदस्य नहीं बोल सकता, किन्तु डाक्टर ईश्वरी प्रसाद ने केवल एक प्रश्न माननीय उपमंत्री के भाषण के संबंध में किया था जिसका किसी भी सदस्य के भाषण के उपरान्त उस भाषण के स्पष्टीकरण के संबंध में कोई सदस्य चेयर की इजाजत से प्रश्न पूछ सकता है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--मेरा ख्याल है कि मैंने कभी नहीं कहा कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके विरोध में हमारी कोई धारणा है। उस निर्णय के बाद ही यह विधेयक सदन के सामने लाया गया है। मैंने हाईकोर्ट के निर्णय का विश्वास किया है। जो कार्य न्याय विभाग ने किया था उसमें दो राय हो सकती थी और उसके संबंध में हाई कोर्ट का निर्णय हो गया। जो न्याय विभाग के द्वारा कार्य हुआ उसके सम्बन्ध में दो राय थी। उसके सम्बन्ध में जो निर्णय हुआ गवर्नमेंट उससे नतमस्तक हुई है। मैंने हाई कोर्ट के प्रति असम्मान प्रकट नहीं किया। गवर्नमेंट उस निर्णय के प्रति नतमस्तक हुई है। इसलिये मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है?

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक* जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

---

* विधेयक के लिए देखिए नत्थी 'ग' पृष्ठ ५६५ पर।

सन् १९५७ ई० का हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संघटन) (संशोधन) विधेयक

श्री कैलाश प्रकाश (शिक्षा उप मन्त्री)--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५७ ई० के हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संघटन) (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, सन् १९५६ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पुनः संघटन का अधिनियम बना। वह अधिनियम २१ नवम्बर, सन् १९५६ को लागू हो गया। उस अधिनियम की धारा ८ में यह प्रविधान था कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन से काम को अपने हाथ में लेने के लिये एक इन्टरिम बोर्ड बनाया जाय। यह इन्टरिम बोर्ड नवम्बर सन् १९५६ में बन गया। धारा ११ में यह लिखा है कि यह इन्टरिम बोर्ड एक नियमावली बनायेगा। इस इन्टरिम बोर्ड के दो काम थे। एक तो यह नियमावली बनायेगा और दूसरा यह अस्थायी समिति का चुनाव करायेगा। फिर समस्त कार्य अस्थायी समिति को देकर समाप्त हो जायेगा। वह इन्टरिम बोर्ड बहुत दिन तक नहीं चल सका। अधिनियम में यह भी रख दिया गया था कि उक्त इन्टरिम बोर्ड चार महीने के अन्दर नियम बनायेगा और वह स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा और चुनाव का समस्त कार्य ६ महीने में करा देगा। जिस समय इन्टरिम बोर्ड बन गया और यह अधिनियम लागू हो गया तो हाई कोर्ट में एक रिट पैटिशन दी गयी। उसमें यह भी चीज रखी गई कि शासन को कोई अधिकार इस तरह का अधिनियम बनाने का नहीं है। श्रीमन्, वह रिट पैटिशन हाई कोर्ट में चल रही थी। वह जो चार महीने का समय था वह समाप्त हो गया। हाई कोर्ट ने इन्जेक्शन किया कि कोई कार्य न तो इन्टरिम बोर्ड करे न स्टेट गवर्नमेंट करे। यदि यह इन्जेक्शन न होता तो जो धारा ११ है उसमें यह व्यवस्था थी कि स्टेट गवर्नमेंट चार महीने के समय को बढ़ा सकती है और ६ महीने के समय को भी बढ़ा सकती है। हाई कोर्ट से को ऐसा इन्टेशन हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट इस पर कोई कार्य न करे चुनान्चे सब चीज स्थगित हो गई। जब यह परिस्थिति पैदा हुई तो जून में यह आवश्यक समझा गया कि एक आर्डिनेन्स निकाला जाय। एक अध्यादेश प्रसारित किया गया जून सन् १९५६ में। सात आठ दिन हुये हैं वह रिट पेटिशन रिजेक्ट हो गया है। काम चालू रखना था इसलिये वह आर्डिनेन्स जारी किया गया और सदन के सामने भी रखा गया।

उस आर्डिनेन्स को करने के पश्चात् यह आवश्यक है कि उसको एक अधिनियम के रूप में परिवर्तित किया जाय। उसी आवश्यकता को सामने रखते हुये यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत है। मैं समझता हूं कि इस पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो कारवाई होनी है, जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन का पुनः संघटन होना है, उसकी तो सदन ने स्वीकृति दे ही दी है। बीच में कुछ कानून की अड़चन होने की वजह से जो सदन की इच्छा थी उसको कार्यान्वित नहीं किया जा सका। अब उसको कार्यान्वित करने का यही तरीका है कि इस बिल को लाकर इस कार्य को पूरा किया जाय। इसमें यह दिया हुआ है कि जो चार महीने का समय इन्टरिम बोर्ड से दिया गया वह १२ महीने कर दिया जाय और जो ६ महीने का समय दिया गया था चुनाव कराने का उसको भी १२ महीने कर दिया जाय। मुझे आशा है कि इस विधेयक को माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं। लेकिन आज मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि आज जो तीनों विधेयक आये उन तीनों के पीछे एक-एक आर्डिनेन्स लाया गया था। हम आज एक आर्डिनेन्स डेमना रहे हैं। अभी माननीय डिप्टी मिनिस्टर महोदय जबकि वे ला डिपार्टमेंट को बड़े जोरदार शब्दों में डिफेंड कर रहे थे, तो कह रहे थे कि केवल उसी विधेयक के लाने से यह निष्कर्ष निकाल लेना कि ला डिपार्टमेंट गलती करता है, यह सही नहीं है। मैं तो समझता हूं कि

आज तो केवल एक विधेयक नहीं बल्कि तीन-तीन ऐसे विधेयक हैं जिनमें आर्डिनेन्स लाने पड़े। जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है मुझे याद है कि जिस समय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सम्बन्ध में जो विधेयक आया था उस समय माननीय हर गोविन्द सिंह जी उसको पारित कर रहे थे। मैंने उस समय भी कहा था।

(इस समय १२ बजकर ३४ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

आप जरा कानूनी तौर से अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिये, कहीं आगे ऐसा न हो कि चैलेन्ज हो जाय। फिर परेशान हों। उन्होंने कहा चैलेन्ज तो होता ही। जो चीजें आर्डिनेन्स के जरिये से की गईं अगर कोई एफिशियेन्ट ला डिपार्टमेंट होता, जरा भी दूरदर्शिता होती, तो ऐसा न होता। ये चीजें ऐसी होती हैं जिनमें पार्टी फ्रैक्शन पैदा होता है। पहले से इस बात का प्रावीजन इस विधेयक में किया जा सकता था कि जो मियाद चार महीने की गुजर गई और नियमावली नहीं बन सकी और आफिस बियरर्स का इलेक्शन नहीं हो सका, तो इन सब चीजों को रेगुलराईज किया जा सकता था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ला डिपार्टमेंट को ज्यादा इन चीजों की तरफ तवज्जह देनी चाहिये।

मैं ला डिपार्टमेंट को भी उतना दोषी नहीं समझता हूं। इसका मुख्य कारण यह है कि मैं स्वयं अगर एक मिनिस्टर की हैसियत से अपने डिपार्टमेंट की गलतियों को इगनोर करूं और उलटे उनकी प्रसंशा करूं तो ऐसी गलतियां करने में उनको जरा भी झिझक नहीं होगी। अकसर विधेयकों पर ऐसे नुक्स आते हैं और जो डिपार्टमेन्टल हेड्स हैं उनको यह चीज मालूम हो कि इसके ऊपर हमें सजा कुछ न कुछ मिल जायेगी, हम बजाय सेक्रेटरी के ज्वाइंट सेक्रेटरी या असिस्टेन्ट सेक्रेटरी हो जायेंगे या प्रोमोशन हमारा रुक जायेगा, ऐसी अगर एक आध सजा दी गई होती तो यह मनोवृत्ति सुधर गई होती। मैं भी प्रजातन्त्र में जानता हूं जैसा अभी एक डिप्टी मिनिस्टर ने हमारे सामने कहा, हर समय उपदेश देना ठीक नहीं है। मगर यह मैं जानता हूं कि एक पावर के साथ उपदेश होता है तो उसका कुछ और महत्व होता है और जो दूसरे उपदेश देते हैं जैसे कोई आर्डिनरी आदमी हो तो उसका कुछ और ही महत्व होता है। कहने का मतलब है कि अगर उन हेड्स पर सख्ती से निगाह नहीं रखी जायेगी तो आगे ऐसे ही गलतियां होती रहेंगी। आप जानते हैं जनता अपने प्रतिनिधियों से असंतुष्ट होकर आज जो लोग यहां बैठे हैं उनको हटा कर दूसरे लोगों को यहां बैठाने का प्रयत्न कर रही है और उसका आभास पिछले चुनाव में हो गया है। इसलिये अगर हम उनकी गलतियों पर उनकी प्रशंसा करते चले जायेंगे और उनको डिफेन्ड करते जायेंगे तो भविष्य में अच्छा नहीं होगा। आप में ऐसे डिफेन्ड करने की भावना नहीं होनी चाहिए। जहां तक विधेयक का ताल्लुक है, उसका तो मैं समर्थन करता हूं और यही चाहता हूं कि डिपार्टमेंट्स की तरफ से कोई गलती हो तो उनसे एक्सप्लेनेशन काल किया जाय और उनसे पूछा जाय।

श्री वीरेन्द्र स्वरूप—On a point of order, Sir.

This Bill was introduced, Sir, on July 24 last in this House, and if the proceedings before the High Court were pending on that date, discussion cannot proceed on that in this House. This is a matter which is *sub judice*. Under the injunction of the High Court, the State Government cannot do anything in this matter, but you are amending it to the same extent which the High Court prohibited.

श्री डिप्टी चेयरमैन—ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अनुसार न्यायालयों के विचाराधीन विषयों पर विधेयक विधान मंडल में न लाये जा सकें।

श्री हृदय नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन एक विश्व विद्यालय का रूप है और उसकी बाहर और यहां सब जगह

[श्री हृदय नारायण सिंह]

परीक्षायें चलती हैं। उस जगह पर अगर कोई दूसरा प्रबन्ध न किया गया होता, तो परीक्षायें रुक जातीं और इस तरह से हिन्दी साहित्य सम्मेलन का कार्य रुक जाता। इस सरकार ने उसकी जगह पर कुछ उपाय किया है, जिसका मैं समर्थन करता हूं। जो आगे चल कर आर्डिनेन्स की जगह पर बिल लाया गया है उसका भी मैं समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात इसके साथ कहना चाहता हूं। इस विधेयक में इन्टरिम बोर्ड का समय ४ महीने से बढ़ाकर १२ महीने का कर दिया गया है, जिसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। यह एक प्रकार की नयी प्रवृत्ति हम अपने प्रदेश में देख रहे हैं। यही बात गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में देखी गयी है। वहां पर एक कमेटी एक साल पहले स्टैट्यूट्स बनाने के लिये नियुक्त की गयी थी लेकिन विश्वविद्यालय का काम भी इस साल से शुरू हो गया है परन्तु उस कमेटी ने अभी तक स्टैट्यूट्स बना कर नहीं दिये हैं। अगर कोई एफिशियेन्ट बाडी यहां भी होती तो वह ४ महीने के अन्दर नियम बना लेती। एक तो यह देखा गया है कि सरकार अच्छे लोगों का चुनाव नहीं करती है और ये लोग भी स्वतः चाहते हैं कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाय। अब तो जो यह समय बढ़ाया गया है उसको बरदाश्त करना ही होगा लेकिन काम जल्दी होना चाहिये क्योंकि विलम्ब करने से व्यय भी बढ़ता है और परेशानियां भी बढ़ती हैं। केवल इतना ही कह कर बैठ जाता हूं और इस बिल का समर्थन भी करता हूं।

श्री पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है, अव्वल में इसकी बहुत जरूरत थी और जो हमारे राज्यपाल महोदय ने अध्यादेश निकाला है, वह समय की मांग थी क्योंकि हिन्दी साहित्य सम्मेलन आपसी गुटबन्दी में इस तरह से फंस गया है कि जिस संस्था की स्थापना करने में हमारे राजर्षि श्री टंडन जी ने इतनी मेहनत की है वह सारी की सारी मेहनत मिट्टी में मिलने जा रही थी। जब पहले भी इस सदन के सामने यह बिल आया था तो हाउस ने भी इसी नीयत से पास किया था कि जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन नष्ट होने जा रहा है, उसको बचाया जाय। यही मंशा सरकार की भी थी। आज जो यह अध्यादेश राज्यपाल महोदय ने निकाला है और अब जो बिल की शक्ल में हमारे सामने है, उसमें कोई ज्यादा एतराज की बात नहीं है। ४ मास की जगह पर १२ मास का समय रखा गया है, वह ठीक है। जैसा कि अभी काफी शिकायतें होती हैं कि कम समय रखा गया है, इसलिये इस कार्य की पूर्ति नहीं होती है, हमारे राज्यपाल महोदय तथा मन्त्रिमंडल ने इन सभी बातों को देखकर ही यह समय बढ़ाया है लिहाजा इस हिन्दी साहित्य सम्मेलन को बचाने के लिये यह जो अध्यादेश जारी हुआ, वह ठीक हुआ। इसमें जो एक साल का मौका दिया गया है वह ठीक दिया गया है। यह समय इसलिये लिया गया है ताकि ठीक नियम बनें और नियम बनने के बाद बाकायदा चुनाव करके इस संस्था को पब्लिक के हाथों में, दे दिया जाय। लेकिन बीच की जो झंझट है, उसको सरकार खत्म करना चाहती है। सरकार के लिये यह उचित था कि वह इस संस्था में अपना हाथ डालती, क्योंकि इसको ठीक तरह से चलाना है।

जहां तक कानून और कायदे की बात है तो बड़े-बड़े आदमियों से गलती होती है। आफिसर्स भी गलती करते हैं, इसीलिये तो यह हाउस बैठा है कि जब-जब वे गलती करें, उनको ठीक करता रहे और उनको हम कहें भी कि वह आयन्दा से ऐसी गलती न करें और मन्त्री महोदय उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--पुलिस वालों के लिये भी अब होता है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--पुलिस वालों के लिये भी है, कभी कभी कुंवर साहब उनकी तारीफ भी कर देते हैं, इसलिये मौके बे मौके अगर वे बदमाशी भी करते हैं तो उनको डांट देते हैं और जब कभी अच्छा काम करते हैं तो उनको शाबाशी भी मिलती है, हर बात में तो

उनको डांटना अच्छा नहीं है। इसलिये मैं दरख्वास्त करता हूं कि हाउस को इसे मंजूर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

*श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस अधिनियम का तो सभी ओर से स्वागत हुआ है, मुझे तो संक्षेप में इसका समर्थन करना है और केवल इतनी सी बात कह करके कि यह बड़ी अच्छी तरह से विचार किया गया था और जिस वक्त बिल सामने आया था उसका सब ओर से स्वागत हुआ था और सबकी यही इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी इस काम को, जो इतने दिनों से झगड़े के कारण रोक दिया गया है, फिर से चालू कर दिया जाय और इस लिये जो इन्टरिम बोर्ड बनने वाला था, इस अधिनियम के अनुसार, उसको केवल ४ महीने दिये गये थे ताकि इससे अधिक देर उसमें न लगने पाये और फिर चार महीने में नियमावली यहां आ जाय तो फिर सरकार की स्वीकृति मिल कर इसको वहां पहुंचाया जाय तो वह ६ महीने में अपना चुनाव कर सकते हैं तो यह चार और ६ महीने की अवधि इसीलिये रखी गयी कि जल्द से जल्द काम हो सके लेकिन जहां इतने दिनों तक रहने के बाद बिल के साथ साथ अध्यादेश आया है तो वहां रिट वाली चीज भी बीच बीच में आयी है। यह रिट ऐसी चीज है और इतनी होशियारी से की जाती है कि कितना ही बढ़ियासे बढ़िया कानून हो, उस कानून को रिट के जरिये से बन्द कर दिया जाता है। इसके कारण फिर कोई चारा नहीं रह जाता है और फिर उसमें ४ महीने क्या अगर १२ महीने का समय भी रखा जाता, तब भी ११वें महीने में रिट दायर करके इसको बन्द कर दिया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह रिट ऐसी चीज है कि मैं अपने ही जिले का उदाहरण दूं कि हमारे जिले मेरठ के बागपत तहसील में एक बड़ी भारी शूगर मिल बनने वाली है, उसका काम बड़ी तेजी से जारी हो रहा है और गवर्नमेंट ने और आसपास के लोगों ने बड़ी उत्सुकता से इस काम को कराया है। वह मिल इतनी बड़ी बनने वाली है कि ७१ लाख रुपये का उसके लिये प्लान्ट का आर्डर दिया गया है और वह आने ही वाला है। जहां वह प्लान्ट लगाना है, उसमें की लगभग सारी जमीन ले ली गयी है। जो एमरजेन्सी पावर्स हैं डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज को, उसके जरिये से उस जमीन को रोक रखा, लेकिन कुछ मित्रों ने जो कि शायद नहीं चाहते थे कि इस काम को हो जाना चाहिये, उन्होंने रिट दायर कर दिया, लिहाजा जिसके लिये १५ अगस्त का शुभ अवसर रखा गया था और अवश्य ही वह काम जारी हो जाता और जिसके लिये आसपास की जनता जोर करती रही थी और आशा करती रही थी कि इतना बड़ा काम कोआपरेटिव का हो जायगा, उसको इस रिट की वजह से बन्द कर देना पड़ा। तो रिट ऐसी चीज है कि चाहे कितनी ही होशियारी से कोई कानून बनाया जाय, उसमें चार महीने का क्या १२ महीने और दो साल का भी समय दे देते, तब भी इस होशियारी से रिट किया जाता कि वह काम बन्द हो जाता। इसीलिये न तो सरकार की तारीफ कर रहा हूं और न ला डिपार्टमेंट को ही डिफेन्ड कर रहा हूं, मैं तो केवल यह निवेदन कर रहा हूं सदन के सामने कि यह रिट ऐसी चीज है कि कानून चाहे सही भी क्यों न हो, उसके अन्तर्गत अध्यादेश सही तरह से बनाया गया हो, लेकिन उसकी वजह से सब मामला खटाई में पड़ जाता है। आजकल जो मैं रिट की क्रिटिसिज्म सुन रहा हूं, वो कि मैं उस जगह का नहीं हूं, उससे दूर का रहने वाला हूं, मुझे तो पूछने पर मालूम हुआ कि रिट आजकल इस कदर तेजी से बढ़ रहे हैं कि आजकल २० हजार रिट पेटीशन हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग में हैं।

हाईकोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है। यह जो बिल आया है, रिट का ही एक कारण है। अभी तक सारे कार्य हो जाने चाहिये थे, लेकिन नहीं हो सके। ला डिपार्टमेंट ने कोई गलती नहीं की है। मैं समझता हूं कि अब इस पर और अधिक कहने की जरूरत नहीं है, इतना कहने के बाद मैं इसका स्वागत करता हूं।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

श्री कैलाश प्रकाश--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं। क्योंकि सभी ने इस विधेयक का स्वागत किया है। लेकिन अपने सामने बैठने वाले मित्र श्री कुंवर गुरु नारायण जी की एक बात अवश्य कहूंगा। आपने अध्यादेश के बारे में यह कहा कि इसका लगाना ठीक नहीं है। आज जितने विधेयक यहां पर आये हैं, वे संभवतः सभी अध्यादेश को ही लागू करने के लिये हैं। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस के अतिरिक्त और क्या चारा था। हमारी यह इच्छा थी, यह ख्वाहिश थी कि कोई अन्तरिम बाडी बहुत दिनों तक उसके चार्ज में न रह सकें।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैंने आर्डिनेन्स के बारे में कुछ नहीं कहा है, बल्कि यह कहा था कि पहले ही से एन्टीसिपेट कर लेना चाहिये था।

श्री कैलाश प्रकाश--मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर एक चीज के लिये एन्टीसिपेट करने की आवश्यकता नहीं है। आज ख्वाहिश यह थी कि किसी अन्तरिम बाडी को साहित्य सम्मेलन के चार्ज में बहुत दिनों तक न रखा जाय। चार महीने में नियम बना कर भेज देना चाहिये था, बिल में इस बात का प्राविजन था, जो कि धारा १२ में है। इस धारा १२ के अतिरिक्त जो अन्तिम धारा १६ है, उसमें भी इस बात का प्राविजन था कि स्टेट गवर्नमेंट कोई कार्यवाही कर पाये, किन्तु अब हाई कोर्ट ने यह इंजेक्शन निकाला कि कोई कार्यवाही स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। इसलिये धारा १६ और धारा १२ के अंतर्गत भी कोई कार्यवाही नहीं हो सका। वरना इस सदन को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं होती। सरकार स्वयं इसकी अवधि बढ़ा सकती थी। सदन के माननीय सदस्यों को यह कष्ट देना पड़ा है, वह इसी इंजेक्शन के कारण देना पड़ा है।

दूसरी बात हमारे मित्र श्री हृदय नारायण जी ने कही है, यदि उसका विश्लेषण किया जाय, तो जो उन्होंने कहा है कि १२ महीने का समय क्यों रखा गया है, उसके लिये मैं कहता हूं कि यह समय तो कोई ज्यादा नहीं है। श्री हृदय नारायण सिंह जी ने कहा है कि १२ महीने का समय तो बहुत होता है।

श्रीमन्, मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, यह इन्टरिम बोर्ड नवम्बर सन् ५६ में बना। अभी ७,८ रोज पहले ही उसकी रिट खारिज हुई, अब वह जल्दी से जल्दी अपना कार्य शुरू करेगा। अगर हम १२ महीने समय नहीं रखते, तो कितना रखते क्योंकि जिस रोज से इन्टरिम बोर्ड कांस्टीट्यूट हुआ ८ मास के लगभग तो हो ही चुके हैं। वह नियम भी बनाये और चुनाव भी करा दे, तो इसके लिये इतना समय तो अवश्य लगेगा। इस स्पष्टीकरण के पश्चात मुझे आशा है कि मेरे दोस्त श्री हृदय नारायण सिंह जी इसको स्वीकार करेंगे कि १२ महीने का समय कोई लम्बा समय नहीं है यही दो बातें कही गई हैं। श्रीमान्, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इसका स्वागत किया और मैं आशा करता हूं कि अब वे इसे स्वीकार भी करेंगे।

श्री डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५७ ई० के हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संघठन) (संशोधन) विधयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कैलाश प्रकास--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५७ ई० का हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संघठन) (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

श्रीमन्, अब इस में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता तो नहीं है, मैं यह आशा करता हूं कि यह विधयक पारित किया जायगा।

श्री डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५७ ई० का हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संघठन) (संशोधन) *विधेयक को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* विधेयक के लिए देखिए नत्थी 'घ' पृष्ठ ५६७ पर।

सदन का कार्यक्रम

श्री डिप्टी चेयरमैन--आज अब और कोई काम नहीं है। कल ११ बजे से २ बजे तक फूड पर डिबेट होगी और ३ बजे से ५ बजे तक फ्लू पर डिस्कशन होगा।

अब कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १२ बजकर ५७ मिनट पर दूसरे दिन दिनांक २ अगस्त, सन् १९५७ ई० को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ,

शुक्रवार, १० श्रावण, शक संवत् १८७९
(१ अगस्त, सन् १९५७ ई०)

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पृष्ठ ५३४ पर)

घटना का विवरण

एक बारात एक लारी में, जो उन के लिये सुरक्षित थी, दिनांक ८ जून, १९५७ को बांगरमऊ से लौट रही थी। शाम को ७ बजे यह लारी ग्राम थाना तथा दोस्तीनगर के बीच एक स्थान पर जो सफीपुर रोड पर उन्नाव से पांच मील पर है, पहुंची। एक हेड कांस्टेबिल और कांस्टेबिल ए पी हेड कान्स्टेबिल के भतीजे के साथ वहीं खड़े उन्नाव के लिये सवारी की बाट जोह रहे थे। लारी को देखकर उन्होंने उसे रोकने के लिये इशारा दिया, लारी रुक गई। लारी के अन्दर लोगों ने उनके आने का विरोध किया, क्योंकि लारी उनके लिये सुरक्षित थी किन्तु ड्राइवर क समझाने पर इन लोगों को लारी पर बैठा लिया गया और लारी उन्नाव की तरफ चली। थोड़ी देर में बारात वालों ने यह आरोप लगाये कि शराब की बदबू इन लोगों के मुंह से आ रही है और वहां बैठना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाये कि हेड कांस्टेबिल के भतीजे के पास जो झोला है उसमें शराब रखी है इस पर कहा सुनी हुई और कहा जाता है कि कांस्टेबिल को तथा हेड कांस्टेबिल के भतीजे को बारात वालों ने चपत भी मारे। हेड कांस्टेबिल तथा कांस्टेबिल ने लारी से निकलने की कोशिश की परन्तु बारात वालों ने उनको इस इरादे से रोक रखा कि उनको डी० एस० पी० के सामने उनके बंगले पर, जो रास्ते ही में पड़ता था, पेश करेंगे। डी० एस० पी० के बंगले पर जैसे ही लारी पहुंची, वैसे ही बारात वालों ने रोक दिया और वह उन तीनों को जबरदस्ती डी० एस० पी० के बंगले के अन्दर ले गये। उन्होंने डी० एस० पी० के अर्दली से कहा कि वह उनको सूचना दे दे कि वह लोग उनसे मिलना चाहते हैं। उस समय शाम के ७॥ बजे थे और डी० एस० पी० क्लब में थे। बारात वालों ने उनके अर्दली से कहा कि वह उनको क्लब से बुला लायें। डी० एस० पी० के दो अर्दलियों में से एक लाइन गया और वहां जाकर उसने शोर मचाया कि जनता के कुछ व्यक्ति एक हवलदार तथा एक सिपाही को मार रहे हैं। और उन्होंने डी० एस० पी० का बंगला घेर लिया, मेस में जो पुलिस वाले खाना खा रहे थे सुनकर बिना किसी आज्ञा के डी० एस० पी० के बंगले की ओर दौड़ गये। पुलिस वालों ने बारात वालों से इन व्यक्तियों को छुड़ाने के लिये मार पीट कर डाली। उसी समय स्थानापन्न आर० आई० को भी सूचना मिली और उन्होंने तुरन्त कुछ पुलिस के लोग सूबेदार के साथ भेजे और वे स्वयं भी पीछे से पहुंच गये। इस पुलिस पार्टी ने जो पहिले अनधिकृत रूप से पुलिस वाले आये थे उनको बारात वालों से अलग किया। जब कि एक अर्दली लाइन गया था उसी समय दूसरा डी० एस० पी० को सूचना देने क्लब गया। एस० पी० भी वहीं उपस्थित थे। डी० एस० पी० तथा एस० पी० श्री रघुनाथ सहाय ए० डी० एम० (जे) अतिरिक्त सेशन जज की मोटर में बैठकर डी० एस० पी० के बंगले पर तुरन्त पहुंचे। तब तक झगड़ा समाप्त हो चुका था। उनको दो व्यक्ति वहां मिले जिनके नाम श्री रमा शंकर तथा श्री सूरज नारायण शुक्ला स्थानीय वकील थे। दोनों व्यक्तियों ने कहा कि उनके चोटें आई हैं और उनको अस्पताल पहुंचाया जाय। उस पर वे जीप में अस्पताल पहुंचाये गये।

Appendix 'A'

BRIEF ACCOUNT OF THE INCIDENT

(*See the answer of short notice starred qustion no. 3 on page* 534)

A marriage party was returning from Bangarmau on June 8, 1957 in a bus which was reserved for them. At about 7 p. m. the bus reached a place between villages Thana and Dostinagar about 5 miles from Unnao on the Safipur Road. One Head Constable and a Constable A. P. together with a nephew of the H. C. were waiting on the roadside for a lift to Unnao. On seeing the bus carrying the marriage party they gave it a signal to stop. The bus stopped. The occupants of the lorry objected to the police party getting into the bus as it was reserved for them. At the insistence of the driver, however, these people were allowed to board the bus and the bus then proceeded towards Unnao. After sometime the occupants of the bus complained that the policemen were smelling of liquor and that it was difficult to stand it. They also alleged that there was liquor in the Jhola that the nephew of the Head Constable was carrying. This led to some altercation and it is alleged that the constable and the nephew of the Head Constable were slapped by the occupants of the bus. On this the Head Constable and his party tried to leave the bus but the occupants prevented them from doing so because they intended to produce them before the Deputy Superintendent of Police whose bungalow was on the roadside. When the bus reached the bungalow of Deputy Superintendent of Police it was stopped and the members of the marriage party took the Head Constable and the two other forcibly inside the bungalow. They asked to see the Deputy Superintendent of Police. The time then was about 7. 30 p. m. and the Deputy Superintendent of Police was at the Club. The members of the marriage party asked the orderly of the Deputy Superintendent of Police to call the latter from the Club. One of the two orderlies of the Deputy Superintendent of Police went to police lines and raised an alarm that some members of the public were beating a Head Constable and a constable and had surrounded the bungalow of the Deputy Superintendent of Police. Some men who were having their meals in the police lines rushed to the Deputy Superintendent of Police's bungalow without receiving any orders to that effect and on reaching there they assaulted the members of the marriage party for the purpose of rescuing their comrades. Meanwhile the officiating Reserve Inspector sent a party of policemen in uniform under the Sub-Inspector A. P. and soon followed himself. This party intervened in the altercation and separated the members of the marriage party from the policemen.

When one orderly had gone to the police lines, the other orderly had proceeded to the Club to inform the Deputy Superintendent of Police. The Superintendent of Police was also present there. The Superintendent of Police, the Deputy Superintendent of Police and Shri Raghunath Sahai, Additional District Magistrate (J) went to the Dy. S. P.'s bungalow immediately in the motor car of

the Additional Sessions Judge. By the time they reached there the altercation was finished. These officers found only Sarvshri Rama Shanker and Suraj Narain Shukla Vakil at the spot. Both these persons desired to be sent to Hospital at once. They were accordingly sent there in a jeep.

नत्थी "ख"

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, १९५७

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ]

कतिपय प्रयोजनों के निमित्त १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को संशोधित करने का

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१।

विधेयक

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के निमित्त, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के अधीन गवर्नर ने उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) अध्यादेश, १९५७ प्रचारित किया था,

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१।

और यह इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल के अधिनियम की व्यवस्था की जाय,

अतएव भारतीय गणतन्त्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) उन क्षेत्रों को छोड़कर, जो ७ जुलाई, १९४९ को यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के उपबन्धों के अधीन किसी म्युनिसिपैलिटीज अथवा नोटिफाइड एरिया में अथवा कैन्टूनमेंट ऐक्ट, १९२४ के उपबन्धों के अधीन किसी कन्टूनमेन्ट में अथवा यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के उपबन्धों के अधीन किसी टाउन एरिया में सम्मिलित थे, इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६। ऐक्ट २, १९२४। यू० पी० ऐक्ट २, १९१४।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५१ की अनुसूची ५ के परिच्छेद २ का संशोधन।

२—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की (जिसे आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) अनुसूची ५ के परिच्छेद (Para) २ में—

(१) उप-परिच्छेद (sub-para) (१) में शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९५६ के पूर्व के स्थान पर शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९५७ अथवा ऐसे अन्य दिनांक के पूर्व जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे", रख दिये जायं तथा सदैव से ही रक्खे हुये समझे जायं, तथा

(२) उप-परिच्छेद (३) में शब्द "उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५४ के प्रारम्भ के दिनांक पर" के स्थान पर शब्द "धारा २४६ के अधीन" रख दिये जायं तथा सदैव से ही रक्खे हुये समझे जायं।

उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५१ की अनुसूची ५ के परिच्छेद ४ का संशोधन।

(३) मूल अधिनियम की अनुसूची ५ के परिच्छेद ४ के उप-परिच्छेद (१) में शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९५६ के पूर्व" के स्थान पर शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९५७ के पूर्व अथवा ऐसे अन्य दिनांक पर जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे" रख दिये जायं तथा सदैव से ही रक्खे हुये समझे जायं।

उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५१ की अनुसूची ५ के परिच्छेद ४-क का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की अनुसूची ५ के परिच्छेद ४-क में वर्तमान खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय तथा सदैव से ही रखा हुआ समझा जाय, अर्थात्--

"(क) अंक और शब्द '२० गुना' के स्थान पर अंक और शब्द "१५ गुना, रख दिये गये थे, तथा"

उ० प्र० अधिनियम सं० २, १९५१ की अनुसूची ५ में नये परिच्छेद ४-ख का रखा जाना।

५--मूल अधिनियम की अनुसूची ५ के परिच्छेद ४-क के पश्चात् निम्नलिखित नये परिच्छेद ४-ख के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

"४-ख--(१) १३६३ फसली के खसरा या खतौनी में तथा जब उस वर्ष ऐसा कोई अभिलेख तैयार न किया गया हो, तो सबसे अन्त में निर्मित खसरा या खतौनी में, निष्क्रान्त भूमि के अध्यासी के रूप में अभिलिखित कोई भी व्यक्ति कस्टोडियन को ३१ दिसम्बर, १९५७ के पूर्व अथवा ऐसे अन्य दिनांक के पूर्व जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे, ऐसी भूमि पर लागू मौरूसी दरों पर आकलित लगान के बीस गुने के बराबर (Twenty times the rent computed at hereditary rates) धनराशि देगा।

(२) उप-परिच्छेद (१) के अधीन दी गई धनराशि कस्टोडियन द्वारा सम्बद्ध इवैकुई (evacuee) के लेखे में जमा कर दी जायगी।

(३) यदि उप-परिच्छेद (१) के अधीन धनराशि का देनदार व्यक्ति --

(क) उसे तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर देता है तो वह उस भूमि का भूमिधर हो जायगा और उक्त भूमि पर लागू मौरूसी दरों पर आकलित लगान की आधी धनराशि के बराबर मालगुजारी का देनदार होगा, अथवा

(ख) तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर उसे अदा करने में असफल रहता है तो निष्क्रान्त भूमि (evacuee land) में उसके समस्त अधिकार, आगम तथा स्वत्व, यदि कोई हो, अपहृत (forfeit) हो जायेंगे और वह कस्टोडियन द्वारा ऐसी रीति से, मानों वह कस्टोडियन का पट्टेदार हो, बेदखल किया जा सकेगा तथा ऐडिमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० के बेदखली से सम्बद्ध समस्त उपबन्ध उस पर तदनुसार लागू होंगे।

ऐक्ट ३१, १९५०

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ३१ दिसम्बर, १९५८ के पश्चात् कोई भी बेदखली का नोटिस जारी नहीं किया जायगा।

स्पष्टीकरण—इस परिच्छेद में 'निष्क्रान्त भूमि' (evacuee land) का तात्पर्य ऐसी भूमि से है, जो निष्क्रान्त सम्पत्ति (evacuee property) हो किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भूमि नहीं है।

(१) कस्टोडियन के प्रदिष्ट गृहीता (allottee) या पट्टेदार के अध्यासन में भूमि, अथवा

(२) डिसप्लेस्ड पर्सन्स कम्पेंसेशन ऐन्ड रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, १९५५ के अधीन किसी विस्थापित व्यक्ति (displaced perso) को उसके बादे के उपलक्ष्य उस प्रदिष्ट भूमि, अथवा

(३) ऐसी भूमि जिसमें अनुसूची ५ द्वारा परिष्कृत १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १६ तथा २० के अधीन भूमिधरी के अधिकार अर्जित किये जा सकते हों।"

६—मूल अधिनियम की अनुसूची ५ के परिच्छेद ७ के पश्चात् निम्न-लिखित नये परिच्छेद ८ के रूप में बढ़ा दिया जाय—

उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५१ की अनुसूची ५ में नये परिच्छेद ८ का रखा जाना।

"८—धारा १५३ में किसी बात के होते हुये भी, कस्टोडियन अथवा केन्द्रीय सरकार, ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० अथवा डिस्प्लैस्ड पर्सेन्स कम्पेंसशन ऐन्ड रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, १९५५ के अधीन अपने में निहित भूमि में सीरदार के स्वत्व को, विक्रय द्वारा अथवा अन्य रूप से हस्तान्तरित कर सकते हैं।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार का कोई भी हस्तान्तरण तब तक नहीं किया जायगा, जब तक कि कोई व्यक्ति परिच्छेद २, ४, ४—क अथवा ४—ख के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि में भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी रहे।"

उ० प्र० अध्यादेश २, १९५७ का निरसन।

यू० पी० ऐक्ट सं० १, १९०४।

७—उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) अध्यादेश, १९५७ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानों कि यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसित एक विधायन (enactment) रहा हो।

उद्देश्य और कारण

निष्क्रान्त भूमि से सम्बद्ध १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की अनुसूची ५ पिछली बार भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५६ (अधिनियम संख्या १८, १९५६) द्वारा अधिवासियों को धारा २० (क) के अधीन कतिपय धनराशियां जमा करने के पश्चात् भूमिधरी अधिकार अर्जित करने के निमित्त समर्थ बनाने के प्रयोजन से संशोधित की गयी थी। निष्क्रान्त सम्पत्तियों के अंतिम निस्तारण को सुकर बनाने के निमित्त अब कस्टोडियन तथा भारत सरकार को उनमें निहित सीरदारी स्वत्वों के हस्तान्तरण का अधिकार देने की, तथा उसी प्रकार कतिपय अध्यासियों को वरिष्ठ अधिकार प्राप्ति (to acquire superior rights) का अवसर देने की व्यवस्था करना है।

२--- उपर्युक्त उद्देश्यों की व्यवस्था करने एवं कतिपय सन्देहों का निवारण करने के निमित्त एक लघु विधेयक विधान मंडल के विगत सत्र में पुरःस्थापित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ था। समय की कमी के कारण उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सका था। संशोधन महत्वपूर्ण प्रकार के थे तथा उनके प्रवर्तन में विलम्ब होने से निष्क्रान्त भूमि के अध्यासियों (occupies) की एक श्रेणी के स्वत्वों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था। अतः भारत के राष्ट्रपति के अनुदेशों के अधीन पूर्वोक्त विधेयक के उपबन्ध, उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) अध्यादेश, १९५७ (उ० प्र० अध्यादेश संख्या, २, १९५७) द्वारा प्रवर्तित किये गये थे।

३---अतएव उक्त अध्यादेश के स्थान पर यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

चरण सिंह,
राजस्व मन्त्री।

नत्थी 'ग'

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७
(जैसा कि विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित करने का

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८

विधेयक

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ को संशोधित किया जाय,

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८।

अतएव भारतीय गणतन्त्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट १९, १९५६ की धारा १ का संशोधन।

२--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा १ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय तथा इसे सदैव से ही रखा हुआ समझा जाय :-

"(२) यह धारा, धारा ३ का उतना अंश, जो संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की (जिसे एतत्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा ३ की उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबन्धक क प्रतिस्थापन (substitution) से सम्बद्ध है, तथा धारा ४, दिनांक ३१ मार्च, १९५६ पर तथा स, प्रभावी होंगी;

तथा धारा २, धारा ३ का अवशिष्ट भाग (remaining portion) धारायें ५ से ९ तक, तथा धारायें ११ से १५ तक, एतत्पश्चात् की गई व्यवस्था क अधीन रहते हुये दिनांक १ अप्रैल, १९५६ पर तथा से, प्रभावी होंगी;

तथा धारायें १० और १६ ऐसे दिनांक से प्रभावी होंगी, जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में नियत कर;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम की धारा १२ तथा १५ द्वारा किये गय संशोधन दिनांक १ अप्रैल, १९५६ के पहले के किसी वर्ष के कर-निर्धारणों के सम्बन्ध में भी प्रवृत्त होंगे, चाहे वे निर्धारण किसी स्तर पर पूरे हो गय हों या नहीं अथवा पूरे हो गये थे या नहीं।

उद्देश्य तथा कारण

उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ के साथ ही साथ संयुक्त प्रान्तीय बिक्री–कर ऐक्ट, १९४८ की संशोधित धारा ३–क के अधीन कतिपय विज्ञप्तियां भी ३१ मार्च १९५६ को प्रचारित की गई थीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में किये गये निर्णय में यह विनिश्चित किया गया है कि इनमें से कतिपय विज्ञप्तियां अवैध हैं, क्योंकि ३१ मार्च, १९५६ के दिन संयुक्त प्रान्तीय बिक्री–कर ऐक्ट की संशोधित धारा ३–क के अधीन, जो कि हाईकोर्ट के विनिश्चय के अनुसार वस्तुतः १ अप्रैल, १९५६ को प्रचलित हुआ, राज्य सरकार को ऐसी विज्ञप्तियां प्रचारित करने का कोई अधिकार ही न था। तदनुसार संशोधित धारा ३–क को ३१ मार्च, १९५६ से प्रभावी बनाने के लिये अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

अतएव यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम
वित्त मन्त्री।

नत्थी 'घ'

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संघटन) (संशोधन) विधेयक, १९५७

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संघटन) अधिनियम, १९५६ को संशोधित करने का विधेयक।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३६, १९५६।

उ० प्र० अध्यादेश १, १९५७। कतिपय प्रयोजनों के निमित्त हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) अधिनियम, १९५६ को संशोधित करने के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के अधीन राज्यपाल ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संघटन) (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ प्रचलित किया था।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३६, १९५६।

और यह इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल के अधिनियम की व्यवस्था की जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्ष-नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संघटन) (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३६, १९५६ की धारा ११ का संशोधन।

२—हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संघटन) अधिनियम, १९५६ (जिसे एतत्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ११ की उपधारा (१) में—

(१) अंक "४" के स्थान पर अंक "१२" रख दिया जाय तथा सदैव से ही रखा हुआ समझा जाय, तथा

(२) शब्द "अपनी स्थापना के दिनांक से ४ मास के भीतर" तथा तत्पश्चात् आने वाले शब्द "धारा ७ में निर्दिष्ट" के बीच में शब्द "अथवा ऐसी और अवधि के भीतर जिसे राज्य सरकार समय समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या ३६, १९५६ की धारा १२ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा १२ में—

(१) शब्द "छः" के स्थान पर शब्द "बारह" रख दिया जाय तथा सदैव से ही रखा हुआ समझा जाय, तथा

(२) शब्द "ऐसी बढ़ायी हुई अवधि के भीतर जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट कर दे" के स्थान पर शब्द "ऐसी और अवधि के भीतर जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश, १, १९५७ का निरसन।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४। ४—हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संघटन) (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है और यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसित एक विधायन (enactment) रहा हो।

उद्देश्य तथा कारण

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) अधिनियम की धारा ११ के अनुसार अन्तरिम मंडल को चार मास के भीतर सम्मेलन की प्रथम नियमावली निर्मित करनी थी तथा नियमावली के आलेख्य को राज्य सरकार के पास अनुमोदनार्थ भेजना था और राज्य सरकार इस पर विचार करने के पश्चात इसे संशोधनों सहित अथवा रहित, अनुमोदित कर सकती थी। अधिनियम की धारा १२ क अधीन अन्तरिम मंडल को (राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित) नियमावली क उपबन्धों के अनुसार ६ मास क भीतर स्थायी समिति का प्रथम निर्वाचन करना था। अन्तरिम मंडल ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि अधिनियम की वधता को चुनौती देते हुय एक रिट प्रार्थना-पत्र हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया गया था तथा हाईकोर्ट द्वारा एक समादेश (i junction) जारी किया गया था जिसमें राज्य सरकार को अधिनियम क अधीन कोई भी कार्यवाही करने स (जिसके अन्तर्गत अन्तरिम मंडल द्वारा निर्मित की जाने वाली नियमावली का अनुमोदन भी है) प्रतिषिद्ध किया गया था। चूंकि धारा ११ तथा १२ के अधीन निर्दिष्ट अवधियां समाप्त हो चुकी थीं, इसलिये मंडल द्वारा अग्रेतर कार्यवाही (futher action) नहीं की जा सकी। अवधियों को बढ़ाने के प्रयोजन से दिनांक २६ जून, १९५७ को गवर्नर द्वारा एक अध्यादेश प्रचरित किया गया था।

यह अध्यादेश ३० अगस्त, १९५७ को प्रभाव शून्य हो जायगा और इसके उपबन्धों को स्थायी आधार देने के निमित्त यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

कमला पति त्रिपाठी,
शिक्षा मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०—१४२ एल सी०--१९५८--८२० (प्रो)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

११ श्रावण, शक संवत १८७९
(२ अगस्त, सन् १९५७ ई०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (६३)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कृष्णचन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलूराम, श्री
नरोत्तम दास टण्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पीताम्बर दास, श्री
पुष्करनाथ भट्ट, श्री
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री
पृथ्वीनाथ, श्री
प्रतापचन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
बद्रीप्रसाद कक्कड़, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
बेगम एम० जे० शेरवानी, श्रीमती
मदन मोहनलाल, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
रामकिशोर रस्तोगी, श्री
रामगुलाम, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामनारायण पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
लल्लूराम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विश्वनाथ, श्री
वीरभान भाटिया, डाक्टर
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
व्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
व्रजेन्द्रस्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवप्रसाद सिन्हा, श्री
श्यामसुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार इन्द्र सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मंत्री, व उपमंत्री, जो कि विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे:—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत् व उद्योग मंत्री)।
श्री हुकुम सिंह (कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, सहायता व पुनर्वासन मंत्री)।
श्री सैयद अली जहीर (न्याय, वन, खाद्य व रसद मंत्री)
श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (सहकारी उपमंत्री)।
डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी (स्वास्थ्य उपमंत्री)।

सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित उर्दू पत्रिका 'नया दौर' की माह जुलाई, सन् १९५७ की प्रति में हादी हाली खां 'बेखुद' के एक शेर से समाज के एक वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुंचने की आशंका के संबन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव।

श्री चेयरमैन---एक एडजार्नमेन्ट मोशन का नोटिस श्री पीताम्बर दास ने दिया है, जो इस प्रकार है:---

"निवेदन है कि सदन के समक्ष में एक अत्यन्त, आवश्यक, महत्वपूर्ण तथा गंभीर विषय के संबंध में निम्नलिखित "काम रोको प्रस्ताव" प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।

पीताम्बर दास।"

"निजामत इत्तला आत उत्तर प्रदेश की जानिब से "नया दौर" नामक एक उर्दू रिसाला शाया होता है। माह जुलाई, १९५७ के रिसाला जिल्द १२ नं० ७ के सफे १६ पर "लखनऊ के मेले" उनवान से जनाब गोपीनाथ नारंग साहब का एक मजमून शाया हुआ है, जिस में "कैसरबाग के मेले" का तजकरा करते हुए बादशाह वाजिद अली शाह की तारीफ में सफा २४ के दूसरे खाने में सतर ६, ७ पर हादी हाली खां 'बेखुद' साहब का यह शेर लिखा गया है:---

"जो इस जोग का हुस्न वह देख ले।
तो सीता भी हजरत पे जोगन बने।।

माता सीता के प्रति भारतीय समाज में बड़ी धार्मिक, उच्च तथा श्रद्धा और पवित्रता की भावना है। इस शेर से इस भावना को ठेस पहुंच कर अत्यन्त क्षुब्ध वातावरण का निर्माण हो रहा है, जिससे प्रदेश की शान्ति को खतरा उत्पन्न होने का भय है।

इस पर विचार करने के लिये यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है"

यह एडजार्नमेंट मोशन का नोटिस है। इसके संबंध में सरकार अगर कुछ कहना चाहे कि यह एडजार्नमेंट मोशन लिया या न लिया जाय अथवा कोई स्टेटमेंट देना चाहे तो उसके बाद फिर मैं तय कर दूंगा। क्या यह कोई गवर्नमेंट पब्लिकेशन है?

श्री पीताम्बर दास (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)---जी हां, यह सरकारी पब्लिकेशन है। इसमें जो "निजामत इत्तला आत उत्तर प्रदेश" लिखा है, इसके म.ने "गवर्नमेन्ट आफ उत्तर प्रदेश की सूचनायें" है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत् व उद्योग मंत्री)---जब हम तीसरे पहर बैठेंगे तो उस वक्त अर्ज कर दूंगा।

श्री चेयरमैन---इस पर विचार २ बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

श्री पीताम्बर दास---अध्यक्ष महोदय, अगर इस मैगजीन की कापी को ट्रेस करने में कोई दिक्कत महसूस हो तो वह मैं दे सकता हूं।

सन् १९५७ ई० का इंडियन डाईवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक

श्री सैयद अली जहीर (न्याय, वन, खाद्य व रसद मंत्री)--Sir, I beg introduce the Indian Divorce (Uttar Pradesh Amendment Bill, 1957.

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति पर साधारण वाद-विवाद

श्री चेयरमैन--अब उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति पर आम बहस आरम्भ होगी।

*श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति के मुताल्लिक कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमें सामने रखना चाहिये और जिन बातों के ऊपर कोई मतभेद हमारे दरमियान और जो विरोधी दल के लोग हैं या जो सरकार पर एतराज करना चाहते हैं, नहीं होना चाहिये। पहली बात तो यह है कि वहां की जनसंख्या हमारे सूबे के जो और हिस्से हैं, उनके मुकाबिले में काफी ज्यादा है और यह एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। वहां पर गरीबी और लोगों के मुकाबिलतन ज्यादा है और आज से ही नहीं, बल्कि काफी जमाने से यह सूरते हाल चल रही है। वहां पर सरकार जो काम कर रही है और जो-जो कदम उठाये हैं वह सब को मालूम है। वे अभी मुकम्मिल नहीं हुए हैं। उसी के साथ-साथ दूसरी बात जो हमको अपने सामने रखनी है, बहस के सिलसिले में और जिसकी वजह से कोई एख्तलाफ आपस में नहीं होना चाहिये वह यह है कि वहां की खाद्य स्थिति खास तौर से गुजिस्ता एक, डेढ़ साल से बराबर इस लिये खराब हो रही है, क्योंकि कई किस्म की मुसीबतें वहां पर आईं। मसलन पहले सूखा पड़ गया, उसके बाद बढ़िया आ गयी, उसके बाद फिर पत्थर पड़ गये और फिर गलत जमाने में जो बोआई हुई, उस वक्त वहां पर ठंडी हवायें चल गयी, जिसकी वजह से, जो वहां की पैदावार थी और जितनी मिकदार में पैदावार होती थी, उसमें काफी कमी हुई और यही नहीं बल्कि बहुत सी पैदावार तो नष्ट हो गयी और जो पैदावार हुई उसकी मिकदार के साथ-साथ उसकी क्वालिटी भी काफी हद तक गिर गयी, यही सब बातें हमारे पेशे नजर हैं, इसकी वजह से वहां की खाद्य स्थिति खराब हो गयी और उसके लिये जो-जो इलाज सरकार को करना चाहिये था, वह हम कर रहे हैं और उसकी तफसील को मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। इस बात पर कोई मुख्तलिफ राय नहीं है कि वहां पर लोगों में परेशानी है और उनके लिये किसी न किसी सहायता की जरूरत है, जिसके जरिये से कि जो लोग जरूरतमन्द हैं, उनको अनाज मिले और उसका वह इस्तेमाल कर सकें।

तीसरी बात इसके साथ ही हमको यह भी याद रखनी है कि जहां तक हमारे पूर्वी जिले हैं, उनमें हमने अब तक काफी ऐसे काम भी किये हैं, जिससे कि उनकी हालत कुछ सुधरे और काश्तकारों की हालत बेहतर हो। मसलन, वहां पर भी सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान के सिलसिले में फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में काफी मिकदार में नये ट्यूबवेल बने हैं, जो कि बहुत जगह काम कर रहे हैं और जिनसे वहां की काश्तकारी ट्यूबवेल के जरिये से होती है। उसी के साथ-साथ, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा लेकिन ऐसा मालूम होता है कि मुख्तलिफ जिलों में सौ से ज्यादातर जिलों में ट्यूबवेल लग चुके हैं, कहीं-कहीं तो २२२ के करीब लगे हैं, कहीं १६० लगे हैं, कहीं १६१ हैं, कहीं १७६ हैं, फिर १८६ हैं, इसी तरह से और जगहों पर भी ट्यूबवेल लगे हैं, तो यह सब चीजें हुई हैं। इसके साथ ही साथ एक चन्द्र प्रभा डाम भी बना है, उससे भी कुछ

* मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

इर्रीगेशन का इन्तजाम हो रहा है। हमें यह भी याद रखना है कि हमारे सूबे में और खास तौर से पूर्वी जिलों में शूगर मिलों की काफी तादाद है, जिनके जरिये से कम से कम जो काप शूगर का होती है, उसको बेच कर के काश्तकार को काफी पैसा मिल जाता है और तकरीबन डेढ़ करोड़ या दो करोड़ इसके संबंध में कीमत की शकल में काश्तकारों के पास पहुंचता है। यह भी हमको याद रखने की जरूरत है कि जो हम इंतजाम कर रहे हैं उनमें बाज-बाज चीजें ऐसी हैं कि इन सब खराबियों के बावजूद भी अच्छी पैदावार जिनकी होती है और जो बाहर और सूबों में भी जाती है, मसलन दाल वगैरह और इसी किस्म की चीजें पैदा होती हैं, तो जब हम इन पूर्वी जिलों के सूरते हाल पर गौर कर रहे हैं तो इन सब बातों का अपने पेशे नजर रखना है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं है कि वहां के लोगों को इन सब मुसीबतों की वजह से तकलीफ हुई है, वहां पर कुछ क्रानिक डेफिशिएन्सी है, इस में भी कोई शक नहीं है और वहां पर इन बातों का ख्याल रखना है, वह एक हद तक है और उस हद से ज्यादा नहीं है।

चौथी बात मैं चाहता हूं कि आप पेशे नजर रखें, वह यह है कि जो स्कीम भी वहां पर चल रही है, आज फेयर प्राइस शाप और इसी तरह की खास किस्म की रिलीफ वहां पर लोगों को हम दे रहे हैं, उसकी निस्बत यह नहीं कहा जा सकता है कि वहां के हर बाशिन्दे को वह रिलीफ पहुंचे। वह वाकया यह है और इसकी इत्तिला मुझे अभी मिली है कि गेहूं का जहां तक ताल्लुक है इसके लिये हमारे यहां कानून हो गया है कि यह गेहूं इस सूबे के बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन और अनाजों के ऊपर इस तरह की पाबन्दी नहीं है। तो जो सहूलियतें हमने कर रखी हैं जिसके जरिये से अनाज पश्चिमी जिलों से पूर्वी जिलों को जायें, उसका फायदा दूसरे लोगों ने उठाया और उन्होंने, बजाय इसके, उस अनाज को पूर्वी अजलों में भेजें, वे उसको बंगाल और बिहार में भेज रहे हैं। इसके माने क्या हैं? इससे क्या नतीजा निकलता है? इससे तो यही नतीजा निकलता है कि आज वह इस अनाज को दूसरे सूबों में इसीलिये भेज रहे हैं क्योंकि उनको वह कीमत पूर्वी जिलों से नहीं मिलेगी और इससे ज्यादा अच्छी कीमत उनको दूसरे सूबों से मिलेगी। इससे यह भी पता चलता है कि हमारे यहां अनाज की कमी नहीं है, क्यों कि अगर ऐसा होता तो आज जो कीमत वह डिमान्ड करते हैं, वही कीमत उन को यहां भी मिल जाती। वे यह समझते हुए उस अनाज को दूसरे सूबों में भेज रहे हैं क्यों कि उनको वहां भेजने से ज्यादा मुनाफा होता है। उनको इस बात की परवाह नहीं है कि यहां के लोग कितनी तकलीफ और परेशानी में हैं। बहरहाल, यह महज एक इंडीकेशन है और जो हालत वहां की है, वह इतनी बुरी नहीं है, जितनी कि बाज वक्त उम्मीद की जाती है। यह एक खराबी जरूर है और इसमें शक नहीं है कि इस के लिये हम तजवीज कर रहे हैं और इसमें भी शक नहीं है कि इन बातों को पेशे नजर रखते हुए हम यह कोशिश करते हैं कि इस तरह से बाहर दूसरे सूबों में अनाज न जाने पाये। गालिबन सभी माननीय सदस्य इस बात से वाकिफ हैं कि जो गेहूं है, उस गेहूं को हम फेयर प्राइस शाप्स में भेज रहे हैं और वह गेहूं हमें गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से मिलता है। दूसरे मुल्कों से मंगा कर काफी मिगदार में वहां से गेहूं देश के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा जा रहा है। चुनांचे हमारी स्टेट में अगस्त सन् १९५६ से वह गेहूं भेजना शुरू किया गया। जैसा कि बुलन्दशहर के बारे में आपको याद होगा कि वहां पर जुलाई या अगस्त में जो बारिश हुई, तो ४० घंटे में वहां पर ३६ इंच पानी गिरा। तो उस साल वहां काश्तकारों की ही हालत खराब नहीं रही, बल्कि और जगहों में भी तबाही हो गई और जो अनाज गो डाउन्स में जमा था, लाखों करोड़ों मन सामान वहां पर जमा था, वह सब खराब और बरबाद हो गया। चुनांचे वहां पर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सहायता देना शुरू कर दिया और उसके बाद दूसरे सूबे की भी हालत खराब हुई,

तो सभी जगह बड़े-बड़े शहरों में फेयर प्राइस शाप्स खोल दिये गये। अप्रैल, सन् १९५७ तक ऐसे शाप्स खुलते रहे और उसने हमारे यहां गेहूं की डिमान्ड को पूरा करने के लिये उस समय ३,७४,९५५ टन गेहूं दिया। २१ जून, सन् १९५७ को यहां के लिये ३,३३,७६२ टन दिया गया, लेकिन वह सब यहां पहुंच नहीं सका और उस जमाने में जो हम महीने, दो महीने के लिये तकसीम करते रहे, तो हम २१ हजार टन मुख्तलिफ दूकानों में बांटते रहे। उस वक्त शुरू में गवर्नमेंट आफ इंडिया का कोई ६० हजार टन, जो सेन्ट्रल रिजर्व डिपो हैं, उसमें रखा होता है। बीच में यू० पी० में जोन्स बनाये गये और जब यू० पी० के लिये जोन बना, तो यह तय हुआ कि गेहूं यू० पी० को नहीं देंगे, बल्कि बिहार को देंगे। बीच में बहुत कमी हुई और इतना गेहूं नहीं आया, तो उसकी वजह यह है कि जो हमारे पोर्ट्स बम्बई और विजगापट्टम में हैं, उनमें कनजेसन ज्यादा हो गया।

गवर्नमेन्ट का मंशा यह है कि अनाज उन लोगों को मिले, जो गरीब हैं। जो लोग गरानी की वजह से परेशान हैं उनको वहां से अनाज आसानी से मिल सके। हमारे प्रदेश की आबादी काफी है, यह बात सब माननीय सदस्य जानते हैं। जो फेयर प्राइस शाप खोली गयी हैं उनका मंशा यह है कि जो लोग गरीब हैं और गरानी की वजह से महंगा अनाज खरीद नहीं सकते हैं, ऐसे लोग उन दूकानों से अनाज लेकर अपने बाल बच्चों का पेट भरें। हमारा यह मंशा नहीं है कि वहां से हर शख्स को अनाज मिले। जो लोग वाकई गरीब हैं और जिनको जरूरत है उनके लिये यह दूकानें हैं। बहरहाल, जो हमारे मुल्क की गरीबी है उसको दूर करना है, लेकिन यह एक लांग टर्म प्रासेस है और वह उस वक्त हो सकता है, जब सारे मुल्क की हालत अच्छी हो जायगी। इसके अलावा जो दूकानें खोली गयी हैं उनके खोलने का एक मंशा यह भी है कि बाजार की कीमतें ज्यादा न बढ़ने पायें। गरीबों को सस्ता अनाज मिले और बाजार की कीमतें ज्यादा न बढ़ सकें। हम यह नहीं चाहते हैं कि इन दूकानों के खोले जाने के बाद जो बाजार में अनाज की दूकानें या मंडियां हैं वह सब खत्म हो जायें। हमने तो कीमतों पर चेक रखने के लिये यह दूकानें खोली हैं। आपको मालूम होगा कि हमने एक यह भी स्कीम चलायी है कि जो फेयर प्राइस शाप हमने खोली हैं उनकी तादाद पहले कुछ कम थी अब और ज्यादा करने जा रहे हैं। यह बात मैं बाद में अर्ज करूंगा कि कितनी तादाद बढ़ायी गयी है। लेकिन इसके साथ-साथ एक बात मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो छोटे-छोटे तिजारत करने वाले हैं उनको जहां तक हो सकता है सरकार सहूलियत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मगरबी जिलों में अनाज की पैदावार काफी होती है और पूर्वी जिलों में इसकी किल्लत रहती है, इसलिये मगरबी जिलों से अनाज वहां पर पहुंचाया जाता है ताकि लोगों को आराम और सहूलियत मिले। इस वजह से वहां पर लोडिंग नहीं हो सकी। उसकी वजह से भी आने में देर हुई मगर खैर अब वह काफी मिकदार में आने लगा है। इसके अलावा कोई ४० हजार टन गेहूं ऐसे मुख्तलिफ मुकामात के लिये जो हमारे स्ट्रेटजिक मुकामात हैं वहां भेजने के लिये हमने अलग जमा कर रखा है इसके अलावा दस हजार टन हमने पूर्वी जिलों के लिये रवाना कर दिया है और वह वहां पहुंच रहा है। इसके अलावा कोई ५० हजार टन कोर्स फूड बार्ली और चना मिला हुआ यानी बेझर हमने खरीद लिया है और पूर्वी जिलों में उसकी मांग ज्यादा है वहां के लोगों को गेहूं पसंद नहीं है अगर खाते हैं तो मजबूरन खाते हैं। इस तरह से कोई १५ हजार टन तो जा चुका है बाकी जैसे जैसे जरूरत होगी हम भेजते रहेंगे। हमारा यह इरादा है कि ५ हजार टन कोर्स फूड ग्रेन इन अजला में हर जगह तकसीम करते रहें ताकि इससे लोगों को रिलीफ रहे। गेहूं कि जो पहली अगस्त से कीमत मुकर्रर हुई है वह दो सेर दस छटांक है। लेकिन जहां तक मोटे अनाज का ताल्लुक है, चने की कीमत रुपये की तीन सेर और बार्ली और बेझर रुपये का तीन सेर २ छटाक के भाव से बिकेगा। जहां तक चने का ताल्लुक है उसमें हमको एक रुपया अड़तीस नये पैसे फी मन की सबसीडी देनी पड़ेगी क्योंकि तीन सेर बाजार में नहीं है और दूसरे कोर्स ग्रेन में कोई ८८ नए

[श्री सैयद अली जहीर]

पैसे को सबसीडी देना होगा। यह तो मैंने बतलाया आप को पूर्वी अजला की सूरते हाल। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वहां हालत हमारे पहाड़ी अजला की है। वहां पर तो अनाज कभी काफी नहीं होता। वहां तो सैलाब वगैरह की आफतें आई इस लिये यह कमी बहतौर तौर पर है और उम्मीद यह है कि अगर बारिश अच्छी हुई और सैलाब वगैरह न आये तो इस साल फसल अच्छी होगी लेकिन पहाड़ी अजला में हमको अनाज बराबर भेजना पड़ता है। ४८४ दुकानें हमारी हिस्से में खुली हुई हैं जिनके जरिये से हम चीप फूड ग्रेन तकसीम कर रहे हैं। जहां तक और अजला हैं उनमें भी जो हमारी दूकानें खुली हुई हैं वह मैं आपको बतला दूं कि इस वक्त कितनी दूकानें हैं। मिर्जापुर में ११२ दूकानें हैं, वाराणसी में २१८, जौनपुर में १४८, गाजीपुर में १२४, आजमगढ़ में २१६ खुली हुई थीं, लेकिन वहां से मांग ज्यादा आई तो हमने २० दूकानें और बढ़ा दीं। बलिया में १०६ दूकानें खुली हुई थीं, वहां से मांग ज्यादा आने पर ३९ दूकानें और बढ़ा दीं। देवरिया में १७१ दूकानें खुली हुई थीं, वहां के लोगों ने और दूकानों की मांग की तो २० दूकानें और बढ़ गई। गोरखपुर में १८७ पहले से खुली हुई थीं, २० दूकानें और खोल दी गयी हैं। बस्ती में १६९ दूकानें खुली हुई हैं। इसके अलावा हमसे कहा गया कि बाज--बाज अजला में सरप्लस फूड ग्रेन हुआ है लेकिन बाज ऐसे हैं जहां कमी है, उनमें भी हमने और दूकानें खोल दी हैं। फैजाबाद में दस दूकानें, गोंडा में १२ दूकानें, प्रतापगढ़ में १० दूकानें हमने खोल दी हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि काफी इस कदर की दूकानें खुल गई हैं। इस वक्त तक उनमें कोई २९ हजार टन था और जैसे-जैसे फूड सप्लाई बढ़ती जा रही है कोई तीस हजार टन के करीब नाज इन अजला में भेजा जायगा और लोगों को वहां पर पहुंचता रहेगा।

एक चीज और आपसे अर्ज कर दूं कि इस वक्त यह सही है कि जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि चूंकि कई--कई मुसीबतें आई, पहले तो सूखा पड़ गया उसके बाद बारिश बहुत ज्यादा हुआ फिर ओले पड़ गये, लेकिन अगर आप कीमतों का मुकाबला करें जो इस साल हैं इन फूड ग्रेन्स की और जो पारसाल थीं तो पता चलता है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं है और बनारस में बाजार में जो गेहूं की कीमत है, वह बमुकाबिले मेरठ के जो एक सरप्लस डिस्ट्रिक्ट है, वहां से अच्छी है। इससे मालूम होता है कि हालत उतनी बुरी नहीं है। इन अजला की कीमत जहां कहा जाता है कि चीजें बहुत गरां हो गई हैं तो सिर्फ ५१ नये पैसे का फर्क होता है, गेहूं में, चना में ६१ नये पैसे और बार्ली में ६९ नये पैसे का फर्क पड़ता है। जो जुलाई में पारसाल कीमतें थीं करीब--करीब वही कीमतें इस साल भी हैं। इससे यह जरूर मालूम होता है कि लोगों को तकलीफें हैं। इन अजला में तो एक मुस्तकिल कमी रहती है। इस साल कुछ ज्यादा कमी होने की वजह से लोगों को ज्यादा तकलीफ हो गई है। हमने जिस जमाने में इसकी खबरें उड़ना शुरू हुई कि लोग भूखे मर रहे हैं, स्टारवेशन है तो हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ढाई हजार रुपया भेज दिया और कहा कि तुम इस रुपये को रखो और जब पता चले कि कहीं पर ऐसे डिस्टीब्यूट हैं तो उनकी मदद करना। यह इंस्ट्रक्शन कोई दो महीना हुआ, गये थे, लेकिन हमने आज जब इंक्वायरी की, कि क्या--क्या खर्च किया तो आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि ज्यादातर जिलों में एक पैसे की भी मांग नहीं आई। बनारस में कोई खर्च नहीं हुआ। गोरखपुर, बस्ती में से जवाब नहीं आया। मिर्जापुर में कोई खर्च नहीं है। जौनपुर से इत्तिला मिली है कि अब तक ५३०.३५ रुपये खर्च हुए हैं। यह रुपया बेवाओं और बच्चों पर खर्च किया गया है। आजमगढ़ से जवाब नहीं आया। देवरिया से भी जवाब नहीं आया, बलिया में कुछ खर्च नहीं हुआ। गाजीपुर से जवाब आया कि अब हालत ज्यादा खराब हो रही है और मुमकिन है आगे खर्च करना पड़े। हालत बावजूद बुरी होने के कुछ न कुछ

ऐसी हालत है जिसकी वजह से जो उपाय हमने लिये हैं उनसे किसी कदर तकलीफ रफा हुई है और गांवों में परेशानी और घबराहट नहीं है।

अनाज के बारे में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमको करीब ३० हजार टन देने का वादा किया था और वह आ गया और उम्मीद है कि हम ३० मन रोजाना उन दूकानों पर पहुंचा सकेंगे और उनको कोई दिक्कत न होगी और जरूरत होगी तो और दूकानें हम खोल सकेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे जो रिजर्व फंड हैं उनको हम बिल्ट अप कर रहे हैं और उनमें हम काफी मिकदार में अनाज पहुंचा रहे हैं जिससे कि अगर कभी ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हो जाय तो ऐसा न हो कि हमारे यहां कमी हो जाय। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया। अनाज मोहइया करने का मकसद यह नहीं है कि हर शख्स को करे लेकिन जहां जरूरी है और आइंदा जरूरत होगी वहां के लिये हमारे पास काफी मिकदार में अनाज है। इस काम में मैं माननीय सदन के सदस्यों से सहायता चाहता हूं कि आज कमी इस वजह से ही नहीं है कि हमारे पास अनाज है नहीं, या कम पैदा हुआ है बल्कि बड़ा बनिया जो है उसने अनाज को अपने पास दबा रखा है और इस वजह से कि गरानी होगी और निर्ख बढ़ेंगे। बहरहाल, यह मामला ऐसा है जो सिर्फ हमारे सूबे का ही नहीं है बल्कि सारे देश का है और इसलिये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी मुकर्रर की है, श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में, जो हर सूबे में जायेगी और निर्ख की जांच करेगी कि क्या वजह है कि कीमतें बढ़ रही हैं। वह सफर करने वाली है। पहले शायद वह बिहार जायेगी वहां जांच करेगी कि निर्ख क्यों ऊंचे हो रहे हैं। ओवर आल इंडिया प्रोडक्शन जो अनाज का है वह खराब नहीं है लेकिन फिर भी कीमतें बढ़ रही हैं इसको कैसे मीट किया जाय। इसी तरह से और तमाम ख्यालात उनके पास होंगे, जिस पर वह गौर करेंगे और ३ महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट देंगे। आज जो लोग ग्रेन डीलर्स हैं उन्होंने एक डार्क पिक्चर को हमारे सामने रखा है, क्योंकि उनको अपना मुनाफा देखना होता है। वह सोचते हैं कि जब अनाज बाजार में नहीं होगा तो निर्ख बढ़ेंगे और मुमकिन है कि उस वक्त उनको ज्यादा फायदा हो तो हमको इस टेंडेंसी को खत्म करना है और उनसे कहना है कि अगर तुम इस टेंडेंसी को खत्म नहीं करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ पब्लिक ओपीनियन क्रीयेट करेंगे और अगर इन्सान की मिजरी से तुम ट्रेड करोगे तो यह बात तुम्हारी एप्रीशियेट नहीं की जायगी। सरकार जो कुछ कर सकती है करेगी। जहां तक चावल का संबंध है सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक अख्तयार हमको दे दिया है यानी १००० मन से ज्यादा अगर स्टाक हो तो हम सीज कर सकते हैं, इसी तरह से चने के मुताल्लिक हम नोटीफिकेशन निकालने वाले हैं।

ये चीजें अभी तक हुई हैं लेकिन असली चीज जो है, जिसको रोकना है वह पब्लिक ओपिनियन तैयार करना है कि जो इस तरह की हरकत करते हैं उसको रोका जाय और खुद लोगों में यह जज्बा पैदा हो कि उसका फायदा न उठावें कि लोग तकलीफ में हैं, उसकी वजह से फायदा उठा कर थोड़ा पैसा और अपनी जेब में रख लें। यह जो गलत टेंडेंसी है उसको हमें रोकना है। बहरहाल, जैसा मैंने अर्ज किया, यहां की यह तस्वीर इ फूड ग्रेन की। मैं समझता हूं और मुझे इत्मीनान है कि जो कुछ सहायता हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी उसको देखते हुए और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको देखते हुए हमें उम्मीद है कि जो आइन्दा महीना आ रहा है ज्यादा गालिबन तकलीफ का होगा। बरसात के जमाने में कुछ दिक्कतें होती हैं जब तक फसल नहीं आती है उस वक्त तक के लिये हमें कुछ करना होगा। उसके लिये हम तैयार हैं और उसका साहस से हम मुकाबला करेंगे। देर में वर्षा हुई है लेकिन जब से बारिश हुई है उससे काफी फायदा है। उम्मीद है कि जो आइन्दा फसल होगी वह अच्छी होगी। जब अच्छी फसल होगी तो कुछ दिक्कतें दूर हो जायेंगी। उसको कोई नहीं जान सकता है। वह उम्मीद पर है। देखें क्या होता है। उसे इंतजार करना होगा। कोई बात परेशानी की हमारे सामने नहीं है।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की खाद्य समस्या की ओर अभी माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बहुत सी विस्तार से हम लोगों को बतलाया कि गवर्नमेंट वहां पर क्या-क्या कार्यवाहियां कर रही है। श्रीमन्, मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि जो फूड सिचुएशन है ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की, उसको गवर्नमेंट इम्पार्टेन्स को कम करके नहीं देखना चाहती है। अगर कोई फर्क है गवर्नमेंट के विचार में और अन्य लोगों के विचार में या गवर्नमेंट के जो बहुत से लोग हैं उनके विचारों में तो उनकी डिग्री में फर्क हो सकता है। यह सत्य है कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में जो खाद्य की कमी है वह एक क्रानिक डेफिसिट एरिया है। इस प्रदेश के उस हिस्से का दुर्भाग्य रहा शुरू से। ईस्ट इंडिया कम्पनी से लेकर अंग्रेजी राज्य के अन्त तक ऐसी स्कीमों को चलाने का प्रबन्ध नहीं हुआ जैसा होना चाहिये। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट बराबर नेगलेक्ट होता रहा। उसका कारण क्या है? अंग्रेजी जमाने में भी उधर के लोगों की हालत को अच्छा करने के लिये सुविधायें की जाती, लेकिन हो सकता है कि उधर के लोगों ने आन्दोलनों में ऐसा भाग लिया हो जिससे वे प्रेजुडिस हो सकते हैं। जिससे ऐसी योजनायें नहीं बनाई गई कि वहां की स्थिति संभले। लेकिन फिर भी सब कुछ देखते हुए हम आज यह कह सकते हैं कि तब से लेकर अभी थोड़े समय पहले तक, वहां उन जिलों की तरफ एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट बराबर रहा और कुछ दुर्भाग्य ऐसा है कि वह एरिया ऐसा लो लाइंग एरिया है कि वहां फ्लड्स आते हैं, सूखा पड़ता है और बहुत ज्यादा परिस्थिति वहां की गंभीर हो जाती है। तो इन सब बातों के देखते हुए मैं तो समझता हूं कि वहां की स्थिति वाकई संकटजनक है और वहां पर केवल थोड़े से फेयर प्राइस शाप्स खोलने से या थोड़े से टेस्ट वर्क्स चलाने से या रेमिशन देने से या अन्य इसी प्रकार का चीजों से कार्य नहीं चल सकेगा और कुछ ठोस तरीके से ऐसा कार्य करना पड़ेगा, जिससे मुस्तकिल तरीके से वहां की परिस्थिति संभल सके और वहां के लोगों की जो क्रय शक्ति कम हो गई है वह ठीक हो सके। जब क्रय शक्ति कम होती है तो कीमतें चाहे जितनी गिरी हों वे सब बेकार रहती हैं। हमारी योजनायें हैं। रिहंद डैम वगैरह हम लोग बना रहे हैं लेकिन वह एक लांग रेंज पालिसी है जब कि हम उन योजनाओं के जरिये से वहां की परिस्थिति को दुरुस्त कर सकेंगे। इन सब बातों को देखते हुए मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि यदि गवर्नमेंट एक फूड कमीशन को कायम करने से इन्कार करती है कि फूड कमीशन उसके लिये नियुक्त करे, मैं समझता हूं कि एक हाई लेबिल कमेटी आफिशियल्स की और नान-आफिशियल्स की इस प्रकार की बननी चाहिये जो कि इन पूर्वी क्षेत्रों के जिलों का दौरा करे। मौके पर जाकर वहां की परिस्थिति की जांच करे और गवर्नमेंट के सामने उन सुझावों को, जिनसे वहां की परिस्थिति सुधर सके और वहां के लोगों की हालत अच्छी हो सके, रखे। माननीय मंत्री जी अभी बतला रहे थे कि उन्होंने तमाम योजनायें बनाई हैं, बहुत सा गेहूं रखा है, फेयर प्राइस शाप्स खोली हैं और कीमतों के लिये उन्होंने कंट्रोल की व्यवस्था की है, लेकिन इन बातों के होते हुए भी यह जरूरी है कि हम यह देखें कि जो कुछ भी सरकार वहां कार्य कर रही है, जो गल्ला उन लोगों के पास पहुंचा रही है, वह उन लोगों के पास पहुंच रहा है या नहीं, जिन लोगों के पास वह पहुंचना चाहिये। ऐसा हो सकता है कि आज कल हमारी जो मशीनरी है वह इतनी करप्ट मशीनरी है कि बड़ा अंदेशा होता है कि जो कुछ सरकार कर रही है वह हो रहा है या नहीं। इस प्रकार की एक कमेटी बनाई जाय जो हाई लेबिल कमेटी हो। वह दौरा करे और इन सब चीजों की जांच करे कि जो कार्य सरकार कर रही है उसका पालन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं। जनता तक जो सहूलियतें पहुंचाने का प्रबन्ध किया गया है, वह पहुंच रही हैं या नहीं। ऐसी बातें हो सकती हैं कि टेस्ट वर्क्स खुले हैं। लेकिन टेस्ट वर्क्स खुलने के साथ-साथ मेरा ख्याल है कि श्री भारथम कुमारप्पा ने इस संबंध स्टडी करके यह कहा था कि टेस्ट वर्क्स ऐसी जगहों में खोल दिये जाते हैं कि जो दूर होते हैं। उनसे जिन लोगों को फायदा उठाना चाहिये वे नहीं उठा पाते। टेस्ट वर्क्स से जो मजदूरी

मिलती है, ४ आना पांच आना, वह भी इतनी कम होती है कि उससे वे लोग अपना भरण-पोषण नहीं कर सकते। इन सब बातों पर विचार करना चाहिये।

गवर्नमेंट के पास एक ही वर्जन है और वह अपने आफिशियल्स मशीन का है, दूसरा कोई वर्जन सरकार के पास नहीं है। मैं मानता हूं कि इस फूड के विषय को हमें राजनैतिक विषय नहीं बनाना चाहिये ऐसा माल मन्त्री जी ने एक आध स्थान पर शायद कहा है। जब ऐसा कहा जाता है तब हमें यह भी विचार करना चाहिये कि जब हम सब की मदद चाहते हैं तो हमें दूसरों की राय से अधिक से अधिक एसोसियेट करना चाहिये। माननीय मन्त्री जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने पहले ही जुमले में कहा कि हम ऐसा कह रहे हैं, मगर अपोजीशन के लोग कुछ न कुछ टीका टिप्पणी करेंगे। जब ऐसी भावना बन गई है कि गवर्नमेंट और अपोजीशन भिन्न-भिन्न चीजों को भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से देखती है, एक जगह वह नहीं पहुंच सकते तो यह उचित बात नहीं है। मेरा अपना विचार है कि अगर अपोजीशन की ओर से कुछ बातें कही जाती हैं और वह सत्य हैं।

[इस समय ११ बज कर ४७ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया।]

वह गवर्नमेंट या मंत्री जी के खिलाफ भी पड़ती है तो उनको सुनना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते और एक दूसरे की बात समझ नहीं सकते। जब एक दल कहता है कि ठीक है और दूसरा दल उसको लांछन समझता है। जब एक स्ट्रीम एक तरफ और दूसरी स्ट्रीम दूसरी तरफ, और बीच में कोई मीडियम मालूम ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा। अगर सरकारी पक्ष में इतनी क्षमता नहीं हुई कि वह विरोधी पक्ष की बातों को सहन करके चले, तो कैसे काम हो सकता है। यह बहुत जरूरी है कि उन चीजों को हम लेकर चलें। मैं कह सकता हूं और एक पत्र की बात है। मंत्री जी अपने वक्तव्य में एक जगह अपनी बात साबित करने के लिये फूड के मसले पर कहने लगे कि वहां के लोग सोना नहीं बेचना चाहते, वहां बैल और अनाज की कीमत गिर गई है, लैन्ड और कैटिल की प्राइस नहीं बढ़ा है, बहुत से लोग वहां से माइग्रेट भी नहीं कर सकत, इस तरह से अपनी बात को साबित करने लगे कि वहां की खाद्य समस्या बहुत ठीक है। जो कहते हैं कि ठीक नहीं है वह गलत हैं। श्रीमन्, मैं निस्संदेह यह कह सकता हूं कि क्रय शक्ति हमारे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बहुत गिर गई है और दिन पर दिन और गिरती जा रही है। बहुत से हमारे भाई जो यहां बैठे हैं, वह कहते हैं कि अभी भी पूर्वी जिलों में गरीब जो गल्ला खाता है, वह गोबरहा से निकलता है। पत्तियां खाकर लोग वहां अपना जीवन बसर कर रहे हैं। अगर कोई वाकई मर रहा है तो उसको धन दिया जाय और वह सब का सब रखा हुआ है सिर्फ एक जिले में खर्च किया गया है। मैं समझता हूं कि इससे निष्कर्ष नहीं निकलता है कि वहां की स्थिति अच्छी है। कलेक्टर के पास तो इस तरह के तमाम फंड पड़े हुए होते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि किस के पास रुपया है। कितने लोग कलेक्टर्स के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें रुपया दिया जाय? तो इस तरह की दलीलों से कार्य नहीं चलेगा। मैं यह जरूर महसूस करता हूं और यह समझता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट जो परिस्थिति है, उसको बिना लांग रेन्ज पालिसी बनाये पूर्वी जिलों की स्थिति को हल नहीं कर सकती है। लेकिन मुझे खेद है कि आज दिन परिस्थितियों पर हम विचार करने को विधान मंडल में बैठते हैं, उनमें एक ऐसा वातावरण पैदा नहीं होता है और हम एक दूसरे तरीके को रख कर बातें करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम एक दूसरे को सही काम में सहयोग नहीं दे सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार को बतलाना चाहता हूं कि जो और राजनैतिक दल यहां पर हैं और जिन राजनैतिक दलों ने वहां की परिस्थितियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है क्या उनको बुलाया गया है, उनको निमंत्रण दिया गया है और उनको सुविधा दी गयी है कि वे घूमें, और घूम कर वहां की परिस्थितियों का

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

अध्ययन करें। मंत्री जी जा सकते हैं और उनके कर्मचारी जा सकते हैं क्योंकि उनको भत्ता मिलता है लेकिन जो और विधान मंडल के लोग हैं उनको गवर्नमेंट तरीके से भेजा जाता और परिस्थितियों का ज्ञान उन्हें कराया जाता तो मैं समझता हूं कि कोई भी राजनैतिक दल उस जिम्मेदारी से इंकार नहीं कर सकता है। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि जो हम करेंगे वह स्वयं करेंगे और जनता पर असर डालना चाहते हैं कि हम इसको कर रहे हैं और दूसरे लोग सहयोग नहीं देना चाहते हैं। इन चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि परिस्थिति जो है वह ग्रेव है, उस पर हमें विचार करना चाहिये और यदि माननीय मंत्री जी ने किसी स्थान पर फूड कमीशन को नामंजूर किया है, वे उससे सहमत नहीं हैं, तो मैं जरूर इस अवसर पर जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि फूड कमीशन न हो तो आप एक हाई लेबिल कमेटी बनायें और उसमें दोनों सदनों के सदस्य, कुछ सरकार आदमी और एक्सपर्ट जिनको आप चाहते हैं उनको रखें और इस कमेटी से कहा जाय कि वह इस बात की जांच करे कि जो कार्य सरकार की तरफ से किये जा रहे हैं वे संतोषजनक हैं या नहीं और जो सुझाव दिये जा सकते हैं वह कमेटी मुस्तकिल तरीके से गवर्नमेंट के सामने रखे। गवर्नमेंट ने जो काम किया है, मैं कह सकता हूं कि वह जितना गवर्नमेंट सीमा के अन्दर था वह किया गया है। फेयर प्राइस शाप्स खोले गये हैं। मैंने वे आंकड़े देखे हैं जो माननीय मंत्री जी ने दूसरे हाउस में रखे हैं। रेन्ट रेमिशन में १ करोड़ की रकम है, २५ लाख रुपये फूड सब्सीडी में दिया गया और पौने तीन लाख रुपया दूसरी तरह की सब्सीडी में दिया गया है। दो हजार ग्रेन शाप्स खोली गयी और इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि सरकार की तरफ से की जा रही हैं। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि अपोजीशन का जो यह सुझाव है, उस पर आप गौर करें और उसको स्वीकार करें और उसको स्वीकार करने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी मेम्बर जो जरा भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता होगा, वह इस परिस्थिति से कोई बेजा राजनैतिक फायदा नहीं उठाना चाहेगा और हर प्रकार से सरकार को सहयोग देगा और अगर सहयोग नहीं भी दे पाता है तो उसका उत्तरदायित्व मैं तो कम से कम सरकारी पक्ष के ऊपर रखता हूं, वह इसलिये कि अगर सरकारी पक्ष में क्षमता नहीं है उन को बुलाने की और बुला करके इस तरह से कार्यों में शामिल करने की, तो वह सरकारी पक्ष का दोष है। फिर अगर इस प्रकार की एक कमेटी बन गयी तो मैं समझता हूं कि जो कुछ भी कार्य हो रहा है, उसमें इसकी जांच भी हो जायगी और हमको भी संतोष होगा कि जो कुछ भी सरकार कर रही है वह उन लोगों को, जो कि दुखी हैं, उनका दुख दूर करने के लिये वह आसानियां और सुविधायें दे रही है। मुझे इस संबंध में यही कहना है।

*श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मसला हमारे सामने है फूड का, मैं उसके संबंध में बिल्कुल एक दूसरी ही बात रखना चाहता हूं और वह यह कि जो यह समस्या है, इस समस्या का जो बुनियादी हल है, उस बुनियादी हल के लिये न तो अभी तक सरकार के सामने कोई ठोस सुझाव है और न इस बुनियादी हल के लिये हमारे मेम्बर साहबान ने कोई ठोस सुझाव दिये हैं। अभी हमारे दोस्त कुंवर साहब ने कहा कि इस समस्या को एक राजनैतिक समस्या नहीं बनाना चाहिये और मैं उनकी बात से पूरे तौर से इत्तिफाक रखता हूं। लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि आज यह समस्या एक पोलिटिकल पार्टीज की समस्या बन गयी है और वह एक ऐसी समस्या बन गयी है कि बजाय इसके कि यह फूड प्राब्लम की समस्या होती, यह पोलिटिकल प्राब्लम की समस्या बन गयी। जिस समय एक पार्टी इसको एक्जजरेट करती थी, उस समय तो यह समस्या इतनी नहीं बढ़ी, थी लेकिन

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

आज यह स्थिति इस दर्जे तक पहुंच गयी है कि और भी जितने लोग थे, चाहे वह कांग्रेस पार्टी से ही क्यों न हों संबंध रखते हों, इस समस्या को एक्जजरेट करने के लिये जितनी भी बातें हो सकती हैं, उन सब को वह जनता के सामने रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जहां तक ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का संबंध है उनका मुकाबला अगर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के स्टैंडर्ड आफ लिविंग से किया जाय तो पूर्वी जिलों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग बहुत नीचा है और इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी है, यही नहीं कि यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है या दूसरों के ही ऊपर है, अगर इसको गौर से देखा जाय तो तीन बटा चार जिम्मेदारी जो है वह पूर्वी जिलों के रहने वालों के ऊपर भी खुद पर है। अगर आप पूर्वी और पश्चिमी जिलों का मुकाबिला कीजिए तो आप देखेंगे कि पश्चिमी जिलों में डिगनिटी आफ लेबर है, उसका पहला स्थान वहां पर माना गया है। अगर पश्चिमी जिले का एक ५ सौ बीघे का भी जमींदार है तो वह खुद हल को ले जा करके खेती का काम करता है और उसको तरक्की पहुंचाने में हर तरह की कोशिश करता है लेकिन अगर पूर्वी जिलों में जा कर देखिए तो वहां पर जो सौ बीघे का भी मालिक होगा, वह राजा साहब का खिताब ले कर बैठ गया, ताल्लुकेदार बन गया, हालांकि ताल्लुकेदार अब समाप्त हो गये, लेकिन ताल्लुकेदार की जो बू थी और राजा साहब कहलाने की जो भावना थी, वह आज भी वहां पर बदस्तूर कायम है। अगर आप पूर्वी और पश्चिमी जिलों का मुकाबिला करें, तो आपको बहुत सी बातों में फर्क मालूम होगा। पूर्वी जिले में अगर किसी के पास ५० बीघा जमीन होगी तो वह अपने आप को ताल्लुकेदार समझने लगेगा और अपने खेत पर कभी भी काम करने के लिये लिये नहीं जायेगा। लेकिन पश्चिमी जिले में अगर किसी के पास ५०० बीघा भी जमीन होगी तो वह अपने खेत पर काम करने के लिये जायेगा। यहां पर लोग मेहनत करना चाहते हैं और वहां पर लोग अपने घरों में बैठे हुक्का पिया करते हैं और ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा एक बात, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि पश्चिमी जिलों से आप को ज्यादा मिलता है। ८० परसेन्ट रेवेन्यू आप को पश्चिमी जिलों से मिलता है और २० परसेन्ट आपको पूर्वी जिलों से मिलता है। पूर्वी जिलों में कभी बाढ़ आ गयी, कभी सूखा पड़ गया और कभी किसी और कारण पैदावार कम हुई, इसी वजह से वहां से रेवेन्यू कम मिलता है। गोरखपुर, बलिया, बस्ती वगैरह जो जिले हैं, इनकी रेवेन्यू को देख कर खुद मालूम कर सकते हैं कि क्या हालत है। इसके साथ ही साथ एक बात यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि जहां तक डेवलपमेंट के काम का सवाल है, वह यहां पर काफी होता है। इर्रीगेशन के काम को आप देख लें, तो आपको मालूम होगा कि यहां पर कितनी नहरें खोली गयी हैं और कितने टयूबवेल्स लगाये गये हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—आप तो कुछ ताल्लुकेदारों के बारे में कहना चाहते थे।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—जी हां, अब मैं जो बात कह रहा हूं उसको सुन लीजिए। यह मैं मानता हूं कि वहां पर गरीबी ज्यादा है। बांदा और हमीरपुर वगैरह के जो जिले हैं, वहां पर जो नहरें निकाली जाती हैं और जो टयूबवेल्स बनाये जाते हैं तो उसमें काफी रुपया लगता है, बमुकाबिले, पश्चिमी जिलों के, जो नहरें या टयूबवेल्स बनाये जाते हैं। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है कि वहां पर यह इर्रीगेशन का काम न हो, लेकिन जो लोगों की भावनायें हैं, उनको मैं ठीक नहीं समझता हूं। आज कल लोगों में यह भावना देखने को मिलती है कि अगर एक आदमी का मकान पक्का बना हुआ है और दूसरे के पास एक झोपड़ी है और छप्पर में रहता है तो लोगों की यह भावना होगी कि जो आदमी पक्के मकान में रहता है वह भी झोपड़ी में रहने लगे और पक्के मकान के बजाय वहां भी छप्पर नजर आने लगे। यह भावना लोगों की नहीं होगी कि जिस आदमी का घर फूस का है उसका भी पक्का मकान बन जाये, असल में होनी यही भावना चाहिये लेकिन होता इसका उल्टा है। पूर्वी जिलों में बाढ़ के नाम पर, गरीबी के नाम पर

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

और कम पैदावार के नाम पर प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा होता है। यही हाल आप शिक्षा का भी देखें। हम बरसों से चिल्ला रहे हैं कि मेरठ या रूहेलखंड यूनिवर्सिटी बना दी जाये लेकिन कोई नहीं सुनता है। जिन्दगी भर चिल्लाते हो गया, और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और उधर गोरखपुर यूनिवर्सिटी कायम हो गयी। मैं इस चीज को खराब नहीं कहता हूं, वहां पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिये। लेकिन इसके साथ ही साथ इधर का भी ध्यान रखना चाहिये। इन सब बातों का नतीजा यह होता है कि असलियत और हकीकत जो होती है वह सामने नहीं आ पाती है। हमारे यहां गंगा और जमुना ऐसी बड़ी बड़ी नदियां हैं और उनमें बाढ़ भी आती है, लेकिन आकर फिर ठीक हो जाती है। मुजफ्फरनगर में आप देखें तो आप को मालूम होगा कि कितनी जबर्दस्त बाढ़ आती है और आ कर खत्म हो जाती है और बाद में सब ठीक हो जाता है। बजाय इसके हम इसके लिये ढिंढोरा पीटते रहें कि हमारे यहां फ्लड आया, हमें कोई उपाय उसके लिये करना चाहिये। ढिंढोरा पीटने से क्या नतीजा हुआ? पूर्वी जिलों के छोटे-छोटे नालों में फ्लड आने पर हल्ला मचाया जाता है लेकिन हमारे यहां पश्चिमी जिलों में तो बड़े-बड़े नाले हैं उन में फ्लड आता है तो उसका बहुत असर रहता है। फ्लड में लोगों को तकावी दी गई और हमारे यहां कुछ कम्बल बांटे गये लेकिन अभी तक वे कम्बल नहीं पहुंचे उसके लिये हम ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखकर भेजा है। इस प्रकार के जितने भी प्राबलम्स हैं मेरे कहने का मतलब यह है कि उनको सही रूप में रखना ही ज्यादा अच्छा होता है। माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया कि पश्चिमी जिलों में जितनी गल्ले की मांग रहती है उसके अनुसार हम वहां पर फेयर प्राइस शाप्स खोलते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ पूर्वी जिलों की जो माली हालत है उसको भी हमें सुधारना बहुत जरूरी समझना चाहिये लेकिन पूर्वी जिलों के लिये और जो प्रोपेगेन्डा की बातें कही जाती हैं वह गलत हैं। जैसे कि कहा गया कि पूर्वी जिलों के लोग गोबर खाते हैं। मुझे इस को सुनकर हंसी आई और आश्चर्य भी हुआ।

श्री कुंवर गुरु नारायण---यह सही बात है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद---यहां कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां के लोग गोबर खाते हों, और इसका कोई एतबार भी नहीं कर सकता है। पूर्वी जिलों की चर्चा बजट के मौके पर आचार्य जी ने भी की, लेकिन उन्होंने नहीं बतलाया कि गोरखपुर के इलाके म लोग गोबर खाते हैं। मैंने तो अभीतक सुना नहीं कि किसी भी इलाके में, यहां लोग गोबर खाते हैं। एक माननीय सदस्य ने बजट स्पीच में यह भी कहा कि पूर्वी जिलों के लोगों ने सारे एशिया को बनाया तो फिर क्या वहां के लोग गोबर खा सकते हैं, यह बात तो मेरी समझ में नहीं आती है।

इस सम्बन्ध में दो तीन बातें मैं और अर्ज कर देना चाहता हूं और उनको मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं। एक बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बजाय इसके कि हमारे पूर्वी जिलों के जो भाई इस गलत या सही प्रकार के प्रोपेगेन्डा में फंसे हैं, उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाय कि जैसी डिगनिटी आफ लेबर पश्चिमी जिलों की है उनको भी उसी के अनुसार चलना चाहिये। पुराने जमाने की ताल्लुकेदारों की बहुत सी ऐसी जमीनें पड़ी हुई हैं जो कि आज बन्जर होती चली जा रही हैं, अगर उनको इस्तेमाल में नहीं लाया गया, तो वे तीन साल के बाद लैन्डलेस लेबर के पास चली जायेंगी क्योंकि इसके लिये हमारे माल मंत्री जी ने कानून बनाया है और

उसके लिये कहा है कि अगर तीन साल तक कोई जमीन बेकार पड़ी रहेगी, तो वह जमीन लॅन्डलेस लेबर को बांट दी जायगी। इस तरह की जमीन पूर्वी जिलों में बहुत हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--अब ताल्लुकेदार कहां हैं और उन के पास जमींदारी नहीं है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--लेकिन उनके पास सीर तो है। जो लैन्डलेस लेबर उनको वह जमीन दे दी जाय, जिससे कि उन जमीनों का ठीक तरह से उपयोग हो सके।

दूसरी बात यह है कि हर जगह, चाहे पश्चिमी जिले हों या पूर्वी जिले, इस तंगी के मौके पर, सट्टेबाज लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब भी फूड का प्राबलम होता है, तो वे लोग अपने पास अनाज भर लेते हैं, और मार्केट में जो फेयर प्राइस शाप्स खुलता हैं, उन के लोग सुबह से वहां पर सट्टेबाजों द्वारा बैठा दिये जाते हैं। वे लोग ५ रुपये का गेहूं खरीदकर ला सकते हैं और उसको वे लोग ज्यादा कीमत में बेचा करते हैं। इस प्रकार की भी वहां पर कोई देखरेख हो जिससे फेयर प्राइस शाप्स से सट्टेबाज या जमा करने वाले लोग, सारे का सारा गल्ला खरीद कर न ले जायें और जनता के सामने जो तकलीफ और मुसीबत पहले थी वह न रहे। इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि सरकार के सामने जब जब फूड की प्राबलम आती है, तो दो बातों पर निगाह जाती है और वह दो बातें यह कि गेहूं मंगाओ, चावल मंगाओ जो कोर्स ग्रेन है, जैसे चना और मटर जिस की खपत गरीब आदमी बहुत काफी संख्या में कर सकता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा गवर्नमेन्ट से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जितनी अहमियत वह गेहूं और चावल को देते हैं, उतनी ही अहमियत अगर वह कोर्स ग्रेन को दें और जो डेफसिट एरियाज हैं, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के देहात, खासतौर से, वहां पर कोर्स ग्रेन ज्यादा तादाद में बांटा जाय, तो मैं समझता हूं कि यह मसला हल करने के लिए ज्यादा आसान होगा। बजाय इसके कि हम यह ढूंढते फिरें कि इतनी पापुलेशन के लिए हम को इतने गेहूं की जरुरत है या धान और चावल की जरुरत है। गेहूं, चावल के हेरफेर में कोर्स ग्रेन को भूल जाते हैं। देहातों में गरीब आदमी आमतौर से चना और बेझर खाया करता है, और आज से नहीं बहुत समय से खाता चला आ रहा है, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यह बुनियादी बातें हैं जिनसे हमारे पूरब की स्थिति ठीक हो सकती है। इसके साथ ही साथ एक बात यह अवश्य होनी चाहिए कि कोई ऐसा मुस्तकिल और परमानेन्ट बेसिस इस मसले को हल करने के लिए होना चाहिए, जिससे रोज रोज यह समस्या हमारे सामने आकर न खड़ी हो। मैं समझता हूं इसका हल निकल सकता है, खांमखां के लिए इसे एग्जजरेट नहीं करना चाहिए, मुबालगामेज नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करके हम उन के काज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके काज को कम कर रहे हैं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--उपाध्यक्ष महोदय, हमें माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने सदन के सदस्यों को इस बात का मौका दिया कि इस बड़े भारी महत्वपूर्ण प्रश्न पर वाद विवाद किया जाय। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। इस पर वाद विवाद का तात्पर्य यह है कि हम इसकी ओर सरकार का ध्यानाकर्षित करें और अपने भाइयों में एक सहकारिता की भावना जागृत करें, जिससे सब लोग मिल कर जनता के कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करें। मैं समझता हूं कि ऐसे वाद विवाद का यही एक तात्पर्य हो सकता है। अब तक कई भाषण हुए। मंत्री जी ने भी हमको बतलाया कि सरकार क्या कर रही है, उन्होंने यह भी बतलाया कि इन पूर्वी जिलों की समस्या कठिन है, इसके उन्होंने कारण भी कई बतलाये।

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

मुझे इस बात से बड़ा संतोष हुआ कि सरकार ने इस बात की चेष्टा की कि लोगों का दुख दूर हो और इस प्रश्न पर गंभीरता के साथ विचार किया। हमारे तीन माननीय मंत्रियों के इस समस्या पर भाषण हो चुके हैं। कई और वक्तव्य भी हो चुके हैं। डाक्टर सम्पूर्णानन्द जो हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि स्थिति गंभीर है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। चौधरी चरण सिंह ने माना कि स्थिति गंभीर है, परन्तु उन्होंने उसके साथ और भी नमक मिर्च लगा दिया जिससे मालूम होता है कि उन्होंने इसको अहमियत नहीं दी। जो सदन में हमारे माननीय मंत्री ने भाषण दिया है बहुत संतोषप्रद है, उसे बहुत इत्मीनान हुआ है। उन्होंने कहा है कि पूर्ण रूप से सरकार कोशिश करेगी कि लोगों का दुख दूर हो। उन्होंने इसकी तफसील दी कि सरकार ने कितना अनाज बांटा है, कितना रुपया दिया है, कितना रिमीशन लैन्ड रेवेन्यू में दी है। इसे सुन कर मुझे प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने इस मामले को बड़ी अहमियत दी है और इस बात को समझती है कि पूर्वी जिलों में जनता अवश्य दुख से पीड़ित है। इतने भाषण सुनने के बाद यह सन्देह किसी को नहीं हो सकता है कि पूर्वी जिलों में लोगों को कष्ट नहीं है। मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रश्न पर बहुत निष्पक्षता के साथ विचार किया जाय। इसमें पार्टी का प्रश्न नहीं होना चाहिये। खाद्य का प्रश्न है, कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है, इस पर हम सब को इस तरह से विचार करना चाहिये कि जब हमारे भाषण उन लोगों के सामने जायं, जो दुख से पीड़ित हैं, जो मुसीबत में मुबत्तिला हैं, तो वह इस बात को समझें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने उनके दुख में संवेदना प्रकट की है और उनकी मुसीबत को दूर करने के लिये वह प्रयत्नशील हैं। हमारे भाषणों का यह प्रभाव होना चाहिये और मैं समझता हूं कि इसमें चाहे सरकार हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। कुंवर साहब ने बहुत सी बातें बताईं कि ऐसा ऐसा होना चाहिये और मैं उनसे सहमत हूं कि जितने भी उपाय हो सकें, इस कष्ट को दूर करने के लिये करने चाहियें। श्री प्रताप चन्द्र आजाद का भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उन्होंने उसको वह अहमियत नहीं दी है जो देनी चाहिये थी।

श्री कुंवर गुरु नारायण——ह्विप हो गये हैं इसलिये।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद——मुझे ऐसा ख्याल हुआ कि उन्होंने इस प्रश्न की गंभीरता पर विचार नहीं किया है। आपने कहा कि लोगों ने अतिशयोक्ति की है, गलत बयानी भी की है, लेकिन मेरा कहना है कि इस प्रश्न की गंभीरता को बाबू सम्पूर्णानन्द ने भी माना है। आजाद साहब ने कहा कि पश्चिम के जिलों में और पूर्वी जिलों में बहुत फर्क है और जो उन्होंने तुलना की है उससे भी ऐसा नतीजा निकलता है। कहा गया कि पश्चिमी जिलों के काश्तकार बहुत सम्पन्न हैं। ठीक है। पश्चिमी जिले आप जानते हैं, यह तो ऐतिहासिक बात है, भौगोलिक दृष्टि से अच्छी स्थिति में है और पश्चिम सदा सुखी और सम्पन्न रहे हैं। पहले जब अकाल पड़ता था और सात सेर का चना बिकता था, तो हाहाकार मच जाता था। कष्ट होता था, परन्तु थोड़े दिनों रहता था। पूर्वी जिले बहुत गरीब हैं। गोरखपुर, देवरिया को जाने दीजिए, उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप इलाहाबाद के माघ मेले में गये होंगे तो आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में भी लोगों की कैसी शोचनीय अवस्था है, लोग बाजरा कच्चा चबाते हैं और स्त्रियों के तन पर ओढ़ने को कपड़ा तक नहीं रहता है। मेरठ की नौचन्दी का मेला देखें, आगरे के मेले देखें, सब लोग अच्छा कपड़ा पहन कर आते हैं और अच्छा खाना लेकर आते हैं। पच्छिम और पूर्व में फर्क है। इसके कई कारण हैं। मवेशी पच्छिम में अच्छे होते हैं, गोरखपुर और देवरिया के ४ बैल हमारे यहां के १ बैल के बराबर हैं, होल्डिंग्स छोटी हैं। गोरखपुर और बस्ती

की जमीन चिकनी है और अधिक उपजाऊ नहीं है। परन्तु सरकार यह नहीं कर सकती है कि गरीब जिलों की अवहेलना करे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र प्रताप चन्द्र जी ने शायद पूर्वी जिलों के कष्ट का अनुभव नहीं किया। उनकी विचार धारा इस बात से अधिक प्रभावित हुई कि अतिरंजन अधिक होता है, गलत बयानी की जाती है। परन्तु आज प्रश्न गोरखपुर और देवरिया का नहीं है बल्कि सारे देश का है।यदि हम लोक सभा की बहस को देखें तो वहां भी इसकी चर्चा हुई कि एक जगह की स्थिति ऐसी नहीं है, यह समस्या सारे देश की है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर, छोटे से छोटे मंत्री तक ने इस बात पर अपना मत प्रकट किया है कि हमको क्या करना चाहिये। ऐसी स्थिति नहीं है कि जनता कष्ट में न हो। हमारे खाद्य मंत्री अजित प्रसाद जैन ने भी कई बातें ऐसी कहीं हैं। पहले वह कहते थे कि कोई चिन्ताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन अब उन्होंने भी बाजार के भाव को देख कर यह अनुभव किया है कि ऐसी हालत है कि आगे चल कर स्थिति खराब हो जाय और उसके लिये हम को कुछ न कुछ करना है। पार्लियामेंट के कई सदस्यों ने भौगोलिक कारण बताये और यह भी कहा कि दैवी आपत्ति के कारण यह हुआ, इनफलैशन के कारण, बैंक जो हैं वह अपना रुपया सट्टे बाजों को दे देते हैं, तो यह साफ है कि खाद्य स्थिति कठिन हो रही है। खाद्य मंत्री ने भी इसको स्वीकार किया है। कठिनाई अवश्य है। इसमें संदेह नहीं कि यह खाद्य समस्या सिर्फ पूर्वी जिलों में ही नहीं है, बल्कि सारे देश की यह समस्या है। पूर्वी जिलों में घोर कष्ट है इतना कहीं पर नहीं है। हमको उनके कष्ट निवारण के लिये प्रयत्न करना चाहिये। आप देखें कि आज बाजार में २० रुपये मन गेहूं का भाव है और बहुत से गरीब हैं जिनको ४०, ५० रुपया महीना की आमदनी है और बहुत से खेती पर निर्भर हैं, उनकी गुजर कैसे होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि इस प्रश्न को हल करने के लिये, समझने के लिये, और विचार करने के लिये हमको सहानुभूति के साथ सोचना चाहिये। हमारा दृष्टिकोण दूसरा होना चाहिये और हमको समझने की कोशिश करनी चाहिये कि हमारी समस्या क्या है। पार्टीबाजी भूल जाना चाहिये। जनता के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। जैसा मैंने कहा और मंत्री जी ने कहा कि भौगोलिक स्थिति का भी प्रभाव है।

कुंवर साहब ने कहा कि अंग्रेजी राज्य में उन जिलों की परवाह नहीं की गई। ऐतिहासिक दृष्टि से उन जिलों की बहुत समय से परवाह नहीं की गई। इतिहास का सारा दारोमदार इस गंगा जमुना के दोआब पर रहा है। जो बड़े बड़े राज्य कायम हुए और जो क्रांतियां हुईं वे अधिकतर इसी क्षेत्र में हुईं। गंगा जमुना का मैदान हमेशा से सम्पन्न रहा, लेकिन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की ऐसी हालत नहीं रही। आज सन् १९५७ में इन पूर्वी जिलों की क्या हालत है। उनकी स्थिति यह है कि अगर आप गोरखपुर को देखें तो वहां की आबादी बहुत ज्यादा है। २,४३७ वर्गमील क्षेत्रफल में २२,३८,१८० आदमी बसते हैं। बस्ती नैपाल की तराई से जुटा हुआ है। इसमें कोई बड़े उद्योग नहीं हैं। यहां की जनसंख्या २३,८८,००० है। जिले के कुल क्षेत्रफल १७,८९,१७१ एकड़ में से लगभग १३ या १४ लाख एकड़ पर खेती होती है। खेती में बस्ती का जिला पिछड़ा हुआ है। सन् १९४६ तक बस्ती जिले में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी, लोगों को अधिकतर वर्षा के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। १९४९ में जब "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन चला तब सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया और कुछ छोटे मोटे सिंचाई के साधन तैयार किये गये। मार्च सन् १९५१ तक लगभग ४६ हजार एकड़ का अतिरिक्त क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत आ गया। देवरिया जिला २०० मील तक फैला हुआ है। जिले की मिट्टी चिकनी होने के कारण अक्सर सूखा पड़ा करता है। सदन के लोग सोचेंगे कि यह प्रश्न कैसा कठिन है। कोई सरकार इसको जादू से हल नहीं कर सकती है। इसके लिये सब तरह के साधनों का उपयोग करना है। इसमें जो बहने वाली नदियां हैं, वे छोटी-छोटी हैं, जिनका हमारे एक मित्र ने अभी वर्णन किया कि हमारी

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

नदियों के सामने ये नदियां नाले की तरह से मालूम होती हैं, परन्तु बड़ी भयंकर हैं। ऐसी बाढ़ आती है कि जिससे खेती नष्ट हो जाती है। देवरिया जिले की आबादी २१,१०,२६७ है। भूमि के क्षेत्रफल को देखते हुए आबादी अधिक है फलतः भूमिहीन मजदूरों की संख्या में बराबर बृद्धि हो रही है। प्रति वर्ष इन जिलों के आदमी बड़े बड़े शहरों में फैक्टरियों में चले जाते हैं परन्तु एक बात जरूर हुई है कि जीवन संघर्ष के कारण किसानों में राजनैतिक चेतना काफी जागृत हो गई है।

अब प्रश्न पूछने वाले बहुत पैदा हो गये हैं कि कुछ आदमियों को इतना सम्पन्न क्यों होना चाहिये। यह असमानता क्यों होनी चाहिये। इस तरह के प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। इस विचारधारा का वहां पर प्रचार हो गया है। अंग्रेजी राज्य में इतनी चिल्लाहट नहीं थी। जनता अपने दुख को प्रगट करने में असमर्थ थी। उतनी राजनैतिक चेतना भी नहीं थी। इसलिये कोई व्यापक आंदोलन नहीं होता था, परन्तु आज स्थिति बदल गई है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। उसका कर्त्तव्य है कि उसके दुखों को दूर करे। इसीलिये आवाजें उठाई जाती हैं कि सरकार यह करे, सरकार को ऐसा करना चाहिये और सरकार कितना ही रुपया खर्च करे और ज्यादा रुपया मांगते चले जाते हैं। लेकिन इसमें किसी डिमाक्रैटिक गवर्नमेंट को बुरा नहीं मानना चाहिये। जनता तो मांगती ही है। इन्हीं जिलों में १४ चीनी के मिल हैं। हम ऐसा सोचते थे कि लोगों को चीनी के मिलों में रोजगार मिल जायेगा और इतना कष्ट न होगा। परन्तु यह आशा पूरी न हुई। आजमगढ़ का भी वही हाल है। २१ लाख की आबादी है जिसमें २० लाख आदमी देहातों में रहते हैं। सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। उनका रहन-सहन भी बहुत नीचा है। उनमें शक्ति भी इतनी कम है कि फौरन बीमार हो जाते हैं। बलिया में ५ आदमियों के परिवार के पीछे दो एकड़ जमीन का हिसाब लगता है। तो ५ आदमियों के पीछे दो एकड़ यानी साढ़े ३ बीघा पक्की जमीन आती है। इतनी कम जमीन से कैसे गुजर हो सकती है। यह दशा है। सिंचाई के साधन भी नहीं हैं। नहरें नहीं हैं। कुएं हैं। कभी २ अनावृष्टि हो जाती है। उपज भी बहुत कम है। यही कारण है ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की गरीबी का। इसलिये इसके डेवलपमेंट में देर लगेगी। इसमें सरकार को भी दोष नहीं दे सकते। वहां की स्थिति ऐसी है जिसमें समय लगेगा। परन्तु यह अवश्य है कि यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम देखें कि वहां पर खाद्य की समस्या को कैसे हल किया जाय ताकि लोगों को कष्ट न हो। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैंने भी अखबार में पढ़ा कि एक हरिजन का लड़का मर गया। लोग उसके घर गये तो देखा कि वहां महुआ था। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि २५ सौ रुपया मैजिस्ट्रेट्स को दिया गया। यह हो सकता है कि लोग मैजिस्ट्रेट के पास न पहुंचे हों। परन्तु यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार बैठी नहीं रही। उसने काफी कोशिश की। अगर मैजिस्ट्रेट अपने कर्त्तव्य का पालन न करे तो क्या किया जाय। वे आफिशियल और नान आफिशियल से पता लगा सकते थे कि क्या हो रहा है। उनको जांच करनी चाहिये कि कौन आदमी ऐसे हैं जो भूखों मर रहे हैं। आप जानते हैं कि कौमियत का भी असर पड़ता है। अन्य लोगों को जानना चाहिये था और कहना चाहिये था कि हमारी बिरादरी के लोग भूखों मर रहे हैं। अब हमारे प्रदेश की हालत देखिए। माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि ५० हजार टन स्टोर में है कोर्स सिरयल्स और ८० हजार टन अभी बाहर से आने वाला है। फारेन व्हीट गवर्नमेन्ट आफ इंडिया इम्पोर्ट कर रही है। उससे बड़ी मदद मिलेगी। अन्न का जो अभाव दिखाई देता है उसको हर तरह से दूर करने का प्रयत्न किया जायगा। जो कुछ भी सदन में कहा गया और जो माननीय मंत्री जी ने बताया उसमें कोई भेद नहीं है। असली प्रश्न कष्ट निवारण करने का है।

मैं मंत्री जी से कहूंगा कि फेयर शाप्स का प्रबन्ध हम लोग देख चुके हैं। फेयर शाप का प्रबन्ध बिल्कुल खराब होता है। आपने इलाहाबाद में सुना होगा कि बहुत से दूकानदार गेहूं अच्छा छान कर निकाल लेते थे और रद्दी गेहूं बेच देते थे। कौन देखने जाता है कि कैसा गेहूं है। फेयर शाप्स जो आपने खोली हैं वह बड़ा ही प्रशंसनीय काम है, मगर प्रबन्ध उनका अच्छा होना चाहिये। जैसा कि कुंवर साहब ने कहा कि चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप रुपया दे कर जनता की सहायता करना चाहते हैं, मगर बात तो उसमें यह है कि वह रुपया उनके पास तक पहुंचता ही नहीं, तो इस तरह से रुपया देने से कोई लाभ नहीं है। इसलिये आप अपनी मशीन को ठीक कीजिए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ अच्छे-अच्छे पब्लिक के लोग भी हों। यही नहीं कि कांग्रेस ही के हों, दूसरे लोग जिनको जनता के साथ हमदर्दी है उनको भी रखिए और देखिए कि जो आप सहायता देना चाहते हैं वह निःसहाय लोगों के पास पहुंचती है या नहीं। श्री चरण सिंह जी ने कहा कि एक करोड़ रुपया रेमिशन कर दिया गया और २·७ करोड़ रिलीफ में दिया गया है और अगर और जरूरत पड़ी तो और दूकानें भी खोली जायेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह काम इम्मीडिएट रिलीफ का है। डेमाक्रैटिक गवर्नमेंट को इस प्रश्न का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिये। छोटे छोटे मिनिस्टरों को यह काम दे दिया जाय क्यों कि बड़े-बड़े मिनिस्टर्स के पास बहुत काम है। फूड और फ्लड में जो संबंध है उसके ऊपर भी गौर करना चाहिये। कभी बाढ़ से, कभी अनावृष्टि से, कभी सूखे से भी पैदावार में कमी हो जाती है। जितनी डिमाक्रैटिक गवर्नमेंट्स होती हैं उसमें अध्ययन का काम किया जाता है, रिसर्च होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न के संबंध में गवर्नमेंट रिसर्च कराये और एक कमेटी बैठा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जो इस दुख के निवारण के लिये कोई उपाय बताये। आप देखते हैं कि हमेशा दोनों सदनों के सामने ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की समस्या आती है, उनके प्रति अधिक सहानुभूति की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें जनता के लोग सहायता नहीं करते। सभी आदमी इसको मानते हैं और सहायता करते हैं। मैं मंत्री जी से यही कहूंगा कि इस दुख को दूर करना चाहिये और इसे किसी पार्टी का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये। मैंने मुख्य मंत्री जी और अन्य मंत्रियों क वक्तव्य पढ़े हैं। किसी भी मिनिस्टर ने इस प्रश्न को पार्टी का प्रश्न नहीं बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, जब किसी को रोटी नहीं मिलती है तो ऐसे आदमियों को कभी-कभी झुंझलाहट आ जाती है और उसमें वह बहुत कुछ कह जाता है, उसका हमें बुरा न मानना चाहिये। सरकार के पास सभी प्रकार के साधन हैं, जिससे वह मालूम कर सकता है कि वास्तविकता क्या है और उस वास्तविक स्थिति को देख कर सरकार को काम करना चाहिये। हमारे यहां लिखा हुआ है कि भूखे लोगों से हमेशा डरना चाहिये। जब इंगलैन्ड में भुखमरी हुई तो वहां के लोगों से जोकि भूख के प्रति आन्दोलन कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि कौन तुम्हारा लीडर है, तो उन्होंने कहा कि 'पावर्टी इज आवर लीडर'। अर्थात् गरीबी हमारा नेता है। लोग गाली भी देने लगते हैं और अपशब्द भी कहते हैं। बुरा मानने की बात नहीं है। ये दीन जन दया के पात्र हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कहा गया है कि:—

बुभुक्षितः किं न करोति पापम्,
क्षीणा जनाः निष्करुणा भवन्ति॥

इसका अर्थ यह है कि भूखा कौन सा पाप नहीं कर सकता है और जब मनुष्य क्षीण हो जाता है, तो वह करुणाहीन हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, अब एक शब्द कह कर समाप्त करता हूं। अब हमको यह देखना है कि ऐसी स्थिति में ऐसे प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर के हमको इसे हल करना चाहिये क्योंकि अब हर जगह यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक आदमी इतना सम्पन्न क्यों है और दूसरा इतना दुखी क्यों है?

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

इस प्रश्न का उत्तर आपकी ही सरकार को नहीं देना है बल्कि सभी सरकारों को देना पड़ रहा है। इस प्रश्न पर विचार करने के लिये हमें बड़ी शांति तथा गंभीरता से काम लेना चाहिये और मैं समझता हूं कि सरकार अपने उद्योगों में किसी प्रकार से कमी नहीं करेगी।

*श्री जगन्नाथ आचार्य (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया है, यदि आप न होते तो हमें समय ही नहीं मिलता। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि आज पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति पर बात हो रही है। ये वही पूर्वी जिले हैं, जिन पर आक्षेप लगाया गया है कि वहां के लोग गुबराहा खा रहे हैं। बरेली तो एक विशेष स्थान है। वे भूल गये हैं कि पूर्वी जिले वही हैं, जहां पर संसार में अंहिसा का धर्म प्रचलित करने वाले महात्मा बुद्ध पैदा हुए हैं। चन्द्र गुप्त मौर्य भी गोरखपुर के रहने वाले थे और उस स्थान का नाम रामग्राम था। श्रावस्ती की याद मैं आप सबको दिलाता हूं। आज दुख है कि किसी परिस्थितिवश हम लोग इस दुर्दशा में पड़े हुए हैं। लेकिन:

जाके पांव न जाय बिवाई,
वह क्या जाने पीर पराई।।

जिसके पांव फटे न हों वह दूसरे की पीड़ा को कैसे जान सकता है। जैसा डाक्टर साहब ने कहा है और कुंवर गुरु नारायण जी ने भी कहा कि हमेशा यहां के लोगों ने संघर्ष किया है, तो यह बात सही है। यदि पूरे तौर से देखा जाय तो हमेशा गणतंत्र की स्थापना के लिये वहां के लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं। मंगल पांडे जो १८५७ की स्वतंत्रता के प्रथम शहीद हुए हैं वे देवरिया के रहने वाले थे। इस कारण हमेशा अंग्रेजी राज्य में, ये जिले उपेक्षित रहे हैं।

अब मैं मुख्य समस्या की ओर आता हूं। जो कुछ हमारी सरकार ने किया है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। अगर आज कांग्रेस सरकार न होती तो बंगाल जैसी हालत वहां की भी हो जाती। लेकिन जो कुछ भी वहां अव्यवस्था है वह प्रशासन की वजह से हो रही ह। उसको मैं एक-एक को साबित करूंगा। पूर्वी जिलों की जो समस्या है, वह बड़ी विकट समस्या है और उसके दो रूप होते हैं, एक तो अस्थायी रूप होता है, जिसको तात्कालिक भी कह सकते हैं और एक स्थायी रूप होता है। आज पूर्वी जिलों के विकास की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है, तमाम विकास के कार्य वहां पर हो रहे हैं, लेकिन वस्तुतः अगर देखा जाय तो क्या होता है, कि ट्यूबवेल वहां पर बन गये लेकिन उन के होते हुये भी आज क्या होता है कि कभी कभी यह खबर आती है कि हजारों मन गन्ना सूख जाता है। सरकार तो अवश्य इन्तजाम करती है, हमारे मंत्री महोदय तो बेचारे रात दिन, मर पच करके, मेहनत करके, इन्तजाम करके, पूर्वी जिलों की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करें, लेकिन उसके बावजूद भी आज यह होता है कि हजारों मन गन्ना सूख गया। उसका कारण क्या है, कारण यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि वहां पर जो ट्यूबवेल थे, वे डीजल इन्जन से चलते थे, उसके बाद कुंडरा घाट में बिजली पैदा करने के लिये पावर स्टेशन बनाने की योजना बनी, तो यह सोचा गया कि इन को डीजल इन्जन से न चला करके बिजली से चलाया जाय और अभी बिजली का स्टेशन बन कर पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है कि उससे पहले ही तमाम ट्यूबवेल के डीजल इन्जनों को हटा दिया गया जिसकी वजह से ट्यूबवेल बहुत दिनों तक काम नहीं कर पाये और खेती को बड़ा भारी नुकसान हुआ। इसके विपरीत दूसरी तरफ आप देखिये कि अभी हाल ही में सेन्ट्रल गवर्नमेंट से एक कमीशन नियुक्त हुआ कि वह तमाम ट्यूबवेलों की पूरी तरह से जांच करे जिसका नाम रखा गया भूगर्भ सर्वेक्षण आयोग।

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

उस कमीशन ने आजमगढ़ और बलिया दो तीन जिलों के ट्यूबवेल की जांच की और इन सब को मिला करके ११६ के करीब ट्यूबवेल्स की जांच करने के उपरान्त यह मालूम हुआ कि उनमें से कुल ३५ ही ऐसे थे जो कि ठीक निकले और ७२ ऐसे थे कि जिनसे पानी के साथ रेत आता था तथा २० में कीचड़ आता था। ट्यूब वेल खोदने के लिये यह आदेश दे दिये गये थे कि उनको ३०० फीट गहरा खोदा जाय, लेकिन वस्तुस्थिति यह थी कि जब उनको नापा गया तो यह प्रतीत हुआ कि उनको ढाई सौ फीट ही गहरा खोदा गया है और बाकी ५० फीट के लिये फर्जी वाउचर बना करके सरकार से पूरा रुपया वसूल किया गया, तो यह खराबी प्रशासन की है। फिर मुझे यह सुनकर भी आश्चर्य हुआ कि मंत्री जी ने कहा कि हमने कलेक्टरों को ढाई हजार रुपया सहायता के लिये दिया है और यह भी सही है कि सरकार की तरफ से उनको यह भी कहा गया था कि वह जहां पर भी चाहें सस्ते गल्ले की दुकान खोलवा सकते हैं, लेकिन जब जिलाधीशों को हमने पूछा कि फलां जगह पर सस्ते गल्ले की दूकान खुलवा दीजिये तो उनका यह उत्तर था कि हमको गल्ले की दूकान खोलने का आर्डर नहीं है और यहां पर यह हवाला दिया जाता है कि उनको आदेश है। गल्ले की दुकान क्या खोलेंगे, गल्ला तो बाहर भेजा जाता है। गल्ले के बारे में जब मैंने कुछ प्रश्न पूछे तो यह बताया गया था कि गोरखपुर में कुछ सस्ते गल्ले की दूकान खोलने के लिये आदेश दे दिये गये हैं, अब मैं आपको बताऊं कि वह दूकानें किसने खोल रखी हैं, वहां पर एक ऐसी दूकान है जोकि एक वैश्य पुत्र ने खोल रखी है। उसने कभी गल्ले की दूकान का काम तो किया नहीं तो वह क्या दूकान चला पायेगा। इसी तरह से बहुत सी ऐसी दूकान हैं जिनमें वे लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने कभी भी जिन्दगी में गल्ले की दूकान का काम नहीं किया होगा और उनका ऐसा इन्तजाम होता है कि ट्रक की ट्रक गल्ला जो बाहर भेजा जाता है, उसकी ओर माननीय मंत्री जी ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--आपने किसी को क्या ढाई हजार में से कुछ दिलाया ?

श्री कुंवर गुरु नारायण--कोआपरेटिव से भी ऐसा किया गया होगा।

श्री जगन्नाथ आचार्य--कोआपरेटिव पर भी लोग करते हैं, लेकिन कोआपरेटिव तो एक संघ होता है, जब लोग कुछ करेंगे तो उसमें वे अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेंगे। उसमें भी एक चीज का असर होता है और वह है वातावरण का। संघ में तो सब लोग मिल करके किसी काम को करते हैं, वह एक व्यक्ति का नहीं होता है। इस तरह से इन सब चीजों की जांच होनी चाहिये। जिलाधीशों को ढाई हजार दिया जाता है, उसमें कितनी दूकानें खोली जा रही हैं, इसको माननीय मंत्री जी ने कभी जांच द्वारा मालूम नहीं किया होगा। जब जिलाधीश को पूछा जाता है तो वह कहता है कि हमको कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिये होता क्या है कि जो लोग गरीब होते हैं उनकी हालत बहुत ही सोचनीय होती है, वे पत्ती खा करके, गोबराहा खा करके गुजर करते हैं। गोबराहा को शायद आप लोग समझे नहीं हैं। जो बहुत गरीब और हरिजन होते हैं वे चैत के महीने में जब दाई फिरती है तो बैलों का जो गोबर होता है, उसमें अनाज मिला हुआ होता है, उसको ले करके वे सुखाते हैं और फिर उसको पीट करके उसमें से अनाज निकालते हैं और उसको सुखा पका कर उसे पीस कर खाते हैं। पंडित जवाहर लाल जी ने एक दफा कहा था कि गोरखपुर एक ऐसा जिला है जो सब से गरीब है। बाबा राघवदास और विनोबा भावे की भी यही रिपोर्ट है। वहां के किसान जो कहते हैं उसके लिये एक देहाती मसल है।

तो टाटी ऊपर टाटी।
राम दोहाई भले बाटी।।

इसका अर्थ है कि हमारे पास जो है, हम उससे संतुष्ट हैं। अगर हमारे पास छप्पर है तो हम उससे ही संतुष्ट हैं। पूर्वी जिलों की जो हालत है वह सभी लोग जानते हैं। अब आप चीनी मिलों की हालत देख लें, उसकी जो हालत है वह सभी लोग जानते हैं। जावा में ५६ टन चीनी होती है और हमारे यहां १५ टन चीनी होती है। माननीय

[श्री जगन्नाथ आचार्य]

मंत्री तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो अधिकारियों की मनोवृत्ति है वह अभी तक नहीं बदली है। श्रीमान्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें। सरकारी अधिकारी कुर्सी पर बैठे रहते हैं और वहीं से स्कीमें बनाया करते हैं। शिब्बन लाल सक्सेना ऐसे व्यक्ति, जब अनशन करने लगते हैं, तो वे लोग जागते हैं और फिर इधर-उधर चार्ज करने लगते हैं। अब मैं चीनी मिलों की हालत के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर अगर आप देखें तो बहुत ही अधिक भ्रष्टाचार मिलेगा। मैं स्वयं अपनी बात यहां पर कह देना चाहता हूं कि जब मैं गन्ना ले कर जाता हूं तो वह तौल कर २० मन निकलता है और यदि वही गन्ना गाड़ीवान के हाथ भजा जाता है तो १५ मन तौला जाता है। वहां के कांटे में भी काफी अन्तर है। इसके लिये वहां पर अधिकारियों से कई दफा कहा गया है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया है। वहां के जो पंच और सरपंच होते हैं, उनके वह कांटा ठीक कर देना चाहिये। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन बातों की ओर वहां पर कोई ध्यान नहीं देता है, काफी कहने पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा की हालत भी वहां पर अच्छी नहीं है, बहुत अधिक लोग वहां पर अशिक्षित हैं। अब रहा जहां तक काम करने का सवाल, तो जो माननीय आजाद साहब ने कहा कि वहां के लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो यह बात ठीक नहीं हैं। अगर आप आसाम और बंगाल के जंगलों में काम करने वाले मजदूरों को देखें तो आप को मालूम होगा कि वह लोग अधिकतर पूर्वी जिले के ही रहने वाले हैं। वहां तक लोग काम करने में किसी से पीछे नहीं हैं, लेकिन काम उनको मिलना चाहिये। जो बात डाक्टर साहब ने कही है उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि एक समय ऐसा आता है जो दूसरों की संपत्ति का हनन करना भी पाप नहीं होता है। इसी तरह से एक बात में यह भी कहना चाहता हूं :

यावद् भ्रियक्ष जठरं तावत् स्वत्वं।
अधिकं योअभिमन्येते सस्तेनोदन्ड मर्हति॥

विश्वामित्र ऐसे महापुरुष के बारे में भी कहा जाता है। इस प्रकार के प्रमाण आप को इतिहास में बहुत से मिलेंगे। यदि सरकार इन जिलों की ओर ध्यान नहीं देगी तो इनकी हालत और भी खराब हो जायगी। वहां पर कभी बाढ़ आ जाती है और कभी सूखा पड़ जाता है। इसके अलावा एक बात मैं और उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि भदई के बीज न मिलने के कारण धान नहीं बोया जा सका। मुझे स्वयं नहीं मिला इस कारण मैं भी नहीं बो सका। इसमें माननीय मंत्री जी का कोई दोष नहीं है क्योंकि माननीय मंत्री जी ने तो पहले ही कह दिया था कि जिलाधीश वहां पर बीज का इन्तजाम करेगा। माननीय मंत्री जी ने तो कहा था कि वहां पर बीज बांटों और इसका इन्तजाम करो, लेकिन जिसने नहीं किया उससे पूछना चाहिये और इसकी इन्क्वायरी करनी चाहिये।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि पूर्वी जिलों में ज्यादा तादाद बड़े लोगों की नहीं है बल्कि ज्यादा तादाद छोटे और निम्न वर्ग की है। लेकिन आज भी आप को वहां ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, जिनके पास बहुत जमीन है। उन के पास कई हजार एकड़ जमीन भी है और बड़ी बड़ी कोठियां भी हैं। उन्होंने पहले अपनी जमींदारी से बहुत वसूल कर लिया है और अब वे बिजिनेस कर रहे हैं, और लाखों रुपया कमा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जिनके पास एक बीघा जमीन भी नहीं है। जो बड़े लोग हैं, उनके पास फार्म्स हैं, कई लोग उनमें काम कर रहे हैं और उनके ट्यूबवेल्स भी चल रहे हैं। तो आप ही बतलाइये कि किसान ऐसी अवस्था में कहां जायें।

तीसरी बात यह है कि इधर १० सालों से करीब-करीब वहां बाढ़ आई है और सूखा भी रहा है और पूर्वी जिलों में, जहां कि बहुत से जंगल थे, वे भी अब सब काट डाले गये हैं। इससे सायल इरोजन होता है और नई भूमि उतरने लगी, जब कि भूमि सौ साल में एक इंच नीचे उतरती है। आज वहां पर बंधियां बनाने की प्रवृत्ति चल रही है। लेकिन इस तरह जो बंधियां बनती हैं, उनसे बाढ़ के मौके पर जो पानी आता है वह रुक जाता है। पहले तो वह खुल कर के बहता था, और हर जगह पानी पहुंच जाता था और इससे जमीन की उर्वरी शक्ति बढ़ती रहती थी, लेकिन अब यह बात भी नहीं रह गई है।

इसके अलावा एक बात यह भी है कि वहां पर इर्रीगेशन का समुचित प्रबन्ध नहीं है। वहां नारायणी कनाल बन गई, लेकिन यह तो पूछिये कि उससे कितने लोगों की सिंचाई हो रही है। यह भी आप पूछिये कि जितने लोगों की जमीन ली गई, उनमें से कितने लोगों को जमीन दी गई या उनकी जमीन का क्या प्रबन्ध हुआ। वहां जो मनोवृत्ति आज हो गई है, उससे काम नहीं चल सकता है। वहां पर सरकार को कुटीर उद्योग धन्धे चलाने चाहिये और इसके लिये वहां के जंगलों से बहुत काम लिया जा सकता है। वहां पर बेंत का काम हो सकता है और रेशम के कीड़े पाले जा सकते हैं। जब आप इस तरह से वहां की समस्याओं को लेंगे, उसकी तह में जायेंगे, तभी वहां की समस्याओं का कुछ हल होगा। वहां की समस्यायें जड़ित हो चुकी हैं, और अगर यही हाल रहा तो वह स्थायी रूप धारण कर लेंगी, इसलिये जब तक आप इस ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिये कार्य करके ही इस समस्या का समाधान होगा, अन्यथा नहीं होगा।

श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय .....

श्री डिप्टी चेयरमैन--यह अच्छा होगा कि आप अपना भाषण २ बजे से शुरू करें।

श्री हृदय नारायण सिंह--शुरू कर दूं ताकि कन्टीन्यू रहेगा।

फूड समस्या सीरियस है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। सन् १९५५ ई० से लेकर जो अतिवृष्टि और अनावृष्टि हुई, उसका प्रभाव हमारे उत्तर प्रदेश पर सबसे अधिक पड़ा है। यह जो कठिनाइयां बराबर हमारे प्रदेश पर आती रही है उससे जो रिजर्व गल्ला किसानों के पास रहता था वह भी नहीं रहा है। पिछले वर्ष जो कमी हुई थी वह भी इन्हीं कारणों से थी। हमारे जिलें में एक सज्जन थे जो अनाज उत्पादन में बड़े पटु थे। इन्हीं कारणों से राय साहब का खिताब भी उन को बृटिश जमाने में दिया गया था, उनके यहां भी पिछले साल एक बीघे में १४ पसेरी गेहूं हुआ। एक तो फसल कम हुई है दूसरे जो हुई भी है वह इतनी हलकी हुई है कि उससे न अच्छी रोटी बन सकती है न अच्छी गिजा मिल सकती है। फसल खराब होने का सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि पूर्वी जिलें में जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज हैं उनके द्वारा भी प्रदर्शन हो रहा है, इससे इनकार नहीं कर सकते। गोरखपुर, आजमगढ़ और दूसरे पूर्वी जिलों में और दूसरे जिलों में भी काफी प्रदर्शन हुए हैं और यह मांग हुई है कि जो यहां पर खाद्य की कमी है उसको सरकार दूर करने का प्रयत्न करे। यह समस्या इस वजह से और भी अधिक गंभीर हो गई है कि नहर रेट अधिक है और किसानों का जो कुछ अन्न पैदा होता है उस को बेचकर वह नहर रेट में दे देते हैं। गर्मियों में व्याह शादी होती है, घरों में मरम्मत करानी पड़ती है। इन तमाम कारणों से जो कुछ गल्ला स्टाक का होता है वह सब खत्म हो जाता है। इस लिए यह समस्या गुरुतर हो जाती है। हमारे सामने आंकड़े भी हैं। सरकार को शायद बहुत गर्व है, कि जो उत्पादन है वह बहुत बढ़ रहा है लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने हैं, उससे मालूम होता है कि प्रति वर्ष एक तरह से ह्रास हो रहा है।

श्री डिप्टी चेयरमैन--अब आप अपना भाषण २ बजे से जारी रखेंगे। २ बजे तक के लिए कौंसिल स्थागित की जाती है।

(सदन की बैठक १ बजे अवकाश के लिये उठ गई और २ बजे से श्री चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चेयरमैन---सदस्यों को याद होगा कि २ बजे एडजर्नमेंट मोशन पर विचार किये जाने की बात थी। इस वक्त हृदय नारायण सिंह का भाषण जारी है। इसलिये यह उचि मालूम होता है कि इस एडजर्नमेंट मोशन को हम बाद में ले लें। खाद्य स्थिति पर बहस ३ बजे खत्म होगी और तब यह ले लिया जायगा।

श्री हृदय नारायण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं यह जिक्र कर रहा था कि पिछले सालों में जो उत्पादन हुआ है उसमें ह्रास हो रहा है और मैं कुछ आंकड़े इसके सम्बन्ध में प्रस्तुत करना चाहता हूं जो इस प्रकार से हैं। मैं केवल वाराणसी और गोरखपुर डिवीजन के बारे में आंकड़े पढ़ कर सुनाऊंगा। वाराणसी जिले में १०,४२६ एकड़ में, बार्ली की खेती हुई और उसके पहले साल में १,६२,७९३ एकड़ में खेती हुई। ५० हजार एकड़ से कम में बार्ली की इस तरह से खेती हुई। सन् ५४--५५ में ३७,६८९ टन बार्ली हुई उससे पहले साल में ५४,५०२ टन हुई थी। इसके पहले ५ वर्ष का जो अनुपात निकाला गया है वह इस तरह से ९१४३४ टन था। इसके बाद जो एवरेज रहा है, ५१,४३४ टन है। गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ के एक आध को छोड़ कर जो औसत उत्पादन हुआ है वह पहले से कम है। यही हालत हम चने की भी देखते हैं। चने में ५५-५६ में ७६ हजार ५४ एकड़ खेती हुई। इससे पहले १,१३,२१७ एकड़ में खेती हुई और इससे पहले के जो पांच सालों का एकड़ था १,१३,३१४ एकड़ था। ५४-५५ में १८,६३० एकड़ था। पैदावार जो थी वह २८,७८३ टन थी और बाद में २१,७२१ टन हुई। इस प्रकार चने की भी वही हालत मिर्जापुर, गोरखपुर, जौनपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ में हुई है।

जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है इसकी कुछ हालत चना और जौ से अच्छी है लेकिन इसमें भी सन्तोषजनक तरक्की नहीं हुई। कुछ जिलों में इस में भी ह्रास हुआ है। वाराणसी के जिले में ४६,१५४ एकड़ में गेहूं बोया गया। इसके पहले ७४,११६ एकड़ भूमि में यह बोया गया औसत काश्त जो थी वह ६५,७१८ एकड़ थी और उत्पादन १५,१९३ टन ५४-५५ में था। उससे पहले २०,२८६ टन था। इससे प्रमाणित होता है कि उत्पादन में तरक्की नहीं हुई है जैसा कि कहा जाता है। मेरा ख्याल है कि खेती के उत्पादन में तरक्की होती तो यह हालत न होती। कुछ खेती तो ट्यूबवेल्स और नहरों में निकल गई है। उनसे जो सोचा जाता था कि किसानों को काफी सुविधा होगी वह सुविधा नहीं हो रही है। क्योंकि उनको समय पर पानी नहीं मिलता है और बहुत सी जगह तो कहा जाता है कि अमुक स्थान पर जब पानी की आवश्यकता थी तो यह कह दिया गया कि ट्यूबवेल आउट आफ आर्डर है, और जब खेती लहलहा रही थी तो उस समय इतना पानी दे दिया गया कि खेती नष्ट हो गई। आज ट्यूबवेल के पानी के रेट भी अधिक हैं जिसको अदा करने में काश्तकार का काफी धन चला जाता है। अगर खाद और सिचाई का समुचित प्रबन्ध हो जाय तो वहां पर खाद्य की उत्पत्ति बढ़ सकती है।

(इस समय २ बज कर ७ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

खाद्य की समस्या पर आगे आऊंगा, लेकिन जो इस समय हालत है उससे यह अंदाज है कि आगे चल कर भंयकर स्थिति पैदा हो जायगी। यह सिर्फ पोलिटिकल पार्टीज का ही कहना नहीं है बल्कि जो रेस्पान्सबिल पेपर्स हैं वह भी कहते हैं। पायनियर के १३ अप्रैल सन् १९५७ के अग्रलेख में लिखा है ...

"But there will be genuine cause for concern that Uttar Pradesh should be losing its lead in agriculture without gaining momentum on the industrial front".

'अमृत बाजार पत्रिका', 'नेशनल हेराल्ड' आदि पत्रों ने भी लिखा है कि समस्या भयंकर होती जा रही है। यह सरकार वेलफेयर स्टेट है। और प्रताप चन्द्र आजाद जी को आश्चर्य हुआ कि लोग गोबर से अन्न निकाल कर पूर्वी जिले में खाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं बल्कि और भी होता है, आम की गुठली जो है उसको पीस कर उसके आटे से रोटी बनाई

जाती है, चकवड़ का साग और महुवे पर गुजर करते हैं, यह समस्या बड़ी भयंकर है। उनके लिये इम्मीडियेट रिलीफ की आवश्यकता है। एक लांग टर्म स्कीम होनी चाहिये, जो खाद्य का निम्न स्तर है उसको ऊंचा उठाना चाहिये। वेलफेयर स्टेट की भावना कब तक पूरी होगी। हमारी भावना यह न होनी चाहिये कि हमको सिर्फ कोर्स ग्रेन ही मिले और आम की गुठली का पिसा हुआ आटा हो मिले बल्कि जो अन्न मिले वह नरिसिंग होना चाहिये। एक एवरेज कैलोरिक मात्रा प्रत्येक मनुष्य के लिये २,७०० है लेकिन हमारे यहां १,७०० है जो कि संसार के और देशों से कम है। इसी तरह से प्रोटीन हर मनुष्य के लिये ७० होना चाहिये लेकिन हमारे यहां एवरेज ४६ है। जब हमारा देश वेलफेयर स्टेट है तो हमारी भावना यह न होनी चाहिये कि लोगों की बुभुक्षा ही किसी न किसी तरह से शांत हो बल्कि उद्योग यह होना चाहिये कि नरसिंग फूड काफी मात्रा में प्राप्त हो सके।

आमतौर से सुनता हूं कि हमारे मिनिस्टर महोदय, ज्यादातर जो सरकारी आफिसर हैं, उन्हीं के आंकड़े पर निर्भर करते हैं। यह बात ठीक नहीं मालूम होती है। जो अभी माननीय अली जहीर साहब ने कहा कि पूर्वी जिलों में लोगों को, जो कोर्स ग्रेन है, उससे फैन्सी है। यह इन-फारमेशन आफिसरों के द्वारा मिली है। कोर्स ग्रेन कौन खायेगा। अगर किसी को गेहूं और चावल उपलब्ध हो तो वह कोर्स ग्रेन क्यों खायेगा। वह उसे पसन्द करता है तो लाचारी से करता है, विलिंगली पसन्द नहीं करता है। इनफारमेशन जो सरकार को मिलती है, अगर जनता से कनटैक्ट करें तो जो पिक्चर बन सकती है वह सही होगी फेयर प्राइस शाप पर जो क्वानटिटी मिलती है उसके सिलसिले में ऐसा होता है कि चार-छः घंटे वेट करने के बाद एक दो रुपये का अनाज मिलता है। कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अधिक लेकर दूसरे को दे देते हैं और इस तरह से इसका मिसयूज होता है। एक दिन में एक आदमी दो रुपये का अनाज लेगा तो शाम तक उसे समाप्त कर देगा। इस तरह से समय का कितना अपव्यय होता है। जो फेयर ग्रेन शाप्स हैं उनमें इस प्रकार से मिस मैनेजमेन्ट होता है।

श्री डिप्टी चेयरमैन—कई सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं २ मिनट का समय और लूंगा।

श्री डिप्टी चेयरमैन—आप २ मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री हृदय नारायण सिंह—अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि कहां-कहां से सूचना आई है। जौनपुर में २ १/२ हजार रुपया रखा है और उसका उपयोग वहां पर हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आज हमारे सामने है। इसमें मऊ की खबर है जो आजमगढ़ जिले में है। बहुत से आदमियों ने जाकर जिला अधिकारी के बंगले पर धरना देना तय किया है कि उनकी खाद्य समस्या हल की जाय। यदि कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहता है कि अभी यहां पर नीड नहीं है तो मालूम होता है कि उन्होंने इसकी पब्लिसिटी नहीं की है कि जिसको आवश्यकता हो वह यहां आकर फ्री एड प्राप्त करे। मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैन्योर का प्रबन्ध ठीक हो, इसके लिये गवर्नमेंट को लांग रेन्ज पालिसी बनानी चाहिये जिससे पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति ठीक हो जाय। मैन्योर को कई तरह से ठीक किया जा सकता है। हमने सुझाव दिया है कि नहर के रेट को कम करना चाहिये। वाटर की सप्लाई जब उनको आवश्यकता हो तो मिले। जब आवश्यकता न हो तो न मिले।

श्री डिप्टी चेयरमैन—आप का २ मिनट का समय हो गया है। अभी बोलने के लिये कई सदस्य बाकी हैं। इस बहस को ३ बजे खतम करना है। अब अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री हृदय नारायण सिंह—एक प्वाइंट जो था वह यह था कि कई लाख रुपया लगाकर के इक्स्टेन्शन टीचर्स का स्कूल चलाया गया। वे प्लानटेशन का काम करते हैं। जहां पर ऊसर है वहां पर जाकर प्रचार करें और उसको फरटाइल जमीन बनाने के लिये प्रचार करें। यह बहुत बड़ी सेना है, जिसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है।

*श्री खुशाल सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं। उन्होंने इस चीज को मंजूर किया, कि पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति अच्छी नहीं है। माननीय मंत्री जी ने पहाड़ी जिलों का भी जिक्र किया। खाद्य स्थिति अच्छी न होने के दो कारण हैं। एक तो वहां पानी कम बरसता है और सिंचाई के साधन नहीं हैं। दूसरे, बाढ़ से भी बहुत नुकसान होता है। सिंचाई के लिये वहां पर नहरें बन रही हैं, ट्यूब वेल बन रहे हैं। कम पानी के संकट को दूर किया जा रहा है। दूसरी समस्या सैलाब की रह जाती है। बाढ़ को रोकने के लिये काफी प्रयत्न किया जा रहा है। जो बाढ़ को रोकने के लिये खास चीजें हैं उनकी तरफ तो सरकार का ज्यादा ख्याल होगा ही। लेकिन इस सिलसिले में काफी काम नहीं हो रहा है। बाढ़ आने के भी कारण होते हैं। पहाड़ों में जो फारेस्ट हैं, उनको काटा जा रहा है अगर चाहते हैं कि बाढ़ न आये, तो जंगल काटना बन्द करना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कम से कम सरकार नदियों के किनारे जैसे गंगा है और जमुना है उनके किनारे, पेड़ काटना बंद कर दे। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां पहाड़ों में ३० डिग्री से अधिक स्लोप हो वहां भी पेड़ न काटे जांय। इन चीजों से बाढ़ रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। पहाड़ी जिलों में भी खाद्य समस्या बनी रहती है। सरकार ने कहा है कि वहां पर भूमि कम हैं और जो भूमि है उसमें उपज कम होती है। वहां पर इतनी भूमि नहीं है कि खाद्य की समस्या को हल कर सकें। कुछ दुकानें खोली गई हैं उनसे बहुत राहत मिली है। लेकिन दुकानें वहीं खुलती हैं जहां तक मोटर जाती है। जो इंटीरियर के लोग हैं, वे उन दुकानों से नहीं खरीद सकते हैं। पिछली बार जब जिलों में अन्न की बहुत कमी थी, सरकार ने बहुत सी दुकानें खोली थीं। लेकिन उनसे खास लाभ नहीं हुआ। जब तक दुकानें इंटीरियर में न खुलेंगी तब तक कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

इसलिये सरकार से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे क्षेत्रों में जो बहुत इंटीरियर में हों, जहां खाद्य का अभाव है वहां दुकानें खोली जायं, ताकि उनको मंहगाई का भार न बरदाश्त करना पड़े। जब बारिश या और किसी प्रकार से, खेतों को क्षति होती है तो सरकारी आफिसर उनका नुकसान बहुत कम आंकते हैं। इसलिये सरकार का उनको आदेश जाना चाहिये कि जो नुकसान होता है, उ..को कम से कम न आंका जाय बल्कि वास्तविक स्थिति सामने लाई जाय। इसी प्रकार से पहाड़ों में, जो बाढ़ से नुकसान होता है उसको हम दुबारा प्राप्त नहीं कर सकते। उस बाढ़ में गांव के गांव बह जाते हैं और खेत भी खतम हो जाते हैं, फिर दुबारा वह गांव वहां नहीं बसाये जा सकते। इसलिये इस सम्बन्ध में भी सरकार को विचार करना चाहिये। जंगलों में बहुत सी जगहों पर बहुत काफी जमीन पड़ी हुई है, वहां कोई गांव नहीं है। इसलिये पहाड़ से खतरे वाले गांवों को हटा कर, इन जंगलों में बसाया जाय, इसलिये मनुष्य की रक्षा का पहले ख्याल होना चाहिये।

श्री डिप्टी चेयरमैन--अब आपका समय खतम हो गया।

श्री खुशाल सिंह--एक लफ्ज टेस्ट वर्क के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि पहाड़ों पर मिट्टी के अलावा चट्टानें भी होती हैं। इसलिये टेस्ट वर्क नियम में परिवर्तन होना चाहिये और वहां टेस्ट वर्क की मजदूरी वही देनी चाहिये जो पी० डी० देता है।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित (नामनिर्देशित)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बहुत सुझाव आ चुके हैं और मैं सदन का समय आंकड़ों को दुहराने में नहीं लेना चाहता। मुझे यह कहना है कि जो खाद्य की समस्या पूर्वी जिलों में है, वह वास्तव में ऐसी है, जिस पर विचार न करना वास्तविकता को अस्वीकार करना है। इस समस्या के बहुत से कारण मंत्री महोदय ने अपने प्रारम्भ के वक्तव्य में दिये हैं और वह अधिकतर प्रकृति से सम्बन्ध रखते हैं। लेकिन इनके अलावा और बहुत सी बातें हैं, जिनपर सदन और सरकार

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

को सोचना होगा और उनकी जांच करना होगा जिनका जिक्र मंत्री जी के वक्तव्य में नहीं आया। सबसे बड़ी चीज जिस ने वहां की खाद्य समस्या को गम्भीर बना दिया है वह है कि वहां की सोसाइटी में एक प्रकार के असंतुलन का पैदा होना। आप पूछेंगे कि वह किस तरह से हुआ। वह इस तरह से कि इस प्लानिंग के पीरियड में हमने प्लानिंग की बात कही और लोगों को विश्वास दिलाया कि हम इस प्रकार से आपका हित करेंगे। तो इससे जागृति पैदा हुई जैसा कि हर बड़ी क्रान्ति के मौके पर होता है। इस तरह से हर आदमी और हर जिला सोचने लगा कि हमारे लिये क्या होता है। इस तरह से एक प्रकार का लोकल पैट्रीटिज्म पैदा हो गया और उस लोकल पैट्रीटिज्म से जहां जागृति होती है, लाभ होता है, लोगों में काम करने का जोश आता है, वहां एक प्रकार का नुकसान भी होता है। नुकसान यह होता है कि गोरखपुर में लेबर डिपो था। वहां से लेबर बाहर जाता था। अब दूसरे सूबे के लोग एतराज करने लगे कि यू० पी० के ही लेबर क्यों रोजगार में लिये जाते हैं। इस बात की जानकारी हमारी सरकार को नहीं है। यही नहीं इस उत्तर प्रदेश में जो भी उद्योग हैं, उनमें ४०, ५० प्रतिशत मजदूर पूर्वी जिलों के हैं। पिछले पांच सालों में उनमें से काफी मजदूर निकाले गये हैं और वे अपने घरों में जाकर पड़े हुये हैं क्योंकि कोई दूसरा रोजगार उन को नहीं मिलता है। इसी तरह से हमारी वैदेशिक नीति जिसके परिणाम स्वरूप इन दिनों एशिया के दूसरे मुल्कों को आजादी मिली। साथ-साथ वर्मा और मलाया में जो यू० पी० के पूर्वी जिलों के मजदूर थे उनको निकाला गया। आबादी का जहां तक ताल्लुक है गोरखपुर की सबसे ज्यादा है क्योंकि अब भी गोरखपुर में छोटी उम्र में शादी होती है। यह रहन सहन, जिस प्रकार से वहां के लोग रहते हैं वह तरीका ऐसा है जिसके सुधार के लिये सोचना पड़ेगा और इसके लिये कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। गोरखपुर और देवरिया में रहने का तरीका यह है कि गांवों की संख्या ज्यादा है। जहां पर २०० आदमी रहते हैं वह बड़ा गांव समझा जाता है जब कि सेन्ट्रल यू० पी० में ५, ६ हजार आबादी का एक गांव माना जाता है। वहां पर ज्यादा झोपड़ियां फूस की बनी हुई हैं। इसलिये जहां वहां पर बढ़िया आती है तो वह आग भी लगाती है। आग से जितना अन्न का नुकसान होता है उसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। किन्तु हमारे साथी श्री काशी नाथ पांडे जो वहां रहते हैं, उन्होंने हमें बताया कि वहां बाढ़ के साथ साथ आग से भी अनाज का नुकसान होता है। मकान उनके वैसे ही रहेंगे सोसाइटी उनकी वही रहेगी। इधर प्रोडक्शन के आंकड़े बतला रहे हैं वह घट रहा है। यही नहीं देवरिया के जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का जो ब्योरा निकला है उसमें लिखा है कि देवरिया में अभी तक कभी वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं हुई, इसलिये पैदावार घट रही है और इसके बढ़ने की तब तक आशा नहीं है जब तक वहां खाद नहीं डाली जायेगी। यह यू० पी० इन्फारमेशन की पुस्तक में लिखा है। वह खाद कब आयेगी यह तो सरकार ही जानती है। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि यह ऐसी बात है, जिस पर हम जल्दी से कोई राय कायम नहीं कर सकते।

मौजूदा हालत में सरकार ने जो कोशिशें की हैं उनकी यदि हम सराहना करें भी तो क्या लाभ। जब तक भविष्य में क्या होगा इसकी तरफ हम ध्यान न दें। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि आखिरकार वह हालत जो कि मंत्री महोदय ने बतलायी कि यहां का अनाज बाहर के सूबों में चला जाता है, उनकी रोक थाम का कोई प्रयत्न होना चाहिये। दूसरी तरफ जो बनिया देहातों में अपना कर्जा फैला करके किसानों को मजबूर कर देते हैं कि वह अपनी पैदावार को अपने हाथ न रख सकें, जिस को कि रूरल इंडेटेडनेस कहते हैं और जिसका अधिक भार पूर्वी जिलों में पड़ रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी में एक दरार पैदा हो गयी है, इसको दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। अभी हमारे मित्र आचार्य जी ने कहा कि शूगर इंडस्ट्रीज वहां पर हैं और बताया गया कि वहां जो गन्ना पैदा होता है वह जावा की बराबरी कर सकता है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि जावा की भौगोलिक स्थिति दूसरी है। मनुष्य अगर प्रकृति का विरोध करके कुछ स्कीम बना सके तो उससे बहुत काम हो सकता है और अगर जावा के बराबर

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित]

न भी सही तो भी काफी पैदावार हो सकती है। किन्तु सरकार अगर इस बात का विचार कर ले कि कितने क्षेत्र में कैसी क्राप (Crop) बोई जाय और कितने क्षेत्र में खाने का अनाज बोया जाय तो अच्छा है इन बातों पर विचार करने के लिये एक समिति का निर्माण करे या हर जिले में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज हैं, जिसमें कि लोकल लेजिस्लेटर्स भी होते हैं और वहां के सरकारी आफिसर भी होते हैं, वे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज स्वतः ही विचार करें। मंत्री जी फिर भी यह आदेश दें कि समितियों के विचारों का संग्रह करके विभाग को भेज दिया जाय, और उसकी जांच करने पर यदि यह मालूम हो कि दो जिलों में मतभेद है तो मेरा सुझाव यह है कि इसके लिये एक कोआर्डिनेशन कमेटी सी बना लेना चाहिये, गवर्नमेंट इस सुझाव पर विचार करे और जो समस्यायें सरकार के सामने आयेंगी, उनको दूर करने का प्रयत्न किया तो सारी समस्या हल हो जायगी। इतने कम समय में, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं।

श्री विश्वनाथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है उस गाजीपुर जिले का, जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। जो कि इन पूर्वी जिलों में ही शामिल है, जिनकी खाद्य स्थिति की चर्चा की जा रही है, क्योंकि मुझे ५ मिनट से अधिक बोलने की आज्ञा माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने नहीं दी है। अच्छा तो यह होता कि मैं इसकी चर्चा ही नहीं करता और खड़ा हो कर फिर बैठ जाता और संवाद दाता लोग लिख देते कि मैंने भी इस बहस में भाग लिया तब भी नाम हो जाता, फिर भी जी नहीं मानता इसलिये सब से पहिले तो मैं प्रस्तावक महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने इस सदन में चर्चा करने का अवसर दिया। इसके बाद मैं आपके द्वारा सरकार को ध्यान दिलाऊंगा कि गत वर्ष गाजीपुर में और पूर्वी जिलों में अनावृष्टि, अतिवृष्टि, और बाढ़ आदि के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गयी थी जिसके लिये सरकार ने रोकथाम की पूरी कोशिश भी की, जिसकी चर्चा हमारे माननीय संबंधित मंत्री जी ने की है। परन्तु फिर भी उनसे निवेदन करता हूं कि गत वर्ष सब कुछ प्रयत्न होने के बावजूद भी चारे की, अन्न की, काम की कमी रही। मैं तकावी के विषय में भी बता देना चहता हूं कि गाजीपुर के जिन किसानों को तकावी मिलनी चाहिये थी अर्थात् तकावी पाने के योग्य भी थे, उनको तकावी तो अवश्य मिली, पर वह इतनी कम थी कि उससे वह न तो मकान ही बना सकते थे, न चारा ही खरीद सकते थे, न अपने खाने के लिये अन्न, और बोने के लिये बीज की ही व्यवस्था कर सकते थे और यहां आ कर माल मंत्री का ध्यान दिलाने पर भी यह कहा गया कि कलेक्टर जितने के लिये लिखेगा, यहां से भेज दिया जायेगा। पुनः जिले में कलेक्टर से निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बार-बार अधिक रुपये के लिये लिखता हूं। परन्तु आता ही नहीं। जो तकावी एक बार बंटी, वह जिले भर में कुल करीब-करीब बारह तेरह लाख रुपया रही। आप आसानी से समझ सकते हैं कि बारह लाख जन संख्या का गाजीपुर जिला, जिसमें चार लाख आदमियों को ही मान लिया जावे, कि तकावी के मुस्तहक्क थे, तो एक आदमी पर तीन रुपया और एक परिवार पर १५ रुपया हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि इन १५ रुपयों में एक परिवार अपनी उपरोक्त सभी जरूरतों को कैसे पूरा कर सकता था। ऐसी स्थिति में बार-बार दौड़ा, जिसका जिला तथा राजधानी से उपरोक्त उत्तर मिला। मैं इसके बारे में क्या कहूं कि किसकी बात सच्ची थी और किसकी सही नहीं थी। गत वर्ष की बात तो बीत गयी है। अब इस वर्ष की जो स्थिति है उस पर ध्यान देना आवश्यक है।

मैं श्रीमान्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि उनको इस वर्ष अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि किसान पहले पिछले साल बहु

परेशान थे और अगर इस साल उनकी परेशानी दूर नहीं हुई तो उनकी रही सही कमर भी टूट जायेगी। अगहनी की फसल अभी तक बोई नहीं गयी है। गाजीपुर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। पिछले साल किसानों को बहुत ही कम उपज हुई इसलिये जानवरों के लिये चारे की कमी रही और मनुष्यों के लिये अनाज की कमी। सरकार को इससे संभावित कष्ट की ओर ध्यान देना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने इस बात की चर्चा की कि गल्ला बहुत महंगा न हो जाये इसलिये गल्ले की दूकानें खोली गई। परन्तु यह दूकानें सब के लिये नहीं हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने अगर प्रान्त के इस पूर्वी भाग में सब के लिये दूकानें न खोलीं तो किसान मर जायेंगे और उनकी हालत बहुत ही खराब हो जायेगी। सरकार को ऐसी नाजुक परिस्थिति में ऐसे ही कामों में, धन व्यय करना चाहिये, जिनकी नितान्त आवश्यकता हो। लखनऊ में तथा समस्त राज्य भर में, जहां कहीं खेल कूद तथा मनोरंजनादि के लिये तालाब आदि बनाये जा रहे हैं, ऐसे कार्यों को कुछ दिन रोक देने से भी विशेष हानि नहीं। एक दो महीने के लिये रोक कर रुपया संचय करें। यदि किसानों के सामने विपत्ति का दिन आ जावे जिसकी संभावना प्रतीत होती है, तो वह धन उनके कष्ट निवारण में व्यय हो। यदि कोई कठिनाई न आवे तो सरकार अपने इच्छित कार्य में खर्च करे। ऐसी आकस्मिक विपत्तियों के लिये सरकार के पास पर्याप्त धन रहना ही चाहिये। अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिय, किसानों को और भी प्रोत्साहन दें। इस समस्या को हल करने के लिये माननीय कुंवर गुरु नारायण जी एक प्रस्ताव लाये हैं कि सदस्यों की एक कमेटी बनानी चाहिये और उस कमेटी के द्वारा हर पहलू पर विचार होना चाहिये मैं समझता हूं कि उस प्रस्तावित समिति द्वारा कुछ ऐसे मार्ग ढूंढ निकाले जा सकते हैं. जिनसे किसानों की कठिनाई दूर की जा सकें। आज आप देखें, तो आपको मालूम होगा कि किसानों की अत्यन्त दयनीय दशा है। मैं सरकार से कुछ बातों को निवेदन करना चाहता हूं। पूर्वी जिलों की जन संख्या अधिक हो गई है। वहां पर खेती के लिये भूमि की कमी है और उसके अलावे वहां पर उद्योग की भी कमी है। वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया में एक भी चीनी मिल नहीं है और न कोई बड़ा उद्योग ही गाजीपुर, बलिया में है। इन बातों पर विचार करके, सरकार को कोई न कोई हल निकालना चाहिय। वहां पर सरकार को कुछ बड़े-बड़े उद्योग-धंध चालू करना चाहिये। छोटे-छोटे कुटीर उद्योग इन जिलों में अत्यधिक बल्कि घर-घर प्रचार करें, चूंकि पूर्वी जिलों की जन संख्या इतनी अधिक हो गई है कि वहां की भूमि, उसका भार उठाने में असमर्थ है। अत: वहां के खेती करने वाले या खेती के इच्छुक बिना भूमि के लोगों को अन्य जिलों में और अन्य स्थानों पर जहां भूमि मिल सकती है, हटा कर बसा दिया जावे। परिवार नियोजन का काम भी उन जिलों में जोरों से चालू किया जाना चाहिये और सिंचाई की पूरी-पूरी व्यवस्था होनी चाहिय। अतिवृष्टि होने से तथा अन्य कारणों से, खतों में जो पानी जगह-जगह अनावश्यक रूप से इकट्ठा हो कर बहुतेरी जमीन को बेकार बना देता है उसे समय से निकालने की समुचित व्यवस्था हो। और भी कई बातें कहनी हैं. लेकिन चूंकि मेरा समय समाप्त हो चुका है, इसलिये मैं अधिक नहीं कहूंगा।

श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय ......

श्री डिप्टी चेयरमैन--अब तो समय नहीं है, इसलिये कि मंत्री जी को जवाब देना है।

श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी--मैं सिर्फ ५ मिनट लूंगा और अगर मंत्री जी मुझे ४ ही मिनट बोल लेने दें, तो उनकी बड़ी कृपा होगी। इसके लिये वे मुझे इजाजत दे दें।

श्री सैयद अली जहीर--आप बोल लीजिए।

श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी----माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज खुशी का दिन है कि खाद्यान्न ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों को यह अवसर मिला है कि हम अपने विचार प्रकट कर सकें। जहां तक मेरा विचार है, मैं खाद्यान्न की समस्या को पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं समझता। मैं समझता हूं कि खाद्यान्न की समस्या केवल सारे प्रदेश की ही समस्या नहीं है बल्कि सारे भारतवर्ष की समस्या है। आज मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि खाद्यान्न की समस्या ने ऐसा विषम रूप धारण कर लिया है कि यदि आप ने इसका कोई जल्दी हल नहीं किया, तो पता नहीं आगे इसका क्या रूप हो जाय। इस लिये मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कृपा पूर्वक, इसमें अब तक जितना समय देते रहे हैं, उससे थोड़ा सा अधिक समय देने की कृपा करें। आज अगर आप खाद्यान्न की समस्या को देखें और सोचें, तो उसको देखने से यही पता चलता है कि निरन्तर ५ वर्ष के प्रयत्न से भी हम अपनी खाद्य की समस्या को हल नहीं कर पाये हैं। खाद्यान्न की समस्या केवल इतनी ही समस्या नहीं है कि हम अनाज कम पैदा कर रहे हैं, बल्कि इससे भी अधिक समस्या तो यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी परचेजिंग पावर (क्रय शक्ति) बिल्कुल कम हो गई है और जब तक आप परचेजिंग पावर नहीं बढ़ायेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--आबादी तो बढ़ती जा रही है।

श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी--मेरे एक माननीय मित्र ने कहा कि आबादी तो बढ़ती जा रही है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं और कुछ नहीं निकाल सकते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि केवल यह कह देने से कि आबादी बढ़ती जा रही है, काम नहीं चलेगा। चूंकि मेरे पास समय बहुत कम है और माननीय मंत्री जी ने कृपा करके ४ मिनट मुझे दिलाये हैं, इसलिये मैं इस अवसर पर अधिक विस्तारपूर्वक नहीं कह सकता।

मैं एक सुझाव माननीय मंत्री जी को अवश्य देना चाहता हूं और वह यह है कि यह समस्या प्रदेश के काश्तकारों से ही केवल ताल्लुक नहीं रखती है और इसमें सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट्स ही नहीं आते हैं बल्कि दूसरे विभागों के लोगों का भी इससे ताल्लुक है और सरकार को एग्रीकल्चरिस्ट्स तथा कामर्स और इंडस्ट्रीज से संबंधित लोगों को भी बुला कर इस संबंध में परामर्श लेना चाहिये। यदि उन्होंने ऐसा किया तो मैं समझता हूं इस समस्या को सोचने में अधिक सहायता मिलेगी। एक बात मैं यह भी कहता हूं कि फूड ऐसे सवाल को केवल एक आदमी हल नहीं कर सकता है, केवल एक मिनिस्टर के हल करने से यह समस्या हल नहीं हो पायेगी। मैं समझता हूं कि इसके लिये फूड, पावर, सिंचाई तथा माल सभी के मंत्रियों का परामर्श होना चाहिये। अब मैं इस विषय पर और अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने वादा किया था कि समय के भीतर ही अपनी सम्मति प्रकट कर दूंगा।

श्री सैयद अली जहीर--उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शुरु में ही अर्ज किया था कि यह जो खाद्य की समस्या है, इसकी अहमियत सरकार उतनी ही ज्यादा समझती है और उसमें उतना ही ज्यादा उसका अहसास है, जितना किसी और शख्स का। आपने देखा होगा कि अब की हमारा जो ए० आई० सी० सी० का सेशन हुआ था, उसमें खासतौर से इस बात पर जोर दिया गया कि हर शख्स व्यक्तिगत रूप से इस

बात की कोशिश करें जिससे अपने देश की खाद्य समस्या हल हो। हम बराबर इस काम में लगे हुए हैं कि जो भी जराय, ग्रो मोर फूड स्कीम को लागू करने के हो सकें, उनको अपनाया जाय और अपने देश की समस्या को हल किया जाय। जो कुछ हमारे देश की कमी है, वह तो है, लेकिन अगर हम जरा देर के लिये सोचें, तो हमें महसूस होगा कि हमारे देश के डिफेन्स परपजेज के लिये, पोलिटिकल परपजेज के लिये और स्ट्रैटजिक जरूरियात के लिये यह लाजमी है कि हमारे यहां काफी खाद्यान्न पैदा हो। उसके मुताल्लिक कोई दूसरी राय इस देश में नहीं है। बहरहाल यह कैसे हल की जाय। यह एक दूसरा मसला है और उस पर जो कुछ मुमकिन हो सकता है हम कर रहे हैं। अभी जैसा कि मैंने पहले बताया अशोक मेहता कांग्रेस के मेम्बर नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं, लेकिन उनको सदारत में एक कमेटी बनाई गई है, जो हिन्दुस्तान की इस समस्या पर गोर कर रही है। मैं चाहता हूं कि हर पार्टी सहयोग करे। मैं जानता हूं कि जब तक हर फर्द अपनी-अपनी जगह पर कोशिश नहीं करेगा हम इस समस्या को हल नहीं कर पायेंगे। बहरहाल, हमने किसी के कोआपरेशन को रद्द नहीं किया है और हर एक के साथ हम इस मामले में शरीक होने के लिये तैयार हैं।

(इस समय २ बज कर ४७ मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

एक सजेशन यह दिया गया है कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाय जो कि इस बात पर गोर करे कि पूर्वी जिलों की हालत क्या है और उस समस्या को हम कैसे हल कर सकते हैं। बहरहाल वहां पर कोई ऐसा मसला नहीं है, जो किसी से छिपा हुआ हो। उस पर गोर हो रहा है। यह समस्या सारे मुल्क से ताल्लुक रखती है। पूर्वी अजला में कुछ इत्तफाकिया बातों की वजह से वक्ती तौर से खाद्य की जो कमी रहा करती है वह जरा ज्यादा बढ़ गई है। हमको अपने देश की आर्थिक हालत को दुरुस्त करना होगा। उसके लिये हम बराबर कोशिश कर रहे हैं। उसके लिये जो चीज सोची गयी है वह यह है कि छोटी-छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज हमारे देश भर में लगें और वह आगे बढ़ें। इसके जरिये से हमारे मुल्क की गरीबी दूर हो सकती है। हमें उम्मीद है कि जैसे-जैसे हमारा सेकेन्ड फाइव इयर प्लान आगे बढ़ेगा वैसे-वैसे मुल्क की जितनी तकलीफें हैं वह दूर होंगी। किसी कमेटी से यह मसला हल हो सके इसकी हमको उम्मीद नहीं है। एक तरफ तो कुछ लोगों ने यह कहा कि मोटा अनाज ज्यादा मिकदार में तकसीम होना चाहिये। हृदय नारायण सिंह जी ने कहा कि यह गलत है कि वहां लोग मोटा अनाज खाना चाहते हैं। गरीबी की वजह से वह मोटा आनज खाते हैं। हृदय नारायण सिंह जी की इत्तला के लिये मैं यह बता दूं कि मैंने पिछले दिनों ७ पूर्वी जिलों का दौरा किया। वहां के लोगों ने खुद मुझसे कहा कि गेहूं की दूकानें तो खुली हुई हैं पर हमको को तो चना, जो चाहिये। हम तो उसी के खाने के आदी हैं। उन्होंने उसकी वजह बतलाई और वजह यह बतलाई कि हम नाज खाते हैं, और फावड़ा चलाते हैं। गेहूं खा लेते हैं और फिर जब फावड़ा चलाते हैं, तो थोड़ी ही देर में पेट खाली हो जाता है और ऐसा मालूम होता है कि जैसे कुछ खाया ही नहीं। लेकिन अगर जौ, चना खा लेते हैं तो मालूम होता है कि पेट भरा हुआ है। तो इसकी वजह से उनको कोर्स फूड चाहिये और वह कोर्स फूड खाने के आदी हैं। उनकी लाइफ के लिये वह फूड ज्यादा जरूरी है। तो कोर्स फूड प्रावाइड करने में हमको भी कुछ दिक्कत न होती क्योंकि जो हमें बाहर से मिलता है, दूसरे मुल्कों से मिलता है वही हम बांट सकते हैं। यहां जो कोर्स फूड होता है, वह तो बाजारों में बिकना ही है। जब वह कोर्स फूड चाहते हैं और हमने इस बात को देखा तो इसको खरीदवाया और यह ५० हजार टन खरीदा गया और जब हमने देखा कि मांग बढ़ती ही जा रही है, तो हमने उनको ५ हजार टन महीना भेजना शुरू किया और यह फेयर प्राइस शाप में बिकता है।

[श्री सैयद अली जहीर]

कुछ शिकायत यह भी की गयी है कि जो अनाज उन दूकानों में बिकता है वह गलत आदमी ले जाते हैं और बाज वक्त ऐसा होता है कि बनिया इसे खरीद लेता है और फिर बेच देता है। खास यह सही है। मेरे पास बहुत सी जगहों से ऐसी शिकायतें आईं। हमने भी इस चीज को खुद जा कर देखा और सुना। हमने उन लोगों से पूछा कि इसका इलाज हम क्या करें। जून में जब मैं कई जिलों के देहातों में गया, तो उन्होंने बताया कि इसका इलाज हमने खुद निकाल लिया है और उन्होंने बताया कि हम दिन मुकर्रर कर देते हैं, कि फलां-फलां दिन, फलां-फलां गांव वालों को नाज मिलेगा और यह काम प्रधान, या उप-प्रधान, जो गांव पंचायत के होते हैं, उनको देख-रेख में होता है। वह देखते रहते हैं, कि कोई गलत आदमी तो नहीं ले जा रहा है या किसी दूसरे गांव का आदमी तो नहीं ले जा रहा है या बनिये का कोई आदमी तो नहीं खरीद कर रहा है। यह शिकायत लखनऊ में, जब यहां दूकानें थीं, तो हुई थी। उसका इलाज करने को कोशिश की गई, लेकिन इलाज न हो सका लेकिन जहां पर इलाज किया गया वह यही किया गया कि किसी नान आफिशियल जिम्मेदार की देख-रेख में नाज दिया गया। अगर हम इसमें आफिशल लाते हैं तो फिर वही राशनिंग का तरीका मुकर्रर होगा और उसी तरह से कार्डस बनेंगे और इस स्टेट पर बोझा पड़ेगा। इस स्टेज पर यह चीज प्रैक्टिकल नहीं है। इसका तो लोकल अरेन्जमेन्ट हो, तभी कुछ ठीक हो सकता है।

एक शिकायत और हुई और वह शायद जगन्नाथ आचार्य जी ने की कि ट्यूब वेल्स जो बने थे, उनमें से बहुतों ने अब की दफा काम नहीं किया। पहले डिजिल आयल लगा था और वह हटा दिया गया कि यह बिजली से चलेंगे और जहां से बिजली आनी थी वह तैयार नहीं थी। इस तरह से उन्होंने काम नहीं किया। यह मैंने खुद अपने आंखों से गोरखपुर में मई के महीने में देखा, और देखा कि कई जगह ट्यूब वेल्स सूखे हैं और पानी नहीं जाता। इसमें यह हुआ कि पावर २, ३ टाइम ट्यूबवेल में कनवर्ट कर दी गई और १/३ ट्यूब वेल जितना एक वक्त में काम करते थे, उसको पहिले ८ घंटे चलाया गया, लेकिन उससे काफी पानी नहीं पहुंचता था। जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अब हम बजाय ८ घंटे के २४ घंटे चलायेंगे और ३ दिन बाद जब उसकी बारी आयेगी तो बराबर २४ घंटे पानी देंगे। उससे यह समझा जाता था कि काफी सैटिशफैक्शन हो जायेगा। बहरहाल अब वहां बिजली आ गई होगी, और जो तकलीफ बयान की गई है, वह बाकी न रही होगी।

यह भी शिकायत की गई कि गलत आदमियों को दुकानें दे दी गई हैं। यह ऐसी चीज है जिसके मुताल्लिक कोई कानून नहीं बनाया जासकता है। और आप को कोई शिकायत है, तो आप कलेक्टर या हमारे यहां शिकायत कर दें, और हम उसकी इनक्वारी करा लेंगे, जिनको दुकानें दी गई हैं, वह इसके मुस्तहक थे या नहीं। इसका इन्तजाम तो हो सकता है, यह ऐसी बात नहीं है कि कोई काबिले हल न हो। श्री हृदय नारायण सिंह ने आंकड़े बयान किये और यह साबित करने को कोशिश की उन आंकड़ों से जितनी तरक्की होनी चाहिये, उतनी नहीं हुई और करीब-करीब तरक्की नहीं हुई। इस वक्त मेरे पास आंकडे नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि तरक्की हुई है। नयी इरीगेशन फैसिलिटीज के देने के बाद १½ गुना जमीन तोड़ी गई, फर्टिलाईजर्स दिये गये कम्युनिटी सेन्टर्स और ब्लाक्स के जरिये, अच्छा बीज और खाद दी गई, तो इन सब चीजों के बावजूद अगर कहा जाय कि तरक्की नहीं हुई, समझ में नहीं आता है। पैदावार कैसी बढ़ी है। फसल का नुकसान हुआ, इसको तसलीम करता हूं। बहुत कुछ आफतनागहानी डेढ़ दो साल से आती रही, जैसा कि मैंने अर्ज किया सूखा पड़ा, बारिस ज्यादा हो गई। इस तरह से तकलीफ हो गई। यह भी कहा गया कि सूरत हाल ऐसी है कि आगे चलकर तकलीफ होगी, ऐसा अन्दाज किसी साहब ने बताया, कम से कम मैं इसको नहीं मानता मैं उम्मीद कर रहा हूं और सरकार की कोशिश है कि फूड प्रोडक्शन बढ़े, तो आगे

चल कर, मैं उम्मीद करता हूं कि तकलीफ रफा हो जायगी। यह भी कहा गया है कि बीच में जो बनिया होता है, उसके बारे में कहा गया, कि वह अनाज खरीद लेता है, वह काश्तकारों को रुपया बांट देता है और बाद में उनसे ले लेता है और बाद में गरां कर के बेचता है। यह ठीक है। जहां तक मुझे मालूम हुआ है, केन्द्रीय सरकार इस मसले पर गौर कर रही है, यह मसला जेरे गौर है, कि किस तरह से काश्तकारों को नुकसान से बचाया जाय। अगर हो सके तो यह कोआपरेटिव जरिये से ऐसा किया जाये, जो मुनासिब है और ऐसा निर्ख पर जो उसके लिये फायदेमन्द है, उसका अनाज खरीद लिया जाय तो अच्छा होगा। एक चीज काबिले गौर जरूर है। आप को याद होगा कि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ सन् ५४ में यह हुआ थी कि हमारे यहां इतनी फसल इफरात हुई थी कि जिसकी वजह से हमारे यहां इतनी हालत पहुंच गई थी कि गवर्नमेन्ट को बाजार में जा करके, कीमत को इस्टेब्लाइज करने के लिये अनाज खरीदना पड़ा। बाजार में चार सेर और साढ़े चार सेर का अनाज बिकने लगा। उस वक्त गवर्नमेंट को आवश्यक हो गया कि हम प्राइस पोर्ट लागू करें, ताकि बाजार गिरने न पाये। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, तो काश्तकारों की इच्छा नहीं होगी, कि वे ज्यादा अनाज पैदा करें। इस तरह से उसमें करोड़ों आदमियों का नुकसान होगा। प्राइस ज्यादा घटने न पाये और ज्यादा बढ़ने न पाये, जिससे कि कामन मैन के ऊपर असर पड़े। अब चार सेर में और दो सेर में दो सेर का फर्क है। इस वक्त दो सेर बढ़ जाय और रुपये का चार सेर मिलने लगे, तो फौरन आफत हो जायेगी, और यह होने लगेगा कि काश्तकार तबाह हो गये। इस वक्त सवा दो सेर और अढ़ाई सेर का अनाज, कहीं-कहीं मिल रहा है। इस वक्त हम समझ रहे हैं कि कीमत बहुत ज्यादा घट गई है। यह दाम ज्यादा है। यह कामन मैन के लिये, जो कम तनखाह पाता है, उनको इससे तकलीफ हो रही है, बहरहाल इन दोनों के बीच में हमें कोई फीगर कायम करनी होगी, कि एक तरफ काश्तकार तबाह न हो और दूसरी तरफ कामन मैन तबाह न हो। जैसा मैं शुरू में कह चुका हूं। अगर आप इस प्वाइंट आफ व्यू से देखेंगे जिससे आपको अन्दाजा मिलता है, तो इससे सबकी भलाई होगी। बहरहाल अनाज की कुछ कमी है उसका इलाज हम कर रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं। जब नई फसल पैदा हो तो हमें उम्मीद है कि हालत दुरुस्त होती चली जायेगी। मैं माननीय सदस्यों को बहुत ज्यादा मशकूर हूं कि उन्होंने, जो सरकार ने कोशिश की है, उसको एप्रिसियेट किया है।

सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित उर्दू पत्रिका "नया दौर" की माह जुलाई, सन् १९५७ की प्रति में हाबी हाली खां "बेखुद" के एक शेर से समाज के एक वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने की आशंका के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर सरकारी वक्तव्य

श्री चेयरमैन--खाद्य स्थिति पर बहस खत्म हुई। अब माननीय मंत्री जी ऐडजर्नमेन्ट मोशन के संबंध में कुछ कहेंगे।

***श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--"नया दौर" के जुलाई के पर्चे में, उसके ज्वाइंट एडीटर की लापरवाही से, जो काबिले एतराज कविता प्रकाशित हो गई है, उसको और सरकार ने तुरन्त ध्यान दिया, और उसी संबंध में यह कार्यवाही की गई है।

१--"नया दौर" की जुलाई की जितनी कापियां अभी तक तकसीम नहीं हुई थीं उनकी तकसीम रोक दी गयी है।

२--जो कापियां बट गई हैं, उन्हें वापस मंगाने की कार्यवाही की जा रही है।

---

*मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

३--"नया दौर" के अगले पर्चे में इस अफसोसनाक कविता के छप जाने पर माफी मांगी जायगी।

४--"नया दौर" के ज्वाइंट एडीटर को, जिनकी गलती से यह कविता छप गई थी उस पर्चे की ज्वाइंट एडीटरी से हमेशा के लिये अलग कर देने के लिये आर्डर हो चुके हैं। उनके कैरेक्टर रोल में यह एन्ट्री की जा रही है कि उन्हें इस लापरवाही में ज्वाइंट एडीटरी से अलग कर दिया गया है।

श्री चेयरमैन--इतनी कार्यवाही हो जाने के बाद अब इस कार्य स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

उत्तर प्रदेश में इन्फ्लूएंजा की बीमारी से उत्पन्न परिस्थिति पर साधारण वाद-विवाद

श्री चेयरमैन--अब उत्तर प्रदेश में इन्फ्लूएंजा की बीमारी से उत्पन्न परिस्थिति पर आम बहस होगी। पहले मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट होगा फिर बहस होगी।

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी (स्वास्थ्य उपमंत्री)--मैं कुंवर गुरु नारायण, और दूसरे मेम्बर साहबान का, जिन्होंने मुझे इस सिलसिले में बोलने का मौका दिया, मशकूर हूं इससे काफी फायदा होगा। जो कुछ इस सिलसिले में प्रयत्न किया गया है, वह मैं बताऊंगा और जो तजुर्बेकार लोग हैं, उनकी राय से हम आइंदा फायदा उठा सकेंगे। मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां जो लोग बाहर से आये, उनकी वजह से इंफ्लुएंजा हुआ। जो मरीज दिल्ली कलकत्ते से आये, उनकी वजह से यह बीमारी फैली। शुरू में यह बीमारी कलक्टरगंज, जिला बरेली और रामपुर में हुई। उसके बाद यह बीमारी फैलते फैलते बड़े शहरों और जिलों में फैल गई, और सारे स्टेट में हो गई। जन के मिडिल तक एपीडेमिक फार्म में यह बीमारी खास २ बड़े शहरों में हो गई। उनमें से मुख्य लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, फैजाबाद और मथुरा है। यह बीमारी सन् १७/१८ की अपेक्षा अब की बार कमजोर रही और अधिकतर यह बीमारी चार पांच दिन रही। बाद में लोग अच्छे हो गये। मौतें भी बहुत कम हुईं। ऐसे केसेज भी कम हुए जिनमें अस्पताल में जाना पड़ा हो। खास तौर से यह बीमारी बड़े शहरों में जहां आबादी ज्यादा है, या जो तीर्थयात्रा की जगहें हैं, या जहां इंडस्ट्री अधिक है, वहां हुई। रूरल एरियाज में इसका असर कम हुआ। बड़े-बड़े शहरों में ३१ जुलाई तक जितने मरीज हुए, उनकी तादाद है, एक लाख ६३ हजार ४६२। इनमें ३८ मौतें हुई हैं। इनमें ज्यादातर ८० फीसदी तक बीमार, और ५० फीसदी मौतें शहरों में हुई हैं। मेरे पास जो जिलेवार बड़े-बड़े शहरों की रिपोर्ट है, उसे सुनाता हूं। आगरे में ३१,७२६, इलाहाबाद में ९,७५६, वाराणसी में ११,०६१, फिरोजाबाद में १३,०१२, कानपुर में ५,८११, लखनऊ में ३०,९९०, मथुरा में ९,३४८ और फर्रुखाबाद में ४,१४९ लोग बीमार हुए। इन शहरों में १८ मौतें हुईं। हर शहर का मेरे पास स्टेटमेंट मौजूद है और शहरों का अलग-अलग बता दूंगा।

जो चीज इस बीमारी से बचने के लिये जरूरी थीं, वह सब स्टेट ने किया। ज्योंही इस बिमारी की खबर पूर्व की तरफ से लगी कि यह बीमारी आ रही है, तो हमने बड़े-बड़े डाक्टरों की मीटिंग बुलाई, उनसे खास-खास प्रीकाशन लेने के लिये सिविल सर्जन्स, सुपरिन्टेन्डेन्ट्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ आफिसर्स आदि सब को आगाह कर दिया गया कि फौरन तैयार रहें और जो केस इस बीमारी के हों, उनको अलग दवा का इंतजाम करें, और दवा भेजना शुरू कर दिया। इसमें कुल रुपया हमने साढ़े छः लाख खर्च किया। उस समय जो

एपीडेमिक पर खर्च होने को था वह भी हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से इसके लिये मंजूर करा लिया। ४ लाख दवा में, १ लाख ४१ हजार सिविल सर्जन्स, और दूसरी संस्थाओं को, जो काम कर रही थीं, उनके हवाले किया कि जो वह जरूरत समझें उसमें वह खुद भी खर्च कर सकते हैं। इस बीमारी को अन्डर सेक्शन २७१ यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, नोटिफाइड कर दिया इस स्टेट के अन्दर। एपीडेमिक रिलीफ के अन्दर, स्पेशल पावर डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स को इस बीमारी को चेक के लिये दे दिये गये, ताकि वह ताकत हासिल करके नये नये मेजर्स अख्तियार करके इसको रोकें और यह बड़े-बड़े शहरों में किया गया। हमने यह भी किया कि बड़े-बड़े शहरों में, जहां कम जगह थीं और मरीज अधिक थे, वहां जगहें अस्पताल की खाली कराई गई, और लखनऊ, कानपुर ऐसी बड़ी-बड़ी जगहों पर, बड़े बड़े अस्पताल इसके लिये खोले गये। आपने देखा होगा कि हजरतगंज में शामियाना लगवा दिया गया, ताकि मरीजों का वहां ठीक से इलाज हो सके। मकान दारों से कहा गया कि मकान का अधिक किराया ले कर साया डाल दें, और उनमें अस्पताल खोल दिये गये। कुछ डिस्पेंसरीज ने अपनी मोबाइल डिस्पेंसरीज कायम कर दीं, और मोटरों में दवा लेकर मुहल्ले मुहल्ले में जा कर दवा बांटते थे। लखनऊ में १६ मोबाइल डिस्पेंसरीज, १२ एलोपैथिक और ४ आयुर्वेदिक, डिस्पेंसरी कानपुर में ११ एलोपैथिक, ६ मोबाइल, बनारस में १ डिस्पेंसरी, फिरोजाबाद में १ एलोपैथिक, और १ मोबाइल, इलाहाबाद में ६ डिस्पेंसरीज मोबाइल, मथुरा में ३ डिस्पेंसरीज १ मोबाइल, आगरा में ३ डिस्पेंसरीज, और ९ मोबाइल और बढ़ाये गये। इसके अलावा स्वदेश संघ और दूसरी संस्थायें जो काम कर रही थीं उनको बांटने के लिये मुफ्त दवा दी गई। और उनकी मदद की गई। जहां जरूरत थी वहां पर नये डाक्टर्स और कम्पाउन्डर्स खास तौर से रखे गये। जो एजुकेशनल अथारिटीज हैं, उन को यह सलाह दी गयी कि वे स्कूल तथा कालेजों को बन्द कर दें, और आप को मालूम होगा, कि जुलाई की २२ तारीख से स्कूल तथा कालेज खुले हैं। कहीं कहीं ऐसा मालूम हुआ कि वहां पर बीमारी थी, और बच्चों में बीमारी हो गयी। अगर हम २२ तारीख तक स्कूलों को बन्द नहीं करते तो बहुत ज्यादा नुकसान होता। म्युनिसिपल हेल्थ आफिसर्स से कहा गया कि जहां काफी भीड़ रहती है, वहां पर भीड़ कम करने की व्यवस्था की जाय और सिनेमा इत्यादी बन्द कर दिये जांय ताकि अधिक भीड़ न हो। जहां-जहां जरूरत महसूस हुई सिनेमा घर बन्द कर दिये गये। बड़े-बड़े शहरों में, जो सफाई की जरूरत थी, वहां पर सफाई का काम जोरों के साथ किया गया। कूड़ा ज्यादा एक जगह पर एकत्रित नहीं होने दिया गया, और अधिक मेहतरों को रखा गया। बदकिस्मती से बीमारी ने मेहतरों को भी नहीं छोड़ा इस लिये उनकी संख्या बढ़ायी गयी। जैसा मैंने पहले बतलाया कि बड़े बड़े डाक्टरों की भी समय-समय पर कान्फ्रेंस की गयी, और आपस में बैठक कर तय किया गया कि कहां कहां पर क्या किया जाय। हेल्थ पब्लिसिटी बराबर की गयी। हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी के अखबारों में यह छापा गया कि लोगों को क्या-क्या काम करना चाहिये जिससे बीमारी न बढ़े और वह काम बराबर करते रहें। प्रोपेगेन्डा भी किया गया, लीफलेट और पैम्फलेट्स भी बांटे गये। हेल्थ मिनिस्टर साहब, मैं और हमारे डाइरेक्टर ने, काफी दौरा करके इन्तजाम को देखा और वहां फौरन जो जरूरी बात थी, वह दी गयी। मैं समझता हूं कि मैं आप का ज्यादा वक्त न लूं और जिस लिस्ट का मैंने जिक्र किया था उस को सुना दूं।

श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी—What is the present positih ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—अब यह है कि जहां-जहां पहले नहीं हुआ था वहां पर अब हो रहा है। लेकिन जहां पहले हो गया है वहां कम हो रहा है। जो कहा गया था कि सेकेन्ड वेव आने वाला है, तो सेकेन्ड वेव वही है, जहां पर अब हो रहा है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--क्या मिनिस्टर साहब और डिप्टी मिनिस्टर साहब को भी यह बीमारी हुई है ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं अभी तक इस बीमारी से बचा हुआ हूं। अब आप को वह फीगर्स बतला देना चाहता हूं, आगरा सिटी ३२,१२६, आगरा डिस्ट्रिक्ट १, ३९६, अलीगढ़ सिटी १,८१४, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट १४५, इलाहाबाद सिटी १०,९६५, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ५६, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट २५ जिनमें से ३ मरे भी हैं, अल्मोड़ा सिटी १३७, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट १,१९६, बहराइच सिटी ३४२, बहराइच डिस्ट्रिक्ट ३४३ जिनमें से १ मरा है, बलिया सिटी २७९ जिनमें से १ मरा है, बलिया डिस्ट्रिक्ट १३०, बांदा सिटी २, बांदा डिस्ट्रिक्ट ११२ जिनमें से २ मरे हैं।

श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी--इन फीगर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--मैं सिर्फ यह बतला देना चाहता हूं कि सब से ज्यादा बीमार लखनऊ शहर में हुये हैं जिन की संख्या ३२,२९४ है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--इस विषय में मुझे इतना ही अर्ज करना था कि इसके इलाज में कौन सा सिस्टम कामयाब रहा है।

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--यह तो ऐसी बीमारी हुई है कि जिसमें किसी को विशेष हानि नहीं हुई है। बहुत सी जगहों पर तो बिना दवाई के भी ठीक हो गया लेकिन इसके लिये कौन सा सिस्टम अच्छा रहा, यह तो रिसर्च की बात है, और इसके लिये रिसर्च करने से ही पता चल सकता है कि कौन सा सिस्टम इसमें कामयाब अधिक हुआ। फिर भी इस चीज के ऊपर अमल हो रहा है। मैं समझता हूं कि जितना सरकार को इस विषय में ज्ञान था, वह मैंने इस सदन के अन्दर प्रस्तुत कर दिया है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का बहुत ही कृतज्ञ हूं कि उसने इस बात का मौका दिया है, कि जो इनफ्लुएंजा एपेडेमिक है, उसके सम्बन्ध में इस सदन में कुछ जानकारी प्राप्त की जा सके और उसके बारे में हम लोग कुछ सुझाव दे सकें। श्रीमन, यह बहुत ही अनचैरिटेबिल होगा यदि मैं इस प्रकार की दैवी आपत्तियों का दोष गवर्नमेंट के ऊपर स्थापित करूं ऐसी आपत्तियां तो आती ही रहती हैं और उनका मुकाबला भी किया ही जाता है लेकिन हमको यह देखना पड़ता है कि जो ऐसे एपेडेमिक हुये उसमें जनता को कितना कष्ट हुआ और सरकार की तरफ से उसके लिये क्या प्रबन्ध किया गया। जहां तक फ्लू का सम्बन्ध है, जिसके सम्बन्ध में समाचार पत्रों द्वारा हमें मालूम हुआ, कि सर्व प्रथम कुछ यात्री एक जहाज में आये और वे मद्रास के हारबर पर जब पहुंचे, तो वहां पर फ्लू प्रारम्भ हो गया। कुछ डाक्टर वहां पर गये तो उनको भी इनफ्लुएंजा हो गया, फिर उसके बाद यह बढ़ते-बढ़ते पूरे मद्रास में हुआ, मैसूर में हुआ, दिल्ली में पहुंचा और दिल्ली से हो करके, तमाम भारतवर्ष में इस रोग का प्रकोप हुआ। इसके सम्बन्ध में यह जानकारी आजतक नहीं मालूम हो सकी कि इस बीमारी का कारण क्या है। यद्यपि बड़े-बड़े साइन्टिस्ट हैं, बड़े-बड़े डाक्टर्स हैं, मुझे नहीं मालूम कि उन लोगों ने क्या इसके विशेष कारण बतलाये लेकिन अनुमान ऐसा किया जाता है, कि चूंकि पहले युद्ध के बाद भी इसी तरह का एक एपेडेमिक हुआ और दूसरे युद्ध के बाद भी इस तरह का एपेडेमिक हुआ, तो अन्दाजा ऐसा लगाया जाता है कि यह जो महायुद्ध होते हैं उनमें कुछ गैसेस का कम्बिनेशन ऐसा बन जाता होगा जो कि सारे एटमासफेयर में घूमते फिरते हैं और वहां हवा जब बढ़ती है तो वही हवा सारे देश में फैलती है, और यह इस तरह से विश्वव्यापी भी हो सकता है। पिछली बार का तो मुझे मालूम भी नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन इस बार इतना तो जरूर है कि इससे मौतें कम हुई हैं। लेकिन इससे इनसान को बहुत तकलीफ हुई है और स्वास्थ्य के लिये यह इतना घातक सिद्ध हुआ है, कि इनसान की जो वाइटेलिटी है, उसको इसने बिल्कुल ही खाक

कर दिया है। मुझे इस बात का जरूर आश्चर्य है और मैं यह कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये कि इतने आदमी बीमार हुये और इतने आदमी मरे, मैं उन आंकड़ों के ऊपर विश्वास करने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं तो समझता हूं कि शायद ही कोई घर ऐसा रहा हो जहां पर कि इन्फ्लुएन्जा के रोगी न रहे हों, और कि हम किन्हीं घरों में तो इसका इतना प्रकोप रहा कि घर के अन्दर सारे के सारे आदमी इससे ग्रसित हुये। जहां तक औषधियों का ताल्लुक है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि औषधियां लगा की दी गयीं लेकिन हम तो यही नहीं निश्चित कर पाये कि इसका ट्रीटमेंट जो है वह किस प्रकार का हो। जो बड़े-बड़े लोग हैं उनके लिये तो डाक्टर लोग सल्फा ड्रग्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं, जिनकी कीमतें इतनी ज्यादा होती हैं कि अगर कोई गरीब आदमी अगर बीमार पड़े तो उसके लिये मुश्किल है कि वह इन तरीकों को इस्तेमाल कर सके। दवाओं की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि उन को गरीब आदमी खरीद भी नहीं सकता है, यह उस की ताकत के बाहर है। उस को जो ड्रग्स हैं उन का इस्तेमाल किस तरह से हुआ, क्या-क्या दवाईयां थीं, और किस प्रकार से भेजी गयीं, और डाक्टरों को क्या-क्या आदेश दिये गये, इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह मैं मानता हूं कि शहरों की आबादी देहातों से अधिक होती है, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बहुत से ऐसे देहात हैं, जहां पर यह बीमारी फैली और जिस से लोगों को काफी तकलीफ हुई।

श्री हुकुम सिंह (कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, सहायता व पुनर्वास मंत्री)--किस देहात में फैली उस का नाम मुझे बतला दीजिये?

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं तो हाफिज जी की राय का हूं कि जब मैं बोला करता हूं तो फिर किसी की सुनता नहीं हूं। आप को जो कुछ कहना है वह बाद को कह लीजियेगा तो इस तरह से यह बीमारी फैली, और इससे बहुत से लोगों को कष्ट हुआ। श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने क्या लाइन आफ ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किये हैं और दवाइयों के बांटने लिये क्या-क्या उपाय किये हैं। यह बात सही है कि रोकथाम के लिये स्कूलों को थोड़े दिनों के लिये बन्द कर दिया गया था, सिनेमा भी बन्द कर दिये गये थे, लेकिन रेलवे और रोडवेज पर किसी प्रकार का कोई चेक नहीं था। सरकार इनके लिये भी कोई कदम उठा सकती थी। माननीय मंत्री जी के आंकड़ों से तो ऐसा मालूम होता है कि यह बीमारी दब गयी है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी दबी नहीं है, बल्कि इसका प्रकोप अभी उसी प्रकार से चल रहा है और जिन लोगों को यह बीमारी नहीं हुई थी, अब उनको भी हो रहा है। मैं सरकार से खास तौर से यह बात जानना चाहता हूं कि उसने क्या लाइन आफ ट्रीटमेंट डाक्टरों के पास भेजे। मोबाइल डिस्पेंसरी के लिये क्या किया। अस्पतालों में सिर्फ कुछ थोड़े से बेड्स बढ़ा देने से काम नहीं चलता है। हैजा वगैरा तो ऐसी बीमारी है, जिसके मरीज अस्पताल में चले जाते हैं, लेकिन इसके बहुत से मरीज अस्पतालों में नहीं गये, वे लोग जैसे तैसे घर पर ही पड़े रहे, और वहीं दवा करते रहे। शहरों में हर मोहल्ले में दवाइयों का इन्तजाम करना चाहिये था। इसके अलावा एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनमें त्याग की भावना नहीं है। उनमें वह भावना नहीं है कि ऐसे मौके पर वे लोग फ्री सर्विस करें और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। उन लोगों में अभी इस प्रकार की भावना नहीं है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे उन के हृदय में त्याग की भावना पैदा हो और वक्त पर अधिक से अधिक त्याग कर सकें। पहले बम्बई में फ्लू हुआ और कई हजार आदमी बीमार हुए। और लोगों ने तो मजाक उड़ाया कि यह पब्लिक एपेडेमिक है। यह अखबार वालों को एक न्यूज मिल गई और उन्होंने उसे छापना शुरू कर दिया कि बहुत जोरों से इसका प्रकोप चल रहा है, लेकिन बाद में तो घर-घर में यह चीज फैली और तभी सरकार को इसका अन्दाजा हुआ। मैं चाहता हूं कि अब

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

भी इस बीमारी से फाइट किया जाय और यह सरकार न कहे कि यह इसके लिये सब कुछ कर रही है, जो कुछ वह कर सकती है, वह कर रही है, जैसा कि इसके लिये माननीय मंत्री जी कहेंगे। इसलिये मैंने निवेदन कर दिया है कि अब भी सरकार इसे करने के लिये जो कमियां रह गई हों, उनको वह पूरा करे। इससे आज भी बहुत लोग परेशान हैं। यह तो ठीक है कि बड़े लोग किसी तरह से अपने को ठेल लेते हैं, और उसके लिय जो दवाइयां हो सकती हैं, उनको ले लेते हैं, लेकिन गरीबों को इससे बहुत परेशानी होगी। उनके लिये, प्रापर ट्रीटमेंट देहातों में, जिले के हेडक्वार्टर्स में हो और ऐसा आप का इन्तजाम न हो कि वहां पर उनको ट्रीटमेंट ही न मिले। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी ग्रेविटी पर विचार किया जाय और सरकार इसके लिये जो कदम उठा सकती है, वह उठाये। इसमें कम्पलीसेन्सी न हो, यह समझ कर कि अब तो फ्लू खत्म हो गया है, और अब चिन्ता की कोई बात नहीं है। अगर कम्पलीसेन्सी हुई, तो हमारी मुसीबतें बढ़ेंगी और हमें मुश्किलें उठानी पड़ेंगी।

श्री वीरेन्द्र स्वरूप--(स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार की ओर से माननीय उप मंत्री जी ने इंनफ्लुएन्जा पर जो कुछ भी किया गया, उसको बतलाया है और उसका विवरण दिया है, उससे हमें यह जानकारी तो अवश्य हुई है कि सरकार ने इस बात के लिये कदम उठाये कि इस बीमारी से फाइट किया जाय। और मैं इस सदन में आप के जरिये से, सरकार ने इस बीमारी से फाइट करने के लिये जो कुछ भी किया है, उसके लिये उसे बधाई देता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं यह समझता हूं कि कुछ कदम ऐसे रह गये थे जिनके लिये कि सरकार को विचार करना चाहिये था। मैं सरकार का ध्यान आप के जरिये से इस ओर दिलाऊं। वाकया यह है कि यह फ्लू एशयन फ्लू के नाम से पुकारा जाता है और डब्लू एच० ओ० में इसके लिये कार्य हुए। सिबसे पहले जनवरी के महीने में यह नार्थ चाइना में फैला, उसके पश्चात् फरवरी में कैन्टन आया मार्च में संघाई आया और मई में सिंगापुर होता हुआ आप का मेहमान बना और इस देश में आया। यह बीमारी तो दूसर मुल्कों में जनवरी में फल चुकी थी और जनवरी, फरवरी में सरकार ने इससे बचने के लिये क्या किया। इसके लिये कहा जा सकता है कि That our Government was found napping when the Flu knocked at the doors of this country. लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब से हमारे यहां फ्लू आया, उसी वक्त से हमारे यहां कार्य शुरू किया गया। जून में जिस वक्त यह दूसरी स्टेट्स में आ चुका था, उस समय भी सरकार ने कोई एफेक्टिव कदम नहीं उठाये जिससे कि हम फ्लू से फाइट कर सकते। हुआ यह कि सरकार ने Unsuccessful resistence to the epidemic after the epidemic had already raged in a virulent form throughout the State. मैं आपके जरिये से निवेदन करूंगा कि एलर्ट गवर्नमेंट होने के नाते सरकार का यह फर्ज था कि जब यह बीमारी नार्थ चाईना, कैन्टन, संघाई और सिंगापुर होती हुई जून में यहां पहुंची और दूसरी स्टेट में होती हुई यहां आयी, फिर भी Should have been geared into full action to fight it at the very borders of the State.

हुआ क्या, कहा यह जाता है कि, मेडिकल एक्सपर्टस की ओपीनियम यह है "That the Flu travels as the fastest aircraft does." इस पर गौर नहीं किया, अगर इस ओपीनियम को मद्दे नजर रखा जाता। और जो सरकार ने प्रिकाशनरी मेजर्स लिये फ्लू आने के बाद वह पहले से लिये जा सकते थे। अगर ऐसा किया जाता तो काफी अच्छा रजिस्टेंस हम फ्लू को आफर कर सकते थे।

श्री हृदय नारायण सिंह—चाइना से एयर क्रैफ्ट को आने में कितने दिन लगते हैं।

श्री चेयरमैन—आप चेयर को एड्रेस करें।

श्री वीरेन्द्र स्वरूप—पर हुआ यह कि "when the aircraft of flu touched the Indo Carpes then the eyes of the Govt. were opened." अगर पहिले से प्रिकाशनरी मेजर्स लिये गये, होते, तो मुझे काफी आशा है कि जो फटल केसेज हुए, वह न हुए होते।

श्री हुकुम सिंह—कोई कदम तशरीह कर दीजिए।

श्री वीरेन्द्र स्वरूप—यह तो आप बतलायेंगे। अब मैं कन्स्ट्रक्टिव सजेशन पर आते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि एक नेट वर्क आफ इनफ्लूऐंजा लेब्रेटरीज का सारे स्टेट में सेट अप कीजिए। यह मुमकिन है कि दो तीन महीने में इनफ्लूएजा का नामोनिशान न रह जाय। लेकिन इनफ्लुएजा का इतिहास बताता है कि यह दूसरी दफा वापस आया है विद इन दि लास्ट हाफ सेंचुरी। इसलिये यह तीसरी दफा भी आ सकता है। इस लिये सरकार को इस बात में कोई काम्पलीसेंसी नहीं होनी चाहिये। और ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे हमारी स्टेट में नेट वर्क आफ इनफ्लुऐंजा लेब्रोटरीज कायम हो सके। जहां रिसर्च हो सके जिससे हम इनफ्लुएंजा को बार्डर पर ही फाइट कर सकें। एक सेकेन्ड लाइन आफ डिफेंस भी हेल्थ डिपार्टमेंट को बनानी चाहिये। वह एन्टी वाइडेक्ट इकट्ठा करें। हालांकि ऐन्टी वाइडेक्स, जो वाइरस है, इंफ्लुऐंजा के, वह उस पर ज्यादा काम नहीं करते। मालूम हुआ है कि रशन साइन्टिस्ट्स ने कोई ऐसा मैथड निकाला है कि जिसे ह्यूमन बाडीज भुला देते हैं फिर इस बात की जरूरत नहीं रह जाती कि डिजीज को प्रोवोक करने के बाद क्योर किया जाय। मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार अपने यहां के डाक्टर्स से कहेगी कि वह भी इसी प्रकार से रिसर्च करें। जैसा कि सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों से मालूम होता है कि जून २९, ३० या पहली जुलाई तक यह बीमारी पीक पर थी, इस प्रदेश में। तब से लगातार डिक्लाइन हो रही है। सरकार की ओर से यह आशा की गई है कि यह डिक्लाइन कायम रहेगा। हम यह आशा करते हैं कि जो प्रिकाशनरी मेजर्स सरकार ने जारी किये थे, वह कम से कम दो महीने तक और कायम रखेगी।

श्री हुकुम सिंह—दो महीने से ज्यादा जारी रखेंगे।

श्री वीरेन्द्र स्वरूप—और अच्छी बात है। दूसरी चीज यह है कि स्टेट वाइड सेनीटेशन ड्राइव जारी किया जाय।

जरूरत इस बात की है कि सरकार हर शहर में यह कदम उठावे जिससे कि एक साइक्लाजिकल एफेक्ट क्रियेट हो जाय। यह कुछ चन्द बातें हैं जिसके द्वारा मैंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया। मेरी मंशा यह नहीं थी कि सरकार की आलोचना करूं, बल्कि मेरी मंशा यह थी कि कुछ कान्सट्रक्टिव सुझाव दूं जिससे कि सरकार को इस काम में मदद मिले।

*श्री अब्दुल शकूर नजमी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इनफ्लुऐंजा के बारे में, हमको डिटेल में सरकारी तौर पर रिपोर्ट सुनने को मिली और कितने मरीज अच्छे हुए कितने मरे, यह भी फीगर्स सरकार की तरफ से दी गई। प्राइवेट तौर पर कितने मरीज इसका इलाज कराते रहे और कितनों को रिलीफ हुआ इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ यह बताया गया कि सरकारी अस्पताल में कितने मरीज

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री अब्दुल शकूर नजमी]

आये, कितने अच्छे हुए और कितनों को रिलीफ मिला, इस पर सरकार ने रोशनी डाली है। बहरहाल, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं कि कितने अच्छे हुए या कितने मरे। मैं जो कुछ अर्ज करने के लिये खड़ा हुआ हूं वह यह है कि सरकारी तौर पर जिन बातों को मंशा बना कर हिदायतें जारी की गईं कि मरीजों को सुविधा मिले, उसके बारे में मुझे बहुत कुछ शिकायत है। जो रिपोर्ट आई है वह अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, लेकिन मैं खुद एक वाकया बयान करना चाहता हूं। मैं खुद इसका शिकार रहा हूं और मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं २० तारीख को बीमार हुआ। आठ दिन तक पड़ा रहा। इस बीच कुछ खाने को भी नहीं मिला। दारुल शफा में मैं पड़ा रहा। गजेन्द्र सिंह और घासी राम साहब भी मौजूद थे। कई म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर भी मौजूद थे। कई बार डाक्टर साहब को फोन किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। २७ तारीख को टैबलेट्स मिलीं और यह बताया गया कि डाक्टर साहब को इनफ्लुएंजा हो गया है। मेरे पास मेडिकल कालेज के कई लोग आते रहे। तो यह हाल हम लेजिस्लेचर्स का है, जो दारुल शफा में रहते हैं। यह रवैया रहा सरकारी डाक्टर का जो कि डालीगंज में रहते हैं। होता क्या है कि फोन डिसकनेक्ट करके रख दिया जाता है और कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हम विधायकों के साथ यह बात होती है जो खर्च होता है उसको वह पास करते हैं। यही नहीं मैं कुछ और भी मिसालें दे सकता हूं जहां यह हाल हुआ। इटावा में मैंने देखा कि बहुत से मरीज अस्पताल में हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। मैंने उनको ले जा कर प्राइवेट डाक्टरों को दिखाया, तो मेरा कहना है कि जिन्दगी का कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें खराबी न आई हो। हर डिपार्टमेंट में यह चीज देखने को मिलती है। रिपोर्ट देखने में बहुत अच्छी है लेकिन असलियत क्या है, इसको तो आप खुद समझ सकते हैं। अगर सरकारी कर्मचारियों की ही बात सही मानी जाती है और हम लोगों की बात की कोई सुनवाई नहीं होती है तो फिर इस स्टेट का खुदा हाफिज। बस मेरा यही कहना है।

श्री हृदय नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फ्लू बहुत से देशों में फैला, हमारी सरकार ने कहां तक उसको प्रीवेंट कर पाया, यह मैं नहीं कह सकता। अगर कोई वाल, सी शोर पर बना दी जाती या बेलून बना दिया जाता तो भी मैं समझता हूं कि यह रुकनेवाला नहीं था। लेकिन जब आया तो उसका सामना कैसे किया जाय, इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। माननीय उपमंत्री साहब ने कहा कि इतने रुपये खर्च हुए, इतने मरीज हुए और इतनी मौतें हुईं। उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई सीरियस बीमारी नहीं थी, २–१ दिन बुखार आता है और उसके बाद आदमी अच्छा हो जाता है। मैं समझता हूं कि यह बहुत दूर तक सही नहीं है। जो लोग बीमार हुए हैं, सौभाग्य से मैं तो बीमार पड़ा नहीं और न मेरे परिवार में कोई पड़ा, जैसे कि हमारे मंत्री जी के परिवार में कोई नहीं पड़ा।

श्री हुकुम सिंह—मेरे परिवार में भी बीमार हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—जो इस बीमारी में मुब्तिला हुए उनका कहना है कि १–२ हफ्ते तक तो काम करने का जी नहीं चाहता है, अजीब पस्तहिम्मती रहती है। चाहिये यह था कि इस प्रदेश का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, वह इस बात की इनक्वायरी करता कि जो बीमार हुए हैं उस बीमारी के बाद उसका असर उन पर क्या हुआ।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां डाक्टर्स नहीं उत्पन्न होते हैं बल्कि मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले उत्पन्न होते हैं। कहा जाता है कि यह एशियन फ्लू है, यह सुनने में आया कि अमेरिका में डाक्टर्स ने वैक्सीन सैपरेट की और दवा का ईजाद किया। हालांकि कास्टली मेडिसिन ईजाद हुई। मगर हमारे यहां क्या हुआ कोई रिसर्च डिपार्टमेंट को माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया कि कोई रेमडी निकालें, अगर दिया होगा तो मुझे खुशी होगी। एक बात

और है एलोपैथिक इलाज बड़ा कास्टली है। वैसे तो एक दवा का दाम ३ आने होता है लेकिन मिलती है एक या सवा रुपये में, जो हर एक के लिये दुर्लभ है। जैसा कि कुंवर गुरु नारायण जी ने कहा कि साधारण लोगों के बस का नहीं है कि एलोपैथिक दवा करा सकें। एलोपैथिक डाक्टर को बुला कर इलाज कराना बड़ा कठिन है। अस्पताल में इलाज हो तो अच्छा है लेकिन सरकार को सोचना चाहिये कि एलोपैथिक दवा के जो दाम हों, वह जनता के विदिन मीन्स हों और जो डाक्टर की फीस है वह भी उनके देने की शक्ति के अन्दर हो, जिसे गरीब आदमी दे सके।

रिपोर्ट ऐसी निकली थी कि आयुर्वेदिक दवा से काफी मरीज अच्छे हुए हैं। जितने एलोपैथिक से अच्छे हुए उससे ज्यादा आयुर्वेदिक से अच्छे हुए। स्कूलों में पहले ऐसा होता था कि फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लड़कों को दी जाती थी, जिससे उनको मालूम हो जाता था कि अगर कोई ऐसा बीमार हो तो उसको क्या सहायता देनी चाहिये।

मेडिकल डिपार्टमेंट की लाचारी है, सरकार कहती है कि हमारे पास इतने आदमी नहीं हैं कि एपेडेमिक के जो मरीज हैं, उनको मदद दे सकें। इस लिये मेरा यह सुझाव है कि स्काउट्स से काम लिया जाय और विद्यार्थियों से काम लिया जाय। इस तरह सेवा काफी हो सकेगी। मैन पावर की जो कमी है, वह दूर हो सकती है। इसके साथ ही साथ मैं यह चाहता हूं कि इसको स्कूलों में बतलाना चाहिये कि अगर कोई रोगी हो तो कैसे उसका उपचार करना चाहिये। ये थोड़े से मेरे सुझाव हैं। फ्लू में सरकार के रिसर्च सेक्शन का डेवलपमेंट करने का प्रयत्न करना चाहिये।

***श्रीमती सावित्री श्याम** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हाउस को इस बात का अवसर दिया कि माननीय सदस्य अपना विचार प्रकट कर सकें, और अपना सुझाव दे सकें। जब कोई भी नैचुरल कैलेमिटी, बीमारी आती है तो उसका अन्त हो जाता है, किन्तु उसकी जो छाप है, वह सदैव के लिये अमिट हो जाती है। यह फ्लू का दौर जो हमारे सूबे में चल रहा है उसका असर काफी दिन तक रहेगा। १९१९ का फ्लू हम नहीं भूल सकते हैं। उसमें हिन्दुस्तान के १ करोड़ आदमी मरे और यू० पी० के २० लाख आदमी मरे। गांव का गांव उजड़ गया था और शहरों में काफी परेशानी पैदा हुई थी। दाह क्रिया भी लोग नहीं कर पाते थे। हां इस समय उतने लोग मृत्यु का शिकार नहीं हुए हैं। अभी काफी घरों में और उत्तर प्रदेश के गांवों में फ्लू का प्रकोप बढ़ा है।

(इस समय ३ बज कर ५२ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

इसको रोकने के लिये सरकार ने कोशिश की। लेकिन जितना प्रयास करना चाहिये था उतना नहीं किया। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको काफी दिनों के बाद एपेडेमिक का नाम दिया है।

मैं समझती हूं कि आज १० वर्ष हुए जब कि मेडिकल डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट एक बनाया गया था। उसकी मंशा थी कि प्रिवेंटिव मेजर्स ज्यादा अडाप्ट किये जायं। बदकिस्मती से उस डिपार्टमेंट्स में ऐसे डाक्टर्स रहे, जिनकी दिलचस्पी हेल्थ की तरफ ज्यादा नहीं थी, बल्कि दवाइयों की तरफ अधिक दिलचस्पी थी। यह मैं मानती हूं कि अस्पताल बढ़े। डाक्टरों की संख्या बढ़ी, लेकिन जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिये, वे नहीं लिये गये। इतना प्रकोप हो जाने से जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिये थे, वे नहीं लिये गये। गांवों में तो अस्पतालों में दाखिल होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हां शहरों में यह बात जरूर है कि लोग अस्पताल में भर्ती हो जायं। दो, तीन जुलाई की बात है। मैं बरेली अस्पताल में थी। मैंने देखा कि फ्लू के

---

*सदस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्रीमती सावित्री श्याम]

पेशेंट्स आये और वे लौट गये। अस्पताल में कोई जगह नहीं थी। वे घर जा कर चाहे जिस तरह से भी ठीक हुए हों लेकिन अस्पताल में भर्ती नहीं हो सके। मैंने देखा कि डाक्टरों ने इस बात पर जोर दिया कि लोग उनको घर पर बुलायें और इलाज करायें। यह तो बड़े-बड़े शहरों का हाल है जहां सिविल सर्जन रहता है, असिस्टेंट सिविल सर्जन रहता है और दूसरे डाक्टर्स रहते हैं। वहां की एफिशिएंसी का यह हाल है। हिन्दुस्तान के अंदर एक भीर कमेटी बैठी थी और यहां पर खेर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी। उसमें यह निश्चित हुआ था कि जो डाक्टर्स सरविस करेंगे उनके लिये प्राइवेट प्रैक्टिस ऐलाउ नहीं होगी। आज मैं समझती हूं कि इस बात की बहुत जरूरत है कि डाक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस बिल्कुल बन्द हो जाय। चाहे उनको किसी प्रकार का प्रैक्टिसिंग एलाउन्स दे दिया जाय लेकिन जब तक प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द नहीं होगी, तब तक इस सिलसिले में कोई विशेष सुधार नहीं होगा। हेल्थ डिपार्टमेंट का एक जो मुख्य काम है, वह यह कि वह लोकल बाडीज को आदेश दे कि वे हेल्थ प्रोपेगेंडा करें। सनीटेशन का प्रोपेगेन्डा जिस तरीके से होना चाहिये, वह नहीं हुआ। जिस इंटेंसिटी के साथ प्रोपेगेंडा होना चाहिए वह नहीं हुआ। प्रोपेगेन्डा से जो लोग बच सकते थे, वे भी नहीं बच सके। यह फैलने वाली बीमारी है, लोगों को इससे बचना चाहिये, इसका जितना प्रोपैगेन्डा होना चाहिये था नहीं हुआ। साथ ही यह भी चीज है जैसा कि कुंवर साहब ने बताया कि दवाएं मंहगी होती हैं। अमीर आसानी से ले सकते हैं और गरीब नहीं ले सकते।

श्री हुकुम सिंह---कोई दाम नहीं लिया जाता। दवा मुफ्त बांटी गई।

श्रीमती सावित्री श्याम---बहुत से लोग तो तुलसी की चाय और गुरुकुल की चाय से ही ठीक हो गये। अगर तुलसी या गुरुकुल की चाय का ही प्रोपैगेन्डा किया जाता, तो बहुत से लोग बच जाते। जब कोई एपीडेमिक आती है तो उसके लिये इमर्जेंसी केसेज में इंतजाम करना पड़ता है। जब मलेरिया हुआ था, तब मलेरिया टेबलेट्स हवाई जहाजों से बांटी गई थीं। बहुत से लोग बगैर इलाज के मर गये। मनुष्य के जीवन से इस तरह से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। जब हमें देश में समाजवाद लाना है तो उसको हर पहलू से देखना चाहिये। वन साइडेड उन्नति करने से समाजवाद की उन्नति नहीं हो सकती है। इस विषय में केवल मुझे इतना ही कहना था।

श्री पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)---उपाध्यक्ष महोदय, आज जो इंफ्लुएंजे पर बहस हो रही है, और माननीय कुंवर साहब ने जो सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, और सरकार ने यह मौका दिया कि हम लोग इस पर बहस करें और अपने विचार रखें। ऐसे तो इस बीमारी में बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, मगर हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने जो अपना खरीता पढ़ा और वह वहां के जिलों का एक नक्शा खींचा है कि कितने बीमार हुए, कितने मरे और कितने बचे। अव्वल बात यह है कि आज हमारी नौकरशाही इन आंकड़ों में बड़ी प्रवीण हो गई है।

एक आवाज---एक और एक ग्यारह।

श्री पन्ना लाल गुप्त---एक और एक दो होते हैं, ग्यारह नहीं। अभी बीच में मैं फतेहपुर गया था। वहां खजुहा के एस० डी० एम० का लड़का बीमार पड़ा। सिविल सर्जन को लाकर वह दिखलाये। सिविल सर्जन ने दवा का पर्चा लिख कर अस्पताल सदर दवा के लिये भेजा। वहां का डाक्टर कहता है कि दवा ही नहीं। टेलीफोन पर सिविल सर्जन भी बात करते हैं फिर भी वह डाक्टर कह देता है कि दवा नहीं है। इस पर एस० डी० एम० साहब ने बाजार से अपने चपरासी को भेज कर दवा मंगाई। यह फतेहपुर सदर अस्पताल की बात है जहां एस० डी० एम० के लड़के को सिविल सर्जन के लिखने पर भी दवा नहीं

मिलती है। अभी दारुलसफा के मुतालिल्क नजमी साहब ने कहा। मैं बताता हूं कि दारुल सफा में एक आदमी को छोड़ कर सब बीमार हैं। झम्मन सिंह तीन रोज से बीमार पड़ा है। उसे न तो दवा मिलती है और न छुट्टी मिलती है और इस तरह से ऐसे रास्ते पर पड़ा है, जहां से सारे आदमी पास होते हैं, और उससे दूसरे को भी बीमारी लग सकती है। यह चिराग के नीचे की बात है। मैं बिन्दकी गया था। जैसा अभी हमारे मंत्री जी ने कहा कि चार बेड भीतर और चार बेड बाहर बरामदे में हैं, वहां क्या दवा दी जाती है। नहीं मालूम रंगीन क्या चीज दे देते हैं, जिससे कोई भी अच्छा अब तक नहीं हुआ। वहां पर एक वैद्य मन्नू लाल जी हैं, और उनके जरिये से हमारे बिन्दकी के लोगों को काफी फायदा पहुंचता है। उन्होंने एक सरल दवा बतलायी कि जिस घर में कोई एक भी फ्लू का मरीज है तो उसके लिये सब से पहला तरीका यह है। यह न हो तो इस का सब से अच्छा तरीका यह है कि जब शाम को सोने लगें तो कुछ दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल दी जाय और उसको पी जायं तो फ्लू का असर नहीं होगा। यह एक काफी अच्छी दवा उन्होंने निकाली है। जिन लोगों ने दूध में हल्दी मिला कर उसे पिया, उन्हें फ्लू नहीं हुआ। इस तरह से जो दवा हकीम तथा वैद्यों द्वारा हुई है, उससे लोगों को काफी फायदा हुआ है।

जैसा कि अभी श्रीमती सावित्री श्याम ने बतलाया कि अगर कोई गरीब आदमी मेडिकल कालेज में भर्ती होने के लिये चला जाय तो वह भर्ती नहीं किया जाता है। यह एक बड़ी मुश्किलात गरीबों के सामने रहती है। लेकिन अगर वही आदमी डाक्टर साहब के बंगले पर चला जाय और उनको फीस दे दे, तो दूसरे दिन वह मेडिकल कालेज में फौरन भर्ती कर दिया जाता है। यह जो प्राइवेट प्रैक्टिसनर्स हमारे अस्पतालों में आनरेरी रखे जाते हैं वे वहां पर बैठ कर यह काम करते हैं कि जो कोई मरीज उनके पास आता है उनसे कहते हैं कि मेरे घर पर आओ वहां पर इलाज बतलाऊंगा। जो प्राइवेट डाक्टर्स हैं वे सेवा के भाव से वहां पर नहीं जाते हैं बल्कि उनमें यह भावना रहती है कि वहां पर जा कर अपनी प्रैक्टिस को अच्छी कर सकेंगे और लोगों को यह ख्याल होगा कि जो ये डाक्टर बलरामपुर अस्पताल और मेडिकल कालेज में बैठते हैं ये अच्छे ही होंगे। बहुत से लोगों ने लिखा है कि अगर हम फ्लू के मरीजों की सूचना लिख कर दें तो एक क्लर्क की जरूरत होगी जिसको १५० रुपये माहवार देना पड़ेगा। लेकिन कुछ ईश्वर की कृपा है कि यह फ्लू गर्मी के मौसम में आया है और खुदा न करे कि यह जाड़े तक जाय। अगर यह जाड़े तक चला गया तो खराब हालत हो जायेगी। इसमें १०५ डिग्री तक बुखार चढ़ता है। अगर जाड़े में इतना बुखार आ गया और साथ ही ठंडी भी पड़ गयी तो निमोनिया होने का पक्का अंदेशा हो जायेगा और उससे कोई आदमी बच नहीं सकता है। जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि अभी दो तीन महीने तक इस पर काम बराबर जारी रहेगा, तो यह ठीक है।

मैंने अपने यहां के हेल्थ आफिसर के यहां देखा कि सारा आफिस खाली था, क्योंकि सभी लोग एक साहब के यहां साल गिरह में गये हुए थे। मेरे यहां फतेहपुर में कुएं में कीड़े पड़ गये थे, तो मैं दवाई लेने गया लेकिन पता चला कि डाक्टर साहब नहीं हैं। मैं वहां पर चिटठी लिख कर छोड़ आया। जब रात को डाक्टर साहब आये. तब दवा मेरे पास भेजी गयी। जहां तक सरकार का ताल्लुक है वह तो दवाई देती है और हर तरह से इंतजाम करने के लिये तैयार रहती है लेकिन डाक्टर लोग अपनी नेकनामी दिखलाने के लिये लिख देते हैं कि यहां इतने रुपयों की जरूरत नहीं है इसलिये रुपया वापस कर देते हैं ताकि सरकार यह समझे कि यह डाक्टर अच्छा आदमी है। इससे गरीब जनता का नुक-सान होता है। सरकार को तो दर्द होता है, जब कि वह गरीबों का दुख देखती है। सरकार की यह नियत है कि कोई बीमार न हो, दुखी न रहे और कोई बच्चा पीड़ित न हो, लेकिन जो एक्शन लेते हैं, उन्हें भी देखना चाहिये कि उनके सबार्डिनेट्स ने इसमें ऐक्शन लिया भी है

[श्री पन्ना लाल गुप्त]

या नहीं। हम लोगों की जो हालत है, तो हमारे मेम्बरों की तो यह हालत है कि हम जो कुछ देखते हैं उसको मंत्री जी के पास बयान कर देते हैं या इस हाउस में कह दें, मगर काम तो मंत्री जी का है। मंत्री जी भी आर्डर भेजते हैं, जी० ओ० भेजते हैं, और बड़े सख्त आर्डर भेजते हैं, मगर भेजेंगे कहां हेल्थ डिपार्टमेंट के पास या डाइरेक्टर के पास। तो डाइरेक्टर उसके बाद क्या करता होगा, यह तो हमें नहीं मालूम। अब हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ऐसे हैं जो कि काफी घरों में घूमने वाले हैं और घंटों तक पैदल चले जाते हैं, लखनऊ में हम देखते हैं कि यहां पर भी वे मोटर में बहुत कम जाते हैं अक्सर या तो पैदल चले जाते हैं, या फिर रिक्शे में चले जाते हैं, जब तक इस तरह से लोग नहीं देखे जायेंगे तब तक मोटर से इधर से निकल गये, उधर से निकल गये, कोई लाभ नहीं होगा। हमें यह भी मालूम है कि किसी विभाग के मंत्री जब किसी जिले में दौरा करने जाते हैं, तो वहां पर केवल दो घंटे ही ठहरते हैं और उस दो घंटे में अपने कुछ आफिसरों से बातचीत करके चले जाते हैं, और यहां असेम्बली और कौंसिल में आ कर हमारे सामने बयान दे देते हैं कि यह चीज नहीं है, वह चीज ऐसी नहीं है। मैं पूछता हूं कि दो घंटे में सिर्फ आफिसरों से या ज्यादा से ज्यादा एम० एल० एज० से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन से मिले, तो उससे स्थिति का पूरा पता नहीं चल सकता है।

श्री हुकुम सिंह---मरीजों से भी मिले।

श्री पन्ना लाल गुप्त---मरीजों से मिले भी होंगे तो वे मंत्री जी के ही रिश्तेदार रहे होंगे, किसी गरीब मरीज से वे न मिले होंगे और न मिलते हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे जरा बाहर के भी मरीजों को देख लिया करें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री हुकुम सिंह---मैं २५ जिलों में गया हूं और वहां मैंने बाहर के मरीजों को भी देखा है। आपने तो शायद एक भी नहीं देखा होगा।

श्री पन्ना लाल गुप्त---अगर मेरे पास सवारी होती या मंत्री जी की तरह से मोटर होती तो मैं २५ क्या ५० जिलों में जा सकता था, लेकिन मजबूरी है कि मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। आप यदि जाते हैं तो उसके लिये मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और ऐसे ही अगर हर मिनिस्टर की नीयत हो जाय तो फिर हम लोगों को कोई शिकायत का मौका न रहे और सब चीज ठीक होती रहें। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनकी नीयत तो कम से कम ऐसी है और उनकी नीयत अगर ऐसी ही रही तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी इस नीयत को बराबर बनाये रखें और दिन दूनी उनकी नीयत बढ़ती जाय, जिससे कि पब्लिक की जो शिकायतें हैं वे दूर हो सकें और हम लोगों को भी उनकी शिकायतों के बारे में यहां पर अधिक न बोलना पड़े।

(श्री शांति स्वरूप अग्रवाल बोलने के लिये खड़े होते हुए)।

श्री डिप्टी चेयरमैन---अभी बहुत सदस्य बोलने की इच्छा रखते हैं, आप थोड़े ही समय में अपनी बात को समाप्त करने का प्रयत्न करें।

***श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल** (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलने से पहिले आपको विश्वास दिला दूं कि मैं लम्बी स्पीच कभी देता ही नहीं हूं, इसलिये इस मौके पर भी मेरी बात अधिक लम्बी नहीं होगी। मैं केवल एक ऐसी बात की ओर माननीय मंत्री जी का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस मौके का लाभ उठा कर कि जो केवल फ्लू से ही संबंध नहीं रखती, बल्कि फ्लू का प्रभाव भी

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

उस पर पड़ता है और यदि यह आशंका है कि जैसा कि कहा गया है कि फ्लू दुबारा न आ जाय तो उसके विषय में ऐसी कुछ बातें हैं जो कि लाभदायक सिद्ध होंगी। मेरा आशय इस बात से है कि साधारणतः प्रदेश के सभी भागों में और विशेषतः प्रदेश में बड़े-बड़े शहरों में जहां कि इस प्रकार की महामारी फैलती है, वहां पर लोगों की जो पावर आफ एक्जिस्टेन्स है, जो शक्ति रोगों से लड़ती है और लोगों को उससे बचाती है, उनको सहनशील रखती है, स्वास्थ्य को बनाये रखती है, वह क्षीण हो चली है, और बड़ी तेजी से क्षीण होती चली जा रही है। इसके कारण मुझे भी मालूम हैं और सरकार की निगाहों में भी वह कारण मौजूद हैं, सरकार उन पर ध्यान भी रखती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फ्लू से भिन्न हैं और कुछ दिनों से बराबर जारी हैं और अब भी हैं और शायद आगे भी, जब तक कि कोई सख्त कदम ऐसा न उठाया जाय, जिससे कि वह रोकी जा सके, नहीं रुकेगी। जो इसमें पोजीटिव चीजें हैं, जैसे साधारणतः औसत आदमी को आज ताजी सब्जियां तथा ताजे फल नहीं मिल पाते हैं।

देहातों में भी यही हालत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल, जो बाजार में आटा मिलता है, उसके अन्दर लकड़ी का आटा मिला रहता है। मैं यह बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसमें लकड़ी का अंश रहता है। यह आटा बड़े बड़े शहरों में मिल से पिस कर आता है। मैंने इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, तो मालम हुआ कि मैदा नाम की एक लकड़ी होती है, जो पीसने के बाद मैदे की ही तरह से हो जाती है, उसको पीस कर आटे में मिला दिया जाता है और फिर उसको बाजार में बेचा जाता है। शहरों में जो आटा आता है, वह चक्की का पीसा हुआ नहीं आता है, बल्कि वह बाहर मिल से आता है और इसमें इस प्रकार की मिलावट होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शायद आपको इस प्रकार के आटे का अनुभव हो, क्योंकि बड़े शहरों में इस प्रकार का आटा काफी मिलता है। ऐसे आटे में एक प्रकार के कीड़े होते हैं जो बहुत ही हानिकारक होते हैं और उसमें जैसा कि मैंने पहले कहा कि पावर आफ रेसिसटेन्स नहीं होती है। मैं इस बात को निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि यह बात बिलकुल ठीक है।

दूसरी चीज जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, वह घी है। बहुत से लोगों का तो यह कहना है कि घी नाम की अब कोई चीज ही नहीं रह गयी है। उन लोगों ने घी का इस्तेमाल बिल्कुल बन्द ही कर दिया है। आज कल जो चीज असली घी के नाम से मिलती है वह करीब ६ रुपये के हिसाब से मिलती है। गाय के घी का तो सवाल ही अब नहीं रह गया है, भैंस का जो घी होता है वह भी शुद्ध नहीं होता है। बाजारों में जो दूध मिलता है वह भी शुद्ध नहीं मिलता है, बहुत से लोगों को यह चीज मुहय्या ही नहीं होती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह चीज जो है वह भी असली नहीं है।

इसके अलावा एक बात मैं नमक के बारे में कहना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान नमक की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां जो सेंधा नमक होता है, वह ज्यादातर दवाइयों के काम में आता है। हमारे यहां इस प्रकार का नमक कम होता है। अधिकतर पाकिस्तान से आता है। लेकिन यहां पर देखने में आता है कि जो दूसरी तरह का नमक होता है उसमें कोई चीज मिला कर, सेंधा नमक बनाया जाता है। यह नमक दवाइयों में इस्तेमाल होता है और जब असली नमक नहीं मिलता है तो उससे नुकसान होता है और जो वैद्य होते हैं, उनको बहुत ही कठिनाई होती है।

एक अन्तिम बात मैं इस फ्लू के अवसर पर और कह देना चाहता हूं और वह है साबूदाने के बारे में। साबूदाना भी असली नहीं मिलता है। यह देखने में आया है कि जिन मरीजों ने इस प्रकार का साबूदाना खाया है, उनको टाइफाइड हो गया है, क्योंकि इस साबूदाने में मैदे का अंश होता है जिसके खाने से ऐसा हो जाता है। आटा, घी, दूध, नमक

[श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल]

आदि चीजें हमको असली नहीं मिल सकती हैं। मैं इसमें सरकार को दोषी नहीं कहता हूं बल्कि मैं उन व्यापारियों को दोषी कहता हूं जो इस तरह से मिलावट करते हैं। लेकिन सरकार से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वह इस पर चेक रख सकती है। सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने समय-समय पर इस बात का प्रयत्न किया है कि ऐसा न होने पाये। सरकार को इसके लिये कोई उपाय निकालना चाहिये, ताकि ये सब बातें कम हो जायें और इनका कोई इलाज होना चाहिये। मुझे इस बात की प्रसन्नता होगी यदि माननीय मंत्री जी इस संबंध में कुछ कहने की कृपा करेंगे।

*श्री हयातुल्ला अन्सारी (नाम निर्देशित)—जनाब उपाध्यक्ष जी, मैं अपने हिन्दुस्तान का मुकाबिला अमेरिका या रूस से नहीं करता और न योरुप के किसी और मुल्क से करता हूं। मैं इसको सौ से नहीं बल्कि जीरो से देखूंगा। इसलिये फ्लू के लिये कुछ सूरतें जो अख्तियार की गईं, उसके लिये हुकूमत को बधाई देनी पड़ेगी। पहले जब मद्रास में फ्लू आया, तो लखनऊ के मेडिकल कालेज में इसके लिये बेड्स बढ़ाये गये। जब तक फ्लू लखनऊ में आया, इसके लिये यहां पर अच्छा इंतजाम था, लेकिन बाद में दो, चार चीजें ऐसी नजर में आई कि उससे बदकिस्मती से लखनऊ का इंतजाम ठीक नहीं हो पाया। अस्पताल में तो जिसके पास रुपया नहीं होता, उसकी कोई कदर ही नहीं होती और न उसको कोई पूछता है और ऐसे आदमी को वहां का इलाज पसन्द नहीं आता, वह वैसे ही लौट आता है। मुझे यह इस लिये मालूम है कि चूंकि मेरे यहां के चपरासी भी वहां गये, लेकिन उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। हो सकता है कि उनकी यह आदत हो गई हो और मुझे भी अगर डाक्टर बना दिया जाय या वार्डब्वाय बना दिया जाय, तो मैं भी इसी तरह से करने लगूं। लेकिन यह ऐसी चीज है कि इसके ऊपर हमें देखना चाहिये। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे सफाई है। अगर हम अपने यहां लखनऊ की गलियों में जायें तो हमें मालूम होगा कि वहां पर कितनी गन्दगी है, वहां मच्छर, मक्खियां आप को बहुत मिलेंगी। हां, यहां की माल रोड आप को अवश्य साफ मिलेगी और जहां पर कारें जा सकती हैं, वह सड़कें साफ मिलेंगी, लेकिन जिन गलियों में रिक्शे या आदमी जाते हैं, वहां पर बिल्कुल सफाई नहीं है। जो पुराना लखनऊ है, चौक के पास, आप वहां की गलियों में चले जाइए, तो आपको वहां पर सड़ी हुई चीजें मिलेंगी, कुत्ता मरा हुआ मिलेगा, तो वह भी तीन दिन तक वहां पड़ा रहता है और उठाया नहीं जाता है।

एक चीज और है फ्लू के बारे में जो भी खबरें मिल सकी हैं, उनको अखबार वालों ने छाप दिया और मैंने भी अखबार में जितने मशविरे उसके लिये मुमकिन थे, वह मैंने छाप दिये। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास खास तौर से इसके लिये कोई मशविरे नहीं आये। मुझे तो पेपर्स से ही कुछ चीजें मिलीं और मैंने उनको अखबार में छाप दिया। अगर यह चीज १५, २० दिन पहले आ जाती तो इससे फायदा ही रहता। क्योंकि ऐसी चीजों के लिये जनता में एक साइकोलाजिकल एटमासफियर हो जाता है, तो अच्छा रहता है। यहां पर तो पब्लिकेशन का काम भी बड़ा खराब रहा। हेल्थ विभाग के लिये तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे यहां पब्लिसिटी आफिसर्स तो मौजूद हैं। उनको चाहिये था कि वे गली, मोहल्लों और शहरों में जाते और लोगों को बतलाते कि इस इस तरह की बीमारी है, इसमें किसी को परेशान होने की बात नहीं है। अखबारों में इस तरह से निकलता, अस्पतालों में ऐसा इंतजाम रहता, तो उससे लोगों का साइकोलाजिकल एटमासफियर अच्छा रहता। लखनऊ में तो कोई इस तरह की आवाज नहीं निकली गई, दूसरे शहरों में निकाली गई या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता हूं। एक बात और जरूर है कि लखनऊ में म्युनिसिपल

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

बोर्ड द्वारा कुछ बोर्ड्स इस तरह के लगाये गये, जिसमें हिदायतें लिखी गयीं कि इस-इस तरीके से फ्लू से बचा जा सकता है। इसके पहिले भी मैं इसके बारे में बतला चुका हूं। कि वह हिदायतें सिर्फ हिन्दी में ही दी गयी हैं।

(इस समय ४ बज कर २२ मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है, उसे सभी को सीखना और समझना चाहिये, लेकिन अभी बहुत से यहां ऐसे लोग हैं जो कि उर्दू पढ़ सकते हैं, हिन्दी नहीं पढ़ सकते हैं। अब आज अगर एक सत्तर वर्ष का बूढ़ा हो गया हो और वह उर्दू जानता हो, तो वह हिन्दी में हिदायतें कैसे पढ़ सकता है और उसके लिये यह मुमकिन भी नहीं है कि अब वह हिन्दी सीखे। म्युनिसिपैलिटी को उर्दू की तरफ से बहुत शिकायत जान पड़ती है। मुझे इसके लिये टालस्टाय की एक कहानी याद आती है। पहले इंसान-इंसान में मुहब्बत नहीं थी, तो खुदा ने उनमें मुहब्बत पैदा करने के लिये रोग बनाया, क्योंकि बीमारी में लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन लखनऊ की नगरपालिका में इस तरह की मुहब्बत नहीं मालूम पड़ती है।

एक चीज, मैं मिनिस्टर साहब से और पूछूंगा और वह यह कि, उन्होंने बतलाया कि एलोपैथी दवाइयां अच्छी होती हैं। मैं खुद एलोपैथी दवाई करता हूं, तिब्बी और वैद्यक नहीं करता हूं। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या तिब्बी दवा में कोई खराबी मिली है? अगर कोई खराबी है तो कतई नहीं होनी चाहिये। लेकिन अगर कोई शिकायत नहीं है तो वह दवा क्यों नहीं दी गई। मुझे मालूम है कि यहां एक कालेज है, उसने दवा बांटी लेकिन जब ज्यादा आदमी लेने लगे, तो बन्द कर दी। कोई साइन्टीफिकली मैं नहीं कह सकता कि तिब्बी दवा अच्छी है, लेकिन इसे क्यों नेगलेक्ट कर दिया। मैं एक चीज और बतलाऊंगा, बरफ, पर बीमारी भी बहुत कुछ है और तन्दुरुस्ती भी बहुत कुछ है। बाज जमाने में तन्दुरुस्ती के लिये बरफ जरूरी हो जाता है। मैंने एक दफा अपने दोस्त से कहा कि तुमको मैं एक जादू का तमाशा दिखाता हूं। मैंने एक गिलास में बरफ के चन्द टुकड़े डाल दिये और उन्हें गल जाने दिया? गलने पर उस गिलास में कूड़ा कचरा जमा हो गया। ऐसा बरफ बन कर लखनऊ में आता है। आज कल मेरा ख्याल है कि कुछ स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया होगा क्योंकि डिमान्ड कम है। मैं चेयरमैन साहब से कहूंगा कि वह बरफ मंगा कर गिलास में डाल लें और उसके गल जाने पर वह कूड़ा ही पायेंगे। बरफ वाले आपस में समझौता भी कर लेते हैं। वह कच्ची बरफ बनाते हैं। हम बरफ इस्तेमाल न करें, यह ठीक है, मगर कुछ लोगों के लिये बरफ बहुत ही जरूरी चीज है। मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि उधर भी कभी कभी देख लिया करे। एक चूसने वाली टिकिया मिलती है उसे भी कभी-कभी देख लिया जाया करे। आइस क्रीम कैसी है, इसको भी देखना चाहिये। जगह-जगह खोंचेवाले घूमते हैं उन पर भी मक्खियां देख लीजिए। कम से कम जब एपीडेमिक फैले, तब तो यह चीजें देख ही लेनी चाहिये। यह मोटी-मोटी चीजें ऐसी हैं, जिनके देखने से बहुत कुछ फायदा हो सकता है, साइकालाजिकल एफेक्ट तो पड़ता ही है। मैंने सुना है कि हमारे मिनिस्टर साहब भी शहर में घूमें। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह कभी गलियों में गए, चमार और भंगियों से मिले।

श्री हुकुम सिंह—गए थे।

श्री हयातुल्ला अन्सारी—अगर गये तो शुक्रिया। लेकिन मेरे कानों तक यह बात नहीं पहुंची कि वह गये। कम से कम मेरे कानों तक वह बात पहुंच जानी चाहिए थी।

श्री नरोत्तम दास टन्डन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ने फ्लू पर अपनी राय जाहिर करने का मौका दिया। उन्होंने जो फीगर्स बताये, उनसे मेरे दिमाग में यह आया

[श्री नरोत्तम दास टण्डन]

कि इलाहाबाद में जब फ्लू समाप्ति पर आया तब डिसपेंसरी खोली गयी। जब वहां पर फ्लू जेनिथ पर था तब वहां पर न तो मोबाइल डिस्पेन्सरीज थी न एलोपेथिक डिस्पेंसरी थी। जब फ्लू जेनिथ पर था तब लोग अस्पतालों में जाते थे और वहां से दुखी हो कर लौट आते थे। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी हंस रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह---मैं हमेशा हंसो ही करता हूं, रोता नहीं हूं।

श्री नरोत्तम दास टन्डन---मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यदि आप देखें तो जून में जब कि वहां पर सबसे ज्यादा केसेज थे तो कितनी डिस्पेन्सरीज खुली और जुलाई में जब कि केसेज कम हो रहे थे तो कितनी खुली। जुलाई में क्यों ज्यादा खुली। जो एक्चुअल फीगर्स थे वह जून में हाइयस्ट थे। उस समय कोई भी पूछने वाला नहीं था। सफाई का कोई भी इंतजाम नहीं था। १५-१५ दिन तक कूड़ा पड़ा रहा। गधे वालों ने हड़ताल कर दिया था और कूड़ा उठा नहीं। माननीय मंत्री जी उस समय इलाहाबाद गये हुए थे और मैंने भी कोशिश किया कि उनके दर्शन पा सकूं। मैंने उनसे मिलने के लिये कई बार टेलीफोन किया। करीब १२ बजे के मुझे एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया कि वे मिर्जापुर जा चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ने सैनिट्री इंस्पेक्टर्स से रातों रात सफाई करवाई थी, रात भर काम करवाया था। मने एडमिनिस्ट्रेटर से कहा कि मुझको मंत्री जी से मिलना था तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास समय नहीं था कि वह मिलते। मेरा कहना है कि यह जो इस किस्म के दौरे होते हैं वह बिल्कुल बेकार हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छा होता कि यहीं पर वह फीगर्स मंगवा लेते और अपने सरकारी कर्मचारियों से पूछ लेते। यदि उन्हें किसी एपीडेमिक का इंस्पेक्शन करना हो तो हर जगह पर जा कर देखने की आवश्यकता है। मेरे मकान के ही नीचे एक बाजार लगता है और मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से कहा कि लोग खा खा कर यहीं फेंक देते हैं और गन्दगी बढ़ती रहती है तो एपीडेमिक को रोकने के लिये यह सब से ज्यादा आवश्यक है कि सफाई रहे, मगर आज भी वहां गन्दगी कायम है और एपीडेमिक को रोकने के लिये गवर्नमेंट ने जो भी कार्य किये, वह ज्यादा उचित नहीं थे। चाहिये यह था कि एलोपैथी, होमियोपैथी, यूनानी और जितनी भी रिकग्नाइज्ड दवाइयां हैं उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। इसके लिये मैं यह भी समझता हूं कि जो बर्फ के बारे में हयातुल्ला अन्सारी ने कहा वह ठीक है। मैं भी महसूस करता हूं कि जो बर्फ मैं मंगाता हूं उसके बीच में कूड़ा भरा रहता है। क्या हेल्थ डिपार्टमेंट इस बात को नहीं देख सकता है। मेरी समझ में इन्फ्लूएन्जा का काज कच्ची बर्फ है और डालडा है। डालडा का इस्तेमाल बन्द कर दिया जाना चाहिये था। अगर हम लोग असली घी नहीं खा सकते हैं, तो कड़वा तेल तो खा ही सकते हैं। तो जिस तरह से स्कूल और सिनेमा बन्द किये गये, उसी तरह से से डालडा भी बन्द कर दिया जाता। इस तरह की कोई एपीडेमिक आवे, तो कम से कम उस समय के लिये डालडा बन्द करवा देना चाहिये। इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन्फ्लूएन्जा पर बहस करने का मौका दिया।

श्री हुकुम सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने तमाम मित्रों का आभारी हूं। जिन्होंने इस फ्लू के इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये और कुछ सुझाव दिये हैं ताकि मैं उन विचारों पर अमल करने की कोशिश कर सकूं और आइन्दा ऐसे खतरे से मैं अपने राज्य को बचाऊं। मैं फिर एक बार अपने मित्रों को धन्यवाद देता हूं। सबसे प्रथम मैं अपने मित्र टंडन जी को, जो बातें उन्होंने अभी फरमाई हैं, उस पर मुझे ज्यादा नहीं कहना है मुझे वाद-विवाद नहीं करना है, मुझे दुख है कि मैं टंडन जी से नहीं मिल सका।

श्री नरोत्तम दास टंडन---आप किसी भी माननीय सदस्य से नहीं मिले।

श्री हुकुम सिंह--मुझे अफसोस आप ही से न मिलने का है। मुझे अफसोस है कि मैं अपने मित्र से नहीं मिल सका। गवर्नमेंट हाउस में ज्यादा देर तक न ठहर सका। मेरे मित्र क्षमा करेंगे कि मैं अपने मित्रों और दोस्तों से मिलने नहीं गया था। मैं उन गरीब मरीजों से मिलने गया था, जो अस्पताल में पड़े थे। मैंने उनसे बातें कीं, हालात पूछे। मैंने उनसे पूछा कि तुमको को कोई शिकायत है ?

श्री नरोत्तम दास टंडन--सैनीटेशन देखने भी नहीं गये थे ?

श्री हुकुम सिंह--सैनीटेशन भी देखी, लेकिन एक इलाहाबाद का ही काम मेरे पास नहीं था जो सारा वक्त इलाहाबाद में दे देता। मुझे गांव में भी जाना था, उन गरीब किसानों के पास भी जाना था जो बीमार थे। जो शहर के धनीमानी लोग हैं वह तो दवा का प्रबन्ध कर लेते हैं चाहे मैं करूं या न करूं। लेकिन गांव का किसान जिससे सीधा सम्बन्ध सरकार का है उनकी भी देखरेख करना मैं अपना फर्ज समझता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--हमसे सीधा सम्बन्ध नहीं है।

श्री हुकुम सिंह--आपसे भी जायज सम्बन्ध है। मैं गलियों में भी गया इलाहाबाद की सभी गलियां देखना मेरे लिये मुमकिन न था।

श्री नरोत्तम दास टंडन--सबसे ज्यादा कनजेस्टेड एरिया में आप नहीं गये।

श्री हुकुम सिंह--आप अपने घर के करीब ही कूड़े के ढेर की शिकायत कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं पहले हम अपनी आदत की तरफ देखें। हमारे लखनऊ में १,८०० मेहतर हैं जो सफाई का काम कर रहे हैं। १,८०० मेहतर ४ लाख आदमियों की गन्दगी को कैसे साफ कर सकते हैं। हमारे पढ़े-लिखे नौजवान अपने घर का कूड़ा सड़क पर डाल देते हैं और अपनी जिम्मेदारी को खतम समझते हैं। आज हमारी यह आदत है कि हम फर्स्ट और सेकेन्ड क्लास में सफर करते हैं और मूंगफली के छिल्के खा कर डाल देते हैं या संतरे के छिल्के डाल देते हैं। जब हमारी यह आदत है और उस पर हम सफाई की शिकायत करे तो मैं समझता हूं कि सफाई तभी हो सकती है जब हम अपनी आदत ठीक करें। चाहे हुकुम सिंह हों या टंडन जी हों, जब तक अपनी आदत नहीं ठीक करेंगे सफाई नहीं नहीं हो सकती है। इतना मुझे कहना था। फ्लू इतना बड़ा मसला था कि किसी की भी अक्ल उस वक्त काम नहीं करती थी। वर्ल्ड हेल्थ बोर्ड के प्रेसीडेन्ट और डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि यह मर्ज लाइलाज है। ऐसे आदमियों के दिमाग में भी कोई बात समझ में नहीं आई। मैं भी मजबूर था, कोई रोशनी नहीं थी।

श्री वीरेन्द्र स्वरूप जी ने यह फरमाया कि सरकार सोती रही और बार्डर पर रुकावट नहीं की किस बॉर्डर पर करते। गोरखपुर, छपरा के बर्डर पर करते या उधर ग्वालियर पर करते या दिल्ली और यू० पी० के बार्डर पर करते। यह हमारे कलेक्टर, कप्तान और डाक्टर के वश के बाहर है। जैसे बरेली के लिये कलकत्ते से हवाई जहाज चला और उससे चार मरीज हवाई जहाज से आ गये और बरेली में ड्राप हो गये और तब वहां पर शुरुआत हो गई। कहां मैं कन्ट्रोल करता। सीमा के किस तरफ से कन्ट्रोल करता। कह देना तो बहुत आसान है कि सरकार ने कन्ट्रोल नहीं किया। वह जमाना था जब लोग पैदल आते थे या गाड़ी घोड़ों से आते थे या पैसेन्जर ट्रेन से आते थे। तब जगह-जगह पर रोक-थाम हो जाती थी। यह मैं अपने लड़कपन में सुनता था कि लोग तीर्थ यात्रा को जाते थे तो रोक दिये जाते थे लेकिन आजकल लोग आसमान से पहुंच जाते हैं इसलिये किसी प्रकार से संभव नहीं है कि उनको रोका जाय। जिन साहब ने कहा है वे मुझसे भी ज्यादा मजबूर हो जाते, उस काम को करने में जैसा मेरे दोस्तों ने समझाया।

[श्री हुकुम सिंह]

श्री हयातुल्ला अन्सारी ने कहा कि मैंने लखनऊ की गलियों की हालत नहीं देखी। उनके कान तक बात नहीं गई। अगर उनके कान तक बात जाती तो तब तो यकीन करते कि हुकुम सिंह ने देखा, मगर इस काम की क्या तारीफ करूं। मुझे ऐसा ख्याल नहीं था कि अगर आपके कान तक बात नहीं जायेगी तो मेरा देखना और न देखना बराबर होगा। वरना मैं एक एजेन्सी को क्रियेट करता और बात आपके कान तक पहुंचा देता। मैंने मोटर को अलग छोड़ा और छोटी-छोटी गलियों में देखा और जहां तक उसकी सफाई का प्रबन्ध हो सकता था उसको किया। खाली कह देना कि कहीं गये नहीं, मोटर से उड़ गये तो यह कहना कोई ज्यादा लाभदायक नहीं होगा, न आपके लिये न मेरे लिये। रात हो तो रात कहना ठीक है। अगर सरकार ने कुछ किया तो ठीक है। मगर कह दिया कि सरकार ने कतई कुछ नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि मैं सारे २०-२२ जिलों में घूमा। वाकई में कहीं जाकर के टिका नहीं, न किसी मित्र के यहां पानी पीने की कोशिश की। मेरा काम दूसरा था, बनारस गया, इलाहाबाद गया, मिर्जापुर गया, जौनपुर गया, प्रतापगढ़ गया, फैजाबाद गया, आगरा गया, अलीगढ़ गया, देहरादून गया और रुड़की गया। मैंने चाय कहीं नहीं पी, पानी भी नहीं पिया, पानी पीना हराम है, इस मौके पर। हमारे कुछ मित्रों ने शिकायत की कि आप ने इस बार पानी नहीं पिया, और मैं कहता हूं कि हमारे जिन मित्रों ने शिकायत की है चन्द घर छोड़कर, दूसरे मरीजों को देखना गवारा नहीं किया। कुंवर साहब ने क्या लोकल अस्पतालों का मुआयना किया।

श्री कुंवर गुरु नारायण---अगर कह दूं तो क्या सबूत है ?

श्री हुकुम सिंह---मैं यकीन कर लूंगा कि अपोजीशन लीडर ने मुआयना किया है। मैं इन्कार नहीं करूंगा। वे गये होंगे और अपने दोस्तों को देखा होगा। यह बात कही गई कि दवाई की इतनी कीमत है जो गरीबों के इमकान के बाहर है। सारी दवाई मुफ्त दी गई। मुहल्ले-मुहल्ले जाकर जो इलाज हो सकता था, किया गया। कौन दवाइयां दी गईं यह मैं नहीं बता सकता। जितनी दवाइयां हो सकती थीं, जो डाक्टरों ने बताई, वे मुफ्त दी गईं। सारे प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल को हिदायतें दी गई कि किसी से दाम न लिया जाय। मैं, मानता हूं कि सारे डाक्टरान देवता नहीं हैं। उसमें कुछ ऐसे हैं जो अपने फरायज को अच्छी तरह से अंजाम नहीं देते हैं। हमें उनके बारे में जैसे-जैसे मालूम हुआ, उनको सजायें दी गईं मुअत्तिल किया गया और ट्रान्सफर किया गया। सब देवता नहीं हैं। उनमें कुछ खामियां हो सकती हैं। बहुत से लोग अनुचित लाभ उठाने की तरकीब कर सकते हैं। हर बात में कारीगरी कर सकते हैं। विदेशी शासन के फलस्वरूप इतना नैतिक पतन हो गया है कि हर जगह यह दिखलाई देता है। लेकिन इससे नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिये। हमको नैतिक स्तर को उठाना है।

हमारे मित्र नजमी साहब ने इटावा की डिस्पेंसरी की बाबत कहा। उन्होंने एक स्पेसिफिक केस दिया है आई विल लुक इन्टू दैट मैटर। अगर उसने अपनी ड्यूटी अदा नहीं की, तो वह इस बात का मुस्तहक है कि उसके साथ सख्ती की जाय। लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस वक्त हम सख्ती बरतेंगे, उस वक्त यह होगा कि बख्श दीजिये, रोजी का मामला है। मैं इस सिलसिले में कोई सिफारिश सुनने के लिये तैयार नहीं हूं। हमने जब चार्ज लिया है, हम इस बात की कोशिश करेंगे कि कोई शिकायत सुनने को हमें न मिले। पन्ना लाल जी ने और नजमी साहब ने कुछ शिकायतें की हैं। इनके बारे में उचित कार्यवाही की जायगी। अगर वे और कहीं जायेंगे तो उनका कामन मैन के साथ कैसा व्यवहार होगा, जब एक लेजिस्लेचर के साथ ऐसा व्यवहार है। मैं तो उनको ठीक करना चाहता हूं, जिससे वे और कहीं ऐसा न करें। मैं कोशिश करूंगा, जिससे किसी को कोई शिकायत करने का मौका न मिले।

हमारे दोस्त हृदय नारायण जी ने बहुत सी बातें बताईं। बहुत सी बातें या तो मैं नहीं सुन सका या वे बहुत धीरे-धीरे बोले। कल या परसों उन्होंने प्रश्न किया था कि स्वास्थ्य कैसा है, एज कैसी है। स्वास्थ्य का अन्दाजा, हृदय नारायण जी को देखकर लगा सकता हूं कि स्वास्थ्य बढ़ रहा है। आपके सूबे की उम्र भी बढ़ रही है। यह भी मैं अन्दाजा लगा सकता हूं। जब सूबे की उम्र बढ़ रही है स्वास्थ्य भी अच्छी हो रही है, तो इन्तजाम भी चोखा मालूम होता है अगर कहीं कोई खराबी होगी तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे।

प्रोपेगेन्डा के बारे में कहा कि ठीक तरह से प्रोपेगेन्डा नहीं किया गया। मैंने नोटिसेज छपवाये, पैम्फलेट्स छपवाये, अखबारों में दिया, गली-गली में, कूचों-कूचों में परचे बंटवाये, हिन्दी उर्दू, अंग्रेजी, सबमें परचे छपवाये गये, किसी जबान को कोई खास तरजीह नहीं दी गई।

श्री हयातुल्ला अन्सारी--परचे देर में पहुंचे।

श्री हुकुम सिंह--मैं कहना चाहता हूं कि देर आयद दुरुस्त आयद, एक उर्दू का मजमून है, उसके मुताबिक सही है। हमको जो कुछ करना चाहिये और जो कुछ कर सकते थे, वह किया। शिकायत एक हुई, देर की, अगर देर हो गई तो उसके लिये माफी मांगता हूं। आइन्दा एहतियात बरती जायेगी। लेकिन और कोई नयी बात नहीं की गई। जितने क्रिटिसिज्म हुये हैं उनमें कोई नयी बात नहीं है। सिर्फ नेगेटिव क्रिटिसिज्म से काम नहीं चलता है। एक बात मैं और कह दूं। इन्तजाम करना बड़ा मुश्किल होता है और नुक्ताचीनी करना बड़ा आसान होता है। हम यह नहीं कहते कि हमारा मामला बिलकुल कम्पलीट है और उसमें खामी नहीं है। जो खामियां आप लोगों ने प्वाइन्ट आउट की हैं, उससे आइन्दा में आगाह रहूंगा। हां, यह मेरा प्रीकाशन अभी कुछ महीने तक चलेगा।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--सिनेमा खुल गये।

श्री हुकुम सिंह--आप लोगों ने मुझे इस माने में बैठने नहीं दिया और खुलवा कर छोड़े। एक आदमी बीमार है और आप को सिनेमा देखना लाजिमी है। ऐसे भी लोग हैं और वह सब शहर के हैं, जिन्होंने हमारे यहां एप्रोच की और सिनेमा खुलवाये। यहीं लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद जहां के टंडन जी रहने वाले हैं। डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने भी टंडन जी को सलाह नहीं दी कि सिनेमा अभी नहीं खुलना चाहिये।

एक आवाज--लोग सड़कों पर अमीनाबाद में चाट खा रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह--क्या जबान काट ली जाय। अमीनाबाद, चौधरी रेस्टोरेन्ट आदि सब जगहों पर चाट खाने वाले जाकर चाट खा रहे हैं। जब उनके घर का कोई मरेगा तब वह समझेंगे।

श्री हयातुल्ला अन्सारी--यह सब चीजें बन्द कर देनी चाहिये।

श्री हुकुम सिंह--मैंने तो बर्फ, कुल्फी, आइस क्रीम, आदि सभी चीजों को बन्द कर दिया था। मगर आप लोगों ने इतना शोर मचाया कि फिर खोलना पड़ा। लोग कहने लगे कि खाये बगैर हरज हो रहा है। बच्चे कभी नहीं चिल्लाये। बूढ़े लोग ही मेरे पास आये और उनको खाये बगैर चैन नहीं आता था।

श्री हयातुल्ला अन्सारी--चीजें खुली नहीं बिकनी चाहिये।

श्री हुकुम सिंह--यह भी हम कर रहे हैं। आर्डर्स हैं कि चीजें कवर्ड रहें। लेकिन अमेरिका से हिन्दुस्तान का मुकाबला न किया कीजिये। यहां के लोगों की आदतों को भी देखिये। अमेरिका में अगर सिनेमा बन्द हो जाय तो कोई एजीटेशन नहीं करेगा। वहां पर

[श्री हुकुम सिंह]

अगर कुल्फी बन्द हो जायगी तो कोई एजीटेशन नहीं करेगा, लेकिन अगर लखनऊ, आगरा और कानपुर में बन्द कर दी जायेगी तो बड़ा भारी एजीटेशन शुरू हो जायगा।

मिलावट के बारे में जो कहा गया है, वह ठीक है। एन्टी एडल्टरेशन ऐक्ट है। जहां हम पकड़ते हैं तो चालान भी करते हैं, लेकिन जो हैबिचुअल आफेन्डर्स हैं, वे तो मिलावट करते ही हैं। इसका भी ताल्लुक नैतिक स्तर से है। जब तक हमारा नैतिक स्तर नहीं बढ़ेगा और जब तक हमारी बिजनेस मोरालटी नहीं बढ़ेगी, तब तक इस एन्टी एडल्टरेशन ऐक्ट की जरूरत होगी। लेकिन जब तक ये काम पूरे नहीं हो जाते, तब तक यह ऐक्ट पूरी तरह से काम में लाया जायेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोगों को एक सबक इस सम्बन्ध में सिखायें। परन्तु जितनी सफाई श्री शान्ति स्वरूप जी चाहते हैं, उतनी नहीं हो सकती है।

श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल--इतनी आशा मैं भी नहीं करता।

श्री हुकुम सिंह--मैं अपने दोस्त श्री पन्ना लाल जी को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमारा हुक्म सिविल सर्जन फतेहपुर के यहां जायेगा और उनसे पूछा जायेगा कि दवाइयां क्यों नहीं दी गयीं और अगर दवाई नहीं थी, तो यहां से क्यों नहीं मंगायी गयी। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ मैं कर सकता था, वह किया गया। जो त्रुटि रह गयी, उसको आइन्दा ठीक कर देंगे। मैं अपने भाइयों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जिस किसी अस्पताल या डिस्पेन्सरी में वे खराबी देखें, उसके लिये वे मुझे पत्र लिखने का कष्ट करें। मैं उस पत्र की नकल करूंगा।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--डाक्टरों की फीस के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री हुकुम सिंह--यह उसूल ठीक है कि प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कर दी जाय, क्योंकि इससे करप्शन बढ़ता है लेकिन बहुत सी चीजें ठीक होते हुये भी उनको करना मुश्किल होता है। हमारे राज्य में आर्थिक कठिनाइयां हैं और इससे हम और आप इन्कार नहीं कर सकते हैं। अब आप किसी की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करना चाहते हैं, तो उसको काफी कम्पेन्सेशन भी देना पड़ेगा, वरना अन्डर कान्स्टीट्यूशन उसका राइट है। अगर आप उसके राइट को कम करते हैं तो कम्पेन्सेशन देना चाहिये। इसके लिये एक कमेटी मुकर्रर भी हुई थी और उसने ऐसी सिफारिश की थी। उस पर विचार किया गया लेकिन आर्थिक कठिनाइयां हमारे सामने ऐसी आईं, जिसकी वजह से हमें उस स्कीम को ड्राप करना पड़ा। हमारे विचाराधीन वह स्कीम इस वक्त नहीं है, लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट के विचाराधीन वह स्कीम है।

अभी २९ जून, १९५७ को आल इंडिया हेल्थ मिनिस्टर्स की दिल्ली में एक कान्फ्रेन्स हुई थी जिसमें मुझे भी भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस कान्फ्रेन्स के सामने यह प्रश्न उठाया गया और तमाम स्टेट मिनिस्टर्स ने अपनी अपनी राय दी तथा मैंने भी अपनी राय दी कि अगर केन्द्रीय सरकार चाहे कि इस स्कीम को चलाने में फिजूल एखराजात न हों, तो वह परमानेन्ट बेसेस पर इसकी ग्रान्चेज बनाने के लिये तैयार हो जाय। गरज यह कि इस प्वाइन्ट को लेकर के यह प्रस्ताव पास हुआ कि 'दिस स्कीम शुड बी एडाप्टेड, सब्जेक्ट टू दि कन्डीशन, दैट दि सेन्ट्रल गवर्नमेंट इज प्रिपेयर्ड टू बियर दि एक्सपेन्डीचर इन्वाल्विंग इन इट आन परमानेन्ट बेसिस'। एक तो परमानेन्ट बेसिस का यह प्रस्ताव पास हुआ, अब उस पर क्या क्या कार्यवाही केन्द्रीय सरकार कर रही है, इसका हमें इन्तजार है। अगर हमारी यह बात मन्जूर हो जाये, तो हमें इसको एडाप्ट करने में कोई तामुल नहीं है। यह स्थिति इस वक्त इस स्कीम के सम्बन्ध में है, वह मैंने इस सदन के सामने आप लोगों की इत्तिला के लिये निवेदन कर दिया, कि हम उसके खिलाफ नहीं हैं लेकिन दिक्कतें जो हैं, अगर हम कोई टैक्स लगा करके इतना रुपया हासिल करें, तब तो हमारे लिये बहुत ही जहनियत होगी। उसकी यहां पर इतनी क्रिटिसिज्म होगी कि जिसका शायद हम यहां पर जवाब भी न दे सकें।

उस वक्त हमारी तारीफ करने वाला कोई नहीं रहेगा, कि चूंकि एक सेन्ट्रल स्कीम आपने चालू की है, लिहाजा टैक्स लगा दो, इसकी ताईद करने के लिये और हमारी पीठ ठोकने के लिये कोई तैयार नहीं है। हृदय नारायण सिंह जी भी तैयार नहीं होंगे, कुंवर साहब भी तैयार नहीं होंगे और टंडन साहब तो कतई तैयार नहीं होंगे। ऐसी सूरत में हमारे सामने दिक्कतें पेश हैं। मगर फिर भी मसला दर पेश है और जिस वक्त केन्द्रीय सरकार इस रेजोल्यूशन पर कोई निर्णय लेगी, हम इस पर अमल करने की चेष्टा करेंगे। इन शब्दों के साथ में फिर अपने मित्रों का शुक्रिया अदा करता हूं।

सदन की स्थायी समितियों के नामनिर्देशन की अन्तिम तिथि का निर्धारित करना

श्री चेयरमैन--आज का दिन स्टैन्डिंग कमेटीज के नामिनेशन के लिये निर्धारित था, नियत समय तक कुछ नाम निर्देशन मेरे पास आये हैं, जिनमें कुछ त्रुटि है। उसमें एक ही प्रस्तावक और अनुमोदक ने समितियों पर चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक सदस्यों को नाम निर्देशित किया है जो कि मैं समझता हूं बहुत ही गलत है। अतः मैं सदस्यों को कुछ समय दिए देता हूं ताकि जो सदस्य अपना नाम वापस लेना चाहें वे अपना नाम वापस ले लें, वरना मुझे पूरी लिस्ट को रद्द कर देना होगा। मैं २९ अगस्त, १९५७ को १२ बजे दिन का समय इसके लिये निर्धारित करता हूं और इतने समय में जिस किसी को अपने नाम वापस लेने हों, वे वापस ले लें, जो प्रस्तावक और अनुमोदक हैं, उनका ध्यान मुझे खास तौर से आकर्षित कराना है कि वे उतने ही नाम दें, जितने कि एक कमेटी में विधान परिषद् के सदस्य लिये जाने हैं। इसलिये अब इसको सही हो जाने के बाद २९ तारीख को १२ बजे मैं कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा करूंगा।

श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल--श्रीमान्, जो प्रस्तावक हैं वे स्वयं भी वापस ले सकते हैं।

श्री चेयरमैन--जो सदस्य हैं वही वापस ले सकते हैं।

सदन का कार्य-क्रम

श्री चेयर मैन--

२९ तारीख को एप्रोप्रियेशन बिल, १९५७ यहां रखा जायेगा और उसी दिन उस पर विचार हो करके उसको पारित किया जाना है। अब कौंसिल २९ अगस्त, १९५७ को ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ५ बजे, दिनांक २९ अगस्त, १९५७ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गयी।)

लखनऊ,
११ श्रावण, शक संवत् १८७९
(२ अगस्त, सन् १९५७ ई०)।

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

बी० एस० बू० पी०--१३८ एल० सी०--१९५८--८२० (प्रो०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

गुरुवार, ७ भाद्र, शक संवत् १८७९ (२९ अगस्त, सन् १९५७ ई०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (६२)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमा नाथ बली, श्री
उमा शंकर सिंह, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
जगदीश चन्द्र वर्मा, श्री
जगदीश दीक्षित, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवई, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
नरोत्तम दास टण्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पीताम्बर दास, श्री
पुष्कर नाथ भट्ट श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
पृथ्वी नाथ, श्री
प्यारेलाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
मदन मोहन लाल, श्री
महफूज़ अहमद क़िदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम गुलाम, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पांडे, श्री
राम लखन, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विजय आफ विजयानगरम्, महाराजकुमार, डाक्टर
विश्व नाथ, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
व्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
श्याम बिहारी विरागी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार इन्द्र सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मन्त्री, व उपमन्त्री, जो कि विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे :

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत व उद्योग मन्त्री)।
श्री मोहन लाल गौतम (सहकारी मन्त्री)।
श्री कैलाश प्रकाश (गृह तथा शिक्षा उपमन्त्री)।
श्री विचित्र नारायण शर्मा (स्वशासन मन्त्री)।

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

इंटरमीडिएट बोर्ड की सदस्यता के लिये गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व

*१---श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)---क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट बोर्ड अधिनियम की धारा ३ के अनुसार गोरखपुर विश्वविद्यालय से कितने प्रतिनिधियों का नाम बोर्ड की सदस्यता के लिये इन्टर-मीडिएट बोर्ड या सरकार द्वारा मांगा गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश (गृह तथा शिक्षा उप मंत्री)---शासन द्वारा कोई नाम नहीं मंगाया गया। बोर्ड द्वारा नाम मंगाने की शासन को कोई सूचना नहीं है।

*२---श्री हृदय नारायण सिंह---(क) क्या उपर्युक्त कार्य के लिये सरकार ने इन्टरमीडिएट बोर्ड को कोई आदेश या सुझाव दिया है ?

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश---(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बोर्ड को कोई आदेश या सुझाव देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि विश्व-विद्यालयों-से नाम शासन द्वारा ही मंगाये जाते हैं।

*३---श्री हृदय नारायण सिंह---(क) क्या इन्टरमीडिएट बोर्ड ने स्वतः सरकार के पास इसके लिये लिखा है ?

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को ?

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री कैलाश प्रकाश---(क) अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने गोरखपुर विश्वविद्यालय को स्थान प्रदान करने की संस्तुति की थी।

(ख) ३१ दिसम्बर, १९५६ को।

(ग) शासन ने विश्वविद्यालय को एक स्थान देने का निश्चय किया है।

*४---श्री हृदय नारायण सिंह---(क) क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ से स्वतः इसके विषय में कोई पूछताछ की गई है या प्रस्ताव किया गया है ?

(ख) इसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कैलाश प्रकाश---(क) जी हां।

(ख) क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि नियमानुसार विश्वविद्यालय के शैक्षणिक निकायों द्वारा, जिनका अभी निर्माण नहीं हुआ है, नहीं चुने गये थे, उन्हें स्वीकार नहीं किया गया।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सभी विश्वविद्यालयों के बोर्ड में कितने कितने प्रतिनिधि चुने गये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--जहां तक मुझे याद है जो बोर्ड का विधान बना हुआ है उसमें १० रखे गये हैं। एक गोरखपुर विश्वविद्यालय से अभी नहीं आया है बाकी ९ आ गये गये हैं। २ आगरा से, २ इलाहाबाद से, २ लखनऊ और १, १ अन्य तीन विश्वविद्यालयों से चुने गये हैं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि वाइस चान्सलर से बोर्ड के लिये एक सदस्य मनोनीत करने के लिये क्यों नहीं कहा गया ?

श्री कैलाश प्रकाश--वाइस चान्सलर महोदय ने तो नाम भेज दिया था किन्तु उसको क़ानूनी नुक्ते निगाह से देखा गया और यह परामर्श दिया गया है कि जब तक वहां से चुना हुआ मेम्बर न हो तब तक कोई बोर्ड का मेम्बर नहीं हो सकता।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (क) के अनुसार इमरजेन्सी में वाइस चान्सलर को ऐक्ट करने का अधिकार है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जिस धारा का जिक्र किया गया उसके अनुसार अधिकार है। वाइस चान्सलर काम कर सकते हैं अगर इमरजेन्सी हो और उन्होंने नाम भेजा भी है। किन्तु बात यह है कि इन्टरमीडिएट बोर्ड ऐक्ट में लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी के एलेक्टिड रेप्रिजेन्टेटिव बोर्ड्स होंगे और वाइस चान्सलर अगर वहां से नाम भेज दे तो वह एलेक्टेड़ रेप्रिजेन्टेटिव नहीं माना जायेगा। क़ानूनी सलाह यही है कि वह एलेक्टेड होना चाहिए।

श्री हृदय नारायण सिंह--अगर एकेडेमिक कौंसिल और कोर्ट के स्थान पर वाइस चान्सलर खुद काम करते हैं तो क्या इस तरह से नाम भेजने का अधिकार वाइस चान्सलर को नहीं है ?

श्री चेयरमैन--यह कोई प्रश्न नहीं है बल्कि आर्गूमेन्ट है।

*५--श्री हृदय नारायण सिंह--(क) क्या यह ठीक है कि नव-निर्मित बोर्ड की प्रथम बैठक ३१ अगस्त, १९५७ को होने वाली है ?

(ख) क्या उसके लिये विभिन्न प्रकार के सदस्यों का निर्वाचन या नामजदगी विभिन्न (bodies) द्वारा हो गई है ?

(ग) अगर किसी का नहीं हुआ है, तो उसके लिये किसकी जिम्मेदारी है ?

श्री कैलाश प्रकाश--(क) जी, हां।

(ख) गोरखपुर विश्वविद्यालय को छोड़कर सबसे नाम प्राप्त हो चुके हैं।

(ग) जिम्मेदारी का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री शिव प्रसाद सिन्हा (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)---क्या यह बात सही है कि चौधरी अखतर हुसैन ने कन्डीशनल इस्तीफा दे दिया है ?

श्री चेयरमैन---यह किस प्रश्न के उत्तर से निकलता है ?।

श्री शिव प्रसाद सिन्हा---प्रश्न ५ (ख) से।

श्री चेयरमैन---जो पूरक प्रश्न पूछना हो वह सवाल पर नहीं बल्कि उसके उत्तर पर, जो यहां पर दिया जाता है, पूछना चाहिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में सभी सवाल इस समय नहीं किये जा सकते हैं। जो उत्तर दिया गया है उस के स्पष्टीकरण के बारे में ही यहां पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री शिव प्रसाद सिन्हा---प्रश्न यह है कि एक पर्टीकुलर आदमी ने कन्डीशनल इस्तीफा दिया है तो उसी के बारे में पूछना चाहता हूं ?

श्री चेयरमैन---अगर मिनिस्टर साहब जवाब देना चाहें, तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री कैलाश प्रकाश---श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सूचना तो उन्हीं की होगी। चौधरी अख्तरहुसेन का नाम तो विख्यात है, वह अब भी मेम्बर हैं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद---अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि मंत्री जी ने क़ानूनी परामर्श का उल्लेख किया है तो क्या गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट की रूलिंग देखी है जो कि हाई कोर्ट ने दी है कि इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का ऐडमिनिस्ट्रेटर भी नामिनेट कर सकता है ?

श्री चेयरमैन---यह प्रश्न किस प्रश्न के उत्तर से निकलता है ?

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद---अध्यक्ष महोदय, वाइस चान्सलर को इसमें पावर दी गयी है कि वह जिसको चाहे नामिनेट करे लेकिन अगर वह किसी वजह से न भी कर सकता हो, तो ऐडमिनिस्ट्रेटर को भी हाई कोर्ट ने अधिकार दिया है कि वह भी नामिनेट कर सकता है।

श्री चेयरमैन---यह तो आप सूचना मांगने के बजाय सूचना दे रहे हैं,।

श्री हृदय नारायण सिंह---क्या वहां पर रुड़की विश्वविद्यालय का और वाराणसी विश्वविद्यालय का भी प्रतिनिधि है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि रुड़की, अलीगढ़ और वाराणसी से एक एक प्रतिनिधि तथा लखनऊ से दो, आगरा से दो, और इलाहाबाद से दो तथा गोरखपुर से एक सब मिला कर दस प्रतिनिधि हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या वाराणसी से किसी प्रतिनिधि का नाम आ चुका है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, आ चुका है।

श्री हृदय नारायण सिंह--उसको किस व्यक्ति ने या किस बाडी ने नामजद किया है ?

श्री चेयरमैन--यह प्रश्न किस प्रश्न के उत्तर से निकलता है।

श्री हृदय नारायण सिंह--मंत्री जी ने जो अभी उत्तर दिया है, उसी पर मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि वहां से नाम आ चुका है तो मैं वह जानना चाहता हूं कि वहां की एकेडेमिक कौंसिल ने उनका नाम भेजा है या वाराणसी की कोर्ट ने भेजा है। वाराणसी से मेरा मतलब बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से है।

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, मैंने संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिये नहीं कहा, मेरा मतलब भी काशी विश्वविद्यालय से है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मंत्री जी बतला सकेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के, जो शैक्षणिक निकाय हैं, जिनका निर्माण नहीं हुआ है, उनके स्थान पर इस समय कौन कार्य कर रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश--वह तो वाइस चान्सलर का काम रहता है। इसके लिये रिमूवल आफ डिफीकल्टीज के आर्डर हैं, जिसके अन्दर उसको अख्तियार है कि वह कार्य करता रहे।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी इस बात की सूचना दे सकेंगे कि इन निकायों के कब तक बन जाने की आशा है ?

श्री कैलाश प्रकाश--समय तो मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता, लेकिन इस बात का प्रयत्न हो रहा है कि वह जल्द ही बन जायं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--क्या अनिश्चित काल तक के लिये गोरखपुर विश्वविद्यालय का रिप्रेजेन्टेशन बोर्ड में नहीं होगा ?

श्री कैलाश प्रकाश--जैसे ही वैधानिक परिस्थिति उत्पन्न हो जायेगी वैसे ही हो जायेगा।

तारांकित प्रश्न

श्री चिन्तामणि शुक्ल का मामला

*१--**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--श्री चिन्तामणि शुक्ल के बारे में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री)--श्री चिन्तामणि शुक्ल के बारे में सरकार ने कमिश्नर को आज्ञा दी है कि चूंकि अब सिविल कोर्ट का interim order

खारिज हो गया है वह म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३५ के अनुसार सरकारी आज्ञा बोर्ड से पालन करायें।

*२—श्री कन्हैया लाल गुप्त—यह लिखा गया है कि कमिश्नर से अनुरोध किया जा रहा है कि वह इस आज्ञा को लागू करें, तो यह कब लिखा गया ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जब सिविल कोर्ट का interim order खारिज हो गया।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस अध्यापक का पिछला वेतन, जिसके लिये सरकारी आज्ञा हो चुकी है, अभी तक भी नहीं मिला है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

*३-६—श्री रामनन्दन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित।

*७-८—श्री प्रताप चन्द्र अजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला अलीगढ़ में सड़कों का निर्माण

*९—श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अलीगढ़ जिले में—

(क) कहां-कहां कितनी सड़कें बनाई जावेंगी ?

(ख) उपर्युक्त सड़कों पर कुल कितना व्यय होगा ?

श्री कुंवर महावीर सिंह (सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव)—आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी तालिका† में दी गई है।

मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज, एमोलुमैन्ट्स ऐक्ट १९५६ के अनुसार विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्यों की मुफ्त चिकित्सा का विधान

*१०—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या यह सच है कि Ministers, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries Emoluments and Allowances Act, 1956 के अनुसार विधान सभा तथा परिषद् के सदस्यों की मुफ्त चिकित्सा का जो विधान है उसके लिये अभी तक नियमों का निर्धारण नहीं हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर (न्याय, वन, खाद्य व रसद मंत्री)—जी हां।

*११—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) विधान मण्डल के सदस्यों की निःशुल्क चिकित्सा के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

(ख) चिकित्सा व्यय के बिलों के भुगतान के लिये कौन Disbursing officer नियुक्त किया गया है ?

---

† देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ ६७७ पर

श्री सैयद अली जहीर--(क) चिकित्सा (ख) विभाग [Medical (B) Deptt.] के शा० आ० सं० ५२२/५-बी--६०१-३९-५६, दिनांक ८ अप्रैल, १९५६ के अनुसार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्वेन्ट (मेडिकल अटेन्डेन्स) रूल्स, १९४६ विधान मंडल के सदस्यों के लिये भी लागू कर दिये गये हैं और तत्सम्बन्धित उचित आदेश उक्त शा० आ० द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित किये जा चुके हैं।

(ख) इस प्रकार के बिलों के भुगतान के लिये Disbursing Officer Secretary to U. P. Legislature हैं।

*१२--**श्री हृदय नारायण सिंह**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गत वित्तीय वर्ष में विधान मण्डल के सदस्यों की निःशुल्क चिकित्सा पर कितना व्यय हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर--गत वित्तीय वर्ष में इस मद में कुल ९९६/२५ रुपया व्यय हुआ।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो जिले के और तहसील के अस्पताल हैं, उनमें ऐसी चिकित्सा की कोई व्यवस्था की गयी है ?

श्री सैयद अली जहीर--यू० पी० गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिये जो रूल्स हैं उनके मातहत सरकारी अस्पतालों से जो जिले के अफिसर्स हैं, जो उन को अपना इलाज कराने का अधिकार है, तो वही अधिकार मेम्बरों को भी होगा।

*१३-१४--**श्री तेलू राम** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--स्थगित।

*१५--१८--**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--स्थगित।

कानपुर में श्रमिक वर्ग के लिये गृहों का निर्माण तथा उनका एलाटमेंट

*१९--**श्रीमती तारा अग्रवाल** (नाम निर्देशित) (अनुपस्थित)--कानपुर में श्रमिक वर्ग के लिये कितने गृहों का निर्माण अब तक (१ अगस्त, १९५७) प्रदेशीय सरकार द्वारा किया जा चुका है ?

श्री सैयद अली जहीर--१२,७५२ गृह।

*२०--**श्रीमती तारा अग्रवाल** (अनुपस्थित)--अब तक (१ अगस्त, १९५७) कितने उनमें एलाट हो चुके हैं और कितने खाली हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--उनमें से ६,६५७ गृहों का एलाटमेंट हो चुका है और १,४४३ गृह खाली हैं। शेष ४,६५२ गृहों में अभी कुछ काम बाकी है।

*२१--**श्रीमती तारा अग्रवाल** (अनुपस्थित)--(क) क्या यह सही है कि कुछ एरिया के गृह एक साल से खाली हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर--(क) जी हां। बाबूपुरवा में १,११० गृह करीब एक साल से खाली हैं।

(ख) बड़े पाइप के मेन न मिलने के कारण डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर उन मकानों के लिये उचित वाटर मेन्स न लगवा सका, जिसके कारण पानी ठीक से नहीं पहुंच रहा था। अब बोर्ड किसी प्रकार वाटर प्रेशर बढ़ाने का प्रबंध कर सका है। अतः एलाटमेंट का कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायगा।

फतेहपुर जिला बोर्ड द्वारा श्री विनोबा जी को दिया गया सूत

*२२---**श्री पन्ना लाल गुप्त** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)---(क) क्या सरकार बतलावेगी कि फतेहपुर जिला बोर्ड ने किस-किस सन् में जब से भूमिदान चला श्री विनोबा जी को कितना-कितना सूत दिया और

(ख) उसकी रूई व सूत को क्या कीमत थी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---(क) फतेहपुर जिला बोर्ड ने कोई भी सूत दान नहीं दिया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बनोवा जी को प्रदेश के अन्य जिलों द्वारा दिया गया सूत

२३---**श्री पन्ना लाल गुप्त**---क्या सरकार बतायेगी कि सूबे के और जिला बोर्ड कितने ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी श्री बिनोवा जी को सूत दान दिया है और उनका कितना पैसा इस कार्य में ३१ मार्च, १९५७ तक खर्च हुआ है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---वांछित †सूचना माननीय सदस्य की मेज पर एक तालिका के रूप में रख दी गई है।

श्री पन्ना लाल गुप्त---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो फतेहपुर के बारे में यह सूचना दी है कि कोई भी सूत दान नहीं मिला है, तो क्या वे इसके लिये कोई इनक्वायरी कमेटी बिठाने के लिये तैयार हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---इसके लिये कोई इनक्वायरी कमेटी बिठाने की जरूरत नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो उनसे दरयाफ्त किया जा सकता है। मेरे ख्याल में शायद अभी कागजात में ठीक से दर्ज नहीं हुआ होगा।

आर्थिक वर्ष १९५६-५७में हुई स्टैंडिंग कमेटियों की बैठकें तथा उन पर व्यय

*२४---**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**---(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत आर्थिक वर्ष (१९५६-५७) में कितनी स्टैंडिंग कमेटीज की बैठकें हुईं, तथा

(ख) प्रत्येक कमेटी पर कुल खर्चा क्या हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर---(क) वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में कुल १३ स्थायी समितियों (Standing Committee) की बैठकें हुईं।

(ख) प्रत्येक समिति पर हुये खर्च का ब्योरा‡ संलग्न है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद---क्या यह ठीक है कि समिति नम्बर १, २, ७ और ९ की कोई मीटिंग नहीं हुई है ?

---

†देखिए नत्थी "ख" पृष्ठ ६७९ पर।

‡देखिये नत्थी "ग" पृष्ठ ६८१ पर।

श्री सैयद अली जहीर--१३ कमेटियां हुई हैं, उनमें से कौन हुई है और कौन नहीं हुई है इसकी तफसील इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--तफसील आप को रखनी चाहिये।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नम्बर १३ की मीटिंग हुई या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर--मालूम तो होता है कि मीटिंग हुई, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता हूं।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नम्बर १३ में जो मीटिंग का व्यय हुआ, वह ७३ रुपये ६९ पैसे हैं, तो यह जो खर्चा हुआ यह किस मद में है ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तफसील मेरे पास नहीं है, लेकिन यह मीटिंग उस जमाने में हुई जब कि असेम्बली और कौंसिल का सेशन चल रहा था, इसलिये उस समय इसमें थोड़ा सा खर्चा हुआ।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किन तारीखों में ये मीटिंग्स हुई ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, चूंकि मेरे पास इस समय तफसील नहीं है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष में दो मीटिंग होने के सम्बन्ध में जो नियम है, उसका उल्लंघन क्यों होता है ?

श्री सैयद अली जहीर--गुजिश्ता साल इस वजह से ऐसा हुआ चूंकि नवम्बर से एलेक्शन का काम होना शुरू हो गया था, इसलिये नवम्बर से मार्च तक मीटिंग्स नहीं हो सकीं। इससे पहले तो मीटिंग्स होती ही थीं।

*२५--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३१ मार्च, १९५७ के भीतर कार्य पूरा न करने के कारण किन जिला बोर्डों तथा म्युनिसिपल बोर्डों की ग्रान्टें समाप्त (lapse) हो गईं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--३१ मार्च, १९५७ के भीतर कार्य पूरा न करने के कारण किसी भी जिला बोर्ड अथवा नगरपालिका की स्वायत्त शासन, शिक्षा तथा जन-स्वास्थ्य विभागों द्वारा दी गई कोई ग्रान्ट समाप्त नहीं हुई। चिकित्सा विभाग द्वारा दी गई ग्रान्टों के सम्बन्ध में सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

*२६--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--उपर्युक्त जिला बोर्डों में से किन-किन ने सरकार से शिकायत की है कि वे उसको ग्रान्ट को इस कारण काम में न ला सके कि उनकी ग्रान्ट उनको देर से मिली ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--प्रश्न नहीं उठता।

*२७--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त लोकल बाडीज को यह ग्रान्टें किस किस महीने में दी गई थीं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--२७ प्रश्न में मैंने यह पूछा था कि म्युनिसिपल बोर्ड्स को ग्रान्ट किस महीने में मिली, तो उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---मेरे ख्याल में इस प्रश्न का उत्तर देने में भूल हो गई है, इसलिये इसका उत्तर ठीक नहीं मिला है। मैं फिर इसका सही उत्तर दिलवा दूंगा।

श्री चेयरमैन---प्रश्न समाप्त हुये।

पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति पर श्री गेन्दा सिंह द्वारा किये गये भूख हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगनप्रस्ताव

श्री चेयरमैन---कुंवर गुरु नारायण जी ने एक एडजार्नमेंट मोशन की सूचना दी है, जो कि इस प्रकार है :

"I propose that business of the House be adjourned to discuss a matter of urgent public importance of the situation arising out of the hunger strike launched by Mr. Genda Singh, its repercussions in Eastern U. P. and the deteriorating food situation."

इस पर मेरे निर्णय करने से पहले अगर माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहें, तो कह दें।

***श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** (वित्त, विद्युत् व उद्योग मंत्री)---जनाब वाला, मैं तो यह अर्ज करूंगा कि एडजार्नमेंट मोशन न किया जाय। इस मसले पर इस सदन में बहस कर ली जाय। तो इसके लिये ज्यादा मुनासिब यह मालूम होता है कि कल आधा दिन, इस बहस के लिये, अगर यह हाउस मुकर्रर करना चाहे, तो कर ले और इस पर बहस हो जायगी।

चेयरमैन---चूंकि गवर्नमेंट ने इस विषय पर विवाद के लिये समय देना मंजूर कर लिया है, इसलिये कल इस पर बहस हो जायगी। लेकिन इसका एडजार्नमेंट मोशन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि किसी आदमी की भूख हड़ताल एडजर्नमेंट मोशन के लिये उपयुक्त विषय नहीं है। दूसरे पूर्वी जिलों की खाद्य परिस्थिति पर अभी हाल ही में बहस भी हो चुकी है। यह एडजार्नमेंट मोशन तो आउट आफ आर्डर है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं यह समझूं कि फूड सिचुएशन पर डिस्कशन हो जाय। अगर ऐसा है, तो कल इसको कर लिया जाय और डाइवोर्स बिल भी ले लिया जाय।

श्री चेयरमैन---जी हां। कल सुबह (फोरनून) में इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) बिल, १९५७ हो जायगा और आफ्टरनून में इस पर बहस हो जायगी।

टेहरी गढ़वाल के कुछ रेवेन्यू अधिकारियों को थाने के आफिसर इनचार्ज के अधिकार देने के सम्बन्ध में आलेख्य आदेश

श्री कैलाश प्रकाश---मैं आपकी आज्ञा से टेहरी गढ़वाल रेवेन्यू आफिशियल्स (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५६ ई० की धारा २ के अन्तर्गत जिला टेहरी गढ़वाल के कुछ रेवेन्यू आफिशियल्स को थाने के आफिसर इनचार्ज के अधिकार देने के संबंध में आलेख्य आदेश मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमों में संशोधन

श्री विचित्र नारायण शर्मा---मैं पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १९५७-प/३३--२६-५७, यू० पी०, दिनांक ११ मई, १९५७, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमों में संशोधन किये गये हैं, मेज पर रखता हूं।

---

* मन्त्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम १९५६ की धारा १७ की उपधारा (१) के अधीन ५ अगस्त, १९५७ की विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित राज्यपाल की आज्ञा।

श्री कुंवर महावीर सिंह——मैं श्रम (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३९४७ (एस० डी०)/३६-ए--१८८ (एस-डी) ५७, दिनांक, ५ अगस्त १९५७ द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उपधारा (१) के अधीन प्रख्यापित राज्यपाल की आज्ञा को मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उपधारा (१) के अधीन १४ अगस्त १९५७ की विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित राज्यपाल की आज्ञा

श्री कुंवर महावीर सिंह——मैं श्रम (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४७३३ (एस-डी) ३६/ए--१३४-(एस-डी) ५५, दिनांक १४ अगस्त, १९५७ द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उपधारा (१) के अधीन प्रख्यापित राज्यपाल की आज्ञा को मेज पर रखता हूं।

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक

सचिव, विधान परिषद्——मैं सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा २८ अगस्त, १९५७ को पारित हुआ है, मेज पर रखता हूं।

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——Sir, I move that the U. P. Appropriation Bill, 1957, as passed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly, be taken into consideration.

यह बिल असेम्बली में ग्रान्ट वाइज डिसकस हो चुका है। कुछ खर्च जो जरूरी था वह हो चुका है। इसके लिये यह बिल इस सदन की खिदमत में पेश किया जा रहा है।

श्री चेयरमैन——मैं एक बात पहले कह दूं। चूंकि इस विधेयक को आज ही पास करना है इसलिये सदस्यों के लिये १५ मिनट का ही समय दिया जा सकता है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद——कृपा करके स्कोप बता दें कि कितना कह सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री चेयरमैन——बात यह है कि मोटे तौर पर यह बता सकता हूं कि जो बिल का स्कोप है वह बिल के उद्देश्य और कारणों से पढ़ने से मालूम पड़ जाता है। जहां तक हो सके उसके बाहर न जाया जाय तो अच्छा है। १५ मिनट में जितना उचित समझें, सदस्य कह सकते हैं। १३ मिनट में मैं लाल रोशनी दिखलाऊंगा और १५ मिनट के समाप्त होने पर सदस्य बैठ जायं।

इस समय के भीतर सदस्यगण सरकार की नीति इत्यादि के ऊपर जो उचित समझें, वह कह सकते हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियशन बिल जो कि अभी माननीय वित्त मन्त्री जी ने सदन के सन्मुख रखा है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। बजट के अवसर पर मैंने जनरल तरीके से अपने विचार रखे थे लेकिन आज इस एप्रोप्रिएशन बिल के अवसर पर मैं केवल ५, ६ या ग्रान्टस के सम्बन्ध में जिनके लिये इस एप्रोप्रिएशन बिल में रुपया रखा जा रहा है उस सम्बन्ध में अपने सुझाव और जो कुछ भी मैं कभी देखता हूं, रखूंगा।

श्रीमान्, पहली ग्रान्ट तो हेल्थ की है। इस ग्रान्ट के अन्दर लगभग ६ करोड़ रुपया इस एप्रोप्रिएशन बिल में रखा गया है लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि हेल्थ जो लोगों की है और हेल्थ ग्रान्ट की जो इम्पार्टेन्स है उस ओर हमें अधिक ध्यान देना चाहिये। और प्रदेशों में जैसे बंगाल इत्यादि में काफी रुपया पर कैपिटा हेल्थ में खर्च हो रहा है, बमुकाबिले हमारे प्रदेश के। हमारे प्रदेश में शायद एक रुपया पर कैपिटा से भी कम है। इस स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मुझे दो एक बातें आज कहनी हैं और वह यह है कि कोई भी अटेम्प्ट सरकार की तरफ से ऐसा नहीं किया गया है कि जो तमाम सिस्टम आफ मेडीसिन्स हैं, जैसे एलोपैथी, होमियोपैथी, यूनानी आयुर्वेद इत्यादि इनको एक में लाकर कोआर्डिनेट किया जाय। मेरे ख्याल में जब तक इनमें हम कोआर्डिनेशन नहीं लाते हैं, तब तक बहुत मुसीबत हमारे सामने होगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज डाक्टरों में ज्यादातर यह प्रवृत्ति हो गई है कि वह स्टैन्डर्ड दवाइयां लिखते हैं और उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि एक गरीब आदमी के लिये नामुमकिन हो जाता है कि वह उनको खरीद सके। पहले जो प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते थे उनकी कीमत कम होती थी और एक गरीब आदमी को उससे बहुत कुछ लाभ पहुंचता था लेकिन यह आर्ट प्रिस्क्रिप्शन लिखने का खत्म होता जा रहा है और स्टैन्डर्ड दवायें ही आज कल लिखी जाती हैं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस ओर ध्यान दें। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह सही है और हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा था कि हम लोग जब भारत को आजादी नहीं मिली थी तो उस समय डिस्पेन्सरीज कम थीं और आज एक हजार हो गई हैं। बहुत सी जगह ऐसा है कि डिस्पेन्सरीज तो हैं लेकिन उनमें कोई डाक्टर नहीं है। तो डाक्टर न होने से उन डिस्पेन्सरीज से कोई लाभ नहीं है। माननीय मन्त्री जी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। इसी सदन में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि जो मेडिकल ग्रेजुएट निकलते हैं उनको भी प्रैक्टिस करने का अवसर दिया जाय। जब वह ४,५ वर्ष रूरल एरियाज में प्रैक्टिस कर चुकें, तभी उनको प्रेक्टिस करने का अधिकार दिया जाय। सरकार इस ओर ध्यान दें और डाक्टर्स को रूरल एरियाज में जाना चाहिये, जो मिशनरी स्प्रिट डाक्टर में होनी चाहिये, वह उनमें नहीं है। उनकी भावना रुपया कमाने की ज्यादा होती है। जब सरकार करोड़ों रुपया कमा रही है तो कोई वजह नहीं है कि डाक्टरों में मिशनरी स्प्रिट न पैदा की जाय। इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हास्पिटल्स के डाक्टर जो हैं, उनको प्राइवेट प्रैक्टिस के अधिकार पर भी सरकार को कोई कदम उठाना चाहिये।

दो चार, शब्द मुझे रेवेन्यू ग्रांट के सिलसिले में कहना है। श्रीमान्, कन्सालीडेशन आफ होल्डिंग्स के सिलसिले में सरकार का करीब ५ करोड़ रुपया खर्च होता है और वह समस्या हमारे सामने एक विकट समस्या है। और इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। सरकार की ओर से एक कमेटी बिठाई जाय जो इन बातों को देखें। एक तो यह कि जिन जगहों पर कन्सालीडेशन हुई है वहां की प्रोडक्शन बढ़ी या नहीं। कल्टीवेटर्स को फायदा हुआ या नहीं। उसके साथ साथ यह भी देखना जरूरी है कि जहां कान्सालीडेशन आफ होल्डिंग्स के आपरेशन्स हो रहे हैं उनसे काश्तकार को कितना फायदा पहुंचता है। इस सिलसिले में मेरा सुझाव यह है कि एक कमेटी सरकार नियुक्त करे और वह इन बातों की जांच करे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वह कमेटी चाहे

कांग्रेस सदस्यों की ही हो क्योंकि उनके बीच इस बात का शोर है और मैंने अखबारों में देखा है।

इसके बाद में ट्रान्सपोर्ट की ग्रान्ट के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस मोहकमें के सम्बन्ध में मैंने पिछली बार बजट के दौरान में भी कहा था कि हमारा जो कैपिटल लगा हुआ है और जो प्राफिट की फिगर है, उसमें कमी होती जाती है, या लास होता है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि वन थर्ड आफ दी रूट्स सरकार ने टेक ओवर किये हुये हैं और टू थर्ड रूट्स प्राइवेट आपरेटर्स के पास हैं। मैं यह चाहता हूं कि जो रूट्स प्राइवेट आपरेटर्स के पास हैं, उसके सिलसिले में सरकार की जो पालिसी है वह निश्चित होनी चाहिये। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि बस सर्विस नेशनलाइज होने से पब्लिक को फायदा है तो कोई कारण नहीं कि सरकार सारी की सारी बसेज को अपने हाथ में न ले लें। लेकिन किसी बात को सस्पेन्स में रखने में न तो सरकार का ही फायदा है और न जनता का ही फायदा है। इसलिये रूट्स के सम्बन्ध में निश्चित घोषणा सरकार को कर देना चाहिये। अभी हाल ही में एक घोषणा की गई कि जो बस कन्डक्टर्स हैं उनमें जो मैट्रीक्युलेट हैं उनकी तन्ख्वाह बढ़ा दी जायेगी और जो नान मैट्रीक्युलेट होंगे उनको कम तनख्वाह देंगे यह ठीक नहीं है। तब तो आप ऐसा करें कि सब मट्रीक्युलेट ही को लें और नान मैट्रीक्युलेट की भर्ती न करें। इसके बाद न्याय के सम्बन्ध में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मेरा अपना ख्याल है कि बावजूद इसके कि हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जो मुकद्दमें हों वह अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी फैसला किये जांय, लेकिन यह हो नहीं पाता है। आज मुकद्दमों में जस्टिस नहीं हो रही है। इसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट को अपनी नीति की निश्चित ढंग से घोषणा कर देनी चाहिये और ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेगा, तभी जाकर इन्साफ हो सकेगा। हमें यह भी मालूम है कि हाई कोर्ट के लिये कुछ छुट्टियां दी जाती हैं। शायद १६५ दिन की छुट्टियां साल में हाई कोर्ट एन्ज्वाय करता है, जबकि और जो मुहकमें हैं उनको ३०,३५ ही दिन की छुट्टी मिलती है। सिविल कोर्ट्स में कुछ ज्यादा छुट्टियां हैं मगर क्रिमनल कोर्ट्स में कम मिलती है। इसका मतलब क्या है। जब काम करना चाहते हैं और जस्टिस चाहते हैं तो हमें छुट्टियों का भी एक आधार मानना चाहिये। आज जब हाईकोर्ट की स्ट्रेंग्थ करीब २५ जजेज के हो गई है तो इन मुकद्दमों के फैसले के लिये हमें कोई न कोई टाइम लिमिट मुकर्रर कर देना चाहिये कि उस टाइम के अन्दर यह मुकदमा जरूर फैसल हो जाना चाहिये। इसके बाद एक मद खर्चे की इस बजट में रखी गई है और वह है ट्रेड यूनियन वर्कर्स के सम्बन्ध में कि उनके लिये एक रिफ्रेसर कोर्स रखा जायगा जिसमें एक इन्स्पेक्टर रखा जायेगा जो २५० से ८०० रु० तक के ग्रेड का होगा। मैं यह समझता हूं कि ट्रेड यूनियन वर्कर्स के ट्रेनिंग की जिम्मेदारी गवर्नमेंट न ले बल्कि यह यूनियन की जिम्मेदारी है और वह अपने आप करेंगे। इस विचार से मैं इस खर्चे को बिल्कुल गलत समझता हूं।

अन्त में पंचायत राज की जो ग्रान्ट है उसके सम्बन्ध में चन्द शब्द कहना चाहता हूं। श्रीमन्, जहां तक पंचायत राज का सम्बन्ध है, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि गवर्नमेंट जो उसके रेवेन्यूज के ड्यूज हैं वह भी इन पंचायतों से कलेक्ट करना चाहती है। यह गवर्नमेंट का स्टेप मैं बल्कुल गलत समझता हूं। जब यह पंचायतें अपने ही ड्यूज नहीं कलेक्ट कर पाती हैं तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी रेवेन्यूज के कलेक्शन की उनको नहीं देनी चाहिये। इसी तरह से जुडिशियल पंचायतें जो हैं उनका भी काम किसी भी तरीके से सैटिसफैक्टरी नहीं कहा जा सकता है। इसलिये आज हमें विचार करना होगा कि इस तरह का काम हम उनको दें या न दें। एक एक चीज की तरफ मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह कि मौजूदा ओपेन वोटिंग का जो सिस्टम है वह हटा दिया जाय। पुराने जमाने में जो गांव का बुजुर्ग होता था उसको लोग इज्जत करते थे और उस बुजुर्ग के पास जब कोई मुकद्दमा जाता था तो जो वह फैसला करता था वह सबको मान्य होता था।

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

लेकिन आज जब पोलिटिकल पार्टीज इस डेमोक्रेटिक सेट अप में हर जगह बन चुकी हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की ओपेन वोटिंग का सिस्टम रखना अच्छा नहीं होगा। इसको हमें रिवाइज करना होगा। इस पंचायत राज के सिस्टम में इम्प्रूवमेंट के लिये गवर्नमेंट विचार करे और एक कमेटी नियुक्त कर दे और वह इस सम्बन्ध में विचार करने के बाद जो कुछ भी उसका निर्णय हो वह सिफारिश के तौर पर सरकार के पास भेजे, जितना सरकार को मौका होगा दो तीन वर्ष के बाद वह इन चीजों के ऊपर विचार करके अपनी राय कायम कर सकेगी। इन्हीं चन्द ग्रान्टों के सम्बन्ध में मुझे इस एप्रोप्रियेशन बिल के अवसर पर कहना था।

*श्री प्रताप चन्द्र आजाद---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एप्रोप्रियेशन बिल है उसके सम्बन्ध में बहुत से विचार जाहिर होंगे। जहां तक एप्रोप्रियेशन बिल का सम्बन्ध है उसमें मैं समझता हूं कि केवल उन्हीं मदों पर अपना विचार रखना उचित होगा, जिनके सम्बन्ध में सरकार को सुझाव देना है या जिनके सम्बन्ध में मेम्बर्स का ख्याल है कि सरकार को सुझाव देने से उनका एप्रोप्रियेशन अच्छे ढंग से हो सकता है। इस सम्बन्ध में तीन चार अनुदान हैं, जिनके मुताल्लिक मुझे यहां पर कुछ कहना है। एक तो अनुदान नम्बर १० है। अनुदान १० में इर्रीगेशन के सम्बन्ध में जो रुपया रखा गया है और इस समय खासतौर से इस जमाने में जबकि सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि सरकार को इकोनामी मेजर्स का ख्याल हर तरफ से करना है। इस घोषणा के बाद अनुदान नम्बर १० को देखा जाय, तो अन्दाजा लगता है कि एक ही विभाग में कई सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर्स और कई इक्जिक्यूटिव इंजीनियर्स रखे गये हैं। इसके पहले यह प्रणाली थी कि एक विभाग का एक सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर और एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर होता था लेकिन अब यह एक नई प्रथा बनाई गई है कि कई सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर और कई एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एक ही विभागमें रखे गये ह। अगर यह बात हमारे हेड क्वार्टर पर होती तो किसी हदतक ठीक थी लेकिन ऐसा हर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। मैं समझता हूं कि यह इसलिये रखा गया है कि इससे ज्यादा इफिसियेन्सी होगी, लेकिन जितने ही ज्यादे व्यक्ति एक डिपार्टमेंट के हेड्स रखे जाते हैं उतनी ही वह विभाग एफिसियेन्ट होगा लेकिन मेरा विचार है कि एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता है तो उसका नियन्त्रण भी अच्छे ढंग से रहता है इस प्रकार से मैं समझता हूं कि वह जो पुरानी प्रणाली थी जैसा कि एक विभाग का एक हेड होता था वह प्रणाली ज्यादातर बेहतर थी। दूसरा जो अनुदान है शिक्षा के सम्बन्ध में, उसमें इस बजट को देखने से अन्दाज लगता है कि टेक्निकल एज्जूकेशन के लिये बहुत मदें रखी गयीं हैं। और ट्रेनिंग के लिये जैसे बी० टी०, एल० टी० क्लासेज हैं, उनके लिये अनुदान रखी गयी है तो कहीं पर ओवरसीयर्स क्लसेज के लिये अनुदान रखी गयी है। इस सम्बन्ध में यह है कि जहां तक ट्रेनिंग का सम्बन्ध है या टेक्निशियन्स का सम्बन्ध है, इसमें सन्देह नहीं कि कि हमारी सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। किन्तु एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये और वह यह कि कहीं ऐसा न हो जाय कि जिस प्रकार से बहुत से बी० ए०, एम० ए० पास आज बेकार फिरते हैं, उसी तरह से यदि हमने ज्यादा बी० टी०, एल० टी०, और ओवरसियर्स बना दिये तो वे भी बेकार ही फिरेंगे। इसका नतीजा यह हो सकता है कि आपने तो बहुत से ट्रेनिंग कालेज खोल दिये, लेकिन अब उनमें भी बेकारी हो गयी है जिस तरह से कि बी० ए०, एम० ए० पास लोगों में है। इसमें खर्चा भी अधिक होता है और खर्च अधिक होने के साथ साथ जिस ध्येय के साथ वह शिक्षा दी जाती है, वह पूरा नहीं होता है। इसका नतीजा यह होता है कि टेक्निशियन्स और ओवरसियर्स में भी बेकारी बढ़ गयी है। फिर इन की समस्या और भी जटिल हो जाती है बजाय उनके,

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

जो कि बी० ए०, एम० ए० पास होते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें शक नहीं कि इस प्रकार की शिक्षा हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर होनी चाहिये, लेकिन इतना ही पैमाना होना चाहिये जिस पैमाने पर सरकार उनको खपत कर सके और उनको नौकरी दे सके।

इसी प्रकार से इसमें एक हेड इन्डस्ट्री का है, जिसमें सुपरवाइजर और टेक्निशियन्स शुगर केन में रखे जायेंगे। इसमें बहुत सी मदें हैं। २६ लाख ७२ हजार का खर्चा इसमें दिखाया गया है। इसमें सर्वेयर्स भी दिखाये गये हैं। जहां तक इन शुगर फैक्टरीज का सम्बन्ध है, इनके अन्दर इतना स्टाफ रखने के बावजूद भी जो उनकी हालत है वह सबसे ज्यादा सोचनीय है। वह यह है कि हमारे प्रदेश के अन्दर आज कई ऐसी शुगर फैक्टरीज हैं, जिन्होंने किसानों का पिछले तीन, चार सालों का रुपया अभी तक अदा नहीं किया है। इतना स्टाफ रखा जाता है लेकिन इसके बावजूद भी रुपया समय पर किसानों को नहीं मिलता है।

दूसरी बात यह है कि रिकवरी निकालने के लिये टेक्निशियन्स रखे गये हैं। होना तो यह चाहिये कि टेक्निशियन्स को शुगर फैक्टरी में समय-समय पर जा कर रिकवरी निकालनी चाहिये लेकिन शुगर फैक्टरी में यह होता है कि मिल मालिक को अथारिटी दी जाती है कि वह रिकवरी निकाल ले और मिल मालिक मई जून के महीने में १५-२० रोज के शुगर केन का एवरेज निकालता है और बतलाता है कि इतना शुगर पैदा हुआ है। इसका नतीजा यह होता है कि एक जिले के अन्दर अगर शुगर फैक्टरीज हैं तो एक फैक्टरी के अन्दर कुछ रिकवरी आती है, दूसरी के अन्दर कुछ आती है, तीसरी के अन्दर कुछ और आती है और चौथी के अन्दर कुछ और ही आती है। और इतना क्यों आता है, वह इसलिये आता है कि जो साइन्टिस्ट और टेक्निशियन्स होते हैं वह अगर रिकवरी निकालें तो बहुत कम फर्क हो जायगा और जो एक जिले में एक रुपया दो आना और किसी में एक रुपया चार आना रिकवरी का होता है, वह फर्क नहीं होगा। मुझे खुद अपने जिले का तजुर्बा है कि हमारे जिले में एक फैक्टरी ने जो रिकवरी निकाली वह साढ़े १३ आने की थी और दूसरी फैक्टरी की रिकवरी एक रु० साढ़े ३ आने हुयी, तो इतना फर्क नहीं हो सकता, अगर हमारे साइन्टिस्ट जो हैं वह बराबर सुपरवाइज करते रहें। आजकल जो सुपरवाइजर रखे जाते हैं, जो साइन्टिस्ट रखे जाते हैं, उनका काम ठीक ढंग से नहीं होता है। असल में यह होता है कि या तो इन लोगों को इतना वक्त नहीं मिलता है, या फिर वे लोग जाते ही नहीं हैं। कोई भी सुपरवाइजर या टेक्निशियन फैक्टरी के अन्दर नहीं जाता है अगर एक दिन चला भी गया तो बाकी सात दिन तक नहीं आ पाता और इस तरह से सात दिन तक की जो रिकवरी लिस्ट बनती है वह मिल मालिक खुद बना लेता है और उस पर दस्तखत हो जाते हैं इसलिये इसमें फर्क आता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने जो २६ लाख रुपया और बढ़ाया है, उसको तो बढ़ाया जाय लेकिन उसके साथ ही साथ सरकार यह जरूर देखे कि इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं, वे अवश्य दूर हो जानी चाहिये।

इसी तरह से अनुदान संख्या १३ में लाखों रुपया डिवीजनल हेड क्वार्टर्स के लिये रखा गया है और डिवीजनल हेड क्वार्टर के लिये जो रुपया रखा गया है, उससे ऐसा मालूम होता है कि कमिश्नर वगैरह के लिये यह रुपया रखा गया है, उनके स्टाफ के लिये रखा गया है। पिछली मर्तबा जब यहां पर इस बात का डिसकशन हुआ कि यह जो डिवीजन का स्टाफ है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और यह सारा का सारा काम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जरिये से हो सकता है तो उसका जवाब यह दिया गया था कि हमारे डेवलपमेंट के काम रोजाना बढ़ते जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन से ही फुरसत नहीं होती है, इसलिये डिवीजन स्टाफ रखा जाता है। इसके अलावा रेवेन्यू के मामले भी बताये गये थे कि रेवेन्यू के इतने मुकद्दमें हैं कि उनके लिये भी अपील होती है। हमारे रूल नहीं बने हैं कि कौन इन मामलों को देखें कौन न देखें तो इसलिये भी डिवीजन स्टाफ की आवश्यकता है लेकिन अब जो प्लानिंग के लिये एक अनुदान रखा गया है उसके मुताबिक उसके अन्दर

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

काफी स्टाफ बढ़ा दिया गया है और यहां हेडक्वार्टर में भी स्टाफ बढ़ाया गया है, जिलों में भी बढ़ाया गया है और साथ ही साथ एन० ई० एस० ब्लाक हर एक जगह पर खोल दिये गये हैं तो मैं समझता हूं कि किसी प्रकार से भी अब इस बात की आवश्यकता बाकी नहीं रह गयी है कि यह जो डिवीजन का स्टाफ है, इनके जो हेड्स हैं वह प्लानिंग के लिये सुपरविजन करें। हम तो देखते हैं कि प्लानिंग के सम्बन्ध में कमिश्नर साहब का कोई हाथ नहीं होता है उनका इसके अन्दर कोई भी किसी प्रकार की सलाह और मशविरा नहीं होता है। हम यह भी जानते हैं कि जो प्लानिंग कमेटीज की मीटिंग्स होती हैं, शायद ही कोई जिला हो, जहां कि एक दफा भी कमिश्नर साहब प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में आये हों। हमारे प्रदेश में ५२ जिले हैं और इन ५२ जिलों की प्लानिंग कमेटी में किसी में भी कमिश्नर साहब नहीं आये होंगे इसलिये मैं तो समझता हूं कि यह सारा का सारा स्टाफ इकानामी के बेसेस पर खत्म किया जा सकता है और उसका सारा काम डिस्ट्रिक्ट स्टाफ को दिया जा सकता है।

अब मैं केवल एक बात और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह कि बहुत सा रुपया इस बजट के अन्दर इस प्रकार की मदों के अन्दर रखा गया है जैसे कुछ स्टाफ इस तरह का रखा गया है कि अगर देखा जाय तो साल में केवल एक या दो महीने ही उसका काम होता है लेकिन फिर भी उसके लिये बहुत बड़ा स्टाफ रखा गया है, जैसे नरसरीज, फिशरीज, डी० डी० टी० का स्टाफ और पेड़ों पर इन्जेक्शन लगाने वाला स्टाफ वगैरह, अगर देखा जाय तो इस प्रकार का जो स्टाफ रखा गया है, उस स्टाफ की साल में एक या दो महीने की ही आवश्यकता पड़ती है। जिस समय मलेरिया का सीजन होता है और बरसात का मौसम होता है तो कुछ थोड़ा-बहुत काम हो जाता है। इसी तरह से फिशरीज का भी काम दो या तीन महीने होता है। पेड़ों में इन्जेक्शन लगाने के लिये जो स्टाफ रखा गया है, उनके काम करने की रिपोर्ट अगर मांगी जाये, तो मेरे विचार से उसकी रिपोर्ट बिलकुल निल होगी। वह स्टाफ १२ महीनों में केवल १२ स्थानों पर ही गया होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस स्टाफ पर दोबारा गौर करने की जरूरत है और यह बात देखने की है कि यह स्टाफ कितना काम करता है। यही मुझे कहना था।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही हर्ष के साथ इस विनियोग विधेयक का समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि सदन भी बड़ी प्रसन्नता के साथ इन मांगों को स्वीकार करेगा। जिस समय बजट पर बहस हो रही थी, मैं अपने भाषण को उचित रूप से समाप्त नहीं कर पाया था और आज इसी लिये दो तीन बातें अवश्य कहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। केवल दो-चार बातें कहूंगा। एक तो जो अनुदान हमारे सामने आया है उसके विषय में कहूंगा, और दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस रुपये को तो खर्च करेगी, लेकिन उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो रुपया सरकारी कोष से दिया जाता है, उससे जनता को लाभ हो और जिस काम के लिये वह रुपया खर्च किया जाता है वह काम उचित रूप से हो और उससे जनता को अधिक से अधिक लाभ हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रान्ट नं० १८ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें १६ करोड़ रुपया रखा गया है। आज शिक्षा की ओर सरकार को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में जो हमारे शिक्षा मन्त्री जी ने भाषण दिये हैं और जिस नीति का निर्देशन किया है उससे ऐसा मालूम होता है कि थोड़े ही दिनों में स्थिति बहुत ही सन्तोषजनक हो जायेगी। वे यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में एटानामी का आदर करते हैं और जो तीन साल का डिग्री कोर्स है, उसके बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा है कि वह हमारे प्रदेश में इस समय नहीं चल सकता है। अध्यापकों के प्रति भी बहुत ही सद्भावना प्रकट की है। मुझे आशा है कि पिछले पांच सालों में अध्यापकों ने जो सम्मान खोया था, वह

बहुत ही जल्द सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि जो १६ करोड़ रुपये की ग्रान्ट है वह यथोचित रूप से खर्च की जाये। प्राइमरी शिक्षा के विषय में मैंने सदन में कई बार कहा है। प्राइमरी शिक्षा को सरकार अपने हाथ में ले ले तो अधिक अच्छा होगा, क्योंकि जो रुपया सरकार लोकल बाडीज को देती है उसका उचित रूप से उपयोग नहीं होता है। अध्यापकों को वेतन भी समय पर नहीं मिलते हैं। सरकार को चाहिये कि वह प्राइमरी शिक्षा का प्रबन्ध अपने हाथ आप करे। माध्यमिक शिक्षा की ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा। इस पर भी सरकार काफी रुपया खर्च करती है। अध्यापकों की हालत पहले से अच्छी होनी चाहिये। जो सेकेन्डरी एजूकेशन बोर्ड है उसकी हालत बहुत ही खराब है, उसके बारे में सरकार को बहुत ही जल्द कोई विधेयक लाना चाहिये, ताकि इसमें जो त्रुटियां हैं, वह शीघ्र दूर हो जायें।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि यह बिल शीघ्र ही लाया जायेगा और यह रुपया जो इस मद के खर्चे में जाता है, वह समुचित रूप से खर्च किया जायेगा। यूनिवर्सिटीज के लिये हमारे वित्त मन्त्री जी ने, जहां तक लखनऊ और इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी का सम्बन्ध है, तो इनके डेफिसिट को तो उन्होंने दूर कर दिया है, लेकिन इसमें जो लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज के लिये रिकरिंग और नान-रिकरिंग ग्रान्ट्स रखी गई हैं, तो ये ग्रान्ट्स आज कल की आवश्यकताओं को देखते हुये पर्याप्त नहीं हैं। आजकल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, यूनिवर्सिटीज का विकास हो रहा है, नये नये शिक्षा के विभाग खोले जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में जो यह रकम सरकार ने दी है, यह हमें काफी नहीं मालूम होती है। साथ ही इतनी रकम से यूनिवर्सिटीज के कार्य को ठीक तरह से चलाने में असुविधा भी होती है। सरकार को चाहिये कि वह इस तरह की असुविधा को दूर करे। इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो स्टेट्यूट्स और ऐक्ट्स हैं, आज इन दोनों में परिवर्तन होने की बहुत आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है, लेकिन मैं इसके सम्बन्ध में कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऐक्ट में से धारा १२ निकाल देनी चाहिये। ट्रेजरार की पावर्स को कम कर देना चाहिये। डीन आफ स्टूडेन्ट्स वेलफेयर की इस तरह से आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। इस से तभी लाभ हो सकता है जबकि डीन आफ स्टूडेन्ट्स वेलफेयर की पोस्ट पर जो भी हो, उसको वेतन मिलना चाहिये और उसके पास दूसरे काम नहीं होने चाहिये, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से ला विभाग के दो हिस्से करना भी अनुचित बात है। इससे खर्चा भी अधिक होगा और लाभ भी कुछ नहीं होगा। इसी तरह की और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन समयाभाव के कारण मैं यहां पर उनकी व्याख्या नहीं कर सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर शीघ्र ही विचार करेगी ताकि जो सरकार ने इसके लिये रकम रखी है, उसका उचित प्रकार से उपयोग हो सके और यूनिवर्सिटीज का उद्देश्य भी पूरा हो सके। प्रयाग विश्वविद्यालय में आरकोलोजिकल इन्स्टीट्यूट बनाने की बात भी कही गयी थी, लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं हुआ। जो रुपया आरकोलोजिकल इन्स्टीट्यूट बनाने के लिये रखा गया है, तो उसको प्रयाग विश्वविद्यालय में बनाना चाहिये ताकि उस रुपये का उचित रूप से उपयोग हो सके।

शिक्षा के लिये जहां तक गोरखपुर, यूनिवर्सिटी का सवाल है, उस के लिये एक लाख रुपया रखा गया है और साढ़े तीन लाख रिकरिंग तथा ५ लाख नान-रिकरिंग रुपये की व्यवस्था भी की गई है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के संचालन से लोगों को बहुत क्षोभ हो रहा है। जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनने की बात थी, तो उस समय उस कमेटी का एक मेम्बर मैं भी था। उस समय माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त जी ने कहा था कि यह यूनिवर्सिटी एक रूरल यूनिवर्सिटी होगी। रूरल यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में डाक्टर राधाकृष्णन की रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उस समय यह बात निश्चित नहीं हुई थी कि इसको किस तरह रूरल यूनिवर्सिटी का रूप दिया जाय। सरकार ने रुपया दिया है। परन्तु यूनिवर्सिटी की रूप रेखायें वैसी हैं, जैसी अन्य स्थानों में है लेकिन इसमें जो खर्चा हो रहा है, यह

[डाक्टर इश्वरी प्रसाद]

सब उचित नहीं मालूम होता है। मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाय ताकि इस रुपये का अधिक से अधिक उचित रूप से उपयोग हो सके और गोरखपुर के आसपास के जिले इससे पूरी तौर से लाभ उठा सकें। यह जो हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं वह एक नये ही तरीके की यूनिवर्सिटी होनी चाहिये, जिससे कि वहां के लोगों में एक नये जीवन का संचार हो सके। वहां के लोगों को शुगर टक्नोलोजी तथा इसी प्रकार की दूसरी शिक्षा प्राप्त हो सके। इस समय तो वहां का वायस-चान्सलर यूनिवर्सिटी का सर्वे सर्वा है, लेकिन यूनिवर्सिटी कमीशन ने लिखा है कि वायसचान्सलर को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिये। इसके लिये एक कमेटी होनी चाहिये, जो कि सलाह दे सके कि उसे क्या करना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सरकार शीघ्र ही इस कमेटी की नियुक्ति करेगी जब तक कि कार्यकारिणी कौंसिल और सिनेट वहां नहीं बन जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अब सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आज जो एजूकेशन की बहुत सी समस्यायें हैं, उन पर अच्छी तरह से विचार होना चाहिये। यह खर्च से सम्बन्धित हैं। अभी कहा गया है कि १०० इन्टरमीडियेट कालेजेज का अपग्रेडिंग होगा, इन्टू डिग्री कालेजेज। इसमें बड़ा खर्च होगा। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर सरकार अच्छी तरह से विचार करे। सरकार ने अपनी नीति इस सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं की। यह ऐसा प्रश्न है कि इस पर काफी विचार होना चाहिये। खर्च के पहलू से विचार करना चाहिये कि कहीं ऐसा न हो कि रुपया खर्च हो जाय और नतीजा कुछ न निकले। जो एक्सपेरीमेन्ट्स हो रहे हैं मल्टी परपज स्कूल्स के या टेक्निकल स्कूल्स के, ये नई चीजें हैं। इनमें रुपया बहुत खर्च होगा। ऐसा न हो कि रुपया खर्च हो जाय और नतीजा कुछ न निकले। एक ऐसी कमेटी नियुक्त करें जो इस मामले की जांच करे। दूसरी चीज यह है कि जो वेस्ट हो रहा है चारों तरफ उसको रोकना चाहिये। एजूकेशन के सम्बन्ध में जो वेस्ट है उसको रोकना चाहिये। हमें यह भी देखना चाहिये कि इन्टरमीडियेट के बाद बी० ए० या बी० एस-सी० के जो विद्यार्थी निकलेंगे उनका क्या होगा। यह प्रश्न और भी कठिन है। सरकार कहती है कि एडमीशन कम करो। लड़के कम भर्ती करें। विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो जाती है। यूनिवर्सिटी के लिये कठिन हो जाता है कि इसको रोक सकें।

एक दूसरी ग्रान्ट है १७ नम्बर की, पुलिस के बारे में। पुलिस के सम्बन्ध में २७ नये आफिसर्स रखे जा रहे हैं। लेकिन पुलिस का प्रबन्ध ठीक नहीं है। समाचार पत्रों से मालूम होता है कि चार-पांच अफसरों के यहां उनकी स्त्रियों को पीटा गया, उन पर हमला किया गया। लखनऊ ऐसे शहर में ऐसा होना एक आश्चर्य की बात है। पुलिस के सम्बन्ध में जनता को बड़ी शिकायत है कि उसका प्रबन्ध ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में सेवा वीक भी निश्चित किया जाता है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। जब इतना रुपया डिपार्टमेंट के ऊपर खर्च होता है तो उसका प्रबन्ध भी ठीक होना चाहिये।

एक तीसरी ग्रान्ट है, इन्डस्ट्रीज के बारे में। शिक्षित लोगों में बेकारी बढ़ रही है। बेकारी दूर करना हमारा कर्तव्य है। जो ग्रेजुएट्स ऐसे हैं, जो रोजगार करना चाहते हैं उनको लोन्स दिये जांय, कर्ज दिया जाय जिससे वे छोटा मोटा उद्योग कर सकें और जीविकोपार्जन कर सकें। मैंने इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पढ़ी है। मैं उसमें नहीं देखता हूं कि बेकारी को दूर करने के लिये कोई कोशिश की गई है। ग्रेजुएटेड अनइम्प्लायमेंट बड़ी भारी समस्या है। हमें उद्योग-धंधों का प्रचार करना चाहिये। हमें उनको नौकरी देने से ही काम नहीं चलेगा। जिन लोगों की रोजगार करने की तरफ प्रवृत्ति हो उनको सहायता देनी चाहिये, उनको प्रोत्साहन देना चाहिये।

अब मैं ग्रान्ट नं० ३० की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। यह इन्फारमेशन डिपार्टमेंट के बारे में है। डिमाक्रेसी में इस डिपार्टमेंट की बड़ी आवश्यकता है। परन्तु इसमें रुपया

बहुत खर्च हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इसमें रुपया कम खर्च किया जाय। एक बात मैं कहूंगा और वित्त मन्त्री जी ने भी कहा था कि जहां हम एकानामी कर सकते हैं, करनी चाहिये। तभी शासन सुचारु रूप से चल सकता है। गवर्नमेंट के डिस्पोजल के ऊपर ९६ करोड़ रुपया जनता का है। हम चाहते हैं कि उससे जनता का भी कल्याण हो और सरकार भी मजबूत हो।

*श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुये सर्व प्रथम अनुदान संख्या ३५ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अनुदान संख्या ३५ के अनुसार १९ लाख ६७ हजार ९०० रुपये की व्यवस्था की गई है, फैमीन रिलीफ के सम्बन्ध में। यह ऐसा प्रश्न है कि सरकार ने अभी तक प्रदेश के किसी हिस्से में अकाल की स्थिति की घोषणा नहीं की है। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि सरकार इस बात को समझती है कि प्रदेश में अकाल की स्थिति है तो साफ २ स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये। हम अभी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले या पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां खाने के बिना मौतें हो रही हैं, लोगों की हालत गिर रही है। सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में स्पष्ट घोषणा होनी चाहिये। इस मौके पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि कल जब इस विषय में विवाद होगा, तब मैं विस्तार से कहूंगा। फैमीन रिलीफ के नाम पर १९ लाख रुपया रखा गया है। जब एप्रोप्रियेशन बिल में यह बात रखी है तो इस सम्बन्ध में साफ २ घोषणा होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या १३ के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कमिश्नरी का विभाग बेकार हो चुका है। कमिश्नर या उसका आफिस खत्म होना चाहिये। आपके प्रदेश में एकानामी ड्राइव की बात होती है। ऐसी जगहें जिनका बहुत उपयोग न हो, केवल शोभा के लिये उनका बनाये रखना उचित नहीं मालूम होता है।

जहां तक कमिश्नरों के काम का सिलसिला है मुझे देखने से पता चला है कि केवल कुछ अपीलों के सुनने के सिवाय उनके पास कोई ठीक और उचित काम नहीं दिखाई पड़ता है। सरकार की तरफ से यह भले ही कहा जा सकता है कि कमिश्नर, जिलों को सरकार से कोआ-र्डिनेट करता है लेकिन ऐसी कोई बात विशेष तौर पर देखने को नहीं मिलती है। जब यू० पी० की सरकार यहां लखनऊ से, जिलों को देखती है तो ऐसी हालत में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में सरकार का काम जब चल रहा है, लखनऊ से अच्छी तरह से कोआर्डिनेशन किया जा सकता है तो केवल कोआर्डिनेशन के नाम पर लाखों रुपया खर्च किया जाना मैं उचित नहीं समझता हूं और मेरा यह ख्याल है जब कि पैसे की बहुत कमी है और डेवलपमेंट पर खर्च करने के लिये पैसा नहीं मिल रहा है तो उस मौके पर सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

इसके बाद में प्रशासन की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी बिना जुडीशियरी के नहीं चल सकती है। इसी तरह से जुडीशियरी बिना सिविलाइज्ड सोसाइटी के नहीं चल सकती है। इसलिये जुडीशियरी का ठीक तरह से फंक्शन करना लाजिमी है अगर सिविलाइज्ड सोसाइटी को चलाना है। जुडीशियरी और इक्जीक्यूटिव को अलग करने की बात कई बार कही जा चुकी है लेकिन मैं देखता हूं कि अब और कोई कार्यवाही इस ओर नहीं हो रही है। इसके साथ ही साथ मैजिस्ट्रेसी और रेवेन्यू आफिसर्स के सामने इतने मुकद्दमे पड़े हुये हैं कि कुछ ठिकाना नहीं हो सकता है। यदि मुकद्दमों की फाइल देखी जाय तो कम से कम ५०, ५० और ६०, ६० तारीखें एक एक मुकद्दमें में पड़ती हैं। किसानों और गरीब आदमियों की जिन्दगी इन मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स से परेशान हो जाती है और वे गरीब लोग इस परेशानी से बचने के लिये अपने सही हक और अधिकार को छोड़ कर अलग हट जाते हैं। हो सकता है कि सरकार की तरफ से यह कहा जाय कि हम इस सम्बन्ध में बहुत कार्यवाही करते हैं लेकिन हमारी इसमें लाचारी है। कोर्ट्स में मैजिस्ट्रेट्स को साढ़े १० बजे

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

आना चाहिये और ५ बजे समाप्त कर देना चाहिये। यह एक लाजिमी चीज है। आज जो मैजिस्ट्रेट्स हैं वह आठ आठ बजे रात तक बैठते हैं। किसान को अपने गांव वापस जाने के कोई साधन आठ बजे रात में नहीं रहते हैं और वह परेशान होता फिरता है, तो मेरा कहना है कि मैजिस्ट्रेट्स को इस बात की तम्बीह होनी चाहिये कि वे ठीक समय के अन्दर कार्य करें और ५ बजे कार्य समाप्त करें। तो प्रशासन के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैजिस्ट्रेट्स और जुडीशियरी के कोर्ट्स की जो हालत है, वह बहुत खराब है। इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है खास तौर से टाइमिंग्स के संबंध में तत्काल कार्य किया जाना चाहिये लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

इसके बाद मैं ग्रान्ट नम्बर १६ के संबंध में जिक्र करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जेल के सुधार के नाम पर बहुत सी बातें कही गई और कुछ जगहों पर माडल जेल्स के नाम पर कार्यवाही हो रही है लेकिन साल में एक दो बार मुझे भी जेल में रहने का मौक़ा मिल जाता है और तब मैं देखता हूं कि जो जेल सुधार की बात कही जाती है, वह केवल सदन तक ही शायद सीमित है। मैं नैनी जेल में था। वहां मैंने देखा कि नैनी जेल में राशन में मिट्टी मिली हुई थी। जब एक सुपरिन्टेन्डेन्ट का तबादला हो गया दूसरे आये, तो उन्होंने डी० एम० को लिखा कि यहां राशन बहुत खराब है और तब वह ठीक तरह से छंटवाया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि उसमें मिलावट साबित हुई। आप जेलों में लोगों को रखते हैं। जिनकी वजह से अपराध होते हैं और जिन कारणों से अपराध होते हैं, वह दूर नहीं हो पाते हैं। उन कैदियों को जब हम जेल में देखते हैं कि उनके साथ कैसा बरताव होता है तो मुझे ताज्जुब होता है। नैनी जेल का किस्सा मैंने रखा। वाराणसी जेल के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर मेडिकल आफिसर साहब हैं। कहा जाता है कि जेल में दवा मिलती है। जेल में जब कोई इन्सान पहुंचता है और जब उसकी मौत और जिन्दगी का सवाल आता है उस समय उसको दवा न मिले तो कैसी बात होगी, आप सोच सकते हैं। मेडिकल आफिसर यह कहते हैं कि ज्यादा पानी पियो, इसी से तुम अच्छे रहोगे और जब दवा का सवाल आता है तो वह नहीं के बराबर है। यह अध्यक्ष महोदय, सबको मालूम है। आगरा जेल में केवल दवा न मिलने के कारण हमारे साथी रामसिंह की मृत्यु हुई। जब ऐसी घटनायें राजनैतिक बन्दियों के साथ होती हैं, राजनैतिक आप चाहे उनको कहें या न कहें लेकिन जो अपने हक़ के लिये लड़ सकते हैं तो फिर साधारण कैदियों के साथ क्या होता होगा, यह आप समझ सकते हैं।

ग्रान्ट नं० १७, पुलिस के संबंध में कहना चाहता हूं। इस प्रदेश के गृह मंत्री जी ने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर गर्व है। यदि जुडिशियल लाकअप में किसी की मृत्यु पुलिस की मार से हो जाय और उस पर आप गर्व करें तो यह सरकार के लिये शोभा की बात होगी, लेकिन मैं कहता हूं कि आजमगढ़ में बरदह थाना में कमल राय की मृत्यु हो गई, पुलिस की मार से। सरकार डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के आधार पर कहती है कि पुलिस की मार से मृत्यु नहीं हुई बल्कि उसने आत्म हत्या की। मैं कहता हूं कि जूडिशियल इन्क्वायरी से सरकार को क्या खतरा है। कम से कम इस बात से असल बात क्या है यह तो जनता को मालूम हो जाती। जब कोई पुलिस की मार से जुडिशियल लाकअप में मर जाता है तो उस पर सरकार का यह रवैया है। अभी का किस्सा है कि कानपुर में हमारे साथी राज नारायण सिंह पर ३३२ का झूठा मुक़द्दमा चलाया गया और यह जान कर के उस पुलिस अफसर को बनारस का कोतवाल बनाकर भेजा गया, जिससे वह अपोजीशन को दबाये और इसी कारण उसकी तरक्क़ी भी की गई। मैं समझता हूं कि इस तरीक़े से सरकार डेमोक्रटिक फन्कशन नहीं कर सकती है। आज हमारे मुख्य मंत्री जी पोलीटिकल ट्रूस चाहते हैं। लेकिन उन कैदियों की मांग, मान लेने पर भी उनको १९ महीने जेल में रखना चाहते हैं तो यह मारेल है। फारेन स्टैच्यूज को हटाने की बात थी और सरकार ने उसको मान लिया है लेकिन जिन लोगों ने इस सिलसिले में

आन्दोलन चलाया था उनको अब भी जेल में रखना और पुलिस के द्वारा अपोजीशन को दबाने की कोशिश अब भी की जा रही है। इस नीति के कारण एक बिटरनेस का वातावरण पैदा होगा।

इसके बाद मैं ग्रान्ट नं० ३० इन्फारमेशन डिपार्टमेन्ट के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी इस बात को मानें या न मानें लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ४७ लाख ४६ हजार की रकम इसमें रखी गई है, वह ज्यादा है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं और किन्हीं कारणों से इस बात को मैंने आज तक नहीं कही थी लेकिन आज मैं कहता हूं कि इस डिपार्टमेंट में एक आफिसर्स का ग्रुप है और चन्द मिनिस्टरों से उनका संबंध है। इन्हीं वजहों से वह इस डिपार्टमेंट में रखे गये। अगर वह डाइरेक्ट देखा जाय तो एक ही जगह के काफी लोगों को उस डिपार्टमेंट में भरा होगा। एक आफिसर का काफिला इन्फारमेशन डिपार्टमेंट को रूल कर रहा है। मिनिस्टरी के चन्द मिनिस्टर इन्फारमेशन डिपार्टमेंट को अपने हाथ में रख कर काम को चला रहे हैं। माननीय कमलापति जी जो इन्फारमेशन डिपार्टमेंट के मन्त्री हैं, इलेक्शन के जमाने में बहुत ज्यादा लिटरेचर्स डिपार्टमेंट के बंटाये हैं। एक एक आदमी के पास १०, १०, १५, १५ किताबें इलेक्शन के जमाने में हमारे इलाके में बांटी गई। आज तक हमने उसके ऊपर जबान तक नहीं खोली। अगर इन्फारमेशन डिपार्टमेंट पोलीटिकल प्रोपेगेन्डा के लिये या किसी पार्टी को बढ़ाने के लिये एक हथियार बनाया जाता है तो उसमें विशेष मन्त्रियों से सम्बन्धित जो नियुक्तियां करके लोग रखे जाते हैं, उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, उससे कुनबा परस्ती बढ़ेगी और डेमोक्रेसी की ग्रोथ के लिये बहुत बुरा नतीजा निकलेगा, इन चन्द शब्दों के साथ जो विनियोग विधेयक रखा गया है, उसके लिये मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इनके सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करने का निश्चय करेंगे।

श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक जो आज हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मुझे यह देखकर कि उसकी धनराशि २०२ करोड़, ८ लाख १६ हजार रुपये की है, संतोष हुआ। यह सर्वथा हमारी स्टेट की जन संख्या और क्षेत्र वर्ग के अनुकूल है और उसकी प्रगति का द्योतक है और हमें इसके ऊपर गर्व होना चाहिये। मैं खाद्य और रसद के सम्बन्ध में यहां कुछ कहना चाहता हूं। खाद्य और रसद का जो विभाग है, वह बहुत दिनों से अस्थाई रूप में काम करता चला आ रहा है। आज हमको और आप को मालूम है कि हमारी खाद्य समस्या, हमारे मकान बनाने के मटीरियल्स की समस्या और मकानों के अलाटमेंट की समस्याएं स्थाई रूप धारण करती जा रही हैं। जब यह सत्य है तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस डिपार्टमेंट को फिर क्यों नहीं स्थाई रूप दिया जाता। और उसके कर्मचारियों को क्यों नहीं स्थायी किया जाता। मैं आशा करता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री जी और हमारी सरकार इस ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे और उसके कर्मचारियों को टेम्पोरेरी न रखकर उनको परमानेन्ट कर दिया जायेगा। इसके बाद इस विभाग में जो मकान बनाने वाली सामग्री (मटीरियल्स्) के वितरण की नीति है उसके विषय में कहूंगा। थोड़े दिन हुये जब सरकार की ओर से एक विज्ञप्ति निकली थी, उसको पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ। उस विज्ञप्ति में इस बात की घोषणा की गई थी कि सीमेंट आदि के वितरण में सार्वजनिक संस्थाओं के स्कूलों आदि को सबसे अन्त में सीमेन्ट वितरण किया जायगा। श्रीमन्, आप जरा सोचें कि यह कितना अनुचित है कि इन्डिविजुवल्स् या साधारण व्यक्तियों को जब मकान बनाने की सामग्रियों को देने की प्राथमिकता दी जाती है तो फिर उससे ज्यादा प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाओं को दी जानी चाहिये।

मेरी समझ में नहीं आता कि सार्वजनिक संस्थाओं को सब से नीचे वितरण सूची में क्यों रखा गया है। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी। इसके अतिरिक्त एक बात की ओर मुझे इस विभाग के सम्बन्ध में ध्यान दिलाना है और वह है हाउस एलाटमेंट

[श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी]

और उस से सम्बन्धित कमेटियों के अधिकारी के विभाग में। मेरा भी एक ऐसी कमेटी से सम्बन्ध है। मैं देखता हूं कि जहां तक इन कमेटियों का कार्य है उनको बहुत कम अधिकार दिये गए हैं। अधिकतर तो मकानों का एलाटमेन्ट एजेंसी से ही है। हाउस एलाटमेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सचिवालय और दूसरे बड़े भिन्न--भिन्न अधिकारियों के द्वारा हो जाता है। फिर इन कमेटियों का क्या उपयोग रह जाता है। मैं इस विषय में सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस विषय में फिर से विचार और छानबीन करे और आवश्यक संशोधन करने की कृपा करे।

अब मैं शिक्षा के सम्बन्ध में आपसे कुछ निवेदन करूंगा। संतोष की बात है कि २०२ करोड़ की धन--राशि में शिक्षा के लिये १५ करोड़ रुपये का इस वर्ष व्यय रखा गया है। परन्तु जब हम यह देखते हैं कि यह व्यय हमारी जन संख्या को देखते हुए दो रुपया प्रति मनुष्य प्रति वर्ष से अधिक नहीं होता तो हमें बड़ी निराशा होती है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में शिक्षा पर अधिक व्यय किया जायेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की जो प्रगति हो रही है, उसको देखकर हर्ष होता है। परन्तु उस सम्बन्ध में आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूं। जो कुछ देखने में आता है वह यह है कि विश्वविद्यालयों में जितना अनुसंधान और पढ़ाई--लिखाई का कार्य होना चाहिये, उस कार्य पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान का कार्य नहीं होगा तो उसके लिये फिर कौन दूसरा स्थान होगा। बहुधा देखने में आया है कि हमारे विश्वविद्यालयों के अध्यापक अपना समय अनुसंधान और पढ़ाने में व्यय न करके और अन्य कार्यों में व्यय करते हैं। समय आ गया है जब उन्हें अपना समय पूर्णरूप से अनुसंधान में और पढ़ाने--लिखाने में व्यतीत करना चाहिये। इसके अतिरिक्त, हमारी यूनिवर्सिटियों के जो नये ऐक्ट बने हैं उनमें डीन आफ स्टूडेन्ट्स वेलफेयर के लिये प्राविजन रखा गया है परन्तु साथ ही हमें इसको भली भांति कार्य रूप में परिणत करने के लिए पर्याप्त साधनों की आवश्यकता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय को उसके लिए हमें पृथक धन देना चाहिये केवल डीन आफ वेलफेयर स्टूडेन्ट्स की नियुक्ति से ही काम नहीं चलेगा। मेरी एक व्यक्ति से जो अभी हाल में स्टूडेन्ट वेलफेयर के डीन (Dean) नियुक्त हुए हैं, बातचीत हुई, उनका कहना है कि जब वह एक विभाग में अध्यापक का कार्य करते थे तो उनके पास उसके लिए काफी साधन थे लेकिन जब से वह डीन आफ स्टूडेन्ट्स हुए हैं उनके पास काम करने के लिए कोई साधन नहीं हैं। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि न तो हमें कोई उसके लिए स्टाफ दिया गया है और न छात्रों की सहायता करने के लिए धन और यदि इन दोनों चीजों में से एक की भी कमी रहेगी तो हम अपने कार्य को भलीभांति सम्पादित नहीं कर पायेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के विषय में यहां पर बहुत चर्चा हुई है। जैसा अध्यक्ष जी, आपको संभवतः विदित होगा कि वहां पर अभी पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज, एम० ए० ही कुछ विषयों में खोले गये हैं। हाल में मैंने इस विश्वविद्यालय में होने वाली नियुक्तियों की सूची देखी तो उसको देख कर मुझे आश्चर्य हुआ कि प्रत्येक विभाग के लिए तीन, चार और पांच अध्यापक रखे गये हैं। यह तो सभी को विदित है कि इस वर्ष वहां पर सिर्फ एम० ए० की प्रथम वर्ष की कक्षा ही खोली गयी है फिर इतने अध्यापकों से क्या कार्य लिया जायगा, यह समझ में नहीं आता। अधिक से अधिक ४ या ६ घंटे प्रति सप्ताह प्रत्येक अध्यापक को पढ़ाना होगा। अगर ऐसी बात है तो इतने अध्यापक रखने की इस वर्ष क्या आवश्यकता थी, क्या आगामी वर्ष तक रुका नहीं जा सकता था।

माध्यमिक शिक्षा के विषय में मैं आप से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस वर्ष कुछ सरकारी कर्मचारियों के लड़कों की फीस में कमी की बात बजट में की गई है। मैं नहीं जानता कि यह अभी केवल सरकारी स्कूलों में ही लागू की जावेगी अथवा गैर सरकारी स्कूलों में भी। मैं तो समझता हूं कि यह सभी स्कूलों में होनी चाहिए। मेरे मित्र ने पीछे से कहा

कि सभी में होगी। लेकिन मैं उनको अपने पिछले अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में ५ वीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क की गयी थी लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ही कम स्कूलों में यह फीस चार्ज नहीं की जाती। प्रायः नगरों में जितनी शिक्षा संस्थायें हैं उनमें बराबर ५ वें क्लास तक फीस ली जाती है। अभिभावकों में इस से बड़ी निराशा और बड़ी कान्ति पैदा होती है। एक ओर तो कहा जाता है कि सभी स्कूलों में शिक्षा शुल्क नहीं लिया जायेगा, परन्तु दूसरी ओर अधिकांश स्कूलों में फीस ली जाती है। इस वर्ष से छठे क्लास में फीस नहीं ली जायेगी और जहां तक मुझे याद है इस के लिये बजट में ३५ लाख रुपये की ग्रान्ट भी रखी गयी है। मुझे आशा है कि केवल सरकारी ही नहीं बल्कि समस्त स्कूलों में छठे दर्जे में फीस नहीं ली जायेगी।

माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो सैनिक शिक्षा दी जाती है उसके विषय में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यहां पर दो प्रकार की सैनिक शिक्षा देने की प्रणाली है--एक पी० ई० सी० के नाम से सम्बोधित की जाती है और दूसरी एन० सी० सी० के नाम से। लोगों का कहना है कि पी० ई० सी० में बहुत कम लड़के भाग लेते हैं। मेरी समझ में इसमें तो दो विचार नहीं हो सकते कि सैनिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है और उस को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। यदि अनुभव बतलाता है कि पी० ई० सी० अधिक लोकप्रिय सिद्ध नहीं हो रही है तो फिर एन० सी० सी० ही क्यों समस्त शिक्षा संस्थाओं में प्रचलित नहीं कर दी जाती?

जहां मैंने शिक्षा की बात श्रीमन् आपके सामने कही, उसके साथ साथ मैं कुछ स्पोर्ट्स कौंसिल के विषय में भी कह देना चाहता हूं। स्पोर्ट्स कौंसिल हमारे प्रदेश में कुछ दिनों से कार्य कर रही है, परन्तु इसमें शिक्षा संस्थाओं, विशेषकर विश्वविद्यालयों का और माध्यमिक संस्थाओं से विशेष सहयोग प्राप्त नहीं किया जा रहा है। यह बात तो नितान्त सत्य है कि स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले अधिकांश में हमारे विद्यार्थी वर्ग ही हैं इसलिए उनका सहयोग नितान्त आवश्यक है। शिक्षा के अतिरिक्त दूसरा बड़ा अनुदान उद्योग संबंधी है। उद्योग के अनुदान के संबंध में श्रीमन्, मैं आपके द्वारा उद्योग मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कुटीर उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिये एक कमेटी नियुक्त करें। सम्भवतः वह और हमारे अन्य माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि इस प्रदेश की तरक्की कुटीर उद्योगों के ऊपर बहुत कुछ अवलम्बित है। यदि ऐसा है तो उसके लिए हमें विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिये।

बजट के अवसर पर मैंने अपने जो विचार जेलों के संबंध में प्रकट किये थे, उसे फिर दोहरा देना चाहता हूं। लखनऊ में एक रिफारमेटरी स्कूल है, जिसके सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है।

श्री चेयरमैन---आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी---जी, बहुत अच्छा, अब मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री हृदय नारायण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो एप्रोप्रिएशन बिल दो करोड़ रुपये का हमारे सामने प्रस्तुत है तो शायद इतने से ही इति श्री नहीं है बल्कि इसके बाद और भी सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स मांगी जायेंगी जैसे कि गत वर्षों में होता रहा है। हमें यह नहीं समझना चाहिये कि इतने ही रुपये की ग्रान्ट हमें मंजूर करनी पड़ेगी, अभी और भी मांगें हमारे सामने प्रस्तुत होंगी। जहां तक इस मांग का सम्बन्ध है, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि शायद ५ सौ से ज्यादा और करीब ५०० और ६०० के बीच में नयी पोस्टें क्रिएट की गयी हैं,

(इस समय १२ बजकर ५३ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

जिनके ऊपर ३८ लाख रुपये व्यय होंगे और यह जो ३८ लाख रुपये का व्यय है, वह इस ग्रान्ट में शामिल है। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि हमको किफायत करनी है

[श्री हृदय नारायण सिंह]

और दूसरी तरफ वह व्यय बेतहाशा बढ़ाती जा रही है। इस बात को तो मैं नहीं कहूंगा कि सरकार सुपर स्टिंजी पर्सीमोनी से क फर करती है, लेकिन इतना तो अवश्य कहूंगा कि वह अपने मस्तिष्क में साफ नहीं है कि क्या उसको करना चाहिये। एक तरफ तो किफायतसारी का ड्राइव चल रहा है और दूसरी तरफ नयी पोस्टें बढ़ायी जा रही हैं। बहुत सी पोस्टें अप ग्रेड की गयी हैं, उनका अगर खर्चा देखा जाय तो लाखों का होता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यह तो ठीक है कि जहां पर आवश्यकता है, वहां पर नयी पोस्ट क्रिएट कर दें लेकिन जहां पर आवश्यकता नहीं है जैसे कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा और माननीय प्रताप चन्द्र आजाद जी ने भी बतलाया कि ऐसे ऐसे कामों के लिये स्टाफ बढ़ाया गया है और ऐसे विभागों में स्टाफ बढ़ाया गया है जहां पर कि साल के अन्दर अधिकांश महीनों में कोई काम नहीं होता है। बिना काम के पोस्ट क्रिएट करके स्टट की रिआया के ऊपर बोझा लाद देना, मैं इसको उचित नहीं समझता। जो प्रशासन के सम्बन्ध में मांग की गयी है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह जो १२ और १३ ग्रान्ट हैं इस को मिला कर ६ करोड़ रुपये की मांग की गयी है। गत वर्ष जो इस के लिये मांग की गयी थी वह इस से अधिक थी, इसलिये यह अन्दाजा होता है कि आगे चल कर इस के लिये और मांग आने वाली है। यह विभाग काफी बड़ा है और इस में बहुत सी पोस्ट बढ़ायी गयी हैं, इसलिये इस में खर्चा भी काफी बढ़ गया है। यह विभाग तिगुना और चौगुना बढ़ गया है, लेकिन फिर भी इसका काम संतोषजनक नहीं है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस में कुछ पोस्ट कम कर दी जायेंगी और उन लोगों को दूसरे स्थान पर भेज दिया जायगा, लेकिन शायद अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। इस विभाग की जो एफिशिएन्सी है उस की एक दो मिसाल देना चाहता हूं। इंटर बोर्ड में गोरखपुर विश्वविद्यालय के रिप्रेजेन्टेशन के बारे में सरकार के पास दिसम्बर के महीने में लिखा गया था और यह अगस्त का महीना आ गया है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इस प्रकार के बहुत से काम वहां पर पड़े रहते हैं और उन के बारे में कोई शीघ्र कार्यवाही नहीं हो पाती है, जो बात श्री प्रभु नारायण सिंह जी ने कमिश्नर के बारे में कही है, उससे बहुत से लोग सहमत हैं।

अब मैं शिक्षा के बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूं। सन् ४५ से लेकर आज तक शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसको अगर देखें तो मालूम होगा कि विद्यार्थियों का जो परीक्षा-फल है वह दिन पर दिन गिरता जा रहा है। सन् ४५ में हाई स्कूल का परीक्षाफल ६५ परसेन्ट था और इन्टरमीडिएट का ७० परसेन्ट था, लेकिन अगर आज आप देखें तो आधा रह गया है। सरकार को इस तरफ भी देखना चाहिये। सरकार का इन्टरमीडिएट एजूकेशन बोर्ड अमेंडमेंट ऐक्ट लाने का इरादा था, मगर वह अभी तक नहीं ला सकी है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यदि वह इस बिल को नहीं ला सकती है तो वह किसी व्यक्ति को यह काम सुपुर्द कर दे और वह व्यक्ति इस विधेयक को सदन के सामने ला सकता है। इस मामले में सरकार को मौन नहीं रहना चाहिये।

यदि आप दूसरे प्रदेशों को देखें तो आप को मालूम होगा कि उन्होंने बहुत तरक्की की है। पंजाब में हाई स्कूल तक फ्री एजुकेशन है और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापक हैं उनकी सर्विस को नेशनलाइज कर दिया गया है। बिहार में भी शिक्षा की हालत को सुधारा गया है, मध्य प्रदेश में भी इस ओर अच्छा कदम उठाया गया है। आप ने अखबारों में पढ़ा होगा कि केरल में एजुकेशन बिल का काफी विरोध किया गया। लेकिन फिर भी उन सब विरोधों के होते हुये, वह बिल पास हो गया। यह जो हमारे प्रदेश में आज काम हो रहा है, वह सुधार के लिये हो रहा है। मगर सरकार के पास कोई ओरिजिनल विचार नहीं है। इन सब मसलों से वह सबक ले सकती है और शिक्षा के सुधार के लिये बहुत कुछ कर सकती है। अभी थोड़े दिन पहले प्रोफेसर हुमायूं कबीर एक दल को लेकर रूस गये थे। वहां से लौटने पर

उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रूस में ७० प्रतिशत शिक्षा व सोशल वेलफेयर पर खर्च किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में जो शिक्षा पर खर्च हो रहा है, वह १३ प्रतिशत् है। इससे अधिक तो दूसरे प्रदेशों में खर्च हो रहा है। बम्बई और वेस्ट बंगाल में शिक्षा पर अधिक खर्चा किया जा रहा है। यह तो जरूर है कि सरकार यहां शिक्षा में हर साल खर्च की रकम बढ़ा रही है। सन् ५३-५४ में खर्चा साढ़े ९ करोड़ था, ५४-५५ में सवा दस करोड़ हुआ ५५-५६ में १२-१३ करोड़ के करीब हुआ और इस साल १५ करोड़ १४ लाख की व्यवस्था की गई है। लेकिन हमें यह देखना चाहिये कि शिक्षा पर जो खर्च हो रहा है, वह किन साधनों पर हो रहा है और वह उचित है या नहीं।

अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट देखी थी जो कि यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी के चेयरमैन डाक्टर सीतारामय्य के कार्य काल में प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने नैनीताल गवर्नमेंट डिग्री कालिज के बारे में अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि सन् १९५१ में यह कालिज स्थापित हुआ, लेकिन वहां पर १३ पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज स्थापित हो गये। इसके अलावा वहां पर जो ग्रेड्स टीचर्स के रखे गये हैं, उससे यूनीवर्सिटी के टीचर्स भी ईर्षा करते हैं। इस ग्रेड के अलावा वहां पर बाटनी और फिजिक्स के लिये जो बिल्डिंग बनाई गई, वह एक ही साल में गिर गई और उनका कोई प्रयोग नहीं हो सका। उनका यह भी सुझाव है कि वह स्थान महाविद्यालय के विकास के लिये उपयुक्त नहीं है, उसके स्थान पर दूसरी जगह चुननी चाहिये। जहां तक मैं देखता हूं कि शिक्षा के बारे में जो शिक्षा संस्थायें हैं, उनकी साज-सज्जा पर तथा अध्यापकों की हालत सुधारने में कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता बल्कि डाइरेक्टोरेट और इन्सपेक्टोरेट आदि में अधिक खर्चा होता है और गवर्नमेंट के स्कूल तथा कालेजों पर अधिक खर्चा होता है। सरकार ने जो एकानामी कमेटी बनाई थी उसने यह सिफारिश की थी कि अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाय और उन को प्राइवेट बाडीज के हाथ में दे दिया जाय, तो इस तरह से जो खर्चा बचेगा, वह शिक्षा के दूसरे कामों में लगाया जा सकता है और प्रशासन के दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। लेकिन शायद सरकार इस पर अमल करने के लिये तैयार नहीं है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में जो अधिनियम बनाया गया, उसको हमने रात को १० बजे तक बैठकर पास किया, लेकिन एक साल बीत गया, वहां पर अभी तक पूरी तरह से उसको चलाने की व्यवस्था नहीं हुई। अभी वहां पर २ सितम्बर से कुछ क्लासेज आरम्भ होने वाले हैं, और इन सब के लिये सरकार कहती है कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वहां के लिये अभी स्टेट्यूट्स भी नहीं बने हैं। एक-दो आदमी वेतन पर रखे भी गये थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। सरकार ने वहां पर ५० लाख रुपया ५ वर्षों के लिये रखा है। किसी विश्वविद्यालय का आप एनुअल बजट देखें तो आप को पता लगेगा कि उसका एनुअल बजट कितना होता है। विश्वविद्यालय का बजट एक साल में २०-३० लाख होता है और ५० लाख रुपया सरकार ने ५ वर्षों के लिये अनुमानित किया है। वहां केवल १० लाख तो अभी बिल्डिंग पूरी करने में लगेगा। अगर एक लायब्रेरी बनती है और २० हजार पुस्तकें, जो एक विश्वविद्यालय के लिये कुछ भी नहीं हैं, अगर वह वहां रखी जाती हैं तो कम से कम इसके लिये भी ४, ५ लाख रुपया होना चाहिये। रूरल यूनीवर्सिटी की जिस कल्पना से हम विश्व-विद्यालय खोलना चाहते थे, उसका कुछ पता ही नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि बिल्कुल इन्टेलीजेन्स की बैंकरप्टसी है। अगर ४-५ विशेषज्ञों की कमेटी बनी होती और उससे कहा जाता कि वह कोर्स वगैरह तैयार करें, रूल्स फ्रेम करे तो अधिक अच्छा हुआ होता। अगर इस तरह से काम हुआ होता तो शायद अब तक विश्वविद्यालय चालू हो जाता। एक बात यह कही गई कि बेरोजगारी काफी कम हो रही है। मेरे ख्याल से.........

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--मोटर कार्स कितनी हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह--यह तो मैं नहीं बतला सकता। यह कहा गया कि बेरोजगारी काफी दूर हुई है। मेरे ख्याल से बेरोजगारी बढ़ी है और जो सरकारी रिपोर्ट्स वगैरह मिलती हैं, माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि बेरोजगारी की

[श्री हृदय नारायण सिंह]

समस्या बहुत कुछ हल हुई है, मैं ऐसा समझता हूं कि फाइव इयर प्लान आरम्भ होने से पहले जो संख्या थी, उसमें बढ़ती हुई है। सन् ५२ में ५.२२ लाख बेकार थे और ५७ में ७.७७लाख हो गये। तो यह कहना कि बेकारी कम हुई है गलत है। बेकारी कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है। एक बैलेन्स्ड पेपर है जो सरकार की भी समय समय पर बहुत प्रशंसा करता है और समालोचना भी करता है। उसने १५ अगस्त के दिन जो अग्रलेख लिखा था, उसमें उसने लिखा था कि आजादी के १० साल के कार्यकलाप में जनता को निराशा हुई है और गरीबों की विपन्नता और बढ़ी है और सुख और समृद्धि के जीवन की तो बात ही अलग है यहां भर पेट खाना, तन ढकने के लिये कपड़ा और सर ढकने के लिये स्थान नहीं मिल पाता है। यह काशी के 'आज' का अग्रलेख है। यह उस पत्र की राय है जो स्पष्ट बात लिखता है। यह जो सारा खर्च हो रहा है इसलिये हो रहा है कि जनता की हालत सुधरे लेकिन जनता की हालत सुधरने के बजाय उसमें ह्रास हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी का जहां तक सम्बन्ध है ऐसा मालूम होता है जैसे सरकार विदेशियों की हो। जो विदेशी शासन होता है, उसमें जो अधिकारी होते हैं या जो सरकार के समर्थक होते हैं उनके ऊपर ध्यान अधिक दिया जाता है। विदेशी हुकूमत के समय में जो अधिकारी थे उनका समर्थन और परवरिश विशेष रूप से की जाती थी। मैं समझता हूं कि बृटिश गवर्नमेंट जितना ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट करती थी, उससे ज्यादा आज की सरकार करती है। गवर्नमेंट जानती है कि इस आदमी ने गलती की है लेकिन फिर भी सरकार उसका समर्थन करती है। उसूल यह होना चाहिये कि जैसे जैसे जनता की हालत सुधरे, वैसे वैसे आफिसर्स की भी हालत सुधरे, लेकिन आज जो हालत है वह यह है कि जो सरकारी अफसर हैं उनकी हालत अच्छी करने का सरकार प्रयत्न कर रही है। लेकिन जनता की हालत के सुधारने का उद्योग नहीं है। अभी पुलिस के ऊपर बहुत कुछ कहा गया है। पुलिस में इफीशिएन्सी नहीं आ रही है। पुलिस फोर्स जितनी सन् ४७ में थी उतनी ही आज भी है। पुलिस में काम करने वाला जो कान्सटेबिल है उसकी तादाद नहीं बढ़ी है, दूसरी ओर आफीसर्स की तादाद बढ़ी है। काम पुलिस कर्मचारी करता है लेकिन न मालूम हाई आफिसर्स की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है। आज कहा जा रहा है, सोशलिस्ट पैटर्न की ओर समाज का निर्माण हो रहा है लेकिन पता नहीं कि सरकार कहां तक सफल हो पा रही है। इन शब्दों के साथ मैं अपना एप्रोप्रियेशन बिल पर भाषण समाप्त करता हूं।

श्री डिप्टी चेयरमैन--अब कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है

[सदन की बैठक १ बजे अवकाश के लिए स्थगित हो गई और २ बजे श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।]

श्री राम नन्दन सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी के बिल का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह जो बिल माननीय वित्त मन्त्री का, सदन के सामने है और उसमें जो आंकड़े दिये गये हैं और जिन मांगों को रखा गया है उसके सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई और उसके हर आइटम पर असेम्बली में बहस हो चुकी है। फिर कोई वजह नहीं कि यह सदन उसको स्वीकृति न दे दे। मैं यह देख रहा हूं कि इसके ऊपर काफी आलोचना हुई है और विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने इसकी काफी टीका-टिप्पणी की है। मैं इस मौके पर यह कह देना चाहता हूं कि विरोधी दल इसकी टीका टिप्पणी करके यह चाहता है कि रामराज्य तुरन्त कायम हो जाय, लेकिन वह समझते नहीं कि सैकड़ों वर्षों की दासता के बाद जिसमें हमारा नैतिक और चारित्रिक पतन हो गया है वह तुरन्त हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया। उनको इसके सिलसिले में यह भी सोचना चाहिये कि रामराज्य की कल्पना तो हम करते हैं लेकिन यह नहीं देखते कि उस समय देश की क्या हालत थी। उस समय वे बुद्धिजीवी लोग समाज सेवा तो करते थे और अपने को राज्य वृत्ति के आश्रम से दूर रखना चाहते थे। आज की अवस्था उसके बिलकुल विपरीत है। आज का पढ़ा-लिखा वर्ग

अपनी रोजी कमाने के लिये सरकार पर ही बिल्कुल आधारित हैं और उसके लिये कोसता है। शिक्षित बेकार लोगों की मांग है रोजी, यह सब क्या है। काम करना नहीं चाहते और चाहते हैं कि जहां चाहें मनमानी करें। और उन्हें कोई बोले नहीं ऐसी स्थिति में राम राज्य कैसे स्थापित हो सकता है। मैं यह कहना उचित समझता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने या सरकार ने जो मांग की है, वह उचित है। उसको स्वीकार करना सदन का काम है क्योंकि इस बिल के द्वारा जो बातें जाहिर होती हैं, उससे स्पष्ट है कि स्टेट की आज जो आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुये जो रुपया खर्च किया जा रहा है, उसके लिये माननीय मन्त्री जी ने मांग की है और उस धन को कल्याणकारी दिशा में ले जाने के लिये माननीय मन्त्री जी ने जहां तक हो सकता है उन्होंने प्रयत्न किया है। इस बिल का समर्थन करते हुये मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यहां की जनता की गाढ़ी कमाई का जो रुपया इकट्ठा हुआ है उसको ऐसे खर्च किया जाय कि लोगों को उंगली उठाने का मौका न मिले। प्रायः देखा जाता है कि हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। मिसाल के तौर पर दो-एक बातें मैं कह देना चाहता हूं। हमारे चकिया तहसील के साहबगंज के पंचायत इन्सपेक्टर के बारे में २७ अप्रैल, १९५६ की एक रिपोर्ट मुझे मिली। उसमें पांच हजार रुपया पुरानी पंचायतों को, कुछ नई पंचायतों को देने के लिये मिला था वह रुपया उन्होंने अपने पास रख लिया और ४५० करनोल पंचायत का, इसी तरह से ६९ रु० १३ आने भगरही पंचायत का और १९५ रु० रहवां पंचायत का, ५ सौ रुपये साहबगंज पंचायत का अपने पास रखे हुये हैं। ७४ सौ रुपया पक्की सड़क बनवाने के लिये सरकार की ओर से मिला था वह सब अपने पास रख लिया। २७ अप्रैल १९५६ को उमाकान्त सेक्रेटरी के द्वारा उक्त खबर मिली। उन्होंने जिलाधीश के नाम की दरख्वास्त लिख कर उक्त बातें मुझे दिया था और उसमें लिखा था, कि फलां फलां कागजात को गिरफ्तार कर लिया जाय। मैंने उनकी रिपोर्ट के साथ एक गुप्त पत्र लगा दिया।

पंचायत मन्त्री ने मुझसे यही बात भी बतलाई थी कि चकिया तहसील विकास कमेटी के अध्यक्ष और जिला नियोजन अधिकारियों का उसमें हाथ है। मैंने अपने पत्र में यह लिखा था कि चकिया के उच्च अधिकारियों या जिला नियोजन के अधिकारियों से यह जांच न कराई जाय। किसी और विश्वासपात्र व्यक्ति से यह जांच कराई जाय। लेकिन जिलाधीश ने परगनाधीश चकिया, जो वहां के विकास अध्यक्ष हैं, के पास यह रिपोर्ट जांच के लिये भेज दी। परगनाधीश ने उसमें जब यह मेरी चिट्ठी देखी तो वह आग बबूला हो गये, अतः उस दोषी इन्सपेक्टर को दूध का धोया कहा। और श्री उमाकान्त व रघुनाथ लाल और सन्त शरन सिंह आदि को दोषी बतलाया।

श्री डिप्टी चेयरमैन--आप परसनल रिमार्क न कीजिये।

श्री राम नन्दन सिंह--श्रीमन्, किसी पर हमारा आक्षेप नहीं है। बल्कि उक्त रिपोर्ट की बात कह रहा हूं। उसमें राम सूरत सिंह का नाम है (जो जिला भ्रष्टाचार निवारण समिति के सदस्य हैं) और मेरा भी नाम है। और उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इन लोगों ने धूर्तों का एक दल बना लिया है और इनका काम है गलत शिकायत करना। उस रिपोर्ट के आधार पर दोनों पन्चायत मन्त्री नौकरी से अलग किये गये और सन्तशरण मुअत्तल हुये। उन्होंने उस रिपोर्ट की नकल लेकर विभाग में मुकदमा दायर किया और वे बहाल कर दिये गये। इस तरह से ९०० रुपया उनको मुअत्तली का मिला। मैंने भी दो-तीन चिट्ठियां जिलाधीश महोदय के पास भेजी कि मुझको भी उसकी नकल मिलनी चाहिये ताकि न्यायालय द्वारा अपने पर लगाये आरोप का परिमार्जन कर सकें। जिलाधीश ने उसकी नकल देने से इन्कार कर दिया। यह कहा कि यह रिपोर्ट गुप्त है यह स्थिति है। इस तरह से १३ या १४ हजार रुपये का गोलमाल रहा। मैंने जिला नियोजन समिति में प्रस्ताव रक्खा कि एक उप समिति बनाई जाय लेकिन प्रेसीडेन्ट ने इसको इन्कार कर दिया और यह कहा कि इसकी जांच हो रही है। एक दूसरी बात इसी तरह की कहना चाहता हूं और वह यह है कि विकास समिति का एक सम्मेलन हुआ। रिपोर्ट के ११वें

[श्री राम नन्दन सिंह]

पन्ने पर यह लिखा गया कि ७,३०० रुपय के अंश अनुदान से २ मील ४२२ गज पक्की सड़क का निर्माण हुआ लेकिन श्रीमान मौक पर सड़क नहीं बनी है। दूसरा वाकया यह है कि उक्त इन्स्पक्टर ने लालटनें मंगाने के लिय पंचायतों का रुपया ले लिया और लालटेन नहीं दी। इसके सम्बन्ध में हमने दो बार प्रश्न किया। एक प्रश्न तो मैंने किया था २५ अक्टूबर सन् ५६ को, प्रश्न नम्बर ४ से ९ के द्वारा कि क्या यह सही ह कि पंचायतों का रुपया जो लालटेन खरीदन के लिये लिया गया था, अपने पास रख लिया गया है। और लालटन अभी तक नहीं दी हैं, मुझे जवाब मिला कि रुपया नहीं लिया गया। (लालटेन दन का प्रश्न नहीं उठता) २७-४-५७ को फिर मैंन दूसरा प्रश्न किया था कि अमुक अमुक पंचायतों ने कितना २ रुपया किस २ तारीख को उक्त इन्स्पेक्टर को लालटेनों के लिये दिया और क्या उन रुपयों की लालटेने दी गई तो उत्तर दिया कि आठ पंचायतों से १४२५ रुपया १० आ० ६ पा० लिया गया और लालटेनें द दी गई, दिसम्बर, १९५५ के पूर्व। १० रुपया फी लालटेन का का दाम बतलाया जाता है। इस तरह स कुल १४२ लालटेनें हुई किन्तु १३-४-५६ को जो रिपोर्ट छपी ह उसमें केवल ५० लालटेनें उक्त इन्स्पेक्टर के समूच क्षेत्र में लगी हुई बतलायी गयीं और इस प्रकार झूठ बोलकर परिषद् का अपमान किया गया।

इसी तरीके से सहकारी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हमारे बीज गोदामों में जो कि रामनगर और ज्ञानपुर, भदौही, चकिया में थे, उनमें ३४ हजार रुपये का गल्ला काशीराज विलय के समय था, लेकिन कागजात में तो वह पाया जाता है परन्तु बताया जाता है कि गल्ला उत्तर प्रदेश को कार्य में नहीं मिला। उस समय के जितन भी कर्मचारी थे वे सब के सब पदोन्नति पर पहुंच गये हैं इस तरह से कुल काशी राज्य के सहकारी विभाग में ६० हजार रुपय का गोलमाल हुआ है।

इस तरह से मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यहां पर बतलाया गया था कि चन्दौली तहसील के भटपुरवा गांव में १३४० और १३४३ की फसली में एक व्यक्ति ने सरकारी सहायता से दो कुंएं बनाये। वह दोनों कुंएं पटवारी के गकागजात में अब तक भी दर्ज नहीं है और उनसे सिंचाई होती है। परन्तु फिर उस व्यक्ति को १ हजार रुपया दो कुंएं बनाने को दिया गया। जब मैंने प्रश्न द्वारा इसकी स्पष्टी की मांग की तो मुझे यह बतलाया गया कि १ हजार रुपये जो दिये गये हैं उससे दो कुंएं बिलकुल नये बनाये गये हैं। माननीय नियोजन मन्त्री जी न मुझे आश्वासन दिया था कि वे इसकी जांच करेंगे लेकिन दो वर्ष हो गये परन्तु उसकी जांच नहीं हुई। इस तरह से बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में विशेष रूप से नहीं कहना चाहता हूं।

एक बात और है, जिस समय हमरी रियासत मर्ज हुई थी तो उस समय जो महाराजा की निजी प्रापर्टी थी वह तो उनको मिल गयी बाकी उत्तर प्रदेश सरकार क पास आ गयी। लकिन वहां पर कुछ बाग भूमि ऐसी थी जिस पर सरकारी पंचायत घर और स्कूल बन हुये थे। वह भूमि भी उत्तर प्रदेश सरकार क पास आनी चाहिये थी लेकिन महाराजा के कर्मचारियों ने कहा कि नहीं यह भूमि महाराजा की ह, इसलिये उनको मिलनी चाहिय। फलस्वरूप सरकार ने उन्ह वह बाग भूमि बिना समझे बूझे दे दी, अब महाराजा के कर्मचारी उक्त उक्त गांवों के लोगों को परेशान करते हैं, और बन्दोबस्त की चरचा करके गांव वालों में झगड़ा लगात हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार इस बात का ख्याल करे कि जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं वे अपनी जगह पर ईमानदारी से काम करें, सरकार इस बात की दख भाल करे। यह जो रुपया इस विधेयक में रखा गया है इसकी स्वीकृति दिय जाने में किसी को विरोध नहीं है और यह सदन इसे स्वीकार करगा, लेकिन एसा मौका नहीं दना चाहिय जिससे किसी को कुछ कहने का अवसर मिल जाय। हमार यहां की ही बात को दख लीजिये, जो पुस्तक गांव गाव में बटी उसमें तो लिखा था कि २ मील ४२२ गज इतनी लम्बी सड़क बनी है लेकिन दरअसल में सड़क एक इंच भी नहीं बनी है। हमें यहां तक पता

चला है कि उसके वाउचर्स तक बने हैं। यह स्थिति है अगर इस स्थिति का सुधार न किया गया तो एक तरह से सब को उंगली उठाने का मौका मिलेगा। इसलिये इन सब बातों की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिला रहा हूं। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं क्योंकि जहां तक इसमें माननीय मन्त्री जी और सरकार का ताल्लुक है, उन्होंने हर तरह से राज्य को कल्याणकारी राज्य की ओर ले जाने की चेष्टा की है। लेकिन जो काम करने वाली मशीनरी है अगर उसका उचित ढंग से प्रयोग नहीं करते, तो सरकार की बदनामी होती है और साथ ही हम विधायकों की भी अपने क्षेत्र में बदनामी होती है। अगर सरकार को कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में अपने कर्मचारियों के साथ सख्ती का बरताव करना पड़े तो कोई बात नहीं है। अभी २७ तारीख को विधान सभा में माननीय पालीवाल जी ने कहा था कि जो लेखपाल लिख देता है वह चीफ सेक्रेटरी का लिखा हुआ हो जाता है। तो इसका मतलब तो यह है कि जो ऊंचे कर्मचारी होते हैं वह अपनी जिम्मेदारी से दूर रहते हैं और जो नीचे के छोटे-छोटे कर्मचारी लिख देते हैं, वह उस पर अपनी मुहर लगा देते हैं। तो मुहर लगाने से उनकी जिम्मेदारी हो जाती है लेकिन जो असली जिम्मेदारी होती है वह उनके ऊपर नहीं होती है। इसलिये श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार की इस प्रकार की व्यवस्था हो कि उस व्यवस्था के प्रति लोगों की आस्था दिन व दिन बढ़ती रहे और किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिये एक बढ़िया राज्य के लिये यह जरूरी है कि बच्चे-बच्चे का वरदान उसको मिले बच्चे-बच्चे का आशीर्वाद उसको मिले और बच्चे बच्चे का सहयोग उसको मिल सके। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बहुत मुश्किल की बात हो जायेगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मन्त्री जी के इस बिल का स्वागत करता हूं और माननीय सदन से सिफारिश करूंगा कि वह इसको पास करें, ताकि माननीय मन्त्री जी इसमें उचित रूप से उद्योग कर सकें।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल जो आज से भवन के सामने आया है, वह मुझको स्वीकार है, मैं उसका समर्थक हूं। उस को पढ़ने पर मैंने यह देखा और मुझसे पहले कुछ सदस्यों ने इस तरफ इशारा भी किया कि शिक्षा के मद में सबसे अधिक व्यय करने का इस बिल का विचार है। मैं तो यह समझता हूं कि जो १५ करोड़ रुपये का व्यय इस मद में रखा गया है, उस रुपये से राज्य कुछ अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है यदि मेरे कुछ सुझावों को सरकार स्वीकार करे।

मेरा पहला सुझाव तो यह है कि शिक्षा पर अधिकतर व्यय जो आर्ट्स कालेजेज पर और कला विद्यालयों के ऊपर होता है, वह देश के लिये लाभप्रद नहीं है और वह इसलिये नहीं है कि कला की शिक्षा देने के बाद हमारे युवक या अन्य वह लोग जो उन विद्यालयों से शिक्षा पाते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, साहित्य कार हो सकते हैं और अर्थशास्त्री भी हो सकते हैं, किन्तु यह सब होने के बाद भी वह गुण और वह कला उनमें नहीं आती, जिस गुण और कला की देश को आवश्यकता है, और जिससे कि हमारी पंच वर्षीय योजना सफल हो सके। इसलिये मेरा तो सुझाव यह है कि जो भी सरकार ने अपने डिपार्टमेंट में आर्ट्स कालेजेज के लिये या इस प्रकार की शिक्षा के लिये रुपया रखा है, उसको खत्म करके ऐसी शिक्षा के ऊपर व्यय करे, जिससे लोगों में उद्योग करने के लिये और ऐसी चीजें जानने और करने के लिये जिससे देश के बजट और बड़े-बड़े बजट बन सकें, और देश का उद्योग आगे बढ़ सके, ज्ञान प्राप्त हो सके। यह कैसे होगा? वह इस तरह से होगा कि आर्ट्स की शिक्षा को आप प्राइवेट कर दें। मेरी समझ में नहीं आता कि इस परिषद् के अन्दर अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है कि उन पर खर्चा कम होना चाहिये, अधिकारियों को कम वेतन मिलना चाहिये। लेकिन जो मेरी जानकारी है, वह यह है कि छोटे शहर में तीन ही आदमी सबसे ज्यादा तनख्वाह पाते हैं, उनमें एक तो डिस्ट्रिक्ट जज, दूसरे हैं डिप्टी कमिश्नर और तीसरे डिग्री

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित]

कालेजेज के प्रिंसिपल्स। एक तरफ तो हम इस बात की मांग करें कि खर्चा कम हो और आलोचना भी करें और दूसरी तरफ टीचर्स और यूनिवर्सिटी टीचर्स के ग्रेड रिवाईज हों, १,२०० और १,४०० विभागों के हेड्स की तनख्वाह होती है। इस प्रकार की मांग करने वालों के मुख से इस विषय की आलोचना शोभा नहीं देती और वह इसलिये कि इतना व्यय करके जो इन कालेजों की स्थापना करते हैं, सरकार उनको ग्रान्ट देती है लेकिन जो वे शिक्षा देते हैं, उसका विवरण स्वयं ही एक माननीय सदस्य जो अध्यापकों के प्रतिनिधि हैं, दे चुके। हम कालेज स्थापित करते जाते हैं लेकिन जब सूबे के आंकड़े प्राप्त होते हैं, उससे मालूम होता है कि एजूकेशन का स्टैन्डर्ड नीचे गिरता जा रहा है। इसलिये मैं यह महसूस करता हूं कि आर्ट की सारी एजूकेशन, चाहे वह हाई स्कूल की हो या इन्टरमीडियेट की हो या बी० ए० और एम० ए० की हो वह सब प्राइवेट होनी चाहिये। इस बात का आपको अधिकार है कि परीक्षा का स्तर चाहे जो रखा जाय, इसमें एतराज नहीं हो सकता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यूनिवर्सिटी के अन्दर विद्यार्थियों को ऊंचे दर्जे का अनुभव प्राप्त होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी में जो अनुभव प्राप्त होता है, उसके बारे में मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी और कालेजों की जो पालिटिक्स है वह म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पालिटिक्स से भी कहीं ज्यादा भयंकर है। वहां पर चुनाव के लिये जो कनवेसिंग होती है वह बहुत ही खराब ढंग से होती है मैं तो यह कल्पना करता हूं कि यदि चुंगी के एक सिपाही को भी किसी विभाग के अध्यक्ष पद के लिये खड़ा कर दिया जाय तो वह भी अपने को प्लानिंग वगैरह में एक्सपर्ट समझेगा। इस प्रकार की तो वहां पर पार्टीबन्दी चलती है। अध्यक्ष पद को प्राप्त करने के लिये वहां पर क्या क्या होता है, यह बात तो बहुत से लोग जानते होंगे। मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं। जिस समय श्री बीरबल सहानी जीवित थे, उनका बहुत ही सम्मान था और वहां पर ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी उनका सम्मान करते थे। मुझे उस समय Botany के एक विद्यार्थी के एडमिशन का ख्याल आया जिसके लिये रीडर और एक्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन चूंकि विभाग का अध्यक्ष नहीं चाहता था इसलिये उसका एडमिशन नहीं हो सका। यह तो यूनिवर्सिटी की हालत है। मैं तो समझता हूं कि आर्ट की एजूकेशन को प्राइवेट करने में कोई नुकसान नहीं है। यदि आप दुनियां के और बड़े बड़े मुल्कों को देखें तो वहां पर भी पायेंगे कि आर्ट की एजूकेशन प्राइवेट है। बड़े बड़े मुल्कों से मेरा मतलब आकार और प्रकार से नहीं है, मेरा मतलब है उन देशों से जो देश शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुके। आप इंगलैण्ड को ही ले लीजिये। लन्दन यूनिवर्सिटी में एम० ए० और बी० ए० की परीक्षा प्राइवेट भी होती है। केवल फर्क इतना होता है कि जो व्यक्ति प्राइवेट परीक्षा पास करता है उसके सर्टिफिकेट में एक्सटर्नल स्टूडेन्ट (external student) लिख दिया जाता है और जो यूनिवर्सिटी में पढ़कर पास करता है उसके सर्टिफिकेट में इन्टरनल स्टूडेन्ट (internal student) लिख दिया जाता है। मैं तो समझता हूं कि आर्ट की प्राइवेट शिक्षा हो जाने से देश और प्रदेश का काफी फायदा होगा मेरे जो सुझाव हैं, यदि सरकार उनको मान ले तो इन १५ करोड़ रुपयों में जनता का और ज्यादा फायदा हो सकता है। आप एक लेक्चरार को २५० या ३०० के करीब देते हैं। इतनी ही तनख्वाह में आप और पांच आदमियों को इम्पलायमेंट दे सकते हैं। अगर सरकार मेरी बात को स्वीकार कर ले तो अच्छा होगा। आयरलैन्ड में डिब्लन की नेशनल यूनिवर्सिटी ने भी कला की परीक्षायें प्राइवेट लोगों के लिये चला रक्खी हैं। यदि बाहर की यूनिवर्सिटियां कला की परीक्षाओं में प्राइवेट लोगों के बैठने के लिये प्रोत्साहन देती हैं तो फिर हमको ऐसा करने में क्या आपत्ति है। मैं तो समझता हूं कि इसमें सरकार को काफी सफलता मिलेगी और वह अधिक कार्य भी कर सकेगी। यदि सरकार आर्ट की एजूकेशन को प्राइवेट कर देती है, तो आगरा यूनिवर्सिटी को भी काफी फायदा होगा और गोरखपुर विश्वविद्यालय बनने से आजकल जो उसको हानि हो रही है वह नहीं होगी।

इसके साथ ही साथ मुझे एक बात की ओर सरकार का ध्यान और दिलाना है। इस सरकार ने एक होम्योपैथिक मेडिकल कालेज भी खोला है। इस कालेज को उसने इसलिये खोला है जिससे होम्योपैथिक साइन्स का विकास हो। इसके लिये उसने एक बोर्ड भी बनाया है। बोर्ड ने एक प्राइवेट इम्तिहान भी इन्ट्रोड्यूस कर दिया। जिसे C. H. P. का इम्तिहान कहते हैं। मेडिकल साइन्स में तो प्राइवेट इम्तिहान हो सकता है और गवर्नमेंट उन को डिप्लोमा देगी ताकि वे लोगों के जीवन से खेलें, लेकिन यह नहीं हो सकता है कि वह आर्ट्स में लोगों को प्राइवेट इम्तिहान देने की व्यवस्था करें। गवर्नमेंट ने इनको इम्तहान में प्राइवेटली बैठने का मौका दिया है जो कि लोगों के हेल्थ से और उनके जीवन से खेल सकें। मेरा सुझाव शिक्षा के सम्बन्ध में यह भी है कि वह इम्तिहान बन्द हो।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सरकार कालेजों के प्रबन्ध पर अधिक से अधिक ध्यान दे और यूनिवर्सिटी में भी अधिक से अधिक हस्तक्षेप करे। मैं इस तरह की अटानोमी (autonomy) को मानने के लिये तैयार नहीं हूं, जिससे कि लोगों को कोई लाभ नहीं हो सके। सरकार उनके कार्यों में यदि हस्तक्षेप नहीं करती है, तो वहां पर भ्रष्टाचार और भी अधिक हो जायगा। सरकार के लिये तो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि यह आरोप लगाते हैं कि वहां भ्रष्टाचार बहुत है, लेकिन वे स्वयं उससे बच नहीं पाते हैं। इन सब बातों को विस्तारसे कहकर मैं इस भवन के सदस्यों का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आज यूनिवर्सिटीज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे खराब कार्य करते हैं कि उन कार्यों की उनसे आशा नहीं की जा सकती।

एक चीज के बारे में मुझे कुछ और कहना है। ट्रान्सपोर्ट विभाग के बारे में जितने अनुदान की व्यवस्था की गई है, यदि उससे अधिक होता, तो ज्यादा अच्छा था। हमारी जो सड़कों का जाल है, जो रोड सिस्टम है, उसका डेवलपमेंट होना है। यदि हम उद्योग में उतना नहीं कर सकते हैं जितना कि हम चाहते हैं, तो हम सड़कों का ही निर्माण करें ताकि आने जाने में सुविधा हो, और इस तरह से काटेज इन्डस्ट्रीज को भी इन्करेजमेंट (encouragement) मिले सड़कों के विस्तार से बहुत सी इन्डस्ट्रीज डेवलप करेंगी। आपकी खाद्य समस्या के लिये भी आसानी हो जायेगी क्योंकि कभी कभी खाद्य समस्या इसलिये भी जटिल हो जाती है कि गल्ले के आने जाने में काफी दिक्कत रहती है और हमारा उस पर खर्चा ज्यादा हो जाता है। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि और बातों के साथ ही साथ विशेष रूप से हमें रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम में अधिक ध्यान देना चाहिये। जिस प्रकार से हमने बजट में दूसरी पंच वर्षीय योजना के लिये व्यवस्था की है और उसको पास किया है ताकि हमारा सूबा तरक्की करे और समृद्धिशाली हो, उसी तरह से हमें एप्रोप्रिएशन बिल को भी पास करना चाहिये। लेकिन आर्थिक दिक्कतों की वजह से दूसरी योजना जिस रूपये में वह बनाई गई है, वह उस प्रकार से सफल हो जाय, यह संभव नहीं है। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह अपनी योजना को फिर से देखे और दूसरी योजना को दोहराये ताकि हमें मालूम हो कि उसमें में से सरकार कितना कर सकती है और कितना नहीं। आपको उपाध्यक्ष महोदय, मालूम होगा कि जब बजट चल रहा था तो उस समय मैंने देहरादून में लगने वाली सीमेंट फैक्टरी के बारे में कुछ कहा था। मैंने फिर उसकी जांच की और उस जांच के सिलसिले में मैं इतना अवश्य कहूंगा कि उस सीमेंट फैक्टरी का खुलना अभी साल दो साल तक संभव नहीं है। जिन लोगों ने उसके खोलने का लाइसेन्स लिया है, उनकी अपनी दिक्कतें हैं। उस कम्पनी ने ८० लाख रुपये की एक मशीन खरीदकर उससे अपनी शुगर फैक्टरी का एक्सपेन्शन (expension) किया। अब वह एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्टरी होगी अगर उसने इसमें ८० लाख रुपया लगाया। लेकिन पलिया में भी सरकार के आदेशानुसार वह कम्पनी शुगर फैक्टरी की व्यवस्था कर रही है, अब वह कम्पनी फिर दूसरा डेढ़ करोड़ रुपया लगा सकेगी, इसकी अभी कम संभावना है और वह साल दो साल के बाद इतना रुपया भले ही लगा सके।

इन बातों के सिवाय उस कम्पनी को यह भी शक है कि उसको सीमेंट फैक्टरी लगाने में कामयाबी मिलेगी या नहीं क्योंकि वहां पर पत्थर और चूना इतनी मात्रा में नहीं मिल रहा

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित]

है जितना वे समझते थे। इन तमाम बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वित्त मन्त्री जी यद्यपि शिक्षा उनका विभाग नहीं है, फिर भी वे इन बातों को शिक्षा विभाग तक पहुंचायें। यदि वे ऐसा करेंगे तो उससे देश में लिटरेसी बढ़ेगी और एजूकेशन डिपार्टमेंट का भी काम बढ़ेगा। यह मांग तमाम इम्पलाईज की और तमाम नौजवानों की है। मैं समझता हूं कि इससे तमाम प्रदेश के लोग उनकी तथा उनके सरकार के बड़े शुक्रगुजार होंगे। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री पीताम्बर दास (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--यह बिल जो असेम्बली से पास होकर हमारे सामने आया है, उसको देखकर और पिछले सालों की तुलना करने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे प्रदेश का बजट कुछ सालों से डेफिसिट बजट बनाया जाता है और अन्त में या तो सरप्लस बजट निकलता है या डेफिसिट रह जाता है। ५३-५४ का बजट देखने से पता चलता है कि ४४२ लाख का डेफिसिट होने वाला था, परन्तु अन्त में करीब २८३ लाख रुपये का सरप्लस हुआ। ७२५ लाख रुपये का अंतर पड़ा। एस्टीमेट्स और एक्चुअल्स में यह बड़ा भारी अंतर है। ५४-५५, ५५-५६ में भी यही बात है। ५६-५७ में जहां ९५५ लाख रुपये का डेफिसिट सोचा गया था, वहां वह ६९३ लाख का रह गया। अब हमारे सामने जो बजट है उससे भी यह बात निकलती है कि यह जो डेफिसिट दिखलाई दे रहा है, साल के अन्त में वह शायद सरप्लस में बदल जायगा। उसका कारण यह है कि जितना रुपया बजट प्रस्तुत करते हुये मांगा जाता है, वह खर्च नहीं किया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि जो तस्वीर बजट प्रस्तुत करते हुये प्रदेश में आने वाली खुशहाली की पेश की जाती है उस तस्वीर की ओर से विश्वास उठता जाता है, क्योंकि दूसरी वजह यह हो सकती है कि इतना डेफिसिट इसलिये दिखलाया जाता है कि सरकार के अन्दर एक ऐसी मनोवृत्ति बन गई है, एक तरीके की मैन्टैलिटी बन गई है कि जनता पर ज्यादा टैक्स लगाये जावें और उसका एक जस्टीफिकेशन इस प्रकार से दिया जाय क्योंकि जनता का फायदा करना है। १० साल पहले प्रदेश की हालत गिरी हुई थी और अब आगे उसको बेहतर बनाना है, तो जहां प्रदेश की हालत को बेहतर बनाना है, वहां एक डेफिसिट बजट बनाकर जनता पर ज्यादा टैक्स लगाना मौजूं नहीं है। इस तरह की दलील हमारे सामने आई थी, जब बजट पेश किया गया था। तो मैं यह समझता हूं कि वह दलील जो आती है शायद टैक्स लगाने की बात को मजबूत करने के लिये ही आती है और यह डेफिसिट दिखाया जाता है, केवल इसीलिये। तो इन दोनों चीजों के अलावा और कोई कारण मैं नहीं समझ सकता हूं। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि और क्या कारण है कि हमारे सामने डेफीशिट बजट रखा जाता है और बाद में वह सरप्लस हो जाता है। यह तो मैंने उपाध्यक्ष महोदय बजट के बारे में बात बताई लेकिन अगर इसके अलग-अलग आइटम्स देखे जांय तो उनमें भी कुछ अजीब बात मालूम होगी। मैं दो एक आइटेम्स आपके सामने रखूंगा।

इर्रीगेशन को अगर हम देखें तो ५६-५७ में २९६ लाख वसूली का एस्टिमेट था, ५५-५६ में ५०४ था, ५४-५५ में ४८५ था और ५३-५४ में ४४४ लाख था तो इस तरह से शुरू होकर ४४४ लाख से घटते-घटते २९६ लाख तक रिसीट्स आई और अब हम देखते हैं कि रिसीट्स केवल २६८ लाख है तो रिसीट्स हर साल घटती चली जा रही है और दूसरी ओर जो खर्च होता है इन डिपार्टमेंट पर वह बढ़ता जा रहा है, खर्च ५४-५५ में ३७५ लाख और ५५-५६ में ४१५ लाख हो गया और ५६-५७ में ५२८ लाख हो गया और अब ५७-५८ में ५४१ लाख है। तो यह टेन्डेन्सी दिखाई पड़ती है कि वसूलयाबी गिरती जा रही है और खर्च बढ़ता जा रहा है उसी प्रपोर्शन में, तो यह क्या बात है। इसका भी कारण मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा। दूसरी बात मैं मिसाल के तौर पर इक्साइज डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूं। उसमें भी यह देखने की बात है कि ५३-५४ में वसूलयाबी ५७६

लाख थी, ५४–५४ में ५५९ हुई, ५५–५६ में ५८२ लाख हुई, ५६–५७ में ४९३ लाख हुई और ५७–५८ में ४८८ लाख है। तो म यह जानना चाहता हूं कि यह जो गिरावट हुई है रिसीट्स में यह क्यों हुई है ? उस साल में किसी नये जिले में प्रोहिबिशन भी नहीं होने वाला है जिससे कि बात समझ में आ जाती। तो फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि आमदनी कम दिखाने की, खर्चा अधिक दिखाने की और फिर यह नये–नये टैक्स लगाने की आज की सरकार की एक टेन्डेन्सी मालूम होती है। मैं वित्त मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इसका क्या कारण है। दूसरी बात यह है कि सरकार के द्वारा संचालित यह जो काम चलते हैं इन कामों में जो मुनाफा या नुकसान देखने को मिलता है वह भी बहुत अजीब है। मैं दो तीन बातें रखना चाहता हूं। स्टट ट्यूब वेल्स डिपार्टमेंट में ५३–५४ में ४.३५ का लास था, ५४–५५ में लास ३.७० परसेन्ट रहा। ५५–५६ में ३.३८ का लाभ रह गया, लेकिन इस साल ४.८४ का नुकसान दिखाया गया है। ५६–५७ के बजट में ५.७० परसेन्ट का लास दिखाया गया था। यदि गंगाहाइडिल को देखा जाय तो उसमें २८९ का लास दिखाया गया है। ५३–५४ में २.२२ परसेंट का लाभ था, ५५–५६ में .८२ परसेन्ट का नुकसान था और अब २.८९ परसेंट लास की उम्मीद की जाती है। तो इस तरह की टेन्डेन्सी दिखाई पड़ रही है। कानपुर एलिक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को लीजिये ५४–५५ में ४ परसेंट गेन था और ५५–५६ में ३.७१ रह गया, .६२ परसेंट ५६–५७ में हुआ और ५७–५८ में २.२७६ प्रतिशत आशा की जाती है। इस चीज पर इसलिये विचार करना जरूरी है कि जो टेन्डेंसी हमारी बढ़ रही है कि बराबर नुकसान हो रहा है, इससे जनता के अन्दर एक भाव पैदा हो रहा है और जनता सोचती है कि शायद सरकार का मैनेजमेन्ट जो काम कर रहा है, उसमें काम करने की एफीशिएन्सी नहीं है कि वह इन उद्योगों को चला सके। इसमें यदि किसी प्रकार का संदेह किया जाता है तो भविष्य उज्जवल नहीं है। यह कहा जाता ह कि असेस्टस हैं और जनता देखती है कि हर साल हानि हो रही है तो परिणाम यह होगा कि आवश्यकता के समय जब सरकार जनता से रुपया कर्ज प्राप्त करना चाहेगी तो जनता देने में आनाकानी करेगी। मैं यह चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे जिससे देश की जनता में जो संदेह उत्पन्न हो रहा है वह दूर हो जाय। इन शब्दों के साथ में अपने विचार जो अत्यन्तावश्यक थे, इस एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में प्रगट करता हूं।

[श्री पन्ना लाल गुप्त—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विनियोग विधेयक हाउस के सामन प्रस्तुत है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। सरकार ने जो दिल खोल कर अपन सूबे के चारों कोनों पर अपनी नजर फेंकी है और जिस मेहनत के साथ इस खर्चे को हमारे सामन पेश किया है उसकी मंजूरी दना हम लोगों को मन्जूर है। आज हमारे प्रदश में सरकार की नीति के अनुसार प्रयोग करने की आवश्यकता हमको है। दिन पर दिन सरकार की निगाहें छोटी से छोटी चीजों पर और विकास की तरफ पड़ती जा रही हैं और इस ओर काफी सरकार का ध्यान जा रहा है और उसके लिय वह रुपया भी हमारे सामने बजट के रूप में देने क लिये रखती ह, जिसको यह हाउस मंजूर करता है। आज हम जो रुपया गरीब किसानों और मजदूरों से टैक्स या मालगुजारी के रूप में लेते हैं और उसको जिस रूप से सरकार अपने प्रदेश के विकास क लिय खर्च करती है, उसकी तरफ भी हम को देखना है। वह रुपया जो सरकार देती है और हाउस जिसको मंजूर करता है, वह किस प्रकार से खर्च होता है। अगर हम देखें कि जो रुपया हम देते हैं, हमारा टैक्सपेयर किसान और मजदूर अपनी गाढ़ी कमाई से सरकार की थली में डालता है, वह हमारे विकास के लिये, आन वाली सन्तान की उन्नति के लिये खर्च होता है जिससे हमारी सन्तान और हमको आराम मिले, अगर हम इस ओर दखत हैं कि हमार अधिकारी लोग किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं और किस प्रकार स इसको खर्च करते हैं, तो यह देखकर रोमांच हो उठता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मन्त्री जी के सामने यह बतलाना चाहता हूं कि आज की क्या हालत है, हमारे बड़े बड़े आफिसर्स जो हैं और जिनके हाथों से

[श्री पन्ना लाल गुप्त]

इस पैसे का प्रयोग होना रखा गया है उनकी क्या हालत है। आज से कुछ दिन पहले जब यहां हमारे माननीय पन्त जी थे तो जो हमारे आफिसर्स ननीताल काम से जाते थे उनको टी० ए० और डी० ए० मिलता था। लेकिन आज जब हम बचत की योजना बनाते हैं तो दूसरी ओर हमारा यह आदेश होता है कि अब गर्मियों में दो महीने के लिये हर आफिसर नैनीताल जा सकता है और उसका खर्चा सरकार बरदाश्त करेगी। यह खर्चे की बचत की योजना समझ में नहीं आती है। दूसरी तरफ आज हम देखें कि पंचायत टैक्स का रुपया जो वसूल होता है उसका हिसाब जो पंचायत विभाग में रखा जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह हिसाब एक दो जिले में नहीं, सारे सूबे म गलत है और एक एक जिले में ५०-५० और ६०-६० हजार रुपये गड़बड़ी में पड़ा हुआ है। ग्राम समाज का रुपया खजाने में जमा होता है और पंचायत राज्य के क्लर्क और उसका सारा स्टाफ उस हिसाब को मनमानी ढंग से लिख देता है। हमारे जिले में ग्राम समाज का टैक्स जमा हुआ और वह दूसरे ग्राम के नाम जमा हो गया। वह गांव वाले, जिन्होंने जमा किया, पाते हैं नहीं और दूसरे उसको निकाल कर खर्च करते हैं, जो जमा नहीं किये। आज ऐसी हालत हो गई ह कि अफसर चादर ओढ़कर सोया हुआ है उस पर नगारे बज रहे हैं मगर उसकी नींद खुलने वाली नहीं। इस साल मैंने दखा पंच सम्मेलन हो रहा था उसके सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों ने और विकास अधिकारियों ने एक सरकुलर भेजा था कि एक पंच सम्मेलन होगा और वह किसी ग्राम के पंच से नहीं पूछा गया कि सम्मेलन होगा। मगर आदेश ऊपर से चला गया सेक्रटरियों के पास कि हर ग्राम समाज से दो-दो रुपया आयेगा और उससे पंच सम्मेलन का खर्चा होगा। १६ अगस्त को पंच सम्मेलन हुआ और ११ बजे से ५ बजे तक वह चलता रहा। पंचायत राज्य क अधिकारियों को छोड़कर जिले के सारे अधिकारी गायब थ। जिलाधीश साढ़े पांच बजे आय और बिना अध्यक्ष के वह सम्मेलन चलता रहा। एक दो हजार रुपया गांव सभाओं का खर्च करेंगे, दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी उपस्थित नहीं रहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आप समझिये कि उस सम्मलन में दो हजार आदमी आये। कम से कम फी आदमी तीन रुपया रख लीजिए तो इस तरह से ६,००० रुपया खर्च हुआ। वहां पर कोई अधिकारी नहीं था बताने को कि आप क्यों बुलाये गये। तुम्हारी क्या जरूरत थी कि तुम्हारा सम्मेलन बुलाया गया। जिलाधीश महोदय साढ़े पांच बजे आये और प्रवचन करके फौरन चले गये। किस तरह स उनके पास पैसा आता है, मगर हमारे सरकारी अधिकारी कैसे उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। इस उदाहरण से आपको मालूम हो सकता है। महिला मंगल योजना में सरकार ने काफी रुपया रखा है। मगर मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा सरकार स प्रार्थना करूंगा कि इस महिला मंगल योजना को कृपा करके शहरों तक सीमित रखिये। हमने देखा है कि इसका कैसे प्रयोग हो रहा है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त——तारा जी से पूछ लीजिए।

श्री पन्ना लाल गुप्त——तारा जी से क्या पूछूं। उपाध्यक्ष महोदय, शहरों में तो यह योजना चल सकती है, मगर देहाती एरिया में महिला मंगल योजना की लड़कियां जाती हैं, तो अपने घरों के बीच में गांव में कोई भी औरत नहीं जाने दती है। मैं अपने जिले की हालत बताता हूं। आगे हालत यह है कि सार क सार अफसर उनको मोटरों में ले कर घूमा करते हैं। सरकारी अधिकारी काम करना बन्द कर दिय हैं। दिन से लकर रात तक उनको मोटरों में घुमाया करते हैं। सरकार इनक्वायरी बैठाये और उनकी जांच कराये। हमारे पास प्रमाण हैं। इन बड़े बड़ अफसरों न जो कृत्य किये हैं, वह इस हाउस में कहने लायक नहीं है। सरकार उसकी इनक्वायरी करे तो वे लड़कियां अपनी

जबान से वह करुण कहानी कहेंगी और बतायेंगी कि उनके साथ क्या होता है। जहां पर शहर है, वहां पर जायें। एक दूसरी बात तो सब से बड़ी है वह यह है कि मार्च में जब हम देखते हैं कि सरकार के अधिकारी कितने उदार होते हैं। ११ महीने वे चुपचाप सोते हैं मगर मार्च के महीने में जब बजट उनके सामने आता है और मालूम हुआ कि फलां आइटम इस रुपये का खर्च हुआ तो तार से खबर देते हैं कि यह रुपया फौरन दे दो। अब कहां से रुपया दे दें, लिहाजा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जो लोग रहते हैं उनको वह फौरन आदेश देता है और तहसीलदार साहब का आदेश जाता है और वह रुपया फौरन दे दिया जाता है। मार्च के महीने में इस तरह से रुपया बांटा जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर सरकार इन फीगर्स को मांग करके देखे कि मार्च के महीने में कितना रुपया आप के अधिकारी ग्रान्ट किये और बाकी महीने में कितना रुपया ग्रान्ट हुआ तो आप को मालूम हो जायेगा कि मार्च के महीने में कितना रुपया खर्च होता है।

जहां सरकार ने और अपने अधिकारियों से मोटरें वापस ले ली हैं, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये जो अपने राज्य में प्रसार सेवा खंड हैं उनसे भी मेहरबानी कर के जीप गाड़ियों को आप वापस ले लीजिए। मैंने देखा है कि उनका एरिया जो है वह ज्यादा से ज्यादा १०-१२ मील का होता है और सरकार ने इतने छोटे से एरिया के लिये एक जीप गाड़ी उन को दे रखी है। हमारे जिले का यह किस्सा है कि एक बी० डी० ओ० अपनी जीप लेकर बारात में गया और वह स्वयं उसको चला रहा था। इलाहाबाद में ऐक्सीडेन्ट हो गया, जिसमें बी० डी० ओ० और ड्राइवर जख्मी हुए। इस तरह से मैं देखता हूं कि कानपुर सिनेमा देखने के लिये जीप ले जाते हैं और बिन्दकी चाय पीने के लिये जीप ले जाते हैं। मैं यह भी देखता हूं कि जिन अधिकारियों के पास जीप गाड़ी नहीं है, वे अपना काम इस ब्लाक की जीप गाड़ी से चलाते हैं। वे ऐसा करते हैं कि जब कभी उनको कहीं जाना होता है तो बी० डी० ओ० को बुला लेते हैं और उसमें उसको भी बैठाते हैं और अपना तमाम काम करते हैं तथा अन्त में भत्ते के लिये दिखला देते हैं कि अपनी गाड़ी से गये। इस तरह से जो भ्रष्टाचार होता है उसको तो रोकिये। १०-१२ मील बी० डी० ओ० आसानी से साइकिल में जा सकता है। वह इतना बड़ा क्षेत्र नहीं होता है कि जीप की जरूरत हो।

अब मैं आप से एक प्रार्थना करता हूं। अभी जब बजट पर आम बहस हो रही थी तो मैंने कहा था कि साहब यहां के बड़े बड़े अधिकारियों की क्या हालत है और कहां कहां पर गड़बड़ है। इस संबंध में मुझे खुशी है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि हम जांच करेंगे। लेकिन उसके रूप में एक चीज और बतला दूं कि हमारे अधि-कारी वर्ग किस तरह से लोगों का फायदा कर के फिर अपना फायदा करते हैं। एक हमारे मैजिस्ट्रेट थे जो पहले बनारस में प्रबन्धक रहे हैं, फिर सीतापुर में रहे और आजकल वे बरेली में हैं। उनकी हालत यह है कि जब बनारस में रहे तो आप ने एक बड़े मालदार आदमी से बड़ा भारी मार्केट बनवाया, जिसमें १ लाख ५७ हजार रुपये खर्च हुए और यह कहा कि हम इसको खरीद लेंगे, लेकिन जब नगरपालिका ने नहीं खरीदा, तो उन्होंने धमकी दी कि हम इसकी चीफ मिनिस्टर से शिकायत करेंगे। तो १ लाख ५७ हजार रुपये के मार्केट को वहां की नगरपालिका ने ४ लाख में खरीदा। इसके बाद वे साहब जब सीतापुर में थे तो तब वहां पर भी एक दफे उन्होंने शराब पी कर नंगा नाच दिखाया था जिस पर पन्त जी ने फिर जांच करायी। उन्होंने राजा महमूदाबाद का काम करके बटलर पैलेस की सवा छ: एकड़ जमीन २२ हजार रुपये में ली और जो उसमें किरायेदार रहते थे उनको रात के १२ बजे के, बाई फोर्स निकाल दिया जब कि रेन्ट कन्ट्रोलर का कोई ऐसा आदेश नहीं था। मैं इस सिलसिले में एक मिसाल देना चाहता हूं। हमारे बिन्दकी में रोडवेज के लिये ११ बीघा जमीन की जरूरत थी। जब इसके मुआविजा का सवाल आया तो लैन्ड रिफार्म कमिश्नर ने ९ हजार रुपये फी बीघा का मुआविजा देने के लिये लिखा है और यह फैसला दिया कि ९ हजार रुपये

[श्री पन्ना लाल गुप्त]

बीघा देना चाहिये। अब आप देख लीजिए कि बिन्दकी और लखनऊ में कितना अन्तर है। सवा छः एकड़ को २२ हजार रुपये में खरीदा गया और वहां पर एक बीघे का ९ हजार रुपये दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात का अन्दाजा कर लें कि कितनी कीमत होनी चाहिये थी। इसके अतिरिक्त बनारस में जो बड़े बड़े भवन गिराये गये, उनका सामान इन कोठियों में आया। और जिसका टरमिनल टैक्स वगैरह बनारस व लखनऊ की नगरपालिका को नहीं अदा किया गया। तो मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि इन सब चीजों के लिये जहां हमारे मुख्य मंत्री जी इन्क्वायरी करें वहां इस बात की भी इन्क्वायरी करें कि यहां पर जो हमारे बड़े बड़े आफिसरों ने कोठियां बनवाईं, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने किस तरह से कानून का उल्लंघन किया। लखनऊ की नगरपालिका से नक्शा भी नहीं पास कराया और बिना किसी नक्श व इजाजत के ही इन आफिसरों ने बड़ी बड़ी इमारतें बना डालीं, उस पर भी नगरपालिका ने कोई एतराज नहीं उठाया। आज अगर जनता का कोई आदमी इस तरह से बिना नक्शा पास हुए मकान बनाता तो शायद हमारी यह नगर-पालिका बने बनाये मकानों को गिरवा डालती, लेकिन इन आफिसरों की इमारतें आज तक भी ज्यों की त्यों खड़ी हैं। आज पब्लिक में लोहे की कमी है, सीमेंट की कमी है, लेकिन इन आफिसरों की इमारतों के लिये कहां से सीमेंट आयी, कहां से लोहा आया, यह ध्यान देन के योग्य बात है। इतनी बड़ी इमारतें ५०-६० हजार की लागत की बनी हुई हैं, लेकिन जिन आफिसरों की यह इमारतें हैं उनको अगर हजार दो हजार मिलता भी होगा तो ३ सौ तो उनका किराया में कट जाता है फिर इतना सारा रुपया उनके पास कहां से आ गया। ५०-६० हजार की इमारत हो गयी फिर उसके बाद दो दो माली भी होंगे, जिनकी तनख्वाह ६०-६० रुपये से कम नहीं होगी। मैं तो समझता हूं कि इमारत तो जरूर ६० हजार की लागत की है, लेकिन इनका उसमें केवल १०-२० हजार ही लगा होगा, इधर से सीमेंट आ गयी, उधर से लोहा आ गया और इमारत मुफ्त में बन गयी। मुझे मालूम है कि कुछ आफिसर यहां पर खास कर इसलिये बुलाये गये जो कि मुश्किल से यहां पर दो घंटा काम करते थे और बाकी समय इन इमारतों के बनवाने में सरफा करते थे। आज हमारी सरकार उदार हो करके पैसा दे, उदार हो करके काम करे, मगर जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं वे किस ढंग से काम करते हैं यह भी देखने की चीज है। मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं, मैं स्वयं ही देख रहा हूं कि मेरा समय समाप्त हुआ जा रहा है, इसलिये अब बहुत कम समय आपका लूंगा।

मैं केवल इस बात की ओर अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी भी फाइलें मौजूद हैं जिन पर कि हमारे माननीय पंत जी ने सेक्रेटरियों को डबल नोट लिख करके फटकारा है और बताया है कि यह काम नहीं हो सकता है। उसके बाद अब उस नोट के ऊपर से दो तीन कागज और चिपका कर सेक्रेटरियों ने मिनिस्टरों के आर्डर ले लिये, पता नहीं कि वह आर्डर कैसे हो गये। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, जिनको कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जाना चाहिये था, लेकिन वह नहीं गये और यहां अपने आप परमानेन्ट हो गये। तो इस तरह की बातों से लोगों में एक तरह की बेचैनी है कि यह सारी बातें कैसे हो रही हैं। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात की इन्क्वायरी करें। फिर भी सरकार की जो नीयत है और उसका जो काम है, वह बहुत ही दूर-दर्शिता से काम करती है और उसके कामों की हम लोग और यह हाउस हमेशा तारीफ करता है और सरकार को उसके इस प्रकार के कामों के लिये हम लोग हमेशा दाद देते हैं। जितना भी रुपया वह मांगती है, हम दिल खोल कर उसको देते हैं और हम यह चाहते हैं कि जिस तरह से दिल खोल कर हम रुपया देते हैं सरकार भी आंख खोल कर खर्चा करने वाले अधिकारियों की निगरानी करे। इसके साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखे कि उसका वह रुपया बेकार के कामों में न खर्च होने पाये और यदि कोई अधिकारी

उस रुपये का दुरुपयोग करता है तो सरकार को चाहिये कि वह उस अधिकारी को दंडित करे जिससे कि आइन्दा आने वाले जो सर्विसेज के लोग है, उनको डर लगा रहे और वह फिर दयानतदारी से काम करें। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इसका फिर से स्वागत करता हूं।

*श्री पुष्कर नाथ भट्ट (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं, मैं उनको नहीं दोहराऊंगा, लेकिन दो तीन बातें ऐसी हैं जिनको कि मैं आपके जरिये से इस सदन के सामने रख देना चाहता हूं। जहां तक बजट का ताल्लुक है, उसका जो सिद्धांत है, उसके विषय में सिवाय तारीफ के और कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन हम लोग यह महसूस करते हैं कि बजट के दो पहलू होते हैं। एक तो बजट बनाना और पास करना और दूसरा पहलू यह होता है कि उसके ऊपर अमल करना और उसके ऊपर कार्य करना।

जहां तक दूसरे पहलू का प्रश्न है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आम जनता यह समझती है कि जिस तरह से कार्य होना चाहिये वह नहीं होता है। एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम अपने जो प्रोग्राम बनाते हैं, उस में कहां तक कामयाबी होती है, उसकी पूरी तौर से जांच होनी चाहिये, लेकिन मैं देखता हूं कि जिस सख्ती के साथ जांच होनी चाहिये वह नहीं होती है। अगर हमारा यह उद्देश्य होता है कि २५ फीसदी उपज बढ़ जाये तो हम उसके लिये कोशिश करते हैं, लेकिन उस कोशिश करने के बाद हम इस बात की ठीक से जांच नहीं करते हैं कि वाकयी में वह उपज बढ़ी है या नहीं। हम जिलेवार या तहसीलवार उसका ब्योरा नहीं प्राप्त करते हैं। हम को सही बात मालूम करने की भी पूरी कोशिश करनी चाहिये। यदि हम इस सिद्धान्त से इस बजट को देखें तो मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमको जो कामयाबी मिली है वह बहुत ही कम है। हमारे प्रदेश की जनता बहुत ही परेशान है और बहुत ही घबरायी हुई है।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में आज सबसे बड़ा सवाल खाने का है। क्या आज हमारी सरकार कह सकती है कि हमने खाने की समस्या को संतोषजनक रूप से हल कर लिया है। मैं समझता हूं कि सरकार ऐसा हर्गिज नहीं कह सकती है। हमारी सरकार को सोचना चाहिये कि जब लड़ाई का जमाना था और जब अंग्रेज यहां पर मौजूद थे तो चार सेर का गेहूं मिलता था। लेकिन आज जो हालत है वह उस से भी ज्यादा खराब है, इसलिये लोगों को काफी परेशानी है। सोशलिज्म के माने यह नहीं है कि हम अस्पताल बनवा दें, यूनिवर्सिटियां और कालेजेज खोल दें, अधिक सड़कों का निर्माण कर दें, बल्कि इसके सही मान यह हैं कि लोगों को काफी तादाद में खाना मिले। यदि हम जनता को काफी तादाद में खाना नहीं दे सकते हैं तो मैं समझता हूं कि सही मानों में हमारा बजट कामयाब नहीं हो सकता है। जिस बजट से आम जनता में खुशी की झलक न पहुंचे, मैं समझता हूं कि वह बजट कामयाब नहीं हो सकता है और यह बात हमारे लिये बहुत ही शर्म की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये से आज यह बतलाना चाहता हूं कि लन्दन में आज लखनऊ से सस्ते रेट पर रोटी मिलती है। ऐसी हालत में हमारा फर्ज है कि हम इस बात पर गौर करें कि गल्ले की समस्या को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। सरकार को इस बात की तरफ तवज्जह देनी चाहिये कि उसके जो प्रोग्राम होते हैं, उनको जिस जोश, जिम्मेदारी और दिलचस्पी के साथ सफल बनाना चाहिये, वह सरकारी अधिकारी और विभाग नहीं करता है। मैं लखनऊ प्लानिंग कमेटी का मेम्बर हूं, उस में एक बार भी इस बात पर गौर नहीं किया गया है कि किस प्रकार से कोशिश करनी चाहिये, सिर्फ दो या चार सफे की एक लिस्ट होती है, उसमें यह होता है कि इतना रुपया कुवां बनवाने को दिया जाय, इतना मरम्मत के लिये दिया जाय और इतना सड़कों के निर्माण के लिये दिया जाय। मैं तो समझता हूं कि इसका कोई खास असर जनता पर नहीं पड़ता है। हमको चाहिये कि जनता में एक ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे उनके दिलों में

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री पुष्कर नाथ भट्ट]

जोश पैदा हो और वह सरकारी कार्यों में अधिक सहयोग दें। हमको ऐसे काम करने चाहिये जिससे जनता का स्तर ऊंचा हो और हमारे प्रदेश की अधिक प्रगति हो। हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने बार-बार यह कहा कि हम यह चाहते हैं कि जनता और सरकारी मुलाजिम को तथा सभी काम करने वालों को मिल कर के कोशिश करनी चाहिये, लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंटल हेड्स जिलों में हैं, वे इस ओर ध्यान नहीं देते हैं और मैं सरकार की तवज्जह इस ओर दिलाना चाहता हूं। वे लोग तो सिर्फ खाना पूरी करते हैं, मगर कोई काम नहीं करते हैं और न उसके लिये कुछ कोशिश ही करते हैं। मैंने ४०-५० गांवों का एक हल्का लिया, जहां कि मैं अक्सर जाया करता था, मैंने कोशिश की कि वहां पर सुधार हो और वहां के प्रधान को तो मैंने बहुत अच्छा पाया, लेकिन वह इतना पढ़ा-लिखा नहीं था कि डेवलपमेंट विभाग को अपना ठीक तरह से एस्टीमेंट दे सकता। उसके केस में खानापूरी का सवाल भी नहीं था। लेकिन उनके पास वहां पर न तो ओवरसियर्स हैं और न इंजीनियर्स हैं। जहां सरकारी मुलाजिम चालाक होते हैं और उन्हें कुछ रुपया खाना होता है, वहां वे सब मिलकर रुपया पास कर देते हैं। लेकिन इस तरह की जो पंचायतें हैं, उनके हर काम में रुकावट होती है और उनको काम करने का मौका भी नहीं मिलता, जिनके वास्ते हम इतना काम कर रहे हैं, उनमें जोश होना चाहिये, लेकिन जहां जोश है भी वहां पर इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप एनीमल हस्बन्डरी डिपार्टमेंट को ले लीजिए। उसकी एक स्कीम में यह भी है कि हर तालाब में मछली बढ़ाई जाय। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि इस सदन में वे एक तालाब भी लखनऊ में ऐसा बतला दें जहां कि मछलियां बढ़ाई गई हों। हजारों-लाखों रुपया इस पर खर्च होता है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। चिनहट में एक तालाब है। वहां एक बार सौ मजदूर गये और उन्होंने २०-२५ जाल वहां डाल दिये। उसमें तीन-चार सौ रुपये खर्च हो गये और बहुत मेहनत के बाद सिर्फ तीन मछलियां पकड़ी गईं। इसके माने हुए कि एक मछली के दाम १५० रुपये पड़े। मैंने मजदूरों से पूछा कि वे फिर काम करने जायेंगे, तो वे हंस रहे थे और कह रहे थे कि असल बात यह है कि वहां पर घास बहुत है। हम तो खाली पानी में तार डाल देते हैं, लेकिन घास तो नीचे है और इस तरह से मछलियां नहीं आ पाती हैं। इस प्रकार से जो इतना रुपया खर्च होता है, तो इसके लिये हम सभी का फर्ज है कि हम उसकी जांच करें और इस बात की कोशिश करें कि व्यर्थ में इस तरह से रुपया न खर्च किया जाय। जनता समझती है और जनता उचित ही समझती है कि इस प्रकार से आज बहुत रुपया जाया हो रहा है और हजारों जरिये से जाया हो रहा है जिसके लिये आप का कोई कंट्रोल नहीं है और उस पर कंट्रोल न होने की वजह से उसका हमें कुछ फायदा नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर लखनऊ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पर लाखों रूपया खर्च हुआ है।

मैं वित्त मंत्री जी से और तमाम महा मंत्रियों से प्रार्थना करूंगा कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का एक बहुत पुराना बाजार है जो मैरिस मार्केट के नाम से मशहूर है। शहर में शायद ही कोई इससे ज्यादा गंदा मार्किट हो। जिसमें लाखों रुपया लगा था, उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। नजूल की जमीनों पर, जहां लोग पाते हैं कब्जा कर लेते हैं। यह बात गौर करने की है कि यहां के कर्मचारियों से जनता को शिकायतें हैं। यहां से २०० गज पर हैवलाक रोड जाती है। वहां पर एक साहब ने जमीन ली। उन्होंने वहां तीन-चौथाई में मकान बनवा लिया। इंप्रूवमेंट से नोटिस गया, लेकिन उसको उन्होंने ठुकरा दिया। उससे जो लोग एफेक्टेड हैं वे मारे-मारे घूम रहे हैं। यह सिर्फ इस वजह से कि शायद वे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का उनसे कुछ काम निकलता है। लिहाजा उनको कौन रोक सकता है। मेरे और भाइयों ने कुछ और अधिकारियों के बारे में कहा। जिनके बारे में मैं कह रहा हूं, वे कोई त्रिपाठी जी हैं। वे हैवलाक

रोड पर मकान बनवा रहे हैं और किसी की परवाह नहीं करते। जब सरकार के अधिकारी ऐसा करते हैं, तो ऐसी सरकार ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकती है। अगर कायम रहेगी तो जनता की हालत और खराब हो जायगी। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इन चीजों पर गौर करे। सरकार को इन चीजों को बहुत सख्ती के साथ रोकना चाहिये। इससे जनता में सरकार की ओर से कान्फीडेंस बढ़ेगा। जो रुपया खर्च होता है उसको हम बहुत संभाल कर खर्च करना है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी का मामला चला। उस पर लाखों रुपया खर्च हो रहा है। अगर किसी को उससे फायदा है तो वाइस चांसलर को है। जब लड़के नहीं हैं, जब डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, तब इसकी क्या जरूरत है ? इस तरह की तमाम चीजें हैं। मैं सरकार की तवज्जह इस तरफ दिलाऊंगा कि जो रुपया खर्च किया जाय उस पर कड़ी जांच रखी जाय। उसको ईमानदारी से, सख्ती से खर्च किया जाय क्योंकि जनता बहुत तकलीफ में है और उससे आप टैक्सेज ले रहे हैं।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एप्रोप्रियेशन बिल हमारे सामने है। उसके संबंध में मैं बहुत सी बातें नहीं कहूंगा, स्कोप भी कम है, और वक्त भी थोड़ा है। मैं चन्द मोहकमों के बारे में कुछ बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूं। मैंने पिछली दफा जब बजट के भाषण में अपना निवेदन किया था, तो उस समय एजूकेशन के बारे में कहा था। मुझे सोशल सर्विसेज से कुछ ज्यादा दिलचस्पी है, इसलिये आज मैं अपनी बातों के लिये हेल्थ डिपार्टमेंट को चुनूंगा और उसी के बारे में कुछ कहूंगा। एप्रोप्रियेशन बिल को देखने से यह पता चलता है कि मेडिकल और पब्लिक हेल्थ दोनों डिपार्टमेंट्स को मिलाकर गवर्नमेंट ने २०२ करोड़ का जहां पूरा अनुदान है उसमें से केवल ५ करोड़ ८३ लाख की रकम इन दोनों डिपार्टमेंट्स के लिये रखी है। मेरा ख्याल है कि इस प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए और उसका पूरा खर्च देखते हुए यह अनुदान इस मोहकमे के लिये बहुत ही कम है। हमारे प्रदेश की जो आबादी है वह लगभग साढ़े ६ करोड़ है और जो खर्च इन दोनों डिपार्टमेंट्स पर है वह कुल मिल कर ५ करोड़ ८३ लाख है यानी एक आदमी पर एक रुपया भी मेडिकल और पब्लिक हेल्थ मिला कर नहीं पड़ता है। हम सबको मालूम है कि पब्लिक हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है वह अपने आप में बहुत ज्यादा पाजिटिव नहीं है। उसका ऋणात्मक काम है और काफी रुपया उसका बड़े-बड़े कर्मचारियों के वेतन में ही खर्च होता है। मेडिकल में सिर्फ ५ करोड़ रुपया है यानी एक आदमी पर १० आना ८ पाई पड़ता है। अगर दूसरे प्रदेशों में जो इस डिपार्टमेंट पर खर्च होता है उससे तुलना की जाय तो यह बहुत ही कम आवेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार के खर्च करने या प्राथमिकता देने का क्या तरीका है, क्या आधार है। वह शायद यह सोचती है कि जो कुछ भी उसको खर्च करना चाहिये वह खेती पर करना चाहिये या बिजली पर करना चाहिये और या शायद कुछ फैक्ट्रियों पर करना चाहिये, लेकिन इंसान के जिस्म या दिमाग पर कुछ खर्च करते हुए उसे ऐसा मालूम होता है कि वह कुछ फिजूल खर्ची हो रही है और जितनी कटौती होती है वह एजूकेशन, सोशल वेलफेयर या पब्लिक हेल्थ से ही की जाती है, तो यह मियाद जितनी जल्दी सरकार बदल दे उतना ही अच्छा हो। जब कि पहली पंचसाला योजना खत्म हो रही थी, तो यह बात सुनने में आ रही थी कि सेकेन्ड प्लान में शोशल सर्विसेज को प्रायरिटी दी जायेगी, लेकिन हमने देखा कि दृष्टिकोण वही रहा और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। जो मेडिकल का प्राविजन है उसे देख कर बहुत ही नाउम्मीदी हुई है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इस बात का सर्वे किया जाय कि इस प्रान्त की हेल्थ की कन्डीशन कहां तक सुधर रही है और किस हद तक यहां रोग बढ़ रहे हैं, तो पता लगेगा कि इस दिशा में यहां हालत बहुत खराब है। कुछ अस्पतालों में कमेटियां हैं। उनमें कुछ सरकारी हैं और कुछ गैर सरकारी हैं। इन कमेटियों का मैं सदस्य हूं और इस कारण मुझे कुछ जानकारी है। ३-४ अस्पताल काफी बड़े हैं। उनमें सैकड़ों की तादाद में मरीज रहते हैं। मुझे इस बात का

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

मौका मिला है कि मैं उनमें जा कर देखूं। मुझे बराबर यह देखने में आ रहा है कि रोगियों की तादाद बढ़ती जा रही है और उनको ठीक प्रकार का ट्रीटमेंट या बिस्तर नहीं दे पा रहे हैं हालांकि उनके बिस्तर बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है फिर भी जिस कदर रोगियों की संख्या बढ़ रही है उतने बिस्तर नहीं बढ़ रहे हैं और इस कारण रोगी परेशान दिखाई पड़ते हैं। मैं एक मर्ज का जिक्र करना चाहता हूं और वह है तपेदिक। अगर हालत ऐसी रही तो मैं नहीं समझता हूं कि ५ साल में क्या हालत हो जायगी। उसकी अगर सच्ची तस्वीर इस सदन के सदस्यों के सामने आवे तो हर एक उसको देख कर कांप उठेगा। इस कदर तजी के साथ यह रोग बढ़ रहा है कि साधारण तौर पर इसको बयान करना मुश्किल है और उसके मुकाबिले में सरकार जो कदम उठा रही है वह मैं समझता हूं कि कम है। ज्यादा मैं अर्ज नहीं कर सकता क्यों कि वक्त कम है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि तपेदिक के रोग के शिकार वही होते हैं जो परिवार के पालन करने वाले होते हैं, जिनके ऊपर सारा परिवार अपने मेंटीनेन्स के लिये मुनहसिर होता है। नौजवान लड़के, आदमी और लड़कियां ज्यादातर इस रोग के शिकार होते हैं। सूरत आज यह है कि घर-घर में आप देखें इस रोग के रोगी पड़े हुये मिलते हैं और वह दाखिले के लिये टक्कर मारते फिरते हैं और उनको जगह नहीं मिलती है। ख्याल यह किया जाता है कि एक रोगी २० आदमियों को इनफेक्ट करके मरता है, यह मेडिकल ओपीनियन है। फिर भी इन्तजाम नहीं कि उनको आइसोलेट किया जा सके। जो इन्तजाम है वह कम है।

एक बात और है वह यह कि सरकार जो काम करना चाहती है वह या तो खुद करना चाहती है या बिल्कुल नहीं करती है। पब्लिक को भी इनकरज नहीं करती है। मेरा ख्याल है कि सरकार अपनी नीति बदले और ठीक प्रकार से पब्लिक का भी कोआपरेशन ले और इस काम के लिये पब्लिक से भी रुपये की मदद मिल सकती है। जो रुपया पब्लिक से मिलता है उससे भी सरकार उनकी मदद नहीं करती है, नतीजा यह होता है कि पब्लिक की तरफ से भी एफर्ट नहीं होते हैं। पब्लिक की तरफ से जो इन्सटीट्यूशन कायम किये जाते हैं उनको भी जो सरकार से मदद मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है। उनके बीच में रोड़े अटकाये जाते हैं। यह रोड़ सरकार नहीं अटकाती है मगर जो आफिसर काम करते हैं वह रोड़े अटकाते हैं। इसलिये जितनी चैरिटी की हम आशा करते हैं वह नहीं आ पाती है। अगर आप आंकड़ मांग तो आप देखेंगे कि सरकार के अपने अस्पताल हैं और उनमें प्रति रोगी पर ४ रुपया खर्च होता है और उसके मुकाबिले में प्राइवेट अस्पतालों में एक-डेढ़ रुपये में काम चल जाता है और जब प्राइवेट अस्पताल वाले सरकार से कहते हैं कि हम ८ आने खर्च कर रहे हैं और हमारी मदद आप ८ आने से कर दीजिये तो वह मदद भी सरकार से नहीं मिलती है, यह मेरा तजुर्बा है। नतीजा यह होता है कि खर्च करके भी सरकार जितना फायदा पहुंचाना चाहती है वह फायदा नहीं दे पाती है।

दूसरी बात यह है कि मेडिकल साइड में रिसर्च के लिये सरकार की ओर से इन्तजाम नहीं है। हमारे प्रदेश में सरजरी की कमी है। इसमें काफी रिसर्च की जरूरत है। सरकार ने एक इन्सटीट्यूशन कैंसर के लिये खोला है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि डाक्टर भाटिया साहब ने कहा था कि लंग्स, ब्रेन और हार्ट की सरजरी की जरूरत है और इसमें रिसर्च कर के आप बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं। लेकिन सरकार ने कोशिश नहीं की। एक कमेटी बनने का प्रावीजन मैंने भी किया था, लेकिन अफसरान की तरफ से वह ठप कर दी गई और वह आगे नहीं बढ़ी, तो मेरा कहना यह है कि इस तरफ एलाटमेन्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिये और इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिये।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो पुरानी पद्धतियां थीं, आयुर्वेद और यूनानी की, उनकी ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है

में एक किताब पढ़ रहा था, वह हमारे पिछले गवर्नर श्री के० एम० मुन्शी द्वारा लिखी हुई थी। उसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि आयुर्वेद की एक यूनिवर्सिटी हमारे यहां होनी चाहिये। उसकी दलील उन्होंने दी थी और चूंकि वह हमारे यहां के गवर्नर थे इसलिये जरूर अपना सुझाव उन्होंने सरकार के पास भेजा होगा। अगर युनिवर्सिटी नहीं तो मैं कहूंगा कि कोई योजना आयुर्वेद की तरक्की के लिये बनाई जा सकती है। एक अमेरिकन आथर ने एक किताब लिखी है उसमें उन्होंने हिस्ट्री ट्रेस की है सिस्टम आफ मेडिसिन, सरजरी आदि पर। उसको पढ़ कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इंडिया के अन्दर सरजरी की शुरुआत हुई है और इसमें वह दुनियां में सब से आगे था। उसके साथ साथ उन्होंने बतलाया है कि अरबियन कंटरीज में वह चीजें गईं और वहां पर किस तरह से उनका एडवान्समेन्ट हुआ, वह सब चीजें उसमें दी हुई हैं। उससे मालूम होता है कि हमारे यहां बहुत सी चीजें थीं जिनको हम भूल गये हैं। अगर उनकी तरफ हम फिर जायं तो पूरी-पूरी उम्मीद है कि हम आगे जा सकते हैं। अब मेरे कहने का टाइम करीब करीब खतम हो गया, इसलिये आज हम अपनी बात यहीं तक महदूद रखेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि सोशल सर्विसेज पर उसका ज्यादा ध्यान जाना चाहिये, फिजिकल डेवलपमेंट की तरफ अधिक ध्यान जाना चाहिये और उसके लिये स्पोर्टस, जिमनेजियम और दूसरे खेल कूद के ग्राउन्ड्स बहुत जरूरी हैं। इन सब बातों की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। हमारी नेशन की जिस्मानी कूवत की तरफ अगर ध्यान दिया जाय तो ज्यादा अच्छा हो।

*श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के विनियोग विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री डिप्टी चेयरमैन--यदि अब आप दस दस मिनट लें तो जो अभी तीन सदस्य बोलने को हैं, वह भी बोल लेंगे और उसके बाद माननीय मंत्री जी का भाषण भी हो जायेगा।

श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल--इस एप्रोप्रिएशन बिल को देखने से पता लगता है कि अधिक से अधिक रुपया १५ करोड़ का जो इसमें है वह शिक्षा के मद में है। यह सराहनीय पहलू है शिक्षा के ऊपर, सरकार के दृष्टिकोण का। शिक्षा के संबंध में उसकी प्रगति के ऊपर जो आज पुस्तिका बंटी है उसको देखने से पता लगता है कि स्कूल्स और विद्यार्थी बहुत बढ़े। सम्भवतः रुपया भी बढ़ा मगर वह फिर भी कम है। परन्तु रुपया या स्कूल्स के बढ़ने से या युनिवर्सिटियों की तादाद बढ़ने से या लड़के-लड़कियों के बढ़ने से यह नहीं कहा जा सकता है कि हमारे देश की तालीम ठीक है। तालीम का मजमून ऐसा है कि उस पर वह ही लोग नहीं बोल सकते, जो तालीम से ताल्लुक रखते हैं बल्कि वह लोग भी जो अध्यापक या मैनेजर नहीं हैं, वह भी उस पर बोल सकते हैं। इसकी वजह यह है कि सब के घर में बच्चे और बच्चियां हैं और वे तालीम पाने के मुस्तहक हैं। वे जैसी तालीम चाहते हैं उनको वैसी तालीम नहीं होती है। आज चारों तरफ से यह आवाज आ रही है और यह कहा जाता है कि तालीम का खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। तालीम में जितनी सहूलियत मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिल रही है। इससे सरकार भी नावाकफियत नहीं रखती है। इसमें पहली चीज यह है कि जितनी सरकारी समस्यायें हैं और जितने गवर्नमेंट्स के स्कूल और कालेजेज हैं उनको सरकार नई शक्ल देने का इरादा रखती है। दस वर्ष से ज्यादा नहीं हुआ जब सरकार की तरफ से घोषित हुआ था कि इन स्कूलों को जल्दी से जल्दी बन्द कर दिया जायेगा। इसके मुताल्लिक कुछ रकम बजट में रख दी गई थी। उनमें एक तरह से १०० रुपया होता है। इस तरह की रकम थी लेकिन उसके बाद यह घोषणा नहीं हुई थी कि यह नीति सरकार ने बदल दी है और जितने स्कूल हैं वे जारी रहेंगे। जितना ज्यादा खर्चा होता है वह सब सरकारी स्कूलों में होता है। मल्टी परपज स्कूलों में बच्चों को

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल]

दस्तकारी की तरफ रुजू करने की कोशिश की जायेगी। उसमें जितना रुपया खर्च किया जा रहा है बिल्डिंग के बनाने में और नये नये अध्यापकों के बनाने में वह ठीक है। उसको होना चाहिये परन्तु जो काम करने का तरीका है और जो अभी तक कार्य हुआ है उससे जाहिर होता है जिसकी चेतावनी भी दी गयी है कि कामयाब होने की कोई शक्ल नहीं है। पहले जरूरत इस बात की है कि जिसको हम महसूस करते हैं कि लड़के लड़कियां अपने अध्यापक और अध्यापिकाओं के पास ज्यादा समय तक रहें। जब तक यह नहीं होगा तब तक उनकी तन्दुरुस्ती को ठीक नहीं रख सकेंगे। यह जरूरी है कि उनसे हाथ का काम ज्यादा लिया जाय। इसके लिये कम से कम तीन घंटे हाथ का काम करने दिया जाय। डिप्टी डाइरेक्टर इंडस्ट्रीज और डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन ने कहा है कि जो आज कल जनरल एज्यूकेशन है उसमें हाथ का काम इतने समय तक हो नहीं सकता फिर भी उन्हें स्कूलों में जारी रख कर, जैसा कि मल्टीपरपज का उद्देश्य है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। किसी न किसी तरह से ऐसी स्कीम बनाई जाय कि वे बच्चे वहां पर ज्यादा देर तक रह सकें। जितने प्रिंसिपल हैं वे महसूस करते हैं कि यदि बच्चे ७ बजे आते हैं तो उनको १२ बजे तक रखा जा सकता है। पांच घंटे रखने के बाद उनको दस्तकारी का काम पढ़ा लें और उनसे इसका काम करा लें तो यह नामुमकिन है। इसके लिये सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नियम बनाया जाय कि स्कूल और कालेज में ज्यादा देर तक लड़के और लड़कियां रहें। जो स्कूलों में छुट्टियां होती हैं उनमें बहुत सी छुट्टियां ऐसी होती हैं जिनका नाम छुट्टी नहीं रखना चाहिये। उस दिन लड़के और अध्यापक इकट्ठा होते हैं और उसको मनाते हैं। जैसे १५ और १६ अगस्त। इसी तरह से और जो मौके हैं मुझे उनका नाम याद नहीं है। बारह वफात है और ईद का दिन है। लड़कों को बताने की जरूरत है कि इस दिन क्या होता है। इस दिन स्कूल के बच्चे और अध्यापक इकट्ठा हो कर यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस दिन क्या होता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिये और न दी जानी चाहिये। इसलिये मेरी तजवीज है कि गजटेड जितनी छुट्टियां हैं उनमें से कुछ को स्कूलों के लिये सैलिबिरेशन डे का नाम रख दिया जाय, जिससे कि वे छुट्टी में शामिल न हों। इसमें एक और बात है, जितनी छुट्टियां शिक्षा विभाग में होती हैं उतनी शायद और जगह नहीं होती हैं। जैसे अभी फ्लू के ही कारण २२ जुलाई से स्कूल खुले तो अब इस साल कुल मिला कर १६५ दिन की छुट्टी हो जायेगी। यह भी सही है कि यह विषय काफी दिनों से एक विवाद का विषय हो गया है जिस पर लोगों ने यह एतराज किया है कि इतनी छुट्टियां नहीं होनी चाहिये। इस लिये उचित यह होगा कि कुछ छुट्टियों को सेलिबिरेशन डे का नाम दे दिया जाय। चूंकि समय की कमी है इसलिये मैं कुछ थोड़े से ही सजेशन इस वक्त देना चाहता हूं।

शिक्षितों में जो बेकारी है वह सरकार की निगाह में भी है, इसलिये यह होना चाहिये कि जितने इंटरमीडिएट कालेज और यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जितने भी पढ़ने वाले लड़के हैं तो जब ये लड़के इन संस्थाओं को पढ़ने के बाद छोड़ते हैं तो इनकी एक फेहरिस्त बनायी जाय और उसका ब्योरा रखा जाय कि कौन लड़का कहां जा सकता है। मैंने अपनी तरफ से इसका नाम इम्प्लायमेंट गाइडेन्स रखा है। सभी लड़कों को तो मालूम नहीं होता है कि वे कहां कहां जा सकते हैं। वे तो अखबारों में देखते हैं या फिर इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में जाकर अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। उनको मालूम नहीं होता है कि वे कहां कहां जा सकते हैं। अगर ये इम्प्लायमेंट गाइडेन्स होते हैं, तो लड़कों को बड़ी भारी सुविधा मिल जायेगी।

अब मुझे यह अर्ज करना है कि हमारे यहां प्रिप्राइमरी, प्राइमरी, सेकेन्डरी और यूनिवर्सिटी शिक्षा है, लेकिन इन चारों में अपने प्रदेश में सामंजस्य करने वाला कोई यंत्र नहीं है।

कोई यह नहीं बतला सकता कि कहां पर क्या होना चाहिये। बल्कि ये चारों ऐसे हैं जहां पर एक दूसरे को बुरा कहा जाता है। यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट को बुरा कहा जाता है, इंटरमीडिएट में हाई स्कूल के लिये कहा जाता है, हाई स्कूल में जूनियर हाई स्कूल के लिये कहा जाता है और जूनियर हाई स्कूल में प्राइमरी शिक्षा के लिये कहा जाता है कि वहां पर कुछ काम नहीं होता है। अतः जब तक यह कोआर्डिनेशन करने वाली मशीनरी नहीं होगी तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अध्यापकों का आज दशा है उसमें रुपये पैसे की बात नहीं है बल्कि उनके काम करने के रास्ते में जितनी गुलामी और रोकटोक है उससे स्वतंत्र करने के लिये जितनी जल्दी उनको स्वतंत्र किया जाय तो बेहतर होगा। इससे यह होगा कि उनको काम करने में कोई रोकटोक नहीं होगी। इसमें मेरा मतलब केवल शिक्षा संस्थाओं के दायरे से है और किसी बात से नहीं है और इसकी तफसील सरकार के पास मौजूद है। इनको जितना जल्दी दूर किया जाय उतना ही ठीक होगा। मैं इन शब्दों के साथ फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विनियोग विधेयक का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। २०२ करोड़ रुपये इस विधेयक से हमारे सूबे की तरक्की के लिये खर्च होंगे। १०८ करोड़ तो राजस्व लेखे का और शेष ९६ करोड़ रुपया उसके बाहर का है। १६ करोड़ की हमारी राजस्व की आमदनी है, १२ करोड़ हमने उसमें से पूरे करने हैं किन्तु इन सब के देखने से इतना तो साफ ही है कि ९६ करोड़ रुपया हमें बाहर से कर्जा लेना है। सब कुछ होगा परन्तु इससे ऐसा लगता है कि हमने जो १२ करोड़ रुपया और टैक्सों से वसूल करने की बात सोची है वह उसके मुकाबिले में बहुत कम है और सरकार का भी यह इरादा है कि कम से कम बोझ जनता के ऊपर डाला जाय और जनता की इच्छा के मुताबिक ही चन्दों से या कर्जों से रुपया लिया जाय और उसको ऐसे कामों में लगाया जाय, जिससे कि इस स्टेट की तरक्की हो, उसकी माली हालत अच्छी हो और लोगों को रोजगार मिले। हमारा अपना ख्याल यह है कि वित्त मंत्री महोदय को यह साहस कि इतना रुपया कम होते हुए भी इसके बावजूद भी उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में ज्यादा कमी करने की कोशिश नहीं की और इस बात की हिम्मत नहीं हारी कि रुपये की कमी से इस सूबे की तरक्की को कोई नुकसान हो, ऐसा वह नहीं चाहते, यह बड़ी ही तारीफ की बात है और मैं समझता हूं कि हमारे सूबे के लोग उनके प्रति इसलिये कृतज्ञ रहेंगे।

अब एक बात और है कि इन सब बातों के होते हुए भी रुपये की व्यवस्था करने की बात है, परन्तु इसके साथ ही हमें यह भी देखना चाहिये आखिरकार यह रुपया किन लोगों के हाथों से खर्चा होगा और उसका सदुपयोग होना चाहिये। सदुपयोग नहीं होता है, ऐसा तो मैं नहीं कहता हूं, उसका उपयोग ठीक ही होता होगा किन्तु जब रुपये की इतनी दिक्कत है तो फिर अधिक सावधानी बरतनी चाहिये और मुझे उम्मीद है कि सावधानी से खर्चे में कमी की जा सकती है और खर्चे में कमी करने से लोगों का बोझा भी बहुत कम हो सकता है। आप देखेंगे कि इस समय हमारे सूबे में आमतौर पर ऐसी चर्चा है कि लोगों को सामान बहुत दिक्कत के साथ मिलता है। मैं इस बात की चर्चा इसलिये नहीं करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इस स्टेज के ऊपर इस विधेयक की डिटेल की बातें करना मुनासिब नहीं है जैसी कि आमतौर पर आज हुई, किन्तु यह बात कह देना चाहता हूं कि आखिरकार इस विधेयक को स्वीकार करते समय हमें इस बात को देखना चाहिये कि लोगों के दिलों में इसका क्या असर पड़ता है। आज जगह-जगह इस चीज की चर्चा है कि सरकार अपने मकान लोहे और सीमेंट से बनवाती है और उसकी नींव में भी लोहा और सीमेंट होता है, लेकिन लोगों को अपने रहने के लिये मकान बनाने के लिये और रोजमर्रा के कार्यों के लिये लोहे

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार]

नहीं मिलता है, सीमेंट नहीं मिलता है। यदि हमें कमखर्ची का पाठ पढ़ाना है, तो सरकार को भी चाहिये कि अपने मकानों को बनाते समय इस बात का ख्याल रखे कि अगर कोई काम करने के लिये कम लोहा खर्चा हो और कम सीमेंट खर्चा हो और जहां तक हो सके कम सीमेंट और लोहे में काम चलायें, तो ज्यादा अच्छा हो। जो व्यक्ति की सम्पत्ति है वह सरकार की सम्पत्ति है। मैं इस समय एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय ख्रुश्चेव भारत में आये तो उन्होंने कहा कि यहां पर सीमेन्ट और लोहे का बहुत ही अपव्यय होता है। जितने खर्चे में यहां पर एक बिल्डिंग खड़ी होती है उतने ही खर्चे में रूस में उससे कहीं अधिक बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को ऐसे कार्य करने चाहिये जिससे इन्सान को अपने रोज के कामों में असानी मिले। आज आप को मालूम होगा कि सीमेन्ट चोर बाजारी से मिलता है। ठेकेदार जो होते हैं वे रखे रहते हैं और चोरबाजारी से बेचते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस ओर भी देखना चाहिये। यदि सरकार ने ऐसा न किया तो मुझे डर है कि सरकार ने जो पंचवर्षीय योजना बनायी है, उसमें उसको पूरी सफलता नहीं मिल सकती है। और जो वह अपने प्रदेश के नागरिकों का स्तर ऊंचा करना चाहती है वह न हो सके। जिस बच्चे को वह रात दिन मेहनत करके पढ़ा रही है और सेवा करने के लायक बना रही है वह बच्चा कहीं बड़े हो कर सेवा करने के लायक न रहे। सरकार को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिये। हमारी स्टेट के अन्दर जो एक प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी है उसके ऊपर साढ़े छ रुपया खर्च होता है और जो माध्यमिक स्कूल का विद्यार्थी है उस पर साढ़े बारह रुपया, दसवें दर्जे का जो है उस पर २७५ रुपया, कालेज का जो है उस पर ९०० रुपया और जो एक यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी है उसके ऊपर साढ़े १७ सौ रूपया खर्च होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस समय वह विद्यार्थी पढ़ कर निकलता है, तो वह यह नहीं समझता है कि हमको स्टेट ने पढ़ाया है वह तो यह समझता है कि हमको तो हमारे मां-बाप ने पढ़ाया है, उसके दिल में स्टेट के लिय कोई भी सहानुभूति नहीं होती है। मैं तो समझता हूं कि स्टेट के प्रति लोगों में ऐसी भावना पैदा करनी चाहिये। लोगों के दिलों में एक सार्वजनिक भावना होनी चाहिये और अपनी स्टेट के प्रति श्रद्धा होनी चाहिये। अगर ऐसा वातावरण लोगों के दिलों में पैदा हो जायेगा, तो देश को अधिक लाभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री सभापति उपाध्याय (नाम निर्देशित)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस समय सदन के सामने उपस्थित है उस का मैं अनुमोदन करता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं कुछ बातें शिक्षा के विषय में कहना चाहताहू। शिक्षा में संस्कृत के विषय में अधिक कहना चाहता हूं। जिस प्रकार से और विषयों के लिये कुछ न कुछ रखा जाता है उसी प्रकार से संस्कृत के लिये कुछ रुपया रखा जाय, क्योंकि आप देखते हैं कि यह जो विषय है इसका कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है। इसकी उन्नति के लिये भी कुछ रुपया अवश्य होना चाहिये अंग्रेजी विश्वविद्यालयों में संस्कृत का जो स्थान रिक्त होता है, वह उन लोगों को देना चाहिये जो संस्कृत की उच्च परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। क्योंकि हर विभाग में जो संस्कृत में बी० ए० या एम० ए० पास हैं उनको संस्कृत में रख लेना चाहिये और इस तरह से जहां पर भी संस्कृत के स्थान रिक्त हों उनपर जो विशेष रूप से संस्कृत में परीक्षा उत्तीर्ण हों, उन्हीं को रखा जाना चाहिये। भले ही वह अंग्रेजी या और दूसरे विषयों के भी जानने वाले हों, लेकिन सिर्फ दूसरे विषयों की जानकारी जो रखते हों, उनको संस्कृत में नहीं रखना चाहिये। इस तरह की नियुक्ति करना उचित भी नहीं है।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

दूसरी बात यह है कि आज कल विभाग के जितने वृक्ष हैं, उनको काट-काट कर खेत बनाये जा रहे हैं और इस तरह की कई शिकायतें हमारे पास आई हैं, यह उचित नहीं है । जो बगीचे हैं, उनको काट कर के खेत नहीं बनाना चाहिये और इसके लिये सरकार को उचित प्रबन्ध करना चाहिये। जो उद्यान के पेड़ों को काटते हैं उनको उद्यान के महत्व को समझाना चाहिये और इस तरह उनके लिये उद्यान पर खेती करना उचित नहीं है । वे उद्यान के महत्व को समझ जायेंगे, तो इस तरह से यह चीज बन्द हो सकती है ।

न्याय विभाग के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसमें दो-दो, तीन-तीन महीने निकल जाते हैं और किसी बहस का निर्णय नहीं हो पाता है । किसी बहस के बाद जो महीनों के बाद न्याय करता है, तो उस बीच में वह और भी कइयों के न्याय कर चुका होता है, इसलिये उसे वह पुरानी बातें ठीक तरह से याद नहीं रह पाती हैं और वह उचित न्याय नहीं कर सकता है । इसके लिये मेरा यही सुझाव है कि बहस समाप्त होने के बाद एक हफ्ते के भीतर ही उसके केस का निर्णय हो जाना चाहिये ताकि वह इससे ज्यादा परेशान भी न हो। दो महीने के बाद न्याय करने से उसके जो मन में आयेगा, वह वही न्याय कर बैठेगा और इससे हानि ही अधिक होती है, इसलिये बहस के बाद एक हफ्ते के भीतर न्याय का प्रबन्ध हो जाना चाहिये ।

चिकित्सा के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि हरएक के लिये इसकी व्यवस्था होनी चाहिये । कुछ डाक्टर्स ऐसे रखे जाने चाहियें, जो कि हरएक घर में जा सकें और उनकी बीमारी की उचित व्यवस्था कर सकें। उनको यह भी देखना चाहिये कि कहां कौन बीमार है ।

यद्यपि बूढ़ों के लिये पेन्शन की व्यवस्था रखी गई है, लेकिन इसके लिये जो अनुदान रखा गया है, तो जैसे मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, मगर मैं पेन्शन नहीं लूंगा, वह मैं कुछ उचित नहीं समझता हूं। जो मरने की अवस्था पर आ गया है, उसके ऊपर खर्च करना ठीक नहीं है। इसमें एक बात यह भी होगी कि जिनको रुपया मिलना चाहिये, उसको तो नहीं मिलेगा और जिनको नहीं मिलना चाहिये, उसको मिलेगा। मेरा कहना है कि जब आप ने इसे रखा ही है, तो इसके बांटने की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिये ।

अनुसूचित जातियों के लिये इसमें अनुदान रखा गया है। मैं इसके विरोध में नहीं हूं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनको खाना भी नहीं मिल पाता है, उनके लिये भी आप को कुछ व्यवस्था करनी चाहिये। पूर्वी जिलों में जो लोग आपदग्रस्त हैं, उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय बन रहा है, उसके लिये कोई उपकुलपति नहीं मिल रहा है। इसका कारण यह है कि हमको उसके लिये ऐसा आदमी चाहिये जो अंग्रेजी भी जानता हो और संस्कृत भी अच्छी जानता हो। हमारे यहां ऐसे लोगों की कमी है। ऐसे आदमी जो संस्कृत और अंग्रेजी दोनों में एम० ए० हों उनको आगे बढ़ाया जाय। उनको सहायता दी जाय। इससे और देशों से जो आदमी मंगाने पड़ते हैं वे न मंगाने पड़ें। हमारे यहां ऐसे छात्र बनें जो इस कमी की पूर्ति कर सकें सरकार को इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये। जो संस्कृत और अंग्रेजी दोनों को ले कर एम० ए० पास कर रहे हैं, उनको अधिक सहायता देनी चाहिये। संस्कृत के विद्यार्थियों के लिये भी सरकार कोई अधिक ध्यान देना चाहिये। जो प्रतिवर्ष संस्कृत के छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं उनकी जीविका के लिये कोई स्थान नहीं है। इसका प्रबन्ध भी सरकार को करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैंने इस विधेयक के समर्थन और विरोध दोनों सुने। मैं आपके जरिये से इस वक्त इस सदन के मुअज्जिज मेम्बरान की खिदमत में गुजारिश यह करना चाहता हूं कि जब हम बजट को या बजट के मुताल्लिक किसी चीज को देखते हैं तो हमको एक बात सामने रखने की जरूरत है। वह यह है कि हमारी स्टेट इस वक्त किस हालत में है और हमारे यहां बहुत सी जरूरी चीजें जो इंसान की जिंदगी के लिये जरूरी थीं, नहीं थीं, दौलत भी नहीं थी। हम अपने आपको गरीब समझते थे। अब हमने एक काम शुरू किया है कि हम अपनी उन जरूरियात को पूरा करें और उन कमियों को पूरा करें और अपने यहां से इस गरीबी को निकालें, जो इस दरमियान में हैं। उसके लिये अगर काम शुरु किया जाय या शुरु किया गया है तो उस वक्त यह तवक्को करना कि आज हर एक चीज उसको एक मुकम्मल शक्ल में दिखाई नहीं देती है यह मेरे नजदीक मुनासिब से ज्यादा तवक्को करना है और यह उम्मीद करना है कि जो काम कितनी मुद्दत में हो सकता है उसको अभी खत्म कर दिया जाता। एक अंग्रेजी का लफ्ज है। कहते हैं कि यह चीज इन दि मेकिंग है। तो इन तकरीरों में कमी बतलाई गई कि फलां फलां कमी है, तो उसको मुझे मानने में और तस्लीम करने में कोई इंकार नहीं है यकीनन कमी है और कमी भी थोड़ी नहीं बल्कि बहुत है और जितना हमको अपने लिये करना है हम उसमें से इस वक्त तक मैं यह कहूंगा कि बहुत अधिक कोशिश नहीं कर पाये हैं, लेकिन जो हुआ है वह इस स्टेट की हिस्ट्री में कभी नहीं मिलता है, बहुत थोड़ा कर सके हैं, मगर हिम्मत रखते हैं कि वाकई कोशिश करेंगे। मने यह इसलिये अर्ज किया कि मैंने सुना कि हेल्थ के ऊपर जो कुछ खर्च किया जाता है वह बहुत थोड़ा है। इस बात को बगैर किसी पसोपेश के मैं मानता हूं कि वाकई बहुत थोड़ा है और जो कुछ इसमें किया जाना चाहिये वह नहीं हुआ है। लेकिन एक बात मुझे यह जरूर कहनी है कि यह बेहतर होता कि आप अपनी तरफ से गवर्नमेंट को एक यह आइडिया देते की क्या प्रायरटीज हैं।

(इस समय ४ बज कर ७ मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

मैं अपने तजुर्बे के बिना पर यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो बहस बजट के सिलसिले में होती है उनमें यह मालूम होता है कि जब जिस चीज पर बहस हो रही हो, अगर एजूकेशन पर किसी वक्त बहस हो रही है, तो एजूकेशन के मुताल्लिक या और किसी के बारे में बहस हो रही है, तो उसके मुताल्लिक यह मालूम होता है कि बस दुनियां में जितना भी होना चाहिये वह सब इसी के लिये होना चाहिये। तो यह बात तो मुमकिन नहीं है। मुमकिन तो यह है कि हम प्रायरटीज कायम करें और मैं समझता हूं कि इस मुल्क में जब एक मुनासिब ढंग से काम करना शुरू किया गया है तो इस मुल्क के जो इकोनामिस्ट हैं और जो बड़े ऊंचे आदमी हैं जब उन्होंने मिल कर यह फैसला किया है कि इन-इन चीजों को प्रायरिटी लिस्ट में यह-यह जगहें दी जायं और वह प्लान में मौजूद है और दूसरे मुल्क में इस लिहाज से काम हो रहा है, तो मैं यह नहीं कह सकता हूं कि वह गलत है या सही। उसकी निस्बत तो मैं अर्ज करूंगा कि मैं तो एक पीछे चलने वाला आदमी हूं।

मैं डाक्टर साहब के मुकल्लिदों में से हूं, अनुगामी हूं। मैं उस बात पर अमल करूंगा कि जो रास्ता डाक्टर साहब मेरे सामने निकाल कर रखेंगे। बावजूद इस बात के मैं यह समझता हूं कि हेल्थ पर ज्यादा खर्च होना चाहिये, लेकिन बावजूद इसके भी मैं खर्च नहीं कर पाता हूं। जिस कदर रुपया है या मेजर पोरशन है, मैं हेल्थ पर एलाट कर दूं उन तमाम प्रायरटीज के दरम्यान, जो एलोकेशन रुपये का माकूल तौर पर किया जा सकता है, और उसको तकसीम करने की कोशिश इस स्टेट के अंदर की जाती है, उसका एक नमूना यहां आप के सामने रखा जाता है। मसलन एजूकेशन है। एजूकेशन कितना बड़ा मजमून

है, उसमें कितनी कमी है। जैसा कि हेल्थ डिपार्टमेंट के लिये कहा गया कि उसके लिये इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम मुहय्या कर सकें, इसी तरीके से "I will say that a very small proportion of the papulation of India or of this State is literate." यह हकीकत है। अगर कोई यह समझता है कि गवर्नमेंट की निगाह हकीकत से छुपी है तो मेरे ख्याल में जो समझते हैं वह समझदारी की नहीं है। जब चांद और सूरज चमक रहा है तो हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। कौन नहीं जानता है कि कौन चांद है और कौन सूरज है। आज हमारे दरम्यान कितने जाहिल और कितने पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन बावजूद इस बात को जानने के कामसेकमेंस रखने के और इस बात की कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द जहां तक मुमकिन हो, उस हालत को दूर किया जाय और इसलिये एजूकेशन में रकम रखी भी जाती है और जितनी रकम इस बजट में है गालिबन इससे पहले बजट में नहीं आई थी। लेकिन फिर भी मैं अर्ज करूं कि यह रकम छोटी है। इस बात की जरूरत है कि इस पर और रुपया खर्च किया जाय और एजूकेशन को फ्री बनाया जाय और जितना और सामान होता है उसको मोहय्या किया जाय। हम आदमी को लिटरेट बनाने की कोशिश की जाय। बजट को देख कर मुमकिन रास्ता दिखाया जाय तब यह हो सकता है, लेकिन अगर हम उस पर अमल नहीं करते हैं तो कहा जा सकता है। लेकिन वह बातें कहने से जो हो नहीं सकती हैं, हमारे नजदीक और राज्य के नजदीक कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती हैं। मैं मेम्बरान की तकरीरें इसलिये सुनता हूं कि मुझे एक रोशनी मिले और अपनी खामियां और खराबियां मुझे मालूम हों और जो रास्ता दिखाया जाय उसपर चलने से यह नतीजा मुरत्तब हो सकता है। अगर उस पर मैं न चलूं तो कहा जा सकता है। आज की हालत में जो चीज आप यहां देखना चाहते हैं वह देखी नहीं जा सकती है, जो आप सिविलाइज्ड मुल्क में देखते हैं, क्योंकि उसके लिये वक्त की जरूरत है और पैसे की जरूरत है। वक्त सर्फ होगा और पैसा लगेगा, हमको कष्ट उठाना होगा और उस मकसद को पूरा करना होगा, जिसको हमने अपने सामने रखा है, एकानामिक कन्डीशन को बनाने का। यह मेरी जनरल बात थी। अब बहस के खुलासा की बिना पर आप के जरिये मेम्बरान की खिदमत में अर्ज करूं लेकिन कुछ स्पेसेफिक बातें कहीं गयीं उनको मैं पहले अर्ज कर दूं। सिर्फ उन्हीं बातों को दोहराना है जिनका पहले मैं इस हाउस में इससे पहले अर्ज कर चुका हूं।

अभी आपने सुना होगा, मेम्बरान ने भी सुना होगा। यह एतराज था कि डेफिसिट बजट में जो डेफिसिट है वह ऐसा मालूम होता है कि जानकर रखा जाता है। उसका खुलासा यह है। मैं अर्ज करूं कि बजट स्पीच इस साल की जो है उसको देखा जाय और जितनी पिछले सालों की स्पीचेज हैं बरसों की, वह देखी जायं तो मालूम होगा कि जैसे जैसे डेफिसिट थे वह डेफिसिट बजट स्पीच में बयान किये जाते हैं कि किस तरीके से डेफिसिट रह गया। चाहे वह डेफिसिट आगे चल कर बदल कर सरप्लस हो जाय या कुछ घट जाय या बढ़ जाय। यह तीनों हालतें बजट के स्पीच में उसकी फाइनेंशियल हालत बताने में बयान की जाती हैं। मैं जनाब के जरिये अर्ज करूंगा कि मुझ नालायक को निकाल दीजिए। यह नहीं कि मिनिस्टरी से निकाल दीजिए बल्कि अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं एक बजट बनाता हूं। बजट बनाना मेरा काम है, मुझे यह नहीं मालूम है कि एक जरिया जो आमदनी का है उससे अगले साल कितनी आमदनी मुझको मिलेगी। जितने आमदनी के जराये होते हैं उनका जितना कैलकुलेशन होता है वह कुछ का कुछ हो जाता है, इस दफा कुछ है, तो अगली दफा कुछ और हो सकता है। मिसाल के लिये फसल की क्या हालत है। आज फसल खड़ी हुई ऐसी मालूम होती है कि बहुत ज्यादा पैदावार होगी। उसके दो तीन महीने बाद मालूम होता है कि बहुत नुकसान उसके अन्दर होने वाला है। उसी तरह से मैं यह कैसे अंदाजा करूं कि किस सोर्स आफ इनकम से कितनी आमदनी मिलने वाली है। यह तो एक अन्दाजा होता है जिसे हम करते हैं या जो लोग भी बजट बनाते हैं

[हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

दुनिया में वह एक अन्दाजा ही करते हैं। मैं यह देखूंगा कि इस साल में जो काम हो रहा है उससे कितनी आमदनी होने वाली है और यह देखूंगा कि पिछले साल कितनी आमदनी उससे हुई थी और इस तरह से इधर-उधर की बातें देख कर एक अन्दाजा कायम कर लेंगे कि यह अन्दाजा है। मुमकिन है कि वह अन्दाजा ज्यादा हो जाय उससे जो मैंने अपने नजदीक रखा है या उससे कुछ कम हो जाय। दूसरी बात यह है कि जहां तक खर्च का ताल्लुक है, जो खर्चा रखा है, उसमें बहुत से खर्चे आज भी शामिल हैं। मुमकिन है वह रुपया साल के अन्दर ही खर्च हो जाय या न भी हो। मिसाल के लिये एक चीज बाहर के मुल्क से हमने खरीदी और वह साल के अक्तूबर महीने में यहां आ जायेगी और तब उसका पेमेंट करना होगा। उस रकम के लिये मार्च में बजट बनाते वक्त हम उस रुपये को उसमें रखेंगे। अगर वह चीज नहीं आई और उसका पेमेंट नहीं किया गया तो लाजिमी है वह रकम बच जायेगी। ऐसे फैक्टर जो होते हैं उनका हर बजट स्पीच में बयान होता है कि डेफिसिट इस तरह से खतम हो गया और रुपया नहीं खर्च हुआ। इसमें कोई बेइमानी का काम नहीं है और न ऐसी कोई जरूरत है। कोई बात इस वक्त ऐसी मौजूद नहीं है जिसकी बिना पर फाइनेन्स मिनिस्टर धोखेबाजी करें। मिसाल के तौर पर अर्ज करता हूं। स्टेट के बजट को बनाने के लिये एक फाइनेन्स कमीशन बैठा है। मैं एक ऐसा लफ्ज कहने वाला था जिसको नहीं कहता था, वह बेवकूफों की जमात नहीं है। वे किसी की बात से बजट बनाने के लिये मुतासिर नहीं हो सकते हैं। उनके पास हर चीज मौजूद है और वे हरएक के पास जा सकते हैं कि किसी ने कोई फ्राड की बात तो नहीं की है। इसलिये इस हालत में क्या कोई शख्स इस बात की जुर्रत करेगा जिससे बिला वजह डेफिसिट रखने की बात है। डेफिसिट रखने में कोई नुकसान नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस स्टेट का खर्चा बढ़े। जितना खर्चा किया जा सके उतना हो। उसकी भी मिसाल बजट स्पीच में है। इसमें जो लिखा है उसमें शुरू साल में मुझको यह मालूम नहीं है कि गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया से कितना रुपया आयेगा। जितना रुपया आता है और उसकी तादाद उन्होंने जो दी है वह इस मद में मिल जाता है, इसलिये उसका भी असर पड़ता है। मैं तो बजट को डेफिसिट इसलिये बना रहा हूं कि जो खर्चा इसमें रखा गया है वह मुल्क की बहबूदी के लिये रखा गया है। किस किस किस्म का खर्चा इसमें रखा गया है, इन खर्चों का रखा जाना जरूरी है या नहीं। यह कोई नहीं कहता है कि फलां काम के लिये ५ रुपया रखा गया, यह ३ रुपये में हो जाता। किसी ने नहीं कहा कि फलां रुपया बेकार रखा गया। इस बजट में जो रुपया पास किया गया उसकी निस्बत हमने नहीं सुना है कि फलां काम पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और न मैंने यही सुना कि फलां-फलां रुपया जो खर्च किया गया है उनको करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर वह खर्चा जो रखा गया है उसकी वजह से उसके अन्दर डेफिसिट आती है तो वह खर्चा ऐसा है जिसको होना चाहिये, और इस सूबे के लिये जरूरी है, तो मैं समझता हूं कि इस सूरत में इस बात की शिकायत नहीं की जा सकती है कि इसमें डेफिसिट क्यों है। वह जो डेफिसिट रखा गया है वह एक किस्म का फ्राड है, तो ऐसी बात नहीं है। एक दूसरी बात भी मैंने सुनी जिसका जवाब मैं पहले अर्ज कर चुका था, मगर वह सुना नहीं गया। गवर्नमेन्ट की अन्डरटेकिंग्स जो हैं उनमें नुकसान हो रहा है। इसको सुनकर मेम्बरों के दिमाग में यह बात आई होगी। जो बहस हुई थी इसका जवाब मैं इस प्वाइन्ट की निस्बत अर्ज कर चुका हूं। इसलिये यहां पर थोड़ी सी बात अर्ज करूंगा इसके मुताल्लिक कि ट्यूबवेल में नुकसान है अब से नहीं बल्कि जब से अंग्रेजों ने भी इसको लगाना शुरू किया। उसमें नुकसान है और नुकसान रहेगा। क्यों, नुकसान तो ऐसी चीज में नहीं रहता। जितना रुपया आपने कैपिटल का इस पर खर्च किया और जितना उस के मेन्टेनेन्स पर खर्चा है, उन सब को जोड़ कर उस

से जो चीज बचती है तब उस की कीमत कायम करें, तो इतनी कीमत हमको मिलनी चाहिय। फिर उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा मुनाफा जोड़कर इतना रुपया हम उस चीज पर बचायेंगे मुनाफे के रूप में तब तो आप को मुनाफा होगा। मिसाल के तौर पर एक गेलन पानी किसी ट्यूबवेल से देना है तो इस एक गैलन पानी को लेने में जितना खर्च होता है उतना आबपाशी कर नहीं लिया जाता है। अगर उतनी ही आबपाशी ली जाय तो वह बहुत ज्यादा हो जायगा। जब सरकार ने इस को लगाया तो यह समझा कि इतनी आबपाशी किसान नहीं दे सकता है लिहाजा उनसे उतनी आबपाशी नहीं ली जाती है जितनी खर्च के हिसाब से ली जानी चाहिये। हम ने भी इस बात को नहीं सोचा कि इस तरह से इस कमी को पूरा किया जाय। आबपाशी से उस को पूरा नहीं किया जा सकता। दूसरी बात मैंने यह अर्ज की थी कि कोई ट्यूबवेल या पावर हाउस है। अगर हम ने कोई पावर हाउस लगाया और वह बिजली दे रहा है तो अगर हमें उतना ही काम करना है और आग उसमें कुछ नहीं लगाना है तो उस का लेखा जोखा हमेशा दिया जाता है और उस को आप देख सकते हैं कि उस में नुकसान हो रहा है या नहीं। मगर हमने एक पावर हाउस ४ करोड़ रुपये खर्च कर के बनाया और अगले साल उस पर २ करोड़ और खर्च कर दिये और फिर अगले साल डेढ़ करोड़ और लगा दिये तो मुनाफा कम आयगा क्योंकि इसमें कैपिटल हम हर साल लगाते रहे हैं। जो ४ करोड़ का मुनाफा आयेगा वह घट जायगा और नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इस के बावजूद अर्ज करता हूं कि मैंने उस रोज बजट में से पढ़ कर सुनाया था कि हमें किसी में भी नुकसान नहीं हो रहा है। इसमें जितनी ग्रास आमदनी है उन में आप देखेंगे कि हर साल अपवर्ड बराबर है। इसमें मुस्तकिल खर्च हम करते हैं।

तीसरी बात यह कही गयी है कि इन में इस्टैब्लिशमेंट का खर्चा बढ़ता आ रहा है। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि वह हर साल बढ़े। इसका मतलब यह है कि जितना हमारा काम बढ़ता है उसी के हिसाब से हमें और ज्यादा स्टाफ भी रखना पड़ता है। जितने ज्यादा ट्यूबवेल्स और पावर हाउस होंगे उतने ही उन के अन्दर ज्यादा नौकरों की जरूरत होगी तो फिर इस्टैब्लिशमेंट का खर्चा कैसे नहीं बढ़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा बढ़ने या घटने की बात वहां पर देखनी चाहिए जहां पर मामला स्टेटिक हो। यहां के काम बढ़ रहे हैं। जिस नजर से मेम्बरान ने देखा है मैं समझता हूं वह मुनासिब नहीं है। इस लिहाज से देखना चाहिए कि कहां पर खर्च करने की जरूरत है और उस के लिये सरकार को जिस हदतक देना चाहिए उस हद तक दिया गया है या नहीं।

एक बात मैंने यहां पर जेल और सत्याग्रह की सुनी। मैं उस को अच्छी तरह से बयान करता अगर वे साहबान यहां तशरीफ रखते। मैं उन की शिकायत नहीं करता। वे अपनी जरूरत से गये हैं और मुझसे कह कर गये हैं इस लिये मुझे शिकायत नहीं है कि वे यहां पर नहीं हैं। लेकिन मैं इस के मुताल्लिक एक जनरल बात अर्ज करना चाहता हूं और यह सोचने की बात है। मैं आप के जरिये से मेम्बरान को तवज्जह दिलाना चाहता हूं और उस तरफ के ही नहीं बल्कि इस तरफ के भी और अगर यह बात पब्लिक में भी जाती तो वह सोचती कि क्या किसी डेमोक्रेटिक हुकूमत में सत्याग्रह का प्लेस है या नहीं। कोई जगह इस की हो सकती है या नहीं और वह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना जो बिलीफ है वह यह है कि किसी भी राइटली कान्स्टीट्यूटेड सरकार के खिलाफ इस तरह के सत्याग्रह को करने की जगह नहीं है। इस से बड़ा भारी नुक्सान है। ईन्डलेसली वह चलता रहेगा। आज मैं हुकूमत में हूं और मेरे खिलाफ सत्याग्रह करते हो, मेरे लिये डिस्ट्रक्शन पैदा करते हो, मेरे रास्ते में दिक्कतें पैदा करते हो तो कल जब मैं चला जाऊंगा और यहां पर नहीं रहूंगा तो कल को मैं भी उन्हीं आदमियों को ले करके आपका मुकाबला करूंगा जिन आदमियों को लेकर के आज आप मेरा मुकाबला करते हैं। सक्सेसिवली गवर्नमेंटें जाती जायेंगी और आती जायगी। एक गवर्नमेंट जायेगी तो दूसरी आयेगी और यह प्रोसेस किसी तरह से भी कम नहीं होने का और इससे जो डिस्ट्रक्शन होता है, मुल्क को जो इससे नुकसान होता है, पब्लिक ओपीनियन जो खराब होती है, तरक्की के रास्ते में जो

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

रुकावटें पैदा होती हैं, उसकी जिम्मेदारी उन शख्सों के ऊपर पड़ती है जो कि आज सत्याग्रह करते हैं। इतना सोचना चाहिये कि जो इस मुल्क में रहते हैं वह सब एक हैं और इस मुल्क में रहने के नाते जो मैं हूं वही वह भी हैं, उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इतना है कि मैं एक चीज से अलग हो गया और मैं कांग्रेस हुकूमत में हो गया। मैं से मतलब मेरा हाफिज से नहीं है और न जो मिनिस्टरान हैं, उनसे है, हरएक शख्स को अपनी जगह पर सोचना चाहिये कि जो मैं आज करूंगा वह कल को मेरे आगे भी आयेगा, जैसा मैं करूंगा, मैं उसको भुगतूंगा।

श्री पीताम्बर दास—कौन सा किया हुआ है जो आगे आयेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि किसी के आगे आया है, मैं तो कह रहा हूं कि जो आज कर रहे हैं कल को उनके आगे आयेगा। मेरे आगे तो जो कुछ आना था वह आ गया है। हमने आजादी के लिये लड़ाई की तो उसका नतीजा तो मुझे मिल गया है कि हमने आजादी हासिल कर ली है। लेकिन आज जो कर रहे हैं, उनका किया हुआ उनके आगे आयेगा जब कि वह कलमदान को अपने हाथों से सम्भालेंगे, उस वक्त भी सत्याग्रह होंगे और तब उस वक्त उनको इस का पता चलेगा इससे जो नतीजे मुरत्तब होंगे, उसकी बाबत इतना सा अर्ज कर दूं कि सब को यह बात समझनी चाहिये और इस बात को सोचना चाहिये कि यह वक्त इस किस्म की बातों का नहीं है। एक बात मैं दूसरी अर्ज करूंगा आपसे कि महात्मा गांधी, जिसकी जात को सब के सब मानते हैं और वह लोग भी मानते हैं जो आज सत्याग्रह करते हैं, उन्होंने कब किस के लिये सत्याग्रह करना रवा कहा था। किस कांग्रेसी को उन्होंने सत्याग्रह करने की इजाजत दी ? इसके लिये उनके स्टेटमेंट मौजूद हैं, उनकी किताबें मौजूद हैं जिनमें यह सब लिखा हुआ है। वह जो सत्याग्रह करते थे केवल प्योरिफिकेशन आफ दि सोल के लिये सत्याग्रह करते थे।

श्री कुंवर गुरु नारायण—वह तो फास्ट करते थे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—फास्ट भी किस बात के लिये करते थे, उसको करने की भी उन्होंने किसको इजाजत दी। उन्होंने कभी भी इस काम के लिये इजाजत नहीं दी। आज भी फास्ट हो रहे हैं आपके बीच में। वह चीज जिसको की आप मार्च कहा करते हैं वह तो चलना हुआ। जिस तरह का मार्च महात्मा गांधी ने चलाया है उसी तरह का अगर आपने कर दिया होता तो उस मार्च में चलने को मैं भी साथ देता। अगर आप मुल्क की तरक्की का मार्च करते होते तो मैं भी उसमें साथ देता और जिधर आप ले चलना चाहते उधर चलता। अगर पीछे से ले चलते तो पीछे से चलता, अगर बीच में ले चलते तो बीच में चलता और अगर आगे ले चलते तो मैं आगे आगे चलता बिला इस बात का लिहाज किये हुये कि मैं हुकूमत में हूं। अब तो जमाना इस तरह की बातों का नहीं है।

तीसरी बात जेलों के ऐडमिनिस्ट्रेशन की थी। आज का एक पेटेन्ट फैक्ट है कि इस प्रदेश के अन्दर जेलों के अन्दर जिस कदर इम्प्रूवमेंट हुआ है, जितनी सहूलियतें ह्यूमैनिटी के लिये इन्सान को इन्सान समझ कर हुयी हैं, एक आदमी को जिसको कि वहां पर भेजा जाता है, उसको टार्चर करने के बजाय उसके दिमाग को दुरुस्त करने के लिये, जो रोग उसके अन्दर पैदा हो गया है, उस को दूर करने के लिये कोशिशें की गयी हैं और इसी प्रिन्सिपल पर यहां की जेलें चल रही हैं, तो यह जेलों के अन्दर सुधार हुआ या खराबी हुई। अगर कोई आदमी इन जेलों के अन्दर से आये और यह कहे कि वहां पर यह यह शिकायतें हैं, तो मैं यह अर्ज करूंगा कि वह शिकायत, चाहे मेरी ही हो, या किसी की भी हों, कभी भी सही मानने के काबिल नहीं है। वहां पर खाने और आराम का सारा सामान मौजूद है। हर तरह का आराम उन लोगों को दिया जाता है। जो कैदी काम करते हैं उनको मजदूरी भी दी जाती है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--अब तो फेमिली भी एलाउ है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं तो समझता हूं कि जो शिकायतें की गयी हैं वे कुछ ठीक नहीं हैं।

एक साहब ने स्माल सेविंग की तरफ भी तवज्जह दिलायी है। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि आज मुल्क में इस बात की जरूरत है कि लोगों में सेविंग की आदत पैदा करनी चाहिये। यह एक बहुत ही फायदे की चीज है। एक साहब ने एक बात यह भी कही कि चीफ मिनिस्टर साहब ने दावत दी है, तो दावत तो उन्होंने दी है, मैंने तो दी नहीं है। उन्होंने जो दावत दी है वह इसलिये दी है कि हम सब को मिलकर काम करना चाहिये। ताकि मुल्क में कोई ऐसा काम न हो जाये जिससे प्रदेश को नुकसान हो जाये या प्रदेश की तरक्की रुक जाय। चाहे वह इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, उन सब को उस में मदद करनी चाहिये यही हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की दावत है। मैं जो मतलब समझा हूं वह कह रहा हूं।

एक साहब ने काटेज इन्डस्ट्रीज के बारे में कहा है कि एक कमेटी बनायी जाये। जिन साहब ने कहा है उनका नाम मेरे पास लिखा हुआ है तो उनके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरी याद है कि वह कमेटी तो आलरेडी मौजूद है, कोई नई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है।

यहां पर अनइम्पलायमेंट के बाबत भी कहा गया है। तो उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अमेरिका ऐसे मुल्क को ही देख लें तो मालूम होगा कि वहां पर भी अनइम्पलायमेंट है। वह मुल्क काफी तरक्की कर चुका है, दुनियां में काफी इज्जत रखता है और अपनी दौलत के लिये मशहूर है। जो अपने मुल्क की दो सदी से तरक्की कर रहा है, वहां पर भी आज अनइम्पलायमेंट का सवाल मौजूद है। हमारे मुल्क को तो अभी आजाद हुये बहुत कम दिन हुये हैं। सरकार इस बात की बराबर कोशिश कर रही है कि देश और प्रदेश से यह चीजें बहुत जल्द खत्म हो जायें। यह कहना ठीक न होगा कि सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। जब मैंने पिछले बजट पर अपनी स्पीच दी थी, तो मैंने यह अर्ज किया था कि ७६ हजार आदमियों को इम्पलायमेंट मिलेगा उस काम के जरिये से जो खास बजट में रखा गया है इसके अलावा जो दूसरे प्लान में काम रखा गया है उससे पांच लाख आदमियों को काम मिलेगा। तो जितना रुपया रखा गया है, उतने ही लोगों को काम मिलेगा। यह तो हो नहीं सकता है कि पांच लाख आदमियों के लिये रुपया रखा जाये और १० लाख आदमियों को काम मिल जाये। आप चौगुना कर दीजिये, चौगुने आदमियों को मिल जायेगा। यह लिमिटेशन की बात है जो कि पूरी तरह से मेरे कब्जे में नहीं है। मैं इतने रुपये पैदा नहीं कर सकता हूं जितने रुपये कि इन सब कामों पर खर्च करने के लिये जरूरत है। जितना रुपया मिलता है, उसी के जरिये से इन सभी कामों को अन्जाम दिया जाय, यह मुमकिन नहीं है। लेकिन अनइम्पलायमेंट को दूर करने के लिये काम हो रहे हैं। इन्डस्ट्रीज बढ़ रही है, एग्रीकल्चर के अन्दर तरक्की हो रही है, तो इन सभी प्रकार की तरक्कियों को आप को इगनोर नहीं करना चाहिये। इनको अपनी आंखों से देखने से ही फायदा है। जो काम है, उस काम को समझा जाय और मैं इस बात का इकबाल करता हूं। आपकी भी मदद हो और सरकार की भी खिदमत रहे, तो इसके जरिये से ही इस मुल्क का काम होता है।

एकानामी के मुताल्लिक कहा गया। मैंने उस वक्त अपनी स्पीच में बतलाया कि इस बजट में जितना रुपया खर्च करने के वास्ते रखा गया है, उसके लिये हमारी कोशिश यह है कि वह सारा का सारा रुपया उसके ऊपर खर्च न हो और जितनी कमी उसमें हो सकती है, उतनी कमी हो। इसके लिये मैंने आपको बतलाया था कि हर डिपार्टमेंट की एक कमेटी बनी हुई है और तीन आफिसर्स उस विभाग के मिलकर इस बात की कोशिश करें कि जितना

[हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

रुपया किसी भी प्लान के लिये रखा गया है, उसमें कुछ कमी हो जाय, मगर साथ ही उसकी एफिशियेन्सी भी खराब न हो। जितनी भी कमी खर्चे में की जाय वह जहांतक मुमकिन हो सके की जाय और इसी एकानामी के लिये आपके बजट के अन्दर मेरी स्पीच में था कि इस तरह के इन्तजाम पर अमल किया जाय और इसके नतीजे भी देखे जायें।

दूसरी किस्म की जो एकानामी है, उसके लिये मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि एक एकानामी कमेटी बैठी हुई है और आपके लीडर आफ दि अपोजीशन भी उसके एक मेम्बर हैं। वे यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उसने बड़ी मेहनत के साथ काम किया है और इस स्टेट में कैसे खर्चे में कमी की जा सकती है, इसके लिये उस कमेटी ने कुछ सिफारिशें भी की हैं और वे सिफारिशें गवर्नमेंट के सामने आने वाली हैं। इसमें कई सब कमेटियां भी बनी हुई हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनको तकसीम किये गये हैं। मैंने उनके लिये एक क्लर्क भी दिया, स्टेनोग्राफर भी दिया, मकान भी दिया और जहां भी उनको जाने की इच्छा थी, वहां उनको जाने का मौका भी दिया ताकि वे अपनी आंखों से उन बातों को देख सकें और उसकी ओवर आल पिक्चर को समझ सकें। इस कमेटी ने सन् ५५-५६ में काम किया और इस साल भी काम किया। जिस तरीके से उसने काम किया है, उसका नतीजा हमारे सामने आने वाला है और उससे गवर्नमेंट को बहुत मदद मिलने वाली है और इसकी बिना पर गवर्नमेंट का बहुत फायदा भी होने वाला है। हमने एक रिआर्गेनाइजेशन कमिश्नर भी मुकर्रर कर रखा है। एकानामी की तरफ हमारा पूरी तरह से ध्यान है और इस तरह से फिजूल खर्चा नहीं हो पायेगा। हमारी यह भी कोशिश है कि थोड़े से थोड़े जमाने के अन्दर ज्यादा से ज्यादा काम हो सके और जिस मंजिल पर आज हम पहुंचना चाहते हैं, उस मंजिल पर पहुंच जायें।

मुझे याद नहीं आता और भी कुछ बातें कही गईं। लेकिन मेरी गुजारिश जनाब के जरिये से मेम्बरों से यह है कि अगर वे इस किस्म के मामलों पर जायें, तो इसके लिये बहुत एहितयात की जरूरत है और हमारे अन्दर मायूसी पैदा नहीं होनी चाहिये। जिस काम के अन्दर भी मायूसी पैदा हो जायेगी, वह काम कभी नहीं बन सकता है। उसके लिये कितनी ही कोशिश कर लीजिये वह कभी नहीं बन सकता है। हिम्मत से जुर्रत से और उम्मेद से बनता है। मैं कोई काम करूं और उम्मीद न रखूं कि उससे यह हासिल होगा तो वह कभी पूरा नहीं होगा। अगर यहां के रहने वालों के दिल में मायूसी पैदा कर दी और दुनिया के आदमियों को खबर लगे कि जो कुछ यहां हो रहा है वह स्टेट को डुबाने के लिये हो रहा है, तो वह स्टेट कभी भी जिन्दा नहीं रह सकती है। मुल्क के फायदे का काम करो। अगर देखते हो कि ट्यूबवेल्स बनाने से फायदा है, तो उन ट्यूबवेल्स के उखड़वाने की कोशिश मत करो। मायूसी पैदा करने का अंजाम हर शख्स को भुगतना पड़ेगा। हम सबको मिलजुल कर काम करना है। इन अल्फाज के साथ मैं हाउस के मेम्बरान को शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५७ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक पर, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—Sir, I move that the Uttar Pradesh Appropriation Bill, 1957, be passed.

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, तृतीय वाचन के समय कोई मैं लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। केवल दो शब्द कहूंगा। हमारे वित्त मन्त्री जी ने जो बातें कहीं, उनसे सन्तोष हुआ। वे बड़े अनुभवी पार्लियामेन्टेरियन हैं। बड़ा पार्लियामेंटेरियन

वही है जो चार आने भर को १२ आने भर उन्नति दिखलावे और १८ आने भर को २ आने भर लाभ दिखलावे। मेरा अनुभव यह है कि विवाद को समाप्त करने में कोई वित्तमन्त्री की बराबरी नहीं कर सकता। उनकी तकरीर सुनने के बाद दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। उन्होंने फरमाया कि कुछ लोगों ने कहा कि बजट में फ्राड परपिट्रेट किया गया है। मैं सदस्यों की तरफ से कह सकता हूं कि ऐसा किसी ने नहीं कहा। यह हमारा किसी का ख्याल नहीं है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--ऐसा कहा गया है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि प्रायरिटी प्लानिंग कमीशन ने निश्चित की है। परन्तु हम लोग प्लानिंग कमीशन की प्रायरिटी पर भी तो विचार कर सकते हैं। हमको जो बात कहनी है वह यह है कि बजट को हमारे वित्त मन्त्री जी ने बड़े परिश्रम से बनाया है। और इस उद्देश्य से बनाया कि जन कल्याण इससे हो। यह सब ठीक है और हम सब इस को मानते हैं। परन्तु एक बात जो हम लोगों को कहने की है वह यह है कि बड़ी-बड़ी रकमें जो आप ले रहे हैं तो उनके लेने में आपत्ति हमको नहीं है। परन्तु उनका उपयोग अच्छी तरह से किया जाय। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में आपके पिता जी ने लीडर में एक लेख लिखा है और मैं चाहता हूं कि इसको कैबिनेट के सभी मन्त्री पढ़ें। उसमें उन्होंने कहा है कि सब विदेशियों की मूर्तियों को हटाने से क्या लाभ है यह भी रुपया खराब करना है। तो हम लोगों का यही कहना है कि जो रुपया खर्च किया जाय वह ठीक तरह से खर्च किया जाय बम्बई में एक संस्कृत परिषद् है उसको ५ वर्ष से ५ हजार रुपया दिया जा रहा है जबकि अपनी बहुत सी पाठशालायें भूखों मर रही हैं तो ऐसी हालत में उसको एक रेकरिंग ग्रान्ट देना एक फिजूलखर्ची है। अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री जी ने कहा है कि फैक्टरीज में गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होता है और कुंवर साहब कहते हैं कि उससे नुकसान होता है। बजट के अनुसार भी उनमें नुकसान नहीं है लेकिन आडिट रिपोर्ट से प्रगट है कि उसमें नेट लास हुआ है तो मेरी समझ में नहीं आता कि मन्त्री जी कैसे इस बात को कहते हैं। मैं किसी और समय पर उनसे इस बात को जानने की चेष्टा करूंगा। मुझे तो यही कहना है कि हमारा फाइनेन्स सिस्टम स्टेट का ठीक होना चाहिये। आडिट का तरीका भी बहुत गलत है। दो वर्ष बाद हमको मालूम होता है कि क्या इर्रेगुलरटीज हैं। मैं चाहता हूं कि हर डिपार्टमेंट में कमेटियां हों जो इर्रेगुलरटीज को देखें और यह भी देखें कि धन का अपव्यय न हो। इकोनामी की बहुत कोशिश की जा रही है और इसके लिये मैं वित्त मन्त्री जी की प्रसंशा करूंगा। परन्तु हमारी गवर्नमेंट के फाइनेन्स सेक्रेटरी श्री सरजूदीन बाजपेयी जी ने कहा है कि गवर्नमेंट इकोनामी के लिये अरनेस्ट नहीं है। इस बात से हमको बड़ा दुख होता है और जब हम सदन के बाहर जाते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि बड़ा खर्च हो रहा है तुम लोग सदन में क्या करते हो, मुमकिन है कि मन्त्री जी ने भी सुना हो लेकिन शायद उनसे लोग यह बात न कहते हों। अब मैं यह कह कर समाप्त करूंगा कि हम माननीय मन्त्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत उम्दगी के साथ बताया कि किस तरह जनहित सम्पादन का कार्य सरकार कर रही है।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक* जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

स्थायी समितियों के लिये निर्वाचित सदस्यों की घोषणा

श्री चेयरमैन--मुझे एक घोषणा करनी है। स्थायी समितियों के लिये सदस्यों के नाम वापस करने का समय आज बारह बजे तक निश्चित किया गया था। नियत समय तक

*देखिये नत्थी 'घ' पृष्ठ पर।

[श्री चेयरमैन]

नाम वापस लिये जाने के पश्चात् हर एक कमेटी के लिये तीन-तीन नाम रह गये हैं। चूंकि सबके लिये उतने ही नाम रह गये हैं जितने कि निर्वाचित होने हैं, इसलिये मैं उन्हें निर्वाचित घोषित करता हूं। प्रत्येक स्थायी समिति के लिये निम्नलिखित सदस्यों को मैं निर्वाचित घोषित करता हूं :

१—हरिजन स्थायी समिति

(१) श्री लालता प्रसाद सोनकर
(२) श्री श्याम सुन्दर लाल
(३) श्री बाबू अब्दुल मजीद

२—शरणार्थी समिति

(१) श्री सरदार इन्द्र सिंह
(२) श्री महमूद असलम खां
(३) श्री जगदीश चन्द्र वर्मा

३—सामान्य प्रशासन समिति

(१) श्री राम गुलाम
(२) श्री कुंवर गुरु नारायण
(३) श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तव

४—सार्वजनिक निर्माण (इमारतें व सड़कें)

(१) श्री राम नारायण पान्डे
(२) श्री राणा शिवअम्बर सिंह
(३) श्री मदन मोहन लाल

५—सार्वजनिक निर्माण (सिंचाई)

(१) श्रीमती शान्ति देवी (इटावा)
(२) श्री राम लखन
(३) श्री प्रसिद्ध नारायण अनद

६—सार्वजनिक निर्माण (विद्युत्)

(१) श्री पुष्कर नाथ भट्ट
(२) श्री बेगम मक्की
(३) श्री पन्ना लाल गुप्त

७—शिक्षा

(१) डा० ईश्वरी प्रसाद
(२) श्री श्याम बिहारी विरागी
(३) श्री कन्हैया लाल गुप्त

८—वन

(१) श्री कृष्ण चन्द्र जोशी
(२) श्री राम नन्दन सिंह
(३) श्री खुशाल सिंह

(९) माल

(१) श्री लल्लू राम द्विवेदी
(२) श्री पृथ्वी नाथ सेठ
(३) श्री जमीलुर्रहमान किदवई

(१०) श्रम

(१) श्री बद्री प्रसाद कक्कड़
(२) श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित
(३) श्री रामकिशोर रस्तोगी

(११) न्याय तथा विधान

(१) डा० बृजेन्द्र स्वरूप
(२) श्री विश्वनाथ
(३) श्रीमती सावित्री श्याम

(१२) कृषि

(१) श्री लाल सुरेश सिंह
(२) श्री महफूज अहमद किदवई
(३) श्री राम नन्द सिंह

(१३) आबकारी

(१) श्री वंशीधर शुक्ल
(२) श्री इन्द्र सिंह नयाल
(३) श्री राम नारायण पान्डेय

(१४) जेल

(१) श्री बालक राम वैश्य
(२) श्री कृष्ण चन्द्र जोशी
(३) श्री सभापति उपाध्याय

(१५) चिकित्सा

(१) श्रीमती तारा अग्रवाल
(२) डा० वीरभान भाटिया
(३) श्री एम० के० मुकर्जी

(१६) स्वशासन

(१) श्री नरोत्तमदास टंडन
(२) श्री (हकीम) बृजलाल वर्मन
(३) श्री पीताम्बर दास

(१७) सूचना

(१) श्री हयातुल्ला अन्सारी
(२) श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल
(३) श्री वीरेन्द्र स्वरूप

(१८) रसद

(१) श्री इन्द्र सिंह नयाल
(२) श्री राय उमानाथ बली
(३) श्री मुहम्मद नसीर

(१९) पुलिस

(१) श्री प्रभु नारायण सिंह
(२) श्री शिव प्रसाद सिन्हा
(३) श्री अजय कुमार बसु

(२०) यातायात

(१) श्री हृदय नारायण सिंह
(२) श्रीमती सावित्री श्याम
(३) श्री खुशाल सिंह

(२१) उद्योग

(१) श्री निजामुद्दीन
(२) श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार
(३) श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी

(२२) नियोजन

(१) श्रीमती शान्ति देवी अग्रवाल
(२) श्री प्रताप चन्द्र आजाद
(३) श्री जगन्नाथ आचार्य

(२३) सहकारी

(१) श्री अब्दुल शकूर नजमी
(२) श्री प्रेम चन्द्र शर्मा
(३) श्री पन्ना लाल गुप्त

(२४) समाज कल्याण

(१) श्री तेलू राम
(२) श्रीमती महादेवी वर्मा
(३) डा० प्यारे लाल श्रीवास्तव

(२५) राष्ट्रीय इम्प्लायमेंट सेवा

(१) श्री उमा शंकर सिंह
(२) श्री बालक राम वैश्य
(३) श्री विश्वनाथ

सदन का कार्यक्रम

श्री चेयरमैन—कल ११ बजे से इंडियन डाईवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन बिल) १९५७ लिया जायेगा और उसके बाद फूड सिचुयेशन पर डिस्कशन होगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण—फूड सिचुयेशन पर तो बहस हो चुकी है, मेरा तात्पर्य यह था कि इससे जो परिस्थिति पैदा हो गई है उन दो तीन चीजों पर विचार होगा।

श्री चेयरमैन—हां।

अब कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ३० अगस्त, १९५७ को ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ :
दिनांक ७ भाद्र, शक संवत् १८७९
२९ अगस्त, १९५७ ई०

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पृष्ठ ६२६ पर)

अलीगढ़ जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनने वाली सड़कों का विवरण
(क) चालू योजनायें (प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधूरे कार्य)

सड़क का नाम	कुल लम्बाई मील	अनुमानित लागत	लम्बाई जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित लागत
१	२	३	४	५
(अ) भारी यातायात वाले मीलों का आधुनीकरण व सुधार				
		रु०		रु०
(१) अलीगढ़–टप्पल मील १ से १५	१५	४,१३,०००	१२ मील २ १/२ फर्लांग	२,६६,७००
(२) अलीगढ़–टप्पल मील १७ से १८	२	३८,८००	२ मील	१३,११६
(३) अलीगढ़–अतरौली	४	१,००,०००	४ मील	८६,०००
(४) बरेली–मथुरा	१२	३,१२,०००	१२ मील	२,५१,८९०
(ब) ओ० डी० आरस का पक्का करना				
(१) गोमत बजना नोह मील	५ १/४मील	१,०१,०००	५ १/४ मील (टोप कोट के कार्य के लिये)	१२,२८६
			योग (क)...	६,२९,९९२

(ख) नई योजनायें—

सड़क का नाम	लम्बाई	अनुमानित लागत
(अ) स्थानीय पक्की सड़कों का पुनर्निर्माण		
	मी० फ० फु०	रु०
(१) अगसौली रेलवे स्टेशन करचौरा	३ ५ ४१०	
(२) सिकन्द्राराव पुरदिलनगर	१ ७ ०	
(३) सासनी रेलवे फीडर	३ ० ०	२,८९,०००
(४) अगसौली रेलवे फीडर	१ ० ०	
(ब) भारी यातयात वाले मीलों का आधुनीकरण व सुधार	८ मील	२,२४,०००
(स) नव-निर्माण		
(च) नई पक्की सड़कें		
(१) अतरौली–कासगंज पी० एच०	१८ ० ०	९,००,०००
(छ) ओ० डी० आरस तथा वी० आरस का पक्का करना		
(२) टप्पल जीवर	३ ३ ०	१,२२,०००
योग (ख) ..		१५,३५,०००
योग (क) .. (ख)		२१,६४,९९२

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २३ का उत्तर पृष्ठ ६२८ पर

जिला बोर्डों द्वारा दिये गये सूत दान का विवरण

जिला बोर्डों का नाम			सूत का वजन			सूत का मूल्य	
			मन	सेर	छटांक	रु०	नये पैसे
(१) बरेली	...	...	...			३३०	
(२) कानपुर	...	...	१२	१४	८	९८८	५०
(३) इलाहाबाद	...	...	...			७,३००	
(४) बांदा	...	...	६	८		६६६	५०
(५) जालौन	...	...	—	४	१० १/२	११	
(६) बलिया	...	...	१०८४ घुण्डियां			२०३	२५
(७) सीतापुर	...	...	—	२६	१४	५५	
(८) बहराइच	...	...	—	१५	१४	४२८	
(९) हरदोई	...	...	—	११	४ १/५	...	
(१०) सुल्तानपुर	...	...	स्कूलों को रूई दी गई, जिसका हिसाब नहीं रखा गया।				

बोर्डों की सूची, जिन्होंने अध्यापकों व विद्यार्थियों से एकत्र किया गया सूत दान में दिया तथा जिस पर उनका अपना कोई भी व्यय नहीं हुआ

(१) शाहजहांपुर	...	...	...	...
(२) इटावा	...	...	मन सेर १४ ३३	...
(३) जौनपुर	...	...	...	...
(४) रायबरेली	...	...	२७, ६७२ लच्छियां	...
(५) खीरी	...	...	...	...

जिला बोर्डों का नाम			सूत का वजन	सूत का मूल्य
(६) अलीगढ़	...	...	१ मन	...
(७) अल्मोड़ा	...	...	...	३० रु०
(८) बदायूं	..	...	...	...
(९) फैजाबाद	...	...	४ मन (१९५६) में ८ मन (१९५७) में	...
(१०) मुजफ्फरनगर	...	...	...	...
(११) बाराबंकी	...	...	२१ सेर १४ छटांक	२१ रु० ८७ न० पै०
(१२) मुरादाबाद			२ मन ३ सेर १२ छटांक	

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २४ का उत्तर पृष्ठ ६२८ पर)

वित्तीय वर्ष १९५६-५७ की स्थायी समितियों की बैठकों में हुये व्यय का विवरण

समिति का नाम				व्यय
				रु०
(१) श्रम	...	...	विभाग की समिति	२९.००
(२) सार्वजनिक निर्माण	...	...	,, ,,	३०.००
(३) हरिजन सहायक	...	...	,, ,,	४१०.१६
(४) न्याय	..	...	,, ,,	२९७.६९
(५) स्वशासन	...	...	,, ,,	१७९.८७
(६) सहायता तथा पुर्नवास	...	...	,, ,,	१,१३८.२५
(७) शिक्षा	...	...	,, ,,	२६.००
(८) वन	...	...	,, ,,	३,४८२.८४
(९) कृषि तथा पशुपालन	..	...	,, ,,	३५.००
(१०) उद्योग	..	...	,, ,,	२,५५४.१२
(११) आबकारी	...	...	,, ,,	१,२०९.५७
(१२) परिवहन	..	...	,, ,,	४१७.७५
(१३) गृह	...	...	,, ,,	७३.६९
			योग	... ९,८८३.९४

नत्थी-'घ'

१९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक
(एप्रोप्रियेशन बिल)

(जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

३१ मार्च, १९५८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रियेशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम।

१—यह अधिनियम १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५७-५८ के लिये २,०२,०८,-१६,००० रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से जिन सबका कुल योग [जिसके अन्तर्गत १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४,१९५७) की अनुसूची के स्तम्भ ३ में निर्दिष्ट धनराशियां भी हैं] २,०२,०८,१६,००० रु० (दो सौ दो करोड़ आठ लाख सोलह हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग।

३—इस अधिनियम द्वारा प्रदेश की संचित निधि में से, जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
१	कृषि आयकर (एग्रीकलचरल इन्कम टैक्स) की उगाही (कलेक्शन) पर व्यय	२,७९,२००	...	२,७९,२००
२	मालगुजारी (भू-राजस्व) ...	५,५०,१२,८००	...	५,५०,१२,८००
३	राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज) ...	१,१४,१२,६००	...	१,१६,१२,६००
४	स्टाम्प ...	६,६२,७००	...	६,६२,७००
५	वन (फारेस्ट) ...	२,१५,७४,७००	२८,४००	२,१६,०३,१००
६	रजिस्ट्री ...	१५,८५,४००	...	१५,८५,४००
७	मोटरगाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय ...	१,१९,८३,०००	...	१,१९,८३,०००
८	अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय ...	४८,४१,५००	१०,०००	४८,५१,५००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (ईरिगेशन) के निर्माण कार्य	४,३१,५१,९००	...	४,३१,५१,९००
१०	सिंचाई (ईरिगेशन) स्थापना पर व्यय ...	३,८२,८६,४००	...	३,८२,८६,४००
११	इंजीनियरिंग की संस्थायें ...	६७,००,२००	...	६७,००,२००
१२	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय ...	२,८४,२२,२००	१२,४०,०००	२,९६,६२,२००
१३	कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय ...	३,०६,४८,४००	...	३,०६,४८,४००
१४	गांव सभायें और पंचायतें ...	१,०८,४४,३००	...	१,०८,४४,३००
१५	न्याय प्रशासन (ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस) ...	१,३९,१९,९००	२७,५१,३००	१,६६,७१,२००
१६	जेल ...	१,४४,८०,८००	...	१,४४,८०,८००
१७	पुलिस ...	९,२४,७८,९००	...	९,२४,७८,९००
१८	शिक्षा ...	१५,१४,५८,०००	...	१५,१४,५८,०००

१९	चिकित्सा (मेडिकल)	...	४,१५,२२,७००	...	४,१५,२२,७००
२०	जन स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)	...	१,६७,७६,८००	...	१,६७,७६,८००
२१	कृषि संबंधी विकास इंजीनियरिंग और खोज (एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंजीनियरिंग ऐण्ड रिसर्च)		३,३२,१४,५००	४४,१००	३,३२,५८,६००
२२	उपनिवेशन (कालोनाइजेशन)	...	७१,९६,६००	...	७१,९६,६००
२३	पशु–चिकित्सा (वेटेरिनरी)	...	१,८३,२५,०००	...	१,८३,२५,०००
२४	विद्युत् योजनाओं पर व्यय	...	२,८२,०८,०००	...	२,८२,०८,०००
२५	विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय	...	१,४२,४२,४००	...	१,४२,४२,४००
२६	सहकारिता के आधार पर ऋण	...	१,५५,७९,३००	...	१,५५,७९,३००
२७	उद्योग	...	५,६९,२२,६००	२,०००	५,६९,२४,६००
२८	श्रम (लेबर) और संख्या	...	१,१६,५९,६००	१,०००	१,१६,६०,६००
२९	परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) विभाग	...	५,१२,९६,२००	५६,०००	५,१३,५२,२००
३०	सूचना संचालक का कार्यालय	...	४७,४६,०००	...	४७,४६,०००
३१	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	...	४,१३,९४,८००	२,२२,२००	४,१६,१७,०००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
३२	यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)	३६,५६,२००	...	३६,५६,२००
३३	सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय ...	७१,२५,२००	...	७१,२५,२००
३४	नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रान्ट्स इन एड आफ सिविल वर्क्स)	१,१९,८९,४००	...	१,१९,८९,४००
३५	दुर्भिक्ष सहायता (फेमिन रिलीफ) ...	१९,६७,९००	१६,००,०००	३५,६७,९००
३६	प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें ...	११,१२,१००	...	११,१२,१००
३७	वृद्धौती (सुपरिएनुएशन) भत्ते और पेंशनें ...	२,०२,५८,७००	१२,४५,४००	२,१५,०४,१००
३८	लेखन सामग्री (स्टेशनरी और छपाई) ...	१,३०,५४,२००	...	१,३०,५४,२००
३९	विविध व्यय (मिसलेनियस चार्जेज) ...	३,४३,१६,२००	१००	३,४३,१६,३००

४०	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान	...	९५,५५,३००	...	९५,५५,३००
४१	समाज कल्याण	...	७०,००,२००	...	७०,००,२००
४२	असाधारण व्यय (एक्स्ट्रा आर्डिनरी चार्जेज)	..	३५,८५,१००	१,१५,०००	३७,००,१००
४३	योजना और एकीकरण	...	८,८४,४४,९००	...	८,८४,४४,९००
	ऋण (डेट) और अन्य दायित्वों (आब्लीगेशन) पर ब्याज	...	...	९,३०,११,६००	९,३०,११,६००
	ऋण को कम करना (रिडक्शन) या उससे बचना (अवायडेंस)	...	...	२२,८४,६२,५००	२२,८४,६२,५००
४४	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट) के बाहर सिंचाई निर्माण तथा जल विद्युत् कार्यों का सम्पादन		१०,२०,६७,२००	...	१०,२०,६७,२००
४५	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत ((कैपिटल आउट ले)	...	९,९५,६९,०००	४,७९,९००	१०,००,४८,६००
४६	औद्योगिक विकास (इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट)	...	२,७५,१३,४००	...	२,७५,१३,४००
४७	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउट ले)	...	९,६०,५२,६००	३३,०००	९,६०,८५,६००
४८	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत	...	११,०८,८६,३००	...	११,०८,८६,३००
४९	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज), सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ ऐंड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत		१,६२,२३,८००	५०,०००	१,६२,७३,८००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
१	२		३	४	५
			रु०	रु०	रु०
५०	पेंशनों की संराशि (कम्यूटेड वैल्यू आफ पेंशन)	...	१९,७५,०००	६०,४००	२०,३५,४००
५१	राज्य व्यापार (स्टेट ट्रेडिंग) की योजनाएं	...	६,४७,९५,९००	...	६,४७,९५,९००
	पूंजी से की गई निक्षेप निधि का विनियोग	...	...	२,०९,००,०००	२,०९,००,०००
५२	व्याज वाले ऋण और अग्रऋण (एडवान्सेज)	...	७,०९,२७,३००	...	७,०९,२७,३००
	योग	...	१,६७,०५,०३,१००	३५,०३,१२,९००	२,०२,०८,१६,०००

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार विधान सभा द्वारा अनुदानों के स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों के लिये, जो धन अपेक्षित है उसका विनियोग उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से हो सके।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—१४३ एल० सी०—१९५८—८२० (प्रो०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

शुक्रवार, ८ भाद्र, शक सम्वत् १८७९
(३० अगस्त, सन् १९५७ ई०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे श्री चैयरमैन (श्री चन्द्र भाल) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (५७)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमा नाथ बली, श्री
उमा शंकर सिंह, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महाबीर सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगदीश चन्द्र वर्मा, श्री
जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
नरोत्तम दास टन्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पीताम्बर दास, श्री
पुष्कर नाथ भट्ट, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
मदन मोहन लाल, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम गुलाम, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पांडेय, श्री
राम लखन, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विजय आफ विजयानगरम, महाराजकुमार, डाक्टर
विश्वनाथ, श्री
ब्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार इन्द्र सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मंत्री, राज्य मंत्री व उप-मंत्री, जो कि विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे :--

डाक्टर सम्पूर्णानन्द (मुख्य व नियोजन मंत्री)।
श्री सैयद अली जहीर (न्याय, बन, खाद्य व रसद मंत्री)।
श्री कैलाश प्रकाश (शिक्षा उप मंत्री)।
श्री राम मूर्ति (सिंचाई राज्य मंत्री)।
डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी (स्वास्थ्य उप-मंत्री)।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान से आये हुए दिनांक १५-७-५७ तक व्यक्तियों की संख्या

*१---श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने व्यक्ति पाकिस्तान से आये हुए इस समय (१५-७-५७) मौजूद हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश (शिक्षा उप-मंत्री)---१३,८५० ।

*२---श्री प्रताप चन्द्र आजाद---(क) क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त व्यक्तियों में से कितने ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी है ?

(ख) क्या सरकार उपर्युक्त व्यक्तियों की जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश---वांछित सूचना देना जनहित में न होगा।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन लोगों के पास पोर्ट की मियाद समाप्त हो गयी है उनकी संख्या बतलाना भी जनहित में उचित नहीं होगा ?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री प्रताप चन्द्र आजाद---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जिन लोगों के पासपोर्ट की मियाद समाप्त हो चुकी है क्या वे यहां पर अधिक दिनों तक रह सकते हैं और क्या कानून में इस तरह का कोई प्राविजन है ?

श्री चेयरमैन---यह तो आप कानूनी व्यवस्था के संबंध में पूछ रहे हैं।

श्री पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि पासपोर्ट की मियाद कितने दिनों की होती है ?

श्री चेयरमैन---यह तो आप रूल्स में देख लीजिए।

श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)---क्या यह सच है कि इस प्रकार की कोई सूचना असेम्बली में दी जा चुकी है ?

श्री चेयरमैन---असेम्बली की कार्यवाही के सम्बन्ध में यहां सूचना नहीं पूछी जा सकती।

श्री कुंवर गुरु नारायण---(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---सरकार को जिलेवार सूचना देने में क्या आपत्ति हो सकती है जबकि पूरी संख्या दी हुई है।

श्री चेयरमैन--यह तो राय की बात है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमन्, पूरे प्रदेश के फीगर्स तो इसमें दिये गये हैं तो फिर जिलेवार के फीगर्स जानने का हमें क्यों अधिकार नहीं है ?

श्री चेयरमैन--क्यों का तो सवाल ही नहीं है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमन्, उत्तर में बतलाया गया है कि १३,८५० आदमी ऐसे हैं और हम जिलेवार जानना चाहते हैं तो फिर इसमें जनहित की बात क्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, बात यह है कि जो सूचना दी गयी है १३,८५० आदमियों की वह यह है कि इतने पाकिस्तान से आये हुए व्यक्ति मौजूद हैं, लेकिन दूसरे प्रश्न में यहां पर जिलेवार सूचना मांगी गयी है उन आदमियों की, जिनके पासपोर्ट की मियाद समाप्त हो चुकी है। यदि यह प्रश्न पहले किया गया होता तो मैं बतला सकता था, इसलिये इस प्रश्न के लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या इस समय यह बतलाना सम्भव होगा कि किन जिलों में इस प्रकार के कोई व्यक्ति नहीं हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--इस समय तो मैं नहीं बतला पाऊंगा।

*३--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिन व्यक्तियों के पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी है उनके संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश--वांछित सूचना देना जनहित में न होगा।

*४--७--श्री हृदय नारायण सिंह--स्थगित।

*८--१६--श्री हृदय नारायण सिंह--(यह प्रश्न वर्तमान सत्र के तीसरे सोमवार के लिये, प्रश्न संख्या ६--१४ के रूप में रक्खे गये।)

प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के प्रत्येक उप-संचालक, शिक्षा विभाग के पास दिनांक १५-७-५७ तक आर्बिट्रेशन बोर्ड के विचाराधीन मामलों की संख्या

*१७--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के प्रत्येक डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन के पास कितने Arbitration Board के मामले इस समय (१५-६-५७) पड़े हुए हैं और ये मामले कितने दिनों से विचाराधीन हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--सूचना संलग्न सूची* में प्रस्तुत है।

श्री हृदय नारायण सिंह--जो उत्तर दिया गया है उससे विदित होता है कि इलाहाबाद में दो केसेज सन् १९५१ और १९५३ से चल रहे हैं तो इनका अभी तक फैसला न होने का क्या कारण है ?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, कारणों की सूची तो मेरे पास बहुत लम्बी-चौड़ी है, यदि माननीय सदस्य चाहें तो मेरे कमरे में आकर मुझसे इस बात को पूछ लें।

---

*देखिए नत्थी "क" पृष्ठ ७५५ पर

श्री हृदय नारायण सिंह--मामले किस अवधि के भीतर तय हो जायं, क्या सरकार इसके लिये कुछ आदेश वगैरह जारी करने के बारे में सोच रही है?

श्री कैलाश प्रकाश--सरकार की इच्छा है कि जो मामले शिक्षकों के संबंध में हैं वह शीघ्रातिशीघ्र तय कर दिये जायं, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि यह मामले स्वतंत्र प्रबन्धक समितियों से संबंधित रहते हैं, उनको भी अपनी बात का स्वतंत्र अधिकार होता है, इस सिलसिले में कभी-कभी बहुत देर लग जाती है और बहुत-सी कानूनी पेचीदगियां हो जाती हैं इसलिये उसमें समय लग जाता है। सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि उनकी तरफ से जितने शीघ्र मामले निबटाये जा सकें, निबटाये जायं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--सरकार जो प्रयत्न कर रही है क्या माननीय मंत्री महोदय उस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि क्या प्रयत्न सरकार इसके लिये कर रही है?

श्री कैलाश प्रकाश--सरकार ने अपने जो अधिकारी है, उप-शिक्षा संचालक और जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उन सब को यह बात कही है कि जो शिक्षकों के मामले उनको शीघ्र समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या यह बात सत्य है कि ऐसे मामलों को शीघ्र निबटाने के लिये सरकार का इरादा हेडक्वार्टर पर स्पेशल आफिसर नियुक्त करने का है?

श्री कैलाश प्रकाश--उससे कोई विशेष लाभ नहीं महसूस होता है।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या यह सत्य है कि जो डिप्टी डाइरेक्टर्स हैं उनकी ओर से कुछ सुझाव आये हैं कि जो मैनेजमेंट्स से इन्फारमेशन मांगी जाती है और वह ६ महीने के अन्दर न आये तो वह मामला बिना किसी प्रकार की सूचना प्राप्त किये ही दूसरी प्राप्त सूचनाओं के आधार पर फैसले कर दिये जायं?

श्री कैलाश प्रकाश--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी क्योंकि सुझाव तो वैसे आते ही रहते है।

प्राइमरी तथा जूनियर स्कूलों के अध्यापकों के वेतन के विषय में केन्द्रीय सरकार की सिफारिश

*१८--**श्री हृदय नारायण सिंह**--(क) क्या यह ठीक है कि प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार की इस सिफारिश को मान लिया है कि प्राइमरी तथा जूनियर स्कूलों के किसी अध्यापक का वेतन प्रतिमास ४० रु० से कम न हो?

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश को कब से कार्यान्वित किया जायगा और आरम्भ में इस पर कितना धन लगेगा?

श्री कैलाश प्रकाश--(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या सरकार के सामने केन्द्रीय सरकार की तरफ से प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन को बढ़ाने के संबंध में कोई सुझाव विचाराधीन है?

श्री कैलाश प्रकाश--सरकार की सदैव यह इच्छा रहती है कि प्राइमरी के शिक्षकों को उचित वेतन मिल सके और उनका वेतन सरकार ने बढ़ाया भी है। उनको एक वेतन-क्रम दिया गया है इसके अतिरिक्त भी उनके भत्ते में ५ रुपया महीना और बढ़ोत्तरी कर दी गयी है और उनका जो वेतन है वह बजाय ३५ के अब ४१ कर दिया गया है और यह सब चीजें सरकार के विचार के बाद ही हुई हैं और सरकार सदैव ही तैयार रहती है कि उनको सुविधा दी जाय।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि यह सब कुछ करने के बाद भी केन्द्रीय सरकार की ओर कोई सुझाव और आये हैं, हाल ही में, जो कि सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--मेरे विचार में इन सब चीजों के करने के बाद में कोई सुझाव नहीं आये हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह--मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता था कि अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि उनका वेतन ३५ रुपये से ४१ रुपया कर दिया गया है तब तो हमने जो सूचना मांगी है, वह सम्पन्न हो जाती है, जैसा कि आपको विदित होगा कि प्रश्न में भी इसी ४० रुपये के ऊपर संकेत किया गया है और माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि ३५ से ४० कर दिया गया है तो इसके माने यह हुए कि जो सूचना हम मांगना चाहते थे वह पूरी हो गयी है ?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, इसमें उत्तर दिया गया है "जी नहीं" और उसका कारण यह है कि बहुत से अनट्रेन्ड टीचर्स रहते हैं तो उन टीचरों को भी ४१ रुपये का वेतन नहीं दिया जा सकता है, इसलिये प्रश्न का उत्तर जी नहीं में दिया गया है।

श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ऐसे अध्यापक अभी तक कितने होंगे, जिनको ४० रुपये से कम वेतन मिलता है ?

श्री चेयरमैन--शायद यह सवाल मूल प्रश्न के उत्तर से नहीं निकलता है।

श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल--श्रीमान्, सरकार ने जो उत्तर दिया है उससे यह सवाल निकलता है।

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमान, यह तो आंकड़ों का सवाल है, जो सारे प्रदेश से जमा करने होंगे, इसलिये इस समय इसका उत्तर देना संभव नहीं होगा।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा तीन वर्षीय डिग्री कोर्स का सुझाव देना

*१९--**श्री हृदय नारायण सिंह**--(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेशीय सरकार के पास Three-years Degree Course के लिये कोई पत्र भेजा है ?

(ख) उस पत्र का क्या आशय है ?
(ग) क्या उक्त सुझाव को प्रादेशिक सरकार ने मान लिया है ?
(घ) यदि हां, तो उसे कार्यान्वित करने का विचार कब से है ?
(ङ) उस पर आरम्भ में कितना व्यय होने की संभावना है ?

श्री कैलाश प्रकाश--(क) जी हां।

(ख) उस पत्र में भारत सरकार ने तृतीय वर्षीय डिग्री कोर्स को अपनाने का प्रस्ताव भेजा है और यह सूचित किया है कि Three-years Degree Course Estimates Committee ने इस प्रस्ताव को कार्यान्वित किये जाने पर होने वाले व्यय पर अपनी आख्या प्रस्तुत कर दी है, जो केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है। सम्पूर्ण आख्या पर विचार करने के बाद वह उत्तर प्रदेश सरकार को इस संबंध में लिखेंगे।

(ग) चूंकि उक्त सुझाव के साथ कई प्रश्न और सम्मिलित हैं जैसे त्रिवर्षीय माध्यमिक कोर्स का भी लागू किया जाना और क्योंकि भारत सरकार का स्वयं निश्चित निर्णय जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, अभी नहीं हुआ है उसके मान लेने का प्रश्न नहीं उठता। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन ने स्वयं शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक त्रिवर्षीय डिग्री तथा त्रिवर्षीय माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम समिति नियुक्ति की है, जो प्रश्न के प्रत्येक पहलू पर जांच कर रही है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आरम्भ में अनुमानित व्यय १,१३,८९,००० रुपये आवर्त्तक तथा ५,४७,७५,००० रुपये अनावर्त्तक होने की संभावना है।

श्री हृदय नारायण सिंह--माननीय मंत्री जी ने जो उक्त प्रश्न के (ग) भाग के उत्तर में बतलाया है कि शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की गयी है, तो क्या सरकार यह बतलायेगी कि यह समिति कब नियुक्त की गयी है, इसके कौन कौन से सदस्य हैं, उसकी बैठक कब हुई और उसकी रिपोर्ट की कब तक आशा की जाती है?

श्री कैलाश प्रकाश--कौन कौन से सदस्य हैं और उनकी कब नियुक्ति हुई है इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है, रिपोर्ट के लिये यह आशा की जाती है कि वह शीघ्र ही आ जायेगी।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रदेशीय सरकार ने त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स को नहीं माना है, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने हाल के भाषण में कहा है और क्या यह बात भी सही है कि प्रदेशीय सरकार ने अपना मत केन्द्रीय सरकार के सामने प्रकट कर दिया है?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, यह बात सही है। जैसा कि प्रश्न से स्पष्ट है कि अभी प्रदेशीय सरकार ने त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स को नहीं माना है और यह बात भी सही है कि इस चीज को प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार और प्लानिंग कमीशन के सामने रखा है।

श्री हृदय नारायण सिंह--यह जो उक्त प्रश्न के (ङ) भाग के उत्तर में कहा गया है कि १,१३,८९,००० रुपया आवर्त्तक व्यय होगा, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो संस्थाओं द्वारा खर्च होता है वह भी इसमें शामिल है या इसको केवल गवर्नमेंट के अनुदान के रूप में ही प्राप्त करना पड़ेगा?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमान्, इसका अभी अनुमान नहीं लगाया गया है। आज हमारे यहां जो डिग्री कालेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, हाई स्कूल्स हैं और इन्टरमीडिएट कालेज हैं, उन सब की व्यवस्था बदलनी होगी और उन सब को बदलने में जितना खर्च होगा उसका यह अनुमान है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह आंकड़े किस तरह से प्राप्त हुए हैं और देशमुख कमेटी का जो स्टीमेट १५ लाख रुपये का है, तो क्या उसका इससे कुछ संबंध है ?

श्री कैलाश प्रकाश--सरकार के पास वह आंकड़े भी आये हैं जो देशमुख कमेटी ने रखे हैं, किन्तु इन आंकड़ों का उनसे कोई संबंध नहीं है। यह आंकड़े तो सरकार ने अपने यहां से जमा किये हैं। सरकार ने एक सवर्षीय डिग्री कोर्स के लिये एक कमेटी नियुक्त की है उसने इन आंकड़ों को इकट्ठा किया है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा ४० (१) के अन्तर्गत बनने वाले प्रथम परिनियम

*२०--**श्री हृदय नारायण सिंह**--(क) क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट, १९५६ की धारा ४० (१) के अन्तर्गत प्रथम परिनियम बन गये या नहीं ?

(ख) ये कब तक सदन के सम्मुख उपस्थित किये जायेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश--(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या यह सच है कि स्टेट्यूट्स बनाने के लिये कोई नियुक्त किया गया था ?

श्री कैलाश प्रकाश--केवल परिनियम बनाने के लिये किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन यूनिवर्सिटी के संबंध में जो सरकार को कार्य करना था उस कार्य को करने के लिये और परामर्श लेने के लिये नियुक्ति हुई थी।

श्री हृदय नारायण सिंह--स्टेट्यूट्स बनाने का काम किसी को दिया गया है या नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश--परिनियम बन रहे हैं और जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हैं, उनके परामर्श से ही वे बन रहे हैं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कब तक इनके बन जाने की आशा की जा सकती है ?

श्री कैलाश प्रकाश--कोई निश्चित तिथि तो मैं नहीं बतला सकूंगा, लेकिन शासन की यह कोशिश है कि वे शीघ्र ही बनें।

वैभागिक नियमों के अन्तर्गत प्राविडेंट फन्ड योजना लागू न करने वाले उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की जिलेवार संख्या

*२१--**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--क्या सरकार जिलेवार उन उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या देगी जहां कि वैभागिक नियमों के अन्तर्गत प्राविडेंट फंड की योजना लागू नहीं होती है ?

*21. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Will the Government give district-wise number of those Higher Secondary Schools where Provident Fund Scheme does not operate according to departmental rules ?

श्री कैलाश प्रकाश--वैभागिक नियमानुसार प्राविडेन्ट फन्ड योजना सब सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लागू है।

Sri Kailash Prakash—According to departmental rules Provident Fund Scheme operates in all the Aided Higher Secondary Schools.

*२२—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—क्या सरकार उन संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही करने जा रही है, जो कि शिक्षा संहिता में निर्दिष्ट प्राविडेन्ट फन्ड के विषय में नियमों का पालन नहीं करती हैं ?

*22. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Are the Government going to take action against those institutions, which do not comply with the rules laid down in the Education Code regarding Provident Fund ?

श्री कैलाश प्रकाश—जो मामले उसकी जानकारी में लाये जायेंगे सरकार उचित कार्यवाही कर सकती है।

Sri Kailash Prakash—In specific cases brought to notice Government may take suitable action.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या यह सच है कि ऐसे बहुत से मामले विभाग के सामने पिछले दो वर्षों में रखे गये हैं जहां कि प्राविडेंट फन्ड नियमों के अनुसार लागू नहीं किये गये ?

श्री कैलाश प्रकाश—मुमकिन हो सकता है, लेकिन इस समय मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या सरकार इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—यदि माननीय सदस्य जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो सरकार ऐसा अवश्य करेगी।

२३—२९—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—स्थगित।

जिला कारागृह, मथुरा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्ध की शिकायतें

*३०—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—(क) क्या सरकार के पास हाल ही में जिला कारागृह, मथुरा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्ध के संबंध में कोई शिकायतें आई हैं ?

(ख) यदि हां, तो वे कब प्राप्त हुई और वे किस प्रकार की थीं ?

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही की है ?

(घ) यदि हां, तो क्या ?

*30. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Have the Government recently received any complaints of corruption and maladministration against the authorities of the District Jail in Mathura ?

(*b*) If so, when were they received and what was their nature ?

(*c*) Have the Government taken any action on these complaints ?

(*d*) If so, what ?

श्री कुंवर महावीर सिंह--(सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव)--(क) जी हां।

(ख) मई, १९५७ में शिकायतें बन्दियों या उनके रिश्तेदारों से धन वसूल करने के विषय में थीं।

(ग) जी हां।

(घ) खुफिया विभाग मामले की जांच कर रहा है। आगे की कार्यवाही जांच के परिणाम पर निर्भर होगी।

Sri Kunwar Mahabir Singh—(Sarvajanik Nirman Mantri Ke Sabha Sachiv)—(*a*) Yes.

(*b*) In May, 1957 the complaints are about extortation of money from prisoners or their relations.

(*c*) Yes.

(*d*) The matter is being enquired into by the C. I. D. and further action would depend on the result of the enquiries.

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि ऐसे कितने बन्दी थे जिनसे रुपया वसूल किया गया ?

श्री कुंवर महावीर सिंह--केवल एक ही शिकायत आई थी।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--एक ही जेल की या एक ही बन्दी की ?

श्री कुंवर महावीर सिंह--एक ही जेल से एक ही बन्दी के बारे में शिकायत आई थी, लेकिन जांच के दौरान में कुछ और भी शिकायतें मालूम पड़ीं और उनके बारे में जांच की जा रही है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--कितने केसेज सरकार के सामने जांच के दौरान में ऐसे आये ?

श्री कुंवर महावीर सिंह--चार मामले आये थे, लेकिन जब जांच की गई तो केवल दो ही मामले ऐसे दिखलाई दिये जो कार्यतलब हो सकते थे।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--प्रश्न (घ) के उत्तर के संबंध में क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि अभी तक कितने आफिसरों को ऐसे अपराध के संबंध में दंड दिया गया ?

श्री कुंवर महावीर सिंह--जैसा कि माननीय सदस्य को (घ) प्रश्न का जवाब दिया गया, तो उसमें लिखा हुआ है कि खुफिया विभाग मामले की जांच कर रहा है और उसके बाद ही इस पर निर्णय होगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या यह सच है कि कुछ ऐसे आफिसरों को अभी तक ससपेन्ड किया जा चुका है ? यदि हां, तो कहां और कितने ?

श्री कुंवर महावीर सिंह--तीन के लिये कुछ किया गया है, उनमें से एक डिप्टी जेलर हैं, एक वहां के क्लर्क हैं और एक असिस्टेंट जेलर हैं, जिसके मातहत तमाम जिम्मेदारी हैं।

सन् १९५७ की शताब्दी समारोह में क्षमा किये गये बंदियों की संख्या

*३१—श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या सरकार जिलेवार उन बन्दियों की संख्या देगी, जिनको कि १८५७ की शताब्दी समारोह के संबंध में उत्तर प्रदेश में क्षमा प्रदान की गई थी ?

*31. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Will the Government give the district-wise number of those prisoners who were granted amnesties during the recent 1857 Centenary Celebrations in Uttar Pradesh ?

श्री कुंवर महावीर सिंह—छोड़े गये बन्दियों की जिलेवार संख्या संलग्न तालिका* (क) में दी हुई है।

Sri Kunwar Mahabir Singh—31. List 'A' giving the number of prisoners granted amnesty in each district is attached.

*३२—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) क्या यह ठीक है कि कुछ जगहों में इस प्रकार की शिकायतें थीं कि इन बन्दियों से जेल अधिकारियों द्वारा रुपया वसूल किया गया ?

(ख) यदि हां, तो किन जगहों में और इन मामलों में कितने सरकारी कर्मचारी लिप्त थे ?

*32. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Is it a fact that there were complaints that in some places money was extracted from these prisoners by the Jail authorties ?

(*b*) If so, in which places and how many Government servants were involved in these affairs ?

श्री कुंवर महावीर सिंह—(क) इस तरह रिश्वत लेने की शिकायत केवल एक जेल से आई थी और मामले की समुचित जांच-पड़ताल हो रही है।

(ख) उक्त शिकायत मथुरा जिला कारागार से मिली थी और मामले में सम्मिलित कर्मचारियों की संख्या ४ है।

Sri Kunwar Mahabir Singh—(*a*) A complaint of alleged bribery for release was received only with regard to one jail and the case is under investigation.

(*b*) It was at District Jail, Mathura and the number of officials involved is four.

३३—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) क्या यह ठीक है कि यह बन्दी उन तारीखों पर नहीं रिहा किये गये जिन पर कि उनको रिहा करने का आदेश दिया गया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन बन्दियों की संख्या देगी जोकि नियत तारीख के बाद छोड़े गये ?

(ग) क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वे किस-किस तारीख को छोड़े गये ?

*33. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Is it a fact that these prisoners were not released on the dates on which they were ordered to be released ?

(*b*) If so, will the Government give the number of prisoners released after the scheduled date ?

(*c*) Will the Government also state the dates on which they were released ?

---

*देखिए नत्थी (क) पृष्ठ ७५६ पर।
*See Appendix 'A', on page 757

श्री कुंवर महावीर सिंह—(क) मुख्यतः कैदी निश्चित समय पर ही छोड़े गये। केवल कुछ मामलों में बाद को भी छोड़े गये।

(ख) ६२८।

(ग) तिथिवार संख्या संलग्न तालिका *(ख) में दी हुई है।

Sri Kunwar Mahabir Singh—(*a*) The prisoners were generally released on the due date except in a few cases.

(*b*) 628.

(*c*) A date-wise List† 'B' is attached.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—ये जो प्रिजनर्स निश्चित तिथियों के बाद छोड़े गये तो जिनके बारे में यह शिकायत है उन जेलों में क्या कार्यवाही की गई, इस अनियमितता के लिये ?

श्री कुंवर महावीर सिंह—मथुरा को छोड़ कर कहीं से ऐसी शिकायत नहीं आई।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—मंत्री जी ने कहा है कि बहुत सी जेलों से तारीखों के बाद कैदी छोड़े गये। तो केवल यह मथुरा के लिये ही क्यों कहा जा रहा है ?

श्री कुंवर महावीर सिंह—ऐसी शिकायतें दूसरी जगहों से नहीं आई हैं। अभी कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल—मेरा प्रश्न है कि जो अनियमितता हुई है उस पर सरकार कोई कार्रवाई करेगी।

श्री कुंवर महावीर सिंह—सदस्य साहब का सवाल दूसरी चीज को मिलाते हुए है। जो माननीय सदस्य साहब ने सवाल पूछा था वह दूसरी चीज से सम्बन्ध रखता है। आप जो कह रहे हैं वह दूसरी चीज है। इसका जवाब यह है कि कई कारण थे जिनकी वजह से देर हो गई। एक तो कारण यह था कि यह जो आर्डर निकले थे कि वे तीन मई को सरकार की तरफ से निकाले गये थे। फिर उनको स्कुटिनाइज करना पड़ता है। हजारों जेल वासियों का सवाल था। उनकी स्कुटिनी में समय लगा। फिर फाइनल अप्रूवल के लिये वे केसेज भेजे जाते हैं।

डा० ईश्वरी प्रसाद—यह रिश्वत की जो शिकायत आई उसमें कितना रुपया लिया गया ?

श्री कुंवर महावीर सिंह—उसमें २०० रुपये का सवाल था।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—जो शिकायतें बाद में आई जो केसेज गवर्नमेंट को मिले उनमें कितनी रकम रिश्वत में दी गई ?

श्री कुंवर महावीर सिंह—यह मसला इतना आसान नहीं है। इसके बारे में काफी जानकारी की जरूरत है। यह मामला गुप्तचर विभाग को दे दिया गया है। उनकी रिपोर्ट आने पर कुछ कहा जा सकता है।

श्री हृदय नारायण सिंह—इन्क्वायरी के दौरान में जो जेलर या डिप्टी जेलर वहां थे इन्क्वायरी फैसिलिटेट हो सके उसके लिये क्या वे लोग सस्पेंड कर दिये गये हैं ?

श्री कुंवर महावीर सिंह—जी हां सस्पेंड कर दिये गये हैं।

---

*देखिए नत्थी "ख" पृष्ठ ७५८ पर।
†See Appendix 'B' on Page 759

*३४—३७—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(यह प्रश्न वर्तमान सत्र के तीसरे गुरुवार के लिये प्रश्न-संख्या १५—१८ के रूप में रक्खे गये।)

प्रदेशीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में ३ वर्ष के डिग्री कोर्स का पुरःस्थापित करने का फैसला

*३८—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) क्या यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश में ३ वर्ष के डिग्री कोर्स को पुरःस्थापित करने का फैसला कर लिया है?

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक पुरःस्थापित होने की संभावना है ?

*38. Sri Kanhaiya Lal Gupta—(a) Is it a fact that the Government of U. P. have decided to introduce the Three-Year Degree Course in Uttar Pradesh ?

(b) If so, when is it likely to be introduced ?

श्री कैलाश प्रकाश—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Sri Kailash Prakash—(a) No.

(b) The question does not arise.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—इस कोर्स को लागू न करने का जो फैसला कर लिया गया है क्या वह अंतिम फैसला है ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह तो रिपोर्ट का प्रश्न है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या प्रश्न ३८–३९ अलग-अलग पढ़े गये हैं ?

श्री चेयरमैन—प्रश्न संख्या ३८ का उत्तर हो चुका है अब प्रश्न ३९ सदन के समक्ष है। क्या आप ३८ के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री कन्हैया लाल गुप्त—जी हां, यदि आपकी आज्ञा हो।

श्री चेयरमैन—आप पूछ सकते हैं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार ने जो फैसला किया है वह अंतिम फैसला है ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन् सरकार ने अभी तक कोई फैसला किया ही नहीं है। "थ्री इयर्स डिग्री कोर्स" के सुझाव को माना ही नहीं है, क्योंकि कुछ कठिनाइयां हैं और वह कठिनाइयां गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने रखी गयी हैं।

श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—तो क्या यह समझा जाय कि वह होगा ही नहीं ?

श्री चेयरमैन—यह प्रश्न नहीं है। माननीय उप-मंत्री के कथन का अर्थ माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं।

*३९—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) तीन वर्ष के डिग्री कोर्स के लिये सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी ने क्या अपनी रिपोर्ट दे दी है ?

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें हैं ?

*39. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(a) Has the Committee appointed by the Government on Three-Years' Degree Course given its report ?

(b) If so, what are its recommendations ?

श्री कैलाश प्रकाश--(क) अभी नहीं।
(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Sri Kailash Prakash—(*a*) Not yet.
(*b*) Question does not arise.

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या जो कमेटी बैठी हुई है उसकी डिलीबरेशन्स के लिये कोई टाइम लिमिट मुकर्रर है ?

श्री कैलाश प्रकाश--शीघ्र ही उसकी रिपोर्ट आने वाली है।

प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा एवं प्रसार की विशेष जांच के लिये योजना

*४०--**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--क्या राज्य सरकार प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधाओं की आवश्यकताओं और विस्तार के प्रसार के लिये कोई विशेष जांच-पड़ताल करने की योजना बना रही है ?

*40. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Are the State Government planning to conduct any special survey regarding the need and scope for extension of Primary Education facilities in the State ?

श्री कैलाश प्रकाश--राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के पर्यवेक्षण की योजना बनाई गई है और उसके अन्तर्गत कार्य प्रारंभ हो चुका है।

Sri Kailash Prakash—A scheme of educational survey in the State has been drawn up and work under it has already started.

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या इसके लिये कोई समिति बनाई गई है या यह कार्य किसी अधिकारी को सौंपा गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश--यह सब कार्य विभाग के द्वारा हो रहा है। यह बात जरूर है कि एक पर्यवेक्षण सर्वे गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से हो रहा है और वहां एक अधिकारी को ट्रेनिंग के लिये भेजा गया है।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार इसमें कुछ नान-आफिशियल एजूकेशनिस्ट कोआपरेशन के लिये नामजद करना चाहती है ?

श्री चेयरमैन--चाहने का कोई सवाल नहीं है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या इस सर्वे को करने के लिये डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स, इलाहाबाद में जमा हुए थे ?

श्री कैलाश प्रकाश--इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--यह जो पर्यवेक्षण हो रहा है वह किन किन बातों को लेकर हो रहा है और इसके क्या उद्देश्य हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--एक पर्यवेक्षण प्रदेश की सरकार कर रही है और एक केन्द्रीय सरकार के द्वारा हो रहा है। जो प्रदेश के हाथ में है उसका खास मंशा यह था कि यह देखा जाय कि प्राथमिक शिक्षा की सुविधा कहां कहां हैं और जो सुविधायें हैं उनका कितना उपयोग किया जा रहा है। दूसरे यह कि जो आगे हम प्रसार करें उस प्रसार के करने में कहां कहां सुविधा होगी। इसके लिये कौन प्रावीजन किये जाने हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने पर्यवेक्षण की एक चार पांच साल की योजना बनाई है। भिन्न-भिन्न वर्षों में भिन्न-भिन्न चीजें वह लेगी। फिलहाल वह भी यह चाहती है कि आबादी देखी जाय और और यह देखा जाय कि कितनी शिक्षा की सुविधा और हो सकती है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--५६-५७ के बजट में ढाई लाख रुपया सर्वे के लिये रखा गया था। मैं जानना चाहता हूं कि सर्वे हुआ कि नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमान् सर्वे का काम हो रहा है।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या शिक्षा-प्रणाली के विषय में, इमारतों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की जायगी ?

श्री कैलाश प्रकाश--जो अब फिलहाल सर्वे हो रहा है वह तो बहुत सीमित है, लेकिन जो प्रश्न उपस्थित किया गया है उसके लिये मुझे यह कहना है कि केन्द्रीय सरकार की सर्वे की एक बड़ी लम्बी स्कीम है।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या इसके अन्तर्गत कोई क्वेश्चेनेयर इशू करने का इरादा है ?

श्री कैलाश प्रकाश--यह तो आंकड़े एकत्रित करने की बात है। मैं समझा नहीं कि किस रूप में क्वेश्चेनेयर माननीय सदस्य चाहते हैं। यदि एजूकेशनिस्ट का सहयोग मिल सके तो सरकार को कोई आपत्ति न होगी उसके लेने में।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--इस सर्वे के अन्दर शिक्षा के प्रसार का नेचर क्या होगा, ऐसी कोई बात है ?

श्री कैलाश प्रकाश--मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वे में कई योजनायें हैं। इस समय जो ३ महीने वाली बात मैंने बताई वह सीमित है, कहां सुविधा है और कहां करना है और कहां उपयोग हो रहा है।

४१--४३--श्री कन्हैया लाल गुप्त--(यह प्रश्न वर्तमान सत्र के तीसरे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ३--५ के रूप में रखे गये।)

जनता इन्टर कालेज लुम्ब, मेरठ की ग्रान्ट-इन-एड का अप्रैल सन् १९५६ से बन्द किया जाना

*४४--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या यह ठीक है कि जनता इंटर कालेज, लुम्ब, मेरठ, का ग्रांट-इन-एड अप्रैल, १९५६ से बन्द है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां।

*४५--श्री हृदय नारायण सिंह--उपर्युक्त ग्रान्ट Suspend होने के क्या कारण हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--ग्रान्ट Suspend होने के निम्नलिखित कारण हैं :--

(१) कालेज के दो अध्यापकों का अवैधानिक रूप से नौकरी से पृथक् किया जाना।

(२) कुव्यवस्था,

(३) अवैधानिक शुल्क लेना,

(४) कालेज के अधिकारियों द्वारा विभागीय आदेशों का पालन न करना।

श्री हृदय नाराण सिंह--यह जो अभियोग लगाया गया है उसको इनीशियेट किसने किया है ?

श्री कैलाश प्रकाश--इसमें कोई ऐसी सूचना है नहीं लेकिन स्पष्ट है कि अध्यापक जो अलग किये गये हैं उन्होंने इनीशियेट किया होगा।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितने अध्यापकों ने हटाये जाने पर अपील की ?

श्री कैलाश प्रकाश--इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये अध्यापक अवैधानिक रूप से हटाये गये।

डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स, मेरठ द्वारा खेल-कूद के लिये कुछ हायर सेकेन्डरी स्कूलों में वसूलयाबी

मूल संख्या १७ तारीख १९-७-५७

४६--श्री कन्हैया लाल गुप्त--(क) क्या यह ठीक है कि डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स, मेरठ ने कुछ सेकेन्डरी स्कूलों से खेल कूद के निमित्त पिछले तीन वर्षों में वसूलयाबी की?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक स्कूल से वसूल की गई वार्षिक रकम जो पिछले तीन वर्षों में वसूल की गई और जिस अधिकारी के द्वारा यह वसूलयाबी की गई, को बताने की कृपा करेगी?

(ग) क्या सरकार यह भी बतायेगी कि स्कूलों ने किस फन्ड या फन्ड्स से यह रकम दी है?

(घ) क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स, मेरठ द्वारा १९५४-५५ में इस वसूलयाबी के संबंध में भेजे गये पत्र की एक प्रतिलिपि, यदि कोई हो, को मेज पर रखने की कृपा करेगी?

Original no. 17 Date 19-7-57

*46. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Is it a fact that the District Inspector of Schools, Meerut, made realizations from certain Secondary Schools for purposes of sports and games during the last three years?

(*b*) If so, will the Government give the annual amount realized from each school during the last three years and also state the authority under which these realizations were made?

(*c*) Will the Government also state as to from which fund or funds the schools have paid these amounts?

(*d*) Will the Government place on the table of the House a copy of the letter, if any, sent out by the District Inspector of Schools, Meerut, about this realization in the year 1954-55?

श्री कैलाश प्रकाश--(क) जी हां। केवल १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में।

(ख) वसूलयाबी जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ द्वारा की गई। सूचना परिशिष्ट† 'ए' में प्रस्तुत है।

(ग) क्रीड़ा-कोष से।

(घ) पत्र की प्रतिलिपि परिशिष्ट‡ 'बी' में प्रस्तुत है।

Sri Kailash Prakash—(*a*) Yes, only during the year 1954-55 and 1955-56.

(*b*) These realizations were made by the District Inspector of Schools, Meerut. The information is enclosed as Appendix 'A'.‡

(c) From Gams Fund.

(d) A copy of the letter is enclosed as Appendix 'B'§

†देखिए नत्थी 'घ' पृष्ठ ७६० पर।

‡ See नत्थी (घ) ७६० on page 760

‡देखिए नत्थी "ङ" पृष्ठ ७६५ पर

§ See नत्थी (ङ) ७६५ on page 765

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या सरकार बतायेगी कि इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स द्वारा इस प्रकार की वसूलयाबी किस नियम के मातहत हुई ?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, इसमें नियम का तो कोई प्रश्न उठता नहीं है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या इस उत्तर से मैं यह समझूं कि सरकारी अफसरों को स्कूल फन्ड्स से इस तरह से रुपया लेने का हक है?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, सरकारी अफसरों के रूल अपेंडिक्स 'ई' में दिये हुए हैं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--अध्यक्ष महोदय, यह जो रुपया इस तरह से वसूल हुआ उसके संबंध में सरकार ने अपने अफसरों के पास यह हिदायत की है कि आइंदा इस तरह से वसूल न किया जाय, क्या यह सच है ?

श्री कैलाश प्रकाश--प्रश्न साधारण है इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। अगर कोई नियम विरुद्ध बात हुई होगी तो हिदायत दी गई होगी।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ५४ हजार रुपया वह कहां है और उसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या निश्चय किया है ?

श्री कैलाश प्रकाश--यह ५४ हजार किसी बैंक में जमा है। सरकार के निश्चय करने का अभी प्रश्न नहीं उठता है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--यह रुपया चूंकि स्कूलों से वसूल हुआ है और सरकार के पास उसके लिये कुछ रिप्रेजेन्टेशन आये हैं तो क्या सरकार उसके ऊपर कुछ कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

श्री कैलाश प्रकाश--जब रुपया सरकार के पास है और आवेदन-पत्र भी आये हैं तो उस पर विचार होगा।

आदि संख्या १८ तारीख १९-७-५७

*४७--श्री कन्हैया लाल गुप्त--(क) कथित डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने यह रकम किस प्रकार व्यय की ?

(ख) क्या एकाउन्ट्स की जांच पड़ताल (audit) की गई ?

(ग) यदि हां, तो किसके द्वारा ?

Original no. 18 Date 19-7-5

*47. Sri Kanhaiya Lal Gupta—(a) How was this money spent by the said District Inspector of Schools ?

(b) Were the accounts audited ?

(c) If so, by whom ?

श्री कैलाश प्रकाश--(क) यह खेल तथा युवक समारोह पर व्यय हुआ।

(ख) जी हां।

(ग) आडिटर के द्वारा।

Sri Kailash Prakash—(a) It was spent on Sport Youth Rallies.

(b) Yes.

(c) By an auditor.

श्री कन्हैया लाल गुप्त--यह कौन आडिटर था और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश--आडिटर का नाम बतलाने के लिये नोटिस चाहिये।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--और उसकी रिपोर्ट के बारे में क्या राय है ?

श्री कैलाश प्रकाश--आडिटर कौन है और उसकी रिपोर्ट क्या है। इसके लिये नोटिस चाहिये।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--क्या इन्स्पेक्टर से, जिससे जवाब तलब हुआ है, पूछा गया है कि कितनी रकम इकट्ठा की है?

श्री कैलाश प्रकाश--यह रकम जो है वह ऐनुवल स्पोर्ट्स के लिये है।

डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स द्वारा शिक्षा संचालक के आगमन के अवसर पर एवं झा मेमोरियल के निमित्त माध्यमिक स्कूलों से रकम का वसूल किया जाना

*४८--श्री कन्हैया लाल गुप्त--(क) क्या डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स, मेरठ द्वारा पिछले चार सालों में वहां पर डाइरेक्टर आफ एजूकेशन के आने के अवसर पर एवं झा मेमोरियल के नाम से एक मेमोरियल बनाने के लिये उस जिले के माध्यमिक स्कूलों से कोई रकम वसूल की गई थी?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन संस्थाओं के नाम और उनके साथ-साथ प्रत्येक स्कूल से वसूल किये गये चन्दे की रकम बताने की कृपा करेगी?

आदि संख्या *१९ तारीख १९-७-५७

*48. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**--(*a*) Was there any amount raised by the District Inspector of Schools, Meerut from the Secondary Schools in the district during the last four years on the eve of the visit of the Director of Education there and also to raise a memorial named "Jha Memorial"?

(*b*) If so, will the Government state the names of the institutions together with the amount of the contributions made by each school?

Original no. 19 Date 19-7-57

श्री कैलाश प्रकाश--(क) जी हां।

(ख) सूचना* परिशिष्ट 'सी' के रूप में प्रस्तुत है।

Sri Kailash Prakash--(*a*) Yes.

(*b*) The information is enclosed as †Appendix "C"

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या सरकार ने कोई ऐसा आर्डर जारी किया है कि कोई भी गवर्नमेन्ट आफिसर अपने मेमोरियल के लिये चन्दा नहीं करायेगा?

श्री चेयरमैन--यह कहां है?

श्री कन्हैया लाल गुप्त--डाइरेक्टर आफ एजूकेशन के मेमोरियल के लिये ५४ हजार रुपया चन्दा इकट्ठा किया गया है। यह प्रश्न है।

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, रूल स्पष्ट है कि:

"A Government Servant may with the previous sanction of the Government, ask for, or accept or participate in the raising of a subcription or other pecuniary assistance for a cheritable purpose connection with medical relief, education or other objects of public utility but it shall not be permissible for him to ask for subscription etc. for any other purpose.

---

*देखिए नत्थी 'च' पृष्ठ ७६७ पर।
†See nathi "च" on page 767

श्री चेयरमैन--अगर आप कोई और सूचना चाहते हैं तो पूछें।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या इसके बारे में गवर्नमेन्ट से इजाजत ली गई थी?

श्री कैलाश प्रकाश--इसके लिये नोटिस चाहिये, क्योंकि इस समय फाइल मेरे पास नहीं है।

आदि संख्या *२० तारीख १९-७-५७

*४९--श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स द्वारा इस सम्बन्ध में भेजे गये सरक्यूलर लेटर की एक प्रतिलिपि, यदि कोई हो, को मेज पर रखने की कृपा करेगी?

Original no. *20 Date 19-7-57

*49 Sri Kanhaiya Lal Gupta—Will the Government place a copy of the circular letter, if any, sent out by the District Inspector of Schools in this behalf ?

श्री कैलाश प्रकाश--डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने इस सम्बन्ध में कोई परिपत्र नहीं भेजा।

Sri Kailash Prakash—No circular letter was issued by the District Inspector of Schools.

*२१ १९-७-५७

*५०--श्री कन्हैया लाल गुप्त--इस प्रकार वसूल की गई रकम कुल कितनी थी और वह किस प्रकार प्रयोग की गई?

21 19-7-57

*50 Sri Kanhaiya Lal Gupta—What was the total amount so raised, and how was it utilized ?

श्री कैलाश प्रकाश--५४,३६१ रुपया १३ आना ९ पाई है। यह रकम अभी प्रयोग नहीं की गई है।

Sri Kailash Prakash—Rs, 54,361-13-9. It has not been utilized as yet.

*२२ १९-७-५७

*५१--श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या सरकार उस नियम की एक प्रतिलिपि, यदि कोई हो, जिसके अन्तर्गत ऐसे स्कूलों से रकम वसूल की जाती हो और उसका खर्चा किया जाता हो, सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

22 19-7-57

*51. Sri Kanhaiya Lal Gupta—Will the Government place on the table a copy of the rule, if any, which governs the realization and expenditure of such amounts from these schools ?

श्री कैलाश प्रकाश--ऐसे नियम की प्रतिलिपि परिशिष्ट *'डी' में प्रस्तुत है।

Sri Kailash Prakash—A copy of the rule is enclosed as Appendix 'D'.†

कान्स्ट्रक्टिव (लखनऊ) ट्रेन्ड सी० टी० या एल० टी० को दो एडवान्स इन्क्रीमेन्ट देने का नियम

*२५ १९-७-५७

*५२--श्री हृदय नारायण सिंह--(क) क्या यह ठीक है कि दो वर्ष के, जो कान्स्ट्रक्टिव (लखनऊ) ट्रेन्ड सी० टी० या एल० टी० हैं उन्हें दो एडवान्स इन्क्रीमेंट देने का कोई नियम विभाग या सरकार ने बनाया है?

---

* देखिये नत्थी 'छ' पृष्ठ ७७१ पर

†See nathi (छ) on page 771

(ख) यदि हां, तो कितने सी० टी० या एल० टी० अध्यापकों को सरकारी सेवा ने अब तक दो ऐडवान्स इन्क्रीमेंट दिये गये हैं ?

(ग) किन-किन जिलों में इस नियम को अभी लागू नहीं किया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश--(क) शासन ने ऐसा कोई स्थायी नियम नहीं बनाया है। राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में सी० टी० तथा एल० टी० शिक्षण हेतु अभ्यर्थियों की भरती प्रोत्साहन के लिये शासन ने राजाज्ञा संख्या ए-१६०२/१५--३०५३-१९५०, दिनांक २७ मार्च, १९५३ (प्रतिलिपि संलग्न) में अस्थायी रूप से ऐसी रियायत प्रदान की थी।

(ख) उक्त रियायत कुल निम्नलिखित राजकीय सेवा के अध्यापकों को अब तक दी गई हैं:--

सी० टी० ५१।

एल० टी० ८४।

(ग) प्रदेश के विभिन्न जिलों में शैक्षिक वर्ष १९५३-५४ तक राजकीय सेवा के उक्त सभी सी० टी०, एल० टी० अध्यापकों को यह रियायत प्रदान की गई। अतः इसे अब किन्हीं विशेष जिलों में लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दिनांक १५-२-१९५७ तक संगीत अध्यापकों को ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड की प्राप्ति

*५३--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार जिलेवार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक (१५ फरवरी, १९५७) कितने संगीत अध्यापकों को प्रदेश में ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड प्राप्त हो चुका है ?

आदि संख्या *३५ तारीख १९-७-५७

श्री कैलाश प्रकाश--सूचना संलग्न तालिका* में प्रस्तुत है।

श्री हृदय नारायण सिंह--बरेली में एक और गोरखपुर मंडल में शून्य तो क्या वहां भी लागू हुआ है ?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, लागू तो वह सभी जगह है।

*५४--श्री हृदय नारायण सिंह--(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जी० ओ० नं० अ-३९०३/१५--१२४-४४-डी०/८-१०-५२ सभी जिलों में भेज दिया गया है ?

*३६ १९-७-५७

(ख) यदि हां, तो किन-किन जिलों में उसे कार्यान्वित नहीं किया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश--(क) जी हां।

(ख) जहां तक मान्यता प्राप्त विद्यालयों का सम्बन्ध है यह आदेश सभी जिलों में कार्यान्वित हुये हैं।

*५५--५८--श्री हृदय नारायण सिंह--(गृह मन्त्री की इच्छानुसार वर्तमान सत्र के चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।)

प्रदेश के गैर-सरकारी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले पुरुष संगीत शिक्षकों की दिनांक १५-१-५७ तक संख्या

*५९--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश में गैर-सरकारी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले पुरुष संगीत शिक्षकों की १५-१-१९५७ को कुल कितनी संख्या थी ?

*४३ १९-७-५७

---

*देखिये नत्थी 'ज' ७७२ पर।

श्री कैलाश प्रकाश--६६

आदि संख्या *४४ तारीख १९-७-५७

*६०--श्री हृदय नारायण सिंह--(क) उन्हें क्या वेतनक्रम प्राप्त था, और (ख) उनके पद स्थायी थे या अस्थायी?

श्री कैलाश प्रकाश--(क) तथा (ख) सूचना संलग्न* तालिका में प्रस्तुत है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या यह जो अस्थायी अध्यापक हैं उनको स्थायी करने के लिये विभागीय नियमों की तरफ से कोई अड़चन उपस्थित किया जा रहा है। यह बात क्या ठीक है?

श्री कैलाश प्रकाश--मेरी जानकारी में नहीं है। माननीय मेम्बर नोटिस में लायें तो जानकारी कर ली जा सकती है।

श्री हृदय नारायण सिंह--उत्तर में बतलाया गया है ४५-२-५५-८० रुपया। तो क्या हाई स्कूल में भी कोई यह ग्रेड है?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं। किसी हायर सेकेन्डरी स्कूल में नहीं है, जो संगीत के शिक्षक हैं और ट्रेन्ड नहीं हैं उनके लिये है।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या होल टाइम के लिये है?

श्री चेयरमैन--यह तो गैर-सरकारी बालक-बालिकाओं की संस्थाओं के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना मांगता है।

श्री हृदय नारायण सिंह--यह सरकारी है।

श्री चेयरमैन--उत्तर तो गैर-सरकारी है।

बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर और हमीरपुर के जिलों में उच्चतर माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों को कई माह से वेतन न मिलना

*४८ १९-७-५७

*६१--श्री कन्हैया लाल गुप्त--(क) क्या यह ठीक है कि बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर और हमीरपुर जिलों के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के बहुत से अध्यापकों को पिछले बहुत से महीनों से अपना वेतन नहीं मिला है?

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने सरकार के पास इस विषय में कोई प्रतिवेदन भेजा है?

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

Original no. 48 Date 19-7-57

*61. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Is it a fact that many teachers in the Higher Secondary Schools in the districts of Bulandshahr., Muzaffarnagar and Hamirpur have not received their salaries for the last several months?

(*b*) If so, have they made any representation to the Government.

(*c*) What action is being taken by Government in the matter?

श्री कैलाश प्रकाश--(क) जी हां, केवल मुजफ्फरनगर जिले में कुछ अध्यापकों को पिछले कुछ महीनों से वेतन नहीं मिला है।

(ख) जी हां, केवल मुजफ्फरनगर जिले में अध्यापकों के प्रतिनिवेदन आये हैं।

---

*देखिये नत्थी 'ञ' पृष्ठ ७७५ पर।

(ग) विद्यालयों के प्रबन्धकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा अवशेष वेतन के भुगतान के लिये उनसे कहा गया है।

Sri Kailash Prakash—(*a*) Yes, certain teachers of Muzaffarnaga district alone have not been paid their salaries for several months.

(*b*) Yes, representations from teachers of Muzaffarnagar District alone have been received.

(*c*) The explanation from the Managements concerned have been called for and they have been asked to pay arrears of salaries.

श्री कन्हैया लाल गुप्त——क्या सरकार ने यह निश्चय कर लिया है और जांच करके देख लिया है कि हमीरपुर में कोई ऐसी शिकायत नहीं है ?

श्री कैलाश प्रकाश——जो रिपोर्ट आई है उसमें कोई ऐसी शिकायत नहीं है। माननीय सदस्य की जानकारी में हो तो उसको देख लिया जा सकता है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त——मुजफ्फरनगर में कितने अध्यापकों को कितने दिन से वेतन नहीं मिला है ?

श्री कैलाश प्रकाश——सूचना तो मेरे पास श्रीमन् है उसमें ११ की संख्या है और वह यह है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त——कितने महीने से उनको वेतन नहीं मिल रहा है।

श्री कैलाश प्रकाश——यह अलहदा-अलहदा है और हर एक टीचर के बारे में है ?

श्री शांति स्वरूप अग्रवाल——कितने महीने का नहीं दिया गया है?

श्री कैलाश प्रकाश——इसमें मुझे देखकर के निकालना होगा।

इन्टरमीडिएट बोर्ड के प्रथम श्रेणी का यात्री भत्ता पाने वाले सदस्य

आदि संख्या *५२ तारीख १९-७-५७

*६२——**श्री हृदय नारायण सिंह**——(क) क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि Intermediate Board के किस प्रकार के सदस्यों को 1st class का T. A. मिलता है ?

(ख) कौन-कौन बोर्ड के मेम्बर, सन् १९५६ में इसके अधिकारी थे और उनके तत्कालीन वेतन क्या थे ?

श्री कैलाश प्रकाश——(क) निम्नांकित वर्गों के सदस्यों को प्रथम श्रेणी का मार्ग व्यय दिया जाता है :——

(१) उन सदस्यों को, जो विधान परिषद् अथवा विधान सभा के सदस्य होते हैं।

(२) उन सरकारी सदस्यों को, जिनका मासिक वेतन ९०० रु० से अधिक है।

(३) उन गैर-राजकीय सदस्यों को जिनकी मासिक आय ९०० रु० से अधिक है।

(ख) सूचना संलग्न *तालिका में प्रस्तुत है। तालिका में विधान सभा व विधान परिषद् तथा गैर सरकारी सदस्यों का तत्कालीन वेतन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि विधान सभा व विधान परिषद् के सदस्यों को बिल पर वेतन अंकित करने की आवश्यकता नहीं होती और गैर-सरकारी सदस्य केवल यही प्रमाणित करते हैं कि उनकी आय ९०० रु० से अधिक है।

---

*देखिये नत्थी 'ञ' पृष्ठ ७७६ पर।

श्री हृदय नारायण सिंह--६२ (क) के बारे में जो उत्तर है उसके सम्बन्ध में जानना चाहता था कि एक्जेक्ट रूल क्या है ?

श्री चेयरमैन--इस सम्बन्ध में प्रकाशित नियमों को आप देख लें।

आ

श्री कैलाश प्रकाश--जहां तक मैं समझता हूं टी० ए० रूल्स कैलेन्डर में दिए हुए रहते हैं या फिर आप इन्टरमीडिएट बोर्ड से मालूम कर सकते हैं। अगर कहीं से भी मालूम न हों तो फिर मैं बतला दूंगा।

माडल स्कूलों के प्रधान अध्यापकों व सहायक अध्यापकों का वेतन-क्रम तथा उनकी संख्या व योग्यतायें

आदि संख्या *५३ तारीख १९-७-५७

*६३--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार बतायेगी कि बुधवार, २७ मार्च, १९५७ के मेरे प्रश्न ४३ के उत्तर के सम्बन्ध में इस समय (१-४-५७) य वेतन-क्रम कितने-कितने अध्यापकों को माडल स्कूलों में प्राप्त हो रहे हैं और कितनों को अपने स्तर के अनुसार निर्धारित वेतन-क्रम नहीं प्राप्त हो रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश--राजकीय माडल स्कूलों के समस्त प्रधानाध्यापकों को निर्धारित वेतन-क्रम मिल रहा है। जे० टी० सी० वेतन-क्रम ७३ अध्यापकों को तथा बी० टी० सी० अथवा एच० टी० सी० वेतन-क्रम ३९५ अध्यापकों को मिल रहा है, जिनमें से केवल दो अध्यापक ऐसे हैं, जो जे० टी० सी० योग्यता रखते हैं और जिन्हें अब जे० टी०सी० वेतन-क्रम देने के लिये निर्देश दिये जा चुके हैं ?

डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल के विचाराधीन डिस्चार्ज अथवा सजा दिये गये अध्यापकों के मामलों की फरवरी, १९५७ तक की संख्या

*६३ १९-७-५७

*६४--श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या सरकार जिलेवार उन अध्यापकों की संख्या देगी, जिनको डिस्चार्ज या सजा दी गई थी और जिनके मामले फरवरी, १९५७ के अन्त में डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के निर्णय के लिये विचाराधीन पड़े हुये हैं ?

Original no. 63 Date 19-7-57

*64. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Will the Government give district-wise number of those teachers who have been discharged or punished and whose cases have been pending for decision with the District Inspector of Schools at the end of February 1957 ?

श्री कैलाश प्रकाश--सूचना एकत्रित की जा रही है।

Sri Kailash Prakash—The information is being collected.

*६४ १९-७-५७

*६५--श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनमें से कितने मामले प्रत्येक जिले में (१) एक साल से अधिक, तथा (२) दो साल से अधिक पड़े हुये हैं ?

64 19-7-57

*65. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Will the Government also state how many of these cases are pending (i) for more than one year, (ii) for more than two years, in each district ?

श्री कैलाश प्रकाश--सूचना एकत्रित की जा रही है।

Sri Kailash Prakash—The information is being collected.

प्रदेश में सन् १९५७ ई० की हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं में नकल करते हुए पकड़े गये छात्रों की संख्या तथा निरीक्षकों पर आक्रमण

*६६---श्री प्रताप चन्द्र आजाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में इस वर्ष (सं० १९५७) हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं में कितने छात्र नकल करते हुये पकड़े गये ?

आदि संख्या *६५ तारीख १९-७-५७

श्री कैलाश प्रकाश---९११।

*६७---श्री प्रताप चन्द्र आजाद---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त परीक्षाओं में कितने परीक्षा सेन्टरों के निरीक्षकों पर छात्रों द्वारा आक्रमण किये गये ?

*६६ १९-७-५७

श्री कैलाश प्रकाश---२।

*६८---श्री प्रताप चन्द्र आजाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त आक्रमणों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

*६७ १९-७-५७

श्री कैलाश प्रकाश---एक परीक्षार्थी का परीक्षाफल रोक लिया गया है तथा उसके विरुद्ध बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है। आक्रमणकारियों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही भी चल रही है।

*६९---श्री प्रताप चन्द्र आजाद---(क) क्या यह भी ठीक है कि हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट के कुछ परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा निरीक्षकों अथवा केन्द्र अधिकारियों के विरुद्ध नकल कराने की शिकायतें सरकार के पास इस वर्ष आई हैं ?

*६८ १९-७-५७

(ख) यदि हां, तो किन-किन केन्द्रों से ऐसी शिकायतें आई हैं ?

(ग) उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाश प्रकाश---(क) जी हां।

(ख) *सूची संलग्न है।

(ग) मामला माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विचाराधीन है ?

श्री प्रताप चन्द्र आजाद---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो पिछला बोर्ड था उसने इस सम्बन्ध में कोई अपना फैसला किया है या नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश---श्रीमन्, मैं तो उत्तर दे चुका हूं (ग) में कि मामला माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विचाराधीन है।

मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर तथा आजमगढ़ जिलों के उन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नाम जहां के स्थायी अध्यापकों के साथ एग्रीमेंट फार्म नहीं भरा गया

*७०---श्री हृदय नारायण सिंह---क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर तथा आजमगढ़ जिलों के किन-किन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्थायी अध्यापकों के साथ ऐग्रीमेंट फार्म अभी नहीं भरा गया है ?

*८५ १९-७-५७

श्री कैलाश प्रकाश---सूचना एकत्रित की जा रही है।

---

*देखिये नत्थी 'ट' पृष्ठ ७७७ पर।

आदि संख्या *८६ तारीख १९-७-५७

*७१---श्री हृदय नारायण सिंह---इन जिलों के किन विद्यालयों में अध्यापकों को एग्रीमेंट फार्म की एक प्रति नहीं प्रदान की गई है ?

श्री कैलाश प्रकाश---सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश के उन हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्या जिनकी गत ५ वर्षों में अनुदान रोकी गई या काटी गई

*८७ १९-७-५७

*७२---श्री हृदय नारायण सिंह---(क) क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के किन-किन Higher Secondary School के अनुदान रोके गये या उनमें कटौती की गई ?

(ख) उपर्युक्त अनुदान कितने समय के लिये रोके गये तथा कितनी कटौती की गई और किन-किन कारणों से यह कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाश प्रकाश---सूचना एकत्रित की जा रही है।

नेहरू इन्टर कालेज, बिन्दकी के एक अध्यापक का वेतन ९ माह तक न मिलना

*९० १९-७-५७

७३---श्री पन्ना लाल गुप्त---(क) क्या सरकार के पास बिन्दकी म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा संचालित नेहरू इन्टर कालेज के किसी अध्यापक की शिकायत १९५५ में आई है कि उसको सन् १९५४-५५ का ९ मास का वेतन नगरपालिका बिन्दकी (फतेहपुर) ने नहीं दिया ?

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाश प्रकाश---(क) जी हां, श्री लक्ष्मी सागर गुप्त की।

(ख) जिलाधीश फतेहपुर द्वारा पूछताछ कराई गई।

श्री पन्ना लाल गुप्त---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सन् १९५५ से अभी तक जिलाधीश जांच कर रहे हैं तो शिक्षा विभाग द्वारा क्यों जांच नहीं करायी गयी ?

श्री कैलाश प्रकाश---श्रीमन्, जांच भी करायी गयी और वाकयात भी मालूम हो गये हैं लेकिन कानूनी पेंच हैं।

श्री पन्ना लाल गुप्त---क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जब वाकयात मालूम हैं तो फिर कब तक यह मामला विचाराधीन रहेगा ?

श्री कैलाश प्रकाश---श्रीमन्, मामला विचाराधीन है या नहीं यह बात दूसरी है। असल बात यह है कि ये सन् १९५४-५५ में एक स्कूल में अध्यापक रखे गये। उन्होंने पूरे साल तक काम किया। यह म्युनिसिपल बोर्ड का स्कूल है और चेयरमैन ने इनको नियुक्त किया था लेकिन जो वहां की कमेटी है उसने २३-९-५४ को एक प्रस्ताव पास कर के यह निश्चय किया कि इनको न रखा जाय लेकिन वे काम करते रहे। अब प्रश्न यह उठता है कि इनको वेतन कौन दे। म्युनिसिपल बोर्ड दे या चेयरमैन दे।

श्री पन्ना लाल गुप्त---(अपन स्थान पर खड़े हुए।)

श्री चेयरमैन---इसमें विधान परिषद् क्या कर सकती है ?

श्री पन्ना लाल गुप्त---क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वे अपन आखिरी आदेश इसमें कब तक देंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश--सरकार की राय है कि जितने दिनों तक इन्होंने काम किया ह उतन समय तक का इन्हें वेतन जरूर मिलना चाहिये लेकिन कहां से मिलेगा यह तय नहीं हुआ ह।

श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल--क्या सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि उनको वतन जरूर मिले। यह तो सरकार को निर्णय करना ह कि कहां से उनको वेतन मिलना चाहिए?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, सरकार के निर्णय करने का यह प्रश्न नहीं है जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह कानूनी प्रश्न है। वह म्युनिसिपल बोर्ड के एम्पलाई थे और काम करते रहे। म्युनिसिपल बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास कर दिया तो एक कानूनी दिक्कत आ गयी कि बोर्ड के फंड से इनको दिया जाय या न दिया जाय।

श्री चेयरमैन--यदि इस विषय में कानूनी जिम्मेदारी सरकार की है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल--मैं अध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहता हूं कि इस विषय में क्या सरकार ने कोई कानूनी सलाह दी है और यदि दी है, तो क्या दी है?

श्री कैलाश प्रकाश--सरकार ने म्युनिसिपल बोर्ड को परामर्श दिया कि पेमेंट हो जाना चाहिये लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड पेमेंट नहीं करना चाहता वह कहते हैं कि यहां तो प्रस्ताव पास हो चुका है, हम पेमेन्ट कैसे करें।

श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल--श्रीमन्, मेरा तो सीधा सा सवाल है कि क्या सरकार ने कोई कानूनी सलाह दी है या नहीं?

श्री कैलाश प्रकाश--इसमें कानूनी सलाह देने का प्रश्न नहीं आता है। सरकार तो स्वयं भी चाहती है कि उसको तनख्वाह मिले।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता था कि इस पेमेंट के सम्बन्ध में सरकार अपने को किस हद तक जिम्मेदार या सम्बद्ध समझती है, इसके मुताल्लिक क्या मंत्री जी कुछ प्रकाश डाल सकेंगे?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, लोकल बाडीज को अपने अख्तियारात हैं जो इस विधान मंडल के द्वारा उनको अधिकार प्राप्त हुए हैं और जो उनके अपने अधिकार हैं उन अधिकारों में यह सरकार नियम के प्रतिकूल हस्तक्षेप नहीं कर सकती है"

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि अब तो बोर्ड सरकार के अधिकार में आ गया है तो अब क्या आदेश वह देना चाहती है?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, बोर्ड तो आज सरकार के अधिकार में आया है लेकिन प्रस्ताव तो वह पहले पास कर चुके हैं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--जब सरकार यह जानती थी कि उसको कोई लीगल पावर इस सम्बन्ध में नहीं है तो दो वर्ष तक इस मामले को क्यों लटकाये रखा? सरकार को पहले ही, कह देना चाहिये था कि हमारे पास कोई पावर नहीं है, you may go to the court of law उनको कह देना चाहिये था कि कचहरी से मामले को तय कराओ?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, कचहरी में जाने का तो हर एक को हक है ही। सरकार ने मामले को लटकाया नहीं है, बल्कि सरकार की तो सहानुभूति रही है।

बोर्ड आफ हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश की १९५६ की परीक्षाओं के निरीक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान

आदि संख्या ९२ तारीख १९-७-५७

*७४---श्री हृदय नारायण सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बोर्ड आफ हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश की १९५६ की परीक्षाओं के सभी निरीक्षकों को उनका पारिश्रमिक दे दिया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश---बोर्ड द्वारा सन् १९५६ के समस्त परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षकों आदि के पारिश्रमिक पावना-पत्र प्रतिहस्ताक्षरित (counter sign) करके भुगतान के लिये केन्द्र-व्यवस्थापकों को भेज दिये गये हैं।

९३ १९-७-५७

*७५---श्री हृदय नारायण सिंह---क्या कुछ ऐसे भी केन्द्र हैं कि जहां के निरीक्षकों को १९५६ की उक्त परीक्षाओं का पारिश्रमिक अभी तक नहीं दिया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश---शासन को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री हृदय नारायण सिंह---क्या इस प्रकार की सूचना सरकार ने बोर्ड से प्राप्त नहीं की है ?

श्री कैलाश प्रकाश---बोर्ड की सूचना के अनुसार ही तो मैं उत्तर दे चुका हूं प्रश्न संख्या ७४ में।

९४ १९-७-५७

*७६---श्री हृदय नारायण सिंह---(क) यदि हां, तो क्या सरकार उन केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

(ख) इनको अभी तक पारिश्रमिक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश---(क) प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

९५ १९-७-५७

*७७---श्री हृदय नारायण सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी के सैयदरजा केन्द्र में चन्दौली से आये हुये निरीक्षकों ने सन् १९५६ के पारिश्रमिक न मिलने के सम्बन्ध में सेक्रेटरी, बोर्ड आफ हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश को कोई प्रतिवेदन दिया है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां।

९६ १९-७-५७

*७८---श्री हृदय नारायण सिंह---यदि हां, तो बोर्ड के सेक्रेटरी ने उनके प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाश प्रकाश---उनका पावना-पत्र (bill) भी प्रतिहस्ताक्षरित करके भेजा जा चुका है।

म्युनिसिपल इन्टर कालेज, वृन्दावन के पुराने अध्यापकों के वेतन में कटौती

९७-९८ १९-७-५७

*७९---श्री कन्हैया लाल गुप्त---(क) क्या यह ठीक है कि म्युनिसिपल इन्टर कालेज, वृन्दावन के पुराने अध्यापकों के वेतन जुलाई, १९५६ में म्युनिसिपल बोर्ड, वृन्दावन द्वारा अधिक मात्रा में कम कर दिये गये थे ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अध्यापकों के नाम जिनके वेतन घटाये गये तथा वेतन घटने के पहले और बाद के वेतन की एक तालिका मेज पर रखेगी ?

(ग) वेतन में इस कटौती के क्या कारण थे ?

79. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Is it a fact that salaries of old teachers in Municipal Intermediate College, were reduced considerably in the month of July, 1956, by the Municipal Board, Vrindaban ?

(*b*) If so, will the Government give a statement containing the names of the teachers whose salaries were reduced together with their salaries before and after reduction ?

(*c*) What were the reasons for this reduction ?

श्री कैलाश प्रकाश—(क) जी हां, अगस्त १९५६ से नगरपालिका ने वेतन कम कर दिये थे ।

(ख) एक तालिका* सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) कटौती, नगरपालिका वृन्दावन के विशेष प्रस्ताव संख्या १ (अ), दिनांक २८ अप्रैल, १९५६ द्वारा की गई थी, जिसकी प्रतिलिपि† संलग्न है । कटौती का कारण विशेष प्रस्ताव में दिया हुआ है ।

Sri Kailash Prakash—(*a*) Yes. From August, 1956, the Vrindaban Municipal Board reduced the salaries of the teachers.

(*b*) A †statement is laid on the member's table.

(*c*) The reduction of salaries was brought about by the Vrindaban Municipal Board under its special resolution no. 1 (A), dated April 28, 1956, a copy of which is appended. The reasons are given in the special resolution.

*८०—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—(क) क्या यह ठीक है कि शिक्षा विभाग को इस कटौती के विरुद्ध प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं ?

आदि संख्या ९९ तारीख १९-७-५७

(ख) यदि हां, तो किसके द्वारा और कब ?

(ग) इन प्रतिवेदनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

*80. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Is it a fact that the Education Department have received representations against this reduction ?

Original no. 99 date 19-7-57.

(*b*) If so, from whom and when ?

(*c*) What action has been taken by the Government on these representations ?

श्री कैलाश प्रकाश—(क) शिक्षा विभाग को इस कतौती के विरुद्ध प्रतिवेदन प्राप्त हुये नहीं प्रतीत होते ।

(ख) प्रश्न का यह भाग नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न का यह भाग भी नहीं उठता ।

---

*देखिये नत्थी "ड" पृष्ठ ७७८ पर

†See Appendix 'C' on page 780

† देखिये नत्थी "ड" पृष्ठ ७८१ पर

*See nathi 'ड' on page 781

Sri Kailash Prakash—(*a*) Representations against this reduction do not appear to have been received in the Education Department.

(*b*) This part of the question does not arise.

(*c*) This part of the question does not arise.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—यह बात कहां तक सत्य है कि शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा विभाग को और सरकार को दोनों को विधान मंडल के कुछ सदस्यों ने इस सम्बन्ध में लिखा है और उनका उत्तर दिया गया है कि मामला विचाराधीन है ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, जब माननीय सदस्य कहते हैं तो पूरा सत्य होगा, कहां तक सत्य है का प्रश्न तो उठता ही नहीं है ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो कटौती म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से की गयी है, तो इसके खिलाफ अब जबकि बोर्ड सरकार के चार्ज में आ गया है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार करने जा रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—खिलाफ के क्या मतलब हैं, अगर इस पर कोई कार्यवाही आदि की बात है, तो उस पर जरूर विचार किया जायेगा ।

विलीन रामपुर राज्य के अध्यापकों की ज्येष्ठता का निर्धारण

आदि संख्या *१ तारीख २६-७-५७

*८१—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३० मार्च, १९५५, के प्रश्न संख्या २४ (क) के उत्तर में रामपुर के जिन अध्यापकों का उल्लेख है उनकी seniority list अभी प्रकाशित हुई या नहीं ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

(ग) क्या सरकार यह बतायेगी कि यह List कब तक तैयार हो जायेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—(क) जी नहीं ।

(ख) सभी विलीन राज्यों के अध्यापकों की ज्येष्ठता निर्धारण करने के प्रश्न पर एक साथ विचार करना है ।

अभी अन्य विलीन राज्यों के कुछ अध्यापकों का विलीनीकरण किन्हीं कारणों से शेष है । जिससे रामपुर के अध्यापकों का ज्येष्ठता निर्धारण का मामला भी रुका हुआ है ।

(ग) यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

रामपुर राज्य के अनट्रेंड ग्रेजुएट अध्यापकों का विलीनीकरण के पहिले अधिक वेतन पाना

*२ तारीख २६-७-५७

*८२—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—(क) क्या यह सत्य है कि State रामपुर के राज्य में विलीन होते समय उपर्युक्त untrained graduates को C. T. Teachers से अधिक वेतन दिया जाता था ?

(ख) यदि हां, तो इन untrained graduates को C. T. Teachers से senior मानने के प्रश्न पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

श्री कैलाश प्रकाश—(क) जी हां, कुछ अध्यापकों को ।

(ख) इन्हें सीनियर नहीं माना जा सकता ।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि क्या कारण है कि इनको सीनियर नहीं माना जा सकता है ?

श्री कैलाश प्रकाश--वे अनट्रेंड ग्रेजुएट्स हैं। यदि उनको निर्धारित क्रम में सीनियर माना जायेगा तो यह शासन के लिये ठीक न होगा।

उन डिग्री कालेजों की संख्या जिनका प्रबन्ध गत ५ वर्षों में सरकार ने लिया या किसी अन्य को दिया गया।

*८३--**श्री हृदय नारायण सिंह** (क) क्या माननीय शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत ६ वर्षों में प्रदेश के किन-किन गैर-सरकारी डिग्री कालेजों का प्रबन्ध प्रबन्धसमिति से लेकर किसी शिक्षा विभागीय अधिकारी या अन्य व्यक्ति को सौंपा गया है ?

आदि संख्या *३ तारीख २६-३-५७

(ख) इस प्रकार की व्यवस्था कब से चल रही है और कितने दिनों तक चलेगी।

श्री कैलाश प्रकाश--(क) उदय प्रताप कालेज, वाराणसी।

(ख) ३१ अक्तूबर, १९५३ से इस प्रकार की व्यवस्था उपरोक्त कालेज में चल रही है और यह व्यवस्था उस समय तक चलेगी जब तक कि शासन को यह विश्वास न हो जाय कि कि प्रबन्ध समिति को प्रबन्ध सौंपने में पुनः अव्यवस्था तथा कुप्रबन्ध न होगा।

*८४--**श्री हृदय नारायण सिंह**--इनका प्रबन्ध प्रबन्ध-समितियों को सौंपने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

*४ २६-३-५७

श्री कैलाश प्रकाश--मामला विचाराधीन है।

*८५--**श्री हृदय नारायण सिंह**--क्या प्रश्न संख्या ८३ में वर्णित डिग्री कालेजों के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अध्यापक संघ की कार्यवाहियों में भाग लेने की इजाजत है ?

*५ २६-३-५७

श्री कैलाश प्रकाश--यदि विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के नियम के अनुसार इस कालेज के अध्यापकों को यह अधिकार पहले प्राप्त रहे होंगे तो अब भी प्राप्त हैं। शासन की ओर से कोई रोक नहीं लगायी गई है।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या बलिया का सतीश चन्द्र कालेज भी ले लिया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां।

श्री हृदय नारायण सिंह--इसका नाम उत्तर में नहीं है ?

श्री चेयरमैन--उत्तर में आपने केवल उदय प्रताप कालेज का ही नाम लिखा है।

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमान, सवाल पांच वर्ष के अन्दर का है, इसलिये इसका नाम नहीं लिखा गया है ?

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि हरदोई कालेज में भी ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुआ है ?

श्री कैलाश प्रकाश--मेरे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है ?

श्री हृदय नारायण सिंह--प्रबन्ध समिति के खिलाफ क्या शिकायतें हैं, कालेज में ऐडमिनिस्ट्रेटर क्यों नियुक्त हुआ है ?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमान, शिकायतें तो बहुत सी थीं, वहां पर कुप्रबन्ध था और शासन भी ठीक नहीं था और अध्यापकों के बारे में भी बहुत सी शिकायतें थीं ?

श्री चेयरमैन--मैं तो समझता हूं कि यहां पर व्यक्तिगत शिकायतों के बारे में कहना ठीक न होगा, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ शिकायतें होती हैं उनको यहां पर जवाब देने का मौका नहीं मिलता है।

श्री हृदय नारायण सिंह--श्रीमान्, हम लोग तो उनके बारे में कुछ कह रहे हैं।

श्री चेयरमैन--अगर आप नहीं कहेंगे तो जो सवाल आप पूछेंगे उसके जवाब में मिनिस्टर साहब ही कह देंगे, तो इसको मैं ठीक नहीं समझता हूं।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार का प्रबन्ध बहुत अच्छा है कि उसने वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया है?

श्री चेयरमैन--यह सवाल नहीं, राय की बात है।

श्री हृदय नारायण सिंह--मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रबन्ध समिति को कार्य-भार कब तक सुपुर्द किया जायेगा?

श्री कैलाश प्रकाश--यह व्यवस्था उस समय तक चलेगी जब तक कि शासन को यह विश्वास न हो जाय कि प्रबन्ध समिति को प्रबन्ध सौंपने में पुनः व्यवस्था तथा कुप्रबन्ध न होगा।

यू० पी० इन्टरमीडियेट बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के पारिश्रमिक की सीमा

आदि संख्या ६
तारीख २६-७-५७

८६--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यू० पी० इन्टरमीडियेट बोर्ड द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों के निम्नलिखित कार्यों के लिये प्रति व्यक्ति पारिश्रमिक पाने के लिये कोई सीमा निर्धारित है या नहीं--

Examinership,
Tabulatorship,
Collatorship,
Scrutiny work,
Harmonizership,
Re-tabulatorship?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, कोई व्यक्ति एक वर्ष में उल्लिखित कार्यों के लिये कुल मिलाकर १,००० रु० से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर सकता। परन्तु विशेष स्थिति में विशेषज्ञों को छूट भी दी जा सकती है?

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या दो कामों को मिलाकर के एक हजार से ज्यादा पाया जा सकता है, जैसे स्क्रूटिनी और कोलेटरशिप?

श्री कैलाश प्रकाश--संभवतः नहीं।

श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी--क्या ऐसे कैसेज हैं जिनमें एक एक्सेप्शन किया जा सकता है?

श्री कैलाश प्रकाश--इसके लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या इस नियम के उल्लंघन का कोई उदाहरण सरकार के सामने आया है?

श्री कैलाश प्रकाश--मुझे इस समय इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो छूट दी जाती है वह किसके द्वारा दी जाती है और इसके लिये क्या प्रोसीज्योर है?

श्री कैलाश प्रकाश--जितना कार्य है वह सब बोर्ड के चेयरमैन के अधिकार में रहता है और जो विशेषज्ञ उसे देखते होंगे कि ये आवश्यक हैं, वे उन्हीं को करते होंगे।

उत्तर प्रदेश इन्टरमीडियेट बोर्ड में हारमोनाइजर का कार्य एवं उसकी योग्यता

आदि संख्या ७ तारीख २६-३-५७

८७--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यू० पी० इन्टरमीडियेट बोर्ड में--

(क) Harmonizer का क्या कार्य है, और

(ख) किस योग्यता के व्यक्ति को यह काम दिया जाता है ?

श्री कैलाश प्रकाश--(क) अंग्रेजी प्रश्न-पत्र में दिये गये हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद वाले भाग को परीक्षार्थियों की भिन्न भिन्न मातृभाषाओं में अनुवाद करना और समरूप करना।

(ख) भाषा विशेषज्ञों को।

सरकारी एवं गैर-सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूलों में शारीरिक शिक्षण अध्यापकों का वेतनक्रम

८८--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट तथा गैर सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूलों, में शारीरिक शिक्षण (पी० टी०) अध्यापकों के लिये क्या वेतनक्रम निर्धारित किये गये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--राजकोय हायर सेकेन्डरी स्कूलों में प्रचलित वेतनक्रम--

फिजिकल एजूकेशन में ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स १२०-८-२००-ई० बी०-१०-३०० रु०
फिजिकल एजूकेशन म ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट ७५-५-१२०-ई० बी०-८-२०० रु०

गैर-सरकारी स्कूलों में--

फिजिकल एजूकेशन में ट्रेन्ड ग्रेजुएट १२०-६-१६८-ई० बी०-८-२०० रु०
फिजिकल एजूकेशन में ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट ७५-५-११०-ई० बी०-६-१४० रु०-ई० बी०-७-१७५ रु०

गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूलों में भिन्न-भिन्न वेतनक्रमों में नियुक्त अस्थायी एवं स्थायी कर्मचारियों की संख्या

†८९--श्री हृदय नारायण सिंह --क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सरकारी स्कूलों में (गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी में) कितने-कितने व्यक्ति भिन्न-भिन्न ग्रेडों में नियुक्ति हैं ?

(ख) इनमें कितने स्थायी और कितने अस्थायी पदों पर हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--(क)

ग्रेड	अध्यापक	अध्यापिकायें
१२०-३००	३३	२
७५-२००	३२	३९
४०-६५	९	...

(ख) सभी स्थायी पदों पर नियुक्त हैं ?

अतारांकित प्रश्न

अग्रवाल इन्टरमीडिएट कालेज आगरा के प्रधान अध्यापक के प्रति कार्यकरिणी द्वारा किए गये व्यवहार के विरुद्ध वहां के अध्यापकों का शिक्षा विभाग के पास प्रतिनिवेदन।

१—श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या यह ठीक है कि शिक्षा विभाग के पास अग्रवाल इन्टरमीडियेट कालेज, आगरा के शिक्षकों द्वारा उनके प्रधानाध्यापक के प्रति संस्था की कार्य-कारिणी द्वारा किये गये व्यवहार के प्रतिकूल प्रतिनिवेदन प्राप्त हुये हैं?

1. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Is it a fact that the Education Department have received representations from teachers of the Agarwal Intermediate College, Agra against the treatment meted out to their Principal by the Management of the Institute?

श्री कैलाश प्रकाश—कालेज के शिक्षकों का तो कोई प्रतिनिवेदन नहीं आया वरन् इस सम्बन्ध में सभापति, माध्यमिक शिक्षक संघ, आगरा ने एक प्रतिनिवेदन भेजा था।

आदि स
६
तारी
२६-७-

Sri Kanhaiya Lal Gupta—No representations from teachers of the College have been received, but a representation from President, Madhyamik Shikshak Sangh, Agra has been received.

२—श्री कन्हैया लाल गुप्त—यदि हां, तो यह प्रतिनिवेदन कब प्राप्त हुये थे?

2. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—If so, when were these representations received?

श्री कैलाश प्रकाश—२५ जून, १९५७ को (On 25th June, 1957)।

३—श्री कन्हैया लाल गुप्त—इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

3. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—What action was taken by Government in the matter?

श्री कैलाश प्रकाश—संस्था की प्रबन्ध समिति ने प्रधानाध्यापक को सेवा से निलम्बित कर दिया और स्पष्टीकरण मांगा। विभाग द्वारा प्रबन्ध समिति से यह कहा गया था कि प्रधानाध्यापक के स्पष्टीकरण पर कोई अन्तिम आदेश तब तक न दिया जाय जब तक मामला विभाग द्वारा विचाराधीन है। परन्तु प्रबन्ध समिति ने विभाग के आदेश की अवहेलना की और प्रधानाचार्य को पदच्युत (Dismiss) कर दिया। इसलिये विद्यालय का वार्षिक अनुदान रोक दिया गया है और मामले की विभागीय जांच हो रही है?

Sri Kailash Prakash—The Managing Committee of the institution had suspended the Principal and asked for his explanation. The Department asked the Managing Committee not to take any action on the Principal's explanation till the matter was under consideration of the Department. But the Committee did not comply with the orders of the department. As a result the annual grant of the said College has been withheld and the matter is being enquired departmentally.

श्री चेयरमैन—प्रश्न समाप्त हुये।

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) विधेयक

श्री कुंवर महावीर सिंह—श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से सन् १९५७ ई० के उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सन् १९५७ ई० का इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक

*श्री सैयद अली जहीर (न्याय, वन, खाद्य व रसद मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५७ ई० के इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इंडियन डाइवोर्स के चार ऐक्ट हैं और सन् १८६९ में जो कानून बना था, उसकी रु से जो डाइवोर्स का कार्य ईसाइयों के बारे में होता था, तो उसके लिये यह जरूरी था कि वह हाईकोर्ट में हो और ओरिजिनल ज्युरिसडिक्शन हाई कोर्ट ही था और यदि हाईकोर्ट चाहता था तो कुछ मामलों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दे देता था। हमारे यहां एक बांच कमेटी बैठी जिसने ज्युडिशियल रिफार्म के बारे में अपनी रिपोर्ट दी। उसने यह तजवीज दी कि इसकी जरूरत नहीं है कि ये मामले हाईकोर्ट में ही विचार हों और इसके अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज को भी दिये जा सकते हैं। इस वास्ते कि हाईकोर्ट में काम बहुत बढ़ गया है, वहां मुकदमें देर में फैसल होते हैं और पुराने मुकदमें अभी तक पड़े हुये हैं। इसलिये सरकार ने यह फैसला किया कि उनका ज्युरिसडिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को दे दिया जाय चुनांचे डाइवोर्स ऐक्ट में कुछ तरमीमात जिनकी तफसील शेड्यूल में दी हुई है की जा रही है। उनमें हरएक का मकसद यह है कि बजाय हाईकोर्ट के मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्टस में हुआ करें। माननीय सदस्य देखेंगे कि इसके अलावा जो तरमीमें इस सिलसिले में की गई ह।

एक दफा ५७ है, उसको बदला जा रहा है। दफा ५७ यह थी कि चूंकि अपील नहीं होती थी खुद हाईकोर्ट फैसला करता था तो जो दफा ५७ पुरानी थी उसको बदलने की जरूरत पड़ी और उसकी जगह पर एक नया कानून रखा जा रहा है। उस जमाने में जब हाईकोर्ट को पावर थी तो उस वक्त प्रिलीमिनरी डिक्री डिस्ट्रिक्ट जज पास करता था लेकिन फाइनल डिक्री हाईकोर्ट से हुआ करती थी। चूंकि फाइनल डिक्री अब डिस्ट्रिक्ट जज के यहां से होगी लिहाजा उस कानून में तरमीम करने की जरूरत पड़ी। मैं अर्ज करूंगा कि यह बहुत सीधा सादा कानून है।

(इस समय १२ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठात्री (श्रीमती शान्ति देवी अग्रवाल) ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

गालिबन किसी माननीय सदस्य को ऐतराज न होगा। इस वजह से इसको मैं पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह मंजूर किया जायगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण—अधिष्ठात्री महोदया, जो यह बिल माननीय मन्त्री जी ने रखा है उसमें विवाद की कोई भी बात नहीं है। जो कानून बन रहा है उसमें फैसिलिटी होगी। मैं इससे सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि इसे बिना विलम्ब पास कर दिया जाय।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—जैसा कुंवर साहब ने कहा कि यह बहुत ही हार्मलेस बिल है। इस पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक बात का मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा। दफा ५७ में जो संशोधन किया गया है वह यह है :—

"When six months after the date of any decree absolute dissolving a marriage have expired and no appeal has been presented against such decree, or when any such appeal has been dismissed or when in the result of any such appeal any marriage is declared to be dissolved."

*मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

यह जो ६ महीने की मियाद रखी गई हैं यह एक मारल प्रतिबन्ध है। अगर अपील जल्दी फैसल हो गई तो क्या ६ महीन क भीतर शादी कर सकते हैं या नहीं। जो तीसरा क्लाज रखा गया है वह यह है--

"but not sooner, it shall be lawful for the respective parties to the marriage to marry again, as if the prior marriage had been dissolved by death."

श्री सैयद अली जहीर--जहां तक दफा ५७ का ताल्लुक है उसमें २ बातें लिखी हुई हैं एक तरफ यह जब ६ महीने डिक्री एब्सोलूट पास होन के गुजर जायें बशर्ते कोई अपील उसके खिलाफ न हो तो ऐसी सूरत में फरीकैन शादी कर सकता ह। दूसरी सूरत यह है अगर कोई अपील हो गई है फैसले के खिलाफ और वह अपील खारिज हो जाय. उसके जरिये यह तै पाया जाय कि मैरेज अब खत्म हो गई तो उसके बाद दोनों में से कोई फरीक शादी कर सकता है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--यह ६ महीने के अन्दर हो सकता है।

श्री सैयद अली जहीर--अगर अपील ६ महीने के अन्दर तै हो जाय तो मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है। ख्याल ऐसा है कि शायद अपील ६ महीने के अन्दर न होगी अगर अपील खारिज हो जाय, उसके बाद फैसला हो जायेगा। उसके माने यह हैं कि अफैक्ट डिक्री एब्सलूट ६ महीने क अन्दर करने के बाद अपील खारिज हो जाने के बाद ऐसा हो जायेगा इसलिये यह जरूरी नहीं समझा गया कि इसको साफ किया जाय। जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं, मुमकिन है और हो सकता है कि पुराना जो सेक्शन था उसके अल्फाज साफ थे उसमें यह था--

आदि सं ६ तारीख २६-७-

"When six months after the date of an order of a High Court confirming the decree for a dissolution of marriage made by a district Judge have expired,

or when six months after the date of any decree of a High Court dissolving a marriage have expired and no appeal has been presented against such decree to the High Conrt in its appeallate jurisdiction."

"or when any such appeal has been dismiseed or when in the result of any such appeal any marriage is declared to be dissolved, but no sooner it shall be lawful for the respective parties to the marriage to marry again, as if the prior marriage had been deissolvd by death."

उसके माने यह है कि वहां भी अपील हो और उसके बाद वह खारिज हो जाय तब मैरेज डिजाल्व होगी। मैं समझता हूं कि जब अपील होगी तो उसमें ६ महीने लग जायेंगे उसके बाद जो फैसला होगा डिक्री एब्सलूट होगी उसकी ६ महीने वाली सूरत बदस्तूर बाकी है। ६ महीने से पहले अपील होगी नहीं। अगर पहले भी हो जाय तो वह फाइनेल न होगी वह एब्सलूट तभी होगी जब कोई अपील न हो। इसलिये ६ महीने के बाद रखा गया है।

श्री अधिष्ठात्री--प्रश्न यह है कि सन् १९५७ ई० के इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५७ ई० का इंडियन डाईवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठात्री--प्रश्न यह है कि सन् १९५७ ई० का इंडियन डाईवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक पारित† किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†विधेयक के लिए देखिए नत्थी "ढ" पृष्ठ ७८२ पर।

श्री अधिष्ठात्री--सदन की बैठक अवकाश के लिये २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १२ बजकर १४ मिनट पर अवकाश के लिये उठ गई और २ बजे श्री चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गेंदा सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या पर किये गये अनशन से उत्पन्न स्थिति पर साधारण विवाद

श्री चेयरमैन--अब श्री गेंदा सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या पर किये गये अनशन से उत्पन्न स्थिति पर आम बहस होगी।

क्या मुख्य मन्त्री इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देंगे। मैं समझता हूं कि आप एक वक्तव्य से वादविवाद आरम्भ करें।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द (मुख्य मन्त्री तथा सामान्य प्रशासन एवं नियोजन मन्त्री)--सभापति महोदय, पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति के बारे में माननीय सदस्यों का दिलचस्पी लेना और उनका कुछ चिन्तित होना स्वाभाविक ही है। यह सभी को विदित है कि आज बहुत दिनों से उन जिलों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। एक तो वहां की आबादी बहुत ज्यादा है और उसकी ज्यादा आबादी होने के कारण होल्डिंग्स भी बहुत छोटी छोटी हैं। इन्हीं कारणों से पहिले जो गवर्नमेंट थी, उसने वहां सिंचाई के साधनों को एकत्रित करना जरूरी नहीं समझा। शुगर मिलों के खुलने से जरूर वहां की हालत कुछ संभली है मगर गन्ने का उत्पादन बढ़ाने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया। और इधर कुछ वर्षों से वहां लगातार दैवी प्रकोप होता रहा है। कभी बाढ़ से फसल नष्ट हुई। कभी पानी बरसा तो बहुत कम बरसा, कहीं बरसा ही नहीं। इसी तरह की कई बातें हैं जो वहां हुईं। इसमें सन्देह नहीं कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी हालत को समझें और उसको विचारने की कोशिश करें। मगर जो वहां की सही तस्वीर है वैसी ही हमको अपनी आंखों के सामने रखना चाहिये। अतिरंजित करने से कोई खास फायदा नहीं होता। इस साल खाद्य स्थिति खराब है, यह ठीक है मगर, जैसा कि ख्याल हो गया है वैसी खराब हालत नहीं है और अगर हालत खराब है भी तो उस हालत में हमको सहायता करनी चाहिये। सहायता करने की जहां तक बात है गवर्नमेंट ने इस दिशा में काफी प्रयत्न किया है। कुछ ज्यादा विस्तार से मुझे उन बातों को नहीं कहना है। मैं दो चार बातें जो आवश्यक हैं, उनको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। कुछ लोगों की तरफ से यह मांग है कि ६३ और ६४ फसली रबी का सारा लगान या मालगुजारी जो है वह माफ कर कर दी जाय। उसमें से गवर्नमेंट ८६ लाख रुपये की रकम माफ कर चुकी है। और ६० लाख रुपया विलम्बित कर दिया गया है। इसके माने यह हुये कि इस वक्त तो छोड़ दिया गया है जब वसूल होगा तब देखा जायगा। इस वक्त तो वह माफी के बराबर है। इस तरीके पर एक करोड़ ८६ लाख रुपया छूटा हुआ है २ करोड़ १९ लाख में से यानी ७५ लाख रुपये वसूल होने का सवाल है। ३३ परसेंट इसके लिये कहा जाता है कि माफ कर देना चाहिये लेकिन मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि वह इस बात को सोचें कि यह मांग जो पेश की जाती है, जिस मांग को लकर कुछ लोग अनशन करना उचित समझते हैं, और भांति भांति के आन्दोलन करना उचित समझते हैं, मैं इस सदन से भी कहता हूं कि आप लोग सोचें कि इसमें कहां तक न्याय है। क्या इसको मान लेना चाहिय, इन जिलों में बनारस और गोरखपुर की दो कमिश्नरियों में क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रुपया दे सकता हो। इन जिलों में महाराजा बनारस भी हैं, राय साहब जौनपुर भी रहते हैं, महाराजा विजयानगरम भी रहते हैं, एक और राजा साहब भी रहते हैं जो असेम्बली के मेम्बर भी हैं,

*मुख्य मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]
राय साहब पडरौना भी रहते हैं, तो उनसे क्यों न लिया जाय। बहुत से लोग हैं जो एम० पी० हैं, बहुत से पश्चिमी जिलों के हैं उनके पास जमीन है उनसे मालगुजारी ली जाय और जो बनारस और गोरखपुर जिले का रहने वाला है उससे क्यों न ली जाय। सरकारी आफिसर्स बहुत से पूर्वी और पश्चिमी जिलों में रहते हैं। अगर उनके पास जमीन है तो पश्चिमी जिले वालों से मालगुजारी ली जाय और जो बनारस और गोरखपुर के रहने वाले हैं उनसे न ली जाय तो यह न्याय की बात नहीं है। हमको व्यक्ति की दृष्टि से देखना चाहिये, जो गरीब हैं उसका केस देखा जा सकता है, उसकी सहायता की जा सकती है और उसको तकावी भी दी जा सकती है, लेकिन आम मांग चूंकि खाद्यान्न का संकट है इसलिये हर शख्स की मालगुजारी माफ कर दी जाय १३६४ फस्ली रबी की, किसी तरह से भी न्याय की बात नहीं है। इतना ही नहीं मैंने जिक्र किया, एम० एल० ए०, और एम० पी०, का जिक्र किया, एक और चीज सोचने की है। इन जिलों में गन्ने की मिलें हैं। अकेले देवरिया जिले को ले लीजिये जहां के रहने वाले माननीय गेंदा सिंह जी हैं, जिनके अनशन की वजह से सबका ध्यान गया है। उस जिले में ३ करोड़ ८७ लाख रुपये का गन्ना मिलों में पेरा गया है, गुड़ में कितना पेरा गया है, मैं नहीं जानता, लेकिन इससे काश्तकारों को आमदनी हुई होगी लेकिन ३ करोड़ ८७ लाख रुपया गन्ने का दाम मिलों से मिला। इसके अलावा गन्ने की मिलें जो देवरिया जिले में हैं उसमें मजदूरों को ३४ लाख रुपया मजदूरी के रूप में बांटा गया यानी ४ करोड़ २१ लाख रुपया देवरिया जिले में पिछले कुछ महीनों में काश्तकारों के पास गया। क्योंकि मजदूर भी देहात का रहने वाला है और जो गन्ना पैदा करने वाले हैं वह भी देहात के हैं तो यह क्यों मान लिया जाय कि जिनके पास रुपया गया वह इस लायक नहीं हैं कि रुपया दे सकें। कुछ मिलें सीतापुर, लखीमपुर, मेरठ में हैं और उनके यहां भी काश्तकारों को गन्ने का दाम मिला है तो यह मांग जो सब के लिये है कि मालगुजारी न ली जाय यह कहां तक उचित है और इसकी कोई वजह होनी चाहिये। यह अन्याय की बात है कि उन लोगों से मालगुजारी लेना छोड़ दिया जाय। फिर पैसे के अलावा हमने गल्ला भी वहां काफी भेजा है। बराबर जिक्र होता है कि सन् ५२ में क़हत की सूरत पैदा हो गई थी। इस बार उससे भी हालत खराब है। मगर यह बात जानकारी की कमी की वजह से कहीं जाती है। सन् ५२ के मुक़ाबले में मैं दो चार बातें इस साल की सदन के सामने रखना चाहता हूं। ५२ में गेहूं १९ रु० ५ आने ८ पाई प्रति मन के भाव का था, इस साल १५ रु० १० आने हैं। चना ५२ में १५ रु० ११ आने १ पाई था और इस साल १२ रु० ७ आने ५ पाई है। जौ उस वक्त १३ रु० ३ आने था और इस समय १० रु० १ आने ६ पाई है। चावल उस वक्त २४ रु० ३ आने ४ पाई था और इस समय चावल १८ रु० ५ आने ४ पाई है। इस वक्त ५२ के मुक़ाबले में मंहगी कम है। हमने सन् ५२ में १३ लाख १० हजार मन गल्ला पूर्वी जिलों को दिया था। आज अब तक ४० लाख मन गल्ला वहां पहुंच चुका है और अभी और चल रहा है। इससे जाहिर है कि हम मदद पहले से ज्यादा कर रहे हैं। न जाने कैसे कुछ लोगों का ख्याल ऐसा हो रहा है कि हमने कुछ हालत उधर की छिपा रखा है और कम गल्ला गवर्नमेंट आफ इंडिया से मांगा है। यह बात गलत है। मई में १० हजार टन, जून में १५ हजार टन, जुलाई में १७ हजार टन, अगस्त में ३० हजार टन गल्ला हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से लिया है और सितम्बर में ४० हजार टन गल्ला मांगा है। बराबर जरूरी मदद ली जा रही है और गवर्नमेंट आफ इंडिया देने को तैयार है। अगर हालत वहां की खराब है तो जरूर खराब है। मगर हम मदद जो दे सकते हैं वह वहीं तक रहेगी, जहां तक न्याय हो और हम बराबर मदद करते आ रहे हैं। जहां अन्याय होगा वहां हम मदद नहीं कर सकते। इसके अलावा इसकी शिकायत है कि टेस्ट वर्क नहीं होता है। टेस्ट वर्क वहां होता है और बालिग मर्द ८ आने, स्त्री ६ आने और बच्चों को ४ आने मजदूरी टेस्ट वर्क में मिलती है, जिसमें ज्यादातर स्त्रियां जाती हैं। इसके माने होते हैं कि पुरुषों को वहां कुछ न कुछ काम करने को मिल जाता है। आज बरसात में टेस्ट वर्क का काम नहीं हो सकता है

आदि स
६
तारी
२६-७-

फिर १ करोड़ ८० लाख रुपये का काम पी० डब्ल्यू० डी० और इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की ओर से हो रहा है जिसमें मजदूरी टेस्ट वर्क से बहुत ज्यादा मिलती है। उन जिले की शिकायत है कि बहुत से लोग भुखमरी से मर रहे हैं। इसके सम्बन्ध में कुछ कह देना चाहता हूं। किसी के पास कोई ऐसी एजेन्सी नहीं है कि जिस साधन से नापा जाय। जरूर हमने इस बात को कहा है और अब भी कहते हैं कि जहां तक मनुष्य के लिये सम्भव है हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी स्टेट में कोई भूखा न रहे। लेकिन हम ईश्वर होने का तो दावा नहीं कर सकते। जितनी बड़ी स्टेट है जिसमें सवा ६ करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, उसमें चाहे पूर्वी जिले हों या पच्छिमी जिले हों जहां से भी शिकायत मिलती है वहां पर कोई आदमी मर सकता है। यह कोई दावा नहीं हो सकता कि कोई आदमी अन्न के बगैर नहीं मर सकता। १०, ५ आदमी इतनी बड़ी स्टेट में मर भी जांय तो आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अब तक जितने केसेज ऐसे मरने के बतलाये गये हैं, वह सब गलत है। इस बात को मानने का कोई कारण नहीं कि भुखमरी से सैकड़ों आदमी चारों ओर मर रहे हैं।

कहने को जरूर कह दिया जाय। कुछ लोगों का कहना है कि हैजे का प्रकोप हुआ इसलिये कि वहां के लोगों को खाना नहीं मिलता है। डाक्टर और वैद्य का कहना है कि जब खाना नहीं मिलता है तो एक आदमी कमजोर हो जाता है और कोई बीमारी उसे हो सकती है। इत्तफाक की बात है कि हैजा को गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस या जिसको अतिसार भी कहते हैं। वह बीमारी उन्हीं जिलों में नहीं है। यह बीमारी बांदा, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद और सुल्तानपुर में भी हुई है। इन जिलों में देवरिया और गोरखपुर की अपेक्षा ज्यादा आदमी मरे इसलिये यह कहना बिल्कुल गलत बात है कि चूंकि इन जिलों में खाना कम मिलता है इसलिये लोग मरते हैं, यह गलत है। इससे यह बात साबित नहीं होती है इसलिये कहता हूं। केवल मिनिमाइज करने के लिये नहीं कहता। मनुष्य दैवी प्रकोप से लड़ता भी है और हिम्मत से सामना करता है। जैसा मैंने पहले कहा था कि किसी तस्वीर को अति रंजित नहीं करना चाहिये। जैसी हालत हो उसका मुकाबला करना चाहिये। जो आजकल आवश्यकता है उसको हम करते हैं। जितनी जरूरत है उतनी लगान को माफ भी करते हैं। जहां पर गल्ला पहुंचाने की जरूरत होती है वहां पर गल्ला भी पहुंचाते हैं और मुफ्त भी देते हैं। जो पहले नहीं होता था उसको भी बरत रहे हैं। जहां पर नहर नहीं थी वहां पर दो मील नहर होगई है। सैकड़ों नलकूप हो गये हैं। इंडस्ट्री का जब प्रश्न उठता है तो किस प्रकार की इंडस्ट्री वहां पर लगाई जाय यह देखना होता है और जबतक किसी प्रकार की इंडस्ट्री वहां पर न लगाई जाय तबतक एक अच्छे तरीके पर वहां के लोगों की सहायता नहीं हो सकती है। लेकिन इंडस्ट्री की बात आसान नहीं होती है। कह देना तो सहल बात है। आजकल जो उद्योग धंधा लगाया जायेगा, तो उसका मुकाबला करना पड़ता है इस देश की मिलों का और विदेशी मिलों का, इसलिये बहुत सोचना पड़ता है यह काम खिलवाड़ नहीं है। वह कौन सी इंडस्ट्री चलाई जाय जो पनप सके और जिसका सामान मारकेटेबुल हो। इन्हीं बातों को हम भी सोच रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट जो हैं वे भी सोच रहे हैं। जैसे-जैसे रुपया पैसा हमारे पास होगा हम भी इस काम को करेंगे। यह सवाल किसी एक आदमी से हल नहीं हो सकता है। बेवक्त में गलत बात भी सोची जा सकती है। अगर किसी आदमी को तकलीफ है, तो उसकी तकलीफ के संबंध में हर पार्टी के आदमी को दुखी होना चाहिये। हम सब लोगों को उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिये। ऐसे मामले में सब लोग तैयार होंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई बात कही जाय जिससे इन जिलों के लोग डिमारेलाइज्ड हों। अगर उनकी हिम्मत कमजोर हो जायेगी, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज पूर्वी जिलों के नाम पर जैसा आन्दोलन चलाया जाता है उससे पूर्वी जिलों के आदमी डिमारेलाइज्ड हो जाते हैं। उनको भी आत्म सम्मान की बात है। जिस तरह से उनकी बात रखी जाती है उससे यह मालूम

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

होता है कि वे भिखमंगे हो गये हैं और उनमें से हरएक आदमी लालाइत है कि किसी भी तरह से उनको खैरात मिल जाय और उसको ले ले। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। मैं गवर्नमेंट से संबंध रखने की वजह से भी कहता हूं कि ऐसी कोई चीज न कही जाय जिससे हमारे प्रदेश के किसी भी अंश में रहने वाले को कमजोरी हो। यह पूर्व और पश्चिम का प्रश्न नहीं है। और न राजनैतिक दलों का ही प्रश्न है। थोड़ी बहुत कठिनाई जरूर है अगर हम उसको आपस में मिल कर शान्ति के साथ हल करें तो मैं समझता हूं कि समस्या हल हो सकती है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का आभारी हूं कि सरकार ने यह अवसर प्रदान किया कि आज फूड की समस्या के ऊपर और विशेषकर माननीय गेन्दा सिंह जी के अनशन के कारण जो और भी जटिलता पैदा हो गयी है और उसकी ओर अधिक ध्यान आकर्षित हुआ है उसके सम्बन्ध में इस सदन में विचार किया जाय। श्रीमन्, मैं पहले ही बतला देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद बदली हुई परिस्थिति में जहां तक किसी प्रकार के भी अनशन या इसी प्रकार की चीजों का सम्बन्ध है मैं तो समझता हूं कि वह किसी प्रकार से भी किसी जरूरत और समस्या को हल करने का तरीका नहीं है। यह जरूर है कि अनशन हमारा ध्यान किसी समस्या की ओर आकर्षित करता है और अगर वह अनशन किसी विशेष समस्या के प्रति किया गया है तो उस तरफ हमारा ध्यान अधिक आकर्षित होता है और उसकी तेजी भी निर्भर है उस व्यक्ति विशेष पर जो अनशन करता है। जितना ही बड़ा व तपस्वी व जनता द्वारा पूज्य व्यक्ति होता है वैसे उसके किये हुये अनशन का प्रभाव जनता में तेजी से फैलता है। यह सही है कि अनशन जो है वह एक सत्याग्रह की आरमरी (armary) में एक अचूक अस्त्र अपनी मांगें मनवाने का है। लेकिन फिर भी आज की बदली हुई परिस्थिति में हमें इस बात पर विचार करना होगा कि आया इस प्रकार की चीजों को हम रख कर किस प्रकार से अपने प्रदेश की परिस्थितियों को हल निकाल सकते हैं। यह सब होते हुये भी बहरहाल हमारा ध्यान आकर्षित हुआ और हम चाहते हैं कि जो पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या है उसके ऊपर विशेष रूप से विचार किया जाय और निर्णय लिया जाय। श्री गेन्दा सिंह जी का जो कुछ भी पत्र व्यवहार माननीय मुख्य मंत्री जी से हुआ है उन सबको मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है। इस खाद्य समस्या के संबंध में उनका एक ओर निश्चित रूप से कहना है कि लगभग १०० मौतें भुखमरी के कारण हुई हैं। वहां के लोगों की क्रयशक्ति जो है वह स्वभाविक है कि गिरती चली जा रही है। टेस्ट वर्क्स जो हैं वे इतने काफी नहीं हैं जो कि लोगों को पूरी तरह से इम्दाद पहुंचा सकें और वह एक कमेटी चाहते हैं। वह चाहते हैं कि विधान मंडल के सदस्यों की एक कमेटी बनायी जाय, जो कि इन परिस्थितियों पर विचार करे। इसके साथ ही साथ जैसा अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनकी एक मांग यह भी है कि वहां का टोटल रेवेन्यू रेमिट कर दिया जाय और तीसरी बात जो माननीय गेन्दा सिंह जी चाहते हैं वह यह है कि उस एरिया को डेवलप करने के लिये एक परमानेन्ट कमेटी बनायी जाय जो उन सभी बातों पर विचार करे और विचार करने के बाद अपने सुझाव दे।

श्रीमन्, मैं बहुत कुछ अंशों में जो बातें अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहीं हैं और उनके तर्कों से सहमत हूं और उन इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रकार की सभी बातों पर विचार हो रहा है और आगे भी होना चाहिए। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जी से ही नहीं बल्कि भाई गेन्दा सिंह जी से भी कहूंगा कि हमारा एक डागमेटिक एटीच्यूट नहीं होना चाहिए हमें ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए कि वह कार्य जो हो रहा है वह अच्छा से अच्छा चले और उसमें मदद मिले।

मैं निसन्देह यह कह सकता हूं कि भाई गेन्दा सिंह जी ने जो अनशन किया है, उनकी जिनूइननेस पर हम पूरी तौर से विश्वास करते हैं और किसी प्रकार की भी शंका इसके विषय में

आदि सं
६
तारी
२६—७—

नहीं की जा सकती है । लेकिन फिर भी एक परिस्थिति ऐसी हो गयी है कि हमको उस परिस्थिति को सम्भालना ही है । तो ऐसी हालत में जो बातें अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही कि वहां पर करीब २ करोड़ १९ लाख रुपये की मालगुजारी है, जो कि लोग देते हैं और यह सही है कि कोई शख्स अगर जरा सा भी उसमें समझ का दखल हो सकता है तो वह यही समझेगा कि दो करोड़ १९ लाख का जब वहां का रेवेन्यू है और उसमें दो बटा तीन हिस्सा रेवेन्यू का माफ कर दिया गया है तो वाकई में यह एक ऐसा काम है कि उसके खिलाफ कोई दलील या कोई तर्क किसी प्रकार का ठहर ही नहीं सकता है । यह भी सही है कि जो लोग दे सकते हैं वह क्यों न दें, इसमें भी कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं ।

अब जो टेस्ट वर्क के विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा व अन्य कार्य कि एक करोड़ और ६० लाख रुपये के वहां पर ऐसे कार्य हो रहे हैं इरीगेशन विभाग और पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के जरिये से कि उनके जरिये से वहां के लोगों को काफी मदद मिल सकती है और मिल रही है । साथ ही साथ जो अब सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया गया उसमें यह कहा गया है कि पहले वहां पर यानी सन् १९५२ में इतना गल्ला पहुंचा था और जितना पहले पहुंचा था उससे कहीं ज्यादा गल्ला अब इस बार वहां के लिये रखा है । ६० लाख मन गल्ला वहां के स्टोर्स के स्टाक में है, जो कि वहां के लोगों को सहायता पहुंचाने के लिये रखा गया है । तो जब एक तरफ हम माननीय गेंदा सिंह जी की दी हुई तस्वीर को देखते हैं और उसके बाद जब दूसरी तरफ सरकार के जो आंकड़े हैं, सरकार की दी हुई जो तस्वीर है, उसको देखते हैं तो एक तरह से भ्रम होता है, कि जब इतना ज्यादा सरकार की ओर से किया जा रहा है तो फिर आखिर क्या कारण है कि वहां की समस्या हल नहीं हो पा रही है । कहीं न कहीं, कुछ न कुछ कमजोरी या लकूना जरूर है, जिसको हम लोगों को दूर करना चाहिये । और हो सकता है कि जो सरकारी मशीनरी वहां पर इन कामों को इम्प्लीमेंट करती है और इन तमाम चीजों का वितरण करती है, उसमें ही किसी प्रकार की कमी हो । हो सकता है कि वह कारण सरकार को अपनी मशीनरी के द्वारा न मालूम हो सके हों, तो आखिर इन सब कारणों को देखते हुये यही उचित है कि लेजिस्लेटर्स की एक कमेटी बना दी जाय और वह कमेटी मौके पर जा करके इन सब कारणों पर विचार करके अपना सुझाव दे सकती है कि किस प्रकार से वहां पर काम चल रहा है और जो रिलीफ वहां के लोगों को दी गयी है उन क्षेत्रों में तो, उसमें तो कोई कमी नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छी बात हो सकती है । मुझे खुशी है कि यह बात सरकार की तरफ से मानी भी जा चुकी है । केवल फर्क इतना है कि जो एक तरफ कहना है वह तो यह है कि जो इस कमेटी का निर्णय हो, वह फाइनल होगा और सरकार का कहना है कि जो इसका निर्णय होगा वह ऐडवाईजरी होगा, फाइनल नहीं होगा । मैं तो समझता हूं कि कोई भी सरकार और विशेष कर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के लिये किसी भी विषय पर किसी प्रकार का सही निर्णय न लेना बिल्कुल गैर मुमकिन है । ऐसी सरकार किसी भी सही निर्णय के खिलाफ नहीं जा सकती है । ऐसी परिस्थिति को देखते हुये मैं तो समझता हूं कि एक वायमीडिया जो हो सकता है, वह यह हो सकता है कि एक कमेटी विधान मंडल की बनादी जाय और वह कमेटी इन पूर्वी क्षेत्रों में दौरा करे और फिर अपने सुझाव दे और उसके अपने सुझाव आ जाने के बाद फिर सरकार उसके उन सुझावों पर विचार करे । अब रहा यह कि कमेटी का ही निर्णय सरकार इम्प्लीमेंट करे या नहीं । आपको मालूम होगा कि राधा कृष्णन कमेटी ने अपने सुझाव दिये और उसकी सभी स्टेटों में रिपोर्ट्स मौजूद हैं लेकिन हम देखते हैं कि अगर किसी कमेटी का ही निर्णय लागू हो जायेगा तब तो बड़ा मुश्किल हो जायेगा किसी भी सरकार के लिये क्योंकि जिसको ऐडमिनिस्ट्रेशन करना है वह उसको परिस्थिति के अनुकूल देखेगी, उस पर विचार करेगी, क्योंकि कभी धन की कमी होती है, कभी प्रदेश की परिस्थिति ऐसी होती है कि उसके निर्णय को जल्दी नहीं

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

माना जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा वायमीडिया सरकार की तरफ से स्वयं निकाल दिया गया है कि इस विषय के बारे में कोई न कोई हल बड़ी आसानी के साथ में निकाला जा सकता है। अब केवल जो एक बात रह गयी है और जिस पर विवाद की बात हो सकती है वह यह है कि कोई एक कमेटी बिठायी जाय जो पूर्वी जिलों की समस्या पर लांग रेंज स्कीम पर विचार करे। जिस समय बजट यहां बहस हुई थी तो मैंने कहा था और मेरा यही सुझाव था और आज भी श्रीमान् मैं आप के जरिये से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बात को प्रेस्टीज का ईशू न बना लें। अगर कोई एक्सपर्ट की कमेटी या कमीशन सरकार बिठा देगी तो मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये और किसी प्रकार की प्रेस्टीज का ईशू सरकार के सामने नहीं आना चाहिये। एक सुझाव यह भी हो सकता है कि सरकार लेजिस्लेटर्स की एक कमेटी बनाये जो उसे अधिकार हो कि अगर वह उचित समझें तो ऐसी कमेटी का सुझाव दें जो लांग रेंज स्कीम पर विचार करे। अगर वह लेजिस्लेटर्स की कमेटी कोई एक्सपर्ट कमेटी या कमीशन बनाने की राय देती है तो सरकार को उस बात को मानने के लिये कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और सरकार को उसकी बात पर गौर करना चाहिये क्योंकि उसकी भी राय एडवाइजरी ही होगी। अगर सरकार ऐसा करेगी, तो मैं समझता हूं कि सरकार की कोई हानि नहीं होगी। जो यह कमेटी बनेगी तो इसमें सरकार के ही मनोनीत किये हुये सदस्य होंगे और यह लोग उस क्षेत्र की जांच करके सारी बातों को सरकार के सामने रखेंगे। जहां तक खाद्य स्थिति का सम्बन्ध है, मैं इस अवसर पर एक सुझाव अवश्य देना चाहता हूं, वह यह है कि यह जो टेस्ट वर्क होता है इसमें जो ८ आने, ६ आने और ४ आने मजदूरी दी जाती है तो बजाय नकद पैसे देने के अगर उन लोगों को अनाज ही दे दिया जाये तो मैं समझता हूं कि अच्छा होगा। जब उनको अन्न के रूप में मजदूरी दी जायेगी, तो मैं समझता हूं कि उनको काफी सुविधा होगी।

इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी ने काटेज इन्डस्ट्रीज के बारे में भी कहा है, तो उसके बारे में मैं तो यही कहूंगा कि काटेज इन्डस्ट्रीज के डेवलपमेन्ट से वहां की हालत ठीक हो सकती है। मैं अन्त में सरकार से फिर यह अपील करूंगा कि वह इस समस्या को प्रेस्टीज का ईशू न बना ले। इस समय जो सरकार के सामने श्री गेन्दा सिंह जी की समस्या है, उसका कुछ न कुछ हल जरूर निकालना चाहिये और वह ऐसा निर्णय होना चाहिये जो सब को मान्य हो। सरकार को इस समस्या को हल करने के लिये कोई सल्यूशन जल्द निकालना चाहिये। इन शब्दों के साथ में माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अपील करूंगा कि वे किसी तरह इस समस्या को हल करने के लिये ऐसा सल्यूशन निकालें जिससे यह समस्या बहुत जल्द हल हो जाये।

*श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में और इसके साथ साथ माननीय गेंदा सिंह जी के अनशन से जो उत्पन्न स्थिति है, उसके सम्बन्ध में सदन में जो बातें आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखी हैं, उसको देखते हुये मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सरकार की भी राय इस बारे में एक ही मालूम होती है कि पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति अपने स्थान पर बहुत ठीक नहीं है। ऐसी हालत में जब कि हम इस बात को मानते हैं और सभी लोग मिलकर इस बात को मानते हैं कि पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति ठीक नहीं है, तो इसके सम्बन्ध में कि खाद्य स्थिति कहां तक ठीक है और कहां तक ठीक नहीं है, यदि वाद विवाद है तो इस वाद विवाद का एक ही रास्ता है कि कोई ऐसा कमीशन बैठे जो कमीशन कि वहां जाकर वहां की स्थिति को देखें और देखने के साथ साथ जो पूर्वी जिलों की हालत है, उसका जो मौजूदा स्वरूप है, उसके सिलसिले में और साथ ही साथ आगे आने वाली स्थिति के सम्बन्ध में, कोई अपना निश्चय दे। जब इस तरह का कोई भी वाद विवाद विरोधी पक्ष में और सरकारी पक्ष के बीच में हो और जहां पर मानवता का इस प्रकार से सम्बन्ध हो, और कोई भी इस में पार्टी का सवाल न समझता हो, तो इसके लिये दोनों तरफ से

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

इस प्रकार का प्रयत्न होना चाहिये जिससे कि इस मसले के लिये हम कोई इस प्रकार का कोई रास्ता निकालें, दोनों पार्टियां मिलकर कोई इस प्रकार का रास्ता निकालें जिससे कि इस तरह के प्रश्न का ठीक तरह से हल हो सके, तो यह उचित ही होगा। मैं मानता हूं कि सरकार की कुछ दिक्कतें हैं और उसका अपना पक्ष भी होता है, लेकिन इसके साथ तो विरोधी पक्ष भी है और जो आज मुल्क की स्थिति है और जो लोग इससे सम्बन्ध रखते हैं तथा जिनके बीच से हम लोग आते हैं, उन लोगों का मसला जब गम्भीर हो जाता है और जब इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट पार्टी के लोग भी इसी पक्ष के हो जाते हैं और जो पूर्वी जिलों से आने वाले लोग हैं, वे भी इस बात को महसूस करते हैं, तो हमें इस बात पर अच्छी तरह से जरूर विचार करना चाहिये।

आज प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी श्री तारकेश्वर पांडे ने भी यह स्थिति बतलाई है कि पूर्वी जिलों की स्थिति इस समय नाजुक है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने इस प्रश्न को रखना चाहता हूं और मैं यह समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी उसी इलाके से आते हैं और वहां की स्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी ओर उनका ध्यान जाना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पूर्वी जिलों में घनी आबादी है। प्रदेश की एक तिहाई आबादी पूर्वी जिलों में बसती है। इतनी पापुलेशन के लिये उपज अधिक होनी चाहिये, लेकिन वहां के लोगों के पास जमीन बहुत कम है, मजदूरों की संख्या भी ३० या ४० प्रतिशत के अन्दर है। उस इलाके में उद्योग धन्धे नहीं हैं, मैं इस बात को मानता हूं कि उद्योग धन्धे एक दिन में नहीं खुल जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां इसका अभाव है। साथ ही साथ पूर्वी जिलों में पापुलेशन की तादाद बहुत अधिक है, जब कि इसके साथ ही वहां पर जमीन के अलावा और कोई दूसरा रोजगार नहीं है। कई सालों से उस इलाके में एक साथ ही विपत्तियां आ रही हैं, ऐसी हालत में वहां के लोगों की क्या दशा होगी, यह सभी समझ सकते हैं। सन् ५१ से लेकर आजतक लगातार वहां पर बाढ़, सूखा और ओला पड़ा है और वहां पर ८० प्रतिशत लोग अनआर्थिक खेती पर ही रहते हैं। वहां पर ज्यादातर गरीब मजदूर लोग हैं लेकिन अब वे मजदूरी कर के भी अपना पेट नहीं पाल सकते हैं। ऐसी हालत में जब वहां पर लगातार कई सालों से विपत्तियां आईं, तो यह एक सोचनीय बात है। मैं सरकार के सामने पिछली बातों को नहीं रखूंगा, लेकिन सन् १९५६ में खरीफ के मौक़े पर जो बाढ़ आई थी, उससे कितना नुक़सान हो गया। वहां पर वाटर लागिंग हो गया। वे लोग रबी की फसल भी ठीक तरह से नहीं बो सके और वह फसल भी उनकी मारी गई है। वहां पर रबी और खरीफ की फसल के नुक़सान की वजह से बहुत दयनीय परिस्थिति पैदा हो गई है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती है।

इस समय की जो स्थित है वह यह कि बरसात न होने के कारण भदई की फसल नहीं के बराबर है। आज वहां की ऐसी हालत है कि जिसके संबंध में सरकार और विरोध पक्ष में दो रायें हैं। यह बात ठीक है कि किसी भी चीज का ऐक्जैजरेशन नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि यदि विरोधपक्ष कुछ कहता है तो उसको ऐक्जजरेशन ही नहीं समझना चाहिए। उसके लिए एक रास्ता है। यदि किसी मामले में दो रायें हैं तो उस मामले की जानकारी किसी कमीशन या कमेटी के द्वारा करनी चाहिए। एक स्थिति तो वह है जो मौजूदा है और दूसरी स्थिति वह है जो खाद्यान्न के सिलसिले में डैफिसिट एरिया के रूप में चल रही है। साथ ही वहां के लोगों की माली हालत अच्छी नहीं है। यह एक लोग दर्द सवाल है। माननीय मुख्य मंत्री जी की भी राय है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका विद्रोही रहा है। वहां पर विद्रोह होने के कारण वहां न्याय नहीं हुआ है। जो फैसिलिटीज वहां लोगों को मिलनी चाहिए वह नहीं मिलीं। ऐसी हालत में लोगों में गरीबी अपनी जगह पर मौजूद है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं। वह यह कि जो

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

डेवलपमेंट का काम हुआ है उससे कुछ तो अच्छाइयां निकली हैं लेकिन उनके द्वारा जो बाढ़ की स्थिति है वह और जटिल होती जा रही है। वाटर लागिंग का प्रश्न और उग्र रूपधारण कर रहा है। जो वहां पर डेवलपमेंट के काम हुए हैं उनसे भी वाटर लागिंग हुआ है। ५६ की रबी की फसल का मारा जाना भी इसी कारण से हुआ है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनारस ने एक रिजल्यूशन पास किया कि चन्दौली में जो बाढ़ आई वह इसलिये आई कि वहां पर इरींगेशन डिपार्टमेंट के कन्स्ट्रक्शंस ठीक तरीके से नहीं बने हैं। एक तो वह बाढ़ का इलाका है यह प्राकृतिक देन है। लेकिन हम भी उसको बाढ़ का इलाका बना रहे हैं। वहां के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वहां के किसानों की जो हालत है, जो वहां की जोतों की हालत है, उसमें लैंड रेवेन्यू का लोगों के ऊपर काफी बर्डन है। मेरी राय है कि सरकार कोई फुड कमीशन नियुक्त करे जिसमें ऐक्सपर्टस हों यही नहीं कि उसमें सिर्फ लैजिस्लेटर्स ही हों। ऐक्सपर्टस के रखने से कमेटी की हैसियत इस तरह की हो जाती है कि उसमें सरकार के लोग ज्यादा होंगे। जब ज्यादा लोग सरकार के हों और सरकार उसके लिये भी तैयार न हो यह बात समझ में नहीं आती है। सरकार की तरफ से कहा जा सकता है कि किसी कमेटी की रिकमेंडेशन मानना जरूरी नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जमींदारी एबालीशन कमेटी बैठी। उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि गरीब किसानों पर लैण्ड रेवेन्यू का बर्डन बहुत ज्यादा है। वह कम होना चाहिए। लेकिन उस कमेटी के एक अंश को माना गया और दूसरे अंश को नहीं माना गया।

तो ऐसी हालत में लोगों के दिलों में यह बात उठती है कि क्यों ऐसे कमीशन को बिठाने की कोई बात न मानी जाय। कमीशन में एक्सपर्टस रहें और सरकार के लोग रहें ऐसे लोग रहें जो ठीक तरह से रिपोर्ट दे सकें और उसमें विरोधी पक्ष के लोग भी हों जो ठीक तरह से वहां की प्राब्लम्स को समझते हुये कमीशन के सामने अपनी बात रख सकें। कमीशन की बात को मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा कमीशन हो जो हाई पावर का हो और जिसकी राय को मानने से इंकार न किया जाय, उसकी पूरी राय को माना जाय, तभी कुछ बात निकल सकती है।

दूसरी बात जो मैं मुख्य मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक लैन्ड रेवेन्यू के रिमिशन या सस्पेन्शन का सवाल है, यदि माननीय मंत्री जी इस बात को मानते हैं कि उस एरिया की हालत खराब है और इस संबंध में कोई कमेटी बनाई जा सकती है जो प्राइमा-फेसी तरीके से भी देख सकती है और लांग टर्म की भी रिपोर्ट वह दे सकती है, कि जो बातें कही गई हैं विरोधी पक्ष की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से वह कहां तक ठीक है और डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज की रिपोर्ट में कहां तक इशारा किया गया है और किन बातों को कहां तक पूरा किया गया है, तो इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह कमीशन की बात को अपने सामने जरूर रखें। माननीय गेंदा सिंह ने कोई थ्रेट का सवाल नहीं उठाया है, उन्होंने ऐसा महसूस किया और उन्होंने हीं क्या सभी ने इस बात को महसूस किया कि वहां की स्थिति खराब है और इसी कारण से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। हंगर स्ट्राइक के सिलसिले में दो रायें हो सकती हैं लेकिन उसी के साथ साथ जो व्यक्ति हंगर स्ट्राइक कर रहा है उसकी इन्टेग्रेटी और आनेस्टी के बारे में स्वयं मंत्री जी ने भी कहा है कि वह बहुत ही आनेस्ट आदमी हैं तो इस संबंध भी सोच विचार होना चाहिये। एक बात मैं माननीय मंत्री जी से और कहना चाहता हूं। वह इस प्रश्न पर कि आज जो पूर्वी जिलों का सवाल उठाया गया है कि इससे नैतिकता की कमी का प्रश्न उठ सकता है और नैतिकता पूर्वी जिलों की गिर सकती है इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पोपुलर डिमोक्रेसी में अपोजीशन पब्लिक डिमान्ड्स सरकार के सामने रखता है और एजीटेशन करता है और जब एजीटेशन होता है तो पब्लिक मारैलिटी का सवाल नहीं होता है। यदि इस सिद्धान्त को मान लिया जाय कि ऐसे प्रश्नों को उठाने से नैतिकता गिरेगी तो फिर कोई डिमान्ड विरोधी पक्ष की तरफ से उठाई ही नहीं जा सकती है। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि जो

बात पूर्वी जिलों के लिये उठाई गई उसमें सरकार के प्रेस्टिज का कोई प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री जी को गौर करना ही चाहिये और इस मसले से जिसमें सभी को चिन्ता है, जो पूर्वी प्रदेश की स्थिति है, गेंदा सिंह की जो स्थिति है उसके संबंध में कोई रास्ता निकले यह हम सभी को सोचना है और सरकार को भी इसके लिये कोई न कोई रास्ता तुरंत निकालना चाहिये।

श्री चेयरमैन--१२-१३ नाम बोलनेवाले सदस्यों के मेरे पास हैं इसलिये मैं केवल १०-१० मिनट ही दे सकता हूं।

***श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--माननीय अध्यक्ष महोदय ! मैंने अपने विचार इस भवन में पूर्वी जिलों की स्थिति के संबंध में जब डिबेट हुई थी रखे थे। कुछ भाइयों ने हमारे विचार सुने और उनसे ऐसा अन्दाजा लगाया कि मैंने जो बातें रखीं वह कुछ ईस्ट वेस्ट से संबंधित रखीं। मेरा उस दिन और आज भी कोई इरादा नहीं है कि ईस्ट वेस्ट के संबंध में कुछ ऐसी बात की जाय जिससे कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के मुतालिक जो उसका दुख है और जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्टस के लोग हैं उनके हृदय में उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं कि हमारा यह उत्तर प्रदेश है। पूर्वी और पच्छिमी भाग दोनों मिलकर एक दूसरे के दुख दर्द में साथ होते हैं। मैं समझता हूं कि वह पूरे उत्तर प्रदेश का दुख दर्द कहा जा सकता है। लेकिन एक बात जो मैंने उस दिन रखी थी वह आज मैं फिर रख रहा हूं। वह यह कि जिस प्रकार से ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टस् की समस्या को रखा जाता है। पूर्वी जिलों के संबंध में जो बातें कही जाती हैं वह किसी भी प्रकार से उचित नहीं हैं। जहां तक पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति का संबंध है मुझे खुद भी इस बात का अन्दाजा है कि पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति संतोष जनक नहीं है। पूर्वी जिलों की ही नहीं बल्कि हमारे प्रान्त में पच्छिम में भी ऐसे जिले हैं जिनकी खाद्य स्थिति अच्छी नहीं है। पहाड़ के जो लोग हैं, नैनीताल गढ़वाल का जो इलाका है वहां की खाद्य स्थिति बहुत खराब है उसका मुकाबिला किया जाय तो पूर्वी जिलों के भी मुकाबिले में भी अच्छी नहीं होगी बल्कि खराब ही होगी। इसलिये आज जो समस्या है उसके लिये यह नहीं कहा जा सकता है कि यह समस्या पूर्वी जिलों की ही है और पूर्वी जिलों के अलावा हमारे प्रान्त के किसी भी स्थान में यह समस्या नहीं है। यह बात मैंने कही थी। पूर्वी जिलों के संबंध में हमारी सरकार को सहानुभूति नहीं है कुछ मेम्बरों ने तो यहां तक कहा कि बृटिश गवर्नमेंट से लेकर अब तक पूर्वी जिलों के साथ अन्याय होता आया है। मेरा अपना विचार है कि पूर्वी जिलों के लिये पच्छिमी जिलों से और दूसरे जिले भी हैं उनसे ज्यादा सरकार की सहानुभूति है। यह फूड डिपार्टमेंट की विज्ञप्ति है उससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि पूर्वी जिलों की हालत सुधारने के लिये सरकार ने कितनी मदद की है वह इसमें लिखा हुआ है :-

A quantity of 13,400 mds. of rice purchased by the State Government from the Government of India was also sold in the following flood-affected areas.

जितनी भी चावल खरीदा गया उसको इन जिलों में गाजीपुर, बस्ती, बनारस, देवरिया गोरखपुर, बलिया आदि जो पूर्व के जिले हैं उनको भेज दिया गया।

The National Christian Council of India donated 6,000 bags of wheat each containing 100 lb. for free distribution in the flood-affected areas of Uttar Pradesh. This wheat was distributed as follows:

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

फ्लड एफेक्टेड ऐरियाज़ जो हैं आपको मालूम हैं कि मुज़फ़्फ़रनगर में कितने जोर की बाढ़ आयी थी। जो १४ फ्लड एफेक्टेड डिस्ट्रिक्टस् हैं, एक आगरे को छोड़ कर सभी ज़िले ईस्ट के हैं।

1,500 bags of rice each containing 100 lb. were offered by the Government of India for free distribution in the flood-affected areas of the State. These were distributed as follows:

इसके अन्दर ९ ज़िले हैं और वे सब पूर्व के हैं। इसी तरह से फेयर, प्राइस शापस खोली गयीं।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जो गल्ला मंगाया गया उसमें से ४५ टाउन्सो को दिया गया और उसमें से ३५ जगहें पूर्वी ज़िलों की हैं। १० जगहें पश्चिमी जिले में हैं। उसमें से ५ जगहें मिली हैं और बाकी ५ जो हैं वह ऐसो हैं जैसे हल्द्वानी, हरद्वार और हापुड़ आदि। यह शहर नहीं है टाउन्स हैं। इसलिये यह दलील देना कि इस इलाके को नेगलेक्ट किया जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेकर और आजतक कुछ नहीं दिया गया है मैं यह समझता हूं कि यह गलत बात है। जहां तक डेवलपमेन्ट का प्रश्न है यह रिपोर्ट प्लानिंग डवलपमेंट की है उसको देखने से यह नतीजा लगाया जा सकता है कि जितने काम पूर्वी जिले को सुधारने के लिये जैसे काटेज इन्डस्ट्रीज़ और कम्यूनिटी ब्लाक्स आदि वह सब पूर्वी ज़िलों में किये गये हैं और ७५ परसेन्ट रुपया पूर्वी ज़िलों में स्टेट का लगाया गया है। जैसा कि प्रभु नारायण जी ने ज़िक्र किया इरीगेशन के बारे में वह पेज ८६ में दिया हुआ है कि इतने प्राइवेट टच्यूबवेल और इतने स्टेट टच्यूबवेल और इतने परशियन वेल्स हैं यह सब काम जो हुआ है उसका ७५ परसेन्ट पूर्वी ज़िलों में हुआ है। जहां तक फूड प्राब्लम और इन्डस्ट्री का सवाल है इस बात की कोशिश की जा रही है कि पूर्वी ज़िलों को सुविधा पहुंचाई जाय। लेकिन इसके बाद भी इस बात की शिकायत है। जहां तक फास्ट का संबंध है नैचुरल केलामिटिज़ आती रहती हैं तो उसके खिलाफ कोई नहीं कहता है। कहता जब है कि जब कोई आदमी किसी काम को नहीं करता है और उस सिलसिले में फास्ट और एजीटेशन आदि किये जाते हैं। आज आप स्वयं इस बात को मानते हैं कि वहां पर जमीन नहीं है लैन्डलेस लेबरर्स ज्यादा हैं और इतना गल्ला नहीं पैदा होता है जितनी वहां पर आवश्यकता है और उसके बाद आप फास्ट करें तो ठीक नहीं है। मेरा ऐसा ख्याल है कि पूर्वी ज़िलों की ओर सरकार ने ध्यान ज्यादा दिया है और इसी कारण पश्चिमी ज़िलों का ८० फीसदी रेवेन्यू पूर्वी ज़िलों को चला जाता है और उस पर भी वह लोग शिकायत नहीं करते हैं। अगर उनके रेवेन्यू से पूर्वी ज़िले के भाइयों का दुख दूर हो जाय तो वह इसमें अपनी भलाई समझते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार खत्म करता हूं।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त--माननीय अध्यक्ष महोदय! आज जिस विषय को लेकर हम यहां पर विचार कर रहे हैं उसके संबंध में दो रायें नहीं हो सकती। वह एक गम्भीर विषय है और उस पर जो कुछ भी कहा जाय वह बहुत सोच विचार कर कहना चाहिये। जितना वह गम्भीर है उससे भी ज्यादा गम्भीर माननीय गेंदा सिंह ने जो अनशन किया है, वह है। उससे और ज्यादा ऐसी स्थिति में दो तीन बातें यहां पर आईं। मैं समझता हूं कि उन सब पर इस सदन के सदस्यों का एक संजीदगी से विचार करने का बहुत बड़ा कर्त्तव्य हो जाता है। पहली बात जो समस्या है उसके संबंध में विचार करने की है। लेकिन उसके पहले मैं कुंवर गुरु नारायण जी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो एक बात उठाई है उसके संबंध में एक शब्द कह देना चाहता हूं। आया यह अनशन का तरीका जो अख्तियार किया जाता है किसी भी गलत काम को ठीक कराने के लिये वह आज के वक्त में ठीक है या नहीं। माननीय कुंवर गुरु

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

नारायण जी ने कहा कि यह तरीका गलत है । सरकार की ओर से भी यही बात कही गई । मैं अपने तरफ से यह कहना चाहता हूं कि आज हम गांधी जी के बहुत बड़ा भक्त होने का दावा करते हैं और इसकी हमें बड़ी फिक्र रहती है और उनकी बातों को जो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश किया है उसको कहने की इजाजत दी जाय तो अर्ज करूं । अगर कोई व्यक्ति शक्तिवान है और उससे गलती की दुरुस्त कराने में सारे उपाय बिफल हो गये तो उसके बाद अनशन का उपाय अपनाना चाहिये । इसलिये कोई अनशन रखता है तो मैं समझता हूं कि वह पूर्णतः उचित है । गांधी जी जब किसी व्यक्ति के हृदय के परिवर्तन के लिये दूसरा कोई उपाय नहीं पाते थे तो इसी हथयार को अपनाते थे । इस्तेमाल के लिये जब दूसरी बुनियादी बातें नहीं मिलती थीं तब इस हथियार का इस्तेमाल करते थे । इसलिये इस शस्त्र के इस्तेमाल को गलत नहीं कहा जा सकता है । आज प्रश्न है कि पूर्वी जिलों की जो समस्या है उसको लेकर जो अनशन किया जा रहा है उसके ऊपर विचार करना है और फिर जो समस्या है उसका वास्तविक रूप क्या है और जो उपाय काम में लाये जा रहे हैं वह ठीक है या नहीं । मैं पश्चिमी जिलों का रहने वाला हूं । मुझे दुख है कि मैं पूर्वी जिलों की बाबत अधिक नहीं जानता और इसलिये उनके बारे में कहने में डर लगता है । फिर भी यहां पर जो जानकारी मिली है और जो बाहर से मिली है उससे मालूम होता है कि समस्या यथेष्ट रूप से गलत है और जो आन्दोलन छिड़ा है वह पूरा किया जा सकता था अगर सरकार के रवैये में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ होता ।

अध्यक्ष महोदय ! एक बात का थोड़ा विश्लेषण करते हुये मुझे निवेदन करना है कि पूर्वी जिलों में हम इस बात को जानते हैं कि इस प्रकार की परिस्थिति हर साल बराबर आती रहती है । जब यह सूरत है तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि हर साल सरकार आमतौर पर काफी चेष्टा इस परिस्थिति के इलाज के लिये करती है लेकिन यह प्रश्न विचारणीय है कि जो इलाज किया जाता है मालगुजारी के माफी के रूप में, उसके मुलतवी के रूप में और दूसरे सहायता के रूप तो कहां तक हम इस पर निर्भर रहेंगे । जब यह साल बसाल होता है तो सरकार के लिये क्या आवश्यक नहीं होता है कि वह अच्छी तरह से इस बात को अपने विचार में लाये और इसका कोई वह स्थायी हल निकाले । स्थायी हल के लिये अगर कहा जाय कि किसी एक्सपर्ट कमीशन को बैठाकर और उसकी जांच कराकर हल निकाला जाय तो वह एक ऐसी जगह है कि जिस पर विचार करना चाहिये । यह प्रश्न विचारणीय है साथ ही साथ यहां पर असेम्बली के अन्दर जो विधान मंडल के सदस्य हैं उनका उन जिलों से संबंध होने के कारण जो मुख्य मंत्री जी ने कहा और आरम्भ में कहा हम लोगों का कर्त्तव्य होता है कि उसके नाते हम लोगों को चिन्ता होती है और हम चाहते हैं कि हम उस परिस्थिति का वहां अध्ययन करें और सोचें कि उसका उपाय क्या हो सकता है । इस संबंध में दो रायें नहीं हो सकती हैं और न होंगी कि ज्यादा सहूलियत मिलनी चाहिये और यह बात भी की जानी चाहिये । अब सवाल आता है कि यहां पर जो बातें कही गई और यहां से जो बातें कही जा रही हैं उनमें दो तस्वीर मिलती हैं। सरकार की तरफ से कुछ बात कही जाती है और बाहर से दूसरे पक्ष वाले दूसरी बात कहते हैं। अभी तक आजादी के बाद से विरोधी पक्ष के जितने भी विरोधी दल हैं उनका कार्य कलाप देश की उन्नति के प्रति नहीं रहा जो होना चाहिये था विरोधी दल के लोगों ने ऐसा तरीका अख्तियार किया है कि सरकार का जो काम होता है उसमें वे उसका पैर पकड़ कर नीचे खींचते हैं। कांग्रेसी सरकार किसी भी अच्छे काम के लिये अपनी आंख फेर नहीं सकती । इस केस में जो बातें कही गई हैं उतना जरूर किया गया । अध्यक्ष महोदय कितना समय और है ।

श्री चेयरमैन--एक मिनट समय और है ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--मैं यह सोचता हूं कि सरकार को इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि किस तरह से इस समस्या का हल निकाल सकता है। अनइम्प्लायमेंट की समस्या वहां पर है। इंडस्ट्री वहां पर चालू करने के लिये मुख्य मंत्री जी ने कुछ बातें कहीं हैं। इंडस्ट्री का जो काम वहां पर होना चाहिये था वह नहीं है। काटेज इंडस्ट्री को रेकार्ड हमारी सरकार का अच्छा नहीं रहा। माननीय श्री प्रताप चंद्र आजाद जी के भाषण से ऐसा लगा कि पश्चिमी जिले के लोगों को इस बात की शिकायत रहती है कि पूर्वी जिलों को सरकार ज्यादा सहायता दे रही है। ऐसी शिकायत पश्चिमी जिलों को नहीं होनी चाहिये और न है। पूर्वी और पश्चिमी जिलों के लोग दो हिस्सों में नहीं बटे हैं। वे एक दूसरे के भाई हैं। खतम कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय मेरा कहना इतना है कि सरकार की यह चेष्टा बहुत सराहनीय है। उसके लिये हम उसकी प्रसंशा करेंगे परन्तु साथ ही साथ वह अपना कर्त्तव्य पालन कर रही है वह एक बात अपील करती है और वह एक मनोवैज्ञानिक फैक्टर है।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित (नाम निर्देशित)--माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य की समस्या पर एक बार पहले भी इस सदन में वाद विवाद हो चुका है और यह दूसरा अवसर है जबकि इस सदन के सदस्य फिर इस समस्या पर विचार विमर्श कर रहे हैं। आज जिस तरह से कुछ माननीय सदस्यों ने सदन के सामने बात रखी है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इस खाद्य समस्या को हल करने के बजाय एक नया वादविवाद इस प्रदेश में खड़ा न हो जाय, वह यह है कि यदि कहा जाय कि पूर्वी जिलों की समस्या को जो कि लगभग सभी को मालूम है, और जिस का हल निकालने के लिये सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है उसको जानने के लिये एक कमेटी की आवश्यकता है और वह बनाई जाय ताकि प्रदेश के उस अंचल में किस प्रकार से विकास हो और किस प्रकार वे तमाम बुरी घटनायें, जो पिछले सालों में दिखलाई दी थीं वे फिर न हों, उन सबके लिये एक कमेटी बनायी जाय ताकि उसके लिये एक प्लान बने। इससे यह साबित होता है कि इस प्रदेश के लोगों की अपने एक रीजन का अलग प्लान बनाने की इच्छा है। मैं समझता हूं कि जो पूर्वी जिलों के लोग जो कहते हैं कि हमारे जिलों के विकास के लिये कोई अलग मार्ग निकाला जाय तो कल यह भी हो सकता है कि पश्चिमी जिलों के लोग भी यही बात कहें। इस तरह से भावुकता में आकर हमारे साथियों को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिये जो कि यहां पर कही गयी है। आपको याद होगा कि जब स्टेट रिआर्गेनाईजेशन कमीशन बना था तो उस समय कुछ लोगों ने यह मांग की थी कि पश्चिमी जिलों का एक अलग राज्य बनना चाहिये। उन लोगों का कहना था कि पश्चिमी जिलों से जितनी आमदनी सरकार को होती है उतना उन पर खर्च नहीं किया जाता है। अखबारों में भी इस पर अग्रलेख लिखे गये। लेकिन अन्त में निर्णय यह हुआ कि प्रदेश बटना नहीं चाहिये। इसके हक में बहुमत का फैसला हुआ। उस कमीशन के एक सदस्य इससे सन्तुष्ट न थे। अत: पूर्वी जिलों के लिये यदि अलग से एक प्लान बनाया गया तो मैं समझता हूं कि फिर पश्चिमी जिलों वाले भी इस तरह की मांग करेंगे कि उनके लिये अलग से प्लान बनाया जाय और सेन्ट्रल क्षेत्र वाले भी कहेंगे कि हमारे लिये अलग से प्लान बनाया जाय। तो क्या हम वैसी ही बात नहीं कर रहे हैं जो कि ३, ४ साल पहले उठायी गयी थी जिसमें पश्चिमी जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य की भावना थी। कहीं ऐसा न हो जाय जैसा कि स्टेट रिओर्गेनाईजेशन कमीशन की रिपोर्ट निकलने के बाद कुछ राज्यों में हुआ है। बिहार की बात हम जानते हैं कि वहां पर भी नार्थ और साउथ बिहार का झगड़ा चल रहा है। मैं समझता हूं कि इससे फायदा होने के बजाय नुकसान होने का डर है। मान लीजिये कि हम इसको स्वीकार कर लें कि गोरखपुर रीजन के लिये अलग से एक प्लान बना लिया जाय, लेकिन फिर सवाल यह आता है कि उस प्लान को पूरा करने के लिये रिसोर्सेज कहां से आयेंगे। मान लीजिये कि हमारी इतनी आमदनी है कि हम अपने जिलों के प्लान को पूरा कर सकते हैं लेकिन और दूसरे जिलों को कहां से देंगे। मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी के भाषण को विधान सभा में और यहां पर

ादि सं
६
तारीख
-७-

सुना। उन्होंने बतलाया कि पूर्वी जिलों की रेवेन्यू से आमदनी ८ करोड़ १९ लाख रुपया है और सरकार ने १ करोड़ ४६ लाख का रेमिशन सस्पेन्शन दिया है यह देखते हुये कि जहां पर इतनी आमदनी है वहां पर इतना रेमिशन दिया गया है, इससे यह साबित होता है कि वहां पर आमदनी काफी नहीं है। इसलिये वहां पर जो भी विकास के काम होंगे उनके लिये निश्चित करना पड़ेगा कि कितना प्रतिशत दूसरे रीजन के लोग उन जिलों को देंगे हमें यह जानना होगा कि दूसरे रीजन वालों को उनके लिये कितना सैक्रिफाइस करना होगा।

इस समस्या के ऊपर विचार पूरे प्रदेश को सामने रख कर किया जाना चाहिये। जितनी विकट समस्या पूर्वी जिलों की बताई जाती है, हमारे पर्वतीय जिलों के जो लोग हैं वह बताते हैं कि वहां की समस्या भी उतनी ही विकट है। इसलिये भावावेश में आकरके केवल एक ही क्षेत्र की चर्चा की जाय या केवल पूर्वी जिलों की ही बात करें। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसका तो केवल एक ही तरीका है कि हम पूरे प्रदेश को सामने रख कर किसी भी चीज को सोचें। जब यह नहीं जैसा कि आजाद साहब ने बताया कि अधिकतर जो विकास के कार्य हुये वह पूर्वी जिलों में हुये। लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिये और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बता दूं कि जितने भी बाहरी शहरों के उद्योग हैं, चाहे मेरठ जिले को ले लीजिये, या कानपुर को ले लीजिये, वहां पर ३० प्रतिशत से लेकर ४० प्रतिशत तक गोरखपुर बलिया, जौनपुर और गाजीपुर के ही लोग मिलेंगे। इस तरह से अगर हम हम लोकल पैट्रियाटिज्म की की बात करते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं हो सकता है। अभी रामपुर में ऐसी बात शुरू हुई वहां पर बाहर के लोगों को किसी काम में जगह न दे करके पहले रामपुर के ही आदमी को जगह दी जाती है। अगर रामपुर की ही तरह से और जगह ने भी करना आरम्भ कर दिया तो आखिरकार इन पूर्वी जिलों का क्या होगा ? मैं तो समझता हूं कि इस तरह से लोकल पैट्रियाटिज्म की भावना पैदा करने से कोई लाभ नहीं है। जो लोग पूर्वी जिलों से बाहर के हैं उनको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि सरकार ने सारे प्रदेश में दो हजार फेयर प्राइस शाप्स कायम की हैं उनमें से १५६० फेयर प्राइस शाप्स पूर्वी जिलों में कायम की गई हैं। प्रदेश के शेष सभी दूसरे जिलों में, जैसे पर्वतीय जिलों को मिलाकर केवल ४ या ५ सौ ही ऐसी दूकानें खोली गयी हैं। तो क्या यह नहीं सोचना आवश्यक हो जाता है कि कहां की कैसी समस्या है। वहां की जो समस्या है वह स्थायी है। वहां की होल्डिंग्स (Holdings) बहुत छोटी होती हैं। मकानात, वहां पर ऐसे बनाये जाते हैं, चाहे गरीबी के ही कारण सही कि यदि वहां पर फ्लड न भी आये और कोई दूसरी आपत्ति न भी आये तो आग लग जाती है। वहां को पापुलेशन इतनी ज्यादा है कि एक आदमी के पास केवल ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रह जाती है और यही नहीं बल्कि वहां पर बाहर से आने जाने के मार्ग भी सुलभ नहीं, तो यह सब समस्यायें हैं, इनका निराकरण केवल एक कमेटी के द्वारा नहीं हो सकता है। होना तो यह चाहिये कि यह काम अगर हमारी योजना के अन्तर्गत नहीं है, यही करना पड़ेगा कि हमें अपनी दूसरी पंच वर्षीय योजना को दोहराकर उसमें जिन और चीजों को हमने प्रायरिटी (*Priority*) दी है, उन चीजों को खत्म करके पहले पूर्वी जिलों की तरफ ध्यान दें किन्तु यदि हम एक रीजन की ही बात सोचें तो यह ठीक नहीं है। जहां तक काटेज इन्डस्ट्रीज की बात है तो मैं आपको बताऊं कि काटेज इन्डस्ट्रीज के बारे में वहां पर प्रयत्न हो रहा है और इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी बताया कि प्रयत्न हो रहे हैं किन्तु किस जगह की कैसी स्थिति है, उस पर पहले विचार करना होगा। अगर कहीं पर काटेज इन्डस्ट्रीज को डेवलप किया जायेगा तो वह क्वालिटी में और इन्डस्ट्रीज को फेस कर सकती हैं या नहीं, उनके यहां रायटिरियल पैदा होता है या नहीं और जो चीजें वहां पर बन कर तैयार होती हैं वह इक्स्पोर्ट (export) हो सकें। अभी तक तो हमने यह नहीं देखा कि कोई काटेज इन्डस्ट्री ऐसी डेवलप हो सकी हो जो कि कम्पीटीशन को फेस कर सके। अब मैं आपका अधिक समय न लेकर केवल यही कहना चाहता हूं कि इस समस्या के ऊपर हम अवश्य विचार करें लेकिन उसको अपनी पंच वर्षीय

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित]
योजना से अलग न करें। सदन से और सरकार से मैं यही कहूंगा कि वह अपनी दूसरी योजना को दोहरायें उसको दोहराना कर ही पूर्वी जिलों की समस्या के समाधान का मार्ग निकालें।

श्री हृदय नारायण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गेन्दा सिंह द्वारा जो अनशन किया जा रहा है, उसकी नैतिकता या अनैतिकता के प्रश्न पर मैं जाना नहीं चाहता हूं, किन्तु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि परिस्थिति के अनुसार मनुष्य का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। आज जो पार्टी शासन में है, उसका जो दृष्टिकोण आज है वह पहले नहीं था। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने असेम्बली में कहा कि सब पार्टी के लोगों को मिलकर देश के कामों को आगे बढ़ाना चाहिये। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सब पार्टी के लोग मिल कर किस तरह से काम कर सकते हैं जब उन के सुझावों को मान्यता नहीं दी जाती है और उनके सुझावों को नहीं माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा सुझाव देता है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो तो उसके सुझाव को मान लेना चाहिये। श्री गेन्दा सिंह जी की मांग है कि एक कमीशन बिठा दिया जाये, मैं समझता हूं कि इसमें व्यय का भी कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन में १ करोड़ २२ लाख रुपया खर्च हो रहा है जबकि सन् ४६ और ४७ में २२ लाख रुपया ही खर्च होता था, तो व्यय की दृष्टि से तो सरकार को यह बात अस्वीकार नहीं करनी चाहिये। इसके अलावा अगर सरकार को अपनी प्रेस्टीज का सवाल है तो उसको भी मैं उचित नहीं समझता। मैंने माननीय सम्पूर्णानन्द जी के लेखों को पढ़ा है और उनसे लाभ भी उठाया है। सन् १९४२ या ४३ के लीडर में मैंने एक लेख कमिश्नर आन स्टिल्ट्स पढ़ा था उसमें उन्होंने कमिश्नर की प्रेसटीज के बारे में कहा था। किसी समस्या को हल करने के लिये प्रेस्टीज को महत्व नहीं देना चाहिये। इससे सरकार की आलोचना होती है और जनता इसको अच्छा नहीं समझती। यह चीज सरकार के अनुकूल नहीं है। आज लोगों का कहना है कि सरकार ने सोशलिस्ट पार्टी के उसूल को तो मान लिया है, जो स्टेच्यू वगैरा थे उनको उसने हटाया, लेकिन इस सिलसिले में कितने लोगों को जेल में भेजा। इस प्रकार की जो आलोचना होती है वह सरकार के लिये ठीक नहीं है।

आज पूर्वी जिलों की हालत काफी खराब है, यह कोई सरकार की प्रेसटीज का प्रश्न नहीं है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। मैं भी पूर्वी जिले का रहने वाला हूं। मेरे जिले के पास के एक गांव में बहुत अच्छे किसान रहते हैं, जिनको अंग्रेजों के समय में राय साहब की उपाधि मिली थी। वे अपने खेत में खाद्य और सिचाई का काफी अच्छा इन्तजाम रखते हैं और समय पर हर चीज डालते हैं। तब उनके खेत में एक एकड़ जमीन में १४ पंसेरी अनाज पैदा हुआ। जब ऐसे खेत में केवल १४ पंसेरी ही अन्न पैदा हुआ तो आप खुद समझ सकते हैं कि और किसानों का क्या हाल होगा। कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय में एक ऐसा नियम था कि अगर फसल ज्याद बरबाद हो गई हो, तो मालगुजारी वसूल नहीं की जाती थी और इसके अलावा और अन्य प्रकार की सुविधायें भी दी जाती थीं। लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैंने जौनपुर में देखा है कि फसल काफी खराब हो गई है और लोगों को बहुत परेशानी है।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि यहां पर पूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों का कोई सवाल नहीं उठना चाहिये, भारतवर्ष में यह सभी जिले उत्तर प्रदेश ही कहलाते हैं। बम्बई में उत्तर प्रदेश के हर तरफ के रहने वाले को भइया जी कहते हैं। इंगलैन्ड में सभी को पूर्वी देश कहा जाता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कोई बात उठाना ठीक नहीं है। ऐसे समय में जबकि हमारे प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। तो उस समय पूर्वी और पश्चिमी जिलों का सवाल उठाना ठीक नहीं है।

[इस समय ३ बजकर २१ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया]

दि सं
६
तारीख
-७-

जिन लोगों को आज खाना नहीं मिल रहा है और उनको कष्ट है तो जितनी सुविधा हो सके, इस सदन के द्वारा या और दूसरे तरीकों से, उन सभी को प्रदान करने की हमें पूरी चेष्टा करनी चाहिये। यह कहना कि अखबारों से सम्वाददाता या कांग्रेस के व्यक्ति भी इस समस्या को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं उचित नहीं है। मान लीजिये कि माननीय गेंदा सिंह जी, पी० एस० पी० या सोशलिस्ट पार्टी के लोग इसको बढ़ाकर कहते हैं, लेकिन जो लोग स्वतः कांग्रेस में कार्य करते हैं और सरकार से सम्बन्ध रखते हैं वे यदि इस बात को कहते हैं तो वे जानबूझकर बढ़ाकर नहीं कहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे जिले में एक कांग्रेस के एम० एल० ए० हैं, उन्होंने तहसील की एक कमेटी में यह प्रस्ताव पास किया कि प्रदेश की सरकार जो यह कहती है कि भुखमरी से कोई नहीं मरा है यह दावा गलत है। मेरे पास वह पत्र नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखला देता। उनका कहना है कि एक व्यक्ति इसी तरह से अन्न अन्न चिल्लाकर मरा। इसी प्रकार की खबरें और इलाकों से भी आ रही हैं। सम्वाददाता लोगों का किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं है बहुत से लोग ऐसे मामलों में अपनी निष्पक्ष राय देते हैं, और उनका कहना है कि इस तरह की विषम समस्या उपस्थित है। अगर हम इसके लिये एक कमीशन बैठा देते हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। सरकार तो एक बड़े व्यक्ति की तरह होती है। उसकी जो स्थिति है, उस स्थिति में उसे उचित तरीके से कार्य करना चाहिये। जो मनुष्य अच्छे सुझाव देते हैं, उनको आप को ग्रहण करना चाहिये। एक सुझाव फीस की माफी का दिया गया है। विद्यार्थियों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे फीस को दे सकें। उनके लिये पुस्तकें खरीदना बहुत दुर्लभ है और उनके गार्जियन्स को बहुत परेशानी है।

(इस समय ३ बजकर २४ मिनट पर श्री चेयरमैन ने पुनः सभापति का आसन ग्रहण किया)

टेस्ट वर्क्स का शीघ्र प्रश्न उठाया गया है, इससे बहुत कुछ राहत मिल सकती है। यही थोड़े से सुझाव हैं जो कि सरकार को मान लेने चाहिये। जो समस्या है वह काफी गम्भीर है और इसको दृढ़ता तथा उदारता के साथ हल करने की चेष्टा करनी चाहिये।

*श्री सभापति उपाध्याय (नाम निर्देशित)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आज खाद्य स्थिति पर विचार हो रहा है, तो मैं इसके लिये अपने कुछ विचार इस सदन के सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं। पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति यद्यपि शोचनीय है, लेकिन जो यह कहा जा रहा है कि वहां पर आदमी खाने के बिना मर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। मैं भी पूर्वी जिले का रहने वाला हूं और मैंने नहीं देखा कि वहां पर कोई भी आदमी भूख से मर रहा हो। अभी तक मैंने एक भी ऐसा आदमी नहीं देखा जो कि भूख से मरा हो। हमारे यहां वाराणसी में जो विद्यार्थी हैं, उनमें से कई विद्यार्थी देवरिया और गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं, मगर उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि वहां पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि लोग खाने के बिना मर रहे हैं। निम्नश्रेणी में कोई ऐसा नहीं है जो कि खाने के बिना इस तरह से मर रहा हो मध्यम श्रेणी के लोगों को एक बार खाना नहीं मिलता है, तो वे उसे चुपचाप सहन भी कर लेते हैं और उसके लिये कुछ कहते भी नहीं हैं। लेकिन मुझे यह पता नहीं लगा कि कोई खाने के बिना मरा हो। इस तरह से जो बात को बहुत बढ़ाचढ़ा कर कही जाती है, कि यह उचित नहीं है। एक कवि की उक्ति है, जिसमें यह कहा गया है कि जब वह दुखी होता है। तो वह बुद्धि से रहित हो जाता है। तब तक वह क्षय को प्राप्त होता है। हम लोगों को भी इन सब चीजों से दुख होता है। हम लोग सोचते हैं कि क्या हम लोग ऐसे दरिद्र हो गये। लेकिन दरिद्रता तो है ही। उसको दूर करने के लिये हम लोगों को

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री सभापति उपाध्याय]

उपाय करना चाहिये। एक कारण वहां की गरीबी का यह भी है कि वहां कभी बाढ़ आती है कभी सूखा पड़ जाता है और फसल नष्ट हो जाती है। दूसरा कारण यह भी है कि वहां के लोग दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। बाहर जाकर वे खूब धन पैदा करते हैं। वहां की हालत को दुरुस्त करने के लिये सरकार ने काफी प्रयत्न किया है। उससे ज्यादा सहायता क्या कोई कर सकता है। गेंदा सिंह जी ने इस सम्बन्ध में अनशन किया। जिस भावना से अनशन किया वह तो प्रशंसनीय है। वे चाहते हैं कि वहां के लोग सुखी हों। यह भावना तो प्रसंसनीय है। लेकिन यह अनशन क्यों चल पड़ा यह समझ में नहीं आया। इसको महात्मा जी ने चलाया। इसका कारण वे ही जानें। लेकिन अनशन का जो मंतव्य है अगर वह नहीं पूरा हुआ तो अनशन से प्राण त्याग कर देंगे इसका शास्त्रों ने विरोध किया है। आत्महत्या की सभी शास्त्रों ने निन्दा की है। तो ऐसी हालत में अनशन करना तो असंगत मालूम होता है। उनकी भावना तो प्रशंसनीय है। लेकिन उनकी रक्षा करने की हम लोगों को चिन्ता हो रही है। ऐसा न हो कि हमारे देश का रत्न खो जाय। हमें उनको इससे विरत करना चाहिये। उनसे अनशन तोड़ने के लिये प्रार्थना करनी चाहिये। जो कमीशन बिठाने का सुझाव दिया गया है मैं समझता हूं कि सरकार उसको मानने के लिये तैयार हो जायगी। यह ठीक है। अगर विचार किया जाय तो खास स्थिति पर सभी को दुख है। परन्तु यह बार बार यह कहना कि पश्चिमी जिले अधिक टैक्स देते हैं यह कहना असंगत है। जहां धनी लोग रहते हैं वहां उनको दूसरों के लिये त्याग करना चाहिये। हम सब लोग भाई भाई हैं। अगर पश्चिमी जिलों पर कोई आपत्ति आती है तो पूर्वी जिले वालों को सहायता करनी चाहिये। यदि पूर्वी जिलों पर कोई आपत्ति आती है तो पश्चिमी जिले वालों को सहायता करनी चाहिये।

दिसं
६
तारीख
—७—

ऐसे उपाय होने चाहिये जिनसे सभी सहमत हों। सभी की सहमति से जो उपाय होते हैं वे बहुत कल्याणकारी हैं। अनशन तोड़ने के लिये उपाय होना चाहिये। गेंदा सिंह को भी इस पर विचार करना चाहिये और कोई उपाय उनको इसका निकालना चाहिये अनशन के अलावा भी बहुत से उपाय हैं। मैं तो अनशन उचित नहीं समझता हूं। क्या मेरा समय समाप्त हो गया।

श्री चेयरमैन——२ मिनट अभी और है।

श्री सभापति उपाध्याय——परिस्थिति जब खराब है तो उसको दूर करना चाहिये, यही मेरा कहना है जिससे कल्याण हो। इसके ऊपर सरकार को और हम सबको सोचना चाहिये।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार चेष्टा की आपकी दृष्टि पाने के लिये।

श्री चेयरमैन——और सदस्यों को भी इसका अधिकार है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद——अब जब वादविवाद समाप्त होने को है मुझे समय मिला है। है। खाद्यान्न पर पहले विचार हो चुका है परन्तु आज फिर हम इस पर विचार कर रहे हैं। इस समय श्री गेंदा सिंह जी ने अनशन आरम्भ कर दिया है। जब हम श्री गेंदा सिंह जी के पिछले कार्यों को देखते हैं तो हमको और भी दुख होता है। हमारे मुख्य मन्त्री जी स्वीकार कर चुके हैं कि श्री गेंदा सिंह जी बड़े गम्भीर विचारशील तथा बुद्धिमान विरोधी दल के नेता हैं और जो कुछ बात कहते हैं सोच विचार कर कहते हैं। इन सब बातों को स्मरण करके और भी दुख होता है कि ऐसी स्थिति हुई जिसमें गेंदा सिंह को अनशन करना पड़ा। इस स्थिति में हमको न्याय और धर्म के साथ विचार करना चाहिये। मुख्य मन्त्री जी ने जो बातें कही हैं

*श्री हयातुल्ला अंसारी (नाम निर्देशित)--श्री चेयरमैन जी, एक प्रश्न यह भी उठा है कि डेमोक्रेसी में अनशन हो सकता है या नहीं। पहले १, २ मिनट में इस पर कहूंगा। अगर अनशन का वही मतलब है जो गांधी जी ने सत्याग्रह का एक हिस्सा बनाया था तो मैं कहता हूं कि वह हर समय में इस्तेमाल किया जा सकता है इसके लिये कान्स्टीट्यूशन कुछ भी हो। गांधी जी ने कहा है कि इस हथियार को बहुत सोच विचार कर उठाना चाहिये। डेमोक्रेसी में अनशन किया जा सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अमेरिका में डेमोक्रेसी है, जब वहां पर एलेक्शन होते हैं तो पिस्तौल के बल पर होते हैं और पब्लिक के हिम्मत ही नहीं होती थी कि वोट दे सके और पार्टी वाले ही वोट देते थे। उनके यहां भी कान्स्टीटयूशन मौजूद है। अनशन आसान चीज नहीं है। गांधी जी ने बताया है कि अनशन उसी समय हो सकता है कि जिस बात के लिये किया जाय तो उसका क्लेरिफिकेशन पूरी तरह से जनता को हो जाय। गांधी जी जब करते थे तो पहले वह हरिजन में लेख लिखते थे और पूरी जानकारी हो जाती थी और उस वक्त कोई भी अखबार उसकी मुखालिफत नहीं कर पाता था और पूरी पब्लिक उस नुक्तेनजर से वाजे हो जाती थी उसके बाद वह अनशन करते थे। जब यह अनशन शुरू हुआ तो मैंने समझने की कोशिश की कि गेंदा सिंह जी क्या चाहते हैं। मुझे कोई भी फैक्ट नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने रखता। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब गांधी जी कोई ऐसा कदम उठाते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि एक भी शब्द उनकी मुखालिफत में लिख सके। जब लिखने के लिये कलम उठता था तो हाथ कांप जाते थे। बात इतनी क्लियर हो जाती थी। आपको याद दिलाऊं गांधी जी ने राजकोट में फास्ट किया था लेकिन आज जो फास्ट किया जा रहा है वह हुकूमत पर दबाव है। हमारी जमीर पर दबाव नहीं है। दूसरी बात मैं यह कहूं कि आप कमीशन बिठाने की बात कहते हैं। मान लीजिये कमीशन बन गया और मैं उसका मेम्बर हूं। मैं रेकमेन्ड करूंगा कि आप के पास जो ५ साल के प्लान का रुपया है वह सब इसको दे दिया जाय तब भी यह समस्या इतनी गम्भीर है कि हल नहीं हो सकती है। इतने आदमी बेकार हैं वह काम पर लगाये नहीं जा सकते। १/३ इम्पलायेड हो जायेंगे और बाकी बेकार रहेंगे। तो पूर्वी जिलों के अनइम्पलायड लोगों को काम पर लगाने के लिये उनके ऊपर सारा रुपया लगा दिया जाय तो वह सारे सूबे में लग सकते हैं और इसके लिये २,४ करोड़ या २, ४ अरब से भी काम नहीं हो सकता है। उसके लिये जब १५,२० अरब रुपया खर्च हो तब कहीं जाकर वहां की हालत ठीक हो सकती है। वहां तो सैलाब आना ही नहीं चाहिये, पैदावार बेहद बढ़नी चाहिये और उसके लिये हकीकतन बहुत बड़ा प्लान चाहिये। जैसे रूस या अमेरिका में अरबों के प्लान होते हैं, वैसे प्लान हों तो पूर्वी जिलों की हालत ठीक हो सकती है। आप थोड़ी देर के लिये पूरे हिन्दुस्तान की हालत को देखिये और फिर उत्तर प्रदेश की हालत देखना चाहिये। लखनऊ युनिवर्सिटी के एक आदमी ने एक आर्टिकिल छापा था उससे मालूम हुआ कि यहां पर ८० फीसदी लोग भूखे रहते हैं। पैसा न होने से आदमी मर सकता है। अनाज न होने से नहीं मर सकता है। लखनऊ में बहुत से आदमी मर जाते हैं इसलिये कि उनके पास पैसा नहीं है। हमारे यहां ७० फीसदी ऐसे हैं जो आधा पेट खाकर रहते हैं और मुसलसल जीते हैं। पैसा पैदा करके रख लेते हैं और आधा पेट खाते हैं। इस तरह से वह भी मरते हैं और वह १० वर्ष बाद मरते हैं। लखनऊ के एक मुहल्ले में चले जाइये, वहां की हालत बलिया, गोरखपुर और आजमगढ़ से भी खराब है। बेकारी भी बहुत है। अगर आप कमीशन बनाते हैं तो पहले अपने फाइव इयर प्लान को रिवाइज कीजिये। फिर अगर वह ईमानदार कमीशन होगा तो कहेगा कि जितना पैसा फाइव ईयर्स प्लान पर लग रहा है वह सब पैसा इस पर लगा दीजिये। पूर्वी जिलों में काटेज इन्डस्ट्रीज बहुत कम हैं, वहां सबसे बड़ी इन्डस्ट्री जो है वह करघे की है। उतनी बड़ी इन्डस्ट्री यू० पी० भर में कहीं कर्घे की नहीं है। उसको और डेवलप किया जा सकता है। एक चीज एक किस्म की जाली लोहे या पीतल या तांबे की है, उसको लोग कर्घे पर बना लेना चाहते थे और कोशिश कर रहे थे। उसके लिये अच्छा केमिस्ट चाहिये। अगर कोई एक्सपर्ट मिल जाय तो वह एक अच्छी चीज बनाने लगेंगे और उसका एक्सपोर्ट भी होने लगेगा। कमीशन की जरूरत नहीं है

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

बल्कि एक्सपर्ट्स की जरूरत है। पूर्वी जिलों का यह प्राबलम् दो सौ साल का पुराना है। जब एक दम बाढ़ आ जाती है तो कहते हैं कि कमेटी बैठाइये। पुरानी असेम्बली की एक दफा की एक बात याद आती है। कहा गया था कि गवर्नमेंट जब किसी चीज को स्टोरेज में डाल देना चाहती है तो उस पर कमीशन बना देती है। कमीशन में ६ महीने तक तो वह प्राबलम चलेगा ही, और फिर दो साल उसकी रिपोर्ट तैयार करने में लग जायेंगे। इसलिये अगर मामले को टालना चाहते हैं तो कमीशन के हवाले कीजिये। यह एक बहुत बड़ी समस्या है और यह बात आल इंडिया का प्राबलम है और जब फाइव ईयर्स प्लान चल रहा है तो जरूर इस पर गौर करना चाहिये।

श्री पीताम्बर दास (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न इस समय हमारे सामने है। यह एक विचित्र प्रश्न है। वैसे जब हमने खाद्य समस्या पर वाद-विवाद किया तो उस समय वातावरण दूसरा था। अब प्रश्न यह है कि सरकार ने माना है कि पूर्वी जिलों के अन्दर हालत खराब है। प्रश्न इतना है कि हालत इतनी खराब है जितना कि हमारे दोस्त कहते हैं या उतनी कम खराब है जितनी हमारी सरकार ने कही है। जो लोग ज्यादा खराब बताते हैं उनका अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है वहां के बारे में। वहां रहे हैं, वहां पर दौरा किया है और वहां की समस्या को देखा है, इसकी बिना पर कहते हैं कि समस्या गम्भीर है। सरकार का कहना है कि उन आंकड़ों के आधार पर जो उनके अफसरों ने इकट्ठ किय हैं। मैं नहीं कहता कि सरकार के अफसर ने जो आंकड़े इकट्ठा किये हैं वह गलत हैं। उस विभाग के अतिरिक्त कोई दूसरी मशिनरी है भी नहीं और न हो सकती है जो कि आंकड़ों को इकट्ठा कर सके। इसी दृष्टि से हमारे माननीय मंत्री जी ने कुछ तथ्य रखा है सदन के अन्दर कि १९५२ में जो गल्ले की कीमत थी उसकी अपेक्षा अब कीमत कम है। परन्तु यह हो सकता है कि सन् १९५२ में जो गल्ले की परचेजिंग पावर थी उसकी अपेक्षा उनकी क्रय शक्ति कम हो गई हो। इसके साथ ही साथ हमें यह भी बतलाने का प्रयत्न किया गया कि हर साल अधिक गल्ला भेजती हैं सरकार उस इलाके में। लेकिन यह भी देखना है कि उस इलाके में हर साल आबादी कितनी बढ़ती जाती है। हो सकता है कि तीन साल पहले जो गल्ला भेजते थे, वह काफी हो और अब आबादी के अनुसार वह गल्ला काफी न हो।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हर साल की फीगर ली थी।

श्री पीताम्बर दास--पिछले जिन वर्षों में गल्ला आया है उन की वर्षों आबादी के आंकड़े क्या हैं? अब रेन्ट रेमिशन का सवाल आता है। २/३ रेमिशन तो हो गया और अब सिर्फ १/३ का सवाल रह गया है। इसमें दो दलील दी गई हैं। एक दलील तो यह है कि वहां पर राजा लोग हैं। तो वह रूल नहीं है केवल अपवाद है। जरूरी नहीं कि उनको भी किया जाय। रूल उनके लिये एप्लाई करता है जो गरीब लोग हैं। दूसरी दलील यह कि फक्ट्री ने कितना रुपया काश्तकारों को बांटा है। जो रुपया उसने बांटा है वह खरीफ की फसल का बांटा है। उनको गन्ने में वह रुपया दिया गया। रबी में मिलों ने रुपया नहीं दिया है। रही मजदूरों की बात तो मजदूरों को रेमिशन नहीं मिलेगा। रेमिशन तो काश्तकारों को मिलता है। काश्तकारों की दशा पर क्या असर पड़ेगा मजदूरों को रुपया मिलने से, यह देखने की जरूरत है। मैं नहीं कहता कि सरकार सब कुछ गलत कह रही है। मगर सरकार ने जो व्यू लिया है उसमें अधिक छानबीन की आवश्यकता है। श्री गेंदा सिंह का भी कहना है कि हालत बहुत खराब है। वे भी कितने ही दिनों से शोर मचा रहे हैं। बहुत दिनों से असेम्बली में कई बार यह प्रश्न उठा और बजट के अवसर पर भी बहस हुई। जिन लोगों ने सारी बातों को देखा है वे परेशान हैं कि उनकी बात क्यों नहीं मानी जाती है। एक बार मुझे भी उपवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब एक बात को सोच-समझ कर रखा जाता है और वह बात सत्य है और उसका इलाज होना चाहिये। फिर भी वह बात सुनी नहीं जाती है तो दुख होता है कि हमारी बात के अन्दर क्या कमी है। फिर सेल्फ प्योरीफिकेशन के लिये

श्री हृदय नारायण सिंह--क्राप कटिंग एक्सपेरीमेंट किस फसल का हुआ था ?

श्री परमात्मा नन्द सिंह--रबी की फसल का। अन्त में यह परिस्थिति पैदा हुई जब कि कुछ फसल कट चुकी थी और कुछ कट रही थी और कुछ फसल खलिहानों में पड़ी हुई थी तो फिर उसके बाद वहां के अधिकारियों के लिये अन्दाजा लगाना मुश्किल हो गया। फिर भी चारों तरफ से आवाज उठायी गयी कि वहां की हालत अच्छी नहीं है और मैं अपने माननीय मंत्री जी की आज्ञा लेकर ४, ५ पूर्वी जिलों में गया और वहां जाकर जो मैंने अन्दाजा लगाया उसकी सूचना अपने माननीय मंत्री जी, चौधरी चरण सिंह जी को दी। मैं पहले वहां पर ४ मई को गया और फिर उसके बाद जो अन्दाजा लगाया उसकी सूचना उनको दी।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--आपने क्या सूचना दी ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--मैंने उनको अपना अन्दाजा बताया कि वहां पर कैसी परिस्थिति है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--उसको क्या अधिकारियों ने नहीं बता पाया।

आदि सं
६
तारीख
२६-७-'

श्री परमात्मा नन्द सिंह--उन्होंने अपना अन्दाजा तो पहले ही बता दिया था और शुरू-शुरू में जो एक्सपेरीमेंट उन्होंने किया उसका अनुभव बता दिया था वह मैं बता चुका कि वह पहले ही बता चुके थे लेकिन अन्त में जो नुकसान हुआ उसका वह कैसे अन्दाजा लगाते।

(इस समय ४ बज कर ९ मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन पुनः ग्रहण किया।)

फिर २३ मई को दूसरी आज्ञा जारी की गयी, उस आज्ञा के अनुसार वहां के मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया, कि पहली रिपोर्ट देने के बाद यदि वे इस बात को ठीक समझते हैं कि वहां पर अधिक नुकसान हुआ है तो फिर वे अपनी दूसरी रिपोर्ट दे सकते हैं। बाद को जो हवा चली है उससे काफी नुकसान हुआ है इसलिये वहां पर १० आने की कमी को मान कर छूट दी गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और लेना चाहता हूं।

श्री चेयरमैन--आप दो मिनट और बोल सकते हैं।

श्री परमात्मा नन्द सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ६ आने से ८ आने तक की फसल का नुकसान होता है तो चार आने की छूट दी जाती है और जब १० आने की फसल का नुकसान होता है तो ६ आने छूट दी जाती है और जब १२ आने की फसल का नुकसान होता है तो पूरा लगान माफ हो जाता है। बहुत सी जगहों पर अन्य कारणों से नुकसान माना गया था उसको उस १० आने के नुकसान में जोड़ने से १२ आने से अधिक हो गया और उन स्थानों में पूरी मालगुजारी माफ हो गई। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो कार्य किया है वह ठीक ही किया है।

श्रीमान्, मैं अब आप के जरिये से सदस्यों का ध्यान टेस्ट वर्क की तरफ दिलाना चाहता हूं। टेस्ट वर्क के बारे में यहां पर काफी कहा जा चुका है। माननीय गेंदा सिंह जी एक बहुत सभ्य और गम्भीर विचार के व्यक्ति हैं, उन्होंने स्वयं भी कभी कहा था और आज भी आशा है इनकार न करेंगे कि जहां तक टेस्ट वर्क द्वारा काम देवरिया में सम्भव हो सकते थे वह हो चुके हैं और अब शायद कोई ऐसा काम बाकी नहीं है, जो किया जा सके। श्रीमान्, एक बात मैं आप जरिये से यह कह देना चाहता हूं कि सुरेमनपुर जिला बलिया में रेलवे लाइन बन रही है तो वहां पर सुनने में आया कि दूर-दूर से मजदूर लाये जाते हैं मैंने लखनऊ आकर माल सचिव से रेलवे को पत्र लिखाया कि वे ऐसी व्यवस्था करें, यहां पर जहां तक हो सके पूर्वी जिले के ही मजदूर रखे जायं। दूसरीबात यहां जब मैं गया तो वहां के एक इंजीनियर ने मुझे बतलाया कि हम जहां तक हो सकता है स्थान के ही मजदूर रखते हैं, लेकिन वहां अधिक मजदूर मिलते नहीं हैं। वहां एक रुपये से दो रुपये तक मजदूरी देने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी मजदूर काफी नहीं मिल

रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार को उन लोगों से सहानुभूति है और उस का हर वक्त ख्याल रखती है, जो सम्भव है किया जा रहा है और किया जायगा। मैं समझता हूं कि अनशन और गलत प्रचार के कारण, एक परेशानी और निराशा की भावना पैदा करने से लाभ नहीं होगा, हानि ही होगी।

*श्री जगदीश चन्द्र शर्मा ((स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या पर जो यहां पर विचार हो रहा है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि वहां की समस्या बहुत ही गम्भीर है और काफी गम्भीर हो चुकी है। जो आंकड़े सरकार ने दिये हैं उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया है कि वे कुछ महीने पहले इकट्ठा किये गये थे तो इससे यह बात साफ जाहिर होती है कि अब उसमें कुछ तरमीम जरूर हो गयी होगी। और ज्यादा अब मांग करने का मतलब यही है कि अब वहां समस्या का हल नहीं हुआ है और वह दिन प्रति दिन बिगड़ती ही जा रही है। ऐसा ही कहना श्री गेंदा सिंह जी का है कि कोशिश तो सरकार कर रही है और इसमें किसी को भी शुबहा नहीं है, उनको भी नहीं है, हमें भी नहीं है क्योंकि जो आंकड़े हमारे सामने रखे गये हैं, उनसे भी यह बात जाहिर होती है कि सरकार सो नहीं रही है बल्कि उसके लिये कार्य कर रही है, लेकिन जो वहां पर दिन प्रति दिन समस्या भयंकर होती जा रही है, उसके लिये सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिये। यह समस्या वहां सन् ५२ से लगातार खराब होती जा रही है क्योंकि वहां पर उस समय से कभी दैवी प्रकोप हो जाता है, कभी ओले गिर जाते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है और कभी सूखा पड़ जाता है। इन सभी कारणों से वहां पर खाद्य की समस्या बिगड़ती ही चली गई। उनके बारे में जो यहां पर खास तौर से रिफर किया गया है, तो उसके लिये सभी का कहना है कि जिस तरह से वे कहते हैं वह किसी हद तक सच है क्योंकि अभी तक वहां की समस्या सुलझी नहीं है। इस बात के लिये उन्होंने सरकार का दृष्टिकोण उधर खींचना चाहा और अपनी सारी फरियादें इस संबंध में सरकार के सामने रखीं। एकदम से श्री गेंदा सिंह जी ने यह कदम नहीं उठाया, बल्कि इसके लिये उन्होंने सरकार को काफी मौका दिया और कई दफे पूर्वी जिलों की समस्यायें उन्होंने सरकार के सामने रखीं और उनका यही कहना था कि वहां के लिये सरकार को जितनी कोशिश करनी चाहिये, वह सरकार नहीं कर रही है। यह ठीक भी नहीं है। जब उनकी यह बात नहीं मानी गई, तभी उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। आजकल के जमाने में, जैसा कि मेरे मित्र माननीय सदस्य श्री पीताम्बर दास जी ने कहा कि जहां पर सत्यता और असत्यता के बारे में झगड़ा बढ़ता हो और यह पता नहीं चलता है कि अमुक बात सच है या नहीं, किसी आंकड़ों की वजह से भी सरकार उस बात को मानने के लिये तैयार न हो, तो ऐसा करने के अलावा और कोई रास्ता पब्लिक मैन के लिये नहीं रह जाता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के जरिये से सरकार से गुजारिश करूंगा और उसके पास यह आवाज पहुंचाऊंगा कि इस तरह की जो जस्टीफाइड डिमान्ड है, उसके लिये उसे अवश्य ही कोई ठोस कदम उठाना चाहिये। सरकार कहती है कि वहां पर कोई ऐसी विकट स्थिति नहीं है और दूसरी ओर से कहा जाता है कि बड़ी विकट स्थिति है, तो इस प्रकार का जिम्मेदार आदमी जो कि अपने को जनता का सेवक मानता हो, उसकी तरफ से यह डिमान्ड हो कि वहां पर जटिल स्थिति है, तो उसके लिये सरकार को अवश्य विचार करना चाहिये। इसके लिये एक बाडी हो जो कि वहां जाकर स्थिति को देखे और वह ताकत जो भी जरूरी समझे वहां के लिये वह सिफारिश करे। सरकार पूर्वी जिलों की दिक्कतों से अनभिज्ञ नहीं है, उसे वहां के लोगों को इन्टेरिम रिलीफ देना चाहिये।

दूसरी बात इसमें यह है कि वहां की यह समस्या आज से नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है और माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय सदस्य भी इस बात को मानते हैं कि वहां पर बेहद गरीबी है। वहां के जिले पिछड़े हुये हैं। हम यहां पर दूसरी पंचवर्षीय योजना का जिक्र करते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना भी आगे होगी और पहिली पंचवर्षीय योजना भी हो चुकी है,

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री जगदीश चन्द्र वर्मा]

है, तो मेरे विचार से वहां पर जरूर एक हाई पावर कमीशन बैठना चाहिये ताकि आगे जो हमारे प्लान बनने वाले हैं, उनमें यदि जरूरत हो, तो हम तरमीम भी कर लें और जो जरूरी चीजें हैं, उनको हम सबसे पहले ले सकें। श्री गेंदा सिंह जी की जो भी डिमान्ड्स हैं, वह जस्टीफाइड हैं और मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उनकी डिमान्ड्स को देखते हुये, सब इस चीज को मानते हुये उन्हें अपने एटीट्यूट को बदलना पड़ेगा। माननीय गेंदा सिंह जी अपने पर्सनल स्वार्थ के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वे खुद ही उन जिलों के रहने वाले हैं, तो मैं कहूंगा कि अगर उनकी बात न मानी जाय और उनको अनशन करने दिया जाय, तो यह डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र के जमाने में बहुत मुश्किल हो जायेगा और यह उसके सिद्धान्तों के खिलाफ भी है। इसलिये उनका यह कहना मैं समझता हूं कि बहुत ही जस्टीफाइड है। उनको मान लेना चाहिये और उसमें प्रेस्टिज का कोई सवाल नहीं है।

अनशन की फिलासिफी के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया। उसमें हम और आप डिफर कर सकते हैं। लेकिन हमें उसको हमेशा खोटा ही नहीं समझना चाहिये। यह जैसा कि हमारे साथी पीताम्बर दास जी ने कहा कि सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिये हो सकता है, किसी ऐक्टीविटीज को ऐक्सीलरेट करने के लिये हो सकता है। सरकार को जितनी कोशिश करनी चाहिये जब उतनी कोशिश नहीं की गई तब मजबूर होकर उन्हें अनशन करना पड़ा। यह तो सत्याग्रह का लास्ट वैपन है। इसके लिये कोई भी आदमी आसानी से तैयार नहीं होता। रहा रैमिशन के मुताल्लिक। मैं भी समझता हूं कि वह इस्टैब्लिश रूल्स के मुताबिक होना चाहिये। इंडीविजुअल ऐक्ससैप्शन्स या राजा महाराजे की बत कही गई वह मेरी समझ में नहीं आयी। वह इंडीविजुअल रैमिशन की बात कही वह मेरी समझ में नहीं आई। वह इंडीविजुअल रैमिशन नहीं है। वह तो क्राप के ऊपर होता है। अगर उनके पास यील्ड है तो रैमिशन न किया जाय इसका सवाल नहीं उठता है। अगर क्राप में नुकसान हुआ है तो जिस तरीके से रूल्स बने हैं उसके मुताबिक रैमिशन होना चाहिये। पहली बार चार आना भर छूट दी गई। फिर ६ आना भर छूट दी गई। एक बात जो वह चाहते हैं वह यह कि उनकी डिमांड है टोटल रैमिशन की। उन्होंने फैक्ट्स और फीगर्स दिये हैं। जब यह बात तय है जैसा परमात्मा नन्द जी ने कहा कि आफिसर्स ने जो जांच पड़ताल की वह बहुत पहले की थी। जब इतनी जोत नहीं थी। जैसा कहा गया कि जब से पछुआ हवा चली उसके बाद से कोई सर्वे नहीं किया गया। जब शोर मचाया गया तब आर्बिट्रेरी तौर पर दो आना और छूट दे दी गई। मेरी राय में यह कोई मुनासिब बात नहीं है। अगर कोई कमेटी बैठाकर इन सब चीजों की इन्क्वायरी करा ली जाय, तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई प्रेस्टिज का सवाल नहीं है। वहां पर आदमियों के इम्दाद करने का सवाल है। वहां इस्ट और वैस्ट का सवाल भी नहीं है। हमारे प्रदेश के कुछ भाई पैसे की कमी के कारण या वहां की स्थिति के कारण परेशान हैं तो अगर उनकी परेशानी को दूर करने के लिये अगर वैस्ट का कुछ रुपया वहां चला जाय तो कोई गैर मुनासिब बात नहीं है। इमरजैन्सी के वक्त ऐसी बातें नहीं कही जाती हैं। यह कन्ट्रोवर्सी इस वक्त गैर मुनासिब है। इसके अलावा मैं सिर्फ यह कहूंगा कि यह कोई पोलिटिकल स्ट्राइक नहीं है। मैं तो देखता हूं कि सदन के अन्दर जिस राजनैतिक पार्टी के नेता गेंदा सिंह जी हैं उसके शायद एक ही सदस्य यहां हैं। हर आदमी दूसरी पार्टी का है। सरकार की भी यह राय है कि वहां पर अन्न की समस्या है। ऐसी समस्या के लिये हंगर स्ट्राइक को दूसरा रूप न देकर अगर गौर से सोचें तो उसके लिये एक इन्क्वायरी कमेटी मुकर्रर करना कोई गैर मुनासिब न होगा।

आदि संख ६ तारीख २६-७-५

श्री चेयरमैन—श्री जगन्नाथ आचार्य आप ५ मिनट बोल सकते हैं उसके बाद मुख्य मन्त्री जी उत्तर देंगे।

श्री जगन्नाथ आचार्य (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, असल में तो हम लोगों को ही बोलना चाहिये था, दुःख है कि पूर्वी जिलों के कई सदस्य बोलने से रह गये जैसे श्री विश्वनाथ जी बोल नहीं पाये। मुझको अन्त में बोलने का समय केवल ५ मिनट का आपा ने दिया।

आज प्रश्न पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या का है। एक रोज इस पर हम पहले भी बहस कर चुके हैं और आज पुन: इस पर विचार हो रहा है। मैं जानता हूं कि यह कभी नहीं हो सकता है कि माननीय डा० सम्पूर्णानन्द जी के मुख्य मन्त्री रहते हुये कहीं भी कोई एक व्यक्ति भी भूखा मर जायगा। क्योंकि हमारे राज्य का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य है। दूसरे शब्दों में राम राज्य और राम राज्य का उद्देश्य यह है कि राम राज्य में दैहिक, दैविक भौतिक तापा, राम राज्य यह काहु न व्यापा। तो ऐसी दशा में कोई भूखा नहीं मर सकता है। पूर्वी जिलों की समस्या शुरू से ही बड़ी खराब रही है। यू० पी० के इतिहास में इतना कभी ध्यान नहीं दिया गया इन जिलों पर जितना कि इस सरकार ने दिया है। पूर्वी जिलों को तो हमेशा कुचला गया है। जब पंजाब में गुरू के बाग में सत्याग्रह १९२६ में हो रहा था तो पंजाब में तत्कालीन गवर्नर ने कहा था कि पूर्वी जिले वालों ने विरोध किया तो उनको हमने घसखुदा बना दिया, तुम लोग यदि विरोध करोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। सन् ५७ से लेकर १९४२ तक पूर्वी जिले विद्रोह में सदा आगे रहे हैं और इसका परिणाम वही होना चाहिये जो हम देखते हैं। पूर्वी जिले सब से पिछड़ हुये हैं। वहां की समस्याओं का समाधान तत्काल नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट यह कभी नहीं चाहती है कि यहां तरक्की न हो, लेकिन यहां की समस्यायें इतनी आसान नहीं हैं कि तमाम हल हो जांय। इसके लिये जब धीरे--धीरे प्रयत्न होगा तब यह समस्यायें हल हो सकती हैं। आज हमारी मनोवृत्ति किस तरफ जा रही है। आज हम लोग यही चाहते हैं कि चाहे कितने ही सम्पन्न क्यों न हों सरकारी लगान व तकावी माफ हो जाय। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। ऐसे--ऐसे राय बहादुर व आनरेरी मैजिस्ट्रेट मुझसे मिले जो यह पूछते रहे कि कब तक लगान व तकावी माफ हो जायगी। आज किस तरफ मनोवृत्ति जा रही है उसको भी हमको देखना होगा। अदीना स्याम शरद: शतम्। ऐसी भावना को हमें जनता में भरना होता है। कि कौन सा ऐसा कार्य हो सकता है जिससे जनता में भी चेतना उत्पन्न हो क्योंकि जनता में जब तक चेतना नहीं होगी तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती है। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि टैक्स न लगे और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि स्थिति ठीक नहीं है तो फिर क्या सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग है जिससे कि रुपया मिल जाय। पूर्वी जिलों की कुछ समस्यायें ऐसी हैं जिन पर माननीय मन्त्री जी को विचार करना होगा। एक तो नारायणी नहर की है। नारायणी नहर जहां से निकलती है उसके लिये यह कहा गया है कि १६ मील तक पानी नहीं लिया जायगा तो १६ मील में जमीन तो काश्तकारों के नहर निकलने के लिये ले ली गयी, परन्तु वे सिंचाई से वंचित हैं, अब इस नहर द्वारा नारायणी का पानी पचीसों मील में फैल कर बरबादी कर रहा है। इससे बाढ़ आ गयी है। परतावल भिटौली आदि में पानी बहुत फैल गया है। इधर इस नहर की तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है। तो कितनी ही ऐसी समस्यायें हैं जिनका हल जल्दी नहीं हो सकता है। कई ऐसी बातें हैं जिनको हम यहां कहते हैं कि तो खिल्ली उड़ाई जाती है। अभी इसी सदन में माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि प्रत्येक पूर्वी जिले को ढाई ढाई हजार रुपया मदद के लिये दिया गया है, गोरखपुर को भी दिया गया है। परन्तु सिवाय जौनपुर के कहीं भी खर्च नहीं हुआ। माननीय मन्त्री जी तो यह कहते हैं कि जिले में जरूरत नहीं वहां के अधिकारी रुपया बचाये रहते हैं। हम लोगों से कहते हैं कि इतने से क्या होगा। इसका असर उल्टा होता है। वहां सरकार यह समझती है कि रुपये की तथा सहायता की जरूरत नहीं है। मैं जब यहां से गोरखपुर गया और जिलाधीश से पूछा तो उन्होंने कहा कि ढाई हजार तो क्या ऐसे ऐसे ढाई लाख भी आवें तो भी काम नहीं चल सकता है।

पूर्वी जिलों की गरीबी का कहां तक वर्णन करूं यहां की गरीबी का एक देहाती कहावत में ही वर्णन करता हूं जो बड़ी प्रसिद्ध कहावत है 'तरे टाटी ऊपर टाटी, राम दोहाई भले बाटी'। तात्पर्य नीचे छप्पर ऊपर छप्पर भगवान कृपा से हम मजे में हैं।

[श्री जगन्नाथ आचार्य]

सरकार की तरफ से पूर्वी जिलों में टेस्ट वर्क खोलने की योजना है। टेस्ट वर्क खोले भी जाते हैं। परन्तु ये व्यर्थ हैं, इनसे वास्तविक कोई लाभ नहीं होता। काम कुछ भी नहीं होता जबकि टेस्ट वर्क मेरा एक निजी अनुभव है। एक सड़क पर काम हो रहा था। उसी समय एक प्रसिद्ध विरोधी नेता वहां पहुंचे, उन्होंने साफ जनता से कह दिया कि काम मत करो सरकार तुमको खाना देगी। ये नेता इस समय विदेश गये हुये हैं। टेस्ट वर्क चलाना बेकार है उसके बजाय और कोई काम चलाया जाये। बरसात में तो कोई भी टेस्ट वर्क चलाया ही नहीं जा सकता है। कोई कच्ची सड़क ऐसी नहीं है जो नाले की शकल की न हो गई हो। भावावेश में आकर अगर हम कोई काम कर दें तो यह ठीक नहीं होगा। जहां तक मुख्य प्रश्न है पूर्व–पश्चिम का ये एक रथ के दो पहिये के समान हैं। अगर एक भी पहिया बिगड़ जाता है तो रथ चल नहीं सकता है। पूर्वी जिलों में बहुत सा बन प्रदेश है। अगर कोई इंडस्ट्री वहां खोली जाये तो जो भार वहां पर खेती पर बढ़ता जा रहा है वह कुछ कम हो जायेगा। खेती पर सभी लोग जबकि आबादी बढ़ती जा रही है अवलम्बित नहीं रह सकते हैं। पिपरौली बाजार में १९वीं शताब्दी में पहिले तीन लाख रुपये का सूत बिकता था। आज भी बेंत कम्बल करघा के उद्योग पनप सकते हैं। मगहर वहां पर प्रसिद्ध स्थान है ही। करघा उद्योग बड़ी अच्छी तरह चल सकता है। बन की लकड़ियों का भी उद्योग चल सकता है। अन्त में मैं यह कहूंगा कि भावावेश में आकर हम कोई काम ऐसा न करें जैसे अनशन इत्यादि। उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें जनता में भिखमंगाई की मनःवृत्ति दूर करके स्वावलम्बन की भावना जगाना है। भिख मंगाई से देश का कल्याण नहीं होगा।

आदि संख्या ६ तारीख २६–७–८

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि इस बात के सिलसिले में कुछ छोटी-छोटी बातें कही गई हैं, जिनका मुझको जवाब देना है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके कहने के ढंग में चाहे भले ही फर्क हो परन्तु वह सर्व मान्य हैं। पूर्वी जिलों में अन्न का जो इस समय संकट है उसके संबंध में कोई विवाद नहीं है। और इसकी चर्चा कि वह संकट कितना है कितना नहीं है, यह विवाद का कारण हो गया है। बहरहाल जो कुछ भी हो। अन्न की ऐसी परिस्थिति है या नहीं यह जरूर विचार करने का प्रश्न है। इसी बीच में अनशन की भी चर्चा हुई और होनी भी आवश्यक थी। यही विवाद का विषय है।

गेंदा सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में कोई बहस नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं गेंदा सिंह जी को भी जानता हूं निजी रूप से मुझे उनके लिये काफी इज्जत है, लेकिन इज्जत होते हुये भी इस बात को मानते हुये भी कि वह आदरणीय हैं। यह भी कहना पड़ता है कि आदरणीय व्यक्ति से भी गलती होती है और बड़े आदमियों की गलती बड़ी होती है और उसका असर बड़ा होता है। अनशन की फिलासफी में इस समय चर्चा करना बेकार है। किस अवस्था में हो सकता है औरऔर किस में नहीं हो सकता है, लोकतन्त्र में जगह है या नहीं, यह लम्बे चौड़े प्रश्न हैं। महात्मा जी की मिसाल देना बेकार है। श्री कृष्ण जी के लिये कहा जाता है कि वह रास ब्रज में किया करते थे और अपनी उंगली से गोबर्धन पहाड़ को उठा लिया था। तो उनकी मिसाल देना बेकार है क्योंकि पहाड़ उठना तो एक अलग, ४ मन का पत्थर उंगली से उठाना अपनी कूवत से बाहर है। महात्मा जी ने जिन परिस्थितियों में अनशन किया था वह किया था। दूसरा पत्र जो मैंने गेंदा सिंह जी को लिखा है उसका मैंने जिक्र किया, मैं ऐसा समझता हूं कि अनशन एक इम्मारेल प्रेशर है। एक आदमी जिस नियत से या जिस उद्देश्य से अनशन करता है उसकी नकल करना मुश्किल है। लेकिन उसके काम की नकल हो सकती है। यह भी हो सकता है कि एक बुरा आदमी बुरी नियत से अनशन करे और इस ख्याल से कि जब उसकी हालत खराब होगी तो लोगों में उसके लिये दया की भावना आयेगी और लोग दौड़ धूप करेंगे कि इस कुछ न कुछ बात मान ली जाये और मनवा लेंगे। मैं गेंदा सिंह के लिये ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, मुझे उनके उद्देश्य के बारे में सन्देह नहीं है, लेकिन उनका रास्ता गलत है। क्योंकि रास्ते

का जो अनुकरण किया जायेगा उसमें लोग गलत बातों को मनवाने की कोशिश करेंगे। इसलिये मैं कहता हूं कि यह अनैतिक दबाव है, इसलिये इसको सार्वजनिक जीवन में स्थान नहीं देना चाहिये। हां, जब "महात्मा जी का सा व्यक्ति आ जायेगा तो देखा जायेगा। सन् १९२१ में डा० मुन्जे ने एक किताब लिखी थी प्रोस एंड कान्स आफ नान क्वापरेशन।" वह महाराजा ऐसे थे, जिनका महात्मा जी के कार्यक्रम पसन्द नहीं थे। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब एक आन्धी आती है तो बड़े से बड़ा पेड़ उसके सामने झुक जाता है। जब महात्मा जी का सा व्यक्ति आयेगा तो देखा जायेगा क्योंकि वह व्यक्ति बहस के लिये नहीं आयेगा। इस अनशन से हम किसी समस्या का हल नहीं कर सकते हैं। हमको मैरिट्स पर जाना होगा।

भुखमरी के बारे में कहा गया। सैद्धान्तिक रूप से इस समस्या पर कहा गया कि पूर्वी जिलों में एक आदमी एक बात कहता है और सरकार आंकड़े की बात करती है ऐसी बात नहीं है। हम खाली आंकड़े की बात नहीं करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था इस समय गवर्नमेंट के दो मिनिस्टर पूर्वी जिलों के हैं, एक डिप्टी मिनिस्टर और तीन तीन पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज पूर्वी जिलों के हैं। हमको भी पूर्वी जिलों का उतना ज्ञान है जितना किसी और व्यक्ति को ज्ञान है। हमको पूर्वी जिलों से उतनी ही हमदर्दी और सहानुभूति है जितना माननीय गेंदा सिंह जी को है। हम अनुभव का जवाब अनुभव से देते हैं। अब जैसा मैंने कहा है मेरे कहने म कुछ गलती हुई जिसकी वजह से डाक्टर साहब को भ्रम हुआ। मैंने कहा था कि इतना बड़ा प्रदेश है, पूर्वी क्या कहीं भी कोई व्यक्ति अन्न के बगैर नहीं मर सकता है। लखनऊ या कहीं भी आदमी पैसे के बगैर मर सकता है। पैसा न होने से रेल के नीचे कट कर लोग मर गये हैं और भूख से भी मर गये हैं। इतने बड़े प्रदेश में १०,२० आदमियों के मरने की खबर आ जाये तो दुःख जरूर है। लेकिन आश्चर्य की बात नहीं हो सकती है। हवाई बात नहीं है, मैं इस सदन की बात नहीं जानता। असेम्बली में कहा गया है कि फलां गांव में फलां फलां भुखमरी से मर गये। उनकी जांच हुई तो मालूम हुआ कि या तो मरा नहीं है और मरा है तो ६ महीने से बिमार था। यह नहीं है कि कोई मरा नहीं। लेकिन जहां सौ दो सौ की बात है वहां आंकड़े की बात तर्क के आधार पर कही जाती है। उन्होंने लिखा है कि भूख से मृत्यु अब तक इन जिलों में काफी हुई है, ऐसा म मानता हूं चाहे उनको किन्हीं शब्दों में इनकार कर लिया जाये परन्तु मेरी बुद्धि उसको स्वीकार करने से इनकार करती है।

मैं यह भी मानता हूं कि पिछले महीनों में जो मृत्यु हुई हैं उनमें काफी संख्या भूख से पीड़ित होकर मरने वालों की है। यह लाजिक की बात है। इसका क्या जवाब दे सकते हैं। कोई कहता है कि कितनों को अच्छा खाना नहीं मिला इसलिये मृत्यु हुई। इसका जवाब तो हो सकता है और एसी मृत्यु भी हो सकती है। जहां तक मैं समझ पाया हूं माननीय कुंवर गुरुनारायण जी ने कुछ राय दी थी। जो टेस्ट वर्क में कहा गया कि पैसे के बदले में अनाज दिया जाय, इसके कई मतलब हैं। टेस्ट वर्क इससे खतम हो जायगा क्योंकि टेस्ट वर्क तो एक प्रकार का टेस्ट ही होता है। उसमें कम मजदूरी दी जाती है और वह इसलिये कि देखा जाय इतने कम मजदूरी पर लोग काम करने आते हैं या नहीं। अगर आते हैं तो स्थायी रूप स काम खोला जाता है। जब पेट भर को खाना दिया जायगा तो टस्ट वर्क खतम हो जायगा। यहां पर माननीय सदस्यों ने तकावी का जिक्र किया। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। ५९ लाख ८५ हजार रुपया तकावी का पोस्टपोन किया गया और २ लाख ५१ हजार रुपया तकावी का सस्पेन्ड कर दिया गया। माननीय गेंदा सिंह जी ने दो-तीन बातें मुख्य मुख्य डिमान्ड के रूप में अपने खत में जिक्र की है। लगान की माफी हो, इसके सम्बन्ध में कह चुका हूं। कानून बना है, कायदे बने हैं, उसके मुताबिक हर किसी को देखना चाहिये। यह नहीं हो सकता कि सबका लगान एक साथ माफ कर दिया जाय। इस वक्त जो आंकड़े हैं उनको देखने से मालूम होता है कि बनारस और गोरखपुर में ३ लाख ३६ हजार गांव हैं। खरीफ के सिलसिले में वहां २१ हजार २ सौ गांवों में रिलीफ दी गई। गोरखपुर जिले को छोड़कर रबी की फसल के सम्बन्ध में २६ हजार ५ सौ गांवों में रिलीफ दी गई।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

ऐसा अन्दाज है। गोरखपुर को मिलाकर २९,००० गांवों को रिलीफ होगी। इससे जाहिर है कि इसमें हमें आपत्ति नहीं है। रूल्स के अनुसार जो केस आता है उसके अनुसार होता है चाहे राजा का केस है या नीचे के लोगों का। यह डिमान्ड जो है वह गलत है। सबको एक साथ कैसे माफ किया जाय। उसमें यह है कि:

१---रबी की मालगुजारी पूरी माफ करने की घोषणा की जाय।

२---वसूली सस्पेन्ड की जाय।

३---वसूल की हुई रकम वापस की जाय।

इस रूप में यह डिमान्ड मान्य नहीं हो सकती है। कमीशन की बाबत जितना हो सकता है माननीय सदस्यों को भ्रम है। कमीशन से उनका मतलब है कि इस वक्त क्या हो रहा है। कमीशन कीइसलिये मांगें हैं कि स्थायी तरीके से इस बात की पूरी जांच हो जाय कि बनारस और गोरखपुर कमिश्नरी के लोगों की तरक्की किस तरह से हो सकती है। इसके सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उन बातों की ओर आकर्षित करता हूं जिनकी ओर पहले माननीय सदस्य हयातुल्ला अंसारी ने कहा है। मुझसे जब बातचीत हुई तो कई लोगों से कहा कि दो तीन बातों को सोचने की जरूरत है। जब कमीशन की बात करते हैं तो खाली बनारस और गोरखपुर की बात नहीं सोचनी चाहिये। और जगहों की भी हालत खराब है। बुन्देलखंड की हालत कम खराब नहीं है। उनके बारे में भी सोचना है। दूसरी बात जो कमीशन की है वह सर्वांगीण है। वह एक दिन के अन्दर रिपोर्ट नहीं दे सकती है। उसको ६ महीने का समय चाहिये, इसके माने हैं कि गवर्नमेंट के लिये एक अच्छा बहाना है कि कमीशन की रिपोर्ट आयेगी तो फिर देखेंगे। इस तरह से यह गलत चीज होगी। कमीशन को नियुक्त किया जाय तो लोगों को उम्मीद बढ़ जाती है, लेकिन हमको व्यावहारिक दृष्टि से देखना चाहिये कि यह कितना संभव है। जो सेकेन्ड फाइव इयर प्लान है वह हमारे सामने है और जो हमारी आमदनी है वह हमारे सामने है। सेकेन्ड प्लान को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। स्माल सेविंग स्कीम में अगर हम २१ करोड़ रुपया जमा कर लें तो फिर हम इस प्लान को पूरा कर सकते हैं। थर्ड प्लान जब शुरू होगा तब हमारे लिये मुश्किल हो जायेगा। इस काम को अगर हम सचमुच चाहते हैं तो यह जिला हो चाहे दूसरा हो पूरी तरह से हमें विचार करना चाहिये। पूर्वी जिलों में हर साल बाढ़ आती है, इसके लिये एक स्कीम है कि २०० करोड़ रुपया हो तो बाढ़ नहीं आ सकती है। उम्मीद पैदा कर देना अच्छा नहीं है। इस को ६ या ७ वर्ष में भी पूरा नहीं कर सकते हैं। आगे चलकर यह एक असन्तोष पैदा करने की बात होगी। आज यह हर विभाग के सामने प्रश्न है कि हमारे प्लान को सफल होना चाहिये और अच्छी तरह से सबके लिये होना चाहिये। हम सब हिस्सों की बाबत कर रहे हैं। किस किस तरह से अपने रिसोर्सेज के रहते हुये हम क्या कर सकते हैं इसके लिये प्रादेशिक प्लानिंग कमेटी है और उसमें कई मेम्बर हैं। उसमें इकनामिक्स के प्रोफेसर भी हैं। इसलिये वह केवल एक रूप प्रदर्शन का ही नहीं होगा बल्कि ऐसा काम होगा जो हमारे सामर्थ्य के भीतर है। इसलिये इस मांग को स्वीकार करने में हमें दिक्कत है।

आदि संख्या ६ तारीख २६-७-८

तीसरी चीज यह है कि जिसमें एक कमेटी की मांग की गयी है और कहा गया है कि इसमें अलग अलग पार्टीज के सदस्य हों। इसके शब्द यह हैं जो कि गेंदा सिंह जी ने लिख कर भेजे हैं। तात्कालिक सहायता के लिये प्रत्येक दल के विधायकों की एक समिति बनायी जाय जो कि सहायतास्वरूप इस सम्बन्ध में निर्णय दे। मैंने दूसरे सदन में कहा था कि कमेटी बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है, निर्णय दे तो यह एक मैन्डेटरी बात हो जायेगी। डेमोक्रेसी में कोई सरकार किसी भी कमेटी की आड़

में अपना काम नहीं कर सकती है। चाहे वह काम भला हो या बुरा हो, लेकिन हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी है। अपनी आमदनी को हम जानते हैं। अगर हम किसी भी कमेटी को स्वीकार कर सकते हैं तो ऐसी कमेटी को स्वीकार कर सकते हैं जो एक एडवायजरी कमेटी के रूप में हो। इसके अलावा हम कोई दूसरी कमेटी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो एडवायजरी कमेटी होती है अगर उसकी रिपोर्ट में कोई वजन होता है तो सरकार उसको मानती है, लेकिन उसकी किसी बात को मानने के लिये सरकार बाध्य नहीं होती है। तो यह बात अपनी जगह पर रुक गयी। फिर मैं सदन को एक बात बतलाना चाहता हूं। अभी कल माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने एक प्रेस कान्फ्रेन्स की। उस प्रेस कान्फ्रेन्स में जो उन्होंने कहा उसका एक अथाराइज्ड वर्जन मेरे पास है जिसको कि उन्होंने अथाराइज्ड किया है।

Addressing a Press Conference, the Praja-Socialist lieader, Mr. Triloki Singh, said: "Till such time as a Commission is appointed and its recommendations are implemented by the Government, a committee consisting of all sections of opinion represented in the Legislature should be appointed to suggest measures for immediate relief. This committee will obviously submit its recommendations to the Government to accept or reject them." But Mr. Genda Singh insists that the recommendations which are obviously of an unexceptionable character should be acceptable to Government.

Asked to clarify his statement on the question whether the demand for a Commission was inter-related with the demand for the proposed all-parties committee, Mr. Triloki Singh said that it was not so. However, he said he would welcome the acceptance of any of the demands.

यह एक काफी रीजनेबिल बात है। यह एक ऐसी चीज है जिसको स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक काम हम पहले भी कर चुके हैं। यहां से जो कमेटी बनेगी वह जिलों में जो तात्कालिक रिलीफ है उसकी बात सोचेगी। लेकिन पहले से ही जिलों में कमेटियां बनी हुई हैं वे सोच सकती हैं कि क्या रिलीफ इस वक्त मिलनी चाहिये। आप को मालूम होगा कि हर एक जिले में एक फ्लड रिलीफ कमेटी बनी हुई है, जिसमें विधान मंडल के सदस्य भी हैं। अब इस कमेटी के होते हुये कोई दूसरी कमेटी बनायी जाय तो इसमें कोई कोई तुक नहीं है। अभी दो तीन दिन हुये हम ने जिलाधीशों को लिखा है कि वे इस कमेटी को तुरन्त बुलायें और देखें कि उस कमेटी ने क्या क्या किया है और आगे क्या करना चाहती है। यह काम हम आलरेडी कर चुके हैं। लेकिन जिस कमेटी का माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने जिक्र किया है उसको मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जैसा कि मैंने असेम्बली में भी कहा था कि इस कमेटी को बनाने के लिये हम तैयार हैं। परन्तु जब यह स्पष्ट करते हैं कि इसके निर्णय को मान लिया जाय तो उसमें मुझे ही नहीं बल्कि किसी भी गवर्नमेंट को आपत्ति हो सकती है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--He does not insist on a Commission separately.

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--No, he does not.

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--आपने इन्क्वायरी नहीं करायी, क्या मेरे विचार से पूर्वी क्षेत्र के सभी जिलों में एक सी स्थिति नहीं हो सकती है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--फीगर्स तो इसकी मेरे पास मौजूद हैं। परन्तु वह इतनी ज्यादा हैं कि उनको यहां पर पूरी तरह से रखा नहीं जा सकता है, लेकिन जैसा कि फीगर्स से मालूम

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

होता है सभी जिलों में एक सी नहीं है। बहरहाल जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इस कमेटी को मानने में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे अधिक मुझे निवेदन करने की भी आवश्यकता नहीं है।

सदन का कार्य-क्रम

श्री चेयरमैन--अब आयन्दा के लिये क्या काम है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--काम तो अभी नीचे के हाउस से आना बाकी है और जब वहां से काम आयेगा तभी यहां पर फिर बैठा जायेगा। मेरे विचार से ९ तारीख तक तो इस सदन को एडजार्न कर दिया जा सकता है।

श्री चेयरमैन--अब कौंसिल ९ सितम्बर, १९५७ को ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ४ बजकर ५५ मिनट पर दिनांक ९ सितम्बर, १९५७ को ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गयी।)

आदि सं
६
तारीख
२६-७-

लखनऊ,
दिनांक ८ भाद्र, शक संवत् १८७९
(३० अगस्त, सन् १९५७ ई०)

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर पृष्ठ ६९३ पर)

मंडलीय उप-शिक्षा संचालकों के नाम	आर्बिट्रेशन बोर्ड के मामलों की संख्या	प्रत्येक मामलों को आर्बिट्रेशन बोर्ड में भेजने का दिनांक
१—उप-शिक्षा संचालक, मेरठ मंडल	१	२९-५-१९५७
२—उप-शिक्षा संचालक, बरेली मंडल	६	३१-१-५५, १०-८-५६, १५-९-५५, ६-२-५७। २४-१२-५४ तथा २४-४-५६।
३—उप-शिक्षा संचालक आगरा मंडल	३	२९-१२-५६, १३-२-५७, तथा ५-५-५७।
४—उप-शिक्षा संचालक, इलाहाबाद	५	जनवरी, १९५७, मार्च, १९५७, अगस्त, १९५६ दिसम्बर, १९५१ तथा जुलाई, १९५३।
५—उप-शिक्षा संचालक वाराणसी	१०	पांच मामले ३०-३-१९५७ को तीन मामले ८-७-५७, १२-६-५७ तथा २९-३-१९५७।
६—उप-शिक्षा संचालक गोरखपुर मंडल	७	२९-६-१९५६, १४-७-१९५६, १८-५-१९५५, ९-२-५७, जून १९५६। ९-५-५७ तथा ४-४-१९५७।
७—उप-शिक्षा संचालक, लखनऊ मंडल	१	१२-१२-५६।
८—जिला विद्यालय निरीक्षक, अध्यक्ष कुमायूं क्षेत्र	०	
योग	३३	

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३१ का उत्तर पृष्ठ ७०० पर)

तालिका (क)

भारतीय प्रथम स्वातन्त्र्य संग्राम के शताब्दी दिवस (१०-५-५७) पर छोड़े गये बन्दियों की संख्या की जिलेवार तालिका।

आदि सं
६
तारीख
२६-७-

जिला		संख्या	जिला		संख्या
२१—आगरा	...	१४६	२७—हरदोई	...	२२
३—इलाहाबाद	..	१०२	२८—जालौन (उरई)	...	२४
४—अलीगढ़	...	४२	२९—जौनपुर	...	११
—अल्मोड़ा	..	७	३०—झांसी	...	३७
५—आजमगढ़	...	४३	३१—कानपुर	...	१३२
६—बहिराइच	...	४८	३२—खीरी	...	४२
७—बलिया	...	२५	३३—लखनऊ	..	१०६
८—बांदा	...	२२	३४—मैनपुरी	..	६४
९—बाराबंकी	...	४२	३५—मथुरा	...	४४
१०—बरेली	...	१४१	३६—मेरठ	...	७४
११—बस्ती	...	३९	३७—मिर्जापुर	...	१४३
१२—बिजनौर	...	१५	३८—मुरादाबाद	...	६३
१३—बदायूं	...	४६	३९—मुजफ्फरनगर	...	२८
१४—बुलन्दशहर	...	१५	४०—नैनीताल	...	५
१५—देहरादून	...	२१	४१—पीलीभीत	...	२६३
१६—देवरिया	..	२०	४२—प्रतापगढ़	...	४३
१७—एटा	...	५३	४३—रायबरेली	...	५३
१८—इटावा	..	८	४४—रामपुर	...	११
१९—फैजाबाद	...	२३	४५—सहारनपुर	...	४९
२०—फर्रुखाबाद	...	१४	४६—शाहजहांपर	..	५३
२१—फतेहपुर	...	३३	४७—सीतापुर	..	५१
२२—गढ़वाल (पौड़ी)	...	४	४८—सुल्तानपुर	...	७२
२३—गाजीपुर	...	४५	४९—टेहरी-गढ़वाल	...	४
२४—गोंडा	...	१७	५०—उन्नाव	...	२३६
२५—गोरखपुर	...	६१	५१—वाराणसी	...	१३८
२६—हमीरपुर	...	११			
			कुल योग...		२,११५

APPENDIX 'A'

(See *the answer to starred question no. 31 on page* 700)

List of number of prisoners released on the Centenary Day of India's First Struggle for Freedom

LIST 'A'

No.	District	Number
1.	Agra	146
2.	Allahabad	102
3.	Aligarh	42
4.	Almora	7
5.	Azamgarh	43
6.	Bahraich	48
7.	Ballia	25
8.	Banda	22
9.	Bara Banki	42
10.	Bareilly	141
11.	Basti	39
12.	Bijnor	15
13.	Budaun	46
14.	Bulandshahr	15
15.	Dehra Dun	21
16.	Deoria	20
17.	Etah	53
18.	Etawah	8
19.	Faizabad	33
20.	Farrukhabad (Fatehgarh)	94
21.	Fatehpur	33
22.	Garhwal (Pauri)	4
23.	Ghazipur	45
24.	Gonda	97
25.	Gorakhpur	69
26.	Hamirpur	19
27.	Hardoi	22
28.	Jalaun (Orai)	24
29.	Jaunpur	19
30.	Jhansi	37
31.	Kanpur	132
32.	Kheri	42
33.	Lucknow	106
34.	Mainpuri	64
35.	Mathura	44
36.	Meerut	74
37.	Mirzapur	143
38.	Moradabad	63
39.	Muzaffarnagar	28
40.	Naini Tal	5
41.	Pilibhit	263
42.	Pratapgarh	43
43.	Rae Bareli	53
44.	Rampur	11
45.	Saharanpur	49
46.	Shahjahanpur	53
47.	Sitapur	51
48.	Sultanpur	72
49.	Tehri-Garhwal	4
50.	Unnao	236
51.	Varanasi	138
	Total ..	2,995

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३३ (ग) का उत्तर पृष्ठ ७०१ पर)

तालिका (ख)

छूटने की तिथि		छोड़े हुये बन्दियों की संख्या	छूटने की तिथि		छोड़े हुये बन्दियों की संख्या
११-५-५७	...	९०	२९-५-५७	...	४
१२-५-५७	...	१२४	३०-५-५७	...	२१
१४-५-५७	...	६	३१-५-५७	...	२५
१५-५-५७	...	३६	१-६-५७	...	१
१६-५-५७	...	१११	३-६-५७	...	४
१७-५-५७	...	११	५-६-५७	...	१
१८-५-५७	...	४	१०-६-५७	...	१
१९-५-५७	...	२३	३०-६-५७	...	१
२०-५-५७	...	३०	१-७-५७	...	२
२१-५-५७	...	३८	१३-७-५७	...	२
२२-५-५७	...	३३	१५-७-५७		१
२३-५-५७	...	१	१६-७-५७	...	१
२४-५-५७	...	१६	१५-८-५७	...	१
२५-५-५७	...	२७			
२६-५-५७	...	२			
२८-५-५७	...	१०	योग	...	६२८

आदि सं
६
तारीख
२६-७-

APPENDIX 'B'

(See *the answer to Starred question no. 33* (c) *on page* 701)

LIST 'B'

Question no. 33 (c)

Date of release		Number of prisoners released	Date of release		Number of prisoners released
11-5-57	..	90	29-5-57	..	4
12-5-57	..	124	30-5-57	..	21
14-5-57	..	6	31-5-57	..	25
15-5-57	..	56	1-6-57	..	1
16-5-57	..	111	3-6-57	..	4
17-5-57	..	11	5-6-57	..	1
18-5-57	..	4	10-6-57	..	1
19-5-57	..	23	30-6-57	..	1
20-5-57	..	30	1-7-57	..	2
21-5-57	..	38	13-7-57	..	2
22-5-57	..	33	15-7-57	..	1
23-5-57	..	1	16-7-57	..	1
24-5-57	..	16	15-8-57	..	2
25-5-57	..	27			
26-5-57	..	2	Total	..	628
28-5-57	..	10			

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर पृष्ठ ७०५ पर)

APPENDIX 'A'

Detailed account of the amount collected from various schools for Youth Rally

1954-55

Serial number	Name of the school		Amount collected Rs.	a.	p.
1	Jain H. S. School, Baraut	..	100	0	0
2	Government H. S. School, Meerut	..	100	0	0
3	A. V. H. S. School, Tera	..	75	0	0
4	Anglo-Sanskrit H. S. School, Ami Nagar	..	100	0	0
5	S. V. M. Inter. College, Chaprolli	..	200	0	0
6	Government H. S. School, Hastinapur	..	100	0	0
7	J. M. H. Secondary School, Meerut	..	100	0	0
8	St. Charles School, Sardhana	..	200	0	0
9	Faiz-i-am Inter. College, Meerut	..	200	0	0
10	Higher Secondary School, Salawa	..	100	0	0
11	S. S. D. H. School, Meerut	..	200	0	0
12	Baraut Circle Primary Schools	..	260	0	0
13	R. S. K. Inter. College, Simbholi	..	200	0	0
14	M. I. J. H. School, Pilakhua	..	50	0	0
15	Kisan R. S. School, Chirori	..	100	0	0
16	D. N. Inter. College, Meerut	..	200	0	0
17	N. A. S. College, Meerut	..	200	0	0
18	B. A. V. Inter. College, Meerut	..	200	0	0
19	Dhaha Circle, Sri L. N. Sachadeva	..	800	0	0
20	S. S. D. I. College, Ghaziabad	..	200	0	0
21	G. V. M. H. S. School, Budhpur	..	100	0	0
22	N. K. Inter. College, Mawana	..	200	0	0
23	N. A. S. H. S. School, Meerut	..	100	0	0
24	Bahsuma Inter. College, Mawana	..	100	0	0
25	Krishak College, Mawana	..	200	0	0
26	A. S. Inter. College, Mawana	..	200	0	0
27	P. I. College, Patla	..	200	0	0
28	S. D. Inter. College, Ghaziabad	..	200	0	0
29	Navjiwan Inter. College, Farruknagar	..	200	0	0
30	Modi Inter. College, Modinagar	..	200	0	0
31	Kanya Inter. College, Ghaziabad	..	100	0	0

Serial number	Name of the school	Amount collected		
		Rs.	a.	p.
32	D. B. J. H. School, Ghaziabad	50	0	0
33	M. L. Vidya Mandir, Ghaziabad.. ..	50	0	0
34	M. Mission Harijan Vidyalaya, Ghaziabad ..	200	0	0
35	M. B. Jatava J. H. School, Ghaziabad ..	50	0	0
36	D. B. J. H. School, Sarawa	50	0	0
37	K. N. Inter. College, Muradnagar.. ..	200	0	0
38	D. B. J. H. School, Bachuli	50	0	0
39	J. J. High School, Siroli	50	0	0
40	D. B. J. H. School, Chirori	50	0	0
41	D. B. I. High School, Muradnagar ..	50	0	0
42	Sri Kisan H. S. School, Niwari	100	0	0
43	Fee from 77 Primary Schools, (@ Rs. 5 each..	385	0	0
44	Private S. B. V. H. S. School, Salarpur ..	100	0	0
45	Sardar Patel H. S. School, Meerut ..	100	0	0
46	Municipal B. Girls H. S. School, Daurli ..	75	0	0
47	D. M. G. H. S. School, Daurli	100	0	0
48	R. V. F. C. Centre, Meerut	50	0	0
49	9 Primary Schools of Cantonment Board, Meerut	45	0	0
50	Arya H. S. V. School, Tera	25	0	0
51	Cycle Contractor Advance	15	0	0
52	Vaish Inter. College, Meerut	200	0	0
53	C. A. B. H. S. School, Meerut	200	0	0
54	S. D. J. H. School, Meerut Cantt. ..	15	0	0
55	S. D. J. H. School, Meerut Sadar ..	35	0	0
56	R. H. Secondary School, Lawer	100	0	0
57	Gandhi Smarak H. S. School, Dogat ..	100	0	0
58	B. N. M. H. S. School, Mau Khas ..	100	0	0
59	O. F. H. School, Muradnagar	200	0	0
60	H. S. School, Sonda	100	0	0
61	Sardhana Circle Primary Schools (48×5) ..	240	0	0
62	Meerut College, Meerut .. .	200	0	0
63	Govindpuri J. H. S.	50	0	0
64	Sri L. N. Sachdeva (Adjustment of his Circle account)	299	0	0
	Total ..	9,119	0	0

Details of income from various school's for Regional Sports Rally
1955-56

Serial no.	Date	Name of the school	Amount collected		
			Rs.	a.	p.
1	22-11-'55	St. Charles School, Sardhana ..	192	0	0
2	23-11-'55	J. M. Higher Secondary School, Meerut	40	0	0
3	24-11-'55	R. K. Inter. College, Simbhaoli ..	158	0	0
4	Do.	Swatantra Bharat Vidyalaya, Salarpur	52	0	0
5	Do.	M. G. Inter. College, Baraut ..	41	11	0
6	Do.	B. M. Higher Secondary School, Mau Khas	90	0	0
7	Do.	S. S. D. Inter. College, Ghaziabad ..	200	0	0
8	Do.	Sri Sri Ram H. S. School, Daurala ..	123	2	6
9	25-11-'55	U. P. H. S. Sapnawat	30	0	0
10	Do.	Krishak Inter. College, Mawana ..	100	0	0
11	Do.	S. S. S. Higher Secondary School, Rasna	135	0	0
12	Do.	G. S. Janta H. S. School, Patla ..	142	6	0
13	Do.	Sri Gandhi Higher Secondary School, Chhur	44	0	0
14	Do.	N. C. J. H. S., Sonda	39	15	0
15	Do.	Kisan N. H. S. S., Muradnagar ..	125	0	0
16	Do.	Ordinance Factory H. S. S. Muradnagar	76	3	0
17	Do.	Krishna H. S. School, Niwari ..	101	0	0
18	Do.	A. V. College, Machhra	150	0	0
19	26-11-'55	M. M. Inter. College, Khekra ..	206	0	0
20	Do.	R. S. S. College, Dhaulna	120	0	0
21	Do.	Janta Inter. College, Lumb ..	87	0	0
22	Do.	G. S. D. N. Inter. College, Parikshat-garh	136	0	0
23	Do.	Navjivan Inter. College, Farukhnagar..	69	0	0
24	28-11-'55	D. Jain College, Baraut	163	0	0
25	Do.	Chhedi Lal H. S. School, Jani ..	50	0	0
26	Do.	H. S. School, Salwa	38	0	0
27	Do.	G. V. N. College, Budhpur Randu ..	86	11	0
28	Do.	H. M. Inter. College, Tekri ..	125	0	0
29	2-12-'55	Subhas Higher Secondary School, Kandera	13	8	0
30	Do.	K. R. H. S. School, Chirori.. ..	65	7	0
31	Do.	Arya Vidyalaya H. S. S. School, Tera ..	70	0	0
32	Do.	H. S. School, Lawar	54	3	0
33	Do.	A. S. Inter. College, Mawana ..	172	0	0

Serial no.	Date	Name of the school	Amount collected		
			Rs.	a.	p.
34	3-12-'55	S. P. S. Higher Secondary School, Dhaulana	26	0	0
35	Do.	Jain H. S. School, Sardhana ..	54	9	0
36	Do.	S. H. Inter. Collegei, Mitili Jawarpur..	127	0	0
37	5-12-'55	M. G. M. Inter. College, Dhakauli ..	116	0	0
38	17-12-'55	N. B. M. H. S. School, Partappur ...	35	9	0
39	6-12-'55	Jain Inter. College, Khekra ..	70	0	0
40	8-12-'55	L. M. J. J. H. S. School, Morta ..	57	5	0
41	Do.	Sri Yamuna H. S. School. Baghpat ..	19	0	0
42	Do.	G. S. Higher Secondary School, Doghat	64	14	0
43	12-12-'55	D. M. G. Higher Secondary School, Dorli	42	8	0
44	22-12-'55	Modi Science and Commerce College, Modinagar	300	0	0
45	Do.	Faiz-i-am Inter. College, Meerut ..	143	9	0
46	Do	R. R. Inter. College, Pilakhwa ..	202	0	0
47	23-12-'55	Navjivan Higher Secondary School, Bahsuma	40	15	6
48	Do.	Sardar Patel Higher Secondary School, Meerut	120	5	0
49	Do.	Navjivan K. Inter. College, C. Mawana	103	4	0
50	24-12-'55	D. A. V. Inter. College, Kishanpur Baral	182	5	0
51	Do.	R. R. H. S. School, Pilakhwa ..	35	12	6
52	Do.	Kishan H. S. School, Madhi ..	43	8	0
53	25-12-'55	Janta Higher Secondary School, Kharkhauda	35	0	0
54	26-12-'55	L. H. H. S. School, Kankarkhera ...	23	11	0
55	Do.	Jat Heroes Higher Secondary School, Baraut	150	0	0
56	27-12-'55	H. S. School, Sarurpur Kalan ..	58	8	0
57	Do.	Muslim Jat H. S. School, Asara ..	60	12	0
58	Do,	Sri Jawahar H. S. School, Bamnauli ..	61	7	0
59	10-1-'56	B. A. V. Inter. College, Meerut ..	250	0	0
60	Do.	Government Higher Secondary School, Hastinapur	79	0	6
61	13-1-'56	Vaish Inter. College, Meerut... ..	150	0	0
62	Do.	Government Higher Secondary School, Meerut	127	8	0
63	18-1-'56	D. J. Higher Secondary School, Meerut	166	11	0
64	Do.	M. M. Higher Secondary School, Ghaziabad	158	0	0
65	Do.	D. N. Inter. College, Meerut ..	387	4	0
66	Do.	S. D. Inter. College, Ghaziabad ...	360	0	0

Serial no.	Date	Name of the school	Amount collected
			Rs. a. p.
67	23-1-'56	S. S. D. Inter. College, Meerut ..	317 11 0
68	25-1-'56	C. A. B. Higher Secondary School, Meerut	274 0 0
69	28-1-'56	Bharti Vidyalaya H. S. School, Meerut	33 9 0
70	7-2-'56	S. V. M. Higher Secondary School, Chhaprauli	153 4 0
71	Do.	L. B. B. M. Higher Secondary School, Lodipur	43 10 0
72	17-2-'56	Kisan Inter. College, Mohiuddinpur ..	143 12 0
73	Do.	N. A. S. College, Meerut	225 0 0
74	6-3-'56	Jat Vedic College, Baraut	18 0 0
75	Do.	S. S. V. Higher Secondary School, Hapur	136 8 0
76	3-12-'55	B. R. H. S. School, Samana ..	27 0 0
77	Contribution received from D. I. O. S's of nine districts of Meerut Region (excepting Meerut District) @ Rs. 125 each.		1,125 0 0
		Total ..	9,696 11 0

आदि सं
६
तारीख
२६-७-

नत्थी 'ङ'

(देखिये प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर पृष्ठ ७०५ पर)

APPENDIX 'B'

FROM

THE DISTRICT INSPECTOR OF SCHOOLS,
MEERUT.

To

THE HEADS OF ALL (BOYS AND GIRLS) INSTITUTIONS,
MEERUT DISTRICT.

No. *Dated 3rd November*, 1954.

SIR/MADAM,

In continuation of the circular already sent to you, I have to say that following sports and games items may please be included. The competition will be held in them at zone level :

	Sports	*Games*
Primary Schools—Boys—	(1) 50 yards dash	Same as in the circular.
	(2) Musical chairs	
	(3) Potato race.	
	(4) Baloon race.	
	(5) Three-legged race.	
Junior High Schools—Boys—	(1) 100 yards race	(1) *Kabaddi.*
	(2) 4×100 yards Relay race	(2) Wrestling.
	(3) Long Jump	
	(4) High Jump	
	(5) Three-legged race	
Higher Secondary Schools—Boys—	(1) 100 yards race	(1) *Kabaddi.*
	(2) 440 yards race	(2) Volley-ball.
	(3) One mile race	(3) Tug-of-War.
	(4) High Jump	(4) Wrestling.
	(5) Broad Jump	
	(6) 4×100 yards run relay	
	(7) 4×440 yards relay	
	(8) Shot-put	
	(9) Low Hurdles	
	(10) Javeline throw.	

(2) The following heights are prescribed for all classes of students. The competitors should not be more than the height prescribed.

Primary Schools	*Junior High Schools*	*Higher Secondary Schools*
(I) 4′ 6″ or below	Under 5 feet	Over 5 feet

The height instructions have been imposed only for races and track events only, for group games and other games no height are prescribed.

(3) Only 2 competitors should be brought for each item. One competitor cannot take part in more than 3 items during this festival meet.

(4) The names of all the competitors, classwise should be sent to the undersigned by November 10, 1954, without fail.

(5) Names of all the teachers other than P. T. I.'s should be sent to the undersigned by November 10, 1954, who will be able to serve as field judges. Track judges, etc. Group games judges, etc. with their sports qualifications and their preference for the job which should be given to them.

(6) Flags of all the zones are being designed and Distt. are being designed and prepared and will be supplied at the time of the Youth festival.

आदि सं ६ तारीख २६-७-

(7) The Principals should purchase their own hurdles and give practice to their students with immediate effect.

(8) The dress for the March Past (restricted to Higher Secondary Schools of the district)—a team of 24 from each school. Practice in March Past should be given in the respective institutions and they should practice marching at 130 paces to a minute and the P. T. Show in white Sandow cut west, white pants with wide buttons ; and white P. T. shoes and white socks.

(9) The name of Team Managers should be sent to the undersigned by November 10, 1954. It is proposed that senior teachers may be appointed who should be able to send their competitors in arena for particular competitions in time. The success of the meet will depend upon the Managers.

(10) The colleges are further requested to let the undersigned know whether they will be able to supply the sports materials from their own stocks for this meet or not.

(11) The necessary entry fee which is obligatory on all recognized institutions of the district should be sent immediately to Sri G. N. Kapur, Principal of the Government Higher Secondary School, Meerut, who is the Treasurer of the Youth Festival Committee.

You are requested to take immediate action in the matter and send the required information at your earliest to enable the undersigned to get the programme printed.

Your faithfully,

(1) (Sd.) HARSWARAN SINGH, *Convenor*.

(2) (Sd.) BRIJ MOHAN GUPTA, *Joint Convenor*.

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४८ का उत्तर पृष्ठ ७०७ पर)

APPENDIX 'C'

Up-to-date list of contributions to the Shiksha Vikas Kendra Fund Meerut, till December 20, 1953.

Serial no.	Amount	Name of the institution from which the contribution received
	Rs.	
1	1,000	Principal R. S. K. Highar Secondary School, Simbhauli (in two instalments).
2	251	Principal S. S. R. Higher Secondary School, Daurala.
3	500	Principal, Navajiwan Inter. College, Mawana.
4	850	Principal, K. V. Inter. College, Machhra. (Four instalments).
5	250	Principal, D. A. V. Inter. College, Kishanpur Beral.
6	500	Principal, A. S. Inter. College Mawana.
7	400	Head Master, Government Normal School, Hapur.
8	500	Principal, Faiz-i-am Inter. College, Meerut.
9	1,250	Principal, S. S. D. Higher Secondary School, Meerut. (Three instalments).
10	300	Principal, S. C. A. S. Higher Secondary School, Amin Nagar Sarai. (Two instalments).
11	500	Principal, Krishak Inter. College, Mawana.
12	500	Principal, G. S. D. N. Higher Secondary School, Parikshatgarh.
13	100	Principal, N. J. Higher Secondary School, Behsuma.
14	56-4-0	Principal, Gulab Devi Arya Kanya Pathshala, Mawana.
15	15,000	District Board, Meerut. (Two instalments).
16	500	Principal, S. K. Higher Secondary School, Niwari. (Two instalments).
17	1,001	Principal, B. A. V. Higher Secondary School, Meerut. (Two instalments).
18	151	Principal, Sardar Patel Higher Secondary School, Meerut.
19	101	Principal, Arya Vidyalaya Higher Secondary School, Tehra.
20	800	Principal, M. G. M. Higher Secondary School, Dhaukauli. (Three instalments).
21	600	Principal, R. R. Higher Secondary School, Pilkhuwa. (Two instalments).

Serial no.	Amount	Name of the institution from which the contribution received
	Rs.	
22	150	Principal, Durga Bari Girls' Higher Secondary School, Meerut.
23	762-8-0	Principal, Government Higher Secondary School, Meerut. (Two instalments).
24	300	Principal, St. Charles Higher Secondary School, Sardhana.
25	250	Principal, Jain Higher Secondary School, Sardhana.
26	1,500	Shiksha Prasarak Mandal, Khekra. (Two instalments).
27	250	Principal, Janta Higher Secondary School, Kharkauda.
28	400	Principal, Higher Secondary School, Lawar. (Three instalments).
29	500	Principal, C. & I. and Agricultural College. Hapur.
30	426-1-0	Principal, C. A. B. Higher Secondary School, Meerut. (Two instalments).
31	500	Principal, Modi Inter. College, Modinagar.
32	1,102	Principal, D. N. Inter. College, Meerut. (Two instalments).
33	250	Principal, Hapur Inter. College, Hapur.
34	520	Principal S. B. V. Higher Secondary School, Salarpur. (Four instalments).
35	300	Principal, K. R. Higher Secondary School, Chirori. (Two instalments).
36	206	Principal, Gandhi Higher Secondary School, Chur. (Three instalments).
37	2,000	Principal, R. S. S. Higher Secondary School, Dhaulana (Four instalments).
38	100	Principal, Higher Secondary School, Saroorpur.
39	250	Principal, Kisan Higher Secondary School, Mohiuddin pur.
40	325	Principal, G. S. Higher Secondary School, Dogat. (Two instalments).
41	200	Principal, Arya Kanya Pathshala, Hapur.
42	2,210	Principal, Harchand Mal Jain Higher Secondary School, Tikri. (Five instalments).
43	160	Principal, Naw Bharati Vidya Pith, Pratapur.
44	310	Principal, Vaish Higher Secondary School, Meerut.
45	500	Principal, Janta Higher Secondary School, Patla. (Two instalments).
46	100	Principal, B. M. M. Higher Secondary School, Mau Khas.
47	900	Principal, S. D. Inter. College, Ghaziabad. (Two instalments).

आदि सं ६ तारीख २६-७-

Serial no.	Amount	Name of the institution from which the contribution received
	Rs.	
48	217/8/0	Principal, Government Higher Secondary School, Hastinapur.
49	40	Principal, Jaswant Mills Higher Secondary School, Meerut.
50	318/10/6	Principal, Janta Higher Secondary School, Lumb. (Two instalments).
51	150	Principal, Kisan Higher Secondary School, Rasulpur Madhi.
52	807	Principal, S. S. S. S. Higher Secondary School, Rasna. (Four instalments).
53	1,000	Principal, S. V. M. Higher Secondary School, Chhaprauli. (Three instalments).
54	500	Principal, N. A. S. College, Meerut.
55	238/8/0	Principal, N. A. S. Higher Secondary School, Meerut.
56	100	Head Master, Municipal Junior High School, Pilkhuwa. (Two instalments).
57	135	Head Master, Faiz-i-am Junior High School, Meerut.
58	5,000	Principal, D. Jain College, Baraut.
59	200	Through Deputy Inspector of Schools.
60	150	Principal, Raghu Nath Girls' College, Meerut.
61	875	Principal, S. S. D. Higher Secondary School, Ghaziabad.
62	500	Principal, Jat Degree College, Baraut.
63	850	Principal, Jat Heroes Memorial Higher Secondary School, Baraut. (Two instalments).
64	100	Principal, Nanak Chand Janta Higher Secondary School, Sonda.
65	151	Principal, M. G. S. Higher Secondary School, Arnauli.
66	200	Principal, Janta Higher Secondary School, Budhpur Ramala. (Two instalments).
67	125	Head Master, S. S. V. Junior High School, Hapur.
68	51	Head Master, Kanpur School.
69	500	Principal, Jat Inter. College, Baraut.
70	515	Principal, Muslim Jat Higher Secondary School, Asara. (Two instalments).
71	100	Principal, S. H. Higher Secondary School, Mitli Gauripur.

Serial no.	Amount	Name of the institution from which the contribution received
72	50	Head Master, Junior D. A. V. High School, Baraut.
73	300	Principal, Jain Higher Secondary School, Khekra.
74	200	Principal, D. Jain Higher Secondary School, Baraut.
75	1,053-1-0	Principal, Schools of Cantonment Area through Sawan Singh Bazaz (S. D. I.)
	54,008-8-6	Total of contributions.
	64-6-	Expenditure.
	110	Burma note.
	53,834-2-0	Balance deposited in the I. B. I.
		After December 20, 1953
76	96-8-0	Government Higher Secondary School, Meerut.
77	200	Sri Salig Ram Sharma Smarak Higher Secondary School, Rasna.
78	208-14-9	Municipal Board, Meerut.
79	31	Superintendent, Municipal Board, Meerut.
80	9-13-0	From Currency Office.
	546-3-9	Total

Printing and Postage charges to send the appeal to the Higher Secondary Schools Rs.18-8-0.

आदि सं
६
तारीख
२६-७-

नत्थी 'छ'

(देखिये प्रश्न संख्या ५१ का उत्तर पृष्ठ ७०८ पर)

APPENDIX 'D'

Rule 10 of the Government Servant Conduct Rules

---

10. *Subscription*—A Government servant may, with the previous sanction of the Government, ask for, or accept or participate in the raising of, a subscription or other pecuniary assistance for a charitable purpose connected with medical relief, education or other objects of public utility ; but it shall not be permissible for him to ask for subscription, etc. for any other purpose whatsoever.

नत्थी "ज"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५३ का उत्तर पृष्ठ ७०९ पर)

तालिका

जिसका उल्लेख प्रश्न संख्या ५३ के उत्तर में किया गया है।

क्रम-संख्या	मंडल/जिला का नाम	संगीत अध्यापकों की संख्या, जिनको १५ फरवरी, १९५७ तक ट्रेन्ड ग्रेजुएट वेतन-क्रम दिया गया
१	२	३
	मेरठ मंडल	बालकों के विद्यालय
१	देहरादून	२
२	सहारनपुर	शून्य
३	मुजफ्फरनगर	२
४	मेरठ	१
५	बुलन्दशहर	शून्य
	योग ...	५
	आगरा मंडल	
६	अलीगढ़	शून्य
७	मथुरा	१
८	आगरा	७
९	मैनपुरी	१
१०	एटा	शून्य
	योग ...	९
	बरेली मंडल	
११	बरेली	१
१२	बिजनौर	शून्य
१३	बदायूं	"
१४	मुरादाबाद	"
१५	शाहजहांपुर	"
१६	पीलीभीत	"
१७	रामपुर	"
	योग ...	१

आदि सं ६ तारीख २६-७-

क्रम-संख्या	मण्डल/जिला का नाम			संगीत अध्यापकों की संख्या, जिनको १५ फरवरी, १९५७ तक ट्रेन्ड ग्रेजुएट वेतन-क्रम दिया गया
	नैनीताल मंडल			बालकों के विद्यालय
१८	नैनीताल	...	...	शून्य
१९	अल्मोड़ा	...	...	,,
२०	पौढ़ी-गढ़वाल	...	...	,,
२१	टेहरी-गढ़वाल	...	...	,,
		योग	...	शून्य
	इलाहाबाद मंडल			
२२	फर्रुखाबाद	...	...	१
२३	इटावा	...	...	शून्य
२४	कानपुर	...	...	१
२५	फतेहपुर	...	...	शून्य
२६	इलाहाबाद	...	...	४
२७	बांदा	...	...	शून्य
२८	हमीरपुर	...	...	,,
२९	झांसी	...	...	,,
३०	जालौन	...	...	२
		योग	...	८
	वाराणसी मंडल			
३१	वाराणसी	...	...	१
३२	मिर्जापुर	...	...	शून्य
३३	जौनपुर	...	...	२
३४	गाजीपुर	..	...	शून्य
३५	वलिया	...	...	,,
		योग	...	३

क्रम-संख्या	मंडल/जिला का नाम		संगीत अध्यापकों की संख्या, जिनको १५ फरवरी, १९५७ तक ट्रेन्ड ग्रेजुएट वेतन-क्रम दिया गया
	गोरखपुर मंडल		बालकों के विद्यालय
३६	गोरखपुर ...	...	शून्य
३७	देवरिया ...	...	"
३८	बस्ती ...	...	"
३९	आजमगढ़ ...	...	"
४०	गोंडा ...	...	"
४१	बहराइच ...	...	"
४२	फैजाबाद ...	...	"
	योग	...	शून्य
	लखनऊ मंडल		
४३	लखनऊ	...	२
४४	उन्नाव ...	...	शून्य
४५	रायबरेली ...	...	"
४६	सीतापुर ...	...	१
४७	हरदोई ...	...	शून्य
४८	खीरी ...	...	"
४९	प्रतापगढ़ ...	...	१
५०	बाराबंकी ...	...	शून्य
५१	सुलतानपुर ...	...	"
	योग	...	४
	योग बालकों की संस्थाओं का	...	३०

क्रम-संख्या	मंडल		बालिका विद्यालय
१	मेरठ ...	...	११
२	आगरा मन्डल ...	...	९
३	बरेली मन्डल ...	..	१
४	इलाहाबाद मन्डल ...	...	९
५	वाराणसी ...	...	१
६	गोरखपुर मन्डल ...	...	३
७	लखनऊ मन्डल ...	...	१४
	योग	...	४८

आदि सं
६
तारीख
२६-७-

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६० का उत्तर पृष्ठ ७१० पर)

गैर-सरकारी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले पुरुष संगीत शिक्षकों के वेतन दर की तालिका

(जिसका उल्लेख प्रश्न संख्या ६० के उत्तर में किया गया है)

वेतन-क्रम	अध्यापकों की संख्या
(क)	
(१) २००-१०-३००-२०-४०० रु०	१
(२) १५०-१०-१९०-१५-२५० रु०	३
(३) १२०-६-१६८-द०रो०-८-२०० रु०	१८
(४) ७५-५-११०-द०रो०-६०-१४०-द० रो०-७-१७५ रु०	२७
(५) ७५-५-१२०-८-२०० रु०	१
(६) ६०-४-१०० रु०	१
(७) ६०-३-११० रु०	१
(८) ४५-२-५५-३-८० रु०	१
निश्चित वेतनों पर (बिना किसी वेतन-क्रम के)	१३
	६६
(ख)	
स्थायी	३२
अस्थायी	३२
प्रोबेशन पर	२
	६६

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६२ का उत्तर पृष्ठ ७११ पर)

संख्या	नाम	तत्कालीन वेतन
१	श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, एम० एल० सी०, कानपुर	ज्ञात नहीं है
२	श्री शान्ती स्वरूप अग्रवाल, एम० एल० सी०, हापुड़ ...	"
३	श्री श्याम बिहारी विरागी, एम० एल० सी०, बलिया ...	"
४	श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, एम० एल० सी०, लखनऊ ...	"
५	श्री प्यारे लाल श्रीवास्तव, एम० एल० सी०, इलाहाबाद ...	"
६	श्री जयपाल सिंह, एम० एल० ए०, सहारनपुर ...	"
७	श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, एम० एल० ए०, कानपुर ...	"
८	श्री शिव प्रसाद सिनहा, एम० एल० सी०, इलाहाबाद ...	"
९	श्री महाबीर प्रसाद शुक्ला, एम० एल० ए०, इलाहाबाद ...	"
१०	श्री ए० ग्राइस, एम० एल० ए०, कानपुर ...	"
	राजकीय सदस्य, जिनका मासिक वेतन ९०० रु० से अधिक है।	
१	श्री ए० पी० माथुर, शिक्षा संचालक, विन्ध्य प्रदेश, रीवां ...	इस वर्ष इन्होंने कोई पावना-पत्र नहीं दिया, अतः वेतन का ज्ञान नहीं है।
२	श्री डी० आर० ढिंगरा, उप-संचालक, उद्योग विभाग, कानपुर	१,०५० रु० (विशेष वेतन सहित।)
३	डा० एच० एन० भट्ट, प्रिंसिपल, मेडिकल कालेज, आगरा	१,७०० रु०।
४	डा० बी० एस० हैकरवाल, उप-शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	१,००० रु० (विशेष वेतन सहित।)
	गैर-राजकीय सदस्य, जिनकी मासिक आय ९०० रु० से अधिक है।	
१	श्री बी० एन० कार, प्रधानाचार्य, ए० बी० कालेज, इलाहाबाद ..	ज्ञात नहीं है
२	श्री गोरखप्रसाद, गणित विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	"
३	श्री के० पी० भटनागर, वाइस-चान्सलर, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा ...	"
४	श्री एन० सी० पाल, रजिस्ट्रार रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की	"
५	श्री वी० वी० नरलीकर, अध्यक्ष, गणित विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ...	"
६	श्री हबीबुल रहमान, शिक्षा विभाग, मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	"
७	श्री एच० के० श्रीवास्तव, नवाबगंज, कानपुर ...	"
८	श्री देवेन्द्र स्वरूप, एडवोकेट, कानपुर ...	"
९	श्री प्रयाग नारायण, रईस, मौरावां, उन्नाव ...	"
१०	श्री नरेन्द्र जीत सिंह, बैरिस्टर, कानपुर ...	"
११	डा० एस० के० पान्डेय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ...	"

आदि सं
६
तारीख
२६-७-

नत्थी "ट"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६९ का उत्तर पृष्ठ ७१३ पर)

१९५७ की इन्टरमीडियेट परीक्षा के केन्द्रों पर नकल कराने के विषय में आक्षेपों की तालिका

केन्द्रों के नाम

१—नेशनल इन्टर कालेज, मौदहा, हमीरपुर।
२—राजकीय इन्टर कालेज, बुलन्दशहर।
३—एस० डी० कालेज, सहारनपुर।
४—के० वी० इन्टर कालेज, माछरा, मेरठ।
५—हापुड़ के सभी केन्द्र :—
(१) श्री सरस्वती विद्यालय डिग्री कालेज, हापुड़।
(२) हापुड़ इन्टरमीडियेट कालेज, हापुड़।
(३) श्री सरस्वती विद्यालय हायर सेकेन्डरी स्कूल, हापुड़।
(४) आर्य कन्या पाठशाला इन्टर कालेज, हापुड़।
६—गोकुल दास गुजराती गर्ल्स इन्टर कालेज, मुरादाबाद।

हाई स्कूल परीक्षा, १९५७ के केन्द्रों पर नकल करने के आक्षेप की तालिका

केन्द्रों के नाम

१—बी० एन० बी० उ० मा० स्कूल, मड़ियाहूं, जौनपुर।
२—ब्यालसी उ० मा० स्कूल, जलालपुर, जौनपुर।
३—आर० एस० के० इन्टर कालेज, सिम्भौली, मेरठ।
४—नोटीफाइड एरिया हायर सेकेन्डरी स्कूल, मुगलसराय, वाराणसी।
५—एल० डी० ए० वी० कालेज, अनूपशहर, बुलन्दशहर।
६—हिन्दू इन्टर कालेज, चांदपुर, बिजनौर।
७—खैर इन्टर कालेज, अलीगढ़।
८—ग्राम उद्योग इन्टर कालेज, पुखरायां, कानपुर।
९—राजकीय उ० मा० स्कूल, फतेहगढ़।
१०—राजकीय उ० मा० स्कूल, नजीबाबाद, बिजनौर।
११—उच्चतर माध्यमिक स्कूल, कुंडा, प्रतापगढ़।
१२—रसरा इन्टर कालेज, रसरा, बलिया।
१३—आनन्द राम जैपुरिया, इन्टर कालेज, गोरखपुर।
१४—ज्वाला देवी विद्या मन्दिर, कानपुर।
१५—नेशनल इन्टर कालेज, पट्टी नरेन्द्रपुर, जौनपुर।
१६—हिन्दू इन्टर कालेज, अतर्रा, बांदा।
१७—आर० एन० आई० इन्टर कालेज, भगवानपुर, सहारनपुर।
१८—के० एन० पी० एन० कालेज, मोरावां, उन्नाव।
१९—नेशनल उ० मा० स्कूल, मौदहा, हमीरपुर।
२०—श्री राम चन्द्र म्युनिसिपल हायर सेकेन्डरी स्कूल, बीसलपुर, पीलीभीत।
२१—शिवाजी उ० मा० स्कूल, हांसीपुर, मिर्जापुर।
२२—सारस्वत स्त्री पाठशाला, इलाहाबाद।
२३—वैदिक कन्या पाठशाला हा० से० स्कूल, नगीना, बिजनौर।
२४—रतन सेन हायर सेकेन्डरी स्कूल, बनौसी, बस्ती।
२५—अमर शहीद विद्यामन्दिर, आवाजपुर, शहीदगांव, वाराणसी।
२६—सुभाष इन्टर कालेज, आंवला, बरेली।

नत्थी "ठ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७९ का उत्तर पृष्ठ ७१७ पर)

क्रमांक	नाम अध्यापक	पद	वेतन-क्रम	वेतन जुलाई, १९५६ में	वेतन अगस्त, १९५६ से
१	२	३	४	५	६
			रु०	रु०	रु०
१	श्री डी० पी० गुप्ता	प्र० आचार्य	२५०-२०-४५०-२५-५००	४३०	२५०
२	श्री एस० एल० कुलश्रेष्ठ	अं० शा० प्रा०	१५०-१०-१९०-१५-२५०	२२०	१५०
३	श्री ओ० पी० शर्मा	वाणिज्य प्रा०	"	२०५	१५०
४	श्री आर० लवानियां	भूगोल प्रा०	"	२२०	१५०
५	श्री आई० सी० शर्मा	जी० वि० प्रा०	"	२०५	१५०
६	श्री एच० बी० सिंह	अं० प्रा०	"	१८०	१५०
७	श्री अ० के० शर्मा	भौतिक वि० प्रा०	"	१८०	१५०
८	श्री बी० बी० मिश्रा	हिन्दी प्रा०	"	२०५	१५०
९	श्री एम० डी० चटर्जी	अं० प्रा०	"	२५०	१५०
१०	श्री सी० एम० शुक्ला	इतिहास प्रा०	"	२२०	१५०
११	श्री पी० डी० तिवारी	स० अ०	१२०-६-१६८-८-२००	१७६	१२०
१२	श्री बी० पी० बन्सल	स०अ०	"	१५०	१२०
१३	श्री बी० सी० शर्मा	स० अ०	"	१४४	१२०
१४	श्री बी० एन० पान्डेय	स० अ०	"	१२६	१२०
१५	श्री एच० एच० प्रसाद	स० अ०	"	१४४	१२०

आदि सं
६
तारीख
२६-७-

क्रमांक	नाम अध्यापक	पद	वेतन—क्रम	वेतन जुलाई १९५६ में	वेतन अगस्त १९५६ से
१	२	३	४	५	६
१६	श्री डी० बी० शुक्ला	स० अ०	२/३ १२०—६—१६८—८—२००	११६	८०
१७	श्री जे० प्रसाद	कला अ०	,,	१२६	१२०
१८	श्री पी० एल० शर्मा	ग्रन्थ कला अ०	,,	१२६	१२०
१९	श्री एस० एस० शर्मा	स० अ०	७५—५—११०—६—१४०—७—१७५	११६	७५
२०	श्री एस० पी० सिंह	स० अ०	,,	१२२	७५
२१	श्री एस० सी० सिंह	पी० टी० अ०	,,	८०	७५

नोट—बीच की अवधि की अवरुद्ध वृद्धियां जो अनुदान के विलम्बित होने के कारण न दी जा सकीं वे सब हिसाब में लगाकर यह वेतन राशि जुलाई, सन् १९५६ की रक्खी गई है।

APPENDIX 'C'

(See the answer to starred question no. 79 on page 717)

STATEMENT

[Referred to in the answer to Council question no. 79 (b)]

List of teachers of Municipal Inter. College, Vrindaban

Serial no.	Name of the teacher	Designation	Scale of pay	Salary In July, 1956	Salary From August, 1956
			Rs.	Rs.	Rs.
1.	Sri D. P. Gupta ..	Principal ..	250—20—450—25—500..	430	250
2.	Sri S. L. Kulsretha	Lec. in Econ.	150—10—190—15—250..	220	150
3.	Sri O. P. Sharma ..	Com. Lec. ..	Ditto ..	205	150
4.	Sri R. Lavania ..	Geog. Lec. ..	Ditto ..	220	150
5.	Sri I. C. Sharma ..	Biol. Lec. ..	Ditto ..	205	150
6.	Sri H. B. Singh ..	Eng. Lec. ..	Ditto ..	180	150
7.	Sri R. K. Sharma ..	Phys. Lec. ..	Ditto ..	180	150
8.	Sri B. B. Misra ..	Hindi Lec. ..	Ditto ..	205	150
9.	Sri M. D. Chatterji	Eng. Lec. ..	Ditto ..	250	150
10.	Sri C. M. Shukla ..	Hist. Lec. ..	Ditto ..	220	150
11.	Sri P. D. Tewari ..	A. T. ..	120—6—168—8—200 ..	176	120
12.	Sri V. P. Bansal ..	A. T. ..	Ditto ..	150	120
13.	Sri B. C. Sharma ..	A. T. ..	Ditto .	144	120
14.	Sri B. N. Pandey ..	A. T. ..	Ditto ..	126	120
15.	Sri H. H. Prasad ..	A. T. ..	Ditto ..	144	120
16.	Sri D. B. Shukla ..	A. T. ..	2/3rd of Ditto ..	116	80
17.	Sri J. Prasad ..	Art. T. ..	120—6—168—8—200 ..	126	120
18.	Sri P. L. Sharma ..	B. H. T. ..	Ditto ..	126	120
19.	Sri S. S. Sharma ..	A. T. ..	75—5—110—6—140—7—175 ..	116	75
20.	Sri S. P. Singh ..	A. T. ..	Ditto ..	122	75
21.	Sri S. C. Singh ..	P. T. I. ..	Ditto ..	80	75

NOTE All increments due for the intervening periods and withheld on account of suspension of grant have been taken into consideration in arriving at this amount (July 1956).

आदि सं ६ तारीख २६—७—

नत्थी "ङ"

(देखिये प्रश्न संख्या ७९ का उत्तर पृष्ठ ७१७ पर)

नगरपालिका वृन्दाबन द्वारा स्वीकृत विशेष प्रस्ताव सं० १(अ), दिनांक २८ अप्रैल, १९५६ की प्रतिलिपि

[जिसका उल्लेख प्रश्न संख्या ७९(ग) के उत्तर में किया गया है]

अर्थसमिति द्वारा प्रस्तुत म्युनिसिपल इन्टर कालेज, विषयक अनुशंसा में नगरपालिका की यह बैठक निम्न संशोधन करती है :

(अ) चूंकि म्युनिसिपल इन्टर कालिज अपन नगर की एकमात्र उच्च शिक्षा संस्था है तथा नगर की आर्थिक अवस्था भी अत्यन्त शोचनीय है। अतः प्रत्येक परिस्थिति में उक्त शिक्षा संस्था का अस्तित्व परमावश्यक है परन्तु विगत प्रायः २ वर्षों से सरकार द्वारा उक्त शिक्षा संस्था का सरकारी अनुदान निलम्बित (ससपेंड) कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप नगरपालिका को महती आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि पालिका (बोर्ड) द्वारा इस समस्या के समाधान के लिये बराबर सरकार से समस्त वैधानिक प्रयत्नों का अवलम्बन कर निवेदन किया गया है साथ ही व्यवस्थापक महोदय शिक्षा संस्था द्वारा अध्यापक वर्ग से भी इस विषय में अभीष्ट विचार विनिमय किया गया परन्तु अभी तक उक्त समस्त प्रयत्नों के फलस्वरूप भी कोई अनुकूल परिणाम नहीं निकला। अतएव बड़े खेद के साथ नगरपालिका की यह बैठक यह निर्णय लेने के लिये बाध्य होती है कि सरकारी अनुदान की पुनः प्राप्ति प्रयत्न उक्त शिक्षा संस्था के समस्त अध्यापक वर्ग को प्राथमिक वेतन (इनीशियल पे) दे कर संस्था का संचालन जारी रखें। साथ ही अध्यापक वर्ग को यह विश्वास दिलाती है कि निरुद्ध सरकारी अनुदान की उपलब्धि पर कार्य पर रहने वाले अध्यापकों की समस्त वैतनिक क्षतिपूर्ति की जायगी। उपरोक्त योजना १ अगस्त, १९५६ से कार्यान्वित की जाय और बोर्ड इस निर्णय की सूचना सम्बन्धित अध्यापक वर्ग को आगामी ३० अप्रैल, १९५६ तक अवश्य दे दें।

नत्थी 'ढ'

इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७

ऐक्ट संख्या, ४, १८६९

इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट, १८६९ को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित करने का

विधेयक

ऐक्ट संख्या ४, १८६९

यह इष्टकर है कि इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट, १८६९ को उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय,

अतएव भारतीय गणतन्त्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्ष-नाम तथा प्रारम्भ ।

१---(१) यह अधिनियम इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधि-नियम, १९५७ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में ऐक्ट संख्या ४,१८६९ का संशोधन ।

२---उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट, १८६९ को अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित आयतिपर्यन्त संशोधित किया जायगा तथा एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है।

आदि सं ६ तारीख २६-७-

अपवाद (Savings)

३---इस अधिनियम द्वारा किया हुआ कोई संशोधन, पहले से की गयी अथवा हुई किसी बात की वैधता, अवैधता प्रभाव अथवा परिणाम पर अथवा पहले से प्रयुक्त किसी भी क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) पर प्रभाव न डालेगा, तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व निविष्ट या आरब्ध कोई भी कार्यवाही यहां पर किये गये किसी भी संशोधन के होते हुये भी, ऐसे न्यायालय द्वारा सुनी जाती रहेगी तथा निर्णीत की जायगी मानो की कि यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो।

अनुसूची (Schedule)

क्रम-संख्या	मूल अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३
१	१०	इस धारा में शब्द "or to the High Court" जहां कहीं भी आये हों, निकाल दिये जायं।
२	१३	अंतिम पैराग्राफ, अर्थात् "when a petition is dismissed by a District Court under this section, the petitioner may nevertheless, present a similar petition to the High Court." निकाल दिया जाय।
३	१६	(१) प्रथम पैराग्राफ में से शब्द "made by a High Court, not being a confirmation of a decree of a District Court" तथा शब्द "or special" निकाल दिये जायं।

क्रम-संख्या	मूल अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३
		(२) दूसरे पैराग्राफ में शब्द "General" तथा "Order" के बीच में आये हुये शब्द "or special" निकाल दिये जायं ।
		(३) चौथे तथा पांचवें पैराग्राफ में शब्द "High Court" के स्थान पर शब्द "Court" रख दिया जाय ।
४	१७	(१) पैराग्राफ १ से ५ तक निकाल दिये जायं ।
		(२) पैराग्राफ ६ में शब्द "General" तथा "Order" के बीच में आये हुये शब्द "or special" निकाल दिये जायं ।
५	१८	शब्द "District or to the High Court" के स्थान पर शब्द "District Court" रख दिये जायं ।
६	१९	अंतिम पैराग्राफ में शब्द "High Court" के स्थान पर शब्द "Court" रख दिया जाय ।
७	२०	यह धारा निकाल दी जाय ।
८	२३,२७,३२ तथा ३४	शब्द "or the High Court" निकाल दिये जायं ।
९	३७	(१) शब्द "High Court" के स्थान पर शब्द "Court" रख दिया जाय ।
		(२) दूसरा पैराग्राफ अर्थात् "and the District Judge may, if he thinks fit, on the con firmation of any decree of his declaring a marriage to be dissolved, on any decree of judicial separation obtained by the wife" निकाल दिया जाय ।
१०	४०	(१) शब्द "High Court" के स्थान पर शब्द "Court" रख दिया जाय ।

क्रम-संख्या	मूल अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३
		(२) दूसरा पैराग्राफ अर्थात् "and the District Court, after its decree for dissolution of marriage or of nullity of marriage has been confirmed" निकाल दिया जाय ।
११	४३	(१) पहले पैराग्राफ में से शब्द "instituted in, or removed to a High Court" निकाल दिये जायं । (२) दूसरा पैराग्राफ निकाल दिया जाय । (३) तीसरे पैराग्राफ में शब्द "High Court or District Court (as the case mey be)" के स्थान पर शब्द "Court" रख दिया जाय ।
१२	४४	(१) पहले पैराग्राफ में शब्द "High Court" के स्थान पर "Court" रख दिया जाय । (२) दूसरा पैराग्राफ अर्थात् शुद्ध "and the District Court, after a decree for dissolution of marriage or of nullity of marriage has been confirmed" निकाल दिया जायं ।
१४	५०	शब्द "High Court by general or special order from time to time directs" के स्थान पर शब्द "Court may direct" रख दिये जायं ।
१५	५५	(१) प्रथम प्रतिबन्धक (Proviso) निकाल दिया जाय । (२) द्वितीय प्रतिबन्धक में से शब्द "also" निकाल दिया जाय ।
१६	५७	वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः— Liberties to parties to marry again. "57. When six months after the date of any decree absolute dissolving a marriage have expired, and no appeal has been presented against such decree, or when any such appeal has been dismissed, or when in the result of any such appeal any marriage is declared to be dissolved, but not sooner, it shall be lawful for the respective parties to the mariiage to marry again, as if the prior marriage had been dissolved by death."
१७	Schedul of forms (प्रपत्रों की अनु० सूची)	१—प्रपत्र संख्या (Form no.) १ मेंः— (१) शब्द तथा कोष्ठक "(High)" और "(or to the Judge of)" तथा शब्द "To the Hon'ble Mr. Justice" निकाल दिये जायं ।

आदि सं ६ तारीख २६-७-'

क्रम-संख्या	मूल अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३
		(२) शब्द तथा कोष्ठक "(Hon'ble)" जहां कहीं भी आये हों, निकाल दिये जायं।
		२—प्रपत्र संख्या २ में से शब्द तथा कोष्ठक "(Hon'ble)" निकाल दिये जायं।
		३—प्रपत्र संख्या ३ में से शब्द तथा कोष्ठक "(High)" तथा "(Hon'ble)" निकाल दिये जायं।
		४—प्रपत्र संख्या ४ तथा ५ में से शब्द तथा कोष्ठक "(High)" "(or to the Judge of)" और "(Hon'ble)" तथा शब्द "To the Hon'ble Mr, Justice" निकाल दिये जायं।
		५—प्रपत्र संख्या ६ में शब्द तथा कोष्ठक "(High)" और "(Hon'ble)" निकाल दिये जायं।
		६—प्रपत्र संख्या ७ में शब्द तथा कोष्ठक "(High)" निकाल दिये जायं।
		७—प्रपत्र संख्या ८ में शब्द तथा कोष्ठक "(High)" "(Hon'ble)" और "(or to the Judge of)" तथा शब्द "To the Hon'ble Mr. Justice" निकाल दिये जायं।
		८—प्रपत्र संख्या ९ में शब्द तथा कोष्ठक "(High)" निकाल दिये जायें।
		९—प्रपत्र संख्या १० में शब्द तथा कोष्ठक "(High)" "(or to the Judge of)" और ("Hon'ble)" तथा शब्द "(To the Hon'ble Mr. Justice)" निकाल दिये जायं।
		१०—प्रपत्र संख्या ११ में शब्द तथा कोष्ठक '(High)" और "(or to the Judge of)" तथा शब्द "(To the Hon ble Mr. Justice)" निकाल दिये जायं।
		११—प्रपत्र संख्या १२ में शब्द तथा कोष्ठक "(High)" "(or to the Judge of)" और "(Hon'ble)" तथा शब्द "(To the Hon'ble Mr. Justice)" निकाल दिये जायं।
		१२—प्रपत्र संख्या १३ तथा १४ में शब्द और कोष्ठक "(High)" निकाल दिये जायं।

उद्देश्य तथा कारण

श्री जस्टिस के० एन० वांचू की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त यू० पी० जुडीशियल रिफार्म्स कमेटी ने सिफारिश किया था कि इंडियन डाइवोर्स एक्ट से सम्बद्ध विषयों में हाई-कोर्ट तथा जिला न्यायालयों (District Courts) का समवर्ती क्षेत्राधिकार (Concurrent Jurisdiction) न रखा जाय तथा उक्त एक्ट के अधीन अधिकार केवल जिला न्यायालयों (District Courts) को ही प्राप्त हों तथा डिस्ट्रिक्ट जजों को अन्तिम डिक्री पारित करने के अधिकार भी होने चाहिये तथा पुष्टीकरण के निमित्त कार्यवाहियों को हाईकोर्ट के पास प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

अतएव हाईकोर्ट तथा डिस्ट्रिक्ट जजों का समवर्ती क्षेत्राधिकार न रखने के उद्देश्य से इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट की अनेक धाराओं एवं अनुसूची को संशोधन करने का प्रस्ताव है।

सम्प्रति इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज की डिक्री के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसे पुष्टीकरण के निमित्त हाईकोर्ट के पास प्रस्तुत करना पड़ता है। चूंकि हाईकोर्ट तथा डिस्ट्रिक्ट जजों के समवर्ती क्षेत्राधिकार के उन्मूलन का प्रस्ताव है इसलिये इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट की धारा ५५ के प्रतिबन्धक को निकाल देने का प्रस्ताव है और ऐसा करने पर इस एक्ट के अधीन किसी वाद अथवा कार्यवाही में किसी न्यायालय द्वारा प्रदत्त समस्त डिक्रियां तथा आज्ञायें उसी प्रकार अपील योग्य (appealable) होंगी, जिस प्रकार न्यायालयों को अपने मूल दीवानी क्षेत्राधिकार के प्रयोग स्वरूप प्रदत्त डिक्रियां तथा आज्ञायें अपील योग्य होती हैं।

आदि सं ६ तारीख २६-७-

तदनुसार इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ सदन के विचारार्थ पुरःस्थापित किया जाता है।

सैयद अली जहीर,
न्याय मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०—१४५ ल० सो०—१९५७—(प्रो०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

की

कार्यवाहियों

की

अनुक्रमणिका

खंड ५३

नोट---व्यक्तिगत प्रश्न तथा स्थानीय प्रश्न शीर्षक "ब" तथा "स" के अन्तर्गत देखिये ।

आदि सं
६
तारीख
२६–७–

आदि सं
६
तारीख
२६-७-

आदि सं
६
तारीख
२६-७-

आदि सं
६
तारीख
२६-७-

आदि सं
६
तारीख
२६–७–

प्रश्नोत्तर

आदि सं
६
तारीख
२६–७–'

आदि सं
६
तारीख
२६–७–

आदि सं
६
तारीख
२६-७-

आदि सं
६
तारीख
२६-७-

'ब'

आदि सं
६
तारीख
२६–७–

आदि सं
६
तारी
२६–७–

आदि सं
६
तारी
२६–७–

स्थानीय प्रश्न

आदि सं
६
तारी
२६–७–

आदि सं
६
तारीख
२६-७-

आदि सं
६
तारीख
२६–७–

पी० एस० यू० पी०—२० जी० १५३ एल० सी०–१९६१–८५० ।